

July to September 2023
E-Journal
Volume I, Issue XLIII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 7.671

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email :** nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index

01.	Index	02
02.	Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03.	Referee Board	10
04.	Spokesperson	12
05.	Surface Water Pollution (Dr. Sushama Singh Majhi)	14
06.	Depiction of Indian History and Culture in the Poetry of A.K. Ramanujan and Jayanta Mahapatra (Dr. Radhashyam Dey, Dr. Shweta Singh)	17
07.	Free Legal Aid In India: A Critical Analysis (Dr. Bijay Kumar Yadav)	20
08.	Impact of National Education Policy 2020 on Higher Education: Opportunities and Challenges ... (Dr. Vibha Nigam)	23
09.	The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Operational Efficiency and Decision Making in Indian Banking Institutions (Dr. Preeti Anand Udaipure)	27
10.	Stress and its Adjustment in Working Women (Shaily Jain)	33
11.	Exploring the Transformative Influence of Yogic Practices on Addiction Patterns: A Comprehensive Study (Nikhil Sharma, Dr. Nibu. R. Krishna, Prof. Suresh Lal Barnwal)	36
12.	Women Are The Real Architects Of Society (Dr. Ritu Mittal)	40
13.	HDFC and Mahindra Finance Mutual Funds: Comparative Analysis (Dayalal Sankhla)	43
14.	A Comparative Study of Public and Private Sector Bank in India (Priyanka Barod, Dr. Rakesh Mathur)	47
15.	Outcome based education in the National education Policy-2020 (Sudhish Kumar)	50
16.	Therapeutic Benefit of Yoga on Anxiety and Depression in Pulmonary Tuberculosis Patients: A Compressive Narrative Review (Srinivas M , Patil N J , Prabhakar K ,Jagmohan S V ,Guruprasad T J)	53
17.	A Study of Gender Equality within Police Services in Ghaziabad District (Pooja Seth, Archana Singh)	58
18.	Traditional use and sustainable collection of Ethnobotanicals by the tribal community of "Nimar region of Madhya Pradesh" (Vineeta Dawar, Dr. Pramod Pandit, Dr. Rajiv Dixit)	62
19.	ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा का अध्ययन करना (डॉ. तृप्ति तिवारी)	69
20.	हिन्दी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा गुणवत्ता विकसित करना – एक अध्ययन (डॉ. विभा तिवारी)	72
21.	वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व का अध्ययन (प्रवीण कुमार सोनी)	74
22.	शारीरिक गतिविधियाँ और महिला सशक्तिकरण (डॉ. ममता)	77
23.	छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में सीखने की क्षमता की भूमिका पर एक अध्ययन (डॉ. विनेता)	80
24.	मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म : संभावनाएं एवं चुनौतियां (डॉ. आलोक कुमार यादव)	84
25.	ऑनलाइन शिक्षा में चुनौतियां एवं अवसर : एक अध्ययन (लाकेश कुमार साहू)	87
26.	स्वच्छ भारत अभियान योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (ठानसिंग चौहान)	91
27.	पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका (विजय लक्ष्मी जोशी)	94

28.	नाइजर में सैन्य शासन के परिणाम : एक बहुआयामी अध्ययन (डॉ. धर्मेन्द्र मिश्रा)	97
29.	भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याएं और संभावनाएं (डॉ. प्रहलाद धाकड़)	99
30.	गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का महत्व (डॉ. रुपेश पल्लव)	105
31.	भारत की जी20 अध्यक्षता: चुनौतियाँ और अवसर (डॉ. अरविन्द सिरौही)	108
32.	भारतीय समाज में जनजातियों की स्थिति का विश्लेषण (डॉ. गीता कुमारी)	110
33.	स्वतंत्रता के पश्चात् महिला अपराधों को रोकने में नये संवैधानिक प्रावधानों का औचित्य एक अध्ययन	112
	(वर्ष 2000-2023 तक) (गीता हनवत)	
34.	Ecocide & Toxic Outrage due to Corporate Avarice in Indra Sinha's <i>Animal's People</i>	114
	(Ritesh Kumar, Dr. Kumar Piyush)	
35.	21 वीं सदी के भारत में समान नागरिक संहिता की उपादेयता (ललिता बोराना)	117
36.	महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम (सुनिता मोरे, डॉ. कांता अलावा)	120
37.	Kisan Credit Card Scheme in Rajasthan : A Literature Review (Sarita Singh)	122
38.	साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका का समाज पर प्रभाव (नीलम खासकलम)	126
39.	उत्तररामचरितम् में प्रकृति चित्रण (डॉ. नलिनी तिलकर)	129
40.	भारतीय संस्कृति और व्यक्तित्व विकास (डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर, डॉ. जी. एल. मालवीय)	132
41.	शरणार्थियों की समस्याएं : एक सांगोपांग अध्ययन (डॉ. शोभा गौतम)	135
42.	73वां संविधान संशोधन पंचायती राज सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम (डॉ. विभा शर्मा)	138
43.	भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार: किसानों की आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव (डॉ. शकुंतला मीना)	143
44.	अनुसूचित जनजाति समाज के विकास का विकास एवं जनप्रतिनिधि -मध्यप्रदेश के धार जिले	146
	के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन (विरेंद्र अजनेर)	
45.	जनजातीय विकास में शासकीय योजनाओं का महत्व-मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष	148
	संदर्भ में एक अध्ययन (मेघा रावत)	
46.	काव्य शास्त्रेषु वर्णित काव्य-प्रयोजन-कारणस्वरूपनिर्णय: (डॉ. बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय)	150
47.	इजरायल में न्यायिक सुधार एवं विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएँ (उदयवीर सिंह गुर्जर)	154
48.	पत्रकारिता की नई भाषा में ढलती हमारी हिन्दी (सतीश कुमार सिंह)	157
49.	Study on the Practices of Funeral Rites in Hinduism (Nisha Razdan)	161
50.	Review Study on Aerobic Treatment for Polluted Water (Dr. Himanshu Bansal)	164
51.	शक्ति का आदर्श परिपेक्ष्य नारी (डॉ. बिन्दु परस्ते)	166
52.	गरीबी उन्मुलन में मनरेगा योजना से प्राप्त हितग्राहियों का एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)	168
	(डॉ. शिव कुमार वर्मा, कैश मो. अंसारी)	
53.	सीधी जिले के हाट बाजारों का स्थानीय मांग पर प्रभाव (डॉ. एस.के.वर्मा, गुलशेर अहमद)	171
54.	महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा (प्रो. श्रीकान्त मिश्रा, डॉ. हीरासिंह गोंड)	174
55.	1857 की क्रांति में शहीद अमरचंद बांठिया का योगदान (ग्वालियर के विशेष संदर्भ में) (शैलेन्द्र सिंह)	176

56.	Comparative Study of Mental Toughness Brain Hemisphere and Creativity of Boxing 178 Male Players (Dr. Bhupender Sharma, Dr. Vijay Singh)	178
57.	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. अजय वाघे, साजिद मंसूरी) 182	182
58.	योग के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आनंद का विवेचनात्मक अध्ययन (विनीत कुमार तिवारी, डॉ. मंजू शर्मा) 184	184
59.	पदक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में 186 आये बदलाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) (संजय कुमार कोचक)	186
60.	Generating Happiness Through Nature By Romantic Poets 189 (Shabeena Bano, Dr. Shaheen Saulat)	189
61.	शिक्षा दर्शन के व्यवहारिक प्रतिमान : भारतीय दर्शन के संदर्भ में (कपिल नेमा) 191	191
62.	Exploring the Vitality of English Language Proficiency in a Globalized Era 195 (Surbhi Gour, Dr. Monika Choudhary)	195
63.	मनरेगा का ग्रामीण रोजगार की माँग और पूर्ति पर प्रभाव (सरोज रजक, डॉ. अंजनी कुमार पाण्डेय) 200	200
64.	शिक्षा तक पहुँचने में ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक अध्ययन 202 (डॉ. उदय प्रताप सिंह)	202
65.	Biodiversity Hotspots: A Comprehensive Analysis of Species Distribution and 204 Conservation Strategies (Dr. Ragini Sikarwar)	204
66.	Cultural Significance in Terracotta Horses of Panchmura, Bankura in West Bengal- A Maker- 208 Centric Design Approach in the Present Context (Ashok Mondal, Gargi Raychaudhuri, Dr. Isha Bhatt)	208
67.	The Social Media as a Challenge to the National Security: An Analysis (Arun Kumar Sharma) ... 213	213
68.	An Analytical Study of Role of Judiciary in Implementation Law Relating to Prevention 215 of Food Adulteration in India (Narendra Singh Rana)	215
69.	भदावरी भाषा की पहेलियों में राम कथा के विविध प्रसंग (मंजू नरवरिया) 219	219
70.	मेहरुत्रिसा परवेज़ के उपन्यासों में नारी-पात्रों का वर्णनात्मक अध्ययन (दुर्गेश राणा) 222	222
71.	Building a Competitive Education Hub: The Role of HRD Practices in Bhopal's Higher 224 and Technical Education Sector (Mahesh Vanjani, Dr. Atul Loomba, Dr. B.D. Pandey)	224
72.	Impact of Laws Associated with Solid Waste Management on Waste Disposal by Hospitals 227 (Manmeet Kaur Chana)	227
73.	भारत के संविधान में बाल श्रम निरोध (डॉ. प्रवीण ओझा) 232	232
74.	वैश्वीकरण से स्थानीय संस्कृति में परिवर्तन (एक समाजशास्त्रीय अवलोकन) (डॉ. ज्योति सिंह) 234	234
75.	संगठनात्मक व्यवहार अवधारणा (भूपेन्द्र कुमार नायक) 237	237
76.	Decadal Behaviour of Water Table in Jabalpur (Yagyesh Narayan Shrivastava) 242	242
77.	पांडेय बेचन शर्मा उग्र का हिंदी साहित्य की यथार्थवादी लेखन परंपरा में योगदान: समीक्षा 251 (किशोर कुमार शर्मा, प्रो. अशोक कुमार गुप्ता)	251
78.	Profile, Availability, Forecast and Agronomic Impact of Micronutrient Fertilizers in 255 Indian Agriculture (Dr. S.K. Udaipure)	255
79.	Sustainable Innovation: Exploring Green Entrepreneurship in Contemporary Business 262 (Dr. Preeti Anand Udaipure)	262
80.	Beyond Technical Proficiency: Nurturing Soft Skills for Career Success 270 (Dr. Anjali Dhabhai, Ms. Uarvashi Rathore)	270

81.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन (डॉ. निशा शर्मा)	273
82.	Comparative Study of Libraries of Lead Colleges of Nimar Region From the Point of View of Resources, Modern Technology and Users (Pritee Gulwaniya, Dr. M. Suresh Babu)	276
83.	An Analysis of Investment Behaviour of Rajasthan Government Employees with Special Reference to College Education Department (Dr. Narendra Marwada, Dr. Divya Solanki)	281
84.	मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान फसल की क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता पर विशेष अध्ययन (डॉ. मोहम्मद शाकिर मन्सूरी, महेन्द्र कुम्भकार)	284
85.	अभिवाक् सौदा- अभियुक्त के शीघ्र परीक्षण की आशा (डॉ. धर्मराज गुप्ता)	286
86.	मेवाड़ में वस्त्र निर्माण परम्परा (गोपाल लाल बुनकर)	288
87.	लोकतंत्र में विपक्ष की सशक्त भूमिका (रेणु ठाकुर)	291
88.	आचार्य विद्यासागर द्वारा हाइकु के क्षेत्र में योगदान (डॉ. गणेशलाल जैन, प्रीति सोनी)	294
89.	राजस्थान की समकालीन कला में कलाविद् परमानन्द चोयल का योगदान (डॉ. ज्वाला प्रसाद कलोशिया)	296
90.	राजेन्द्र यादव के आलोचकीय व्यक्तित्व का विश्लेषण (डॉ. मुकेश कुमार)	300
91.	"Pichwai Art"- Soul of Nathdwara (Dr. Vandana Sharma)	305
92.	मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय (डॉ. सरला पण्ड्या)	307
94.	पंचायती राज : विसंगतियाँ एवं निदान (डॉ. वर्चसा सैनी)	311
95.	प्रवासी महिला कथाकारों की कहानियों में नारी का स्वरूप (प्रीती राजपूत, डॉ. सुनीता)	314
96.	The Role of Social Media in Shaping Modern Cultural Norms in India (Mallu Ram Meena)	317
97.	Concept of Love in the Writings of Kamala Das (Dr. O.P. Tiwari)	322
98.	Environmental Pollution and Health Risks (Dr. Sunil Kumar Soni)	330
99.	Fiscal Policy in India: Concepts and Objectives (Dr. Rajshree Chouhan)	332
100.	कृष्णासोबती की लेखनी से : स्त्री विमर्श के मायने (डॉ. अनुषा बंधु)	336
101.	Enhancement of Child Development in Pre-School Education (PSE) and it's Real Beneficial Outputs (Dr. Rita Bisht)	339
102.	Dalit Empowerment: Investigating Efforts to Uplift Dalits and Address Discrimination (Dr. Sandhya Jaipal)	342
103.	Reflection of Caste and Class Discrimination in Indira Goswami's Novel <i>The Moth-Eaten Howdah of the Tusker</i> (Deepank Ahari)	346
104.	विश्व में यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास(डॉ. दिनेश कुमार कटुतिया)	349
105.	जलवायु परिवर्तन का वर्तमान राजस्थान की पारिस्थितिकी एवं आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव (कैलाश शर्मा)	352
106.	भारत चीन सम्बन्धों का बदलता परिदृश्य (गुरप्रीत सिंह)	355
107.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : विशेषताएं एवं कमियां (डॉ. डी.के.वर्मा)	358
108.	भारत बोध के विभिन्न स्रोत (डॉ. मधुसूदन चौबे)	361
109.	Navigating the New Horizons: Exploring Emerging Trends in Commerce Education (Dr. Krishna Bhuriya)	367

110. A Study of Career Expectations Among Prospective Teacher in Government and 370 Private Colleges (Dr. Mohd Noor Alam Ansari, Dr. Mohammed Iqbal Yusuf Ansari)	370
111. कबीर : मूलत भक्त, समाज सुधारक और कवि हृदय (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 373	373
112. Consumer Satisfaction Towards Public Distribution System 375 (Mrs. Deepmala Gandhi, Dr. Rakesh Mathur)	375
113. Application of Artificial Intelligence in Fodder Production and Conservation 379 (Aabid Hassan Khan, Kaiser Parveen)	379
114. स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिक्षा दर्शन का वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति में महत्व : एक अध्ययन 381 (निशा सियाग, डॉ. वन्दना दुआ)	381
115. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनकी शिक्षण दक्षता एवं 383 व्यवसायिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन (डॉ. गुंजन शर्मा , पारूल शर्मा)	383
116. हिन्दी उपन्यासों में नवीन अंचल एवं सामाजिक चेतना (डॉ. पूजा धमीजा, प्रवीण जाखड़) 386	386
117. निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता का अध्ययन 388 (प्रीति शर्मा, डॉ. गुंजन शर्मा)	388
118. अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विवाह, दहेज एवं एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति 391 का अध्ययन (डॉ. किरण गिल, पृथ्वी पाल सहारण)	391
119. सोशल मीडिया का उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक व पर्यावरणीय मूल्यों पर पड़ने 395 वाले प्रभाव का अध्ययन (ऋचा गुप्ता डॉ. गोविंद सोनी)	395
120. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि 399 एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन (डॉ. वन्दना दुआ, सम्पत सिंह)	399
121. खिलाड़ियों का कौशल प्रदर्शन में खो-खो खेल एक विषयक अध्ययन (डॉ. अनुराग बिस्सू, विक्रम सिंह) 402	402
122. मारवाड़ का सांस्कृतिक स्वरूप : एक सक्षिप्त परिचय (डॉ. सीमा वर्मा, सुशीला) 404	404
123. Palliative Care in Homoeopathy (Dr R.V.Gayathri Devi, Dr. Anupriya Vyas) 407	407
124. A Study of Academic Cheating among Senior Secondary School Students in Relation to 409 Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety (Dr. Govind Soni, Mr. Sandeep Thomas)	409
125. Computing Determinant of Fourth Order Matrix by Alternate Method 412 (Neha, Dr. Vinod Kumar Sharma)	412
126. A Study of Teacher Freezing of CBSE and MSB Higher Secondary School Teachers in 416 Relation to Their Sense of Humour, Personality and Teacher Competency (Dr. Kiran Gill, Amruta Gorakshnath Peherkar)	416
127. Role of Tourism in Economic Development of Jodhpur (Shefali Loona, Dr. Harleen Kaur) 419	419
128. Cotton Cultivation in Rajasthan: A Geographical Assessment (Dr. Shyo Chand Bakolia) 424	424
129. A Study on the Effect of Working Capital Management on the Profitability of Rice Mills 429 of Fazilka District of Punjab (Nitin Babbar, Dr. Manjila Singla)	429
130. भारतीय कृषि का बदलता स्वरूप: सिरसा जिले के विशेष सन्दर्भ में (प्रगट कस्वॉ, डॉ. श्यामसुन्दर वर्मा) 434	434
131. फुटबॉल खेल का खिलाड़ी के कौशल और शारीरिक विकास में योगदान(डॉ. अनुराग बिस्सू, पुनम राम जाट) 436	436
132. राजस्थान के खिलाड़ियों का एथलीट खेलों में योगदान (डॉ. अनुराग बिस्सू, रितु गोदारा) 438	438
133. प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास (डॉ. नीलम सोनी) 440	440

134. Ocean Plastic Pollution : A Global Problem (Dr. Shikha Yadav)	443
135. समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका (डॉ. सपना)	445
136. Women's Empowerment, Food Intake, Health and Impact on Children's Well Being	447
(Dr. Dharmendra Kumar, Ms. Sanju Yadav)	
137. महर्षि-रमण की आत्म-विचार सम्बन्धी-अवधारणा (डॉ. संगीता शर्मा)	449
138. Importance of Sports and Yoga in Social Development (Dr. Shikha Yadav)	452
139. समकालीन हिन्दी कविता और दलित विमर्श (डॉ. निर्मला राव)	454
140. The Dual Impact of Social Media on Youth and its Creative Approach: Navigating	457
Benefits and Challenges in the Digital Age (Geetanjali Verma)	
141. मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन का अध्ययन (डॉ. ज्योति सिंह)	462
142. रावतभाटा तहसील का भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन : एक तुलनात्मक अध्ययन	466
(डॉ. सतीश कुमार आचार्य)	
143. The New Global Approach to a Transportation Problem	471
(Aakash Kamra, Dr. Vinod Kumar Sharma)	
144. Impact of COVID-19 on Educational and Social Values (Dr. Bhavna Sharma)	473
145. Literary Depictions of Mental Health: A Critical Examination With Reference to Female	477
Novelists (Dr. Reena Mittal)	

Regional Editor Board - International & National

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Dr. Manisha Thakur | - Fulton College, Arizona State University, America. |
| 2. Mr. Ashok Kumar | - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K. |
| 3. Ass. Prof. Beciu Silviu | - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania. |
| 4. Mr. Khgendra Prasad Subedi | - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal. |
| 5. Prof. Dr. G.C. Khimesara | - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India |
| 6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav | - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India |
| 7. Prof. Dr. Anoop Vyas | - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India |
| 8. Prof. Dr. P.P. Pandey | - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India |
| 9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani | - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India |
| 10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam | - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India |
| 11. Prof. Dr. B.S. Jhare | - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India |
| 12. Prof. Dr. Sanjay Khare | - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India |
| 13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay | - Exam Controller, Govt. Kamalraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India |
| 14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma | - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India |
| 15. Prof. Akhilesh Jadhav | - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India |
| 16. Prof. Dr. Kamal Jain | - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India |
| 17. Prof. Dr. D.L. Khadse | - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India |
| 18. Prof. Dr. Vandna Jain | - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India |
| 19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar | - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India |
| 20. Prof. Dr. Sharda Trivedi | - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India |
| 21. Prof. Dr. Usha Shrivastav | - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India |
| 22. Prof. Dr. G. P. Dawre | - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India |
| 23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya | - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India |
| 24. Prof. Dr. Vivek Patel | - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India |
| 25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary | - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India |
| 26. Prof. Dr. P.K. Mishra | - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India |
| 27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma | - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India |
| 28. Prof. Dr. R. K. Gautam | - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India |
| 29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai | - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India |
| 30. Prof. Dr. Avinash Shendare | - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India |
| 31. Prof. Dr. J.C. Mehta | - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India |
| 32. Prof. Dr. B.S. Makkad | - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India |
| 33. Prof. Dr. P.P. Mishra | - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India |
| 34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar | - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India |
| 35. Prof. Dr. K.L. Sahu | - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India |
| 36. Prof. Dr. Malini Johnson | - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India |
| 37. Prof. Dr. Ravi Gaur | - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India |
| 38. Prof. Dr. Vishal Purohit | - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India |

Editorial Advisory Board, INDIA

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav | - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India |
| 2. Prof. Dr. Aditya Lunawat | - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India |
| 3. Prof. Dr. Sanjay Jain | - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India |
| 4. Prof. Dr S.K. Joshi | - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India |
| 5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey | - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India |
| 6. Prof. Dr. Sumitra Waskel | - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India |
| 7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar | - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India |
| 8. Prof. Dr. Mangal Mishra | - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India |
| 9. Prof. Dr. R.K. Bhatt | - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India |
| 10. Prof. Dr. Ashok Verma | - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India |
| 11. Prof. Dr. Rakesh Dhand | - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India |
| 12. Prof. Dr. Anil Shivani | - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India |
| 13. Prof. Dr. PadamSingh Patel | - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India |
| 14. Prof. Dr. Manju Dubey | - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India |
| 15. Prof. Dr. A.K. Choudhary | - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India |
| 16. Prof. Dr. T. M. Khan | - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India |
| 17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao | - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India |
| 18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava | - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India |
| 19. Prof. Dr. Kanta Alawa | - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India |
| 20. Prof. Dr. S.C. Jain | - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India |
| 21. Prof. Dr. Kishan Yadav | - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India |
| 22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya | - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India |
| 23. Prof. Dr. Purshottam Gautam | - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India |
| 24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta | - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India |
| 25. Prof. Dr. S.C. Mehta | - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India |
| 26. Prof. Dr. A. K. Pandey | - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.) |

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Amrita Khatrri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
***** Commerce *****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
***** Management *****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
***** Law *****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.) (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.) (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
***** Arts *****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.) (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.) (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Hindi | - | (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.) |
| English | - | (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.) |
| Sanskrit | - | (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.) |
| History | - | (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) |
| Geography | - | (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.) |
| Psychology | - | (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) |
| Drawing | - | (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) |
| Music/Dance | - | (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) |
| ***** Home Science ***** | | |
| Diet/Nutrition
Science | - | (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh) |
| Human
Development | - | (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.) |
| Family Resource
Management | - | (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.) |
| ***** Education ***** | | |
| Education | - | (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.) |
| ***** Architecture ***** | | |
| Architecture | - | (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.) |
| ***** Physical Education ***** | | |
| Physical Education | - | (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.) |
| ***** Library Science ***** | | |
| Library Science | - | (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.) |

Spokesperson's

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Davendra Rathore | - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) |
| 2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa | - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) |
| 3. Dr. Surendra Shaktawat | - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.) |
| 4. Prof. Dr. Devilal Ahir | - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.) |
| 5. Shri Ashish Dwivedi | - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.) |
| 6. Prof. Manoj Mahajan | - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.) |
| 7. Shri Umesh Sharma | - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.) |
| 8. Prof. Dr. S.P. Panwar | - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) |
| 9. Prof. Dr. Puralal Patidar | - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.) |
| 10. Prof. Dr. Kshitij Purohit | - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.) |
| 11. Prof. Dr. N.K. Patidar | - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.) |
| 12. Prof. Dr. Y.K. Mishra | - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.) |
| 13. Prof. Dr. Suresh Kataria | - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) |
| 14. Prof. Dr. Abhay Pathak | - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) |
| 15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan | - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) |
| 16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan | - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.) |
| 17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra | - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.) |
| 18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain | - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.) |
| 19. Prof. Dr. Kamla Chauhan | - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) |
| 20. Prof. Abha Dixit | - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.) |
| 21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari | - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.) |
| 22. Prof. Dr. D.C. Rathi | - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.) |
| 23. Prof. Dr. Anita Gargade | - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) |
| 24. Prof. Dr. Sanjay Pandit | - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) |
| 25. Prof. Dr. Rambabu Gupta | - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) |
| 26. Prof. Dr. Anjana Saxena | - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) |
| 27. Prof. Dr. Sonali Nargunde | - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.) |
| 28. Prof. Dr. Bharti Joshi | - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) |
| 29. Prof. Dr. M.D. Somani | - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) |
| 30. Prof. Dr. Priti Bhatt | - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.) |
| 31. Prof. Dr. Sanjay Prasad | - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.) |
| 32. Prof. Dr. Meena Matkar | - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.) |
| 33. Prof. Dr. Mohan Waskel | - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.) |
| 34. Prof. Dr. Nitin Sahariya | - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.) |
| 35. Prof. Dr. Manju Rajoriya | - Govt. Girls College, Dewas (M.P.) |
| 36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi | - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.) |
| 37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi | - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) |
| 38. Prof. Dr. Praveen Ojha | - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.) |
| 39. Prof. Dr. Omprakash Sharma | - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.) |
| 40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava | - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) |
| 41. Prof. Dr. Anoop Moghe | - Govt. Kamalraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) |
| 42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan | - Govt. College, Badnagar (M.P.) |
| 43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta | - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.) |
| 44. Prof. Dr. Mangla Thakur | - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.) |
| 45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar | - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.) |

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaival, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awadesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Surface Water Pollution

Dr. Sushama Singh Majhi*

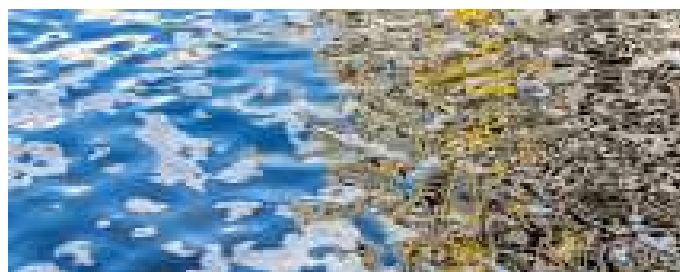
*Assistant Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Water pollution, the release of substances into subsurface groundwater or into lakes, streams, rivers, estuaries, and oceans to the point where the substances interfere with beneficial use of the water or with the natural functioning of ecosystems. In addition to the release of substances, such as chemicals, trash, or microorganisms, water pollution may also include the release of energy, in the form of radioactivity or heat, into bodies of water.

Keywords- water pollution, municipalities, agriculture and industry.

Introduction - Water from lakes and rivers that are used by municipalities, agriculture, and industry, is increasingly exposed to pollutants from manufacturing or the environment. Fertilizers can leak into rivers, and flooding leads to pollution of surface water as the volume spreads across areas that are normally not exposed to water. These contaminants are why water must be treated before being used for human consumption. Even though water appears to be clear, it may not be clean, which is why municipal authorities need a program of testing and treatment for potential contamination. How can surface water become contaminated. One of the most common sources of surface water pollution is human waste, especially in developing countries. In addition to human waste, there are issues with fertilizer seepage from farmland into groundwater. Industrial plants are also known to contaminate surface water with byproducts leaking into rivers and drainage systems. Poorly maintained waste systems and adverse weather incidents such as flooding are also major sources of surface water pollution. For a municipal authority, knowing the risks in the area and what to do about it is critical.

Pathogens In Surface Water Pollution - One of the biggest risks to humans from surface water pollution are pathogens that cause types of waterborne diseases. These come from human waste, as well as industrial sources which include organic chemicals and heavy metals. Contamination most commonly occurs when food is prepared using contaminated water or by a person drinking it. This is a common cause of illness, particularly in developing countries. Surface water contamination can also lead to toxic products remaining in fish because of exposure to pathogens. Municipal water suppliers need to access the expertise of surface water treatment services to diagnose and treat the problem before it becomes a major hazard to health.



“Polluted,” freshwater quality is difficult and expensive to restore. Thus the study of surface water pollution has focused primarily on streams and lakes, and most of the scientific tools developed by such regulatory agencies as the U.S. Environmental Protection Agency have been applied to protecting water quality in this segment of earth's surface waters. The water stored in reservoirs and lakes, together with the water that flows perennially in streams, is subject to heavy stress, and because it is used for water supplies, agriculture, industry, and recreation, this water can easily be contaminated. Issues related to surface water pollution are discussed in this chapter.

Freshwater is a scarce and valuable resource one that can easily be contaminated. Once contaminated to the extent it can be considered “polluted,” freshwater quality is difficult and expensive to restore. Thus the study of surface water pollution has focused primarily on streams and lakes, and most of the scientific tools developed by such regulatory agencies as the U.S. Environmental Protection Agency have been applied to protecting water quality in this segment of earth's surface waters. The water stored in reservoirs and lakes, together with the water that flows perennially in streams, is subject to heavy stress, and because it is used for water supplies, agriculture, industry, and recreation, this water can easily be contaminated. Issues related to surface water pollution are discussed in this chapter.

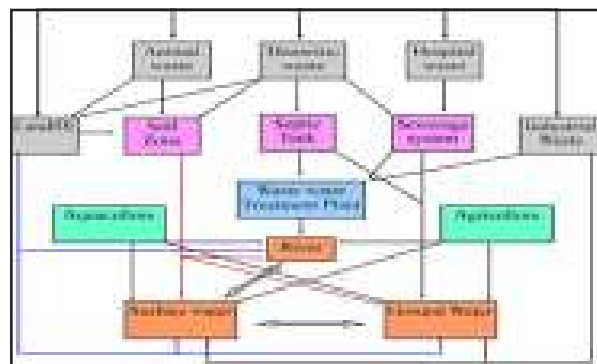
Cities water pollution Challenges and controls- Surface water pollution is generally caused by pathogens, nutrients, plastics, chemicals such as heavy metals, pesticides, antibiotics, industrial waste discharges, and individuals dumping into waterways. Urban storm water runoff is a major contributor of surface water pollution, and it can potentially lead to groundwater pollution. The distribution and concentration of these pollutants depends on various factors, and these pollutants have seasonal variations. These pollutants have significantly different environmental impacts. For example, the presence of antibiotics can lead to antibiotic resistance, excessive nutrients could result in harmful algal blooms, pathogens can pose human health risks, and chemical pollutants can have toxic effects. Surface waters generally suffer from combined impacts of multiple pollutants. According to the USEPA, nearly half of the surface waters are contaminated and are unfit for human consumption, swimming, and fishing.

Surface water pollution mainly consists of domestic wastewater. It is the primary source for the pollution of the water bodies and rivers near an urban area. Hospitals and drug stores are the reasons behind the pharmaceutical pollution in the water environment. Pharmaceutical industries also play a significant role in such kinds of pollution. The pharmaceutical products used for the betterment of humans and animals are not entirely metabolized in the body. This unmetabolized residue excreted by humans and animals went to the aquatic environment by wastewater. Natural hormones, perfluorooctanesulfonic acids, insecticides, and nonylphenols are the measured micro pollutants among EDCs. These micro pollutants are from plastic products and flame retardants. The EDCs are excreted from the human body to sewage and discharged to natural water bodies polluting aquatic systems, thus creating a physicochemical imbalance .

The movement of the contaminants from soil to water can be affected by the physical properties of micro pollutants. The retention time of these contaminants in the water while transport can be contributed by adsorption, precipitation, complex formation, and colloidal formation. The transport mechanisms for the movement of contaminants are advection, dispersion, diffusion, and active transport. Transformation of parent compounds to byproduct by decomposition process cannot prevent the micro pollutants from reaching the natural water. It can be possible by an appropriate conversion process at the time of the wastewater treatment process. Otherwise, the emission and the accumulation of micro pollutants in the aquatic environment are difficult to control.

The origin of point source solution from direct locations is always defined in a discrete spatial manner. Some examples are waste disposal sites, industrial effluents, municipal sewage treatment plants, mining areas, and buried septic tanks. Diffused pollution always originates

from poorly defined diffuse sources. It includes agricultural runoff, urban runoff, and diffuse area deposition. The main sources of such pollution by micro pollutants in the environment are summarized. It includes key sources, pathways of micro pollutants, and micro pollutants in surface water, which leads to groundwater. This figure describes the greatest impact on surface and groundwater sources.



Many of us around the globe use groundwater supplies for drinking water and irrigation. In fact, some regions experiencing rapid population growth, often in arid or semiarid regions, depend entirely on these reserves. However, with increased use and greater population density come new threats to what was once thought to be an infinite supply of clean water. Protecting the quality and quantity of groundwater supplies carries with it many challenges.

Later in the case study, we'll review several examples that illustrate some of the management options available and how, in spite of these tools, effective use of the resource remains an elusive goal. Many water experts believe that, to be successful, groundwater management must be done cooperatively at an international level.

Conclusion

Exercise : Based on what you know about groundwater hydrology and nitrogen cycling, what are the primary pathways for nitrogen entry or removal from the system that must be evaluated when considering potential solutions to this problem. The State of California has been working with farmers to encourage more effective nitrogen fertilizer management practices. Reducing fertilizer loadings would be ideal, but California farmers deal with complex irrigation and fertilization requirements for "specialty" crops using diverse rotations.

Some of these "specialty" crops have a farm value of more than 4 billion per year. These high-value crops demand careful management of both water and nutrients to achieve high yield and consistently high quality. Altering fertilizer application rates could have substantial economic consequences for the region. In addition to reducing the amount of fertilizer applied, farmers can alter the method and timing of fertilizer application. For many crops, yields have increased substantially in recent decades because of a switch to advanced techniques such as drip irrigation. In a dry environment such as California's, nitrogen

management cannot be significantly improved without simultaneous improvement in water management. Another alternative is “pump and fertilize,” an approach in which farmers pump up nitrate-contaminated groundwater and apply it to their crops, essentially reusing the nitrates as a fertilizer. This can be risky, however, if salt levels in the groundwater are too high for the crops to tolerate. There are other technical approaches such as “blending” contaminated water with water from a clean source, but such approaches are often very costly, and small communities may not be able to afford to use these, even if a clean source is available. A fee charged to farmers who apply nitrogen fertilizers might also be used to offset some of the costs incurred by small communities faced with contaminated groundwater supplies. A key step is education, as we know that once a groundwater supply is contaminated, there are usually no easy ways to improve the situation. Programs focused on helping farmers manage their land using a minimal amount of nitrogen can at least begin to reduce the extent of future contamination.

Bottom Line: The nitrates in California’s wells likely entered the groundwater decades ago. More recently applied nitrogen is likely to continue to contaminate groundwater supplies for years to come. There are no easy answers to this problem. Solutions to long-term problems like this require careful planning and the cooperation of many entities, including regulators, scientists, and the public.

Environmental Sciences in Action: A team of scientists and engineers from MIT may have discovered the source of arsenic in Bangladesh’s groundwater. Led by Professor Charles Harvey, the team from MIT began to study the thousands of ponds dug in Bangladesh to provide soil for flood protection Rebecca Neumann, a member of the team,

collecting a water sample for arsenic analysis. Harvey and his colleagues theorized that organic carbon from natural processes settled onto the bottom of the ponds and then seeped underground, where it was metabolized by microbes. The scientists believe that the oxidation of this carbon caused the release of arsenic from soils and sediments into the groundwater. illustrates the need to look at the systems connections when trying to solve environmental problems.

References:-

1. Water Pollution: Causes, Treatments and Solutions, by Dr. Luxmy Begum, P. Eng., First Edition, October, 2015.
2. Water trivia Facts (March 6, 2012). Information obtained on May 1, 2012 .
3. Water Contamination Effects. Information obtained on May 10, 2012 .
4. Health. Information obtained on May 10, 2012.
5. Where do waterborne diseases rank in causing human health problems? Information obtained on May 10, 2012
6. Walkerton Tragedy (May 6, 2012). Information obtained on May 10, 2012 Minamata disease (May 2, 2012). Information obtained on May 10, 2012 .
7. Eutrophication (May 8, 2012). Information obtained on May 10, 2012
8. Vié, J.-C., Hilton-Taylor, C. and Stuart, S.N. (eds.) (2009). Wildlife in a Changing World – An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species. Gland, Switzerland: IUCN. 180 pp.
9. Ricciardi, A. and J.B. Rasmussen. (1999). Extinction Rates of North American Freshwater Fauna. Conservation Biology, 13(5): 1220–1222.

Depiction of Indian History and Culture in the Poetry of A.K. Ramanujan and Jayanta Mahapatra

Dr. Radhashyam Dey* Dr. Shweta Singh**

*Asst. Prof. (English) Yogoda Satsanga Mahavidyalaya, Jagannathpur, Dhurwa, Ranchi (Jharkhand) INDIA
**Asst. Prof. (English) Yogoda Satsanga Mahavidyalaya, Jagannathpur, Dhurwa, Ranchi (Jharkhand) INDIA

Abstract - Contemporary Indian English poetry has now established itself on sound lines as a major expression of Indian sensibility. Today the collective effort made by many talented Indian writers rooted in the Indian soil surprised the literary world by their skill, poetic power and imagination. In his poems Ramanujan talks about the minute details regarding his own country and culture. His relation to his Indian root ignites the fire of nationalism which is so much visible in his poetry. Like Jayanta Mahapatra, Ramanujan too has imbibed Indian history and culture. His poem, the "Last of the Princes" is a typical example where Ramanujan describes the decline and dissolution of a princely dynasty vividly and precisely. The identity crisis which is common to the post – colonial writers can be discerned also in Ramanujan. This quest for identity is found in almost all expatriate writers. These writers in exile strongly feel that their root is in their native country. As a result they feel in a kind of limbo and search for their identity. Jayanta Mahapatra's humanism and patriotism, his sincere and complete identification with his native land which is similar to that of Ezekiel. His voice rings concerns over issues like poverty, death and the qualms of modern man. Mahapatra does not stand severed from his country's reality and its contemporaneous problems although the poetic persona that is reflected in the poem is that of a detached observer. Like a modernist poet, his prime focus is on the subjective memory and the inner self rather than on the materialistic surroundings, but he shares the contemporary concern for the predicament of modern man.

Keywords: Indian history and culture, identity crisis, humanism, contemporary concern.

Introduction - Indian English poetry has acquired a brilliant success in voicing the multifaceted experiences of the Indian people. In this regard, the contribution of A.K. Ramanujan and Jayanta Mahapatra is matchless. Indian English poetry is deeply rooted in its indigenous culture and tradition. The contemporary Indian English poets have earned their recognition through sheer merit. A.K. Ramanujan's poetry is not only the face of modern Indian society, culture and tradition, but it also navigates the horizons of the culture and society of other countries as well. Being a writer of the Indian Diaspora, Ramanujan has never severed his relationship with his original Tamil – Hindu culture. Like Rabindranath Tagore, Nissim Ezekiel and Jayanta Mahapatra, Ramanujan also wrote of his own culture through his poems. Ramanujan is artistic in transforming his individual experiences into universal. Certainly, there is a clash between his native and western culture. Since he has reflected both the cultures in his poetry, there is variety and multifariousness. Ramanujan's poetry tries to seek how the dichotomies are resolved through a transformation of physical, mental, thematic, structural and cultural spaces. Jayanta Mahapatra is another important name of the modern Indian English poetry. He was aware

of the experimental poetry that began in the pens of A.K. Ramanujan, Kamala Das, Nissim Ezekiel and other such poets. Mahapatra writes poetry in an effort to articulate his private world and tribulations concerning the relationship between the self and the reality. North eastern poets like Anjum Hassan and Robin Ngangom drew inspiration from him, while he himself seems to be influenced by William Carlos Williams, Ezra Pound and Pablo Neruda. We sometimes find Mahapatra distinctly echoing the poets of Romantic tradition like Keats and Shelley. Jayanta Mahapatra emphatically declares that creativity alone can redeem mankind left forlorn on an arid and gloomy plain.

A.K. Ramanujan is one of the best Indian poets, in English. His poetry exhibits flamboyant expression of Indian ethos. He has exploited Indian themes, Indian people, Indian scenes and events in a remarkable manner. Ramanujan's poetry springs out of deep inner compulsions. His poetry is strewn with references to father, mother, grandmother, sister, wife, cousin and so on. This has created the impression that the family is his main poetic concern. Fear, anxiety and despair have been his themes too. Ramanujan is always deeply rooted to his Indian past. The Indianness

that his poetry exhibits reflects a complex web of psychological forces that he managed to keep under control. Ramanujan's poetry also exhibits an amalgamation of his physical location in the West and his rootedness to the Indian past. He shuttles between two cultures and presents his exiled state as well as the Indian past.

Ramanujan about his poetic practice says:

English and my discipline (linguistics, anthropology) give me my 'outer' forms – linguistic, metrical, logical and other such ways of shaping experience; and my first thirty years in India, my frequent visits and fieldtrips, my personal and professional preoccupations with Kannada, Tamil, the classics and folklore give me my substance, my 'inner' forms, images and symbols. They are continuous with each other, and I no longer can tell what comes from where. (Millennium Perspectives on A.K. Ramanujan, p.1)

In his poem "Self Portrait", the poet projects an uncertain self easily affected by the external influences and therefore alien to its own being. His Indian experiences form a major chunk of his identity which influences his Western, modern self and vice versa. In the poem "Elements of Composition", Ramanujan writes:

I pass through them

As they pass through me (*Collected Poems*, 122)

For Ramanujan, appropriate relationship to the past was not only to see connections but also discontinuities between past and present. This oscillation between past and present, connection and disconnection, attachment and detachment is a characteristic feature of his poetry. His poem "A River" is about the implicit reality of the river and the kinds of relation between the present and the past.

Ramanujan's poetry is a fusion between tradition and modernity. Ramanujan is deeply rooted in culture, tradition, rituals and so on. Also his long stay in the West and his profession brought about changes in him. His firm grip on the Indian mythologies finds expression in "Mythologies 1". He presents how Pootna, the she – demon lured the child Krishna into sucking her breast and gets killed. Finally she is cleansed of her sins and gets a new external life:

She changed, undone by grace,

From deadly mother to happy demon,

Found life in death. (*Collected Poems*, 1995, 221)

Ramanujan's constant rational treatment of the subjects, his psychological insights, his attempt to grapple with the fluidity of experiences render a modern outlook to life. However, his greatness lies in the fusion of the two cultures – Indian and Western, which according to him is inseparable. In the words of Bhagabat Nayak:

For Ramanujan the American environment is the exterior while Indian environment is the interior and his Indianess is a part of his past he is extricably linked with as he changes and develops.... He expresses the binary within himself, through explaining the East to the West and the West to the East with perfect equanimity. (Naikar, 2003:1)

While Ramanujan has criticized the Hindu religion in

some of his poems, in many poems he has expressed his faith in the Hindu philosophy of Unity of Consciousness that sees underlying unity in all the elements of nature, living and nonliving, irrespective of their form and essence. This is an influence of the South Indian Brahmin culture that Ramanujan inherited. This oneness of life is observed in his poem "Christmas".

For a moment, I no

Longer know

Leaf from parrot

Or branch from root

No, for that matter

That trace

From you or me. (*Collected Poems*: 33)

Jayanta Mahapatra is a noted voice from Odisha. The Odisha landscape – with Puri and Konark looming large – has a strong presence in the poetry of Mahapatra. But more than the physical surroundings, it is the deeper levels of Indianness that are crucial. The tone of quiet acceptance, with a latent awareness of centuries of suffering, perhaps indicates a very Indian sensibility. Mahapatra, apart from being highly local and international, is also very individual. More than any other Indian English poet, Mahapatra depends upon the resources of the unconscious, and his unconscious would seem to connect more than most with the collective unconscious of India.

Mahapatra as a post – colonial poet writes to establish a native tradition by resisting the former colonizers and asserting national identity. The importance attached to the critique of Frantz Fanon, Edward Said, Gayatri Spivak and Home K. Bhabha has resulted in the dissemination of post – colonial theory. Indian situation forms a vital part of post Independence Indian poetry in English. Mahapatra has tried to evoke the sense of 'Indianness', both in content and language through his poetry. Love, death, tradition, rituals and contemporary realities all attract Mahapatra's sensibility.

As a true post – colonial poet, Mahapatra also reflects on the same kind of injustice elsewhere, as he finds in his own country. Discrimination against suffering humanity, humiliation and wide – spread hunger deeply upsets the poet and disturbs him. The colonial past too haunts him. The poet also feels sad to see that the post – colonial era is not much of an improvement of the colonial era, rather it seems to be a continuation of it. His use of an Indian imagery and symbols in English language, has in his own way, contributed to the growth of an 'Indian English' idiom. The growing wings of industrialization and the menace of survival in a congested world makes the poet sympathetic towards the earth and the sun.

In Mahapatra's poetry, there is an array of Hindu religious images; idols of gods, flowers, temples, temple bells and priests. There in his poetry is the description of poverty, starvation, prostitutes, cripples, beggars, leapers, slums and fisherman. Talking about lepers, Mahapatra writes, "Lepers mutilated limb" (Life Signs : 8). The poet is

aware of "men who grow like tough coarse grass from cracked pavement". ((Father's Hours: 38). Mahapatra often attends to the typical Indian rural scene like "a six –month old child's crawling across the dung – washed floor". (Life Signs). The poet tells us that poverty is "huddled in there/if that's what one is looking for". (Waiting:3). The type of poetic consciousness that seeks to integrate self and others – cultural and physical worlds – that is sometimes called the incorporative consciousness, prevails in Mahapatra. Therefore subdued anxieties, fears, desires and hopes along with landscape, myth and history surface in his poetry. In the words of Judith Wright:

Before one's country can become an accepted background against which the poet's and novelist's imagination can move unhindered, it must first be observed, understood, described, as it were absorbed. The writer must be at peace with his landscape before he can turn to its human figures.

(Preoccupations in Australian Poetry, p.xi)

Like most of the Indian poets writing in English, Mahapatra writes in free verse. Although the tone is conversational, the images are intricate and the voice that speaks through the poems can be identified with the poet. His treatment of his subjects is never ironical, never satiric. The tone conveys a voice of deep and sincere concern. Mahapatra is haunted by a sense of imprisonment as is evident in the image of 'cage' that recurs in many of his later poems. The images of the confined birds and animals prove that imprisonment of the self prevents it from realizing its potential. Men are shown to be trapped by dreams, memories and also by words. The circle is another symbols for Mahapatra representing our enclosed self. Lakshman's magical circle on the ground and his advice to Sita not to step beyond it becomes symbolic of our fear that keeps us in our cocooned existence:

With each quiet breath he draws his circle still.

(The circle; Closethe Sky, Tenbyten, 1971,p.3)

Conclusion: A.K. Ramanujan is known for his fusion of Indian sensibility with an acutely felt temper of modernity. His poetry reveals Indian ethos including India's religion and philosophy, its culture and traditions, its myths and legends, its stark social realities in the context of present day's repressing conditions. The Indian tradition and the

Western lifestyle have combined together to give rise to a hybrid culture which is expressed by Ramanujan in many of his poems. Wordsworth defines poetry as "emotions recollected in tranquility". Memory plays a vital and creative role in Ramanujan's poetry. He is very much obsessed with the concept of family and all his relations namely father, mother, sister, and aunt. Emmanuel NarendraLall observes:

Ramanujan's poems take their origin in a mind that is simultaneously Indian and Western, therefore they succeed in opening more passage to India.

Like a modern poet, Mahapatra's prime focus is on the subjective memory and the inner self rather than on the materialistic surroundings, but he shares the contemporary concern for the predicament of modern man. Mahapatra can say with Joshi's BillyBiswas that the meaning of life lies not "in the glossy surfaces of our pretensions but in those dark messy labyrinths of the soul that languish forever, hidden from the dazzling light of the sun". (Arun Joshi, 1971, p.2).Mahapatra's poetry reveals a desperate quest for meaning in the individual stipulation. To Mahapatra poetry has to reach the height of 'mantra' in order that it might become at once an agent of therapy. Even if the recent poems of Mahapatra look gloomy and grave these excite human sympathy and remain humane at the core.

References:-

1. D. Rama Krishna, "Ramanujan Credo", *Millennium Perspectives on A.K. Ramanujan*(ed.) Surya NathPandey. Atlantic,2001.
2. Das, Sisir Kumar. *A History of Indian Literature*. New Delhi.SahityaAkademi, 2005.
3. Dwivedi, A.N., *A.K. Ramanujan and His Poetry*. New Delhi. Doaba House. 1983.
4. Joshi, Arun. *The Strange Case of Billy Biswas*. New York. Asia Publishing House,1971.
5. King, Bruce. *Modern Indian in English*. Delhi. Oxford University Press, 1987.
6. Lall, Emmanuel Narendra. "Beyond Poetry as Family History", New Delhi. Sterling, p.43, 1983.
7. Swain, R.K. *The Poetry of JayantaMahapatra*. New Delhi.Prestige Books, 2000.
8. Wright, Judith. *Preoccupations in Australian Poetry*. Oxford University Press. 1965.

Free Legal Aid In India: A Critical Analysis

Dr. Bijay Kumar Yadav*

*Associate Professor, Gitarattan Business School, Pitampura (New Delhi) INDIA

Introduction - Legal Services includes providing Free Legal Aid to those weaker sections of the society who fall within the purview of Section 12 of the Legal Services Authority Act, 1987. Free legal aid is the provision of free legal services in civil and criminal matters for those poor and marginalized people who cannot afford the services of a lawyer for the conduct of a case or a legal proceeding in any Court, Tribunal or Authority. These services are governed by Legal Services Authorities Act, 1987 and headed by the National Legal Services Authority (NALSA). Free legal aid is one of the fundamental rights guaranteed to all the citizens of the country. Article 21 of the Constitution of India states: No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Hence ensuring legal aid to everyone is necessary for ensuring substantive equality.

Furthermore, the principal of free legal aid is stretched in Indian Constitution in the Directive Principles of the State Policy contained in Part IV which emphasizes the social security character and hence imposes certain obligations on the State to take positive action to promote the welfare of the society. According to Article 39-A, it has been directed to the State to ensure that the mechanism of legal system promote justice on the basis of equal opportunities and shall compulsorily provide free legal aid to economically backward classes by suitable legislation or schemes or in any other way. Consequently, legal aid is not a philanthropic activity, but rather is a constitutional prerequisite of the state and right of the citizens. In this way, legal aid endeavors to shield that the constitutional pledge is satisfied in its later and spirit and equal justice is made open to the intimidated and weaker areas of the general public.

It is the State's obligation to watch and keep check on the legal framework that emphasizes justice on the premise of equal opportunity for every one of its nationals. For the provisions of legal aid, the Government of India had taken massive steps such as setting up of Legal Aid Boards, Societies, Law Commissions and Law Departments and in the year 1980, Committee for Implementing Legal Aid Schemes (CILAS) was constituted under the Chairmanship of Honourable Justice P.N. Bhagwati to regulate legal aid

programs all over the country.

Another step was in form of Lok Adalats which is established as a supplementary forum to the litigants in judicial dispense system of India. In 1987, to give a statutory acknowledgment to legal aid programs all through the nation the Legal Services Authorities Act was established and was implemented on 9 November 1995.

Constitutional Provisions: Article 39A of the Constitution of India provides that State shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. Articles 14 and 22(1) also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on a basis of equal opportunity to all.

The Objectives Of Legal Service Authorities:

1. Provide free legal aid and advice.
2. Spread legal awareness.
3. Organize lok adalats.
4. Promote settlements of disputes through Alternative Dispute Resolution (ADR) Mechanisms. Various kinds of ADR mechanisms are Arbitration, Conciliation, Judicial settlement including settlement through Lok Adalat, or Mediation.
5. Provide compensation to victims of crime.

The Institutions For Providing Free Legal Services

National Level: National Legal Services Authority (NALSA). It was constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987. The Chief Justice of India is the Patron-in-Chief.

State Level: State Legal Services Authority. It is headed by the Chief Justice of the State High Court who is its Patron-in-Chief.

District Level: District Legal Services Authority. The District Judge of the District is its ex-officio Chairman.

Taluka/Sub-Division Level: Taluka/Sub-Divisional Legal Services Committee. It is headed by a senior Civil Judge.

High Court Level: High Court Legal Services Committee
Supreme Court Level: Supreme Court Legal Services Committee.

Article 39A of the Constitution of India provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all. Articles 14 and 22(1) of the Constitution also make it obligatory for the State to ensure equality before law and a legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. In the year 1987, the Legal Services Authorities Act was enacted by the Parliament which came into force on 9th November, 1995 to establish a nationwide uniform network for providing free and competent legal services to the weaker sections of the society on the basis of equal opportunity. The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 to monitor and evaluate implementation of legal aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.

In every State, a State Legal Services Authority and in every High Court, a High Court Legal Services Committee have been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct Lok Adalats in the State. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme insofar as it relates to the Supreme Court of India.

NALSA lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country. Primarily, the State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, etc. have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

1. To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons;
2. To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and
3. To organize legal awareness camps in the rural areas.

The Free Legal Services Include:

1. Payment of court fee, process fees and all other charges payable or incurred in connection with any legal proceedings;
2. Providing service of lawyers in legal proceedings;
3. Obtaining and supply of certified copies of orders and other documents in legal proceedings.
4. Preparation of appeal, paper book including printing and translation of documents in legal proceedings.

Persons Eligible For Getting Free Legal Services Includes:

1. Women and children;
2. Members of SC/ST
3. Industrial workmen
4. Victims of mass disaster, violence, flood, drought,

earthquake, industrial disaster.

5. Disabled persons.
6. Persons in custody
7. Persons whose annual income does not exceed Rs. 1 lakh (in the Supreme Court Legal Services Committee the limit is Rs. 5,00,000/-).
8. Victims of Trafficking in Human beings or beggar

Lok Adalats: Lok Adalat is one of the Alternative Disputes Resolution Mechanisms. It is a forum where the disputes/cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled/ compromised amicably. The Lok Adalat has been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987. Under this Act, an award made by a Lok Adalat is deemed to be a decree of a civil court and is final and binding on all parties and no appeal lies against thereto before any court.

Lok Adalats are being organized by the Legal Services Authorities/Committees for settlement of cases pending before courts u/s 19 of the Legal Services Authorities Act, 1987 and also for matters at pre-Litigative stage, under the guidance of NALSA.

Chapter VI-A has been inserted in the Legal Services Authorities Act, 1987 in the year 2002, with a view to provide compulsory pre-Litigative mechanism for conciliation and settlement of disputes relating to 'Public Utility Services'. Further in view of Covid, E-Lok Adalat has been conceptualized which significantly improved access to justice for people who were otherwise unable to participate in the Lok Adalats.

As a part of the preventive and strategic legal aid, NALSA through the State Legal Services Authorities, conduct legal literacy programmes. In some States, Legal Literacy Programmes are conducted every year in schools and colleges and also for empowerment of women in a routine manner, besides the rural legal literacy camps.

Free Legal Services also include provision of aid and advice to the beneficiaries to access the benefits under the welfare statutes and schemes framed by the Central Government or the State Government and to ensure access to justice in any other manner. According to Section 2(c) of the Legal Services Authorities Act, 1987, "legal services" includes any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the giving of advice on any legal matter.

The scope of Article 39A has been widely explained in case of *Air India Statutory Corporation v. United Labour Union* in which Supreme Court observed that Article 39A furnishes beacon light that justice is done on the basis of equal opportunity and no one is denied justice by reason of economic or other disabilities. Importance of legal aid is not only lightened up in Indian Constitution but also under Section 304(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 it is stated that in a trial before the sessions judge, if the accused has no sufficient means to engage a plea, the court should assign a pleader for his defence at the expense of the state. The enormous contribution in edging the legal

aid system is of judiciary which can witnessed from Supreme Court's ardent announcement with regard to the rights of the poor and destitute people in judgment of Hussainara Khatoon in which the court observed the importance of Article 39A which emphasizes that free legal service was an inalienable element of reasonable, fair and just procedure and that the right to free legal services is impliedly guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution.

The same was observed by Supreme Court in State of Haryana v Darshan Devi that the poor shall not be demarcated out of the justice market on the pretext of court-fee and refusal to apply the exempted provisions of Order XXXIII, Civil Procedure Code.

In addition, legal aid is a key factor in other countries too. In U.K, the scheme of legal aid is controlled by the Legal Service Commission, and is subjected to most of the criminal and civil cases but with exceptions such as libel, most personal injury cases (which are now dealt with under Conditional Free Agreements, interests of contingency fee) and cases associated with the running of a business.

Family law cases are also covered. Legal aid commissions in Australia plays a defining role in achieving equality before the law by striving to ensure that all citizens, including those who cannot afford to pay, have access to the legal services they need to obtain justice are present in each state and territory and are in eight in number all total.

UN convention affords some sustenance on free legal aid to the poor and impoverished persons precisely in criminal proceedings. Article 14 of said covenant clearly states in Article 14(i) that all individuals must be treated equally before the courts and tribunals and under clause (f) it is provided that a person must have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Relevant Case Laws

Khatri V. State Of Bihar: The Supreme Court held that the state is constitutionally bound to provide legal assistance by hiring a lawyer to an accused person not only at trial

stage but also when they are first produced before the magistrate or remanded time and again and such a right shall not be denied on the ground of financial or administrative inability or that the accused did not ask for it. Magistrates and Sessions Judges have the must responsibility to inform the accused of his rights.

Suk Das V. Union Territory Of Arunachal Pradesh : Justice P.N. Bhagwati, highlighted the necessity of the constructing the legal awareness to the poor as they are unaware of their rights specifically right to free legal aid and further observed that in India people residing in rural areas are illiterates and are not aware of their innate legal rights conferred upon them by law. Even literate people are not knowledgeable of their rights. This absence of legal awareness makes them unapproachable to a lawyer for consultation.

Various Amendment Acts:

1. The Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002
2. National Legal Services Authority Rules, 1995
3. Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003
4. Punjab Legal Services Authority Rules, 1996
5. ADR Rules, 2003
6. High Court Legal Services Committee, Regulations, 1998

References:-

1. <https://nalsa.gov.in/services/legal-aid/legal-services>
2. AIR [1997] SC 645: [1997] 9 SCC 377: [1997]1 LLJ 113
3. Hussainara Khatoon v. State of Bihar, [1980] 1 SCC 98
4. AIR [1972] SC 855
5. Khatri v. State of Bihar, AIR[1981] SC 262
6. Suk Das v. Union Territory of Arunachal Pradesh AIR [1986] SC 991
7. Free Legal Aid: A Legal Service By Madhvipatidar
8. National Legal Services Authority (NALSA)
9. Source: PIB

Impact of National Education Policy 2020 on Higher Education: Opportunities and Challenges

Dr. Vibha Nigam*

*Professor (Economics) Mahakoshal Arts and Commerce College, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - India is celebrating its 75th year of independence, and the country's goal is to achieve universal literacy. It is critical to consider the vision and goals that were established for independent India. The goal is for equality in the country, and thus in education. This demonstrates the importance of improving India's educational system. As a result, during the Pandemic year, the new National Education Policy, chaired by eminent scientist Dr. K. Kasturirangan, went into effect.

The National Education Policy directly contributes to the long-term transformation of our country into an equitable and thriving knowledge society by providing high-quality education to all. The new National Education Policy is a comprehensive framework for elementary through higher education. On July 29, 2020, the Union Cabinet of India adopted the new National Education Policy, which is a comprehensive framework for elementary education, higher education, and vocational training in both rural and urban India.

The new strategy aims to achieve universal pre-school to secondary school education by 2030, with a 100% GER in school education and a 50% GER in higher education by 2025. In implementing NEP 2020, the education community faces numerous opportunities and challenges. The new national education policy 2020 is a good policy because it aims to make the education system holistic, flexible, and multidisciplinary in order to meet the needs of the twenty-first century and the 2030 Sustainable Development Goals. The policy's intent appears to be ideal in many ways, but implementation is the key to success. The NEP 2020 reforms aim to cultivate 21st century skills in students, such as critical thinking, problem solving, creativity, and digital literacy.

The purpose of this paper, is to trace the history of India's educational system, review the NEP in relation to Higher Education, analyse the NEP's impact on teachers, and express the authors' views.

Keywords- literacy, framework, implementation, education.

Introduction - The National Education Policy is a new policy designed to address the crippling issues confronting the Indian education system. The NEP 2020, which was approved by India's Union Cabinet on July 29, 2020, outlines the vision for the country's new education system. The National Education Policy 2020 envisions an India-centric education system.

By providing high-quality education to all, our education system directly contributes to the long-term transformation of our nation into an equitable and vibrant knowledge society. This NEP replaces the previous National Education Policy of 1986. The new policy is based on a draught prepared by a committee led by Dr. K. Kasturirangan of the former Indian Space Research Organization (ISRO). The committee has been working on the policy for the past six years, and the Kasturirangan Committee is the second to do so. policy. The NEP makes a number of changes to India's education policy. NEP is a comprehensive educational framework that includes elementary, secondary,

and postsecondary education, as well as vocational training in both rural and urban areas.

The NEP 2020 has set an ambitious goal of nearly doubling the GER in higher education from 26.3 percent in 2018 to 50 percent by 2035, while improving the quality of HEIs and positioning India as a global education hub. The emphasis is on providing a flexible curriculum via an interdisciplinary approach, creating multiple exit points in a four-year undergraduate programme, catalysing research, improving faculty support, and encouraging internationalisation.

The establishment of the Higher Education Commission of India (HECI) for the entire higher education segment will be one of the most radical changes. The HECI will serve as a single regulator, with independent verticals handling functions such as accreditation, funding, and academic standard setting. These organisations will eventually take the place of other regulatory bodies such as the University Grants Commission (UGC) and the All-

India Council for Technical Education (AICTE) (AICTE). The Prime Minister of India, Shri. Narendra Modi stated that the policy focuses on “how to think rather than what to think”.

Objectives: The study is designed to achieve the following goals:

- Understanding the key highlights of the NEP in relation to Higher Education
- To trace the history and current state of the Indian Education System.
- Examine the impact of the 2020 National Education Policy on Higher Education.

Methodology: The methodology consists of a conceptual discussion highlighting the gist of the national educational policy framework, as well as highlighting various sections of the NEP 2020 policy in relation to the Higher Education System. The impact of the NEP on higher education is determined through focus group discussions. The predictive analysis technique is used to analyse the challenges and opportunities of the new Higher Education policy.

India's Education Policy Evolution: A Roadmap Since Independence: The University Education Commission 1948-49, also known as the Radhakrishnan commission, was India's first committee after independence. Sarvepalli Radhakrishnan led this committee, which focused on higher education. The Secondary Education Commission, which met from 1952 to 1953, was primarily concerned with education after primary school and before university education began. The Education Commission, also known as the Kothari Commission, was led by Dr. D. S. Kothari from 1964 to 1966. This Commission took a comprehensive approach and advised the government on the national educational pattern, general policies that take into account each stage from primary to post-secondary.

The government announced the National Policy on Education in 1968, based on the recommendations of the Kothari Commission, as well as a policy for equal educational opportunities in order to achieve national goals. integration and greater economic and cultural development. The 1986 National Policy on Education placed a special emphasis on eliminating disparities in the education system and aimed to equalise educational opportunity for all. This act was amended in 1992 to include a “Common Minimum Programme” for women, Scheduled Tribes (ST), and Scheduled Castes (SC) (SC).

The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act of 2009 established elementary education as a fundamental right for all children. In 2016, the T.S.R. Subramanian Committee, also known as the Committee for the Evolution of the New Education Policy, sought to improve educational quality and credibility by addressing implementation gaps.

Finally, the Dr. K. Kasturirangan Committee was formed to draught the new National Education Policy, which was submitted on May 31, 2019. This draught attempted to

address the challenges that the current education system faces in terms of access, equity, quality, affordability, and accountability. The committee renamed the Human Resources Development Ministry the Ministry of Education.

NEP for the Indian Higher Education System- useful insights:

- The Gross Enrolment Ratio in Higher Education, including Vocational Education, will rise from 26.3% in 2018 to 50% by 2035.
- The government will provide more incentives to HEIs that provide the highest level of service.
- Encourage reputable international universities to establish campuses in India.
- Higher education institutions will promote multidisciplinary education and a flexible curriculum structure with multiple entry and exit points in order to create new opportunities for lifelong learning.
- A stronger emphasis on online education and open distance learning (ODL) as critical means of improving access equity and inclusion.
- Inclusion of vocational education in higher education. By 2025, at least 50% of learners will have had exposure to vocational education.
- The quality will be raised to a global level in order to attract more international students, and credits earned abroad will be counted toward the award.

The healthcare education system must be integrated so that allopathic medical students have a basic understanding of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy (AYUSH), and vice versa. Preventive healthcare and community medicine should be given more emphasis in all forms of healthcare education.

Technical education should be provided in multidisciplinary educational institutions and should emphasise opportunities for deep engagement with other disciplines. The emphasis should be on providing Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, and machine learning, as well as genomic studies, biotechnology, nanotechnology, and neuroscience with applications in health, the environment, and sustainable living.

Governing authorities: The monitoring and controlling institutions such as the UGC, AICTE, MCI, DCI, INC, and others will be merged with the Higher Education Commission of India (HECI) to form a single HEI regulator. The current accreditation institutions, such as NAAC and NAB, will be replaced by a powerful National Accreditation Council (NAC).

An Academic Bank of Credit (ABC) will be established to digitally store the academic credits of all registered candidates earned from various recognised HEIs (SWAYAM & ODL mode) that will be taken into account when the college or university awards degrees.

After meeting the required criteria, the various nomenclatures currently in use, such as deemed to be

university, affiliating university, central university, affiliating technical university, unitary university, and so on, will be replaced by 'University.'

The National Scholarship Portal will be improved and expanded to assist universities in meeting the financial needs of merit-based students. Private higher education institutions will be encouraged to provide more free ships and scholarships to their students.

At the university level:

1. Consolidation of existing fragmented higher education institutions into two types: Multidisciplinary Universities (MU) and Multidisciplinary Autonomous Colleges (MAC) (AC).
2. There will be two types of multidisciplinary universities: (1) research-intensive universities and (2) teaching-intensive universities.
3. Establishment of a National Research Foundation (NRF) to fund university and college research.
4. Research will be included at the undergraduate and graduate levels, with a holistic and multidisciplinary education approach.
5. All HEIs will focus on research and innovation by establishing (1) start-up incubation centres, (2) technology development centres, (3) centres for frontier research, (4) centres for industry-academic collaboration, and (5) interdisciplinary research centres that include humanities and social sciences research.
6. To ensure physical, psychological, and emotional well-being, all HEIs will have professional academic and career counselling centres with counsellors available to all students.
7. All HEIs will create, support, and fund topic-focused clubs and activities organised by students with the assistance of faculty and other experts as needed, in the fields of science, mathematics, poetry, language, literature, debate, music, sports, and so on.
8. To achieve a global standard of quality, degree programmes may include in-class teaching, online teaching components, and ODL components in a 40:30:30 ratio model.
9. Based on their accreditation status, all private universities are eligible for graded autonomy.
10. All private universities and autonomous colleges must maintain financial transparency, and the BoG is responsible for any irregularities in the accounting system. To guide the rapid development of HEIs, the BoG should include eminent people who are well-known in their fields.
11. Law schools and universities must prioritise bilingual education for future lawyers and judges in English and the state language.

Institute Level:

1. Interdisciplinary The campus of autonomous colleges will have over 3,000 students. The goal is to become multidisciplinary by 2030, with 3,000 or more students

by 2040.

2. Every existing College will either become a degree-granting autonomous College or will be migrated into a Constituent College of the University and become fully integrated into the University.
3. By improving and securing the prescribed accreditation level, all existing affiliated Colleges will eventually grow autonomous degree-granting colleges with the mentoring support of affiliated University.
4. A four-year Bachelor's degree with multiple exit options, a one-to-two-year Master's degree based on the number of years spent in the Bachelor's degree (four or three, respectively), and the option to pursue a four-year Ph.D. Bachelor's degrees with research are available.
5. Two-year Master's degree with full research in the second year, one-year Master's degree for holders of a four-year Bachelor's degree, and a five-year integrated Bachelor/degree. Master's.
6. Higher education institutions will be encouraged to train professionals in agriculture and veterinary sciences through programmes that are integrated with general education. Agricultural education institutions must focus on the local community and participate in the establishment of Agricultural Technology Parks in the region to promote technology incubation and dissemination.
7. All HEIs have autonomy in determining their fee structure, with any surplus reinvested in expansion projects through a transparent accounting system.
8. All private HEIs should provide meritorious students with a 20% free-ship and a 30% scholarship in the course fee for each course offered during a semester.

Student Level:

1. A student-centered teaching and learning process rather than a teacher-centered teaching model.
2. An innovative and adaptable Competency Based Credit System replaces the Choice Based Credit System.
3. The examination system will shift from high-stakes examinations (Semester End system) to a more continuous and comprehensive examination system.
4. Pedagogy in higher education institutions will emphasise communication, presentation, discussion, debate, research, analysis, and interdisciplinary thinking.

The following categories can be used to study the impact of the new national education policy:

Consolidation on a large scale will benefit quality universities and colleges: The value volume of higher education institutions in the country will be reduced by nearly one-third as a result of institutional restructuring and consolidation. It is worth noting, however, that the average enrolment per college in India is currently 693 (AISHE 18-19, Ministry of Human Resource Development, KPMG in India Analysis), whereas the policy aims to create higher

education institutions with enrolments of 3000 or more. This new policy focuses on increasing the number of autonomous colleges in order to promote excellence. Out of nearly 40000 colleges in India, less than 1000 autonomous colleges exist. This indicates that many consolidations and collaborations will take place in India's higher education institutions as a result of the policy's limitations. It is expected that the above move will result in the reduction of higher education institutions in India from 50000 to 15000.

The emphasis on multidisciplinary education: The Indian higher education system is distinguished by single-disciplinary islands of excellence such as IIT, IIM, and AIIM. The new national education policy focuses on multidisciplinary education by aiming to establish large multidisciplinary universities known as multidisciplinary education and research universities (MERUs) similar to those found in the United States of America and the United Kingdom. MERUs will provide access to quality education in a variety of fields to all segments of society, covering all districts and remote areas across the country. This will give students more freedom in choosing their areas of interest.

Faculty scarcity and the need for faculty quality improvement: The current faculty-to-student ratio in our country following the Right to Education Act is 1:30, which should be increased to 1:1. The faculty's quality must also be addressed. By 2022, a set of national professional standards for teachers (NPST) will be developed, which will govern all aspects of teacher career management, including tenure, CPD efforts, salaries, promotions, and other recognitions. The policy also mentions developing performance standards for teachers that clearly define the role of the teacher at various levels of expertise and competencies required for that stage.

Catalysing Research Activities: The National Research Foundation (NRF) proposed by the NEP is likely to create a dedicated focus on quality research, including lightening research funding by making it competitive and also improving funding process efficiency to have a more targeted approach to funding research initiatives. Students will be exposed to research activities from an early age.

Open Distance Learning (ODL) and online programmes improve access and equity: ODL enrolls approximately 40 lakh students, or 11% of all higher education students in India. The pandemic issue also contributes to the improvement of the ODL system, which is expected to see a significant increase in the coming years, doubling India's Gross Enrolment.

Conclusion: The new national education policy 2020 is a good policy because it aims to make the education system holistic, flexible, and multidisciplinary in order to meet the needs of the twenty-first century and the 2030 Sustainable Development Goals. The NEP is the result of a lengthy process that aims to achieve a 100% gross enrolment ratio by 2030. The recently unveiled national education policy 2020 has brought a groundbreaking reform by the Ministry of Human Resource Development MHRD with the goal of creating a more inclusive, cohesive, and productive nation. The NEP 2020 reforms aim to cultivate 21st century skills in students, such as critical thinking, problem solving, creativity, and digital literacy. As technological advancements, rapid globalisation, and unprecedented developments - such as the Covid-19 pandemic - transform the future of work, existing education models must be reassessed to meet the global economy's challenges.

References:-

1. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 5(2), 19-41.
2. Gupta, B. L., & Choubey, A. K. (2021). Higher education institutions—some guidelines for obtaining and sustaining autonomy in the context of NEP 2020. *International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM)*, 9(1).
3. Kalyani, P. (2020). An empirical study on NEP 2020 [National Education Policy] with special reference to the future of Indian education system and its effects on the Stakeholders. *Journal of Management Engineering and Information Technology*, 7(5), 1-17.
4. Khatak, S., Wadhwa, N., & Kumar, R. (2022). NEP, 2020-A Review cum Survey Based Analysis of Myths and Reality of Education in India. *Int. J. Adv. Manage., Technol. Eng. Sci*, 12(1), 12-22.
5. Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. *University of South Florida M3 Center Publishing*, 3(2021), 36.
6. Kumar, D., & Singh, M. (2022). India's New Education Policy (NEP) 2020: Catering for Children with Disabilities. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*.
7. Kumar, N., & Varghese, V. (2022). *Elementary education in India versus China: Guidelines for NEP implementation* (No. 2022/64). WIDER Working Paper.

The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Operational Efficiency and Decision Making in Indian Banking Institutions

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - Artificial intelligence, often known as computer-based intelligence or machine intelligence, is the replication of human intelligence in machines. Instead of the usual information presented by people, it is the mind that is exhibited by machines. Innovation is being quickly produced by artificial intelligence (simulated intelligence) all around the world. The financial sector may be the one to adopt artificial intelligence first. Banks are exploring and implementing innovation in various ways. Artificial intelligence is getting better and smarter all the time. The banking industry is a well-known topic for systematic and exact analysis using operational exploration (OR) and artificial intelligence (simulated intelligence) techniques. This article provides a thorough and well-organized bibliographic assessment of research on artificial intelligence and simulated intelligence that has been conducted in the banking industry over the past 10 years. The main topics of this investigation are audited in the article, including bank efficiency, risk assessment, bank execution, mergers and acquisitions, banking guidelines, client-related examinations, and fintech in the banking industry.

Keywords: Artificial Intelligence, Enhancing Operational Efficiency, Decision Making, Indian Banking Institutions.

Introduction - Artificial intelligence, which helps to create more intelligent machines outfitted to carry out human tasks in a clever way, is the replication of human intelligence. Artificial intelligence works very similarly to the human brain; but, because it is given access to more information, it is able to think more clearly and make decisions with greater precision [1]. In the current commercial sector, artificial intelligence is becoming more widespread. It is used in a variety of contexts, the banking business being one of them. The banking industry is making innovative uses of computer-based intelligence that save a sizable amount of time and money. In order to provide precise results, banks use computations. This helps to enhance customer service and result in better transaction execution, which helps to convey benefits. Deep understanding and artificial intelligence work together to eliminate errors brought on by psychological and personal aspects.

Artificial Mind (simulated intelligence), a duplicate of artificial intelligence, advances and improves the effectiveness of intelligent computerizing tasks. Artificial intelligence works similarly to a human mind in that it can reason and make additional precise decisions based on the information provided [2]. In today's economy, artificial intelligence—intelligence produced by computers—is growing more and more prevalent. It is used in many different businesses, including the financial one. The financial foundation innovates by using artificial intelligence

to save time and money. Banks use computations to deliver an efficient conclusion that enhances customer service, deal execution, and generates more revenue.

Artificial intelligence (artificial intelligence) is quickly becoming the innovation of choice for businesses all over the world when it comes to providing personalized insight for individuals. The actual innovation is getting better and smarter over time, enabling more and more newer enterprises to use computer-based intelligence for various applications [3]. The banking industry is arguably the first to use artificial intelligence powered by computers. Additionally, banks are looking into and implementing the innovation in various ways, much as diverse fragments. More intelligent visit bots for customer support, personalizing services for individuals, and in any case, putting up a simulated intelligence robot for self-administration at banks are all made possible by the straightforward applications computer-based intelligence include. In addition to these crucial uses, banks can implement innovation to increase administrative center efficiency and even reduce security and extortion risks.

Banking has become more and more dependent on data systems, and it has also increased its use of cutting-edge technology. To provide changed sorts of help and products to its clients as well as in Exchange Checking, banks must use artificial intelligence-based mechanical applications.

Artificial intelligence-based financial services and goods: Programmed check book re-request services are one example of the artificial intelligence-based services. Banks use them internally for employee exhibition evaluation, customer credit evaluation, and other things [4]. They also include things like customized investment advice for clients following portfolio analysis and customized venture arrangements following evaluation of the record as a client as well as pay design.

Literature Review

Sharma and Singh (2021) commissioned a review to examine how artificial intelligence (computer-based intelligence) might improve the operational effectiveness of the Indian banking sector, with a focus on a few public sector banks. The review's goal was to identify the specific artificial intelligence tools these banks were using and analyze how they affected operational effectiveness [5]. The designers obtained crucial data via planned surveys of the employees of the selected institutions and used factual techniques to dissect the data. The review's findings showed that computer-based intelligence is essential to the operation of various Indian banks' operational components. By responding to customer enquiries with succinct and accurate responses, chatbots and virtual assistants driven by artificial intelligence have allowed banks to improve customer service. Different banking procedures were found to be improved using frameworks for simulated intelligence-driven robotization, which reduced human error and increased efficiency. The security and risk management skills of the banks were also improved using artificial intelligence-based extortion discovery frameworks.

A thorough investigation into the uses and challenges of artificial intelligence (man-made intelligence) in the Indian banking industry was led by Gupta and Mishra (2020). The review intended to summarize the current state of artificial intelligence reception in Indian banks and identify the major challenges faced by the region in successfully implementing computer-based intelligence developments [6]. The survey highlighted many artificial intelligence (AI) applications in the Indian banking sector, including chatbots for customer support, credit scoring algorithms using AI, frameworks for extortion detection, and natural language processing for managing and analyzing reports. These computer-based intelligence tools were discovered to improve operational effectiveness, client satisfaction, risk management for executives, and bank decision-making.

Bhattacharyya (2020) looked into how artificial intelligence (simulated intelligence) could improve the way decisions are made in the Indian banking industry. The review's goal was to identify the specific computer-based intelligence techniques used in banking decision-making and evaluate their impact on decision quality and efficiency. The inventor claimed that banks have gained the ability to analyze large amounts of data and focus on key experiences for making informed judgments [7]. Credit risk assessment,

advance guaranteeing, and portfolio management were seen as areas where AI calculations and foresight investigation were particularly useful. In the banking industry, these computer-based intelligence tactics improved decision efficiency overall, increased decision accuracy, and cut down on completion times. The focus also looked at the issues with simulated intelligence-enabled decision-making in the Indian banking sector. These challenges included the need for consistent model checking and approval, model interpretability, information quality and accessibility, and administrative consistency. To ensure thoughtful and effective use of artificial intelligence in decision-making processes, the developer emphasized the importance of developing solid management systems and risk-the-board procedures.

The role of artificial intelligence (also known as man-made intelligence) in decision-making within the Indian banking sector was the subject of a review headed by Singh and Chauhan in 2021. The review set out to understand the extent to which artificial intelligence is incorporated into decision-making procedures and to evaluate its impact on the effectiveness and quality of decisions [8]. The designers acquired crucial data by sending organized surveys to decision-makers in several Indian banks. The review's findings showed how computer-based intelligence has significantly impacted decision-making in the Indian banking sector. For various decision-making tasks, such as credit risk assessment, extortion identification, customer segmentation, and venture portfolio the board, artificial intelligence-based devices and calculations have been used. The use of simulated intelligence resulted in increased operational efficiency, decreased decision-making time, and improved decision accuracy.

A review was ordered by Mohanty and Mishra (2022) to look at how artificial intelligence (also known as man-made intelligence) may improve operational effectiveness and decision-making in Indian banking institutions. It was anticipated that the evaluation will identify specific computer-based intelligence tools and tactics used in the banking industry and evaluate their impact on operational effectiveness and decision-making procedures. The designers conducted a combination of meetings and evaluations with professionals employed by Indian banks to acquire information [9]. The assessment found that Indian banking institutions have adopted artificial intelligence widely to improve operational effectiveness and decision-making. Simulated intelligence applications, such as robotic process automation (RPA), chatbots, natural language processing (NLP), and AI calculations, have been found to improve customer service, automate tedious tasks, and enable data-driven decision making.

Artificial Intelligence in Enhancing Operational Efficiency and Decision Making in Indian Banking Institutions: Artificial Intelligence (AI) has significantly improved operational effectiveness and decision-making

in Indian banking organizations [10]. The adoption of artificial intelligence breakthroughs has given banks the ability to automate many processes, improve the customer experience, and make decisions based on information. Here are a few crucial areas where the impact of artificial intelligence on computers can be seen:

1. Customer Service and Experience: Indian banks have implemented chatbots and virtual assistants powered by artificial intelligence to provide individualized customer service, respond to questions, and assist with routine transactions. These low-level employees can speak in everyday language and participate in thoughtful conversations, which improves the overall client experience.

2. Fraud Detection and Security: Massive amounts of data are examined using artificial intelligence calculations in order to continuously spot bogus exercises. Banking institutions can prevent extortion and strengthen safety measures thanks to AI models' ability to recognize examples, contradictions, and questionable exchanges.

3. Risk Assessment and Credit Underwriting: Huge amounts of data from many sources, such as consumer records, budget reports, and online entertainment profiles, can be broken down by computer-based intelligence calculations to assess dependability and streamline the credit guaranteeing process. [11] Making decisions that are more accurate and reducing the amount of time necessary for acknowledgment assessments help save money.

4. Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC): Frameworks based on artificial intelligence may effectively review customer data, identify potential tax evasion activities, and ensure compliance with administrative requirements. These systems automate the KYC procedure, which speeds up and improves it.

5. Predictive Analytics for Decision Making: Computer-based intelligence models use real data to predict customer behavior, market trends, and potential threats. Banks can utilize this forward-looking analysis to make wise decisions regarding project systems, risk management, and advance evaluation while focusing on overall operational effectiveness.

6. Robotic Process Automation (RPA): RPA automates time-consuming, rule-based tasks including information section, archive confirmation, and report age using artificial intelligence (AI) calculations. Banks may reduce errors, save time, and enhance asset designation by implementing RPA.

7. Wealth Management and Personalized Recommendations: abundance was under artificial intelligence's control. The board levels can analyze customer preferences, risk profiles, and market trends to provide tailored investment advice. These steps aid clients in making wise investment choices based on their financial goals.

8. Sentiment Analysis and Social Media Monitoring: Banks can check online entertainment venues and analyze customer sentiment using artificial intelligence. Progressively comprehending customer feedback and feelings allows banks to handle problems quickly, boost customer loyalty, and develop new products and services [12].

While artificial intelligence has several benefits for Indian banking organizations, information protection, security, and administrative consistency must be ensured. To limit projected bets and maintain customer trust, banks should set up robust management mechanisms and moral guidelines for AI execution.

The Role of The Banking Industry : Banks are regarded as the "soul" of the present economy and have a considerable influence on it because they regulate currency, credit, and other monetary operations. Banks support and encourage their customers to make an income and save money for a more secure future. Additionally, banks are giving new enterprises more financial guidance [13]. Banks are required to provide accurate records of all financial transactions they authorize. Banks primarily use PCs for this purpose. ATMs, texting, phone banking, web banking, and mobile banking are just a few of the channels that banks employ for various functions. Perfect banking through PCs and organizations is only feasible when banks deploy artificial intelligence.

AI Applications in the Banking Industry:

1. Customer Interface: Because of this, chatbots are utilized on a variety of platforms, including mobile apps and websites as well as direct messaging services like Facebook Messenger, Message, WhatsApp, and Twitter. Banks use visual client help to express answers to customer inquiries.

2. Customer insights and personalization: Artificial intelligence can offer clients customized collaboration administrations by using computer-based intelligence calculations [14]. The invention suggests that products be developed specifically to suit the demands of customers in light of the computerized profiles and exchange histories. You can learn more about your client's personal and mental states by conducting a thorough assessment for social ventures. The application would assist small financial counselors in better understanding the elements that can inspire clients to share or part throughout the microfinance cycle in light of the video and audio data sources.

3. Insights into Business and Strategy: Artificial intelligence can provide a better understanding as banks approach bigger data volumes. Such an examination could assist you in gaining extra and more beneficial time experiences on internal performance and external market elements, illuminating the proper plans across many divisions. For instance, knowing specifics about a client could be useful when designing a promotion or portfolio. It can also be used to process payments online.

4. Backend Processes: Back office tasks that require a huge number of rules-based, excellently coordinated, and tidy work are being helped with by artificial intelligence [15]. Simulated intelligence innovation could be used to rethink facts from basic financial papers and establish "wise mechanization" as the standard for venture and profit announcement.

5. Credit Scoring and Loan Decisions: Loan specialists determine FICO scores and create credit profiles using artificial intelligence. Organizations can quickly assess a person's credit by focusing on their financial activities, spending and purchasing patterns, family ancestry, PDA information, etc.

6. Fraud Detection and Risk Management: Artificial intelligence (AI) is used to locate potential dangers and detect various types of fraud, tax evasion, and carelessness.

Artificial Intelligence: Transforming Indian Banking : Artificial intelligence can interact with humans in the banking sector by making choices and employing a persuasion technique that is advantageous to customers. The banking sector can use simulated intelligence to understand the preferences of its customers, ensure customer satisfaction, and help customers understand the assumptions made by their organizations. In order to service new consumers and increase their chances of advancement, banks are forced to use cutting-edge innovation [16]. With artificial intelligence, banks may alter every board task, from negotiating and network security to bookkeeping and bookkeeping. By utilizing information analysis, blockchain, and AI, banks are showcasing their upcoming investments and services. To provide their consumers modern financial administration, many traditional banks have joined with fintech businesses. Traditional banks compete with knowledgeable fintech companies using cutting-edge technology like artificial intelligence. Banks now have the ability to fully understand how they operate, provide unique services and products, and affect client experience interactions thanks to artificial intelligence. In order to gain the upper hand, banks should embrace artificial intelligence and adopt its business model.

AI's Effects in Banking : Banks utilize artificial intelligence (simulated intelligence) frameworks to quickly gather information on financial procedures, loaning rates, and future market development as well as to deliver, anticipate, and carry out customized financial counsel to customers [17]. The following is a discussion of the effects of artificial intelligence in banking: -

1. Customer Satisfaction: Banks are supported by artificial intelligence in providing more specialized and effective customer service, as well as in increasing revenue, making better decisions, and maintaining strong client relationships.

2. Chatbots: Bot is short for robot, and a chatbot is an automated conversational system that operates automatically or follows a predetermined path [18]. A type

of artificial intelligence called a chatbot may be used as a bank robot. Chatbots provide unheard-of customer service and are available 24 hours a day, 7 days a week.

3. Personalized Financial Guidance: By using up-to-date information on the current business sector design and providing suggestions for stocks and bonds in which clients might invest, artificial intelligence aids clients in making simple and quick financial selections.

4. Digital wallets: Customers can use electronic wallets to pay for anything online with pre-paid money using a phone or a computer.

5. Interactive Voice Response Systems (IVRS): an automated voice system that communicates with customers, replies to particular inquiries, routes calls to the appropriate financial departments, and provides a wonderful customer experience.

6. Fraud Detection: Artificial intelligence can recognize financial extortion by analyzing exchanges using massive amounts of conditional information and by keeping track of any unusual behaviors or patterns of movement. Simulated intelligence reduces financial extortion, expedites procedures, avoids security breaches, and supports advanced AI.

7. Improving customer service: Customer loyalty influences how the banking industry presents itself and shapes people's perceptions of its product. Additionally, it has an impact on maintenance and client-focused efforts made by banks.

8. Better regulatory compliance: Artificial intelligence applications frequently rely on challenging analysis that monitors consumer tendencies, dissects transactions, isolates questionable direct, and evaluates the complexity of alternative consistency frameworks. Simulated intelligence greatly benefits clients by personalizing, lowering costs and risks, increasing staff productivity, and ensuring that work-on administrative consistency is maintained.

9. Risk management entails reducing extortion by continuously scanning exchanges for shady examples, evaluating clients' financial stability, and providing gamble assessors with the appropriate gambling decrease suggestions.

10. Portfolio Management: Using artificial intelligence technology and man-made intelligence systems, personalised portfolio profiles are created for customers based on their speculative constraints, behavioral patterns, and preferences. The next wave of computer-induced disruption is set to be introduced thanks to banking and artificial intelligence.

As a result, artificial intelligence has transformed many aspects of banking systems, enhancing the security of financial transfers and the effectiveness of administrative center operations.

Challenges of Artificial Intelligence

Not everyone understands what AI is: One needs to be

well-versed in the capabilities, constraints, benefits, and drawbacks of conducting artificial intelligence into the banking sector. The vast majority, to be honest, have no idea what innovation is or how to adjust to various banking difficulties [19]. When one hears the word “intelligence,” the most well-known image that comes to mind is of robots taking over humankind. The problem is that advances in artificial intelligence are misunderstood, which limits their acceptance in many businesses. People should educate themselves about the problem with artificial intelligence and how it is currently being fixed. Additionally, perhaps a little, but innovation will undoubtedly start to open doors in our day-to-day lives.

Computer power: One factor that turns away many designers is the amount of power that these calculations require. The foundations of artificial intelligence are top-to-bottom learning and AI, both of which need an increasing number of computing centers and GPUs to function properly. Only a few examples include following space rocks, sending well-being, following large bodies, and going to other places where we have the knowledge and ideas to use inside-out learning methods. They need a supercomputer's handling capacity, and these PCs are adequate. They do, however, have certain substantial drawbacks, which can be attributed to the availability of Distributed computing handling frameworks and projects that can successfully combine with artificial intelligence frameworks.

Lack of Trust : Possibly the most important factor that worries artificial intelligence is the dubious notion of how deep learning models predict the outcome. It is difficult for the average person to comprehend how a precise combination of information from various sources could create a solution to a few problems. The majority of people on earth are unaware of the existence or use of artificial intelligence or how it is incorporated into everyday items like cell phones, smart televisions, banking systems, and even cars (to a certain extent).

Information is scarce: Despite the fact that there are some situations in which artificial intelligence is a better choice than currently available conventional advancements. The main problem, in any event, is that artificial intelligence isn't particularly noteworthy. Only a small number of people, excluding technology enthusiasts, college students, and academics, are aware of simulated intelligence's actual potential. Many SMEs (Little and Medium-Sized Enterprises) can, for example, organize their work or find better ways to expand their product, manage resources, sell and oversee items on the web, learn and understand consumer behaviour, and respond to the market honestly and efficiently. They lack knowledge of firms that specialize in technology, such as Google Cloud, Amazon Web Services, and others.

The level of the individual : This is arguably the most challenging problem with computer-based intelligence, and

it has kept academics at the forefront of computer-based intelligence administrations in companies and new ventures. Even though these corporations may boast an accuracy rate of over 90%, people can still perform better in certain circumstances [20]. It would require extraordinary funding, the use of a hyperparameter, a sizable data set, a precise and precise calculation, as well as powerful PC power, consistent preparation in train information, and testing on test information to carry out a similar task using a top to bottom learning model. That sounds like a lot of work, and it can be difficult on several occasions.

Data privacy and security: It is fundamental since all deep learning models and robotics rely on data and prepared resources. We do have information, but since it was generated by so many different customers globally, it may be misused.

Grieving Issues: The amount of data required to create an artificial intelligence framework determines whether it is fantastic or terrible. As a result, one expected outcome for good computer-based intelligence programs is the ability to gather excellent information. In any way, the relationships for gathering routine information are usually dull and worthless.

Lack of data: Legislation in countries like India is enforcing rigorous IT regulations to limit travel as a result of large corporations like Google, Facebook, and Apple having to cope with penalties for improperly utilizing client information. Therefore, these companies are currently faced with the challenge of utilizing local information to create general applications, which could result in overpopulation. A key component of artificial intelligence is the use of marked data to educate machinery to read and predict the future. A few businesses are working to improve by concentrating their efforts on developing artificial intelligence models that can provide accurate results even in the absence of information. The entire system could be flawed with biased information.

Conclusion: All things considered, artificial intelligence (intelligence based on computers) has significantly changed operational effectiveness and decision-making in Indian banking organizations. Banks have had the option to automate processes, improve customer experiences, reduce risks, and make information-driven decisions thanks to computer-based intelligence-fuelled innovations like chatbots, misrepresentation discovery frameworks, credit endorsing calculations, and prescient examination. The advancement of artificial intelligence has the potential to significantly increase the effectiveness, precision, and development of Indian banking, thereby assisting both banks and their customers.

References:-

1. Anders. (2021). Andrew Ng: What AI Can and Can't Do. Harvard Business Review. Retrieved 13 March 2022,

2. Brooks, T. (2017). The impact of artificial intelligence in the banking sector & how AI is being used in 2020. Business Insider. Retrieved 16 March 2022,
3. Donepudi, P. K. (2017). Machine Learning and Artificial Intelligence in. Engineering International, 5(2), 83.
4. Ebrahim, R., Kumaraswamy, S., &Yomna, A. (2021). Artificial Intelligence in Banking sector: Evidence from Bahrain. International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI).
5. Sharma, P., & Singh, V. (2021). Role of artificial intelligence in enhancing operational efficiency of Indian banking sector: A study of selected public sector banks. International Journal of Research in Commerce, Economics and Management, 11(4), 150-158
6. Gupta, S., & Mishra, A. K. (2020). Artificial intelligence in Indian banking: A review of applications and challenges. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 9(6), 4532-4536
7. Bhattacharyya, S. (2020). Enhancing decision-making in Indian banking sector using artificial intelligence. International Journal of Applied Research and Studies, 9(6), 1-8.
8. Singh, S., & Chauhan, P. (2021). Artificial intelligence in decision making: A study of Indian banking industry. Journal of Management, 8(1), 34-45.
9. Mohanty, S., & Mishra, A. K. (2022). Role of artificial intelligence in enhancing operational efficiency and decision making in Indian banking institutions. Indian Journal of Finance and Banking, 14(1), 123-140.
10. Hamid EslamiNosratabadi, Ahmad Nadali, and Sanaz Pourdarab, "Credit Assessment of Bank Customers by a Fuzzy Expert System Based on Rules Extracted from Association Rules", International Journal of Machine learning and Computing, Vol. 2, No. 5, October 2012
11. Jewandah, S. (2018). How Artificial Intelligence is changing the banking sector - A case study of top four Commercial Indian Banks. International Journal of Management, Technology and Engineering.
12. Kaur, D. N. (2020). "The Influence of Artificial Intelligence on The Banking Industry & How Ai Is Changing the Face of Modern-Day Banks". International Journal Management (IJM, 11(6), 577-585.
13. Leo, M. (2019). Machine Learning in Banking Risk Management: A Literature Review. MDPI. Malali, D. B., & Dr.S. Gopalakrishnan. (2020). Application of Artificial Intelligence and Its Powered
14. Marko, J., & Matej, M. (2018). Relationship banking and information technology: the role of artificial intelligence and FinTech. Faculty of Economics, University of Ljubljana, Kardeljjeva.
15. Mukul Anand Pathak, KshitijKamlakar, Shwetant Mohapatra, Prof. Uma Nagaraj, (2016) Development of Control Software for Stair Detection nA Mobile Robot Using Artificial Intelligence and Image Processing, International Journal of Computer Engineering and Technology, 7(3), pp. 93–98
16. North, R. (2022). How Artificial Intelligence (AI) Helps in Banking Industry and Its Applications. A Professional Blog on Enterprise Soft wares and Services. Retrieved 16 March 2022,
17. Romao, M. (2019). Robotic Process Automation: A case study in the Banking Industry. Iberian Conference on Information Systems and Technologies.
18. Smith, A., &Nobanee, H. (2018). Artificial Intelligence: In Banking a Mini-Review. Soni, V. D. (2021). Role of Artificial Intelligence in Combating Cyber Threats in Banking. International Engineering Journal for Research & Development.
19. Thim, C.K., &Seah, E. (2010). Optimizing portfolio construction using artificial intelligence. 5th International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology, 338-343.
20. Vieira, A., & Sehgal, A. (2018). How Banks Can Better Serve Their Customers Through Artificial Techniques. Red Octopus Innovation

Stress and its Adjustment in Working Women

Shaily Jain*

*Department of Social Science and Humanities, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Since independence, women in India have made significant progress. They have transcended their traditional role as skilled homemakers and now possess the abilities to compete equally with men. The contemporary generation of women aspires to pursue their dream careers, but not all face an easy path. Working women encounter numerous conflicts as they strive to meet the demands of their jobs while also fulfilling responsibilities at home. In the modern scenario, both husbands and wives contribute to establishing a harmonious balance between work and family life, including caring for their children. This article gives information about causes of working women stress, stress relief methods and stress reduction.

Keywords: Working Women, Stress, Adjustment.

Introduction - A rising number of women are becoming career conscious and capable in their outlook. Previously, women favored careers in nursing, medical, and secretarial work, but now there are more women in leadership and administration positions.. The reasons for such a change are; increased education of women, change in socio cultural values, increasing awareness and consciousness in women and the increase in economic independence.

Balancing work and family life frequently means inconsistent schedule for work. For women professionals leading to stress and various problems related to it. Working women face higher stress levels not only at work place but at home also. She can feel bad for leaving her kids alone while she works which not only adds to her stress but also makes her more dissatisfied with her job. [1].

A woman who is employed faces the challenge of juggling dual responsibilities: managing her household and fulfilling her work duties. The stress of meeting deadlines or targets and the constant fear of receiving criticism from her boss can make it extremely difficult for her to find a harmonious balance between these two roles. As a consequence, she may frequently experience stress and anxiety. [2-3].

Stress arises when individuals react to challenging circumstances and events that put a strain on their ability to cope.

Adjustment of stress is important because it can significantly impact one's health.. Stress often results in irritation, difficulty in sleeping and mood fluctuations [4].

Literature Review

Deepthi and Janghel (2015) examined stress coping strategies in both employed and non-employed women.

They found that employed women tend to utilize the self-distraction technique (a effective method for altering one's mood) more frequently as a coping mechanism compared to un-employed women. [5].

In a study by Dhanabhakym and Anitha (2011), it was noted that working women face personal stress arising from handling daily household tasks, caring for family members, and taking care of their children. On the other hand, organizational stress for them stems from factors such as management expectations, the availability of transportation facilities, and the recognition of their hard work within the organization. [6].

In Balaji's research (2014), several factors contributing to work-family conflict and the resulting stress among female employees were examined. It was found that married women employees often experience work-family conflict due to the working hours outside the home, the flexibility or inflexibility of their working hours, the size of their families, and the number of dependents they have. These factors can have significant consequences, leading to Emotional distress and a decline in the overall well-being of married women who are part of the workforce. [7].

According to the findings of Rajasekhar and Sasikala (2013), women in the workforce experience stress stemming from family obligations, job insecurity, workplace culture, and the demanding nature of their job roles. The researchers also determined that managing stress effectively entails educating individuals about stress dynamics, channeling stress towards constructive purposes, helping them recognize their strengths, and providing them with tools to adopt effective coping strategies in dealing with stress. [8].

Swanson NG (1972) Work-related stress is on the rise in workplaces and can be especially challenging for women employees, partly due to job stressors that specifically affect them, such as sex discrimination and the struggle to balance work and family responsibilities. These stressors go beyond the typical job-related pressures like work overload and underutilization of skills. Thankfully, several stress-reduction approaches have proven effective for working women, ranging from individual stress management techniques to more comprehensive interventions that address the root causes of occupational stress. [9].

Causes Of Stress At Work:

1. Long working hours (Work overload)
2. Lack of job security
3. Continuous unreasonable performance demands
4. Office squabbles and conflict among staff
5. Bullying or harassment by manager or others
6. Unhappy work environment over demanding deadlines.

Stress Indicators: Scientific evaluation of stress involves measuring the levels of two hormones, Cortisol and DHEA (Dehydroepiandrosterone), which are produced by the adrenal glands. However, women often face challenges in accessing these assessment methods easily. Psychological stress indicators are:

1. Sleep difficulties
2. Anger or tantrums Emotional outbursts
3. Loss of appetite Poor concentration
4. Nervous habits

Stages Of Stress: There are three stages a woman goes through when suffering from stress.

1. Alarm Stage: During this phase, the sympathetic nervous system becomes hyperactive, resulting in increased levels of adrenaline and cortisol. Blood is diverted away from the brain and towards the muscles as the body prepares for a fight-or-flight response to combat the source of stress..

2. Resistance Stage: In the resistance stage, the body persists in making ongoing efforts to cope with the stress, leading to a sense of being worn out and depleted. Stress hormones flood the body, causing elevated blood pressure, heart rate, and respiration. The woman may experience feelings of irritability, overreact to minor situations, and suffer from mental and physical fatigue.

3. Exhaustion Stage: The intensity of stress may escalate to the point where a woman feels utterly drained and powerless, to the extent that she contemplates suicide. This stage can be categorized into two distinct phases.

Initial Phase:- Stress persists and due to lack of appropriate measure the woman is unable to focus and perform well.

Burnout: The individual reaches a state of complete exhaustion and depletion of all energy reserves. This results in a comprehensive physical, psychological, and emotional breakdown, which requires urgent attention and care.

Stress Relief Methods: Stress reduction methods are many and various, no single remedy applies to one and all.

Successful stress management frequently relies on reducing stress sensitivity and removing the stressors [10-11].

1. Think seriously about and discuss with others, to identify the cause of stress and take action to get rid of.
2. Improve Diet: Group B vitamins and a balanced, nutritious diet are needed. and magnesium are important.
3. Take more exercise: Exercises burn up adrenaline and it releases feel-good chemicals and generate positive feelings.
4. Don't try to control uncontrollable things.
5. Share worries: Stress and loneliness are natural allies, so sharing the load is essential.
6. Explore and use relaxation techniques like yoga, meditation, self hypnosis, massage, a breath of fresh air.

Suggestions For stress Reduction: To reduce stress and set more reasonable standards for women and others; following suggestions may be helpful [12-14]:

1. Create a prioritized list of tasks, focusing on what truly matters to you and your family.
2. Practice the art of saying 'NO' to additional demands on your personal time.
3. Involve family members in household responsibilities and consider seeking outside help if needed. Recognize and appreciate your own worth and actions, without waiting for approval from others.
4. Embrace the present moment and avoid dwelling on the past or worrying excessively about the future. Aim for flexibility rather than perfection, knowing that doing your best is enough.
5. Incorporate fun and relaxation into your daily routines and long-term plans.
6. Shift your attention to your achievements rather than dwelling on your shortcomings.
7. Prioritize your health by maintaining a balanced diet, regular exercise, and sufficient sleep. Foster supportive networks and friendships at work, and learn to delegate tasks to capable individuals.
8. Develop resilience to accept disappointments and move forward. Focus on one task at a time and break demanding projects into manageable steps.
9. Celebrate small victories along the way.
10. Reduce tension through better organization.
11. Enhance problem-solving skills by exploring various alternatives.

Conclusion: In the modern, fast-paced world, women are facing heightened levels of stress throughout various stages of their lives. Stressors, which are external factors like marriage, divorce, children, work, and financial pressures, contribute to this experience of stress. How individuals respond to these stressors varies, as what stresses one person may motivate another. Effective stress management involves learning to relax and find enjoyment in life.

Research indicates that working women encounter stress due to factors such as striving to achieve goals, overtime work, job pressure, health concerns, and tension. To mitigate stress, various stress management techniques like meditation, yoga, and different relaxation methods can be adopted. Additionally, developing a personalized wellness plan with scheduled periods for recovery and self-care empowers women to effectively adjust stress and make positive changes in their lifestyle.

A parting word: Finding someone you genuinely like is gratifying, yet it is equally crucial to value and appreciate yourself. Recognizing the goodness in others can be uplifting, but it is indispensable to see yourself as worthy as well. While it's delightful to encounter individuals deserving of respect, admiration, and love, it's vital to believe in your own worthiness of these sentiments. Remember, you are the only constant presence in your life, so learning to take care of yourself is of utmost importance. - By Jo Coudert[15]

References:-

1. U.S. Department of Health and Human Services. Office of Women's Health. Stress and your Health. (<https://www.womenshealth.gov/mental-health/good-mental-health/stress-and-your-health>) Accessed 2/5/2019.
2. American Psychological Association. How Stress Affects Your Health. (<https://www.apa.org/helpcenter/stress>) Accessed 2/5/2019.
3. American Psychological Association. Gender and Stress. (<http://www.apa.org/news/press/releases/stress/2010/gender-stress.aspx>)
4. National Institute of Mental Health. 5 Things You Should Know About Stress. (<https://www.nimh.nih.gov/health/publications/stress/index.shtml>) Accessed 2/5/2019.
5. Deepthi Dhurandher, Gaukaran Janghel, "Coping strategy of stress in employed women and non-employed women", International Journal of Scientific Research and Publications, Vol5 Issue 4, April 2015, ISSN 2250-3153
6. Dr. M. Dhanabhakym and V. Anitha, "As study on stress management of working women in Coimbatore District", International Journal of Multidisciplinary Research, Vol 1, Issue 7, Nov 2011, ISSN 2231-5780
7. Balaji, "Work Life Balance of Women Employees", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol3, Issue 10, October 2014, ISSN 2319-8753
8. Dr. Rajasekhar and B. Sasikala, "An impact of stress management on employed women", Language in India, ISSN 1930-2940 Vol 13, No 4, April 2013.
9. N. G. Swansonm, Journal of the American Medical Women's Association, 55 (1972)76-79.
10. Alpert, D., and Culbertson, A. (1987). "Daily hassles and coping strategies of dual-earner and nondual-earner women." Psychology of Women Quarterly, 11, 359-366.
11. Boss, P. (1992). "Primacy of perception in family stress theory and Measurement." Journal of Family Psychology, 6, 113-119.
12. Crouter, A.C. and Manke, B. (1994). "The changing American Workplace: implications for individuals and families." Family Relations, 43, 117-123. Gilbert, L. A. (1993).
13. Nelson, P. and Couch, S. (1990). "The corporate perspective on family responsive policy." Marriage and Family Review, 15, 95-113. Quick, J. D., and Horn, R. (1986). "Health consequences of stress. Special issue: Job stress. From theory to suggestion." Journal of Organizational Behavior Management, 8, 19-36. Reich, R., and Nussbaum, K. (1994). Working women count: A report to the nation. Washington D.C.: U.S. Department of Labor.
14. Stephens, M. A., and Franks, M. M. (1994). "Stress and rewards in women's multiple roles: the case of women in the middle." Psychology and Aging, 9, 45-52
15. <https://etc.bdir.in/quotes/search/author/Jo-Coudert?s=Jo%20Coudert>

Exploring the Transformative Influence of Yogic Practices on Addiction Patterns: A Comprehensive Study

Nikhil Sharma* Dr. Nibu. R. Krishna** Prof. Suresh Lal Barnwal***

*Deptt. of Yogic Sciences, Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior (M.P.) INDIA

** HOD (Yogic Sciences) Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior (M.P.) INDIA

*** Dean, School of Indology, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar (Uttarakhand) INDIA

Abstract - This research paper delves into the profound segment of yogic practices and their potential to engender transformative impacts on addiction patterns. While the discourse on addiction primarily focuses on traditional interventions, this paper seeks to illuminate the lesser-explored avenue of yogic practices as a holistic approach. Drawing from a comprehensive analysis of existing literature, this study underscores the multifaceted dimensions through which yogic practices can influence and alleviate addiction patterns. The implications of incorporating yoga into addiction treatment are explored, alongside its inherent limitations. By offering a synthesized perspective, this paper contributes to the broader dialogue on integrative therapeutic strategies.

Keywords: Yoga, Addiction, Rehabilitation, Psychology, Mental-Health.

Introduction - Addiction, a complex amalgamation of psychological, physiological, and behavioral elements, remains an intricate challenge in contemporary society. Conventional interventions, often confined to medical and psychological frameworks, can overlook alternative approaches. Yoga, an ancient practice rooted in holistic wellness, gaining prominence around the globe for its potential to address addiction patterns comprehensively. With its holistic and harmonious philosophy encompassing physical postures, breath control, meditation, and ethical principles, yoga offers a unique lens and sense to explore how self-awareness, emotional regulation, and resilience cultivated through its practices can contribute to managing or reducing addiction patterns.

Yoga, a mind-body-spirit discipline, extends beyond physical exercise, embracing a profound philosophy. Its physical postures, known as asanas, connect the body and mind, while pranayama techniques refine breath and energy. Meditation, a cornerstone, enhances self-awareness and improves the relationship with the Self, unraveling the underlying triggers of addiction. Ethical guidelines further embed discipline and moral grounding which can be helpful in re-fueling and retraining the sub-conscious and unconscious levels of the mind. Collectively, these facets harness yoga's potential to foster introspection, mindfulness, and emotional well-being, making it a promising avenue for addressing addiction patterns in individuals.

This paper delves into the transformative synergy

between yogic practices and addiction reduction. By offering a holistic approach that integrates physical, mental, and ethical dimensions, and thereby yoga extends the boundaries of conventional interventions. Through the intricate tapestry of its elements, yoga presents a comprehensive toolkit to tackle the complex challenges of addiction, highlighting the potential of self-awareness, emotional regulation, and resilience as transformative agents in the journey toward recovery.

Literature Review

Yogic practices are deeply rooted in ancient traditions and embody a holistic approach to well-being, addressing physical, mental, and spiritual dimensions which are often named under the concepts of 'Adhi' and 'Vyadhi'. The comprehensive nature of yoga very well aligns with the intricate factors contributing to addiction patterns. One of the foundational principles of yoga is mindfulness – the conscious practice of cultivating present-moment awareness without any judgments. Mindfulness-based interventions, rooted in yogic philosophy, have demonstrated efficacy in addiction treatment (Bowen et al., 2009). Such interventions emphasize observing cravings, emotions, and bodily sensations non-reactively, thereby disrupting habitual patterns.

Another central component of yoga is meditation, usually called 'Dhyana', which encourages focus, sustained attention, and awareness. Mindfulness meditation has shown promise in reducing the automaticity of addictive behaviors (Witkiewitz et al., 2014). Neuroimaging studies

indicate that mindfulness practice can modulate neural pathways implicated in craving and reward processing (Brewer et al., 2011). This suggests that yoga's meditative aspects might attenuate the reinforcing nature of addictive substances or behaviors, weakening the grip of addiction. Specific yogic practices hold the potential for addiction management. Pranayama, or breath control, is a foundational technique in yoga. Controlled breathing patterns have been associated with increased parasympathetic activation and reduced stress response (Jerath et al., 2006). As stress often seems to contribute to addiction and relapses (Sinha, 2008), pranayama may offer a mechanism for individuals to regulate their stress levels and minimize its impact on addictive behaviors and patterns.

Discussions and Implications: Addiction is obviously a complex and multifaceted phenomenon that has garnered significant attention due to its widespread impact on individuals and societies alike. The negative impacts of addictions are not only associated with the individual that is addicted but also with the society that surrounds them. Rooted in psychological, physiological, and sociocultural factors, addiction encompasses a range of behaviors, substances, and activities that can become compelling and challenging to control in day-to-day lifestyle patterns. It is a phenomenon that extends beyond mere habituation; instead, it infiltrates an individual's thoughts, emotions, and behaviors, often leading to adverse consequences. The layers of addiction are deeper than just the superficial levels. Psychologically, addiction emerges as a result of intricate interactions between cognitive processes, emotions, actions, and other underlying vulnerabilities. The reinforcement theory clearly posits that addictive behaviors are perpetuated by the positive outcomes or rewards they offer, creating a reinforcing cycle (Robinson & Berridge, 2008). This cycle gains strength as the brain's reward circuitry becomes sensitized to the substance or behavior, leading to increased cravings and compulsive engagement (Everitt & Robbins, 2016). Additionally, the self-medication hypothesis suggests that individuals may resort to addictive substances or behaviors to alleviate psychological distress (Khantzian, 1997). Thus, addiction can be seen as a complex interplay of psychological mechanisms driven by both pleasure-seeking and coping motives, both widely impacting individuals around the globe.

Physiologically, addiction is underpinned by intricate neural processes that involve neurotransmitters, such as dopamine and serotonin. These neurotransmitters play crucial roles in regulating mood, pleasure, and reward. Dopamine is implicated in the brain's reward pathway, reinforcing behaviors associated with pleasurable experiences (Volkow et al., 2019). With repeated exposure to addictive substances or behaviors, the brain undergoes neuroadaptation, resulting in reduced sensitivity to these stimuli and driving individuals to seek higher doses or engagement for the same effect (Koob & Volkow, 2010).

Yogic practices are based on the philosophy of holistic well-being, being well in control of our sense organs (indriyas), and self-transformation. Yoga offers a comprehensive approach that addresses both the psychological and physiological dimensions of addiction. From a psychological perspective, yoga fosters self-awareness, emotional regulation, and mindfulness. As shown in Table 1, Mindfulness being a core element of yogic practices, encourages individuals to observe their thoughts and emotions non-judgmentally, potentially breaking the cycle of automatic responses and enhancing impulse control (Bowen et al., 2009).

Table 1: Comparison of Behavior Patterns and Habits: Mindlessness/Addiction vs. Mindfulness Practicing Individuals

Aspect	Mindlessness/Addiction	Mindfulness Practicing
Attention	Scattered and easily distracted	Focused and attentive
Impulsivity	Reacting without thought	Responding thoughtfully
Awareness	Unconscious of thoughts/feelings	Conscious of thoughts/feelings
Habits	Unaware, automatic behaviors	Intentional, purposeful actions
Cravings	Intense and overpowering	Acknowledged and managed
Stress Response	Heightened and prolonged	Regulated and managed
Emotions	Reactive and uncontrollable	Managed and understood
Decision Making	Impulsive and shortsighted	Deliberate and Informed
Self-Control	Limited control over impulses	Enhanced self-control
Relapse	Prone to relapse under triggers	Resilient to triggers
Well-Being	Lower emotional & mental wellness	Improved emotional well-being

*Please note that this table provides a simplified overview and that individual behaviors and habits can vary widely based on factors such as specific addiction or mindfulness practices, personal history, and context.

Moreover, yoga's impact extends to the physiological realm, influencing the brain's neuroplasticity. Neuroimaging studies have demonstrated that meditation, a fundamental component of yoga, can lead to structural and functional changes in the brain, including increased gray matter density in regions associated with self-regulation and emotion (Tang et al., 2015). These changes suggest that yogic practices could mitigate the neural adaptations that contribute to addictive behaviors, potentially weakening the grip of addiction.

The incorporation of yogic practices into addiction treatment holds promising implications. By fostering

emotional regulation and self-awareness, yoga could equip individuals with enhanced coping mechanisms, diminishing the likelihood of relapse. Moreover, the cultivation of mindfulness through yogic practices may attenuate the automaticity of addictive behaviors, allowing individuals to disengage from habitual patterns. In group settings, yoga could foster a sense of community and belonging, countering feelings of isolation—a common precipitant of addiction. The integration of yoga into existing treatment modalities could thus yield a more comprehensive and holistic approach to addiction recovery.

Conclusions, Limitations, and Future Research: In conclusion, the transformative influence of yogic practices on addiction patterns holds substantial promise. Still, the potential of yogic practices is not devoid of limitations. Individual adherence to a consistent practice may vary, potentially affecting the outcomes. Moreover, cultural sensitivity and personal preferences must be considered, as yoga may not resonate with all individuals. The lack of standardized protocols for incorporating yoga into addiction treatment further underscores the need for systematic exploration. While empirical research in this domain is still evolving, existing studies suggest a plausible role for yoga in addiction recovery. This paper, through a synthesis of existing literature, highlights the multifaceted ways in which yogic practices can contribute to reducing addiction patterns. Recognizing the limitations and potential barriers, future research should delve into empirical investigations, exploring the nuances of yoga-based interventions for various types of addiction.

References:-

1. Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. (2009). *Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors: A Clinician's Guide*. Guilford Press.
2. Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y. Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(50), 20254-20259.
3. Esfeld, J., Pennings, K., Rooney, A., & Robinson, S. (2021). Integrating Trauma-Informed Yoga into Addiction Treatment. *Journal of Creativity in Mental Health*, 18, 209 - 218.
4. Everitt, B. J., & Robbins, T. W. (2016). Drug addiction: updating actions to habits to compulsions ten years on. *Annual Review of Psychology*, 67, 23-50.
5. Hassanbeigi, A., Askari, J., Hassanbeigi, D., & Pourmohamed, Z. (2013). The Relationship between Stress and Addiction. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 1333-1340.
6. Hojjat, S.K., Raufpoor, R., Khalili, M.N., Hamidi, M., Danesh, M., & Ziarat, H.M. (2016). Effects of Vocational Consultation on Relapse Rate and Hope among Drug Dependents in Bojnurd, Iran. *Electronic Physician*, 8, 1711 - 1717.
7. Jerath, R., Edry, J. W., Barnes, V. A., & Jerath, V. (2006). Physiology of long pranayamic breathing: neural respiratory elements may provide a mechanism that explains how slow deep breathing shifts the autonomic nervous system. *Medical Hypotheses*, 67(3), 566-571.
8. Khanna, S., & Greeson, J.M. (2013). A narrative review of yoga and mindfulness as complementary therapies for addiction. *Complementary therapies in medicine*, 21 3, 244-52 .
9. Khantzian, E. J. (1997). The self-medication hypothesis of substance use disorders: A reconsideration and recent applications. *Harvard Review of Psychiatry*, 4(5), 231-244.
10. Koob, G. F., & Volkow, N. D. (2010). Neurocircuitry of addiction. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), 217-238.
11. Marefat, M., Peymanzad, H., & Alikhajeh, Y. (2011). The Study of the Effects of Yoga Exercises on Addicts' Depression and Anxiety in Rehabilitation Period. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, 1494-1498.
12. Laroia, P.K. (2020). Yoga and drug abuse in athletes.
13. Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2008). The incentive sensitization theory of addiction: some current issues. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1507), 3137-3146.
14. Ruisoto, P., & Contador, I. (2019). The role of stress in drug addiction. An integrative review. *Physiology & Behavior*, 202, 62-68.
15. Sinha, R. (2008). Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1141, 105-130.
16. Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213-225.
17. Volkow, N. D., Wang, G. J., Fowler, J. S., Tomasi, D., & Telang, F. (2019). Addiction: beyond dopamine reward circuitry. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(8), 3542-3551.
18. Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H., & Hsu, S. H. (2013). Mindfulness-based relapse prevention for substance craving. *Addictive Behaviors*, 38(2), 1563-1571.
19. Wojda, A.L., Molins, F., & Serrano, M.A. (2020). Stress and drug addiction: an up-to-date perspective from 2020. *Adicciones*, 0 0, 147
20. Posadzki, P., Choi, J., Lee, M., & Ernst, E. (2014). Yoga for addictions: a systematic review of randomised clinical trials. *Focus on Alternative and Complementary Therapies*, 19, 1-8.
21. ROSSOW, I. (1996, November). Alcohol-related violence: the impact of drinking pattern and drinking context. *Addiction*, 91(11), 1651–1661. <https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1996.tb02268>.

22. Randle, J. M., Stroink, M. L., & Nelson, C. H. (2014, July 17). Addiction and the adaptive cycle: A new focus. *Addiction Research & Theory*, 23(1), 81–88. <https://doi.org/10.3109/16066359.2014.942295>
23. Milliken, R. (2008, July 17). Intervening in the Cycle of Addiction, Violence, and Shame: A Dance/Movement Therapy Group Approach in a Jail Addictions Program. *Journal of Groups in Addiction & Recovery*, 3(1–2), 5–22. <https://doi.org/10.1080/15560350802157346>
24. F, J. (2013, December 10). Drug Addiction: Therapeutic Communities Breaking the Cycle of Addicted Mothers. *International Journal of Social Science Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.11114/ijsss.v2i1.251>
25. Gander, S., Campbell, S., & Flood, K. (2020, August). 119 Disrupting the cycle of adverse childhood experiences by supporting mothers with addiction. *Paediatrics & Child Health*, 25(Supplement_2), e49–e49. <https://doi.org/10.1093/pch/pxaa068.118>
26. Edwards, M. (2015, November 19). *Alcohol Addiction: The Simple Guide to Stop Drinking - Alcohol Addiction Treatment, Drinking Addiction, Sobriety and Alcoholism Treatment*.
27. Spanagel, R., & Sommer, W. H. (Eds.). (2012, August 1). *Behavioral Neurobiology of Alcohol Addiction* (Vol. 13). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-28720-6>
28. Matuszka, B., Bácskai, E., Czobor, P., & Gerevich, J. (2016, January 7). Physical Aggression and Concurrent Alcohol and Tobacco Use Among Adolescents. *International Journal of Mental Health & Addiction*, 15(1), 90–99. <https://doi.org/10.1007/s11469-015-9630-6>

Women Are The Real Architects Of Society

Dr. Ritu Mittal*

*Assistant Professor (English) JKP (PG) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Introduction - The modern Indian women have improved their skills and jumped into a battlefield of life fighting against social restrictions, emotional ties, religious boundaries and cultural clutches. She can now be seen working with men in every field. As compared with past women in modern times they have achieved immense success in every area whether it is sports, education, politics, administration and so on but in reality they have to still travel a long way. Their path is full of obstacles. The women have left the secured domain of their home and are now in the battlefield of life, fully armored with their talent. Now they need empowerment by the society without any discrimination.

The constitution of India has given equal rights to men as well as to women but it is the ignorance and illiteracy of the women that has deprived of her fundamental rights. In spite of the fact that women and children represent 75% of the world's population, the condition of women is still not good in our country. The woman who is the mother of man should be given her due respect. The great Hindi poet Jai Shankar Prasad said that woman is an embodiment of devotion and faith. Hence she has been invoked to flow like a rippling stream of nectar in the field of life, so that life could blossom and bear a bumper harvest of bliss. In this way he has high-lighted the supreme dynamic vitality of woman in the following words:

*"Oh woman! thou art faith immaculate
And like the stream of nectar coursing in
The Valley of the Silver mount of Trust,
Thou in the lovely vale of life shouldst flow"*¹

We can not succeed when half of us are held back, said Malaya, a girl who fought for her own education. She further said that women are considered the "help", or only necessary for looks, but this is far from the truth. Many women have gained big status and became famous due to their intelligences. While many men still view women as the extra. This can't be denied that the development of a country depends upon the joint contribution of men and women as the scooter runs with its both wheels, Man runs with his both legs and the bird also flies with her both wings. The same is the case with men and women of a country. No country of the world can uplift their economy and make progress until the power of women resource is with him.

Swamy Vivekananda has aptly said about the women as under :

"There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing.

There is no hope for that family or country where there is no estimation of women, where they live in sadness. For this reason, they have to be raised first."

In fact we can not do anything in this world without women. There is only one instance in the history of mankind that a man did not need a woman to do anything here on this Earth, and that involves God and His creation of Adam. Even God Himself knew that the world would not be the same without a woman and it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and He brought her to the man.

According to the Merriam-Webster dictionary, an architect is "a person who designs and guides a plan or undertaking." It means that if you think to possess a beautifully designed building or home, this can be possible only with the guidance of an architect who will envision and design it. You can not have a finished building or home without an architectural design. The same thing applies to our country. We can not imagine a developed country without having the real architects of society being a major part of its growth and development - those architects are women. In the same way Eleanor Roosevelt has attributed to women by saying as under:

"A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot Water."

Women in our society have been considered as inferior to men for many years. Because of such type of inferiority, they have to face various issues and problems in their lives. They have to go extra miles than men to prove themselves equivalent to men. People in the middle-ages considered women as key to destruction, so they never allowed women to go outside and participate in the social activities like men. Still, in the modern age, women have to face many more problems in their daily lives and struggle a lot to establish their career. Many parents prefer to have only boy baby and allow education to boys only. Women for them are only

medium to keep the family happy and healthy.

None of us would be here if it weren't for a woman giving birth to us, which is one of most painful acts that woman endures. But at the same time we need not women of such type who simply gives birth to our children, but to continue to be the visionary, organizational, strong, bold, logistical, service focused, considerate and business minded we have always needed in our society. We are absolutely nothing and we are not able to operate any potential without them provided they are capable.

Jobs for women are important if they want to make a living for themselves or for their family. Unfortunately many women only get their jobs based on how they look and not how qualified they are. If they are not pretty they have a chance of not getting their job. Many little girls think that this is the only way for them to get a job is to be pretty. However, this is not true, but unfortunately that is what is happening in the world we are living in. Equal pay for women is also a top priority because many women are being paid less than men for doing the exact same job. They could even be doing it better than the men who are also doing that job. This discrimination with the women should be checked and stopped by the society.

Research shows that women are primarily responsible for bringing up their children because they have the necessary values that are the essential building blocks of a harmonious family. They are filled with love, affection and goodwill as natural instinct. Hence if children learn at an early age how to lead a life of love and affection, they will develop a positive attitude within themselves. However, if they live in an atmosphere of fear, hatred and anger, then they may develop unsociable tendencies and also become a problem for the society as well as for themselves. They need to be trained to be sensitive towards others with transparent sincerity and honesty at home in their early age. It has been observed that most of the people who turn out as criminals have a childhood filled with abuse, exploitation, violence and deprivation. Hence, women who are the primary nurturers of values in children should play their important role in the sphere of the family.

"Women are the Real Architects of Society" is truly said by Harriet Beecher Stowe. In this scenario, once a Persian messenger asked to King Leonidas "What makes this Spartan woman think she can speak among men?" On this Queen Gorgo, who is the Queen of Sparta and the wife of King Leonidas, responds to this disrespectful question and she replied "Because only Spartan women give birth to real men". She basically told him that the men of Sparta were only as great as the women who gave birth to them, because those women are strong and resilient. In other words, you can't have one without the other and the real women know this. It's time for real men to know this as well.

The women should be bold, brave and courageous like Savitri as shown in the novel 'The Dark Room' written by R.K. Narayan. In this novel the character of Savitri has

been portrayed in a very strong and bold manner. When Savitri knows about her husband's deep attachment with Shantabai (the second woman), she becomes totally uncontrollable because for the first time she begins to think about her own position in the society and she says:

*"I am human being. You men will never grant that. For you, we are playthings when you feel like hugging and slaves at other times."*²

Here Savitri realizes her dignity as a human being. She becomes aware that the relationship between the wife and the husband is not complete if both are not devotional to each other. At another place Savitri revolts against her husband for self respect and search for identity and individuality in the following words:

*"Do you think I am going to stay here? We are responsible for our position. We accept food shelter and comforts that you give. Do you think that I stay in your house, breathe the air of your property, drink the water here and eat food you buy with your money? No, I will starve and die in the open, under the sky, a roof for which we need be obliged to no man."*³

Savitri feels that she would not accept charity from anyone and remains hungry till she earns her own meal. When she is pressed by Ponni to eat some fruits, she says emphatically: "I am resolved never to accept food or shelter which I have not earned myself"⁴. In another novel 'The Painter of Sign' written by R.K. Narayan where he expresses feelings and emotions of an unmarried girl who wants to spend her life in her own way. Throughout the novel, Raman seems to be a mere puppet in the hands of Daisy. She is made of a different fibre and is not fit for the drudgery of a married life. She reveals her mind to her lover Raman as under:

*"Married life is not for me. I have thought it over. It frightens me. I am not cut out for the Life you imagine. I cannot live except alone. I want work"*⁵

Obviously, she considers marriage as an impediment in her way to self-fulfillment. According to her, there is "nothing wrong and extraordinary for a man and woman beginning to live under the same roof" Through the relationship between Raman and Daisy, Narayan raises the question of women's independence. About the difference of the attitudes between Savitri and Daisy towards woman's independence, Narayan himself says:

*"In The Dark Room, I was concerned with showing the utter dependence of woman on man in our society. I suppose I have moved along with the times. This girl in my new novel, The Painter of Signs, is quite different. Not only is she not dependent on man, she actually has no use for them as an integral part of her life. To show her complete independence and ability to stand by herself. She is very strong character. All the time, when you read the novel you will find she is very feminine also."*⁶

Daisy presents Narayan's view of the model of a

modern woman who would be prospering after woman's lib movement. If that is true and so, even Raman must be cautious to call a lady his wife. In this way we find that Savitri and Daisy are able to go beyond Indian orthodox traditional outlook for achieving their identities. They prove themselves stronger than their partners. Unfortunately, women are still viewed as they were back when this country was just forming. But now every woman on this earth is a symbol of dignity, culture and respect.

Moreover, it is the women who have sustained the growth of our society and moulded the future of Nation. She should be given equal political, social and economical rights as that of a man. They should not be considered merely as help or subordinate rather they should be regarded equal to man. Unless this feeling of equality does not come in the minds of men of our society the imagination

of development of the country will be far away. In order to achieve the status of developed country India needs to transform its women force into an effective human resource and this could only be achieved through the empowerment of women.

References:-

1. Jai Shankar Prasad, 'Modesty', Kamayani, Translated by B. L. Sahney, YugbodhPrakashan Delhi 32, 1971, P.102 Line 177-180
2. Narayan, R. K., The Dark Room, p. 153
3. Ibid., p. 113
4. Ibid., pp. 162-63
5. Narayan, R. K., The Painter of Sign, p. 51
6. Krishna Rao, S., Daisy with Narayan, The Times of India, April, 17, 1982

HDFC and Mahindra Finance Mutual Funds: Comparative Analysis

Dayalal Sankhla*

*Assistant Professor (Economic Administration and Financial Management) M.B.C. Govt. Girls College,
Barmer (Raj.) INDIA

Abstract - The primary objective of this research is to carry out a comparative analysis of the HDFC and Mahindra finance mutual funds, as well as to offer an overview of the whole process of collective fund assiduity in India. These mutual funds observe changes in value over the course of time and make informed projections about what the future may hold for investors who purchase mutual funds for lengthy periods of time. A collective fund is a kind of investment instrument that pools the funds that have been given by several individual investors. The term "investment company" refers to this particular kind of investment vehicle as well. The director of the fund is responsible for investing the wealth of the plutocrats that have been amassed in financial instruments that are analogous to stocks and bonds. The fund's individual holdings in each of the several assets that it has acquired make up what is known as its portfolio. It's possible that the surge in demand from plutocrats and the popularity of (short-term) bond financing was fueled in part by the restrictions that were imposed on rival commodities. This research was carried out with the intention of studying and comparing the performance of different kinds of collective finances in India. Our research led us to the conclusion that directors of equity finances show a considerable request timing capacity, directors of institutions finances are suited to time their investments, but directors of broker-operated collective finances did not demonstrate request timing capability. Furthermore, an actual investigation has shown that finance directors may schedule their investments in accordance with the positions specified in the request and yet maintain a sizable degree of timing competence. Investors face the risk of seeing their money disappear if they choose the wrong mutual fund to invest in.

Keywords: Mutual Funds, India, equity fund, debt fund, money market.

Introduction - A collaborative fund is an illustration of commodity that may be described as a managed collection of held securities from a number of different pots. As a direct consequence of their investments, these pots are entitled to get commissions on the shares they enjoy and either earn capital earnings or suffer losses on the means they trade. Investors will buy shares in the collaborative investment vehicle, which is similar to the purchase of individual securities by investors. After removing the costs associated with operating the collaborative fund, the earnings(whether they be interest, capital earnings, or losses) are also distributed to the investors in a way that's commensurate to the quantum of capitalist that they firstly contributed. This occurs after the overhead costs associated with operating the fund have been abated. Investors frequently have the misconception that if the value of one holding diminishments, it'll be compensated for by an increase in the value of another holding at some point in the future. The possessors of shares in a collaborative fund are in the stylish position to concertedly enjoy the benefits of diversifying their means, indeed though doing so may be beyond their individual and collaborative fiscal coffers.

This is in agreement with the adage," Don't put all of your eggs in one handbasket," which cautions against placing all of one's eggs in a single handbasket. There are two different types of collaborative finances, appertained to as open- end finances and unrestricted- end finances, independently. A kind of investment instrument known as a flexible capital stock is an open- end collaborative fund. This is because the fund doesn't always issue a certain number of shares. Due to investors' ongoing purchases and deals of their effects, the total number of shares that are presently in rotation is subject to change. Investors have the option to buy and vend their company shares at any time at a price that's regardedto be fair, and the company is set up to handle thesedeads.

Types of collective finances in which an investor can invest:

1. Equity finances
2. Debt finances
3. Mongrel finances
4. Growth finances
5. Profit sources
6. Open ended investment options

7. Unrestricted end finances

Mahindra finance- As a result of the company's provision of one thousand distinct services over the total of India, it's recognised as one of the most successful tractor financiers in India. On January 1, 1991, we launched our company and began doing business. They fairly created their pot on February 19, 1991, by subscribing the necessary legal paperwork and submitting them to the applicable authorities. Mahindra Finance is an asset fund that's recognised by the Reserve Bank of India(RBI), which also allows the company to take deposits. It was in 1993 that the company first started making investments in M&M Utility motorcars. The ensuing time, in 1994, it erected a branch in Jaipur, which was its alternate point after Mumbai. The company first began furnishing backing for vehicles that didn't fulfil the M&M conditions in the time 2002. In the time 2009, it extended its products to include backing for marketable motorcars as well as construction outfits. They encountered a situation relatively analogous to the one described over in 2011 in the United States when using the Rabu bank attachment for tractor backing. In the same time, they also streamlined their product immolation by include support for small and medium businesses(frequently shortened as SME).

HDFC - It was consolidated as a link of the Housing Development Finance Corporation in the time 1994, and its listed office is in Mumbai, which is located in the Indian state of Maharashtra. The Housing Development Finance Corporation is appertained to by its bank's condensation, HDFC Bank. The HDFC Bank Limited, or HDB for short, is a fiscal services and banking organisation that has its headquarters in Mumbai, India. More frequently, HDB is the condensation used. It was the largest private sector bank in India as of April 2021 and the 10th largest bank in the world grounded on requestcapitalization as of the samemonth. In addition to this, it's the over individualities that are employed by it, making it the fifteenth largest employer in India.

Literature Review

According to **Priyan(2018)** the exploration study is extremely needed for the performance evaluation because, in the study, they corroborate the investment style of large cap Equity collaborative finances by utilising the style-exposure analysis that was handed by Sharpe(1992). This makes the exploration study really useful for the performanceevaluation. In order to produce an estimate of the active trend in the direction of a collection, a rolling-interval domination system scanning of the finances has been carried out using a rolling- period window of 36 months. This was done in order to determine whether or not there's a collection. According to the results of the study, the directors of the fund continue to play at least some degree of an active involvement in the fund's operations and have a high position of selection capability.

Desmond Pace, Jana Heli, and Simon Grime,(2016)

in their exploration, they concentrated on two main goods the first was contributing considerable benefits to the being body of knowledge, and the second was the practical Perspective that the disquisition handed. It's gratuitous to point out that experimenters and academics have concentrated the maturity of their sweats on establishing the governance of fund directors headquartered generally in established and further effective husbandry, so leaving the developing area largely unexplored in thisregard.

According to the findings of exploration conducted by **Bhatt(2015)**, marketable investors have shown a larger predilection to put their plutocrat into debt backing, whilst retail investors have shown a lesser propensity to put their plutocrat into equity backing. also, the results of the study will be salutary for fund directors, policy makers, and AMCs in their attempts to make, change, and modernize new and being collaborative fund schemes according to the investment quantum of the different investor groups. This will be possible because of the information attained from the exploration.

Rao, (2015) As part of this experimental endeavour, the performance of the fund will be examined using five portfolio performance dimension characteristics such as Beta, Standard deviation, Sharpe rate, Treynor rate, and Jensen's nascence. This evaluation will take place as part of this experimental endeavour. This will be done so that an accurate assessment of the fund's effectiveness can be made. Throughout the whole of this inquiry, the CNX NIFTY Index will act as a point of reference for comparison reasons due to its widespread use.

Guru Nathan, (2013) the primary objective of this research was to demonstrate that the expansion of big cap collective finances has been facilitated by the introduction of contemporary goods and methods of service. The controllers will need to do a balancing act by accurately managing potential risks rather than evaluating unnecessary regulatory burdens.

Research Methodology: The process of doing research according to a certain methodology is referred to as the research methodology, which is a collective word. Although the term "exploration" may be used to refer to a broad range of activities, the process of creating an inquiry, gathering data, and assessing that data is the most common use of the term. Data collecting is a crucial part of any form of exploratory research project that could be conducted. The collecting of faulty data, which might eventually lead to erroneous results, may have the potential to affect the findings of an inquiry. The data collection for this study is based on two distinct sources of data, both of which are described in more detail below, along with the categories to which they belong:

Primary Data: The origin of primary data, which may be found in the form of a questionnaire, an opinion poll system, or interaction with policy holders, among other things.

Secondary Data: The investigation relied on secondary

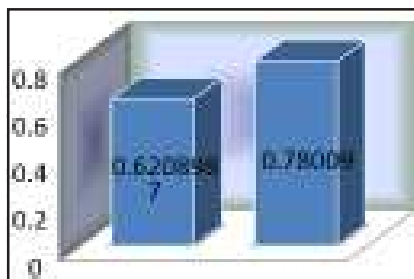
data, which was gathered from a variety of sources, including colourful publications and reports of the apex bodies, publications of asset operation firms, technical and trade journals, books, magazines, and reports of colourful associations associated to the finances. The investigation was based on the findings of this secondary data.

Methods And Tools Of Analysis The Data : For the purpose of the exploration's analysis, secondary data are being used. Kotak Mahindra Mutual Fund Company and State Bank of India Mutual Fund Company are the two companies whose methods of operation are taken into consideration for the examination of the performance of the collective financial resources. Beta, Sharpe's rate, Treynor rate, and Jensen's rate are some of the statistical techniques that are used in the process of comparing the two rates' respective performance levels. Excel distance is used for all of the calculations that need to be done.

The performance parameter Periodic returns of 3 and 5 times

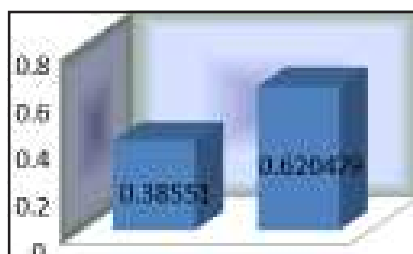
Sharpe rate:In the Sharpe measure, friction that is explained by the indicator may be considered the methodical threat, whereas friction that has not been addressed is referred to as the unsystematic danger. Sharpe suggested that the level of risk posed by both systematic and unsystematic threats to a fund may be evaluated using the following criteria:

Sharpe = $R_p - R_f / \text{standard divagation}$



Treynor rate:Treynor takes into account an indicator of portfolio staging that is based on the potential of methodical risk. This indicator is known as the return to volatility rate, and it is used to stage portfolios. What it is showing by Tp is the fat return over the threat-free rate per unit of systematic threat, which is another way of stating that it runs the risk of decoration. for each and every unique incident of the strategic hazard.

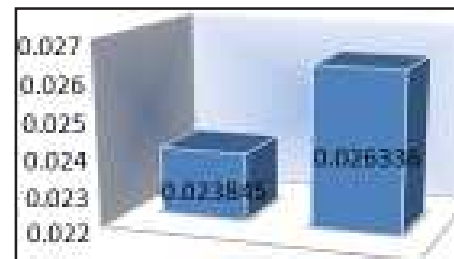
$T_p = R_p - R_f / \beta_p$



Jensen's rate:The Jensen nascence is calculated by

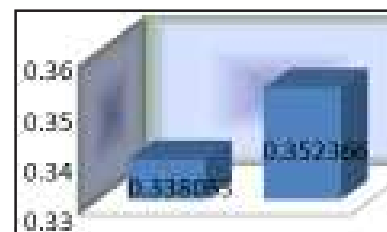
subtracting the return of the portfolio from the return of another portfolio on the Securities call line that has the same beta value. According to Jensen, the difference between the actual return on a portfolio over a certain holding time and the projected return for the same holding period is the best indicator of how well a portfolio has been managed.

nascence = $R_p - (R_f \beta_p + (R_m - R_f))$



A statistic called beta is used to compare the amount of volatility that a fund experiences to that of a benchmark. It provides an indicator of how much of a difference there would be between the performance of a fund and a benchmark should that fund's performance fluctuate. If a fund has a beta of 1, it suggests that it will move in the same substantial direction as the market average, and vice versa if the fund's beta is 1.

Beta = covariance/ friction



Conclusion : In conclusion, we are in a position to assert that communal funds are a veritably substantial helpful tool for investing due to the low initial cost of purchasing funds, the duty profit, the diversification of earnings, and the reduction in risk. These factors allow us to say this. Comparisons were made between the equity collective finances, debt collective finances, balanced collective finances, medium cap finances, small cap financial, and multi cap finances of HDFC and Mahindra Finance means Management Company, based on the conclusions of the study. Regular investors in India have access to valuable collective fund schemes, which might make it tough for them to determine which of the plans are the most fashionable at any given moment. This study provides some insight into the performance of collective funds so that common investors may be assisted in making well-balanced investment decisions and putting their money in the suitable collective fund scheme. The information about the periodic returns, fiscal rates, and beta of the collective fund plans that HDFC and Mahindra Finance have to provide was collected in order to facilitate the study project.

In this research, both equity collective funds and debt

collective funds are analysed to see how well they have performed in the past.

We used the Sharpe rate, the Treynor rate, and Jensen's nascence rate metric to assess the effectiveness of the several strategies that were found. The conclusions drawn from these analyses will be useful for investors, allowing them to better the decisions they make about their investments. The outcomes of the study indicate that there are two separate methods in which Management Company has demonstrated evidence of outperforming the average return on investments. There have been areas of the finances that have not represented positive principles, and these are the ones that come to mind. It is feasible to draw the following conclusion based on the outcomes of the study that was carried out: the schemes give a range of consequences.

References:-

1. Allen D.E. and Tan M.L. (1999), An Examination of the Degree to Which the Performance of UK Managed Funds Remains Consistent, *Journal of Business Finance and Accounting*, 25, pp. 559-593.
2. Amenc N. and Le Sourd V. (2005), Rating the Ratings, EDHEC Publication's
3. Jêdrzej Bialkowskia Roger Ottenb, Department of Economics and Finance, University of Canterbury, Private Bag 4800, Christchurch, New Zealand, The success of mutual funds invested in emerging markets: evidence for Poland, the *North American journal of finance and economics*, Volume 22, Issue 2, August 2011, Pages 118-130,
4. Ms. Shalini Goyal, Designation: Lecturer College: Delhi College of Technology & Management, Palwal, "An Examination On The Use Of Mutual Funds In India" *International Journal of Scientific & Engineering Research*, Volume 4, Issue 5, May-2013
5. Ms. Shilpi Pala, Prof. Arti Chandanibm (a)- MBA Student, Symbiosis Institute of Management Studies, Symbiosis International University, Pune (b)- Assistant Professor, Symbiosis Institute of Management Studies, Symbiosis International, University, Pune, An In-Depth Evaluation Of Some Of India's Most Popular Mutual Funds, *Procedia Economics and Finance* 11 (2014) 481 – 494
6. Syed Husain Ashraf* and Dhanraj Sharma, Department of Commerce, Aligarh Muslim University, Aligarh, India, Evaluation of the Performance of Indian Equity Mutual Funds in Comparison to Previously Established Benchmarks Index, *International Journal of Accounting Research*, Volume 2 Issue 1 2014
7. Dr Vikas Choudhary, and Preeti Sehgal Chawla, Analysis of Selected Diversified Equity Mutual Funds in India for the Purpose of Evaluating the Performance of Mutual Funds *International Conference on Business, Law and Corporate Social Responsibility (ICBLCSR'14)* Oct 1-2, 2014 Phuket (Thailand)
8. Prof. Kalpesh P Prajapati, Assistant Professor, S.V Institute of Management, Gujarat Technological University, Ahmadabad, Gujarat, India, and Prof. Mahesh K Patel, Assistant Professor, N.P College of Computer Studies & Management Hemchandracharya North Gujarat University, Patna, Gujarat, India, Study On The Comparison Of The Performance And Evaluation Of The Mutual Fund Schemes Of Indian Companies, *Journal of Arts, Science & Commerce*, E-ISSN 2229-4686, ISSN 2231-4172
9. Vinita Bharat Manek, BSc. Accounting and Finance, University of London International Programme, A study on the effect of portfolio turnover on mutual fund performance in the Indian financial market was published under the title "Mutual Fund Performance: A Study on The Effect Of Portfolio Turnover On Mutual Fund Performance." *Scholarly Research Journal For interdisciplinary Studies*, Mar-April 2016, Vol-3/23

A Comparative Study of Public and Private Sector Bank in India

Priyanka Barod* Dr. Rakesh Mathur**

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - The banking sector in India is a vital component of the country's economy, comprising both private and public sector banks. This paper presents a comprehensive comparative analysis of private and public sector banks in India, focusing on key aspects such as financial performance, customer service, technological innovation, and regulatory compliance.

Private sector banks have gained prominence in recent years due to their agility, customer-centric approach, and adoption of advanced technology. They have excelled in providing innovative financial products and services, enhancing the customer experience, and maintaining robust financial health. On the other hand, public sector banks, which have a longer history and extensive reach, face challenges related to efficiency, non-performing assets, and bureaucracy. This study examines the strengths and weaknesses of both types of banks, shedding light on their respective contributions to India's banking landscape. It also delves into the role of government policies and regulations in shaping the banking sector's dynamics. By analysing the contrasting features and performance metrics of private and public sector banks, this research aims to provide valuable insights for policymakers, investors, and stakeholders in the Indian banking industry.

Understanding the nuances of the Indian banking sector's diversification is crucial for making informed decisions that can further strengthen the sector's resilience and contribution to the countries.

Public sector banks are banks owned and operated by the government. They have a rich history and a vast network of branches across the nation. These banks are often viewed as reliable and secure due to government backing. However, they sometimes face challenges related to bureaucracy and efficiency.

Private sector banks, on the other hand, are owned by private entities, such as individuals or corporations. They are relatively newer in the banking landscape but are known for their agility and innovation. They often use advanced technology to provide faster and more customer-centric services.

This comparative study will delve into various aspects of both public and private sector banks, including their financial performance, customer service quality, technological advancements, and regulatory compliance. By analysing these factors, we can gain valuable insights into the strengths and weaknesses of each type of bank and their respective impacts on India's banking industry and economy. Such a study is crucial for understanding how these banks contribute to India's financial landscape and how they meet the diverse needs of the population. Top of Form economic growth.

Literature Review:

A study on the efficiency of Indian commercial banks' NPA management was undertaken by **K.K.Siraj** and **P.Sudarsanan Pillai (2012)**. According to the survey, nationalised banks outperform international and private sector banks.

With a focus on State Bank of India, Patna Circle, and **Bihar, Mishra (2011)** explained a conceptual framework for nonperforming assets (NPAs) and examined the dimensional approach to NPAs in India's banking sector.

According to **Jayna Ud-din Ahmed (2010)**, commercial banks haven't given enough money to important parts of the economy. They didn't look at how many loans in vital sectors couldn't be paid back in the Barak Valley area because there wasn't enough data.

The study found that banks need to make sure people pay back their loans so that the banks can do well. If they don't, the banks might not have enough money to lend to others, and this could cause problems.

Dutta et al;(2009) did a study to investigate customer perceptions and expectations across all banks' Information and Knowledge Management departments. Foreign banks were found to be the most popular, followed by private banks and public banks.

Mitra (2007) said that changes in the financial sector made

the banking system in India much better. He explained that these changes involved three main things:

1. Letting money flow more freely in and out of the country.
2. Getting rid of rules that restricted how banks and financial institutions worked inside India, so they could be a part of global financial markets.
3. Giving more independence to the central bank so it could do its job of supervising and regulating the banking system better.

According to Mitra, these changes in the banking sector led to more competition, banks becoming more similar in how they work, and some banks joining together in the Indian banking industry.

Tondon (2006) studied how global changes affected Indian banks. He explored how banks managed their money, the shift from government to private ownership, and the growth of financial markets.

He also discussed challenges faced by Indian banks, like preparing for more competition, adopting new technology, reducing bad loans, and cutting costs. Some banks might merge to compete globally. Basel-II rules caused challenges, and managing bad loans was a concern. Banks needed to boost profits to cover costs and maintain reserves.

Tondon compared Indian banks to others worldwide, noting changes like consolidation, convergence, and technology adoption, making them fewer but bigger.

Objective of the study:

1. Understanding Banking and Innovations in India: We're looking into how banks work and what new ideas they're using in India's banking sector.

2. Checking How Public and Private Banks Perform: We're studying how well different public and private banks do financially.

3. Looking at How They Do Their Work: We're comparing how efficiently public and private banks do their day-to-day tasks.

4. Judging Overall Performance: We're evaluating how good the public banks are by using something called CAMEL ratings. We're also comparing them to private banks.

5. Giving Advice to Improve: We'll suggest ways to make the selected banks, both public and private, do better.

6. Teaching People About Saving: We want to educate everyone about the importance of saving money.

7. Helping the Country's Economy: We're supporting the country's growth by giving money to private businesses.

8. Promoting Growth in Different Industries: We're helping industries like farming, making things, and services to grow.

9. Making Money: We're trying to make a good profit.

10. Comparing Public and Private Banks: We're looking at how public and private banks offer services like using ATMs, the internet, phones, and mobile apps.

Top of Form

Research methodology: Research design used to carry out this study is descriptive research because it deals with statistical data and the main aim of the report is to describe the factors affecting the problem mentioned and making comparison between banks performance in context of NPA. The study is done based on data and secondary data is collected mainly from the sources available at internet like the RBI website, websites of the banks etc. Data is presented with the help of Graphs, charts, and tables etc.

Analysis Data collected:

1. The respondents were asked about which banking sector's services do their avail. Table 2: banking sector's service which the respondent's avail.

Banking sector	Number of Respondent
Private	30
Public	53
Both	83

Interpretation: It was found that most of the respondents were availing services of private sector banks while those of the public sector banks were less as compared to another sector.

2. The respondents were asked about the type of account they have in the public sector as well as private sector banks.

Table 2.1 Number of types of account held in public sector bank.

Name of accounts	Type of account			
	Saving	Current	Fixed Deposit	Demit
Total no of respondent	95.1 %	6.9%	0%	0%

Interpretation: It was found that in case of public sector banks, maximum number of account holders owns Saving Account. After Saving Account most prefer account is Current Account prefer by people and none of the people owns Fixed Deposit and Demit account.

Suggestion: Banks play a big role in our lives, helping people and the financial industry. It's not just about offering different services and making money; it's also about how good those services are, how much they cost, and how safe our money. In our research, we found some problems that depositors, borrowers, bank employees, and management face. We talk about these issues in detail in the right places. In 1998, the Narsimhan Committee had an important report that focused on banks.

In the next few years, the banking world will go through significant changes. Banks will look different, and how they work will change too. Global banks will also start operating in our country, creating strong competition. We have some simple and practical solutions to these issues:

1. To compete with local and global banks, all public sector banks should merge into 8-10 bigger banks.
2. Public sector banks should hire more officers to properly staff their branches, which are currently understaffed and overloaded.

3. Banks should have the freedom to let go of employees who aren't doing their jobs well.
4. Employees in public sector banks should have clear goals and targets for their work.
5. Public sector bank employees should receive regular training, including topics like the latest trends in banking, how to manage relationships with customers, communication skills, and good behaviour. They should learn to treat customers well, whether they're borrowing or depositing money because both are important.

Top of Form

Conclusion: Customers today expect high-quality service not just from banks in India but from banks worldwide. To stay competitive in the upcoming competition, the banking industry needs to meet all the needs of its clients. Banks must really understand what their customers want because if they don't, they could end up in trouble.

Imagine a bank that doesn't work well; it would eventually close. So, dealing with such situations is tough. Here, a simple idea is that customers should be treated

like gods. By doing that, banks can survive and serve better.

The banking industry is about to grow a lot. To keep up, banks need to quickly adopt technology. Mani Mamallan suggests that banks should let others take care of their technology needs to do this faster and more efficiently. Many banks are already doing this to save money on how they provide their services. So, other banks will also need to change how they do things. These changes, both in how they do business and use technology, are big. Banks that start early benefit from being more efficient in a highly competitive banking world.

Top of Form

References:-

1. <https://iorsjournal.org/papers/bank>
2. www.google.in/public/private
3. <https://academia.edu/report/on/bank>
4. <https://researchgate.org.in>
5. <https://www.bartleby.com/org>
6. <https://scribd.com/comparative>
7. <https://omicsonline.com>

Outcome based education in the National education Policy-2020

Sudhish Kumar*

*Asst. Professor (Maths.) Govt. College, Khurai, Distt. Sagar (M.P.) INDIA

Abstract - One of the objective of the NEP-2020 is emphasis on the outcome based education. Last national education policy was implemented in 1986 and the next nep took 24 years and was implemented by some states next year in 2021. Previous policy had focused largely on issues of access and equity. The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986, modified in 1992 (NPE 1986/92), is appropriately dealt with in this Policy. A major development since the last Policy of 1986/92 has been the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 which laid down legal underpinnings for achieving universal elementary education. It focuses on measuring student performance i.e. outcomes at different levels. The key to success in outcome-based education is clarity, for both teachers and students to understand what's expected of them. Outcome-based education aims to create a clear expectation of results that students must achieve.

In this research paper we review this aspect of the NEP-2020 in a lucid manner.

Introduction - Outcome-based education (OBE) is education in which an emphasis is placed on a clearly articulated idea of what students are expected to know and be able to do, that is, what skills and knowledge they need to have, when they leave the school system. Outcome-based education or outcomes-based education (OBE) is an educational theory that bases each part of an educational system around goals (outcomes). By the end of the educational experience, each student should have achieved the goal. The National Education Policy 2020 has 'emphasized' on the use of mother tongue or local language as the medium of instruction till Class 5 while, recommending its continuance till Class 8 and beyond. Sanskrit and foreign languages will also be given emphasis.

Four principles of the OBE- The 4 principles or the cornerstones of the outcome based education are:-

1. Learner centeredness.
2. Clarity of focus.
3. Transparency in assessment.
4. Regular feedback.

Five guiding pillars of the NEP-2020:-

1. Access
2. Equity
3. Quality
4. Affordability
5. Accountability

Principles of NEP-2020: The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy,

courage and resilience, scientific temper and National Education Policy 2020 5 creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education. The fundamental principles that will guide both the education system at large, as well as the individual institutions within it are: • recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student, by sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres;

The vision of the Policy is to instil among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.

New Education Policy: Ease in Norms and Outcome-

Based Learning to Benefit Future Generation: The new education policy 2020 (NEP) will enable creative learning among students and boost their employment prospects. Especially, the idea of single regulator would bring in more transparency, reduce entry barriers in terms of time and costs involved to commence a college or university and lessen states' involvement in managing matters of higher education, says a research note.

In the report, India Ratings and Research (Ind-Ra), however, says, "Although the NEP is likely to bring changes in the education system from the pre-primary school level to higher education, untrained or inexperienced teaching staff will be a drag to implement the new policy. A system to evaluate the teaching-quality of teachers is required to overcome unskilled teaching staff. At the same time, measures aimed at making the teaching profession a prominent career option and optimal use of technology are required to achieve NEP's objectives."

The union government has introduced many changes in the school to higher education segment, to make the education system in India well-organised, to reduce complexity of regulatory norms, and to achieve global standards by internationalisation of education. More importantly, it recognises education as a public good.

The government has introduced vocational curriculum, skill-based education, practical learning, and flexibility in choice of subjects at the secondary school level. Also, the government through NEP proposes to set up the higher education commission of India (HECI) with four verticals namely National Higher Education Regulatory Council, National Accreditation Council, Higher Education Grants Council and General Education Council.

Ind-Ra says it believes a single regulator would bring in more transparency, reduce entry barriers in terms of time and costs involved to commence a college or university and lessen states' involvement in managing matters of higher education. NEP suggests similar norms for deemed universities, central universities and individual standalone institutions. The NEP also envisages setting up of National Research Foundation with an annual budget of Rs200 billion for funding of higher educational institutions.

The Indian education system has grown multi folds in the last three decades since NEP was framed in 1986 and modified in 1992. The combined strength of higher educational institutions, which stood at 51,649 by FY(E)19, and above 1.55 million schools has increased access to education at both school and higher education levels.

The NEP has proposed flexibility in choice of subjects and creative combination of subjects to study at the crucial stage of schooling, before treading toward higher education. As per NEP, there will be no rigid separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams in secondary education at school level.

Ind-Ra says, the NEP focusses on vocational education

and conceptual understanding. It says, "It has been observed that youth often face serious challenges in seeking employment as the skills and knowledge required at the job often do not match with the skill set acquired during educational journey. An exposure to vocational education from the grade six and internship opportunity from the grade 10 will help to equip students with practical knowledge and shift the focus to conceptual understanding rather than rote learning."

"We believe that a large capital outlay and well-structured planning will be a key prerequisite so that the vocational training becomes effective, rewarding, and enable students to enhance their employability through hands-on learning and skill building," it added.

The NEP has introduced a new category of institutions – research-intensive universities, teaching-intensive universities and autonomous colleges. The policy has also proposed phasing out of affiliation system at university level over a period of 15 years. Every college needs to develop into either an autonomous degree-granting college or a constituent college of a university over 15 years.

The ratings agency says, a glance through its rated portfolio shows majority of education institutions will become autonomous degree-granting colleges as per new category of institution. A number of higher education institutions or universities rated by Ind-Ra are focused on research and development activities and some have established technology incubation centres. These institutions would fall under the NEP's proposed new category of institutions deemed as research-intensive universities, it added.

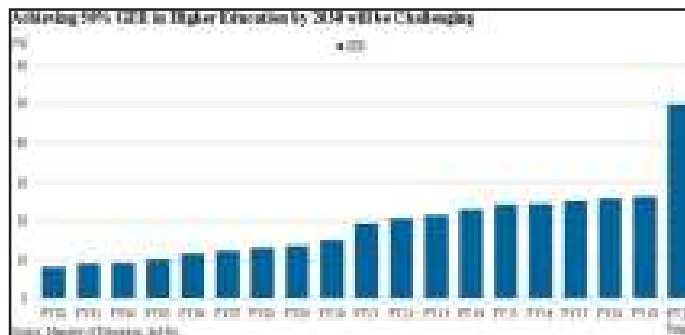
Ind-Ra says it believes the NEP has rightly addressed the need to incentivise reputed foreign universities to set-up campuses in India. The policy aims to enhance access to quality higher education through facilitating operations by the top 100 universities in the world.

"We believe this would provide accessibility and affordability of foreign university education to Indian students, encourage collaborations, and even improve the education standards, as existing standalone institutions will have to compete with strong peers," the ratings agency added.

However, Ind-Ra feels achieving 50% gross enrolment ratio (GER) in higher education by 2030 will be challenging. The NEP targets to achieve a GER of 50% in higher education by 2030 from around 26.3% in FY19. However, the ratings agency says, the target is challenging and seems difficult to be achieved. NEP plans to encourage enrolment in higher education through implementation of a cap on tuition fee in private institutions offering higher education.

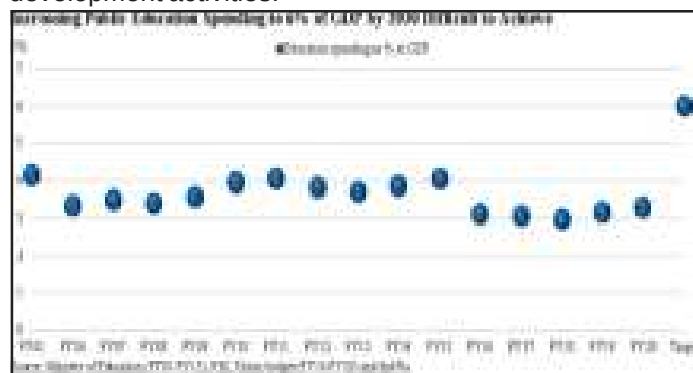
"The government expects this will reduce the reliance on education loans and hence lessen the burden on parents' pocket. However, this may hurt the revenue profile of private and/or unaided educational institutions offering higher education and affect faculty quality, leading to sub-par learning outcomes. The provision of a simple breakfast

along with mid-day meals could help in the retention of children in schools and boost enrolment and retention rates in primary education,” the ratings agency added.



Mother tongue or local language being the medium of instruction at least till the grade 5 will improve demand for education till the 5th standard, Ind-Ra says, adding the major issue, however, is medium of instruction at the higher education level. “Thus, a common medium of instruction across country is required. This may have an impact on enrolment at higher education level, which has a steep target of 24pp increase in 10 year,” it added.

An effective implementation of the reform measures underlined in NEP will require enhanced governmental spending in education. The government expects a higher public spending on education will result in better infrastructure, pedagogy and more research and development activities.



Expenditures on education includes education expenditures incurred by state governments, central government, and central government organisations such as armed forces, para military forces and railways as these organisations also manage educational institutions mainly schools. Expenditures incurred by these organisations are not part of public education spending arrived based on the Reserve Bank of India (RBI)'s data publications and union budget for FY16-FY20.

“An increase in education spending will also be utilised in school governance as proposed by NEP 2020, as schools have to ensure availability of all resources including infrastructure, academic libraries, well-trained teaching and non-teaching personnel and a strong professional teacher community,” the ratings agency concludes.

Conclusion: While the earlier national education policy of 1986 was not a failure and produced brilliant scientists, engineers, administrators ,entrepreneurs etc. whose foundation was done in school education system which was prevalent then and also served in institutes of eminence like ISRO, DRDO, I.I.T.'s ,Indian Institute of Science, I.I.T.'s & I.I.M.'s in India and also in foreign institutes like NASA but it was felt that H.E.I. of mainstream India were not providing employability. This is one of the cornerstone of the NEP-2020. With this objective the NEP-2020 emphasises on skill development while studying. It reduces weightage by half of 2 out of 3 core subjects at the graduation level and in their place introduces internship/ apprenticeship/field projects /community engagements and social service and also introduced study of vocational courses. This is however a risk since student will study less in core subjects. However changes in the prevalent education system was must and the success of NEP-2020 lies in it's execution.

References:-

1. The national education policy document as published by the department of education, Govt. of India.
2. Open ended reference material freely available online.

Therapeutic Benefit of Yoga on Anxiety and Depression in Pulmonary Tuberculosis Patients: A Compressive Narrative Review

Srinivas M* Patil N J** Prabhakar K*** Jagmohan S V**** Guruprasad T J*****

*Department of Integrative Medicine, Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar (KA) INDIA

** Department of Yoga, Centre for Integrative Medicine & Research (CIMR), Manipal Academy of Higher Education, Manipal (KA) INDIA

*** Department of General Medicine, Sri Devaraj Urs Medical College, Tamaka, Kolar (KA) INDIA

**** Department of TB & Respiratory Medicine, Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, Chikkaballapur (KA) INDIA

***** Department of TB & CD, Sri Devaraj Urs Medical College, Tamaka, Kolar (KA) INDIA

Abstract - Pulmonary tuberculosis (PTB) is a highly contagious infectious disease caused by the bacterium *Mycobacterium tuberculosis*. While PTB primarily affects the respiratory system, it can also have far-reaching effects on mental health. Anxiety and Depression, a common mental health disorders, is often associated with PTB, affecting patients' well-being, treatment outcomes, and quality of life. Yoga, an ancient mind-body practice originating from India, has gained popularity as a complementary and alternative therapy for various health conditions, including respiratory disorders.

Objective: To explore the Therapeutic benefits of Yoga on Anxiety and Depression in Pulmonary Tuberculosis (PTB) Patients

Methodology: A thorough literature search was conducted using various electronic databases, such as PubMed, Google Scholar, and PsycINFO including different field tags and keywords. "yoga," "Tuberculosis," "Pulmonary Tuberculosis," Depression, "anxiety," "mental health," "psychological aspects," "TB", "quality of life," and "stress reduction" were used in different combinations to identify relevant studies.

Results: After the electronic search engine, we got 1371 research shreds of evidence with different field tags; nearly 1326 articles were excluded for not meeting the inclusion criteria. Subsequently applying the inclusion criteria, 7 studies were included in this narrative review.

Conclusion: After revisiting the shreds of evidences, Yoga may holds promise as a supportive therapy for pulmonary tuberculosis patients especially when it comes to addressing mental health aspects like anxiety, and depression. There is a need for evidence-based Randomized Control Trails in the field of Yoga, Pulmonary Tuberculosis addressing the mental health aspects.

Keywords: Yoga; Mental Health; Tuberculosis; Anxiety; Depression.

Introduction - Pulmonary tuberculosis (PTB) is a highly contagious infectious disease caused by the bacterium *Mycobacterium tuberculosis*. While PTB primarily affects the respiratory system, it can also have far-reaching effects on mental health. Anxiety and Depression, a common mental health disorder, is often associated with PTB, affecting patients' well-being, treatment outcomes, and quality of life but unaddressed so far. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) is one of the major plans of action which has not flourished completely in regard to

the psychological concerns (Dos Santos et al., 2017). TB remains one of the world's deadliest infectious killers (*Global Pandemic | TB Alliance*, 2019). Each day, over 4100 people lose their lives and close to 28,000 people fall ill with this preventable and curable disease (WHO Report 2020) ("WHO | Global Tuberculosis Report 2019," 2020). Yoga, an ancient mind-body practice originating from India, has gained popularity as a complementary and alternative therapy for various health conditions, including respiratory disorders. It has gained popularity as a complementary

therapy for various health conditions, including mental health disorders (Trkulja & Bari , 2020). So Yoga being one of the non-invasive and cost-effective treatments may play an important role in addressing such issues (Zope et al., 2021).

The management of TB necessitates a holistic approach that includes addressing the psychological aspects. Yoga, an ancient mind-body practice that combines physical postures, breath control, meditation, and mindfulness (Zou et al., 2018). Over the years, has gained popularity as a potential intervention to support the mental health and well-being of individuals with various medical conditions. This narrative review aims to investigate the existing literature on the impact of yoga on psychological aspects in pulmonary tuberculosis patients.

Objectives: To explore the Therapeutic benefits of Yoga on Anxiety and Depression in Pulmonary Tuberculosis (PTB) Patients

Methodology: A thorough literature search was conducted using various electronic databases, including PubMed, Google Scholar, and PsycINFO. Keywords such as “yoga,” “Tuberculosis,” “Pulmonary Tuberculosis,” Depression, “anxiety,” “mental health,” “psychological aspects,” “TB,” “quality of life,” and “stress reduction” were used in different combinations to identify relevant studies. The inclusion criteria consisted of research papers, randomized controlled trials, observational studies, and systematic reviews, full-length free articles with robust methodology in the English language were included. The search was limited to studies conducted up until the date of the literature review (June 2023), editor letter, articles with weak methodology and content, Case Reports and case series, and irrelevant topic of our interest as shown in the figure 1.1. (see in last)

Results: The initial search yielded a substantial number of articles related to the role of yoga in TB patients. As per the electronic search engine we got 1371 research evidences with different field tags nearly 1326 articles were excluded for not meeting the inclusion criteria along with 39 full text articles were excluded. After applying the inclusion criteria, a total of 7 studies were included in this narrative review shown in Table 1.

Table 1 (see in last)

Discussion: The reviewed studies demonstrated that yoga interventions in tuberculosis patients were associated with reduced stress levels and improved coping mechanisms. Additionally, yoga practices were shown to have a positive impact on mental health outcomes, including reductions in symptoms of anxiety and depression. Moreover, yoga was found to enhance the overall quality of life of TB patients by promoting relaxation and providing a sense of control over their health.

The study conducted by Bereket Duko et al., (2015) of 417 TB patients, who had regular follow up at Wolaita Sodo University Hospital and Sodo Health Center, Wolaita Sodo, South Ethiopia, were recruited to assess depression and

anxiety and its associated correlates. The study reveals that 181 patients had depression and 173 patients were having anxiety so recommends that high time to train the healthcare workers and develop new guidelines to treat the anxiety and depression in the patients with pulmonary tuberculosis.

A comparative study by G. Naveen et al., (2013) explains the positive therapeutic and neurotropic effect of yoga in depression condition. A total of 137 patients, there were three naturalistic groups of patients: Medication-alone ($n=78$); yoga therapy-alone ($n=23$) and medications + yoga therapy ($n=36$). The duration of the follow up was 12 weeks. The study summarizes that yoga alone produced substantial antidepressant effects that correlated with the elevation serum brain-derived neurotrophic factor levels. The study conducted by Argiro Pachi et al., (2013) summarizes that integrates information about how psychosocial factors complicate adherence to drug regimens and emphasizes the importance of mental health needs to ensure positive treatment outcomes. Studies also report high rates of depression and anxiety among tuberculosis patients most due to social stigma, inadequate social support, and the physiologic impact of chronic disease. The survey conducted by A. C. Sweetland et al., (2019) on Cross-sectional semi-structured interviews with 26 countries National Tuberculosis Program (NTP) Directors at global meet felt that integrating management of TB and mental disorders into the policies and guidelines of NTPs worldwide.

Samal J et al., (2015); Alena KA., (2018); Chandra M et al., (2019) studies said that Psychological issues in Tuberculosis such as depression, anxiety, psychosis, and delirium due to social stigma, isolation, inadequate social support, helplessness, and other psychological reactions to the disclosure of the diagnosis as well as medication side-effects makes mentally stressed. Ramkumar S et al., (2017); Dhingra VK et al., (2005); Dar SA et al., (2019), concludes that the quality of life (QOL) in pulmonary tuberculosis patients is very poor as compared to normal healthy people because of varied reasons such as economical, physical, psychological and different environmental conditions.

The Potential Benefit of Yoga and Psychological Aspects in PTB Patients: Several studies and reviews have explored the potential benefits of yoga on mental health conditions like anxiety and depression. While more research is needed, the existing evidence suggests that yoga may have a positive impact on these conditions. Some ways in which yoga might help include:

Yoga and Stress Reduction: TB patients often experience elevated stress levels due to the uncertainty of the disease, prolonged treatment, and potential social isolation (Alene et al., 2018). Yoga practices, such as asanas (postures), pranayama (breath control), and meditation, have been shown to reduce stress and promote relaxation, positively

impacting the mental state of TB patients(Sengupta, 2012). The practice of various yoga techniques, including breathing exercises, asanas, meditation, and relaxation exercises, may help alleviate the psychological distress

Anxiety and Depression Management in TB:

Tuberculosis is a serious infectious disease that can lead to physical and psychological challenges for patients. The experience of dealing with a chronic illness like TB can be emotionally distressing, and patients may face symptoms of anxiety and depression. These symptoms can further impact the overall health and quality of life of TB patients(Sartika et al., 2019; Sweetland et al., 2019). Yoga has been reported to be beneficial in reducing anxiety and depression symptoms in various populations(Lai et al., 2020). Incorporating yoga into the treatment regimen of TB patients may aid in alleviating mood-related challenges and enhancing emotional well-being. (Jasti et al., 2020). Sleep disturbances are common in patients with TB and can worsen anxiety and depression(Wang et al., 2018). Yoga has been shown to improve sleep quality in various populations, which might be beneficial for TB patients(Deshpande, 2018).

Quality of Life Improvement: The impact of tuberculosis on a patient's quality of life extends beyond physical symptoms. Mental and emotional well-being play a crucial role in the overall perception of one's quality of life(Lai et al., 2020; Visca et al., n.d.). Yoga may indirectly contribute to an improved quality of life in TB patients by addressing mental health concerns as mentioned earlier. It is important to note that while yoga may have potential benefits, it should not be considered a replacement for standard medical treatment for tuberculosis. Yoga's holistic approach to well-being can lead to an improved overall quality of life for TB patients. By addressing both physical and psychological aspects, yoga may enhance treatment adherence and outcomes(Lai et al., 2020). Group yoga sessions can create a supportive environment, allowing TB patients to connect with others who may share similar experiences. This sense of community can help combat the social isolation and stigma often faced by TB patients(Lara-Espinosa & Hernández-Pando, 2021; Roba et al., 2018).

Limitations: The research on the specific effects of yoga on tuberculosis patients, particularly regarding anxiety, depression, and quality of life, may have some limitations. Studies might vary in terms of sample size, yoga intervention duration and intensity, and outcome measures. The research methodology is too subjective, not follow the PRISMA guidelines. Additionally, the cultural context and individual differences of the participants can influence the results.

Conclusion: Yoga holds promise as a supportive therapy for pulmonary tuberculosis patients, especially when it comes to addressing mental health aspects like anxiety, and depression. There is a need for evidence-based Randomized Control Trails in the field of Yoga, Pulmonary

Tuberculosis addressing the mental health aspects. However, more rigorous research and clinical trials are needed to establish a definitive link between yoga and its effects on TB patients' mental health outcomes.

Authors Declaration: None to declare

Funding Received: None

References:-

1. Alene, K. A., Clements, A. C. A., McBryde, E. S., Jaramillo, E., Lönnroth, K., Shaweno, D., Gulliver, A., & Viney, K. (2018). Mental health disorders, social stressors, and health-related quality of life in patients with multidrug-resistant tuberculosis: A systematic review and meta-analysis. In *Journal of Infection* (Vol. 77, Issue 5, pp. 357–367). W.B. Saunders Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2018.07.007>
2. Deshpande, A. (2018). Yoga for palliative care. *Integrative Medicine Research*, 7(3), 211. <https://doi.org/10.1016/J.IMR.2018.04.001>
3. Dos Santos, A. P. C., Lazzari, T. K., & Silva, D. R. (2017). Health-Related Quality of Life, Depression and Anxiety in Hospitalized Patients with Tuberculosis. *Tuberculosis and Respiratory Diseases*, 80(1), 69–76. <https://doi.org/10.4046/TRD.2017.80.1.69>
4. Duko, B., Gebeyehu, A., & Ayano, G. (2015). Prevalence and correlates of depression and anxiety among patients with tuberculosis at Wolaita Sodo University Hospital and Sodo Health Center, Wolaita Sodo, South Ethiopia, Cross sectional study. *BMC Psychiatry*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/S12888-015-0598-3>
5. *Effect of Integrated Yoga as a complementary Therapy in Pulmonary Tuberculosis patients on Sputum and Pulmonary Function Tests.* (n.d.).
6. *Global Pandemic | TB Alliance.* (2019). <https://www.tballiance.org/why-new-tb-drugs/global-pandemic>
7. Hofmann, S. G., Andreoli, G., Carpenter, J. K., & Curtiss, J. (2019). Depression and Anxiety Disorders: Benefits of Exercise, Yoga, and Meditation. *American Family Physician*, 99(10), 620–627. <https://doi.org/10.1111/JEBM.12204>
8. Jasti, N., Bhargav, H., George, S., Varambally, S., & Gangadhar, B. N. (2020). Tele-yoga for stress management: Need of the hour during the COVID-19 pandemic and beyond? *Asian Journal of Psychiatry*, 54, 102334. <https://doi.org/10.1016/J.AJP.2020.102334>
9. Lai, K. S. P., Watt, C., Ionson, E., Baruss, I., Forchuk, C., Sukhera, J., Burhan, A. M., & Vasudev, A. (2020). Breath Regulation and yogic Exercise An online Therapy for calm and Happiness (BREATH) for frontline hospital and long-term care home staff managing the COVID-19 pandemic: A structured summary of a study protocol for a feasibility study for a randomised controlled trial. *Trials*, 21(1), 648. <https://doi.org/10.1186/S13063-020-04583-W>

10. Lara-Espinosa, J. V., & Hernández-Pando, R. (2021). Psychiatric Problems in Pulmonary Tuberculosis: Depression and Anxiety. *Journal of Tuberculosis Research*, 09(01), 31–50. <https://doi.org/10.4236/jtr.2021.91003>
11. Li, Z., Liu, S., Wang, L., & Smith, L. (2019). Mind-Body Exercise for Anxiety and Depression in COPD Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/IJERPH17010022>
12. Naveen, G. H., Thirthalli, J., Rao, M. G., Varambally, S., Christopher, R., & Gangadhar, B. N. (2013). Positive therapeutic and neurotropic effects of yoga in depression: A comparative study. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(7), S400. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.116313>
13. Pachi, A., Bratis, D., Moussas, G., & Tselebis, A. (2013). Psychiatric Morbidity and Other Factors Affecting Treatment Adherence in Pulmonary Tuberculosis Patients. *Tuberculosis Research and Treatment*, 2013, 37. <https://doi.org/10.1155/2013/489865>
14. Roba, A. A., Dasa, T. T., Weldegebreel, F., Asfaw, A., Mitiku, H., Teklemariam, Z., Naganuri, M., Gedduogol, B. J., Mesfin, F., Befikadu, H., & Tesfaye, E. (2018). Tuberculosis patients are physically challenged and socially isolated: A mixed methods case-control study of Health Related Quality of Life in Eastern Ethiopia. *PloS One*, 13(10). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0204697>
15. Sangeethalaxmi, M. J., & Hankey, A. (2022). Impact of yoga breathing and relaxation as an add-on therapy on quality of life, anxiety, depression and pulmonary function in young adults with bronchial asthma: A randomized controlled trial. *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*. <https://doi.org/10.1016/J.JAIM.2022.100546>
16. Sartika, I., Insani, W., & Abdulah, R. (2019). Assessment of Health-Related Quality of Life among Tuberculosis Patients in a Public Primary Care Facility in Indonesia. *Journal of Global Infectious Diseases*, 11(3), 102–106. https://doi.org/10.4103/JGID.JGID_136_18
17. Sengupta, P. (2012). Health Impacts of Yoga and Pranayama: A State-of-the-Art Review. *International Journal of Preventive Medicine*, 3(7), 444. <https://doi.org/10.13016/lxqd-lc0o>
18. Sweetland, A. C., Galea, J., Shin, S. S., Driver, C., Dlodlo, R. A., Karpati, A., & Wainberg, M. L. (2019). Integrating tuberculosis and mental health services: Global receptivity of national tuberculosis program directors. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 23(5), 600–605. <https://doi.org/10.5588/ijtld.18.0530>
19. Trkulja, V., & Bariæ, H. (2020). Current Research on Complementary and Alternative Medicine (CAM) in the Treatment of Anxiety Disorders: An Evidence-Based Review. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, 1191, 415–449. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9705-0_22
20. Visca, D., Tiberi, S., Pontali, E., Spanevello, A., & Migliori, G. B. (n.d.). *Tuberculosis in the time of COVID-19: quality of life and digital innovation*. <https://doi.org/10.1183/13993003.01998-2020>
21. Wang, X. B., Li, X. L., Zhang, Q., Zhang, J., Chen, H. Y., Xu, W. Y., Fu, Y. H., Wang, Q. Y., Kang, J., & Hou, G. (2018). A survey of anxiety and depressive symptoms in pulmonary tuberculosis patients with and without tracheobronchial tuberculosis. *Frontiers in Psychiatry*, 9(JUL), 308. <https://doi.org/10.3389/FPSYT.2018.00308/BIBTEX>
22. WHO | Global tuberculosis report 2019. (2020). In *World Health Organization*. World Health Organization. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.1.78>
23. Zope, S. A., Zope, R. A., Biri, G. A., & Zope, C. S. (2021). Sudarshan Kriya Yoga: A Breath of Hope during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Yoga*, 14(1), 18. https://doi.org/10.4103/IJOY.IJOY_102_20
24. Zou, L., Sasaki, J. E., Wei, G. X., Huang, T., Yeung, A. S., Neto, O. B., Chen, K. W., & Hui, S. S. C. (2018). Effects of Mind-Body Exercises (Tai Chi/Yoga) on Heart Rate Variability Parameters and Perceived Stress: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Clinical Medicine*, 7(11). <https://doi.org/10.3390/JCM7110404>

Appendix

Table 1: Final articles tabulated after screening inclusion and exclusion criteria

S.	Author& Year	Type of study Design	Parameters of Analysis	Conclusion
1	Duko et al., 2015	Cross sectional study	Depression and Anxiety	High time to develop guidelines to treat for anxiety & Depression in TB patients.
2	Li et al., 2019	Systematic Review	Anxiety & depression & Meta -Analysis	Mind-body exercise could reduce levels of anxiety and depression in those with COPD. More robust RCT are required on this topic
3	Pachi et al., 2013	Review	Psychiatric comorbidity	High rates of depression & anxiety among TB patients most likely related to social stigma, poor social support, and the physiologic impact of chronic disease.
4	Sweetland et al., 2019	Semi-structured Survey	Cross-sectional semi-structured interviews with National TB Program (NTP) Directors.	Integrate the management of TB and mental disorders into the policies and guidelines of NTPs worldwide.
5	Hofmann et al., 2019	Review & Meta–Analysis	Depression and Anxiety disorders	Yoga as monotherapy or adjunctive therapy shows positive effects, particularly for depression, it facilitates treatment of anxiety disorders, particularly panic disorder.
6	Sangeethalaxmi & Hankey, 2022	Randomized Control Trial	Beck's Depression Inventory, Hamilton Anxiety Rating Scale, QOL questionnaire & Pulmonary Function Tests.	Yoga module effectively improves quality of life, levels of anxiety, depression & pulmonary function in young adults with the bronchial asthma.
7	Naveen et al., 2013	Comparative study	Hamilton Depression Rating Scale(HDRS)	There was a significant positive correlation between fall in HDRS scores and rise in serum brain-derived neurotrophic factor levels in yoga group.

A Study of Gender Equality within Police Services in Ghaziabad District

Pooja Seth* Archana Singh**

*MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

**MMH College, Ghaziabad (U.P.) INDIA

Abstract - Gender equality, a fundamental human right, ensures that all individuals, regardless of their gender, can live a life of dignity and grace. It serves as a prerequisite for comprehensive development. Unfortunately, gender inequality persists in numerous societies, impeding social, economic, and political progress. True gender equality can be attained when men and women enjoy the same entitlements and responsibilities across all aspects of life. This encompasses equal rights and privileges in social, political, and economic spheres. Recognizing its significance, the United Nations has designated gender equality as Sustainable Development Goal 5 under the Millennium sustainable goals.

Understanding the importance of gender equality, present study was conducted to evaluate its status within the police services of Ghaziabad district in Uttar Pradesh, India. The study involved the administration of a questionnaire to 135 women police personnel. The findings revealed that 73% of the women experienced gender discrimination in the workplace, particularly concerning job assignments and treatment by their colleagues. Additionally, 65% of the participants believed that gender inequality hindered their career advancement. The study also noted that gender inequality significantly influenced women's work engagement, as they often bear additional family responsibilities due to societal expectations. Furthermore, the absence of workplace facilities such as on-site childcare further compounds the issue. Remarkably, women police personnel constituted only 10% of the total police force in Ghaziabad district.

To achieve gender equality, it is imperative to ensure equal access to education and career opportunities, addressing the prevailing power imbalances. This equality serves as a crucial aspect for the holistic development of society, and concerted efforts must be made to rectify existing imbalances.

Introduction - Gender equality encompasses equal opportunities, entitlements, and participation in decision-making for all individuals, regardless of their gender (Devi, 2017). It is a fundamental human right and a prerequisite for a dignified society and the progress of any nation. Gender equality emphasizes a state of equilibrium among various genders, including male, female, transgender, and third gender individuals. Unfortunately, gender inequality continues to persist in numerous regions, impeding social, political, and economic development. Recognizing its significance, the United Nations has incorporated gender equality as part of its Sustainable Development Goal No. 5 within Agenda 17 of the Millennium Goals. The target set for achieving this goal was by 2030; however, considering the current circumstances, it appears challenging to attain within the given timeframe. Gender equality encompasses various dimensions and factors that contribute to its achievement. Some of these factors include:

Work-life balance and organizational culture: This refers to maintaining a harmonious equilibrium between personal and professional life, which can be influenced by factors

such as work timings, the number of hours dedicated to the job, availability of essential infrastructure, and aligning job nature with fair remuneration (Sharma and Verma, 2022).

Gender balance in leadership and decision-making: Despite 76 years of independence, women still face limited opportunities for participation in decision-making processes, both at the family level and within the highest echelons of government. The pending 108th constitutional amendment bill of 2008, aiming to reserve 33% of seats for women in the Lok Sabha, is an example of this. Additionally, although seats have been reserved for women in the Panchayati Raj system, actual representation and participation remain below expectations, often due to a lack of educational and political awareness.

Gender equality in recruitment and career progression: This highlights the importance of eliminating gender-based stereotypes and biases in recruitment practices, as well as ensuring equal opportunities for career advancement. Gender bias can impact the roles assigned to candidates, salary differentials, and promotion prospects.

Considering these factors, the objective of this paper is to examine gender equality within the police services. As the police service symbolizes power and strength in society, it plays a crucial role in promoting peace, order, and establishing a just environment. Therefore, analyzing become biases within the police services becomes a significant area of focus in assessing fairness and equality.

Material and Methods

Target area: District Ghaziabad of the State of Uttar Pradesh was selected as a target area for the present study. The area of Ghaziabad is 1034 square kilometre and population according to 2011 census, is 468165. Ghaziabad is a part of National Capital Region and have properties of both urban and rural culture as some of its parts have metro connectivity, high rise buildings with hi-tech amenities, while at the same time some parts of the district still have that typical rural characteristic with cultural transformation. The combination of urban and rural features played a key role for its selection as target area.

Methodology: For conducting the research, both primary and secondary sources of data have been used. For primary data, a structured questionnaire method was used. The questionnaire used to interview, targeted to find out whether women experience gender discrimination at workplace and does the nature of job assigned to them depends on the gender. Further whether gender-biased job assignment influencing their career growth and whether they are treated differently because of gender? A total of 135 women police personnel were interviewed in-person for the findings of research. Further, for the secondary data, the official website of Uttar Pradesh Police Department was used.

Results and Discussion

To assess the gender equality within police services, the sample group of 135 women police personnel interviewed reflected their point of views regarding certain aspects of gender equality according to following questions.

Interview question-1: How strong do you agree or disagree to the following statement- I have experienced gender discrimination at the workplace?

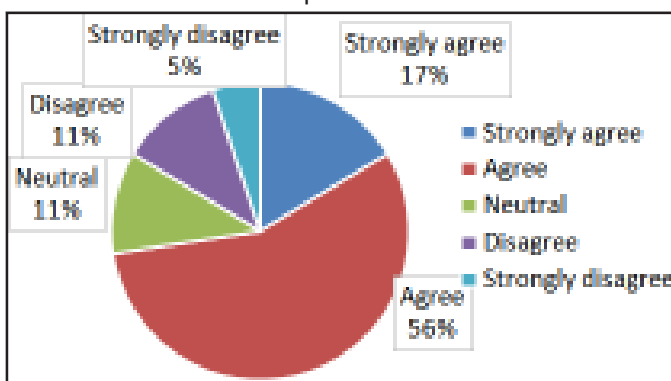


Diagram-1: Overview of responses to interview question-1

Alarming, with around 17% of the respondents strongly

agreeing to the statement, another 56% agreed that they have experienced gender discrimination at their workplace. An exceedingly small percentage (16%) of respondents disagreed including strong agreement to the statement. Another 11% respondents remained neutral for this. Overall, this indicated that majority of respondents (73%) face gender discrimination at their workplace. A study by Barger (2021) on Gender inequality in the workplace reported similar outcome. It was found that 53% of the total 235 respondents agreed that there are gender biases at their workplace.

Interview question-2: How strong do you agree or disagree to the following statement- My senior considers gender in delegating job assignment?

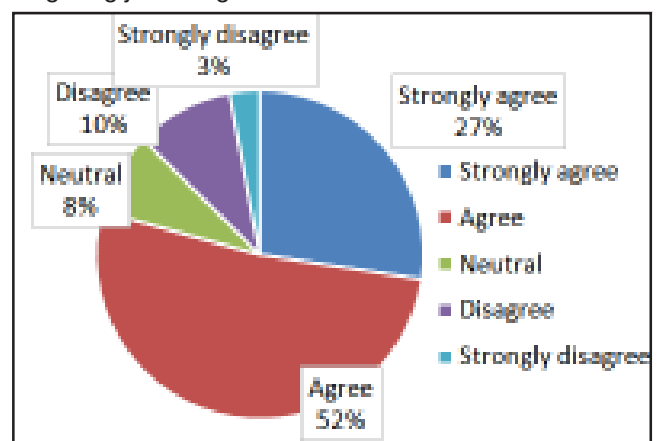


Diagram-2: Overview of responses to interview question-2

79% of the respondents either somewhat or highly agreed that gender is being considered while delegating them a job assignment. Surprisingly only 13% disagreed to this statement. The workplace discrimination negatively affects women's career growth and fair remuneration, and this further explains the dearth of women in leadership roles (Barger, 2021; Cailin and Leanne, 2015).

Interview question-3: How strong do you agree or disagree to the following statement- I am assigned cases mostly related to women and children?

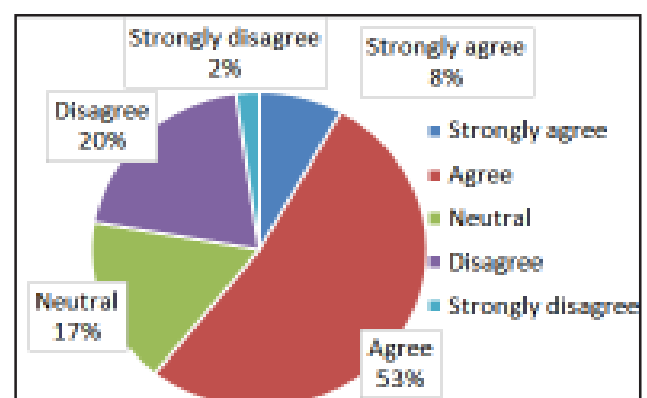


Diagram-3: Overview of responses to interview question-3

The responses to this statement too reflected gender discrimination at the level of delegating job assignment as 61% respondents either somewhat or highly agreed they are assigned cases mostly related to women and children. On the contrary, only 22% respondents disagreed to this statement while 17% of them were not sure on this and preferred to stay neutral.

Interview question-4: How strong do you agree or disagree to the following statement- My gender influences my career progression?

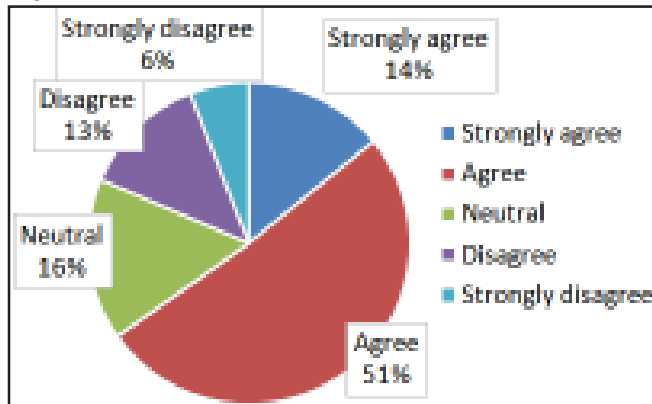


Diagram-4: Overview of responses to interview question-4

Career progression is influenced because of gender discrimination in job assignments (Moorthy *et al.*, 2022). The same was reflected in this survey question where 65% of the respondents agreed either strongly or somewhat that their gender is influencing their career progression.

Interview question-5: How strong do you agree or disagree to the following statement- My peers treat me differently because of my gender?

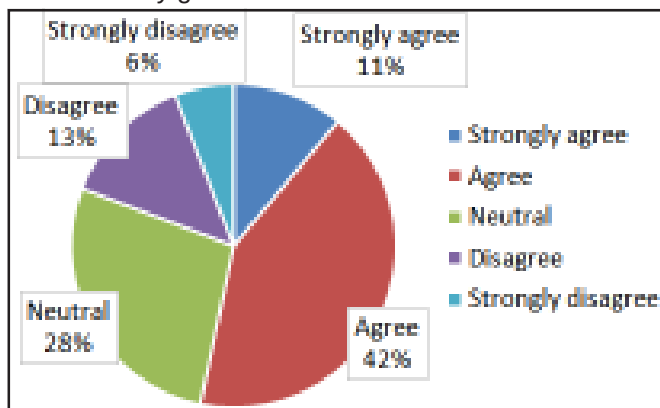


Diagram-5: Overview of responses to interview question-5

Further it was observed that 53% of the respondents felt that they are being treated differently by their peers because of their gender. While only 19% of the respondents somewhat or strongly disagreed with this, 28% were on the neutral side. Channare *et al.* (2011) while studying Gender Discrimination in employees of public and private health and education departments, found similar outcomes. This

shows that gender discrimination is observed in different workplaces and the Police department is no different in this perspective.

Conclusion : Gender inequality is observed in terms of total police personnel's gender representations as women police personnel constitute only 10.5% of the police force across India, as per recent data by Bureau of Police Research and Development. Within the police services gender discrimination is observed at various levels. Starting from overall representation of women in the workforce to presence in the leadership roles. The present study highlights that gender discrimination is evident in the police workforce as majority of respondents reported gender discrimination in terms of treatment, specific job assignments and career progression. Gender equality is a key factor and measures should be taken to neutralize imbalances for overall development of the society. Gender equality in police services is of paramount importance for several reasons. Having a gender-balanced police force guarantees a variety of views, experiences, and problem-solving approaches. Men and women often bring distinct abilities and insights to the desk, which can cause more powerful and comprehensive techniques for law enforcement. Gender-identical police force can help reduce biases and discrimination within the criminal justice device. Women officials can bring attention to problems which can disproportionately influence women, consisting of domestic violence, sexual attack, and human trafficking. They can also make contributions to greater empathetic and respectful interactions with inclined populations for that reason combatting gender-primarily based violence. As women might feel comfortable discussing sensitive or personal issues with women officials, along with cases regarding sexual attack or harassment. This can lead to higher communication and cooperation between law enforcement and sufferers, doubtlessly leading to greater successful results in investigations. Further, female police can serve as function models for younger girls and women within the network, inspiring them to consider careers in law enforcement and breaking down gender stereotypes about what professions are appropriate for women.

Historically, police tradition has been dominated by males, resulting in certain behavioral patterns that might not be conducive to constructing trust with the community. Increased gender equality can help to transform and challenge these negative aspects of police culture, leading to positive changes in the organization. Equal profession opportunities for women and men need to be promoted. Fair recruitment, training, and promotion practices must be advocated ensuring that each gender has an equal chance to enhance their careers and take on management roles. Promoting gender equality in police services is not only a matter of human rights but also a strategic move to build more potent, greater effective, and community-oriented law enforcement department. By embracing gender diversity,

police forces can better serve and guard all contributors of society, fostering a more secure and greater inclusive environment for every person.

References:-

1. Barger K. (2021). Gender Inequality in the Workplace. Finance Undergraduate Honors Theses Retrieved from <https://scholarworks.uark.edu/finnuht/59>.
2. Cailin S.S., Leanne S.S.H. (2015). Gender inequalities in the workplace: the effects of organizational structures, processes, practices, and decision makers' sexism. *Frontiers in Psychology*, 6: 1400.
3. Channar Z.A., Abbassi Z., Ujan I.A. (2011). Gender discrimination in workforce and its impact on the employees. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)*, 5 (1): 177-191.
4. Devi T.R. (2017). Gender equality: women empowerment. *Global Journal for Research Analysis*, 6(9): 141-143.
5. Moorthy K., Salleh N.M.Z., Ting L.C., Ling L.P., Min Y.D., Jia N.L., Jer S.L., Pui M.L. (2022). Gender Inequality Affecting Women's Career Progression in Malaysia. *Journal of International Women's Studies*, 23(1): 310-332.
6. Sharma M., Verma P. (2022). A Study of Organizational Culture & Work-Life Balance on Employee Branding: with reference of Higher Education in India. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2): 5037-5043.

Traditional use and sustainable collection of Ethnobotanicals by the tribal community of 'Nimar region of Madhya Pradesh'

Vineeta Dawar* Dr.Pramod Pandit** Dr. Rajiv Dixit***

*Research Scholar, Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA
** HOD, Chemistry, Govt. P.G. College Barwani (M.P.) INDIA
*** Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - The ethnobotanical uses of trees, herbs, and shrubs that are rarely known or unheard of in contemporary communities were the main focus of the study. In the current study, an effort was undertaken to gather data about those who still live in the traditional world through questionnaires and interviews. The people of Nimari use a total of 50 plant species from 30 families for the handling of numerous diseases. These species have been studied or are known to be used in various ways. The most significant tree species that locals gather from local forests and rural regions include Jangli Bhindi, Ram Bhindi, Keekar, Bhuitar, Osari, and Kala Dhavada, among others.

Similarly, herbs are collected, Cheilanthes argentea adiantaceae, Chlorophytum tuberosum Liliaceae, Cuscutareflexa Cuscutaceae, Cynodon Dactylonpoaceae, Desmodium gangeticum Fabaceae, Echinops echinatus Asteraceae, Oxalis corniculata, Gymnema sylvestre Asclepiadaceae, Uginia indica Liliaceae, Vitex negundo Linn Verbena, Tinospora cordifolia menispermacei etc.

The listed botanicals are used in a wide range of applications, including handloom preparation, religious use, furniture, and fruit and vegetable products. Beyond its worth for consumption, the forest provides food for this unrecognised and underprivileged society around the world. The current investigation has confirmed the urgent necessity for traditional plant usage knowledge related with tribe and other inalienable cultural property to be documented. Additionally, it can give an overview of baseline ethnobotanical use patterns, which can be used to prioritise and conserve these natural resources as well as bioprospecting indigenous traditional knowledge.

Keywords: Tribal, forest, sustainable, ethnography, Nimar region.

Introduction - Traditional remedies are widely used in India. Therapeutic value exists for herbal medications. a traditional medical method used in India that draws from Ayurveda, Homoeopathy, and Unani. The initial assessment of herbal remedies is based on pharmacological and phytochemical methods. A list of medicinal plants used worldwide has been compiled by WHO.

Field-level investigation, information synthesis, and data gathering on tribal-forest relationships are highly necessary. Given this context, it was deemed necessary to gather in-depth data on tree species used by tribal communities in the Nimar region of Madhya Pradesh and to document any knowledge that might be in danger from the effects of modernization.

"Medicinal plants are a boon for disease. Nature has provided a rich botanical wealth with diverse plantations in different parts of India. Medicinal plants are useful for human diseases because of the presence of bioactive constituents or phytochemicals which are secondary metabolites like

alkaloids, saponins, glycosides, lactones, steroids etc". Due to the rapid expansion of side effects of allopathic medicines, herbal medicines are becoming popular. Day-to-day herbal medicines with therapeutic properties are safe, cheap and easily available. The Nimari people and tribes use a variety of typical medicinal plants found in the Madhya Pradesh region of Nimar as treatments for illnesses. Southwest India's Madhya Pradesh state includes the region of Nimar. Information about 50 medicinal plants from the Nimar region is included in the current paper.

Objective of the study: The purpose of this study is to emphasise and document the traditional knowledge held by tribal communities on the utilisation of various tree species found in the Madhya Pradesh region of Nimar.

Area of the Study: The western region of Madhya Pradesh "Nimar" is divided into two parts-Eastern and Western Nimar. The dialect here is called Nimari. There are cities like Khargone, Gogaon, Maheshwar, Sendhwa, Bhikangaon in West Nimar. There are cities like Khandwa, Harsud,

Punasa in East Nimar. Its geographical boundaries are Vindhya mountain on one side of Nimar and Satpura on the other side, while Narmada river is in the middle.

Figure 1: Study area and location of Nimar region of Madhya Pradesh.



Source- www.mapofindia.com

Nimar has had a warm climate for thousands of years. The cultural history of Nimar is very rich and glorious. Vindhya and Satpura are very ancient mountains. Even today tribal groups reside in the forest regions of Vindhya and Satpura. The destruction of the primitive forest dwellers on the banks of the Narmada is described in the Puranas. Prominent among them are Gond, Baiga, Korku, Bhil, Shabar etc. The West Nimar region is situated in the southern part of the Narmada River. Surrounded by Vindhya and Satpura mountain ranges, this region is in the natural route going from north to south in India.

The Nimari people and tribes in the Nimari region of Madhya Pradesh employ medicinal herbs to treat a variety of illnesses as well as wounds. Tropical dry deciduous woodland is what describes the Nimar region. Wheat, cotton, soybeans, chilli, and other prickly trees make up the majority of the vegetation.

The four most prevalent tribes are Korku, Banjara, Bhil, and Bhilala. Tribal groups rely on the local flora for their survival. The vegetation of the Nimar region is extremely diverse.

Survey Methods: A questionnaire survey was conducted among randomly selected tribal habitations and households of different communities in selected villages of Nimar region of Madhya Pradesh. An important part of the questionnaire was discussed with the villagers in the age group of 60 to 70 years as they have a lot of experience regarding the use of forest products. Women mainly provided information regarding wild vegetables.

Through questionnaire surveys and interviews, data about the native uses of tree species, their processing methods, consumption habits, and use of plant parts as well as their presence in Madhya Pradesh's Nimar region were gathered. The impact of forest products on the economies of both tribal and non-tribal groups residing in and around the biosphere was also a topic of discussion.

Locals were urged to share their opinions and perceptions on the numerous applications of herbs, shrubs, and tree species in addition to responding to the questionnaire survey. Participating in numerous local tribal peoples' cultural events allowed researchers to learn more about ethnobotanics. An effort was made to look at the types of trees utilised in the locals' numerous socio-cultural rituals, such as marriage, death, and birth. Through group talks, the cultural customs and practises surrounding the collecting of various forest products and tree species' components were also recorded. During the forest survey, skilled locals were also asked to maintain the identification of tree species and associated indigenous knowledge.

Results and Discussion:

Table 1 (see in last)

Figure 2: Some threatened plants of Nimar region



Diagram 1- *Stereospermum chelonoides* (L.F.) DC

Diagram 2- *Geodorum densiflorum* (Lam.) Schl.

Diagram 3- *Lagenaria leucantha* (Duch) Rusby

Diagram 4- *Flemingia nana* Roxb.

Diagram 5- *Zeuxine strateumatica* (L.) Schl.

Diagram 6- *Habenaria fercifera* Lind.

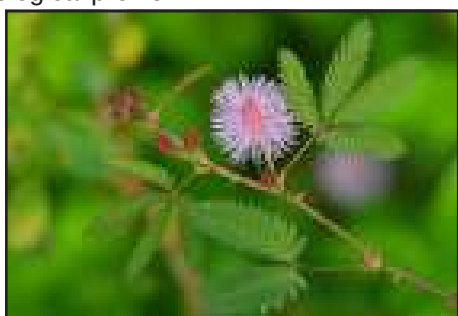
The study found that the Nimari people treat a variety of illnesses with 50 plant species from 30 families.

The current investigation revealed that whereas modern society has very little to no understanding of many traditional uses of the forest, these applications are well known to indigenous populations. The inhabitants of Madhya Pradesh's Nimar region also employ a variety of plants.

Some of the medicinal plants of medicinal interests

are investigated in Nimar region, which are always in the keen interests of researchers : i e; *Mimosa pudica* L. (Mimosaceae), *Curcuma amada*, *Lantana camara*, *Albizia lebbek*.

Mimosa pudica L. (Mimosaceae) also referred to as touch me not, live and die, shame plant and humble plant is a prostrate or semi-erect subshrub of tropical America and Australia, also found in India heavily armed with recurved thorns and having sensitive soft grey green leaflets that fold and droop at night or when touched and cooled. These unique bending movements have earned it a status of 'curiosity plant' in nimad region in Madhya Pradesh of India. It appears to be a promising herbal candidate to undergo further exploration as evident from its pharmacological profile.



Mimosa pudica

Curcuma amada is one of the important species of *Curcuma* family having medicinal and biological properties. The aim of the present paper assesses the phytochemicals, volatile compounds, antimicrobial and other biological activities, along with recent trends in research of *C. amada*. Volatile oils extracted from rhizomes of *C. amada* are rich in phytoconstituents. The major constituents found in its rhizomes are curcuminoids (curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin), phenolic compounds (caffeic acid, gentisic acid, ferulic acid, gallic acid cinnamic acid), terpenoids (difurocumenol, amadannulen, amadaldehyde) and essential oil (α -myrcene and α -asarone).



Curcuma amada

Lantana camara is reported to be used in traditional medicine system for the treatment of itches, cuts, ulcers, swellings, bilious fever, cataract, eczema and rheumatism. Different parts of the plants are used in the treatment of cold, headache, chicken pox, eye injuries, whooping cough,

asthma, bronchitis and arterial hypertension. *Lantana camara* has scientifically studied for various therapeutical activities like antioxidant, antibacterial, antipyretic, larvicidal, insecticidal, antimicrobial, wound healing and anti-hyperglycemic. The present review is an effort to give a detailed survey of the literature on its, phytochemistry, traditional uses and therapeutical studies.



Lantana camara

Albizia lebbek is a deciduous tree having tremendous medicinal utilities, for example, respiratory, skin, gastrointestinal, oral disorders, eye, urinary, genital, anorectal, inflammatory, and neurological disorders, and venereal diseases, *A. lebbek* remains a rich source of phytochemicals with various biological activities which possess outstanding therapeutic benefits to humanity in tribal Nimad region of Madhya Pradesh of India



Albizia lebbek

These herbs are widely used, easily accessible, and inexpensive. His system of management is quite straightforward. According to the report, tribal people rely on medicinal plants for both their daily needs and the treatment of a variety of illnesses, including diarrhoea, dysentery, asthma, TB, jaundice, rheumatism, tonic, dull memory, etc. These plants' therapeutic effect is due to the presence of secondary metabolites such as alkaloids, steroids, saponins, and others in them.

Table 2: Variety of Uses of Flora

Variety of Uses of Flora	%
Food	38.1
Medicinal	54.1
Traditional follows	6.9
Fuel timber	5.5
House creation	6.9

Making agriculture tools	4.1
Fixtures	3.5
Fodder	8.3
Fish toxic	1.3
Oil making	3.4
Rope and Fiber	2.08
Cup and plate	2.08
Bio-Fencing	0.69

Source- personal survey analysis

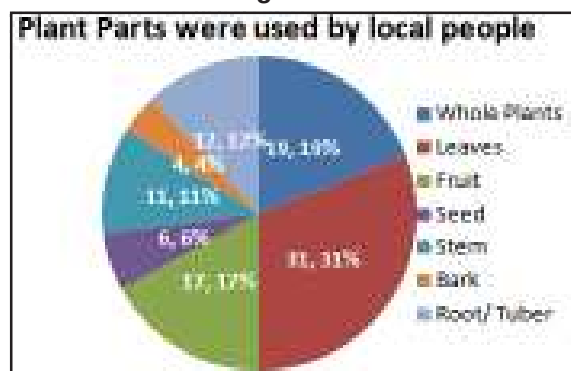
According to the reports, the shrubs can be used to prepare fruits, vegetables, and handlooms. The majority of species are consumed (38%) and used medicinally (54%). In addition, plant species are used for cultural practises (6.9%), fuel wood (5.5%), building houses (6.9%), making furniture (3.5%), tools and equipment for agriculture (4.1%), fish poison (1.3%), fodder (8.3%), making oil (3.4%), preparing spirits, making rope and fibre, making cups and plates, and bio-fencing. As well as being used, plants' seeds, dye, leaves, tubers, mushrooms, gum, resin, roots, fruits, and flowers, as well as twigs, are gathered from the forests.

Table 3 : Plant Parts were used by local people

Plant Parts were used by local people	%
Whole Plants	19
Leaves	31
Fruit	17
Seed	6
Stem	11
Bark	4
Root/ Tuber	12

Source- personal survey analysis

Figure 3



The informants confirmed that diverse morphological plant sections were used by local people (Figure 3), and of the 13 uses of ethnobotanical plants that were identified during the current study (Figure 2), the local people had several uses for them.

Conclusion: The products (forest) used or sold by these communities have similar uses elsewhere in the world, but some of them are unique to these communities due to their indigenous knowledge, religious practises, and use of plants for food, medicine, and other traditional purposes. Additionally, it was discovered throughout the survey that

the most adolescent tribal community in Madhya Pradesh's Nimar region, the Bhil, Bhilala, is quite knowledgeable about the usage of forest goods.

Traditional knowledge, religious applications, and cultural associations with the natural resources among these groups act as motivators for conservation. "The uses of ethnobotanicals, which are rarely known and unexplored in modern society, are quite well known to the indigenous communities". As a result, there is a critical need for these floras to be documented and conserved since they can provide food, medicine, and sustained revenue during a time of scarcity.

References:-

1. Srivastav S, Singh P, Mishra G, Jha KK, Khosa RL, Achyranthes aspera –An important medicinal plant :A review .j. Nat. Prod. Plant Resource, 2011 ;1(1):1-14.
2. Jain A.K., Vairale G.M. and Singh R., Folklore claims on some medicinal plant used by Bheel tribal of Guna district Madhya Pradesh, Indian J. Traditional knowledge, 2010;9(1):105-107
3. Balemie, K. and Kebebew, F. 2006. Ethnobotanical study of wild edible plants in Derashe and Kucha Districts, South Ethiopia. J Ethnobiol Ethnomed, 2:53-61. <http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-2-53>
4. Bharucha, Z. and Pretty, J. 2010. The roles and values of wild foods in agricultural systems. Phil Trans Royal Soc B., 365:2913-2926. <http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2010.0123>.
5. Burgi, M., Gimmi, U. and Stuber, M. 2013. Assessing traditional knowledge on forest uses to understand forest ecosystem dynamics. Forest Ecology and Management. 289,115- 122.
7. Dinesh MD, Uma MS, Anjali VM, Meenatchisundaram NS, Shanmugam V, Inhibitory properties of aqueous extract of selected indigenous medicinal plants against dental caries causing Streptococcus mutans and Streptococcus mitis. Afr J Basic Appl Sci 2013; 5:8-11.
8. Ray Sudip and Sainkhediya Jeetendra. Diversity of Grasses in Nimar region, Madhya Pradesh, Indian Journal of Plant Science 2012;1 (2-3):144-152.
9. Mahajan SK, Traditional herbal remedies among the tribes of Bijagarh of West Nimar district, Madhya Pradesh, Indian Journal of Traditional Knowledge 2007;6(2):375-377.
10. Ray Sudip, Sheikh M & Mishra S, Ethnomedicinal plants used by tribals of East Nimar region, Madhya Pradesh, Indian Journal of Traditional Knowledge 2011; 10(2):367-371.
11. Gunatilleke, I. A. U. N., Gunatilleke, C. V. S. and Abeygunawardena, P., 1993. Interdisciplinary research towards management of non-timber forest resources in lowland rain forests of Sri Lanka. Econ. Bot. 47 (3), 282–290.
12. Javier, T., Manuel, P. S. A. and Ramón, M. 2006. Ethnobotanical review of wild edible plants in Spain.

- Bot J Linn Soc, 152:27-71. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1095-8339.2006.00549>
13. Khera, A. 2016. Poverty alleviation through non-wood forest products in Madhya Pradesh. Journal of tropical forestry, 32(II).
 14. Mimosa pudica L. (Laajvanti): An overview, July 2012 Pharmacognosy Reviews 6(12):115-24
 15. Phytochemical and pharmacological properties of Curcuma amada: A Review July 2020 International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences 11 (3):3546-3555
 16. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACY & LIFE SCIENCES A brief review on: Therapeutical values of Lantana camara plant Mamta Saxena, Jyoti Saxena and Sarita Khare; 3(3): Mar., 2012
 17. A Comprehensive Insight into the Phytochemical, Pharmacological Potential, and Traditional Medicinal Uses of Albizia lebbeck (L.) Benth Acharya Balkrishna,1,2,3 Sakshi,2Mayur Chauhan,2Anurag Dabas,2and Vedpriya Arya , Volume 2022 |
 18. Muhaammed, N. V. D. and Sheeladitya, R. C. 2010. Livelihood pattern and forest dependence of the major tribes in Rangamati Bangladesh. Shinshu University International symposium 20-02-2010.
 19. Negi, P. S. and Subramani, S. P. 2015. Wild edible plant genetic resources for sustainable food security and livelihood of Kinnaur district, Himachal Pradesh, India. Int J Conserv Sci, 6 (4): 657-668.

Figure 2

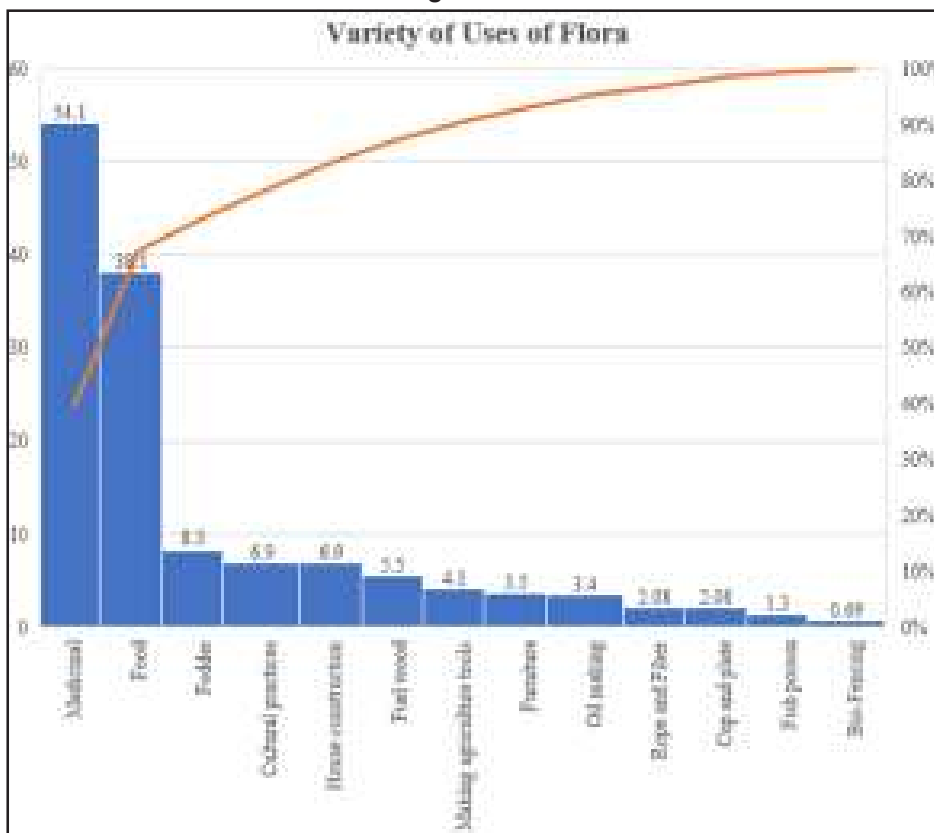


Table 1: Traditional use and sustainable collection of Ethnobotanicals by the tribal community of Nimar region of Madhya Pradesh

S.	Family	Botanical name	Var.name	Traditional uses
1.	Fabaceae	Acacia nilotica Linn.	Keekar	Diarrhoea, dysentery, and diabetes are all conditions that are treated using leaves.
2.	Malvaceae	Abelmoschusmoschatus	Jangali bhindi	The treatment of unwelcome semen discharge with root paste.
3.	Malvaceae	Abelmoschusficulneus	Ram bhindi	Juice from roots can treat diabetes.
4.	Fabaceae	Abrusprecatorius Linn.	Safed gomchi	The treatment of intestinal worms is assisted by seeds.
5.	Acanthaceae	AdhatodvasicaNees	Adusa	Tuberculosis can be cured using leaf juice.
6.	Asteraceae	Ageratum conizoides Linn.	Osari	In Leucoderma, it is used.
7.	Amaranthaceae	Achyranthes aspera Linn.	Hathijhara	A toothbrush made of root is used. The treatment of bites from scorpions and snakes is assisted by root juice.
8.	Polypodiaceae	Actinopterisaustralislinn.	Bhuitar	Plant extract has a cooling impact on the body.
9.	Combretaceae, Liliaceae	Anogeissus pendula Edgw	Kala Dhawda	In cases of diarrhoea and dysentery, fruits are administered.
10.	Aristolochiaceae	Aristolochiabraceata	Girdhan	Treats intestinal worms using seed powder.
11.	Aristolochiaceae	Aristolochiaindica Linn.	Ishwari	Snakebite can be treated with root paste.
12.	Liliaceae	Asparagus racemosus	Nimari Harachara	As a tonic, dried root powder is used.
13.	Acanthaceae	Barleriaprionitis Linn.	Deo Katasla	provided in powder form in dental carry-ons.
14.	Fabaceae	Cassia tora Linn.	Pawar	has also been used to treat arthritis and snakebite, in addition to skin conditions like leprosy, ringworm, itching, and psoriasis.
15.	Adiantaceae	Cheilanthesargentea	Bal	The cooling impact of plants on the body.
16.	Nyctaginaceae	Boerhaaviadiffusa Linn.	Vishkhapra	The kidney and jaundice are treated with leaves.
17.	Fabaceae	Butea monosperma	Palas	Flowers are used to treat colic discomfort and urinary problems.
18.	Liliaceae	Chlorophytum tuberosum	Safed musli	As a tonic, root powder is consumed.
19.	Fabaceae	Desmodiumgangeticum	Sarivan	Spermatorrhoea and tonic usage of root powder
20.	Ebenaceae	Diospyros melanoxylon	Temru	As an antidote for snakebite, root extract is administered orally to the patient along with black pepper.
21.	Cuscutaceae	Cuscutareflexa	Amarbel	Jaundice is recovered from with its aid.
22.	Hypoxidaceae	Curculigoorchoides	Kali Musli	It aids in the healing of wounds.
23.	Poaceae	Cynodondactylon	Durba	A plant extract is used to treat chronic diarrhoea, dysentery, and epilepsy.
24.	Solanaceae	Datura metel Linn.	Dhatara	On burned skin, fresh leaves are externally applied after being soaked in coconut oil.
25.	Dioscoreaceae	Dioscoreabulbifera L.	Morus bel	Oral administration of root paste and cow milk for the treatment of cough and asthma.
26.	Gentianaceae	Enicostemaaxillare	Nai	Leaf extract is administered orally to lower fever and as an antidote.
27.	Euphorbiaceae	Euphorbia clarkeana	Chhoti dudhi	Blisters in the mouth are treated with it.
28.	Asteraceae	Echinopsechninatus	Omkata	Root extract is effective in treating colds and coughs.
29.	Asteraceae	Eclipta alba Linn.	Bhangra	Hair development is aided by seed oil.
30.	Euphorbiaceae	Euphorbia hirta Linn.	Bari dudhi	Dysentery, colic, and urinogenital illness can all be treated using plant extract.
31.	Convolvulaceae	Evolvulusalsinoides L.	Shankhpushi	Leaf extract is administered to cure coughs and colds as well as to improve memory.
32.	Asclepiadaceae	Gymnemasylvestre	Gurmar	Diabetes, asthma, and piles can be cured with leaf juice.

33.	Capparidaceae	Gynandropsisgynandra	Hurhur	Seeds ACT as an anthelmintic.
34.	Moraceae	Ficusglomerata	Gular	applied to piles, injuries, edoema, and bug bites. Cancerous tumours can be treated using root.
35.	Capparidaceae	Gynandropsis pentaphylla	Ajagandha/ Tilpami/Jakhiya	Malignant tumours are treated using the root and seeds.
36.	Zingiberaceae	Hedychiumcoronarium	Banhaldi	It acts as a snakebite antidote.
37.	Apocynaceae	Holarrhenapubescens	Kurchi	Dysentery can be treated with a bark decoction.
38.	Liliaceae	Gloriosa superba	Kalhari	Tuber juice is effective in treating gonorrhoea, gout, and rheumatism.
39.	Tiliaceae	Grewiapilosa	Ghordhaman	To prevent excessive urination of sperm, root paste is administered orally.
40.	Sterculiaceae	Helicteresisora L.	Marorphali	Fruit powder is given to newborns to encourage milk sucking.
41.	Convolvulaceae	Ipomoea carnea Linn.	Behaya	To minimise joint swelling, apply leaves.
42.	Euphorbiaceae	Jatropha gossypifolia L.	Lal arenda	Applying seed oil to itches and eczema.
43.	Lamiaceae	Leucas cephalotes	Goma	Flowers can treat intestinal worms, colds, and coughs.
44.	Zygophyllaceae	Tribulusterrestris Linn.	Gokharu	When dealing with renal, urinary, and stone problems, dried fruit powder is taken with honey.
45.	Menispermaceae	Tinosporacordifolia	Giloy / Gulbel	In order to treat plasmodium infection (malaria), stem juice is typically administered orally.
46.	Asteraceae	Tridaxprocumbens	Ghamra/ Baramasi/ Bishalyakarani	Male urinary problems are treated with plant juice and mishri diluted in a half cup of water. Hair issues are also treated with this mixture.
47.	Solanaceae	Lycopersicumesculentum	Tomato/tamater	Malignant tumours can be cured using fruit juice.
48.	Fabaceae	Mucunapruriens L.	Kivach/kavach	To kill intestinal worms, pod powder is used.
49.	Oxalidaceae	Oxalis corniculata Linn.	Tinpatia	Leaf extracts aid in menstruation irregularities and fertilisation.
50.	Verbenaceae	Vitex negundo Linn.	Nirgundi	In cases of hepatic or heart disease, nigundi flowers are given.

ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा का अध्ययन करना

डॉ. तुषि तिवारी *

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान विभाग) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान समय में कम पढ़ी लिखी व घर परिवार के दायरे में सिमटी महिलाओं को आर्थिक रूप से जोड़कर सशक्त बनाने की बहुत आवश्यकता है। जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह जैसे संस्थान सार्थक पहल का माध्यम बन सके। ताकि महिलाएँ इन संस्थाओं की मदद से अपनी छोटी-छोटी बचत से मिलजुलकर अपने हुनर के मुताबिक वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण कर सके व उनकी बिक्री से आय अर्जित कर अपने पैरो पर खड़ी हो सके। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी भी अति आवश्यक है। यहाँ ग्रामीण शिक्षित महिलाएँ एवं महिला शहरी, बालिकाएँ, अध्यापिकाओं का भी यह कर्तव्य व दायित्व बन जाता है कि वे ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाये ताकि इन ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास और कल्याण के कार्यक्रमों का पूरी ताकत व इच्छाशक्ति के साथ निर्वहन कर सके। अंततः ग्रामीण आर्थिक महिला एक बेहद अमूल्य संसाधन है और गाँवों में महिलाओं के बीच बढ़ती हुई सशक्तिकरण की प्रवृत्ति सराहनीय है।

प्रस्तावना - परिवार के सदस्यों का सामाजिक स्तर उन्नत करने में स्त्री शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएँ चाहे वह शहरी हो अथवा ग्रामीण उनकी शिक्षा का समूचे परिवार के सामाजिक स्तर के सुधार पर रचनात्मक असर पड़ता है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एक सार्वभौमिक अवधारणा है। 19वीं शताब्दी के दौरान समाज में यह स्वीकार नहीं था कि नारी घर से बाहर जाकर परिवार के लिए रोटी कमाएँ किन्तु निरन्तर बढ़ते आर्थिक दबाव और जीवन खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण, धीरे धीरे ये प्रतिबन्ध शिथिल होते गये। ग्रामीण महिलाओं को असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि जैसे कृषि, वानिकी, मवेशी, मदली पालन, खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, घरेलू कार्य आदि में ही अधिक काम मिलता है। कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण श्रम में उनकी 50 प्रतिशत भागीदारी है। ग्रामीण महिलाओं के श्रम का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी गणना मुद्रा के रूप में नहीं की जा सकती है।

आज महिलाएं शहरी अथवा ग्रामीण उच्च शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, शहरी महिलाओं में उच्च शिक्षा प्रभाव स्पष्ट रूप से उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर परिलक्षित होता है, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। ग्रामीण महिलाओं के विषय में कई शोध हुए हैं, परन्तु उच्च शिक्षा में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा से होने वाले जीवन में बदलाव के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार प्रभाव डाला है, प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन किया गया है।

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार है। इसके माध्यम से ही महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण सम्भव है, महिला आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है परिवार एवं समाज की प्रगति का एक बहुत बड़ा आधार महिलाएँ ही हैं महिलाओं के

शिक्षित होने पर ही एक प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा के विषय में पूर्व में भी कई अध्ययन कार्य हुए हैं। ग्रामीण महिलाओं में विशेषकर युवतियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की लगन स्पष्टतः दिखायी देती है, परन्तु फिर भी समय-समय पर देखने को मिलता है कि भले ही ग्रामीण महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो। लेकिन समाज के नियमों का दबाव निरन्तर इन पर बना रहता है, तथा उच्च शिक्षा हासिल कर लेने के बाद भी उन पर समाज के नियमों का परमपरागत रूप से पालन करना अनिवार्य समझा जाता है।

शिक्षा से कोई भी महिला अधिक जागरूक, अधिक श्रेष्ठ और अधिक आत्म विश्वासी बन सकती है, इससे परिवार और समुदाय में उसका महत्व बढ़ जाता है। 1981 से 1991 के दशक में पुरुष साक्षरता की बजाएँ महिला साक्षरता की दर अधिक तेजी से बढ़ी है। 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं अभी निरक्षर हैं। महिला साक्षरता में ग्रामीण-शहरी का अनराल बढ़ा है। अगर साक्षरता के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं और केवल 2 प्रतिशत ऐसी हैं जो मैट्रिक से अधिक पढ़ी हैं। ग्रामीण लड़कियां देर से स्कूल शिक्षा प्रारम्भ करती हैं और बीच में ही छोड़ देती हैं यह बड़ी चिंताजनक बात है कि भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार सर्वाधिक पिछड़े राज्यों के वर्ग में आते हैं केरल इस मामले में अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है, जहां महिलाओं की साक्षरता दर (87 प्रतिशत) अधिक है। जिसमें ग्रामीण महिला शिक्षा का भी एक अच्छा प्रतिशत है।

शोध साहित्य का अध्ययन

डॉ. गीताली चौधरी के अनुसार 'महिलाओं को केवल भौतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा भी देना चाहिए'

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के अनुसार 'महिला सशक्तिकरण

वह है जिसमें हमारे देश की महिलाएं चाहे खेल हो या अंतरिक्ष विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहे। वे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और उपलब्धियों से देश का नाम रोशन करें।'

महात्मागांधी जी के अनुसार 'जब नारी शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं।'

स्मृति इरानी जी के अनुसार 'महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा है कि हर दिन है हर दिन महिला का पर्व है हर दिन उत्सव है इंसानियत का जिसका केन्द्र बिन्दु महिला ही है।'

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
2. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
3. महिला सशक्तिकरण के द्वारा समाज में महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
4. महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का विकास करना है तथा इसके साथ-साथ समाज का विकास करना है।
5. महिलाओं को इतना कामकाजी तथा जागरूक बनाना ताकि प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।

शोध परिकल्पना:

1. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।
2. महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा।
3. महिला सशक्तिकरण के द्वारा समाज में महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरूक होंगी।
4. महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का विकास करना है तथा इसके साथ-साथ समाज का विकास करना होगा।
5. महिलाओं को इतना कामकाजी तथा जागरूक बनाना ताकि प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगी।

शोध प्रविधि

अध्ययन का क्षेत्र—प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर-प्रदेश के बलिया जिले के रेवती क्षेत्र के गायघाट गांव में किया गया है। मैंने अपने शोध पत्र का शीर्षक ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं शिक्षा के अध्ययन के बारे में विभिन्न पहलुओं व उसकी प्रतिशतता को जानने के लिए इस क्षेत्र का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन की विधि—प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान अनुसूची विधि द्वारा यह सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है जिसमें परिवारों की महिलाओं का चयन कर प्रत्येक महिला से एक अनुसूची भरवायी गयी और वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण करते हुए सारणियों का निर्माण संख्या एवं प्रतिशत के तथ्यों का प्रदर्शन समको का विश्लेषण करते हुए शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। शैक्षणिक स्तर सर्वेक्षण के समय जिन महिलाओं से अनुसूची भरवायी गयी उनके परिवारों का शैक्षणिक स्तर कुछ का सामान्य कुछ का उच्च व कुछ महिलाएं अनपढ़ थीं। जो लघु तथा कुटीर उद्योग द्वारा सशक्त थीं।

शोध अध्ययन का विश्लेषण—प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु अनुसूची में पूछे गये प्रश्नों के प्राप्त प्रतिउत्तरों का आंकड़ों के माध्यम से तालिकाओं का प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण अग्रलिखित है।

तालिका क्रमांक - 1

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
1	क्या आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में पता है?	हाँ	80	80
		नहीं	20	20
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं सशक्तिकरण से परिचित हैं परन्तु 20 प्रतिशत महिलाएं अनभिज्ञ हैं।

तालिका क्रमांक -2

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
2	क्या आपको पता है महिलाओं को शिक्षित होना क्यों जरूरी है?	हाँ	65	65
		नहीं	35	35
		-	100	100

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 65 ग्रामीण प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को ज्ञात है कि महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है, परन्तु 35 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं अनभिज्ञ हैं।

तालिका क्रमांक - 3

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
3	हमारे समाज में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए?	हाँ	75	75
		नहीं	25	25
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में 75 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया जबकि 25 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने नहीं में उत्तर दिया।

तालिका क्रमांक - 4

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
4	महिलाओं को हमारे समाज में पुरुषों जैसे अधिकार मिलना चाहिए क्या आप इस बात से सहमत हैं?	हाँ	60	60
		नहीं	20	20
		पतानहीं	20	20
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में यह दर्शाया गया है कि 60 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं इस बात से सहमत हैं वहीं 20 प्रतिशत सहमत नहीं हैं जबकि 20 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने इस प्रश्न पर पता नहीं कहा है।

तालिका क्रमांक - 5

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
5	भारत में महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चलाई गई हैं?	5	50	50
		6	20	20
		8	10	10
		4	20	20
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने 5, 20 प्रतिशत ने 6, 10 प्रतिशत ने 8, 20 प्रतिशत ने 4 योजनाएं चल रहीं हैं बताया है।

तालिका क्रमांक - 6

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
6	क्या आपको इस बात की जानकारी है कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है?	बहुत कम	40	40
		अधिक	60	60
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में 40 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में लगता है कि महिलाओं की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है वहीं 60 प्रतिशत को लगता है कि महिलाओं की स्थिति में अधिक सुधार हुआ है।

तालिका क्रमांक - 7

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
7	महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा शिक्षित बनाने का जरिया महिला सशक्तिकरण ही है, क्या आपके विचार से यह बात सही है?	हाँ	78	78
		नहीं	25	25
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में 78 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने हाँ में उत्तर दिया और 25 प्रतिशत नहीं में जवाब दिया है।

तालिका क्रमांक - 8

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
8	क्या आपको लगता है कि यदि आप अपनी बहु-बेटियों को शिक्षित करेंगी तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी?	हाँ	90	90
		नहीं	10	10
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों में 90 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं इस बात से सहमत हैं वहीं 10 प्रतिशत इस बात से सहमत नहीं है।

तालिका क्रमांक - 9

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
9	महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं में आत्ममूल्यांकन की भावना को जागृत करना है, क्या आप इस बात को जानती है?	हाँ	77	77
		नहीं	23	23
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 77 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने उक्त प्रश्न पर हाँ कहा है वहीं 23 प्रतिशत ने नहीं कहा है।

तालिका क्रमांक - 10

क्र.	प्रश्न	उत्तर	कुल	प्रतिशत
10	समाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को आगे तक ले जाने में महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं।	हाँ	90	90
		नहीं	10	10
		-	100	100

उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 90 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं इस बात से सहमत हैं तथा 10 प्रतिशत इस बात से सहमत नहीं है।

शोध अध्ययन की विवेचना - प्रस्तुत अध्ययन भारत देश के उत्तर-प्रदेश राज्य के बलिया संभाग के रेवती क्षेत्र के गायघाट गांव का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्रारंभ करने से पूर्व रेवती गांव के ग्राम पंचायत से अनुमति ली तथा ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से शोध अध्ययन प्रारंभ किया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उनकी शिक्षा संबंधित जानकारी का अध्ययन किया। उन महिलाओं से बात करने के बाद

हमें पता चला कि उनमें से कुछ महिलाएं शिक्षित थीं। कुछ अशिक्षित व कुछ अनपढ़ थीं। उनसे बातचीत के दौरान जो शिक्षित महिलाएं थी वह समझ नहीं पाती थी लेकिन वह हमारी बातों को जानने के लिए तथा समझने के लिए जागरूक थीं। इसलिए अनपढ़ ग्रामीण महिलाओं को बताने हेतु पोस्टर, नाटक, वीडियो कैमरा, ब्लैक बोर्ड एवं चित्रों के द्वारा हमने बताया, ताकि अशिक्षित महिलाएं अपने सशक्तिकरण तथा अपनी शिक्षा को सही तरीके से समझे और करें। समाज की प्रत्येक महिलाएं अपने को सशक्त बनाएं तथा अपने आप को आत्मनिर्भर करें एवं अपनी शिक्षा के बारे में भरपूर ध्यान दें और हमारा देश तथा हमारे समाज के लोग प्रत्येक स्त्री को शिक्षित करें तथा उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें। अध्ययन के पश्चात् हमने देखा कि 85 प्रतिशत महिलाएं जो महिला सशक्तिकरण तथा उनकी शिक्षा के संबंध में अवगत हुईं तथा 15 प्रतिशत अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हुईं।

निष्कर्ष - आप लोगो ने महिला आयोग और महिला की सहायता के लिए कई संगठनों के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आप ने कभी पुरुष के लिए बनाए गए किसी संगठन के बारे में सुना है जो कि उनकी मदद के लिए बनाया गया हो। महिलाओं के लिए बनाए गए संगठनों की आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है। क्यों हमारे देश की महिला इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपने आप ही हर परिस्थिति से निपट सके। वही जब हमारे देश की महिलाएं शिक्षित हो जायेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के हालात बेहतर होते जा रहे हैं जिस तरह पुरुषों को किसी भी मदद की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरह एक ऐसा दिन भी आएगा जब महिलाओं को भी किसी भी चीज का हल निकालने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा और उस दिन महिलाओं के सशक्तिकरण को देखा जाएगा कि ये सपना सच हो सकेगा।

सुझाव :

1. महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए।
2. सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टि कोण के प्रति जागरूक किया जाए जिसमें महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना जाता है।
3. वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलनों और यूएनडीपी आदि अंतराष्ट्रीय संस्थाओं ने महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जानी चाहिए।
4. महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Hindikunj.com
2. अग्रवाल नीता, बाल विकास
3. oyehero.com अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा 2015-16
4. www.Google.com

हिन्दी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण द्वारा गुणवत्ता विकसित करना – एक अध्ययन

डॉ. विभा तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक, आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षण को एक कला तथा विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। जब शिक्षण को एक कला के रूप में समझने का प्रयास करते तब यह अवधारणा होती है कि अच्छे शिक्षक जन्मजात होते हैं और उनमें विशिष्ट शिक्षण कौशल होते हैं। एक प्रभावशाली शिक्षण में विशेष कौशलों का समावेश होता है एक अच्छा शिक्षक उन्हें कक्षा शिक्षण में उपयोग करता है वर्तमान समय में देश के प्रशिक्षण की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि देश के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है और शिक्षा के कार्यक्रम च उचित नियोजन शिक्षकों पर निर्भर करता है। शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास का विशेष महत्व है शिक्षण अभ्यास को शिक्षक प्रशिक्षण का प्राण कहा जाता है। जिस प्रकार बिना प्राण के शरीर का कोई महत्व नहीं है उसी प्रकार शिक्षण अभ्यास के बिना शिक्षण प्रशिक्षण का कोई मूल्य नहीं है।

शिक्षण अभ्यास में सूक्ष्म शिक्षण का विशेष महत्व है चूँकि शिक्षण एक बहुत बड़ी इकाई है। इसमें शिक्षक शिक्षण के समय प्रश्न पूँछता है। छात्र उत्तरों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। इसलिये शिक्षण अभ्यास में सुधार लाने के लिए सन 1963 में शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास के लिए आशा की किरण के रूप में एक अभिनव प्रवृत्ति की खोज संयुक्त राज्य अमेरिका में गई जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहा गया। भारत में भी अब सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग एवं क्रियान्वयन पर सक्रिय कदम उठाये गये सन 2004 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बी.एड. के पाठ्यक्रम में शिक्षण अभ्यास हेतु सूक्ष्म शिक्षण प्राविधिक प्रयोग करने पर बल दिया गया।

मैक्मलाइट (1971) के अनुसार 'सूक्ष्म शिक्षण वह है पदीय शिक्षण परिस्थितियाँ हैं जिनका आयोजन पुराने कौशलों में सुधार एवं नवीन कौशलों को विकसित किया जाता है।'

बी.के. पासी (1976) के अनुसार 'शिक्षण कौशल सम्बंधित शिक्षण क्रियाओं अथवा इन व्यवहारों के सम्पादन से है जो छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के इरादे से किये जाते हैं।'

1996 में विलफ्ट एवं अन्य ने शिक्षण परिभाषा इस प्रकार दी है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है 'सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षणकी एक लघु प्रक्रिया है इसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप से प्रस्तुत किया जाता है जिसके अन्तर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है।'

लघुशिक्षण का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण कौशलों के विकास के लिए

किया जाता है शिक्षण कौशल से तात्पर्य सुनिश्चित शिक्षक व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में आपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली होते हैं, शिक्षण में अनेकों कौशल हैं। इनमें प्रयोग कौशलों का हिन्दी शिक्षण अध्यापन में प्रयोग करके उससे हिन्दी अध्यापन में गुणवत्ता विकसित होगी।

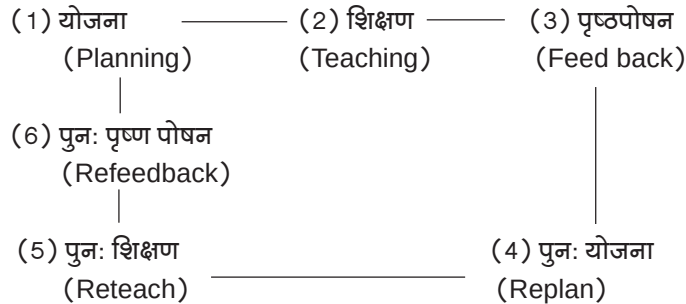
प्रथम चरण में शिक्षक प्रशिक्षक एक विशिष्ट कौशल से सम्बन्धित सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है। कौशल का नाम कौशल का महत्व एवं उपयोगिता शिक्षक के लिए उस कौशल के ज्ञान की आवश्यकता होती है फिर इस विशिष्ट कौशल में दक्षता प्राप्त करने हेतु उसके घटकों को सूचीबद्ध करता है उन सभी घटकों की जानकारी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के पूर्ण रूपेण होना अनिवार्य है तभी वह अपने हिन्दी शिक्षण में दक्ष हो पायेगा।

शिक्षक प्रशिक्षक प्रत्येक घटक की उदाहरण द्वारा व्याख्या करता है एवं शालाओं में पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु संदर्भ में उदाहरण देकर उस घटक के उपयोग प्रदर्शित करता है। उद्देश्य यह है कि छात्राध्यापक प्रत्येक घटक को उपयोग कर सके। अब अध्यापकों को पाठयोजना का निर्माण करना सिखाया जाता है जो उस विशिष्ट कौशल के अभ्यास हेतु किया जाता है। पाठयोजना घटकों पर आधारित होती है। पाठ योजना में विषयों का चयन प्रकार होता है कि कौशल के घटकों का सही व अधिकतम उपयोग हो प्रथम सोपान के अन्त में कौशल आधारित पाठ का प्रदर्शन किया फिर शिक्षक प्रशिक्षक व छात्राध्यापक पाठ योजना का निर्माण करते हैं। पाठ योजना 5 से 7 मिनट के लिए बनाई। पाठयोजना बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि अधिक से अधिक कौशलों के घटकों का प्रयोग किया जाये। जो उस कौशल से सम्बंधित है। जिस पर पाठयोजना बनाई जा रही है। उदाहरणार्थ यदि पाठयोजना 'श्यामपट्ट लेखन' कौशल पर आधारित है तब उसमें श्यामपट्ट लेखन-कौशल से सम्बंधित घटकों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। लघु शिक्षण में मुख्य रूप से कौशल के घटकों के अभ्यास पर बल दिया जाता है।

पाठयोजना का निर्माण के बाद छात्राध्यापक, शिक्षक, प्रशिक्षक व साथियों से चर्चाकर सकता है कि उसने पाठ योजना में घटकों का सही प्रयोग है कि नहीं किया। चर्चा के बाद उसमें संशोधन किया जाता है। बाद में छात्र अध्यापक अभ्यास हेतु उसे निर्मित पाठयोजना का साथियों के समक्ष प्रदर्शन करना होता है। जब पाठ का प्रदर्शन कर रहा होता है। निरीक्षण तालिका में घटकों के प्रयोग को अंकित करते हैं जिसमें वह सभी घटकों को प्रयोग करने का अभ्यास करता है। साथ छात्राध्यापक को उसके साथी व शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा पुष्टि दी जाती है। प्रतिपुष्टि में उसके सकारात्मक

पहलू व कमियों को बताया जाता है प्रतिपुष्टि के आधार पर पुनः पाठ योजना का निर्माण व अभ्यास किया जाता है यह क्रम तब तक चलता रहता है, तब तक छात्राध्यापक कौशल पर स्वामित्व प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार विभिन्न कौशलों में दक्षता प्राप्त कर उन्हें समन्वित रूप से कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त जाता है। छात्राध्यापक प्रतिपुष्टि के आधार पर बार-बार योजना का निर्माण करता है व पाठ का पुनः प्रदर्शन करता है। अतः सम्पूर्ण प्रक्रिया को एक चक्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

सूक्ष्म शिक्षण चक्र (cycle)



सूक्ष्म शिक्षण चक्र को समय विभाजन (Duration of Microteaching)

1. योजना
2. शिक्षण (Teach)--6 मिनट
3. पृष्ठपोषण (Feedback) -6 मिनट
4. पुनः पाठयोजना (Replan)- 12 मिनट
5. पुनः शिक्षण (Reteach)-6 मिनट
6. पुनः पृष्ठपोषण(Refeedback)-6 मिनट

Total = 36 Minutes

सूक्ष्म या लघु शिक्षण में प्रतिपुष्टि का प्रावधान है छात्राध्यापक को बार बार प्रतिपुष्टि करने से उसमें सही कौशलों का विकास किया जाता है। मैफोल्ड ने भी व्यवहार संशोधन में प्रतिपुष्टि को सार्थक बताया। विना वांछित दिशा में व्यवहार परिवर्तन असम्भव है सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के आधार पर ही अध्यापक पुनः पाठयोजना का निर्माण व प्रदर्शन करते हैं जब तक कौशल में दक्षता प्राप्त न कर लें। अतः ऐसा भी कहा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का आधार प्रतिपुष्टि है।

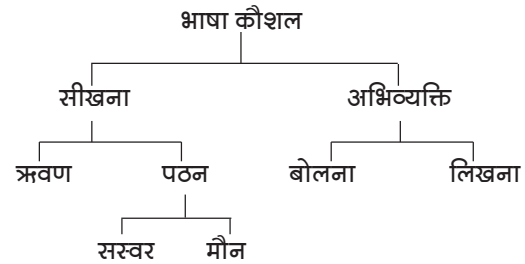
इस प्रकार पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होने पर शिक्षण कौशल में दक्षता हासिल कर लेता है। सन 1981 में शर्मा ने माध्यमिक स्तर हिन्दी शिक्षण में कौशलों की पहचान की है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा वाचन कौशल के अन्तर्गत अक्षरज्ञान कराना, वर्णोच्चारण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि ध्वनि साम्य वाक्य विधि, कहानी, विधि, इस प्रकार बच्चों में वाचन का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चा के बार बार पढ़ने से उसे अपनी गलतियों का सुधार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ लेखन कौशल का भी विकास हो जाता है इससे वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसार करना सीख जाता है।

हिन्दी शिक्षण में निम्न कौशलों को अपनाया है:-

- | | |
|------------------|------------------------|
| (1) कार्य लेखन | (2) उच्च स्वर में वाचन |
| (3) प्रश्न पूछना | (4) पाठ प्रारम्भ करना |
| (5) पाठ-गति | (6) कक्षा प्रबंधन |

- | | |
|---|------------------------|
| (7) मौखिक प्रस्तुतीकरण | (8) स्पष्टीकरण |
| (9) श्यामपट्ट उपयोग | (10) पाठ समापन |
| (11) खोजपूर्ण प्रश्न | (12) रूचि उत्पन्न करना |
| (13) छात्रों के पाठन व्यवहार में सुधार लाना | |

भाषा चाहे हिन्दी हो, या अंग्रेजी या संस्कृत या अन्य कोई भाषा उसके कौशल सामान्य सीखना समझना एवं अभिव्यक्ति सीखने समझने में श्रवण, पाठ (मौन व सस्वर) आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा अभिव्यंजन में बोलना लिखना प्रमुख है।



आज वर्तमान समय में प्रशिक्षु अध्यापक/अध्यापिकाओं को यदि हमें अधिकाधिक संख्या में श्रेष्ठता की ओर ले जाना हो तो उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षण कौशलों को समाकलित करने के लिए प्रशिक्षण अवश्य देना होता है। अन्यथा या शायद ही सम्भव हो सकता है। कि मात्र अपनी प्रतिभा के बल पर अधिकाधिक संख्या में श्रेष्ठ अध्यापक/अध्यापिका बनने में सफल हो सके।

आज की आवश्यकता मात्र सूक्ष्म शिक्षण पर निर्भरता की न होकर लघु शिक्षण पर अधिक ध्यान दिये जाने की है ताकि कम से कम उपलब्ध समय का सदुपयोग करते हुए अधिकाधिक संख्या में विशेषकर हिन्दी विषय में छात्राध्यापक/अध्यापिका के शिक्षण में गुणवत्ता विकसित हो जाती है और कुशल बन जाता है।

वर्तमान परिवेश में हिन्दी शिक्षण में लघु शिक्षण द्वारा गुणवत्ता विकसित की जा सकती है क्योंकि बच्चों की रूचि हिन्दी विषय में इन कौशलों के द्वारा ध्यान केन्द्रित कर हिन्दी के प्रति जागरूक बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं जोकि आज के समय की आवश्यकता है। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लघु शिक्षण के द्वारा हिन्दी शिक्षण में काव्यलेखन, व्याकरण में सुधार एवं निबंध लेखन शैली में सुधार की सम्भावना बढ़ जायेगी और निकट भविष्य में हिन्दी जगत में अपना स्थान बना लेंगे। अतः हिन्दी शिक्षण में लघु शिक्षण की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भट्टाचार्य, जी.सी. एवं शुक्ला, सी.एस. 1982 एफेक्टिवनेस ऑफ ऑफ टू बेसिक द डायोउ एण्ड एडीटिंग माडल्स ऑफ दी टीचिंग स्किल' ऐ कम्प्रेटिव स्टडी, नेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, अंक 5, आगरा संस्था-1 पृष्ठ-20-32 संस्था पृष्ठ
2. जोशी, अनुराधा 'सूक्ष्म शिक्षण दक्षता एवं सूक्ष्म शिक्षण' H.P. भार्गव बुक हाउस आगरा।
3. रामदेव प्रसाद, कथूरिया- 'सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण प्रतिमान' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
4. सिंह कर्ण- 'सूक्ष्म शिक्षण' गोविन्द प्रकाशन लखीमपुर खीरी
5. शर्मा, R.A. , 'सूक्ष्म शिक्षण' साहित्य प्रकाशन, आगरा 2014

वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व का अध्ययन

प्रवीण कुमार सोनी*

* सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, माकड़ोन, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सरकार के राजस्व में अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करों से प्राप्त राजस्व से ही सरकार द्वारा समाज कल्याण एवं देश के आर्थिक विकास के लिये विभिन्न गतिविधियां संपन्न की जाती है। भारत में बहुत लम्बे समय से चली आ रही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को परिवर्तित करने के प्रयास काफी वर्षों पहले प्रारंभ हुए थे। अंततः पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को समाप्त करते हुए 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवाकर लागू करने के पूर्व भारत में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वेट आदि भिन्न-भिन्न अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते थे। इन सभी लगभग 17 प्रकार के करों व उपकरणों को समाप्त करके उनके स्थान पर वस्तु एवं सेवाकर को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवाकर को लागू करने के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे सम्पूर्ण देश में समान कर व्यवस्था लागू होगी, कर की चोरी रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही यह देश के आर्थिक विकास एवं सृष्टि भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। वस्तु एवं सेवाकर लागू करने के बाद वर्ष प्रतिवर्ष कर संग्रह की राशि में वृद्धि हो रही है।

शब्द कुंजी – वस्तु एवं सेवाकर, अप्रत्यक्ष कर, राजस्व, सरकार, कर संग्रह।

प्रस्तावना – करारोपण दो शब्दों से मिलकर बना है। कर + आरोपण। करारोपण का शाब्दिक अर्थ है-कर लगाना। यह एक अत्यंत प्राचीन विचार है। प्राचीनकाल से ही शासकों या सरकारों को अपने राज्य में किये जाने वाले सार्वजनिक विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिये जिस धनराशि की आवश्यकता होती है वह करारोपण के माध्यम से एकत्रित की जाती रही है। करारोपण में सरकारों द्वारा अपने नागरिकों पर कर लगाया जाता है जिसका भुगतान करना नागरिकों के लिये अनिवार्य होता है।

कर का अर्थ – कर का सामान्य अर्थ किसी देश के करदाताओं द्वारा अपनी सरकार को किया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है। कर एक अनिवार्य भुगतान है इसीलिये इसका भुगतान न करने वाले व्यक्तियों को कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार दण्ड प्रदान किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों पर होने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु अपने देश के लोगों से वसूला जाने वाला अंशदान ही कर कहलाता है।

करों का विभाजन या वर्गीकरण

प्रत्यक्ष कर – प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाये जाते हैं उसे ही उनका भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर यह आरोपित किये जाते हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है।

अप्रत्यक्ष कर – प्रत्यक्ष करों के विपरीत अप्रत्यक्ष कर वह कर हैं जो सरकार द्वारा उत्पादक/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदानकर्ता पर लगाया जाता है किंतु व्यापारियों द्वारा इस कर की वसूली उपभोक्ताओं से कर ली जाती है अर्थात् इन करों का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। भारत में सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अप्रत्यक्ष करों की वसूली है। अप्रत्यक्ष करों से वसूली में सबसे अधिक योगदान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का रहा है। वस्तु

एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व विक्रय कर एवं मूल्य वर्धित कर, वेट एवं सेवा कर भी प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में शामिल थे।

अप्रत्यक्ष कर के गुण या विशेषताएँ:

- 1. आय/राजस्व का स्रोत** – प्रत्यक्ष कर की ही तरह अप्रत्यक्ष कर भी सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
 - 2. न्यायोचित** – अप्रत्यक्ष करों को भी पूर्णतः न्यायोचित कहा जा सकता है क्योंकि विलासिता संबंधी वस्तुओं व उत्पादों पर अधिक दर से तथा आवश्यक वस्तुओं पर कम दर से कर लगाया जाता है।
 - 3. सरलता** – अप्रत्यक्ष करों का भुगतान के विभिन्न प्रावधान सरल व सुविधाजनक है।
 - 4. परिवर्तिनशीलता** – अप्रत्यक्ष करों में परिवर्तिनशीलता का गुण पाया जाता है। सरकार द्वारा कर की दरों में छोटे-छोटे परिवर्तन करके भी कर संग्रह में वृद्धि की जा सकती है।
 - 5. कर चोरी कठिन** – अप्रत्यक्ष करों के भुगतान से बचना अत्यंत कठिन है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई वस्तु तो उपभोग के लिये क्रय करना ही पड़ती है। अप्रत्यक्ष करों की राशि को चूँकि वस्तु/उत्पाद के मूल्य के साथ ही सम्मिलित कर दिया जाता है अतः इनकी चोरी करना कठिन होता है।
 - 6. समाज के लिये लाभकारी** – मादक पदार्थों जैसे तम्बाकू, सिगरेट, शराब, भांग आदि का प्रयोग करना सामाजिक रूप से उचित नहीं माना जाता। इसलिये मादक पदार्थों पर बहुत अधिक दर से अप्रत्यक्ष कर की वसूली की जाती है।
- अप्रत्यक्ष करों के प्रकार** – भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व लगाये जाने वाले प्रमुख अप्रत्यक्ष कर इस प्रकार हैं-

1. सेवा कर
2. सीमा शुल्क
3. उत्पाद शुल्क
4. मूल्य वर्धित कर
5. मनोरंजन कर
6. स्टॉम्प ड्यूटी

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद लगाये जाने वाले सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाकर है।

शोध कार्य के उद्देश्य - प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :

1. भारत में वस्तु एवं सेवा कर के उदय एवं विकास का अध्ययन करना।
2. वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों का अध्ययन करना।
3. वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध कार्य की परिकल्पना

शून्य परिकल्पना - जीएसटी के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना - जीएसटी के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण अंतर है।

शोध प्रविधि - शोध प्रविधि का आशय शोध कार्य करने के विशिष्ट नियम अथवा विधि से है। दूसरे शब्दों में किसी शोध कार्य को सम्पन्न करने के लिये अपनायी जाने वाली विशिष्ट तकनीक को ही शोध प्रविधि कहते हैं। इसके अंतर्गत शोध समस्या के बारे में जानकारीयों की पहचान, शोध कार्य के क्षेत्र का चयन, शोध से संबंधित समकों का संकलन, उनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शामिल है।

अ. अध्ययन का क्षेत्र - मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष कर राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

ब. समकों का संकलन - प्रस्तुत शोध पूर्णतः द्वितीयक समकों पर आधारित है।

शोध पत्र का मुख्य भाग

वस्तु एवं सेवा कर - भारत में कर व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में 1 जुलाई 2017 की तारीख सदैव याद रखी जायेगी। इसी दिन से भारत में वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय, वितरण और सेवाओं पर लगाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उनके स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था।

भारत में जीएसटी की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन - भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए की सरकार में जीएसटी की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आर्थिक सलाहकार समिति की बैठक में रखा गया था। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने श्री विजय केलकर की अगुवाई में एक कार्यबल का गठन किया था, जिसने वर्ष 2005 में अपने प्रतिवेदन में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने की सिफारिश की थी। किंतु बाद में यूपीए सरकार को केलकर समिति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दिये गए तर्क प्रभावी न लगने के कारण

उस पर आगे कोई कार्यवाही संभव न हो सकी किंतु वर्ष 2006 में यूपीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सदन में जीएसटी की आवश्यकता को जोर-शोर से प्रदर्शित किया। इतना ही नहीं उन्होंने वर्ष 2010 तक जीएसटी को नई कर व्यवस्था के रूप में लागू करने की समय-सीमा भी तय कर दी, लेकिन 2010 तक भी जीएसटी हमारे देश में लागू नहीं हो पाया। वर्ष 2011 में भी जीएसटी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया किन्तु वह सदन में पास नहीं हो सका।

वर्ष 2014 में एक बार पुनः केन्द्र में एन.डी.ए की सरकार बनी। वस्तु एवं सेवा कर को भारत में लागू करने के लिये भिन्न-भिन्न सरकारों व वित्त मंत्रियों को वर्ष 2000 से 2017 तक अनेक उतार-चढ़ाव से गुजरना पड़ा व अनेक कदम उठाये गये। इस अवधि में कई बार विधेयक प्रस्तुत हुआ, कई समझौते हुए, विभिन्न कानूनों में जरूरी परिवर्तन भी किये गये। अंततः एन.डी.ए गठबंधन वाली मोदी सरकार के नेतृत्व में 30 जून व 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को 12 बजकर 1 मिनट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घंटी बजाकर बहुचर्चित जीएसटी को भारत में लागू करने की घोषणा की और अंततः 1 जुलाई 2017 से यह नई कर व्यवस्था एकीकृत कर प्रणाली के रूप में लागू हो गयी और 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करते हुए उनके स्थान पर 1 जुलाई 2017 से एक देश एक कर पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू किया गया।

एक ओर कई अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा कर विशेषज्ञों ने इस परिवर्तन को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सुधारवादी कदम बताया और इसकी प्रशंसा की तो वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिज्ञों एवं कर विशेषज्ञों ने इसे एन.डी.ए सरकार द्वारा जल्दबाजी में उठाया गया एक अव्यवहारिक कदम बताया और कहा कि जीएसटी के दुष्परिणाम देश को भुगतना होंगे और यह देश के आर्थिक विकास के लिए घातक होगा।

वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ - भारत में जीएसटी लागू होने के पूर्व वस्तुओं के उत्पादन, क्रय-विक्रय, वितरण एवं सेवाओं के आदान-प्रदान पर विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते थे जैसे - उत्पादन शुल्क, वेट, प्रवेश कर, सेवा कर आदि। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर को अपनाकर भारत ने इन सभी करों, शुल्क व अनेकों उपकरणों को समाप्त कर एकीकृत कर व्यवस्था लागू की।

वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं वसूला जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो सम्पूर्ण देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एकल कर के रूप में लगाया जाता है। जीएसटी एक संघीय कर व्यवस्था है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार दोनों की समान भागीदारी है। यह बहु-बिन्दु कर है जिसमें वस्तु या सेवा की पूर्ति के प्रत्येक चरण पर होने वाली मूल्य वृद्धि पर कर लगाया जाता है। इस कर का अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है।

वस्तु एवं सेवा कर की मुख्य विशेषताएं एवं प्रकृति - भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुख्य विशेषताओं या प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं-

1. **संघीय कर** - भारत की संघीय व्यवस्था के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर में केन्द्र और राज्य की समान भागीदारी है।
2. **दोहरा कर** - भारत में वस्तु एवं सेवा कर को दोहरे स्वरूप में लागू किया गया है।

3. **करारोपण का आधार** – वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर की गणना पूर्ति के करयोग्य मूल्य पर की जाती है।

4. **अप्रत्यक्ष कर** – वस्तु एवं सेवा कर का अंतिम भार माल या सेवा के अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है।

5. **कर की दरें** – जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाली कर की दरों के लिए कुल 7 खंड बनाए गए हैं जिनमें 0 प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, एवं 28 प्रतिशत की दरें शामिल हैं।

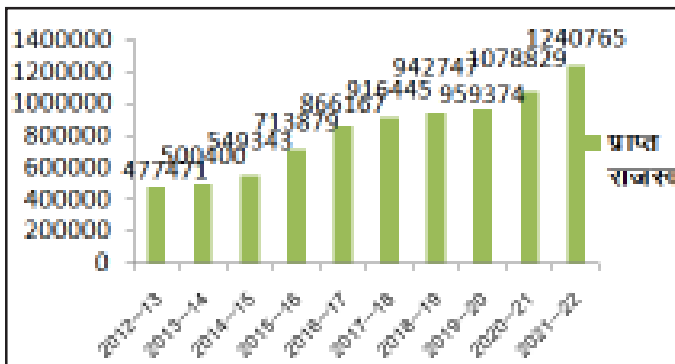
6. **कर मुक्त माल एवं सेवाएँ** – जीएसटी के अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली लगभग 150 अनिवार्य वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया

वस्तु एवं सेवाकर के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व का अध्ययन

केंद्र सरकार को प्राप्त अप्रत्यक्ष कर राजस्व की तालिका

वस्तु एवं सेवाकर के पूर्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व		वस्तु एवं सेवाकर के बाद अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व	
वर्ष	प्राप्त राजस्व रु. करोड़ों में	वर्ष	प्राप्त राजस्व रु. करोड़ों में
2012-13	477471	2017-18	916445
2013-14	500400	2018-19	942747
2014-15	549343	2019-20	959374
2015-16	713879	2020-21	1079929
2016-17	866167	2021-22	1240765

स्रोत : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की रिपोर्ट



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट की सहायता से यह आसानी से कहा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पूर्व के वर्षों की तुलना में जीएसटी लागू होने के बाद के वर्षों में जीएसटी संग्रह में तेजी से वृद्धि हुई है।

1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के तत्काल बाद 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह 916445/- करोड़ रुपये हुआ जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति तक बढ़कर 1240000/- करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

सांख्यिकीय परीक्षण

सांख्यिकी माध्य पर आधारित



उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जा सकता है कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अप्रत्यक्ष कर राजस्व में भारी वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पूर्व के 5 वर्षों का अप्रत्यक्ष कर राजस्व का सांख्यिकी माध्य 621542/- करोड़ रुपये है जबकि जीएसटी लागू होने बाद यह बढ़कर 1027852/- करोड़ रुपये हो गया है।

निष्कर्ष – इस प्रकार उपरोक्त तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के पश्चात् भारत सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने के पूर्व के 5 वर्षों का अप्रत्यक्ष कर राजस्व का सांख्यिकी माध्य 621542/- करोड़ रुपये है जबकि जीएसटी लागू होने बाद यह बढ़कर 1027699/- करोड़ रुपये हो गया है।

शून्य परिकल्पना का परीक्षण

शून्य परिकल्पना – जीएसटी के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। (अस्वीकृत)

वैकल्पिक परिकल्पना – जीएसटी के पूर्व एवं पश्चात् अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण अंतर है। (स्वीकृत)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क – डॉ. श्रीपाल सकलेचा
2. वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क – डॉ. एच.सी.मेहरोत्रा
3. सांख्यिकी के सिद्धांत – डॉ. शुक्ल एवं सहाय
4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की रिपोर्ट
5. जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट
6. प्रमुख समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ – दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया

शारीरिक गतिविधियाँ और महिला सशक्तिकरण

डॉ. ममता*

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (शारीरिक शिक्षा विभाग) इस्माईल नेशनल महिला महाविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – शोध खेल का उद्देश्य उन लाभों पर प्रकाश डालना है जो महिलाओं और लड़कियों को खेलों में भागीदारी से प्राप्त होते हैं। 'सशक्तिकरण' शब्द व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए संदर्भित करता है। आज खेल और शारीरिक गतिविधियाँ लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक रणनीति के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रही हैं। शिक्षा, खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से और उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्र में समान अवसर देकर सशक्त बनाना है। एक महिला 'महामाया' और 'महाशक्ति' दोनों हैं और दुनिया की कुंजी रखती हैं। जैसा कि 'स्वामी विवेकानंद' ने लिखा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समझना मुश्किल है कि इस देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच इतना अन्तर क्यों किया जाता है? जबकि वेदान्तों में लिखा है, 'सभी प्राणियों में एक चेतना मौजूद है।

खेलों में महिलाओं की भागीदारी का एक लम्बा इतिहास रहा है। यह विभाजन और भेदभाव से चिन्हित इतिहास है लेकिन महिला एथलीटों द्वारा प्रमुख उपलब्धियों और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रगति से भरा हुआ है। महिलाओं को अक्सर खेल के लिए बहुत कमजोर माना जाता है। विशेष रूप से धैर्य के लिए, जैसे मैराथन दौड़, भारोत्तोलन और साइकिल चलाना, और अक्सर यह तर्क दिया जाता था कि खेल महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से उनके प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

1896 में आधुनिक ओलम्पिक के संस्थापक बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने कहा, 'कोई खिलाड़ी चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, कुछ झटकों को सहने के लिए उसके शरीर को नहीं काटा जाता है।'

शब्द कुंजी – अधिकारिता महिला, खेल भागीदारी, खेल शारीरिक गतिविधियाँ, खेल उपलब्धियाँ।

प्रस्तावना – हम दुनिया में रहते हैं जो इतनी तेजी से बदलती है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खेलों में महिलाओं की छवि भी तेजी से बदल रही है। हालांकि ऐसा अब नहीं है जब महिलाओं को सामाजिक रूप से खेल या किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। कुछ स्थानों पर, महिलाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान शासन के पतन के बाद महिलाओं को खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सऊदी अरब में, महिलाओं और लड़कियों को खेल और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने से रोक दिया गया। सऊदी अरब उन देशों में से एक है, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। एक महिला एथलीट को ओलम्पिक में भेजा है, लेकिन खेलों में महिलाओं की समग्र छवि बदल गई है। अब महिलाएँ न केवल खेलों में भाग ले सकती हैं, बल्कि उनमें उत्कृष्टता भी हासिल कर रही हैं।

खेल में महिलाओं की भागीदारी का एक लम्बा इतिहास रहा है। कई उल्लेखनीय उपलब्धियों में संयुक्त राज्य अमेरिका की हेलेन मैडिसन, 1932 के ओलम्पिक में एक मिनट में 100 यार्ड फ्लोस्टाइल तैरने वाली पहली महिला, इटली की मारिया टेरेसा डी फिलिफिस हैं।

1958 में यूरोपीय ग्रा फ्री ओटो रेस में भाग लेने वाली पहली महिला, मोरक्को की नवल एल मुतावकेल 1984 के ओलम्पिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में ओलम्पिक पदक जीतने वाली इस्लामिक राष्ट्र की पहली महिला

और केन्या की तंगला लोरुपे, जो 1994 में एक प्रमुख मैराथन जीतने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी। प्रशिक्षकों, प्रबन्धकों, अधिकारियों और खेल पत्रकारों सहित खेल और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी भी सभी उम्र की महिलाओं के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कर सकती है, जिसमें अल्जाइमर रोग जैसे मानसिक विकारों का प्रबंधन भी शामिल है। तनाव, चिंता अकेलापन जैसे अवसाद को कम करने में मदद करता है यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं में अवसाद की दर विकसित और विकासशील दोनों देशों में पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी है। खासकर किशोरियों में है।

चिंता और अवसाद ग्रस्तता विकारों के प्रति संवेदनशील और लड़कों की तुलना में 15 वर्ष की आयु तक आत्महत्या करने पर गंभीरता से विचार करने की काफी अधिक संभावना है।

हाल के वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति के रूप में खेल और शारीरिक गतिविधियों को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। 'वीमैन विन' पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका एक ध्यान नवीनतम खेलों और शारीरिक गतिविधियाँ कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने पर है। सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के लिए खेलों के इर्द-गिर्द एक सामाजिक आन्दोलन बनाना है। खेलों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य

को बनाए रखने में मदद करता है। खेल-कूद में भाग लेने से वे शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के सुधार, कल्याण की सकारात्मक भावना, पुरानी बीमारी की रोकथाम और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम करना। 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली भारत की पहली और सर्वोच्च रैंक की अधिकारी किरण बेदी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कहती हैं 'खेल और शिक्षा हमारी परवरिश के प्रमुख स्तम्भ हैं।' महिला खेल फाउंडेशन (WSF) एक शैक्षिक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में टेनिस दिग्गज बिली जिन किंग ने की थी। इसका घोषित मिशन वक्तव्य है- 'खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाना।'

भारतीय महिलाओं ने हर खेल में देश के लिए बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारत की कुछ महिला खेल आइकन, खेलों का इंजन पीटीओ उषा (एथलेटिक्स) कुंजारानी देवी (भारोत्तोलन), डायना एडुलजी (क्रिकेट), इंदुप्रुई (टेबल-टेनिस) प्रीतमरानी (हॉकी), सानिया मिर्जा (टेनिस), कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलन), साइना नेहवाल (बैडमिंटन) आदि।

खेल और समाज के लिए महिलाओं की भागीदारी के लाभ- खेल में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव को चुनौती देती है, और इसलिए लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वाहन हो सकती है, विशेष रूप से खेल नेतृत्व में महिलाएँ दृष्टिकोण को आकार दे सकती हैं। नेताओं और निर्णय लेने वाले के रूप में महिलाओं की क्षमताओं के प्रति, विशेष रूप से पारंपरिक पुरुष डोमेन में खेलों में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक जीवन और सामुदायिक विकास में महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक जीवन और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए खेल के सकारात्मक परिणाम सभी क्षेत्रों में और खेल और शारीरिक गतिविधि के सभी स्तरों पर लिंग आधारित भेदभाव से बाधित है, जो महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक भूमिकाओं की रूढ़िवादिता से प्रेरित है। महिलाओं को विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित विभिन्न प्रकार के खेलों, आयोजनों और प्रतियोगिताओं में अक्सर अनैच्छिक रूप से अलग कर दिया जाता है। नेतृत्व और निर्णय लेने के पदों पर महिलाओं की पहुँच स्थानीय स्तरों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक सीमित है। महिलाओं के खेलों में प्रतिभागिता का रखा गया मूल्य अवसर कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त संसाधन और असमान वेतन और पुरस्कार मिलते हैं साथ ही साथ मीडिया, महिलाओं का खेल न केवल हाशिए पर है बल्कि एक अलग शैली में प्रस्तुत किया गया है, जो लैंगिक रूढ़ियों को दर्शाता है, और मजबूत करता है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, खेल में शोषण और उत्पीड़न पुरुषों के प्रमुख शारीरिक शक्ति और शक्ति की धारणाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पुरुष खेलों में चित्रित किया जाता है।

लैंगिक भेदभाव और असमान लैंगिक संबंधों को चुनौती देने और महिलाओं और खेल सहित कई अलग-अलग क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की गई है। उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं में सुधार करना शामिल है।

रोजगार और आर्थिक संपत्तियों जैसे अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुँच और नियंत्रण बढ़ाना, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें

बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसमें हिंसा से मुक्ति भी शामिल है।

पिछले एक दशक में, यह सामने आया है कि खेल और शारीरिक शिक्षा तक पहुँच और भागीदारी न केवल अपने आपमें एक अधिकार है, बल्कि इसका उपयोग लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को सुगम बनाने, नेतृत्व को बढ़ावा देने के माध्यम से कई महत्वपूर्ण, विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। विकास और सहिष्णुता और सम्मान को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अवसरों और सामाजिक नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सामाजिक समावेश, राजनीतिक विकास और शांति और सुरक्षा सहित विकास के सभी क्षेत्रों को खेल से प्रभावित किया जा सकता है।

लड़कियों और महिलाओं के लिए खेलों के लाभ- हाल के वर्षों में लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की रणनीति के रूप में खेल और शारीरिक गतिविधियों को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। जो महिलाएँ खेल खेलती हैं या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेती हैं, उनके पास अधिक सकारात्मक शरीर की छवि होती है, जीवन कौशल, आत्मविश्वास का निर्माण होता है और वे महिलाओं की तुलना में सामाजिक नेटवर्क बना रही हैं।

खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं में आत्मसम्मान और गर्व अधिक होता है। खेलों में भागीदारी महिलाओं के शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने महिलाओं के सामाजिक समावेश और सामाजिक एकीकरण की शुरुआत करने और लिंग मानदण्डों को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है, सार्वजनिक जीवन और सामुदायिक विकास में योगदान देती है। किशोर खेल भागीदार ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकती है। जर्नल ऑफ जर्नल के मई 2019 के अंक में एक अध्ययन के अनुसार 'सप्ताह में चार घण्टे या अधिक ऐसे खेल जो पुरुषों द्वारा अपनी किशोरवस्था और 2021 के दशक के दौरान खेले जाते हैं, हड्डियों के द्रव्यमान को बढ़ाते हैं और जीवन में बाद में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास से कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।' हड्डी और खनिज अनुसंधान।

अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएँ- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) खेल की दुनिया में एक केन्द्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाती है और इसकी नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खेल आयोजनों और प्रक्रियाओं में मानक निर्धारित करती हैं। 1994 में IOC ने अनुरोध किया कि महिलाओं और खेल पर कार्यवाही की आवश्यकता के स्पष्ट संदर्भ को शामिल करने के लिए ओलंपिक चार्टर में संशोधन किया जाए। यह 2004 में अपनाए गए वर्तमान चार्टर में परिलक्षित होता है। जिसमें कहा गया है कि समिति की भूमिकाओं में से एक शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को लागू करने की दृष्टि से सभी स्तरों पर और सभी संरचनाओं में खेलों में बदलाव करना है और खेल में लाभ पैटर्न पुरुषों और महिलाओं की समानता का सिद्धान्त, 1995 में अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने महिलाओं और खेल पर एक कार्य समूह की स्थापना की, जिसे 2004 में एक आयोग का दर्जा दिया गया।

महिलाओं और खेल पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समूह सरकार का एक स्वतन्त्र समन्वयक निकाय संगठनों, उन्नति के लिए एक उत्प्रेरक बनना है और विश्व स्तर पर महिलाओं और खेल का सशक्तिकरण यह स्थापित किया गया था। 1994 में महिलाओं और खेल का सम्मेलन प्रथम विश्व सम्मेलन में, ब्राइटन

यूनाइटेड किंगडम में आयोजित अंग्रेजों द्वारा आयोजित खेल परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक द्वारा समर्थित समिति। महिलाओं पर दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य समूह और महिला और खेल पर खेल विश्व सम्मेलन 1998 में बिडहोक, नामीबिया में हुआ। IWG तीसरा विश्व सम्मेलन 2002 में मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ।

निष्कर्ष—यह सौ की फीसदी सच है, आज महिलाएँ पेशेवर रूप से इसमें भाग लेती हैं, व्यवहारिक रूप से हर प्रमुख खेल हालांकि भागीदारी का स्तर आमतौर पर कम हो जाता है जब यह अधिक हिंसक सम्पर्क खेलों की बात आती है। महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और सुधारने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। खेलों में उनकी बेहतर वृद्धि और सशक्तिकरण के आवश्यक हैं। खेलों में लैंगिक मुख्यधारा आवश्यक है और इसके लिए आवश्यक है कि खेल निकाय और संस्थान अपनी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक लैंगिक दृष्टिकोणों की पहचान करें और स्पष्ट रूप से संबोधित करें उदाहरण के लिए, नीति विकास, नियोजन प्रक्रियाओं, मानव संसाधन, विकास जिसमें भर्ती, पदोन्नति, अवधारणा और कार्यक्रमों में लैंगिक दृष्टिकोण की मुख्यधारा में लाने के लिए उन बाधाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होगी। जिनका सामना महिलाओं और लड़कियों को खेल और शारीरिक गतिविधि तक पहुँचने इसमें भाग लेने और लाभ उठाने और उन्हें दूर करने के तरीकों की पहचान करने में करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उपयुक्त भौतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की स्थापना, समान नियमों और विनियमों का विकास और खेल के लाभों और महिलाओं और लड़कियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। संक्षेप में महिला सशक्तिकरण के सभी क्षेत्रों में खेल और शारीरिक शिक्षा विषय को भारत के हर राज्य में महत्वपूर्ण बनाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 'लोगों की मानसिकता को बदलना है और वे अब लड़कियों के जन्म का जश्न मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब परिवार अपनी बेटियों को शिक्षित करने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पूरा सहयोग करते हैं। आज हरियाणा सरकार भी अपनी बेटियों की मदद कर रही है ताकि वे जीवन में नई उँचाई हाँसिल कर सकें और अपने परिवार, राज्य, और देश का नाम रोशन करेंगी। मेरी व्यक्तिगत राय में यह हरियाणा सरकार

की पहल महिला अधिकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. African Sports Confederation of Disabled (2002), Policy : Women's and Girls participation in sport and recreation, Cairo : African Sports Confederation of Disabled.
2. Battey, Richard, Wellard, I. and Dis-more, H. (2004), Girls' participation in physical activities and sports: Benefits, patterns, influences and ways forward, Centre for Physical Education and Sport Research, United Kingdom : Canterbury Christ Church University College.
3. Brady, Martha (2005), Letting girls play: using sport to create safe spaces and build social assets,. In Promoting healthy, safe and productive transitions to adulthood, Brief No. 1, May 2005, New York, population Council.
4. Brady, Martha and Arjmand, B.K. (2002), Letting girls play: The Mathare Youth Association's Football Programme for Girls, New York : The Population Council Inc.
5. Swami Vivekanand, Calcutta : Advaita Ashrama, 1969; 3:2:14.
6. www.hrw.org/news
7. Journal of Bone and Mineral Research
8. www.wikipedia.com
9. www.google.com
10. www.journals.elsevier.com
11. Journal of the National Cancer Institute, 1994.
12. www.education.com
13. www.womensportsfoundation.org
14. http://www.icnsportsweb.com
15. The Times of India-6th, 2013.
16. Competition Success, 2012.

छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में सीखने की क्षमता की भूमिका पर एक अध्ययन

डॉ. विनेता*

* विभागाध्यक्षा (मनोविज्ञान विभाग) इस्माईल नेशनल महिला पीजी कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – सीखने की क्षमता एक जटिल निर्माण है जिसमें विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल शामिल हैं, जैसे कि ध्यान, स्मृति, प्रसंस्करण गति और समस्या-समाधान। ये कौशल छात्रों की नई जानकारी और कौशल सीखने और अकादमिक दक्षताओं को प्राप्त करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कई अध्ययनों से पता चला है कि उच्च सीखने की क्षमता वाले छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि सीखने की क्षमता के शीर्ष चतुर्थक में छात्रों के हाई स्कूल से स्नातक होने और कॉलेज में भाग लेने की संभावना नीचे के चतुर्थक में छात्रों की तुलना में अधिक थी।

योग्यता उपलब्धि के लिए सीखने की क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, उच्च सीखने की क्षमता वाले छात्र नई जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास बेहतर ध्यान, स्मृति और प्रसंस्करण गति होती है। दूसरा, उच्च सीखने की क्षमता वाले छात्र समस्याओं को बेहतर ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अधिक संक्षेप में सोचने और अधिक रचनात्मक समाधान उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

जबकि सीखने की क्षमता अकादमिक उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता है, यह एकमात्र कारक नहीं है जो मायने रखता है। अन्य कारक, जैसे कि प्रेरणा, प्रयास और गुणवत्ता निर्देश तक पहुंच भी एक भूमिका निभाते हैं। हालांकि, सीखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है जो छात्रों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

प्रस्तावना – योग्यता उपलब्धि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और कार्यबल में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करना आवश्यक है। सीखने की क्षमता, प्रेरणा, प्रयास और पूर्व ज्ञान सहित योग्यता उपलब्धि में योगदान देने वाले कई कारक हैं।

प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा को संदर्भित करती है। यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि कोई छात्र नई जानकारी और कौशल सीखने का प्रयास करेगा या नहीं। जो छात्र सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, वे उन छात्रों की तुलना में योग्यता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं जो प्रेरित नहीं होते हैं।

प्रयास मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की मात्रा है जो एक छात्र सीखने में लगाता है। एक छात्र योग्यता हासिल करेगा या नहीं, यह निर्धारित करने में यह एक और महत्वपूर्ण कारक है। जो छात्र अधिक प्रयास करते हैं, वे कम प्रयास करने वाले छात्रों की तुलना में योग्यता प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं।

पूर्व ज्ञान वह ज्ञान है जो एक छात्र के पास पहले से ही एक विशेष विषय क्षेत्र के बारे में है। यह एक मूल्यवान संसाधन है जो छात्रों को अधिक तेजी और आसानी से नई जानकारी और कौशल सीखने में मदद कर सकता है। कम पूर्व ज्ञान वाले छात्रों की तुलना में अधिक पूर्व ज्ञान वाले छात्रों की योग्यता प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है।

इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि योग्यता उपलब्धि में सीखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च सीखने की क्षमता वाले छात्रों की उच्च योग्यता स्तर प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि वे नई जानकारी और कौशल को अधिक तेजी और आसानी से सीखने में सक्षम हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योग्यता उपलब्धि में प्रेरणा, प्रयास और पूर्व ज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों का शिक्षकों पर प्रभाव पड़ता है। उनका सुझाव है कि शिक्षकों को छात्रों की सीखने की क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह छात्रों को चुनौतीपूर्ण और उत्तोजक सीखने के अनुभव प्रदान करके और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने पर भी ध्यान देना चाहिए, और उन्हें सफल शिक्षार्थी बनने के लिए आवश्यक कौशल और आदतों को विकसित करने में मदद करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

छात्रों की योग्यता उपलब्धि में सीखने की क्षमता की भूमिका एक जटिल मुद्दा है जो बहुत शोध का विषय रहा है। इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है, क्योंकि सीखने की क्षमता और योग्यता उपलब्धि के बीच संबंध कई कारकों के आधार पर भिन्न होने की संभावना है, जिसमें मूल्यांकन की जा रही विशिष्ट दक्षताओं, सीखने के माहौल और व्यक्तिगत छात्र की प्रेरणा और प्रयास शामिल हैं।

हालांकि, यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत हैं कि सीखने की क्षमता

योग्यता उपलब्धि में भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता वाले छात्रों की शैक्षणिक योग्यता के उच्च स्तर को प्राप्त करने की संभावना अधिक थी। इसके अतिरिक्त, शोध से पता चला है कि मजबूत सीखने की क्षमता वाले छात्रों को प्रभावी शिक्षण विधियों से लाभ होने की अधिक संभावना है, जैसे कि वे जो सक्रिय सीखने और समस्या को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

समस्या को हल करने में, यह सोचा जाता है कि कार्यशील मेमोरी का उपयोग समस्या के बारे में जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है और समस्या समाधान प्रक्रिया के दौरान इसकी पहुंच को बनाए रखता है क्योंकि कार्यशील मेमोरी में सीमित भंडारण क्षमता होती है, यह असंभव है कि किसी समस्या में जानकारी इस सीमा से अधिक हो सकती है और हस्तक्षेप कर सकती है। समाधान खोजने का प्रयास करता है। इस कारण से, किसी समस्या के बारे में जानकारी अक्सर बाह्य रूप से संग्रहीत (लिखी हुई) या अनंत काल तक संसाधित होती है (जैसे कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर के साथ) कार्य करने के लिए समर्पित मेमोरी में जगह खाली करने के लिए। साथ ही, समस्या समाधान में कुछ कौशलों का तब तक पता लगाया जा सकता है जब तक वे स्वचालित नहीं हो जाते, जो कार्यशील स्मृति क्षमता के उपयोग को कम कर देगा।

अल्पकालिक स्मृति का उपयोग करने के अलावा, समस्या-समाधान के लिए प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, समस्या के बारे में सॉल्वर ज्ञान का आधार भंडारण दीर्घकालिक स्मृति से होता है। सूचना की इस पुनर्प्राप्ति में महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं कि क्या संग्रहीत किया गया है और इसे कैसे संग्रहीत किया गया है, और समस्या में मौजूद पैटर्न जो व्यक्ति को यह समझने में मदद करते हैं कि स्मृति से किस जानकारी तक पहुंचना है। जानकारी प्राप्त करने के लिए, सामग्री डोमेन से ज्ञान को शुरू करने के लिए स्मृति में मौजूद होना चाहिए। इसे इस तरह से भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो उचित संदर्भ में इसकी पुनः प्राप्ति की सुविधा प्रदान करे।

एक संदर्भ क्षेत्र में अनुभव के साथ, यह माना जाता है कि समस्या हल करने वाले समस्या स्कीमाटा नामक संज्ञानात्मक विकसित करते हैं जो उन्हें किसी विशेष श्रेणी से संबंधित समस्या को पहचानने की अनुमति देता है। समस्या के प्रकारों का यह मानसिक वर्गीकरण समस्या को हल करने के लिए विशेष क्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है, प्रस्तुत समस्या की कथित समानता के आधार पर स्मृति में संग्रहीत अन्य समान श्रेणी के शीर्ष पर। इस बात के सबूत हैं कि विशेषज्ञ और नौसिखिए समस्या हल करने वाले अपनी समस्या स्कीमाटा में भिन्न होते हैं।

समस्या समाधान के लिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण भी मेटाकॉग्निशन की अवधारणा है, जो किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता को संदर्भित करता है। मेटा संज्ञानात्मक रूप से लगे समस्या हलकों ने अपनी समस्या समाधान दृष्टिकोण की योजना बनाने, अपनी योजना का पालन करते हुए लक्ष्य की ओर अपनी प्रगति की निगरानी करने और अपनी चुनी हुई रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में कौशल विकसित किया है। चूंकि मेटाकॉग्निटिव सॉल्वर अपनी मान्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए सावधान हैं और अनुत्पादक रणनीतियों में दृढ़ता के लिए कम उपयुक्त हैं, वे जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल

करने की संभावना रखते हैं।

छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि में सीखने की क्षमता की भूमिका – सीखने की क्षमता एकमात्र ऐसा कारक नहीं है जो योग्यता उपलब्धि में योगदान देता है। अन्य महत्वपूर्ण कारकों में प्रेरणा, प्रयास और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसरों तक पहुंच शामिल है। हालांकि, शोध से पता चलता है कि सीखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है जो एक छात्र की दक्षता हासिल करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

यहाँ कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिनसे सीखने की क्षमता योग्यता उपलब्धि को प्रभावित कर सकती है:

- सीखने की क्षमता उस गति को प्रभावित कर सकती है जिस पर छात्र नया ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। कमजोर सीखने की क्षमता वाले छात्रों की तुलना में मजबूत सीखने की क्षमता वाले छात्र अक्सर नई सामग्री को अधिक तेजी से और कुशलता से सीखने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें योग्यता उपलब्धि के मामले में एक महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है, क्योंकि वे सामग्री को अधिक तेजी से मास्टर करने और अधिक उन्नत विषयों पर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।

- सीखने की क्षमता छात्रों में विकसित होने वाली समझ की गहराई को प्रभावित कर सकती है। मजबूत सीखने की क्षमता वाले छात्र अक्सर उस सामग्री की गहरी समझ विकसित करने में सक्षम होते हैं जो वे सीख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सामग्री के बारे में अधिक गंभीर रूप से सोचने और विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में सक्षम हैं। उच्च स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए यह गहरी समझ आवश्यक हो सकती है।

- सीखने की क्षमता वास्तविक दुनिया की स्थितियों में ज्ञान और कौशल को लागू करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। मजबूत सीखने की क्षमता वाले छात्र अक्सर वास्तविक दुनिया की स्थितियों में सीखे गए ज्ञान और कौशल को लागू करने में बेहतर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अधिक लचीले ढंग से सोचने और सामग्री की प्रासंगिकता को अपने स्वयं के जीवन में देखने में सक्षम हैं। कई क्षेत्रों में सफलता के लिए ज्ञान और कौशल को लागू करने की यह क्षमता आवश्यक है।

कुल मिलाकर, सबूत बताते हैं कि योग्यता उपलब्धि में सीखने की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सीखने की क्षमता ही एकमात्र कारक नहीं है जो मायने रखता है। प्रेरणा, प्रयास, और उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसरों तक पहुंच भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो एक छात्र की दक्षता हासिल करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकार, शिक्षक, माता-पिता और आम जनता छात्रों के खराब प्रदर्शन और कंपनियों की उपलब्धि पर उनकी क्षमता के स्तर के बारे में बहुत चिंतित हैं। शिक्षा के अधिकांश राज्य मंत्रालयों ने राष्ट्रीय संकट को हल करने में प्रगति को मापने के लिए स्कूल की तुलना में हाल के दिनों में अतिरिक्त कदम उठाए हैं। सरकार और शिक्षकों की शैक्षिक शाखा ने हाल ही में छात्रों के प्रेरक राज्यों के प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की है कि वे विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों में कितना अच्छा स्कोर करते हैं। प्रेरक प्रक्रियाएं छात्रों को असफलता से निपटने में मदद करती हैं और उनके व्यवहार को महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करती हैं।

विज्ञान सीखने के प्रति प्रारंभिक रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण विज्ञान में कैरियर की आकांक्षाओं से संबंधित हैं। समस्याओं को हल करने

में छात्रों के बीच आमतौर पर व्यक्त की जाने वाली एक आशंका यह है कि कुछ छात्र परीक्षाओं के बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करते हैं और दुर्बल करने वाली चिंता का सामना करते हैं।

चूंकि शिक्षकों का मुख्य ध्यान छात्रों में कक्षा के भीतर और बाहर दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिकों की सोचने की क्षमता विकसित करना है। समस्या समाधान कौशल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विज्ञान अमूर्तता, वैचारिक सोच और तथ्यों के सामान्यीकरण आदि से संबंधित है, जिनमें से सभी को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के उपयोग की आवश्यकता होती है। छात्रों को इसे प्राप्त करने के लिए, औपचारिक परिचालन चरण की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चा तार्किक रूप से क्रमांकन, वर्गीकरण, आकस्मिकता, समय और गति के माध्यम से कार्य कर सकता है। वह आदर्शों को संयोजित करने, मौखिक और काल्पनिक समस्याओं, अनुपात और गति के संरक्षण को हल करने में भी सक्षम है। वह समझ को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित कर सकता है। विज्ञान में जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें से अधिकांश में सोचने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

किसी शैक्षिक कार्य में स्वयं को सार्थक रूप से संलग्न करने के लिए छात्रों की क्षमता जिसके लिए उच्च संज्ञानात्मक कार्य की आवश्यकता होती है, उन कारकों पर निर्भर करता है जिनमें उनकी शैक्षणिक क्षमता शामिल है। इसे योग्यता या शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर टैग किया जा सकता है। क्षमता स्तर का अर्थ है कार्य करने का विशिष्ट तरीका जो एक व्यक्ति अत्यधिक सुसंगत और प्रेरक तरीके से बौद्धिक गतिविधियों में दिखाता है।

उच्च क्षमता स्तर के शिक्षार्थी वे हैं जो अलगाव और सामाजिक दूरी, सैद्धांतिक और अमूर्त विचारों (क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थियों के समान) को पसंद करते हैं। उनके अनुसार, उच्च क्षमता वाले व्यक्ति मध्यम या निम्न क्षमता वाले समूह से बेहतर होते हैं जो हाथों के उपयोग से संबंधित अन्य कार्यों में बेहतर हो सकते हैं। इस मामले में, उच्च क्षमता वाले समूह में जानकारी की संरचना करने और समस्याओं को हल करने की अधिक क्षमता होती है। हालांकि, मध्यम क्षमता स्तर के शिक्षार्थी सामाजिक सामग्रियों से जुड़ी सीखने की गतिविधियों पर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और बाहरी परिभाषित लक्ष्यों और सुदृढीकरण की आवश्यकता होने की अधिक संभावना होती है। मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक शब्द का उपयोग उन विभिन्न तरीकों को संदर्भित करने के लिए करते हैं जिनमें हम दुनिया को जानते हैं और अपने जीवन के अनुभव से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता में धारणा, तार्किक सोच, तर्क, स्मृति, भाषा और समस्या को सुलझाने की क्षमता शामिल होती है जो युवा लोगों को शिक्षकों, माता-पिता, साथियों और मीडिया द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन, अमूर्त रूप से सोचने और कभी-कभी चुनौती देने की अनुमति देती है। क्षमता का स्तर छात्रों को समझने और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में समझ को स्थानांतरित करने में भी सक्षम बनाता है। विज्ञान में जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें से अधिकांश के लिए औपचारिक विचार क्षमता की आवश्यकता होती है, जो ठोस अनुभव के बजाय अमूर्तता पर आधारित तर्क है। नाइजीरियाई पर्यावरण के भीतर कई अध्ययनों और दूर-दूर के शोधकर्ताओं ने हालांकि दिखाया है कि शिक्षार्थी अपनी क्षमता के स्तर और सीखने की समस्याओं में गुणात्मक रूप से भिन्न हैं।

योग्यता की अवधारणा लंबे समय से हमारे साथ रही है। कई योग्यताएं अब विशिष्ट भूमिकाओं के लिए योग्यता की परिभाषाओं पर आधारित हैं।

योग्यता का उपयोग इस विचार से होता है कि किसी विषय के पीछे ज्ञान और सिद्धांत की अच्छी समझ होने से उसे सक्षम प्रदर्शन में बदलने की क्षमता की गारंटी नहीं होती है। क्षमता का उपयोग संगठनों और समुदायों में मनुष्यों की आवश्यकताओं के अधिक सामान्य विवरण के साथ काम करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण शैक्षिक और अन्य संगठन हैं जो यह बताना चाहते हैं कि एक शैक्षिक स्तर के स्नातक को स्नातक होने के लिए क्या करने में सक्षम होना चाहिए या सक्षम माने जाने के लिए किसी संगठन के सदस्य को क्या करने में सक्षम होना चाहिए। इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि सभी दक्षताओं को क्रियात्मक क्षमताएं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आप कार्यवाई में धीमे हैं, कि आप सक्षम हैं। भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान और बाद में कर्मचारी विकास को मापने और सुधारने के लिए भी क्षमता की आवश्यकता होती है। वास्तव में, नौकरी का विवरण ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की एक बुनियादी परिभाषा है जो किसी भूमिका के लिए आवश्यक है। किसी भी चीज में सक्षम होना इन तीन चीजों का मिश्रण है।

योग्यता को आसानी से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के अनुमानित मिश्रण का उपयोग करके आवश्यक मानकों के लिए गतिविधियों को करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि विज्ञान को किसी भी कार्य में प्रभावी होना है तो ये सभी पहलू मौजूद होने चाहिए। क्षमता बढ़ाने के लिए, न केवल ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, बल्कि उस ज्ञान को कैसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू करने में आपका कौशल और इसे सही तरीके से लागू करने की आपकी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपको भौतिकी में हल करने के लिए कोई समस्या दी जाती है, तो आपके पास समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण भी होना चाहिए।

छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए खोजने की आदत भी बदलनी चाहिए ताकि यह जांचा जा सके कि वे अपने क्षेत्र में कितने सक्षम हैं यानी ज्ञान प्राप्त किया है। एक छात्र को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों पर एक निश्चित स्तर की क्षमता विकसित करने के लिए, समय की एक राशि खर्च करने की आवश्यकता होती है। वे कुछ क्षेत्रों में रुचि ले सकते हैं और इसलिए उन्हें बहुत उच्च स्तर तक विकसित करना चाहते हैं, जबकि दूसरों में उन्नति उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण या प्रासंगिक नहीं हो सकती है क्योंकि वे सबसे कमजोर होने की संभावना है। हालांकि, किसी को यह याद रखना होगा कि दक्षताओं को विकसित करने में काफी समय लगता है और किसी विशेष क्षेत्र में सक्षम बने रहने के लिए, ज्ञान और संबंधित कौशल का निरंतर अभ्यास/उपयोग आवश्यक है या व्यक्ति अपनी प्रवीणता खो देगा।

हालांकि किसी की क्षमता को उपलब्धि परीक्षण, शिक्षक निर्मित परीक्षण, व्यावहारिक कार्य, परियोजनाओं, प्रयोगशाला कार्य आदि में छात्रों के अंकों के एक तार्किक जोड़ से मापा जा सकता है। प्राप्त अंतिम अंक आपको एक छात्र की श्रेणी और योग्यता के स्तर को बताएगा। ग्रेड का उपयोग उनके सुधार को देखने और मापने के लिए भी किया जा सकता है।

वास्तव में, कुछ संस्थान सभी छात्रों के लिए वांछित परिणाम के रूप में समस्या समाधान पर जाते हैं, भले ही अध्ययन के लिए उनकी पसंद कोई भी हो। जैसे-जैसे छात्र अध्ययन करना जारी रखते हैं, उनसे समस्या को पहचानने, परिभाषित करने और हल करने की क्षमता रखने की अपेक्षा की जाती है। भौतिकी का संदर्भ छात्रों को समस्या समाधान में संलग्न होने का

एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। भौतिकी की प्रमुख अवधारणाओं और सिद्धांतों को सीखने में, समस्या समाधान कौशल को शिक्षा के सभी स्तरों पर भौतिकी निर्देश का प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है। समस्या समाधान कौशल समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है और यदि छात्रों को मात्रात्मक और गुणात्मक समस्या समाधान कौशल सीखना है तो इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है।

समस्या समाधान पर अनुसंधान साहित्य संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा, गणित और भौतिकी सहित कई विषयों में फैला हुआ है और उन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं समस्या की परिभाषा और समस्या समाधान, समस्या का संज्ञानात्मक पहलू हल करना (जैसे प्रतिनिधित्व, रणनीतियों, ज्ञान, संरचनाओं और संज्ञानात्मक भार और कामकाजी स्मृति का उपयोग), प्रक्रियाओं और ज्ञान संरचनाओं की विशेषज्ञ-नौसिखिया विशेषताएं, गणित में समस्या को हल करना और संदर्भों में इसका स्थानांतरण, आदि, लेकिन इनमें से पहले तीन श्रेणियों का अधिक विस्तार से पता लगाया जाएगा।

दूसरे चरम पर ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए वांछित लक्ष्य अनिश्चित हो सकता है कुछ आवश्यक जानकारी अनुपस्थित है जिसके लिए सामान्य संभावित समाधान हो सकते हैं। इन्हें बीमार परिभाषित समस्याएं कहा जाता है। जिस हद तक किसी समस्या को अच्छी तरह से परिभाषित या खराब परिभाषित माना जाता है, वह किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है, और इसलिए सॉल्वर उनके समस्या-समाधान के दृष्टिकोण और रणनीतियों में भिन्न होंगे। विशेषज्ञ समस्या हल करने वालों के लिए, यह संभव है कि उन्हें एक समस्या के साथ प्रस्तुत किया जाएगा और इसे हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों को तुरंत जान लें। ऐसे में कोई फर्क कर सकता है कि यह उनके लिए समस्या नहीं बल्कि व्यायाम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

संज्ञानात्मक मनोविज्ञानिकों ने सात चरणों का वर्णन किया है जिसमें एक समस्या समाधान चक्र शामिल है। वे दावा करते हैं कि एक समस्या समाधानकर्ता को सबसे पहले किसी समस्या के अस्तित्व को पहचानना चाहिए और उसकी पहचान करनी चाहिए, समस्या को परिभाषित करना चाहिए और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, समाधान तक पहुंचने के लिए एक रणनीति या योजना विकसित करनी चाहिए, अपने ज्ञान को पहचानना चाहिए, समस्या के लिए मानसिक और शारीरिक संसाधनों का आवंटन करना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए लक्ष्य की ओर प्रगति और समाधान का मूल्यांकन। आप किसी समस्या की पहचान, परिभाषित और प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं, यह विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा मध्यस्थ होता है। आंतरिक रूप से, मौजूदा ज्ञान और अपेक्षाएं किसी समस्या की व्याख्या को वश में करती हैं और समस्या को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने की क्षमता को मध्यस्थ बनाती हैं। अन्य आंतरिक कारक जैसे क्षमताओं और स्वभाव में व्यक्तिगत अंतर भी समस्या समाधान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं उदाहरण के लिए, उच्च स्थानिक क्षमता वाले व्यक्ति भाषाई के बजाय छवियों के उपयोग के साथ समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने की अधिक संभावना रखते हैं।

यद्यपि व्यवहारवादी और नव-व्यवहारवादी दृष्टिकोणों का उपयोग मानव व्यवहार के कुछ पहलुओं जैसे समस्या-समाधान को समझने के लिए किया जा सकता है, लेकिन संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य के पक्ष में उन्हें काफी

हद तक छोड़ दिया गया है। क्षेत्र में यह बदलाव गेसाल्ट मनोविज्ञान के साथ शुरू हुआ, और फिर आगे सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत में विकसित हुआ, जो आज भी एक प्रचलित सिद्धांत बना हुआ है। स्मृति का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत वह आधार है जिस पर सीखने और समस्या समाधान के समकालीन सिद्धांत हैं। संक्षेप में, यह सिद्धांत दावा करता है कि मस्तिष्क में जानकारी स्मृति के दो प्राथमिक घटकों में संग्रहीत होती है: अल्पावधि या कार्यशील स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। शॉर्ट टर्म मेमोरी आकार में सीमित है और समय की लंबाई में जानकारी हो सकती है, और माना जाता है कि इसमें अलग-अलग मौखिक और दृश्य भाग होते हैं। इसके विपरीत, दीर्घकालिक स्मृति बड़ी मात्रा में तथ्यों और डेटा को लंबे समय तक धारण कर सकती है, लेकिन इस जानकारी तक पहुंचने के लिए कार्यशील स्मृति में लाकर सक्रिय किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष – इस अध्ययन ने छात्रों की योग्यता उपलब्धि में सीखने की क्षमता की भूमिका की जांच की। निष्कर्ष बताते हैं कि योग्यता उपलब्धि में सीखने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। उच्च सीखने की क्षमता वाले छात्रों की उच्च योग्यता स्तर प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि वे नई जानकारी और कौशल को अधिक तेजी और आसानी से सीखने में सक्षम हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि योग्यता उपलब्धि में प्रेरणा, प्रयास और पूर्व ज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एशमोर ए डी, फ्रेजर, एम जे और कैसी, आर जे (2015) रसायन विज्ञान में समस्या-समाधान और समस्या समाधान नेटवर्क। जरनल ऑफ केमिकल एजुकेशन, अंक 56, संख्या 6, पीपी 372-379
2. ऑस्टिन, एन। (2016)। सभा तूफान के ऊपर उठनाय उज्जवल आर्थिक भविष्य से अमेरिका को ऊर्जा देना और रोजगार देना। वाशिंगटन, डीसी राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रेस
3. ब्लू, जेएम (2017)। एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम में भौतिकी सीखने और मूल्यांकन में सेक्स अंतर। अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, जुड़वा शहर।
4. ची, एम.टी. फेल्टोविच, पीजे, और ग्लेसर, आर। (2018)। विशेषज्ञों और नौसिखियों द्वारा भौतिकी की समस्याओं का वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व। संज्ञानात्मक विज्ञान, 5, 121-152
5. फोस्टर, टी। (2015)। मात्रात्मक समस्या-समाधान पर जोर देने वाले निर्देश से छात्रों की समस्या-समाधान कौशल का विकास। अप्रकाशित डॉक्टरेट शोध प्रबंध, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, शहर।
6. हार्मब्रिक, डीजेड, और एंगल, आरडब्ल्यू (2013)। समस्या समाधान में कार्यकारी स्मृति की भूमिका। जेई डेविडसन और आर.जे. स्टर्नबर्ग (एड्स)। समस्या समाधान का मनोविज्ञान (पृ. 176-206)। कैम्ब्रिज, यूके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. हेलर, जे.आई., और रीफ, एफ। (2014)। प्रभावी मानव समस्या-समाधान प्रक्रियाओं को निर्धारित करना: भौतिकी में समस्या का विवरण। संज्ञानात्मक और निर्देश, 1(2), 177-216
8. क्रामर्स-पाल्स, एच। लैम्ब्रेक्ट्स, जे। और वोल्फ, जे। (2012)। मात्रात्मक समस्याओं को हल करने में आवर्तक कठिनाइयाँ। जर्नल ऑफ केमिकल एजुकेशन। वॉल्यूम 59, संख्या 6, पीपी 509-513

मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म : संभावनाएं एवं चुनौतियां

डॉ. आलोक कुमार यादव*

* पूर्व प्राचार्य इंदिरा गाँधी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इको टूरिज्म पूर्णरूपेण पर्यटन का एक नया प्रकार या एक नया दृष्टिकोण है। यह प्राकृतिक स्थानों की जिम्मेदारीपूर्वक की अनुकूल पर्यटन है जो अपने संसाधनों को कम करने और उस पर दबाव डालने के बजाय स्थानीय पर्यावरण का समर्थन और उसमें सुधार करता है।

इको टूरिज्म पर्यटकों को पर्यावरण के दायरे के अंदर पर्यटन की अनुमति देता है। इको टूरिज्म यात्रियों को प्राकृतिक क्षेत्रों में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उन क्षेत्रों के सांस्कृतिक और प्राकृतिक इतिहास का सम्मान करते हैं। इको टूरिज्म में पर्यटक ऐसी गतिविधियों में अधिक लगे रहते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र की एकात्मता को विखंडित नहीं करती हैं और आर्थिक अवसरों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संरक्षण करती हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण स्थानीय लोगों के लिए लाभदायक हो जाता है।

‘इकोटूरिज्म’ वाक्यांश का उपयोग मूल रूप से हेक्टर सेबलोस-लास्कुरैने ने 1983 में किया था। इसे सौन्दर्य के साथ-साथ स्थानीय वन्य जीवन, वनस्पति और संस्कृति को जानने, समझने, सीखने और आनंद लेने के साथ साथ अछूते, प्राकृतिक क्षेत्रों में यात्रा करने के रूप में वर्णित किया गया है।

इस शोधपत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पर्यावरण पर्यटन या इको टूरिज्म की संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाना और इसके कारणों का विश्लेषण करना है। शोध द्वितीयक समंको पर आधारित है जो पुस्तकों, पत्रिकाओं और जर्नल्स आदि से एकत्रित किये गए हैं।

शब्द कुंजी – इको टूरिज्म, पारिस्थितिकी तंत्र।

प्रस्तावना – विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, पर्यटन व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की गतिविधि है जो अन्य चीजों के अलावा आनंद, फुर्सत, मनोरंजन, सीखने और अन्वेषण के उद्देश्य से अपने सामान्य परिवेश से बाहर के स्थानों पर थोड़े समय के लिए यात्रा करना या करते रहना हैं।

वैश्विक उद्योगों में पर्यटन एक ऐसा उद्योग है, जिसमें सबसे तेज विकास दर पाई जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग पर्यटन से उत्पन्न होता है। भारत में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं जैसे खूबसूरत समुद्र तटों, रेगिस्तानों, जंगलों, पहाड़ों और बैकवाटर के लिए प्रसिद्ध है। अपनी प्राकृतिक विशेषताओं के साथ-साथ देश ने बड़ी संख्या में मानव निर्मित स्मारक, सांस्कृतिक आदि स्थल विकसित किए हैं। भारत अपनी पारंपरिक संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। भारत की संस्कृति 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है, यह सब भारत को पर्यटन की दृष्टि से सोने की खान बनाता है।

इको टूरिज्म की अवधारणा – इको टूरिज्म प्राकृतिक दुनिया में उन स्थानों का भ्रमण करने को संदर्भित करता है जहां वनस्पति, जीव और सांस्कृतिक विरासत मुख्य आकर्षण हैं। इको टूरिज्म का प्रमुख लक्ष्य प्रकृति के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना और आगंतुकों को इस बात का बेहतर ज्ञान देना है कि मानव गतिविधि पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है।

‘इको टूरिज्म’ एक प्रकार की पर्यटन शैली है जो पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक उत्थान के माध्यम से स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण को प्रोत्साहित करना है ताकि पर्यटकों का स्थानीय पर्यावरण के साथ सहयोग हो सके और उन्हें स्थलीय संस्कृति और जीवनशैली की अनुभूति हो सके।

इको टूरिज्म का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित होते हैं:

- 1. पर्यावरण संरक्षण:** इको टूरिज्म का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण होता है। यह पर्यावरणीय तंत्र की अनुसंधान और संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देता है ताकि पर्यटकों की भागीदारी से स्थलीय प्रजातियों और पर्यावरण की रक्षा हो सके।
- 2. सामाजिक उत्थान:** इको टूरिज्म से स्थानीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उत्थान प्राप्त होता है। यह स्थानीय लोगों को सहायता प्रदान करने और उन्हें पर्यटकों के साथ सांस्कृतिक विनिमय के लिए अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।
- 3. सांस्कृतिक संवर्धन:** इको टूरिज्म से स्थलीय संस्कृति, रीति-रिवाज और धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। पर्यटकों को स्थानीय भोजन, कला, संगीत, और जीवनशैली का अनुभव कराने का प्रयास किया जाता है ताकि वे स्थानीय सांस्कृतिक समृद्धि को समझ सकें।
- 4. शिक्षा और सदुपयोग:** इको टूरिज्म पर्यटकों को प्राकृतिक संसाधनों, प्रजातियों और पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षा देने का एक माध्यम भी हो सकता है।

संक्षिप्त में इको टूरिज्म एक जगह या गतिविधि हो सकती है जहां पर्यटकों को स्थानीय गांवों में रहने, स्थानीय खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने, स्थानीय शिल्पों की खरीदारी करने, और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है।

इको टूरिज्म का उद्देश्य एवं महत्व – इकोटूरिज्म का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को शिक्षित करना, आर्थिक विकास को वित्तपोषित करना, स्थानीय समुदायों की मदद करना, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और

पर्यावरण को संरक्षित करना है।

इकोटूरिज्म पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार विकास, पुनर्चक्रण, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। इससे पर्यटन उद्योग में रोजगार की संभावनाएं भी खुलती हैं।

भारत में, 200 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं जो देश के वन्यजीव संसाधनों की रक्षा करना चाहते हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के स्थल प्राकृतिक सुन्दरता और वास्तुकला के लिए विख्यात है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश राज्य में हैं यहां कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 31 वन्यजीव अभयारण्य के साथ 6 टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी संरक्षित हैं।

मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म की संभावनाएं – मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जो भूगोलीय और सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के इको टूरिज्म गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जो पर्यावरणीय संरक्षण, स्थलीय समुदायों के उत्थान और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती हैं।

मध्यप्रदेश में कुछ प्रमुख इको टूरिज्म स्थल निम्नलिखित हैं:

1. **पचमढ़ी** : पचमढ़ी मध्यप्रदेश की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने वनों, और पर्यावरणीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर वन्यजीवों की खोज, वनों का संरक्षण और स्थानीय समुदायों के साथ सांस्कृतिक विनिमय के आयोजन होते हैं।

2. **कान्हा राष्ट्रीय उद्यान** : यह एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के लिए कई गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं जो स्थलीय समुदायों के उत्थान का हिस्सा बनती हैं।

3. **भीमबेटका** : भीमबेटका गुफाएँ मध्यप्रदेश में स्थित हैं और यहाँ पर प्राचीन पेंटिंग्स और चित्रकलाएँ मिलती हैं जो प्राचीन मानव सभ्यता की जानकारी प्रदान करती हैं।

4. **खजुराहो** : यह एक प्रसिद्ध यात्रा स्थल है जो खजुराहो मंदिर समूह के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थानीय संस्कृति, कला और मिथिला पेंटिंग्स की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

5. **सतपुड़ा रेंज** : यह एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ी सीमा है जो पेड़-पौधों, झीलों और जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें छिन्दवाड़ा जिले का पातालकोट, तामिया, बैतूल का कुकरु खामला, मुक्तागिरी जैसे स्थल हैं।

मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म की कई संभावनाएं हैं जो पर्यावरणीय संरक्षण, स्थानीय समुदायों के विकास और सांस्कृतिक प्रशासन में मदद कर सकती हैं:

1. **बायो-डाइवर्सिटी और प्राकृतिक सौंदर्य**: मध्यप्रदेश में विविध प्राकृतिक सौंदर्य और बायो-डाइवर्सिटी है। यहाँ पर वन्यजीवों का आदिकालीन अभयारण्य है और प्राचीन वन्यजीव जीवन के साक्षात्कार के अवसर हैं।

2. **प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा**: मध्यप्रदेश में कई प्राकृतिक स्थल और वन्यजीव अभयारण्य हैं जो संरक्षित होने के लिए इको टूरिज्म के माध्यम से प्राधिकृत किए जा सकते हैं।

3. **ग्रामीण उत्थान**: मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में इको टूरिज्म से स्थानीय

आर्थिक उत्थान का अवसर हो सकता है। पर्यटकों का स्थानीय सामुदायों के उत्पादों का खरीदारी करने में मदद करने से, स्थानीय जीवनशैली को समृद्धि मिल सकती है।

4. **सांस्कृतिक संवर्धन**: मध्यप्रदेश में विविध सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि प्राचीन मंदिर, किले, और कला-संस्कृति की धरोहर। यह स्थानीय समुदायों को स्थानीय कला और विरासत को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

5. **पर्यावरण शिक्षा**: इको टूरिज्म से पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ सकती है।

6. **अद्वितीय अनुभव**: बड़े और शांतिपूर्ण प्राकृतिक स्थल मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण हो सकता है।

7. **शिक्षा और प्रशिक्षण**: इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय समुदायों और पर्यटकों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और संरक्षण के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर मिल सकता है।

मध्यप्रदेश में विविध संभावनाएं हैं जो इको टूरिज्म को समृद्धि प्रदान करने में मदद कर सकती हैं और साथ ही पर्यावरण और समुदायों के विकास की संरचनाओं और परंपराओं को भी समझ सकें।

मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म के समक्ष चुनौतियाँ – मध्यप्रदेश में इको टूरिज्म को लागू करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें प्रमुख हैं :

1. **संरक्षण की आवश्यकता**: पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षित और स्थायी प्रयासों की आवश्यकता होती है। बढ़ती पर्यटन गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे संरक्षण की आवश्यकता होती है।

2. **सांस्कृतिक समरसता**: स्थानीय समुदायों को सांस्कृतिक रूप से सहयोगी बनाने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें पर्यटकों के साथ सही तरीके से व्यवहार, व्यापार और विनिमय करने का अवसर मिल सके। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोगों के बीच सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

3. **इंफ्रास्ट्रक्चर विकास**: अधिकांश इको टूरिज्म स्थल अज्ञात और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होते हैं, इसलिए उनके पहुँचने के लिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है।

4. **स्थानीय उत्पाद**: स्थानीय समुदायों को पर्यटकों के आगमन से स्थानीय उत्पाद को बेहतर स्थिति में लाने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें इस सेक्टर से उपयुक्त लाभ मिल सके।

5. **सामाजिक उत्थान की आवश्यकता**: स्थानीय समुदायों को इको टूरिज्म से सामाजिक और आर्थिक उत्थान का सही तरीके से लाभ मिलना चाहिए।

6. **शिक्षा और सदुपयोग**: पर्यटकों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयोगी माध्यम विकसित करने की आवश्यकता होती है। इको टूरिज्म का प्रमुख लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा करना हमेशा सरल नहीं होता है। इको टूरिज्म यात्री कभी-कभी ऐसे क्षेत्रों में आते हैं जो अधिकतर मानवीय हस्तक्षेप से बचे हुए हैं। बढ़ती जनसंख्या भोजन और पानी जैसे

संसाधनों की मांग बढ़ाकर पर्यावरण पर अधिक दबाव डालती है।

7. सामुदायिक सहभागिता: स्थानीय समुदायों को पर्यटन के निर्णयों में शामिल करने और उनकी भागीदारी की आवश्यकता होती है। मध्यप्रदेश में ईको टूरिज्म के सामक्ष उच्च कुशलता और सहयोगी प्रक्रियाएँ आवश्यक हैं ताकि स्थानीय समुदायों का उत्थान हो सके और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सके।

8. प्रोत्साहन और जागरूकता: ईको टूरिज्म के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के साथ सहयोग की जागरूकता और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिक लोग इसके बारे में जान सकें और इसका सही तरीके से उपयोग कर सकें। मध्यप्रदेश में अपर्याप्त योजना, जानकारी दूर गाइड की कमी, प्रभावी विपणन रणनीतियों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी आदि के कारण, ईकोटूरिज्म क्षेत्र को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष –मध्यप्रदेश में ईको टूरिज्म के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, स्थानीय समुदायों का उत्थान और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि पर्यटक न केवल सैर सपाटा करें, बल्कि स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं को भी समझ सकें। हालाँकि, मध्यप्रदेश में सरकारी नीति में खामियों के कारण, पर्यटन उद्योग अपनी क्षमता का

दोहन करने में विफल रहा है। ईकोटूरिज्म द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामाजिक राजनीतिक चित्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलती है। पर्यटक प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं जहां नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जैसे सीवेज उपचार संयंत्र, आवास विकल्प इत्यादि। कमजोर स्थानों में पर्यावरणीय गिरावट अधिक गंभीर है। पर्यटकों की भारी आमद स्थानीय समुदाय के लिए भी हानिकारक हो सकती है क्योंकि वे शायद ही कभी वहां अपना पैसा खर्च करते हैं। कूड़ा निस्तारण से निपटना कठिन हो जाता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि ईको टूरिज्म व्यवसाय से कमाया गया धन प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि कर उसे और सुव्यवस्थित कर सकता है। ईको टूरिज्म विकासशील क्षेत्रों के सामने आने वाली राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. <https://www.mptourism.com/rural-experiences.php>
2. <https://ecotourism.org/what-is-ecotourism/>
3. <https://www.treehugger.com/what-is-ecotourism-definition-examples-5181259>
4. tourism.mp.gov.in
5. <https://www.tourmyindia.com/states/madhyapradesh/>

ऑनलाइन शिक्षा में चुनौतियां एवं अवसर : एक अध्ययन

लाकेश कुमार साहू*

* असिस्टेंट प्रोफेसर, मैट्स स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – ऑनलाइन शिक्षा अभी के समय में महत्वपूर्ण हो गया है जो कि कोविड 19 के प्रभाव के कारण अधिक संभव हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा से आज सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा अपने महत्वों के साथ-साथ चुनौतियों और अवसरों को भी समेटे हुए है। ऑनलाइन शिक्षा अभी के परिवेश में एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ती है साथ ही इसे विभिन्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा ने छात्रों को एक नया आयाम दिये है। ऑनलाइन शिक्षा ने दूरस्थ छात्रों के लिए पढ़ाई के सारे रास्ते खोल दिये हैं जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में पहुंच की सीमाओं को तोड़ दिया है। ऑनलाइन शिक्षा ने एक तरफ तो महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ अपने विशेषताएं लिये हुए है वहीं दूसरी ओर इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऑनलाइन शिक्षा ने कोविड से मिले चुनौतियों को पूरा करने में सफल रहा है। जिससे घर बैठे ही छात्र-छात्राओं को उनकी शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हुआ हैं। जब कभी भी मानव जाति को कुछ भी चुनौतियां मिली है उस पर इन्होंने अवसर ढूंढा है। अभी के समय में ऑनलाइन शिक्षण ने मनुष्य शिक्षण अभिरूचियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को आने-जाने वाली समस्याओं को भी पूरा कर दिया है। इस लेख में ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न प्रवृत्तियों एवं अवसर एवं चुनौतियों का समावेश किया गया है जिससे ऑनलाइन शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकताओं से परिचित कराया है। किंतु साथ ही साथ इंटरनेट की असुविधा होने, पाठक अगर तकनीकी रूप से साक्षर नहीं हैं तो इसका खमियाजा पाठक को ही चुकानी होती है। फिर भी कहीं न कहीं अभी के इस दौर की मांग को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा ने वर्तमान परिवेश को अधिक प्रभावित किया है।

शब्द कुंजी – ऑनलाइनपोर्टल, ऑनलाइन गैजेट, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षाशास्त्र।

प्रस्तावना – ऑनलाइन शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रणाली है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से देश-विदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षण का कार्य कराया जा रहा है जिससे सूरूर क्षेत्रों के शिक्षार्थियों को भी आसानी से शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के पास विभिन्न ऑनलाइन गैजेट होना आवश्यक है। सरलतम शब्दों में ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट का उपयोग करके सीखने के बारे में है। शैक्षणिक संस्थान एक पोर्टल बनाते हैं जहां छात्र लॉग इन कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा समय सारिणी बनाने के लिए पोर्टल तक पहुंचते हैं। पोर्टल उन छात्रों को निमंत्रण भेजता है जो अपने घरों से कक्षा में भाग लेते हैं। इस तथ्य को छोड़कर कि शिक्षक और छात्र कक्षा में नहीं हैं। ऑनलाइन कक्षाएं वैसे ही संचालित की जाती हैं। यह संरचना कुछ फायदे और नुकसान पेश करती है। जैसा की नीचे बताया गया आज छात्रों तक शिक्षा को सुचारु रूप से पहुंचाने के लिए भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके लिए मंत्रालय, स्कूल एवं कॉलेजों को ई-लर्निंग जैसे मंचों का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोविड 19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। क्योंकि ई-लर्निंग के द्वारा इस बीमारी से बचने के महत्वपूर्ण उपाय लोगों से भौतिक दूरी को बनाये रखने में मदद मिली। किंतु ई-लर्निंग की अपनी अलग चुनौतियां हैं। ई-लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लोगों के पास संसाधन की उपलब्धता का सवाल है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों

के पास कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, इंटरनेट आदि होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के पास संसाधनों की बहुत ही कमी है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए अब तक जितने भी मंच उपलब्ध हैं उसको लेकर शिक्षक एवं छात्रों में असहजता देखने को मिल रही है और तीसरी चुनौती भाषा की है जिसमें यह देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा में अधिकतम उपलब्धता अंग्रेजी भाषा में ही होती है।

साहित्य समीक्षा

चौरसिया, मंजीप कुमार (2020) लेखक ने अपने लेख में विभिन्न प्रकार के शिक्षा पद्धति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने ने प्राचीन भारत में शिक्षा की जो परंपरा थी उसे समझाया है। साथ ही साथ शिक्षा प्रदान करने में आने वाली समस्याओं एवं अवसरों को कैसे प्रबंधन करना है यह भी बताने का प्रयास किया है।

पिंकी रानी, अक्टूबर से दिसंबर (2020) इस शोध में कोविड 19 के समय में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन किया है और साथ ही साथ ऑनलाइन शिक्षा के चुनौतियों एवं अवसरों पर समीक्षा करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रयास डाला है। तथा ग्रामीण परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा के लाभ एवं दोषों के बारे में सूचना प्रदान किया है। इस शोध पत्र में कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है और उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को एक अवसर भी बताया है।

टॉम बेटले (1998) प्रस्तुत पत्र में ऑनलाइन शिक्षा के लिए

वलासरूम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि कैसे हम ऑनलाइन शिक्षा को एक बेहतर तकनीक के माध्यम से सुव्यवस्थित वलासरूम तैयार कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के महत्वों को विस्तारित किया है। बेंटले महोदय ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देते हुए बताया है कि अगर आपने ऑनलाइन में उपयोग होने वाले विभिन्न संसाधनों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल रहते हैं तो निश्चित ही आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।

परिकल्पना :

1. ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से सूदूर क्षेत्रों के शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जा सकता है।
2. इसकी सहायता से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है।
3. ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों को तकनीकी समस्याओं से निजात पाने में योगदान।

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां- ऑनलाइन शिक्षा कोविड 19 की समस्या को देखते हुए तो सही सा प्रतीत होता है परन्तु इसमें भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो कि निम्नलिखित हैं।

1. विद्युत की समस्या - ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बिजली का है अगर बिजली की समस्याएं हैं तो फिर ऑनलाइन शिक्षा को सफल नहीं बनाया जा सकता। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण संसाधन है इसके बिना यह संभव नहीं हो पायेगा। ग्रामीण अंचलों की बात करें तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा विद्युत वितरण में कमी देखी जाती है। जिसके कारण ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित होती है।

2. इंटरनेट की चुनौतियां- ऑनलाइन शिक्षा में मुख्य समस्या इंटरनेट का भी होता है। बिना इंटरनेट हम अभी के समय में कुछ भी कार्य करना असम्भव सा प्रतीत होता है। क्योंकि इंटरनेट आर्थिक, सामाजिक, एवं राजनैतिक क्षेत्रों के साथ साथ और भी अन्य क्षेत्रों की रीढ़ बन चुकी है। वर्तमान समय में इंटरनेट के उपयोग से ही सारे कार्यों को आसानी से किया जा सकता है।

3. लोगों में जागरूकता की कमी- यह देखा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा में लोगों की रुचि में कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि अधिकतर लोगों को विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक लोगों में ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता नहीं होगी तब तक यह चुनौती बनी रहेगी। सबसे अधिक चुनौतियां हम लोगों में जागरूकता की कमी को देख सकते हैं।

4. ऑनलाइन उपलब्ध भाषाओं की चुनौतियां- ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह होता है कि ऑनलाइन एवं इंटरनेट पर उपलब्ध जो भाषा होती है। वह अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में भी होती है जिसके कारण विद्यार्थियों को उस भाषा को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक व छात्र अंग्रेजी भाषा के लिए सहज नहीं हो पाते हैं। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना असान नहीं हो पाता है।

5. उपयुक्त संसाधनों तक पहुंचने में अज्ञानता- ऑनलाइन शिक्षा में एक चुनौती यह भी है कि शिक्षार्थियों के पास ऑनलाइन कार्यों में उपयोगी संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग की जानकारी ना होना भी इसकी एक चुनौती बनी हुई है। इसके

अंतर्गत उपयोगकर्ता जब तक तकनीकी ज्ञान में पारंगत नहीं होते तब तक ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना प्रारम्भ नहीं कर सकते हैं। संसाधनों में जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर पीसी आदि को चलाने एवं विभिन्न प्रकार के ऐप के उपयोग को भी जानना होगा तभी विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

ऑनलाइन शिक्षा में अवसर- ऑनलाइन शिक्षा ने कोविड 19 के संकट से उबारने में सहायक सिद्ध हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों में एक नया आयाम को जोड़ दिया है। तथा पढ़ाई करने के नये अवसरों को भी खोल दिया है जो कि निम्नलिखित हैं-

1. अध्ययन में निरंतरता- ऑनलाइन शिक्षा ने विद्यार्थियों के पढ़ने में निरंतरता दिखाई है जिससे यह अवसर पैदा हुआ कि किसी भी प्रकार की समस्या हो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कार्य किया जा सकता है और अध्ययन में निरंतरता बनाये रखा जा सकता है। जब तक आप निरंतरता नहीं दिखायेंगे तब तक आप शिक्षा से वंचित रहेंगे।



<https://in.lovepik.com/image-400061627/online-education.html>

2. प्रौद्योगिकी का विकास - डिजिटलीकरण और इंटरनेट ने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत के बाद से शिक्षा क्षेत्र में बड़ व्यवधान देखे गए हैं। इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाते हुए कई शैक्षणिक संस्थान छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना व्याख्यान में भग लेने और पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति देते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में देखे तो आई टी सेक्टर ने एक नया आयाम लिख दिया है। जिसने सभी क्षेत्रों में मजबूती से अपनी पकड़ बना ली है। प्रौद्योगिकी के विकास से ही ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला है।



<https://in.lovepik.com/image-400061627/online-education.html>

3. क्षमता- ऑनलाइन कक्षा में शिक्षक पाठ्यपुस्तकों का उपयोग नहीं कर सकता है। अतः वे पाठ्य योजना के एक भाग के रूप में वीडियो, पीडिएफ या पॉडकास्ट आदि जैसे तकनीकी उपकरणों पर भरोसा करते हैं इससे शिक्षकों की कुशलता बढ़ाने में मदद मिलती है क्योंकि उनके पास अधिक उपकरण होते हैं। इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण अवसर

देखने को मिलते हैं। जिससे शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण देने में आसानी होती है। इस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से शिक्षक के साथ ही साथ शिक्षार्थियों की भी क्षमता विकास करने में सहायक हो सकता है।



<https://in.lovepik.com/image-400061627/online-education.html>

4. आसान पहुंच—यह ऑनलाइन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है चूंकि छात्रों से शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शैक्षणिक संस्थान अधिक छात्रों तक पहुंच सकते हैं इसके अलावा व्याख्यान रिकॉर्ड करना आसान है। यह सुनिश्चित करना है कि छात्र कोई भी कक्षा न चूकें। ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थियों तक पहुंचना आसान हो गया है चाहे वह जिस भी जगह पर क्यों ना हो। ऑनलाइन शिक्षा ने बीच में पड़ाई छोड़ने वाले छात्रों को भी जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

5. लागत क्षमता—जब भी कोई संस्थान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है तो उसे बुनियादी ढांचे, बिजली, छात्रों के परिवहन आदि की लागत वहन नहीं करनी पड़ती है। इसलिए वह ऑफलाइन शिक्षा की तुलना में बहुत कम शुल्क पर शिक्षा प्रदान कर सकता है। इससे छात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को शिक्षा को चुनने में मदद मिल सकती है। जो वे पहले नहीं कर सकते थे।

6. बेहतर उपस्थिति— किसी भी स्थान से कक्षा में भाग लेने का लचीलापन उपस्थिति में सुधार करने में सहायता करता है।



<https://in.lovepik.com/image-400061627/online-education.html>

7. विद्यार्थियों में स्वीकार्यता— परंपरागत रूप सीखने का एकमात्र विधि शारीरिक कक्षा में भाग लेना होता था। जहां कुछ क्षात्र कक्षा के वातावरण का आनंद लेते हैं। वहीं अन्य बड़े समूहों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। ऑनलाइन शिक्षा में छात्र कक्षा में भाग लेने या बाद में रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान को देखने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर मिलता है।

ऑनलाइन शिक्षा के दोष – यहां पर ऑनलाइन शिक्षा के निम्नलिखित दोष बताये गये हैं:

1. अधिक स्क्रीन अवधि— सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण बच्चे

पहले से ही अपनी स्क्रीन से जुड़ जाते हैं और इसमें बहुत अधिक समय बिताते हैं। घंटों तक चलने वाली ऑनलाइन कक्षाओं के साथ छोटे बच्चों का स्क्रीन समय बढ़ गया है जिससे कि नेत्र चिकित्सकों के अनुसार यह अधिक समय उनकी आंखों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है।

2. प्रौद्योगिकी से संबंधित दोष— ऑनलाइन शिक्षा इंटरनेट की उपलब्धता पर अत्यधिक निर्भर है। भारत में छोटे गांवों और शहरों में इंटरनेट कनेक्शन पर विश्वास अभी भी एक समस्या बनी हुई है। इससे विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

3. अकेलापन— बच्चे अपने साथियों के साथ घुल मिलकर बहुत कुछ सीखते हैं। हालांकि एक ऑनलाइन कक्षा में यह आपसी सहयोग अस्तित्वहीन लगता है। यह विशेष रूप से सच है की यदि बच्चे विभिन्न भौगोलिक स्थानों से हैं। समय के साथ यह अलगाव की भावना पैदा कर सकता है।

4. शिक्षकों को प्रशिक्षित करना – हम यहां पाते हैं कि अधिकतर शिक्षक को पौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने और उन्हें ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होती है उसे प्रदान करने में निवेश की भी आवश्यकता होती है।

5. संसाधनों के मूल्यों में वृद्धि—ऑनलाइन शिक्षा की एक अलग ही महत्व है लेकिन इसमें उपयोग होने वाले संसाधनों की मूल्यों में वृद्धि के कारण कम आय वाले व्यक्तियों को इसे प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन शिक्षा की दोष की बात करें तो विभिन्न संसाधनों की की मूल्यों में आजकल लगातार वृद्धि देखने को मिल रहे हैं जिससे शिक्षार्थियों को इसे खरीदने में कठिनाईयां आती हैं।

6. ग्रामीण भारत में ऑनलाइन जागरूकता की कमी—अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा में जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। जिसके फलस्वरूप यह शिक्षा कारगर साबित होने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। ग्रामीण अंचलों में विभिन्न तकनीकी संस्थानों की कमियों के कारण ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी।

7. प्रयोगशाला शिक्षण ऑनलाइन संभव नहीं—ऑनलाइन शिक्षा में यह देखा गया है कि प्रयोगशाला शिक्षण में यह संभव सा नहीं लगता है।

शोध पद्धति—यह लेख में अवलोकनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यों का अवलोकनात्मक अध्ययन किया गया है। इस पद्धति में विभिन्न प्रकार के जर्नल्स एवं किताबों का अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना की जाँच – ऑनलाइन शिक्षा से सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न नीतियों के सही संचालन के कारण संभव हो सका है। इस लेख की जांच करने पर यह ज्ञात होता है कि सूदूर क्षेत्रों के पाठकों को आसानी से शिक्षा प्रदान किया जा है। ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है और यह संभव हुआ है विभिन्न प्रकार के सूचना केंद्रों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जिससे विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा का ग्राफ में बढ़ोत्तरी देखी गई है। इस परिकल्पना की जांच से हमने पाया की अगर सरकार एवं उनके तकनीकी एजेंसी तथा उनकी नीतियों को सही तरीके से अमल किया जायेगा तो ऑनलाइन शिक्षा और भी बेहतर स्थिति में कुछ ही समय बाद दिखाई देगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की अपेक्षा तकनीकी रूप से पीछे है इसे पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी

तकनीकी एवं सूचना केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इस परिकल्पना की जांच से हमने पाया की ऑनलाइन शिक्षा की सहायता से सूदूर क्षेत्रों के पाठकों को भी तकनीकी रूप से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है एवं उनके आने-जाने की समस्या से निजात दिलाया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों की समय की बचत हो रही है।

निष्कर्ष व सुझाव—यह शोध ऑनलाइन शिक्षा के फायदे और नुकसान और भविष्य पर जोर डालता है। इंटरनेट ने हमारे जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन ला दी है। ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के भविष्य में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अतः सही योजना एवं सही दृष्टिकोण के साथ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से सभी विद्यार्थियों को लाभ हो। और इसके लिए एक समर्पित इकाई बनाने के लिए योजना तैयार करना चाहिए। डिजिटल शिक्षा के लिए देखरेख और प्रबंध करने के लिए विभिन्न प्रकार के पहलों को करने हेतु प्रयास करना चाहिए जैसे आईटी, शिक्षा, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षाशास्त्र आदि जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए। जिससे कि ऑनलाइन शिक्षा में एक विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिले। ऑनलाइन शिक्षा को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए कुछ चुनौतियां हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑनलाइन शिक्षा ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को सामने आने की जरूरत है तथा विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों की व्यवस्था करने पर जोर देना चाहिए। इस लेख से हमने यह निष्कर्ष पाया कि वर्तमान समय ऑनलाइन शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है जो कुछ ही समय में इनकी आवश्यकता और भी बढ़ती ही जायेगी इसीलिए विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के मूल्यों में कमी करने से यह ऑनलाइन शिक्षा और भी अधिक सफल हो सकेगा। ऑनलाइन शिक्षा अभी की महत्वपूर्ण शिक्षा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पिकी रानी (2020), शोध समागम कोविड 19 के दौर में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां, शोध समागम अक्टूबर से दिसंबर 2020 वर्ष-02, वॉल्यूम-2 इश्यु-2
2. चौरसिया, मंदीप कुमार (2020), प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन, शोध समागम अक्टूबर से दिसंबर 2020 वर्ष-02, वॉल्यूम-2 इश्यु-2
3. Arendt, Hannah (1958)– Between Past and Future (1961), for the essay “The Crisis in Education” Arnold, Matthew (1867-9) – Culture and Anarchy Culture and Anarchy: An Essay in Political and Social Criticism is a series of periodical essays first published in Cornhill Magazine .
4. Barrow, Robin (1984) – Giving Teaching Back to the Teachers A Critical Introduction to Curriculum Theory. Copyright. Paperback \$53.56. Hardback \$176.00. eBook \$53.56., Routledge publication.
5. \$53.56 · In stock
6. Bentley, Tom (1998) – Learning Beyond The Classroom: Education for a Changing World Sage publication.
7. Bloom, Allan (1987)– The Closing of the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished the Souls of Today's Students
8. <https://leverageedu.com/blog/hi/>
9. <https://myonlineshiksha.com/>
10. <https://infinitylearn.com/surge/essay-on-online-education/>
11. <https://hindiholic.com/education/online-education-essay/>
12. <https://www.successcds.net/hindi/essay/online-education-essay-in-hindi>

स्वच्छ भारत अभियान योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तानसिंग चौहान*

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – एक कदम स्वच्छता की ओर नारे के साथ स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के स्वच्छ ही सेवा के विचार से प्रेरित है। महात्मा गाँधी ने अपने आसपास के लोगों की स्वच्छता बनाए रखने से संबंधित शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था।

स्वच्छ भारत अभियान 1.4 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालयों 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालयों और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जब व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करने के साथ-साथ पर्यटन स्थलों बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा व साथ ही समय-समय पर इन सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्यक्रम वर्ष की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाले कुल 62,009 करोड़ रुपये में केन्द्र सरकार की तरफ से 14,623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गये। इनमें से 7,366 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर 1,828 करोड़ रुपये जनजागरूकता पर और 655 करोड़ रुपये सामुदायिक शौचालय बनवाये जाने पर खर्च किये जाएंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त वातावरण स्थापित करने अस्वच्छ शौचालयों को फलश शौचालय में परिवर्तित करने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालने की प्रथा का उन्मूलन करना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल है। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छता से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान करेगी। भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता को लेकर इससे पहले कई सारे जागरूकता कार्यक्रम जैसे पूर्ण स्वच्छता अभियान निर्मल भारत अभियान आदि प्रारम्भ किए गए थे। लेकिन इस तरह के अभियान ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए।

जागरूक होना किसी भी बुराई के खिलाफ आधी जंग जितने के समान होता है। इसी विचारधारा को लेकर सरकार के साथ विभिन्न समाजसेवी संगठनों व मीडिया ने विज्ञापन जैसे सशक्त हथियार का उपयोग भरतीयों में स्वच्छ आदतों को विकसित करने के लिए किया। यह भारतीय परम्परा है कि जहां स्वच्छता होती है। वहां देवता निवास करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान

इसी परम्परा से जुड़ी अभिनव रणनीति है। जो लोगों के दृष्टिकोण मानसिकता और व्यवहार को बदलने के कारकों की पहचान करके इससे सम्बन्धित चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने के संकल्प के साथ स्वच्छता की इस जंग को जीतने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभियान के प्रमुख 5 घटक हैं।

- 1 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय।
- 2 सामुदायिक शौचालय।
- 3 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- 4 सुचना, शिक्षा व संचार, और सार्वजनिक जागरूकता।
- 5 क्षमता निर्माण।

शौचालय और परिवेश को स्वच्छ रखने के संकल्प के साथ यह आन्दोलन हमें महात्मा गाँधी की याद दिलाता है। जिन्होंने अपने शौचालय की सफाई के प्रति व्यक्तिगत मानसिकता को बदलने का प्रयास किया था। महात्मा गाँधी उस समय भारत में ग्रामीण स्वच्छता की खराब स्थिति के प्रति सचेत थे। और उन्होंने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा। उन्होंने मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया।

भारत में स्वच्छता आन्दोलनों को विभिन्न नामकरणों के तहत गति मिली, आरम्भिक अवस्था में वर्ष 1954 में भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1981 की जनगणना से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मात्र 1 प्रतिशत थी। वर्ष 1981-90 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया गया। वास्तविक रूप में भारत में स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रारम्भ 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी आर एस पी) के साथ देश भर में हुआ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये स्वास्थ्यप्रद शौचालय बनाने पर केन्द्रीत था। इसका उद्देश्य परम्परागत शौचालयों को अल्पलागत से तैयार स्वास्थ्यप्रद शौचालयों में बदलना, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के लिये शौचालयों का निर्माण करना तथा दूसरी सुविधाएं जैसे हैंड पम्प, स्नान-गृह हाथों की सफाई आदि से संबंधित था। इसका लक्ष्य यह था। कि सभी उपलब्ध सुविधाएँ ठीक ढंग से ग्राम पंचायत द्वारा पोषित की जाएगी। गाँव की उचित सफाई व्यवस्था उचित जल निकासी व्यवस्था, सीखने वाला गद्दा ठोस और द्रव अपशिष्ट का निपटान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, सामाजिक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता को सुनिश्चित करना भी इस अभियान का उद्देश्य था। ग्रामीण साफ-सफाई कार्यक्रम का पुनर्निर्माण

करने के लिये भारत सरकार द्वारा 1999 में भारत में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गयी। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए लिए शुरू किया गया था। यह 1986-87 में शुरू किए गए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन कार्यक्रम था। इस अभियान का उद्देश्य नियमित स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने वाले घटकों के माध्यम से 012 तक ग्रामीण भारत के लिए शौचालय सुविधा प्रदान करना, स्कुलों और स्थानीय केन्द्रों में शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना था। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिये जून 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह एक प्रोत्साहन योजना थी जिसे भारत सरकार द्वारा लोगों को पूर्ण स्वच्छता की विस्तृत सूचना देने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने व साथ ही पंचायत, ब्लॉक और जिलों द्वारा खुले में शौच मुक्त परम्परा का निर्वहन करने के लिए प्रारम्भ की गई थी।

स्वच्छता हमारे देश में उन विषयों में रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसे सबसे ज्यादा नजर अंदाज किया गया है। परिणामस्वरूप आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस दिशा में आशातित कार्य नहीं हुए। इन सबके बावजूद समाज को स्वच्छ बनाने का जो दृढसंकल्प हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने लिया था, उस संकल्प को इस देश के संजिदा नागरिकों ने कई बार व्यक्तिगत स्तर पर तो कई बार गैर-सरकारी संगठनों ने इसका बीड़ा अपने कंधों पर उठाए रखा, जिससे बापु के स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सके।

आजादी के इन वर्षों में हम आर्थिक तरक्की के मामले में दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। परन्तु सार्वजनिक स्वच्छता के मामलों में हमारा प्रदर्शन अत्यन्त दयनीय हैं। खुले में शौच, सार्वजनिक स्थानों पर गन्दगी, कूड़े-करकट का ढेर हमारी आर्थिक तरक्की पर बड़ा प्रणचिन्ह है। परन्तु यह प्रशंसनीय है कि आखिरकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्वच्छता की महत्ता को स्वीकार करते हुए 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत की, जिससे 2019 से पूर्व हमारी सड़के, गली-मोहल्ले और आस-पास स्वच्छ हो सके। इस देश के नागरिक के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस प्रशंसनीय पहल के लिए हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश को स्वच्छ बनाना है। 2 अक्टूबर, 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है। ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था गाँव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो। इस अभियान को सफल बनाने के लिए देश के सभी नागरिकों के सहयोग की आशा व्यक्त की गयी। इस अभियान को शुरू करने से पहले ही निर्धारित कर दिया गया कि ये अभियान केवल सरकार का कर्तव्य नहीं बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी इस देश के सभी नागरिकों की है।

खुले में शौच के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उदय होता है। जैसे- हैजा, डायरिया, पीलिया, खसरा आदि। जिसका सभी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी रोगों के कारण लोगों की कार्यक्षमता में कमी आती है। जिसके कारण सभी विकास के मार्ग से भटक रहे हैं। इस योजना के माध्यम से लोगों की मदद के बिना इस योजना को सफल बनाना आसान

नहीं है। इसमें गरीब एवं निम्न जाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस वित्तीय साधनों में राज्य और केन्द्र सरकार का सहयोग है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराके खुले में शौच से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। लोगों के जागरूक होने से इस अभियान को सफलता मिलेगी।

भारत सरकार द्वारा पहले भी कई कार्यक्रम चलाये गये। सन् 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान जून 2003 के महीने में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना तथा इसके बाद 2012 में निर्मल भारत अभियान की शुरुआत हुई। जून 2003 के महीने में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना न लोगों को पूर्ण स्वच्छता की विस्तृत जानकारी देने पर पर्यावरण को साफ रखने के लिए और पंचायत, ब्लॉक और जिलो द्वारा गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रारंभ की गयी। इसके बाद यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 को चलाये गये स्वच्छ भारत अभियान के जितने प्रभावशाली नहीं थे।

स्वच्छ भारत अभियान भारत में परिवारों में शौचालय निर्माण तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने तथा खुले में शौच की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। इससे लोगों के रहन-सहन में बदलाव आएगा तथा इससे होने वाली बिमारियों में कमी आएगी, जिससे लोगों में एक अच्छी सभ्यता विकसित होगी।

लेकिन लोगों की आदतो, गरीबी और संकिर्ण नजरिए की वजह से तथा स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन में फैले भ्रष्टाचार की वजह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी बहुत पीछे है। यदि शौचालय निर्माण के लक्ष्यों को बिना रिश्वत के तथा ईमानदारी से पूरा किया जाए तो 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने का कार्य समय से पहले पूरा किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाकर भारत में एक अच्छी सभ्यता का विकास किया जा रहा है जिससे भारत को विश्व मानचित्र पर एक सुसभ्य देश के रूप में दिखाया जा सकेगा। भारत में अस्वच्छता की वजह से जो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैली हुई हैं उन पर काबु पाया जा सकेगा। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही अच्छी योजना है।

स्वच्छता का अर्थ : अपने वातावरण एवं स्वयं को हनिकारक तत्वों गंदगी, कीटाणु आदि से बचाना तथा शरीर के भीतर एवं बाहर उत्पन्न हुए मल को उचित समय पर दूर करना ही स्वच्छता का मूल प्रमाण है। स्वच्छता को मूल रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है।

1. वातावरण 2. शारिरिक 3. मानसिक

बड़वानी : स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में पहली बार बड़वानी नगर पालिका को भी शामिल किया गया है। देश के 4041 शहरों में नंबर वन बनने का मुकाबला है। अब सीमित संसाधनों से कैसे बड़े शहरों का मुकाबला बड़वानी नगर पालिका करेगी ये बड़ा सवाल है। अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला कचरा वाहन है। बड़वानी नगर पालिका क्षेत्र में 24 वार्ड है, जिसमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए 10 वाहन है। जबकि अंजड़ शहर स्वच्छता से पिछड़ा शहर है। वही सेंधवा शहर नंबर वन रैंक पर है।

इन्दौर : केन्द्र सरकार ने इन्दौर को साफ-सफाई के मामले में नंबर वन बना दिया जानकारी के अनुसार 400 से ज्यादा शहरों को पीछे छोड़ इन्दौर ने यह ताज हासिल किया है इन्दौर शहर ने नंबर वन बन कर पुरे भारत में

अपना नाम रोशन किया हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. स्वच्छ भारत अभियान : चुनौतियाँ और समाधान, योजना अक्टूबर 2015,
2. जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (2007) भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के प्रभाव, विश्व बैंक।
3. स्वच्छता, विकास और सामाजिक परिवर्तन : योजना जनवरी, 2015
4. पिल्लई, विजयन के. (2015) भारत में स्वच्छता और सामाजिक परिवर्तन, योजना, पृ. 9-13
5. पाण्डेय, संदीप कुमार (2015) : स्वच्छ भारत अभियान में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता, योजना पृ. 15-19
6. पंकज के. सिंह (2016) स्वच्छ भारत समृद्ध भारत डायमंड पॉकेट बुक्स प्रा. लि. एक्स-30, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 नई दिल्ली-110020।
7. आरोग्य प्रकाश पं. रामनारायण शर्मा, वैधनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद, पृ. सं.- 118

पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका

विजय लक्ष्मी जोशी*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायालय की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना करता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु यद्यपि भारत में अनेक विधान यथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पारित किए गए हैं। भारतीय संविधान में स्टॉक होम घोषणा 1972 से प्रेरित होकर 1976 के 42वें संशोधन द्वारा नीति-निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48-क एवं मूल कर्तव्यों में पर्यावरण संबंधी नागरिकों का मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51-क(छ) जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48-क में उपबंधित किया गया है कि 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।' अनुच्छेद 51-क(छ) उपबंधित करता है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्द्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।' इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया गया है।

उपर्युक्त विधान एवं उपबंधों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में सरकार के असफल होने पर भारतीय न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कार्यपालिका को एवं प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने हेतु बाध्य करके पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका अदा की है, जिसका संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत शोध आलेख में किया गया है।

प्रस्तावना – पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण से आशय – पर्यावरण दो शब्दों परि+आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है वातावरण। अतः पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का वातावरण। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को Environment कहते हैं। Environment शब्द दो अंग्रेजी शब्दों Environ+ment से मिलकर बना है। Environ का अर्थ है to encircle अर्थात् घेरना है एवं ment का अर्थ है from all sides अर्थात् चारों ओर से घेरना है। अतएव पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरने से है। अतः पर्यावरण बाह्य आवरण का घटक है।

प्रथम बार पर्यावरण को वृहद रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(क) में परिभाषित किया गया है। धारा 2 (क) के अनुसार – 'पर्यावरण के अंतर्गत जल, हवा और भूमि तथा जल, भूमि और हवा तथा मानव प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर्सम्बन्ध सम्मिलित है। उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पर्यावरण में

(1) भूमि, जल, वायु शामिल है और

(2) भूमि, जल, वायु तथा मानव प्राणियों एवं अन्य

जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जैविक और सम्पत्ति तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध शामिल है।

वुडवर्थ के अनुसार – 'पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सब बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है, जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं।'

पर्यावरण का सामान्य अभिप्राय उस वातावरण से है, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जल, वायु, मृदा, वन, वन्य जीव पादप सभी पर्यावरण के

घटक हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण की उपस्थिति के कारण ही मानव जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। वायु, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना करना अशक्य है। अतः पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण से आशय है – पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना एवं प्रकृति के अनवीनीकरण स्रोत जैसे – जल, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना।

वर्तमान में आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण एवं वाहनों, कारखानों से निकलते धुएँ के कारण, कारखानों से नदियों में हानिकारक रसायनों के बहाव के कारण पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण हो रहा है एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ओजोन की परत में छिद्र होने एवं बर्फ़ीले ग्लेशियरों का पिघलने के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ जाएगा एवं पृथ्वी जल में समाहित हो जाएगी। जिससे मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। अतः पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विधिक उपबंध – पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान एवं विभिन्न विधियों में उपबंध किए गए हैं।

(1) संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपबंध –

(अ) अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उपबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को शामिल किया गया है।

Case- सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य

के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया कि अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार मूल अधिकार है और जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु इसमें प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार शामिल है।

Case- चरनलाल साहू बनाम भारत संघ

में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल को अनुच्छेद 21, 48-क, और 51-क(छ) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार माना।

Case- विरेन्द्र गौर बनाम हरियाणा राज्य

मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थितिकी संतुलन और आरोग्य को शामिल माना।

Case- हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी

के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और गुणवत्ता युक्त जीवन का आनंद अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत स्वतंत्रता का सार है।

(इ) अनुच्छेद 48-क-भारतीय संविधान के भाग-4 नीति निर्देशक तत्व में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48-क जोड़ा गया। अनुच्छेद 48-क उपबंधित करता है कि 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

(उ) मूल कर्तव्य-संविधान के भाग 4- 'क' मूल कर्तव्य में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51-क(छ) जोड़ा गया, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों पर पर्यावरण संरक्षण का मूल कर्तव्य अधिरोपित किया गया।

51-क(छ) उपबंधित करता है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।'

पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाए गए अन्य कानून:- संविधान के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न विशिष्ट अधिनियम विधायिका द्वारा पारित किए हैं जैसे-

- (1) जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- (3) जल उपकरण (प्रदूषण निवारण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1977
- (4) वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981,
- (5) वन(संरक्षण) अधिनियम, 1982,
- (6) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-277 के अंतर्गत जल प्रदूषण एवं धारा-278 के अंतर्गत वायु प्रदूषण हेतु प्रदूषक को दण्डित करने का प्रावधान है। Crpc 1898 की धारा 133, 143, 144 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हर तरह के प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रावधान है। Cpc 1908 के आदेश 39 के अधीन उपचार मांगे जाने पर न्यायालय प्रदूषक के विरुद्ध अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।

पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका- पर्यावरण संरक्षण हेतु संविधान एवं अनेकों कानून पारित किए जाने के बाद भी कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करने में विफल रही, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण की

विकराल समस्या के उपचार हेतु कई बुद्धिजीवियों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई एवं न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उन्हें उपचार प्रदान किया एवं कार्यपालिका को पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।

M.C. मेहता एवं अन्य समाज सेवियों द्वारा लोकहित वाद के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 32 के अधीन न्यायपालिका से पर्यावरण संरक्षण हेतु उपचार हेतु उचित निर्देश देने की याचना करने पर न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कार्यपालिका को पर्यावरण संरक्षण हेतु उचित निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित वादों की सहायता से पर्यावरण संरक्षण में न्यायालय की भूमिका का गहनता से अवलोकन किया जा सकता है।

वाद क्र.- 1: सरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र, देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

के वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने रिपोर्ट दी कि कुछ पत्थर की खानों की खुदाई के कारण आसपास का पर्यावरण दूषित हो रहा था। फलतः न्यायालय ने इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

वाद क्र.-2: एम.सी मेहता बनाम भारत संघ

के वाद में न्यायालय ने दिल्ली स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कंपनी को ऑलियम नामक खतरनाक गैस बनाने से रोक दिया, जब तक कि कंपनी गैस के रिसाव को रोकने हेतु उचित उपाय नहीं अपनाती है।

वाद क्र.-3: एम.सी मेहता बनाम भारत संघ

के वाद में न्यायालय ने कानपुर के निकट जाजमऊ में स्थित चर्मशोधन शालाओं को तत्काल बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि इनसे निकलने वाले मलवे से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा था।

वाद क्र.-4: एम.सी मेहता बनाम भारत संघ

के वाद में पिटीशनर द्वारा गंगा जल प्रदूषण के विरुद्ध लोकहितवाद दायर कर न्यायालय से संबंधित प्राधिकारियों को उचित निर्देश देने की प्रार्थना करने पर न्यायालय ने संबंधित नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को दूध डेरियों को शहर के बाहर ले जाने, श्रमिक कालोनी में सीवर लाइन बनाने, निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय बनाने एवं मनुष्य की लाश एवं मरे हुए पशुओं को गंगा में फेंकने पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

वाद क्र.-5: एम.सी मेहता बनाम भारत संघ

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शहर से हटा कर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया।

वाद क्र.-6: इन री ध्वनि प्रदूषण

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि देश भर में व्याप्त ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उससे संबंधित कानूनों को कड़ाई से लागू करें।

वाद क्र.-7: काउंसिल फॉर इनविरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत के समुद्री तट क्षेत्रों में स्थित कारखानों द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति से संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये।

वाद क्र.-8: वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ

के वाद में पिटीशनर संस्था के द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन

लोकहितवाद दायर करके तमिलनाडु में चमड़ा एवं अन्य व्यवसाय से निकलने वाले अशुद्ध मलवे से पर्यावरण को होने वाली हानि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने पर न्यायालय ने इन कारखानों को बंद करने एवं चमड़ा कारखानों को दस हजार रुपये प्रदूषण दंड के रूप में देने का निर्देश दिया।

यद्यपि अनुच्छेद 48-क एवं अनुच्छेद 51-क(छ) क्रमशः नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण संबंधी नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य को लागू कराया है, नीचे दिए गए वाद इसके जीवन्त साक्ष्य हैं।

वाद क्र.-9: सच्चिदानन्द पाण्डेय बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कभी न्यायालय के समक्ष पारिस्थितिकी संबंधी कोई समस्या प्रस्तुत की जाएगी, तो वह अनुच्छेद 48-क एवं अनुच्छेद 51-क(छ) को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है तथा वह कार्यपालिका एवं विधायिका को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदेश जारी कर सकता है।

वाद क्र.-10: टी. दामोदर राव बनाम एस.ओ. म्यूनिसीपल कारपोरेशन हैदराबाद

के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 48-क एवं अनुच्छेद 51-क(छ) के आलोक में यह स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही नहीं है, बल्कि न्यायालय सहित राज्य के

सभी अंगों का दायित्व है।

इसी प्रकार, **एल.के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य** में भी न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के मूल कर्तव्य को सृजनात्मक व्याख्या के माध्यम से प्रवर्तनीय बनाया है।

निष्कर्ष—यद्यपि पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, विधायिका द्वारा अनेक कानून पारित किए गए हैं, किंतु वे पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षय को रोकने में पूर्णतः विफल रहे हैं इस दशा में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व को प्रवर्तनीय बनाकर एवं स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अनिरुद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, चतुर्थ संस्करण, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 2006
2. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, 42वां संस्करण, इलाहाबाद, CLA, 2009
3. The study IQ, 21 october 2021, पर्यावरण की परिभाषा, 16 september, 2023, <https://www.thestudyiq.com>.
4. Social-work.in, 22 february 2023, Paryavaran-Kya-hai, 16 september 2023, <https://socialwork.in>

नाइजर में सैन्य शासन के परिणाम : एक बहुआयामी अध्ययन

डॉ. धर्मेन्द्र मिश्रा*

* आचार्य (लोकप्रशासन विभाग) श्री माणिक्य लाल वर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश - 'नाइजर तख्तापलट ने अशांत साहेल क्षेत्र को और भी नाजुक बना दिया है।' -अर्किपेलु, यूसुफ, 2023

जुलाई 2023 में अफ्रीका के नाइजर देश में हुए तख्तापलट के चलते नाइजर पर विश्व की नजर है। यहाँ हुए राजनीतिक घटनाक्रम के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का हनन व आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी क्रम में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नाइजर में तख्तापलट के क्या प्रभाव व परिणाम होने वाले हैं। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित प्रस्तुत शोध-पत्र के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व समाचार पत्र-पत्रिकाओं को संदर्भित करते हुए इस सैन्य शासन के परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

शब्द कुंजी - तख्तापलट, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ऊर्जा संकट, आतंकवाद।

प्रस्तावना - पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को उनके सुरक्षा दलों द्वारा कैद करके नाइजर में सैन्य शासन 'जुंटा' की स्थापना के बाद वैश्विक प्रतिक्रिया दो मतों भी विभाजित हो गई। एक ओर जहाँ पश्चिमी देशों ने नाइजर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते हुए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक संगठन के माध्यम से सैन्य कार्यवाही की बात की गई। वहीं रूस ने चेतावनी दी है कि नाइजर में सैन्य हस्तक्षेप से 'लंबे टकराव' की स्थिति पैदा होगी (सिडॉन, शॉन : 2023)। विशेषज्ञों का मत है कि नाइजर में सैन्य तख्तापलट से पूर्व में की गई सापेक्ष प्रगति कमजोर होगी और नाइजर में असुरक्षा, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की संभावना में वृद्धि होगी ('अटेम्प्टेड कू इन नाइजर':2023)।



माना
स्रोतः: <https://ontheworldmap.com/niger/niger-location-map.html>

तख्तापलट के परिणाम - प्रस्तुत शोध पत्र हेतु सम्बंधित साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात नाइजर तख्तापलट की निम्न घटनाओं में रूप में परिणति हो सकती है।

1. लोकतंत्र पर संकट : नाइजीरियाई पार्टी फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशललिज्म के उप महासचिव बाउबकर साबो ने एसोसिएटेड प्रेस को साक्षात्कार देते हुए कहा कि 'नाइजर में जो हो रहा है, अगर सफल होता है, तो यह अफ्रीका में लोकतंत्र का अंत है। लोकतंत्र खत्म हो गया है।' ('विक्टरी ऑफ नाइजर्स कू लीडर्स' : 2023)। नाइजर में तख्तापलट के परिणाम न केवल क्षेत्र के लिए

बल्कि अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के लिए भी बहुत गंभीर हैं क्योंकि नाइजर साहेल में लोकतंत्र का आखिरी गढ़ था। इसे क्षेत्र में अधिनायकवाद के खिलाफ एक दीवार के रूप में देखा गया था। अब यह दीवार गिरना सम्पूर्ण साहेल क्षेत्र को अलोकतांत्रिक गतिविधियों में लिप्त कर लेगा।

2. वैगनर समूह व रूस की भूमिका में बढ़ोतरी : यद्यपि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मृत्यु की सूचना के बाद वैगनर की भावी योजनाओं के सम्बंध में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। लेकिन टाइम मैगजीन ने अपनी अगस्त 2023 की अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वैगनर समूह ने अफ्रीका में अपनी भूमिका बढ़ाने की कसम खाई है। यहाँ उसके 5,000 से अधिक लड़ाके होने का अनुमान है। हाल ही में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी अधिकारियों से हाथ मिलाते और तस्वीरें खिंचवाते देखा गया था (बर्गेयुएन, वेरा ' 2023)। इसके अतिरिक्त माली, सीएआर, बुर्किना फासो व बांगुइ जैसे 'हॉट स्पॉट्स' में वैगनर की मौजूदगी के अतिरिक्त अपने देश में स्थिरता की स्थापना के लिए नाइजर सैन्य शासकों द्वारा वैगनर समूह को आमंत्रित करना वैगनर के माध्यम से रूस की भूमिका व हस्तक्षेप को बढ़ा देगा। परिणामस्वरूप अफ्रीका वैश्विक शक्ति राजनीति का नवीन रण क्षेत्र बन सकता है। ACLED डेटा के अनुसार, समूह द्वारा संचालित सभी प्रमुख संघर्ष क्षेत्रों में हाल ही में हिंसा में वृद्धि हुई है। अकेले माली में, ACLED ने दिसंबर 2021 और जून 2023 के बीच वैगनर से जुड़ी राजनीतिक हिंसा के 298 मामले दर्ज किए, जिनमें नागरिक लक्ष्यीकरण, सामूहिक हत्याएं, अपहरण, मवेशी चोरी, जबरन वसूली और लूटपाट शामिल हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाइजर में वैगनर समूह की उपस्थिति के क्या परिणाम हो सकते हैं।

3. मानवाधिकारों पर संकट : UNHRC ने दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि नाइजर की लगभग आधी आबादी अत्यधिक गरीबी में फंसी हुई है (प्रति दिन US 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रही है) और लाखों लोग मानवीय सहायता पर निर्भर हैं।

तख्तापलट के बाद से उनकी स्थिति और खराब हो गई है। जमीन से घिरे देश की सीमाएँ बंद कर दी गई हैं, व्यापार रुक गया है, गंभीर बिजली कटौती हुई है और खाद्य कीमतें बढ़ गई हैं ('नाइजर कू : डेमोक्रेसी एंड लाइव्स'; रू 2023)। इसके अतिरिक्त ऐसा समूह वैगनर, जिस पर पूर्व में भी मानवाधिकार हनन के आरोप लगते आए हैं। उसकी उपस्थिति क्षेत्र में नागरिक जीवन को कष्टमय बना सकती है। यद्यपि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की मृत्यु की सूचना के बाद वैगनर की भावी योजनाओं के सम्बंध में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है।

4. आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना : ऑस्ट्रेलिया स्थित 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस' की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, साहेल में अब विश्व में आतंकवाद से होने वाली मौतों का 43 प्रतिशत हिस्सा है (ग्रिन, मार्क : 2023)। इन आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए अब तक तो फ्रांस और अमेरिका के सैनिक वहाँ तैनात हैं लेकिन अब लोकतंत्र की समाप्ति व विरोध के कारण इन देशों की सैन्य वापसी होने की संभावना है। जिससे नाइजर में आतंकी घटनाओं की रोकथाम के प्रयास नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। माना जा रहा है कि इसी कारण से भारत द्वारा अपने नागरिकों को शीघ्रातिशीघ्र नाइजर छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है ('लीव एज सून एस पॉसिबल': 2023)।

5. यूरोप में ऊर्जा संकट : यूक्रेन-रूस के संघर्ष के कारण यूरोप पहले से ही ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है। वहीं विश्व के सातवें बड़े यूरेनियम भंडार वाले देश नाइजर में तख्तापलट व अस्थिरता के कारण उसके ऊर्जा संसाधनों तक यूरोप की पहुंच मुश्किल हो चुकी है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, सोने के अतिरिक्त मौद्रिक दृष्टि से यूरेनियम नाइजर का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात पदार्थ है (शर्मा, मुकुल : 2023)। न्यूज वेवसाई WION ने विश्व परमाणु संघ का हवाला देते हुए लिखा है कि फ्रांस अपनी 70 प्रतिशत बिजली, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है। समग्र रूप से यूरोपीय संघ अपनी लगभग एक-चौथाई बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है और यूरोपीय संघ की आधी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन सिर्फ फ्रांस में होता है। लेकिन फ्रांस अपनी 15 प्रतिशत तथा यूरोपीय संघ लगभग 24 प्रतिशत यूरेनियम आयात नाइजर से करता है। नाइजर में तख्तापलट के समर्थकों द्वारा फ्रांस तथा अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के विरोध में किये जाने वाले प्रदर्शनों ने यह साफ कर दिया है कि नाइजर की नई सरकार यूरोप को अपने संसाधनों तक पहुंचने नहीं देगी। जिससे यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ने की संभावना है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाइजर में हुए तख्तापलट का प्रभाव क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होने वाला है। विश्व में लोकतांत्रिक मूल्य का हास, साहेल क्षेत्र में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी, यूरोप में ऊर्जा संकट, वैगनर समूह की उपस्थिति तथा उसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का हनन और पूर्वी व पश्चिमी ब्लॉक के मध्य शक्ति राजनीति के नई केंद्र के रूप में अफ्रीका का उभरना, इस तख्ता पलट की परिणति हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि नाइजर में शीघ्र ही सर्व-स्वीकार्य, लोकतांत्रिक व कल्याणकारी सरकार की स्थापना हो। जिससे

कि नवीन राजनीतिक संकट से बचा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अकिपेल, यूसुफ. (जुलाई 27, 2023) 'नाइजर कू मैक्स' बीबीसी डॉट कॉम. रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.bbc.com/news/world-africa-66322914>
2. अटेम्प्टेड कू इन नाइजर. (जुलाई 27, 2023) 'अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज' रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://africacenter.org/spotlight/attempted-coup-in-niger-an-explainer/>
3. ग्रिन, मार्क. (मई 16, 2023) 'साहेल नाउ अकाउंट्स 43 ग्लोबल' विल्सन सेंटर रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/sahel-now-accounts-43-global-terrorism-deaths#:~:text=The%20Sahel%20now%20accounts%20for%2043%20percent%20of%20the%20world's,percentage%20is%20on%20the%20rise.>
4. 'द विक्ट्री ऑफ नाइजर्स कू लीडर्स' (अगस्त 11, 2023) 'वोया न्यूज' रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.voanews.com/a/victory-for-niger-s-coup-leaders-would-be-the-end-of-democracy-in-africa-politician-warns-/7230398.html>
5. 'नाइजर कू : डेमोक्रेसी एंड लाइव्स' (अगस्त 18, 2023) 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन' रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/08/niger-coup-democracy-and-lives-most-vulnerable-stake-says-human-rights-chief>
6. 'फैक्ट शीट' (अगस्त 03, 2023) 'द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एन्ड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट डोट कॉम' रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://acleddata.com/2023/08/03/fact-sheet-military-coup-in-niger/>
7. 'लीव एज सून एस पॉसिबल' (अगस्त 11, 2023). टाइम्स ऑफ इंडिया रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://m.timesofindia.com/india/leave-as-soon-as-possible-centres-advice-to-indian-citizens-in-violence-hit-niger/articleshow/102652330.cms>
8. बर्गेन्युएन, वेरा. (अगस्त 02, 2023) 'डिस्पाइट रिफ्ट विद पुतिन' टाइम मैगजीन रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://time.com/6300145/wagner-group-niger-future/>
9. फेरागोम, मेरिअल. (अगस्त 03, 2023) 'नाइजर कू कुड थेटेन साहेल. सीआरएफ' रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.cfr.org/in-brief/niger-coup-could-threaten-entire-sahel>
10. शर्मा, मुकुल. (जुलाई 31, 2023) 'नाइजर न्यूक्लियर रेसेर्वेस' वाईयो न्यूज डॉट कॉम. रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.wionews.com/world/niger-nuclear-reserves-how-this-coup-can-throw-europe-into-deep-energy-crisis-621073>
11. सिडॉन, सीन. (अगस्त 11, 2023) 'नाइजर कू: रशिया वार्न्स' बीबीसी डॉट कॉम. रेट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.bbc.com/news/world-africa-66478430>

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याएं और संभावनाएं

डॉ. प्रहलाद धाकड़*

* सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, खेरवाड़ा, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – रोजगार, उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान के कारण लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में रणनीतिक महत्व का स्थान रखते हैं। हालाँकि, भारत में लघु उद्योग वैश्वीकरण, घरेलू आर्थिक उदारीकरण और क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षात्मक उपायों के कमजोर पड़ने के कारण खुद को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में पाते हैं। पेपर इस क्षेत्र में रोजगार के समस्याग्रस्त पहलुओं की भी पुष्टि करता है जिसमें औपचारिक अनुबंधों की कमी, कम पारिश्रमिक, अनियमित वेतन, गैर-मौजूद सामाजिक सुरक्षा और केवल सीमांत रोजगार वृद्धि शामिल है। तात्पर्य यह है कि भारत में लघु उद्योग क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप में आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है।

शब्द कुंजी – लघु उद्योग, वैश्वीकरण, उदारीकरण, रोजगार, आर्थिक विकास आदि।

प्रस्तावना – लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र कुल औद्योगिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गतिशील और जीवंत क्षेत्र है। यह क्षेत्र उद्यमशीलता प्रतिभा के विकास के लिए नर्सरी के रूप में कार्य करता है और देश भर में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने सहित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्षेत्र से संबंधित आँकड़े ऋण, विपणन, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह पेपर उस भूमिका पर केंद्रित है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के दौरान छोटी कंपनियां निभाएंगी। वर्तमान नीतिगत बाधाओं की पहचान की जाती है, और जिन क्षेत्रों में कार्रवाई की आवश्यकता है उन पर प्रकाश डाला गया है। यह तर्क दिया जाता है कि देर से औद्योगिकीकरण वाली अर्थव्यवस्थाओं में आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया की बेहतर समझ से भारत को उचित नीति विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है। यह भी सुझाव दिया गया है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में, देश में प्रतिस्पर्धी लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माण के किसी भी प्रयास के लिए उभरते वैश्विक उत्पादन और ज्ञान नेटवर्क पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हमारा यह भी तर्क है कि लघु उद्योग नीतियों को समग्र औद्योगिक विकास नीतियों के एक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। हम भारत में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को देर से औद्योगिकीकरण करने वाले देशों के अनुभवों के संदर्भ में रखते हैं। हम भारत में छोटी कंपनियों की वृद्धि पर उपलब्ध आंकड़ों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, यह दिखाने के लिए कि हाल के वर्षों में छोटे क्षेत्र की वृद्धि बहुत उल्लेखनीय नहीं रही है।

इन नीतियों में विकृतियों को ठीक करने की आवश्यकता के अलावा, पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना एक गतिशील लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माण के लिए छोटी और बड़ी कंपनियों के बीच संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। वर्तमान संदर्भ में ये संबंध घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अंतर-

फर्म गठबंधनों के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश वाले समूहों में उभर सकते हैं। ये उन विशिष्ट क्षेत्रों में भी उभर सकते हैं जहां भारतीय छोटी और मध्यम कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण क्षमताएं बनाई हैं। ज्ञान उद्योगों की बढ़ती व्यापार क्षमता से बाहर निकलने में भारतीय प्रयास की सफलता आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो घटकों जैसे समूहों की सफलता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगी। इन संभावनाओं को देखते हुए, हम ज्ञान समूहों के संबंध में स्थिति और क्षमता को सामने लाते हैं जिसमें छोटी और मध्यम कंपनियां एक मौलिक और उन्नत भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा, चूंकि पारंपरिक उपठेका अभी भी गतिशील छोटी फर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए उपठेके संबंधों को सुविधाजनक बनाने वाले कारकों पर भी यहां चर्चा की गई है। इससे नीति और रणनीतिक कार्रवाई के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। हम प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, और ऐसे बदलावों का सुझाव देते हैं जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर सकते हैं जिसमें छोटी कंपनियां अपनी प्राकृतिक और मौलिक भूमिका निभाती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अध्ययन में जांच की गई इकाइयों की 'बीमार' और 'स्वस्थ' स्थिति को अलग करने वाले अंतर्निहित कारकों का पता लगाना।
2. इकाइयों के सामाजिक परिवेश में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की वास्तविक और मानक भूमिका के प्रदर्शन का विश्लेषण करके बीमारी की समस्या को समझना।
3. संबंधित इकाइयों सहित समस्या की स्थिति में शामिल विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की भूमिका विफलता के अंतर्निहित मुख्य मुद्दों को सामने लाना।
4. वर्तमान कार्य के निष्कर्षों के संबंध में लघु उद्योग में औद्योगिक रुग्णता पर विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों का आकलन करना।
5. वर्तमान अध्ययन के आधार पर लघु उद्योग में रुग्णता की समस्याओं

से निपटने के लिए नीतिगत उपायों का एक सेट तैयार करना।

देर से औद्योगीकरण के संदर्भ में छोटी फर्मों का विकास और परिवर्तन:

भारत में छोटी फर्मों की एक महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका है जो देर से औद्योगिकीकरण के संदर्भ और औद्योगिकीकरण के अब तक के विशेष ऐतिहासिक अनुभव दोनों से उत्पन्न होती है जिसने औद्योगिक संरचना के विकास में योगदान दिया है। जापान और पूर्वी एशिया के अनुभवों और डेनिस एंडरसन (1982) की अंतर्दृष्टि के संदर्भ में भारतीय वास्तविकता का विश्लेषण करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि वृहद आर्थिक, व्यापार और विनिमय दर नीतियां छोटी कंपनियों के तीव्र विकास और परिवर्तन का भी समर्थन नहीं करती हैं। क्योंकि वे भारत में विनिर्माण के पक्ष में नहीं हैं, ऐसी स्थिति में जहां भारतीय विनिर्माण को कई देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, लेकिन विशेष रूप से गतिशील पूर्वी एशियाई देशों के साथ।

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ जो औद्योगिक परिवर्तन की राह पर हैं, देर से औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करती हैं। ऐसे संदर्भ में हम उम्मीद करते हैं कि आधुनिक उद्योगों में से पहला बड़े पैमाने पर आयात निर्भरता और/या ऊर्ध्ववाधर एकीकरण के साथ एन्वलेव के रूप में शुरू होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्केल और स्कोप अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही इतनी बड़ी हैं कि छोटे से शुरू करना और फिर बड़े पैमाने पर जाना संभव नहीं है। नतीजतन, नए उद्योगों की शुरुआत आवश्यक रूप से बड़े पैमाने पर होनी चाहिए और संरचना अर्थव्यवस्थाओं का भी लाभ उठाना होगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य की बड़ी भूमिका या अधिक सामान्यतः सचेत समन्वय की भूमिका सामने आती है। इसलिए, उपकरण और उपाय जैसे-योजना, सार्वजनिक उद्यम, बड़े निगम गतिविधियों की विशाल विविधता को आंतरिक करते हैं अपनी कार्यक्षमता होती है। जैसे-जैसे ये उद्योग जड़ें जमाते हैं और पर्याप्त गहराई तक पहुंचते हैं, बड़े निगमों के भीतर आंतरिककरण की आवश्यकता कम होने के साथ आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र आकार लेता है। घरेलू बाजारों की वृद्धि और इनपुट-आउटपुट लिंकेज (विशेष रूप से विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से छोटी और बड़ी फर्मों के बीच) आधुनिक लघु पैमाने की फर्मों के विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। लेकिन अंतरिम अवधि में, बड़ी कंपनियों की सफलता जो आम तौर पर कपड़ा, परिवहन के साधन, निर्माण सामग्री और स्टील और प्लास्टिक जैसी अन्य सामग्रियों का निर्माण करती हैं, पारंपरिक शिल्प उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है जो पहले आंशिक रूप से होता। इन्हीं वर्गों की पूर्ति की है। पारंपरिक श्रम प्रधान छोटे क्षेत्र की गिरावट के कारण कभी-कभी शुद्ध आधार पर रोजगार में गिरावट आती है जब तक कि उत्पादन की वृद्धि दर बहुत बड़ी न हो और आधुनिक एन्वलेव खंड में अनुचित रूप से बड़ी पूंजी तीव्रता को नहीं चुना जाता है।

विकास की निरंतर उच्च दर के साथ देर से सफल औद्योगिकीकरण के अनुभव आम तौर पर कृषि विकास की उच्च दर के साथ होते हैं जो मजदूरी के सामान के साथ-साथ घरेलू बाजार की बाधाओं को भी कम करता है। सफल कृषि परिवर्तन, बदले में भूमि सुधारों के साथ होते हैं। चूंकि यह औद्योगिक परिवर्तन जारी है, छोटी कंपनियाँ या तो पूरी तरह से आधुनिक हैं और ध्या आम तौर पर आपस में और बड़ी कंपनियों के साथ मोटे अंतर-फर्म संबंधों में हैं या जब गैर-आधुनिक (अर्थात् शिल्प प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले) के पास व्यापार परिवर्तन की बड़ी शर्तें उनके पक्ष में होतीं। इसके अलावा, निर्यात आधारित विकास की खोज (उच्च विकास की खोज

के लिए अनुकूल व्यापक आर्थिक नीतियों के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन की खोज ने भी उच्च विकास दर में योगदान दिया। इन नीतियों में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय दमन, निर्देशित ऋण, आय नीतियां शामिल थीं। अत्यधिक (संरचनात्मक रूप से) कम मूल्य वाली विनिमय दरें, कार्यात्मक नियंत्रण, इसके अलावा बाजार की विफलता के क्षेत्रों में राज्य का निवेश - शिक्षा और बुनियादी ढांचा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, 'एक व्यक्ति जो भविष्य की स्थितियों के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में व्यवसाय संचालित करने का जोखिम उठाता है।' उद्यमिता जोखिम और अनिश्चितता की स्थितियों में लाभ या विकास के उद्देश्य से एक अभिनव आर्थिक संगठन का निर्माण है। उद्यमिता का अर्थ अधिक सेवाएं प्रदान करना, अधिक रचनात्मकता और नवीनता लाना, नए बाजारों को लक्षित करना, नए मानकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना और जोखिम और अनिश्चितताओं के तहत बढ़े हुए मुनाफे की संभावना है।

आज के युवा किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक उद्यमशील हैं। ओपिनियन रिसर्च काउंसिल के अनुसार 18-24 वर्ष के 54% लोग व्यवसाय शुरू करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, जबकि 35-64 वर्ष के 36% लोग व्यवसाय शुरू करने में अत्यधिक रुचि रखते हैं। उद्यमिता ने हमारे जीवन में नवीनता ला दी है और हम में से कई लोगों के लिए कामकाजी भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। वर्तमान समय में (पिछले कुछ दशकों से शुरू) एसएसआई ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया है। जब अन्य क्षेत्र या तो बुरी तरह से विफल हो गए या नाममात्र की वृद्धि अर्जित की, तो एसएसआई क्षेत्र ने पलैट, कम प्रतिक्रियाशील बने रहने के लिए कर्मचारियों की छंटनी जारी रखी, एसएसआई क्षेत्र या सूक्ष्म-व्यापार फर्मों में वृद्धि का विस्फोट होगा। भारत में एसएसआई क्षेत्र पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर उच्च अंत तकनीकी उपकरणों तक 8000 से अधिक उत्पादों का उत्पादन करने वाला बहुत विविध है।

लघु उद्योग (एसएसआई) को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

1. पंजीकृत एसएसआई क्षेत्र
2. अपंजीकृत एसएसआई क्षेत्र
3. कुल एसएसआई क्षेत्र

यह क्षेत्र बहुत पारंपरिक है और औद्योगिकीकरण के विकास के बाद भी, कपड़ा के ब्रिटिश उत्पादकों ने हाथ से बने भारतीय वस्त्रों को इतना खतरा पाया कि उन्होंने इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़ी पैरवी की, और पिछली 18 वीं शताब्दी में सफल हुआ लघु उद्योग तब अस्तित्व में आया जब महात्मा गांधी ने 'हथकरघा उद्योग' और 'खादी भंडार' पर जोर दिया, जो कि ग्राम आधारित उद्योग थे। स्वतंत्रता के समय से, भारत में लघु उद्योग क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। भारत में इस पारंपरिक क्षेत्र को अपने उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के साथ विकास की बड़ी संभावना माना जाता है। लघु उद्योग की परिभाषा उपक्रम समय के साथ बदल गए हैं। केंद्रीय बजट 2008-09 के अनुसार, एक अतिरिक्त इकाई को लघु-स्तरीय इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह लघु-स्तरीय क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पूंजी निवेश सीमा को पूरा करती है।

नवीनतम परिभाषा के अनुसार, जो दिसंबर 21, 1999 से प्रभावी है, किसी भी व्यक्तिगत इकाई को लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाई के रूप में माने जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा: पट्टे पर या किराये

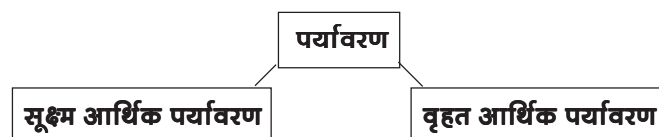
की खरीद पर स्वामित्व की शर्तों पर रखे गए संयंत्रों और उपकरणों जैसी अचल संपत्तियों में निवेश सौ लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में तथ्य: स्वतंत्रता के समय से, भारत में लघु उद्योग क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। भारत में इस पारंपरिक क्षेत्र को अपने उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के साथ विकास की भारी संभावना वाला माना जाता है। कुल औद्योगिक उत्पादन में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी और निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, भारत में लघु उद्योग क्षेत्र नई सहस्राब्दी में विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहा है। समय के साथ छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों की परिभाषा बदल गई है। प्रारंभ में उन्हें दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था – 50 से कम कर्मचारियों के साथ बिजली का उपयोग करने वाले और 50 से अधिक लेकिन 100 से कम कर्मचारियों की संख्या के साथ बिजली का उपयोग नहीं करने वाले। हालांकि संयंत्र और मशीनरी भवनों पर निवेश किए गए पूंजीगत संसाधन प्राथमिक मानदंड रहे हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों को बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों से अलग करना। एक औद्योगिक इकाई को लघु-स्तरीय इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह भारत सरकार द्वारा लघु-स्तरीय क्षेत्र के लिए निर्धारित पूंजी निवेश सीमा को पूरा करती है। पट्टे पर या किराये की खरीद पर स्वामित्व की शर्तों पर रखे गए संयंत्रों और उपकरणों जैसी अचल संपत्तियों में निवेश 10 मिलियन रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

हालांकि, इकाई किसी भी तरह से किसी अन्य औद्योगिक इकाई की स्वामित्व, नियंत्रण या सहायक नहीं हो सकती है। पारंपरिक लघु उद्योग कई मामलों में अपने आधुनिक समकक्षों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। पारंपरिक इकाइयाँ अपनी पुरानी मशीनरी और उत्पादन की पारंपरिक तकनीकों के साथ अत्यधिक श्रम खपत करती हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता दर कम होती है। जबकि आधुनिक लघु-स्तरीय इकाइयाँ कम जनशक्ति और अधिक परिष्कृत उपकरणों के साथ अधिक उत्पादक होती हैं। खादी और हथकरघा, रेशम उत्पादन, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, बेल मेटल भारत के कुछ पारंपरिक लघु उद्योग हैं। आधुनिक लघु उद्योग साधारण वस्तुओं जैसे होजरी उत्पाद, परिधान, चमड़े के उत्पाद, मछली पकड़ने के हुक आदि से लेकर अधिक परिष्कृत वस्तुओं जैसे टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण प्रणाली, विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पादों, विशेष रूप से बड़े औद्योगिक उपक्रमों के सहायक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। आजकल भारतीय लघु-स्तरीय उद्योग (एसएसआई) ज्यादातर आधुनिक लघु-स्तरीय उद्योग हैं। आधुनिकीकरण ने इस उद्योग द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की सूची को विस्तृत कर दिया है। भारत में आधुनिक लघु-स्तरीय सेवा और व्यावसायिक उद्यमों में निर्मित वस्तुओं में अब रबर उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, ग्लास और सिरेमिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आइटम, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल आइटम, परिवहन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक और उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, साइकिल शामिल हैं। पुर्जे, उपकरण, खेल का सामान, स्टेशनरी का सामान और घड़ियाँ। भारत में बड़ी संख्या में छोटे उद्यम हैं और विकासशील देशों में अधिक छोटे उद्यम विकसित हो रहे हैं। ये लघु उद्योग या उद्यम उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा (छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच) की गारंटी देते हैं, और आर्थिक गतिविधियों की विविधता इतनी महान है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में यथासंभव एसएसआई की आवश्यकता होती है।

ऐसा नहीं है कि बड़े और मध्यम स्तर के उद्योग अपने छोटे समकक्षों की तरह उद्यमशीलता नहीं दिखाते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि एसएसआई में ही उद्यमी की उपस्थिति सबसे अधिक दिखाई देती है। भारत जैसे विकासशील देश में, लघु उद्योग क्षेत्र की न केवल रोजगार और आय सृजन में योगदान देकर, बल्कि ग्राहकों के एक बड़े हिस्से की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में भी एक निश्चित भूमिका है। उनकी अधिक दृश्यता इस तथ्य के कारण भी हो सकती है कि एसएसआई के लिए बनाई गई नीतियों में खामियों के बावजूद, वे विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में उत्पादन क्षेत्रों में फल-फूल रहे हैं। छोटी इकाइयों के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं जिनका संक्षेप में परीक्षण किया गया है।

छोटे पैमाने के लिए पर्यावरण: छोटे पैमाने के उद्यमियों/उद्योगों के लिए वातावरण में वह परिवेश, बाहरी वस्तुएँ, प्रभाव या परिस्थितियाँ शामिल होती हैं जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति या वस्तु मौजूद होती है। ये अलगाव में मौजूद नहीं हैं बल्कि प्रभावों के बिल्कुल नए सेट बनाने के लिए एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।



ऐसे दो प्रकार के वातावरण हैं जिनमें SSI मौजूद हैं:

1. सूक्ष्म आर्थिक वातावरण/पर्यावरण
2. वृहत आर्थिक वातावरण/पर्यावरण

हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी का वातावरण उन सभी स्थितियों, घटनाओं और प्रभावों का समुच्चय है जो उसे घेरते हैं और प्रभावित करते हैं। केवल प्रासंगिक वातावरण की सचेत पहचान ही एसएसआई को उन कारकों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बना सकती है जो उसके मिशन, उद्देश्य और उद्देश्यों से गहराई से संबंधित हैं।

सूक्ष्म-आर्थिक वातावरण में निम्नलिखित कारक शामिल हैं: मांग, आपूर्ति और मूल्य निर्धारण आदि। जबकि, व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकीय चर, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, सामग्री जैसे संसाधन जैसे कई प्रकार के कारक शामिल हैं। और ऊर्जा, आर्थिक सुधार, आर्थिक योजना, वित्तीय क्षेत्र, मूल्य और वितरण नियंत्रण आदि। एसएसआई क्षेत्र पर कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाधाएँ हैं। प्रत्यक्ष प्रभाव हैं उद्यम कैसे, कब और कहाँ संचालित हो सकते हैं, ये राज्य के प्रति वित्तीय दायित्वों को कैसे पूरा करेंगे और किन परिस्थितियों में मजदूरों को लगाया जा सकता है आदि।

अप्रत्यक्ष व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करने वाले हतोत्साहित या प्रोत्साहन उपायों के माध्यम से और बाजार भेदभाव और विकृति के माध्यम से व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करता है। अन्य बाधाएँ भी हैं, जैसे जोनिंग नियम, मूल्य नियंत्रण, पंजीकरण लाइसेंसिंग, श्रम नियम इत्यादि छोटे और मध्यम स्तर के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह उद्योग विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्ट है। छोटे पैमाने के उद्योगों को वस्तु उत्पादन के लिए श्रम गहन दृष्टिकोण अपनाने की विशेष विशेषता के साथ पहचाना जा सकता है। चूंकि इन उद्योगों में पूंजी की कमी होती है, इसलिए ये

वस्तुओं के उत्पादन के लिए श्रम शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसी प्रक्रिया का मुख्य लाभ अर्थव्यवस्था में श्रम की अधिशेष मात्रा के अवशोषण में निहित है जिसे बड़े और पूंजी गहन उद्योगों द्वारा अवशोषित नहीं किया जा रहा था। यह, बदले में, सिस्टम को बेरोजगारी के साथ-साथ गरीबी की सीमा को कम करने में मदद करता है।

दुनिया भर में यह अनुभवजन्य रूप से सिद्ध हो चुका है कि लघु उद्योग अपने मध्यम या बड़े समकक्षों की तुलना में अच्छे उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न प्रतिभागियों के बीच राष्ट्रीय आय को अधिक कुशल और न्यायसंगत तरीके से वितरित करने में माहिर हैं। लघु उद्योग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उद्योगों के संतुलित विकास को बढ़ावा देने में अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं। यह उद्योग समाज के विभिन्न वर्गों को उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल को निखारने में मदद करता है। लघु उद्योग कौशल के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए एक आवश्यक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

वैश्वीकरण और लघु उद्योगों पर इसका प्रभाव: लघु उद्यमी किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में केंद्रीय व्यक्ति बन गया है। वैश्वीकरण के युग में केवल वे कंपनियाँ ही जीवित रहेंगी और समृद्ध होंगी जो लागत प्रभावी और गुणवत्ता उन्मुख हैं। वैश्वीकरण विदेशी धन और प्रौद्योगिकी के आवक प्रवाह को बढ़ाता है, व्यापार और निवेश की प्रणाली को खोलता है और सामान्य रूप से बाजारों और निगमों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है जब महात्मा गांधी ने 'स्वदेशी बनाम विदेशी' (यानी स्थानीय बनाम वैश्विक) का मुद्दा उठाया था, इसके लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। एसएसआई का विकास होगा। सुधारों के बाद की अवधि में, कारोबारी माहौल में बदलाव के साथ देश का समग्र विकास हुआ। बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के संदर्भ में सीमित तरीके से वैश्वीकरण या उत्पादन और वितरण के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीयकरण के व्यापक अर्थ में परिणामस्वरूप देश का विकास हुआ। बाजार, जिससे तीव्र प्रतिस्पर्धा हो रही है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में सरकार द्वारा क्षेत्र के हितों या प्राथमिकता को सुनिश्चित किए बिना कई नीतियाँ और कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को गिरावट का सामना करना पड़ा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, वित्त और ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, बाजार की समस्याएं, भुगतान में देरी, बाजार की स्थितियों का अपूर्ण ज्ञान, बुनियादी सुविधाओं की कमी, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल की कमी और बड़े पैमाने पर गंभीर प्रतिस्पर्धा का जोखिम था। उद्योग क्षेत्र आदि। कुछ सरकारी नीतियों ने 'पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण' या इसे दिए गए संरक्षण के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को बड़े पैमाने पर विकसित करने को हतोत्साहित किया।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, लघु उद्योग क्षेत्र जटिल, महंगे और समय लेने वाले पंजीकरण या रिश्वत के भुगतान, औपचारिक संस्थागत ऋण की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा ली जाने वाली उच्च ब्याज दरों के मामले में प्रतिकूल नीतिगत माहौल से ग्रस्त हैं। साहूकार बदलते समय और एसएसआई के सिद्ध प्रदर्शन के साथ, भारत सरकार लचीले दृष्टिकोण के माध्यम से एसएसआई क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि पर काम कर रही है। सरकार की वकालत की भूमिका में अब नए आयाम शामिल हैं जैसे छोटे उद्यमों की जरूरतों को स्पष्ट करने के लिए डब्ल्यूटीओ के समक्ष मामलों का निर्माण और बहस करना। इसलिए सरकार और डब्ल्यूटीओ के बीच

समझौतों से कारोबारी माहौल और वैश्वीकरण में बदलाव को बढ़ावा मिला है।

एसएसआई में अप्रत्याशितता की ओर जागना: जब सूक्ष्म या वृहद आर्थिक वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, तो एसएसआई अक्सर परिवर्तन को देख सकता है और नई जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के एक सेट को कॉन्फिगर कर सकता है। ये परिवर्तन या तो अप्रत्याशित असफलताएँ या सफलता ला सकते हैं। छोटे स्तर के उद्यमी जिस वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं उसे समझकर वे अपने जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों पर अपनी रणनीतियों (उद्यम स्तर की रणनीतियों या कार्यात्मक रणनीतियों) की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। करसनभाई पटेल ने थोड़ी मात्रा में शनिरमाश नाम का सफेद-पीला वाशिंग पाउडर तैयार किया और पड़ोसियों को बेचना शुरू किया। करसनभाई ने एक किफायती डिजेंट की आवश्यकता को तब पहचाना जब उन्हें ग्रामीण भारतीय बाजार में एक किफायती डिजेंट के लिए वैक्यूम मिला। बाद में उन्होंने कम कीमत वाला टॉयलेट साबुन पेश किया। शनिरमाश अब एक ब्रांड नाम बन गया है जो शिक्षा प्रदान करने में भी अग्रणी है।

विश्व प्रसिद्ध उद्यमी DI- Ann Eisonor ने बहुत छोटे स्तर पर मुट्ठी भर कर्मचारियों के साथ अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआती नाश्ते की बैठक अप्रत्याशित अवसर का एक उदाहरण है, जब ग्राहक के विपणन प्रबंधक ने अप्रत्याशित रूप से आइजनर को बताया कि मूल कंपनी ने अपने ऑनलाइन-बुक-स्टोर-उद्यम को छोड़ने का फैसला किया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अब आइजनर की प्रचार सेवाओं की आवश्यकता नहीं है और उसे चाहिए होगा अपने और 7 अन्य सदस्यों के वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना। कर्मचारियों और केविन स्टोरेस (आइजनर के बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक) ने एक बड़े ग्राहक द्वारा लाई गई किसी भी सीमा के बिना एक कंपनी को विकसित करने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपना ध्यान सामान्य प्रचार से सीमित कर एक अनूठे उत्पाद तक सीमित करने का निर्णय लिया जहां वे सफल रहे हैं।

जब लघु उद्योग मंत्रालय छोटे पैमाने के उद्यमियों के प्रचार और विकास के लिए अपने क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करता है, तो यह प्रत्येक जागरूक भारतीय लघु उद्यमियों का कर्तव्य है कि वे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लाने के लिए अपना योगदान दें। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन सभी को अवसरों की पहचान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह एकमात्र एसएसआई है जो कुछ विशेष वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिस पर वे ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में कौशल और विशेषज्ञता के कारण आभासी एकाधिकार का आनंद लेते हैं जो विभिन्न बड़े पैमाने के उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती हैं।

सरकारी नीतियाँ और लघु उद्योग क्षेत्र का विकास: केंद्र सरकार ने 1948 में छह प्रस्तावों और बयानों के साथ औद्योगिक नीति संकल्प शुरू किया। इस नीतिगत प्रस्ताव ने छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राज्य सरकार एसएसआई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन डिजाइन करता है। राज्य अपनी स्वयं की औद्योगिक नीतियाँ विकसित करते हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों की पूरक होंगी। एसएसआई क्षेत्र में उत्पादित आरक्षित उत्पादों (31.3.2001 को प्रभावी आरक्षित सूची के अनुसार) पंजीकृत एसएसआई क्षेत्र में 877, अपंजीकृत एसएसआई क्षेत्र में 382 और कुल एसएसआई क्षेत्र में 878 हैं,

जो विशिष्ट वस्तुओं के लिए वस्तुओं के आरक्षण की नीति का परिणाम है। छोटी इकाइयों द्वारा निर्माण। यह नीति केवल उन उत्पाद श्रृंखलाओं पर लागू की गई है जो एसएसआई द्वारा निर्माण के लिए तकनीकी-आर्थिक रूप से उपयुक्त हैं।

लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1991 से आर्थिक सुधार शुरू किये गये। एक एसएसआई इकाई की इफ़िटी में अन्य उपक्रमों द्वारा 24% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार की भागीदारी से एसएसआई के लिए एकीकृत ढांचागत विकास की नई योजनाएं शुरू की गईं। और बढ़ते हुए आर्थिक परिवेश में वित्तीय संस्थान। ये योजनाएं एसएसआई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई थीं। सुधार के बाद की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार। विदेशी भागीदारी के लिए सुविधाएं, निर्यात प्रोत्साहन, विपणन सहायता, निवेश सीमा में बदलाव, आंशिक आरक्षण, विकास केंद्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन आदि सहित कई कदम उठाए।

लघु उद्योग की समस्याएँ: लघु उद्योगों की समस्याएँ एक समान हैं और ये बाहरी और आंतरिक कारकों से उत्पन्न होती हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याएँ अनेक होने के साथ-साथ गंभीर भी हैं। यह विडंबना है कि सरकार का इस क्षेत्र के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है लेकिन बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एसएसआई क्षेत्र की वित्तीय संरचना कमजोर है और समय पर और सस्ते वित्त तक पहुंच में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे पैमाने की इकाइयों को डिफॉल्ट के अधिक व्यवहारिक जोखिम के साथ-साथ उधार देने की उच्चतम लागत के कारण नुकसान का सामना करना पड़ता है। समस्याएँ बहुत हैं। अपनी संगठित संरचना के कारण बड़े पैमाने के उद्योगपतियों के लिए सरकार को नीतियां बनाने और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए राजी करना आसान है, लेकिन एसएसआई उद्यमी इस संबंध में असहाय हैं। छोटे पैमाने के उद्यमी विशेषज्ञ नहीं हैं। प्रबंधन विशेषज्ञता के अभाव के कारण उद्यमी स्थानीय उद्यमियों के खिलाफ रणनीति नहीं बना पाते हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत कम प्रयास किए जाते हैं। एसएसआई का अनुसंधान और विकास पर थोड़ा जोर है।

एसएसआई एक कम लागत गहन क्षेत्र है। इसलिए उनके उत्पादों को विभिन्न (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) बाजारों में प्रभावी ढंग से रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। यह उन क्षेत्रों में से एक है जिसे आरक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था में मौजूद विकास को हतोत्साहित करने के कारण इस क्षेत्र द्वारा उपेक्षित किया गया है। बीमारी के कारण हेरू मांग की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता सामग्री, बिजली की कमी, श्रम समस्याएँ, विपणन समस्याएँ, उपकरण समस्याएँ और प्रबंधन समस्याएँ। बीमारी एसएसआई क्षेत्र को प्रभावित करने वाली एक बारहमासी समस्या है।

लघु उद्योग क्षेत्र के श्रमिकों को न तो आर्थिक रूप से लाभ हुआ है और न ही उन्हें अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए कोई राजनीतिक मंच मिला है। हालाँकि, इस क्षेत्र को लगभग 55 वर्षों से संरक्षित किया गया है, लेकिन इसका मतलब उन लोगों की सुरक्षा नहीं है जिनकी आजीविका इस पर निर्भर है। बहुचर्चित दिल्ली प्रदूषण मामले में जब छोटी इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया, तो श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 'छोटा' बहाना बनाकर उद्यमियों ने कभी भी श्रम मानकों और पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा। एसएसआई क्षेत्र अपने आप में बहुत पुराना है लेकिन सरकार

एसएसआई क्षेत्र को उचित परिभाषा देने में विफल रही है और एसएसआई की परिभाषाओं का प्रसार हुआ है। नतीजतन, कई एसएसआई इकाइयाँ निश्चित नहीं हैं कि वे सरकार की परिभाषाओं में फिट बैठती हैं या नहीं। सरकार ने एसएसआई क्षेत्र की मदद के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं और विभिन्न समितियाँ नियुक्त की हैं, लेकिन सरकार और अन्य एजेंसियों की ओर से अंतहीन परेशानियाँ हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। यह वह समय है जब टेक्नोलॉजी थोड़े समय के बाद बदल जाती है। एसएसआई पर परिसंपत्ति सीमा के कारण प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण छोटे पैमाने के उद्यमियों के लिए एक समस्या बन गई है। इस समस्या से बचने के लिए, छोटे उद्यमियों ने आधुनिक तकनीक के साथ नई इकाइयाँ स्थापित कीं और पुरानी इकाइयों को बेकार छोड़ दिया।

विकासशील विश्व में एसएसआई की संभावनाएँ: पिछले कुछ दशकों से, लघु उद्योग बहुत प्रमुख स्थान पर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कम पूंजी गहन स्थिति और उच्च श्रम अवशोषण प्रकृति के बावजूद, एसएसआई क्षेत्र ने हमारे देश को व्यापक औद्योगिक विकास और विविधीकरण हासिल करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसएसआई को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों, लघु उद्योग विकास संगठन, हस्तशिल्प और हथकरघा संवर्धन निगमों जैसे संस्थानों द्वारा निर्यात प्रोत्साहन सहित क्रेडिट राशनिंग ढांचे, सरकारी खरीद में प्राथमिकता, विपणन सहायता में सब्सिडी के माध्यम से बड़े पैमाने के क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा से संरक्षित किया गया है। और इसी तरह पहले लघु उद्योग इकाइयाँ घरों या वर्कशेड से संचालित होती थीं, अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ वे जहाँ भी बिजली, पानी, कच्चा माल, बाजार या श्रम पहुँचना आसान था, वहाँ से बाहर जाने लगीं। भारत में नीति निर्माताओं ने सड़क, बिजली, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, बैंक, दूरसंचार और किराया खरीद पर शेड के आवंटन के साथ-साथ एकमुश्त बिक्री आदि जैसे उपयुक्त बुनियादी ढांचे प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक संपदा स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।

निष्कर्ष - एसएसआई के लिए फैक्टरिंग सेवाएँ उपलब्ध हैं जो कार्यशील पूंजी के उचित स्तर को बनाए रखने और प्राप्य खातों की रुकावट को कम करने में मदद करती हैं। लघु उद्योग इकाइयों को अपनी वृद्धि के लिए अपना बकाया वसूलने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। आजकल, उपभोक्ता टेलीविजन पर कन्फेशनरी आइटम (बिस्कुट, ब्रेड, केक, स्नैक्स और चिप्स आदि) जैसे उत्पादों के विज्ञापन देख सकते हैं। लघु-स्तरीय इकाइयों के उत्पादों की बड़ी संख्या जनता के लिए काफी हद तक अपरिचित है। एसएसआई को अपने उत्पादों को टीवी, रेडियो और समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रचारित करना चाहिए।

ये इकाइयाँ श्रम गहन हैं लेकिन श्रमिक बहुत कुशल नहीं हैं और बड़ी मात्रा में कच्चे माल या सूची बर्बाद या कूड़ेदान में चली जाती है। यह लागत बढ़ने का प्रमुख कारण बन गया है। लघु उद्योग इकाइयों को इन्वेंट्री नियंत्रण तकनीकों से परिचित होना चाहिए। प्रबंधन हर स्तर पर जरूरी है। बड़े पैमाने के क्षेत्र के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोटे उद्यमियों को प्रबंधकीय कौशल सीखना चाहिए। बड़े और छोटे पैमाने के क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा मूल रूप से उत्पादों की गुणवत्ता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लागत-कुशल और उच्च गुणवत्ता वाला इष्टतम आउटपुट उत्पन्न करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अग्रवाल, अनिल, 'विकासशील दुनिया में दुविधा: छोटे पैमाने के उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, लेकिन भारी प्रदूषण करते हैं', विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।
2. एंटनी, वलसाम्मा (2002) 'भारत में एसएसआई के उत्पाद और विकास', दक्षिणी अर्थशास्त्री, 41.1:23-26
3. भिडे, शीला (2000) 'लघु-स्तरीय उद्योगों का विकास: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण' आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक
4. दास, गुरचरण (2006) 'द इंडिया मॉडल' फॉरेन अफेयर्स
5. गुप्ता, सी.बी. और एन.डी. श्रीनिवासन (1997) 'भारत में उद्यमिता विकास' नई दिल्ली सुल्तान चंद एंड संस
6. भारत सरकार (2006) 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम'
7. हॉलबर्ग, क्रिस्टिन (1999) 'लघु और मध्यम स्तर के उद्यम: हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा' विश्व बैंक।
8. एच.होल्ड, डेविड एच: (2002) 'उद्यमिता: नया उद्यम निर्माण' नई दिल्ली अग्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया
9. मैथ्यू, पी एम (2000) 'लघु उद्योग: नीति की समस्याएं'

गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का महत्व

डॉ. रुपेश पल्लव*

* सहायक प्राध्यापक (डिप्लॉयड अधिकारी) शासकीय महाविद्यालय, रजौधा, पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्ष 2020 दुनिया भर के देशों के लिए एक असाधारण वर्ष रहा है। भारत में, कोविड-19 के अलावा, इनमें से एकजो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वह नई शिक्षा नीति - राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का विकास था। समय-समय पर, विभिन्न समितियों ने शिक्षा के लिए बजट आवंटन को सकल घरेलू उत्पाद का 6% तक बढ़ाने की सिफारिश की है शोधकर्ताओं के हितों को बढ़ावा मिला है। इस शोधपत्र का उद्देश्य एनईपी 2020 की चिंताओं और फोकस की पहचान करना है। एनईपी-2020 है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के साथ एक अभिनव और भविष्योन्मुखी प्रस्ताव, जो प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह शोधपत्र प्रारंभ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का एक सिंहावलोकन दर्शाता है, उच्च स्तर पर नीति की ताकत और कमजोरी को अलग करता है शिक्षा और अनुसंधान भाग, नीति में दिए गए कार्यान्वयन सुझावों का मूल्यांकन, पहचान और विश्लेषण फोकस समूह चर्चाओं के आधार पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के लिए संभावित सामान्य रणनीतियाँ। शोधपत्र में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास जैसे मुद्दों पर कई पूर्वानुमानित प्रस्ताव भी शामिल हैं। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, अधिक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, इष्टतम शिक्षण वातावरण और छात्र सहायता, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी उपयोग और एकीकरण और ऑनलाइन की नियामक प्रणाली को बदलना और डिजिटल शिक्षा। अंत में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ सिफारिशों की गई हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने वाले कारकों का विश्लेषण करने का एक प्रयास है। इस उद्देश्य के लिए, शोध द्वातियक प्रकार के डेटा के उपयोग के साथ किया गया था। द्वितीयक डेटा के रूप में उपलब्ध व्यापक साहित्य की मदद से एकत्र किया गया था यानी पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, ई-जर्नल्स, वेबसाइटों, किताबों और समाचार पत्रों आदि को लिया गया है। एकत्रित आंकड़ों की गहन समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व को समझने के लिए निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण कारकों और नवाचारों का पता चलता है, जिन्हें शोधकर्ताओं और साहित्यकारों द्वारा अपने शोध कार्य में अपनाया जा सकता है।

शब्द कुंजी - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, गुणवत्ता एवं शिक्षा।

प्रस्तावना - देश प्रगति के लिए अपनी शिक्षा प्रणालियों की योजना बनाते हैं सभी आर्थिक वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई। इस पॉलिसी का कवरेज व्यापक है, शुरुआत से प्राथमिक विद्यालय शिक्षा (साक्षरता स्तर) उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों को (केंद्रित विशेषज्ञता) - दोनों सेटिंग्स में, यानी ग्रामीण और शहरी, पहला एनपीई प्रस्तावित किया गया था और 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित दूसरी नीति 1986 में बनाई गई थी, और तीसरी प्रमुख सुधारात्मक थीयह नीति 2020 में मौजूदा प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) भारत में एक चुनौती है और इसलिए इसका लक्ष्य देश को ऊपर उठाना, विकास का समर्थन करके विकसित देश बनाना, संयुक्त राष्ट्र के चौथे लक्ष्य के अनुसार अनिवार्यताएँ सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। भारत का मानना है कि 2030 तक इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से शिक्षा के इस लक्ष्य को तो हासिल कर ही सकती है साथ ही 2040 तक उच्च गुणवत्ता तक समान पहुंच के साथ सामाजिक भेदभाव से परे सभी को शिक्षा प्रदान कर सकती है। आर्थिक पृष्ठभूमि बनाने की दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण उच्च

शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा देश को एक समतामूलक देश के रूप में बदलने के लिए मूल्य एक नई आदर्श व्यवस्था का निर्माण कर वर्तमान शिक्षा संरचना में संशोधन और सुधार कर नीतियों, विनियमों और नियंत्रण प्रणालियों सहित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 डिजाइन की गई है। उम्मीद है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 अपने आप में एक संपूर्ण व्यवस्था है जो की नवप्रवर्तन के लिए रचनात्मकता, बहुविषयक, एकता और अखंडता के लिए समग्र शिक्षा बनाने के लिए नियमों का एक नया सेट है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया तथा भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। यह पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का ही रूपांतरण है। इस नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की पहली सबसे खास बात यह है कि इसमें शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाने की बात कही

गई है। इसमें अबतक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ही शामिल किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में इसे तीन से 18 साल तक करने की बात कही गई है।

नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले 'समूह' के अनुसार विषय चुने जाते थे, किन्तु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति मां पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं उच्च शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव यूजी और उच्च शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों पर भी पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 के अंतर्गत यूजी-पीजी के छात्र-छात्राओं के लिए निम्न बिंदु शामिल किए गए हैं:

1. UG प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेश/निकास। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।
2. स्नातक की डिग्री चार साल की रहेगी जैसा कि 2020 की नीति में निर्धारित किया गया था।
3. छात्रों के पास डिग्री प्रोग्राम छोड़ने के लिए चुनने के कई अवसर होंगे।
4. यदि छात्र 4-वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है, तो उसे रिसर्च की डिग्री दी जाएगी।
5. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
6. भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना।
7. हर शैक्षणिक संस्थान में, छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
8. एम.फिल की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी।
9. चिकित्सा, कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक।
10. संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
11. कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके।

शोध के उद्देश्य:

1. गुणवत्ता शिक्षा बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का क्या योगदान है।
2. उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषणात्मक शोध करना।

साहित्य की समीक्षा

जुलाई 2019 में, ऐथल पी.एस. ने एक पेपर प्रकाशित किया 'भारतीय राष्ट्रीय में उच्च शिक्षा का विश्लेषण' शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 और 'उसके कार्यान्वयन चुनौतियाँ' की समीक्षा की गई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय संबंधित साहित्य उच्च शिक्षा नीतियां और उनके परिणाम, मुख्य विशेषताएं, और उनके मसौदे पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 सामग्री के माध्यम से विश्लेषण किया गया। उच्च शिक्षा विभाग और उनकी तुलना के साथ की पिछली नीतियां विश्लेषण में इसकी तुलना भी की गई। नई नीति प्रस्ताव की ताकत और कमजोरियां की विभिन्न हितधारकों के संबंध में पहचान की गई और शोधपत्र में कुछ सुझाव भी शामिल हैं जो नीति को समझें में और सरल बनाते हैं।

अगस्त 2020 में, सुनील कुमार ने एक नई बात पर प्रकाश डाला जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि कार्य योजनाओं और कार्यान्वयन की रणनीति की तुलना में दृष्टि और मिशन के बीच शून्यता के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सही उपाय किए जाना चाहिए।

सूर्यवंशी, एस. (2020) ने एक प्रयास किया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षा की तुलना की जाना चाहिए। उन्होंने चीनी विश्वविद्यालय में एक केस स्टडी के रूप में निष्कर्ष निकाला कि संकाय के लिए स्वायत्तता आवश्यक है। शोधपत्र में यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों के पास होना इतनी क्षमता होना चाहिए की वे व्यक्तिगत स्वायत्तता-जैसा कि एनईपी-2020 द्वारा प्रस्तावित है में सही एवं निश्चित कदम उठा सके।

देब, पी. (2020) द्वारा अपने शोध पविजन फॉरम में बताया गया की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक रूप में भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहिए जिससे देश की शिक्षा की गुणवत्ता का सही आंकलन हो सके तथा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सही नीति को बनाया जा सके।

प्रकाश कुमार अपने शोध में यह पता लगाया गया की नीति द्वारा संबोधित प्रमुख पहलुओं में से एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कार्यान्वयन है - एक बहु-विषयक दृष्टिकोण जो छात्रों को पसंद के कार्यक्रमों के बीच चयन करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा। टीमलीज सर्विसेज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीति शर्मा कहती हैं, 'यह भविष्य में छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।'

शोध विधि: यह शोध एक वर्णनात्मक अध्ययन है। आवश्यक द्वातियक डेटा विभिन्न कारकों से एकत्र किया गया था जैसे भारत सरकार की वेबसाइटें, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, ई-जर्नल्स, वेबसाइटों, किताबों और समाचार पत्रों आदि। फिर निष्कर्षों और निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए इस डेटा का विश्लेषण और समीक्षा की गई।

निष्कर्ष एवं सुझाव: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक अच्छी नीति है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु-विषयक और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर लक्षित है। नीति की मंशा कई मायनों में आदर्श प्रतीत होती है, लेकिन निश्चय ही इसकी सफलता इसके कुशल कार्यान्वयन पर निर्भर होगी। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के बारे में विचार किया गया के जिसमें निहित गुणवत्ता शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का अध्ययन किया गया। गुणवत्ता शिक्षा के उद्देश्य की

प्राप्ति के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण होना चाहिए जो युवाओं को सशक्त बनाएं और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, मानव के साथ-साथ नए ज्ञान, नए कौशल का निर्माण करें। वर्तमान और भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए मूल्य शिक्षा के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण कर सके।

संक्षेप में कहा जा सकता है की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 बदलावों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत करती है और वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और भविष्य की अनिश्चितता की संभावना पर मजबूत पकड़ के साथ काफी हद तक एक बहुत ही प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में पढ़ी जाती है। नई पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते डिजिटलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ना होगा, जिसे बनाए रखने में संक्षम होने के लिए क्षमताओं के एक पूरी तरह से नए सेट की आवश्यकता होती है। यह अब और भी अधिक महत्वपूर्ण अनुलाभ प्रतीत होता है, क्योंकि महामारी के कारण डिजिटलीकरण और विघटनकारी स्वचालन की ओर रुझान तेज हो गया है। कुल मिलाकर, एनईपी 2020 कृषि से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को विकसित करने की आवश्यकता को संबोधित करता है। भारत को भविष्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। और एनईपी 2020 कई युवा इच्छुक छात्रों के लिए सही कौशल से लैस होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. आर्थिक-समीक्षा 2018-19, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
5. ऐथल, पी.एस., और ऐथल, एस. (2020) 'भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान (आईजेएमटीएस), 5(2), 19-41.
6. सुनील कुमार सरोहा, और उत्ताम आनंद (2020) 'नया अनुदेश प्रक्रिया 2020 मुख्य बातें: स्कूलों और अग्रिमों में बड़े आंदोलन' आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज और सामाजिक विज्ञान (आईओएसआर-जेएचएसएस), 25 (8), 59-62.
7. सूर्यवंशी, एस. (2020) 'प्रतिबिंब भारतीय पुनर्कल्पना के लिए तुलनात्मक अध्ययन' विश्वविद्यालय समाचार, 58 (33), 96-102.
8. देब, पी. (2020) 'विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए विजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक आलोचना' राजीव गांधी समसामयिक अध्ययन संस्थान, 1-29.
9. कुमारके. प्रकाश (2020): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे एक आदर्श हो सकती है भारत में भावी पीढ़ी को बदलने के लिए 20(4), ई2500। <https://doi.org/10-1002/pa-2500>
10. <https://www.bhaskarhindi-com/national/new/national&education&policy&2020/>
11. <https://leadschool-in/hi/school&owner/national&education&policy&nep&2020/>
12. <https://pmmodiyojanaye-in/national&education&policy&2020/>
13. <https://hi-wikipedia-org/wiki/>
14. <https://highereducation-mp-gov-in/page?JUL9t1LHqftaDqyEIQFtg%3D%3D/>
15. <https://www-gyaaniram-com//2020&new&national&education&policy&2020-html/>

भारत की जी20 अध्यक्षता: चुनौतियाँ और अवसर

डॉ. अरविन्द सिरौही *

*असिस्टेंट प्रोफेसर (सविदा) (समाजशास्त्र विभाग) चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता है। जी20 की स्थापना 1999¹ में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीति पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत जी-20 का संस्थापक सदस्य है। जी20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, संयुक्त किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं²। जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। गौरतलब है कि जी20 के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोदो ने भारत को जी20 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत को पहली बार जी20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए मिली है। बता दें कि जी20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन के दौरान भारत 2024 के लिए जी20 की अध्यक्षता दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील को सौंपेगा।

जी20 ने शुरुआत में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में इसके एजेंडे का विस्तार किया गया और अब व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसी वैश्विक समस्याओं को भी इसमें जगह दी जा चुकी है। जी20 शिखर सम्मेलन के दायरे तथा महत्व को देखते हुए, इसके प्रति जागरूक बनने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है। जी20 में प्रतिनिधित्व करने वाले 20 देशों का विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%³ और इसकी जनसंख्या का दो-तिहाई⁴, हिस्सा है। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। जी20 भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को आकार देने और अपनी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। 2023 जी20 शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है, जिसमें COVID-19 की वैश्विक महामारी के बाद बनी वैश्विक आर्थिक संकट वाली स्थिति से बाहर आने, स्थाई और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा असमानता और गरीबी को दूर करने जैसे मुद्दे शामिल हो

सकते हैं। जी20 शिखर सम्मेलन इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि यह सामूहिक प्रयासों को मंच प्रदान करता है। प्रतिनिधि उन नीतियों और पहलों को लागू करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जी20 ने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का जवाब देने और COVID-19 महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जी20 भारत की अध्यक्षता– भारत का जी20 लोगो पृथ्वी ग्रह को भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ जोड़ता है और थीम 'वसुधैव कुटुंबकम्' या 'एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य' है।

1. जी20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों – केसरिया, सफेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है।
2. पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के ग्रह-समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य रखता है।
3. यह विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर भी संबंधित, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ Life (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर प्रकाश डालता है, जिससे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्यों को बढ़ावा मिलता है जिसके परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरित और नीला भविष्य होता है।

जी20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच बदलती रहती है, और अध्यक्षता करने वाला देश, पिछले और अगले राष्ट्रपति पद के धारकों के साथ मिलकर, जी20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 'ट्रोइका' बनाता है। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश हैं और वर्तमान राष्ट्रपति पद इंडोनेशिया के पास है।

जी20 भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है

प्रतिनिधित्व– भारत जी20 में शामिल 20 देशों में से एक है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपना पक्ष रखने का मौका देता है। जी20 सम्मेलन भारत को प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और राय साझा करने के साथ ही वैश्विक आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने वाले मुद्दों पर राय देने का अवसर प्रदान करता है।

आर्थिक विकास– जी20 भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए जी20 मंच का भरपूर लाभ उठा सकता है, जो इसके आर्थिक विकास और विकास को गति दे सकता है।

वैश्विक मुद्दे- भारत के लिए जी20 जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत इन मुद्दों का समाधान खोजने और सतत व समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य जी20 देशों के साथ सहयोग कर सकता है।

वित्तीय स्थिरता- जी20 समूह भारत के लिए भी प्रासंगिक है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत वित्तीय विनियमन और स्थिरता से जुड़े विषयों पर चर्चा में भाग ले सकता है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्थिर और लचीली बनी रहे और इसके हितों की अनदेखी न होने पाए।

प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही इस तथ्य से शांतित्व के रूप में स्वीकार किया जा चुका है कि बाली शिखर सम्मेलन सभी देशों द्वारा श्री पुतिन को दिए गए उनके प्रसिद्ध बयान को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के साथ समाप्त हुआ कि वर्तमान युग युद्ध का नहीं है। भारत को महामारी के बाद की रिकवरी अवधि के दौरान अपनी वैकसीन कूटनीति के लिए भी पहचाना गया है। इस प्रकार भारत अपने एक वर्ष के राष्ट्रपति पद का उपयोग करने और विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत मजबूत कूटनीतिक स्थिति में है।

- बहुपक्षीय सहयोग** - भारत को न केवल जी20 समूह को मजबूत करने और भू-राजनीतिक स्थिति के कारण पैदा हुए मतभेदों को कम करने का बीड़ा उठाना चाहिए, बल्कि समूह के बहुआयामी एजेंडे के विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग के भविष्य की गति भी निर्धारित करनी चाहिए।
- समावेशी दृष्टिकोण** - राष्ट्रपति पद की अवधि में और 2023 जी20 शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में, भारत को उन देशों के विचारों को सामने लाना चाहिए जिनका जी20 में प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत को आगे बढ़ने के रास्ते के रूप में विश्वव्यापी मुद्दों को हल करने के लिए मानव-केंद्रित व्यवस्था के साथ एक व्यापक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना चाहिए।⁵
- अफ्रीकी संघ को ऊपर उठाना** - एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अफ्रीकी संघ (एयू) की स्थिति को जी20 के स्थायी पर्यवेक्षक से सदस्य की स्थिति तक बढ़ावा देकर, इसे यूरोपीय संघ के स्तर पर लाकर अफ्रीकी देशों को दरकिनार करना समाप्त करना होना चाहिए।
- भारत-केंद्रित दृष्टिकोण** - भारत को भारत-केंद्रित दृष्टिकोण को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए, वैश्विक दक्षिण की महत्वपूर्ण चिंताओं के क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़े सत्ता के प्रतिस्पर्धी केंद्रों की स्थिति को साझा करने और व्यवस्थित करने के लिए राजनयिक लाभ का लाभ उठाना चाहिए। वेस्ट ब्लॉक और रूसी ब्लॉक का नेतृत्व किया।
- प्रणालियों को मजबूत करना** - जी20 के अध्यक्ष के रूप में, भारत को आईएमएफ, ओईसीडी, डब्ल्यूएचओ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का लक्ष्य रखना चाहिए और इसमें शामिल राज्यों के लिए धन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानदंडों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय नियामक विकास संस्थान** - जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियामक विकास संस्थान (IIRD) की स्थापना करके वैश्विक नियामक संरचना में परिवर्तन शुरू करने का अवसर देती है।

भारत एक नए नियामक ढांचे का पथप्रदर्शक हो सकता है।

निष्कर्ष व जी20 हेतु महत्वपूर्ण सुझाव- उपरोक्त क्षेत्र में, भारत जी 20 पर अपनी अनुठी और रचनात्मक छाप छोड़ने में सक्षम हो सकता है। यह औपचारिक बैठकों के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम होगा, साथ ही साथ जी20 प्रक्रिया के दौरान और शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा-सेटिंग द्विपक्षीय और मिनीलैटरल आदान-प्रदान भी करेगा लेकिन एक समूह के रूप में जी20 की क्षमता को और अध्यक्ष पद की शक्तियों की सीमाओं को ज्यादा कर आंकना भी बेहद अहम है, जी 20 कई देशों को एक साथ लाता है, जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ संघर्षरत भी हैं। आम सहमति दस्तावेजों का मतलब है कि वैश्विक शिखर सम्मेलन 'सतही बात' से हटकर समाधानों की ओर बढ़ सकता है। जी 20 के शासनादेश में सुरक्षा मुद्दे शामिल नहीं हैं शस्त्रों के लिए एक दूसरे पर आधारित संबंध के दुरुपयोग को कम करने और वैश्वीकरण के एक नए मॉडल का निर्माण करने के प्रयासों को संभवतः चीन के साथ-साथ कुछ अन्य देश के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक और जोखिम है रूस यदि पश्चिम उन अवसरों में से कुछ को लेकर सकारात्मक जवाब नहीं देता है जो भारत बनाने की कोशिश करता है, तो दूसरे देश आगे आ सकते हैं। चीन इसका एक उदाहरण है, जो ना केवल सस्ते बुनियादी ढांचे की पेशकश के साथ - जिसकी जरूरत ना सिर्फ ग्लोबल साउथ में शामिल देशों को है बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के राष्ट्रों को भी इसकी सख्त जरूरत है, हालांकि एक वैकल्पिक विकास मॉडल भी है जिसका उदार मूल्यों के साथ गतिरोध जारी है और जो सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर सकता है।

- जी-20 की भारत की अध्यक्षता बहुपक्षीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने, पुनर्जीवित करने और फिर से केंद्रित करने का एक अवसर है।
- भारत को नई वास्तविकताओं का जवाब देने के लिए जी20 को स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए, और इसे एक नए और मजबूत संस्थागत वास्तुकला के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार बहुपक्षवाद पर्यावरण के निर्माण में सहायक बनाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 'जी20 के बारे में - इंडोनेशिया की जी20 प्रेसीडेंसी'। 9 अगस्त 2022 को पुनःप्राप्त
- 'जी20 वित्त मंत्री सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं'। आईपीएस न्यूज। 9 सितंबर 2015। 4 दिसंबर 2015 को लिया गया
- 'जी20 क्या है, जी20 फाउंडेशन'। 14 मई 2020 को मूल से संग्रहीत। 19 मई 2020 को लिया गया
- 'जी20 सदस्य'। G-20.org 3 फरवरी 2014 को मूल से संग्रहीत। 15 जनवरी 2014 को पुनःप्राप्त
- 'डब्ल्यूटीओ आँकड़े'। विश्व व्यापार संगठन, 15 अप्रैल 2022 को पुनःप्राप्त
- लियाओ, रेबेका (सितंबर 2016)। 'जी-20 का अंत'। विदेश मामले - विदेशी मामलों के माध्यम से (सदस्यता आवश्यक)
- द गार्जियन की ओर से जी-20 विशेष रिपोर्ट
- OECD की जी-20 वेबसाइट
- द ग्रुप ऑफ ट्वेंटी - ए हिस्ट्री, 2007
- कूपर, एंड्रयू एफ. (2011)। 'जी20 और इसके क्षेत्रीय आलोचक: समावेशन की खोज'। वैश्विक नीति 2 (2): 203-209

भारतीय समाज में जनजातियों की स्थिति का विश्लेषण

डॉ. गीता कुमारी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखंड) भारत

प्रस्तावना – जनजातियां वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहा जाए तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज, तथा सामान्य देवी देवता होते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं

भारतीय संविधान में जहां इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है तो दूसरी ओर इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे – आदिवासी, आदिम जनजाति, वनवासी प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह आदि। हालांकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत देश के संपूर्ण भूभाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड्स तथा मंगोल जैसी जनजातियों को माना जाता है।

अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रखते हुए अपनी संस्कृति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अનોखी पहचान देती हैं।

आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल तो कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिये पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियां आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवन यापन कर रही हैं और कई समस्याओं को झेल रही हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की समस्याएं – जनजातियां ऐसे इलाकों में निवास करती हैं जहां तक बुनियादी सुविधाओं की पहुंच ना के बराबर है। लिहाजा ये बहुत सारी समस्याओं को झेल रही हैं। अगर बात करें सामाजिक समस्याओं की तो ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने –आप को सहज नहीं पाती हैं। इस कारण ये सामाजिक- सांस्कृतिक अलगाव भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती हैं। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधित सुविधाओं से वंचन की स्थिति मिलती है।

आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं इन तबकों के लिए है इनकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती है जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है।

इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवन यापन कर

रहा है। मां-बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं तथा पैसे के लिए उन्हें बड़े-बड़े व्यवसायियों या दलीलों को बेच देते हैं। लिहाजा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। रही बात लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे धिनौने दलदल में धकेल दिया इनके हितों के अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो जाता है। दरसल जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है।

धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजातियों के अपने अलग देवी –देवता होते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो पाते हैं कि इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था। सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। आज भी इनकी स्थिति ले –देकर यही है।

यही सब कारणों से जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा करना मुनासिब होगा।

जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम – संविधान के पन्नों में जहां एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति- जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करता है।

1. अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिए 2003 में 89 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों के भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

2. संवैधानिक प्रावधानों के अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल हैं – सरकारी सहायता अनुदान, अनाज, बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग-अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है।
3. जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी वह 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।
4. सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की जरूरत है। यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
1. हालांकि सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है लेकिन शासन के कार्यों में और ज्यादा तब्दीली की जरूरत है योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुंच पाता है, इस रुकावट को दूर करना होगा।
2. साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया के उदासीनता को खत्म करने की जरूरत है। जब तक जनजातियों से संबंधित कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तब तक मीडिया भी सचेत नहीं होती है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करें।
3. आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के आधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प है।
4. इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिए सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य प्रकार के हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।
5. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंध भी जरूरी है। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके।
6. जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है –उनका सांस्कृतिक अलगाव। लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जहां आदिम ललित कलाओं की रक्षा की जा सके। जनजातियों के लिये किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हो। इसमें उनके भाषा संबंधी समस्या का भी समाधान निहित है।
7. आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने हितों के साथ-साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करें। जब ऐसा होगा तभी हम सेंटिनलीज जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ सकेंगे और उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 एस .सी.राय , 1935: द बिरहोर , छत्तीसगढ़ , पृष्ठ -7-8
- 2 श्यामा शरण दुबे, 1957: द कमार ,मध्यप्रदेश ,पृष्ठ- 125
- 3 दयाशंकर नाग, 1989: द ट्राइबल इकोनॉमी ,पृष्ठ -97
- 4 वहीं : पृष्ठ -101-102
- 5 पी.वी.नायक ,2002: द भील , मध्यप्रदेश , पृष्ठ-36
- 6 वेरियर एल्वीन , 2005: द गौर ,छत्तीसगढ़ , पृष्ठ- 105
- 7 वहीं : पृष्ठ -108

स्वतंत्रता के पश्चात् महिला अपराधों को रोकने में नये संवैधानिक प्रावधानों का औचित्य एक अध्ययन (वर्ष 2000-2023 तक)

गीता हनवत*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, इंदौर(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत पुरुष प्रधान देश है महिलायें पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सशक्त हो रही हैं महिलाओं को संवैधानिक प्रावधान प्राप्त है जानकारी के माध्यम से वे अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाती हैं तो कहीं ना कहीं पति परिवार के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती हैं और कोई भी पुरुष नहीं चाहता की पत्नी परिवार के सामने अपनी आवाज उठाये यहीं से पारिवारिक रिस्तों में द्वार उत्पन्न होती है इस तरह से समाज, परिवार, सगे संबंधियों में संवेदशीलता बनाये रखने आवश्यकता है जिससे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया सकता है। महिलायें अपने प्रति होने वाले अपराधों से मुक्ति पाने के लिए समाज के अंदर की कुरीतियां, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के प्रति जागृत हो रही हैं।

शब्द कुंजी – महिला अपराध, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना – महिलाओं की स्थितियों में समय के अनुसार परिवर्तन होता आ रहा है समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती गई और कमजोर वर्ग की महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव देखा गया समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिए जल, वायु, भोजन है महिलाओं को कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यंत निचले स्तर पर है भारतीय समाज में परंपरागत व्यवस्था की वजह से महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्राप्त है पर महत्व पुरुष को ही दिया जाता है। भारतीय समाज में आज भी अधिकांश महिलाएं पीड़ित, उपेक्षित, अबला और असहाय स्थिति में जी रही हैं, अर्थात् सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ापन आज भी इनकी पहचान है अपने पारिवारिक दायरे से बाहर निकलने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है या तो उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है अगर है भी तो उन्हें पाने में असमर्थ है। घरेलू कार्य का दबाव व परिवार के सभी सदस्यों की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करना ही उसके लिये बहुत है। अलग से मानसिक शारीरिक सामाजिक दबावों को झेलते हुए अपने सम्पूर्ण जीवन व योग्यताओं का क्षय करती रहती हैं। अतः इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारतीय महिलाएं आज भी अपने इन अधिकारों को प्राप्त करने में असमर्थ मानी गई जा सकती हैं।

शोध के उद्देश्य:

1. महिलाओं पर होने वाले सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अपराध के कारणों का अध्ययन करना।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में अपराधों को जानना आवश्यक है – हिंसा का अर्थ जीवन जीने में किसी न किसी प्रकार की बाधा से आंकलन लगाया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा व आर्थिक हिंसा आदि का सम्मिलित

किया गया है। जो किसी न किसी महिला के साथ हर दिन घटित होती है जिसमें मारपीट करना, मानसिक रूप से परेशान करना,

आर्थिक हिंसा – महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में एक आर्थिक रूप से यह हिंसा का कारण बनता है। जब किसी महिला को उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्तीय संसाधनों से वंचित कर देना यह हिंसा का कारण है।

शारीरिक हिंसा – महिला हिंसा के अंतर्गत देखा जाय तो प्रमुख रूप से शारीरिक हिंसा जैसे शरीर पर चोट, मारपीट जिसमें साधारण एवं गंभीर चोट आदि आते जो स्वतंत्र रूप से एक अपराध है जिसका प्रभाव शरीर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मानसिक हिंसा – समाज में या किसी अन्य स्थानों पर भी आपके कार्यों को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है चाहे वह शरीर पर दिखाई न दे रहा हो लेकिन पीड़ित व्यक्ति की मानसिक विचारधारा को प्रभावित करके उसका जीवन जीना कठिन बना दिया जाता है।

भावनात्मक हिंसा – परिवार मित्र या रिस्तेदार मुख्य रूप से अपनों को भावनात्मक रूप से परेशान करते हैं। जिसका कोई कारण नहीं होता है लेकिन समस्या को बिना समझे भाव को व्यक्त कर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वह बात महिला को परेशान करने लगती है और आपस मनमुटाव हो जाते हैं जिससे रिस्तेदारी दोस्ती या परिवार भी टूट जाते हैं तो यह भी एक हिंसा का कारण बन जाती है।

महिलाओं के प्रति पुरुषों के विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता – परिवर्तन विचारों में होना चाहिए न कि महिलाओं के कपड़ों देखकर वैचारिक टिप्पणी की जानी चाहिए प्रायः देखा जाता है जब भी महिलाओं की बात सामने आती है तो उनमें प्रमुख कपड़ों व ढेर रात को घर पहुंचने पर ही टिप्पणी की जाती है जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए आज का युग विज्ञान में जीवित है।

पुरुष मानसिकता में बदलाव – पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था होने के साथ साथ महिलाओं को दैहिक दृष्टि से हीन मानते थे लेकिन जब से महिलाओं को आरक्षण में बढ़ोत्तरी की गई है और महिलायें घर से बाहर

नौकरी करने या पंचायत स्तर की कमान संभालने लगी तभी से पुरुषों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती हुई नजर आने लगी। अब धीरे-धीरे परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है व महिलायें राजनीति में भागीदार हो रही हैं। पर पुरुषों में महिलाओं के प्रति परिवर्तन का आधार गैर सरकारी संगठन सरकारी प्रयासों द्वारा प्रचार-प्रसार से एक शिक्षित समाज की स्थापना की जाना संभव है।

सामाजिक चेतना में वृद्धि – महिलाओं को घर के बाहर व घूघट की परम्परा को छोड़ कर स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से जागृत होकर समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता व सम्मान के लिए जागरूकता लाने के प्रयास करना चाहिए एवं अन्य महिलाओं को समझाईस देकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक व सशक्त नारी का समाज में संदेश देना चाहिए जो संभव हो सकता है।

शिक्षा एवं प्रभावी प्रबंध – ग्रामीण अंचलों में महिला शिक्षा में पिछड़ापन देखा जा सकता है। अतः उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनका शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा से ही आत्मविश्वास व चेतना का विकास होता है। प्लेटो ने कहा है कि 'शिक्षा मानसिक व्यक्तियों का मानसिक उपचार है।' शिक्षित महिलायें अपने प्रति होने व अपराधों से मुक्ति पाने के लिए समाज के अंदर की कुरीतियां, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के प्रति जागृत हो रही हैं।

तालिका क्रमांक 1: भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर 1951-2011

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	अंतर
1951	27.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
1991	64.1	39.3	52.2	24.8
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

स्रोत:- द्वितीय योजना मार्च 2012

इस तालिका को यहां इस लिये लिया गया है क्योंकि पुरुष व महिला व व्यक्ति में अंतर किया जा सके। यहां 1951-2011 की जनगणना तक भिन्न-भिन्न रूप से अंतर देखा जा सकता है।

तालिका क्रमांक 2: उत्तरदाता का वैवाहिक स्तर

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	234	78
2	अविवाहित	18	6
3	विवाह विच्छेद	15	5
4	विधवा	33	11
	योग	300	100

स्रोत:- प्राथमिक 2023

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाता के वैवाहिक स्तर से संबंधित है सर्वाधिक 78 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित है, 11 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा है 6 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित है 5 प्रतिशत उत्तरदाता विवाह विच्छेद (तलाकशुदा) है। उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति जानने पर ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता विवाहितों कि है शोधार्थी द्वारा जानना चाहा कि पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्तर पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान समय में भी महिलाएं चार दीवारी के अंदर रहकर सर्वाधिक प्रताड़ित होती हैं परिवार द्वारा

उन्हें घर से बाहर आने जाने की स्वतंत्रता मिलती है तो वे और अधिक सशक्त होगी इनमें से ऐसी कुछ महिलाएं भी सम्मिलित हैं जो स्वसहायता समूह में जुड़कर अपने आप को सशक्त मानती हैं। वही 11 प्रतिशत उत्तरदाता विधवाएं हैं जिनसे शोधार्थी द्वारा चर्चा की गई जिनका कहना है कि पति की मृत्यु होने के पश्चात् समाज परिवार रिस्तेदार आदि के ताने सुनने के बाद भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण-पोषण कर अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं और मेहनत मजदूरी कर सशक्त बन रही हैं। 6 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित हैं उनके अविवाहित होने का कारण शोधार्थी द्वारा जानकारी प्राप्त की जिससे ज्ञात हुआ कि उच्च शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाली उत्तरदाता सर्वप्रथम शिक्षा व रोजगार को महत्व देना पसंद किया इस वजह से विवाह की सही उम्र में वे विवाह नहीं कर पाती हैं तो समाज, रिस्तेदार अपने सगे संबंधी की वजह से मानसिक परेशान तनाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। वही 5 प्रतिशत उत्तरदाता तलाक शुदा हैं वे अपने विवाह के बाद पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होना व गंभीर कारण जैसे नौकरी वाली महिलाएं कार्यालय कार्यों से देरी से घर पहुंचना, संयुक्त परिवार में रहने वाली उत्तरदाता घरेलू कार्य समय पर करने में असमर्थ होना, पति का दुसरी महिला से संबंध की जानकारी का पता चलना, अनावश्यक रूप से पति व परिवार वालों द्वारा परेशान करना जैसे विषयों की वजह से तंग आकर वे पति से दूर रहने का मन बना लेती हैं इस तरह के कारक समाज में तीव्र गति से फैल रहे हैं।

तालिका क्रमांक 3: उत्तरदाता के परिवार का स्वरूप

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	एकांकी	222	74
2	संयुक्त	78	26
	योग	300	100

स्रोत:- प्राथमिक 2023

उपरोक्त तालिका क्रमांक 3 के माध्यम से स्पष्ट होता है कि 74 प्रतिशत उत्तरदाता एकांकी परिवार में निवास करते हैं और व एकांकी परिवार में रहना पसंद करती हैं वही 26 प्रतिशत उत्तरदाता संयुक्त परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। प्राचीन काल में गांवों टोलो मंजरो में संयुक्त परिवार निवास करता था परिवार में कितनी भी कहासुनी होती उसे परिवार नजर अंजाद कर देता था इसलिए परिवार में एकता व खुशी बनी रहती थी लेकिन भारत में जब से आधुनिकीकरण ने प्रवेश किया है तब से परिवार के सदस्य आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़े फैशन की दुनिया में जीने के लिए संयुक्त परिवार से मुक्त होकर एकांकी परिवार में स्वतंत्रता व आजादी के साथ जीना पसंद कर रहे हैं। अंतः शोधार्थी का मानना है संयुक्त परिवार में जो खुशी मिलती है वह एकांकी परिवार में नहीं मिलती और संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार तनाव व परेशानी में जीता और अपराध भी अधिकांश संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार के साथ होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. मासिक पत्रिका , योजना मार्च 2012
2. रोजगार निर्माण : महिला हिंसा 26/11/2021 से 02/02/2018 तक
3. सिंह, सुधा, (मार्च 2013), स्त्री अस्मिता और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस योजना पत्रिका,
4. पत्रिका-पुलिस विज्ञान अक्टूबर-दिसंबर 2014, प्र. कृ. 9
5. शोधार्थी द्वारा प्राथमिक स्रोत का माध्यम 2023

Ecocide & Toxic Outrage due to Corporate Avarice in Indra Sinha's *Animal's People*

Ritesh Kumar* Dr. Kumar Piyush**

*Research Scholar, Faculty of Humanities (English) Sido Kanhu Murmu University, Dumka (Jharkhand) INDIA
**HOD (English) SP College, Dumka (Jharkhand) INDIA

Abstract - This paper delve into the thematic yearning to establish an ecological human bond with nature in Indra Sinha's *Animal's People*. Nature and literature have always shared a close relationship. India is a country with diversified ecosystems which ranges from Himalayas in the North to plateaus of South and from the dynamic Sunderbans in the East to dry Thar of the West. However our ecosystems have been affected due to increase in population and gluttony of mankind in conquering more lands. As Environment and Literature are entwined and inseparable, it is the duty of everyone to protect nature through languages and words. Ecocriticism takes an earth centered approach to literary criticism. Although there are not many, there are few novels that can be read through the lens of ecocriticism. The environmental injustice that took place in the novel clearly resembles the Bhopal Gas Tragedy that happened in 1984. This study discusses the ramification of the Bhopal gas tragedy happened to the innocent people and also talks about the 'corporate gluttony' in the novel.

Introduction - Modern industrial development is the root cause of exploitation of nature. The terms development, progress and globalization resonate with the values of Western culture which focuses on productivity and economic growth rather than concern for non-human beings as well as the nature. The arrival of the Western Industrial development has been the major reason for ecological crisis. This paper examines the ecological issues in Indra Sinha's *Animal's People* (2008) which represents the horrendous impact of an industrial disaster on human beings and nature

Indra Sinha was born in 1950. His novel *Animal's People* was published in 2009 on the Memorial Day to remember the 25th year of the Bhopal Gas Tragedy. It reminded and cautioned the world's most horrible industrial disaster that took place in Bhopal. In 1984 December, The Union Carbide India Limited, US based multinational company exuded around 27 tons of toxic Methyl isocyanate gas, killed thousands and continued to cause mental & physical disorder in the generations of victims. As Smita Sahu in her article "*The Emergence of Environmental Justice in Literature*", says,

"The novel discusses the devastating impact of gas leak from a chemical factory on, not just the people, but also on the ecology" (549).

The aim of this study is to find out the extent of ecocide out of corporate avarice, and the consequences of the gas tragedy in the novel, *Animal's People*.

The novel *Animal's People* was set in a fictional town

Khaufpur. It is a novel about a nineteen years old boy, Animal. As long as Animal remembered, he walked on fours, because his spine was severely damaged & twisted due to the terrible gas leakage incident caused by the chemicals. The book is written in Animal's point of view. The whole story is narrated by Animal and recorded in the tape. Indra Sinha presents twenty-three tapes as the sections in the novel. The tapes explain how Animal was treated by the people, his thoughts, the people's sufferings, their struggle towards justice and the Kampani's irresponsibility. The tragic night, that the whole story was based on, caused death to many of the town people. The people who survived suffered with terrible diseases due to that chemical fog and the poisoning of water. Khaufpur suddenly becomes crowded of poor people who didn't have money for their treatment. Their anger towards the Kampani, made to suspect everything and everybody.

The whole events of the novel was recorded by an unnamed journalist. At first Animal refused to recite the incident and happening. Because he knew no justice would come whatever happened. After convincing, he accepted to narrate the incidents. These lines by Animal, illustrated how dangerous the poison was.

"No bird sing. No hoppers in the grass. No bee humming. Insects can't survive here. Wonderful poisons the Kampani made, so good it's impossible to get rid of them, after all these years they're still doing their work." (29)

Animal's narration illuminated and exposed the

corporate atrocities, the struggle of the victim for justice. Indra Sinha used 'Animal' as the voice of the poor and helpless people who were all waiting for the justice. The novel was a message to the readers by the author. Indra Sinha, writes from the reports of Animal which was recorded by the journalist,

"So, from this moment I am no longer speaking to my friend the kakadu jarnaliss, name's Phuoc, I am talking to the eyes that are reading these words, Now I am talking to you" (12).

The above statement clearly states that, Animal interacts to the reader to bring justice to the people and also to the environment.

Indra Sinha emphasized the suffering of the people and the description of that night all through the novel. He particularly pointed out the toxic gas tragedy and its consequences to create awareness to the readers. People lost their loved ones and met poverty because of that incident. For more than twenty years, thousands of people's health had been ruined by that poison and the people waited for relief. Thus, Indra Sinha presented the consequences of toxic gas and the troubles of people through this novel. Indra Sinha through this novel, giving voice to the people affected by the Bhopal tragedy also gives voice to nature, suggesting that harming or destroying nature will only bring about the inevitable fatality of the human race.

Indra Sinha through this novel, gives voice to the voiceless. As Dr. Suresh Frederick states that,

"Ecocriticism speaks for the voiceless earth. This approach is earth-centered and all the other approaches are ego-centered"(Frederick 31).

Indra Sinha also talks about the voiceless land affected by the Bhopal tragedy and also the suffering of human beings, suggesting that harming or destroying nature will only bring about the inexorable disaster to the human race. Human beings as part of an ecosystem will suffer the consequences affecting the ecosystem. The consequence of this "Demise of Nature" is reflected in the characters as Animal spine in hopelessly injured will never recover, the death of Aliya, and so on. It not only affected and disturbed the physical but also the mental health as in Ma Franci, she forgets the language and loses her mental stability.

As Ursula Heise challenges the sense of place in the essay ***"Sense of Place and Lieu de Memoir: A Cultural Memory Approach to Environmental Texts"***, this novel as Ursula suggests, brings out the sense of place to bring out the sense of planet in the reader. However, it can't be so certain that eco-consciousness is rooted in sense of place, reconnecting individuals with their place has been challenged by Ursula Heise in her book ***Sense of Place and Sense of Planet***. As she says in her essay, ***Not all pre modern societies were rooted in place, Heise reminds us, and those that were have by no means always been models of ecologically sensitive inhabitation. In the mobile world of the twenty-first century, moreover,***

there can be no simple return to local belonging and the caring which allegedly follows from it: sense of place must be complemented by "sense of planet," and local belonging subordinated to global identification (Rigby 56).

By taking up the Bhopal incident she incites the global consciousness and identification towards this incident.

The conflict in the novel between nature's limited capability of absorbing lethal chemical contamination and the capitalistic gluttony of expansion of production is one of the key themes of Social Ecology which is quite relevant in this novel. The novel corresponds to the duality between these two factors and Animal can be read as a personification of the outcome when the power of industry outweighs the need for environmental precaution. The struggle between the American company that ran the factory is responsible for the industrial disaster and the people of Khaufpur in ***Animal's People*** is related to the environmental justice movement in a developing country as well as the hierarchy of power in a society. Therefore, these theoretical perspectives could be used as a basis in the analysis of this novel.

This research paper argues that industrial capitalism and its exploitation of biophysical resources are depicted as the reasons for the grave environmental situation in Khaufpur in Indra Sinha's ***Animal's People***. The novel would then serve as a basis for discussion about the environmental aspects of capitalistic exploitation & corporate avarice.

Sinha exhibits the impact of the industrial disaster on people and nature at various levels. First, we map the protagonist Animal's physical deformity and mental trauma. Second, a few families and their agonies are projected. Subsequently, we espouse the impact on birds, animals, water, and the natural phenomena. Residues of the disaster are long lasting. They contaminate water and pollute air and land to such an extent that it is high time to come out of the deadly disaster. Eventually, we notice the unique technique of narration, for example, Sinha compares the day to day activities of human beings with the natural activities through the use of rhetorical devices to create awareness among the readers that nature plays a very vital role in our lives.

The American company has taken advantage of the corrupt government and it is commented on in the novel that no other country would allow such mishandling of the law. Throughout the novel it becomes clear that the company has deprived Khaufpur of its developmental potential and stopped justice from having its process. The government has also let this happen which clearly indicates that there is a division of power between developed countries in West and developing ones in the Global South. The conclusions of the analysis points towards Sinha depicting capitalism, and ultimately money, as the center of the environmental difficulties that make Khaufpur and its

citizens suffer. The combination of corruption and time has led to a complete mistrust of officials. The people of Khaufpur are convinced that they would not do anything unless it would first and foremost would benefit them in some way, which can be observed in the boycott of the Elli's clinic. This all stems back to the polluted soil and water, which have remained in that state because of a prioritization of money and the company's wellbeing instead of the environment and its effect on people.

Conclusion: Each and every one should protect the ecology of our land. Both man-made disasters and natural crisis occur due to the avarice of man-kind. If people are aware of using renewable resources and non-renewable resources in a right way, nature will be saved. When the natural resources are not used properly it results in natural crisis. Hence, the ecology of a land depends on the mind and maturity of people who abodes in the land. The land is not ready to face yet another tragedy like Bhopal, Hiroshima and Tsunami. Let this tragedy keeps end stop for the ecological imbalance. Let the concept of saving nature be taught to the younger generation right from their childhood days.

References:-

Primary Source:-

1. Sinha, Indra. ***Animal's People***: A Novel. Simon and Schuster, 2009.

Secondary Source:-

1. Frederick, Suresh. "Ecowisdom in Keki N. Daruwalla's Poems ***"Wolf"*** and ***"The Last Howl"***", New Delhi: Authors Press, 2010.
2. Sahu, Smita. The Criterion. ***"The Emergence of Environmental Justice in Literature"***. 5(2), 2014. Web.
3. Mukherjee, Upamanyu Pablo. ***"Tomorrow There Will be More of Us: Toxic Postcoloniality in Animal's People."*** In Elizabeth de Loughrey and George Handley Eds. *Postcolonial Ecologies*. Oxford UP, 2010.
4. Sinha, Indra. Interview by Mark Thwaite. The Guardian. Book Browse. Org. n.d. Web. 28 Jan. 2013
5. Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, eds. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. University of Georgia Press, 1996.
6. Umashankar, Saumya. ***"Evolution of Environmental Policy and Law in India."*** Social Science Research Network (Oct. 2, 2014).
7. Banerjee, Brojendra Nath. ***Environmental Pollution and Bhopal Killings***. New Delhi: Gian Publishing House, 1987. Print

21 वीं सदी के भारत में समान नागरिक संहिता की उपादेयता

ललिता बोराणा*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय एमएलबी कन्या महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है कि शीघ्र ही भारत में इसे लागू किया जाएगा। इसे समझने के लिए भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि एवं संविधान की प्रस्तावना को समझना आवश्यक एवं समीचीन होगा। हम जानते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा में समान नागरिक संहिता के बारे में व्यापक चिंतन-मनन किया गया था। सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। वस्तुतः इसी प्रस्तावना में समान नागरिक संहिता के तत्व भी विद्यमान हैं। प्रस्तावना में कहा गया है, 'हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उनके मन में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं।'

अब यह एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिये समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में, अलग-अलग पंथों के लिये अलग-अलग सिविल कानून न होना ही 'समान नागरिक संहिता' की मूल भावना है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों, चाहे वह किसी पंथ क्षेत्र से संबंधित हों पर लागू होता है।

समान नागरिक संहिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि – यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज को वर्ग भेद में बाँटकर वर्ग-संघर्ष की आग में झोंक दिया था। अंग्रेजों ने मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव कर उससे दुश्मनी नहीं चाहते थे। कालान्तर में, थोड़ा बदलाव हुआ तो इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 1772 के हेस्टिंग्स की योजना से हुई और अंततः शरिअत कानून के लागू होने से

समान नागरिकता कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा, जब तथाकथित सेक्यूलरों ने मुस्लिमों के तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में, जमियत-अल-उलेमा ने बाल विवाह रोकने के खिलाफ मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई। भारत में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक वातावरण को समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की समय-समय पर मांग उठती रही है।

भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता – एक समय था जब राज्य का कर्तव्य समाज में केवल शांति बनाए रखना और जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा तक सीमित माना जाता था, परंतु अब उक्त अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं जिसका कर्तव्य जनसाधारण की सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिनका पालन करना राज्य का प्रमुख कार्य होता है। समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो।

समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन-जायदाद के बंटवारे एवं गोद लेने के संदर्भ में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है, परन्तु वर्तमान भारत में संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने के नियम हिंदू, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना-अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामले में प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया कि अब उनकी सरकार संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाए जिससे सभी व्यक्ति की रक्षा, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की अभिवृद्धि सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में इन्दौर की संस्था न्यायालय ने भी महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी यही आग्रह किया कि अब हिजाब मामले से उत्पन्न अस्थिरता एवं अशांति को दूर करने हेतु जल्दी ही समान नागरिक संहिता लागू करने की कार्यवाही पूर्ण कह जाए। इसके अध्यक्ष एडवोकेट पंकज वाधवानी ने नई दुनिया को बताया उनकी संस्था की कवायद सफल हो रही है। उन्हे दोनों कार्यालयों से प्राप्त उत्तर में बताया गया

है कि विधि आयोग की रिपोर्ट मिलते ही यह संहिता लागू कर दी जाएगी। वस्तुतः नीति निदेशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का परम कर्तव्य होता है। संविधान की प्रस्तावना में भी परिकल्पित है कि श्लोक- हितकारी एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार सभी नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने का लगातार और ईमानदारी से प्रयत्न करे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक या किसी भी आधार पर हो रहे भेदभाव को समाप्त करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न होने के कारण भारत में एक बड़ा बहुसंख्य वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने कई सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित है।

संहिता लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियाँ— भारत के वर्तमान परिपेक्ष्य की बात करें तो हमारा देश समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर तीन आधारों अर्थात् राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आधार पर दो श्रेणियों में बँटा हुआ दिखाई देता है। राजनीतिक रूप से, जहाँ कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में हैं, तो वहीं दूसरे राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता को लागू करने का विरोध कर रहे हैं। सामाजिक रूप से, जहाँ देश के पेशेवर एवं साक्षर व्यक्ति समान नागरिक संहिता के लाभ-हानि का विश्लेषण कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर अनपढ़ लोग राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए फैसले के अधीन बने हुए हैं, क्योंकि इस संहिता के मुद्दे पर इनका कोई अपना विचार नहीं है। धार्मिक रूप से बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच भी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मतभेद और विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है।

प्रोफेसर गिडिंग्स के शब्दों में कहा जा सकता है, 'प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप मात्र नहीं है, वरन् राज्य और समाज अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है।' इस कथन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि 20 वीं सदी में प्रजातंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक व्यवस्था, नियम, शासन की विधि एवं समाज के ढाँचे से रहा है, लेकिन 21वीं सदी में यह जीवन के उस मार्ग की खोज करने पर आधारित है जिसमें मनुष्यों की स्वतंत्र और ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। यथार्थ में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है, 'लोकतंत्र का अर्थ है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है।'

आधुनिक युग में लोकतंत्रीय आदर्शों को कार्यरूप में परिणित करने के लिए अनेक उपादानों का आविर्भाव हुआ है—जैसे लिखित संविधानों द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा, वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, लोकनिर्माण, उपक्रम, पुनरावर्तन तथा जनमत संग्रह जैसी प्रत्यक्ष जनवादी प्रणालियों का प्रयोग, स्थानीय स्वायत्ता शासन का विस्तार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालयों की स्थापना, विचार, भाषण, मुद्रण, सुशासन तथा आस्था की स्वतंत्रता को मान्यता, विधिसंमत शासन को मान्यता, सतत वादविवाद और तर्कपद्धति द्वारा ही आपसी संघर्षों के समाधान की प्रक्रिया को मान्यता देना है।

विधि आयोग की भूमिका— विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में

समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। विधि आयोग के विचारानुसार, समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रुढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिये। अतः अब सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादी व्यवस्था समाप्त किया हो। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य आयु को व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिये। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके।

निष्कर्ष— समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और प्रासंगिकता के उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान नागरिक संहिता के तहत कानूनों का एक ऐसा समूह तैयार किया जा सकता है जो किसी धर्म विशेष की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करेगा जो वर्तमान समय की ज्वलंत मांग भी है। वास्तव में यह समान नागरिक संहिता सच्ची धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला है। इस तरह के प्रगतिशील सुधार से न केवल धार्मिक आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को मजबूत और एकता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। जैसा की हम जानते हैं कि हमारे देश में एक दण्ड प्रक्रिया संहिता (आई पी सी) है जो देश में धर्म, जाति, जनजाति और अदिवासी को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। लेकिन हमारे देश में तलाक एवं उत्तराधिकार के संबंध में एकसमान कानून नहीं है और ये विषय व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अतः हमें समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अनुच्छेद 25 को व्यापक रूप से समझना आवश्यक है। अनुच्छेद 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अतः समान नागरिक संहिता लोगों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। इसलिए समान नागरिक संहिता और निजी कानूनों को साथ-साथ लागू किया जाना चाहिए।

वास्तव में समान नागरिक संहिता में मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों के आधुनिक और प्रगतिशील पहलुओं का समावेश किया गया है जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकों में एकता होती है, वहां किसी प्रकार वैमनस्य नहीं होता है, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकेंगे और

वोटों का धुवीकरण भी नहीं हो सकेगा। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिये गए निर्णय को तात्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा।

‘विधि के समक्ष समता’ की अवधारणा के मूर्त रूप में सामने आने से सभी के साथ समानता का व्यवहार करना आसान हो जाएगा। आज के वैश्वीकरण के दौर में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिये उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिये अहितकर है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संपत्ति पर समान अधिकार और मंदिर और दरगाहों प्रवेश के समान अधिकार जैसे न्यायिक निर्णयों के माध्यम से समाज में समता हेतु उल्लेखनीय प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. पॉण्डेय जय नारायण, भारत का संविधान, 2019 सेंट्रल लॉ एजेंसी प्रयागराज।
2. वर्णवाल, महेश कुमार, भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था, 2022 कॉसमोस पब्लिकेशन, दिल्ली
3. बावेल, बसंतीलाल, भारत का संविधान, 2018 यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन, प्रयागराज।
4. शर्मा, विनय कुमार, मूल विधि एवं भारतीय संविधान, 2020 अग्रवाल ग्रुप पब्लिकेशन, जयपुर।
5. सिंह, शीलवंत, भारतीय संविधान, 2015, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन, नोएडा (उ०प्र०)
6. जैन, पुखराज, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संविधान, 2019, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।
7. अन्सारी, नियाज अहमद, भारतीय लोकतंत्र : कल, आज और कल, 2022, भारती पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. बरनवाल, अनूप, समान नागरिक संहिता : चुनौतियां और समाधान, 2019, लोक भारती पेपरबैक्सक प्रकाशन, प्रयागराज।
9. अग्रवाल, प्रमोद कुमार, भारत का संविधान, 2020, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

सुनिता मोरे* डॉ.कांता अलावा**

* शोधार्थी, समाज विज्ञान अध्ययनशाला तक्षशिला परिसर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र महिला सशक्तिकरण के विभिन्न तरीकों और योजनाओं पर प्रकाश डालता है। महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है, जो महिलाओं को ग्रामीण समुदायों के साथ-साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण 21 वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। महिला सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की ही पहल पर्याप्त नहीं बल्कि समाज को भी एक एकजुटता दिखाकर महिलाओं के जीवन स्तर बेहतर बनाने की पहल करनी चाहिए जिससे सरकार के द्वारा महिलाओं के विकास के लिये बनाई गई योजनाओं से उन्हें उचित लाभ मिल सके एवं महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाओं को आत्म साक्षात्कार की शक्ति को बढ़ाया और सुदृढ़ किया जाना चाहिए। महिलाओं को समान अधिकार, सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिति के साथ-साथ परिवार, और समाज की भूमिका के संबंध में अधीनता को पार करके आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की स्थिति के उत्थान और सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके साथ भेदभाव को दूर करना है। अर्थात् किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और सामंजस्यपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रगति के समान अवसर प्रदान किया जाएगा।

सशक्तिकरण की अवधारणा – सशक्तिकरण को 'बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो लोगों को अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर उन्हें सशक्त बनाती है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाएं अपने जीवन पर अधिक शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करें। सरल शब्दों में कहा जाए तो महिला

सशक्तिकरण से महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं। जिससे वह अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में भली प्रकार से रह सकती हैं। महिलाओं को उनके वास्तविक अधिकार के प्रति उनको जागरूक करना महिलाओं को सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण में इतनी शक्ति होती है कि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकता है। एवं महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलायी गयी हैं।

महिलाएं समाज में किसी भी समस्या से निपटने के लिए पुरुषों की तुलना में बेहतर ढंग से समस्याओं का हल निकाल सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकार:

- 1. समान वेतन का अधिकार**– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
- 2. संपत्ति का अधिकार** – हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी सम्पत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर का अधिकार है।
- 3. गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार** – अगर किसी मामले में आरोपी एक महिला है तो उस महिला पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जाँच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- 4. कार्य स्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानून**– यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको कार्य-स्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। केन्द्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं जिसके अंतर्गत कार्य स्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं की जाँच लम्बित रहने तक 90 दिन का पैडलिव दी जाएगी।
- 5. कन्या भुण हत्या के खिलाफ अधिकार** – भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह एक महिला को उसके मूल अधिकार 'जीने के अधिकार' का अनुभव करने दे। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक लिंग चयन पर रोक अधिनियम (PCPNOT) कन्या भुण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

निष्कर्ष – इस अध्ययन से हमने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिदृश्य

में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव सबसे बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, साथ ही गाँव आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। इसलिए सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि उनके विचार एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र के विकास का नेतृत्व करती हैं। महिलाओं को समानता की भावना के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ताकि महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन करने में सहायक सिद्ध हो और महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. kapadia, k.ed. the violence of development:the political economy of gender. London:zed books, 2002.300p.
2. kadekodi, gopal k.kanbor, Ravi and Rao, vijayendra, eds.Development in karnataka: challenges. of governance, equity and empowerment, new Delhi: academic foundation, 2008.432p.
3. Uma devi (2002). `women's Equality in India -A Myth or Reality ` ,Discovery publishing House, new Delhi.
4. Syed,J.(2010) Reconstructing gender empowerment. Women studies international forum 33,283-294.

Kisan Credit Card Scheme in Rajasthan : A Literature Review

Sarita Singh*

*Assistant Professor (Economics) M.S.J. Govt. PG College, Bharatpur (Raj.) INDIA

Abstract - The kisan credit card scheme is a short term credit facility in order to provide agriculture credit in hassle free manner for production as well as consumption needs of the farmers. The performance of KCC scheme has varied region wise and agency wise. The main objective of the paper was to study and analyze the review of Literature about progress of the Kisan credit card scheme in Rajasthan state . The period of the study was from the year 2011 to the year 2022 . It was found that the KCC scheme has made impressive progress in terms of the number of cards issued in various divisions and districts across the state. The study also examines that commercial banks are the major source of credit for farmers. The study also analyzes and interprets the findings of each paper and comes up with a logical conclusion.

Key word: KCC, short term credit, Production, consumption.

Introduction - Agricultural lending has remained a priority sector for the Indian economy and has received undivided attention of the policy makers and regulators. Various innovative lending schemes and programs have been introduced so far with a view to facilitate rural borrowers and provide hassle free lending to them. One such measure is the Kisan Credit Card (KCC) which came into existence in 1998-99. KCCs have been issued to 3.89 crore farmers till 30 December 2022 in India. As a result of initiatives and measures taken to strengthen existing policies, there has been a steady increase in institutional agriculture credit flow over the years. The agriculture credit target for financial year 2022 was Rs 16.5 lakh crore while the actual agricultural credit disbursed was 13% more than this target. The government intends to increase the flow of credit to the agriculture sector with a target of Rs 18.5 lakh crore for 2022-23. If the contribution of agriculture and allied sectors in the state's economy is seen, its share in the Gross State Value Added (GSVA) in the year 2020-21 at constant prices of the year 2011-12 has been about 30 percent. The share of agriculture and allied sector has increased from around 22 per cent in the beginning of the last decade to 29.5 per cent now due to Corona. However, the share of this sector in the total GSVA of the State has remained almost constant during the period 2015-16 to 2019-20.

The Kisan Credit Card (KCC) scheme in Rajasthan, like in other parts of India, offers several benefits to farmers:

Easy access to credit : Farmers can avail themselves of timely and adequate credit to meet their agricultural needs, including cultivation, post-harvest expenses, marketing, and

other emergencies.

Flexible repayment: The scheme provides flexible repayment options based on the crop cycle, allowing farmers to repay the loan conveniently.

Low-interest rates: KCC offers loans at lower interest rates compared to traditional moneylenders, reducing the financial burden on farmers. **Crop Insurance:** Many KCCs offer an optional add-on feature of crop insurance, protecting farmers from losses due to natural calamities and unforeseen events.

Savings on interest: Interest is calculated on a daily basis, giving farmers the advantage of saving on interest when they repay the loan early.

Increased productivity: Access to credit allows farmers to invest in modern agricultural practices, technology, and inputs, thereby enhancing productivity.

Empowerment of women farmers: Women farmers can also apply for KCCs, promoting their active participation in agriculture and rural development.

Reduction in informal credit: The KCC scheme aims to reduce farmers' dependence on informal credit sources with high-interest rates.

Government support: The KCC scheme is supported and regulated by the government, ensuring transparency and fair practices.

It's important to note that specific benefits may vary based on the implementation and updates of the Kisan Credit Card scheme in Rajasthan.

Objective of research:

1. To arrange various research papers ,articles, and thesis

on kcc in Rajasthan in a systematic manner.

2. To analyze and interpret the findings of each paper and come up with a logical conclusion.

Analysis: The actual research work begins with the literature review. Literature review gives the researcher an excellent idea about the context of the earlier literature done in the field of his study and also helps to keep in touch with the current developments in the field. The researcher also has to explain the significance of his own results with the help of related literature. Review of related literature is an important part of any research work. Literature review shows that, has anyone done any concrete work on the topic he wants to research? Where is the development on this topic? This practice eliminates the possibility of parallel research or research on a topic on which similar work was done earlier or is in progress. The main objective of the paper was to study and analyze the review of Literature about progress of the Kisan credit card scheme in Rajasthan state. The period of the study was from the year 2011 to the year 2022.

Vinod (2011) evaluated Kisan Credit Card with reference to Kisan Credit Card holders of Alwar district of Rajasthan. KCC holder farmers disclosed that KCC limit was not fixed on the basis of total operational holding and while sanctioning the limit. Only two or three major crops were considered. There was a wide credit gap between the scale of finance sanctioned for the crop loan limit and the actual cost of cultivation. With regard to the mode of operation of KCC holders, only 23 per cent were repeatedly using the limit in the form of cash credit while others made only one-time withdrawals and repayments. There is a need to educate the farmers about the proper utilization of the limit in the form of cash credit to get the benefit of interest quantum.

In comparison between KCC and non-KCC holders, it was observed that the overall production, productivity and profitability of non-KCC holders was lower than that of KCC holders due to non-availability of timely credit, costlier credit, and low investment. Etcetera. During the interaction with the farmers, it was found that after the implementation of KCC scheme, the dependence on non-institutional credit has reduced considerably. Tenants lacked access to institutional credit as the tenancy agreement was informal. If the land-lease market is freed up, it could help tenants/shares.

SS Meena and G.P. Reddy (2013) in his research paper Growth in Kisan Credit Cards Issued, Pattern of Credit Access by Farmers, Its Impact on Farmer Income and Kisan Credit Card (KCC) Holders in Karauli District of Rajasthan State, India. Examined the constraints faced by the farmers.

The study used both primary and secondary data from the year 2001 to 2011 to analyze the objectives. A Stratified random sampling method was used to select the samples.

Thus, a total of 120 farmers were selected to collect the required data for the study through a pre-test

questionnaire. The results revealed that the number of Kisan Credit Cards (KCC) issued since the last 10 years was consistently positive and increasing in commercial banks (29.80), regional rural banks (19.57), while cooperative banks (-6.76) performing in. The study also examines that commercial banks are the major source of credit for farmers. The results also show that the income of Kisan Credit Card (KCC) holders is 25 to 30 percent higher than that of non-Kisan Credit Card (KCC) holders. is more.

This income gap is attributed because Kisan Credit Card (KCC) holders use good quality input material in agricultural operations. However, the study also says that, since a large number of farmers in both the categories said that the rate of interest was higher in Kisan Credit Cards at 61.67% and non-Kisan Credit Cards at 93.33% and there too under Kisan Credit Cards (KCC) Additional activities related to crop production need to be considered while fixing the credit limit. Therefore, banks are advised to consider additional activities while fixing the credit limit which ensures bridging of the credit gap.

Jitendra Kumar (2016) concluded in his research that the goal of poverty alleviation can be achieved through institutional finance. That is why it is necessary that the obstacles coming in the way of credit should be removed.

By doing research in Rajasthan's Jaipur and Rajsamand research area, it was clarified through statistical methods that as long as the burden of old loans remains on the farmers, it is difficult to get a positive effect of new agricultural credit flow. Therefore, proper analysis should be done of the debt carrying capacity of small and marginal farmers. Literacy rate also plays a positive role in facilitating agricultural credit flow.

Ojha Nupur (2016) explained in her research paper that The average number of cards issued and amount sanctioned was much higher in Punjab than in Rajasthan. The financial bodies in Rajasthan should therefore, replicate the framework adopted by Punjab to popularize and implement the scheme and create awareness. KCC has led to an increase in the income of the farmers by making available speedy and hassle free credit, thus enhancing the productivity. Efforts should be made to increase the coverage of the scheme by organizing village level camps for issuing KCC. The per card amount sanctioned was low in Rajasthan as compared to Punjab. Therefore, the per card productivity in Rajasthan should be raised so that higher volume of institutional credit could be flown into the system through the scheme of KCC.

Vikas Shortia, Arvind Kumar Yadav (2017) in their research paper have pointed out that the performance of KCC schemes has been found to vary across different regions and financial institutions of the country. The flow of credit through KCC has not been impressive in the state of Rajasthan. The rate of growth in advances per account under KCC has been positive for Regional Rural Banks (RRBs) and commercial banks and negative for cooperative

banks. The per account amount advanced is very less in Rajasthan which probably discourages the farmers to adopt KCC scheme. The KCC scheme has played an important role in agricultural operations and farmers' income in Rajasthan.

The availability of crop loans has helped in achieving higher gross return per hectare for KCC beneficiaries for all the crops studied. He has suggested that the process of opening bank accounts should be simplified to bring more and more farmers under the scheme. Rural campaigns can be organized for issuing this KCC. Similarly, farmers fear being defaulters. For this it should be done to create awareness and regularly motivate the bank officials about the scheme and its benefits to instill confidence in the farmers. Similarly, expanding educational opportunities and conducting training on improved farming techniques can help encourage farmers to adopt the KCC scheme.

Meena, V. S., and Jheeba, S. S. (2017), The study was conducted in the Jaipur and Sikar district. The study shows that out of 160 sampled borrowers, 72 borrowers used their credit completely, 32 went for complete diversion of credit and rest utilized their credit partially. The repayment performance indicates that only 87.77 per cent of short-term credit, 83.05 per cent of medium-term credit and 74.40 per cent of long-term credit borrowed from the banks was repaid by due date and the remaining was over dues as on the due date. The regression results show that non-farm income, farm income and cropping intensity affected amount of overdue negatively while amount spent on un-productive purposes, old debts, amount borrowed and expenditure on family consumption had a positive impact on the amount of overdue of sampled farmers. The major problems faced by the farmers while delaying with these agencies included inadequate loan amount, insufficient time for repayment, cost of borrowing, lack of knowledge of bank's formalities and lack of technical guidance. Prevalence of corrupt practices and non-cooperation from banking officials are major structural constraints in procurement of credit in mentioned districts. A major infrastructural bottleneck in the study areas is insufficient credit agencies that lead to low scale of finance in the study area.

Keshri, A. K., Bose, D. K., Ram, H., Dewedi, R., & Jhingonia, H. K. (2018), It is concluded maximum number of respondents have medium level of awareness with regards five components of the scheme, these were registration, loaning, repaying, purpose of credit and consequences of defaulter, comparatively higher number of farmers of KCC were found to be more aware of the scheme. KCC and Non-KCC holders were aware of consequences of defaulter, purpose of credit, necessity of copy of jamabandi, requirement of search report of patwari, credit limit under the card, rate of interest limit of subsidy, purpose of credit and consequences of crossing time limit in repayment. It was also found that there are highly

significant differences between beneficiaries and non-beneficiaries in relation to five major components of KCC scheme proper planning, awareness programme and extension strategies should be followed for creating proper awareness among the people towards Kisan Credit Card, which will lead the development of agriculture.

Karan Pal Singh, S.S.Burra and G.L.Meena, (2020) According to This paper examines the growth in Kisan Credit Cards issued, loan sanctioned amount and constraints faced by farmers holding Kisan Credit Cards (KCC) in Chittorgarh district of Rajasthan state, India. Secondary data from the year 2008-09 to 2014-15 has been used in the study. Year wise secondary data was obtained from the lead bank of Chittorgarh district. The results showed that the number of Kisan Credit Cards (KCC) issued was consistently positive and increased from the previous years.

The total CGR of KCC issued in Chittorgarh district and Rajasthan during the study period was 22.68 per cent and 1.56 percent per annum, respectively. It was also observed that the compound annual growth rates in loan amount sanctioned in Chittorgarh district and Rajasthan were 1.46 per cent and 17.26 per cent per annum, respectively. There has been a steady increase in the amount sanctioned through Kisan Credit Card (KCC) in Chittorgarh district and a substantial increase in Rajasthan. Thus, banks showed keen interest in disbursement of loans to farmers in Chittorgarh. Awareness of farmers about KCC was also increased. Opinions of Chittorgarh farmers for Kisan Credit Card Scheme were positive towards meeting the credit requirement, adequacy, timeliness, rate of interest repayment, accessibility, security, loan supervision etc. Thus, the Kisan Credit Card Scheme is an easy and beneficial scheme to provide credit for all farmers.

Beriya, A. (2020) Farmers accepted that the amounts of KCC loans they have availed are more than what is required for the input costs of their agriculture. But the continued subdued/zero returns have compelled them to utilize the KCC loan amounts for activities outside of agriculture. Now to keep the KCC running, they indulge in annual recycling of the KCC. They mentioned that within a span of the same day or the next day, they repay the existing KCC loan and get fresh loan issues in the account. Of course, this incurs some consideration at the bank but is a smooth process with the full knowledge and connivance of all parties involved and by fulfilling the prescribed legal process.

Malik, D. P., & Malik, J. S. (2022), in their study the number of KCCs and amount sanctioned showed growth during 1999-2019 in India. At all India levels, the growth rates with respect to total cards issued and sanctioned credit amount were found positive for the time period 1999-2019. The compound growth rates with respect to total number of cards issued and sanctioned credit amount under KCC scheme were 4.01 and 13.58 per cent per annum. Among various agencies, at all India levels, commercial banks reported maximum progress while co-operative banks

indicated least for KCC scheme during 1999-2019. The compound growth rate of commercial banks, RRBs and co-operative banks for the number of cards issued were 8.83, 6.78, -1.78 per cent per annum, respectively. The compound growth rate for sanctioned credit amount under KCC scheme by commercial banks, RRBs and co-operative banks were 19.75, 14.27 and 2.06 per cent per annum, respectively. Among the regions, the North-Eastern region (17.7%) showed the highest rate of growth with respect to the total number of Kisan Credit Cards issued and sanctioned credit amount under KCC scheme during the study period. Commercial banks showed maximum progress in all regions of India over the study period. More number of bank branches should be opened for uniform growth of KCC scheme in different regions of India to cover a large number of households under KCC scheme. Co-operative banks must be strengthened in the states across the country to participate actively and to cover a large number of villages for extending the KCC scheme.

Findings: The Kisan Credit Card scheme was introduced in India to provide financial support to farmers for their agricultural activities. It aimed to offer timely and adequate credit, easing the burden of traditional loan procedures and providing access to formal credit sources. Here are some points to consider for a critical evaluation:

Access to Credit: The scheme aimed to improve farmers' access to credit, but its effectiveness may vary depending on the awareness and outreach efforts in rural areas of Rajasthan. **Financial Inclusion:** The KCC scheme targeted the financial inclusion of small and marginal farmers, but its success could be assessed based on the number of farmers who availed the credit facility and their economic growth.

Interest Rates: The interest rates offered under the scheme were usually lower than those of traditional loans. Evaluating the impact of these rates on farmers' overall financial burden is essential.

Loan Utilization: Assessing how farmers utilized the credit obtained through KCC is crucial to determine whether it genuinely enhanced agricultural productivity and investment.

Timely Credit: The scheme aimed to provide timely credit to farmers during the cropping season. An evaluation could focus on whether the credit was disbursed promptly to meet farmers' needs.

Administrative Efficiency: Evaluating the efficiency of the scheme's implementation, including documentation, application processing, and the overall administrative process, is essential to ensure its success. **Default Rates:** Understanding the rate of defaults on KCC loans could provide insights into the effectiveness of the scheme and the borrowers' ability to repay the credit. **Scope for Improvement:** Identifying any shortcomings in the scheme and proposing potential improvements would be critical for

optimizing its impact.

Conclusion: The Kisan Credit Card (KCC) scheme in Rajasthan has been instrumental in providing financial assistance and support to farmers, helping them access credit easily and at reasonable interest rates. Through this scheme, farmers have been able to meet their agricultural and financial needs effectively. However, to draw a critical evaluation conclusion, it is essential to assess the scheme's implementation, outreach, and impact on farmers' lives thoroughly. Further research and analysis are required to determine the extent of its success and identify potential areas of improvement for enhancing its effectiveness in benefiting farmers and promoting agricultural growth in the region.

References:-

1. Kumar, V. (2011). Innovative loan products and agricultural credit: A case study of KCC scheme with special reference to Alwar District of Rajasthan. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 66(3), 477.
2. S.S. Meena and G.P. Reddy (2013) "A Study on the Growth, Performance and Impact of Kisan Credit Card on Farmers Income in Rajasthan - An Economic Approach" *J. Res ANGRAU* 41(3) page no. 75-81
3. Kumar Jitendra (2016) Shodh, "Rural Credit Delivery System of Nationalized Bank A Case Study of Former of Rajasthan(1991-2011), Shodhganga
4. Ojha Nupur (2016) "A Comparative Study of Institution wise Status of Agricultural Lending through Kisan Credit Cards (KCC) in Rajasthan and Punjab "Amity Management Review Vol. 5 (1)
5. Shortia Vikas, Yadav Arvind Kumar (2017)"An Analysis of the Kisan Credit Card Scheme (A Case Study of Rajasthan)", *SKIT Research Journal*, Vol.7; Issue 2 page no.95-96
6. Meena, V. S., & Jheeba, S. S.(2017), Institutional Credit of Agriculture (Extent of Repayment, Over Dues and Factors Responsible for Over Dues)-Study with Reference in the State of Rajasthan.
7. Keshri, A. K., Bose, D. K., Ram, H., Dewedi, R., & Jhingonia, H. K. (2018). Awareness of kisan credit card holders and non holders about KCC scheme in Bikaner district of Rajasthan. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(2), 3293-3295.
8. Singh Karan Pal, S.S.Burra and G.L.Meena,(2020) "Study on Growth and Performance of Kisan Credit Card in Chittorgarh District of Rajasthan" *Indian Journal of Extension Education and Rural Development* Page No.136
9. Beriya, A. (2020). Comparative insights into smallholder agriculture in Uttar Pradesh and Rajasthan: A Field Study (No. 23). *ICT India Working Paper*.
10. Malik, D. P., & Malik, J. S. (2022). Assessment on the Progress of KCC Scheme in India. *Indian Journal of Extension Education*, 58(3), 33-37.

साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका का समाज पर प्रभाव

नीलम खासकलम*

* वरिष्ठ व्याख्याता, मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट इंदिरा गांधी शासकीय पॉलिटेक्निक (विशेष सहशिक्षा) महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव समाज की विकास यात्रा कई चरणों से होकर गुजरी है। इस क्रम में सामाजिक स्वरूप में परिवर्तन के साथ एक नयी संस्कृति का सृजन हुआ। आदिमानव के घुमंतु जीवन से स्थायी जीवन के चुनाव ने मानव और प्रकृति के सम्पर्क से लोक संस्कृति का विकास हुआ। सामूहिकता प्रधान जीवन शैली से कृषि संस्कृति विकसित हुई। तदन्तर मानव मस्तिक एवं मानव श्रम की परस्पर क्रिया ने औद्योगिक संस्कृति वाले समाज को जन्म दिया और अब सूचना प्रौद्योगिकी से सूचना समाज के स्वरूप का प्रादुर्भाव हो गया है। यह संस्कृति का वह दौर है जिसमें समाजों की सहक्रिया में वृद्धि के साथ दूरियाँ मिट गयी हैं। जिससे समाज का केन्द्र समूह न होकर व्यक्ति केन्द्रित हो गया है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी समाज के बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। परन्तु क्या सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय समाज के संदर्भ में 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है या स्वयं एक चुनौती है।

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा युगान्तकारी परिवर्तन से सम्बंधित अविष्कारों में इंटरनेट एवं वेब नवाचारिता से समाज एवं संस्कृति का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। टच टेक्नोलॉजी, ब्ल्यूटूथ, वेब प्रौद्योगिकी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, वॉइस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकाल आदि माध्यमों से यथार्थताओं एवं परिकल्पनाओं के अभेद्य दुर्ग भी अत्यंत सहजता से भेदे जा सकते हैं जिन तक पहुंचना पहले कठिन था। सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक प्रचलित व सरल आयाम इंटरनेट है। इंटरनेट द्वारा समग्र विश्व को एक लघुग्राम में परिवर्तित कर दिया है। बदलते समय में इंटरनेट ने वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को एक नयी दिशा के साथ मनुष्य को भौतिक समृद्धि के शीर्ष पर पहुंचाया है। इंटरनेट कम्प्यूटर, टेलीफोन, मॉडेम इत्यादि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर बनाया गया एक ऐसा जाल है जिसमें सूचना, संचार एवं तकनीक का साझा उपयोग किया गया है। इस सूचना प्रौद्योगिकी के तमाम अभिकरणों से सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया नये आयामों से जुड़ गयी है। अब इंटरनेट के जरिये मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हो गयी है। सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब द्वारा भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है, जो लाभप्रदता के साथ उसके दुष्परिणाम भी देती है।

शब्द कुंजी – साइबर अपराध, साइबर अपराध की श्रेणियाँ, सोशल मीडिया की भूमिका, साइबर अपराध के निवारक उपाय, बुडापेस्ट कन्वेंशन।

प्रस्तावना – वर्तमान में मानव की कम्प्यूटर तथा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भरता सामान्य बातचीत से लेकर व्यापार, व्यवसाय, सरकारी कामकाज, शिक्षा, बैंकिंग लेनदेन, खरीद-फरोख्त जैसी सभी गतिविधियाँ ऑनलाइन या डिजिटल माध्यमों द्वारा सम्पादित हो रही हैं। वर्ष 2020 तक भारत में इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 70 करोड़ तक पहुँच गई थी और वर्ष 2025 तक इसके लगभग 97.4 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। दूरनेट प्रयोगकर्ताओं की दृष्टि से भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।

नई प्रौद्योगिकी से न केवल सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जगत के साथ अपराध जगत में भी क्रांति का संचरण हुआ। कम्प्यूटर एवं सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में तीव्रगामी बदलाव से आज समग्र विश्व अपराधों की तेजी से बदलती हुई प्रकृति से चिंतित है। आज विश्व का हर देश अपराधों के प्रौद्योगिकी समर्थित नए स्वरूप यानी साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रयत्नशील है। वर्ल्ड-वाइड-वेब ने बहुत ही बेहतर ढंग से सम्पर्क बनाने में समर्थ बनाया है वहीं इसके अस्तित्व के साथ साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद जैसे खतरे भी सामने आए हैं।

साइबर अपराध – कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से समाज में घटिल अपराध अथवा कोई भी आपराधिक कार्य जो कम्प्यूटर या संचार माध्यमों के द्वारा होता है वह साइबर अपराध है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसमें कम्प्यूटर एवं नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस श्रेणी में गैर कानूनी ढंग से म्यूजिक फाइलों को डाउनलोड करने से लेकर ऑनलाइन बैंक खातों से पैसा चुराना तक कई किस्म के अपराध आते हैं। इसमें कुछ गैर आर्थिक अपराध भी शामिल हैं जैसे नौकरी सम्बन्धी धोखाधड़ी, विवाह सम्बन्धी, संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी (जैसे आधार से जुड़ी सूचनाएँ, क्रेडिट/डेबिट कार्ड की जानकारी, बैंक खाते की जानकारी की चोरी और गलत इस्तेमाल, सोशल साइबर स्टॉकिंग, मीडिया पर किसी व्यक्ति की मानहानि, कम्प्यूटर वायरस का प्रसार इत्यादि सभी शामिल होता है। साइबर अपराध भी सामान्य अपराधों की भांति अनैतिक और समाज व कानून व्यवस्था को क्षति पहुँचाते हैं। साइबर अपराध या हमले प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से किसी कम्प्यूटर नेटवर्क अथवा संचार माध्यमों के जरिये किए जाते हैं।

साइबर अपराध ऐसे अपराध हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को निशाना बना कर किए जाते हैं। इसमें अपराधियों का मकसद किसी व्यक्ति या संस्था की छवि धूमिल करने से लेकर उसे शारीरिक, मानसिक क्षति या उसकी धन सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारी नुकसान पहुंचाना हो सकता है। साइबर अपराधों में अपराधी प्रायः चेटरूम, ईमेल, नोटिस बोर्ड, इंटरनेट व सोशल मीडिया पर बने लोगों व संस्थाओं के समूहों तथा मोबाइल फोन व स्मार्ट फोन आदि की जरिया बनाते हैं। साइबर अपराधों में अश्लीलता फैलाना तथा निजता यानि प्राइवसी को खतरा एक नयी चुनौती बन गयी है। इसमें संचार माध्यमों के इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की बेहद निजी तस्वीरें या वीडियो व अन्य जानकारी हासिल कर जगजाहिर कर दी जाती है या इसका इस्तेमाल कर मानवीय प्रतिष्ठा को अपूर्णनीय क्षति पहुंचायी जाती है।

साइबर अपराध की श्रेणियाँ – साइबर अपराधों की प्रमुख श्रेणियों को उनके लक्ष्य और प्रभावों के आधार पर मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन समूहों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध – इस प्रकार के अपराध व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए किये जाते हैं। इनमें हैकिंग, क्रेकिंग, ईमेल के जरिए उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, साइबर मानहानि अश्लील सामग्री का प्रसार, ईमेल स्फूर्फिंग, एसएमएस, स्फूर्फिंग, कोर्डिंग- धोखाधड़ी, बाल-अश्लीलता, धामकी देकर हमला मानव तस्करी किया जाना शामिल है। साइबर जगत के अपराधों का जनक हैकिंग है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2009) की धारा 43(ए) एवं धारा-66 तथा भा.द.स. की धारा-379 एवं धारा-406 के अन्तर्गत हैकिंग एक दण्डनीय अपराध है।

(2) सम्पत्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध – कुछ ऑनलाइन अपराध सम्पत्ति के खिलाफ होते हैं जैसे कि कम्प्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किये जाते हैं इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आई.पी आर उल्लंघन ट्रोजन हार्स, बौद्धिक सम्पदा अपराध, धनराशि ट्रांसफर करते समय चोरी, डकैती करना आदि। उदाहरणार्थ- अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वेब लिंक भेजे जाने पर उस लिंक को क्लिक करने पर वेब पेज खुलते ही बैंक खाते/गोपनीय दस्तावेज सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर उस जानकारी के जरिये दस्तावेज और बैंक खाते से छेड़छाड़ सम्पत्ति के विरुद्ध हमला कहलाता है।

(3) सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध – सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराधों को साइबर आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। इसमें सरकारी वेबसाइट या सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। यह साइबर आतंकवाद राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्यवाही माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या अन्य शत्रु देशों की सरकारें होती हैं। प्रत्येक देश की सरकार कठोर साइबर कानून द्वारा साइबर अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रयत्नशील हैं।

साइबर जगत में आपराधिक प्रवृत्ति से जनित इरादों को मूर्तरूप देने में जरा वक्त नहीं लगता है। साइबर अपराधी आंतरिक आपराधिक प्रवृत्तियों से प्रेरित होने के बाद ऐसे जटिल व भयावह साइबर अपराधों को अंजाम देते हैं जो आज के दौर में सुरक्षा एजेन्सियों और पुलिस व्यवस्था के लिए एक चुनौती है।

सोशल मीडिया की भूमिका – विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर

लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग एकाउंट्स को आसानी से हैक कर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं।

1. सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाली जनसंख्या साइबर अपराधों से अनजान है। विभिन्न नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केन्द्रित हैं जिससे ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं।
2. सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा ज्ञात हुआ है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न एप के माध्यम से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों की फंडिंग की जाती है।
3. सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं।
4. साइबर अपराधी विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

विगत वर्ष विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते ज्यादातर सेवाएँ ऑनलाइन हो गईं जिसके साथ साइबर अपराधों की सम्भावनाएँ भी बढ़ती चली गईं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान लम्बे लॉकडाउन में ज्यादातर जनसंख्या घर पर ही रहकर ऑनलाइन काम कर रही थी। लोग दिन-रात अपने आपसी सम्पर्क और मनो-विनोद के लिए पूरी तरह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गये। ऑनलाइन डिजिटल माध्यमों से खरीदी, अध्यापन आदि क्रम अब तक जारी है। इस दौरान उत्पन्न अधिक मुश्किलों के दौर में आतंक, नफरत और वैमनस्य फैलाने वाली ताकतों ने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने और उन्हें कट्टर बनाने कोई कसर नहीं छोड़ी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान जालसाजी करने वाली फीशिंग वेब साइटों में 350 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वस्तुतः जन-जागृति ही साइबर अपराधों की रोकथाम का कारगर तरीका है।

साइबर अपराध के निवारक उपाय – साइबर कानूनों का क्षेत्र पूरी तरह से तकनीकी क्षेत्र है। साइबर जगत में नित नए किस्म के अपराध घटित होते हैं जो कम्प्यूटरीकृत व्यवस्थाओं और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। अतः यदि साइबर कानून व्यापक और सारगर्भित रूप से तैयार किए जाए तो निसंदेह प्रभावी नियंत्रण कायम होगा।

साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के प्रयास:

1. भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं।
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43ए, 66, 66बी, 66सी, 66डी 66ई, 66एफ, 67, 67ए, 67बी, 70, 72, 72ए और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं।
3. सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013' जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre NCIIPC) का गठन किया।
4. इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।

5. विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' (Information Security Education and Awareness-ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
6. सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) की स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
7. देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology & Meity) के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।
8. भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र:

1. जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre J4C) का उद्घाटन किया गया है।
2. इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक हैं-
3. नेशनल साइबर क्राइम थेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)
4. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
5. संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime investigation Team)
6. राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory &

Ecosystem)

7. राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
8. साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unity)
9. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre)

निष्कर्ष – भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। विगत वर्षों में साइबर अपराधों में कई गुना वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। जिनमें बुडापेस्ट कन्वेंशन भी एक है। साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन अपनी तरह की पहली ऐसी अन्तराष्ट्रीय संधि है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके जांच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कम्प्यूटर अपराधों पर रोक लगाने सम्बन्धी मांग की गई। इस पर हस्ताक्षर करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा अन्तराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। साथ ही कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। सोशल मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम मिला है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर हजारों लोगों तक पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग एवं जागरूकता ही साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Susam w, Brenner, CYBER CRIME : Criminat Treats from cyberspace, First Indian Addition-2012, pentagon pses New Delhi, P.P.10
2. <https://cybercrime.gov.in> | pdf
3. [https:// networkencyclopedia.com/mainframe](https://networkencyclopedia.com/mainframe)
4. <https://www.herjaveegroup.com/historyofCyberuscrime>.
5. सैक्सेना दीपक, साइबर अपराध और पुलिस की तैयारियां, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

उत्तररामचरितम् में प्रकृति चित्रण

डॉ. नलिनी तिलकर*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (संस्कृत) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संस्कृत का दृश्यकाव्य – साहित्य, रूपक – भेदों में परिगणित हुआ है। सभी रूपकों में 'नाटक' प्रधान है और 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' की उक्ति के अनुसार रूपक के अन्य भेदों के लिए भी सामान्यतः नाटक शब्द प्रयुक्त होता देखा जाता है। संस्कृत वाङ्मय में नाटक रमणीय कला के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा गया है कि – नाटकान्तं कवित्वम् अर्थात् किसी भी कवि की काव्यकला नाटक के आधार पर ही परखी जा सकती है। नाट्य को पञ्चम वेद कहने से यह तथ्य प्रकट होता है कि हमारे सम्पूर्ण जीवन में जिस प्रकार वेदानुमोदित मार्ग अभ्युदय का हेतु है, उसी प्रकार नाट्यशास्त्र एवम् नाटकों के बिना संस्कृत साहित्य के अध्यवसाय की परिपूर्णता स्वीकार नहीं की जा सकती है। नाटक साधारणतया प्रसिद्ध कथा पर आधारित होता है। इसका नायक राजा या राजा के समतुल्य पात्र होता है। इसमें मुख्य रस शृंगार, वीर या करुण होता है। संस्कृत के इस विशाल वाङ्मय में से भारतीय समालोचकों ने नाटक को सर्वाधिक रमणीय माना है और कहा है कि 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' कारण यह है कि

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥¹

नाटक में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय का ज्ञान तथा कलाओं में प्रवीणता (कवि की कीर्ति एवं पाठक के हृदय में प्रीति) को उत्पन्न करता है। और भी –

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम् ।

विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति ॥²

अर्थात् यह नाटक दुःख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित दीन-दुःखियों के लिए विश्राम देने वाला है। इसमें ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है –

न तज्ज्ञानं तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥³

जो नाटक में न मिले ऐसा न तो कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और न ही कोई कार्य हो सकता है। इस कारण समालोचकों का यह मानना है कि काव्य या साहित्य का रसास्वादन केवल सहृदय जन ही ले सकता है, बल्कि नाटक में अभिनय तत्त्व प्रधान होने के कारण सहृदय जन से लेकर आम आदमी तक अर्थात् –

देवानां सुराणां च राज्ञामय कुटुम्बिनाम् ।

ब्राह्मर्षीणां च विज्ञेयं नाट्यं वृत्तान्तदर्शकम् ॥⁴

इस नाटक को देवगण, असुर, राजा, गृहस्थी जन तथा ब्रह्मर्षिजन के वृत्तान्त प्रदर्शित करने वाला है, अतः अभिनय तत्त्व की प्रधानता के कारण कोई भी जन ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को दिशा दे सकता है, क्योंकि

नाटक का अभिनय देखने वाले को स्वप्रतीति कराता है अर्थात् अनपढ़ और शब्दों के मर्म को न समझने वाला व्यक्ति भी नाटक के अभिनय से ज्ञान प्राप्त करके जीवन में दुःख मुक्त हो सकता है। इस दृष्टि से भवभूती का नाट्य कौशल हृदय स्पर्शी है।

भवभूती ने अपने इस नाटक में प्रकृति के साहचर्य का जो निरूपण किया है, वह संस्कृत साहित्य में अप्रतिम है। प्रकृति के प्रति उनके हृदय में अतुल अनुराग है। इसी कारण उन्होंने अपने नाटक की रंगभूमि प्रकृति के विशाल प्राङ्गण में ही स्थापित की है।

चित्र दर्शन में लक्ष्मण प्रकृति के तटस्थ सौन्दर्य का चित्र प्रस्तुत करते हैं पर राम उसी क्षण उस पर्वत से जुड़ी उस सुखद स्मृति में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने सीता के साथ प्रेम के सर्वथा अभिनव रूप का अनुभव किया था। वे सीता से पूछते हैं –

राम – स्मरसि सुतनु? तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन

प्रतिविहितसपर्यासुस्थय स्तान्यहानि ।

स्मरसि सरसनीरां तत्र गोदावरी वा

स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयो वर्तनानि ॥⁵

राम कहते हैं – 'हे कृशतनु सीते! उस पर्वत पर लक्ष्मण के द्वारा प्रत्येक प्रकार से की गई सेवा से सुखमय हमारे उन दिनों को याद करती हो, वहाँ मधुरजल वाली गोदावरी तुम्हें याद है ? उसके समीपवर्ती प्रदेशों में हम दोनों के विहार तुम्हें याद है ?'

इसके बाद वह समय आता है जब राम अकेले हैं। सामने है कमलों से भरा सुन्दर पम्पा सरोवर, पर सीता नहीं हैं। राम चित्र में उस सरोवर का परिचय सीता को देते हैं –

राम – देवि परं रमणीय मेतत्सरः ।

एतास्मिन्मदकलमाल्लिक्षपक्ष –

व्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः ।

वाष्पाम्भः परिपतनोद्गमान्तराले,

सन्दष्टाः कुवलयिनो मया विभागाः ॥⁶

इस सरोवर में मदमत्त मल्लिकाक्ष हंसों के पंखों से श्वेत कमलों के नालदण्ड कम्पित हो रहे हैं। राम अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हैं। कवि यहाँ एक अन्तराल प्रस्तुत करता है – आंसुओं के उद्गम और परिपतन के बीच।

राम कहते हैं – अश्रुपात के उस अन्तराल में मैंने श्वेतकमलों से भरे उस सरोवर के प्रदेशों को कुवलियों अर्थात् नीलकमलों से भरा देखा था। अश्रु से मलिन दृष्टि में कमलों का श्वेतवर्ण नील में परिवर्तित हो जाता है।

राम का परमोज्ज्वल हृदय और उसकी शुभ्रता सीता – अपहरण की घटना

से तिमिराच्छन्न हो उठती है। वहीं अंधेरा कभी किसी क्षण आंखों से भी उतर आता है और तब जगत् की सुन्दर से सुन्दर श्वेतता श्यामल हो उठती है।

लक्ष्मण- सोऽयं शैलः ककुभसुरभिर्माल्यवान्नामयस्मि-

ज्ञीलः स्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः ।

आर्येणास्मिन्-रामः- विरम विरमातः परं न क्षमोऽस्मि

प्रत्यावृत्तः स पुनरिव मे जानकीविप्रयोगः ॥⁷

लक्ष्मण कहते हैं कि यह अर्जुन वृक्षों से सुगन्धित माल्यवान् नाम का वह पर्वत है। जिस पर काले रंग वाला प्यारा नवीन मेघ शिखर को ढक रहा है। इस पर लक्ष्मण को बीच में ही रोक कर राम कहते हैं रुको, रुको लक्ष्मण! इससे आगे की बात को सुनने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। क्योंकि इसे सुनकर और देखकर ही वह, जिसकी तुम चर्चा करना चाहते होय मेरा सीता से वियोग लौट सा आया है।

निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोच्यण्डसत्त्वस्वनाः

स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुजगश्वासप्रदीप्ताब्जयः ।

सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाभसो यास्वयं

तृष्यदिभः प्रतिसूर्यकैरजगरस्वेदद्रवः पीयते ॥⁸

जनस्थान के वन प्रदेशों से परिचय कराता हुआ शम्बूक श्रीरामचन्द्र से कहता है कि इस भयंकर वन के सीमान्त प्रदेशों में कहीं पर तो पक्षियों का कूजन भी सुनाई नहीं दे रहा है और कहीं दूसरे भाग में भयंकर जंगली प्राणियों के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं अन्यत्र सानन्द सोये हुए विशालकाय अजगर तीव्र श्वास छोड़ रहे हैं जिससे सर्वत्र आग फैल रही है। कहीं पर्वतीय गड्ढों के मध्य भाग में थोड़ा सा पानी झिलमिला रहा है और कहीं प्यास से बेचैन गिरगिट पानी न मिलने के कारण अजगर के शरीर से निकले पसीने को पीकर अपनी प्यास शान्त कर रहे हैं।

प्रकृति के चतुर 'चित्रकार' भवभूति ने अपने नाटकों में प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ दण्डकारण्य की भीषणता का सच्चा चित्र देखने को मिलता है।

गुंजत्कुंजकुटीरकीशिकघटाघुत्कारवत्कीचक-

स्तम्बाडम्बरमूकमौकुलिकुलः क्रींचाभिधोऽयं गिरिः।

एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलतामद्वेजिताः कृजितै-

रुद्वेलन्ति पुराणरोहिणतरुस्कन्धेषु कुम्भीनसाः॥⁹

क्रींच पर्वत की शोभा दिखाने के लिए शम्बूक राम से कहता है कि महाराज ! यह क्रींच नाम का पर्वत है। इसका अवलोकन भी आवश्यक प्रतीत होता है। इसके कुंज कुटीरों में स्थित उल्लुओं की घटा का घुत्कार हो रहा है, उससे युक्त सच्छिद्र बासों के सघन झुरमुट में भय से कौए मौन धारण किये हैं। इस पर्वत पर इधर उधर फिरते हुए मोरों के कूजन से भयभीत सर्प चन्दन के वृक्षों की शाखाओं में लिपट रहे हैं। यहाँ क्रींच पर्वत के व्याज से संसार का स्वरूप निरूपण किया गया है।

एते ते कुहरेषु गद्गदनददोद्गोदावरी वारयो

मेघालम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीमृतो दाक्षिणाः ।

अन्योन्यप्रतिघातसंकुल चलत्कल्लोलकोलाहलै-

रुतालास्य इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्संगमाः ॥¹⁰

फिर शंभू दक्षिण दिशा में विद्यमान पर्वतों और नदियों के संगमों का वर्णन करते हुए कहता है कि देव यह दक्षिण दिशा में स्थित पर्वत अवलोकनीय है भवभूति ने गिरि कन्दराओं के सम्पर्क से वर्धमान जल-ध्वनियों का विशेष आग्रह से वर्णन किया है। नदियों के संगमों की उताल ध्वनि कवि का ध्यान

सहज ही आकर्षित करती है

सीता देव्या स्वकरकलितैः सल्लकीपल्लवाब्जैरग्रे

लोलः करिकलभको यः पुरावर्धितांऽभूत् ॥¹¹

सीता कहती है- अरे, जान पड़ता है कि मेरी प्रियसखी वासन्ती बोल रही है। पुनः नेपथ्य से आवाज आती है- सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से दिये गये सल्लकी वृक्ष के कोमल पत्तों के अग्रभागों से, को पुष्ट किया गजशावक वनवास के समय में पाला पोसा गया था।

यत्र दुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे

यानि प्रियासहचरश्चिरमध्य वात्सम् ।

एतानि तानि बहुनिर्झरकन्दराणि

गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तहानि॥¹²

(नेपथ्य में) जहाँ वृक्ष भी, मृग भी मेरे बन्धु थे जिनमें में प्रिया जानकी के साथ लम्बे समय तक रहा वे ही ये गोदावरी के समीपवर्ती पर्वत के बहुत से झरनों और कन्दराओं वाले प्रदेश हैं।

अनुदिवसमवर्धयत् प्रिया ते यमचिरनिर्गतमुग्धलोलबर्हम्।

मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष वधूसखः शिखण्डी॥¹³

वासन्ती - इतोऽपि देवः पश्यतु से कहती है

वासन्ती - इधर भी महाराज देखें। नयी निकली हुई सुन्दर एवं चंचल पूँछ वाले जिस मयूर को तुम्हारी प्रिया ने प्रतिदिन पाला पोसा था, वही यह उद्गत चूड़ा वाला मयूर उगत किरण युक्त मणिमुकुट के समान कदम्ब वृक्ष पर अपनी वधू मयूरी के सहित बोल रहा है।

कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः

प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत्।

सीता - (निरूप्य सास्रम्) सुष्टु प्रत्यभिज्ञातमार्गपुत्रेण।

स्मरति गिरिमयूर इव एष देव्याः

स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति॥¹⁴

राम कहते हैं- यह पर्वतप्रियम सीता का स्मरण करता है, क्योंकि कदम्ब का भी परिवर्धन सीता के द्वारा ही होने से इस कदम्ब में अपने बन्धु जैसा हर्ष प्राप्त करता है !

ददतु तस्यः पुष्पैरहयं फलैश्च मधुश्च्युतः

स्फुटितकमलामोदप्रायाः प्रवान्तु वनानिलाः ।

कमलविरलं रज्यत्कण्ठः कणन्तु शकुन्तयः

पुनरदिमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः ॥¹⁵

वनदेवी वासन्ती मकरन्द बरसाने वाले वृक्ष पुष्पों और फलों से अर्धघट्टे, खिले हुए कमलों के सौरभ के आधिवय से पूर्ण वनवायु हैं, राग युक्त कण्ठ वाले पक्षी सतत मधुर शब्द करें। यह महाराज राम स्वयं इस वन में पुनः पधारे हैं। इस प्रकार संपूर्ण वनस्थली वन देवता वसन्ती के शब्दों में राम के स्वागत के लिए तत्पर हो जाती है।

इस नाटक में प्रकृति अपने स्वरूप से पूर्ण होते हुए भी एक सजीव एवं चेतन प्राणी के रूप में 'अपि ग्रावावजस्य हृदयम्' चित्रित की गई है। स्थान-स्थान पर प्रकृति के नम्र पहलुओं के साथ ही कठोर एवं भयावह दृश्य परिलक्षित हुए हैं। न केवल प्रकृति के बाह्यांगों, अपितु अंतर्गंगों का भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन हुआ है। जिन भवभूति ने 'कूजत्कान्त कपोत- कुक्कुट- कुलाः कुले कुलायदुमाः' लिखकर दोपहरी के प्रचण्ड ताप का वर्णन किया है, उन्हीं ने मसृण शब्दावली से पहाड़ों के प्राकृतिक दृश्यों का भी आह्लादकारी वर्णन किया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भवभूति प्रकृति के सूक्ष्म

निरीक्षक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है की प्रकृति के समस्त रूपों के चित्रण में महाकवि भवभूति अद्वितीय है।

महाकवि भवभूति केवल मानव-प्रकृति का ही उद्घाटन करने में समर्थ नहीं है, अपितु बाह्य प्रकृति का यथार्थ चित्र उपस्थित करने में भी कुशल है। प्रकृति के प्रति उनके हृदय में अतुल अनुराग है। इसी कारण उन्होंने अपने नाटक की रंगभूमि प्रकृति के विशाल प्राङ्गण में ही स्थापित की है। उन्होंने प्रकृति के साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित किया है स शम्बूक के इन वर्णनों में प्रकृति का तटस्थ रूप ही सम्मुख आता है। राम की चेतना भी अभी पूरी तरह अन्तर्मुख नहीं हो पाती। सीता की स्मृति का दंश अभी नसों में उतना प्रसरणशील नहीं जान पड़ता। पर जनस्थान और उसके बाद पंचवटी में प्रवेश करते ही पूरी वनभूमि केवल सीता हो जाती है। रूप और स्मृति घुलकर शब्द में उतरते चले जाते हैं। स्मृति में सुख है, संवाद है, साहचर्य है-ऐसा क्या अभीष्ट है जो नहीं है। पर स्मृति तो स्मृति है, मानस पटल पर उभर आया एक खोयापन। अब सुख नहीं है, संवाद नहीं है, साहचर्य नहीं है। अन्दर सीता है और बाहर सीतामयी प्रकृति। तमसा और मुरला, गंगा और पृथ्वी तथा वन देवता वासन्ती प्रकृति के सजीव, सप्राण मूर्त रूप हैं-जो सीता और राम के जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भाव संवेदनों के प्रति सजग हैं। राम के आगमन पर तमसा, मुरला, गोदावरी, सरयू और गंगा की व्यस्तता द्वारा कवि ने प्रकृति को मनुष्य के बहुत निकट लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे प्रकृति एक अर्धद्य है, एक दान, जिसका सातत्य कभी अवरुद्ध नहीं होता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दशरूपकम्, धनञ्जय कृत प्रथम प्रकाश, पृ. 5, प्रकाशक - साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ
2. नाट्य शास्त्र, पृ. 28, श्लो. 1/115, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
3. नाट्य शास्त्र, पृ. 28, श्लो. 1/117, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
4. नाट्य शास्त्र, पृ. 29, श्लो. 1/120, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
5. उ.रा.च.- 1-16
6. उ.रा.च.- 1-31
7. उ.रा.च.- 1-33
8. उ.रा.च.- 2-16
9. उ.रा.च.- 2-29
10. उ.रा.च.- 2-30
11. उ.रा.च.- 3-6
12. उ.रा.च.- 3-8
13. उ.रा.च.- 3-18
14. उ.रा.च.- 3-20
15. उ.रा.च.- 3-24

भारतीय संस्कृति और व्यक्तित्व विकास

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर* डॉ. जी. एल. मालवीय**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारतीय संस्कृति विश्व जगत के मनः पटल पर उन्नत एवं परिष्कृत संस्कारों की अवधारणा को मूर्तमान करने में समर्थ है। 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' पर आधृत 'भारतीय संस्कृति' हजारों वर्षों से विश्व मानव की जिज्ञासाओं को शांत कर, श्रद्धा का विषय रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थों के कारण मनुष्य लौकिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। भारतीय संस्कृति में व्यवहारिक उत्तमता तथा पारमार्थिक श्रेष्ठता दोनों ही पूर्णता की सीमा पर प्रतिष्ठित है। संसार की प्राचीनतम और महानतम संस्कृतियों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गणना की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में कई विदेशी जातियां आयी और बस गयीं। भारतीयों के आचार-विचार, रहन-सहन आदि पर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि भारतीय संस्कृति का आधार बदल गया।

संस्कृति एवं व्यक्तित्व विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है संस्कृति व्यक्तित्व को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। व्यक्तित्व के निर्माण में जिन कारकों का योगदान माना जाता है उनमें संस्कृति का स्थान प्रमुख है। व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत हिन्दुओं का देश है अतः मूलतः उन्हीं की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। जिसके मूल स्रोत वैदादि शास्त्र हैं। अतएव लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उन्नति का वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है। दर्शन, भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि संस्कृति के सभी अंगों पर वेदादि शास्त्र मूलक सिद्धांतों की ही छाप है। वैदिक परम्परा से आगे बढ़कर भारतीय संस्कृति ने अनेक मत-सम्मत धर्म, सम्प्रदाय को अपने में आत्मसात करते हुए एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है। भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र 'वसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय' की भावना में निहित है। भारतीय संस्कृति का बोध उसमें निहित निम्न विशिष्टताओं से स्पष्ट होता है -

भारतीय संस्कृति की वैशिष्ट्य - भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की एक लम्बी फेहरिस्त है। जिन्हें व्यापक रूप से प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं है यहाँ भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है -

1. प्राचीनता और निरंतरता
2. विचार एवं विश्वास की स्वतंत्रता
3. अनेकता में एकता

4. जीवन एवं दर्शन
5. भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का अनोखा संगम
6. कर्तव्यों पर बल
7. पुरुषार्थ चतुष्टय
8. आश्रम धर्म

1. **प्राचीनता और निरंतरता** - संस्कृत भाषा और वांगमय की प्राचीनता ही भारतीय संस्कृति की प्राचीनता का भी प्रमाण है। यदि भाषा की उत्पत्ति का प्रचलित विकासवादी सिद्धांत स्वीकार करें तो भारतीय संस्कृति और प्राचीन सिद्ध होती है। वैसे तो विश्व में और भी प्राचीन संस्कृतियां रही हैं लेकिन वे परिपक्व और सुस्थिर होने से पूर्व ही काल के विकराल गाल में समा कर लुप्त हो गईं। लेकिन भारतीय संस्कृति सहज संप्रेषणीय और सहज अनुभूति पर आधारित होने से कई परिवर्तनों के साथ अपने मूल रूप में आज भी जीवन्त है तो केवल संस्कृत स्वरूप के कारण भारतीय संस्कृति की मूल्यदृष्टि चूंकि आध्यात्मिक है जिसमें भौतिक तथ्यों की नश्वरता और परिवर्तनशील स्वीकार है। अतः उसकी भौतिक अभिव्यक्तियों में बाह्य कारणों से होने वाले परिवर्तन केवल 'बाहरी' ही रहे आन्तरिक शाश्वतता अक्षुण्ण रही। शक, हूण, कुषाण और इनसे भी पूर्ण द्रविड़ आर्य आदि संस्कृतियों की बाह्य अभिव्यक्तियां आन्तरिक शाश्वत स्वीकृत अध्यात्म के इर्द-गिर्द समायोजित होती रही और अन्ततः उनमें आन्तरिक संगति हो गई। इस तरह भारतीयता निरन्तर बनी रही। किसी भी समाज अथवा संस्कृति के जीवन्त रहने की शर्त है कि उसमें निरन्तरता और परिवर्तन दोनों का समन्वय हो। परिवर्तनों को स्वीकार करने; शाश्वतता के होने पर ही निरन्तरता संभव है। भारतीय संस्कृति और इसीलिए भारतीय समाज की यह विशेषता है।

2. **विचार एवं विश्वास की स्वतंत्रता** - भारतीय संस्कृति की एक प्रधान विशेषता है इसकी उदारता, सहिष्णुता, विश्वास की स्वाधीनता और विचार की स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति में सब तरह के धार्मिक विश्वास रखने की गुंजाइश है इसमें द्वैतवाद भी है अद्वैतवाद भी इसमें साकार उपासना है निराकार उपासना भी। इसमें जैन भी है, बौद्ध भी, सनातनी भी हैं आर्य समाज भी, सिख भी हैं, कबीर पंथी भी। यह है भारतीय संस्कृति की उदारता, सहिष्णुता और व्यापकता जो अन्य किसी संस्कृति में मिलना दुर्लभ है।

3. **अनेकता में एकता** - भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है, अनेकता में एकता अथवा समन्वय की भावना अथवा सबको अपने में मिला लेने की प्रवृत्ति। भारतीय संस्कृति न जाने कितनी संस्कृतियों, सभ्यताओं,

जातियों और मतों के साथ सम्पर्क में आई। न जाने कितनों के साथ इसकी टक्कर भी हुई, द्वन्द्व भी हुआ लेकिन अंत में जो भारत में बस गए, उन सबको उसने अपने में मिला लिया, आत्म-सात कर लिया। आज वे सब संस्कृतियां वे सब सभ्यताएं और जातियां, भारतीय संस्कृति में इस कदर घुलमिल गई हैं कि उनका अलग अस्तित्व नाममात्र का भी नहीं रह गया है। सब भारतीय संस्कृति के विशाल कलेवर में पूरी तरह समा गए हैं।

4. जीवन एवं दर्शन – भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि उसमें दर्शन को जीवन से अलग नहीं रखा गया है। दर्शन के सिद्धांतों को जीवन में उतारने और अमल में लाने की एक खास विशेषता भारतीय संस्कृति में है। इसके विपरीत अन्य संस्कृतियों में दर्शन को अध्ययन अध्यापन का एक विषय मात्र माना गया है। लेकिन भारतीय संस्कृति में यह बात नहीं है इसमें दर्शन का घनिष्ठ संबंध आत्मा अथवा आत्म संबंधी विषयों से है, दर्शन का संबंध धर्म से भी है। भारतीय संस्कृति में धर्म, दर्शन और जीवन ये तीनों एक समान शृंखला में बंधे हुए हैं, तथा मनुष्य को एक निश्चित दिशा दिखाते हैं। भारतीय दर्शन के सिद्धांत भारतीय जीवन के अंग बन गए हैं।

5. भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का अनोखा संगम – संसार में जीवन यात्रा तय करने के लिए मनुष्य के सामने दो मार्ग आते हैं – एक मार्ग है- भौतिकवाद और दूसरा मार्ग है- अध्यात्मवाद का। उपनिषद् में इसी को प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग कहा है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों अपने-अपने स्थान पर आवश्यक और उपयोगी हैं। इनमें एक की अन्वेलना होने पर विरोध शुरू होता है। इसलिए हमारे ऋषि-मुनियों हमारे मनीषियों और महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच एक अनोखा मेल या समन्वय स्थापित किया था। भारतीय संस्कृति में न कोरा अध्यात्मवाद है न कोरा भौतिकवाद बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है जिसका रूप उपनिषद् में इस प्रकार दर्शाया गया है –

विद्यांचाविद्यांच यस्तद्वेदोभयं सह।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमहनुतेऽथ

इसी समन्वय की भावना ने भारतीय संस्कृति को अब तक संसार में जीवित रखा है।

6. कर्तव्यों पर बल – भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्रारंभ से ही कर्तव्यों पर जोर दिया गया है अधिकारों पर नहीं भारतीय संस्कृति के सभी प्रमाणिक एवं सर्वमान्य ग्रंथ उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत, स्मृति आदि में सब जगह कर्तव्य की महिमा गायी गई है। भारतीय संस्कृति में कर्तव्य को धर्म समझकर करने की शिक्षा दी गई है। गीता का यह वाक्य सर्व प्रसिद्ध है –

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

कर्म की प्रधानता होने से भारतीय संस्कृति भयानक से भयानक संकटों को पार करती हुई, अब तक डटी है।

7. पुरुषार्थ चतुष्टय – अध्यात्म प्रधानता की स्वीकृति भौतिक जीवन का निषेध नहीं वरन भौतिकता या भोगवाद को सार्थक दिशा देने में है। अर्थ संचय और कामना पूर्ति का कोई अंत नहीं है। सहज रूप से प्राणिस्वरूप मनुष्य अर्थ और कामना जगत में लिस रहे तो उसका जीवन अन्तहीन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इस संघर्ष में कहीं ठहराव नहीं कही शांति नहीं। भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सम्मिलित रूप देने के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय का निर्धारण किया। धर्म पाशविक अवस्था से मनुष्य बनाने का माध्यम है। धर्म ही ऐसा तत्व है जो पशु से मनुष्य को श्रेष्ठ घोषित

करता है। धैर्य, बुद्धि, सत्य, क्षमा, अक्रोध आदि से युक्त चरित्र निर्माण प्रथम पुरुषार्थ है। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य अवस्था व्यक्ति के शेष जीवन का आधार बनती उसी तरह धर्म निष्ठा पुरुष को मनुष्य के रूप में अर्थ प्रदान करती है। धर्मयुक्त अर्थार्जन कामनाओं की मर्यादित पूर्ति में सहायक होती है। येन केन प्रकारेण अर्जित धान का भोग अमर्यादित कामनाओं में होता है। ऐसा धान समाज में ईर्ष्या द्वेष और अपराध को जन्म देता है साथ ही अर्जन करने वाले को भी हमेशा भय और आशंका से ग्रस्त करता है। धर्मयुक्त या धर्माश्रित अर्थार्जन अर्थ की महत्ता का बोध कराता है अतः इसका उपयोग भी मर्यादित हो जाता है। एक सीमा तक कामनाओं की पूर्ति के उपरांत मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अर्थ और काम अपने स्वरूप के कारण असार प्रतीत होने लगते हैं तब मोक्ष की ओर स्वतः प्रवृत्ति होने लगती है। पारम्परिक मान्यता के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुटकारा ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग होते हैं रुचि ज्ञान, सामर्थ्य और परिस्थिति विशेष में तीनों मार्ग श्रेष्ठ है। आज के संदर्भ में मोक्ष के पारम्परिक स्वरूप पर पुनर्विचार आवश्यक प्रतीत होता है।

8. आश्रम धर्म – मनुष्य, में होने और करने की असीम संभावनाएं हैं लेकिन एक जीवन में सामर्थ्य सीमा शरीर के कारण स्वतः आ जाती है। जन्म के उपरान्त शरीर निरन्तर वृद्धि और शक्ति को प्राप्त होता है। शरीर नश्वर है, वृद्धि के साथ-साथ क्षीण भी होता है। अतः शरीर धारी जीवन में करणीय का नियंत्रण आवश्यक है। छोटे से जीवन में करने को बहुत कुछ होता है, इच्छाएं बहुत होती हैं। यदि इच्छा पूर्ति को व्यवस्थित न किया जाए तो जीवन अन्त तक अपूर्ण ही रहेगा। इस अपूर्णता की अनुभूति से जीवन ही बोझ लगने लगता है। भारतीय परम्परा जीवन को न नाटक मानती है न संघर्ष और न प्रयोग। जीवन ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त भेंट है, इसमें दिव्यत्व की अनुभूति कराना जीवन को सार्थक बनाता है। इसीलिए मानव इतिहास में पहली बार जीवन की सहज स्थितियों का वर्गीकरण करके उनके करणीय धर्म का निर्धारण किया गया। इस वर्गीकरण को आश्रम धर्म कहा गया।

जीवन का प्रारंभिक सोपान मनुष्य में निहित क्षमताओं के ज्ञान और विकास का होता है। इस अवधि में प्राप्त क्षमता ही शेष जीवन का आधार बनती है। यह अवस्था संसार का ज्ञान प्राप्त करने की है। मनुष्य होने से उचित अनुचित का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन यह सब कुछ बिना सत्यनिष्ठ साधना के संभव नहीं है। इसलिए इस अवस्था में मनुष्य को एकाग्र चित्त हो कर गुरु अथवा गुरुओं से श्रद्धा पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भोग-विलास की वस्तुओं से दूर गुरुकुल में सश्रम ज्ञानार्जन करना चाहिए। इस आश्रम को ब्रह्मचर्य कहा गया। 'मनसा वाचा कर्मणा' समस्त विषय वासनाओं से मुक्त संयमित आवरण ही इस अवस्था में धर्म या कर्तव्य है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती; अतः ज्ञानार्जन का क्रम पच्चीस वर्ष पर ही समाप्त कर, माता पिता, देव, समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वहन का विधान रखा गया। समाज को सद्पुरुष भेंट कर सके, इसके लिए विवाह कर गृहस्थ बनने का विधान है। गृहस्थाश्रम कामनाओं की पूर्ति का भी क्षेत्र है। अतः कामनाएं कुष्ठा उत्पन्न करती है। कुण्ठित मनुष्य समाज पर बोझ होता है। इसलिए सहज कामनाओं की मर्यादित तृप्ति के लिए गृहस्थाश्रम आवश्यक है। लेकिन कामनाएं अनंत होती हैं, जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आता है जब हम यह कह सकें कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। इसलिए पचास वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात वानप्रस्थ का विधान किया गया। वानप्रस्थ, यों तो वन में परिवार से दूर रहकर आत्म विश्लेषण, अतीत विवेचन और

भविष्य निर्धारक चिंतन के लिए है। तथापि आज की परिस्थितियों में वह अवस्था परिवार की सीमा से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र को अपने ज्ञान, अनुभवों का लाभ देने की है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा में समय व्यतीत करना ही सामयिक वानप्रस्थ है। पचहत्तर वर्ष की आयु आते-आते शरीर और मन थक जाते हैं। यह अवस्था सत्यान्वेषण की है, सत्य साधना की है। एकांत में अध्ययन मनन और निदिध्यासन द्वारा निष्कामता को प्राप्त करने का प्रयास संन्यास है। सत्य-साधाक, मान-अपमान, लोभ-मोह, आदि से मुक्त होकर देश राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर समाज का मार्ग दर्शन करे यह संन्यासी का कर्तव्य है। इस कर्तव्यपालन से बुद्धि निर्मल होती है, आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्रप्ति सरल हो जाती है। व्यक्ति के छोटे से जीवन को आश्रम व्यवस्था सार्थकता प्रदान करती है।

‘समाज मानव को पशु जीवन से अलग करता है किन्तु इस बात का निर्धारण संस्कृति ही करती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप किस प्रकार होगा। वास्तविकता तो यह है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। इसके अन्दर हम सभी प्रकार के विचारों, आदर्श नियमों और भौतिक पदार्थों को सम्मिलित करते हैं। इसका अर्थ है कि संस्कृति ही व्यक्तित्व की वास्तविक अभिव्यक्ति है। किसी समाज के सदस्यों का व्यक्तित्व किस प्रकार बनेगा, यह बहुत कुछ उस समाज की संस्कृति पर निर्भर होता है। व्यक्तित्व का सम्बन्ध व्यक्ति के उन सभी विचारों, मनोवृत्तियों, मूल्यों, आदतों और व्यवहारों से है जो उसकी दैनिक क्रियाओं से स्पष्ट होती है। व्यक्ति अपने साथियों तथा सामाजिक अन्तर्क्रियाओं के माध्यम से जिन प्रथाओं, परम्पराओं और कार्यविधियों को प्राप्त करता है वे उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाते हैं। वास्तव में ये सभी विशेषतायें संस्कृति की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं।’ सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यक्तित्व का विकास होता है। अपने समुदाय में व्यक्ति को समय-समय पर नये-नये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इससे उनके अनुभवों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विभिन्न सांस्कृतिक तथ्य; जैसे नियम, परम्परार्य, लोकाचार, विश्वास, जनरीतियाँ, संस्कार, धर्म तथा अनेक अनुष्ठान व्यक्ति का समाजीकरण करके व्यक्तित्व का विकास करते हैं।

प्रत्येक समाज के कुछ वैचारिक, सैद्धांतिक एवं संस्थागत आधार होते हैं इन्हीं आधारों पर किसी देश की संस्कृति की पहचान बनती है तथा इसकी

प्राचीनता एवं विशेषताओं को परखा जा सकता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत, ऋण की अवधारणाएं भारतीय समाज के परम्परागत वैचारिक एवं संस्थागत आधार हैं जिनमें एक चिंतन, आदर्श जीवन शैली तथा सम्पूर्ण जीवन-दर्शन निहित है जो मानव एवं समाज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। यही कारण है कि अनेक संस्कृतिया पतन के साथ-साथ संसार से विलुप्त हो गईं लेकिन भारतीय संस्कृति अनेक तूफान एवं थपेड़ों को सहकर भी आज अडिग है। विदेशियों और विधर्मियों के लगातार हमले एवं इसे समूल नष्ट करने की कोशिशों के बाद भी यह जीवित है। इस जीवन शक्ति के मूल में रहस्य है, जो इसे हमेशा प्राण वायु प्रदान करती रहेगी वह रहस्य है-

1. **संसार में अहिंसा, शांति, समन्वय, मैत्री, दया और मानवता का प्रचार करने वाले हमारे वेदान्त और उपनिषदों का अमर सन्देश।**
2. **भारतीय संस्कृति का सृजन करने वाले महर्षियों की त्याग, तपस्या, बलिदान और निःस्वार्थ मानव सेवा की भावना।**
3. **गीता के निष्काम कर्म का अनोखा उपदेश।**

उपरोक्त रहस्य पर आधारित भारतीय संस्कृति न केवल अपने लिए बल्कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। आज संसार जिन संकटों से होकर गुजर रहा है, अशांति, हिंसा, घृणा एवं वैमनस्य का वातावरण चहुँओर फैला हुआ है ऐसी परिस्थिति में भारतीय संस्कृति का ‘**वसुधैव कुटुम्बकम्**’ का भाव शांति, अहिंसा, सहिष्णुता तथा मैत्री का संदेश सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रासांगिक है। उपरोक्त मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता, निरंतरता, ग्रहणशीलता, कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास, संयुक्त परिवार तथा विश्व बंधुत्व में विश्वास आदि अनेक विशेषताएं लिए हुए हैं संक्षेप में कह सकते हैं कि यह विश्व की एक महान संस्कृति है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. आचार्य बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति।
2. जनार्दन भट्ट, भारतीय संस्कृति।
3. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, भारत का सांस्कृतिक इतिहास।
4. प्रो. सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, भारतीय समाज एवं संस्कृति।
5. डॉ. एस. एल. नागौरी, भारतीय संस्कृति।
6. अरविंद, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वा।
7. गोपीनाथ कविराज, भारतीय संस्कृति एवं साधना।
8. जी. सी. पाण्डे, भारतीय परम्परा के मूल तत्वा।

शरणार्थियों की समस्याएं : एक सांगोपांग अध्ययन

डॉ. शोभा गौतम*

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, 'दुनिया भर में प्रत्येक 74 लोगों में से 1 से अधिक को भागने और असमान व्यवहार और अवसरों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऑक्सफेम का दावा है कि बहुत से लोग अपनी पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी लेकर नहीं निकलते हैं और जहाँ वो शरण लेते हैं, वहाँ उन्हें ऐसी सार्वजनिक नीतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाती हैं।' इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि विश्व में शरणार्थियों की संख्या व स्थिति क्या है? प्रस्तुत शोधपत्र में शरणार्थियों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए समाधानों को रेखांकित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित इस शोधपत्र हेतु प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वीमेन फॉर वीमेन जैसे संगठनों व राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों, आलेखों एवं शोधपत्रों को संदर्भित किया गया है।

शब्द कुंजी – शरणार्थी, विस्थापन, हिंसा, मूलभूत सुविधाएं, कुपोषण।

प्रस्तावना – वर्तमान में विश्व में प्रमुख रूप से यूक्रेन, सूडान, सोमालिया, यमन, इरिट्रिया, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान व कांगो गणराज्य आंतरिक अथवा बाह्य संघर्ष से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के नागरिक अपनी सुरक्षा की कामना को लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के अनुसार, शरणार्थी वह होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से भागने के लिए मजबूर किया गया हो। एक शरणार्थी को नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता के कारणों से उत्पीड़न का एक सुस्थापित भय होता है। ऐसे लोग या तो घर नहीं लौट सकते या ऐसा करने से डरते हैं। युद्ध, जातीय, आदिवासी और धार्मिक हिंसा शरणार्थियों के अपने देशों से पलायन के प्रमुख कारण हैं। UNHCR की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विस्थापितों का आंकड़ा 100 मिलियन पार पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ग्लोबल अपील 2022 के अनुसार, विश्व में शरणार्थियों की संख्या 2 करोड़ 17 लाख 92 हजार है।

यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर करीब 3 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गई। वर्ष 2021 में सीमाओं के पार विस्थापित होने वालों में से 69% सिर्फ पांच देशों से आते थे। सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार (व्हाट इज अ रेफ्यूजी : यूएन रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन)। किंतु रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप एक यूरोपीय देश यूक्रेन का भी नाम शीर्ष पाँच देशों में शुमार हो गया। इन देशों में शरणार्थी संकट के कारणों व स्थितियों का विश्लेषण आगामी बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है।

शरणार्थियों की समस्याएं – शरणार्थी संकट के मानवीय, सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक व मानसिक प्रभाव नकारात्मक रूप से संबंधित व्यक्ति व देश को प्रभावित करते हैं। उन्हें गंतव्य स्थल हेतु रवानगी से लेकर वहाँ पहुंचने तक हमलों और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें भी महिलाएं

यौन उत्पीड़न, हिंसा और मानव तस्करी के लिए विशेष रूप से उच्च जोखिम समूह में सम्मिलित हैं। शरणार्थियों के लिए अन्य चुनौतियाँ मेजबान देशों से सम्बंधित हैं। वहाँ भी उन्हें नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जून 2018 में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में भूस्खलन, जल जमाव, बिजली गिरने और तेज हवाओं ने शरणार्थियों की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया।

जेनेवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जस्टिस के अनुसार, शरणार्थियों के सामने एक और चुनौती गंतव्य देश तक पहुंचना है। कभी-कभी भूगोल एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, कई शरणार्थी यूरोप, मुख्य रूप से ग्रीस और इटली जाने के लिए भूमध्य सागर को पार करने का जोखिम उठाते हैं। शरणार्थी नौकाएं अक्सर खचाखच भरी और खराब स्थिति में होती हैं। परिणामस्वरूप उनके जान-माल के नुकसान की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, 6 जून 2018 को यमन की ओर आ रही इथियोपियाई नाव के अतिभारित होने के चलते 46 इथियोपियाई शरणार्थी डूब गए। कभी-कभी शरणार्थियों को वित्तीय, कानूनी या सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे हजारों लोग हैं, जो तस्करी/एजेंटों की मदद से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई शरणार्थियों को तस्करी द्वारा शारीरिक और यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। मेजबान देश में सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद भी, शरणार्थियों को नस्लीय भेदभाव और जेनोफोबिक व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है (इरोल्डी, जॉर्जिया, जून 19, 2019)। इस प्रकार शरणार्थी जीवन आरम्भ से अंत तक अभाव, असुरक्षा, शोषण और जोखिम से भरा हुआ है।

शरणार्थी समस्याओं का विस्तार से विवेचन निम्नानुसार है:

1. शरण की समस्या – शरणार्थियों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या किसी देश में शरण लेने की है। लगभग सभी देश अनेक पूर्वाग्रहों व राजनीतिक कारणों के चलते शरणार्थियों को शरण देने से बचते हैं। इस हेतु उनके द्वारा

बनाए गए संरक्षणवादी कानून शरणार्थियों को हाशिए पर धकेल देते हैं। जैसा कि सीरियाई शरणार्थी संकट के दौरान हुआ, जब जर्मनी को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों द्वारा अपनी सीमाएं शरणार्थियों के लिए बंद कर दी गई। इस स्थिति में शरणार्थी अवैध तरीके से तथा कई खतरनाक माध्यमों से यात्रा कर गंतव्य देश में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कई दफे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के अनुसार, वर्ष 2021 में खतरनाक स्थलीय और समुद्री यात्राओं के कारण 3,200 से अधिक व्यक्ति मारे गए या लापता हो गए थे (रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप : यूएन रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन)। इस तरह शरणार्थी स्वदेश व मेजबान देश दोनों ही स्थानों पर उपेक्षा के शिकार होते हैं।

2. आवास व आधारभूत सुविधाओं का अभाव – मेजबान देश में पहुंच जाने के बाद भी शरणार्थियों के तकलीफें कम नहीं होती हैं। विकसित देश जो कि केवल 18% शरणार्थियों को ही शरण दे पाए हैं (ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस : एमनेस्टी इंटरनेशनल)। उन्हें छोड़ दें तो विकासशील देशों में संसाधनों की कमी व आबादी की अधिकता के कारण शरणार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं युक्त आवास उपलब्ध करवाना आज भी एक बड़ी चुनौती है। तीन चौथाई से अधिक शरणार्थी आज भी कच्ची बस्तियों में रहने को मजबूर हैं तथा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छ पर्यावरण जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच से दूर हैं।

इसके अलावा, एक और समस्या कानूनी दस्तावेज की है। इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी होती है। इसके अतिरिक्त मेजबान देशों के कुछ भूस्वामी शरणार्थी परिवारों को बरगला रहे हैं और इनसे मकान किराए पर देने के बदले अधिक पैसों की मांग करते हैं ('व्हाट चैलेंजेस डू रेफ्यूजी फेस', सितम्बर 29, 2022)। यह स्थिति शरणार्थियों के लिए 'कोढ़ में खाज' का काम करती है।

3. लैंगिक हिंसा – शरणार्थी एक संवेदनशील समूह की श्रेणी में आते हैं। महिलाएं, जो जबरन विस्थापितों का 48% हैं, लिंग आधारित हिंसा से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित हैं। विस्थापन और संघर्ष की स्थिति आम तौर पर लिंग आधारित हिंसा के जोखिम को बढ़ा देती है। COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप अंतरंग साथी हिंसा, बाल विवाह, तस्करी और यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई (ग्लोबल अपील रिपोर्ट, 2022 : 64)। वीमेन फॉर वीमेन संगठन के अनुसार, 5 में से 1 महिला शरणार्थी यौन हिंसा का अनुभव करती है ('फाइव फैक्ट्स अबाउट व्हाट रेफ्यूजी वूमेन', जून 09, 2022)। यह आंकड़ा शरणार्थी संकट के गंभीर परिणामों को रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है।

4. धर्मांतरण – कई मामलों में देखा गया है कि शरणार्थियों को मेजबान देशों में धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जाता है। दिसंबर 2022 में बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ ऐसा मामला दर्ज किया गया। जिसमें बांग्लादेश के राहत शिविरों में रहने वाले हिंदू रोहिंग्या शरणार्थियों को बहुसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्याओं द्वारा इस्लाम में धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ('हिन्दू रोहिंग्या रिफ्यूजी फोर्सड', सितंबर 26, 2017)। विडम्बना है कि यह एक शरणार्थी द्वारा दूसरे शरणार्थी का बलात धर्मांतरण था। यह स्थिति शरणार्थियों की धार्मिक स्थिति को उनकी दुरावस्था का कारण बना देती है।

5. हत्या व यातनाएं – शरणार्थियों के प्रति अनेक प्रकार की पूर्वाग्रहों के चलते तथा भूमि पुत्र की अवधारणा के कारण शरणार्थियों को मेजबान

देश के नागरिक अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। जिसके परिणामस्वरूप कई बार मेजबान देश के नागरिक उन्हें अनेकों प्रकार की यातनाएं देने व हत्या करने तक पर उतारू हो जाते हैं। जिससे शरणार्थियों का 'गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार' समाप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में, कई अफगानियों को पाकिस्तानी पुलिस द्वारा गोलबंद करने, पीटने व बेदखल करने के मामले सामने आए हैं। इन शरणार्थियों के अनुसार, 'पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर घूमती हैं, अधिकारी भूस्वामियों से कहते हैं कि वो अपने अफगान किरायेदारों को बाहर निकालें या गंभीर परिणाम भुगतें।' एक साक्षात्कार में शरणार्थी ने बताया कि 'पुलिस रात में आएगी और उनके पैसे ले लेगी। अगर उन्होंने विरोध किया तो उनके जेल जाने का खतरा है' ('अफगान रिफ्यूजीज टेल स्टोरी ऑफ एब्यूज' : जून 07, 2002)। इसके अतिरिक्त गत वर्ष बांग्लादेश में एक दर्जन लोगों की भीड़ द्वारा रोहिंग्या समुदाय के दो नेताओं की हत्या करने का मामला सामने आया ('दू रोहिंग्या कैम्प लीडर्स किल्ड', अक्टूबर 16, 2022)। इस घटना ने बांग्लादेशी शरणार्थी शिविरों की सुरक्षा व्यवस्था की कलाई खोल दी।

6. स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याएं – पर्याप्त भोजन नहीं मिलने, कुपोषण तथा छोटे स्थान पर अधिक लोगों के निवास करने के कारण शरणार्थियों में अनेक प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी जन्म होता है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है, जब उन्हें इस हेतु पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है और उनकी बीमारियां संक्रामक बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त पलायन के कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य दुर्बल हो जाता है। उदाहरण के रूप में, दक्षिण सूडान के लोगों में अवसाद, चिंता विकार और अभिघातजन्य तनाव विकार जैसे मानसिक विकारों की अधिक व्यापकता दर्ज की गई है ('दक्षिण सूडान के शरणार्थियों व विस्थापितों', अप्रैल 18, 2023)।

समाधान – शरणार्थियों की उक्त समस्याओं का एक प्रमुख कारण 'युद्ध व स्थानीय नागरिकता' की अवधारणा है। इसके क्रमशः दो समाधान हो सकते हैं। पहला, नागरिकों का राजनीतिक विवेक व सामर्थ्य किसी भी देश को संघर्ष व युद्ध में जाने से रोक सकता है। सम्बंधित साहित्य का अध्ययन करने के आधार पर कहा जा सकता है कि शरणार्थी संकट विशेष रूप से युद्ध का परिणाम है और युद्ध का प्रमुख कारण नृजातीय अहं, राजनेताओं - सेना का स्वार्थ व आर्थिक कुप्रबंधन हो सकता है। इस परिस्थिति को राजनीतिक विवेकयुक्त नागरिक रोक सकता है।

दूसरा, मानवाधिकारों की सख्ती से पालना सुनिश्चित होना तथा उसका सतत रूप से पर्यवेक्षण करना।

निष्कर्ष – उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शरणार्थी एक संवेदनशील समूह हैं। जिसके मानव अधिकार प्रायः स्थगन की अवस्था में होते हैं। ये आंतरिक व बाह्य दोहरे रूप में उपेक्षा का सामना करते हैं। स्वदेश व मेजबान देश दोनों ही स्थानों पर वो हाशिए पर पाए जाते हैं। जिसके चलते उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने की परिस्थितियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं। परिणामस्वरूप उन्हें अनेक शारीरिक व मानसिक समस्याएं झकड़ लेती हैं। अतः आवश्यकता है कि इन उपेक्षित व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर इन्हें राहत दिलाई जाए। यद्यपि इस दिशा में यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन व अनेक गैर-सरकारी संगठन धनसहायताएं कार्यरत हैं परंतु इनके उद्देश्यों को आमजन मानस में संचारित करना व उन्हें इस सम्बंध में संवेदनशील बनाना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'अफगान रिफ्यूजीज टेल स्टोरी ऑफ एब्यूज'(जून 07, 2002).सीबीसी न्यूज. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.cbc.ca/news/world/afghan-refugees-tell-stories-of-abuse-and-extortion-in-pakistan-1.313169>
2. इरोल्डी, जॉर्जिया.(जून 19, 2019).अंडरस्टैंडिंग रेफ्यूजी इशू. जिनेवा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जस्टिस. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.gicj.org/gicj-reports/1588-understanding-refugee-issue>
3. 'टू रोहिंग्या कैम्प लीडर्स किल्ड'(अक्टूबर 16, 2022).अलजजीरा न्यूज.रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/16/two-rohingya-camp-leaders-killed-in-bangladesh>
4. 'दक्षिण सूडान के शरणार्थियों व विस्थापितों'(अप्रैल 18, 2023).रिलीफवेब इंटरनेशनल.रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://reliefweb.int/report/south-sudan/culture-context-and-mental-health-and-psychosocial-well-being-refugees-and-internally-displaced-persons-south-sudan>
5. 'फाइव फैक्ट्स अबाउट व्हाट रेफ्यूजी वूमेन'(जून 09, 2022).वीमेन फॉर वीमेन ऑर्गेनाइजेशन. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.womenforwomen.org/blogs/5-facts-about-what-refugee-women-face>
6. 'हिन्दू रोहिंग्या रिफ्यूजी फोर्सड'(सितंबर 26, 2017).इंडिया टुडे. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.indiatoday.in/india/video/hindu-rohingya-refugees-islam-bangladesh-camps-1069376-2017-09-26-explained/#:~:text=The%20Syrian%20refugee%20crisis%20began,the%20southern%20town%20of%20Daraa>
7. ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस.एमनेस्टी इंटरनेशनल. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/>
8. रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप.यूएन रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.unrefugees.org/emergencies/refugee-crisis-in-europe/>
9. व्हाट इज अ रेफ्यूजी.यूएन रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/>
10. 'व्हाट चैलेंजेस डू रेफ्यूजी फेस'(सितम्बर 29, 2022).बोनयान ऑर्गेनाइजेशन.रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://bonyan.ngo/what-challenges-do-refugees-face-when-finding-a-new-home/#:~:text=What%20Are%20The%20Main%20Problems,Raising%20Children%2C%20Prejudice%20and%20Racism.>
11. साउथ सूडान रेफ्यूजी क्राइसिस.यूएन रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन. रिट्रीव्ड फ्रॉम <https://www.unrefugees.org/emergencies/south-sudan/>

73वां संविधान संशोधन पंचायती राज सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम

डॉ. विभा शर्मा*

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

शोध सारांश – लोकतान्त्रिक व्यवस्था में केन्द्र से लेकर स्थानीय संस्थाओं तक नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था सम्भालते हैं। इन सबमें पंचायती राज व्यवस्था लोकसहभागिता निभाने का सबसे सरल एवं प्रभावकारी उपाय है। पंचायती राज से सम्बन्धित 73वां संविधान संशोधन भारत में ग्रामीण क्षेत्र में शासन संचालन व्यवस्था से जुड़ा है, अतः यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

आज भी तीन चौथाई से अधिक भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायत व्यवस्था को मुकम्मल स्थान दिलाने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए एवं समय-समय पर इसमें सुधार किया गया। संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की स्वशासन की त्रिस्तरीय इकाईयां मजबूत हुई हैं एवं इससे ग्रामीण विकास को बल मिला है। 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिले हैं।

73वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 जिसमें अनुच्छेद 243 क से 243 ण समाहित है, तथा एक नवीन 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन से मृतप्राय पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन प्राप्त हुआ जहां एक ओर इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वहीं दूसरी ओर ये संस्थाएं संवैधानिक अधिकार सम्पन्न हुईं।

शब्द कुंजी – 73वां संशोधन, 11वीं अनुसूची, सशक्तिकरण, उर, सभा, वरियम लोकसहभागिता, प्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीकरण, स्वशासन, त्रिस्तरीय इकाईयां।

प्रस्तावना – लोकतांत्रिक देशों में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए संविधान के रूप में एक लिखित नियमावली होती है जिससे उस राष्ट्र की सरकार एवं शासन व्यवस्था संचालित होती है। इस तरह से संविधान के तहत शासन व्यवस्था के संचालन की शुरुआत आधुनिक विश्व के इतिहास में फ्रांस से हुई थी। विश्व के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों के कभी न कभी उपनिवेश रहे थे अतः ये देश जब जब आजाद होते गए तो अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा अपने पितृ राष्ट्र की भांति शासन व्यवस्था के संचालन के लिए लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया गया एवं संविधान के रूप में एक लिखित नियमावली तैयार की गई।

भारत में भी आजादी के उपरान्त इसी व्यवस्था के तहत संविधान तैयार किया गया जिसके कतिपय आवश्यक उपबन्धों को तत्काल 26 नवम्बर 1949 को लागू किया गया एवं सम्पूर्ण रूप से संविधान को आत्मार्पित 26 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत पंचायती राज सम्बन्धी प्रावधान रखे गए। संविधान में समय एवं परिस्थितियों के साथ परिवर्तन अवश्यसम्भावी हो जाते हैं समयानुकूल संशोधन के अभाव में संस्थाओं में गतिरोध उत्पन्न होने लगता है। यद्यपि सभी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं किन्तु 73वां संविधान संशोधन भारत में ग्रामीण क्षेत्र के शासन संचालन व्यवस्था से जुड़ा है अतः यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

लोकतंत्र शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप है। ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना पंचायती राज द्वारा हुई है। पंचायती राज ने ग्रामीण विकास में

प्राण फूंक दिए हैं जिससे स्थानीय स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान कर लिया जाता है। वास्तव में पंचायतें गांवों की स्थानीय समस्याओं के निराकरण का अचूक अस्त्र हैं जिससे ग्रामीण विकास को गति मिली है। 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त इस व्यवस्था में और सुधार आया है। अतः **73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज के सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रभाव आए हैं उनके सम्बन्ध में जानने का प्रयास इस लघु शोध पत्र में किया गया है।**

पंचायत व्यवस्था : ऐतिहासिक परिपेक्ष्य – प्राचीन काल में पंचायत को 'पंचायतन' के नाम से सम्बोधित किया जाता था। संस्कृत भाषा के ग्रंथों के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरुष सहित पांच पुरुषों के समूह वर्ग को 'पंचायतन' के नाम से जाना जाता था। शाब्दिक दृष्टि से 'पंचायती राज' शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों 'पंचायत' एवं 'राज' से मिलकर बना है जिसका अर्थ है पांच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। समय के साथ पंचायत की अवधारणा में परिवर्तन होता गया। कुछ समय बाद पंचायती राज का अभिप्राय पांच जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित सभा से लिया जाने लगा।

ग्राम शासन व्यवस्था में विकास के नए-नए आयाम हमें इतिहास के पन्नों में कभी मौर्य कालीन गणतन्त्रात्मक राज्य, तो कभी चोल साम्राज्य की ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं के रूप में दिखाई देते हैं जहां **उर एवं सभा** जैसी संस्थाएं थी यद्यपि मध्यकाल में सामन्तवादी राजपूत युग में एवं पश्चातवर्ती दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य में ग्राम पंचायत की गणतन्त्रात्मक व्यवस्था में कमी दिखाई देती है।

ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में प्रशासनिक कुशलता के लिए लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को अनिवार्य बताया गया एवं स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया। वर्ष 1920 में मद्रास, बम्बई बंगाल एवं मध्य भारत में तथा 1922 में पंजाब में एवं 1925 में असम में पंचायत अधिनियम पारित किए गए। स्वतन्त्रता संग्राम के दौर के आखिरी वर्ष 1946 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया। इस तरह 1687 से लेकर 1947 तक के स्थानीय स्वशासन का सफर देखा जाए तो प्रतीत होता है कि स्थानीय स्वशासन इकाईयों को निर्वाचित स्वरूप देना, करारोपण का अधिकार प्रदान करना आदि कार्य हुए थे, जो पंचायती राज के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को निर्देशित किया गया कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और स्वशासन की इकाई के रूप में ये पंचायतें अधिक अच्छे तरीके से कार्य कर सकें इस हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए जरूरी संसाधन एवं आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाए। भारतीय संविधान में स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया जिससे राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्थानीय शासन की इकाईयों का विकास कर सकें।

पंचायती राज की आवश्यकता – वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों की भूमिका ग्रामीण जीवन के प्रत्येक भाग में समावेशित हो गई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भागीदारी है। विकास की प्राप्ति एक समुचित शासन व्यवस्था के द्वारा ही की जा सकती है। अतः आवश्यक है कि शासन की इकाई जो विकास कार्य को सम्पादित करती है वह भी सशक्त हो। इसके लिए आवश्यक था कि सम्पूर्ण देश में एकरूप पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर ग्राम स्तरीय शासन व्यवस्था में एकरूपता लायी जाए। इसलिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में एकरूपता लाने एवं सशक्त बनाने का प्रयास किया गया।

73वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि – लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है शक्तियों का प्रत्यायोजन और आमजन की भागीदारी ही लोकतन्त्र की महत्वपूर्ण विशेषता और मूल आधार भी है। सम्पूर्ण देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ।

73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषां :

- 1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर :** संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से ण तक में पंचायती राज के सम्बन्ध में उल्लेख कर इन संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया।
- 2. ग्राम सभा को संवैधानिक महत्व :** अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा को राज्य एवं राष्ट्र की विधानसभा एवं लोकसभा की तरह ही महत्व देते हुए इसको महत्वपूर्ण बनाया गया एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव एवं निर्णय को मान्य किया गया। गांव के समस्त पंजीकृत मतदाताओं को उस ग्राम की ग्राम सभा का सदस्य बनाया जाकर इस संशोधन के द्वारा उसे संवैधानिक महत्व प्रदान किया गया।
- 3. त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था :** अनुच्छेद 243 ख में बीस लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं तृतीय स्तर पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद तीनों ही स्तर

स्वायत्त हैं इन्हें अपने से नीचे के स्तर की संस्था के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन का अधिकार प्राप्त है।

4. पंचायतों की संरचना: अनुच्छेद 243 ग के अनुसार पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत के सदस्यों का विनिश्चय उस पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच के निर्वाचन की विधि राज्य विधानमण्डल द्वारा निश्चित की जाएगी जबकि मध्यवर्ती या जिला स्तर पर अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप अर्थात् उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा।

5. आरक्षण के प्रावधान : अनुच्छेद 243 घ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान तय किए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण करने अथवा नहीं करने के लिए राज्यों को स्वायत्ता प्रदान की गई। इस तरह इन संस्थाओं में सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अवसर मिले इसके लिए चक्रानुक्रम में आरक्षण का प्रावधान किया गया एवं इसी आरक्षण में महिलाओं को भी आगे लाने के लिए प्रत्येक वर्ग में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए।

6. पंचायतों का कार्यकाल : अनुच्छेद 243 इ में यह प्रावधान किया गया कि इन संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होगा एवं राज्य सरकारें इनके कार्यकाल में अकारण कमी अथवा वृद्धि नहीं कर सकेंगी। इन संस्थाओं के तय अवधि से पूर्व विघटन अथवा भंग या त्यागपत्र/सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में छ माह की अवधि में निर्वाचन को अनिवार्य बनाया गया।

7. पंचायतों की सदस्यता हेतु निरहताएं: अनुच्छेद 243 च में सदस्यों के निर्वाचन में निरहताओं का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार पंचायत राज संस्थाओं में उम्मीदवार होने के लिए 21 वर्ष से अधिक आयु होना आवश्यक है।

8. पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व: अनुच्छेद 243 छ संविधान के उपबन्धों में राज्य विधानमण्डलों द्वारा पंचायतों को शक्तियां व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वायत्ता दी गई। पंचायत को सौंपे जा सकने वाले उत्तरदायित्व में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, और क्रियान्वयन करना प्रमुख है।

9. पंचायतों की करारोपण की शक्तियां : अनुच्छेद 243 ज में इन संस्थाओं में वित्तीय स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं को करारोपण की शक्तियां दी गई जिसके द्वारा ये संस्थाएं करों के द्वारा राजस्व एकत्र कर वित्तीय स्वायत्ता को सुनिश्चित कर सकती है।

10. राज्य वित्त आयोग : अनुच्छेद 243 झ में इन संस्थाओं में वित्तीय रूप से सशक्त रहे इसके लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जो राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व में से ग्राम पंचायतों को राजस्व के वितरण के लिए अपनी अनुशंसा करता है।

11. राज्य निर्वाचन आयोग : अनुच्छेद 243 ट में इन संस्थाओं के समय पर निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान रखा गया। प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन को अनिवार्य किया गया। जो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के समय पर निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, जिसका यह दायित्व है कि कार्यकाल समाप्ति के छ माह के अन्दर इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन कराया जावे।

12. संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित: अनुच्छेद 243 ठ इसके अनुसार

इस भाग के उपबन्ध संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होंगे। भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को संशोधन लागू करने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर सकता है।

13. कतिपय क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था का लागू नहीं होना अनुच्छेद 243 ड : नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्यों तथा मणिपुर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद है तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद है वहां 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

14. पूर्व में विद्यमान विधियों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 243 ड : इस प्रावधान के अनुसार इस संशोधन के पूर्व में विद्यमान विधियां जो इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं तब तक विद्यमान रहेगी जब तक राज्य विधानमण्डल द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जाएगा। सभी विद्यमान पंचायतों अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेगी।

15. लेखा परीक्षण : संविधान द्वारा पर्याप्त स्वायत्ता दिए जाने से ये संस्थाएं उनको प्राप्त राजस्व अथवा सहायता में वित्तीय अनियमितता नहीं करे इसके समुचित पर्यवेक्षण के लिए अनुच्छेद 243 ड में इन संस्थाओं के लेखा परीक्षण की व्यवस्था रखी गयी। राज्य में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा इन संस्थाओं के लेन-देन एवं कार्यों का अंकेक्षण किया जाता है जिसका प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा की स्थानीय निकाय समिति के द्वारा चर्चा के लिए विधानसभा के सम्मुख रखा जाता है।

16. अनुच्छेद 243 जी : संविधान के इस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं।

इस तरह 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 जिसमें अनुच्छेद 243 क से 243 ण समाहित है, तथा एक नवीन अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। जिससे इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन से मृतप्राय पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन प्राप्त हुआ जहां एक ओर इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वहीं दूसरी ओर ये संस्थाएं संवैधानिक अधिकार सम्पन्न हुई हैं, चूंकि किसी भी संस्थान के लिए वित्तीय रूप से मजबूत होना आवश्यक है अतः इन संस्थाओं को वित्त आयोग के माध्यम से राशि आवंटन के प्रावधान किए जाने से वित्तीय दृष्टि से भी ये संस्थाएं सशक्त हुईं।

73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय संस्थाएं - अनुच्छेद 243 ख एवं ग में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है :

ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत की संरचना में इस स्तर पर ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरपंच एवं उसकी सहायता के लिए शासन का प्रतिनिधि सचिव होता है ग्राम पंचायत में पांच समितियों के गठन का प्रावधान है जिनके माध्यम से वह अपना कार्य सम्पादित करती है।

पंचायत समिति - त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में द्वितीय स्तर पर पंचायत समिति के गठन का प्रावधान है। पंचायत समिति की संरचना में पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति में कार्यकारी अधिकारी होता है जिसका मुख्य कार्य पंचायत समितियों के निर्णय को क्रियान्वित करना होता है।

जिला परिषद - प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद का अध्यक्ष प्रमुख एवं उपाध्यक्ष उप प्रमुख

होता है। जिला परिषद अपना कार्य जिला परिषद के सदस्यों में से ही ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर गठित स्थायी समिति की भांति गठित समिति के माध्यम से करती है।

जिला प्रमुख को ही जिला परिषद की बैठक बुलाने, उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में कार्यकारी अधिकारी होता है जिसका मुख्य कार्य जिला परिषद के निर्णय को क्रियान्वित करना होता है।

73वां संविधान संशोधन एवं सशक्तिकरण - संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 क से ण तक में विभिन्न प्रावधानों के द्वारा न केवल इन त्रिस्तरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया बल्कि वित्तीय स्वायत्ता के साथ-साथ ग्राम सभा के निर्णय को पर्याप्त महत्व देकर इनका सशक्तिकरण किया गया। 73 वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप हुए सशक्तिकरण को हम राजस्थान राज्य में संशोधन के उपबन्धों से हुई प्रगति से समझ सकते हैं :

नियमित निर्वाचन से सशक्तिकरण की ओर - अनुच्छेद 243 ड के प्रावधान के तहत इन संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष होगा एवं राज्य सरकारें इनके कार्यकाल में अकारण कमी अथवा वृद्धि नहीं कर सकेंगी। इसी के तहत प्रथम बार 1995 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराए गए एवं इसके बाद प्रति पांचवें वर्ष में क्रमशः वर्ष 2000, 2010, 2015 एवं 2020 में कराए गए हैं। यह परिणाम संवैधानिक संशोधन का ही नतीजा है अन्यथा वर्ष 1995 से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में नियमितता नहीं थी एवं राज्य सरकारों द्वारा कई बार इनका समय से पूर्व विघटन कर दिया जाता था वहीं कई बार समय पर निर्वाचन नहीं कराकर प्रशासक काल रख दिया जाता था जिसमें स्थानीय शासन की बागडोर निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ नहीं होकर शासकीय कार्मिकों के पास होती थी।

आरक्षण से सशक्तिकरण की ओर - अनुच्छेद 243 घ में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिलाओं के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों के तहत निर्वाचन कराए गए। इसी का परिणाम है कि जहां 73वें संशोधन से पूर्व तक कतिपय जातियों का ही सरपंच जैसे पद पर वर्षों से अधिकार था 73वें संविधान संशोधनों के परिणाम से समाज के सभी वर्गों का इस त्रिस्तरीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नजर आया जो वर्ष 2000, 2005, 2010 एवं 2015 के निर्वाचन से स्पष्ट है।

73वें संविधान संशोधन के आरक्षण प्रावधान से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। निर्वाचन में आरक्षण व्यवस्था से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों की स्थिति में बदलाव आया है।

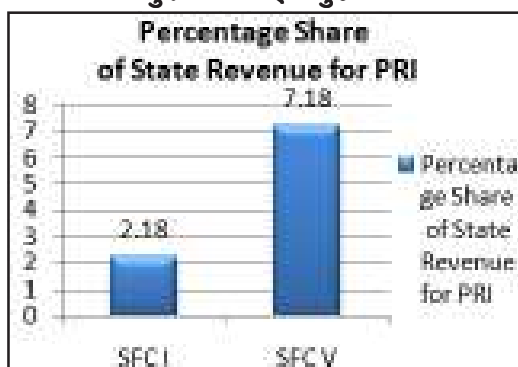
तालिका संख्या 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2000 के निर्वाचन में अनारक्षित पद पर 57 प्रतिशत सामान्य महिलाएं एवं 52.75 प्रतिशत पद पर सामान्य पुरुष निर्वाचित हुए जो वर्ष 2015 के निर्वाचन में कम होकर क्रमशः 40.05 एवं 36.84 प्रतिशत रह गए। वहीं अजा, अजजा एवं अपिव वर्ग में जहां आरक्षित पदों के विरुद्ध निर्वाचन का प्रतिशत 110 से 125 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इससे समझा जा सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त पिछड़े वर्ग एवं अजा एवं अजजा वर्ग में किस तरह आगे बढ़ा है। इससे पंचायती राज व्यवस्था में सभी वर्गों की सहभागिता बढ़ी है एवं वह वर्ग जो अतीत की शासन व्यवस्था में भागीदार नहीं था उसकी भागीदारी

भी सुनिश्चित हुई है।

वित्तीय स्वायत्ता से सशक्तिकरण की ओर – राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुच्छेद 243 झ के तहत पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए अब तक गठित पांच राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्य को प्राप्त राजस्व में स्थानीय निकाय की संस्थाओं के लिए राशि के वितरण की अनुशंसा की गई है। अरेख संख्या 1 में राज्य वित्त आयोग प्रथम एवं राज्य वित्त आयोग पंचम द्वारा की गई राजस्व के वितरण में अनुशंसा के बड़े हुए स्तर को देखा जा सकता है जो यह बताता है कि इन स्थानीय निकाय की संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाकर सशक्त किया गया है। जिससे ये संस्थाएं आज ज्यादा स्वायत्ता से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को अंजाम दे पा रही हैं।

अरेख संख्या 1 : राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय संस्थाओं को राज्य के राजस्व से अनुदान के लिए अनुशंसा



73वें संवैधानिक संशोधन से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सम्भव हो सका है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में दो बच्चों से अधिक संतान वाला व्यक्ति इन त्रिस्तरीय संस्थाओं में निर्वाचित नहीं हो सकता है। राजस्थान में इस प्रावधान से छोटे परिवार की अवधारणा को बल मिला है। राज्य उच्च न्यायालय ने भी इस प्रावधान को वैध ठहराया है इससे समाज में जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित सकारात्मक संदेश फैला है।

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक स्तर देते हुए सम्पूर्ण राष्ट्र में एकरूपता प्रदान की है जिससे लोकतन्त्र तृणमूल स्तर तक पहुंच सका एवं इसने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतन्त्र की पाठशाला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया है। आश्चर्य का विषय है कि जो ग्रामीण मतदाता लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में उदासीन रहते हैं वही सरपंच एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। सक्रिय जागरूकता एवं सहभागिता ही लोकतन्त्र को सफल बना सकते हैं।

73वें संवैधानिक संशोधन ने महिला सशक्तिकरण में महती भूमिका का निर्वहण किया है। महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण ने आधी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी है। वे महिलाएं जो सदैव कार्यों में लगी रहती थी आज घुंगट छोड़ पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। सरपंच वार्ड पंच प्रधान जिला प्रमुख आदि कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर विकास कार्यों को गति प्रदान कर रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों ने अधिकांशतः वे मुद्दे उठाए हैं जिनसे वे ग्रसित रही हैं जैसे पौषाहार, शौचालय, पेयजल, ईंधन आदि एवं इन समस्याओं के समाधान पर बल दिया है जिससे कि ग्राम की महिलाओं को इनका सामना

न करना पड़े।

73वें संवैधानिक संशोधन ने विकास कार्यों में ग्रामीणजन की सहभागिता को सुनिश्चित कर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पंचायती राज की प्रत्येक विकास योजना में जनसहभागिता रहती है, चाहे वह महानरेगा हो या अन्य स्थानीय विकास योजनाएं। सभी विकास योजनाओं में प्राप्त राशि का विकास कार्यों में उपयोग किया जा रहा है जिसने ग्रामीण विकास का नवीन दिशा प्रदान की है।

निष्कर्ष – 73वें संविधान संशोधन के उपरान्त पंचायती राज संस्थाओं में परिवर्तन देखने को मिले हैं। रोजगार अथवा अन्य कारणों से गत दशकों में ग्रामीण से नगरीय झुकाव में बेतहाशा वृद्धि हुई है परन्तु आज भी तीन चौथाई से अधिक भारतीय ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। ग्राम क्षेत्र में निवासरत आम भारतीय को आज भी भूस्वामित्व, कृषि यंत्रीकरण उपज के भण्डारण से लेकर विक्रय तक में कई समस्याओं से जुझना होता है तब कही जाकर उसे अर्थव्यवस्था में निर्वाह लायक संसाधनों की प्राप्ति हो पाती है। ग्रामीण भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जो भारत की सवा सौ करोड़ जनसंख्या के जीवन का आधार है। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ग्रामीण भारत के लिए चाहे कोई भी संस्था अथवा व्यवस्था कार्य करे वह इस कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था एवं उसके अवयवों को पुष्ट करने वाली हो। अन्य देशों के वनिस्पत भारत में सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का ताना बाना इस प्रकार गठित है कि वे यहां की सभ्यता एवं संस्कृति का हिस्सा है केवल आर्थिक उद्देश्यों पर आधारित नीतियों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए संचालित कार्यक्रमों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है। इसी तरह कृषि भूमि विहीन कृषक एवं भूमि धारक किसान दोनों के लिए तकनीक एवं कार्यक्रम में भी अभी तक स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। आर्थिक गतिविधियां मानव समाज का मौलिक स्वभाव है अतः उत्पादक गतिविधियां ग्रामीण जन की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति व सामाजिक संरचना निर्माण में निर्धारक की भूमिका निभाती है। अतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कार्यक्रम एवं नीतियों को लागू करने एवं बनाने से पूर्व ग्रामीण भारत की समाजशास्त्रीय संरचना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्वशासन को राज्य द्वारा थोपा नहीं जा सकता है इसमें स्व की भावना जमीनी स्तर से ही पैदा करनी होगी। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान केन्द्रीय कार्यालयों में बैठकर नहीं किया जा सकता है। उनके बीच की समस्याओं का समाधान उनके बीच बैठकर ही निकाला जा सकता है। राजस्व शिविर हो या फिर न्याय आपके द्वार या प्रशासन गांवों के संग समस्याओं के फोरी निदान के लिए अच्छे उपाय है पर वर्ष दो वर्ष में चलने वाले ये अभियान नाकाफी है। स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए प्रश्नों का समाधान हमें ढूंढना होगा जैसे कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था ग्रामीण जन की इच्छाओं व संकल्पों के लिए कितनी जिम्मेदार है, वह किस हद तक ग्रामीणों की समस्या के लिए संवेदनशील है। समस्याओं के निराकरण के लिए आर्थिक व्यवस्थाओं का आधार क्या होगा। जनभागीदारी को किस तरह सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रजातन्त्र की आत्मा स्थानीय स्वशासन द्वारा ही सुरक्षित रखी जा सकती है ये संस्थाएं एक तरह से लोकतान्त्रिक शासन की रीढ़ हैं जो उनमें समय-समय पर आंतरिक ऊर्जा का संचार करती रहती हैं। ऐसे में यह निहायत जरूरी है कि ये संस्थाएं स्वच्छ एवं सशक्त रहे। ये ही वो संस्थान हैं जो देश के

आमजन से सीधे-सीधे जुड़ी रहकर उनको नागरिक सुविधाओं को प्रदान भी करती है। जिस कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य किया जाता है उन पर पर्यवेक्षण के द्वारा नियंत्रण रखती है। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में शक्तियों का, अधिकारों का वितरणीकरण आवश्यक है। शासन की स्थानीय इकाईयां लोकतन्त्र की आधार शिलाएं हैं जिनके द्वारा आम नागरिक नीचे के स्तर से ही शासन एवं प्रशासन का ज्ञान अर्जित कर लोकतन्त्र की मजबूती में अपना योगदान देते हैं। जिससे एक ओर नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित होता है वहीं दूसरी ओर जनजुड़ाव से स्वस्थ एवं पारदर्शी व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है जिससे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की स्वशासन की त्रिस्तरीय इकाईयां मजबूत हुई हैं एवं इसने ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाया है।

स्थानीय स्वशासी इकाईयों के लिए भी विभिन्न समितियों, संस्थाओं एवं प्रतिवेदनों को आधार बनाते हुए 73 वां संविधान संशोधन किया गया एवं संशोधन की भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की सक्षम इकाई बनाने के लिए पर्याप्त सार्थक प्रयास अब तक किए गए हैं। संस्था का सशक्तिकरण उसके प्रत्येक घटक पर निर्भर करता है। यह घटक मोटे तौर पर मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन एवं तकनीकी संसाधन है। संस्था जो कार्य कर रही है अर्थात् स्वशासन की इकाईयां एवं संस्था जिसके लिए कार्य कर रही है अर्थात् जनमानस यदि दोनों का उद्देश्य एकाकार हो

जाए एवं दोनों ही विकास को साधने में लग जाए तो कोई साध्य मुश्किल नहीं हो सकता और कोई संस्था अशक्त नहीं रह सकती।

स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायत व्यवस्था को मुकम्मल स्थान दिलाने के लिए संविधान में प्रावधान एवं समय-समय पर इसमें सुधार किया जाकर संविधान में संशोधन किए गए जिनमें 73वां संशोधन मील का पत्थर सिद्ध हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जोशी आर.पी., मंगलानी रूपा (2006) भारत में पंचायती राज हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर
2. जोशी प्रो. आर.पी., भारद्वाज डॉ. अरुणा (2009) भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3. बाबेल डॉ. बसन्ती लाल, (2011) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. बाबेल डॉ. बसन्ती लाल (2012) वृहद राजस्थान पंचायती राज कोड बाफना पब्लिकेशन, जयपुर

Websites:-

1. www.panchayat.gov.in
2. www.sfc.rajasthan.gov.in
3. www.sec.rajasthan.gov.in

तालिका संख्या 1 : सरपंच पद हेतु आरक्षण एवं निर्वाचन की स्थिति

निर्वाचन वर्ष/श्रेणी	2000			2010			2015		
	आरक्षित पद	निर्वाचित	प्रतिशत	आरक्षित पद	निर्वाचित	प्रतिशत	आरक्षित पद	निर्वाचित	प्रतिशत
सामान्य (म)	1484	847	57.08	2213	951	42.97	2412	966	40.05
अजा (म)	539	594	110.20	739	877	118.67	810	898	110.86
अजजा (म)	562	682	121.35	798	1034	129.57	912	1148	125.88
अपिव (म)	462	1035	224.03	811	1957	241.31	646	2001	309.75
सामान्य	2912	1536	52.75	2233	862	38.60	2291	844	36.84
अजा	1063	1072	100.85	858	804	93.71	959	961	100.21
अजजा	1193	1350	113.16	952	936	98.32	1062	1097	103.30
अपिव	961	2060	214.36	761	1733	227.73	783	1017	129.89
योग	9176	9176	100.00	9365	9177	97.75	9875	8932	90.45

नोट : 2020 में राज्य केवल 21 जिलों में ही निर्वाचन होने से 2020 के समंक प्राप्त नहीं

भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार: किसानों की आय एवं जीवन स्तर पर प्रभाव

डॉ. शकुंतला मीना*

* सह आचार्य, ई.ए.एफ.एम.महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि व कृषि की सहायक क्रियाओं का देश की जी डी पी में 17% योगदान है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 53% हिस्सा कृषि कार्यों में लगा हुआ है भारतीय कृषि पूर्णता मानसून व प्रकृति पर निर्भर होने के कारण उत्पादकता का निम्न स्तर बना हुआ है, कृषि जोतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर इसलिए भारतीय कृषि में सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। और जिससे किसान नई तकनीकी का उपयोग कर अधिक उत्पादन कर अपनी आय बढ़ा सके और आय में वृद्धि होने से कृषक का आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन स्तर में सुधार होगा और वह एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेगा। किसानों की आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा तो देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

शब्द कुंजी – अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, उत्पाद, समृद्ध, प्रकृति।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि क्षेत्र में 53% श्रम शक्ति का योगदान है। जीडीपी में इसका योगदान 17% है। कृषि पूर्णता मानसून पर ही निर्भर रहती है। इसमें अनिश्चित हमेशा बनी रहती है जिससे भारतीय कृषि में समस्याएं बनी रहती हैं। जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।

भारतीय कृषि की समस्याएं – भारतीय कृषि प्रति हेक्टर एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुई है। यहां सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। प्राकृतिक आपदाएं, भू संकलन की समस्या, कीट पतंगों कृषि रोग, किसानों की ऋणग्रहस्था, ढोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं का अभाव भूमि सुधारों की धीमी गति वह यहां का किसान अशिक्षित व अप्रशिक्षित, कृषि में अदृश्य बेरोजगारी जिससे यहां सीमांत उपयोगिता नगण्य या शून्य होती है। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

किसानों के हित के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. **कृषि अवसंरचना कोष (ए आई एफ) की स्थापना** – किसानों के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण सीधा प्रदान करता है।
2. **जैविक खेती को बढ़ावा** – सरकार परंपरागत कृषि के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है इसके लिए किसानों को बीज, जैव खाद, कीटनाशक, उर्वरक, वर्मी खाद आदि। जैविक आदानों के लिए वित्ताय सहायता प्रदान कर रही है।
3. **निर्यात योग्य फसलों का उत्पादन** – निर्यात योग्य फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। जिससे ऐसी फसलें उगाना जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग हो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नाशवान, नवीन स्वदेशी, जैविक, पारंपरिक व गैर परंपरागत

कृषि उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देना है। जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि हो।

सरकार ने एम.आई.डी.एच. से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए देश में सब्जियों, फल कन्द फसलों, मशरूम, मसाले, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, चाय, कॉफी रबड़, नारियल आदि में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है।

4. **खेती में तकनीकी सुधार** – सरकार खेतों में नई-नई तकनीकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे कम खर्च में आय अधिक हो सके।

5. **बीमा योजनाएं** – भारतीय कृषि जोखिमों से भरी हुई है। वह पूर्णतया मानसून पर निर्भर है। इससे सरकार ने किसानों को मौसमी व प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि बीमा योजनाएं लागू की है जिससे किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिल सके।

6. **किसानों की शिक्षा** – किसानों को खेती के नए-नए तरीके अपनाने वह बेहतर तरीके से खेती करने के लिए सरकार किसानों को शिक्षित है प्रशिक्षित कर रही है।

7. **जल संरक्षण** – जिससे वर्षा का पानी व जमीन का पानी व्यर्थ न जाए इसके लिए सरकार जलाशयों का संरक्षण, नदियों का जुड़ाव, परंपरागत जल स्रोतों का रखरखाव व सिंचाई के लिए जल परियोजनाओं का निर्माण कर रही है।

8. **किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा** – सरकार किसानों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है, जिससे उन्हें आसानी से कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज पर ऋण मिल सके और समय पर अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसकी ब्याज दर भी बहुत कम होती है लगभग 6% के आसपास समय पर ऋण

मिलने पर किसान साहूकार व महाजनों के चंगुल में नहीं फंस पा रहे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है।

9. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग वाली फसलों का उत्पादन करना, भूमि सुधार, कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, परिवहन सुविधाओं का विस्तार, भंडारण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था में सुधार जिससे बिचोलिया और दलालों की भूमिका समाप्त करना। जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन स्तर में सुधार हो सके इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

किसानों की आय पर प्रभाव:

1. सृजनात्मक कृषि तकनीक का प्रयोग जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।
2. सिंचाई में सुधार- किसानों के द्वारा नए व कुशल तरीकों का प्रयोग करने से पानी की बचत होगी वह उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
4. कृषि का यंत्रीकरण से पैसे, समय व श्रम तीनों की बचत होगी।
5. उत्पादन में वृद्धि- तकनीक व वैज्ञानिक सुधारों के कारण किसान अपनी कृषि में अधिक उत्पादन लेने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करेंगे। उनके उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है।
6. उत्पादों की गुणवत्ता- किसानों द्वारा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने से उनके उत्पाद के मूल्य पहले से अधिक हो गया है। जिससे किसान पहले से ज्यादा मुनाफा पा रहा है।
7. जल प्रबंधन व संचयन द्वारा भी समय पर फसलों को पानी मिलाने से उत्पादन अधिक व गुणवत्तापूर्ण हो रहा है जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने पर अधिक पैसे मिल रहे हैं।
8. बाजार में पहुंच- इसमें सुधार के परिणाम स्वरूप किसान अपनी फसलों को विभिन्न बाजारों तक पहुंच पा रहे हैं। जिससे आय में वृद्धि हो रही है फसल का पैसा सही समय पर किसानों के हाथों में आ रहा है।
9. नौकरियों का सृजन- कृषि क्षेत्र में सुधार से अधिक नौकरियों का सृजन होता है जिसके कारण गांव में अधिक रोजगार के अवसर मिलते हैं श्रम का शहरों की तरफ पलायन रुक जाता है।
10. समर्थन मूल्य में सुधार- के कारण कृषक अधिक मुनाफा कमा रहे हैं उनकी फसल का उन्हें पूरा पैसा मिल रहा है जिससे उनकी आय बढ़ने से किसानों का आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक जीवन में सुधार हो रहा है और वह पहले से बेहतर जीवन यापन कर पा रहे हैं।

आय में सुधार से किसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव

1. सामाजिक प्रभाव

सामाजिक सम्मान - कृषिक की आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उसको समाज में सम्मान मिलेगा।

आर्थिक सुधार - कृषक की आय में वृद्धि से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी साथ ही उसके परिवार का जीवन स्तर पहले से बेहतर होगा।

शिक्षा के स्तर में सुधार - किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने से वह अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकेंगे जिससे शिक्षा का स्तर उन्नत होगा।

आधारभूत विकास - समाज में आधारभूत विकास होगा जैसे - स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

स्वास्थ्य एवं पोषण - अधिक आय से किसान पहले से अधिक स्वस्थ आहार प्राप्त कर सकता है जिससे उनके स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण होगा।

2. आर्थिक प्रभाव

आय में वृद्धि - कृषक नई तकनीकों गुणवत्ता युक्त बीजों, बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग कर अपने उत्पादन को और अधिक कर अधिक रुपये प्राप्त कर सकता है।

उत्पादन में वृद्धि - सुधारात्मक तकनीक का उपयोग करने से उत्पादन में वृद्धि के साथ अधिक आवश्यकताओं की पूरा करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है।

उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होने के कारण उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता है जिससे कृषक को पहले से ज्यादा आय प्राप्त होती है।

आर्थिक संवर्धन - किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संवर्धन होता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होता है।

जीवन स्तर में सुधार - आय में वृद्धि से किसानों के जीवन स्तर में सुधार होगा जिससे वह बेहतर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकेंगे।

खर्च में वृद्धि - किसान पहले से अधिक खर्च कर सकेंगे जिससे बाजार में उत्पादन सेवाओं की मांग में वृद्धि भी होगी जिससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा वह मांगों को पूरा करने के लिए पहले से अधिक उत्पादों की पूर्ति करनी होगी जिससे उनके लाभ में भी वृद्धि होगी वह नये रोजगारों का सृजन भी होगा।

निवेश व बचत - कृषक की आय में वृद्धि के फल स्वरूप उनकी बचतों में वृद्धि होगी और वृद्धि होने से जमा योजनाओं में निवेश होगा जिससे बैंकों के पास पहले से अधिक साख संचयन की क्षमता होगी इससे देश का आर्थिक विकास भी होगा।

मानसिक तनाव से मुक्ति - आर्थिक रूप से सक्षम होने पर आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है।

3. राजनीतिक प्रभाव

राजनीतिक समर्थन - आय में सुधार होने से किसानों को अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकते हैं वह कृषक नीतियों का समर्थन व विरोध कर सकते हैं। जिससे सरकार उनकी आवश्यकताओं पर पहले से अधिक ध्यान देगी।

मतदान क्षमता में वृद्धि - आय में वृद्धि से किसानों को सोचने समझने की शक्ति से मतदाता क्षमता में वृद्धि होगी। वह राजनीतिक दलों पर अधिक दबाव डालने के सामर्थ्य में वृद्धि होगी।

सामाजिक संगठन - आय में वृद्धि - से किसानों के संगठनों की शक्ति व प्रभाव बढ़ेगा जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव भी जो कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचने में मदद करेगा।

राजनीतिक प्राथमिकताएं - किसानों की आय में सुधार के परिणाम स्वरूप किसानों के मुद्दे और मांगे राजनीतिक प्राथमिकताएं बन सकती हैं और सरकार को हल करने के लिए प्राथमिकता देने की दिशा में प्रेरित कर सकती है।

सरकारी नीतियों पर प्रभाव - किसानों की आय में वृद्धि से सरकार कृषि नीतियों को प्रोत्साहित वह समेकित करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। जिससे किसानों को अधिक लाभ पहुंच सके।

निष्कर्ष - यदि सरकार द्वारा सार्थक रूप से किए गए प्रयास धरातल पर भी

सफल हो जाए तो उससे किसानों की आय में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी और आय बढ़ने से किसानों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नई तकनीक का प्रयोग, रोजगार के अवसर व आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से मजबूत स्थिति में होंगे देश का किसान खुश होगा उसकी समस्याओं का समाधान समय पर होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी तीव्र गति से विकास करेगी और भारत विकसित देशों की श्रेणी में आने से कोई नहीं रोक सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गोविल डॉ आर.के.दयाल, डॉ.एस. कृषि अर्थशास्त्र, 2013-14 प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा पृष्ठ संख्या 63, 151, 216-217
2. स्वामी डॉ.एच. आर, गुप्ता डॉ वी .पी .2016-17 आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस जयपुर पृष्ठ संख्या 2.1 से 2.12
3. जाट प्रोफेसर डी.आर.वशिष्ठ डॉ. वी .के . भिंडा ,डॉ पी .सी, जैन दीपा, 2011 12 प्रकाशक अजमेर बुक कंपनी 12.1 से 12.5, 14.12 से 14-17, 15.1 से 15.3
4. गुप्ता डॉ. बी.पी. स्वामी डॉ.एच .आर .2011-12, आर.बी.डी. पब्लिकेशंस जयपुर, पृष्ठ संख्या 15.1 से 15.16. 17.12 से 17.17
5. मिश्र डॉ.शिवगोपाल भारतीय कृषि के सिद्धांत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा विभाग भारत सरकार।
6. कात्यायन अरुण कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत
7. डॉ. हरिशंकर प्रसाद सिंह भारत में कृषि शिक्षा का विकास बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना
8. Website: National bank for agriculture and rural development (NABARD)
9. Website: Indian council of agriculture research (ICAR)

अनुसूचित जनजाति समाज के विकास का विकास एवं जनप्रतिनिधि -मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

विरेन्द्र अजनेर*

* पीएच.डी शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - जनप्रतिनिधि वह व्यक्ति है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी माना जाता है। वर्तमान परिपेक्ष्य में जनप्रतिनिधियों का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इनके द्वारा विकास के प्रत्येक पहलुओं पर कार्य किया जाता है। देश के पिछड़े एवं जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की जब बात की जाती है, तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

शब्द कुंजी - अनुसूचित जनजाति, विकास, जनप्रतिनिधि।

प्रस्तावना - भारत में जनजातीय विकास की अवधारणा के संकल्प को पूरा करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिनका क्रियान्वयन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। इन जनप्रतिनिधियों में विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता होने के कारण वे उस क्षेत्र विशेष के प्रति संकल्पित होते हैं।

शोध विषय का चयन - शोध कार्य के लिए मध्यप्रदेश के जनजाति बाहुल्य धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले के जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रीय विकास में किस प्रकार का योगदान रहा है? इन जनप्रतिनिधियों के प्रति क्षेत्र के लोगों का विचार कैसा है? इन समस्त प्रासंगिक प्रश्नों को आधार बनाकर ही **जनजातीय वर्ग के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका-मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन** नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनप्रतिनिधियों के संबंध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं के अभिमतों का विश्लेषण करना।
2. जनप्रतिनिधियों एवं उत्तरदाताओं की विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त सुझाव।

अध्ययन का महत्व - इस शोध कार्य के माध्यम से जनजातीय वर्ग के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों प्रति क्षेत्र के लोगों की विचारधारा का पता चल सकेगा, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास की नीतियों का निर्धारण करने वाले नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त यह शोध अध्ययन नवीन शोधकर्ताओं के लिए काफी लाभदायक होगा।

अध्ययन का क्षेत्र - शोध कार्य के अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य धार जिले का चयन किया गया है। धार जिले में कुल 07 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित

जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें कुक्षी, मनावर, गंधवानी, धरमपुरी एवं सरदारपुर शामिल है। इसी प्रकार से जिले में कुल 13 जनपद पंचायतें हैं, जिसमें धार, तिरला, कुक्षी, बाग, निसरपुर, डही, मनावर, उमरबन, गंधवानी, सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, नालछा आदि शामिल है। इनमें से सर्वाधिक जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधि जनजाति वर्ग के हैं।

निर्दर्शन प्रक्रिया

1. अध्ययन का समग्र - इस शोध कार्य के **समग्र** के रूप में अध्ययन हेतु चयनित धार जिले के जनजातीय वर्ग के जनप्रतिनिधियों को एवं जिले के उन लोगों को शामिल किया गया है, जो जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र में निवास करते हैं।

2. अध्ययन की इकाई - अध्ययन के **समग्र** में से अध्ययन की **इकाई** के रूप में धार जिले की जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों एवं जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधि और प्रत्येक जनपद पंचायत से कुल 1 और 20 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत से 12 उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन - इस महत्वपूर्ण शोध कार्य की पूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। धार जिले की 05 विधानसभाओं एवं जनपद पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का चयन **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत से कुल 20 (20x12) लोगों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। इस प्रकार जिले की कुल 10 जनपद पंचायतों के 260 उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है-

आँकड़ों का संकलन - इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत - अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित

किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार 76.47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है, वहीं 23.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका निरीक्षण नहीं किया जाता है। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार गाँव में जो विकास/निर्माण कार्य करवाया जाता है, जनप्रतिनिधियों द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है।

2. निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से मिलने के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार 32.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से मिले थे, जबकि 67.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से नहीं मिले।

3. निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में सकारात्मक जवाब के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार 69.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से मिले थे, तो उनका सकारात्मक जवाब मिला। 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उक्त संबंध सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार निर्माण कार्य संबंधी समस्या/सुझाव के बारे में जनप्रतिनिधि से मिले थे, तो उनका सकारात्मक जवाब मिला।

4. निर्माण कार्य से गाँव के विकास स्तर से संतुष्टि के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार 81.82 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्माण कार्य से गाँव के विकास स्तर से वे संतुष्ट हैं, जबकि 18.18 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार निर्माण कार्य से गाँव के विकास स्तर से वे संतुष्ट नहीं हैं। इस

प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का अभिमत है कि वे निर्माण कार्य से गाँव के विकास स्तर से संतुष्ट हैं।

5. गाँव के विकास में समस्या के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के 78.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि गाँव के विकास में समस्याएँ आती हैं। दूसरी ओर 21.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया है कि गाँव के विकास में समस्याएँ नहीं आती हैं। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार गाँव के विकास में समस्याएँ आती हैं।

6. गाँव के विकास के लिए सुझाव के प्रकार के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार 82.32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्पष्ट किया है कि गाँव के विकास के लिए समय पर आवंटन प्राप्त होना चाहिए, वहीं 17.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार उक्त आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि ज्यादातर उत्तरदाताओं का सुझाव है कि गाँव के विकास के लिए समय पर आवंटन प्राप्त होना चाहिए।

उपसंहार – अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त समकों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बहुत ही योगदान है और इन जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र विकास की दिशा में सतत आगे बढ़ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, श्यामधर (1982), 'वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व', कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
2. गुप्ता, रमणिका (2015), 'आदिवासी विकास से विस्थापन', राज प्रकाशन समूह, नई दिल्ली, पृ. 23
3. तिवारी, राकेश कुमार (1990), 'आदिवासी समाज में आर्थिक परिवर्तन', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 56
4. झा, प्रभात (2013), 'जो कहा, सो किया विकास-पथ मध्यप्रदेश', प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 56
5. किशोर, अमरेन्द्र (2005), 'जंगल जंगल लूट मची हैं', राजकमल प्रकाशन समूह, नई दिल्ली, पृ. 19

जनजातीय विकास में शासकीय योजनाओं का महत्व – मध्यप्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

मेघा रावत*

* पीएच.डी शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – लोकतांत्रिक देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उस देश की कल्याणकारी सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत जैसा विकासशील देश ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना सबसे पहली प्राथमिकता होती है।

शब्द कुंजी –आर्थिक-सामाजिक विकास, ग्रामीण क्षेत्र।

प्रस्तावना – ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड़ लिया और अति पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ-साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे 'विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विभाग' का नाम दिया गया। इसके बाद देश के ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। विकास का दृष्टिकोण देश के अति पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों की ओर भी किया गया है, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों का भी सर्वांगीण विकास हो सके।

शोध विषय का चयन – जनजातीय वर्गों के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत किए जाने वाले विकास के क्या पूर्ण हो पाते हैं या नहीं ? आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? इन पहलुओं का अध्ययन करने के लिए ही **जनजातीय विकास में शासकीय योजनाओं का महत्व – मध्य प्रदेश के धार जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन** नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :

1. जनजातीय क्षेत्रों में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं के उत्तरदाताओं पर होने वाले विभिन्न प्रभावों का विश्लेषण करना।

अध्ययन का क्षेत्र एवं महत्व – मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में धार जिले में भी जनजाति विकास के लिए अनेक शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और जनजातीय विकास की दृष्टि से मध्यप्रदेश एवं देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पहलू को ध्यान में रखकर ही इस शोध कार्य के लिए धार जिले का चयन किया गया है।

निर्दर्शन प्रक्रिया :

1. **अध्ययन का समग्र** – इस शोध कार्य के समग्र के रूप में अध्ययन हेतु चयनित जनजातीय बाहुल्य धार जिले के चयनित उत्तरदाता हैं।

2. **अध्ययन की इकाई** – अध्ययन के समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में धार जिले के चयनित गाँवों से कुल 400 लोगों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – इस शोध कार्य के लिए उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन क्षेत्र से उत्तरदाताओं का चयन **दैव निदर्शन पद्धति** से किया गया है। उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले की 8 तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से 50 व्यक्तियों का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया। इस प्रकार जिले से कुल 400 उत्तरदाताओं (50x8= 400) का चयन **अध्ययन की इकाई** के रूप में किया गया।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष

1. **विशेष केन्द्रीय सहायता से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई के संबंध में प्राप्त समकों के अनुसार** विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 85.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हुई है। 14.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित अधिकांश उत्तरदाताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

2. **विशेष केन्द्रीय सहायता से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में**

कठिनाई के प्रकार के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित जिन उत्तरदाताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उनमें से 59.09 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कागजी कार्यवाही से संबंधित कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। 40.91 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आवंटन संबंधी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित अधिकांश सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में कागजी कार्यवाही संबंधी कठिनाई होने की पुष्टि की है।

3. विशेष केन्द्रीय सहायता के क्रियान्वयन हेतु सुझाव के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित जिन उत्तरदाताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई हुई है, उनमें से 77.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं का सुझाव है कि सहायता प्राप्त करने में कागजी कार्यवाही को न्यूनतम होना चाहिए, जबकि 22.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं है कि स्वीकृत राशि समय पर मिलना चाहिए। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि विशेष केन्द्रीय सहायता से संबंधित सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने सहायता प्राप्त करने में कागजी कार्यवाही को न्यूनतम करने से संबंधित सुझाव दिया है।

4. आवास सहायता योजना से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार आवास सहायता योजना से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है और 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हुई है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आवास सहायता योजना से संबंधित अधिकांश उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

5. आवास सहायता योजना के अधिकतम लाभ हेतु सुझाव के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार आवास सहायता योजना से संबंधित कुल उत्तरदाताओं में से 74.03 प्रतिशत उत्तरदाताओं आवास सहायता योजना

की राशि समय पर प्रदाय करना चाहिए। वहीं 25.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरल कागजी प्रक्रिया करने के पक्ष में अपना सुझाव दिया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आवास सहायता योजना से संबंधित सबसे अधिक उत्तरदाताओं ने राशि समय पर प्रदाय करने के संबंध में सुझाव दिया है।

6. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अधिकतम लाभ के लिए सुझाव के संबंध में प्राप्त समंकों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के जिन उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, उनमें से 82.17 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में जो कागजी कार्यवाही की जाती है, उसे कम करना चाहिए, वहीं 17.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं का सुझाव है कि प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होना चाहिए। इस प्रकार उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कागजी कार्यवाही कम करने के संबंध में सुझाव दिया है।

उपसंहार - उक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यप्रदेश के धार जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इन कठिनाईयों को दूर करते हुए जनजातीय वर्ग अपना विकास कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हसनैन, नदीम (2000), जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. 11.
2. भारत की जनगणना, 2011, मध्यप्रदेश श्रृंखला-24
3. मेहता, प्रकाशचन्द्र (1993), भारत के आदिवासी, शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृ. 109
4. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार-2017
5. मध्यप्रदेश की योजनाएँ, मध्यप्रदेश शासन-2017

काव्य शास्त्रेषु वर्णित काव्य-प्रयोजन-कारणस्वरूपनिर्णयः

डॉ. बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय*

* सहायक प्राध्यापक, पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – काव्य सौन्दर्य की परख रखने वाले शास्त्र का नाम 'काव्यशास्त्र' है। सामान्य रूप से 'शास्त्र शब्द शासनात् शास्त्रं' शासन करने वाला होने से शास्त्र कहलाता है। शासन का अर्थ मनुष्य को किसी कार्य में प्रवृत्त करना या किसी कार्य से निवृत्त करना होता है। वेद, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थ मनुष्यों को सत्कर्म में प्रवृत्त होने और असत्यकार्यों से निवृत्त होने का आदेश देते हैं। इसी इसी लिये शास्त्र कहे जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ में लिखा है- 'रामादिवत्प्रवर्तितव्यम् न रावणादिवत्'।

प्रस्तावना – साहित्यदर्पणकार आचार्यविश्वनाथ की काव्य परिभाषा है- 'वाक्यं रसात्मकं काव्यं'-इसमें काव्य का लक्षण नहीं अपितु काव्य की प्रशस्ति है। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं मानो हम किसी विशिष्ट काव्य-कृति की अनुभूतियों के आनन्द से अविभूत होत हैं।

'तददोषी शब्दार्थो सगुणावलंकृती पुनः क्वापि'²

आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में किसी भी पदार्थ का अव्याप्ति अतिव्याप्ति, तथा असम्भव- तीनों प्रकार के दोषों से रहित एकदम निर्दुष्ट लक्षण प्रस्तुत करना यो ही कठिन होता है। पर काव्य प्रकाशकार ने जो इस दिशा में प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। इसी प्रकार काव्य परिभाषा में पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा- 'रमणीयार्थ पतिपादकः शब्दः काव्यम्' -

यह काव्य लक्षण वस्तुतः इस काव्य परिभाषा के ऐतिहासिक विकास की सूचना है। इसमें संदेह नहीं कि 'रसात्मकं वाक्यं काव्यम्' में कवि की उस शब्दवीणा का संकेत किया जा रहा है जो कि 'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' की परिभाषा के रूप में झलक उठता है अथवा शब्दवीणा की उस वादन शैली की सूचना दी जा रही है। जिसे 'तददोषी शब्दार्थो सगुणावलंकृती पुनः क्वापि' के मंत्र की साधना के रूप में समझा जाय।

काव्य – साहित्य शास्त्र का दूसरा नाम काव्य शास्त्र है, कुन्तक ने साहित्य शब्द के यथार्थ का प्रतिपादन करते हुये जहा अपना मत प्रतिपादित किया है, कि शब्द और अर्थ के विशिष्ट संबंध को साहित्य कहते हैं साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त साहित्य शब्द, काव्य अर्थ में सीमित हुआ समझना चाहिए। काव्य और साहित्य समनार्थक है। काव्य का अर्थ है-

'कवेः कर्मम्' - कवि का कर्म साहित्य का अर्थ है-

सहितयोः 'शब्दार्थयो भावः साहित्यम्'।

अर्थात् एक साथ सम्मिलित शब्द और अर्थ का भाव साहित्य कहलाता है। काव्य में शब्द और अर्थ के परस्पर समन्वय का परिणत फल होता है। तथा साहित्य में शब्द और अर्थ परस्पर स्पर्धा कर रमणीय होते हैं। साहित्य शास्त्र पर लिखे हुये 'काव्यालंकार, काव्यालङ्कारसूत्र काव्यादर्श और काव्यप्रकाश आदि ग्रन्थों के नामों को देखकर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर में साहित्यशास्त्र को ही काव्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है- भोजदेव ने 'स्वरचित' सरस्वतीकण्ठाभरण में सर्वप्रथम काव्यशास्त्र पद

का प्रयोग किया है।

'काव्यं शास्त्रेतिहासीच काव्य शास्त्रं तथैवंच।

काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम्'।।³

इस प्रकार से भोज देव ने काव्य, काव्यशास्त्र और काव्येतिहास तीनों को विधि - प्रतिषेध का ज्ञान कराने वाला माना है। जैसे किसी सुन्दर दृश्य के देखने अथवा मधुर ध्वनि के सुनने से ओह अथवा अहो का विस्मयाभिव्यंजक शब्द निकल पड़ता है, वैसे ही 'रामायण' और रघुवंश, महाभारत और 'किरातार्जुनीय' आदि सुन्दर और सुमधुर कृतियों के अनुभव से 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' का अहोकार हो उठता है। इसमें सन्देह नहीं की जिसे वस्तुतः काव्य या कविता कहते हैं। उसकी आनन्दमयात्मक अनुभूति के देखते 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' की परिभाषा उपनिषद् वाक्य सी लगती है। इससे काव्य की रहस्यमयी भावनाये छिपी है। कवियों की कला के रहस्य का संकेत छिपा है। सहृदयों की सहृदयता की कसौटी छिपी है। जो बताना तो चाहती है कि काव्य क्या है? किंतु यह न बताकर कविता पर कविता करने लगती है। यदि हम कविराज विश्वनाथ के काव्य लक्षण को 'काव्य' विषय का ध्वनि कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

'तदोषी शब्दार्थो सगुणावलंकृती पुनः क्वापि'

कैसे? विश्वनाथ ने यहां कहा है।

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' - अर्थात् काव्य वह वाक्य है जो रसात्मक हो अथवा जिसका अन्तस्तत्त्व रस हो। किंतु ऐसा कहने से यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि वाक्य क्या वस्तु है जिसमें रसरूप आत्मा का अस्तित्व रहा करता है। कहना पड़ेगा कि वाक्य वह पदकदम्ब है जिसमें आकांक्षा, योग्यता, और आशक्ति के तत्व विराजमान रहा करते हैं-

'वाक्य स्याद, योग्यताकांक्षासतियुक्तः पदोच्चयः'।⁴

'वाक्य' की इससे विशद परिभाषा क्या होगी। यह 'वाक्य' जब रसात्मक हो तो काव्य है इस प्रकार का वाक्य कैसे रसात्मक हो? यह एक समस्या है। वाक्य अपने आप रसात्मक नहीं हो सकता चाहे वह कैसे भी साकांक्ष योग्य और आसत्तिमय पदों का संदर्भ अथवा समूह क्यों न हो। वाक्य में 'रसरूप' आत्म तत्व का आधान भी कवि का ही काम है। कवि ही वाक्य बनाता है और वही उसमें रसरूप अनुभव-परमार्थ का आधान करता है जो कि अन्त में

सहृदय के रसानुभव का स्रोत बन जाता है जब तक कवि वाक्य रचना न करे तब तक अपनी रस रूप आत्मा को कहा बैठावे। कहा ले जाय? इसलिये कवि को वाक्य तो बनाना ही पड़ेगा।

कहने का अभिप्राय यह है कि 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' की काव्य परिभाषा अपनी उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संकेत करती रहती है। जिसमें काव्य-अदोष, सगुण और उचित रूप से अलंकृत शब्दार्थ-संदर्भ के रूप में दिखायी देता है।

'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'⁵

यह काव्य लक्षण पं. राजजगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक ग्रन्थ में की है। यह ध्वनि वस्तुतः इस काव्य परिभाषा के ऐतिहासिक विकास की सूचना है। बात यह है कि जब रसात्मक 'वाक्य' को काव्य कहा जाय तब वाक्य के रचनात्मक उपकरण तक पहुँचना आवश्यक हो जाता है। 'इस' से बढ़ कर रमणीय अर्थ और क्या हो सकता है यह रमणीय अर्थ जिसे रस कहते हैं काव्य की आत्मा है। इसलिये रसात्मक वाक्य को काव्य कहने से यही अभिप्राय निकलता है कि

'रमणीयार्थ प्रतिपादक' - वाक्य काव्य है। वह वाक्य पद समूह है। किंतु समूह तो पद को ही समूह है इसलिये यदि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक पद को काव्य कहा जाय तो आपत्ति क्या है। और यदि पद के बदले शब्द कहा जाय, जैसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा ही है विश्वनाथ के काव्य लक्षण के बारे में-

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' रस एवं आत्मा साररूप तथा जीवनधारा यद् वाक्यं। तेन बिना = रसेन बिना = तस्य = वाक्यस्य काव्यत्वाऽभावस्य प्रतिपादित्वात् अन्यथा **'देवदत्तो ग्रामं याति'** इत्यत्र 'तद्भृत्यानुसरणरूप व्यंग्यस्यापि काव्यत्वं स्यात्'⁵

काव्य प्रयोजनम्

'विषयश्चाधिकारी च सम्बन्धश्च प्रयोजनमिति'

'कथनेनानुबन्धचतुष्टये प्रयोजनस्य विशिष्टोऽपि हिमस्ति प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तत इत्युक्तमपि'। जनः किमपि कर्तुं केनाऽपि विशेष प्रयोजनेनोद्देश्येन वा संलग्नो भविति। एतस्मात् काव्यस्य प्रयोजनं 'कृत्याकृत्यप्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेश एवेति'। काव्य प्रयोजनस्य विषये पुरातन कालादारभ्याधुनिककालपर्यन्तमालङ्कारिकाः स्वमतं प्राकटयन्'⁶

मम्मट प्रतिपादित काव्य प्रयोजन-

'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये

सद्यः पर निवृत्तये कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे'।।'

आचार्य मम्मट ने काव्य के छह प्रयोजन दिखलाये हैं।

इसमें से 'कान्ता सम्मित' तथा 'उपदेश युजे' इसकी व्याख्या करते हुये उन्होने वेदादिशास्त्र तथा पुराण-इतिहासादि से काव्य का भेद और उसकी उपादेयता का प्रतिपादन बड़े अच्छे ढंग से किया है। काव्य के प्रयोजन में यश धन आदि अन्य प्रयोजनों के साथ कर्तव्याकर्तव्य का उपदेश करना भी एक मुख्य प्रयोजन है। वेद-शास्त्र इतिहास-पुराण आदि की रचना भी मनुष्यों को शुभ-कर्मों में प्रवृत्त करने तथा अशुभ कर्मों से निवृत्त करने के लिये ही की गई है। परंतु काव्य की उपदेश शैली उन सबसे विलक्षण है। इस विनक्षणता का उपपादन करने के लिये ग्रन्थकार ने शब्दप्रधान, अर्थप्रधान तथा रसप्रधान तीन तरह की उपदेश शैलियों की कल्पना की है। जिसको क्रमशः 'प्रभुसम्मित', 'सुहृदसम्मित', तथा 'कान्तासम्मित' पदों से निर्दिष्ट किया है। वेद शास्त्र आदि की शैली 'प्रभुसम्मित' या शब्दप्रधान शैली है।

राजाज्ञायें तथा राजकीय विधान सदा शब्द प्रधान होते हैं। उनमें जो कुछ आज्ञा दी जाती है। उसका अक्षरसः पालन अनिवार्य होता है। इसी प्रकार वेद शास्त्र आदि में उपदेश दिये गये हैं। उनका अक्षरसः पालन करना भी अभीष्ट होता है। दूसरी उपदेश शैली इतिहास-पुराण आदि की है। इनमें वेद-शास्त्र आदि के समान शब्दों की प्रधानता नहीं होती है अपितु अर्थ पर विशेष बल दिया जाता है। इस लिये उनका अक्षरसः पालन आवश्यक नहीं होता है। अपितु उनके अभिप्राय का अनुसरण किया जाता है। इसको ग्रन्थकार ने **'सुहृदसम्मित' शैली कहा है।** मित्र अपने मित्र को उचित कार्य का अनुष्ठान करने तथा अनुचित कार्य का परित्याग करने का उपदेश करता है। परंतु उसका उपदेश राजाज्ञा के समान शब्द प्रधान नहीं होता है। उसका तात्पर्य अर्थ में होता है। इसलिये अर्थ में तात्पर्य रखने वाली इस दूसरे प्रकार की उपदेश-शैली को ग्रन्थकार ने **सुहृदसम्मित शैली कहा है।** इतिहास-पुराण आदि का अन्तर्भाव इस शैली के अन्तर्गत है। काव्य की उपदेश शैली इन दोनों से भिन्न प्रकार की होती है। इसमें नशब्द की प्रधानता होती है और न अर्थ की। वहां शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणीभाव होकर केवल रस की प्रधानता होती है। इस शैली को आचार्य मम्मट ने **'कान्तासम्मित उपदेश शैली'** नाम दिया है। जब किसी काम में पुरुष को पृवत्त या किसी कार्य से उनको निवृत्त करती है। तब वह अपने सारे सामर्थ्य से उसको सरस बनाकर ही उस प्रकार की प्रेरणा करती है। इसलिये **कान्तासम्मित-शैली** में शब्द तथा अर्थ दोनों का गुणीभाव होकर इसकी प्रधानता हो जाती है। इसलिये इसको **प्रधान शैली** कहा जाता है। मम्मटाचार्य ने काव्य की उपदेश शैली को इस श्रेणी में रखा है। काव्य के पढ़ने से भी रामादि के समान आचरण करना चाहिए, रावणआदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। परंतु उसमें शब्द या अर्थ की नहीं अपितु रस की प्रधानता होती है। काव्य के रसास्वादन के साथ-साथ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भी मनुष्य को होता जाता है। यह शैली वेदशास्त्र की शब्द प्रधान तथा इतिहास पुराण आदि की अर्थप्रधान दोनों शैलियों से भिन्न और सरसता के कारण अधिक उपादेय है। इसलिये काव्य के विषय में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि चतुर्वर्ग की प्राप्ति काव्य से हो जाती है।

वामनाभिमत काव्य-प्रयोजन- आचार्य भम्मट ने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश में छह काव्य प्रयोजनों की बात बड़े प्रमाणित तरीके से रखी है लगभग उसी प्रकार के काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन उनके पूर्व वर्ती आचार्यों ने भी किया है। इनमें वामनाचार्य के काव्य प्रयोजन सबसे अधिक संक्षिप्त है। उन्होने केवल दो प्रयोजन माने हैं। एक कीर्ति और दूसरा प्रीति या आनन्द

यथा- **'काव्यं सदृष्टार्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्।'**⁸

इनमें से प्रीति अर्थात् आनन्दानुभूति को काव्य का दृष्ट प्रयोजन तथा कीर्ति को काव्य का अदृष्टार्थ प्रयोजन माना है। और इस पर बल दिया है।

प्रतिष्ठां काव्यबंधस्य यशसः सरणिं विदुः।

अकीर्तिवर्तिनीं त्वेवं कुकवित्वविडम्बनाम्।

कीर्तिं स्वर्गफलामादुरासंसारं विपश्चितः।

अकीर्तिन्तु निरालोकनरकोदेशदूतिकाम्।

तस्मात् कीर्तिमुपादातुमकीर्तिं च व्यपोहितुम्।

काव्या लङ्कार सूत्रार्थः प्रसाद्यः कविपुङ्गवैः।।'⁹

भामह प्रतिपादित काव्यप्रयोजन- वामन के भी पूर्ववर्ती आचार्य भामह ने इनकी अपेक्षा अधिक विस्तार के साथ काव्यप्रयोजनों का वर्णन निम्नप्रकार

से किया है।- 'धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च।

वरोति कीर्तिप्रीतिं च साधुकाव्य निबन्धनम्॥¹⁰

उत्तम काव्य का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों तथा समस्त कलाओं में निपुणता और कीर्ति एवं प्रीति अर्थात् आनन्द को उत्पन्न करने वाली होती है। भामह के इस श्लोक को उत्तरवर्ती सभी आचार्यों ने आदर पूर्वक अपनाया है। इसके अनुसार कीर्ति तथा प्रीति के अतिरिक्त पुरुषार्थ- चतुष्टय कला तथा व्यवहार आदि में निपुणता की प्राप्ति भी काव्य का प्रयोजन है। कीर्ति को काव्य का मुख्यप्रयोजन बतलाते हुये कुछ श्लोकों में काव्य प्रयोजन का अभिप्राय बताया है-

**'उपेयुषामपि दिवं सन्निबन्धविद्यायिनाम्।
आस्त एवं निरातङ्ग कान्तं काव्यमयं वयुः।
रुणद्धि रोदसी चास्य यावत् कीर्तिरनश्वरी।
तवत् किलायमध्यास्तेसुकृती वैबुधं पदम्॥
अतोऽभिवाञ्छता कीर्तिं स्थेयसीमा भुवःस्थितेः।
यत्नो विदित वद्येन विधेयः काव्य लक्षणः॥
सर्वथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्।
विलक्ष्यणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते॥
नाकवित्वमधर्माय व्याधये दण्डनाय वा
कुक्कवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुर्मनीषिणः॥'¹¹**

भामह द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन बताते हैं कि उत्तम काव्यों की रचना करने वाले महाकवियों के दिवङ्गत हो जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य रूपी शरीर 'यावच्चन्द्र दिवाकरौ' तक अक्षुण्ण बना रहता है। और जब तक उनकी अनश्वर कीर्ति इस भू-मण्डल तथा आकाश में व्याप्त रहती है। तब तक वे सौभाग्यशाली पुण्यात्मा देवपद का भोग करते रहते हैं।

कुन्तक-प्रतिपादित काव्यप्रयोजन।

कुन्तक ने अपने वक्रोक्तिजीवितम् में और भी अधिक स्पष्ट किया। उन्होने काव्य के प्रयोजनों का निरूपण करते हुए लिखा है-

**'धर्मादिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः।
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाङ्गादकारकः॥
व्यवहारपरिस्पन्द सौन्दर्य व्यवहारिभिः।
सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते॥
चतुर्वर्गफलः स्वादव्यतिक्रम्य तद्विदाम।
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्रकारो वितन्यते॥'¹²**

काव्य की रचना अभिजात = श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न = राजकुमार आदि के लिये सुन्दर एवं सरस ढंग से कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धी का सरल मार्ग है। और सत्काव्य के परिज्ञान से ही व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों को अपने-अपने व्यवहार का पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे उत्तम यह है कि काव्याध्ययन से सहृदयों के हृदय में चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति से भी बढ़कर आनन्दानुभूति चमत्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आचार्य कुन्तक ने काव्य प्रयोजन स्वाचरित वक्रोक्तिजीवितम् ने कहा है।

भरतमुनि प्रतिपादित काव्य प्रयोजन- काव्य शास्त्र के आद्याचार्य भरतमुनि ने काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुये नाट्य शास्त्र में काव्यप्रयोजन का वर्णन इस प्रकार से किया है-

**उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंश्रयम्।
हितोपदेशजननं धृति-क्रीडा-सुखादिकृतम्॥**

दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्।

विश्रान्तिजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति॥

धर्म्य यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविनिर्द्दनम्।

लेकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति॥¹³

उत्तरवर्ती आचार्यों ने भरतमुनि विचरित नाट्य प्रयोजन को आधार मानकर अपने-अपने काव्यों के प्रयोजन का निरूपण किया है। इस प्रकार से अधिकांश आचार्यों ने कीर्ति और यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है।

विश्वनाथ प्रतिपादित काव्यप्रयोजन- काव्य के प्रयोजनों का निरूपण तो अलंकारिक आचार्य परम्परा से करते आ रहे हैं। किंतु काव्य समीक्षा के प्रयोजनों का विचार संभवतः सर्वप्रथम विश्वनाथ कविराज ने किया है-

'चतुर्वर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि।

काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते॥'¹⁴

काव्य एक ऐसी वस्तु है जिससे अल्पबुद्धि मानव को बिना किसी कष्टसाधना के धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष रूप पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति हुआ करती है इसलिये काव्य और काव्य समीक्षा के विभिन्न कृतियों में कवि और समीक्षा की एकता और एकरसता का अनुसंधान कर विश्वनाथ कविराज में जो प्रयोजनैव्य सिद्ध किया है। वह एक मौलिक कृत्य है और काव्य किंवा अलंकार शास्त्र की अपृथक सिद्धता को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है साहित्यदर्पणकार ने मम्मटोक्त प्रयोजन षट्क की समीक्षा में काव्य और काव्यालोचन के पुरुषार्थ प्राप्ति रूप समान प्रयोजन का निष्कर्ष निकाला है। वैसे तो मम्मट निर्दिष्ट 'षट् प्रयोजन' में ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का रहस्य समाया हुआ है और इस दृष्टि से मम्मट प्रतिपादित प्रयोजन षट्क का खण्डन नहीं हो सकता। किंतु इतना अवश्य है जो बात मम्मट के मत में गूढ़ रूप से है वह विश्वनाथ कविराज के समीक्षण में स्पष्ट हो गई है। कि शास्त्र और काव्य के अधिकारियों के वैयक्तिक भेद-भाव को भी प्रमाणित करती प्रतीत हुई, चाहे जो भी हो। विश्वनाथ कविराज ने 'शास्त्र' और 'काव्य' के अधिकारियों के व्यक्तित्व का जो भेद प्रतिपादन किया है वह कोई कपोल कल्पना नहीं किंतु एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। आधुनिक मनोविज्ञानशास्त्रियों ने भी कवि किंवा सहृदय Introvert (अन्तर्मुखी वृत्ति वाले) और विज्ञान प्रेमी को Extrovert (बहिर्मुखी वृत्ति वाले) सिद्ध किया है। कविराज विश्वनाथ की धारणा में 'सुकुमारबुद्धि' और 'परिणतबुद्धि' का जो अभिप्राय है उसमें आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्र के उपर्युक्त विश्लेषण का भी रहस्य बहुत कुछ अर्तनिहित है इस प्रकार से काव्य शास्त्रों में वर्णित काव्यप्रयोजन कारक एवं स्वरूप स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है जिसे अधिक विस्तार से अध्ययन करना हो वे 'साहित्यदर्पणस्यालङ्कार शास्त्रीयमनुशीलनम्' नामक शोध प्रबंध (2006) का अध्ययन करके इसके बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. साहित्यदर्पण प्रथम परिच्छेद पृष्ठ-3
2. काव्यप्रकाश 1-4
3. सरस्वतीकण्ठाभरणम् 2-139
4. साहित्यदर्पण - 2-1
5. डॉ० वृजेन्द्र कुमार पाण्डेय (2006) 'साहित्यदर्पणस्यालङ्कार शास्त्रीयमनुशीलनम्' शोध प्रबंध पृष्ठ-71

- | | |
|--|---|
| 6. डॉ० वृजेन्द्र कुमार पाण्डेय (2006) 'साहित्यदर्पणस्यालङ्कार
शास्त्रीयमनुशीलनम्' शोध प्रबंध पृष्ठ-52 | 10. भामाह काव्यालङ्कार 1-2 |
| 7. काव्यप्रकाश - 1-2 | 11. भामाह काव्यालङ्कार 1-6- 12 |
| 8. काव्यालङ्कारसूत्र 1-1 | 12. वक्रोक्तिजीवितम प्रथम उन्मेष 3-5 कारिका |
| 9. काव्यालङ्कारसूत्र 1-5 | 13. भरतमुनि नाट्यशास्त्र- अध्यायप्रथम-श्लोक 13-15 |
| | 14. साहित्यदर्पण प्रथम परिच्छेद पृष्ठ-2 |

इजरायल में न्यायिक सुधार एवं विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएँ

उदयवीर सिंह गुर्जर *

* पीएच.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवम् लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इजरायल सरकार द्वारा अनुमोदित न्यायिक सुधार जो न्यायिक नियुक्ति, न्यायिक समीक्षा व अटॉर्नी जनरल की मौजूदा व्यवस्था को संशोधित करते हैं। जो कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर भी अंकुश लगाते हैं। इससे इजरायल के लोकतंत्र की शक्ति संतुलन की मौजूदा व्यवस्था प्रभावित होगी। भविष्य में इजरायल का उदारवादी स्वरूप नष्ट होकर धर्मतंत्र के अतिवाद में परिवर्तन की आशंकाएँ व्यक्त की जा रही हैं। अन्ततः नागरिक स्वतंत्रता व मानवाधिकारों के उल्लंघन से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

शब्द कुंजी – इजरायल, नेसेट, न्यायिक सुधार, शक्ति संतुलन, लोकतंत्र, मानवाधिकार।

प्रस्तावना – इजरायल के न्याय मंत्री यारिव लेविन ने जनवरी 2023 में न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव को इजरायल की संसद नेसेट में आम सहमति हेतु रखा। नेसेट ने इस न्यायिक सुधार प्रस्ताव को जुलाई 2023 में आम सहमति से पारित कर कानून का रूप दिया। सुधार प्रक्रिया का मुख्य एजेंडा न्यायिक नियुक्ति, न्यायिक समीक्षा व अटॉर्नी जनरल की प्रचलित वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करना है। इसके प्रत्युत्तर में इजरायल में व्यापक साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन हुए। क्योंकि विरोध प्रदर्शनकर्ताओं का मानना है कि सरकार के न्यायपालिका में हस्तक्षेप से शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रभावित होगा।¹ वहीं सरकार व उसके समर्थकों का मत है कि न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर रही है जिससे सरकार के जनप्रतिनिधित्व की अवहेलना होती है।

अतः शक्ति के यथोचित संतुलन हेतु सुधार वर्तमान समय की आवश्यकता है। पक्ष-विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं किन्तु न्यायिक सुधार कुछ अंश में ही सही इजरायल की न्यायिक संरचना को प्रभावित करते हैं जिससे भविष्य में इजरायल में दक्षिणपंथी गठबंधन सरकारों द्वारा वामपंथ व अन्य उदारवादी, अल्पसंख्यक समूहों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की चिन्ताएँ अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी आदि द्वारा व्यक्त की हैं।

शोध के उद्देश्य :

1. न्यायिक सुधारों द्वारा इजरायल की न्यायिक संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना।
2. इजरायल में किए गए न्यायिक सुधार के संबंध में विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं को जानना।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध-पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्य एवं जानकारी एकत्रित की गई है। द्वितीयक स्रोतों के अन्तर्गत शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध-पत्र व समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई है तथा इनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

इजरायल में प्रस्तावित व अनुमोदित न्यायिक सुधार :

सुधार निम्नांकित प्रमुख न्यायिक मुद्दों पर केन्द्रित है

न्यायिक चयन :

अ) वर्तमान व्यवस्था – वर्तमान में न्यायिक चयन समिति नौ (09) सदस्यीय है।² जिसमें तीन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, दो बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, दो नेसेट सदस्य, और दो मंत्री सम्मिलित हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन हेतु समिति के नौ सदस्यों में से सात (07) सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अतः चयन प्रक्रिया में न्यायिक सदस्यों का बहुमत है।

ब) प्रस्तावित व अनुमोदित न्यायिक व्यवस्था – न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव ने न्यायिक चयन समिति की संरचना में संशोधन कर, अब सदस्य संख्या नौ से बढ़ाकर ग्यारह (11) कर दी है।³ जो है- एक न्यायमंत्री जो समिति का अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित दो मंत्री, कानून और न्याय समिति के अध्यक्ष, नेसेट राज्य नियंत्रण समिति के अध्यक्ष, नेसेट समिति के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के ही अन्य दो (02) न्यायाधीश तथा न्यायमंत्री द्वारा चुने गए दो (02) सार्वजनिक प्रतिनिधि जिनमें से एक वकील होगा। इस प्रकार सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती है।⁴ क्योंकि कुल ग्यारह सदस्यों में से समिति में सात जनप्रतिनिधि (सरकार के प्रतिनिधि) हैं।

न्यायाधीश चयन के इन सुधारों पर लोगों में मतभिन्नता है जहाँ समर्थक इसे चयन में पारदर्शिता व लोकतांत्रिक मानते हैं। वहीं विरोधियों का मानना है कि यह नियुक्तियों में अनावश्यक हस्तक्षेप है, जिससे मौजूदा नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कमजोर होती है।

न्यायिक समीक्षा – शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों को पृथक् करता है जिससे सरकार के किसी एक अंग की निरंकुशता न बढ़े। इसी प्रकार इजरायल में न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को यह शक्ति देता है कि वह विधायिका व कार्यपालिका तथा प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करे। चूँकि इजरायल में अलिखित संविधान है। अतः इजरायल में न्यायपालिका बारह (12) बुनियादी कानूनों के साथ 'तर्कसंगतता सिद्धांत'¹⁰ आधार पर विधायिका

व कार्यपालिका के निर्णयों की समीक्षा करती है और निर्णयों को इन बुनियादी कानूनों व सिद्धांतों के असंगत पाए जाने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है।

लेकिन प्रस्तावित कानून न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर अब एक नवीन व्यवस्था का उल्लेख करता है जिसमें किसी मामले की न्यायिक समीक्षा हेतु पन्द्रह (15) सदस्यीय न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ की आवश्यकता होगी जिसमें निर्णय हेतु बारह (12) सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होगा। साथ ही सरकार अब नेसेट के 120 सदस्यों में से कुल 61 सदस्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कानून को बहाल कर सकती है। अंततः इससे न्यायपालिका पर सरकार का दबाव बढ़ेगा।

सरकार व उसके समर्थकों का मानना है कि यह सुधार न्यायपालिका द्वारा 1995 में नेसेट से छीनी गई शक्ति की बहाली है तथा न्यायपालिका की बढ़ती न्यायिक अतिप्रक्रिया को सीमित करता है जिससे शक्ति का उचित पृथक्करण बना रहेगा।

वही विरोधी इसे विधायिका की अनियंत्रित शक्ति के रूप में देखते हैं, जहाँ भविष्य में सरकार इसके माध्यम के न्यायिक दबाव बनाकर अपनी मनमानी कर सकती है। जिससे शक्ति संतुलन का सिद्धान्त प्रभावित होगा।
अटॉर्नी जनरल - 'सत्ता भ्रष्ट करती है, सम्पूर्ण सत्ता सम्पूर्ण भ्रष्ट करती है।' लार्ड एवटन का यह कथन पूर्णतया इजरायल के अटॉर्नी जनरल पर लागू होता है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के पास असीमित शक्तियाँ हैं। वह सरकार का एक गैर-निर्वाचित प्राधिकारी है अतः जिसका निर्वाचित सरकार के साथ टकराव होता रहता है।⁵ चूँकि इजरायली में गठबंधन सरकारों की एक प्रणाली है। अतः समय-समय पर अटॉर्नी जनरल विचारधारा व अपने निजी हितों के अनुरूप निर्वाचित सरकार के विरुद्ध कार्य करता है। इससे निश्चित ही हितों का टकराव और बढ़ जाता है। न्यायिक सुधार के माध्यम से सरकार अटॉर्नी जनरल के इस असीमित अधिकार को सीमित कर नियुक्ति व पदमुक्ति का अधिकार अपने पास रखेगी। एक अन्य सुधार पहल मंत्रियों के लिए नियुक्त कानूनी सलाहकारों की शक्ति को सीमित व नियंत्रित करता है जिससे उनकी सलाह का महत्व गैर-बाध्यकारी रूप में लागू होगा।

न्यायिक सुधार पर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएँ - इजरायल मध्यपूर्व में इकलौता लोकतांत्रिक पद्धति वाला राज्य है। इसी परिदृश्य में विश्व के विभिन्न देशों ने न्यायिक सुधार के विरोध प्रदर्शनों व नागरिक आंदोलन के मद्देनजर अपनी चिन्ताएँ व्यक्त की।

संयुक्त राज्य अमेरिका - प्रेसीडेंट जोए बाइडेन ने इजरायल सरकार के इन सुधारों को 'यअप्रत्याशित' बताते हुए, लोकतांत्रिक ढंग से न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव को अपनाने पर जोर दिया।⁶

जर्मनी - चांसलर ओलाफा स्कॉल्ज ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से न्यायिक सुधार के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया है और 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता को एक सम्पत्ति के रूप में बताया।' जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक है।⁷

फ्रांस - फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने साधारण बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अमान्य करने की नेतन्याहू गठबंधन के सुधार प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे न्यायिक शक्तियों को सीमित करने का एक यंत्र बताया।⁸

ब्रिटेन - प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा

कि संसदीय संप्रभुता की अवधारणा ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था कि एक मौलिक पहचान है, और अगर इजरायल कुछ इसी तरह की चीज अपनाने की कोशिश कर रहा है, तब इजरायल को दंडित करना मूर्खतापूर्ण होगा।⁹

प्रभाव - न्यायिक सुधारों के खिलाफ इजरायल को अब तक के सबसे बड़े नागरिक आंदोलन का सामना करना पड़ा जिसमें स्वतंत्र महिला संगठनों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, वकीलों व इजरायली सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील संगठनों व लोगों ने न्यायिक सुधार का पुरजोर विरोध किया।¹¹ बल प्रदर्शनकारियों की आशंकाएँ हैं कि इजरायल को एक धुर-दक्षिणपंथ की ओर ले जाया जा रहा है जिससे इजरायली लोकतंत्र के उदार, स्वरूप के खत्म होने की संभावना है।

चूँकि इजरायल में एक सदनिय व्यवस्था है अतः न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकार के अलोकतांत्रिक प्रस्तावों को संशोधित व प्रतिबंधित करती है। न्यायिक सुधार न्यायपालिका की इस शक्ति को सीमित व अप्रभावी करते हैं अब सरकार साधारण बहुमत से न्यायिक निर्णयों को खारिज कर सकती है।

न्यायिक नियुक्ति समिति में सरकारी दखल, भविष्य में न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता को कमजोर करेगा जिससे न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।

इजरायल की निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। जिससे वहाँ अभी तक एक दल की पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन संभव नहीं हुआ है। गठबंधन सरकारों के दबाव में भविष्य में निर्णयों के माध्यम से अल्पसंख्यक व अन्य एल.जी.बी.टी.व्यू. (लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेन्डर आदि) समुदाय की स्वतंत्रता को सीमित करने व मानवाधिकारों के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न हो गया है। (i) विरोधी इस समय न्यायिक सुधारों को लेकर भी चिंतित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू वर्तमान में आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। अतः वह न्यायिक सुधारों के माध्यम से न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं। साथ ही भविष्य में इजरायल की घरेलू राजनीति पर प्रभाव पड़ने की आशंकाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष - इजरायल के न्यायिक सुधार विश्वभर में चर्चा का केन्द्रबिन्दु बने हुए हैं। क्योंकि वहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत भाग विरोध प्रदर्शनों में सम्मिलित है। सुधार आवश्यक है, किन्तु जिस प्रकार का प्रस्ताव इजरायल की संसद नेसेट में नेतन्याहू गठबंधन ने रखा है। उससे यह आशंका व संभावना व्यक्त की जा सकती है कि भविष्य में न्यायपालिका सरकार के दबाव में कार्य करेगी। जिससे शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त प्रभावित होगा और इजरायल का उदारवादी स्वरूप प्रभावित होगा, तथा नागरिक स्वतंत्रता विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के मानवाधिकारों का उल्लंघन संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jangid khinraj (March 28, 2023) "Israel protests The upheaval over Netanyahu's judicial reform bill has brought the country to the edge." Available from [https:// www. Indianexpress.com/article/opinion/columns](https://www.Indianexpress.com/article/opinion/columns)
2. (June, 2023) "Israeli judicial reform" available from [https:// www.en.m.wikipedia.org](https://www.en.m.wikipedia.org)
3. Guptakumar Alok, Rajhoney, Journal of contemporary politics 2(1)37 "Imperatives of judicial reforms in Israel: An analytical perspective" available from <https://>

- /www.Sciresols3us-east-2amazonaws.com/srsj/bu-journals./jcp/vol-2/html.jcp-2023-24
4. (June 13, 2023) "what to know about Israel judicial reform" available from <https://www.ajc.org>
 5. The religious Zionist party led by bezael smotrich, "judicial reform" (Israel) available from <https://www.zionutdatit.org.il>
 6. Matt spetalnick, (24July 2023) "U.S. says Israel judicial reform vote" unfortunate'call for consenses") available from <https://www.globalnews.ca/news/israel...>
 7. The liveblog (March 16, 2023) "Germany's scholz urges Netanyahu. To consider herzog's judicial reform proposal The times of Israel" available from <https://www.thetimesofisrael.com>
 8. Lazar berman (3 Feb. 2023) "Macron warn Netanyahu, over judicial overhaul settlements" available from <https://www.thetimesofisrael.com>
 9. Sam brummer, (11 Sept.2023) "Judicial Reform Isn't bad it will make Israel more like the u.k.-opinion" available from <https://www.jpost.com/opinion/article-758422>
 10. Cook.A.Steven (cfr expert)(July 26, 2023) "Israel judicial reform What know" available from <https://www.cfr.org/in-brief/israels>
 11. 1 OPCIT
- Others:-**
1. Freedmen L. thaumas (21 jan.2023) "Israel ki ghatanaon par najar banae rakhana jaruri" page no.10 <https://www.dainik-b.in/nodizyitikwb>
 2. <https://www.ssrn.com/abstract>

बहस के विषय अब बिंदी से उठकर हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी रूपान्तर पर चले गए। संविदा लिखें या कांटेक्ट, विश्वविद्यालय लिखें या यूनिवर्सिटी¹। बाद में तय हुआ कि रीडर (या पाठक) जो समझे, हमें वही लिखना चाहिए। यह पत्रकारिता की भाषा का निर्णायक मोड़ था। उसे हर सांचे से मुक्त कर दिया। इसके बाद लोगों की बोलचाल की भाषा जिधर—जिधर मुड़ती गई, पत्रकारिता की भाषा भी उधर ही चलती गई। उसकी अपनी न कोई शब्दावली रह गई, न पैमाना। जैसे— पंजाब में—फैक्ट्री— नहीं—फैक्टरी— ही लिखा जाएगा और वाक्य में जलजमाव जैसी बातों को—पानी खड़ा हो गया— ही लिखना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं, पटना—लखनऊ—रांची में इसी तरह से लोकल टच के लिए भोजपुरी—अवधी शब्दावली की मिलावट अखबारी भाषा का हिस्सा हो गई। दिल्ली—चंडीगढ़ जैसे शहरों में तो बड़ी संख्या में हिन्दी के अखबारों में अंग्रेजी के शब्द देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे। दिल्ली जैसे महानगरों में परिवर्तन का दौर इन शहरों से एक दशक पहले चल रहा था। इसकी झलक हमें वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर के व्यंग्य— हिन्दी पत्रकारिता की भाषा— में मिलता है। वह लिखते हैं—समीर जैन (टाइम्स ग्रुप के मालिक) की चिंता यह थी कि नवभारत टाइम्स युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचे। नई पीढ़ी की रुचियां पुरानी और मंझली पीढ़ियों से भिन्न थीं। टीवी और सिनेमा उसका बाइबिल है। समीर जैन नवभारत टाइम्स को गंभीर लोगों का अखबार बनाए रखना नहीं चाहते थे। वे अकसर लतीफा सुनाते थे कि जब बहादुरशाह जफर मार्ग से, जहां दिल्ली के नवभारत टाइम्स का दफतर है, किसी बूढ़े की लाश गुजरती है तो मुझे लगता है कि नवभारत टाइम्स का एक और पाठक चल बसा। समीर की फिक्र यह थी कि नए पाठकों की तलाश में किधर मुड़ें। इस खोज में भारत के शहरी युवा वर्ग के इसी हिस्से पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने हिन्दी के संपादकों से कहा कि हिंदी में अंग्रेजी मिलाओ, वैसी पत्रकारिता करो जैसी नया टाइम्स आफ इंडिया कर रहा है। नहीं तो तुम्हारी नाव डूबने ही वाली है। सरकुलेशन नहीं बढ़ेगा तो एडवर्टीजमेंट नहीं बढ़ेगा और रेवेन्यू कम होगा और अंत में वी विल बी फोर्सड टु क्लोज डाउन दिस पेपर। इस भविष्यवाणी की गंभीरता को बाली (तत्कालीन संपादक) ने समझा और हमें बताने लगे कि हमें विशेषज्ञ की जगह एक्सपर्ट, समाधान की जगह सॉल्यूशन, नीति की जगह पॉलिसी, उदारीकरण की जगह लिबराइजेशन लिखना चाहिए। 90 के दशक में जैसे टाइम्स आफ इंडिया ने भारत की अंग्रेजी पत्रकारिता का चेहरा बदल डाला, उसे आत्मा विहीन कर दिया। वैसे ही नए नवभारत टाइम्स ने हिंदी पत्रकारिता में एक ऐसी बाढ़ पैदा कर दी, जिसमें बहुत से मूल्य और प्रतिमान डूब गए। लेकिन नवभारत टाइम्स का यह प्रयोग आर्थिक दृष्टि से सफल रहा और अन्य अखबारों के लिए मॉडल बन गया। कुछ हिंदी के पत्रों में तो अंग्रेजी के स्वतंत्र पन्ने भी छपने लगे।⁵

ये वह दौर था, जब अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग समाज में खुद को पढ़ा—लिखा और सभ्य दिखाने के लिए औजार की तरह किया जाने लगा था। खुद को आधुनिक और नई पीढ़ी के अनुसार और साथ दिखाने के लिए अधिकतर अखबारों/मीडिया हाउस में तय हुआ कि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को देवनागरी लिपि में हूबहू अपना लिया जाए। तर्क था कि ये शब्द बोलने और सुनने में ज्यादा अच्छे हैं। सरल हैं। उस समय भी एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि क्या बेमतलब की बहस है? इन छोटी-छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? धीरे-धीरे ये बदलाव 20वीं से 21वीं शताब्दी तक आते-आते ऐसे स्पीड से हुआ, जैसे टेलीकॉम में 2 जी से 5 जी। इसके पीछे एक

बड़ा कारण अंग्रेजी मीडियम के प्रति लोगों का झुकाव भी था। इसमें एक बड़ा वर्ग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का भी था। जो अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसे अच्छे स्कूलों की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में मजबूरी में उसने ऐसे अंग्रेजी स्कूल चुने, जिनके शिक्षक हिन्दी भाषी थे।

ऐसे ही कई संपन्न परिवारों ने अपने बच्चों को अचानक हिन्दी से निकालकर अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया। ये बच्चे भी भाषा की रफतार के साथ ठीक से तालमेल नहीं बैठा पाए। हिन्दी—अंग्रेजी के इस संगम से निकली पौधे ने एक नई भाषा को जन्म दिया— हिंजलिश। इस बोलने वाले की संख्या इतनी बड़ी थी कि उसका असर समाज पर पड़ना तय था। साथ ही समाज की भाषा अपनाने का फैसला करने वाले अखबारों में भी यह भाषा एक नैसर्गिक प्रक्रिया की तरह घुलमिल गई।

फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि संस्कृत अपनी मां है, हिन्दी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है। जल्द ही ये ऐसा दौर था जब हिन्दी पत्रकारिता में अंग्रेजी ने न सिर्फ घुसपैठ की, बल्कि अपना हक भी जताने लगी। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार इसकी बोली हिंजलिश थी और लिपि देवनागरी। यहां हमारा मकसद हिन्दी के अंग्रेजीकरण पर सवाल उठाना नहीं। फिर सवाल ये कि क्या इससे आम जनजीवन में भी क्या कोई बदलाव हुआ? इसको जानने के लिए हम 2 जी के समय के बच्चों और 5 जी के समय के बच्चों को देखें। जाहिर सी बात है अंतर इतना बड़ा होगा कि ये कहना गलत होगा कि इन बच्चों के व्यवहार में आया यह बदलाव भाषा के कारण हुआ। लेकिन क्या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बदलाव में भाषा का भी एक योगदान है?

एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहा है कि अगर भाषा संवाद को आसान नहीं कर पाए तो उसके क्या मायने? उसे तो समय के साथ बदलना ही चाहिए? एक दृष्टि से ये सही भी है। जो ज्यादा आसानी से समझ में आए तो उसे अपनाने में हर्ज क्या? लेकिन दूसरा पहलू ये कि ये ज्यादा आसान वाला रास्ता ट्रैफिक लाइट सिग्नल तोड़कर कुछ दूरी बचाने के लिए गलत टर्न लेने जैसा तो नहीं, जिसमें हादसे की गुंजाइश ज्यादा रहती है। हर प्रक्रिया या शुरुआत कठिन ही दिखाई देती है। या यूं कहें कि जब तक कोई वस्तु या विषय समझ में न आ जाए, तब तक वह कठिन होती है। भाषा में भी बात लागू होती है। मीडिया में सोशल मीडिया के उदय के साथ ही भाषा में 'रिमिक्स भाषा' (Remix Language) का भी उदय हुआ। अनेक अंग्रेजी शब्द हिन्दी में ऐसे घुलमिल गए कि उनके हिन्दी शब्द तलाशने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। जैसे— **ATM (Automated Teller Machine)** यानी जिस मशीन से हम पैसा निकालते हैं। कोरोना के समय के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। जैसे :—नोवल कोरोना वायरस और कोविड-19 (**Novel Coronavirus /Covid&19**) लॉकडाउन और अनलॉक (**Lockdown & Unlock**) कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग (**Contact tracing**) क्वारंटीन और आइसोलेशन (**Quarantine & Isolation**) कंटेनमेंट जोन (**Containment Zone**) सुपर स्प्रेडर (**Super Spreader**) पैनेडेमिक (**Pandemic**) सोशल डिस्टेंसिंग (**Social Distancing**) फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वारियर्स (**Frontline Workers & Corona Warriors**) हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (**Hydro.chloroquine**), फ्लैटन द कर्व (**Flatten the Curve**) सेनेटाइज, पीपीई किट, वर्क फ्रॉम होम, इम्युनिटी, हर्ड इम्युनिटी, नेट जीरो, एल्बो बम्प या एल्बो शेकिंग, वर्केशन,

वर्चुअल हैप्पी आवर, कोविडियट्स अब इन शब्दों की स्थिति ऐसी थी कि अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी इसका उच्चारण करने में गलती कर जाते थे। मीडिया के पास भी विकल्प नहीं था। धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि हर किसी की जुबान पर ये शब्द हर समय छाये रहने लगे। कारण, मीडिया 24 घंटे किसी न किसी रूप में ये शब्द लोगों के सामने लाता रहा।

ऐसे में एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस बदलाव को हिन्दी के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है। उनका मानना है कि- आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती हिन्दी पत्रकारिता की भाषा को है। इसे लेकर कोई मापदण्ड तय नहीं हो पाया है। बल्कि कोई प्रारूप भी नहीं है। जिसे जो मन में आया वह करता जा रहा है। जल्द से जल्द और पहले पहल खबर लोगों तक पहुंचने की होड़ में लगे खबरिया चीनलों में कई बार भाषा के साथ खिलवाड़ होते देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अनुशासनहीन भाषा की संरचना विकसित हो गई है। खबर के लिए सुबह अखबार के इंतजार को इंटरनेट मीडिया और 24 घंटे खबरिया चीनल ने खत्म कर दिया है। चंद मिनट में घटित घटना लोगों तक पहुंच रहा है। ऐसे में भाषा का की गंभीरता का सवाल सामने आ जाता है।⁶

इसमें राजकिशोर जैसे दिग्गज पत्रकारों ने भी लिखा है कि हिंदी एक चलताउ चीज हो गई। गरीब की जोरू जिसके साथ कोई भी कभी भी छेड़छाड़ कर सकता था। इसी कारण अब हिंदी अखबारों में अच्छ भाषा पढ़ने का आनंद दुर्लभ तो हो ही गया है, उनसे शुद्ध लिखी हुई हिंदी की मांग करना भी नाजायज लगता है। कहने की जरूरत नहीं जब हिन्दी क्षेत्र में टेलीविजन का प्रसार बढ़ रहा था, तब तक हिन्दी पत्रों की आत्मा आखिरी सांस लेने लग गई थी। संपादक रह नहीं गए थे जो कुछ सोच विचार करते और प्रिंट को इलेक्ट्रॉनिक का भतीजा बनने से बचा पाते। आगे क्या होगा? क्या हिंदी बच भी पाएगी? जिन कमियों और अज्ञानों के साथ आज हिंदी का व्यवहार हो रहा है, वैसी हिंदी बच भी गई तो क्या? जाहिर है, जो कमीज उतार सकता है, वह धोती भी खोल सकता है।⁷

राजकिशोर जैसी सोच को एक बड़े वर्ग ने आदर्शवाद और भाषा के प्रति कट्टरपंथी सोच से बढ़कर कुछ नहीं माना। इस वर्ग का मानना था कि समाज से अलग होकर न अखबार की भाषा भी चल सकती है और न ही समाज की। अगर इसमें उदारवादी सोच नहीं अपनाई जाएगी तो न तो पत्रकारिता का विस्तार हो जाएगा और न ही हिन्दी साहित्य का। इस वर्ग के मुताबिक चर्चाभाषा एक दैवी शक्ति है, जो मानव को मानवता प्रदान करती है। भावों को प्रकट करने, विचारों को बोधगम्य बनाने तथा परस्पर व्यवहार बढ़ाने का यही एक विश्वव्यापी और सशक्त माध्यम है। वास्तव में भाषा के अभाव में मूक प्राणी निरीह बना रहता है, विचार बहरे हो जाते हैं और व्यवहार लंगड़े बनकर रह जाते हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृत होता है, सम्मान और यश का भागी बनता है। 'मौखिक और लिखित संचार-साधनों में अरबी, अंग्रेजी, इतावली, उर्दू, चीनी परिवार की भाषाएं, जर्मन, जापानी, तमिल, तेलगू, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, बंगला, मलय-बहरसा, रूसी, स्पेनी तथा हिंदी ये 16 प्रमुख भाषा हैं। गौरव की बात तो यह है कि इनमें सम्मिलित 5 भाषाएं अपने भारत राष्ट्र की हैं। चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी ही विश्व की प्रमुख भाषा है, जो स्वतंत्रता तथा सम्प्रभुता की अमरवाणी है।' हिंदी मानव के बुद्धि कौशल, विवेक, चिंतन, अचार-व्यवहार तथा संस्कृति की भाषा है।⁸

यानी सभी भारतीय भाषाओं का महत्व है। बस, इसके जरिए भाव और

विचार दूसरों तक पहुंचें। ये वर्ग हिन्दी को सर्वोपरि मानता तो है, लेकिन उसके साथ में अन्य भाषाओं के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं पालता। इनका मानना है कि हिन्दी साहित्य भी भाषा के प्रति इतना कट्टर नहीं, तो फिर पत्रकारिता को तो और उदार होना ही होगा।

समसामयिक परिवेश से किसी ने किसी रूप में प्रत्येक लेखक प्रेरणा ग्रहण करता है, चाहे वह साहित्यकार हो या पत्रकार। दोनों ही लेखक हैं, दोनों ही सर्जनाकार हैं, दोनों के कार्य किन्हीं ऐसे गुणों की अपेक्षा करते हैं, जो दोनों के लिए अपरिहार्य है-अनाविल दृष्टि, चिन्तन लेखन में प्रेषणीयता की शक्ति। दोनों देश और काल के आयामों पर अपनी-अपनी विशिष्ट परम्पराओं के अतिरिक्त उस स्थितिगत सांस्कृतिक परम्परा, उस सामाजिक चेतना-प्रवाह से भी सम्बद्ध हैं जिससे उन्हें अपनी बात औरों के प्रति निवेदित करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। प्रत्येक पत्रकार अंशतः साहित्यकार भी है, प्रत्येक साहित्यकार अनिवार्यतः पत्रकार भी।⁹

पत्रकारिता के साथ हिन्दी बदली या हिन्दी के साथ पत्रकारिताज्ये मुर्गो पहले या अंडा जैसी अनंत बहस को जन्म 30 मई 1826 में सबसे पहले प्रकाशित 'उदन्त मार्तण्ड' नाम के समाचार पत्र के प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल खुद ही थे। उन्हें हिन्दी का पैरोकार माना जाता है। फिर भी अखबार की भाषा पर नजर डालिए।

एक वकील अदालत का काम करते-करते बुद्धा होकर अपने दामाद को वह सौंप के आप सुचित हुआ। दामाद कई दिन वह काम करके एक दिन आया ओ प्रसन्न होकर बोला हे महाराज आपने जो फलाने का पुराना ओ संगीन मोकदमा हमें सौंपा था सो आज फैसला हुआ यह सुनकर वकील पछता करके बोला कि तुमने सत्यानाश किया। उस मोकदमे से हमारे बाप बड़े थे तिस पीछे हमारे बाप मरती समय हमें हाथ उठा के दे गए ओ हमने भी उसको बना रखा ओ अब तक भली-भांति अपना दिन काटा ओ वही मोकदमा तुमको सौंप करके समझा था कि तुम भी अपने बेटे पाते तक पालोगे पर तुम थोड़े से दिनों में उसको खो बैठे।¹⁰

यानी उन्होंने भी उस समय की बोलचाल की भाषा को अपनाया। फिर ये सिलसिला भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राव विष्णु पराइकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, मोहन राकेश से होते हुए अब हिन्दी पत्रकारिता ऐसे पत्रकारों के हाथों पहुंच गई, जिनके लिए भाषा सूचना का सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। ऐसे में साध्य-साधन की बहस में न उलझकर उन्होंने सीधे वह भाषा चुनी जो आज के युवा बोलते-सुनते हैं। ऐसे युवा जिनकी हिन्दी में अंग्रेजी की बिंदी न हो, तो उन्हें वह सुंदर लगती ही नहीं।

ये गलत है या सही? ये फैसला करने वाले हम-आप नहीं हो सकते। क्योंकि, इसका फैसला भी वहीं कर सकता है, जो इसका इस्तेमाल करता है। जैसे हम साहित्य को समाज का दर्पण कह सकते हैं, वैसे ही पत्रकारिता को भी हम साहित्य का ही एक अंग कह सकते हैं। ऐसे में अगर हम इसकी भाषा को समाज से अलग खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो शायद पत्रकारिता की आत्मा भी उससे अलग हो जाएगी। पत्रकारिता की भाषा समाज की बोलचाल की भाषा से ही संचालित होती है। इसमें हिन्दी भी है, इंग्लिश भी, हिब्लिश भी, उर्दू भी, फारसी भी। खुद हिन्दी भाषा की ही बात करें तो आधिकारिक रूप से पिछले तीन दशकों में बड़ी संख्या के अंग्रेजी-उर्दू-फारसी के शब्दों को हिन्दी ने गोद ले लिया है। यानी वह अब हिन्दी के ही शब्द माने जाएंगे। मीडिया का प्रसार पिछले दो दशकों में जिस तरह से हुआ है और जिस तरह

से नई पीढ़ी ने अंग्रेजी को अपनाया है, उसमें हिन्दी पत्रकारिता में भी अंग्रेजी के शब्दों का चलन बढ़ना स्वाभाविक है। अब बड़ा सवाल सोशल मीडिया की भाषा को लेकर है, जिसमें भाषा से अधिक संकेत होते हैं। फिर चाहे वह इमोजी के माध्यम से हों, कार्टून, मीम्स या तस्वीर। इनमें शब्दों की जगह कम होती जा रही है, लेकिन अभिव्यक्ति की तीव्रता से इनकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी से भी आगे जाकर अब इस सोशल मीडिया की भाषा ने भी हिन्दी पत्रकारिता पर असर डालना शुरू कर दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अर्जुन तिवारी, हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, पेज-66
2. रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर, आधुनिक पत्रकार कला, पेज-2
3. A History of the Press in India, By Swaminath
4. डॉ. अर्जुन तिवारी, हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, पेज- 18
5. <https://www.hindisamay.com/content/2046/14>
6. डॉ. अजय कुमार सिंह, मीडिया की बदलती भाषा (भूमिका में), लोकभारती प्रकाशन
7. <https://www.hindisamay.com/content/2046/14>
8. डॉ. अर्जुन तिवारी, हिन्दी पत्रकारिता का वृहद इतिहास, पेज- 17
9. श्री बालकृष्ण राव (माध्यम, वर्ष 1, अंक 1)
10. <https://navbharattimes.indiatimes.com/photomazza/education-career/know-how-hindi-journalism-starts-with-publication-of-udant-martand/photoshow/msid-64380678,picid-64380745.cms>

Study on the Practices of Funeral Rites in Hinduism

Nisha Razdan*

*Research Scholar (Sociology) Bhupal Nobles University, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - The presented research paper is based on the practical aspect of funeral rites in Hinduism. Funeral is called last rites. Religious scriptures believe that the unsatisfied lusts of the living being are pacified by performing the rites performed in the proper funeral of the dead body. Leaving all the illusions and bonds, he moves from the earth to the other world. For this reason, the dead body is duly cremated. Antyeshti means the last sacrifice. This Yagya is performed for the dead body of a dead person. Describing the importance of the last rites in the Baudhayana Pitrimedhasutra, it has been said that "Jaatsanskarainem lokambhijayati mritsanskaraanam lokam." That is, through the rites of birth, man conquers this world (earthly world) and by "funeral rites" he conquers the other world. In another verse it is said, "Tasyanmataram Pitramacharya Patnim Putram ShiYamantevasanam Pitriyayam Matulam Sagotramasgotram Va Daymupayachcheddahanam Sanskaren Sanskrivanti." Which means if death occurs, the responsibility of mother, father, teacher, wife, son, disciple, uncle, maternal uncle, cousin, half-brother should be taken and cremation of the dead body should be done. An attempt has been made by the researcher to expose the practical side of the people related to the funeral rites by studying them through scientific method.

Objectives:

1. To know the importance of practical rituals after death (funeral rites) in theological and sociological perspective.
2. To make a comparative study of the funeral rites in rural and urban perspective.

Methodology: The nature of the present study is exploratory and descriptive, in which the traditional form of funeral rites has been studied with modern changes in rural and urban context. The study area has been carried out in rural areas along with Udaipur city of Rajasthan. Latin square sampling method has been used for the present study. Based on this methodology, a total of 160 respondents have been included in the sample. In this research, a protected interview schedule has been used for primary data collection.

Variation In Cremation Process: Cremation is given priority in the general category of Hindu religion. In some castes of other backward classes like Gauswami, Nath and Sadhu sect, there is a practice of giving formal burial to the deceased, whereas in the castes included in the Scheduled Castes, along with the practice of burying the deceased, formal cremation is also done. In Scheduled Tribes, the process of cremation is duly done and it is also socialized for the next generation. The study found that 86 percent of rural and 80 percent of urban respondents agreed that cremation practices in Hinduism differ according to caste, class, and region.

Express As Omniscient: The study revealed that according to 96 per cent respondents from rural area and 78 per cent respondents from urban area, the role of Raichand is more played by the people in the process of funeral rites with unnecessary Panchayati which is just a show off. Such people start imparting knowledge to the priests and elders of the society and add many types of false dimensions to the formal process which later on create deviation.

Lack Of Socialization Process: In the urban society, the aim is to complete the funeral rites only with time and circumstances. In the urban society, there is not even a conversation on the sixteen samskaras. Therefore, it is clear that there is a lack of socialization process for the funeral rites in the urban society. It is clear from the study that 96 percent of the respondents from rural areas and 93 percent from urban areas believe that children and youth have many roles in the funeral rites in the rural society, which are performed by them only.

Cremation Guidance: The study revealed the fact that 48-48 percent of the respondents from rural and urban areas said to be guided by priests and 8 percent from rural areas and 13 percent from urban areas said to be guided by any person. 25 per cent respondents from rural areas and 21 per cent respondents from urban areas told about experienced elders and 20 per cent respondents from rural areas and 19 per cent respondents from urban areas said that eminent persons of the society should guide them in the procedures to be done at home before cremation.

Funeral Procession: It was revealed in the research that 89 percent of the respondents from rural areas and 58 percent from urban areas said that they carry the dead body on handmade bamboo decorations and 8 percent of the respondents said that they carry the dead body on the Moksha Rath. 5 percent respondents from rural areas and 24 percent respondents from urban areas used metal-made decorations while 6 percent respondents from rural areas and 11 percent respondents from urban areas said that according to the time and situation, funeral can be done on any option.

House Cleaning: In the practical aspect of cleaning the house after taking the dead body to the cremation ground, 68 percent of the respondents from rural areas and 43 percent from urban areas told that the work of cleaning is done by the daughter-in-law of the house and most of the rural areas 6 percent from urban areas and 11 percent from urban areas said that this work is done by the daughter of the house. 10 percent respondents from rural area and 15 percent from urban area told that this work is done by sisters while 21 percent from rural area and 30 percent respondents from urban area told that any woman does cleaning work at home.

Availability Of Wood: Theological procedures are being adopted for cremation even today in rural areas. According to the demand of the public in the cities, wood is made available to the woodcutters on a fee basis at the Nagar Nigam Tall. The study found that 85 percent of the respondents from rural areas believed that one wood is taken from each household and 100 percent of the respondents from urban areas believed that wood is made available from scrap while 15 percent of the respondents from rural areas said that For cremation, wood is brought from the areas left aside by collective decision.

Immersion After Cremation: The study revealed that 68 percent of the respondents from rural area and 5 percent from urban area said that all people stay till the end and 4 percent from rural area and 16 percent from urban area said that all people get immersed and rural 23 percent from rural areas and 73 percent from urban areas said that only relatives stay while 6 percent from rural areas and 6 percent from urban areas said that only two to four people stay after the cremation.

Bath After Cremation: The research also found that after the cremation, 84 percent of the respondents from rural areas said that all people do not go home without taking a bath and visiting the temple, and 14 percent from rural areas and 79 percent from urban areas said that all people wash their hands. After washing the feet, they go home after sprinkling water and 3 percent from rural areas and 21 percent from urban areas told that all people go home after the cremation only by sprinkling water.

Serving Refreshments To People Who Come Home After Cremation: It was revealed in the research that 94 percent of the respondents from rural areas told that all the

people involved in the funeral procession come back to the house of the deceased and they are also served refreshments because it is an armed process in which they come back to the house of the deceased. 100 percent respondents from urban areas and 6 percent respondents from rural areas told that they have not seen any kind of snacks being served at the house of the deceased. So, how can it be humane to do this type of process in a bereaved family.

Conducting Meetings Before Dwadshakarma: In the practical aspect of organizing meetings before Dwadashkarma of the deceased, it was found that according to 9 percent respondents from rural areas and 66 percent respondents from urban areas, Uthavana meeting is held before Dwadashkarma and 64 from rural areas. According to percent respondents and 15 percent respondents from urban area, regular meeting is held between twelfth day from the date of death and according to 16 percent respondents from rural area and 9 percent respondents from urban area, separate meeting is held after lifting while 11 percent from rural area According to 10 percent of the respondents and 10 percent of the respondents from urban areas, only a meeting of condolence meeting is held before Dwadashkarma.

Dwadasha And Turban Customs: On the practical side of the custom of Dwadsha and Pagdi Dastur, it emerged that 94 percent of the respondents from rural areas and 63 percent of the respondents from urban areas said that the custom of Dwadasha and Pagdi Dastur is of great importance because this ritual is the most important part of a family. After the death of an older man, a turban is ceremoniously tied on the head of the next oldest living man. Since turban is a symbol of respect in the society of this region, it is shown by this ritual that the responsibility of honor and welfare of the family is now on the shoulders of this man.

Conclusion:

1. 86 percent of rural and 80 percent of urban respondents agree that the process of cremation in Hinduism varies according to caste, class and region.
2. According to 96 percent of the respondents from rural areas and 78 percent of respondents from urban areas, the role of Raichand is played more in the process of funeral rites by people with unnecessary Panchayati which is only and only a show off.
3. 96 percent and 93 percent respondents of urban areas believe that children and youth in rural society have many roles in funeral rituals, which are performed by them only.
4. 48-48 percent of the respondents from rural and urban areas said to be guided by priests.
5. 89 percent of the respondents from rural areas and 58 percent from urban areas told that they carry the dead body on handmade bamboo decorations.
6. 68 percent of the respondents from rural areas and 43

- percent from urban areas told that cleaning work is done by daughter-in-law of the house.
7. 85 percent of the respondents from rural areas agreed that one wood is taken from each house and 100 percent of the respondents from urban areas agreed that wood is made available from the stalls.
 8. 68 percent and 5 percent respondents from urban areas told that people stay till the end till all last rites are completed.
 9. 84 percent of the respondents from rural areas told that all people do not go home without taking bath and visiting the temple, 21 percent from urban areas told that all people go home after cremation only by sprinkling water.
 10. 94 percent of the respondents from rural areas told that all the people involved in the funeral visit the house of the deceased again and they are also served refreshments.
 11. According to 64 percent respondents from rural area

and 15 percent respondents from urban area, regular meeting is held between twelve days from the date of death.

12. 94 percent and 63 percent of the respondents from urban areas said that the ritual of Dwadsha and Pagri Dastur is very important.

Suggestion: Funeral rites are scriptural as well as a living example of community participation. With the passage of time, there has been a decrease in the participation of people in this ritual. In the primary agency, children are socialized towards values. In a secondary agency, in a secular country like India, equal socialization of children can be done by mentioning the rites of all religions in moral education.

References:-

1. Ashvalayana Shrautasutra 6|10
2. Shatapatha Brahmin 12.5.2.14, Rigveda 10.16.7, Rigveda 10.14.10

Review Study on Aerobic Treatment for Polluted Water

Dr. Himanshu Bansal*

*Deptt. Of Chemistry, Digamber Jain (PG) College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - In present time water pollution is a burning issue, one of the major causes of surface water pollution is industrial waste, which is directly, or improperly treated waste having undesirable parameters more than the accepted limits, like pH, Temp, TSS (Total Suspended Solids), BOD (Biochemical Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand). This type of waste from starch, foam, pulp and paper industries is affecting not only the human being but also disturbing the aquatic life. We can reduce such organic load by selecting suitable treatment process with proper design. One of the effective process to reduce such pollution is aerobic treatment of polluted water. A properly operating unit should have a reaction reactor with a specific surface medium with a provision of proper aeration to break down organic matter more efficiently, quicker decomposition of organic solids, and reduces the concentration of pathogens in the wastewater as Compared to conventional septic tanks. Although this design is an expensive one, but can reduce the BOD and TSS less than 30 mg/liter 25 mg/liter respectively, which are well under the limits.

Biochemical Oxygen Demand (BOD) : A quantitative measure of the oxygen needed by bacteria and microorganisms for the biological oxidation of organic wastes in a unit volume of waste water. BOD is generally measured in milligrams per liter of oxygen consumed over a five-day period.

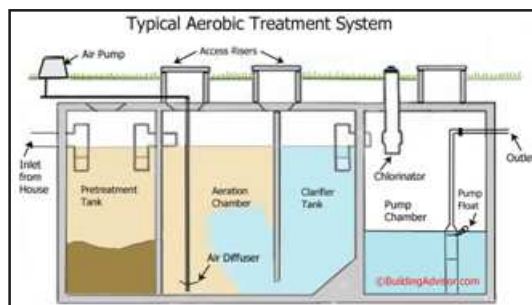
Chemical Oxygen Demand (COD) : A quantitative measure of the amount of oxygen required to oxidize all organic compounds in a unit volume on waste water. **Aerobic Processes** : Aerobic treatment processes take place in the presence of air (oxygen). Utilizes those microorganisms (aerobes), which use molecular/free oxygen to assimilate organic impurities i.e. convert them in to carbon dioxide, water and biomass.

Aeration tank: The water is passed through a thin film over the different shape with addition of Urea and DAP. Air is pumped with the help of large gas boosters to increase the level of oxygen in to the water, BOD & COD values of water is reduced up to 90%.

Clarifier: The clarifier collects the biological sludge. The overflowed water is called as treated effluent and disposed out. The outlet water quality is checked to be within the accepted limit as per the norms of the Bureau of Indian standards. Through pipelines, the treated water is disposed off.

An aerobic treatment unit (ATU) : Pretreats wastewater by adding air to break down organic matter, reduce pathogens, and transform nutrients. Compared to conventional septic tanks, ATUs break down organic matter

more efficiently, achieve quicker decomposition of organic solids, and reduce the concentration of pathogens in the wastewater.



Aeration in an ATU breaking down organic matter

There are many manufacturers of ATUs are available, but efficiency varies widely. A properly operating ATU should produce high-quality effluent with less than 30 mg/liter BOD (biochemical oxygen demand, a measure of the organic matter), 25 mg/liter TSS (total suspended solids), and 10,000 cfu/mL fecal coliform bacteria, an indicator of pathogens and viruses.

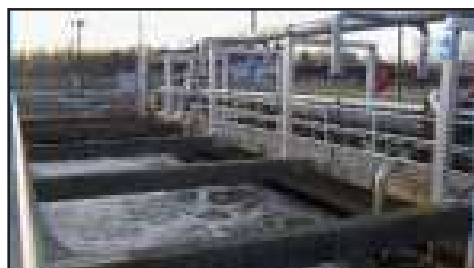
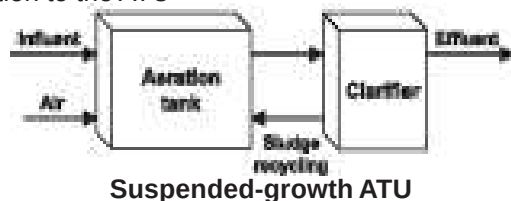
Aerobic Treatment Unit By bubbling compressed air through liquid effluent in a tank, ATUs create a highly oxygenated (aerobic) environment for bacteria, which uses the organic matter as an energy source. In another stage bacteria and solids settle out of the wastewater and the cleaner effluent is distributed.

ATUs are more complicated than septic tanks. In a septic tank, solids are constantly separating from liquid. As

individual bacterial cells grow, they sink to the bottom, along with less decomposed solids, to form a layer of sludge. Floating materials, such as fats and toilet paper, form a scum layer at the top of the tank.

In an ATU, the bubbler agitates the water solids cannot settle out, and floating materials stay mixed in the liquid. Well-designed ATUs allow time and space for settling, while providing oxygen to the bacteria and mixing the bacteria and its food source (sewage). Any settled bacteria must be returned to the aerobic portion of the tank for mixing and treatment.

There are two basic ATU operation styles: suspended growth and fixed-film type batch reactor. All two types usually have a septic tank (sometimes called a trash tank) ahead of them that removes the large solids and provides some protection to the ATU



Fixed-film reactor ATU

Suspended-growth tank: A suspended-growth tank has a main treatment chamber where bacteria are free-floating and air is bubbled through the liquid. The second chamber where the solids settle out is separated from the main tank by a wall or baffle. The two chambers are connected at the bottom or by a pump, and settled bacteria from the second chamber are brought back into the main treatment chamber. This return and mixing is critical for proper operation. Treated effluent from the second chamber is piped to the soil treatment system (Figure 1).

Fixed-film reactor : A fixed-film reactor has bacteria growing on a specific surface medium and air is provided to that part of the tank. The bacteria can grow on any surface including fabric, plastic, styrofoam, and gravel. Decomposition is limited to this area, and settling occurs in a second chamber. This design is expensive, but the effluent is of consistently high quality, and bulking is uncommon. There is no need for a return mechanism because the bacteria stay on the film (Figure 2).

Placement : ATUs require very little installation space, which allows placement flexibility. A typical ATU space requirement is 25 square feet for a 3-bedroom home. Most ATUs are located after a septic tank. However, because of

strict permitting requirements this is not practical for onsite systems.

Final disposal of wastewater: Some ATUs produce the same high-quality effluent as large wastewater treatment plants that discharge to surface water. Therefore, in an onsite system, effluent is sent to a soil treatment system for final treatment.

ATUs are maintenance intensive than septic tanks. The system may require quarterly to yearly maintenance. Maintenance includes inspecting all components and cleaning and repairing the system when needed. A visual inspection of the effluent is required and often lab analysis is necessary.

Aerobic Treatment Application : Aerobic biological treatment methods depend on microorganisms grown in an oxygen-rich environment to oxidize organics to carbon dioxide and water. Systems of aerobic treatment can include the conventional activated sludge process, the conventional trickling filters, etc. ATUs produce cleaner wastewater, they are useful in sites with "disturbed" (compacted, cut, or filled) soil, and in environmentally sensitive areas such as those near lakes in shallow bedrock areas, aquifer recharge areas, and wellhead protection areas. Pretreatment may allow a reduction. Separation requirement between the soil treatment system and the limiting soil layer. Researchers are under research.

ATU systems may also be successfully retrofitted into drainfields that have failed because of excessive organic loading from lack of maintenance.

Summary: With proper design and a good maintenance program, the aerobic system should perform well and treat wastewater for a long time. ATUs have a small land requirement, but are highly mechanical and require more management than most onsite systems.

References:-

1. International Journal of Advance Research and Innovation, Volume 3, Issue 4 (2015) 716-721 ISSN 2347 - 3258
2. Biological Unit operation for waste water treatment: Aerobic Process A. L. Judal, A. G. Bhadania, J. B. Upadhyay Department of Dairy Engineering, SMC College of Dairy Science, AAU, Anand, India
3. Shrivastava, A.K., A Review on copper pollution and its removal from water bodies by pollution control Technologies, IJEP 29(6): 552-560, 2009.
4. Billore, S.K., Singh, N., Ram, H.K., Sharma, J.K., Singh, V.P., Nelson, R.M., Dass, P. (2001). Treatment of molasses based distillery effluent in a constructed wetland in Central India. Water Science Technology. 44: 441-448.
5. Wastewater Treatment by Effluent Treatment Plants Rakesh Singh Asiwal, Dr. Santosh Kumar Sar*, Shweta Singh, Megha SahuSSRG International Journal of Civil Engineering (SSRG – IJCE) – Volume 3 Issue 12 – December 2016

शक्ति का आदर्श परिपेक्ष्य नारी

डॉ. बिन्दु परस्ते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नारी का सौन्दर्य व शील सृष्टि, सृजन, पालन और शक्ति की त्रियामी क्षमताओं का समुच्चय है। पूर्व वैदिक काल तक नारी की सम्पन्न शक्ति का उपयोग सृष्टि के सुन्दर बनाने में होता रहा। मध्यकालीन सामन्तवादी काल में नारी को भोग्या बनाकर उसकी शक्तियों को कीलित कर दिया गया। पिछली पूरी शताब्दी नारी शक्ति के पूर्णजागरण का काल रहा। वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप कम्प्यूटर नियमन सॉफ्टवेयर आदि उद्योगों की क्रियाशील सेवाओं में नारी शक्ति का अधिक नियोजन हो गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गये हैं। स्वयं नारी भी अपनी शक्ति के चहुमुखी विकास और उपयोग के लिए सक्रिय है। इन सब प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति का विकास व उपयोग वैसा नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। इसके क्या कारण हैं? उस पर विचार मंथन की जरूरत है।

'या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता'

यह स्तुति केवल दुर्गा जी की ही नहीं समस्त नारी जाति की स्तुति है। वैदिक काल में मेधा, प्रतिभा, शक्ति आदि स्तरों पर नर और नारी में कोई भेद नहीं था। पुरुष के समान नारी भी जीवन के सभी प्रसंगों में अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी किंतु उत्तर वैदिक काल सम्पूर्ण विश्व में अपक्षय का काल रहा है।

पुरुष की बढ़ती अहमन्यता और अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं में सुरक्षित रखने की नीति के कारण नारी शक्ति का न केवल हास हुआ बल्कि लोप भी होने लगा।

मध्यकालीन सामन्तवादी काल में नारी को भोग्या बनाकर उसकी शक्तियों को कीलित कर दिया गया। वह स्थायी हीनता बोध से ग्रस्त होकर अपंग व्यक्तित्व की मालकिन बन गई।

पिछली पूरी शताब्दी नारी शक्ति के पुनर्जागरण का काल रही। अमेरिका तथा यूरोप में नारी स्वतंत्रता का बिगुल पहले से ही बज रहा था। किंतु एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में यह प्रक्रिया थोड़ी देर से प्रारंभ हुई। भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में नारी शक्ति जागरण संविधान एवं स्वतंत्र संगठन के माध्यमों से अनेक प्रयास किये गये।

बीसवीं शताब्दी में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि एशियाई देशों में नारियों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में ही सर्वोत्तम

प्रदर्शन नहीं किया अपितु, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, क्रीड़ा, कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़कर सफलता के प्रतिमान स्थापित किए हैं।

आज भी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से देहाती इलाकों में नारी की श्रमशक्ति, कृषि और घरेलू उत्पादनों में पुरुषों से अधिक उपार्जित कर रही है। वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप कम्प्यूटर नियमन सॉफ्टवेयर आदि उद्योगों की क्रियाशील है। सेवाओं में नारी शक्ति का अधिक नियोजन हो रहा है। आज आगंवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर पायलट तक के रूप में नारी क्रियाशील है।

हमारे संविधान में समय-समय पर नारी के उत्थान और उसके अधिकार विस्तार के लिए कई अधिनियम पारित किए गये हैं। नारी समस्याओं के साथ पैतृक संपत्ति में भी भागीदारी और पिता की तरह माता का नाम भी उल्लेख करने संबंधी अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं।

स्वयं नारी भी अपने चहुँमुखी विकास के लिए सक्रिय है। आज भी नारी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाई है और स्वयं अर्तद्भदों से ग्रस्त है। नारी देह-दोहन प्रकरण में वृद्धि, युतियों की दहेज दानव की बलि चढ़ाना गांव देहातों में नारी का चार दीवारी के अंदर घुघंट में रहना तलाक के बाद गुजारा भत्ता कम मिलना, किशोरियों को बेचकर वेश्यालयों के नरक में धकेलना महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार उन सबके लिए कौन जिम्मेदार है। केवल पुरुष द्वारा नारी की भोग्या मान लेने वाली जड़ मानसिकता या स्वयं नारी भी कई समस्याओं की प्रेरक नारी स्वयं भी है। महिलाएँ विज्ञापनों में फिल्मों में अन्य कार्यक्रमों में अपने आपको जिस तरह प्रस्तुत कर रही हैं उसमें ऐसे वातावरण की संभावनाएं प्रबल रही हैं। उपभोक्तावाद ने नारी देह को फिर नये सिरे से भूनाने का प्रचार तंत्र बनाया है और यह एक तरह का आधुनिकीकृत सामन्तवाद है जिसके जाल में स्वयं पढ़ी-लिखी नारियां फंसी जा रही हैं।

आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में नारी और पुरुष दोनों इतने मशगुल हो गये हैं कि सांरी नैतिकताएँ ताक पर रख दी गई हैं। जब नैतिकता रहित समाज तैयार होता है तब उसका आघात नारी को ही भोगना पड़ता है। आज नारी को संरक्षण या आरक्षण की जरूरत नहीं है।

आवश्यकता है उसे अपने भीतर बैठी नारी की कुंठा के परित्याग की शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने सामाजिक स्तर पर दहेज समस्या भूण परीक्षण जैसी अनेक समस्याओं पर कड़े प्रतिबंध लगाकर नारी की सम्पूर्ण शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। अन्यथा उभरती हुई नारी शक्ति को सही परिप्रेक्ष्य नहीं मिल पाएगा। परिणामस्वरूप सृजन के बजाए ध्वंस की संभावनाएँ बढ़ जाएगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्र निर्माण की ओर - उमादत्त चौबे
2. स्त्री सरोकार - आशारानी द्वारा
3. समाज राजनीति और महिलाएँ - दशाओं और दिशा - स्वप्निल सारस्वत, डॉ. निशांत सिंह
4. साठोत्तरी हिन्दी लेखिकाओं की कहानियों में नारी - डॉ. मंगल केरे

गरीबी उन्मुलन में मनरेगा योजना से प्राप्त हितग्राहियों का एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. शिव कुमार वर्मा* केश मो. अंसारी**

* प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) भारत

**शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारत देश ग्रामीण बहुल्य वाला देश है। यहाँ कि अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। जिसमें कुल आबादी में से 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवासरत् है। जिस कारण इन क्षेत्रों में विकास की असामानताएं दिखाई या व्याप्त थी। जैसे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी दर आर्थिक स्थिति के साथ भाग्यवादिता पर लोग अधिक निर्भर थे। भारत सरकार द्वारा इन्ही सब परिस्थितियों को आकलन करते हुए ग्रामीण परिवेश की आर्थिक स्थिति के परिवेश को शुद्ध करने हेतु महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दर को कम करना तथा निम्न स्तर के आर्थिक विकास के दर में अंकुश लगाना और शिक्षा स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं के साथ लिंग सामानता में सुधार करना। इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जितना काम उतना दाम के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजना को मूर्त रूप देने के लिए यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम या योजना है।

इस योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधारात्मक उन्मुलन कार्यक्रम के रूप में जमीनी स्तर पर व्याप्त है। जिसका लाभ ग्रामीण अकुशल मजदूरों महिलाओं एवं पुरुषों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का सुनिश्चित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम से वर्तमान परिवेश में प्रकाश डाला जाए तो कुल आबादी का हिस्सा इस योजना से लाभान्वित हो रहे है। और इस योजना को रोजगार तक ही सीमित न रखकर विनिर्माण सेवा जैसे विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है। इन आयामों से स्थानीय स्तर के बेरोजगारों को रोजगार मुहर्इया करा रही है। और शहरी पलायन में कमी हो रही है।

शब्द कुंजी - ग्रामीण विकास, अकुशल श्रमिकों को रोजगार, गरीबी उन्मुलन, शहरों की ओर पलायन में कमी।

प्रस्तावना - भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तथा ग्रामीण बहुल्य है। जिस कारण अत्यधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इनका व्यवसाय पशुपालन, कृषि व मौसमी रोजगार आदि मुख्य व्यवसाय के रूप में है। इस तारतम्य के आधार पर इन्हें कृषि एवं कृषि आधारित कार्यों पर स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पर रहा था। उक्त रोजगार दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह भारत सरकार की ऐसी पहली योजना है। जो ग्रामीण परिवारों को गारंटी उक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्ताम्य है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितम्बर 2005 को भारत सरकार द्वारा अधिनियमित की गई और 2 फरवरी 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इसे लागू किया गया। योजना की अपार सफलता को देखते हुए अप्रैल 2008 में इसे कानून के रूप भारत के सम्पूर्ण राज्य एवं जिलों के गाँवों में लागू किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश एवं रीवा जिला भी शामिल है। इस योजना से राज्य एवं जिले में 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध करने की गारंटी एक परिवार के लिए है। न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिए योजना का प्रारंभ्य मध्यप्रदेश के 18 जिलों को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण में 13 और वर्तमान में यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया - अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

ग्राम पंचायत में पंजीकृत परिवारों को जॉब कार्ड दिया जाएगा तो हर हाथ में काम देने के सिद्धांत पर आधारित होगा जिसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी की होगी। इस प्रकार रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन की तारीख से जिस दिन से उसने रोजगार के लिए आवेदन किया है। उसे 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा उन हितग्राही को रोजगार पर रखा जाएगा जो गाँव में निवास करने के लिए तैयार हो। वह जिले स्तर पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर कार्यक्रम समन्वयक होंगे। और जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यक्रम अधिकारी होंगे और जिले में योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी।

उद्देश्य :

1. मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी उन्मुलन का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना।
3. ग्रामीण स्तर में गरीबी से व्याप्त पहलुओं को अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. रीवा जिले के ग्रामीणों के जीवन में गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गारंटी योजना सहायक होगी।
2. जिले में महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से गरीबी उन्मुलन के विकास के लिए बहुतायत रूप से सम्भावना हो सकती है।
3. जिले के महिला एवं पुरुष अकुशल श्रमिक के कार्यबल के विकास पर

यह योजना सहायक हो सकती है।

शोध पत्र का क्षेत्र – यह शोध पत्र एक तरफ शोध पत्र है। इस शोध पत्र में अध्ययन क्षेत्र रीवा जिले में गरीबी उन्मुलन पर मनरेगा योजना का एक अध्ययन लिया गया है जिसमें वर्ष 2014 से 2020 तक प्राप्त रोजगार धारक विश्लेषण किया गया है।

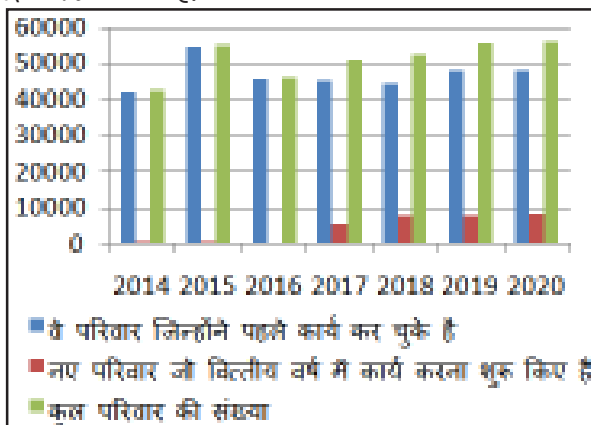
शोध प्रविधि – यह शोध पत्र द्वितीयक समकों के आधार पर तैयार किया गया है। शोध पत्र में समकों का संकलन पाठ्य पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आकड़ों एवं सरकारी प्रकाशनों तथा इंटरनेट का वर्गीकरण एवं सारणीपन साख्यकीय विधि के अनुसार किया गया है। तथा विश्लेषण करके इसके निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।

विषय सामग्री – मध्यप्रदेश एवं रीवा जिले में गरीबी उन्मुलन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कार्यक्रम तथा योजना चलाए जा रहे हैं जिसमें से सभी योजना राज्य एवं जिले में समय-समय पर हितग्राही को लाभान्वित कर रही हैं। जिसमें से एक योजना मनरेगा भी रीवा एवं मध्यप्रदेश सम्पूर्ण जिले में चल रही है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना है। तथा ग्रामीण गरीबी पर प्रभाव डालना है। इन्हीं बेरोजगार लोगों को मनरेगा योजना से प्राप्त हितग्राही परिवार को नीचे सारणी द्वारा दिखाया गया है।

सारणी क्रमांक 1.1: रीवा जिले के विभिन्न वर्षों में कुल परिवारों को उपलब्ध कराए गए हितग्राही को रोजगार :-

क्र.	वर्ष	वे परिवार जिन्होंने पहले भी कार्य करा है	नए परिवार जो वित्तीय वर्ष में कार्य करना शुरू किया	कुल परिवार
1	2014	42260	560	42820
2	2015	54546	520	55066
3	2016	45867	149	46016
4	2017	45377	5563	50940
5	2018	44382	7873	52255
6	2019	47792	7871	55663
7	2020	47890	8261	56151

रीवा जिले के विभिन्न वर्षों में कुल परिवार को उपलब्ध कराए गए मनरेगा योजना के तहत रोजगार को उपरोक्त सारणी के सामकों को कॉलम चार्ट द्वारा दर्शाया गया है।



स्रोत :- जिला जनपद पंचायत रीवा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2020 सर्वाधिक 56151 परिवारों

को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिनमें नए 47890 परिवार ऐसे हैं जिन्हें पूर्व में रोजगार प्राप्त हो चुका है। जबकि वर्ष 2014 में सबसे कम 42820 परिवार को मात्र रोजगार उपलब्ध कराया गया था। जिनमें 42260 ऐसे परिवार हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं और 560 नए परिवार शामिल हुए थे। जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

सारणी क्रमांक 1.2: 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवार, राज्य मध्यप्रदेश जिला रीवा -

क्र.	वर्ष	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस
1	2014	2367	242679
2	2015	2179	222983
3	2016	2043	208642
4	2017	7817	1004600
5	2018	4197	516942
6	2019	4197	515914
7	2020	4589	519712

स्रोत :- जिला जनपद पंचायत रीवा।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों एवं जनित दिवस में कोई विशेष संबंध नहीं है। 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवार में कम से कम 100 दिन व उससे अधिक दिन का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों को सम्मिलित किया जाता है। उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जबकि वर्ष 2016-17 में सबसे कम लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

सारणी क्रमांक 1.3: जिले में मनरेगा योजना द्वारा विकलांग व्यक्ति और प्राप्त रोजगार में पंजीकृत -

क्र.	वर्ष	विकलांग व्यक्ति नरेगा में पंजीकृत	वित्तीय वर्ष में कार्य किए गए	कार्य दिवस की संख्या
1	2014	908	498	10167
2	2015	667	90	1355
3	2016	1021	207	3647
4	2017	1486	276	5831
5	2018	1908	389	6848
6	2019	1908	396	5672
7	2020	2081	483	6959

स्रोत :- जिला जनपद पंचायत रीवा।

जिले के विभिन्न वर्षों में विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार से प्राप्त समकों से स्पष्ट है कि वर्ष 2020 में सर्वाधिक 2081 विकलांग व्यक्ति नरेगा के तहत पंजीकृत हुए जिनमें 2014 में 908 विकलांग व्यक्ति नरेगा के तहत जिले में रोजगार के लिए पंजीकृत हुए।

वर्ष 2015 में सबसे कम विकलांग व्यक्ति नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए जिसकी संख्या 667 तथा वित्तीय वर्ष में कार्य किए गए 90 तथा कुल कार्य दिवस की संख्या 1355 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिसमें सर्वाधिक कार्य दिवस 2020 में 6959 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

निष्कर्ष – इस प्रकार कहा जा सकता है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना केंद्र एवं राज्य की एक लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। जिससे देश में राज्य तथा जिला के ग्रामीणों में अकुशल श्रमिकों का विकास

हुआ है। इस योजना से जिले में अकुशल मजदूरों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है तथा जिले के सर्वाधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है जिसमें सभी वर्ग के अकुशल श्रमिकों रोजगार प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा, जिले की ग्रामीण विकास की आत्मा है। अतः देश एवं राज्य में सिर्फ मनरेगा योजना से ही गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। सरकार इसी प्रकार और योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू करें ताकि राज्य एवं जिले की गरीबी को तेजी से कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, महेश महात्मा गाँधी नरेगा, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2008।
2. जैन डॉ. बी.एम. रिसर्च मैथेडोलोजी, रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर।
3. महात्मा गाँधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 शोध अध्ययन।
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास का विवरण पत्रिका।
5. जिला पंचायत रीवा।
6. साप्ताहिक समाचार पत्र रोजगार और निर्माण।

सीधी जिले के हाट बाजारों का स्थानीय मांग पर प्रभाव

डॉ. एस.के.वर्मा * गुलशेर अहमद**

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अमरपाटन, मैहर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) संजय गांधी स्मृति शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मेरा मानना है कि बाजार का जन्म आवश्यकताओं का परिणाम है। जब किसी वस्तु की मांग होती है तो उसका उत्पादन भी करने का प्रयास किया जाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्पादन मांग के अनुरूप ही किया जाता है। जैसा किसी ने कहा है कि आवश्यकता अविष्कार की जननी है। उसी प्रकार मांग भी बाजार का जन्म कराने में सहायक होते हैं। पुरातन काल मनुष्य आपस में ही वस्तु विनिमय करना पसंद करता रहा होगा। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ज्यदा आवश्यकता नहीं रही होगी। जैसे ही मुद्रा का जन्म हुआ तो विनिमय की मापकता आ गई जिससे लोग वस्तु का विनिमय न कर मुद्रा के रूप में वस्तुओं का विनिमय करने लगे। एक साथ कई वस्तुओं की आवश्यकता भी बढ़ने लगी दूसरी ओर लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे परिणाम यह हुआ विक्री करने के लिए स्थान तय हुआ और उसका साधारण बोलचाल में हाट या बाजार नाम पड़ा। जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसको बाजार कहते हैं। जहां पर क्रेता- विक्रेता अपनी आवश्यकता का पूरा करते हैं उसको बाजार कहते हैं। इस सम्बंध अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने शब्दों में परिभाषित किया है।

क्रूनी – 'अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी एक स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता है जहां वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता है वरन् उस क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु के समस्त क्रेताओं तथा विक्रेतों के बीच इस प्रकार स्वतंत्र सम्पर्क होता है कि वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति शीघ्रता व सुगमता से समान होने की पायी जाती है।'

प्रोफेसर सिजविक – 'बाजार व्यक्तियों के समूह या समुदाय को कहते हैं जिनके बीच इस प्रकार के पारस्परिक वाणिज्यिक सम्बंध हो कि प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से इस बात का पूर्ण ज्ञान हो कि दूसरे व्यक्ति समय-समय पर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं।'

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है जहां पर आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता होता है उसको बाजार कहा जा सकता है वर्तमान परिदृश्य में इसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है।

बाजार के प्रकार– बाजार यह बोलचाल में साधारण सा प्रतीत होता है परन्तु इसके कई प्रकार जो निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र के आधार पर:

1. परिवारिक बाजार
2. स्थानीय बाजार

3. प्रादेशिक बाजार
4. राष्ट्रीय बाजार
5. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

समय के आधार पर:

1. अति अल्पकालीन बाजार
2. अल्प कालीन बाजार
3. दीर्घकालीन बाजार
4. अति दीर्घ कालीन बाजार

प्रतियोगिता के आधार पर:

1. पूर्ण प्रतियोगी बाजार
2. अपूर्ण प्रतियोगी बाजार
3. एकाधिकारी बाजार

कार्य के आधार पर:

1. विशिष्ट बाजार
2. मिश्रित बाजार
3. नमूने द्वारा बाजार
4. श्रेणियों के आधार पर बाजार

वैधानिकता के आधार पर:

1. उचित बाजार
2. अवैध बाजार

वस्तुओं की प्रवृत्ति के आधार पर:

1. उपज बाजार
2. स्कन्ध बाजार
3. धातु बाजार

क्षेत्र के आधार पर विभाजित बाजार ही प्रमुख बाजार माने जाते हैं।

1. पारिवारिक बाजार – इस बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय (आदान-प्रदान) परिवार के सदस्यों के बीच या बहुत नजदीकी व्यक्तियों के साथ होता है।

2. स्थानीय बाजार – इस बाजार से आशय है जिनका क्षेत्र सीमित होता है यहां पर उन वस्तुओं का व्यापार होता है, जो शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं। इसके तहत आने वाली वस्तुओं की मांग सीमित होती है।

3. प्रादेशिक बाजार – इस बाजार का आकार स्थानीय बाजार से व्यापक होता है। प्रादेशिक बाजार के अन्तर्गत बाजार की मांग एवं पूर्ति एक प्रदेश की सीमा तक फैली रहती है।

4. **राष्ट्रीय बाजार** – यह बाजार देश की सीमा के भीतर फैला रहता है। यहां पर वस्तु की मांग पूरे देश में रहती है तथा उसकी पूर्ति भी मांग के आधार पर पूरे देश में रहती है। ऐसा बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है।

5. **अन्तर्राष्ट्रीय बाजार** – इसका आकार काफी बड़ा होता है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से आशय है जहां पर वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के कोने कोने में फैले रहते हैं। और उनकी उपयोगिता के आधार पर वस्तु की उपलब्धता रहती है।

हाट बाजार– इस प्रकार के बाजार भारत में शदियों से अस्तित्व में रहे हैं। विष्णुसेन के ताम्रपट्ट छठी शताब्दी से बाजार व्यावस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। बाजार हाट का आयोजन मंदिर या तालाब के पास किया जाता था। हाट बाजार से प्राप्त आय पर मंदिर का खर्चा पूरा किया जाता था। हाट बाजार कभी मेले तो कभी साप्ताहिक बाजार के नाम से अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज आयोजित हो रहे हैं। जहां पर आसपास एवं दूर दराज के व्यापारी आकर अपना व्यापार करते हैं तथा आस पास के व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय करते हैं। इस प्रकार के बाजार हमारे देश में शदियों से फल फूल रहे हैं। हाट बाजार की तुलना बड़े शहरों के अधुनिक सुपर बाजार या माल से करे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जिस प्रकार शहरी क्षेत्रों में एक छत के नीचे समस्त प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार में ग्रामीण स्तर की सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। परन्तु इस प्रकार के बाजार से देश के विकास में कितना योगदान है तथा इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है इस सम्बंध में शायद ही किसी को पता होगा, सीधी जिले के कोने-कोने में बसे नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार सामग्री हाट बाजार उपलब्धता सुलभ कराते हैं और स्थानीय उपज के लिए बाजार भी उपलब्ध कराते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र जिला सीधी का सामान्य परिचय – सीधी रीवा संभाग के अन्तर्गत आता है रीवा जिला में कुल 06 जिले आते हैं जिनमे रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मउगंज और मैहर आते हैं। प्रस्तुत शोध जिला सीधी से सम्बंधित है, सीधी म. प्र. का पूर्वी जिला है। जिसका क्षेत्रफल 4,851 वर्ग किमी. है जबकि जनसंख्या 11,27,033 है जिसमे से 5,51,121 महिलाओं की संख्या है। इसकी साक्षरता 64.4 प्रतिशत है। लिंगानुपात 920 तथा घनत्व 208 प्रतिवर्ग किमी है। सीधी जिले की लगभग 91 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। सीधी जिला पांच विकास खण्डों में विभाजित है जहां पर हाट बाजार का आयोजन किया जाता है। (1) रामपुर नैकिन विकासखण्ड में लगभग 13 (2) सीधी विकासखण्ड में लगभग 16 (3) कुसमी विकासखण्ड लगभग 12 (4) सिहावल विकासखण्ड में लगभग 10 तथा (5) मझौली विकासखण्ड में लगभग 15 हाट बाजारों का आयोजन किया जा रहा है।

साहित्य की समीक्षा

प्रस्तावित शोध जिस शीर्षक (विषय) पर किया जावेगा उससे सम्बंधित इस जिले/क्षेत्र में किसी के द्वारा नहीं किया गया है यह एक नया शोध विषय है सीधी जिले से सम्बंधित इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बंधित शोध साहित्य समीक्षा निम्नांकित है।

1. ब्राम्बे आर. जे. सिमांस्की, रिचर्ड 1975 ने अपने पेपर 'द रेशनल आफ पीरियोडिक मार्केट' में बताया कि अत्यधिक बाजार का जन्म आवश्यकता के कारण होता है तथा अपने तुलनात्मक लाभ के लिये प्रति-दिन के स्थान पर साप्ताहिक बाजार में वस्तु विक्रित करना चाहते हैं।

2. वनमाली सुधीर 1980 'द रेगुलेटेड पीरियड मार्केट एण्ड रूरल डेवेलोपमेंट इन इण्डिया' नामक अपने रिसर्च पेपर में इस बात पर जोर दिया की भारत में विनियमित पीरियाडिक बाजार में कृषि सम्बंधी विपणन का एक शसक्त माध्यम है। उन्होंने अपना यह निष्कर्ष महाराष्ट्र के नागपुर जिले के पंचायत समितियों के आकड़ों के आधार पर निकाला है।

3. सक्सेना एच एम 1985, 'ग्रामीण बाजार एवं विकास' नामक अपनी पुस्तक में साप्ताहिक बाजार के सम्बंध में अपना विचार प्रकट किया है। इन्होंने बताया है कि हाट बाजार एवं मेला ग्रामीण विपणन के लिये बहुत उपयोगी होता है क्योंकि ग्रामीण हाट बाजार ग्रामीण जरूरतों को पूरा करता है। हाट बाजार तथा मेला जहां पर आयोजित किये जाते हैं वहां पर ग्रामीण आवश्यकता को पूरा करने का साधन तैयार होता है।

4. श्री नरेश कुमार यादव 2005 'पूर्वी उत्तर प्रदेश के हाट एवं मेला में ग्रामीण विपणन बदलते स्वरूप का एक अध्ययन' डॉ. आर.एम.एल. अवध वि.वि. फैजाबाद द्वारा अपने शोध पत्र के माध्यम से यह शोध किया है कि परंपरागत बाजार विपणन व्यावस्था के स्थान पर आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में विपणन का स्वरूप बदल गया है पहले परंपरागत सामग्री का क्रय-विक्रय होता था परन्तु अब इसमें काफी बदलाव आ गया है हाट एवं मेला में उपभोक्ता को प्रत्येक आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो रही है जिससे कारण व्यवसाय में तथा आय में अनेक तरह बदलाव परिलक्षित हो रहे हैं।

5. सुनीता एस. राठौड शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर महाराष्ट्र द्वारा 2011 में An Economic Analysis Of Rural Weekly Markets In Kolhapur District सुनीता जी द्वारा Under The Guidance Of Dr. P. A. Koli M.A., Ph.D. Professor And Ex-Head, Department Of Economics, Shivaji University & Director, Venkateshwara Institute Of Management, Peth, Sangli (M.S.) के निर्देशन में वीकली बाजार में कृषि से सम्बंधित किन- किन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। सुनीता एस.राठौड ने यह भी आपने शोध में पाया है कि वीकली बाजार में अधिकतम 10-15 किमी. दूर से क्रेता विक्रेता आते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदकर शाम होते होते वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। बाजार तक आने के लिये किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पडती है इस सम्बंध में प्रकाश डाला गया है।

सुनीता एस.राठौड ने अपने रिसर्च में बताया है कोल्हापुर जिले कि वीकली बाजार में अनेक तरह की जो कमियां हैं उनको दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए इनका प्रधानमंत्री सड़क के आस-पास होने से आवागमन के साधन बढ़ाने से बाजार का विस्तार होगा। वीकली बाजार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए इत्यादि कई सुझाव सुझाए गये हैं।

6. अभिलाषा साहू 2017 में 'ग्रामीण विकास में वीकली बाजारों की भूमिका' (सागर जिले के विशेष संदर्भ में) "Role of Weekly Markets in Rural Development: With Special Reference of Sagar District" Supervisor Dr. Utasav Anand Assistant Professor Department of Economics के निर्देशन में किया है अपने शोध में अभिलाषा जी ने बताया है कि अधिकतर वीकली मार्केट ग्रामीण क्षेत्र में पाये जाते हैं तथा ये बाजार ग्रामीण विकास में अपना योगदान देते हैं तथा ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं।

शोध कार्य का उद्देश्य एवं परिकल्पना – हाट बाजार में अनेक गतिविधियां अपने कार्य करण में लगी रहती हैं। आधुनिक दौर में जब हर तरह से आनलाइन मार्केट का बोलबाला है तब भी सीधी के ग्रामीण अदिवासी बहुल इलाकों में

हाट बाजार जिस गति से गतिज है उनके बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। जिन बिन्दुओं पर शोध किया जावेगा जिनकी व्याख्या निम्नानुसार है:

1. हाट बाजारों की स्थानीय प्रभावशीलता की खोज करना।
2. हाट बाजार स्थानीय मांग को बढ़ाने में कितने सहायक है इसकी खोज करना।

परिकल्पना- प्रस्तुत शोध रूपरेखा की परिकल्पना निम्नांकित है:

1. हाट बाजार व्यावसाय स्थानीय स्तर पर आज भी प्रभावशाली है।
2. हाट बाजार स्थानीय मांग को बढ़ाते हैं।

प्रस्तावित शोध प्रविधि – प्रस्तावित शोध में आकलन किया जावेगा कि हाट बाजार से कितने व्यक्तियों का स्वरोजगार देता है तथा इसकी प्रभावशीलता से सम्बंधित आंकड़े एकत्र किये गये साथ में अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई और अवलोकन विधि का सहारा लिया गया है।

1. प्राथमिक आंकड़े- इसमें हाट बाजार जो सीधी जिले में आयोजित होते हैं वहां से प्राथमिक आंकड़े एकत्र किये गये।
2. शोध के दौरान अनेक तथ्यों का अवलोकन किया गया उसके उपरांत जो तथ्य पाये गये।

शोध कार्य का परीक्षण – शोध के दौरान परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया **‘हाट बाजार व्यवसाय स्थानीय स्तर पर आज भी प्रभावशाली है’** प्रस्तावित शोध के दौरान सीधी जिले के अनेक हाट बाजारों का भ्रमण किया गया। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणजनों से अनेक प्रकार की चर्चा की गई। सीधी जिले के हाट बाजारों के सम्बंध में बड़े रोचक तथ्य सामने निकलकर आये सीधी जिले में बड़े-बड़े हाट बाजार कार्य-करण कर रहे हैं जहां पर ग्रामीण जनों की आवश्यकता की सामग्री प्राप्त हो जाती है। आज आन-लाइन बाजारों की पहुंच ग्रामीण स्तर पर भी बड़े पैमाने पर हो गई है। फिर भी सीधी जिले के ग्रामीण जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुएं सुलभता से हाट बाजार ही उपलब्ध कराते साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर भौतिक रूप मनोरंजन का साधन हाट बाजार ही है। **‘हाट बाजार स्थानीय मांग को बढ़ाते हैं’** सीधी जिले में 51 हाट बाजार विभिन्न दिवसों को आयोजित हो रहे हैं। 51 हाट बाजारों में करीब 200 लोगों का लाटरी सिस्टम से चयन कर कथन साक्षात्कार लिया गया उनमें से हाट बाजार में विक्रय कार्य कर रहे ज्यदातर उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि औसतन सभी वस्तुओं का विक्रय हो जाता है। कुछ प्रतिशत ने माना कि कुल व्यवसाय का 90 प्रतिशत विक्रय हो जाता है

शोधा अवलोकन विधि का प्रयोग करने पर पाया गया, हाट बाजार समाप्त होते होते औसतन सभी विक्रेताओं के 80 प्रतिशत सामान का विक्रय हो चुका था, खाद्य वस्तुओं एवं जलपान दुकानों में सभी वस्तुतः औसतन समाप्त हो गयी थी। अतः हाट बाजारों में विक्रय मांग की कमी नहीं है और यह बिक्री स्थानीय मांग के साथ साथ शहरी बाजारों की मांग बढ़ा देते हैं। हाट बाजार से स्थानीय निवासियों का दोहरा कार्य हो जाता है एक ओर उनकी उपज के लिए आसानी से स्थानीय बाजार मिल जाता है दूसरी ओर उनकी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती है। उपरोक्त

तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि हाट बाजार एक ओर स्थानीय जनता की मांग को पूरा करता है तो दूसरी ओर शहरी व्यापारियों के लिए मांग उपलब्ध कराता है। जिसका परिणाम बड़े पैमाने में रोजगार एवं मांग का चक्र चलता रहता है।

प्रस्तावित शोध कार्य से प्राप्ति/उपादेयता – सीधी जिले में ग्रामीण स्तर पर अनेक प्रकार की उपज होती है जिनके क्रय-विक्रय के लिए आदर्श बाजार आज भी हाट बाजार सबसे मुफिद स्थल है। निःसंदेह बड़े पैमाने पर विक्रेताओं को राजस्व की प्राप्ति होती है साथ-ही-साथ स्थानीय यूवाओं के लिए रोजगार के साधन भी हाट बाजार उपलब्ध कराते हैं। शोध केन्द्र सीधी में छोटे-छोटे गाँवों एवं कस्बों में वस्तुओं की उपभोक्ताओं तक पहुंच का एक मात्र माध्यम हाट बाजार ही होते हैं, पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में हाट बाजारों में वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि हाट बाजारों में समय के अनुरूप अपने आकार एवं प्रकार दोनों को बदलने की प्रवृत्ति में सफल रहे हैं। हाट-बाजारों में ग्रामीण वस्तुओं के साथ-साथ शहर से आई वस्तुओं की मांग ज्यादा हो रही है। जिनकी मांग में वृद्धि विक्रय को प्रभावित करती है। यदि सरकारें स्माल फाइनेंस व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सरल बनाए जिससे आसानी से ऋण उपलब्धता बढ़ जाए तो सीधी जिले में ग्रामीण मांग के विस्तार एवं स्वरोजगार के लिये हाट बाजार एक मील का पत्थर साबित होंगे। हाट बाजारों में आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन हाट बाजारों को सुविधा जनक बनाए और बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए टीन शेड, लाइट, पेय जल, शौचालय, सुरक्षा आदि की व्यवस्था बनाई जाए तो हाट बाजार और भी अधिक व्यापारिक मांग एवं उपभोक्ता मांग में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

प्रमुख शब्द:

कार्य करण – एक कार्य के साथ अनेक कार्य का होना।

स्माल फाइनेंस – शुद्ध ऋण (जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो)।

चक्र – पहिया (जो लगातार चलता रहे)।

मील का पत्थर – आधार/दिशा प्रदाय करने का सूचक।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. मिश्र किशोर कमल, ‘प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था’, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, लोदी रोड नई दिल्ली, वर्ष 2006
2. डॉ. पंत जे.सी. एवं डा. मिश्रा जे.पी., अर्थशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन आगरा, वर्ष 2019
3. डॉ. झिंगन एम.एल., ‘विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन’, वृन्दा पब्लिकेशन प्रा.लि., मयूर विहार फेज-1 दिल्ली, वर्ष 2012
4. शोधार्थी द्वारा पूर्व में प्रकाशित शोध पत्र।
5. अन्य पत्र पत्रिकाएं- 1. मध्यप्रदेश संदेश 2. कुरुक्षेत्र 3. योजना 4. प्रतियोगिता दर्पण 5. विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र।

महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा

प्रो. श्रीकान्त मिश्रा* डॉ. हीरासिंह गौड़**

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाराजा मारतण्ड महाविद्यालय, कोतमा (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, राजनगर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'मुझे संसार को कुछ नया नहीं सिखाना है सत्य और अहिंसा एक पर्वत की तरह प्राचीन है।'

महात्मा गांधी का मानस चिंतन उनके दिल की भावनाओं से जुड़ा था, जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। गांधीजी अपने बाल्यकाल से आरंभ करते हुए उन परीक्षणों और तेजी से बदलती परिस्थितियों से परिचय कराते हैं जो उनके जीवन दर्शन को एक नया स्वरूप दिया। उसमें बाल विवाह, इंग्लैंड में शिक्षा, दक्षिण अफ्रीका में वकालत और वहां उनके सत्याग्रह से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर तक शामिल हैं। गांधीजी का लक्ष्य सत्य और अहिंसा के साथ अपने विभिन्न प्रयोगों को उस समय तक पहुंचा सके जो उनके अनुसार परम सत्य है। जातिवाद, हिंसा और उपनिवेशवाद के विरुद्ध उनका एक आदर्श संघर्ष है।

भारत अहिंसा परमो धर्म: की पुण्य भूमि है। गांधी भारतीय ऋषियों-मनीषियों की धर्म दर्शन परम्परा के उद्घोषक विचारक एवं सन्त हैं। उनकी समस्त विचारधारा सत्य और अहिंस के दो केन्द्रीय भाव स्रोतों पर आधारित है। गांधी जी के विचार से दोनों भाव विशेष अर्थ में अभिन्न हैं, कारण यह है एक विचार अनिवार्य रूप से दूसरे की ओर ले जाता है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य की तलाश में उन्हें अहिंसा का विचार मिल गया। सत्य और अहिंसा दोनों पर उनका अटल विश्वास था। वे अहिंसा को बुद्धि का विषय नहीं मानते हैं। अहिंसा हृदय का विषय है, ऐसी मान्यता उनकी रही है। वे स्वीकारते हैं कि अहिंसा दर्शन मेरे लिए दार्शनिक सिद्धान्त मात्र नहीं है वह मेरे लिए नियम कानून और मेरी श्वास-विश्वास दोनों हैं। अहिंसा के पालन में चेतन रूप से या कभी-कभी अचेतन रूप से असफल हो जाते थे किन्तु उनके अन्तर्मन में वह ज्योति स्पष्ट रही है कि हम में से किसी का बचाव बिना सत्य और अहिंसा के सम्भव नहीं है।

यद्यपि गांधी ने अहिंसा शब्द का प्रयोग सर्वथा विशिष्ट अर्थ में किया हो, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके प्रचलित साहचर्यों में से कोई खास भिन्नता नहीं है। उन्होंने अहिंसा शब्द के भावात्मक एवं निषेधात्मक दोनों ही पहलुओं का उल्लेख किया है। वस्तुतः भावात्मक अर्थ में अहिंसा का मूल स्वरूप झलकता है। एक दृष्टि से निषेधात्मक अर्थ को भी अपने में समाविष्ट किये हुए हैं।

अहिंसा का सरल अर्थ है-हत्या न करना। किन्तु यह तो अहिंसा के एक उदाहरण से बढ़कर कुछ नहीं। अहिंसा शब्द अत्यन्त व्यापक है और किसी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाना और किसी को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचाना सच्ची अहिंसा है। अहिंसा के विश्लेषण के लिए भाषायी आधार पर हम कह सकते हैं कि अहिंसा हिंसा का विलोम है। इसलिए हम यह

कहेगे कि वास्तव में हिंसा के लिए किसी की हत्या करना, किसी को कष्ट या पीड़ा पहुँचाना पर्याप्त कारण या शर्त नहीं है, जरूरी है हिंसा को हिंसा होने के लिए उसमें छिपी मानसिकता को जिसमें सम्मिलित है-स्वार्थ, ईर्ष्या से या जान बूझकर किसी का प्राण लेना अथवा किसी प्रकार से कष्ट पहुँचाना। सत्य और अहिंसा की अविच्छिन्नता का वर्णन करते हुए वे बार-बार कहते हैं, 'वे इतने अन्तर्गर्हित हैं कि उन्हें अलग कर सकना असम्भव है। वे एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। एक ही चिकनी सपाट धातु की टिकिया के दो पक्ष हैं-कौन यह कह सकता है कि यह सीधा है और उल्टा है।' (एन.के. बोस सेलेक्शन फ्राम गांधी पृष्ठ 14)

गांधी अहिंसा के भावात्मक पक्ष पर आस्था रखते हैं। उनका विश्वास है कि अहिंसा मानव की मानवीयता का लक्षण है। अहिंसा मानव जाति के जीवन का मूल नियम है। वे उसका कई प्रकार से उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि अहिंसा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यह अपने आप में कृत्रिम नहीं है, न ही कहीं ऊपर से लादा जाता है, बल्कि यह मनुष्य की जन्मजात सामर्थ्य का ही एक अंग है। गांधी जी स्वीकारते हैं कि अहिंसा ही हमारी जीव जाति का नियम है। साथ ही पशुरूप में मनुष्य हिंसक है पर आत्मरूप में वह अहिंसक है तथा उसके भीतर आत्म जाग्रत होते ही वह हिंसक नहीं रह जाता है।

अहिंसा के पालन की कठिनाइयों को गांधी बखूबी समझते थे। उन पर जैनियों का गहरा प्रभाव देखा जाता है किन्तु अहिंसा को अति कठोरता के साथ व्यवहार में लाना असम्भव हुआ करता है इसलिए अहिंसा की निषेधात्मक शर्तों को लागू करने में वे उदार दिखाई पड़ते हैं। और कुछ परिस्थितियों में पूर्ण हिंसा का त्याग जाना उन्हें असम्भव लगा है। उनका मानना है कि मनुष्य का शरीर जीवों की सबसे बड़ी वधशाला है खाने पीने, श्वास लेने जैसे अनगिनत क्रियाओं में जीवों का हनन होता रहता है जिससे कैसे बचा जा सकता है?

विशेष परिस्थितियों में हिंसा कहीं-कहीं मनुष्य से हो जाती है और उसकी उपलब्धियाँ भी शुभ होती हैं, किन्तु शुभता क्षणिक है स्थायी नहीं। कई अवसरों पर गांधी जी ने हिंसा की अनुशंसा भी की है और कहा है कि 'यदि मेरा बच्चा असाध्य रोगी हो जाए तथा उपचार के सभी विकल्प समाप्त हो जाये तो उस बच्चे को उस भयानक कष्ट से मुक्त होने के लिए भाग्य के सहारे छोड़ देना उचित नहीं है, बल्कि उस समय हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसका प्राणान्त कर दें।' अहिंसा का वस्तुतः भावात्मक स्वरूप प्रेम है। प्रेम में अपने प्रिय से तादात्म्य स्थापित होता है। प्रेम में वह शक्ति समाहित है जो मन को पूर्णतया स्वच्छ कर देती है तथा व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। प्रेम

में दया, ममता, करुणा, सहानुभूति, कल्याण, सहन करने की शक्ति समाविष्ट है। गांधी जी की प्रेम सम्बन्धी मान्यताओं पर टालस्टाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है। टालस्टाय ने सन् 1910 में अपने पत्र में गांधी को लिखा था, जिसे अप्रतिरोध कहा जाता है। वह मिथ्या व्याख्या द्वारा अविधृत प्रेम के अनुशासन के सिवाय और कुछ नहीं है।

अहिंसा कर्म की प्रेरणा है। अहिंसा कुछ क्षणों में सम्पादित होने वाला कर्म नहीं है, इसमें सतत प्रवाह है। इसका पालन सतत संकल्प, चिन्तन तथा कर्मों द्वारा होता है। अहिंसा में असीम धैर्य की आवश्यकता है, किन्तु धैर्य निष्क्रियता नहीं है। अहिंसा सामर्थ्य की द्योतक है दुर्बलता की नहीं। अहिंसा कार्यरतों के लिए नहीं है और न ही पुरुषोचित गुणों के विपरीत अहिंसा में क्षत्रिय धर्म की उच्चता है जिसमें अभयता का चरमोत्कर्ष है, इसमें पलायन व पराजय का किंचित स्थान नहीं है। यह आत्मगुण है जिसे प्राप्त करना दुसाध्य है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी या गलत काम करने वाले के समक्ष मूक समर्पण नहीं है।

महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा का मूलमंत्र है-दुःख सहन करने की शक्ति का संचयन (यंग इण्डिया, 12 जून, 1922) वास्तव में गांधी जी ने प्रेम एवं अहिंसा को रूप एवं आकार में समान माना है। प्रेम में लोभ नहीं होता है, उसकी जड़े बलिदान में हैं। प्रेम में पाना नहीं बल्कि देना-देना रहता है। इसलिए गांधी जी अहिंसा को सचेतन दुःख कहते हैं। गांधी के विचार से भारतीय मनीषी न्यूटन से बड़े सत्यान्वेषक एवं वेलिंगटन से भी बड़े योद्धा थे।

अन्त में महात्मा गांधी जी यह मानते रहे हैं कि मुझ में सार्वभौमिक हिंसा के उपदेश का सामर्थ्य नहीं है। अहिंसा के सार्वभौम स्वरूप के उपदेशक की अक्षमता का यह तात्पर्य नहीं रहा है कि वह अहिंसा को छोड़ने की गलती करने वाले थे। वह अहिंसा को अपने हृदय में ग्रहण किये हुए थे तथा वह बौद्धिक धरातल पर अहिंसा से प्रकाशमान थे। उनका मानना था कि मुझमें

अभी द्वैतभाव बचा हुआ है और जब तक मैं विशेष रूप से क्रोध को वशीभूत नहीं कर लेता हूँ तब तक सार्वभौमिक अहिंसा का अधिकारी नहीं हूँ। गांधी की अहिंसा भावात्मक, सकारात्मक, त्याग एवं बलिदान से परिपूर्ण अहिंसा रही है। गांधी को अहिंसा पर अपना दृढ़मत रहा है तभी विश्व को सर्वशक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता को अहिंसा के बल पर मूलोच्छेदन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई और उनकी मृत्यु पर लुई फिशर ने अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है- सुदूर भारत का एक लंगोटीधारी व्यक्ति किन्तु उसकी मृत्यु पर मानवता ने आंसू बहाए। उक्त टिप्पणी में गांधी की महानता और उनके जीवन दर्शन की महत्ता की यथार्थ स्वीकृति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गांधी, मोहनदास करमचंद, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, राजपाल प्रकाशन, दिल्ली
2. गांधी, मोहनदास करमचंद, हिन्द स्वराज
3. महात्मा गांधी एन ऑटोबायोग्राफी, अनुवाद मंजुला डोभाल
4. गांधी का अहिंसा दर्शन, डॉ संजय कुमार सिंह
5. गांधी, मोहनदास करमचंद, 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह', 1924
6. गांधी, मोहनदास करमचंद, मेरे सपनों का भारत
7. गांधी, मोहनदास करमचंद, ग्राम स्वराज
8. गांधी, मोहनदास करमचंद, बापू की सीख
9. सव्यसाचि भट्टाचार्य, महात्मा और कवि, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, संस्करण-2005
10. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, संस्करण-1974
11. एन.के. बोस, सेलेक्शन फ्राम गांधी
12. गांधी, यंग इण्डिया

1857 की क्रांति में शहीद अमरचंद बांठिया का योगदान (ग्वालियर के विशेष संदर्भ में)

शैलेन्द्र सिंह*

* शोधार्थी (इतिहास) सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्वतंत्रता संग्राम में भारत के अनगिनत सपूतों के अपने प्राणों की आहुती देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। भारत की आजादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश जिन वन्दनीय ने आजाद कराया उनमें एक अमर शहीद अमरचंद बांठिया को भारत देश कभी नहीं भुला पायेगा। आज इतिहास के पन्नों में अमरचंद बांठिया का नाम विलुप्त है भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी सार्थक प्रयास किए जा सकते थे लेकिन स्थानीय इतिहास लेखन की उपेक्षा से जिसके कारण अमरचंद बांठिया का नाम इतिहास के पन्नों में विलुप्त हो गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से 1857 की क्रांति में अमरचंद बांठिया की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की पृष्ठभूमि से स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नवीन तथ्यों को आलोक में लाने से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया 1857 की क्रांति से संबंधित ग्वालियर के अनेक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिल सका लेकिन इस शोधपत्र के माध्यम से ऐसे ही नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम की व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो ग्वालियर की क्रांति में क्रांतिकारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले अमरचंद बांठिया ने जिन्होंने 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मी बाई एवं तात्या टोपे के लिए कोष उपलब्ध कराया था।

पृष्ठभूमि – शहीद अमरचंद बांठिया का जन्म राजस्थान की राजपूताना शौर्य भूमि से संबंधित बीकानेर में शहीद अमरचंद बांठिया का जन्म 1793 में हुआ था इनके पिता का नाम अमीरचंद बांठिया था उनमें देश के लिये कुछ कर गुजरने का जज्बा था बचपन से ही उन्होंने अपने कार्यों से साबित कर दिया था वे अपने देश की आन-बान और शान के लिये कुछ भी करने के लिये तैयार थे। इतिहास में सम्भवतः इनके विषय में कम जानकारी मिलती है लेकिन इनके बारे में पूर्ण जानकारी सही तथ्य को जुटाने का प्रयास किया है। की इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी के व्यवसायिक घाटे ने बांठिया परिवार को राजस्थान से ग्वालियर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह परिवार ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के सराफा बाजार में आकर बस गया। तत्कालीन ग्वालियर रियासत के महाराज ने उनकी कीर्ति से प्रभावित होकर उन्हें राजकोष को कोषाध्यक्ष बना दिया। कोषाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अमरचंद बांठिया के पश्चिम राज्य एवं सेना के अधिकारियों से परिचय होने

लगा था इसी समय भारत में स्वाधीनता की आग सम्पूर्ण भारत में फैल रही थी अमरचंद बांठिया के अंदर भी देश को स्वतंत्र कराने की व देश की प्रति कुछ कर गुजरने की आग धधक रही थी जब उन्हें 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने की जानकारी तो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया। क्योंकि वे अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे जब उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में अत्याचार की जानकारी मिलती थी तब उनके मन में भारत के प्रति भारत को स्वतंत्र कराने की भावना और प्रबल हो जाती थी। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया तो उस समय झांसी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों को कई महिनों से वेतन भी नहीं मिल पा रहा था। साथ ही उनके सैनिकों के खाने की व्यवस्था करने हेतु अभाव था जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी छोड़कर ग्वालियर की ओर कूच किया और उनके बारे में ग्वालियर राज्य के रियासत के कोष के अध्यक्ष अमरचंद बांठिया को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक मदद करना प्रारंभ कर दिया यह धनराशि 3 जून 1858 को उपलब्ध करायी गई एवं उनके मदद के बल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सफल रही उनके निजी धन व राजकोष के द्वारा क्रांतिकारियों के लिए खोल दिया था इस प्रकार देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने अपना योगदान दिया।

जब अंग्रेजी शासन को इस क्रतु की जानकारी प्राप्त हुई तो अंग्रेजी शासन ने अमरचंद बांठिया के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर एवं राजद्रोह के आरोप में उन्हें साराफा बाजार में उनके घर के पास ही नींव के वृक्ष पर फांसी पर लटका दिया था इस प्रकार अमरचंद बांठिया देश की आजादी हेतु अपनी अंतिम सांस तक देश के प्रति लड़ते रहे और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 22 जून 1858 को अमरचंद बांठिया को फांसी दे दी इसीलिए 22 जून को सहादत दिवस के रूप मनाया जाता है और उनका कार्य और साहदत हमेशा प्रेरणा देता रहेगा जिस नीम के वृक्ष पर अमरचंद बांठिया को फांसी दी गयी थी उसी वृक्ष को लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते कुछ वर्ष पूर्व आधा कटवा दिया था लेकिन वर्तमान समय में इस वृक्ष का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। इनकी मृत्यु के चार पूर्व ही वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थीं।

शोधप्रवधि – मेरा शोध संग्रह प्रमुख रूप से सर्वेक्षण एवं आंकड़ों पर आधारित है मेरे द्वारा ग्वालियर में साराफा बाजार का भ्रमण किया गया और अमरचंद

बांठिया के बारे में लोगों से जानकारी भी प्राप्त हुई और उन सभी का विवरण मैंने अपने शोध पत्र में दिया मेरे द्वारा अमरचंद बांठिया के परिवार जनों से सम्पर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनके परिवार वाले किन्हीं कारणों से ग्वालियर को छोड़कर कानपुर में बस गए हैं और उनसे मेरा सम्पर्क नहीं हो पाया। मैंने पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से ही इनके बारे में जानकारी जुटाई है।

उपयोगिता- आज के समय में भारत देश को देश में स्वतंत्र कराने में उनके योगदान को इतिहास में अधिक महत्व नहीं दिया गया है जिसे हमें याद

करने की आवश्यकता है और इतिहास के पन्नों में उनको स्थान दिलाने की आवश्यकता है। विवेचन से यह स्पष्ट है कि 1857 की क्रांति के समय यदि अमरचंद बांठिया ने क्रांति वीरों की इस प्रकार आर्थिक सहायता न की होती तो उन वीरों के सामने कैसी स्थिति होती इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय अभिलेखाकार, नई दिल्ली।
2. डॉ. जगदीश प्रसाद शर्मा, राजकीय अभिलेखाकार, भोपाल।
3. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

Comparative Study of Mental Toughness Brain Hemisphere and Creativity of Boxing Male Players

Dr. Bhupender Sharma* Dr. Vijay Singh**

*Assistant Professor, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA
** HOD (Physical Education) University of Kota, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - The ancient philosopher Aristotle of Greece proclaimed the quality of people, quoted by Bucher as follows: "The body is the temple of the soul and to reach harmony of body, mind and spirit, the body must be physically fit". The efficiency of the human body depends upon many factors. With the enhanced status of sports in society the provision of sports training has become very important although the need for competent training has long been recognized.

Physical fitness helps to enjoy physical activity sustain skills, learning and enhance performance on the athletic field. Specific physiological systems of the body should be adopted to support a particular game. Since different games make different demands upon the organism with respect to neurological, cardiorespiratory systems are highly adaptable to exercise. For a good performance in any sports or athletic event, the high standard of fitness is a basic requirement. More participation in sports activity is not enough to improve fitness. The fitness must be gained through conditioning programme. The athletes and coaches advocate different training and coaching methods to improve their physiological, strength and endurance variables. The investigator was interested to find out the effect of sand training and spring board training on selected speed and endurance parameters of football players.

Keywords: sand running, springboard, football, rebound.

Introduction - Over three thousand years ago, the Greeks saw the need to provide effective and efficient training for the athletes taking part in the Olympics games. But since 1950s many countries have recognized the importance of an effective sports training programme in a wide range of activities not only for the success in major international competitions but also for the development of healthy participants comprehensive sports training programme is the key factors in producing the skillful high performance. Day-to-day life needs graceful movement of the body segments in a normal men and much more in athletes. The efficiency of the human body depends upon many factors. Physical fitness is an important factor as it is a prerequisite to skill-teaching and performance in sports and games.

In general usage, the term "training" is used to denote different things. In the broad sense, training today is used to mean any organized instruction whose aim is to increase man's physical psychological, intellectual or mechanical performance rapidly. In the field of sport we speak of training in the sense of preparing sportsman for the highest levels of performance.

The training is a process of preparing an individual for any event or an activity or job. Training for competitive sports is particularly effective way of developing the personality.

Football is not a matter of life and death. It is much

more important than that. Almost all the countries play it and of course millions of people watch it. It is apparently one of the ancient sports and it is the direct ancestor of American Football, Canadian Football, Rugby and several other similar sports.

The game of football is one of the most popular games in the world. The game began in England in the 12th century, but Edward-II banned it in 1324. His successor Edward-III in 1349, Richard-II in 1389 and Henry-IV in 1401 as also the Scottish rulers forbade people from playing football. In the beginning there were no definite rules of the game. Each team played with its own rules. An attempt was made by Thring and Dewinton to frame a uniform set of rules and the first set of football rules were framed in 1862 and revised in 1863. The football Association of England was formed and new rules of this game were framed in 1864.

An international football match for the first time was played between England and Scotland. Considering the growing popularity of the game, delegates from seven nations met on May 21, 1904 to form the Federation International de Football Association (FIFA). FIFA organized the world football championship for the first time in 1930 at Montevideo. Football has spread itself all over the world and now there are more than 200 countries affiliated with FIFA.

Football, as it is seen today has undergone a

tremendous improvement since its birth. Of all the events in human history, the one to attract the largest audience was neither a great political occasion nor a special celebration of some complex achievement in the art or science but a simple game, a football match.

Review of literature:

Fischer, J. (2010) tested the long-term performance of this adaptive mechanism as well as to assess its application as biomarker for environmental contamination studies were performed in batch cultures and in continuously running sand columns, simulating long-term contamination with bisphenol A (BPA). In short-term grown batch cultures a high correlation between trans/cis ratio and added BPA concentration and toxicity was observed. In contrary, this did not occur in the case of long-term sand columns. An increase in trans/cis ratio of unsaturated fatty acids only appeared in a limited period of time. Afterwards the trans/cis ratio reached the values measured for non-stressed cultures. Cistrans isomerization is only an urgent response mechanism that is later substituted by other adaptive mechanisms. Therefore, it can be concluded that the trans/cis ratio of unsaturated fatty acids was shown not to be an appropriate biomarker for durable stress in the environment.

Boudet, J.F. (2003) reported on a study of advancing quasi-two-dimensional sand fronts on an inclined flat and thin strip confined between two vertical plates. These fronts form when a thin initial stream of sand running down the flat obstacle gets trapped at some distance from the injection point. Right after this trapping, the front starts to advance upstream and grow in time. The shapes at successive times are found to be self-similar in time. The stability conditions for the obtained fronts are also outlined. A simple model for interface dynamics gives reasonable predictions for the observed shapes.

Karakollukçu, M. (2015) indicated the effects of trampoline exercise on strength and other physiological parameters. This study aims to determine whether twelve weeks of trampoline exercise would have any effects on the physical and physiological parameters of male gymnasts. A number of 20 intercollegiate competitive male gymnasts (as experimental group) and 20 nonathlete male (as control group) participated voluntarily. Their anthropometric characteristics and the anaerobic power were measured and their back strength, vertical jump, standing long jump and 20 meter sprint performances were measured. As a result; whereas 12 weeks of trampoline exercise improved standing long jump (before 242.35 ± 3.40 cm; after 251.70 ± 2.95 cm) and also vertical jump, 20 meter sprint speed and anaerobic power of subjects. We did not observe significant changes on back strength performances (before 148.32 ± 5.73 kg; after 148.10 ± 5.71). The trampoline exercise protocol improved significantly speed, jump and anaerobic performances of the experimental group, while did not induced any changes on back strength performances. More studies are necessary to confirm the

interesting results coming from this pilot intervention.

Nocon, M. (2010) assessed the effectiveness of point-of-choice prompts for the promotion of stair climbing. In a systematic search of the literature, studies that assessed the effectiveness of point-of-choice prompts to increase the rate of stair climbing in the general population were identified. No restrictions were made regarding the setting, the duration of the intervention, or the kind of message. A total of 25 studies were identified. Point-of-choice prompts were predominantly posters or stair-riser banners in public traffic stations, shopping malls or office buildings. The 25 studies reported 42 results. Of 10 results for elevator settings, only three reported a significant increase in stair climbing, whereas 28 of 32 results for escalator settings reported a significant increase in stair climbing. Overall, point-of-choice prompts are able to increase the rate of stair climbing, especially in escalator settings. In elevator settings, point-of-choice prompts seem less effective. The long-term efficacy and the most efficient message format have yet to be determined in methodologically rigorous studies.

Telhan, G. (2010) found moderate changes in running-surface slope had a minimal effect on ankle, knee, and hip joint kinetics when velocity was held constant. Only changes in knee power absorption (increased with decline-slope running) and hip power (increased generation on incline-slope running and increased absorption on decline-slope running in early stance) were noted. We observed an increase only in the impact peak of the vertical ground reaction force component during decline-slope running, whereas the non-vertical components displayed no differences. And concluded that running style modifications associated with running on moderate slopes did not manifest as changes in 3- dimensional joint moments or in the active peaks of the ground reaction force. Our data indicate that running on level and moderately inclined slopes appears to be a safe component of training regimens and return-to-run protocols after injury.

Research objective:

1. To formulate sand training schedule for the benefit of football players to improve their speed and endurance parameters.
2. To formulate spring board exercises on trampoline for the benefit of football players to improve their speed and endurance parameters.
3. To find out the effects of sand training and spring board training on selected speed and endurance parameters of football players.
4. To compare the effects of sand training and spring board training with control group and to point out the improvements on selected variables.

Research hypotheses:

1. Sand training and springboard training would improve speed parameters, such as, sprint speed, stride length and stride frequency of football players compared to

- control group.
2. Sand training and springboard training would improve endurance parameters, such as, cardiovascular endurance, strength endurance and muscular endurance of football players compared to control group.
 3. There would be no significant differences between sand training and springboard training in altering selected speed and endurance parameters of football players.

Research methodology:

Selection Of Subjects: The subjects taken for the present study were sixty men football players from different colleges in Rajasthan, who had represented their college in the inter-collegiate football competitions. The subjects were selected on a random basis and were allotted to three groups (control, sand training and springboard training) by random assignment. The age of the subjects ranged from 18 to 24 years with mean age of 21 years. The requirements of the experimental procedures, testing as well as exercise schedules were explained to them so as to avoid any ambiguity of the effort required on their part and prior to the administration of the study, the investigator got the individual consent from each subject.

Selection of Variables:

Dependent Variables

Speed parameters:

1. Sprint speed
2. Stride length
3. Stride Frequency

Endurance parameters:

1. Cardio-respiratory Endurance
2. Strength Endurance
3. Muscular Endurance

Independent Variables:

1. Twelve Weeks Sand training
2. Twelve Weeks Spring board training

Experimental Design: The primary responsibility of the investigator is to adopt the appropriate experimental methodology before proceeding with data collection. A pre-test - post-test randomized group design was used. Each group consisted of twenty subjects (n=20). Before the training pre-test was taken for all the groups on the selected criterion variables, sprint speed, stride length, stride frequency, cardiorespiratory endurance, strength endurance and muscular endurance. The control group did not undergo any type of training. Sand training was given to the experimental group-I and springboard training was given to the experimental group-II on alternate days in the morning for a period of twelve weeks. At the end of experimental period, the post-test was conducted and data collected on criterion variables. The difference between the initial and final means of the groups was considered as the effect of respective treatments. The data obtained were subjected to statistical treatment using ANCOVA. In all cases 0.05 level was fixed to test the significance.

Pilot Study: A pilot study was conducted to assess the initial capacity of the subjects in order to fix the exercise load. For this purpose ten football players, who were not the subjects for this were selected and divided into two groups. One group was given sand training and the other group was given spring board training. Based on the response of the subjects in the pilot study and during the training, the training schedules for group-I and group-II were constructed. However, the individual differences were not considered. This enabled the investigator to adopt suitable training schedule for this study.

Criterion Measures: By glancing the literature, and in consultation with professional experts, the following variables were selected as the criterion measures in this study.

1. Speed was measured in seconds. (50 M dash).
2. Stride length was calculated as suggested by Seagrave, L. (1996).
3. Stride frequency was calculated as suggested by Seagrave, L. (1996).
4. Cardio-respiratory Endurance was measured through 12 Minutes run / walk test.
5. Strength Endurance was measured through bend knee sit-ups test.
6. Muscular endurance was measured through push-ups test.

Statistical Procedure: The following statistical tool, i.e., one way Analysis of Covariance ANCOVA was followed to estimate the effect of sand training and springboard training on selected speed and endurance parameters of football players. As suggested by Thomas and Nelson (1998)

$$F\text{-ratio} = (MSy.x)b / (MSy.x)w$$

Where, (MSy.x)b is the final adjusted mean squares between, and (MSy.x)w is the final adjusted mean squares within When significant differences were noted, the Scheffe's post hoc test was used to find out the paired means significance difference.

Conclusion:

1. It was concluded that twelve weeks sand training and spring board training significantly improved speed parameter, such as, speed of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups, it was found sand training was significantly better than spring board training in improving speed of the football players.
2. It was concluded that twelve weeks sand training and spring board training significantly improved speed parameter, such as, stride length of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups proved that there was no significant difference between sand training group and spring board training group in altering stride length of the football players.
3. It was concluded that twelve weeks sand training and spring board training significantly improved speed

- parameter, such as, stride frequency of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups proved that there was no significant difference between sand training group and spring board training group in altering stride frequency of the football players.
4. It was concluded that twelve weeks sand training significantly improved endurance parameter, such as, cardio-respiratory endurance of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups, it was found sand training was significantly better than spring board training in improving cardio respiratory endurance of the football players.
 5. It was concluded that twelve weeks sand training and spring board training significantly improved endurance parameter, such as, strength endurance of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups proved that there was no significant difference between sand training group and spring board training group in altering strength endurance of the football players.
 6. It was concluded that twelve weeks sand training and spring board training significantly improved endurance parameter, such as, muscular endurance of the college level football players compared to control group. Comparison between treatment groups proved that there was no significant difference between sand training group and spring board training group in altering muscular endurance of the football players.

Recommendations for further studies:

1. This study was conducted among men football players, similar research may be conducted among women

football players.

2. A separate research on the effect of sand training and spring board training prior to, during and after competition periods may be conducted.
3. Researches may be undertaken to find out the effect of sand training and spring board training on physiological and psychological variables of football players.
4. A study with larger samples and physical fitness variables not covered in this study may be conducted, which may throw more light on the findings of this study.

References:-

1. Dietrich Harre (1982). Principles of Sports Training, Berlin, Sportverleg.
2. Gutman, D. (1998). Gymnastics. Penguin Young Readers Group.
3. Hardayal Singh (1984), "Sports Training: General Theory and Methods", Patiala: Netaji Subash National Institute of Sports.
4. Foucher, K.C. (2008), "Do gait adaptations during stair climbing result in changes in implant forces in subjects with total hip replacements compared to normal subjects?", Clin. Biomech. (Bristol, Avon). Jul; 23(6): 754-61.
5. Gabbett, T. et al. (2008), "Applied Physiology of Rugby League", Sports Med. 38(2): 119-38.
6. Muramatsu, S. (2006), "Energy Expenditure in Maximal Jumps on Sand", J. Physiol. Anthropol. Jan; 25(1): 59-61.
7. Nelson, F.E. (2004), "Force-velocity properties of two avian hind limb muscles", Comp. Biochem. Physiol. A Mol. Integr. Physiol. Apr; 137(4): 711-21.

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अजय वाघे* साजिद मंसूरी**

*प्राचार्य, विद्योदय महाविद्यालय, मनावर, जिला धार (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व राष्ट्रों की सूची में द्वितीय स्थान पर है। जनसंख्या अधिक होने एवं आय के साधन सीमित सीमित होने से भारत में आवास के संबंध में समस्याएँ। भारत पर कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन एवं देश के बँटवारे के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गयी। जिससे देश में निवासरत परिवारों की सामान्यतः कम रही है। आय कम होने तथा बचत न होने से समाज में रह रहे परिवारों का जीवन यापन मानक स्तर से कम रहा। परिवारों के पास आहार की समस्या, कपड़ों की समस्या तथा आवास की समस्या सदैव विद्यमान रही। प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जन हितैषी योजनाएँ संचालित की गयी, जिससे परिवारों का आर्थिक विकास हो सके। परिवारों के आवास की सुविधा के लिए भी सरकार द्वारा योजनाएँ संचालित की गयी। इन सभी योजनाओं में प्रमुख रूप से सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके द्वारा भारत में निवासरत पात्र परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

शोध के उद्देश्य :

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का अध्ययन प्रस्तुत करना।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का अध्ययन प्रस्तुत करना।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का अध्ययन प्रस्तुत करना।

अध्ययन का क्षेत्र – शोध अध्ययन का क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित निमाड़ है। निमाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से चार जिले आते हैं, जिसमें खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन तथा बड़वानी हैं। निमाड़ क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि है।

परिचय – भारत में बढ़ती जनसंख्या एवं जनसंख्या के रहने के लिए आवास एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ किया गया। यह योजना भारत के इतिहास में आवास के संबंध में सबसे बड़ी योजना प्रतीत होती है। योजना का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

योजना की अवधि – योजना का शुभारंभ करते समय योजना की अवधि 31 मार्च, 2022 निर्धारित की गयी थी, जिसमें वृद्धि कर वर्ष 2024 तक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शहरी क्षेत्र में संचालित आवास योजना है। जिसके अंतर्गत पात्र परिवार को

आवास योजना के प्रमुख विकल्प उपलब्ध है। जिसमें स्व स्थाने ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी, भागीदारी में किफायती आवास (एचपी) तथा आवास का निर्माण अथवा वृद्धि। पात्र परिवार प्रमुख विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। जिसमें निमाड़ सबसे अधिक चतुर्थ विकल्प अर्थात् आवास का निर्माण अथवा वृद्धि का चयन किया गया है। इस विकल्प में हितग्राही परिवारों को 2.50 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण क्षेत्र में संचालित योजना है। योजना में पात्र परिवारों आवास के निर्माण हेतु अनुदान के रूप में राशि प्रदान की जाती है। ऐसे परिवार जो कच्चे मकानों या टूटे-फूटे मकानों या कम क्षेत्र में निर्मित आवासों में निवासरत है। ऐसे परिवारों को आवास के लिए राशि प्रदान की जाती है। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख जिलों में इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को आवास का लाभ प्राप्त हुआ है।

हितग्राही की पात्रता :

1. सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 के अनुसार परिवार आर्थिक रूप से कमजोर की श्रेणी में आता हो।
2. परिवार के द्वारा पूर्व में किसी भी आवास योजना का लाभ न मिला हो।
3. परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पहले से आवास न हो।

योजना से प्राप्त आवास लाभ – प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा निमाड़ क्षेत्र के पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। निमाड़ क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को प्राप्त आवास लाभ की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका: प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त आवास लाभ

क्र.	जिले का नाम	शहरी	ग्रामीण
1.	खण्डवा	8101 18.33	37928 17.62
2.	बुरहानपुर	13872 31.38	17908 8.32
3.	खरगोन	11562 26.16	86.441 40.15
4.	बड़वानी	10669 24.13	73005 33.91
	कुल	44204 100	215282 100

स्रोत – www.pmay-urban.gov.in दिनांक 27-11-2022

www.rhreporting.nic.in दिनांक 27-11-2022

उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के पश्चात् स्पष्ट है कि निमाड़

क्षेत्र के प्रमुख चार जिलों के शहरी क्षेत्र में कुल 44204 आवासों तथा ग्रामीण क्षेत्र में कुल 215282 आवासों का निर्माण हुआ और उसका लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है।

उपसंहार – प्रधानमंत्री आवास योजना आवासहीन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। शोध अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि निमाड़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों आवास योजना के माध्यम से आवास का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है। आवास योजना के द्वारा हितग्राही आवास का लाभ प्राप्त करता है तथा अपना एवं परिवार का आर्थिक विकास करता है। योजना में आवास की राशि के संबंध में जो प्रावधान है उसमें सुधार की

आवश्यकता है। योजना की समय अवधि को वर्ष 2024 तक किया गया है जिसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे और भी परिवार हैं जो योजना का लाभ प्राप्त करने से शेष रह गये हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शोध पद्धतियाँ – फड़िया डॉ. बी.एल.
2. www.pmay-urban.gov.in
3. www.awaassoft.nic.in
4. www.iaay.nic.in
5. www.rhreporting.nic.in

योग के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आनंद का विवेचनात्मक अध्ययन

विनीत कुमार तिवारी* डॉ. मंजू शर्मा**

* पीएच.डी. शोधार्थी (योग विभाग) सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायसेन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (योग विभाग) सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, रायसेन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्र योग के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आनंद की विवेचना करता है। इस शोध पत्र में बताया गया कि संसार के प्रत्येक प्राणी को तापत्रय सहन करने पड़ते हैं, और तापत्रय से निवृत्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है, संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुःख चाहता हो सभी सुख चाहते हैं, और ऐसा सुख, जिसका कभी अंत न हो और जो दुःखों के साथ मिश्रित न हो, अर्थात् वास्तविक सुख, जिसे हम आनंद कहते हैं, इसी आनंद को हम आध्यात्मिक आनंद कहते हैं, क्योंकि यह आत्मिक होता है, स्थायी होता है। त्रिविध दुखों के निवारण के लिए व अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए जिन उपायों की चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई है उनमें योग मुख्य है। जिस पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस शोध पत्र में योग के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आनंद की विवेचना के साथ – साथ, आध्यात्मिक आनंद की अवधारणा एवं आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति में योग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – योग, आध्यात्मिक आनंद और परिप्रेक्ष्य।

प्रस्तावना – आज के युग में विज्ञान ने एक ओर जहाँ भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर भोगपरायण जीवन की ओर हमें आकृष्ट कर मानसिक तनावों को बढ़ाने की भी पहल की है। सुख-सुविधाओं की ओर दौड़ने वाला मानव, क्या क्या नहीं करता सुख पाने के लिए पर वास्तविक सुख उसे मिल ही नहीं पाता, क्षणिक सुख से उसे तृप्ति नहीं होती, उसे स्थायी सुख चाहिए, जो शाश्वत हो, आत्मिक हो, और वह सुख बाहर नहीं है, वह सुख तो हमारे अन्दर ही है, उसे अन्दर खोजने से ही, वास्तविक सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है

एक मछली, जिसे जल से बाहर निकाल लिया गया हो, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था में वह सुखी नहीं रह सकती। उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानन्द जीवात्मा इस भौतिक जगत् में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए उसे एक भिन्न प्रकार का आनन्द मिलना ही चाहिए, जो तत्त्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनन्द के उपभोग की ओर लक्षित होनी चाहिए, न कि क्षणिक सुख की ओर। कुछ दार्शनिकों का मत है कि आध्यात्मिक आनन्द की प्राप्ति लौकिक सुख और लौकिक जीवन का निषेध करने से ही होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित भौतिक कर्मों का सैद्धांतिक निषेध मानव जाति के किसी नगण्य समुदाय के लिए लाभकारी हो सकता है, किन्तु मानव मात्र के लिए आध्यात्मिक आनन्द प्राप्ति का कोई श्रेष्ठ उपाय है तो वह हमारे शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित किया गया योग ही है।

योग के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक आनंद का विवेचनात्मक अध्ययन – मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है जिसे बुद्धि और विवेक प्रदान करके सर्वश्रेष्ठ बनाया गया है। मनुष्य अपने विवेक तथा बुद्धि के बल से सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग कर अपने जीवन को आनंदमय बना सकता है,

किन्तु कई बार इच्छित वस्तु के प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होने के बाद दूसरी इच्छा उसका स्थान ले लेती है, इच्छाओं का यह क्रम उसके जीवन में निरंतर चलता रहता है, वह समझता है कि उसका वास्तविक सुख उन वस्तुओं में है जो वह प्राप्त करना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य की कोई भी अभिलाषा या लालसा किसी भी अनित्य और परिवर्तनशील वस्तु द्वारा पूर्ण नहीं हो सकती, परिणाम स्वरूप वह सुख प्राप्त करने के बाद पुनः दुःखी हो जाता है। मनुष्य क्या संसार के प्रत्येक प्राणी को तापत्रय सहन करने पड़ते हैं ये है- आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ताप, अर्थात् स्वयं से, दूसरे प्राणियों से तथा प्राकृतिक प्रकोपों से उत्पन्न कष्ट और तापत्रय से निवृत्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुःख चाहता हो सभी सुख चाहते हैं, ऐसा सुख जिसका कभी अंत न हो और जो दुःखों के साथ मिश्रित न हो, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति और सदा के लिए दुःख का अंत आनंदमय कोश के अनावरण करने पर ही हो सकता है। आनंदमय कोश में जीवात्मा को प्रवेश करके ही आनंद की प्राप्ति होती है। योग रसायनम् में भी कहा गया है कि उस समय योगी को महान आनंद का अनुभव होता है जिसे वही जानता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता।

आनंदानुभवस्तत्र जायते योगिनो महान्

स एव तं विजानाति मया वक्तुं न शक्यते

योग रसायनम् श्लोक - 114, गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश, पृष्ठ-91

तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारम्बार प्रयोग हुआ है जैसे- तैत्तिरीयपनिषद की ब्रह्मानन्दवल्ली के सातवें अनुवाक में कहा गया है, कि वह आनंदमय ही रस स्वरूप है यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं

होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है।

**यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः । रसं होवायं लब्धवानन्दी भवति ।
को होवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष
होवानन्दयाति ।**

तैत्तिरीयोपनिषद्, ब्रह्मानन्दवल्ली, सातवां अनुवाक श्लोक -2, पृष्ठ-81

इस आनंद को ही हम आध्यात्मिक आनंद कह सकते हैं क्योंकि आत्मा को ही इस आनंद की अनुभूति होती है। गीता में भी आत्मा को ही अध्यात्म कहा गया है। जब आत्मा उस परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर उसी में लीन हो जाती है, तभी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में ही जीवन का सौंदर्य है, शांति है। उस परमात्मा की, जो सर्वत्र व्याप्त है, अनुभूति प्राप्त कर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, इस अनंत आनंद की उपलब्धि ही अध्यात्म दृष्टिकोण का अत्युत्तम, सर्वोत्तम सत्परिणाम है और यही आनंद, आध्यात्मिक आनंद होता है।

आनंद को सामान्य दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है:-

आध्यात्मिक आनंद एवं भौतिक आनंद

किन्तु वेदशास्त्रों में वर्णित आनंद ही आध्यात्मिक आनंद होता है। क्योंकि ये नित्य होता है, शाश्वत होता है, इसमें वृद्धि हो सकती है परंतु इस आनंद से दुःख नहीं मिल सकता। लेकिन जो भौतिक आनंद है उससे पहले तो सुख मिलता है, फिर दुःख मिलने लगता है। उसे आनंद नहीं कह सकते, भौतिक आनंद भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से होता है जो स्थायी नहीं होता भौतिक जगत में जो आनंद है वो पहले अधिक फिर कम, फिर खत्म होने लगता है, यानि हर क्षण वो घटता रहता है। वही आध्यात्मिक आनंद स्थायी होता है। यह सर्वमान्य सत्य है कि विद्याता की इस सृष्टि में आरम्भ से ही सुख भी है और दुःख भी पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही मनुष्य ने जीवन में दुःख का अनुभव करके उससे बचने के उपाय ढूँढ़ने प्रारंभ कर दिए। इसी क्रम में त्रिविध दुःखों के निवारण के लिए व अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिये, जिन उपायों की चर्चा हमारे शास्त्रों में की गई उनमें योग मुख्य है। योग भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम विद्या है, हमारे योग के आदि प्रवक्ताओं ने ऋषि-मुनियों ने, अपने तप, त्याग एवं ज्ञान के बल पर विश्व कल्याण के भाव से मनुष्य को शारिरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकास किया, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रणाली को उन्होंने नाम दिया योग। योग आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, महर्षि पतंजली ने योगदर्शन के समाधि पाद में संप्रज्ञात समाधि के चार प्रकारों (1. वितर्कानुगत, 2 विचारानुगत, 3. आनंदानुगत, 4. अस्मितानुगत) का वर्णन किया है।

इनमें से आनंदानुगत समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें केवल आनंद का ही अनुभव रह जाता है। उस समय योगी का चित्त सत्त्वगुण के बढ़ने से आनंद से भर जाता है। कोई भी विचार उसका विषय नहीं रहता है सिर्फ आनंद ही आनंद उसका विषय रह जाता है और मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ उसे ऐसा अनुभव होता है। योग की भी विभिन्न पद्धतियाँ हैं- राजयोग, हठयोग, लययोग, मंत्रयोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यान योग

आदि जो आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति में सहायक हैं, जिस प्रकार अपने विभिन्न उद्गम स्थानों से निकलती हुई भिन्न-भिन्न नदियाँ, विभिन्न मार्गों से होते हुए अंत में जाकर समुद्र में एक हो जाती हैं ठीक उसी प्रकार विभिन्न योग पद्धतियों का पालन करता हुआ साधक अंत में आनंद प्राप्त करता हुआ परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, मन की एकाग्रता में यह प्रकट हो जाता है, जब इन्द्रियों को बाह्य वस्तुओं से हटा लिया जाता है, तब आध्यात्मिक आनंद प्रकट होने लगता है, आध्यात्मिक आनंद अपने आत्मा का ही आनंद है, और यह शाश्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग एक ऐसा सशक्त मार्ग अथवा साधन है जिस पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता हुआ जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है।

निष्कर्ष - हममें से प्रत्येक व्यक्ति आनंद की खोज में रहता है और वह आनंद पाना भी चाहता है किन्तु वह नहीं जानता कि आनंद क्या है, हम आनंद को जिन चीजों में खोजते हैं उनमें क्षणिक सुख तो होता है लेकिन वो आनंद नहीं होता। मूल रूप से आज आनंद की जो समझ लोगों में है वह भारतीय ज्ञान परम्परा के शास्त्रोक्त आनंद के विपरीत है, आज लोग इन्द्रिय सुख को ही आनंद समझ लेते हैं। वेद, उपनिषद्, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि में आनंद की जो व्याख्या की गई है उसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि आनंद क्या है, आध्यात्मिक आनंद क्या है, आनंद के स्रोत क्या हैं, आनंद प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। साथ ही योग ग्रंथों का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि योग की कौन-कौन सी पद्धतियाँ व कौन-कौन से योगाभ्यास आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति में कारगर रहेंगे, जिनको अपनाकर व्यक्ति सभी प्रकार के क्लेशों व दुःखों से छुटकारा पाकर आनंदमय जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. श्रीस्वामी, ओमानन्द तीर्थ, सं. 2065, पातंजल योग प्रदीप गीताप्रेस गोरखपुर।
2. गोयन्दका, हरिकृष्ण दास, सं. 2076, योग दर्शन, गीता प्रेस गोरखपुर।
3. डॉ. योगेन्द्र, 2013, योग शिक्षा, ए.टी. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
4. पण्ड्या, डॉ. प्रणव, 2015 योग के वैज्ञानिक प्रयोग, श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शान्ति कुन्ज, हरिद्वार।
5. श्रीमद्भगवत गीता, सं. 2077, गीता प्रेस गोरखपुर।
6. डॉ. कामाख्या, 2010, मानव चेतना एवं योग विज्ञान, डोलिया पुस्तक भण्डार, हरिद्वार।
7. शर्मा, पं श्री राम आचार्य, 2010. ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।
8. गोयन्दका, हरिकृष्णदास, सं. 2075, वेदान्त दर्शन, गीता प्रेस, गोरखपुर।
9. तैत्तिरीयोपनिषद् सं. 2076, गीता प्रेस, गोरखपुर।
10. शर्मा, श्री आचार्य पं. श्री राम, 2011, गायत्री के पाँच मुख पाँच दिव्य कोश, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

पदक राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आये बदलाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

संजय कुमार कोचक *

* शोधार्थी (समाजकार्य) रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – एनआरएलएम द्वारा गरीब परिवार के लोगों को स्थाई आजीविका दिलाने हेतु सामूहिक प्रयास किये जाते हैं जिसे हम 'सीएसएलपी' भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वसहायता समूहों और उनके परिसंघों में गरीबी के सर्वव्यापी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके सदस्यों को विश्वसनीयता, किरायाती एवं सस्ती सेवा के लिए सुपुर्दगी ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, साधन, परिसंपत्ति तथा निवेश के लिए गरीब लोगों को मुख्य आजीविका के लिए विशेष आजीविका संस्थाओं द्वारा सामूहिक प्रयास किये जाते हैं।

शब्द कुंजी – एनआरएलएम और अनुसूचित जनजाति परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव।

प्रस्तावना – एनआरएलएम में आर्थिक क्रियाकलापों से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य की वार्षिक योजना में कुल निधि का 20 प्रतिशत उपयोग का प्रावधान है। इस कोष के द्वारा गरीबों के लिए स्व-सहायता समूह, परिसंघों एवं आजीविका समूहों के समाधान के लिए उपलब्ध कराने में मदद करता है।

साहित्य का पुनरावलोकन

जायसवाल, पुनम (2013) – के अनुसार म.प्र. में कल्याणकारी योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गरीब अनुसूचित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों को तब तक लाभ देगी जब तक वह गरीबी से उभर नहीं जाते यह विश्व की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन परियोजना है। जिसमें ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है यह बताया गया है।

गुप्ता एवं पंथी (2013) – वास्तव में स्वयं सहायता समूह गांव के व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो अपनी इच्छा से संगठित होकर, नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी बचत कर सामूहिक निधि में जमा करते हैं एवं जिसका उपयोग सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार समूह के सदस्य सप्ताह या महीने में एक बार बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा कर, एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान करते हैं। जिससे ये महिलायें गरीबी, बेरोजगारी एवं निरक्षरता के वक्रव्यूह से निकलकर सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं और न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक आयामों पर भी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं।

कुरुक्षेत्र (2013) – स्वसहायता समूह में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म गौरव में वृद्धि होती है। घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत एकत्रित कर ऋण लेकर बैंक कर्मचारियों से संपर्क कर लघु उद्यम स्थापित करके समूह की बैठकों की कार्य वृद्धि करने से उन्हें गौरव महसूस होता है।

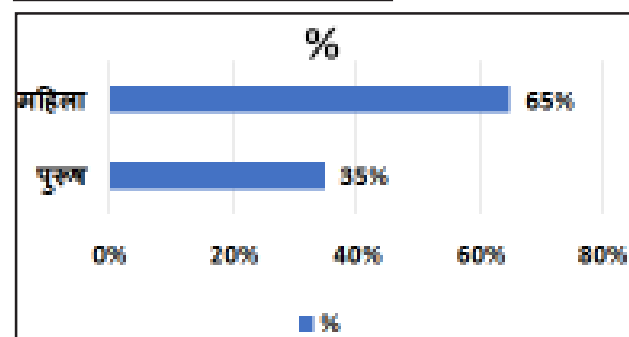
अध्ययन का उद्देश्य – राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति महिलाओं का सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में अध्ययन करना है।

अध्ययन क्षेत्र – अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति परिवारों को सर्वे के किया गया है।

निर्दर्शन प्रक्रिया – प्रस्तुत अध्ययन में खरगोन जिले के 300 परिवारों का चयन किया गया है और इन परिवारों का सर्वे किया गया है। जिसमें प्राप्त आकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही इस विषय से संबंधित पुस्तकों, मैगजीन के अलावा सरकार की रिपोर्ट, प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों का अध्ययन कर डाटा इकट्ठा किया गया है। खरगोन जिले के समूह के माध्यम से वास्तविक स्थिति का पता लगा कर सामने लाने की कोशिश की गई है। इसे निम्नलिखित सारिणियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है –

सारिणी क्रं. - 1: उत्तरदाताओं का लैंगिक वर्गीकरण

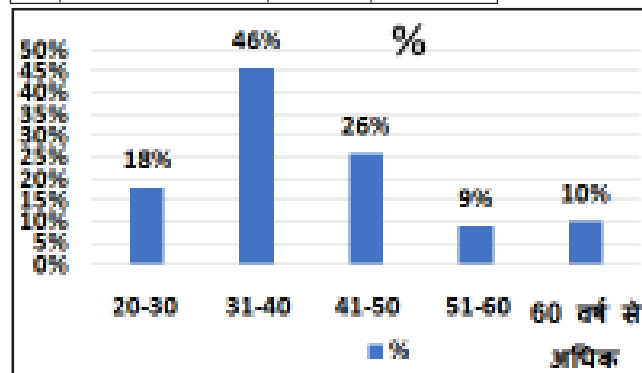
क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पुरुष	105	35
2.	महिला	195	65
	कुल	300	100



उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि 300 उत्तरदाताओं में पुरुष 105 है जिसका 35 प्रतिशत एवं महिलायें 195 है जिसका प्रतिशत 65 प्रतिशत है। सर्वेक्षण क्षेत्र में पाया गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलायें ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से अधिक लाभांशित हुई है। इस क्षेत्र में पूर्व में हो चुकी अनुसंधान की अपेक्षा इस बार महिलाओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। पुरुष को इस योजना के माध्यम से बहुत कम लाभ मिलता है इसका कारण यह है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के लिये अधिक कारगर सिद्ध हुई है।

सारिणी क्र. - 2: आयु के आधार पर हितग्राही उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	20-30	54	18
2.	31-40	138	46
3.	41-50	78	26
4.	51-60	27	09
5.	60 वर्ष से अधिक	03	10
	कुल	300	100

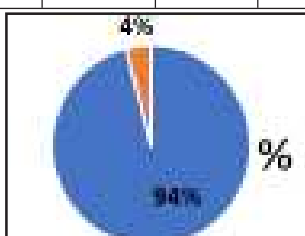


उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि 300 उत्तरदाताओं में 54 लोग 20 से 30 वर्ष के बीच थे जिसका 18 प्रतिशत है। उसी प्रकार 138 लोग 31 से 40 वर्ष के मध्य थे, जिसका 46 प्रतिशत था। 78 लोग 41 से 50 वर्ष के बीच के थे जिसका 26 प्रतिशत था एवं 27 लोग 51 से 60 वर्ष के बीच के थे जिसका 9 प्रतिशत था। अंत में 03 लोग 60 वर्ष से अधिक थे जिसका 10 प्रतिशत था।

शोधकर्ता के द्वारा पाया गया कि इस योजना का लाभ अधिकांशतया 31 से 40 वर्ष के युवावर्ग लाभांशित हुआ एवं सबसे कम 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग लाभांशित हुये।

सारिणी क्र. - 3: योजना से लाभांशित पात्र लोगों से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	288	96
2.	नहीं	12	04
	योग	300	100



उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 300 उत्तरदाताओं में से 288 लोग अर्थात 96 प्रतिशत लोग इस योजना से लाभांशित हुये हैं जो कि सर्वाधिक है एवं 12 लोग लाभांशित नहीं हुये हैं अर्थात 4 प्रतिशत लोग हैं जो कि सबसे कम हैं।

अतः इस योजना से समान रूप से अधिकांश लोग लाभांशित हो रहे हैं जो सही मायने में पात्र हैं।

सारिणी क्र. - 4: योजना से रोजगार में वृद्धि से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	270	90
2.	नहीं	30	10
	योग	300	100

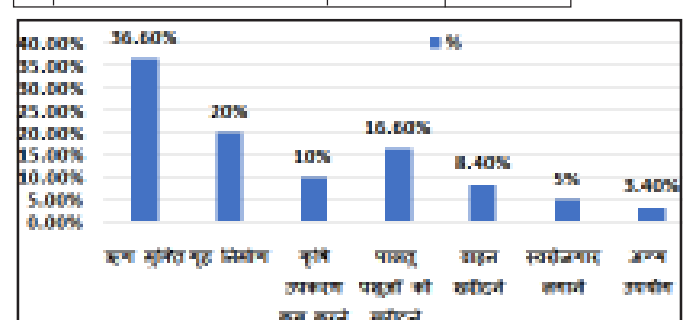


उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 300 उत्तरदाताओं में से 270 लोग के अनुसार इस योजना से रोजगार में वृद्धि हुई है अर्थात 90 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है। उसी प्रकार 30 लोग के अनुसार रोजगार में वृद्धि नहीं हुई है जिसका 10 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल रहा है एवं उन्हें रोजगार की प्राप्ति होने से उनका आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है।

सारिणी क्र. - 5: योजना से प्राप्त आय के उपयोग से संबंधित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ऋण मुक्ति	110	36.6
2.	गृह निर्माण	60	20.0
3.	कृषि उपकरण क्रय करने	30	10.0
4.	पालतु पशुओं को खरीदने	50	16.6
5.	वाहन खरीदने	25	8.4
6.	स्वरोजगार लगाने	15	5.0
7.	अन्य उपयोग	10	3.4
	योग	300	100



उत्तरदाताओं में से 110 लोग अर्थात 36.6 प्रतिशत लोग अपना ऋण मुक्त कराने में उपयोग में लाते हैं। 60 लोग अर्थात 20 प्रतिशत लोग अपना घर बनाने में एवं 30 लोग अर्थात 10 प्रतिशत लोग कृषि उपकरण खरीदने में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार 50 लोग अर्थात 16.6 प्रतिशत लोग पालतु पशुओं को खरीदने में तथा 25 लोग वाहन खरीदने में उपयोग करते हैं। 15 लोग अर्थात 5 प्रतिशत लोग अपना छोटा-बड़ा रोजगार स्थापित करने तथा 10 लोग अर्थात 3.4 प्रतिशत लोग अन्य खर्चों में उपयोग करते हैं।

अतः इससे यह निष्कर्ष है कि इस योजना से प्राप्त ऋण का उपयोग लोग अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा लोग अपना कर्जा उतारने में उपयोग करते हैं।

निष्कर्ष :

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले जो कि चयनित है, इनमें इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस कारण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति एवं समाज के लिए लाभदायक है।
2. इस क्षेत्र में पूर्व में हो चुकी अनुसंधान की अपेक्षा इस बार महिलाओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। पुरुष को इस योजना के माध्यम से बहुत कम लाभ मिलता है इसका कारण यह है कि यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के लिये अधिक कारगर सिद्ध हुई है।
3. इस योजना का लाभ अधिकांशतया 31 से 40 वर्ष के युवावर्ग

लाभान्वित हुआ एवं सबसे कम 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग लाभान्वित हुये हैं।

4. इस योजना से समान रूप से अधिकांश लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो सही मायने में पात्र हैं।
5. इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल रहा है एवं उन्हें रोजगार की प्राप्ति होने से उनका आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है।
6. इस योजना से प्राप्त ऋण का उपयोग लोग अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा लोग अपना कर्जा उतारने में उपयोग करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कावडीयाँ, गणेश (2007), 'म.प्र. में ग्रामीण विकास तथा रोजगार के नये अवसर', डॉ. आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका।
2. ओमप्रकाश (2010) 'स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, निर्धनतम तक पहुँच एवं प्रभाव', रीगल पब्लिकेशन।
3. यादव, उत्तरा (2004), 'ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर' साहित्य संगम पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
4. शुक्ला, दीप्तिमा (2007), 'ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में स्वयं सेवा समूहों तथा सूक्ष्म ऋण की भूमिका' मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जर्नल, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान 6, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन।

Generating Happiness Through Nature By Romantic Poets

Shabeena Bano* Dr. Shaheen Saulat**

*Research Scholar (English) Mansarowar Global University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Research Guide (English) Mansarowar Global University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Romantic poets love nature and celebrate in its colourful confines. They wrote about the beauty of green meadow, thick timber, thin flowers, high hill, small burns, swatch banks, rural scenes, seasons, and beauty of raps berries, furious brutes, soft innocents, fresh air, wild wind, sun rises and sets, starry nights and calm Ocean in their verses. Almost all the romantic muses touched every nuances of natural beauty. They tried to heal anguish of the human beings by writing their verses about nature. This paper tries to concentrate on some of the selected works of Wordsworth, Shelly and Keats and their treatment of nature.

Key Words: Nuances, cheerfulness, demise, bestows, ascertain, capacity, desolate, evokes, carefree.

Introduction - Romantic poets are ardent nature lovers and celebrate the beauty of nature in its various dimensions. They wrote about the beauty of green meadow, thick forest, thin flowers, high hill, small rills, river banks, rural scenes, seasons, and beauty of birds, furious animals, soft lambs, fresh air, wild wind, sun rises and sets, starry nights and calm sea in their verses. Almost all the romantic poets touched every nuances of natural beauty.

They tried to heal sorrow of the human beings by writing their verses about nature. Romantic poets believed that nature is the source of inspiration. Nature has answer for all unanswered questions of the mankind. Poets teach people how and why to love nature and how nature will love them in return. They have highlighted several perspectives of nature and its greatness. They have used simple language to portray the humble beauty of nature. They personified nature as God, man, ghost etc... Theme of the nature and its beauty were widely handled by famous poets Wordsworth, Shelley, Keats and others. This paper focuses on treatment of nature by romantic poets.

Wordsworth

Wordsworth as a Nature poet grabbed the attention of the readers towards the beauty of nature. He personifies nature and natural objects in the most imaginative way. Wordsworth feels melancholic about the gap between nature and humanity. He urges human beings to understand and explore nature in order to get happiness.

Further, he emphasizes how nature brings joy and in his poem Lines written in Early Spring. Modern life is responsible to make man forget this beauty of nature. Urbanizations, globalizations gradually swallow rural, natural beauty of the village which also sways mirth of men and

women. In order to regain those rural visuals Wordsworth writes:

Through primrose tufts, in that green bower,
..... And 'tis my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.

The birds around me hopped and played,
Their thoughts I cannot measure: —
But the least motion which they made,
It seemed a thrill of pleasure.

The budding twigs spread out their fan,
To catch the breezy air;
And I must think, do all I can,
That there was pleasure there. (9-20)

Wordsworth stresses on the point of how modern life is divorced from nature in his poem Tintern Abbey. He writes:

These beauteous forms,
Through a long absence, have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye:
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them
In hours of weariness, ... (22-17)

Wordsworth treats nature as a friend, guide and guardian. He believes this nature will bring happiness to his sister to lead a better life after his demise in the world. He hopes this not only for his sister alone but also for entire mankind. Nature bestows on us both wealth and health. To ascertain his thought, he writes:

the banks
Of this fair river; thou my dearest Friend,
My dear, dear Friend;... (114-116)
Wordsworth understands that nature has the
capacity to heal if a man treats her as a friend she

will cure all ailments of him. He strongly believes that nature never betrays anybody and he writes;
 Knowing that Nature never did betray
 The heart that loved her; 'tis her privilege,
 Through all the years of this our life, to lead
 From joy to joy: (122-125)

Shelley

Shelley is a lover of nature. He finds cheerfulness in it. Shelley was an idealist and abstract thinker. He was a revolutionary and ardent lover of democracy too. He treats poetry as a tool for pouring his thoughts to the world. Shelley was the one who loved the desolate rocks and caves, the fury of the storms, lightning and thunder, the waves dancing fast and bright, and the lightening of the noon-tide ocean flashing around him. Shelley evokes natural beauty and attitude of a bird in his poem To a Skylark. He describes carefree way in which the bird flies. He brings the attention of the bird and teaches us to enjoy natural attitude of it. Shelley requests human beings to get bliss with nature from this bird. He asks the Skylark the source of its happiness:

..What object are the fountains
 Of thy happy strains?
 What fields, or waves, or
 mountains?
 What shapes of sky or plain (71-74)

Shelley acclaims that natural things are the source of happiness. He says that human beings are beyond the happiness of this bird. If they give up hate, pride, fear and sorrow they will reach the steep of joy like Skylark. He writes:

...if we could scorn
 Hate, and pride, and fear;
 If we were things born
 Not to shed a tear (86-89)

He points out another misery of mankind that is fear of death which is completely ignored by the bird while flying high on the sky. The poem teaches that man should not have fear of death and is busy in enjoying the present moment. Another poem of Shelley makes a request to the West wind to make human beings happy. In his Ode to the West Wind, he earnestly appeals:

Drive my dead thoughts over the universe
 Like withered leaves to quicken a new birth!(63-64)
 Those words are not only for Shelly but also all the men and women in the world to be happy.

Keats

Keats expresses the beauty of both real and artistic forms of nature. Keats looks at Nature with wonder and awe, and simple delight. He believes that "A things beauty of is a joy forever". Like Shelly, he also seeks the help of nature to generate happiness. In his poem Ode to a Nightingale, he

writes:

My heart aches, and a drowsy numbness pains
 My sense, as though of hemlock I had drunk,
 Or emptied some dull opiate to the drains
 One minute past, and Lethe-wards had sunk:
 'Tis not through envy of thy happy lot,
 But being too happy in thy happiness,— (1-6)

Keats is astonished to see happiness of the nightingale. Before hearing the song of the bird, he tried many ways of forgetting worries and but nightingale's song makes him completely happy, so he wants to merge with the bird as one. It indicates unite with nature gives eternal happy for the mankind. Another poem of Keats, he praises the artistic beauty of nature. Keats is not satisfied with the beauty of present. He yearns for eternal beauty. He portrays that artistic beauty of nature in his poem Ode on a Grecian Urn. He writes:

Ah, happy, happy boughs! that cannot shed
 leaves, nor ever bid the Spring adieu;
 And, happy melodist, unwearied,
 Forever piping songs forever new;
 More happy love! more happy, happy love!
 Forever warm and still to be enjoyed,
 Forever panting, and forever young; (21-27)

Keats presented artistic beauty can also enlighten humanity through his poems. Nature in any form will bring happiness to the world.

Conclusion: Wordsworth, Shelly and Keats state nature has bestowed, safety, unwearied joy to mankind. They have handled almost all aspects of nature's beauty in their poems. Both Shelley and Keats are ardent lovers of nature but their views and appreciation are quite different. Keats was a pictorial artist and lover of concrete beauty of nature. But Shelley is an idealist and ethereal dreamer and loves reflected glory and loveliness. The approach of the two poets may vary but their love for nature should be appreciated. Wordsworth approaches nature as a power of beauty and balm for happy, peace, and calm. It is to say where Wordsworth's imagination isolates and focuses and Keats fills in and enriches, Shelley's dissolves and transcends. These three romantic poets have tried their best to bring humanity happy and shake all their sorrow through natural beauty and rural settings. To conclude nature is our best guide to lead a happy life.

References:-

1. Kermode, Frank and John Hollander, eds. The Oxford
2. Anthology of English
3. Literature.2Vols.London:OUP, 1973.Print.
4. "John Keats Speech". 123Helpme.com.05 Sep 2013
5. <http://www.123HelpMe.com/view.asp?id=102691>

शिक्षा दर्शन के व्यवहारिक प्रतिमान : भारतीय दर्शन के संदर्भ में

कपिल नेमा*

* शोध छात्र (दर्शनशास्त्र) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय दर्शन सदैव ही शिक्षा प्रणालियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है क्योंकि यह मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है, अंतर्निहित सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को प्रदान करता है जिन पर एक शैक्षिक ढांचा बनाया जाता है। अपने मूल में, दर्शन उन मूलभूत विचारों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षा के लक्ष्यों, विधियों और विषय-वस्तु को प्रभावित करते हैं। यह शिक्षा के उद्देश्य को परिभाषित करने में सहायता करता है, चाहे वह ज्ञान के संचरण, आलोचनात्मक विचार, कौशल विकास, चरित्र निर्माण या सामाजिक उन्नति पर केंद्रित हों। दार्शनिक दृष्टिकोण द्वारा शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन विधियों को एक महत्वकांक्षी दिशा में रेखांकित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देने वाला एक दर्शन अपनी शिक्षण पद्धतियों में व्यवहारिक अनुप्रयोगों और व्यवहारिक गतिविधियों को प्राथमिकता दे सकता है। इसके अतिरिक्त, दार्शनिक ढांचे शिक्षकों को यह समझने में मार्गदर्शन करते हैं कि युवा मस्तिष्क को कैसे पोषित किया जाए और ढाला जाए ताकि उनके दृष्टिकोण जीवन मूल्यों की समझ विकसित कर सकें।

भारतीय शिक्षा प्रणाली के अपनी चिरजीवी दार्शनिक परंपराओं में तल्लीन होने का उद्देश्य उन मूलभूत विचारधाराओं, मूल्यों और मान्यताओं को उजागर करना है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भारत में शिक्षा को आकार दिया है और उन्हें प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोधपत्र वेदांत, न्याय और अन्य प्राचीन दार्शनिक परंपराओं के समृद्ध चित्रों को उजागर करने का प्रयास करता है, जिन्होंने शैक्षिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। यह अन्वेषण भारतीय शिक्षा के दार्शनिक लोकाचार पर उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के बाद के सुधारों जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करने का प्रयास भी करता है। इसका उद्देश्य आधुनिक शैक्षिक प्रतिमान में पारंपरिक दार्शनिक मूल्यों से निरंतरता या विचलन का मूल्यांकन करना है तथा यह भी जांच करना है कि इन परिवर्तनों ने आज भारत में शैक्षिक परिदृश्य को कैसे आकार दिया है।

वेदों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों में गहराई से निहित प्राचीन भारतीय दर्शन ने भारत में शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों और उद्देश्यों को आकार देते हुए शैक्षिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। वेद, जिन्हें हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, आध्यात्मिकता से लेकर खगोल विज्ञान, शासन और सामाजिक आचरण तक विभिन्न विषयों में फैले ज्ञान का एक विशाल भंडार है। उन्होंने शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की नींव रखी, जिसमें ज्ञान के

परस्पर जुड़ाव और अकादमिक गतिविधियों के साथ-साथ नैतिक शिक्षाओं के महत्व पर जोर दिया गया। इन प्राचीन दर्शनों ने पारंपरिक भारतीय शैक्षिक प्रतिमानों 'गुरुकुल प्रणाली' को प्रभावित किया। गुरुकुल, गुरुओं (शिक्षकों) के नेतृत्व वाले आवासीय विद्यालयों ने न केवल शैक्षणिक विषयों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र शिक्षा प्रदान की, बल्कि नैतिक शिक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण और आध्यात्मिक विकास भी प्रदान किया। इसके अलावा, वेदों और उपनिषदों ने हिंदू दर्शन में जीवन के चार उद्देश्यों या पुरुषार्थों की नींव रखी, जिसमें धर्म (धार्मिकता) अर्थ (समृद्धि) काम (आनंद) और मोक्ष शामिल थे। इन आदर्शों ने मनुष्य को न केवल बौद्धिक विकास की ओर बल्कि नैतिक अखंडता, भौतिक सफलता और अंतिम मुक्ति या आत्म-प्राप्ति की ओर भी मार्गदर्शन किया।

शिक्षा पर इन प्राचीन भारतीय दर्शनों का प्रभाव आज भी प्रतिध्वनित होता है, क्योंकि समग्र शिक्षा, नैतिक मूल्यों और आत्म-चेतना की खोज के तत्वों को शैक्षिक प्रवचन और प्रथाओं में प्रासंगिकता मिलती है, जो भारत की दार्शनिक विरासत के साथ अपने आधुनिक शैक्षिक ढांचे के भीतर एक संबंध को संरक्षित करते हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का भारत के शैक्षिक दर्शन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा, मौलिक रूप से इसकी पारंपरिक प्रणालियों को नया रूप दिया और पश्चिमी विचारधाराओं के साथ एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। अंग्रेजों ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की मांग की जो उनके प्रशासनिक और आर्थिक हितों की पूर्ति करे, जिससे भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक व्यवस्थित परिवर्तन आया।

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक एक औपचारिक, केंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली की शुरुआत थी जिसने विकेंद्रीकृत गुरुकुल प्रणाली को बदल दिया। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान जैसे विषयों पर जोर देते हुए अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक तरीकों का पालन करते हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। इस बदलाव का उद्देश्य पश्चिमी विचारों और मूल्यों में शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग बनाना था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य और उसके संस्थानों के प्रशासन को सुविधा मिली। अंग्रेजों ने लार्ड मैकाले द्वारा समर्थित शिक्षा की मैकाले प्रणाली की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाना था जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। इस नीति ने अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया तथा स्वदेशी भाषाओं, संस्कृतियों तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर पश्चिमी ज्ञान और

मूल्यों को अधिमान दिया।

ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौरान शिक्षा औपनिवेशिक प्रशासन की सेवा करने या ब्रिटिश हितों का समर्थन करने वाले व्यवसायों में काम करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों के एक वर्ग के निर्माण पर केंद्रित थी। रटकर सीखने, याद रखने और स्वदेशी ज्ञान से रहित पाठ्यक्रम पर जोर देने से पारंपरिक भारतीय प्रणालियों में प्रचलित शिक्षा के लिए समग्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दबा दिया गया। इस औपनिवेशिक प्रभाव ने भारतीय शिक्षा में एक द्वैतवाद को जन्म दिया, जिसमें अभिजात वर्ग को पूरा करने वाली एक प्रणाली, पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने वाली, और एक और बड़े पैमाने पर जनता की जरूरतों की अनदेखी करते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में असमानता को बनाए रखा।

स्वदेशी शैक्षिक दर्शन पर हानिकारक प्रभावों के बाद भी, पश्चिमी शिक्षा के संपर्क ने भारत में एक आधुनिक, शिक्षित वर्ग के उद्भव में योगदान दिया, जो अंततः देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहायक बन गया और बाद में स्वतंत्रता के बाद के शैक्षिक सुधारों को आकार दिया। भारत के शैक्षिक दर्शन पर ब्रिटिश उपनिवेशीकरण की विरासत आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ पारंपरिक मूल्यों को मिलाने के निरंतर प्रयासों के साथ बहस का विषय बनी हुई है।

शिक्षा में आध्यात्मिक विकास अनिवार्य रूप से केवल धार्मिक शिक्षाओं को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें मानव अस्तित्व, एकत्व और जीवन में अर्थ या उद्देश्य की भावना की व्यापक समझ शामिल है। यह चिंतन, आत्म-प्रतिबिंब और अपने आंतरिक आत्म की खोज को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा का यह पक्ष मानसिक आनंद, वैचारिक उदारता और आंतरिक शांति जैसे गुणों को पोषित करने का प्रयास करता है, जो मनुष्य को जीवन के गहरे प्रश्नों के समाधान के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

विभिन्न भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों ने, अपने अनूठे सिद्धांतों और दृष्टिकोण के साथ, भारत में शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, विविध विचारधाराओं का योगदान दिया है और शैक्षिक पद्धतियों को स्वरूप दिया है:

1. वेदांत दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव- वेदांत केवल दर्शन ही नहीं है, यह मनुष्य को संपूर्ण बनाने हेतु तथा उसका पथ प्रदर्शित करने हेतु निर्देशिका का काम करता है वेदांत की मान्यता है कि मनुष्य अपनी मूल स्वरूप में दिव्य सच्चिदानंद है किंतु अविद्याउसे नियंत्रित करके दुख में धकेल देती है। मनुष्य ज्ञान तथा वैराग की भावना से दुख व वेदना से बच सकता है। वेदांत के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान से दूर करके सत्य तथा वास्तविक ज्ञान का अनुभव कराना है इसी आधार पर शंकराचार्य ने वास्तविक ज्ञान की अधिकारी में चार गुणों का होना अनिवार्य बताया है-

1. नित्यानित्यवस्तुविवेक
2. शमदमादिषट्संपत्ति
3. इहामुत्तार्थभोगविराग
4. मुमुक्षुत्व।

सार्वभौमिक चेतना के साथ स्वयं की एकता पर जोर देते हुए, आत्म-प्राप्ति और ज्ञान की खोज को मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में जोर देकर शिक्षा को प्रभावित किया है।

2. सांख्य दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव- एक द्वैतवादी परिप्रेक्ष्य के माध्यम से स्वयं और ब्रह्मांड के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले सांख्य

दर्शन ने मन-शरीर संबंधों की व्यापक समझ पर जोर देकर शिक्षा को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव उन शैक्षिक प्रथाओं में परिलक्षित होता है जिनका उद्देश्य समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों को एकीकृत करना है। सांख्यदर्शन अपनी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से मनुष्य की बाह्य एवं आंतरिक संरचना का विकास करने में सक्षम है। सांख्य प्रकृति व पुरुषों को विश्व के मूल तत्व स्वीकार करता है। उनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वही है जो प्रकृति व पुरुषों के भेद का ज्ञान कराती। त्रयदुख (आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक) का आत्यंतिक निवारण ही शिक्षा का साध्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह योग को साधन मार्ग के रूप में आवश्यक मानता है।

3. मीमांसा दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव- मीमांसा, जो मुख्य रूप से अनुष्ठान व्याख्या और वैदिक ग्रंथों के सार को समझने से संबंधित है, ने शास्त्रों के अध्ययन और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण पर जोर देकर शैक्षिक प्रथाओं को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव कुछ शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में वैदिक अध्ययन को शामिल करने में देखा जा सकता है। वेदविहित कर्मों का कर्ता और भोक्ता तथा उसके फल का भोक्ता होने से व्यावहारिक जीव ही आत्मा है, और वह जन्म, मरण, स्वर्ग और नरक के साथ संबद्ध है। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है। फल देने वाला ईश्वर नहीं है। मीमांसा में कर्म की प्रधानता मानी गई है।

4. बौद्ध और जैन दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव- अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन पर जोर देने वाले बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों ने नैतिक शिक्षाओं और नैतिक आचरण पर बल देकर शैक्षिक दर्शन को प्रभावित किया है। चरित्र विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देने वाली शैक्षिक प्रणालियों में उनका प्रभाव स्पष्ट है।

इन दार्शनिक सम्प्रदायों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है तथा इसके मूल्यों, कार्यप्रणाली और उद्देश्यों को आकार दिया है। उनका प्रभाव समग्र शिक्षा पर जोर देने, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के एकीकरण और शैक्षिक ढांचे के भीतर आलोचनात्मक सोच, तर्क और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त, वे शैक्षिक सुधारों पर चर्चाओं को प्रेरित करना जारी रखते हैं जिनका उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक प्रथाओं को संरेखित करना है।

भारत में समकालीन शैक्षिक नीतियां तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य की मांगों को पूरा करते हुए देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में निहित दार्शनिक मूल्यों के साथ संरेखित करने के निरंतर प्रयास को दर्शाती हैं। इन नीतियों का उद्देश्य छात्रों के बीच समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण के लिए प्रयास करते हुए पारंपरिक दार्शनिक आदर्शों को आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसी पहल एक अधिक समग्र, बहु-विषयक और लचीली शिक्षा प्रणाली की ओर बदलाव पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में दार्शनिक मूल्यों को शामिल करने के महत्व को पहचानती है तथा एक ऐसी शिक्षा की अनुशंसा करती है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि नैतिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती है। यह पाठ्यक्रम में प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों, नैतिकता और मूल्यों के एकीकरण पर जोर देता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए भारत की सांस्कृतिक विरासत में गर्व की भावना पैदा करना है। समकालीन नीतियों

में अनुभवात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल पर जोर दिया जा रहा है, जो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय जुड़ाव को प्रोत्साहित करने वाले दार्शनिक मूल्यों के साथ संरेखित है। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर समग्र शिक्षा के सिद्धांत के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल के महत्व को स्वीकार करता है।

हालांकि, दार्शनिक मूल्यों को पूरी तरह से क्रियान्वयन योग्य नीतियों और प्रथाओं में बदलने में चुनौतियां बनी हुई हैं। तेजी से विकसित हो रही दुनिया की मांगों के साथ पारंपरिक मूल्यों के समावेश को संतुलित करना, बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना, दार्शनिक सिद्धांतों के साथ शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से समझौता किए बिना सांस्कृतिक प्रासंगिकता बनाए रखना वर्तमान चुनौतियों में से हैं।

वेदांत, न्याय और अन्य प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में निहित भारतीय शैक्षिक दर्शन में आधुनिक समस्याओं के निराकरण की शक्ति निहित है। भारतीय शिक्षा का समग्र दृष्टिकोण नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास को एकीकृत करते हुए समग्र विकास पर जोर देता है। यह विभिन्न विषयों के परस्पर जुड़ाव को महत्व देता है और एक सर्वांग शिक्षा का लक्ष्य रखता है। जबकि अन्य शैक्षिक प्रणालियाँ नैतिक या आध्यात्मिक पहलुओं को समान महत्व दिए बिना मुख्य रूप से शैक्षणिक उपलब्धि और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है, शिक्षा को आत्म-साक्षात्कार और चरित्र विकास का साधन मानता है। जबकि विश्व भर में कई शैक्षिक प्रणालियाँ अपने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता या नैतिक शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से एकीकृत नहीं कर सकती हैं, जो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐतिहासिक रूप से गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक-छात्र संबंधों, संवाद और अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया गया था। जबकि विश्व स्तर पर कुछ शैक्षिक प्रणालियाँ मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षाओं और कम व्यक्तिगत शिक्षण अनुभवों पर जोर देती हैं। भारतीय दर्शन पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को शिक्षा में संरक्षित करने और एकीकृत करने के मूल्य तथा आधुनिक प्रगति के बीच संतुलन रखता है। जबकि अन्य प्रणालियाँ पारंपरिक ज्ञान की तुलना में आधुनिक ज्ञान और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देती हैं। भारतीय दर्शन बहुधा भारत के सांस्कृतिक ताने-बाने और सामाजिक मूल्यों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो शैक्षिक प्रथाओं और लक्ष्यों को प्रभावित करता है। जबकि अन्य प्रणालियाँ अपने-अपने क्षेत्रों के सांस्कृतिक संदर्भ से स्वरूप प्राप्त करती हैं, जो विभिन्न सामाजिक प्राथमिकताओं और मूल्यों को दर्शाती हैं। इन अंतरों और समानताओं को स्वीकार करने से विश्व भर में शैक्षिक प्रथाओं को बढ़ाने के लिए अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा मिल सकती है।

निष्कर्ष - दर्शन को शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करना शिक्षार्थियों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्माण्ड और स्वयं की व्यापक समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि निम्न बिंदुओं के आधार पर भारतीय दर्शन अपने में निहित शिक्षा प्रणालियों को आधार बनाकर मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा संसार को विभिन्न क्षेत्रों में अप्रतिम योगदान दे सकता है।
व्यापक समझ के आधार के रूप में - दर्शन जीवन के मौलिक प्रश्नों, नैतिकता और मानव अस्तित्व को समझने के लिए एक मूलभूत ढांचा प्रदान

करता है। दार्शनिक अवधारणाओं को एकीकृत करने से शिक्षार्थी इन अस्तित्वगत प्रश्नों से जूझ सकते हैं, जिससे मानव के अस्तित्व की गहरी समझ का ज्ञान होता है।

नैतिक विकास, मूल्य और नैतिकता - दर्शन सही और गलत की अवधारणाओं पर चिंतन को प्रेरित करके नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है, नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देता है। यह चरित्र विकास में सहायता करता है, ऐसे व्यक्तियों की खोज करता है जो सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रदर्शन करते हैं।

आलोचनात्मक तर्क - दर्शन आलोचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक तर्क और तार्किकता को प्रोत्साहित करता है। दार्शनिक पद्धतियों से युक्त शैक्षिक ढांचे इन संज्ञानात्मक कौशल के विकास को बढ़ावा देते हैं, शिक्षार्थियों को जटिल मुद्दों का विश्लेषण करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए सशक्त बनाते हैं।

ज्ञान का एकीकरण - दर्शन विभिन्न विषयों को एकीकृत करता है, विषयों के बीच के अंतर को समाप्त करता है और अंतःविषयक संबंधों को बढ़ावा देता है। इस तरह के एकीकरण से शिक्षार्थियों को ज्ञान के परस्पर जुड़ाव को समझने में मदद मिलती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की समग्र समझ को बढ़ावा मिलता है।

व्यक्तिगत विकास और कल्याण तथा आत्म-विवेक और जागरूकता - दर्शन आत्म-विवेक और आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करता है, आत्म-जागरूकता और व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है। दार्शनिक शिक्षाओं को एकीकृत करके विभिन्न शैक्षिक ढांचे भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लचीलापन और मानसिक कल्याण का पोषण करते हैं।

अनुकूलनशीलता और नवाचार - दर्शन नए विचारों, विविध दृष्टिकोण और अनुकूलनशीलता के लिए विस्तीर्णता को प्रोत्साहित करता है। दार्शनिक सिद्धांतों का एकीकरण नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है, तथा व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धी युग में जाने के लिए तैयार करता है।

सांस्कृतिक प्रासंगिकता और संदर्भ - दर्शन विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। दार्शनिक शिक्षाओं को एकीकृत करने से सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा मिलता है, जो वैश्विक नागरिकता और सामाजिक सामंजस्य में योगदान देता है।

दर्शन को शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करके, आलोचनात्मक सोच, नैतिक तर्क और जीवन की जटिलताओं का निस्तारण करने की प्रणालियाँ विकसित की जा सकती हैं। यह दृष्टिकोण न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि संसार की गहरी समझ विकसित करता है, तथा ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो न केवल शिक्षित हैं, बल्कि दयालु, नैतिक और समाज में सार्थक योगदान करने के लिए सुसज्जित हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गौर, सुनीता, (2012), भारतीय शिक्षा पद्धति: एक दार्शनिक दृष्टिकोण, शिक्षा मंथन, 100-110,
2. प्रसाद, अनुराग, (2017), शिक्षा और भारतीय दार्शनिक परंपराएँ, भारतीय शिक्षा अनुसंधान, 220-235.
3. जैन, रवि, (2020), भारतीय शिक्षा दर्शन: समकालीन परिप्रेक्ष्य, शिक्षा दर्शन जर्नल, 150-165.
4. खन्ना, मनीष, (2015), भारतीय शिक्षा दर्शन: एक मानवात्मक

- दृष्टिकोण, विचार अनुसंधान पत्रिका, 50-65.
5. Radhakrishnan, S (1951), The Philosophy of Indian Education, London: George Allen & Unwin Ltd
 6. Sharma, RN(2010), Indian Philosophy and Education, New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors
 7. Sen, A(2007) - Ethics and Education in Indian Philosophy, Journal of Indian Philosophy
 8. Mukherjee, S(2015) - Ancient Indian Education: A Philosophical Perspective, Educational Studies
- Online Sources:-**
1. Ministry of Education, Government of India- (2020) - National Education Policy 2020
 2. UNESCO- (2018) - Education in India: Current Status and Key Challenges

Exploring the Vitality of English Language Proficiency in a Globalized Era

Surbhi Gour* Dr. Monika Choudhary**

*Research Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Research Guide, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract -The significance of English language proficiency in the contemporary global milieu cannot be overstated. In an era marked by enhanced global connectivity due to globalization, the imperative of possessing a common language, a lingua franca, becomes pronounced. English has emerged as this predominant global lingua franca, emphasizing the crucial necessity for individuals worldwide to attain fluency in this universal language. This holds particular significance in multilingual nations such as India, where the development of English proficiency is pivotal for fostering global connections. Mastery of English is increasingly considered indispensable for individuals aspiring to excel and compete within the evolving spheres of the future. This paper aims to scrutinize the pressing demand for English language proficiency within a global context, shedding light on its historical significance in India. Moreover, it delves into the challenges faced by non-native English speakers, especially those in India, as they endeavor to master spoken English.

Key Words: English language proficiency, Global connectivity, India.

Introduction - In an era characterized by heightened interconnectivity and globalization, the criticality of prompt and effective modes of communication has escalated exponentially in today's world. It is incontrovertible that a universal language is indispensable for facilitating the burgeoning trade and commerce between corporations spanning the globe. With the evolution of informatization and globalization, it is patently evident that people across the globe predominantly communicate in a single internationally acknowledged language: English. Serving as the linchpin between agents and international entities, English stands as the foremost global lingua franca, wielding unparalleled influence across myriad domains like international trade, diplomacy, entertainment, telecommunications, scientific publications, newspapers, and literary works.

As a lingua franca, English serves as the primary mode of communication for both native speakers and individuals with varying degrees of proficiency, particularly in business settings and organizational environments. Its exponential growth solidifies its position as a commercial language, seamlessly bridging diverse regions worldwide, including the East and West, North and South. English permeates nearly every sphere, ranging from sciences, engineering, medicine, commerce, research, education, tourism, internet, banking, business, advertising, film industry, transportation, to pharmaceuticals, holding an unequivocal and extensive role as a dominant global language in these

realms. Its pervasive influence has amassed such momentum that its dominance is akin to an unstoppable snowball effect.

Given the pivotal role assumed by English, numerous researchers have attempted to encapsulate its multifaceted usage across diverse contexts. Varied terminologies have emerged, coined by scholars such as Ahlu, McArthur, David Crystal, House, Gnutzmann, Seidlhofer, Jenkins, Widdowson, Modiano, Jenkins, and Brutt-Griffler. These terms, whether labeled as "General English," "World Standard (Spoken) English," "English as a global language," "English as a Lingua Franca," or "English as an International Language," converge in underscoring English's widespread usage and prevalence across global domains. Despite subtle lexical variations, these terms collectively underscore the universal recognition of English as the most extensively spoken and utilized language across diverse and pivotal fields worldwide.

In light of this widespread recognition and usage, it is apt to affirm that English rightly deserves its esteemed position as an international or global language, catering to the diverse linguistic needs of people inhabiting various regions worldwide.

Although initially associated with the British, English has transitioned into a secondary language in numerous former British colonies, including the US, Australia, Canada, Nigeria, South Africa, and India, largely due to the historical influence of the British Empire. Today, English has evolved

to become the primary language in these countries shaped by British colonialism, significantly dominating arenas of business, trade, commerce, and cultural domains. It is unequivocal that English has entrenched itself as the de facto language in scientific and technological fields, exemplified by its prevalence in Hollywood productions, TV programs, and the extensive global circulation of English-published newspapers. Moreover, it serves as the predominant language in scientific research and is a lingua franca in the tourism sector.

The necessity for proficiency in English is evident, especially among students pursuing higher education abroad, as most literature in fields such as science, engineering, information technology, medicine, tourism, and business is exclusively available in English. Notably, the majority of courses in foreign countries are taught in English, emphasizing its vital role as an indispensable tool for individuals aspiring to work in multinational corporations or abroad. English also dominates internet usage, electronic media, and press, being the language of choice for 85% of scientific journals, thus solidifying its global status. Unlike Mandarin, which despite having the highest number of speakers worldwide, is confined to specific regions, English enjoys widespread usage across the globe, prompting even Chinese speakers to learn English to facilitate global business expansion.

Its prevalence in e-business has facilitated significant strides in trade and commerce, and it is widely adopted not just by diplomats but also by prominent international organizations like the UNO, WHO, UNESCO, OPEC, EFTA, ASEAN, UNHRC, WTO, ILO, BRICS, and INTERPOL. Approximately one-third of these global organizations use English exclusively, while 90% of Asian international organizations employ English as a primary language.

Given the diverse linguistic backgrounds of people worldwide, there exists a clear necessity for a universally understood language. At present, English has emerged as the global language, spoken by individuals across nations worldwide. Despite originating as the native language of countries like the US, UK, Australia, New Zealand, and Canada, English is more widely spoken by non-native speakers globally. Its recognition as an official language in about sixty countries and as a language for citizen-government interactions in fifteen countries further underscores its global reach and importance.

Using English as a de facto official language, albeit not as the primary language, is the norm in many countries, with fifty-four nations adopting English officially and employing it as the language for higher education. Recent statistics highlight English's official status in 55 sovereign states and 27 non-sovereign entities. Additionally, numerous regional or local subdivisions within countries have also declared English as an official language. Hence, English has ascended to the status of a global language, catering to the diverse needs of people worldwide.

While English originated as the first West Germanic language spoken in medieval England, it has now evolved into a global lingua franca. It serves as the primary language for a majority of the population in various countries, including the United Kingdom, the United States, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, and select Caribbean nations. Roughly 375 million individuals speak it as their first language, while over 750 million use it as a second language. English holds official or specialized status in almost 70 countries. These statistics underscore the pivotal role that English plays as a global language.

Giddens (2000) asserts that globalization is characterized by the separation of space and time, facilitating instantaneous communication and the simultaneous sharing of knowledge and culture worldwide. Initially perceived as an economic phenomenon through increased interaction and integration of national economic systems via international trade, capital flow, and investment, globalization now encompasses cross-border technological, political, social, and cultural exchanges among nations, particularly among individuals.

A linguist, Robert Phillipson, labeled the expansion of English as "linguistic imperialism". Kachru (1983) further says, "As a result, English became the most dominated and most powerful language in the world that motivated many linguists and language researchers to call it an international language". So the term "international language" has been widely used only after English became both the mother tongue as well as the second language spoken by non-native speakers of various regions all around the world. Language is a means of communication and people share their thoughts, feelings, expressions, ideas and expressions. In other words, language exercises cultural transmission, socialization, status, sharing power, politics, and knowledge and so on. Even though there are different communication systems, human communication system is well-recognized because of its arbitrariness, duality of patterning, displacement, voluntary-vocal, etc. No language is alike and all languages are different from one another with respect to their popularity, cultures, dictions, influence, scope, aspects, accents, popularity, extra-linguistic features, standardization, status and so on.

Several factors have contributed to English becoming a global language. Presently, the United Nations employs five languages for global communication—English, French, Spanish, Russian, and Chinese. Among these, around 85% of international organizations use English as at least one of their official languages, whereas French, the next most utilized language, falls below 50%. Notably, approximately one-third of international organizations, including OPEC, EFTA, and ASEAN, exclusively utilize English, and among Asian international organizations, 90% use English. Crystal (1997) highlighted that English is the official language in 85% of international organizations for transnational communication. Additionally, English dominates in about

85% of significant film productions and markets globally, and roughly 90% of published academic articles across various fields, such as linguistics, are written in English. The widespread growth of English usage often ties back to educational, economic, or cultural globalization.

The ascendancy of a global language is intricately linked to the political and economic dominance of its native speakers. The expansion of English worldwide from the 17th to the 20th century can be largely attributed to the imperial and industrial power of the British. This legacy of British imperialism and colonialism resulted in the thorough institutionalization of the English language in many countries, evident in their parliament, civil service, courts, schools, and educational institutions. Additionally, English serves as a neutral means of communication among diverse ethnic groups in various countries.

A lingua franca, which facilitates communication among people worldwide, is a well-recognized concept. Chinese stands as the most spoken language globally, with approximately 1.2 billion native speakers, of which nearly 1 billion speak Mandarin, making it the most widely spoken language. Comparatively, Spanish has a greater number of native speakers than English, with almost 400 million speakers. However, English boasts around 360 million native speakers and an additional 500 million individuals who use it as a second language. While the Chinese language boasts a significant number of speakers worldwide, its usage is predominantly confined to China. In contrast, English is spoken across the globe, transcending language barriers in all countries, irrespective of their native tongue. This showcases the remarkable success of English as the lingua franca for travel, tourism, business, and international relations—a feat that the Chinese language, despite its extensive speaker base, hasn't replicated due to its regional limitations.

Science and Technology: English serves as the predominant language extensively utilized in the realm of science and technology. Its adoption as the de facto universal language has significantly influenced scientific communication. Consequently, scientists worldwide can access available scientific literature and engage in communication with colleagues from diverse regions across the globe. Presently, a functional grasp of English has become a fundamental requirement in numerous professions and fields like research, medicine, and computer science.

Since the mid-twentieth century, a significant transformation has occurred within the global scientific community. English has emerged as the prevailing language, even in non-English speaking nations such as France, Spain, and Germany. Adam Huttner-Koros notes that academic papers published in the English language outnumber those in their respective countries' native languages by a significant margin, reaching a staggering ratio of 40:1. This illustrates that scientists aspiring to

produce impactful, globally recognized work must publish their papers in English. This is essential for them to exchange and advance their knowledge, whether by participating in international conferences, seminars, and workshops, reading English-written papers, or engaging in discussions conducted in English. Even within the realm of scientific publications, English holds a prominent position. More than 80% of all scientific journal articles indexed by Chemical Abstracts in 1998 were exclusively written in English. Additionally, nearly all articles published in the natural sciences in 1996 were in English, and an overwhelming 90% of publications in humanities by 1995 were also in the English language. Notably, while only 5% of English speakers are native speakers among the 15% of individuals who speak English worldwide, the language remains paramount in scientific research. Our scientists demonstrate their proficiency and make advancements in their endeavors, facilitated by a shared language that enables communication among colleagues from various parts of the world. Given that a significant portion of literature available in crucial fields such as science and technology is in English, there arises a necessity for all students and researchers globally to acquire proficiency in the English language. This need stems from the fact that English serves as the primary medium for disseminating knowledge and research in these critical domains.

Education: It's widely acknowledged that English holds a prominent position in global education systems. The necessity to learn English has become imperative due to the prevalence of English-written higher education books and materials. Across various educational fields, including sciences, technology, IT, engineering, medicine, law, business, and tourism, English is the primary medium for storing information in both printed and electronic forms. As the educational landscape rapidly evolves, students now have unprecedented access to global resources through the internet.

This increased access allows learners to independently explore subjects, fostering a self-learning attitude. Furthermore, many students aspire to study abroad to expand their career prospects worldwide, recognizing English proficiency as a significant asset. Learners of English as a foreign language are encouraged to attain proficiency in the language to bolster their learning capabilities in these critical domains. Although some countries like Sweden and the Netherlands don't consider English an official language, their science and engineering syllabi are written in English due to the prevalence of literature in these fields being predominantly English.

The primary intention behind producing higher education materials in English is to facilitate access for learners and educators worldwide. Consequently, students, teachers, and researchers capitalize on this opportunity to augment their qualifications and knowledge, potentially improving their language skills alongside subject-specific

expertise. Therefore, the significance of English in the field of education is immense, given that most academic publications and research are conducted and disseminated in English.

Regarding employment, another advantage of mastering English is its impact on securing jobs. Many employers prioritize language skills, particularly communication skills in English, owing to the widespread interactions between companies on an international scale. During job interviews, in addition to academic qualifications, candidates are assessed based on their ability to express ideas fluently and clearly. Even though candidates might boast excellent educational backgrounds, job providers often emphasize effective communication abilities. In the current global job market, where numerous opportunities exist to work for international organizations, individuals are actively striving to enhance their English language skills. Mastery in oral and written English communication opens doors for job seekers to work globally, exemplified by the increasing number of Chinese and Japanese individuals learning English to access better employment opportunities in this global era.

Business: In the contemporary realm of commerce, English stands as the principal language for international business transactions, trade, and commerce. Its role as a global language caters to the intricate needs of multinational corporations, functioning as a pivotal tool for communication between various business entities. Leveraging state-of-the-art technologies in the business sphere, English serves as the primary medium for correspondence such as emails, letters, documentation, video conferencing, fax transmissions, telephone conversations, and more. According to Graddol (1997), approximately 80% of people within Europe employ English as their language of choice. Moreover, it is indispensable in global business operations regulated by the World Trade Organization (WTO).

The Internet: The pervasive use of English as an international language and the emergence of the internet as a swift, borderless communication platform mutually reinforce new trends, significantly altering the landscape of this era defined by globalization. Since its inception, the internet has brought about radical transformations, revolutionizing the way people communicate and learn English in a global context. It has evolved into a vital linguistic medium, especially through computer-mediated communication, playing a pivotal role in the phenomenon of globalization. The internet now stands as an essential element in various aspects of human life, including language learning. Coined by McLuhan in the 1960s, the term 'global village' emphasizes the unifying potential of electronic communication, asserting that "the medium is the message."

Press and Media: English stands out as the primary language in the realm of press and media due to its widespread international use among the majority of

speakers. Leading newspapers and magazines across the globe are predominantly printed in English, and a significant portion of televised news programs is broadcasted in the language. Television channels like Discovery, Animal Planet, and National Geographic serve as learning aids for individuals seeking to improve their English proficiency. Watching English programs not only enhances active vocabulary but also gradually develops passive vocabulary among learners. The influence of media and press on young learners of English is substantial, with many following English channels to refine their language skills. Even children exhibit a swift grasp of the English language through English-language channels, storybooks, comics, cartoons, detective stories, novels, and similar materials.

Entertainment: English plays a pivotal role in promoting entertainment through the movie, television, and music industries. Hollywood, based in the United States, serves as the epicenter for globally acclaimed television, music, and movie productions where English serves as the primary mode of communication to ensure the message's global comprehension. With the strain and stress prevalent in today's society, English-language movies and entertainment programs are crafted to alleviate these pressures. Cartoons, movies, TV shows, comics, and moral stories in English cater to entertaining children while simultaneously improving their English language skills. Broadcasting channels like Discovery, National Geographic, Animal Planet, BBC, CNN, Star Movies, and AXN offer valuable information for both children and adults, enabling language acquisition and enhancing knowledge in various subjects. Music, television, and movies not only serve as entertainment sources but also significantly contribute to enriching people's English language abilities.

Hence, English serves as the predominant or official language across diverse fields. The global importance of the English language continues to grow, making it essential for individuals worldwide, irrespective of geographical locations, to learn and utilize English as a foreign or second language for various purposes.

Conclusion: In the spheres of transportation and tourism, the prominence of the English language is unmistakable. English has emerged as a universal language in the tourism industry, serving as a bridge between people from various cultural backgrounds. Travel-related materials such as brochures, travel guides, signage, and online platforms predominantly use English due to its global recognition and ease of comprehension among travelers worldwide.

Moreover, English is commonly utilized in international airports, train stations, and other transit hubs, facilitating seamless communication among travelers, irrespective of their native languages. Flight announcements, safety instructions, and directional signage are often provided in English to ensure passengers' clarity and safety during travel.

The importance of English in the tourism sector extends

to service industries such as hotels, restaurants, and tourist attractions. Staff members in these establishments are frequently trained to communicate in English to accommodate international visitors effectively. Additionally, multilingual tour guides and interpreters often rely on English to assist tourists from different linguistic backgrounds during their travels.

English proficiency significantly enhances the travel experience, allowing tourists to navigate foreign destinations more comfortably. It serves as a unifying language, enabling travelers to engage with locals, understand cultural nuances, and access information about historical sites or landmarks.

Therefore, the widespread use of English in transportation and tourism not only facilitates smooth travel experiences but also fosters cultural exchange and global connectivity among individuals from diverse linguistic backgrounds. As a result, learning English as a second language is increasingly essential for travelers worldwide to navigate the global tourism landscape effectively.

References:-

1. Ahlu, S. "General English: A Consideration of the Nature of English as an International Medium." **English Today**, vol. 13, no. 1, 1997, pp. 17-23.
2. Brutt-Griffler, J. **World English: A Study of Its Development**. Clevedon and Buffalo: Multilingual Matters, 2002.
3. Crystal, David. **English as a Global Language**. 1st ed., Cambridge University Press, 1997.
4. **English and the Internet**. Cambridge University Press, 2001.
5. **English as a Global Language**. 2nd ed., Cambridge University Press, 2003, p. 69.
6. "Chapter 9: English Worldwide." In Denison, David; Hogg, Richard M. **A History of the English Language**, Cambridge University Press, 2006, pp. 420-439. ISBN 978-0-511-16893-2.
7. *Evolving English: One Language, Many Voices: An Illustrated History of the English Language*. London: British Library, 2010. Cambridge University Press, 2018.
8. Fisher, John H. **The Emergence of Standard English**. Lexington: University Press of Kentucky, 1996.
9. House, J. "Misunderstanding in Intercultural Communication: Interactions in English as a Lingua Franca and the Myth of Mutual Intelligibility." In Claus Gnutzmann (Ed.), 1999, pp. 73-89.
10. Giddens, Anthony. **Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives**. New York: Routledge, 2000.
11. Graddol, David. "The Future of English?" UK: The British Council, 1997. Archived from the original (PDF) on 19 February 2007. Retrieved 15 April 2007.
12. Hogg, David M. and David Denison. **A History of the English Language**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
13. Hwang, Kumju. "The Inferior Science and the Dominant Use of English in Knowledge Production: A Case Study of Korean Science and Technology." **Science Communication: An International, Interdisciplinary Social Science Journal**, vol. 26, no. 4, 2005, pp. 390-427.
14. Jenkins, Jennifer. **The Phonology of English as an International Language**. Oxford: Oxford University Press, 2000.
15. Kachru, Braj. **The Other Tongue: English across Cultures**. Oxford: Pergamon, 1983.

मनरेगा का ग्रामीण रोजगार की माँग और पूर्ति पर प्रभाव

सरोज रजक* डॉ. अंजनी कुमार पाण्डेय**

* पीएच.डी.शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) रोजगार की माँग ग्रामवासियों के उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, उनके जीवन में सुधार लाने तथा उनका विकास करने हेतु केन्द्र सरकार की योजना है। गाँव से शहर की ओर पलायन को कम करने के लिए मनरेगा के तहत लोगो को रोजगार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार की प्रमुख योजना यह है कि मनरेगा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साकार करना है। कानूनों से तुलना की जाए तो मनरेगा सचमुच ही जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का कानून है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर हाथ को काम और हर काम को दाम है।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए यहाँ की जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय कृषि है, कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ती है उस तेजी कृषि में उत्पादन नहीं होता है, तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अतः ग्रामीणों रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। यह पहली ऐसी योजना है जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह अधिनियम 5 सितम्बर 2005 को पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से इसे प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ लागू किया गया, अप्रैल 2008 में यह कानून भारत के सभी जिलों में लागू है। तथा रोजगार के आवेदन किया जाता तथा 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो सरकार मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है।

मनरेगा का उद्देश्य – शोध का उद्देश्य मनरेगा माँग और पूर्ति जो निम्न हैं।

1. रोजगार की माँग तेजी से बढ़ती है तथा लोगों को रोजगार मिलता है।
2. मनरेगा की माँग और पूर्ति की समस्या का अध्ययन करना।
3. मनरेगा द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु एवं व्यवसायों का अध्ययन करना।
4. मनरेगा के अंतर्गत समस्या के निवारण का अध्ययन करना।
5. मनरेगा के कार्य संचालन में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना।

मनरेगा रोजगार की माँग – मनरेगा एक माँग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, और केन्द्र से राज्यों को संसाधनो का अन्तरण प्रत्येक राज्य की माँग पर आधारित है। मनरेगा नीचे से ऊपर की ओर नियोजन, जन केन्द्रित माँग, आधारित रक्त्यनशील तथा अधिकार आधारित कार्यक्रम है। यह मजदूरी को कानूनी गारंटी, भत्ता तथा मुआवजा दोनों ही प्रदान करती है। इस मामले में कि यह माँग पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सफल प्राप्त की है। तथा सम्पादित कार्य के सापेक्ष भुगतान में विलम्ब हो जाने वाले कार्यों की ससंद और प्रकृति सम्बंधी निर्णय नियोजन कार्यों का प्राथमिकल

निर्धारण आदि ग्राम सभा की खुली बैठक में किया जाता है और उनकी अभिपुष्टि ग्राम पंचायत में होती है। सोशल अडिट एक नई विशिष्ट है जो क्रियान्वयन के प्रति जावदेही की भावना उत्पन्न करती है। विशेषकर नजदीकी लाभार्थियों पणधारियों के प्रति। इस प्रकार मनरेगा अतीत के राहत कार्यक्रम की तुलना में अलग व्यवस्था है। इसमें एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन तथा आजीविका सृजन के परिपेक्ष्य की प्रधानता है।

सम्पूर्ण भारत में माँग के प्रमाण हैं। काम की माँग करने वाले 13% परिवारों को काम नहीं मिला। यह एक अत्यधिक रुढ़िवादी अनुमान है क्योंकि इसमें धन की कमी के कारण मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली पर पंजीयन नहीं वाले काम की भारी माँग शामिल नहीं है। गुजरात, तेलंगना और बिहार राज्यों में पूरी नहीं की गई माँग 20% तक है। धनवृद्धि के बिना कार्यक्रम हर उस घर को 100 दिन का काम देने के अपने वादे करने में भी असमर्थ होगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महामारी के पहले वर्ष के दौरान मनरेगा द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सुरक्षा के साक्ष्य को देखने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में 41% अधिक ग्रामीण परिवारों ने काम की माँग की, कार्य के लिए धन आवंटन में लगभग 30% की कटौती की गई। धन की कमी के कारण कार्य की माँग का दमन होता है और श्रमिक को मजदूरी के भुगतान में देरी होती है।

इस साल की माँग 2020-21 में 7.67.346 परिवारों में से 5.54.298 को काम दिया गया। मई 2019 में यह संख्या 4.13.298 और 3.45.1592 थी। पिछले पाँच वर्षों में रोजगार की माँग और आपूर्ति के विश्लेषण से पता चला है कि बीच का अंतरण 2016-17 के बीच रहा है। 18% जो इस वर्ष रिकार्ड उच्च 29% पर था। पूरे भारत में इस वर्ष अब तक 15635 लाख व्यक्ति दिवस सृजित किए जा चुके हैं जो 2019-20 में 353.7 लाख और 2018-19 में 419.61 लाख थे।

समस्या – महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को कम करने ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और कृषि रोजगार के अवसर कम होने, प्रवासी मजदूरों की वापसी से मनरेगा के अंतर्गत काम की माँग में वृद्धि हुई।

महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारगारंटी योजना(मनरेगा)की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

गैर कृषि रोजगार के अवसर कम होने प्रवासी मजदूरी की वापसी से मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में व्यापक वृद्धि हुई।

मनरेगा से संबंधित मुद्दे :

1. अपर्याप्त ग्रामीण प्रत्येक वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटित की अपर्याप्त समस्या का कारण बनती है। उदाहरण-2021 में 24 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में फंड की कमी पाई गई है।

2. **धन की कमी** - वित्त की कमी रोजगार के मांग तथा अपूर्ति चक्र को बाधित करता है। धन की कमी से कार्य कम होते हैं, जो कोविड काल में ग्रामीण सुधार में बाधक है।

3. **भुगतान विलम्ब** - इस अधिनियम में प्रावधान है कि की गई मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए परन्तु कोई भी राज्य इस प्रावधान को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाता। भुगतान में किए गए इस विलम्ब हेतु किसी प्रकार की वैधानिक क्षतिपूर्ति की गारंटी भी नहीं है।

4. **अनैतिक गठजोड़** - अधिकारियों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के अनैतिक गठजोड़ के कारण इस योजना के उचित क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है, तथा इसकी कुशलता भी प्रभावित होती है। उदाहरण-जार्ज कांडो दौरा की समस्या।

5. **निम्न गुणवत्ता की परिसम्पत्ति** - निम्न गुणवत्ता तथा उच्च अक्षमता के कारण मनरेगा से निर्मित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता भी खराब रहती है।

समाधान - शोध कार्य के निष्कर्ष में पाया कि अधिकांश लोगों को मनरेगा एक्ट और इसके आयोजन की जानकारी नहीं है। 38 प्रतिशत लाभार्थी मनरेगा में मजदूरी दर से असंतुष्ट है। 44 प्रतिशत लोगों ने माना है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी योजना का लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

मनरेगा की पूर्ति :

1. कुछ कार्य अपूर्ण छूट जाते हैं क्योंकि श्रम और सामग्री की दरों का बदलाव वास्तविक लागत को प्रावक्लन की अनुमोदित लागत से अधिक बढ़ा देती है। जब कभी भी दरों में बदलाव होता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक की वार्षिक कार्य योजना के कार्यों के स्वीकृत

प्रावक्लनों को संशोधित कर देना चाहिए जिन्हें अभी प्रारंभ किया जाना है। यह जिला कार्यक्रम समन्वयक को स्वप्रेरणा के आधार पर स्वतः बिना किसी कार्यदायी संख्या के अनुरोध की प्रतीक्षा के कर देना चाहिए।

2. उन कार्यों के लिए जो एस.ओ.आर. संशोधित करते समय क्रियान्वयन में थे जिला क्रम-समन्वयक को कार्यों के अपूर्ण अंशों के पुनः मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण कराना चाहिए।
3. उन कार्यदायी संस्थाओं को जिनके पास कार्य प्रस्तावना वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष से अधिक के कार्य पूर्ण है।
4. जब कार्यों का आवंटन मनरेगा साफ्ट द्वारा किया जाएगा तो कम्प्यूटर सिस्टम अपूर्ण कार्यों की एक सूची प्रदर्शित करेगा जिससे कि उन्हें पहले आवंटित किया जाए।

निष्कर्ष - मनरेगा जो 2022 में 17 साल पुरा कर रहा है, एक परिवर्तनकारी कानून है जो लाखों लोगों के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाता है। साथ ही संकट के दौरान और बेरोजगार फिर भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार के विकल्प के रूप में कार्य करता है। मनरेगा मध्यप्रदेश में जिस तरह अपना कार्य कर रही है उससे निश्चित ही गरीब परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना जिस तरह परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उससे प्रदेश में गरीबी के खिलाफ अपने युद्ध में हम कामयाब हो सकेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश ने प्रदेश के गांवों में विकास की नई संभावनाएँ बनाई हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर शोध अध्ययनों का संकलन 2006-2012, प्रकाशन : ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, वर्ष 2012, पृष्ठ 4.
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रतिवेदन 2 फरवरी 2013, प्रकाशन : ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार, वर्ष 2013, पृष्ठ 8.
3. वार्षिक रिपोर्ट, प्रकाशन : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2022-23, पृष्ठ 13-19.
4. <https://nrega.nic.in/stHome.aspx>
5. <https://rural.nic.in/en/publications/annual-report>

शिक्षा तक पहुँचने में ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक अध्ययन

डॉ. उदय प्रताप सिंह*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड.विभाग) किसान पी0जी0 कॉलेज, बहराइच (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – यदि आप एक आदमी को पढ़ाते हैं, तो आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप एक महिला को पढ़ाते हैं, तो आप राष्ट्र को पढ़ाते हैं। सीखने का उद्देश्य उन आयामों की श्रृंखला का पता लगाना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने में ग्रामीण लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों में योगदान करते हैं। खोजपूर्ण मुद्दे मूल्यांकन का उपयोग विभिन्न आयामों को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता था जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरल प्रशिक्षण तक पहुँच के लिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों में योगदान देते हैं। कुल 4 तत्व निकाले गए थे: पारिवारिक समस्याएँ, व्यक्तिगत समस्याएँ, बुनियादी ढाँचा और व्यक्तिगत समस्याएँ। समाज की समस्याएँ 71.977 प्रतिशत भिन्नता में योगदान करती हैं। यह खोज वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रशिक्षण तक पहुँच प्राप्त करने में ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए आने वाली चुनौतियों में योगदान देने वाले आवश्यक तत्वों का पता लगाने में मदद करती है। पुष्टिकारक तत्व मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके आगे का शोध किया जा सकता है।

प्रस्तावना – शिक्षा सीखने को आसान बनाने, या समझ, ज्ञान, क्षमताओं, व्यावहारिकता, नैतिकता, आशावाद और प्रथाओं को प्राप्त करने की कसरत है। शैक्षिक रणनीतियों में शिक्षा, शिक्षण, सही स्पष्टीकरण, संवाद और निर्देशित परीक्षा की क्षमता शामिल है। शिक्षा आम तौर पर शिक्षकों के निर्देशन में होती है, हालांकि छात्र स्वयं भी स्कूल जाने में सक्षम होते हैं। शिक्षा का अधिकार कुछ सरकारों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा कहा गया है। अधिकांश देशों में, उदाहरण के लिए, एक निश्चित आयु सीमा तक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में सभी व्यक्तियों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण में सुधार के लिए हलचल है, और विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 4 तक पहुँचने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल वाले साक्ष्य-संचालित कार्यक्रमों के लिए, जो सभी के लिए अविश्वसनीय और लाभकारी प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है।

भारत में लड़कियों की भूमिका पिछले भारतीय इतिहास के दौरान हुए परिवर्तनों की सराहना के साथ बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय रही है। समाज में उनकी लोकप्रियता भारत के ऐतिहासिक काल में, संभवतः इंडो-आर्यन भाषी प्रांतों में, डेटिंग से समय से पहले अपमानित किया गया, और उनकी अनुरूपता भारत के प्रारंभिक वर्तमान काल में साकार होती रही। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, शिशु विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएं, जो देश के उत्तरी भागों में उच्च जाति के हिंदू समाज में शुरू हुईं, को समाप्त करना असंभव प्रतीत होता है, और विशेष रूप से दहेज से संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है। प्रत्येक जाति और धर्म में प्रचारित किया गया।

वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवतियों दोनों के लिए स्कूली शिक्षा या वयस्क शिक्षा दोनों प्राप्त करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।

स्कूली शिक्षा की चाहत बढ़ने के बावजूद हमारे देश में लड़कियों का साक्षरता अनुपात बढ़ रहा है। एस। पुरुष साक्षरता अनुपात की तुलना में कमी आई है। लड़कों की तुलना में अब तक शायद ही कोई महिला स्कूल में प्रवेश के लिए प्रयास कर रही है, और वहां से अनगिनत महिलाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं। देश के शहरी क्षेत्र में, शिक्षा प्राप्त करने में रुचि रखने वाली लड़कियाँ लड़कों के समान स्तर पर हैं। लेकिन यू के ग्रामीण इलाके का दृश्य, एस। ए। यह बिल्कुल अपनी तरह का एक अनोखा पहलू है जहाँ लड़कियाँ अब भी लड़कों की तुलना में उतनी साक्षर नहीं हैं। 1997 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा के अनुसार, केरल और मिजोरम राज्य ही ऐसे हैं जिन्होंने सामान्य महिला साक्षरता पर विचार किया है। कई बुद्धिजीवियों की राय के अनुसार, केरल राज्य में महिलाओं की सामाजिक और वित्तीय भूमिका में विकास का प्रमुख कारण अत्यधिक साक्षरता दर है।

महिलाओं में साक्षरता अनुपात पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। लड़कियों में साक्षरता अनुपात लगभग 60.6% है और पुरुषों में यह लगभग 81.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2001-2011 के दस साल की साक्षरता वृद्धि दर लगभग 9.2% थी, जो कि पिछले दशक की दिशा में देखी गई वृद्धि की तुलना में धीमी है। देश की साक्षरता दर में भारी लैंगिक विसंगति का अनुमान है।

अध्ययन का उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा तक पहुँचने के लिए ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों में योगदान देने वाले विभिन्न आयामों का पता लगाना।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुँचाने में गरीबी, सामाजिक परंपराओं और सामाजिक स्थिति की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है, जो समाज में मौजूद पुरानी सोच और सामाजिक ढाँचों के कारण अक्सर शिक्षा से दूर रहती हैं।

सामाजिक स्थिति और ग्रामीण महिलाएँ:

लिंग स्थिति- अगर हम ग्रामीण समाज में लैंगिक भूमिकाओं की स्थिति की बात करें तो अक्सर महिलाएं पुरानी सोच और परंपराओं के कारण पिछड़ जाती हैं। लड़कियों को शिक्षा देने के बारे में भी लोग अच्छी राय नहीं रखते।

अर्थव्यवस्था- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का सामना करने वाली महिलाओं को अक्सर शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वे परिवार की वित्तीय सहायता कर सकें।

ग्रामीण मानसिकता:

जातिवाद और सामाजिक असमानता- ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद और सामाजिक असमानता के कारण वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी हो सकती है।

जागरूकता की कमी- कई गांवों में शिक्षा के महत्व की कमी है और लोगों को कभी-कभी इसके लाभों को समझने में कठिनाई होती है।

अभाव और सुधार- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं और सामाजिक संगठनों की जरूरत है, जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें।

सांस्कृतिक अंतर- ग्रामीण संस्कृति में बदलाव लाना भी जरूरी है ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और महिलाएं भी इसमें भागीदार बन सकें।

असुरक्षा के कारण प्रशिक्षण से दूरी

सामाजिक परिप्रेक्ष्य- ग्रामीण क्षेत्रों में, आस-पास की गैर-धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण लड़कियाँ नियमित रूप से शिक्षा से वंचित हो सकती हैं।

परिवहन समस्याएँ- ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन की कमी भी एक परेशानी है, जिसके कारण लड़कियाँ शिक्षा के लिए कॉलेज जाने में झिझक सकती हैं।

सुरक्षित विद्यालय वातावरण का अभाव

भयानक स्थितियाँ- कुछ गाँवों में सुरक्षित संकायों की कमी के कारण महिलाएँ स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से भी डरती हैं। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा की फीस में कमी करना है।

शिक्षकों की कमी- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की कमी भी एक समस्या है, जिससे स्कूलों में उच्च सुखद शिक्षा प्रदान करना मुश्किल हो सकता है।

समाज में सामाजिक बोझ:

लैंगिक रूढ़िवादिता- समाज में मौजूद लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में आने से झिझक सकती हैं।

शिक्षा का प्रसार- सरकार और सामाजिक संगठन स्कूली शिक्षा को गाँवों तक पहुँचाने के लिए अद्भुत कदम उठा रहे हैं।

सुरक्षित स्कूल वातावरण- संरक्षित संकाय वातावरण बनाए रखने के लिए कॉलेजों में उपयुक्त सुरक्षा तैयारी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामाजिक परिवर्तन- समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है।

ग्रामीण महिलाओं का विवाह- ग्रामीण क्षेत्रों में, विवाह से जुड़े सामान्य मानदंडों और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, महिलाएं नियमित रूप से स्कूली

शिक्षा और समाज में सक्रिय भागीदारी से वंचित रहती हैं। बचपन से प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं को अपने विवाह निर्णय में सकारात्मक सहायता के लिए सामाजिक निगमों और सरकारी योजनाओं की आवश्यकता होती है। शिक्षित महिलाएँ अपनी आवश्यकताओं को समझती हैं और समाज में उच्च पदों पर पहुँचकर अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, जो विवाह के संबंध में उनकी पसंद को स्वतंत्र बनाती है और उन्हें समाज में अधिक एकीकृत बनाती है।

ग्रामीण महिलाओं का पारंपरिक रोजगार- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अक्सर कृषि, गाँव की सामाजिक सुविधाओं का संचालन और गाँव के सामाजिक कार्यों में सहयोग जैसे विशिष्ट रोजगार करती हैं। इन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में लड़कियों के जबरदस्त योगदान को बढ़ाने के लिए उन्हें तकनीकी जानकारी और नए कौशल का विश्लेषण करने का अवसर मिलना होगा। सरकारी योजनाओं और सामाजिक संगठनों के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को नए रोजगार क्षेत्रों में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना सर्वोत्कृष्ट है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वीकार्य संरचना और सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे न केवल अपने परिवारों के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

निष्कर्ष - ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल स्थापित करके और छात्रवृत्ति सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए। विभिन्न अभियानों के माध्यम से बालिकाओं को प्रेरित करके और बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में परिवार के सदस्यों की धारणा को बदलकर भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भंडारी, आर. एवं स्मिथ, एफ. (1997)। भारत में ग्रामीण महिलाएँ: शैक्षिक बाधाओं का आकलन और नए शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता। जर्नल ऑफ रिसर्च इन रूरल एजुकेशन, खंड-13, पृ. 183-196
2. घोष, एम. और मलिक, डी. (2014)। एक उलझी हुई बुनाई: उत्तर भारत में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में शिक्षा के परिणामों का पता लगाना। शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, खंड-61, पृ. 343-364
3. जैन, पी. और अग्रवाल, आर. (2017)। ग्रामीण भारत में महिला शिक्षा: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, खंड-1, पृष्ठ. 21-26
4. कौर, एस. (2017)। ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण: पंजाब गाँव का एक अध्ययन। शैक्षिक क्रेस्ट: एक इंट। जे. ऑफ एजुकेशन एंड एप्लाइड सोशल साइंस, खंड-8, अंक-1, पृ. 95-101.
5. कौशिक, एस. और कौशिक, एस. और अन्य (2006)। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा किस प्रकार मानव अधिकारों और उद्यमिता में मदद करती है। जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक्स, खंड-17, अंक-1, पृ. 29-34

Biodiversity Hotspots: A Comprehensive Analysis of Species Distribution and Conservation Strategies

Dr. Ragini Sikarwar*

*HOD (Botany) Govt. Home Science PG Lead College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - In addition to providing a careful examination of species distribution and practical conservation recommendations, this extensive review article explores the complex dynamics of biodiversity hotspots. The assessment looks at the special biological niches these hotspots hold and the vital role they play in preserving biodiversity worldwide, highlighting the relevance of these hotspots. The study examines trends in species richness, endemism, and the underlying ecological processes influencing the creation of hotspots through a synthesis of previous studies.

Invasive species, habitat loss, and climate change are just a few of the human-caused risks that these important areas are facing. The study goes beyond these threats. Understanding how urgent it is to protect biodiversity hotspots, the paper carefully assesses existing tactics and presents novel ideas. The effectiveness of conservation frameworks, such as habitat restoration, community involvement, and sustainable resource management, is closely examined. This review is an invaluable tool for scholars, policymakers, and conservation practitioners since it integrates scientific discoveries with useful conservation measures. Because the study is so thorough, it offers a full understanding of biodiversity hotspots and facilitates the formulation of effective and well-informed plans to protect these unique hubs of biological diversity.

Keywords: Biodiversity hotspots, species distribution, conservation strategies, endemism, anthropogenic threats, habitat loss, climate change, invasive species.

Introduction - The complex network of life on Earth, known as biodiversity, is vital to both environmental stability and human well-being. Some areas stand out as biodiversity hotspots within this enormous tapestry due to their extraordinarily high levels of endemism and species diversity (Samways et al., 2020; Diaz et al., 2022). The groundbreaking research conducted in the 1980s by conservation biologist Norman Myers helped to popularize the idea of biodiversity hotspots (Jones et al., 2022). These hotspots are under increasing threat due to the acceleration of anthropogenic activity, thus a thorough understanding of their definition, importance, and ecological roles is required. The objective of this review is to summarize and critically assess the existing corpus of research about biodiversity hotspots. Our goal is to identify patterns of richness and endemism by examining the subtleties of species distribution within these areas. In addition, we hope to assess the ecological aspects of hotspot creation and comprehend the various risks associated with human activity. The main goals are to present a thorough evaluation of current conservation tactics and suggest creative solutions to lessen the difficulties these vital ecosystems face.

Biodiversity Hotspots: Definition And Importance

Defining Biodiversity Hotspots: Two main factors are used to identify biodiversity hotspots: a high species endemism and a notable loss of habitat (Shipley et al., 2022). Areas that fit these requirements are designated as top priorities for conservation initiatives. The distribution of vascular plants, vertebrates, and particular kinds of invertebrates are taken into account throughout the delineation process. Planning and allocating resources for conservation effectively requires an understanding of the particular requirements for hotspot designation.

Ecological Significance and Functions: In addition to serving as stores of rare and endangered species, biodiversity hotspots are essential to the health of ecosystems. These areas support ecological functions like pollination, nitrogen cycling, and pest management. The wide variety of species found in hotspots improves ecosystem stability and offers resistance to changes in the surrounding environment. Understanding these hotspots' ecological roles is essential to creating conservation plans that address the dynamics of the larger ecosystem rather than just protecting specific species.

Patterns Of Species Distribution In Hotspots

1. Analysis of Species Richness: Hotspots for biodiversity are defined as areas with very high species richness, acting

as reservoirs for a wide variety of flora and fauna. This section explores the variables that contribute to the abundance and diversity of life by delving into quantitative studies of species richness within certain locations. Through the examination of patterns in several taxonomic categories, such as flora, fauna, and microbes, our goal is to offer a comprehensive comprehension of the complex network of life found in areas of high biodiversity.

2. Examination of Endemism: A defining characteristic of biodiversity hotspots is endemism, the phenomenon wherein organisms are limited to particular geographic regions. This article examines the distribution patterns of these regions' endemic species, highlighting their vulnerability and distinctiveness. Through an investigation of endemism-influencing variables including isolation and geological history, we aim to decipher the evolutionary pathways that have resulted in the emergence of unique species inside hotspot limits.

Ecological Factors Influencing Hotspot Formation (Ren et al.,2016; Qin et al.,2022; Zeng et al.,2023)

3. Climate and Geography: Geographical location and climate are major factors in determining biodiversity hotspots. This section examines the climate conditions that support endemism and species variety, taking into account variables including elevation, precipitation, and temperature. We also look at other topographical aspects including coastal regions, mountain ranges, and other topographical features that help create hotspots. Comprehending the complex relationship among climate, geography, and biodiversity is crucial for forecasting upcoming shifts in hotspot composition and directing conservation initiatives.

4. Soil and Habitat Characteristics: The distribution and abundance of species are strongly influenced by the features and composition of the habitats and soil in biodiversity hotspots. The influence of habitat complexity, nutrient availability, and soil types on the formation of hotspot ecosystems is examined in this subsection. Through an assessment of the effects of varying soil composition and habitat structure on various taxonomic groupings, our goal is to identify the ecological mechanisms that underlie the distinctive patterns of biodiversity found in these crucial areas.

Anthropogenic Threats To Biodiversity Hotspots

1. Habitat Loss and Fragmentation: Hotspots for biodiversity are constantly under attack from habitat loss and fragmentation, which is mostly caused by human activity. These vital areas are being encroached upon by the modification of natural landscapes for infrastructure development, urbanization, and agriculture, which is upsetting ecological connections. Isolated populations from fragmented environments have lower genetic diversity and are less able to migrate naturally. This section explores the ramifications for endemic species and ecosystem dynamics as it digs into the particular drivers of habitat loss within hotspots (Le Roux et al.,2019).

2. Climate Change Impacts: The widespread impact of climate change presents a significant risk to hotspots of biodiversity (Manes et al.,2021). The distribution, migration, and phenology of species are directly impacted by temperature rise, changed precipitation patterns, and extreme weather events. Indirectly, the dynamics of invasive species and habitat loss are two stresses that are made worse by climate change.

3. Dynamics of Invasive Species: Hotspots for biodiversity are severely threatened by invasive species, which upend natural ecosystems and outcompete local plants and animals. Intentional or inadvertent introductions of non-native species by humans cause imbalances in ecological relationships. The dynamics of invasive species within hotspots are examined in this part, along with their effects on the local biodiversity, ecosystem functions, and management and control issues (Giangrande et al.,2020).

Conservation Strategies: A Critical Evaluation: The effectiveness of current approaches is explored in detail, including the creation of protected areas, the implementation of community-based conservation projects, and the restoration of habitats (Mahajan et al.,2016 ; Ghayoumi et al.,2023) . We evaluate these tactics' results in an effort to pinpoint effective models and areas that still need improvement. Examining how well conservation strategies strike a balance between human demands and ecological preservation offers insights into how hotspot conservation is changing.

Obstacles in Conservation Preserving biodiversity in hotspots is a difficult undertaking full of obstacles. Obstacles include insufficient finance, conflicts between conservation goals and local livelihoods, and governance concerns. The review attempts to contribute to the creation of adaptive conservation strategies that negotiate the complex interactions between ecological preservation and human well-being in biodiversity hotspots by comprehending and articulating these challenges.

Innovative Conservation Approaches

1. Habitat Restoration and Management: Cutting-edge conservation strategies understand how important it is to actively manage and restore damaged ecosystems inside biodiversity hotspots in addition to protecting existing areas (Zurell et al.,2022). Discover state-of-the-art methods for restoring habitat, such as replanting initiatives, the rehabilitation of wetlands, and the employment of native species to aid in the recovery of ecosystems. Incorporate technological tools like drone assistance with reforestation and satellite monitoring.

2. Community Engagement and Sustainable Practices: The importance of local communities in hotspot protection is recognized by innovative conservation. Explore community involvement tactics that enable the people living in the area to act as protectors of biodiversity. Examine programs that support community-based monitoring, ecotourism, and sustainable resource management.

Examine the ways in which collaborations between communities and conservation groups can encourage a sense of accountability and ownership, guaranteeing that conservation initiatives are in line with local needs and goals.

Case Studies: Successful Conservation Initiatives

Analyzing Success Models: Using a variety of case studies, assess the effectiveness of conservation efforts inside biodiversity hotspots. include a wide range of taxa and encompass a variety of environments, from tropical rainforests to desert plains. Examine the elements that lead to success, such as community involvement, adaptable management, and productive teamwork. Provide each case study as a useful tool for developing and putting into action ideas for upcoming conservation initiatives.

Takeaways for Upcoming Conservation Initiatives:

Condense the most important lessons that can be used to hotspot conservation efforts in the future, building on the knowledge obtained from successful conservation activities. Examine the significance of long-term monitoring, the necessity of interdisciplinary cooperation, and the importance of adaptive management. Discuss the difficulties that have been faced in the past and how these difficulties can help to create conservation plans that are stronger and more successful.

Table 1 (see in last page)

Future Directions

Emerging Challenges: Effective conservation of biodiversity hotspots depends on an awareness of these constantly changing and dynamic threats. Examine the effects on hotspot ecosystems of variables such growing urbanization, shifting land-use patterns, and new diseases (Güneralp et al.,2015; Tian et al.,2022). Examine the ways in which the conservation landscape is impacted by interrelated global events such as changes in geopolitics and the economy. Consider and evaluate the obstacles that technology development may bring about, as well as any possible effects on hotspots for biodiversity. A proactive conservation strategy that can adjust to the changing environmental and socioeconomic dynamics can be established by identifying these new difficulties.

Unexplored Aspects of Biodiversity Hotspot

Conservation:Even with notable advancements in biodiversity hotspot conservation, there are still many unanswered questions that need to be answered. Examine the complex ecological interactions that exist among understudied taxa and microhabitats in hotspots. Examine the possible trade-offs and synergies between various conservation measures while taking into account how they may affect ecological and socioeconomic systems. Examine how local values and expertise may be incorporated into conservation efforts as you explore the social and cultural aspects of hotspot protection. Examine how new technology, such sophisticated monitoring systems and artificial intelligence, might improve conservation efforts. Future study can contribute to a more

comprehensive and nuanced knowledge of biodiversity hotspot protection by exploring these undiscovered features, which will help shape creative and practical initiatives.

Conclusion: As this thorough assessment comes to an end, it is clear that biodiversity hotspots serve as essential repositories of Earth's biological richness and are vital to preserving ecological equilibrium. The need for effective conservation efforts is highlighted by the examination of species distribution patterns, ecological elements influencing the creation of hotspots, and the effects of human threats. These vital ecosystems are still under threat from invasive species, climate change, and habitat loss.

Promising strategies for reducing these issues include habitat restoration, community involvement, and sustainable activities, among other innovative conservation initiatives. Analyzing effective case studies yields insightful information and important lessons for developing future conservation plans.

But as we go forward, it will be crucial to acknowledge new obstacles, such as the intricacies brought about by quick changes in the world and undiscovered aspects of hotspot preservation.

Subsequent investigations ought to tackle these obstacles and investigate the uncharted territories of conserving biodiversity hotspots, adopting multidisciplinary methodologies and capitalizing on technological progressions. Developing conservation measures that are both adaptive and successful will require a comprehensive knowledge that incorporates ecological, social, and cultural aspects. Essentially, preserving biodiversity hotspots necessitates a coordinated international effort that combines cutting-edge methods, community involvement, and scientific rigor. It is up to us all to make sure that these hotspots, brimming with unusual living forms, continue to flourish for the benefit of present and future generations as we traverse the complex landscape of conservation. Even though these hotspots house irreplaceable biodiversity, we may work toward a sustainable coexistence with them if we are dedicated to continuous research, adaptive management, and cooperative action.

References:-

1. Díaz, S., &Malhi, Y. (2022). Biodiversity: Concepts, patterns, trends, and perspectives. *Annual Review of Environment and Resources*, 47, 31-63.
2. Gao, Y., & Clark, S. G. (2023). An interdisciplinary conception of human-wildlife coexistence. *Journal for Nature Conservation*, 73, 126370.
3. Ghayoumi, R., Charles, A., & Mousavi, S. M. (2023). A multi-level analysis of links between government institutions and community-based conservation: insights from Iran. *Ecology and Society*, 28(2).
4. Giangrande, A., Pierri, C., Del Pasqua, M., Gravili, C., Gambi, M. C., & Gravina, M. F. (2020). The Mediterranean in check: Biological invasions in a

- changing sea. *Marine Ecology*, 41(2), e12583.
5. Güneralp, B., Perlstein, A. S., & Seto, K. C. (2015). Balancing urban growth and ecological conservation: A challenge for planning and governance in China. *Ambio*, 44, 532-543.
 6. Jones, G. M., Ayars, J., Parks, S. A., Chmura, H. E., Cushman, S. A., & Sanderlin, J. S. (2022). Pyrodiversity in a warming world: Research challenges and opportunities. *Current Landscape Ecology Reports*, 7(4), 49-67.
 7. Le Roux, J. J., Hui, C., Castillo, M. L., Iriondo, J. M., Keet, J. H., Khapugin, A. A., & Hirsch, H. (2019). Recent anthropogenic plant extinctions differ in biodiversity hotspots & coldspots. *Current Biology*, 29(17), 2912-2918.
 8. Mahajan, S. L., & Daw, T. (2016). Perceptions of ecosystem services and benefits to human well-being from community-based marine protected areas in Kenya. *Marine Policy*, 74, 108-119.
 9. Manes, S., Costello, M. J., Beckett, H., Debnath, A., Devenish-Nelson, E., Grey, K. A., ... & Vale, M. M. (2021). Endemism increases species' climate change risk in areas of global biodiversity importance. *Biological Conservation*, 257, 109070.
 10. Parathian, H. E. (2019). Understanding cosmopolitan communities in protected areas: a case study from the Colombian Amazon. *Conservation & Society*, 17(1), 26-37.
 11. Qin, Z., Zhao, Z., Xia, L., & Ohore, O. E. (2022). Research trends and hotspots of aquatic biofilms in freshwater environment during the last three decades: a critical review and bibliometric analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(32), 47915-47930.
 12. Ren, Y., Deng, L. Y., Zuo, S. D., Song, X. D., Liao, Y. L., Xu, C. D., Li, Z. W. (2016). Quantifying the influences of various ecological factors on land surface temperature of urban forests. *Environmental pollution*, 216, 519-529.
 13. Sabino, W., Costa, L., Andrade, T., Teixeira, J., Araújo, G., Acosta, A. L., Giannini, T. C. (2022). Status and trends of pollination services in Amazon agroforestry systems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 335, 108012.
 14. Samways, M. J., Barton, P. S., Birkhofer, K., Chichorro, F., Deacon, C., Fartmann, T., Cardoso, P. (2020). Solutions for humanity on how to conserve insects. *Biological Conservation*, 242, 108427.
 15. Shipley, B. R., & McGuire, J. L. (2022). Interpreting and integrating multiple endemism metrics to identify hotspots for conservation priorities. *Biological Conservation*, 265, 109403.
 16. Tian, Z., Song, H., Wang, Y., Li, J., Maimaiti, M., Liu, Z., Zhang, J. (2022). Wild apples are not that wild: Conservation status and potential threats of *Malussieversii* in the mountains of Central Asia biodiversity hotspot. *Diversity*, 14(6), 489.
 17. Zeng, J., Ke, W., Deng, M., Tan, J., Li, C., Cheng, Y., & Xue, S. (2023). A practical method for identifying key factors in the distribution and formation of heavy metal pollution at a smelting site. *Journal of Environmental Sciences*, 127, 552-563.
 18. Zurell, D., König, C., Malchow, A. K., Kapitza, S., Bocedi, G., Travis, J., & Fandos, G. (2022). Spatially explicit models for decision making in animal conservation and restoration. *Ecography*, 2022(4).

Table 1 : Successful Conservation Initiatives in Biodiversity Hotspots

Biodiversity Hotspot	Case Study Title	Species Focus	Conservation Strategies	Outcomes and Success Indicators
Amazon Rainforest (Parathian et al., 2019)	"Guardians of the Amazon: Community-Based Conservation"	Endangered mammals, birds, and plants	Community-led patrols, sustainable resource management	Increased species populations, reduced deforestation rates
Coral Triangle	"Reef Resilience: Coral Conservation in the Coral Triangle"	Coral species and associated marine life	Marine protected areas, coral restoration programs	Improved coral health, increased fish populations
Western Ghats (Sabino et al., 2022)	"Harmony in the Hills: Agroforestry and Endemic Species Conservation"	Endemic plant and animal species	Agroforestry practices, habitat restoration	Preserved habitats, increased population of endemic species
Madagascar	"Saving Lemurs: Integrated Conservation in Madagascar"	Lemurs and unique flora	Protected areas, community education, reforestation	Decline in lemur endangerment, habitat regeneration
Himalayas (Gao et al., 2023)	"Snow Leopard Conservation: Balancing Human-Wildlife Coexistence"	Snow leopards and high-altitude fauna	Livestock insurance, anti-poaching efforts, community engagement	Reduced human-wildlife conflict, stable snow leopard populations
California Floristic Province	"Rare Blooms: Protecting Endangered Flora in California"	Rare plant species	Habitat preservation, seed banks, public awareness	Increased populations of rare plant species, preserved ecosystems

Cultural Significance in Terracotta Horses of Panchmura, Bankura in West Bengal- A Maker-Centric Design Approach in the Present Context

Ashok Mondal* Gargi Raychaudhuri** Dr. Isha Bhatt***

*PhD Scholar, Department of Design, Banasthali Vidyapith (Raj.) INDIA

** Faculty, National Institute of Design, Ahmedabad (Gujarat) INDIA

*** Assistant Professor (Design) Banasthali Vidyapith (Raj.) INDIA

Abstract - Terracotta craft has a long cultural history in India, documented over 5000 years old from the times of Ramayana and the Mahabharat period, as some evidence indicates (maybe put Indraprastha evidence in citation). We have archaeological documentation of Terracotta from the Indus Valley era onward. Terracotta craft has travelled to various parts of the country and flourished based on the cultural and social needs of society. Terracotta has been a fundamental material to craft figurines and motifs in their sculptural, three-dimensional forms. Clay is the raw, unfired form of terracotta, which is sustainably available near the local water bodies like rivers and ponds and shares a spiritual relationship with earth and fire.

Clay and potter's wheel become an integral part of a tradition, making a mark to reflect a specific geographical culture. The terracotta horse of Panchmura expresses a symbol of excellence for the craft traditions of India. The terracotta red horse of Bankura has received recognition as the logo of the India Handicraft Board. The terracotta craft of Panchmura has unique features; the product semiotics lend form and function, beauty and elegance, in turn making this village heart of the Bengal Terracotta.

This research studies the cultural significance of the terracotta horse of Panchmura in the present scenario. It also emphasises how maker-centric design approaches have been practised to continue this craft.

Keywords- Culture, Terracotta horse, Crafting process and Maker-centric design.

Introduction - In Bharat, the craft is closely associated with the tradition and culture of that region, where crafts and artisans are an integral part of the society. Tradition makes a mark to reflect a specific region. According to the govt report, more than 70% of people live in the villages, and traditional craft is an intrinsic part of their livelihood. In West Bengal, most of the districts have terracotta craft, but Bankura district has its own cultural significance. (Mukherjee, 1971) suggests that the main difference between the Bankura and Panchmura terracotta clusters and other districts is that their process is conducted through a hand-building technique and uses a moulding approach for large-scale production. It is called the terracotta zone of the state and is situated in the western part of Bengal. The village Panchmura is located 22 km from the eminent historical town of Bishnupur. The Panchmura village has 70-80 Kumbhakar (potters) families who nurtured this tradition of the terracotta red horse, apart from creating other clay products like Manashar Jhar and Elephant, etc. In earlier times, 300-400 potters were involved, and the hereditary traditional skill has been transferred from one

generation to another. This is the only region in the state of the Indian sub-continent where the magnificent size of the terracotta horse was made in the amalgamation of traditional potter wheel and hand-building process.

In the early 19th century, the Khumbhakar community of Panchmura, started working on a wheel-based production technique called throwing. Presently, the artisans of Panchmura are continuing their ancestral traditional and ancient ritual-based practices. (Ashok Mondal, 2006) mention that it combines throwing and hand-building processes, which is greatly manifested through maker-centric design approaches by the Kumbhakar. The traditional terracotta work at Panchmura has achieved national recognition. The conventional form and the functional aspect of the red horse have created their own identity in society. The rituals and cultural aspects of terracotta red horses in relation to the present form and function, which has evolved through a maker-centric design approach, have their own significance in this region. (Dr. Ashimananda Gangopadhyay, 2019) mentioned that the Village Panchmura, in the Bankura district, is a well-known

paradise for Terracotta red horse craft in West Bengal. The Kumbhakar community of Panchmura is creating magnificent terracotta artefacts, which symbolise cultural traits and represent the traditional way of life and rituals believed in the society. These potter communities intrinsically transmit materialistic and non-materialistic culture and its spiritual evaluation through craft objects.

About the Craft and Place: Terracotta is principally an unglazed baked clay-based earthenware material. In archaeology and art domains, it confirms possible advantages for creating object figurines. Since ancient times, this material has consequently considered its availability and plastic (formable) characters and has been employed as a medium of various forms in art/craft domains. Initially, ancient terracotta figurines were made by hand-building techniques. Later, it approached towards developed upshot using wheels or tools. Archaeological evidence reported that this material was used for various purposes, such as domestic, household decorations, worship, and religious practices. Overall, this practice is termed Terracotta Craft/Terracotta Artisan Craft (Chakrabarti 2020), and the term 'Panchmura Terracotta Horse' is due to the specific geographical location (Panchmura) where this artifact was created. Terracotta craft is one of the oldest crafts in Bharat, and the people engaged in such practice are called Prajapati or Kumbhakar (Potter), which literally translates to the son of the Hindu God Brahma (lord of creation) in Hindu mythology (Mithun Sikdar et al. 2015). In Panchmura (Bankura), the Kumbhakar community has been crafting these unique horses for decoration or ritual purposes. Therefore, this is also termed a Panchmura terracotta horse. Sometimes, the terminology "red" implies the colour owing to the heat treatment of the product. So, this is also being termed the Panchmura Terracotta Red Horse. This cluster already received a GI Certification on 28 November 2017 (Geographical Indications GI).

Panchmura is a village that comes under the Taldangara block, which is 15 km from the main Block of Taldangara. According to the 2011 population census, the total village population of Panchmura is 3719, out of which the male population is 1,854 and the female is 1,865. There are about 797 houses in Panchmura village, of which 86 families are from the Kumbhakar community, and 76 are actively practising the terracotta craft. Apart from potters, others are people who are farmers, and the rest are of different professions. (DIRECTORY, 2023)

The literacy level is quite good at Panchmura (67.89%, out of which males 75.94% and females 59.89%). There is a boys' high school, girls' high school and college for higher education, so students do not need to go outside their village for higher studies. The village of Panchmura is surrounded by good forest and agricultural land. Electricity is supplied to the village by the West Bengal State Electricity Board. General transportation is good between Taldangara and Panchmura. Apart from public buses, people also use

two-wheelers and TOTO (E-Rickshaw).

Cultural Relevance and Identity: The terracotta art started at Panchmura long back, separately from Bishnupur. The artisan said that it is challenging to define a starting date, or instead, there is no evidence to say the exact time when the terracotta work started at Panchmura. (Ray, 2012) Since the medieval period (16th to early 19th century), Bishnupur Bankura has been the heart of art and culture. It was the capital of Malla kings, which is a large territory known as Mallabhum. Bishnupur, being a small town, was rich in culture- in the form of temples, sculptures, and heritage. (Kundu, 2012) The Bankura terracotta works flourished, firstly, because of the patronage of the Mallabhum kings, who were great connoisseurs of art and culture and established the great terracotta temples at Bishnupur in 1634 and 1655 AD, respectively. Secondly, in the early part of history, all the terracotta horse and animal designs were made solid, and they were used for worshipping the god Dharamaraj, who is known as the Sun god and is the rider of horses. Later, this solid form was converted into a hollow form of a terracotta horse, which is popularly known as the Bankura Red horse. (AK Mukherjee, 1971) mentioned in his report that all these art forms evolved mainly because of the traditional folk festivals and rituals practised for centuries in these parts of West Bengal, and the ancestors of terracotta artisans continue producing all these terracotta artefacts even now to support 'Rarh' region (land of red soil) of West Bengal's cultural and spiritual needs. Thus, the village of Panchmura is a significant place to preserve and continue this cultural heritage. (Soumyajit Halder and Subhanjan Bhattacharyya, 2021) stated that in rural Bengal. The tangible and intangible material knowledge that encompasses the terracotta cultural heritage of Panchmura was practised in both rural and urban areas, including architecture, industrial design, semiotics, oral narratives, belief systems, rituals and value systems represented by the terracotta objects of Panchmura.

In the 14th century, terracotta art received the patronage of the Malla Kings and flourished in this region. The different architectural marvels, i.e., terracotta temples, are the evidence which shows the actual evidence of such history. Besides this, the Kumbhakar (potters) of that period were also responsible for shaping the flow of such traditional terracotta-making processes.

The concept of "culture" has multi folds (A. L. Kroeber et al. 1952), (R. Williams, 1985), (W. H. Sewell Jr., 2005). From a broader societal perspective, culture is the collective expression and transmission of valuable content or practices to ensure continued existence. We consider reflections on this endeavour's technical aspects and challenges to relevance from multiple perspectives. This culture evolves over time and is subject to its own rules, rites, myths or even symbols. Dharmathakur (God of Truth) is the presiding deity who is widely worshipped in the village of Rarh (ancient Mallabhum). This God (as a form of clay)

is located mainly under a tree on the outskirts of the village, and the people of this area, including the artisans, offer handmade clay horses or elephants to this God, with the belief that the Dharmathakur will shower blessings to overcome all types of odds in their life. The relationship between Dharmathakur and the handmade horse remains unsolved. The belief mainly originated from the Aryan culture, and it is said that some agricultural mysticism could be behind this belief. The speciality of this red clay horse (red terracotta) is its stylised erect posture, straight ears, long chest, short legs and long neck, halter fixed on mouth and neck, saddle on back, decorations on neck and forehead. One of the oral narratives indicates that the ancient people had a fear of forests, and this could be one of the reasons for the requirement for Dharmathakur's protection. (A. K. Mukherjee, 1971).



Terracotta red horse worshipped as God Dharmaraj at Panchmura

Maker-Centric Design Traditions of Bharat : Understanding of design aesthetics that leads to the evolution of form development is much more deeply rooted in the Bharatiya arts and crafts tradition and almost dates to as early as 2500 BC, as evident from the excavations in the cities of Indus Valley civilizations like Mohenjo-Daro and Harappa. (Ashok Mondal, 2023) Mentioned that some of the maker-centric techniques and ways of creating detailing used in the famous "Dancing Girl" bronze statue are still being used in creating contemporary Dhokra artefacts. This is largely is owed to how vernacular design knowledge was handed down from the masters to disciples in the apprentice learning method. Seldom is this knowledge subject to documentation as the learning pedagogy was purely within the family, household, or a community closely knit of people. The younger generations of the family were, in fact, learning and observing almost through the method of occupational play, e.g. a young girl child in the Tripura weaving clusters learns her first weaving skills with the help of a miniature toy loom made by her father till the point it becomes muscle memory. Similarly, a young terracotta artist's child at Panchmura might have his very first step in learning about the craft while helping his/her mother create little coils to be used as decorative motifs for the iconic horse.

Bharatiya oral (shruti) culture and its intense religious mysticism might suggest that there is an absence of rational thinking and scientific systems, but this is far from the truth.

Bharatiya traditional knowledge was highly organised and meticulously articulated. Even in the arts, there were extremely detailed canons and highly sophisticated structured treatises.



Terracotta Horse of Panchmura, Bankura

Research Design: The research design intention is to study Potter's behaviour, interaction, and involvement culturally with the craft in everyday situations. Thus, the data collection method combines both primary and secondary research. The primary research is more qualitative in nature, followed by participant observation and in-depth interviews, which brings an ethnographic perspective. In the present scenario, only 76 families in this Panchmura village practice this ancient craft. This research aims to understand how the maker-centric design approach helps to study the cultural significance of terracotta horse design. The ethnography research method helps to get an overview of the entire process of crafting terracotta horses. The in-depth interview study emphasises the comprehensive analysis of a limited number of events or conditions and related inter-connections. Further, a limited number of Khumbhakar from Panchmura village were selected (with various age groups) to conduct the in-depth interview. For the evaluation aspect, understanding and explaining the symbolic and contextual meaning of the everyday practices of potters has been minutely studied.

Data Sourcing: The data for the research is generated from primary and secondary sources. During the field visit at Panchmura village, the participant observation helped collect qualitative data. It was based on close observation of the artisans in their work area through visual capturing and informal conversation while observing in their natural environment. The entire activity was captured through visuals. The significant activities observed during the field visit were how artisans collect clay, the base composition of clay, the preparation of clay, the throwing process, the hand-building process, drying, furnace loading, firing techniques, products unloading, packaging and transportation, etc. Further, a detailed questionnaire was prepared for an in-depth interview, and it was conducted at Komar para, Panchmura. A few selected Khumbhakar,

which includes both male and female potters. Some of them also got different awards.

Secondary data were collected from the local Block office, DIC office and government website to get the census, no of the Potters family, government scheme, etc. Data were also collected from the individual Potter family. This stipulated ample opportunity to know the family members of individual households and their close relationship with other potters' families in the same village and other surrounding villages. The collection of genealogies of the potters' Panchmura also discovered essential characteristics of the Khumbhakar community, the socio-cultural relationship with the terracotta craft and the spiritual association with their work.

Research Analysis and Findings: The holistic approach in ethnographic research has a significant implication while doing the field research at Panchmura. It helps to study a small group in their setting and generate valuable insight in that context. Nevertheless, the interpretation of ethnographic data through the thick description analysis of the Kumbhakar community of Panchmura, Bankura, developed a holistic understanding of the Bharatiya traditional design perspective, which is more than 5,000 years old and continues even today. The scientific wisdom that the potters have practised in their everyday work is remarkable. The study also emphasises that the terracotta form largely evolved for the cultural necessity of the society, and the maker-centric design approach helps the Kumbhakar to culminate into tangible objects. The long neck of a red horse, which is cylindrical in form, is completely hollow from the inside. It's an interesting amalgamation of form integration and form manipulation, where different types of cylindrical forms, like the neck, four legs and torso, are prepared by throwing technique, assembled through a hand-building technique, namely pinching, coiling, and finally manifested in the form of a horse. The surface decoration process is completed with the coil technique, which is also a hand-building technique. The female family member generally carries the motif work, and it is completed with bare hands only. With the symmetry of the overall form and the rhythmic curvilinear form of the torso with different motifs, the red horse has lent dignity and character to its form, which is incomparable to its Poshina and Ayyener counterparts. The simplicity and dynamism of form are the key elements of Panchmura Terracotta Red Horse. This spiritual embodiment of the terracotta horse demonstrates the Kumbhakar sensitivity and sensibility of their creative thought process. Thus the Kumbhakar of Panchmura, have been recognised by the society as 'Shilpkar'.

Conclusion: This study revealed the consequences of the Kumbhakar, especially their geographical location, and their approach to the craft and culture prevailed. The report also dealt with the data insight. Our general qualitative study exemplifies that hours spent with the potters, sometimes, might not permitted with their preferred time. This brief study

tried to find that participant observation may be one of the ethnographic data collection tools. A pure observation was made as an associated member of the study population. This actually helped to know the community system or behaviour relationships and took the study towards the broader thick description. Also, this study took forward to such objectives in an embedded form.

The Khumbhakar (potters) of Panchmura, Bankura West Bengal, fathom the crafting process on the wheel, is a form of penance and meditation. The terracotta artisans are constantly involved with the humble material, playing with it, crafting its form, and then using it to create artefacts. The Kumbhakar understood the community's requirements and context, took a maker-centric design approach, and designed the products we see today. The culture of that geographical region influenced the form and function of those objects. The knowledge was action-based, and the potters maintained no physical documentation. The artisans usually have no written rules and formulae apart from an oral tradition of apprentice system of learning that has been handed down over generations; the unwritten codes have imbibed artistic sensibilities and sensitivities: the strong articulation of identity, colours, and proportional harmony transcending to become an expression of form. The Kumbhakars do not require any reference point while throwing clay on a potter's wheel and incorporate the material's proportion, symmetry and thickness harmoniously with their visual sensitivity.

In the context of terracotta craft, the makers' sensitivity towards clay is manifested through objects. The potters deliver societies' needs in the most appropriate way, where form follows function is an in-built quality, without compromising the product's aesthetic and visual look.

Overall, this heritage culture must attain a great audience. So, we tried to inform this attempt for the future scholar audience.

References:-

1. Dilip Kr. Chakrabarti, History of Ancient India-VIII, Sculpture Paining Terracottas, Performing Arts and Architecture, Aryan Books International, ISBN-13:978-81-7305 487-7.
2. "Bankura City Census 2011 data". Census 2011.co.in. Retrieved 6 October 2018.
3. Mondal, A. (2006, May). Craft Document on Terracotta Horse, Bankura. Craft Document. Ahmadabad.
4. Mithun Sikdar, Pritish Chaudhuri, Pottery making tradition among the Prajapati community of Gujarat, India, Eurasian Journal of Anthropology, Vol. 6(1), pp.1-14, 2015
5. Geographical Indications Journals, Government of India, GI Journal No. 101, November 28, 2017.
6. Susmita Pramanik, P.P. Sikdar, Debabrata Bandyopadhyay, Aniruddha Banerjee, Revisiting Indigenous Craft of West Bengal, Terracotta of Panchmura: A review of Socio-Economic Study,

- International Journal of Multidisciplinary Education Research, ISSN:2277-788, 2021.
7. A. L. Kroeber and C. Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. The Museum, Cambridge, MA, USA, 1952.
 8. R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, May 1985.
 9. W. H. Sewell Jr, "The concept(s) of culture," Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn, Spiegel, Ed. Abingdon, U.K.: Routledge, 2005, pp. 76–95.
 10. A.K. Mukherjee, Handicrafts Survey Monograph on Poramatirkaaj (Terracotta) of Panchmura (Bankura), Census of India, Series 22, West Bengal Part XI (2), 1971.
 11. Kundu, D. A. (2012). Need Assessment Survey of the Terracotta Cluster at Panchmura, Bankura, West Bengal, under Design Clinic Scheme of MSME, Govt of India. Kolkata: Shibpur New Window.
 12. Ray, A. (2012). A Lesser-Known Terracotta Motif Depicted in the Shyama-Ray and Madana-Mohana Temple of Bishnupur: Some Preliminary Observation. Chitrolekha International Magazine on Art and Design, pp. 1-7.
 13. S, Halder and S, Bhattacharyya. (2021). Inextricable Cultural Heritage Intrinsic in Terracotta Figurine of Panchmura, Bankura District, West Bengal, Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology, pp. 1032-105
 14. Directory, I. V. (2023, October 10). *Indian Village Directory*. Retrieved from <https://villageinfo.in>

The Social Media as a Challenge to the National Security: An Analysis

Arun Kumar Sharma*

*Research Scholar (Military Science) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - Twenty first century has witnessed an amazing technological explosion especially in the realm of Information Communication Technologies frequently reflected as the social media platform out of their manifestation in various forms. As technology in its pragmatic nature is a double edged sword, it has thrown up several new challenges in the realm of National Security apart from its positive fabric ranging from local to global sphere. This paper is a humble attempt to explore the challenges, both actual and potential, to the National security of India purporting to put forth the security concern related to the social media.

Keywords: Social media, National Security, ISIS, cyber law.

Introduction - With the advent of the social media the way of information has tremendously revolutionized and entirely a new eco-system of information exchange has taken place which, resulting into an increasing interconnected world, has posed challenge to the systemic information hierarchies by breaking the barriers of borders and making the systems of control irrelevant through its constant inflation. This information revolution, having occurred through social media, has spiraled the world over with an alarming trigger forcing people, governments and organisations (both public and private) to rethink the strategies on how should they manage their information behavior in view of the challenges and threats the new eco system of information is seen to produce. The emergence of these new challenges equally addresses both the law and order and security concern of the nation.

What is Social Media: 'Social media' and 'social networks' are celebrated as the most popular terms of contemporary Information and Communication Technology. Confusingly, both these terms have been treated co- terminus by the common users. However, 'social media' essentially differs from 'social networks'. While 'social media' stands for a communication channel that transmits information to a wide audience through usually one way street, social networks act as a facility of communicational exchange between likeminded people, groups or communities engaging limited people but through two way traffic. Practically social media in recent times has been treated as synonyms with social networking sites like Facebook, Youtube, and twitter which is a micro blogging site. However, social media can broadly be defined as any "web or mobile based platform that enables exchange of users contents"¹. While almost two third of the

mobile users in India are already accessing the social media, the availability of low cost mobile in India is bound to increase the number of users accessing social media.

Social Media and security perspective: London Riots (2011) and Boston Terror Attacks (2013) are the first Western incidents which raised security concern related to the social media. In London Riots (2011), which triggered over a custodial death of a colored citizen, protesters and rioters used a smart phone app called 'Sukey' to locate the police forces and used 'Blackberry messenger' to coordinate attacks, mass looting and violence². Likewise, in the Boston Terror Attack (2013), caused by the explosion of two bombs at the finish line of the Boston Marathon in April 2013, the Boston police Department for the first time used the potential of social media. The Boston Police Department successfully used the social media platforms 'twitter' and 'Facebook' to subside panic of the public and identify the suspects of the Boston attacks³.

Security Perspective of the Social Media; the Indian experiences: India witnessed its first experience of the potential of the social media in co-coordinating protesters during the 'India against corruption movement' led by Anna Hazare in 2011. Subsequently, social media helped in mobilizing a large number of protesters in the Delhi gang rape incidents in 2013. However, both of these protests were non-violent in their character and did not cause security concern of the social media.

Social media as a tool of panic and terror: The potential of the social media as a tool of panic and terror were the ugly turn of the events that Indian witnessed in the next years. In the aftermath of the ethnic clashes in Assam in 2012, it were the offensive clips and hate messages, sent

through mobile and social network sites, which triggered the panic among the North –East Indians and caused their mass exodus from various parts of India⁴. Further, in September 2013, communal riots were erupted in Muzaffarnagar in Uttar Pradesh leading the masses panic due to a morphed video on Youtube, a social media platform⁵.

Social media as a tool of Jihad in the hands of ISIS: In 2014, the arrest of Mehdi Masoor Bishwas, a Bangalore based employee, who was found accused of being the active man behind the ISIS's most influential twitter handle in India, @ 'Shami Witness' has exposed the extent of the threat to nation's security through the misuse of the social media in India⁶. In 2016, the ISIS released a propaganda video showing alleged Indian Jihadies fighting in Syria with an appeal for more Indians to join as recruits for the Islamic cause⁷. These alarming incidents have posed formidable challenges for our cyber security system and have also brought to surface a dangerous facet of the Social Media vulnerable to be exploited by the anti –national elements. As media reported in April 2016 that Mohammad Shafi Arman, who was close to ISIS chief Abu- Bakr- Al- Baghdadi, was the chief recruiter of the ISIS in India, and he recruited at least 30 youngsters and was in contact with 600-700 potential recruits through Facebook, Whats app, and other social media platforms. The media reported that 15 people went missing in Kerala allegedly to join the ISIS in Afghanistan and Syria. During the NIA investigations, the families of the missing recruits have revealed that their kids were systematically radicalized through a complex web of conversion to live under Sharia Law. A propaganda video of the ISIS released in May 2016, which showed of a group of Kalashnikov wielded Jihadies, allegedly from India, fighting against the Syrian forces, was urging the Indian Muslims to retaliate Babri Masjid Demolition and avenge atrocities inflicted on the Muslim of Kashmir by join the holy fight of the ISIS⁸.

Social media as a tool of redicalistion by the Indian Islamic outfits: The propaganda and the recruitment activities of the ISIS has cost "bandwagon- effect" on the Indian terror outfits like Indian Mujahidin which, instead of forming its slipper cell, have made social media as their another platform to radicalized vulnerable youth belonging to the minority community.

Social media as a tool of the war of Ideas: As a result of the success of the ISIS in using the social media as a tool of Islamic political propaganda, Indian insurgents groups have also been inspired and they have used the social media as a tool of 'overt war of ideas'. Social media has been seen flooded with the photos and videos of the militants of the north east mustering in the forest with assault rifles and clearly signaling the message of war of idea against the establishment overtly inspiring the recruits. Burhan wani, who had become an icon- face of Kashmiri militancy and was killed by the Indian Army in July 2016, was seen in a video addressing the Kasmiri youth to rise

directly for 'khilafat'⁹.

Social media as a potential weapon against the security forces: Recently during June – to September 2023 India has witness formidable law and order uphold in Manipur. As media has reported both the ethnic groups – Mateis and Kukies have immensely used social media in their ethnic internecine conflicts. Moreover rioters of the both ethnic groups have use social media to foil the actions of the police and the security forces by identifying lotters location and disturbing them in controlling of situation¹⁰.

Conclusion: We have seen that the social media platform is not free from the blatant misuse in the hand of the anti – social communal and anti –national forces and it has formidably been used by them to fulfill their unscrupulous objectives. Since social media is a tool which can equally be used as a potent counterforce by the responsible systemic authorities, there is need to transform the potential of the social media as an actual authentic weapon to counter the anti systemic forces challenging the national security. undoubtedly the state police and the security forces in India have initiated working on the social media platforms as to combat anti systemic forces, however it is pertinent to note that the strategy of anti systemic forces has outwitted the systemic forces in the use of the social media for their respective purposes. This scenario is highly crucial and it needs a revamped strategy on the part of the systemic authorities. The western countries have also witnessed social media threats, but they have evolved an advance strategy superior to the anti national forces. In India the progress in this direction is sluggish due to legal constraints as well as lack of public awareness. Keeping in view the serious threat to the nation's security by the social media, a serious attempt is highly desirable in the forms of public awareness regarding the use of social media and training of the security forces regarding tackling the problem of social media threats.

References:-

1. Pandalai, Shruti, the social media challenge to national security; impact and opportunities (IDSA monograph series no 55.Nov 2016),page 8.
2. Ibid, page16.
3. Ibid, page17.
4. Hill, J.F, India's internet freedom nightmare, the Diplomat, 25 Aug 2012. Accessed on URL <http://thediplomat.com/01.06.2014>.
5. Zia Haq, a Dangerous trend: social media adds fire to muzaffarnagar clashes, Hindustan times 09 sep.2013.
6. <http://www.firstpost.com/India,15Jan,2015>.
7. Op.cit.01, page 38.
8. Ibid page 40-42.
9. Burhaan Wani; Kashmir Facebook Militants, The New Indian Express,11 July 2016.
10. <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/manipur-hc-directs-state-govt-to-provide-limited-net-service/article66988889.ece>

An Analytical Study of Role of Judiciary in Implementation Law Relating to Prevention of Food Adulteration in India

Narendra Singh Rana*

*Assistant Professor, Govt. MLB Arts & Commerce College, Gwalior (M.P.) INDIA

Abstract - The prevention of food adulteration is a paramount concern for public health and safety in India. The judiciary plays a crucial role in the effective implementation of laws aimed at preventing food adulteration, ensuring the integrity of the food supply chain, and safeguarding the well-being of the citizens. First and foremost, the judiciary acts as a custodian of justice, adjudicating cases related to violations of food safety laws. This involves hearing cases against individuals or entities accused of food adulteration and delivering judgments that set legal precedents. The judiciary serves as a watchdog, holding regulatory bodies, such as the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), accountable for enforcing and implementing food safety regulations. Judicial intervention becomes imperative when there are disputes or concerns about the adequacy and fairness of the regulatory measures. Judicial activism and public interest litigation have been instrumental in shaping and reinforcing the legal framework for food safety in India. The judiciary often interprets and clarifies legal provisions, ensuring that they align with evolving scientific knowledge and international standards. The continuous collaboration between the judiciary, regulatory bodies, and other stakeholders is crucial for maintaining the highest standards of food safety and protecting the health of the Indian population.

Introduction - The right to food has been identified widely as a basic human right at all levels, national, regional and global. The right to safe food is fundamental right to everyone. On the other side, everyone desires health. As a necessity for the production of highly qualified and nutritious food, food safety is also essential for ensuring the right to food. Traditionally, Indian families used to cook food at home with healthy ingredients and knew what went into the meal. But in modern times, with rising incomes and affluence, more and more people are moving towards readymade fast foods and eating regularly at restaurants where food is cooked with poor quality ingredients to attract and satisfy the palate rather than provide a wholesome nutritional meal. It feels very shameful to know that in India, there is hardly a food product which has remained untouched of the adulteration.

Food adulteration has been a longstanding concern in India, posing serious threats to public health, consumer rights, and the integrity of the food supply chain. With a population of over 1.4 billion people and a diverse food market, ensuring the safety and quality of food products is a formidable challenge. The Indian government has taken several legislative measures to combat food adulteration, including the enactment of the FSS Act in 2006. However, the effective implementation of these laws largely depends

on the role played by the judiciary.

Food safety is considered as the part of right to health covered under Article 21 of Indian Constitution. Food safety can be ensured if every public institution is able to guarantee that served food items are nutritionally and chemically safe. The judiciary plays a crucial role in the implementation of laws related to the prevention of food adulteration in India. There are many such judgments in which the Apex Court of India has considered the right to food as the part of right to health. Supreme Court has on most of the occasions rightly taken up the cause of food security and safety of those who are the victims of it. Many times, it has directed the union and state governments to ensure the complimentary food items of safe quality standard to lactating mothers, women, child and infirm. Actually, by justifying the right to food the Supreme Court has opened the door of deliberation at the executive and legislature level to recognize right to food as one of the fundamental rights of Indian citizens. Indian Courts have shown the way for right to food to make it judicial legal entitlements, binding on each government. It is high time to banish food denials and malnutrition from each house in the country.¹

Constitutional Provisions: The Constitution of India does not explicitly mention the right to safe food as a fundamental right. However, the right to life under Article 21 of the

Constitution has been interpreted expansively by the judiciary to include the right to a wholesome and safe environment, which indirectly encompasses the right to safe food. The judiciary has interpreted this right expansively to include the right to safe and nutritious food. Courts have emphasized that the right to life encompasses the right to live with dignity, which includes the right to safe food. The Supreme Court of India, in various judgments, has held that the right to life encompasses the right to food, and the government has a constitutional obligation to ensure that its citizens do not suffer from hunger and malnutrition. The court has emphasized that the right to food is an integral part of the right to life and is essential for the meaningful enjoyment of other fundamental rights. The Constitution of India stands as a safeguard for all the guaranteed freedoms of an individual. It acts as a source for the offshoot of all laws, applied and enforced in India. It is the Constitution which is bestowed with the task of maintaining a balance between the individual and societal needs.

Modern welfare states have recognized that when it is the primary duty of the State to protect the life of its subjects, then its fulfilment requires not only that murder be prohibited but also that starvation be prevented. The existence of difference of opinion about the extent to which the State should make legal requirements in respect of social welfare including provision of food created a situation where in certain categories of individual claims or interests received greater recognition and protection from legal system than the vast majority of other most important claims such as those corresponding to hunger, shelter, education, health and the like.² The Constitution embodies chapters on the civil, political rights and socio-economic rights of an individual. Though an unambiguous demarcation is not provided in the Constitution, but the content of the rights enshrined displays the categorization. Fundamental Rights endow a negative obligation on the State for their enforcement, whereas the directive principles of state policy accord a positive obligation on the State. The directive principles cannot be enforced in a court of law as stated in Art. 37. Article 24 talks about the child health.³ This article is the direct relevance to the child nutrition and health. Article 32 talks about the constitutional remedies if someone violates these fundamental rights.⁴ The chariot of development can only be achieved by running on the wheels of fundamental rights and directive policy.

The Indian scenario on health-related issues is expressly recognized in various articles of constitution of India. State is under a duty to provide food facilities. From the various international covenants, treaties and conventions it is clear that right to health & foods are the fundamental rights. In this regard the judiciary mainly Supreme Court & High court played an important role.⁵ Again there have happened several such cases in the Indian legal history where the Supreme Court has itself interpreted the right to life and personal liberty. It is more than the mere

animal like existence. The consistent human dignity and decency are the vital components of it.

“PUCL vs Union of India”⁶

In this case, the court held that everyone has a fundamental right to food and ordered that the nation's magmatic food reserves be used right now to avert starvation and hunger. The Supreme Court underlined that the goal of the Integrated Child Development Scheme is to give pregnant women and children aged 0 to 6 additional meals. The court further observed that there are numerous obstacles to ensuring that nutritious food reaches those who are undernourished or malnourished as well as those who are covered by the scheme. The court also ordered the states to ensure the proper operation of the Public Distribution System, the implementation of food-for-work programs, the implementation of a Midday Meal Scheme, etc.

KesavanandaBharati vs. State of Kerala⁷

In this landmark judgment, the larger Bench discussed the concept of the inviolable basic structure of the Constitution which cannot be amended. In this case, Mathew J. noted that the people's goal in creating the Constitution was to advance equality, liberty, and social and economic justice. The Constitution's Parts III and IV lay out the strategy for achieving these goals. He made the observation that the right to life is just as vital as the freedom from starvation when talking about the other components.

It is abundantly clear that the Supreme Court of India is leaving no stone unturned in interpreting various provisions of the Constitution to protect the right to food a basic human right, while keeping in mind the evolving circumstances and goals, in order to preserve democracy in its truest form. The Court, from time to time, injects flesh, blood and vitality into the skeleton of the words used in different Articles of the Constitution, and gives colour and content to the statements expressed therein, as well as giving it the appearance of living thinking

Legal Provisions Relating To Food Adulteration In India:

Indian consumers have showed a great desire for high quality and safe food in the recent years. It is a debatable question that whether finger should be raised on the present food related laws in our country or not. Whether the sentence of death should be given to food contaminators or not has now become a serious topic. All these questions have engaged the minds of legislators and jurists across India.⁸

The Food Safety and Standards Act, 2006 has covered the loopholes left by the earlier food laws to the greater extent. After the introduction of this Act now the customer's confusion has been removed from too many food safety laws. The primary objective of the Act is to safeguard public health by ensuring the safety and quality of food products. Adherence to food safety standards helps prevent the consumption of contaminated or substandard food, reducing the risk of foodborne illnesses and related health issues. The Act consolidates various pre-existing laws related

to food and establishes a unified regulatory framework. This consolidation streamlines the regulatory process, making it more efficient and transparent. The Act provides a set of scientifically-based standards for food products, covering aspects such as ingredients, additives, contaminants, and labeling. Standardization helps in maintaining consistency and quality across the food industry. The Act contributes to building consumer confidence by assuring them that the food products they purchase and consume meet established safety and quality standards. This, in turn, promotes a healthier and safer food supply. The Food Safety and Standards Act provides for the formation of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), speedy justice, appointment of Public Prosecutors, Special Courts and the food safety Tribunals. The system of food quality and safety management in India works under the direction of FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India). Act provides stringent punishments for the reduction of food related offences and that of saving the interest of consumers.

The Food Safety and Standards Act, 2006, plays a crucial role in protecting public health, ensuring the quality of food products, and fostering consumer confidence. It provides a comprehensive and systematic approach to food safety regulation, addressing various aspects of the food supply chain from production to consumption.

Judicial Approach: Food adulteration is a widespread issue in India, affecting the health and well-being of millions of citizens. To combat this problem, India has enacted various laws and regulations to ensure the safety and quality of food products. The judicial system, consisting of the Supreme Court, High Courts and other judicial body plays a crucial role in overseeing and ensuring the proper implementation of these laws. Here we discuss about various judicial judgement that play a significant role in the implementation of food adulteration laws in India.

“Centre for Public Interest Litigation vs. Union of India and Others”⁹

In this case, the writ petition was preferred for constituting an independent Expert/Technical Committee to evaluate the harmful effects of soft drinks on human health, particularly on the health of the children, as well as for a directive to the Union of India to establish a regulatory framework that could oversee and verify the ingredients in a specific chemical additive, including soft drinks. The Supreme Court was held that the provisions of the FSS Act and rules and regulation have to be interpreted and applied in the light of the constitutional principles and endeavour has to be made to achieve an appropriate level of protection of human life and health guaranteed under constitution of India.¹⁰ The Court direct the FSSA to gear up their resources with their counterparts in all the states and Union territories and conduct periodical inspection and monitoring of major fruit and vegetable markets, in order to determine whether they meet the requirements established by the Act and the

Rules.

“Swami AchyutanandTirth&Ors vs. Union of India &Ors”¹¹

In this case, a writ petition was filed in public interest by the petitioners highlighting the menace of growing sales of adulterated and synthetic milk in different parts of the country. The petitioners were citizens of the State of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana and NCT of Delhi. They stated that the respective State Governments and the Union of India had been negligent in taking appropriate steps to curb the adulteration of dangerous substances such as urea, detergent, refined oil, caustic soda, etc. The petitioners relied on a study dated 02.01.2011 entitled ‘Executive Review on National Survey on Milk Adulteration, 2011 published by the Foods Safety and Standards Authority of India (FSSAI) which concluded that 68.4% of the milk sold is adulterated at national level. The worst performers according to the survey were alleged to have been in the survey in Bihar, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Mizoram and Jharkhand 88 per cent of milk samples were found adulterated in the Uttarakhand and Uttar Pradesh states. Considering the seriousness of the matter and the various orders passed by this Court.

“M. Mohammed vs. Union of India,”¹²

In this case, the petitioner imported raw betel leaves and applied under the Food Inspection Clearance System. The samples were drawn. It was found that they didn't meet the standards prescribed. It was also referred to the Referral Laboratory at Mysore at the instance of the petitioner. Thereafter the petitioner contended that the said test certificate couldn't be insisted upon from the petitioner and the product imported by him did not require such certification. The petition was dismissed.

“M/S Nestle India vs. FSSAI”¹³

Nestle S.A. is a Switzerland's company that manufactures, sells, and distributes food goods. It was registered and formed in accordance with Swiss law.. Petitioner - Company is its subsidiary in India and is registered under the provisions of Company Act, 1956. Petitioner is carrying on its business in India for more than 30 years. One of the products which has been manufactured by the Petitioner is known as **“MAGGI Noodles”**. For over 30 years, the petitioner had been producing and distributing this product, and during that time, they had never faced any negative attention from the Food Authorities in the past and also at no point of time criminal prosecution was launched against the Petitioner either for violation of the old Act or the new Act, but after came in force in new act in 2006 the impugned order of ban was passed on 05/06/2015. Petitioner manufactured 9 variants of these noodles.

The FSSAI examined a Nestle product Maggie. It faced legal consequences on account of impermissible levels of monosodium glutamate (“MSG”) and lead in the noodles. Maggi was held accountable by FSSAI on the following grounds:

Excessive lead content: The maximum permitted amount of lead can be 0.25%, but the samples had 1.72%, making them unsafe and unfit for human consumption.

Mislabeled products: Maggi labelled its packs with “No added MSG”, which mislead customers as the tests showed presence of MSG.

Non-authorization: Maggi Oats masala noodles with tastemaker was launched in the market without any approval from the FSSAI.

Bombay High Court in case based after examining all the submissions, the following judgment as recourse for Nestle going forward:

(i) It will test the nine varieties of the Maggie Noodles available with the Petitioner. Five samples of each batch in their possession are to be submitted by Vimla Lab to three NABL-accredited and recognised food laboratories. Their findings indicate that lead is below the permissible limits, the manufacturer will be able to continue his business. However, the freshly produced goods in all other forms are also to be checked in the above-mentioned laboratories if the amount of lead in these freshly manufactured products is still within the acceptable limits, then the Manufacturer will be able to market his products.

(ii) Maggi Oats Masala Noodles with Tastemaker: The process for receiving prior approval will have to be followed before the product can be made available in the market. In addition, the firm can withdraw the ‘No Additional MSG’ declaration from its packaging so that the product may not be called mislabelled.

Conclusion: In the complex landscape of food safety and adulteration prevention in India, the judiciary emerges as a linchpin for effective implementation of laws. Through its multifaceted role as an adjudicator, watchdog, and interpreter of legal provisions, the judiciary contributes significantly to ensuring the integrity of the food supply chain and protecting public health. Judicial intervention becomes essential when cases of food adulteration arise, providing a platform for impartial adjudication and the imposition of penalties. By rendering judgments, the judiciary establishes legal precedents that deter potential offenders and reinforce the gravity of food safety violations. Judiciary acts as a sentinel overseeing the actions of regulatory bodies, such as the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI). Its role in holding these bodies accountable ensures that the enforcement of food safety regulations is robust, transparent, and aligned with the evolving needs of the populace. It is underscored that the collaboration between the judiciary, regulatory bodies, and other stakeholders is crucial for addressing the dynamic challenges in the realm

of food safety. The conclusion advocates for ongoing dialogue and cooperation to adapt laws to emerging risks, technological advancements, and international standards. In closing, the role of the judiciary in the prevention of food adulteration is depicted as integral to upholding the rule of law, ensuring accountability, and proactive judiciary is essential for creating a robust and responsive legal framework that effectively prevents and addresses the adulteration of food products in India.

References:-

1. The Constitution of India, 1950.
2. The Prevention of Food Adulteration Act, 1954.
3. The Food Safety and Standards Act, 2006.
4. M.P. Singh, V.N. Shukla's Constitution of India, 10th Edition, Eastern Book Co.
5. Venkateswara Rao Yetukuri, Commentary on Food Safety and Standards Act, 2006, Asia Law House.
6. Virag Gupta, The Food Safety and Standards act, 2006, 15th Edition, Commercial Law Publishers India Pvt. Ltd.
7. Seth & Capoor, The Food Safety and Standards Act, 2006 with Rules, 11th Edition, Delhi Law House.

Endnotes:-

1. Harsh Mander, Ending Indifference: A Law to Exile Hunger, 11 Journal of the National Human Rights Commission. 41, (2012).
2. Joseph Raz, The Morality of Freedom (Clarendon Press, Oxford 1986) p. 193
3. Article 24, Indian Constitution provides: No person below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.
4. Article 32, Indian Constitution provides: Right to move Supreme Court for the enforcement of fundamental rights.
5. Sougata Talukdar, Right to Health in Contemporary India, 17 Journal of the National Human Rights Commission. 235 (2018).
6. 2004; 12 SCC 108
7. 1973; 4 SCC 225
8. Shree Dhar Purohit & Kashi Nath Joshi, Supreme Court on Prevention of Food Adulteration Law in India, 1 (1973).
9. Writ Petition (civil) No. 681 OF 2004, The Supreme Court of India.
10. Article 21 of Constitution of India.
11. 2016 (9) SCC 699.
12. Writ Petition No. 24999 of 2014.
13. Writ Petition No. 1688 of 2015.

भदावरी भाषा की पहेलियों में राम कथा के विविध प्रसंग

मंजू नरवरिया*

* शोध छात्रा (हिंदी) शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पहेली को सर्वश्रेष्ठ चिंतनपरक एवं मनोरंजक साधन माना गया है। जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक पहेली हल करने के लिए छोटा-सा सवाल या प्रश्न करता है जिसे दूसरा व्यक्ति सोच-समझकर उसका उत्तर देता है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ-साथ दिमाग के विकास में बहुत ही सहायक होती हैं इसीलिए पहेलियों के अध्ययन को अकादमिक क्षेत्र में 'गूढ़ विद्या' कहा जाता है। भदावरी भाषा की पहेलियों में रामकथा के विविध प्रसंग समाहित हैं।

प्रस्तावना – भदावरी भाषा, ग्वालियर-चम्बलअंचल की प्रमुख भाषा है जोकि अपनी गोद में संस्कृति के विविध रंगों को मौखिक साहित्य के रूप में समेटे हुए है। भदावरी भाषा के लोकगीतों में जितनी पुरातन भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, उसकी लोक पहेलियों में भी उतना ही भव्य दिग्दर्शन होता है। ग्वालियर-चम्बल अंचल अर्थात् भदावरघार में 'राम-कथा' की महिमा अपरम्पार है। प्रत्येक शुभाशुभ कार्य में राम का नाम लेना जीवन का अपरिहार्य अंग बन गया है और जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक उनकी महिमा वर्णनातीत है।

भदावरी लोकभाषा में पहेलियों की समृद्धशाली परम्परा है। मौखिक रूप से चली आ रही इन पहेलियों में भदावरघार के लोगों के ज्ञान, समझ, अनुभव एवं तर्क को परखा जा सकता है। घर के प्रत्येक गाँव में इन पहेलियों को कहने वाले बूढ़े, जवान व बच्चे मिल जाएँगे जो अपनी पहेलियों के माध्यम से आपकी बुद्धि और चिंतन की अच्छी परीक्षा भी ले सकते हैं।

भदावरी लोकभाषा में पहेलियों को 'अध्यवारी कहानी' अर्थात् 'अर्थयुक्त कहानी' कहा जाता है।

पहेलियों के कई प्रकार हैं, किन्तु हम यहाँ पर सिर्फ 'राम-कथा' पर केन्द्रित अर्थवाली कहानियों की पहेलियों को प्रस्तुत कर रहे हैं-

1. चौड़ी चौपारि-सी, ओढ़ी अंधकुआ-सी।

करई कुनैन-सी, मीठी मालपुआ-सी।।

अर्थ-रामायण अर्थात् रामकथा श्रवण में नौ रसों का आनंद आता है तो वह गुलगुलों की तरह मीठी लगती है और यदि उसका अर्थ नहीं समझ पाए वह कठिन (कड़वी) लगती है, विस्तृत और अनंत गहरी भी।

2. ससुर बहू की एकई मैया।

अर्थ-पृथ्वी अर्थात् जनश्रुति है कि राजा दशरथ और सीता दोनों ने पृथ्वी से जन्म लिया था, अतः दोनों की एक ही माँ है।

3. अटक नदी चौधारा।

नारी पार उतरि गई, नर की क्या धारा?

अर्थ- जनश्रुति है कि प्राचीन समय में अटक (अब पाकिस्तान स्थित) नगर के पास सिंधु नदी के तट पर ऋषि आश्रम में खीर बनाई जा रही थी। उबलती हुई खीर में एक सर्प गिर जाता है। ऋषियों को इसका पता नहीं चलता है। यह

दृश्य एक मेंढकी देख रही थी। मेंढकी ने सोचा ऋषियों की जान बचाना चाहिए। खीर काफी उबल जाने और बन जाने के बाद ऋषि कढ़ाई को चूल्हे पर से उतारने आये। इसी अवसर पर मेंढकी ने खीर में छल्ला लगा दी। उबलती खीर में मेंढकी के प्राण ज्यादा देर नहीं टिक पाये। ऋषियों ने मेंढकी को बहुत भला-बुरा कहा। ऋषियों ने खीर को फेंकना ही उचित समझा। खीर को फेंका तो कढ़ाई के तल में एक सर्प दिखाई दिया। सारे ऋषि आश्चर्य में पड़ गये। सब ऋषि बोल उठे- अरे! मेंढकी तुम्हारा मोक्ष हो गया।

4. गैलगई-गैल गई घूमरी, तीन जने निकरि गए।

पाँव बने हैं एक के, राम कथा बनाई गए।।

अर्थ-श्रवण कुमार, माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ-यात्रा के लिए गाँव-गाँव, गली-गली में घूम रहे हैं। आश्चर्य है हर गली से तीन प्राणी निकलते हैं, पर पैर के निशान केवल एक के मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि श्रवण कुमार की दुर्घटनावश मौत रामकथा का आधार बनती है।

5. एक पेड़ु दीडूला।

पीछे दुलनियाँ, आगे दूला।।

अर्थ- श्रवण कुमार अंधे मातापिता को कावड़ के दोनों पलडों में बैठाकर तीर्थ ले जा रहे हैं। पेड़ पर दो झूले पलड़ा और दूल्हा-दुल्हन श्रवण के माता पिता को कहा गया है।

6. एक को मारा, दो मरि जायें।

मारनहारा तब मरे, जब तीनों मरि जायें।।

अर्थ- श्रवण कुमार-कथा। राजा दशरथ एक बार शिकार पर थे। नदी में पानी भरने की बुड़बुड़ाहट को शेर के पानी पीने की आवाज समझकर दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते हैं। वह बाण श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण की कराह सुनकर दशरथ को पश्चाताप होता है, लेकिन श्रवण के प्राण पखेरू उड़ जाते हैं। बेटे के वियोग में श्रवण के अन्धे माता-पिता दशरथ को श्राप देते हैं कि तेरी मृत्यु भी बेटे के वियोग में तड़प-तड़प कर होगी। सर्वज्ञात है दशरथ का अन्त राम वनवास के बाद वियोग की स्थिति में ही होता है।

7. लड़इया लड़ि रहे चौर में।

मरइया ठाड़ी कोने में।।

अर्थ- बालि-वध कथा। बालि-सुग्रीव युद्ध में भगवान राम ने वृक्ष की ओट

में खड़े होकर बालि का वध किया था। बालि तो योद्धा की तरह युद्ध कर रहा था, लेकिन उसे मारने वाले राम ओट में छिपकर बैठे थे।

8. **धन्धे में से धन्धी व्यापौ, धन्धी देखि हंसी।**

बिन पिता बालक भये, सो मैया घर न हती॥

अर्थ- सीताजी लव को गोद में उठाकर नदी पर स्नान करने चली जाती हैं। वाल्मीकि को मालूम था कि लव झोली में सोया हुआ है। किसी काम से वाल्मीकि कुटिया में आये। उन्होंने देखा झूले से लव गायब है। विचार करने लगे-सीता लव को न देखकर क्या कहेगी? किंवदन्ती है कि उन्होंने कुश घास का जीवित बालक बनाकर सुला दिया। सीताजी स्नान करके आती हैं, तो देखती हैं कि कोई और बालक झोली में सोया हुआ है। सीता ने महर्षि से पूछा-यह क्या है? लव तो मेरी गोद में है। महर्षि को आश्चर्य हुआ। महर्षि ने हंसकर कहा- ये भी तुम्हारा बेटा कुश है। अब दो भाई हो गये, लव और कुश। अनोखा गोरख-धन्धा देखकर सीता हंसी है और कहती हैं यह तो बिना माता पिता के बालक पैदा हो गया।

9. **राम के बैन, भरत की सारी**

चितवत का हो, कल्लेउ ब्यारी॥

अर्थ- राजा दशरथ के कैई को दिए गए वचन के कारण राम को वनवास और भरत को राजगद्दी देने का आदेश देते हैं। संध्या भोजन के समय राजा दशरथ बहुत व्यथित हो इधर-उधर देखने लगते हैं। तब रानी कौशल्या कहती हैं- महाराज चित्ता को स्थिर करो और धैर्यपूर्वक संध्या भोजन करो।

10. **पाँयनि में पैजनियाँ पैहरेँ, पाँव धरूँ मैं कैसे।**

भले आदमी की बाँह पकरि केँ, नहिँ करौँ कैसे॥

अर्थ-सीता की असमंजस की स्थिति। सीता मन में सोचती हैं कि एक तरफ लक्ष्मण रेखा पड़ी है, उसका उल्लंघन कैसे करूँ? दूसरी ओर धर्म के अनुसार भिक्षा मांगने वाले साधु को भिक्षा देना अनिवार्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी होने के नाते, नहीं करने पर मर्यादा जाती है।

11. **डरी तो है, देऊँ कैसे?**

अर्थ- लक्ष्मण रेखा प्रसंग। सीता साधु वेशधारी रावण से कहती है कि- मेरे आगे लक्ष्मण रेखा के रूप में आन डली है। रेखा का उल्लंघन कर भिक्षा किस प्रकार दे सकती हूँ?

12. **नौनिया नीकी लगे, रजगिरा नहिँ भाय।**

ऐसी स्वपालिक छोड़िकेँ, चित चौराई फैलाय॥

अर्थ- रावण द्वारा सीताहरण पर मंदोदरी का उलाहना। हे स्वामी! तुमने सीता का हरण करके अच्छा कार्य नहीं किया, सीताजी से मैं किस बात में सुन्दर नहीं हूँ?

13. **इतें टटोरी, बितें टटोरी, सिब रात फिरें टटोरी।**

अब चल रे साखी देशकों, राति रह गई थोरी॥

अर्थ- हनुमान द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी की चमक देखकर आश्चर्य चकित हैं। देवता ने अकाशवाणी की। हनुमान ने पूरा पर्वत उठा लिया। भरत हनुमान को अपने वाण से उन्हें लंका में पलक झपकते पहुंचा देते हैं। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मूर्छा टूट जाती है। लक्ष्मण और मेघनाद का घनघोर युद्ध होता है। मेघनाद लक्ष्मण बाण से मारे जाते हैं। मेघनाथ कासिर, भुजाएँ और धड़ रणक्षेत्र में बिखर जाता है। मेघनाथ की पत्नी सुलोचनापति के शव के साथ सती होना चाहती है लेकिन शव नहीं मिलता। आखिर में मेघनाद की एक भुजा और सिर मिलता है। सुलोचना क्षत-विक्षत शव को पहचान नहीं पाती। वह कहती है कि सिर अगर बोलेगा और भुजा लिखेगी तो मैं अपने

पति के साथ सती होऊँगी। और सुलोचना के सतीत्व से ऐसा ही होता है। वह सिर भुजा के साथ सती हो जाती है। कहते हैं सुलोचना से बढ़कर कोई सती नहीं हुई।

14. **दो सीं गए, डेढ़ सीं आए।**

अर्थ- लक्ष्मण शक्ति प्रसंग। हनुमान द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर गगन मार्ग से अयोध्या के ऊपर से निकले। कुटिया में चौकी पर बैठे भरत ने यह दृश्य देखा और चकित हो गये। उन्होंने अन्दाज लगाया कि यह कोई महामाया का माया जाल दिखाई दे रहा है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना लगा दिया। बाण हनुमान की जांघ में लगा और वह राम-राम का नाम लेते हुए जमीन पर पर्वत सहित गिर पड़े। राम का नाम सुनकर भरत असमंजस में पड़ गये। हनुमान राम लक्ष्मण सीता की सारी कथा भरत को सुनाते हैं। हनुमान से सन्तुष्ट होकर भरत अपने पवन बाण से उन्हें राम-लक्ष्मण के पास तुरन्त भेजते हैं। हनुमान संजीवनी लेने दोनों अच्छी टांग लेकर गये थे पर लौटते वक्त लंगड़े होकर लौटे। जिसे डेढ़ टांग कहा है।

15. **ब्याहे की सिब रैन, छैला की एक घटी।**

अर्थ- मन्दोदरी रावण से कहती है कि लंका के हजारों राक्षसों से बढ़कर हनुमान का कार्य है।

16. **बहुतई खाईपुरी पपइयाँ, बहुतई खाये अण्डा।**

तो सरीखी फरफन्दो, औ मो सरीखो सण्डा॥

अर्थ- राम-रावण युद्ध के दौरान अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण कर पताललोक ले जाता है। हनुमान राम-लक्ष्मण को ढूँढ़ते हुए पताललोक की पहुँचते हैं। वहाँ पहरा देती हुई चण्डी से हनुमान की मुठभेड़ होती है। हनुमान ने चण्डी से कहा कि तूने हलवा पूड़ी और अण्डे तो बहुत खाये होंगे लेकिन मुझ जैसा तुझे अब तक ही शायद मिला होगा। हनुमान चण्डी पर विजय प्राप्त कर राम लक्ष्मण को पाताल लोक से छुड़ाकर लाते हैं। यह हनुमान की पाताल की विजय कथा के रूप में विख्यात है।

17. **जानि रुद्र करे तरुवर सुने, निकला मैं बड़ी दूरी।**

हनुमान बैरी भये, तो लाये संजीवन मूरी॥

अर्थ- सीता वनवास प्रसंग। लक्ष्मण, राम के आदेश से सीता को वन में छोड़ने जा रहे हैं। लक्ष्मण सीताजी से पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि-सब कुछ भगवान शिव के हाथ में है, मेरी यह बात पेड़-पौधे सुन रहे हैं। मुझे जब बैरी के हाथों शक्ति लगी थी, तब हनुमान ही संजीवनी बूटी लाये थे और मुझे जिंदा किया था। पिछली कथाएँ कहकर लक्ष्मण सीताजी का मन भी बहलाते हैं।

18. **मैं आओ तोकों, तूने बाँध लओ मोंकों।**

मैं जब जाऊँगों, तब लै जाऊँगों तोकों॥

अर्थ- रावण द्वारा काल को वशीभूत करने पर काल ने रावण से कहा- मैं तुझे लेने आया था, लेकिन मुझे तूने बन्दी बना लिया है। लेकिन मैं यहाँ से तभी वापस जाऊँगा, जब तुझे ले जाऊँगा। अर्थात् मृत्यु अनिवार्य है।

19. **हती मन में, नहिँ रही मन में।**

सिलगाइ लेउ कंडा, चली भाई बन में॥

अर्थ-पार्वती भगवान शंकर को कहती हैं कि-जो मेरे मन में थी, वह अब नहीं रही। चलो ! अब जंगल में चलकर धुनी रमाना ही ठीक रहेगा। पार्वती जी के विशेष आग्रह पर शिव ने स्वर्ण लंका का निर्माण किया। जो रावण ने दक्षिणा में शिवजी से प्राप्त कर ली थी। तब पार्वती निराश होकर वन में रहने का

निश्चय करती हैं।

**20. आई थी वैसी गई, बसी न एकऊ रात।
ऐसे पण्डित दूर्डिकें, दऔ दान तत्काल॥**

अर्थ- भगवान शिव ने पार्वती के आग्रह पर सोने की लंका का निर्माण किया और रावण जैसे महापण्डित ने उनसे दान में उसी रात मांग लिया।

**21. एक हतो थी रामझा, एक हतो थी बामझा।
जाने बिनिकी नारि हरी, बाने जाकी कुल नाश करी॥**

अर्थ- दुनिया की सबसे छोटी 'भदावरी रामायण'। इस पहेली में राम और रावण के बारे में बताया गया है कि इस महाकाव्य को विस्तार देने में रावण द्वारा राम की भार्या सीता का अपहरण करना रहा। बाद में राम ने रावण के राक्षसी कुल का नाश करके उसका भी वध किया और भार्या सीता को मुक्त किया। लोक में कहा भी गया है-

**'इक लख पूत, सवा लख नाती।
ता रावण घर, दिया न बाती॥'**

**22. जाइ रहीऐ, ती लैकें जा।
गाँव गैल में दैकें जा॥**

अर्थ- 'राम-राम' अर्थात् नमस्कार का संबोधन। भदावरघार में - परस्पर मिलने पर 'राम-राम' का संबोधन करते हैं।

निष्कर्षतः भदावरघार में पहेलियों का विशेष महत्व है जिसे भदावरी लोकभाषा में 'अथवारी कहानी' कहा जाता है। पहेली को सर्वश्रेष्ठ चिंतन परक एवं मनोरंजक साधन माना गया है। जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक पहेली हल करने के लिए छोटा-सा सवाल या प्रश्न करता है जिसे दूसरा व्यक्ति सोच-समझकर उसका उत्तर देता है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ-साथ दिमाग के विकास में बहुत ही सहायक होती हैं इसीलिए पहेलियों के अध्ययन को अकादमिक क्षेत्र में 'गूढ़ विद्या' कहा जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

मेहरुन्निसा परवेज़ के उपन्यासों में नारी-पात्रों का वर्णनात्मक अध्ययन

दुर्गेश राणा*

* शोधार्थी, वी.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना- श्रीमती मेहरुन्निसा परवेज़ ने अपने उपन्यास-साहित्य में आदिवासिय, ग्रामीण, तथा छोटे नगरों की दलित, निम्नवर्गीय तथा मध्यमवर्गीय नारियों का चित्रण किया है। आपके उपन्यासों के नारी पात्र त्रासद हैं, कुंठित हैं, विद्रोही हैं तथा स्वेक्षाचारी भी हैं। मेहरुन्निसा जी अपने साहित्य में स्त्री के संदर्भ में कहती हैं कि 'जो उनके हिस्से में जैसा भी आ गया, उस सन्दर्भ में किस प्रकार की फरियाद किये बिना, उसे मुक्त कंठ से स्वीकृति देने वाली या मान लेने वाली औरत की मनोव्यथा ही उनका वास्तविक जीवन है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं कि ये नारियाँ परिस्थिति के वशीभूत विवश एवं हथबल हैं। औरत मन से भीरु होते हुए भी समय के अनुरूप रण-रंगणी दुर्गा का रूप धारण करके अपने स्वार्थ रहित तत्त्वों के लिए आकाश-पाताल एक करके बड़ी ही निडर मनोवृत्ति का परिचय देती हैं।' लेखिका के इस कथन से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि उनके उपन्यासों की नारी पात्र सहनशील अवश्य है परन्तु कमजोर नहीं वह परिस्थितियों के अनुरूप संघर्ष करना जानती है। आपके विषय में एक प्रश्न सदैव उत्पन्न होता है कि आप मुस्लिम परिवेश से होने के कारण अपने साहित्य में मुस्लिम समाज को ही अभिव्यक्त करती हैं। परन्तु लेखिका का उपन्यास साहित्य किसी भी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध ना होते हुए भारतीय नारी की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति को अपने उपन्यासों में वर्णित किया है।

भारतीय समाज आधुनिकता को स्वीकृति प्रदान तो कर रहा है, परन्तु आज भी भारतीय सामाजिक परिवेश अपनी संकीर्ण मानसिकता, कुप्रथाओं तथा रूढ़िवादिता से निज़ाद नहीं दिला पाया है। भारतीय समाज जिस पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना का पोषक था वह आज के समाज में यथा स्थिति विद्यमान है। नारी के सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आज नारी को घर से बाहर नौकरी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है वह भी इस लिये नहीं कि नारी को स्वाभलम्बी तथा स्वायत्त बनाया जा सके अपितु इसके पीछे का कारण मात्र यह है कि वर्तमान समय की मँहगाई भरे जीवन में पुरुषों को नारी के घन से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिल सके। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज का नारी के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार देख पाना लगभग असंभव ही प्रतीत होता है। लेखिका मेहरुन्निसा परवेज़ ने अपने उपन्यासों में नारी की इस वेदना को बखूबी दिखाया है। आपके उपन्यासों में भारतीय संकीर्ण दृष्टिकोण धारण किये समाज का जीवन्त चित्रण है-

'मैंने सर्विस करली है तालिया।

अरेकब?

बस समझलो कल से ही जा रही हूँ?'

अच्छा किया जमीला तुमने, भाई के पढ़ने तक तुम अगर घर का खर्च उठा लोगी तो आगे की मुसीबतें कम हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारी शादी?

जमशेद अगर ठहरा तो भाई की पढ़ाई के बाद और नहीं तो यह सिलसिला भी खतमा।

अब तालिया को समझ में आया कि जमीला इतनी उदास क्यों है। जमशेद को ठहरने में क्या एतराज हो सकता है? जमीला वह जरूर तेरा इन्तजार करेगा।

नहीं तालिया वैसे ही वे लोग जल्दी कर रहे थे, क्योंकि जमशेद के बाद उन्हें लड़कियों को भी ब्याहना है। जमशेद की अम्मा पुराने खयालात की हैं। अब तक नौकरी करने वाली लड़की उनके घर बहू नहीं बन सकती, जमीला के इतनी देर के ठहरे आँसू गालों पर लुढ़क पड़े।¹ भारतीय निम्न मध्यमवर्गीय समाज अपनी रूढ़िवादी दृष्टि को अपने जीवन से पृथक् नहीं कर सका है। यही कारण है कि नारी के प्रति आज भी वह संकीर्ण मानसिकता के साथ ही विचार करता है, उसका विकास भारतीय समाज में एक तरीके से निषेध है। लेखिका के ऊपर लिखित संवादों में नारी की यही वेदना के स्वर परिलक्षित होते हैं। जमीला जो कि अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए नौकरी करने लगती है, यही कारण बनता है कि उसके लिये जमशेद के परिवार के सभी दरवाजे बन्द हो जाते हैं। समाज की संकीर्ण मानसिकता के कारण जमशेद की माँ अपने घर एक नौकरी पेशा बहू नहीं लाना चाहती है। उसकी नजर में भी औरत मात्र घर के चूल्हे-चौके तथा बच्चों को पालने वाली ही एक वस्तु मात्र है। यहाँ रोचक बात यह है कि वस्तुतः ऐसी स्थिति में नारी ही नारी को विकास नहीं करने देना चाहती है, अपितु वह उसे एक संकीर्ण दायरे में रखने का प्रयास करती है।

भारतीय समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज के रूप में जाना जाता है, नारी को आज भी पुरुष का अधीनत्व स्वीकारना पड़ता है, तथा पुरुष समाज भी नारी को सिर्फ भोग की वस्तु ही समझता है। नारी मात्र पुरुष की सेवा करने हेतु ही बनी हो जैसे। लेखिका परवेज़ जी के साहित्य में नारी के सामाजिक स्तर का बड़ा ही सूक्ष्म प्रस्तुतीकरण मिलता है, अतः स्वाभाविक है कि कि पुरुष की दृष्टि में नारी की स्थिति का वर्णन भी अपने बहुत यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है- 'अरे खुद कुरान-शरीफ में खुदा का फरमान है कि मैंने तुम्हारे लिये औरत पैदा की है, एश के लिये और खाने के लिये परिन्दे। भाई जैसे एक ही कमीज तीन दिन पहनों तो बटन काटने को दौड़ता है, वैसे ही एक औरत के साथ कुछ दिन रह लो तो साला मूँह का मजा

खराब हो जाता है।¹³ ऊपर लिखित संवाद में देखने लायक बात यह है कि लेखिका ने पुरुष की मनोवृत्ति का चित्रण कितने यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ एक पुरुष नारी को भोग की वस्तु साबित करने हेतु धर्म का सहारा लेता है जबकी किसी भी धर्म में नारी को मात्र भोग की वस्तु नहीं माना गया है अपितु नारी का प्रत्येक धर्म में एक विशेष स्थान रहा है। वस्तुतः यहाँ पुरुष प्रधान समाज की अभिव्यक्ति है, जिसमें नारी को भोग तथा आनन्द की वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता है। वस्तुतः पुरुष नारी को अपने से आगे जाते नहीं देखना चाहता है। यदि नारी का सामाजिक स्तर पुरुष से अधिक हो जाये तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है वह नारी को अपनी एड़ी के नीचे ही दबाकर रखना चाहता है, और वह इसके लिये उसे जितना हो सके उतना हतोत्साहित करता ही रहता है- 'जीजाजी में दीदी को स्मार्ट बनाने के नुस्खे बता रहा था, और वह मेरी हसी उड़ा रही है। देखिये तो अब दीदी चेयरमेन बन गई है, इन्हें बहुत स्मार्ट दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? चेयरमेनशिप है, कोई एयर होस्टेज की सर्विस तो नहीं! विपुल और तहमीना पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो।'¹⁴ देखा जा सकता है कि लेखिका ने पुरुष की संकीर्ण मनोवृत्ति का कितना यथार्थ चित्रण किया है। यहाँ जमशेद को तहमीना के आगे बढ़ना किस तरह खटक रहा है, वह तहमीना के चेयरमेन बनने से हो रही इनकम का लाभ तो लेना चाहता है, परन्तु वह तहमीना को स्वतन्त्र एवं आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। विपुल के मजाक को भी वह इस सन्दर्भ में बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यहाँ पुरुष की रूढ़िवादी तथा क्षुब्ध मानसिकता का स्पष्ट चित्रण मिलता है। लेखिका परवेज अपने उपन्यास-साहित्य में नारी जीवन के विविध आयामों की प्रस्तुतीकरण किया है। नारी के सामाजिक स्तर को आपने अपने उपन्यास-साहित्य में जीवन्त स्वरूप प्रदान किया है। जो कि नारी के सामाजिक स्वरूप तथा उसकी वेदनात्मक जीवन शैली को उद्बोध करता है। वस्तुतः कहा जा सकता है कि लेखिका ने नारी के सामाजिक स्वरूप का वर्णन पूर्णतः यथार्थ वादी स्वरूप में किया है। यहाँ रोचक बात यह है कि लेखिका ने नारी को मात्र दीन अथवा विद्रोही ही नहीं बतलाया है वह नारी को स्वार्थी तथा भोग लिप्सा में लिप्त भी दिखलाती है- 'नहीं-नहीं मुझे अपनी राहों पर रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा से इतना नाउम्मीद हो गई हो? उम्मीद? उसने मुझे दिया ही

क्या है? अब तो मुझे खुदा के नाम से चिढ़ होने लगी है।'

क्या मैं आपके दुख को कुछ कम नहीं कर सकता?

रहने दीजिये अरमानों की राख के नीचे चिनगारी को दबे ही रहने दीजिये। अब मैंने अपने दिल को झाड़-पोछकर साफ कर दिया है। जावेद टकटकी लगाये उसे देखता रहा। आप आए भी तो इतनी देर से 'काश, मेरी जिन्दगी में पहले आए होते आप! यही मुझे भी लगता है, तालिया! तुम बहुत देर से आई मेरी जिन्दगी में। कहते-कहते उसने अपना सिर तालिया के घुटने पर रख दिया।'¹⁵ लेखिका ने यहाँ नारी की भोगइच्छाओं की अभिव्यक्ति किया है। वह नारी के देवत्व स्वरूप को खंडित करते हुए उसके मानवीय भोगवादी रूप को भी स्वाभाविक रूप से स्वीकृति प्रदान करती है। इस विषय में लेखिका स्वयं लिखती हैं- 'मैंने औरत के मुँह पर से वह नकाब खींच दिया है जिसे ओढ़े हुए वह सती बनने का ढकोसला करती है। यह सच्चाई बहुतसे लोगों को तलख लगी, इसके कड़े घुँट मुझे भी पीने पड़े थे।

सात्विक से सनातन संस्कारों पर जबर्दस्त आघात जरूर है पर मैंने यदि कोई साफगोई से परदा खींच दिया तो इसमें बुरा क्या किया? देह के क्रूर सत्य को मैंने अपनी लेखनी में स्वीकारा है। मेरे इस साहस पर मुझे धिक्कारा भी गया है, पर जब लिख चुकी थी तो सर झुकाकर स्वीकारने से फायदा? सर उठाकर स्वीकारना चाहा इसकी चर्चा से ही डरते हैं।' वास्तविक रूप में इसे नारी का पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह कहा जाये या फिर नारी की भोग इच्छा। नारी का एक ऐसा भीस्वरूप समाज में विद्यमान है जो माया लिप्त है और अपनी इच्छाओं का दमन करना कतिपय करना उचित नहीं समझता है। जिसे लेखिका ने अपने उपन्यास 'आँखों की दहलीज़', आदि में यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कोरज़ा एवं समरांगण उपन्यासों में नारी/पुनश्च पृ.सं. 26-27
2. आँखों की दहलीज़ पृ.सं.68-69
3. कोरज़ा पृ.सं.21
4. अकेला पलाश पृ.सं. 51
5. आँखों की दहलीज़ पृ.सं.52

Building a Competitive Education Hub: The Role of HRD Practices in Bhopal's Higher and Technical Education Sector

Mahesh Vanjani* Dr. Atul Loomba** Dr. B.D. Pandey***

*Ph.D Scholar, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Professor, Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

*** Rabindranath Tagore University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - In an increasingly globalized and knowledge-driven economy, the competition for skilled talent is fierce. This puts immense pressure on higher and technical education institutions to prepare graduates who are not only academically qualified but also possess the necessary adaptability, creativity, and critical thinking skills to thrive in the dynamic job market. Building a competitive education hub requires a holistic approach that goes beyond curriculum development and infrastructure modernization. Human Resource Development (HRD) practices play a crucial role in attracting, retaining, and developing talented faculty and staff, who are the backbone of any successful educational institution. This paper explores the significance of HRD practices in the higher and technical education sector, with a focus on how they can contribute to building a competitive education hub.

This research paper explores the pivotal role of Human Resource Development (HRD) practices in fostering a competitive education hub, with a focus on the higher and technical education sector. In an era marked by rapid technological advancements and globalization, nations are increasingly recognizing the significance of education as a key driver of economic development. This paper investigates the multifaceted contributions of HRD practices to the enhancement of educational institutions, the development of skilled human capital, and the creation of a competitive edge in the global knowledge economy.

Keywords: HRD practices, higher education, technical education, competitive education hub, faculty development, curriculum design, student-centric approaches, global knowledge economy.

Introduction - The landscape of higher and technical education is undergoing transformative changes in the wake of globalization and rapid technological advancements. As nations vie for prominence in the global knowledge economy, the role of educational institutions in shaping competitive education hubs has gained unprecedented significance. This research delves into the intricacies of this dynamic relationship, with a specific focus on the indispensable role played by Human Resource Development (HRD) practices. HRD practices encompass a broad spectrum of strategies aimed at cultivating and enhancing the skills, knowledge, and capabilities of individuals within an organization, and their application in the educational domain holds the key to creating thriving education hubs.

Background: The evolution of education hubs stems from the recognition that a well-educated and skilled populace is a cornerstone for economic development and global competitiveness. With technological disruptions reshaping industries and the interconnectedness of economies,

nations are investing in higher and technical education as a means to secure a sustainable future. The global competition for talent, innovation, and research prowess has intensified, prompting countries to position themselves as education hubs to attract the brightest minds and foster cutting-edge research and development.

In this context, HRD practices emerge as catalysts for institutional growth and excellence. The term 'Human Resource Development' extends beyond the traditional confines of organizational HR practices; it encapsulates a strategic approach to nurturing human capital, enhancing faculty capabilities, aligning curricula with industry needs, and ensuring that students are equipped with the skills demanded by the contemporary job market.

As we delve into the role of HRD practices in building competitive education hubs, it becomes imperative to understand how these practices intersect with the broader educational landscape. The exploration will span faculty development, curriculum design, industry integration, and student-centric approaches, shedding light on the

transformative potential of HRD strategies. This research seeks to unravel the complexities inherent in the synthesis of HRD practices and the unique demands of higher and technical education, ultimately contributing to the discourse on creating globally competitive education hubs.

Objectives of the Study: The primary objectives of this research are to analyze the role of HRD practices in building competitive education hubs, identify key challenges, and propose strategic recommendations for the effective implementation of HRD initiatives in educational institutions.

Review of literature

In an increasingly knowledge-driven and interconnected world, the higher and technical education sector faces intense competition to attract talented students, produce skilled graduates, and achieve global recognition. This necessitates a shift towards building “competitive education hubs” – institutions that foster innovation, excellence, and adaptability in graduates (World Bank, 2020). While curriculum development and infrastructure play crucial roles, Human Resource Development (HRD) practices emerge as a critical factor in attracting, retaining, and motivating the key drivers of institutional success – the faculty and staff. This review of literature explores the current understanding of HRD practices’ contributions to building competitive education hubs in the higher and technical education sector.

Gupta, A., Singh, S., & Sharma, S. (2023). This study investigates the effectiveness of flexible work arrangements, like remote work and flexible schedules, in attracting and retaining faculty in Indian universities. It provides insights into how such practices can enhance institutional attractiveness and contribute to building a competitive education hub.

Hussain, M. A., Hussain, S. S., & Shah, S. A. (2022). This article emphasizes the importance of well-designed onboarding programs for new faculty members. It highlights how these programs can foster institutional engagement, cultural understanding, and ultimately contribute to faculty retention, crucial for building a stable and skilled workforce in competitive education hubs.

UNESCO (2019). HRD for Education 2030: It provides valuable insights into best practices for faculty development, leadership training, and talent management, all of which are essential for building competitive education hubs in line with global priorities.

World Bank (2020). This report focuses on strategies for developing countries to strengthen their higher education systems and compete effectively in the global knowledge economy. It highlights the importance of HRD practices in attracting and retaining top talent, fostering research and innovation, and building strong partnerships with industry, all key elements of competitive education hubs.

DeWitte, P., & Lewis, M. (2012). This article examines the evolving landscape of leadership development in higher education, particularly in the context of globalization and

increased competition. It provides valuable insights into the need for leadership training programs that equip faculty and staff with the skills to navigate complex challenges and drive institutional success in a competitive environment.

Key HRD Practices:

1. Talent Acquisition and Recruitment: Competitive hubs prioritize attracting top talent through innovative recruitment strategies (e.g., online platforms, diverse candidate pools) and attractive compensation packages (World Bank, 2020). Research by Gupta et al. (2023) found that institutions offering flexible work arrangements and career development opportunities experienced higher faculty recruitment success.

2. Onboarding and Training: Effective onboarding programs help integrate new faculty and staff, promoting institutional engagement and cultural understanding (Hussain et al., 2022). Continuous training and development programs, focused on emerging technologies and pedagogical advancements, further empower faculty to deliver high-quality education (UNESCO, 2019).

3. Performance Management and Feedback: Transparent and well-defined performance management systems, complemented by regular feedback mechanisms, motivate faculty and staff, driving continuous improvement (Ahmed et al., 2021).

4. Work-Life Balance and Employee Wellbeing: Promoting healthy work-life balance through flexible work arrangements and employee wellbeing initiatives reduces stress, increases job satisfaction, and improves faculty and staff retention (World Bank, 2020).

5. Collaboration and Communication: Fostering an open and collaborative environment encourages knowledge sharing, interdisciplinary projects, and innovation (Altbach&Salmi, 2011). This can be achieved through interdepartmental initiatives, joint research projects, and dedicated communication channels.

6. Leadership Development: Investing in leadership development programs equips faculty and staff with the skills to manage teams, handle administrative tasks, and drive institutional change effectively (Gharbaran& Backhouse, 2016).

Impact of Effective HRD Practices:

1. Enhanced Student Experience: When faculty and staff are motivated and skilled, they deliver a more engaging and enriching learning experience for students (Ahmed et al., 2021). This translates to higher student satisfaction, graduation rates, and employability of graduates.

2. Improved Research and Innovation: Effective HRD practices, particularly those focused on faculty development and collaboration, contribute to a vibrant research culture and facilitate groundbreaking discoveries (UNESCO, 2019).

3. Stronger Industry Partnerships: Competitive education hubs attract industry partners by providing access to highly skilled talent and cutting-edge research initiatives (World Bank, 2020). This fosters mutually beneficial

collaborations and enhances institutional recognition.

4. Increased Global Competitiveness: By attracting and retaining top talent, implementing innovative HRD practices, and showcasing research excellence, competitive education hubs attract international students and researchers, boosting their global standing (Altbach&Salmi, 2011).

Role of HRD in Higher and Technical Education:

Faculty Development: An analysis of HRD practices related to faculty recruitment, training, and retention, and their impact on academic excellence and research output.

Curriculum Design and Industry Integration: Examining how HRD practices influence curriculum development, industry partnerships, and the alignment of education with the needs of the job market.

Student-Centric Approaches: Investigating the role of HRD in enhancing the overall student experience, including skill development, career counseling, and support services.

The Impact of Effective HRD Practices:

1. Enhanced student experience: When faculty and staff are motivated, engaged, and possess the necessary skills, they are better equipped to provide students with a high-quality and enriching learning experience.

2. Improved research and innovation: Effective HRD fosters a culture of research and innovation, leading to groundbreaking discoveries and contributions to various fields.

3. Stronger industry partnerships: Building a competitive education hub requires collaboration with industry stakeholders. Effective HRD helps institutions attract and retain industry partners by providing access to skilled talent and expertise.

4. Increased global competitiveness: By attracting and retaining top talent, education hubs can enhance their global reputation and attract talented students from across the world.

Challenges and Opportunities: Implementing effective HRD practices in the higher and technical education sector comes with its own set of challenges, such as budget constraints, resistance to change, and competition for talent. However, there are also exciting opportunities, such as the use of technology to streamline HR processes, the adoption of new talent acquisition strategies, and the increasing focus on employee wellbeing.

Conclusion: Building a competitive education hub requires a multi-pronged approach, with HRD practices playing a critical role. By investing in attracting, retaining, and developing a talented workforce, higher and technical education institutions can create an environment that fosters innovation, excellence, and global competitiveness. In the rapidly evolving world of education, embracing HRD is no longer a luxury, but a necessity for ensuring long-term

success and preparing graduates for the challenges and opportunities of tomorrow.

Embracing a strategic approach to HRD is no longer optional for higher and technical education institutions aiming to become competitive education hubs. By actively attracting, retaining, and developing talented faculty and staff, institutions can enhance student experience, foster innovation, and achieve global recognition. Future research could delve deeper into specific HRD initiatives, their impact on diverse institutional contexts, and the role of technology in shaping the future of HRD in education.

Further Research: This paper provides a high-level overview of the role of HRD practices in building a competitive education hub. Future research could focus on specific HRD initiatives in different contexts, such as the development of leadership programs for faculty, the impact of flexible work arrangements on faculty productivity, and the role of HRD in promoting inclusivity and diversity in higher and technical education institutions.

References:-

1. Ahmed, S., Hussain, K., & Mahmoodi, A. (2021). The impact of HR practices on faculty performance and job satisfaction in higher education institutions of Pakistan. *_Pakistan Journal of Social Sciences_*, 10(3), 929-943.
2. Altbach, P. G., & Salmi, J. (2011). The global university and its impact on academic research. *_Higher Education_*, 61(2), 151-163.
3. Gharbaran, S., & Backhouse, J. (2016). Leadership development programmes for academics: What are we trying to achieve, and how effective are they? *_Management Learning_*, 47(2), 20
4. Gupta, A., Singh, S., & Sharma, S. (2023). Impact of flexible work arrangements on faculty recruitment and retention in Indian universities. *_Journal of Higher Education Management_*, 38(1), 21-36.
5. Hussain, M. A., Hussain, S. S., & Shah, S. A. (2022). The role of effective onboarding programs in faculty engagement and retention in higher education institutions. *_International Journal of Educational Development_*, 62, 106-116.
6. UNESCO (2019). *_HRD for Education 2030: A strategy for action_*. UNESCO. This comprehensive document outlines a global strategy for HRD in education, emphasizing its critical role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
7. World Bank (2020). *_Building competitive higher education systems in developing countries_*. World Bank.
8. DeWitte, P., & Lewis, M. (2012). Learning to lead in a globalizing world: A review of leadership development in higher education. *_Journal of Studies in International Education_*, 16(2), 174-195.

Impact of Laws Associated with Solid Waste Management on Waste Disposal by Hospitals

Manmeet Kaur Chana*

*Research Scholar, Sage University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - The Indian government circulated certain rules and regulations for plastic waste management. Waste disposal could be harmful when it is not managed in a proper way. There was lot of waste disposal in the environment as people were using disposable plates, containers, gloves, masks etc. and were disposing them openly in the environment. Many people believe that plastic would get recycled when they are disposed in the environment. It is not necessary that plastic will be entering the recyclable process very easily. Plastic which is thrown by the various households or any medical centre, should be classified first and then segregated properly and accordingly sent for disposal. This study is based on primary data. A sample of 120 Hospital staff has been considered from Jabalpur district. The primary data has been analyzed with help of T-test and Regression. As a result of hypothesis testing, it is indicated that there is a significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals and significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals.

Keywords: Waste management practices, Regression, T-test, waste disposal.

Introduction

Plastic pollution : Plastic pollution can be referred to accumulation of plastic objects and particles on Earth's environment. Such an accumulation would adversely affect wildlife and human beings. Pollutant could have a negative impact on activities, health and even survival of population (Starr & McMillan). Pollutants get discarded in the air due to certain human action and natural event. Such substances get discharged into atmosphere naturally or through human actions Fellman J. D. et al (2013). The amount of plastic waste depends upon the reason for getting discarded into the air or even the size of particles being discharged. There was a lot of plastic waste disposal during the Covid period and later on also it continued. The Indian government circulated certain rules and regulations for plastic waste management. Waste disposal could be harmful when it is not managed in a proper way. There was lot of waste disposal in the environment as people were using disposable plates, containers, gloves, masks etc. and used to dispose them in the environment. There was a lot of medical waste disposed in the environment and people did not take care of the rules and regulations to be followed. Later when there were issues due to plastic waste mismanagement, people started segregating the plastic waste and this resulted in better management of pollution in the environment. Based on the size of plastic in the form of pollutant, it could be divided into various categories i.e. mega and micro debris plastic. As per Wikipedia, there is

presence of micro and mega plastic debris in Northern Hemisphere and there is concentration of it around current that carries debris.

Reduction of plastic use during COVID-19

- 1. Bring reusable bags:** Plastic bags which are meant for single use could take many years for degradation. The consumers should realize that they can carry their own bags to the grocery store and this could make a serious difference in use of plastic.
- 2. Minimize your takeout packaging:** During pandemic, cutlery which is of single use in nature was being used regularly and this resulted in plastic waste accumulation. Eco-friendly packaging could be used so as to reduce the amount of wastage in the environment.
- 3. Opt for reusable water bottles:** Many consumers in America are using plastic water bottles every year and a small portion out of them are being recycled. Such water bottles should be recycled in a proper way and companies should promote another way to reuse them so that they do not harm the environment.
- 4. Reduce single-use PPE:** PPE kit was being used by people in the medical centre or hospital regularly since it protected them from any kind of risk associated with Covid. PPE kit was used only once and it resulted in a lot of plastic waste which was disposed in the environment.
- 5. Shop sustainable brands:** When people are shopping, they should try to reduce any kind of environmental impact and buy some items which prefer

lower wastage. There is high carbon emission from fashion industry and this need to be controlled.

6. Reuse disposable bags: During pandemic, disposable bags were being used. Though the promotion of such bags was that it was meant for single use, though people could have bought and used it many times. Plastic waste could be managed when people make of plastic in a sensible manner.

Review of Literature

Sandipan (2016) have specified in the study that plastic pollution has become a major problem in many countries, this is not only a negative situation in our country. Government is making an attempt to resolve issues associated with plastic waste management.

Singh & Mathur (2019) mentioned that plastic is quite durable, cost effective and easy in manufacturing. Plastic waste gets accumulated in the oceans and this results in adverse effect in the marine life and the environment.

Obebe & Adamu (2020) explained that most plastic items are made up of organic polymers and it is a result of chemicals, hence usage of plastic should be avoided. Such chemical products could lead to ill-effect on health of the living beings.

Datta et al (2022) mentioned in the study that India is growing at a very fast pace. Expansion in our country has also resulted in more plastic usage. Marine life has been affected due to plastic waste mismanagement.

Nøklebye et al (2023) have mentioned that law promoted lesser use of plastic as it could harm the environment. This study focused on primary data collection. Plastic pollution could be controlled through the laws being formed related to plastic disposal.

Objectives of the study :

1. To analyze the change in the types of plastic based biomedical wastes origination
2. To evaluate the difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals
3. To estimate the impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals

Hypothesis of the study :

1. H_{01} - There is no significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals
 H_{11} - There is a significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals
2. H_{02} - There is no significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals
 H_{12} - There is a significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals

Research Methodology : The study is descriptive in nature as it aimed to analyze the impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals. This study is based on primary data. A sample

of 120 Hospital staff has been considered from Jabalpur district. The primary data has been analyzed with help of T-test and Regression. As a result of hypothesis testing, it is indicated that there is a significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals and significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals.

Data Analysis

Reliability analysis

Reliability test – Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha	N of Items
.854	30

Reliability in the collected data which is based on 5 point likert scale has been estimated through Cronbach's Alpha which is applied by SPSS 21. The value of Cronbach's Alpha is 0.854 and it is based on 30 constructs which are based on 5 point likert scale. The value of Cronbach's Alpha indicates that there is high consistency in the primary data collected on the basis of 30 constructs.

Socio-demographic characteristics of the participants

Area of Hospital Staff

Table 1 Area of Hospital Staff

S.	Area	No. of respondents	%
1	Urban	89	74.2
2	Sub-urban	24	20.0
3	Rural	7	5.8
	Total	120	100

This study included hospital staff belonging to different areas and among them highest number of staff members have been staying in the urban areas. The facilities in urban and rural areas are different as being provided by the Hospitals. Though Covid affected the plastic waste management in the hospitals and also such an impact resulted in a lot of waste in the hospitals. The situation in the hospitals in the urban areas was much better as compared to the hospitals in the rural areas.

Table 2 Type of Hospital respondents are working in

S.	Type of Hospital working in	No. of respondents	%
1	Government	52	43.3
2	Private	68	56.7
	Total	120	100

The staff members who have been a part of this study have been associated with Government hospitals as well as Private hospitals. The management of both the types of hospitals is different and it cannot be the same. The waste management in the Government Hospitals is different as compared to the Private Hospitals. There is lesser management in the Government Hospitals and it is important to understand the need of waste management.

Disposal of Covid waste by Hospitals

(1) Hazardous Waste

Table 3 Hazardous Waste

S.	Waste	VH	H	N	L	VL	Total
(A)	Hazardous Waste						
1	Infectious waste	63	34	18	2	3	120
2	Pathological waste	59	36	11	4	10	120
3	Sharps	51	45	17	5	2	120
4	Pharmaceutical waste	58	35	12	7	8	120
5	Genotoxic waste	37	39	28	4	12	120
6	Chemical waste	59	32	16	7	6	120
7	Radioactive Waste	25	51	34	2	8	120

There was generation of different type of wastes and some of them was hazardous. During the pandemic period, there was generation of various wastes like sharps, pharmaceutical waste, chemical waste etc. and it could have led to infection and even harm the human beings if these were not disposed in the right way. The hospital staff had to take proper care that such kind of waste is not just barely thrown rather they should have been wrapped and disposed so that it does not harm anyone. The waste generated in the hospitals was required to be segregated in a way so that it does not harm the living beings whether humans or animals.

(2) Non - Hazardous Waste

Table 4 Non - Hazardous Waste

(B)	Non-Hazardous Waste	VH	H	N	L	VL	Total
1	Paper and cardboard	29	63	12	7	9	120
2	Packaging	38	69	8	1	4	120
3	Food waste	57	35	17	9	2	120
4	Aerosols (spray)	52	29	18	9	12	120

Non-hazardous waste may not actually harm anyone but still they need to be disposed in the right way so that they do not occupy much space. The paper and cardboard can be recycled and this should be known to people so that they recycle them and do not just throw them in the environment. Food waste could also be given to an animal or could be recycled to help the trees and plants to grow. Packaging material should be of reusable nature. The non-hazardous material could be used till the time it is usable and is not carrying any kind of infection to some or the other person.

Table 5 Laws associated with Solid Waste Management

S.	Solid Waste management	SA	A	N	D	SD	Total
1	Segregation at source	57	32	21	6	4	120
2	Collection and disposal of sanitary waste	69	25	15	9	2	120
3	Collect back scheme for packaging waste	26	47	35	10	2	120
4	User fees for collection	19	27	57	7	10	120
5	Waste processing and treatment	42	26	28	17	7	120
6	Promoting use of compost	32	37	27	8	16	120
7	Promotion of waste to energy	25	21	54	12	8	120
8	Revision of parameters and existing standards	35	29	45	8	3	120

9	Management of waste in hilly areas	41	35	24	8	12	120
10	Constitution of a Central Monitoring Committee	39	24	18	15	24	120

Laws associated with solid waste management have helped in segregation of waste at the source. Sanitary waste is being collected and disposed in the right way. Packaging waste is being collected back so that it could be recycled. Waste is being processed and treated in the right way so that it does not harm any living being in the surrounding. Waste could be converted into energy and this is known to a few people, hence laws could make people more aware about it, and they can keep this in mind and later help in generating more energy. Waste management in the hilly areas become difficult as travelling to that point may not be easy and frequency would also be difficult to be maintained.

Testing of Hypothesis

1. H_{01} - There is no significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals

H_{11} - There is a significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals

The above hypothesis has been tested through t – test through SPSS 21. T-test has been applied as the hospital staff form two groups, first group represents those staff members who are working with Government Hospitals and the other group is the one where the staff members are working with Private Hospitals.

Table 6 (see in last page)

The staff members who have been a part of this study have been associated with Government hospitals as well as Private hospitals. The management of both the types of hospitals is different and it cannot be the same. Based on the above result of T-test, it indicates the significant value as 0.002 and it is less than 0.05 (at 5% significance level), hence the null hypothesis has been rejected and the alternate hypothesis has been accepted. The waste management in the Government Hospitals is different as compared to the Private Hospitals. There is lesser management in the Government Hospitals and it is important to understand the need of waste management.

2. H_{02} - There is no significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals

H_{12} - There is a significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals

Table 7 (see in last page)

The hypothesis has been tested through Regression which has been applied by SPSS 21. The significant value indicated in the above table is 0.014 and it is less than 0.05 (at 5% significance level), it indicates the null hypothesis has been accepted i.e. H_{02} - There is no significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals and the alternate hypothesis

has been rejected. Laws associated with solid waste management have helped in segregation of waste at the source. Sanitary waste is being collected and disposed in the right way. Packaging waste is being collected back so that it could be recycled. Waste is being processed and treated in the right way so that it does not harm any living being in the surrounding. Waste could be converted into energy and this is known to a few people, hence laws could make people aware about it, and they can keep this in mind and later help in generating more energy. Waste management in the hilly areas become difficult as travelling to that point may not be easy and frequency would also be difficult to be maintained.

Findings :

1. The government has issued guidelines about handling waste and it is important for the hospitals to follow the same.
2. The situation in the hospitals in the urban areas was much better as compared to the hospitals in the rural areas.
3. Those staff members who have been associated with the hospital since a long time are much more aware about waste management practices.
4. The hospital staff had to take proper care that such kind of waste is not just barely thrown rather they should have been wrapped and disposed so that it does not harm anyone.
5. The waste generated in the hospitals was required to be segregated in a way so that it does not harm the living beings, be it humans or animals.
6. The non-hazardous material could be used till the time it is usable and is not carrying any kind of infection to some or the other person.
7. Waste management in the hilly areas become difficult as travelling to that point may not be easy and frequency would also be difficult to be maintained.
8. There is a significant difference in the disposal of Covid waste in Government and Private Hospitals.
9. There is a significant impact of laws associated with Solid waste management on Covid waste disposal by Hospitals.

Conclusion : Covid-19 led to increase in the types of plastic based biomedical wastes origination and this has been expressed, based on various items as mentioned in table above. Majority respondents have indicated that biomedical wastes like syringes, surgical & face masks, disposal blades & scalpels, face shields etc. have increased with Covid and it is important to dispose them in the right way so that it does not lead to any kind of infection. The hospital staff have indicated a neutral response towards shoe covers as they may not be much aware about the use of shoe covers. There was an increase in the medical waste and the hospital staff need to be trained to manage the waste being generated by the hospitals. The hospital staff had to take proper care that such kind of waste is not just barely thrown

rather they should have been wrapped and disposed so that it does not harm anyone. The waste generated in the hospitals was required to be segregated in a way so that it does not harm the living beings whether humans or animals. Food waste could also be given to an animal or could be recycled to help the trees and plants to grow. Packaging material should be reused. The non-hazardous material could be used till the time it is usable and is not carrying any kind of infection to some or the other person. Laws associated with solid waste management have helped in segregation of waste at the source. Sanitary waste is being collected and disposed in the right way. Packaging waste is being collected back so that it could be recycled.

References:-

1. Datta S. et al (2022). Plastic Waste in India: overview, impact, and measures to mitigate: Review. *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*. 10 (3). 456 – 473
2. Dhasmana R. et al (2022). Plastic Waste Management in the times of Pandemic: A Review. *International Journal of Engineering Research & Technology*. 11 (2). 163 – 167
3. Fellman J. D. et al (2013). *Human Geography: Landscapes of Human Activities*, Twelfth Edition, McGraw-Hill Companies, New York, pp.431
4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/plastic_pollution
5. Nikam J. et al (2022). Analysis of the plastic waste value chain in India A scoping study. *Stockholm Environment Institute*. 1 – 40
6. Nøklebye E. et al (2023). Plastic bans in India – Addressing the socio-economic & environmental complexities. *Environmental Science & Policy*. 139. 219 – 227
7. Obebe S.B. & Adamu A.A. (2020). Plastic pollution: causes, effects and preventions. *International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology*. 4 (12). 85 – 95
8. Sandipan D. S. (2016). The Concept of Control and Manage Plastic Pollution of India/World. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*. 5 (6). 01 – 07
9. Singh K. D. P. & Mathur A. (2019). Plastic Pollution in India: An Evaluation of Public Awareness and Consumption Behaviour. *OIDA International Journal of Sustainable Development*. 12 (7). 25 – 40
10. Singh K. R. & Singh K. A. (2020). Combating Plastic Pollution. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*. 5 (10). 134 – 138
11. Sinha S. et al (2020). Pilot study for Plastic and biomedical Waste management during the Covid 19 pandemic in Delhi and Surat. *India-Norway cooperation project on Capacity building for reducing plastic and chemical pollution in India (INOPOL)*. 1 – 44
12. Starr, C. & McMillan, B. (2007). *Human Biology*, Seventh Edition, Thomson Brooks/Cole, Belmont, California, pp.464,466,481-482

Table 6 Independent Samples T-Test
Independent Samples T-Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
disposal_by_hospitals	Equal variances assumed	115.246	.000	14.544	118	0.002	1.517	.104	1.311	1.724
	Equal variances not assumed			14.063	57.000	0.002	1.517	.108	1.301	1.733

Table 7 Regression
Regression^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	94.667	1	94.667	872.731	.014 ^b
	Residual	12.800	118	.108		
	Total	107.467	119			

a. Dependent Variable: disposal_by_hospitals

b. Predictors: (Constant), application_of_laws

भारत के संविधान में बाल श्रम निरोध

डॉ. प्रवीण ओझा*

* प्राचार्य, बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत का संविधान स्वतंत्र भारत का एक अनुपम विस्तृत दस्तावेज है जिसमें नव स्वतंत्र भारत की लगभग प्रत्येक समस्या के समाधान की दिशा निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। उसी पर चलकर कालान्तर में विविध कानूनों का निर्माण किया गया। भारत के विशाल संविधान में अनुच्छेद-24 में बाल श्रम की समस्या का उपचार करने का भी सार्थक प्रयास किया गया है।

बाल श्रम से तात्पर्य उन समस्त कार्यकलापों से है जिनसे बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास अवरुद्ध होता है, जो इस दृष्टिकोण से अत्यंत हानिप्रद है, इनसे बच्चों की स्कूली शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता है जैसे यह उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करते हैं अथवा उनके शिक्षण की अवधि को सीमित कर उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिये विवश करते हैं। इसी का वीभत्स रूप बच्चों को उनके परिवार से दूर करना, उन्हें गुलाम बनाना एवं उन्हें जीवन एवं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रूप से खतरनाक दशाओं में कार्य करने के लिये विवश करना है। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय यह समस्या विकटतम स्वरूप में दृष्टिगोचर होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास उनके मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक आदर्श, सक्रिय एवं जागरूक नागरिक के निर्माण के लिये उसे स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन उपलब्ध करवाना वांछनीय है, साथ ही यह बच्चों की नैसर्गिक आवश्यकता भी है। बाल श्रम के दीर्घकाल में होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखकर इसके निरोध की दिशा में सार्थक प्रयास उस समय अत्यंत आवश्यक थे। यही कारण है कि भारत के दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बाल श्रम के निरोध हेतु उपयुक्त प्रावधान किये तथा संविधान के लचीलेपन ने उन प्रावधानों में समयानुसार परिवर्तन का रास्ता भी उपलब्ध करवाया।

भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकतर अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है यह भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम न करवाने की सुरक्षा की गारंटी देता है। यह संविधान के अनुच्छेद-23 एवं अनुच्छेद-24 में निहित है जिसके माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है। पराधीन भारत में शोषण अत्यंत व्यापक स्तर पर व्याप्त था। भारत के संविधान के अनुच्छेद-23 में मानव तस्करी एवं बलात् श्रम के निषेध संबंधी व्यवस्थाएँ व्यापक स्तर पर स्थापित की गई हैं वहीं अनुच्छेद-24 पूर्णतः बाल श्रम से संबंधित प्रावधान करता है, यह कारखानों बच्चों के रोजगार में पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार 'चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम

करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जायेगा।' यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखानों या खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। इसमें बाल श्रमिक की आयु सीमा 14 वर्ष मानी गयी है तथा यह बड़े ही व्यापक रूप से समस्त खतरनाक कार्य स्थलों पर बाल श्रमिकों की नियुक्ति एवं उपस्थिति को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। यद्यपि गैर खतरनाक कार्यों में बच्चों के रोजगार एवं नियुक्ति की अनुमति दी गयी है तथा इस अनुच्छेद में व्यापक स्तर पर खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों को बाल श्रम से बचाया जिससे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर कोई विपरीत नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

संविधान में बाल श्रम निरोध के प्रावधान करने मात्र से इस चिन्ताजनक समस्या का हल संभव नहीं था, वरन इसके परिपालन में कानून बनाने की भी आवश्यकता थी। स्वतंत्र भारत में कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित करने का कार्य **कारखाना अधिनियम 1948** में किया जिसने यह आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित की थी। कालान्तर में **1954** इसमें यह संशोधन किया गया कि 17 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से रात में काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद-24 के परिपालन में पारित दूसरा कानून खान अधिनियम, 1952 है जो खदानों में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। इस दिशा में अत्यधिक प्रभावी तीन अधिनियम **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 एवं बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 एवं 2017** है। 1979 में गुरुपाद स्वामी समिति, जो कि भारत की केन्द्र सरकार द्वारा गठित वैधानिक समिति थी, का मत था कि बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है। इसी समिति के निष्कर्षों के आधार पर **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986** पारित किया गया। 1986 का अधिनियम 13 व्यवसायों एवं 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करते हुये यह स्पष्ट करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी 14 वर्ष की उम्र का भी नहीं है, वह कहाँ कार्य कर सकता है और कहाँ उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसी सुधारात्मक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुये **2016 के संशोधन अधिनियम** में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जिससे ये बच्चे बाल श्रम की जटिलताओं से बच सके तथा कम से कम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। साथ ही बाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को खतरनाक व्यवसायों एवं

उपक्रमों में रोजगार देने को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। पारिवारिक व्यवसायों एवं कलाकारों के रूप में कार्य करने वालों को अवश्य इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया। इसके पश्चात भी इस क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तन वांछनीय थे अतएव **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017** द्वारा पारिवारिक व्यवसायों तथा कलाकारों के रूप में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी सुरक्षा प्रदान करने हेतु काम के घंटे एवं शर्तें भी तय किये गये। यह अधिनियम बाल एवं किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध, बचाव एवं पुनर्वास के लिये एक योजनाबद्ध विशिष्ट ढांचा भी तैयार करने का मार्गदर्शन करता है। कानूनों के निर्माण एवं परिपालन के साथ-साथ भारत सरकार अन्य प्रयासों एवं परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्यनशील बनी हुयी है। **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**, इण्डस परियोजना और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) का सफल क्रियान्वयन सरकार के सार्थक प्रयास हैं।

भारतीय संविधान की मंशा एवं भारत सरकार के बाल श्रम निरोध कानूनों के बाद भी आज भी यह समस्या देश में बनी हुयी है, जिसकी उपस्थिति समग्र विकास के 2030 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक प्रमुख बाधा है जिसे कानूनी प्रयासों के साथ जन चेतना, शिक्षा के विकास,

गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी रोकने जैसे उपयों से सीमित किया जा सकता है। यदि परिवार के बड़े सदस्य रोजगार पाकर परिवार का भरण पोषण सुचारु रूप से कर रहे हे तो बच्चों को रोजगार में लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जनकल्याणकारी योजनाएँ एवं नैतिक मूल्यों का विकास भी इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। परिवार नियंत्रण की ओर ध्यान देना भी अपेक्षित है। शिक्षा का व्यापक विस्तार एवं शैक्षणिक सुधार के माध्यम से वांछित परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। परन्तु मूल बात यह है कि संविधान के 24वे अनुच्छेद में यदि बाल श्रम की गंभीरता को आंकते हुए प्रावधान न किये होते तो आज परिदृश्य दूसरा ही होता, इस हेतु सम्पूर्ण भारतीय नागरिक भारत के संविधान को नमन करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अम्बेडकर, बी.आर. - भारत का संविधान।
2. राय, रामबहादुर - भारतीय संविधान, अनकही कहानी।
3. त्रिपाठी, विनायक - बाल श्रम और अपराध।
4. शिवहरे रोली, दुबे प्रशान्त - बाल श्रम।
5. जैन निशा, सेन डॉ. हरिशंकर - असंगठित क्षेत्र में बालश्रम।
6. अग्रवाल, डॉ. प्रमोद कुमार- भारत का संविधान।

वैश्वीकरण से स्थानीय संस्कृति में परिवर्तन (एक समाजशास्त्रीय अवलोकन)

डॉ. ज्योति सिंह*

*सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वैश्वीकरण जिसे अंग्रेजी में Globalization कहा जाता है एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों और समुदायों के बीच व्यापक आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बढ़ते हैं यह एक गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसने विश्व को एक संगठित और जड़ता भरा सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य प्रदान किया है। वैश्वीकरण से सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में बदलाव आता है और विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाओं के बीच समरसता को बढ़ावा मिलता है।

वैश्वीकरण का आधुनिक युग में महत्वपूर्ण स्थान है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की ओर प्रवृत्त हो रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय संस्कृति को बचाने की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

वैश्वीकरण का स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ जुड़ा होता है। स्थानीय संस्कृति को विभिन्न प्रगतिशील या बाह्य प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जो उसे समृद्धि और विकास की दिशा में बदलते हैं। वैश्वीकरण के दौरान नई तकनीकी और आर्थिक प्रणालियों के प्रवेश विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव और व्यापार में बदलाव होते हैं।

वैश्वीकरण ने समृद्धि की दिशा में अद्वितीय परिवर्तनों का सामना करने वाली स्थानीय संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव डाला है। परिवर्तन सिर्फ सामाजिक, आर्थिक विकास और संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में भी परिलक्षित हो रहा है।

वैश्वीकरण का स्थानीय संस्कृति पर प्रभाव:

खान-पान में परिवर्तन– वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो समृद्धि मॉडल के साथ एकीकृत होना, लेकिन इसके साथ ही यह भी एक समस्या बन जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों के खानपान में परिवर्तन होता है। विभिन्न विदेशी खाद्य सामग्रियों के आगमन से। स्थानीय खाद्य पदार्थों की अनुपस्थिति में, लोग बाहर से आने वाले खाद्य सामग्रियों का सेवन करने लगते हैं जो उनके पारंपरिक आहार से भिन्न होते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और स्थानीय खाद्य सामग्रियों की असमृद्धि हो सकती है।

विदेशी फास्ट फूड और प्रक्रियाजनित आहार की प्रवृत्ति का बढ़ना। यह तेजी से बढ़ती तेजी से जीवनशैली को बदल रहा है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहा है।

वैश्वीकरण के कारण बाजारों में विदेशी उत्पादों की प्रवृत्ति बढ़ रही है

और इससे स्थानीय उत्पादों की कमी हो रही है। यह आर्थिक संरचना में असंतुलन उत्पन्न करता है और स्थानीय उद्यमियों को प्रभावित करता है।

भाषा में परिवर्तन– वैश्वीकरण ने समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है। इस प्रक्रिया में, भाषा और बोली में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

वैश्वीकरण ने विभिन्न भाषाओं के आपसी परिचय को बढ़ाया है, जिससे लोग अन्य सांस्कृतिक मान्यताओं और धाराओं के साथ परिचित हो रहे हैं। इससे भाषा में समृद्धि हो रही है और विभिन्न समृद्धि वांछित बोलियां अब एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए अधिक सामर्थ्यपूर्ण हो रही हैं।

भाषा के परिवर्तन के साथ, सांस्कृतिक समृद्धि भी हो रही है। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और सहेजने के लिए अधिक उत्सुक हो रहे हैं और इससे सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है।

हालांकि, इस प्रक्रिया में चुनौतियों का सामना करना भी है। भाषा का समझाया-जाना, इसे सीखना और इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करना समय और प्रयास की मांग करता है। साथ ही, संभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक सामंजस्य में समझौते की आवश्यकता है।

वैश्वीकरण ने भाषा और सांस्कृतिक परिवर्तन में सकारात्मक परिणाम पैदा किए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में सावधानी और समाजिक सामंजस्य का पालन करना भी महत्वपूर्ण है।

कला के क्षेत्र में परिवर्तन– वैश्वीकरण ने संस्कृति, साहित्य, और कला के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कई परिवर्तन लाए हैं, जिनमें संगीत और नृत्य का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रक्रिया ने अनेक रूपों में लोकल और ग्लोबल सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समृद्धि को बढ़ावा दिया है।

संगीत और नृत्य क्षेत्र में वैश्वीकरण ने स्थानीय स्तर के कलाकारों को विश्व स्तर पर पहचान का मौका दिया है। अब लोग विभिन्न भागों से आए शैलियों, तालों, और रागों का आनंद लेने के लिए संगीत और नृत्य का आत्मसात कर रहे हैं। स्थानीय रंग, भूमि, और भाषा को बनाए रखते हुए भी, इसका संप्रेषण अब विश्व स्तर पर हो रहा है।

डिजिटल साधनों का प्रयोग और इंटरनेट की व्यापकता ने संगीत और नृत्य की पहुंच को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी स्थानीय परंपराओं को बचाए रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें विश्व स्तर पर साझा कर रहे हैं।

संगीत और नृत्य के क्षेत्र में इस वैश्वीकरण का प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह नए रूप, तरीके और आयामों का आधार बना रहा

है, जिससे स्थानीय संगीत और नृत्य में नई रूचियाँ और नए आवाजें उत्पन्न हो रहे हैं।

इस प्रक्रिया में, संगीत और नृत्य कला के प्रेमी स्थानीय और विश्व स्तर के कलाकारों के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे एक सांस्कृतिक आत्मता का निर्माण हो रहा है जो विश्व के सभी कोनों में महसूस हो रहा है।

वैश्वीकरण ने संस्कृति, साहित्य, और कला के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर कई परिवर्तन लाए हैं, जिनमें संगीत और नृत्य का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रक्रिया ने अनेक रूपों में लोकल और ग्लोबल सांस्कृतिक आदान-प्रदान में समृद्धि को बढ़ावा दिया है।

संगीत और नृत्य क्षेत्र में वैश्वीकरण ने स्थानीय स्तर के कलाकारों को विश्व स्तर पर पहचान का मौका दिया है। अब लोग विभिन्न भागों से आए शैलियों, तालों, और रागों का आनंद लेने के लिए संगीत और नृत्य का आत्मसात कर रहे हैं। स्थानीय रंग, भूमि, और भाषा को बनाए रखते हुए भी, इसका संप्रेषण अब विश्व स्तर पर हो रहा है।

डिजिटल साधनों का प्रयोग और इंटरनेट की व्यापकता ने संगीत और नृत्य की पहुंच को और बढ़ा दिया है। लोग अपनी स्थानीय परंपराओं को बचाए रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें विश्व स्तर पर साझा कर रहे हैं।

संगीत और नृत्य के क्षेत्र में इस वैश्वीकरण का प्रभाव स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह नए रूप, तरीके और आयामों का आधार बना रहा है, जिससे स्थानीय संगीत और नृत्य में नई रूचियाँ और नए आवाजें उत्पन्न हो रहे हैं।

इस प्रक्रिया में, संगीत और नृत्य कला के प्रेमी स्थानीय और विश्व स्तर के कलाकारों के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे एक सांस्कृतिक आत्मता का निर्माण हो रहा है जो विश्व के सभी कोनों में महसूस हो रहा है।

वैश्वीकरण में परिवर्तन- वैश्वीकरण ने समुद्र तटों से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक सभी क्षेत्रों में सीमाएं मिटा दी है। इसका सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों के पहनावे में भी महसूस हो रहा है। पहले, जहां स्थानीय वस्त्र स्वाभाविक थे, वहां अब विभिन्न देशों के परिवारों के रूप, रंग, और शैलियों का मिश्रण देखा जा रहा है।

यह परिवर्तन न केवल वस्त्रों की चयन में है, बल्कि उनके डिजाइन और पैटर्न में भी है। स्थानीय शिल्पकला और स्थानीय बुनाई की विशेषता समाहित रहती है, लेकिन अब विश्व स्तर पर इसमें परिवर्तन हो रहा है। इससे स्थानीय शैली और विदेशी प्रभाव का एक नया संगम उत्पन्न हो रहा है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, लोग अब ग्लोबल फैशन को अपना रहे हैं और यह उनके पहनावे में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। विभिन्न सांस्कृतिक परिचयों का मिश्रण एक सामंजस्यपूर्ण सृजनात्मकता को बढ़ा रहा है, जिससे नए और अनूठे डिजाइन उत्पन्न हो रहे हैं।

हालांकि, इस परिवर्तन के साथ ही स्थानीय वस्त्रदेह और रूचियों की भी समृद्धि हो रही है। लोग अपनी परंपरागत वस्त्रों को भी मानवता के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे एक सहज और स्वदेशी भावना का संबंध बना रहता है। अधिकतम समृद्धि का ख्याल रखते हुए, स्थानीय और वैश्वीकरण के मिश्रण में एक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि सांस्कृतिक विविधता का समर्थन किया जा सके।

वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों और समुदायों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक अदलाबदल की प्रक्रिया होती है। इस

प्रक्रिया का सीधा प्रभाव स्थानीय लोगों की भौतिक चीजों में होता है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। वैश्वीकरण से स्थानीय उत्पादों की अधिक मांग हो सकती है, जिससे स्थानीय उद्योगों को विकसित होने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, विभिन्न देशों के बीच व्यापार और व्यापार संबंधों में सुधार होने से नए बाजार खुलते हैं, जिससे स्थानीय उत्पादकों को विश्व बाजार में पहचान मिलती है।

हालांकि, इसके साथ ही वैश्वीकरण के प्रभाव का अन्य पहलुओं भी हैं, जैसे कि स्थानीय सांस्कृतिक और गुणवत्ता मामलों में परिवर्तन। विदेशी भाषा, वस्त्र, और आदतों का प्रवाह स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर सकता है, जिससे समृद्धि और विकास की बजाय संवेदनशीलता की कमी आ सकती है।

साथ ही, इस प्रक्रिया के तहत नए तकनीकी और विज्ञानिक अद्भुतियों के प्रवाह से स्थानीय लोगों को भी लाभ हो सकता है। यह उन्हें नई रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और उनकी जीवनस्तर में सुधार कर सकता है।

वैश्वीकरण से स्थानीय लोगों के भौतिक चीजों में आने वाले परिवर्तन समृद्धि और विकास की दिशा में हो सकते हैं, वैश्वीकरण का प्रभाव स्थानीय लोगों के प्रथाओं और परंपराओं पर सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक परिवर्तनों का कारण बनता है। इस प्रक्रिया ने दुनियाभर में लोगों को एक-दूसरे से जोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय परंपराएँ और संस्कृति में भी कई परिवर्तनों का सामना कर रही हैं।

पहले तो, वैश्वीकरण ने व्यापार और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े परिवर्तनों को उत्पन्न किया है, जिससे नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण हुआ है। यह लोगों को नए रोजगार के अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही स्थानीय उद्यमियों को भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इससे कुछ स्थानीय उद्यमियाँ समाप्त हो जाती हैं, जिससे समुद्र क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती है।

दूसरी ओर, सूचना तकनीकी प्रौद्योगिकियों की तेजी से बढ़ती है, जिससे लोग अब विभिन्न भागों में बैठकर सीधे संपर्क कर सकते हैं। इससे विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई सीमाएँ भी धीरे-धीरे गिरती जा रही हैं। लोग विदेशी सामग्री, फिल्में, और संगीत को स्वीकार कर रहे हैं, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक अंशों में भी परिवर्तन हो रहा है।

वैश्वीकरण के कारण सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन दिखा जा रहा है। लोग अब अन्य समुदायों और राष्ट्रों के साथ जुड़े हैं और इससे विभिन्न विचारों और धाराओं का संघटित मेल भी हो रहा है। इससे सामाजिक बॉन्ड्स मजबूत हो रहे हैं, लेकिन साथ ही स्थानीय समुदायों में भी विभिन्नता बढ़ रही है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वैश्वीकरण से लोगों की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन दिखा जा रहा है। कुछ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि कुछ को अपनी आर्थिक स्थिति में कमी हो रही है। आर्थिक असमानता में वृद्धि हो रही है और यह विभिन्न समाजों में आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती संख्या के साथ जुड़ा हुआ है।

विवाह में परिवर्तन- वैश्वीकरण के कारण समाज में बड़े परिवर्तन का सामना हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव विवाह पर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और व्यापार के सुधारों के कारण लोग अब अपने साथी को विश्वभर से चुन सकते हैं, जिससे स्थानीय विवाहों में बदलाव आया है।

वैश्वीकरण के एक पहलू में, लोगों के सामाजिक आधारों और स्थानीय

परंपराओं को छोड़कर विवाह की प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता हुई है। अब वे अपने जीवनसाथी को अन्य भूमियों से चुन सकते हैं, जिससे सामाजिक मिश्रण बढ़ा है। इससे समृद्धि और विकास का संकेत हो रहा है, क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बीच विविधता बढ़ी है।

साथ ही, डिजिटल संचार के कारण लोग आसानी से अपने साथी से जुड़े रह सकते हैं, जिससे सम्बंधों का आधुनिकीकरण हुआ है। वीडियो कॉल्स, चैट एप्लिकेशन्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से वे दूरस्थ स्थानों से भी संपर्क बनाए रख सकते हैं, जिससे सम्बंधों को मजबूती मिलती है।

निष्कर्ष— वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक परिवर्तन को स्थानीय स्तर पर गहरा प्रभावित किया है। यह प्रक्रिया लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं, विचार और तकनीकियों से मिलाती है, जिससे समृद्धि और साझेदारी का संवाद होता है।

वैश्वीकरण के कारण, लोग अन्य सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित हो रहे हैं, जिससे वे विभिन्न संदर्भों में अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। यह एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को समृद्धि से भर देता है।

स्थानीय स्तर पर, वैश्वीकरण ने लोगों को नए विचार और रूपरेखा के साथ मिला रहा है, जिससे स्थानीय सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। यह नए आदान-प्रदान, भाषा और कल्चर के साथ मिलकर सांस्कृतिक मेलजोल में वृद्धि कर रहा है।

सांस्कृतिक आपसी भिन्नता के बावजूद, वैश्वीकरण ने विभिन्न

सांस्कृतियों को एक समान स्तर पर साझा करने का अवसर दिया है, जिससे समझदारी और समरसता बढ़ रही है। लोग अब विभिन्न समाजों और सांस्कृतिक परंपराओं को समर्थन करने का एक नया दृष्टिकोण बना रहे हैं।

इसके साथ ही, स्थानीय संस्कृति को बचाने का प्रयास भी हो रहा है, ताकि वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ नकारात्मक ना होकर, स्थानीय सांस्कृतिक धाराओं को समृद्धि से भरे।

कुल मिलाकर, वैश्वीकरण ने स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है, जिससे लोग नए दृष्टिकोण और समृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हैं।

अंत में, इस प्रकार के वैश्वीकरण के प्रभावों को संतुलित रूप से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है ताकि समृद्धि के साथ ही स्थानीय समृद्धि को भी बनाए रखा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. <https://en-m-wikipedia->
2. [https://www-britannica-com.](https://www-britannica-com)
3. <http://www-socialresearchfoundation-com>
4. <https://mgcub-ac-in>
5. <https://translate-google-com>
6. <https://triumphias-com>
7. <https://www-iasbook-com>
8. <https://translate-google-com>

संगठनात्मक व्यवहार अवधारणा

भूपेन्द्र कुमार नायक*

* शोधार्थी, स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच व विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा निश्चित एवं स्थिर नहीं है अपितु यह व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहार पर आधारित है जो कि स्थान, समय एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन-सा व्यक्ति एवं समूह किस स्थान पर, किस समय एवं किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा-यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। साथ ही स्थान, समय एवं परिस्थितियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिये भारत में स्थित विभिन्न व्यवसायिक उपक्रमों में कार्य करने को परिस्थितियाँ समान न होकर भिन्न-भिन्न हैं। यही नहीं, भारत के व्यावसायिक उपक्रमों में कर्मचारियों के कार्य करने की परिस्थितियाँ अमरीका के व्यावसायिक उपक्रमों में कार्य करने की परिस्थितियों की तुलना में सर्वथा भिन्न हैं जिसके कारण दोनों स्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों करने वाले कर्मचारियों एवं उनके समूहों के व्यवहार करने के ढंगों में सर्वथा भिन्नताएँ हैं। जहाँ एक ओर भारत में स्थित अधिकांश कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम एवं आधारभूत सुविधाएँ तक पाने के लिए भी प्रबन्धकों से संघर्ष करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर, पश्चिमी देशों में स्थित कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को इस प्रकार सुविधाएँ तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं अपितु उन्हें अपनी अन्य प्रकार की सुविधाओं (जैसे – प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति, अधिक बोनस, अभिप्रेरण आदि) के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यही नहीं, संगठन के प्रारूपों में भी भिन्नताएँ पायी जाती हैं जिसके कारण संगठनात्मक व्यवहारों में भी भिन्नताएँ पायी जाती हैं। यहाँ तक के प्रबन्धात्मक रूपी नेतृत्व की शैलियों में भी विभिन्नताओं के कारण हमें विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक व्यवहारों का अनुभव होता है। यही कारण है कि अब तक संगठनात्मक व्यवहार की अनेक अवधारणाएँ विकसित हो चुकी हैं। इन विभिन्न अवधारणाओं पर विचार करने से पूर्व एक लघु कथा का यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक न होगा। कथानक के अनुसार पाँच अन्धे व्यक्तियों ने एक हाथी को पकड़ लिया और जिसके हाथ में हाथी को जो अंग आया, वह उसी रूप में हाथी की अवधारणा करने लगा। हाथी का पैर पकड़ने वाले अंधे व्यक्ति ने उसे खंभा जैसा बताया, पूँछ पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सर्प की संज्ञा दी। सूँड़ पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे बिल्ली जैसा बताया, कान पकड़ने वाले व्यक्ति ने उसे सूँप जैसा बताया और पेट पकड़ने वाला व्यक्ति ने हाथी को मषाक जैसा बताया। इसी प्रकार संगठनात्मक व्यवहार को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, उसने उसी के अनुरूप संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा कर ली।

हमारी सम्मति में संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन करने से पूर्व 'अवधारणा' शब्द का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है।

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार, अवधारणा एक निराकार विचार है जिसे विभिन्न उदाहरणों या दृष्टान्तों से सामान्यीकृत किया गया है। वास्तव में, अवधारणा एक विचार मनःस्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर अंकित होती है।

संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणा के तीन अतिचर्चित आयाम हैं – संरचना, प्रक्रिया तथा मूल्य। संरचना से किसी तन्त्र के विभिन्न उपतन्त्रों के मध्य सम्बन्धों एवं भूमिकाओं के ताने-बाने का आभास मिलता है। प्रक्रिया किसी तन्त्र द्वारा निष्पादित गतिविधियों तथा उन गतिविधियों की क्रमबद्धता तथा चरणबद्धता को कहते हैं। मूलतः यह तन्त्र को विषय-सामग्री सुलभ कराती है। मूल्य तन्त्र के लक्ष्य होते हैं तथा वे दिशाएँ हैं जिनमें व्यवस्था को जाना जाता है तथा जैसे व्यवहार की कर्मचारियों से आशा की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न अवधारणाएँ होती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख संगठनात्मक व्यवहार की अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं-

(1) व्यक्तिगत व्यवहार अवधारणा – किसी भी संगठन की संरचना व्यक्तियों से होती है। संगठनात्मक तन्त्र में व्यक्ति उसका मूल आधार होता है। संगठन संरचना के प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान एवं जगह होती है। किसी भी व्यक्ति की संरचना में उसकी शारीरिक रचना, व्यक्तित्व तथा मूल भौतिक एवं मानसिक गुण महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ बातें तो उसे विरासत में मिलती हैं तथा कुछ उसके पर्यावरण के साथ सम्पर्क में आने पर विकसित होती हैं। इस सन्दर्भ में सम्प्रेषण प्रक्रिया दृष्टिकोण तन्त्र तथा अभिप्रेरणा प्रक्रिया अपनी भूमिका निभाती है। लोग अपने पर्यावरण की सूझबूझ प्राप्त करने हेतु विचारों, दृष्टिकोणों तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच परस्पर सम्पर्क उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है तथा सामाजिक दृष्टि में वांछनीय। अलग-अलग तरीके से लोग वस्तुस्थिति के बारे में सोचते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार में उनके सोचने के तरीके को अहम भूमिका रहती है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया अंशतः स्वनिर्मित तथा अंशतः अनेक सकारात्मक तथा नकारात्मक अभिप्रेरणों के माध्यम से बाह्य परिवेश से प्रभावित होती है। जहाँ तक लोगों के जिन मूल्यों का प्रश्न है, उनका निर्धारण लोगों के सांस्कृतिक उतार-चढ़ाव से जाना जा सकता है। जीवन मूल्य अपेक्षाकृत चिरस्थायी रहते हैं तथा लोगों के जीवन, कार्य तथा परिवेश के प्रति उनके नजरिये को अपने तरीके से ढालते हैं।

(2) समूह व्यवहार अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में समूह

भावना का प्रतिपादन श्री जान डब्ल्यू. न्यूस्ट्रोम, मारविन ई. शा, क्लोविस आर. शेपर्ड, चर्चमैन, रॉबिन्स आदि प्रबन्ध विद्वानों ने किया है। विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत संगठनों में विभिन्न प्रकार के समूह बन जाने हैं जो व्यक्ति तथा संगठनों के मध्य सम्पर्क सूत्र का काम करते हैं। इनका लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समूह के सदस्य सामान्यतः समूह द्वारा स्वीकृत भूमिकाओं का पोषण करते हैं तथा एक दूसरे से सम्बन्धों का जाल-सा बुन लेते हैं जो बदलते रहते हैं। समूहों के ये संरचनात्मक आयाम समूह प्रक्रियाओं-सम्प्रेषण प्रक्रिया, शंका समाधान प्रक्रिया, एकता तथा अनुशीलन प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रभावित किये बिना नहीं रहते। संगठनों के भीतर समूहों का उदय विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सदस्यों के लिए उचित जीवन मूल्यों के अनुरक्षण हेतु होता है। सामूहिक मूल्यों के उदाहरण के रूप में प्रजातान्त्रिक विचार-विमर्श समानता, सम्बद्धता तथा पारस्परिक समर्थन आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

(3) संगठनों में संगठनात्मक व्यवहार अवधारणा – व्यक्ति तथा समूह दोनों ही संगठन के भीतर काम करते हैं। एक संगठन को मात्र व्यक्तियों का संघ ही नहीं माना जाता और न ही वह अनेक समूहों का एक बड़ा समूह ही है। उसका अपना एक अलग अस्तित्व एवं सत्ता है। उसकी अपनी पृथक् संरचना, प्रक्रियाएँ एवं मूल्य हैं। उसमें विभिन्न गतिविधियों, अधिकार, सत्ता सम्बन्धों एवं सम्प्रेषण शृंखलाओं का जाल-सा बिछा रहता है। अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसे अनेक तकनीकों का सहारा लेना होता है। ये संगठन औपचारिक भी हो सकते हैं अनौपचारिक भी। कभी-कभी ये परस्पर विरोधी काम भी करते हैं। उनकी संरचना, प्रक्रिया एवं मूल्य ही अलग-अलग होते हैं। स्थायित्व, विकास, अस्तित्व तथा उपादेयता की दृष्टि से संगठनों के अपने निजी उद्देश्य होने हैं। ये सूचनाओं का प्रक्रियाकरण करके निर्णयन तथा अन्य दूसरी प्रक्रियाओं में काम लाते हैं, ताकि व्यक्तियों एवं समूहों के प्रयासों को परिणामों की ओर मोड़ा जा सके। संगठनात्मक दृष्टि से अन्य प्रक्रियाएँ हैं – नेतृत्व तथा अभिप्रेरण की प्रक्रिया, पुरस्कार तथा प्रतिबन्धों का प्रशासन, परिवर्तन तथा विवादों का प्रबंध बाह्य परिवेश में परिवर्तनों का अनुशीलन तथा समायोजन आदि। संगठन अपने मूल्यों एवं तौर-तरीकों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके संतुलन एवं दर्शन की छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के लिये, व्यावसायिक संगठन अभिप्राप्ति, विकास, गतिशीलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल्यों को साथ-साथ निभाने का प्रयास करते हैं।

(4) संगठनात्मक लक्ष्य-आधारित अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार एक व्यावहारिक विज्ञान है जोकि संगठन के मानवीय पहलू पर बल देने के कारण संगठनात्मक लक्ष्य पर आधारित है। यद्यपि किसी भी संगठन के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं और कभी-कभी व्यक्तियों के उद्देश्यों से उनका टकराव भी हो सकता है किन्तु फिर भी वे संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ही बल देते हैं। इसके लिए विभिन्न संगठनात्मक व्यवहारों की आवश्यकता होती है, ताकि संगठनात्मक लक्ष्य यथाशीघ्र, न्यूनतम समय में, न्यूनतम प्रयत्नों एवं संसाधनों से प्राप्त किये जा सकें। कोई भी संगठनात्मक व्यवहार अपने निर्धारित लक्ष्यों से हटने की हिम्मत नहीं जुटा सकता।

(5) मानवीय एवं आशावादी अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार मानवीय दृष्टिकोण को अपनाता है। दूसरे शब्दों में, वह संगठन संरचना कार्यरत व्यक्तियों के विकास, निष्पादन एवं उनकी प्रगति में विश्वास करती है। कीथ डेविस के अनुसार, यह मानवीय लाभ के लिए मानवीय उपकरण है।

मानव के सम्बन्ध में इसकी यह मूलभूत मान्यता है कि प्रत्येक मानव में असीम क्षमताएँ होती हैं तथा वह सहयोगी, साहसी, उत्पादक एवं सृजनशील है। यदि उसे उचित अवसर प्रदान किया जाय तो वह अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं एवं योग्यताओं का संगठन के सर्वाधिक हित में उपयोग कर सकता है। समस्त संगठनात्मक व्यवहार ही इसी मानवीय एवं आशावादी चिन्तन पर केन्द्रित है।

(6) पर्यावरणात्मक अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार एवं पर्यावरण इन दोनों में परस्पर गहन सम्बन्ध है। संगठन का आन्तरिक तथा बाहरी पर्यावरण ही संगठन में कार्यरत व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार को निर्धारित करता है। संगठन का आन्तरिक तथा बाहरी पर्यावरण जितना अधिक स्वस्थ होगा, संगठन में कार्यरत व्यक्तियों तथा समूहों का संगठनात्मक व्यवहार भी उतना ही अधिक स्वस्थ होगा। यही कारण है कि प्रत्येक संगठन संरचना में कार्य के स्वस्थ पर्यावरण की स्थापना पर सर्वोच्च प्राथमिकता हो जाती है। ऐसा करने से क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित होता है तथा कार्यरत व्यक्तियों एवं समूहों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।

(7) अन्तर्विषयक अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार मूलभूत रूप में अन्तर्विषयक अवधारणा है जो कि विभिन्न विषयों से लिये गये ज्ञान में तालमेल बैठाता है। संगठनात्मक व्यवहार में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि विभिन्न विषयों के ज्ञान का उपयोग होता है। यही नहीं, यह अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानून तथा इतिहास से भी सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करता है। संगठनात्मक व्यवहार इन विषयों के तर्कसंगत विचारों, अवधारणाओं एवं तकनीकों का एकत्रीकरण करके मानवीय व्यवहार को समझने एवं विश्लेषण करने पर बल देता है।

(8) व्यावहारिक विज्ञान अवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार का प्राथमिक उद्देश्य संगठनात्मक समस्याओं विशेषकर मानवीय पहलू से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान में किये गये अनुसंधानों का उपयोग करना है। इस क्षेत्र में किये जाने वाले विभिन्न अनुसंधानों, अध्ययनों तथा अवधारणात्मक विकासों के कारण संगठनात्मक व्यवहार का वैज्ञानिक आचार दिनों-दिन मजबूत होता जा रहा है। कर्मचारी, व्यक्तित्व, अभिवृत्तियों, अवबोध, मूल्य, प्रेरणा, सन्तुष्टि तथा मानवीय व्यवहार के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में निरन्तर व्यापक अनुसंधान किये जा रहे हैं। कुछ लोगों की यह धारणा है कि संगठनात्मक व्यवहार शुद्ध विज्ञान पर आधारित है किन्तु वास्तविकता यह है कि यह उनकी मात्र मिथ्या धारणा है। वस्तुस्थिति यह है कि संगठनात्मक व्यवहार पूर्णतः व्यावसायिक विज्ञान पर आधारित है जो कि परिवर्तनशील है। मानवीय व्यवहार भी परिवर्तनशील है, जबकि शुद्ध विज्ञान परिवर्तनशील नहीं है अपितु स्थिर प्रकृति का है।

(9) प्रणालीकृत आवधारणा – संगठनात्मक व्यवहार प्रणालीकृत अवधारणा है क्योंकि यह संगठन में उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रणालियों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक घटक पर विचार करता है। प्रणालीकृत अवधारणा एक समाकलन अवधारणा है जो कि संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी चरों पर विचार करती है। यह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटकों के सन्दर्भ में संगठनात्मक व्यवहार का विश्लेषण करती है। वास्तविकता यह है कि संगठन में प्रणालीकृत अवधारणा का विकास व्यवहारवादी वैज्ञानिकों के कारण हुआ है। व्यवहारवादी वैज्ञानिक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार का तर्कपूर्ण विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं गहन अध्ययन करके उसके कारण परिणामों एवं

भावी प्रभावों के समझने पर बल देते हैं।

(10) अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार अवधारणा – दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा विभिन्न समूहों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यवहार को अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार कहते हैं। यह व्यवहार समूह गातिशीलता, अन्तर्समूह संघर्ष, मनमुटाव, खींचातानी, नेतृत्व की शैली, सम्प्रेषण, व्यवहारात्मक विश्लेषण आदि के रूप में प्रकट होता है। यह अवधारणा अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार में उत्पन्न देने वाले दोषों का उन्मूलन करने एवं उसे अधिक स्वस्थ एवं व्यावहारिक बनाने पर बल देती है।

उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि संगठनात्मक व्यवहार विभिन्न अवधारणाओं का मिश्रण है। यह सभी अवधारणाएँ संगठनात्मक व्यवहार को अधिकाधिक व्यावहारिक, क्रियाशील एवं प्रभावी बनाने पर बल देती है।

संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषाएँ – संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ व्यवहार वह है जो कि एक व्यक्ति करता है। अत्यन्त संक्षिप्त रूप में इसका आशय मानव की अवलोकनयोग्य एवं मापनयोग्य क्रियाओं से है। मानव विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, यह प्राचीन काल से ही एक विचारणीय प्रश्न रहा है। अतएव मानवीय व्यवहार को समझना उन प्रबन्धकों के लिए, जो कि व्यक्तियों का प्रभावी ढंग से प्रबन्ध करते हैं, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बन गया है। संगठनात्मक व्यवहार के अन्तर्गत कार्य पर कार्यरत व्यक्तियों अथवा समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार से आशय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप में समझने, पूर्वानुमान लगाने तथा नियन्त्रण करने से है। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप में व्यवहार करता है, वही व्यक्ति जब संगठन में व्यवहार करता है, इन दोनों व्यवहारों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार के अधीन व्यक्तियों के अथवा समूहों के संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक प्रबन्धक के लिए जो कि व्यक्तियों का प्रबन्ध करते हैं, इस बात का जानना परम आवश्यक है कि वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके ऐसा व्यवहार करने के क्या कारण हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे किस प्रकार से नियन्त्रित किया जा सकता है। संक्षेप में, संगठनात्मक व्यवहार इस बात से सम्बन्धित है कि एक संगठन में कार्यरत लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इसका संगठन के निष्पादन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है एवं उसे कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है।

संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषाएँ – मानवीय व्यवहार स्थिर न होकर गत्यात्मक है। इस कारण संगठनात्मक व्यवहार के सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों ने संगठनात्मक व्यवहार की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गयी प्रमुख परिभाषाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

(1) फ्रेड सुचान्स के अनुसार, संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार समझ, पूर्वानुमान (भविष्य-कथन) एवं नियन्त्रण से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है।

(2) जान न्यूस्ट्राम एवं कीथ डेविस के अनुसार, संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में लोग एकाकी व्यक्ति एवं समूहों के रूप में कैसे कार्य करते हैं के सम्बन्ध में अध्ययन एवं ज्ञान की प्रयुक्ति है। यह ऐसे तरीकों को पहचान का प्रयास करता है जिसमें लोग अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

उपरोक्त तथा अन्य विद्वानों की गयी संगठनात्मक व्यवहार की

परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष रूप में इसकी उपयुक्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है– ‘संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों तथा संगठन के विभिन्न घटकों के व्यवहार–कि वे संगठनों में क्या और कैसे करते हैं तथा उनकी क्रियाओं को संगठनों के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है–का विधिवत् अध्ययन है, ताकि इस ज्ञान से संगठन को अधिक प्रभावी एवं उद्देश्य प्रेरक बनाया जा सके’।

(1) सामान्य प्रबन्ध का प्रमुख अंग – फ्रेड लुआन्स के अनुसार, संगठनात्मक व्यवहार सामान्य प्रबन्ध का एक प्रमुख अंग है, न कि सम्पूर्ण प्रबन्ध का। यह प्रबन्ध के संगठनात्मक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रहे कि संगठनात्मक व्यवहार का प्रबन्ध को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं हुआ है अपितु उसे अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी बनाने के लिए हुआ है।

(2) व्यवहार अध्ययन – संगठनात्मक व्यवहार एक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार का अध्ययन है कि वे आपस में समूहों में, संगठन में एवं प्रबन्ध के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यह उनके व्यवहार की समझ, विवेकपूर्ण विश्लेषण, पूर्वानुमान एवं नियन्त्रण करता है। यह व्यवहार के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करके उसके कारणों (क्या, क्यों एवं कैसे), परिणामों को समझने पर बल देता है। एवं भावी प्रभावों को समझने पर बल देता है।

(3) व्यावहारिक विज्ञान – संगठनात्मक व्यवहार एक विशुद्ध विज्ञान न होकर व्यावहारिक विज्ञान है। इसके क्षेत्र में समय-समय पर किये जाने वाले अनुसंधानों, अध्ययनों एवं अवधारणात्मक विकासों से इसका व्यावहारिक वैज्ञानिक आधार निरन्तर मजबूत होता जा रहा है। यह मानवीय व्यवहार में सम्बन्धित संगठनात्मक समस्याओं के समाधान में व्यावहारिक विज्ञान के उपयोग पर बल देता है।

(4) अध्ययन का पृथक् क्षेत्र – संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का एक पृथक् क्षेत्र है, न कि एक विधा जो कि एक पूर्ण ज्ञान है। इसके सिद्धान्तों, अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं का तो अभी विकास हो रहा है। इसकी सीमाएँ भी अभी स्पष्ट नहीं हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग-अलग सीमाओं का उल्लेख किया है।

(5) अन्तर्विषयक दृष्टिकोण – संगठनात्मक व्यवहार का अन्तर्विषयक दृष्टिकोण है। इसके अन्तर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र शास्त्र जैसे विषयों के ज्ञान का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त यह अन्य विषयों, जैसे– अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कानून तथा इतिहास आदि विषयों का भी सहारा लेता है। संगठनात्मक व्यवहार इन विषयों के तर्कसंगत विचारों, तकनीकों अवधारणाओं आदि का एकत्रीकरण करके मानवीय व्यवहार को समझने पर बल देता है।

(6) अध्ययन की विषय-वस्तु – संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन को प्रमुख विषय-वस्तु हैं– (i) व्यक्ति, (ii) व्यक्तियों का समूह, (iii) संगठन संरचना, (iv) पर्यावरण, (v) अन्तर्विषयक दृष्टिकोण तथा (vi) प्रौद्योगिकी।

(7) व्यक्ति व्यवहार एवं समूह व्यवहार दोनों – संगठनात्मक व्यवहार की की आधारशिला व्यवहारवादी है। यह व्यक्तिगत व्यवहार तथा समूह व्यवहार दोनों के अध्ययन पर बल देता है। मानव किसी भी संगठन का आधारभूत संसाधन होता है अतएव उसका व्यवहार तथा समूह जिसके

अन्तर्गत वह कार्यरत है, दोनों का अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार के लिए नितान्त महत्वपूर्ण है।

(8) कर्मचारी आवश्यकताओं एवं संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति – किसी भी संगठन में एक ओर तो कर्मचारियों की आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए वे संगठन में कार्य करते हैं और दूसरी ओर, संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए संगठनात्मक संरचना की जाती है। दोनों का ही अपना-अपना महत्व है। संगठनात्मक व्यवहार इन दोनों उद्देश्यों के एकीकृत एवं उनके मध्य समन्वय की स्थापना करके दोनों को ही प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह विभिन्न व्यवहारवादी दृष्टिकोणों का सुझाव देता है।

(9) पर्यावरण से सम्बद्ध – संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आन्तरिक तथा बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होता है। दोनों का ही प्रभाव संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की क्रियाओं पर पड़ता है। संगठनात्मक व्यवहार संगठन के आन्तरिक तथा बाहरी पर्यावरण का अध्ययन करते हुए मानवीय व्यवहार को समझने पर बल देता है।

(10) मानवीय एवं आशावादी दृष्टिकोण – किसी भी संगठन में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी पहले मानव है, बाद में कार्यरत कर्मचारी। संगठनात्मक व्यवहार उन पर मानवीय दृष्टिकोण से अपना ध्यान केन्द्रित करता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि उनकी अपनी-अपनी आवश्यकताएँ, क्षमताएँ, योग्यताएँ, सोचने का ढंग, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व, अवबोध, अभिप्रेरण, साहस, उत्पादकता एवं सृजनशीलता होती है। उनकी प्रकृति आशावादी होती है। यदि उसे उचित अवसर दिया जाय तो वह इन सभी का उपयोग संगठन के हित में कर सकता है। संगठनात्मक व्यवहार इसी मानववादी एवं आशावादी चिन्तन पर केन्द्रित है।

(11) कला एवं विज्ञान दोनों – संगठनात्मक व्यवहार कला एवं विज्ञान दोनों है। संगठन में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यावहारिक विज्ञान का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि से यह विज्ञान है, न कि विशुद्ध विज्ञान। दूसरी ओर, संगठनात्मक व्यवहार एक कला भी है क्योंकि यह मानवीय व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों एवं ज्ञान का उपयोग के व्यवहार को समझने, पूर्वानुमान करने एवं नियन्त्रण करने में करता है।

(12) गत्यात्मक, न कि स्थिर – संगठनात्मक व्यवहार मानवीय व्यवहार आधारित है जो कि समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक व्यवहार में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन संगठनात्मक व्यवहार में झलकता है।

(13) व्यापक अध्ययन एवं क्षेत्र – संगठनात्मक व्यवहार व्यक्तियों, समूहों और यहाँ तक कि संगठनों का भी व्यापक अध्ययन है। यही नहीं, इसे सभी प्रकार के संगठनों, व्यवसाय, उद्योग, सरकार, शिक्षण, सेवा संगठनों (जैसे-अस्पताल, धार्मिक संस्थान), रक्षा संगठन आदि में लागू किया जाता है।

(14) विविध – उपरोक्त के अतिरिक्त इसकी अन्य विशेषताएँ हैं (i) रोजगार सम्बन्धी व्यवहार का अध्ययन, (ii) प्रणालीकृत दृष्टिकोण, (iii) आदर्शवादी एवं मूल्य-केन्द्रित, (iv) मानवीय सम्बन्ध (v) मानव संसाधन दृष्टिकोण है, (v) प्रबन्ध के सभी स्तरों पर विद्यमान आदि।

संगठनात्मक व्यवहार के प्रमुख तत्व अथवा प्रमुख निर्धारक – संगठनात्मक व्यवहार का मूलधार है कि एक दी गयी परिस्थिति के अन्तर्गत

लोग संगठन में क्या, क्यों एवं कैसे व्यवहार करते हैं। प्रत्येक उपक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठनात्मक संरचना की आवश्यकता होती है। उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठनात्मक संरचना में कई लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अकेला व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए समूहों की रचना की जाती है। व्यक्ति समूह सम्बन्धों से बंधे हुए होते हैं तथा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। व्यक्तियों अथवा समूहों को कार्य निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार के विभिन्न स्तम्भ होते हैं।

(1) व्यक्ति – व्यक्ति किसी भी संगठनात्मक संरचना के अभिन्न अंग होते हैं। इसके बिना तो संगठनात्मक संरचना की कल्पना तक नहीं की जा सकती। व्यक्ति जीवित, विचारशील एवं भावपूर्ण प्राणी है जो संगठन की संरचना करते हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति संगठनात्मक व्यवहार के प्रमुख तत्व है। प्रबंध के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या यह है कि वह व्यक्तियों के व्यवहार को अच्छी तरह से समझे ताकि उनको सबसे अच्छे ढंग से अभिप्रेरित किया जा सके जिससे वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी योग्यता एवं दक्षता का अभूतपूर्व योगदान दे सकें। इस दृष्टि से व्यक्ति संगठनात्मक व्यवहार का प्रमुख तत्व होता है।

(2) समूह – संगठनात्मक व्यवहार का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व समूह है। संगठनात्मक व्यवहार में समूह को प्रक्रियाओं का अवलोकन, निर्देशन एवं नियन्त्रण होता है। समूहों का निर्माण व्यक्तियों से होता है। समूह गतिशील होते हैं। यह बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। समूह प्रक्रियाएँ निर्देशन, सन्देशवाहन, सत्ता, शक्ति, नेतृत्व, निर्णयन आदि से संचालित होती हैं। समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

(3) संरचना – फ्रेड लुथान्स के अनुसार, संगठन संरचना से आशय संगठनात्मक व्यवहार के लिए बनाये गये ढाँचे से है। संरचना में व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य अधिकारों दायित्वों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण होता है। संरचना जितनी अधिक प्रभावी होगी, संगठनात्मक व्यवहारों को उतना अधिक क्रियाशील, समन्वित एवं नियन्त्रित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से संरचना संगठनात्मक व्यवहार का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है।

(4) प्रौद्योगिकी – आर्थिक विकास में औद्योगिकी को प्राथमिक घटक माना जाता है। प्रोफेसर जे. के. गेलोथ के अनुसार, 'प्रौद्योगिकी व्यावहारिक कृत्यों में वैज्ञानिक अथवा संगठनात्मक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाना है।' प्रौद्योगिकी व्यक्तियों एवं समूहों की क्रियाओं को प्रभावी बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह कार्यरत व्यक्ति एवं समूहों को संसाधन उपलब्ध कराती है। जितनी अधिक विकसित एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी होगी, समूहों को कार्य निष्पादन शक्ति उतनी ही अधिक, सही, मितव्ययी एवं प्रभावी होगी। जटिल से जटिल कार्य का निष्पादन बटन दबाते ही हो जायेगा। इससे संगठनात्मक व्यवहार में गति आती है और उसकी कुशलता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इस दृष्टि से प्रौद्योगिकी संगठनात्मक का चौथा महत्वपूर्ण तत्व हुआ।

(5) पर्यावरण – पर्यावरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी घटकों का मिश्रण है। यह आन्तरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार का होता है। समूहों को एक निश्चित पर्यावरण में कार्य करना होता है। वर्तमान प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संगठनात्मक संरचना का पर्यावरण जितना

अधिक स्वच्छ, स्पष्ट, स्वस्थ एवं प्रभावा होगा, उसमें कार्यरत व्यक्तियों की निष्पादन शक्ति उतनी ही अधिक कुशल एवं प्रभावी होगी। इस दृष्टि में पर्यावरण संगठनात्मक व्यवहार का पाँचवाँ महत्वपूर्ण तत्व हुआ।

संगठनात्मक व्यवहार की महत्ता – संगठनात्मक व्यवहार किसी संगठन में कार्यरत व्यक्ति एवं समूहों के अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार का अध्ययन है। वे कार्य निष्पादन के दौरान क्या, कैसे और क्यों अमुक प्रकार का व्यवहार करते हैं। फ्रेड लुथान्स के अनुसार, 'संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार को समझ, पूर्वानुमान (भविष्य कथन) एवं नियन्त्रण से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है।' यह प्रबन्ध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इसके बिना प्रबन्ध पूर्णतः निष्क्रिय है। संगठन में व्यक्ति एवं समूहों का व्यवहार विभिन्न घटती जैसे-कार्य सन्तुष्टि, व्यक्तिगत सन्तुष्टि, मानवीय सम्बन्ध, अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार, मनोबल, अभिप्रेरा अभिवृत्तियाँ, सत्ता, शक्ति, संघर्ष, तनाव, उत्साह, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध- अधीनस्थ सम्बन्ध आदि विभिन्न घटकों से प्रभावित होता है। अतएव संगठन में संगठन संरचना के प्रारूपों को समझना, उनमें कार्यरत व्यक्ति एवं समूहों के व्यवहार को समझना, अभिप्रेरित करना, विश्लेषण करना एवं नियंत्रण करना परम आवश्यक है। इसी कारण संगठनात्मक व्यवहार व्यवहार की महत्ता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। संगठनात्मक व्यवहार की महत्ता के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं :-

(1) मानवीय व्यवहार को समझने के लिए – व्यवहार स्थिर न होकर गत्यात्मक है। इसमें पल-पल में परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति ही आजार का निकटतम भिन्न है, उसी का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। संगठनात्मक व्यवहार मानवीय व्यवहार के विभिन्न स्तरों को समझने एवं उसके विश्लेषण करने का उपकरण है। यह प्रबन्धकों के लिए व्यक्तियों एवं उनके समूहों के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। इसके द्वारा अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार की जटिलता को समझा जा सकता है। इससे व्यक्ति की कार्य करने की मनस्थिति, रुझान, कार्य सन्तुष्टि, मनिक्रिया तत्परता कार्य निष्ठा, कार्य के प्रति दृष्टिकोण आदि को समझा जा सकता है। इसके ज्ञान से मानवीय सम्बन्धों में सुधार लाया जा सकता है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं अपितु उनमें योग्यताओं, क्षमताओं, कुशलताओं ज्ञान एवं चातुर्य आदि की विभिन्नताएँ होती हैं। संगठनात्मक व्यवहार उनके व्यवहार को समझकर उनका कुशलतम उपयोग करने में सक्षम है।

(2) मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए – संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह मानवीय प्रकृति का है। इसके अन्तर्गत मानवीय समस्याओं का समाधान मानवीय ढंग से किया जाता है। यह मानवीय समस्याओं का उसके कारणों एवं दुष्प्रभावों सहित अध्ययन करता है और उसी के अनुरूप उनके समाधान की खोज करता है तथा समाधान को प्रभावी ढंग से लागू करता है। ऐसा करने से प्रबन्धक संगठन में स्वस्थ मानवीय सम्बन्धों को स्थापना एवं उन्हें बनाये रखना है जिसके

परिणामस्वरूप संगठनों में शान्ति एवं सामंजस्य की स्थापना होती है।

(3) मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने के लिए – संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारण मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना एवं उसे अन्य लाभदायक विधि से लागू करना है, ताकि संगठन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस दृष्टि से संगठनात्मक व्यवहार का ज्ञान एक एम.बी.ए. के छात्र हेतु पूर्व आवश्यकता है जो कि निकट भविष्य में प्रबन्धक के रूप में भावी प्रबन्धकीय पद के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने जा रहा है।

संगठनात्मक व्यवहार के अन्तर्गत प्रबन्धक यह भी पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कौन-से कर्मचारी कार्य के प्रति समर्पित एवं उत्पादक प्रकृति के हैं तथा कौन-से कर्मचारी लापरवाह, अनुत्तरदायी, निष्क्रिय एवं कार्य में बाधा डालने वाले सिद्ध होंगे। इस प्रकार संगठनात्मक व्यवहार कर्मचारी के अवांछित व्यवहार को रोकने में सहायक होता है।

(4) मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए – संगठनात्मक व्यवहार एक प्रकार से मानवीय संसाधनों का संयोजन है। किसी भी संगठन की सफलता मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र में संगठनात्मक व्यवहार प्रबन्धकों की सहायता करता है। वह यह बताता है कि मानवीय संसाधनों का कैसे कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। यह कार्य वह कर्मचारियों एवं समूहों को उच्च उत्पादकता तथा श्रेष्ठ परिणामों के प्रति उत्तेजित अभिप्रेरित करके करता है।

(5) समूह गतिशीलता को समझने के लिए – कीम डेविस के अनुसार, समूह गतिशीलता एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति छोटे-छोटे समूहों में प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया सम्पन्न करते हैं। संगठनात्मक व्यवहार द्वारा इन छोटे-छोटे समूहों की अन्तर्क्रियाओं को भली-भाँति समझा जा सकता है।

(6) प्रभावी निष्पादन प्राप्त करने के लिए – एक प्रबन्धक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार से अपने अधीन व्यक्तियों एवं समूहों से अधिकतम एवं श्रेष्ठतम निष्पादन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भी संगठनात्मक व्यवहार उसको सहायता के लिए आता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Stephen Robbins and Timothy Judge: Essentials of Organizational Behavior, Pearson Publication.
2. Dr. Christopher P. Neck, Jeffery D. Houghton, and Emma L. Murray: Organizational Behavior: A Skill-Building Approach.
3. John Newstrom: Organizational Behavior: Human Behavior at Work.
4. Timothy Baldwin, Bill Bommer, and Robert Rubin: Managing Organizational Behavior: What Great Managers Know and Do.

Decadal Behaviour of Water Table in Jabalpur

Yagyesh Narayan Shrivastava*

*Soil & Water Engineering, College of Agricultural Engineering, Jawahar Lal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur (M.P.) INDIA

Introduction - Groundwater is the water present beneath Earth's surface in soil pore spaces and in the fractures of rock formations. A unit of rock or an unconsolidated deposit is called an aquifer when it can yield a usable quantity of water. Groundwater is continuously exchanging with other reservoirs in the hydrological cycle. Aquifers are recharged with water from rain and snow percolating through the aerated zone.

Conversely groundwater flows back into rivers and lakes or into wells and springs in a process known as discharge. The time water spends underground is called the residence time, which varies from a few days to 10,000 years or more. In future, the water table can move downward as a result of drought and this is happening in arid areas today. 54 Percent of India's Groundwater Wells Are Decreasing Groundwater levels are declining across India. Of the 4,000 wells captured in the IWT 2.0 showing statistically significant trends, 54 percent dropped over the past seven years, with 16 percent declining by more than 1 meter (3.2 feet) per year. Farmers in arid areas, or areas with irregular rainfall, depend heavily on groundwater for irrigation. The Indian government subsidizes the farmers' electric pumps and places no limits on the volumes of groundwater they extract, creating a widespread pattern of excessive water use and strained electrical grid. North western India again stands out as highly vulnerable. Of the 550 wells studied in the region, 58 percent have declining groundwater levels.

The study of groundwater is essential because of several reasons. Of the freshwater readily available for human use (approximately 1% of the liquid freshwater available on the earth), about 98% is groundwater and the remaining is surface water. Hence, groundwater serves as a major source of water supply to life (humans, animals and ecosystems) throughout the world. Because of its physical and chemical quality, groundwater provides a reliable source of water supply in both humid and arid/semi-arid regions of the world and during emergencies (e.g., droughts, earthquakes, etc.) as well as it sustains flow in rivers/streams and lakes during dry periods. Thus, groundwater is one of the most valuable natural resources

of the earth, which supports human health, human livelihoods, socio-economic development, and ecological diversity.

Besides the above-mentioned vital roles, groundwater also influences the design and construction of engineering facilities such as dams, open-pit mines, tunnels, deep foundations, and geologic storage of nuclear wastes or carbon sequestration. Groundwater is also important due to its geologic role by supporting various geological processes such as the formation of soils and their alternation, the development of landslides, rock falls, channel networks and karst landscapes, oil formation and valuable mineral deposits. Thus, groundwater plays a variety of roles on a global scale, which make this resource so vital for human beings. However, the water resource and engineering aspects of groundwater hydrology are the major focus of practice, though the groundwater hydrology field has a rich relationship with other earth sciences.



Study Area: The area which is taken for study is Jabalpur District of Madhya Pradesh. Details are given below Jabalpur district is located almost in the central part of Madhya Pradesh and it is having 15% tribal population to the total population of the district. The deposits of tale around Bheraghat near the Marble rocks on the Narmda river, about 13 miles west of Jabalpur are the best known. The district lies between the North latitude 22°49' and 23°07' North and meridian of longitude 79°21' and 80°35' East.

The district is bounded in the South east and east by Mandla & Dindori districts, in the south by Seoni and in the south West Narsingpur district and in the west by Damoh district. The district falls in survey of India Top sheet Nos. 55m, 64A- and 55 N on 1:250,000 scale & occupies an over of 5655 sq. km.

Jabalpur district lies at the Junction of the Vindhyan and Satpura range and forms part of the great central watershed of India. The Narmada and its tributaries, the Hiran, Gaur drain the district. Chotimahanadi drains a very small area in the east, which is tributary of Son river falling in the Ganga basin. The general slope of the Narmada valley is towards west & of Hiran towards south west. The drainage in the district is generally of dendrite type except in the valley of Narmada, along the right banks of Hiran below Katangi where it is of the straight trunk & trellis pattern. The total length of the Narmada river in the district is about 110 km. The total area under irrigation by various sources is 1100.42 sq. km & Net sown area is 2726.60 sq. km which is 40.35% of net sown area in the district. The area irrigated by canals was 78.54 sq. km (2.88% of total area sown), by tube wells 739.11 sq. km (27.10%), by open wells 281.88 sq. km (8.92%) and by ponds (0.04%). There are 8832 tube wells and 8010 dug wells in the district for irrigation.

The average annual rainfall of Jabalpur District is 1279.50mm. Jabalpur received maximum rainfall received during south west monsoon period i.e. June to September. About 90% of the annual rainfall received during monsoon season. Only 10% of the annual rainfall takes place between October to May period. Thus surplus water for ground water recharge is available only during the south west monsoon period.

The normal maximum temperature received during the month of December is 90°C. The normal annual means maximum and minimum temperature of Jabalpur District is 32.10°C & 18.30°C respectively.

During the south west monsoon season the relative humidity generally exceeds 87% (August month). In the rest of the year is drier. The driest part of the year is the summer season. When relative humidity's are less 27%. May is the driest month of the year. The wind velocity is higher during the pre-monsoon period as compared to post monsoon period. The maximum wind velocity 8.6 km/hr observed during the month of annual wind velocity of Jabalpur district is 5.3 km/hr.

Jabalpur district can broadly be divided into three physiographic units.

1. The Vindhyan Tract.
2. The South eastern plateaus of the Satpura
3. The Bhitright Range & the associated hill area.

Methodology: Present study is based on the water level observation in Permanent Observation wells (POWs) of Jabalpur districts. The water level in 100 selected POWs have taken every year in fore season i.e. i) pre monsoon, ii) mid monsoon, iii) post monsoon, iv) irrigation period.

For the district under study this information is collected from the Assistant Geohydrologist of the concern district for the past decade that is 2012 to 2022

This water level of all the wells for each block of the district are arranged chronologically. Average value of water level for each year is computed.

Water table behaviors Jabalpur district: In Jabalpur district there are 100 wells marked as POWs. These wells are grouped block wise i.e. all the wells situated in a particular block they are grouped and analyzed. Block wise description and analysis of water level in the wells is given below

Bargi block- There are 16 wells in the Bargi block. These wells are grouped along with pre monsoon water level in the block for the period.

1. Minimum Average depth is found as 5.33 m and Maximum Average Depth is found as 7.40m, during the entire period.
2. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.

Fig. 1 (see in last page)

1. Fig1 present the pre monsoon water table in Bargi block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is rising water table over the period.

Kundam block- There are 15 wells in the Kundam block. These wells along with pre monsoon water level in the block for the period.

1. Minimum Average depth is found as 4.75m and Maximum Average Depth is found as 7.25m, during the entire period.
2. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors

Fig. 2: Decadal trend of pre monsoon water table in Kundam block

Fig 2 (see in last page)

1. Fig 2 present the pre monsoon water table in Kundam block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is decreasing water table over the period

Majholi block- There are 13 wells in the Majholi block.along with pre monsoon water level in the block for the period

1. depicts the pre monsoon water level in different POWs of Majholi block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 9.58m and Maximum Average Depth is found as 12.37m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.
4. Many dry wells shows that there is a scarcity of water.

Fig 3 (see in last page)

1. Fig. 3 present the pre monsoon water table in Majholi block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is constant water table over the period

Panagar block- There are 15 wells in the Panagar block. along with pre monsoon water level in the block for the period.

1. depicts the pre monsoon water level in different POWs of Panagar block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 6.52m and Maximum Average Depth is found as 8.85 m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.
4. There are both dry wells and filled up we

Fig 4 (see in last page)

1. Fig. 4 present the pre monsoon water table in Panagar block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is increasing water table over the

Patan block- There are 14 wells in the Patan block. These wells are grouped and along with pre monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the pre monsoon water level in different POWs of Patan block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 6.00m and Maximum Average Depth is found as 8.76m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.
4. So many dry wells is observed.

Fig 5 (see in last page)

1. Fig. 5 present the pre monsoon water table in Patan block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is increasing water table over the period.

Shahpura block- There are 13 wells in the Shahpura block. along with pre monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the pre monsoon water level in different POWs of Shahpura block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 4.97m and Maximum Average Depth is found as 10.39 m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.

Fig 6 (see in last page)

1. Fig.6 present the pre monsoon water table in Shahpura block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is constant water table over the period.

Sihora block- There are 14 wells in the Sihora block. along with pre monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the pre monsoon water level in different POWs of Sihora block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 8.96m and Maximum Average Depth is found as 12.27 m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be

due to variations in rainfall or some other factors.

4. Many dry wells have observed and low water table has observed.

Fig 7 (see in last page)

1. Present the pre monsoon water table in Sihora block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is constant water table over the period.

Bargi block- There are 16 wells in the Bargi block. along with Post monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the Post monsoon water level in different POWs of Bargi block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 2.97m and Maximum Average Depth is found as 5.09m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.

Fig 8 (see in last page)

1. Fig.8 present the post monsoon water table in Bargi block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is decreasing water table over the period.

Kundam block- There are 15 wells in the Kundam block. These wells are grouped and presented in table 4.9 along with post monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the Post monsoon water level in different POWs of Kundam block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 2.00m and Maximum Average Depth is found as 5.77m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors.

Fig 9 (see in last page)

1. Fig. 9 present the post monsoon water table in Kundam block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is decreasing water table over the period.

Majholi block- There are 13 wells in the Majholi block. along with post monsoon water level in the block for the period

1. depicts the Post monsoon water level in different POWs of Majholi block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 4.43m and Maximum Average Depth is found as 8.27m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors
4. High variations have observed.

Fig 10 (see in last page)

1. Fig.10 present the post monsoon water table in Majholi block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is decreasing water table over the period.

Panagar block- There are 15 wells in the Panagar block. along with post monsoon water level in the block for the

period

1. depicts the Post monsoon water level in different POWs of Panagar block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 3.59m and Maximum Average Depth is found as 6.33m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factor

Fig 11 (see in last page)

1. Fig.11 present the post monsoon water table in Panagar block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is constant water table over the period.

Patan block- There are 14 wells in the Patan block. along with post monsoon water level in the block for the period

1. depicts the Post monsoon water level in different POWs of Patan block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 3.17m and Maximum Average Depth is found as 5.93m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors

Fig 12 (see in last page)

1. Fig.12 present the post monsoon water table in Bargi block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is increasing water table over the period.

Shahpura block- There are 13 wells in the Shahpura block. along with post monsoon water level in the block for the period

1. Depicts the Post monsoon water level in different POWs of Shahpura block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 3.09m and Maximum Average Depth is found as 4.99m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors

Fig 13 (see in last page)

1. present the post monsoon water table in Shahpura block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is constant water table over the period.

Sihora block- There are 14 wells in the Sihora block along with post monsoon water level in the block for the period

1. depicts the Post monsoon water level in different POWs of Sihora block for the last decade.
2. Minimum Average depth is found as 4.67m and Maximum Average Depth is found as 9.63m, during the entire period.
3. Varying water table situation in different years may be due to variations in rainfall or some other factors
4. High variations has occurred.

Fig. 14 (see in last page)

1. present the post monsoon water table in Sihora block for the period 2012 to 2022
2. It is clear from the trendline that there is decreasing water table over the period.

Water Table Fluctuation in Jabalpur District

Pre monsoon to post monsoon fluctuation for the same year and post monsoon to pre monsoon fluctuation for the year and next year. They are computed and presented in Tables.

Pre to Post monsoon (Recharge Period) water table Fluctuations in Jabalpur District (see in last page)

depicts the Pre to Post Monsoon fluctuation in water table in 7 Block of Jabalpur District.

Block	Fluctuation range	Average Fluctuation
Bargi	1.14 to 4.43	2.58
Kundam	0.04 to 3.4	2.50
Majholi	2.88 to 6.69	4.53
Panagar	1.55 to 4.64	3.60
Patan	1.22 to 4.02	2.77
Shahpura	0 to 6.12	2.74
Sihora	0.1 to 6.01	4.49

Note: All given data in the table are in Meter unit

Post to Pre monsoon (Utilization Period) water table Fluctuation in Jabalpur District. (see in last page)

depicts the Post to Pre monsoon fluctuation in water table in 7 Block of Jabalpur District.

Block	Fluctuation range	Average Fluctuation
Bargi	1.23 to 4.34	2.63
Kundam	0.94 to 3.87	2.69
Majholi	1.93 to 6.97	4.54
Panagar	0.45 to 4.44	3.12
Patan	0.59 to 4.13	2.71
Shahpura	0.1 to 7.19	2.61
Sihora	2.64 to 6.51	4.67

Conclusions:

1. In **Jabalpur district**, last decade (2012 to 2022) trend of **Pre monsoon** water table is observed that, water level is increasing in Bargi, Panagar, Patan & Shahpura block. Water level is decreasing at Kundam block. And constant water level trend is observed in Majholi and Sihora block.
2. In **Jabalpur district**, last decade (2012 to 2022) trend of **Post Monsoon** water table is observed that, water level is increasing in only Patan block. Water level is decreasing in Bargi, Kundam, Panagar & Sihora blocks. And constant water level trend is observed in Panagar and Shahpura block.
3. **Pre to Post monsoon** (recharge period) Fluctuation in water table in **Jabalpur** district is 3.31 meter (Avg.) observed in last decade.
4. **Post to Pre monsoon** (utilization period) Fluctuation in water table in **Jabalpur** district is 3.28 meter (Avg.) observed in last decade

Pre to Post monsoon (Recharge Period) water table Fluctuations in Jabalpur District

Year/block	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bargi	3.29	4.43	3.54	2.76	2.26	1.93	2.01	2.17	2.31	1.14
Kundam	3.83	3.37	2.96	2.16	1.55	2.16	3.32	3.4	2.29	0.04
Majholi	5.16	5.52	4.79	3.56	6.69	3.49	4.72	2.88	4.51	4.02
Panagar	4.11	4.05	3.52	3.98	4.64	1.55	4.09	4.37	3.36	2.41
Patan	3.86	4.02	2.98	2.47	2.57	1.22	3.57	2.46	2.83	1.73
Shahpura	2.2	3.01	2.04	1.82	1.69	6.12	3.33	5.31	0	1.92
Sihora	5.07	5.89	4.74	6.01	5.01	4.41	4.66	4.1	4.98	0.1

Post to Pre monsoon (Utilization Period) water table Fluctuation in Jabalpur District.

Year/block	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Bargi	3.34	4.12	4.34	3.22	1.84	2.84	2.38	1.23	1.94	1.55	2.23
Kundam	3.87	3.21	3.26	2.9	1.72	3.11	3.1	2.45	3.01	2.02	0.94
Majholi	4.84	5.14	5.57	4.9	4.95	6.97	4.1	1.93	3.28	4.39	3.9
Panagar	4.44	3.8	4.05	3.64	2.71	4.29	2.52	3.53	0.45	2.69	2.27
Patan	3.83	3.38	4.13	2.99	0.59	2.54	2.48	2.32	2.12	2.9	2.61
Shahpura	2.21	2.52	2.92	2.25	0.1	7.19	3.5	3.96	1.88	1.28	1
Sihora	5.08	4.71	5.83	6.51	5.51	4.81	3.27	3.19	6.01	3.84	2.64



Fig. 1: Decadal trend of pre monsoon water table in Bargi block

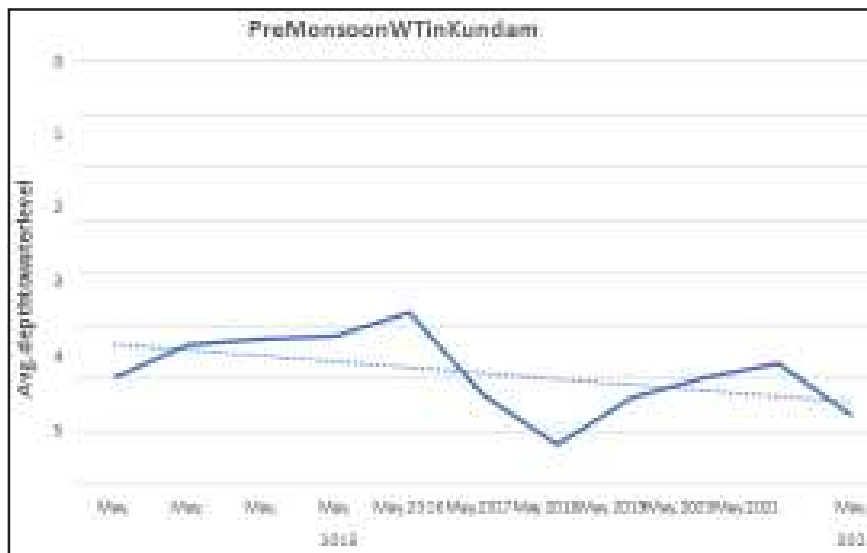


Fig. 2: Decadal trend of pre monsoon water table in Kundam block

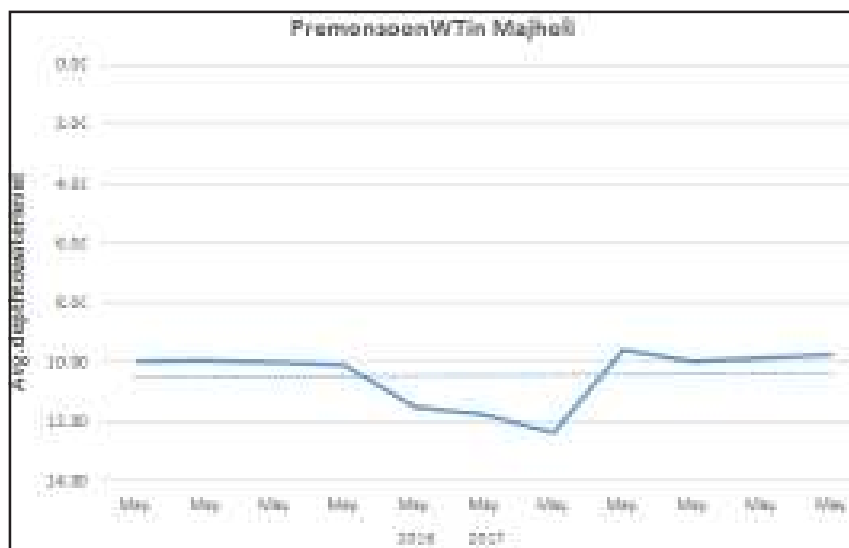


Fig 3: Decadal trend of pre monsoon water table in Majholi block

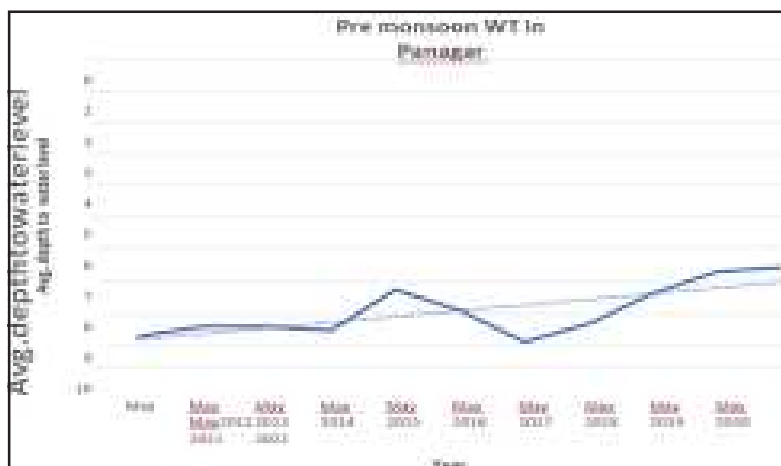


Fig 4: Decadal trend of pre monsoon water table in Panagar block



Fig 5: Decadal trend of pre monsoon water table in Patan block



Fig 6: Decadal trend of pre monsoon water table in Shahpura block



Fig7: Decadal trend of pre monsoon water table in Sihora block

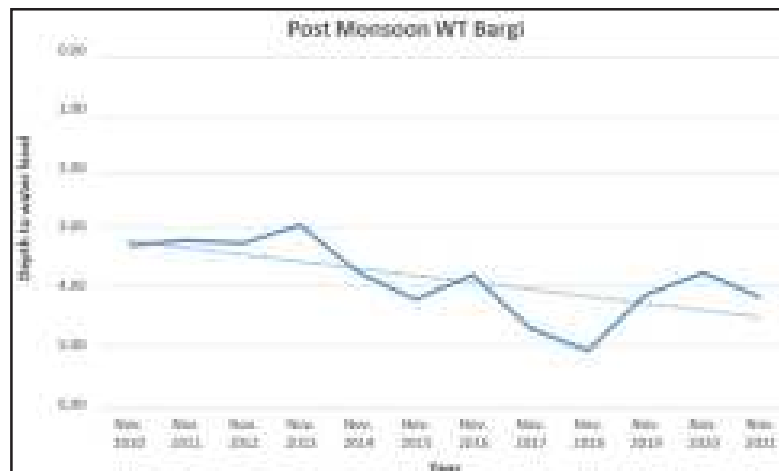


Fig 8: Decadal trend of post monsoon water table in Bargi block



Fig 9: Decadal trend of post monsoon water table in Kundam block

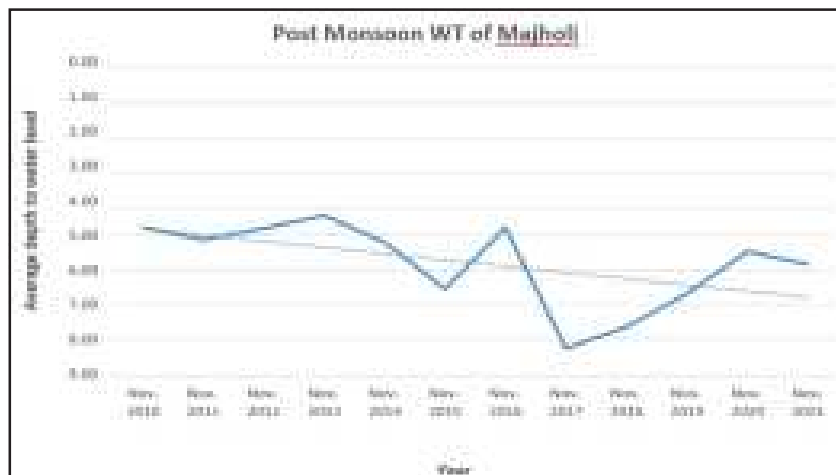


Fig 10: Decadal trend of post monsoon water table in Majholi block



Fig 11: Decadal trend of post monsoon water table in Panagar block

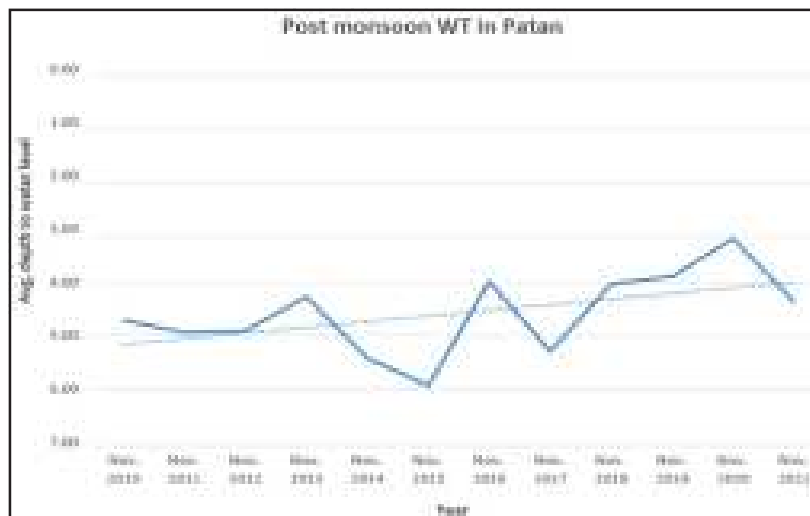


Fig 12: Decadal trend of post monsoon water table in Patan bloc



Fig 13: Decadal trend of post monsoon water table in Shahpura block



Fig. 14: Decadal trend of post monsoon water table in Sihora block

पांडेय बेचन शर्मा उग्र का हिंदी साहित्य की यथार्थवादी लेखन परंपरा में योगदान: समीक्षा

किशोर कुमार शर्मा * प्रो. अशोक कुमार गुप्ता**

* शोधार्थी (हिंदी) एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर एवं महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (राज.) भारत
** शोध निर्देशक (हिंदी) एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर एवं महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' का संबंध प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य की यथार्थवादी लेखन परंपरा से है। अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने न केवल प्रियप्रवास की शैली में 'ध्रुवचरित' नामक प्रबंध काव्य की रचना की, अपितु साहित्य की अन्य विधाओं, यथा- काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। आपके द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र जिसका शीर्षक था 'उग्र', के आधार पर कालांतर में आपके नाम के बाद 'उग्र' जोड़ा जाने लगा। आपका जीवन विशुद्ध साहित्यजीवी का था और वे आजीवन साहित्य साधना में लीन रहते हुए यथार्थवादी लेखनकार्य करते रहे। उनके जीवन की विषम परिस्थितियों ने उनको अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से स्वयं के अनुभवों, प्रत्यक्षीकरणों एवं अवलोकनों को स्थान देने हेतु प्रेरित कर उनको यथार्थवादी विचारधारा से जुड़ने और यथार्थवादी लेखन करने हेतु प्रोत्साहित किया।

प्रस्तुत शोधपत्र के अंतर्गत पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' के यथार्थवादी लेखन परंपरा को दिए गए योगदान को दर्शाया गया है।

शब्द कुंजी – साहित्य, यथार्थवादी, लेखन, परंपरा, अवलोकन, अनुभव।

प्रस्तावना – यथार्थवादी साहित्य का तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जिसमें यथार्थ का चित्रण किया जाता है, भले ही वह विद्रूपता या विषमताओं से युक्त हो। यथार्थवादी साहित्य के विपरीत आदर्शवादी साहित्य होता है, जिसमें समाज का आदर्श रूप रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठक कुछ प्रेरित हो सकें। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का तात्पर्य ऐसे साहित्य से है जिसमें एक ओर यथार्थ चित्रित किया जाता है, और साथ ही कथानायक या अन्य के माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि आदर्श आचरण या स्थिति क्या होनी चाहिये, अर्थात् हम कैसे यथार्थ में जीते हुए आदर्श की ओर उन्मुख हों, और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। विश्व के प्रत्येक साहित्य में यथार्थवादी लेखन देखने को मिलता है।

हिंदी साहित्य विशद साहित्य है। हिंदी साहित्य की अनेकों विधायें हैं, यथा- गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, समालोचना आदि। इसके अंतर्गत अनेकों परम्पराओं से जुड़कर साहित्यकारों ने लेखन किया है। हिंदी साहित्य की प्रत्येक लेखन परंपरा स्वयं में उल्लेखनीय है और विभिन्न रुचियों वाले पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है, परंतु यथार्थवादी लेखन परंपरा विशेषरूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इस परंपरा के अंतर्गत साहित्यकार अपने स्वयं के अनुभवों, अवलोकनों और प्रत्यक्षीकरणों आदि केन्द्र में रखकर यथार्थ को चित्रित करने वाली रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

यथार्थवादी लेखन का प्रमुख उद्देश्य समाज के यथार्थ को रचनाओं के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करना होता है। यथार्थवादी लेखन साहित्य समाज का दर्पण है जो को सार्थक सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए, मुंशी प्रेमचंद को यथार्थवादी लेखक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनके द्वारा सृजित साहित्य समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है।

पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' का संक्षिप्त परिचय – वर्ष 1900 में उत्तर प्रदेश

के मिर्जापुर जनपद के अंतर्गत चुनार नामक कसबे में उत्पन्न एवं वर्ष 1967 में दिल्ली में अंतिम सांस लेने वाले पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। बेचन शर्मा 'उग्र' हिन्दी के साहित्यकार एवं पत्रकार थे। उनके परिवार की अभावग्रस्तता और विषम परिस्थितियों के अंतर्गत जीविकोपार्जन हेतु उनके द्वारा किये गए विभिन्न प्रकार के कार्यों ने किशोरावस्था के प्रारम्भ से ही उनको जीवन के यथार्थ से परिचित करवाना प्रारंभ कर दिया था।

लाला भगवानदीन के सामीप्य ने इनको न केवल जीवन में आगे बढ़ने हेतु मार्ग प्रशस्त किया, अपितु उनको साहित्य के विभिन्न अंगों के गंभीर अध्ययन हेतु भी प्रेरित किया। असीम प्रतिभा और साहित्य साधना के धनी बेचन शर्मा बचपन से ही छोटी-छोटी कविताओं के माध्यम से काव्य रचना करने लगे थे। काव्य सृजन के क्षेत्र में उनकी प्रथम सफलता प्रियप्रवास की शैली में 'ध्रुवचरित' नामक प्रबंध काव्य की रचना थी जिसने बेचन को एक नई पहचान प्रदान की।

मौलिक साहित्य का सृजन उनके जीवन का मूल उद्देश्य था, अतः, उन्होंने काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ कृतियाँ प्रस्तुत कर ख्याति प्राप्त की। उनके यथार्थ प्रेम ने उनको विशेष रूप से पत्रकारिता से जोड़ा जहाँ उन्होंने निर्भीक पत्रकारिता करते हुए सच्चे पत्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया। पत्रकार के रूप में उन्होंने हमेशा पाठकों को समकालीन समाज की सच्चाई को परोसा। वे असत्य से कभी नहीं डरे एवं सत्य का सदैव स्वागत किया।

उन्होंने विभिन्न नामों के अंतर्गत अनेकों महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में अपने लेखों का प्रकाशन किया, जैसे- काशी के दैनिक 'आज' में 'उटपटॉग' शीर्षक के अंतर्गत 'अष्टावक्र' नाम से व्यंग्यात्मक लेख लिखे, 'भूत' नामक

हास्य-व्यंग्य-प्रधान पत्र निकाला, गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले 'स्वदेश' पत्र के 'दशहरा' अंक का संपादन किया था, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 'मतवाला' पत्र में काम किया, काशी से 'उग्र' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, इंदौर से निकलनेवाली 'वीणा' नामक मासिक पत्रिका में काम किया था, 'विक्रम' नामक मासिक पत्र निकाला, 'संग्राम', 'हिंदी पंच' आदि कई अन्य पत्रों का संपादन किया। उन्होंने सफल पत्रकार और विशुद्ध साहित्यकार का जीवन व्यतीत किया।

उनकी निम्नलिखित कृतियां उनकी साहित्य साधना और समर्पण और साथ ही उनके यथार्थवादी लेखन को प्रकट करती हैं-

आत्मकथा- अपनी खबर

नाटक

महात्मा ईसा, 1922

उजबक

चुंबन, 1937

डिवटेटर, 1937

गंगा का बेटा, 1940

आवास,

अन्नदाता माधव महाराज महान

एकांकी

अफजल वद्य

भाई मियां

चार बेचारे

उपन्यास

घंटा, 1924

चंद हसीनों के खतूत, 1927

दिल्ली का दलाल, 1927

बुधुआ की बेटी, 1928

शराबी, 1930

सरकार तुम्हारी आँखों में, 1931

जीजीजी, 1943

मनुष्यान्ध, 1955

कला का पुरस्कार, 1955

कढ़ी में कोयला, 1955

फागुन के दिन चार, 1960

कहानी संग्रह

चिनगारियाँ, 1923

शैतान मंडली, 1924

इन्द्रधनुष, 1927

बलात्कार, 1927

चॉकलेट, 1928

दोजख की आग, 1929

निर्लज्जा, 1929

सनकी अमीर

रेशमी

व्यक्तिगत

पंजाब की महारानी

उग्र का हास्य

निबंध

बुढ़ापा

गाली

काव्य

ध्रुवचरित, बहुत सी स्फुट कविताएँ।

आलोचना

तुलसीदास आदि अनेक आलोचनात्मक निबंध।

बेचन का साहित्य कोष उनकी साहित्य साधना का प्रतिफल है जो यह स्पष्ट करता है की वे एक ऐसे साहित्य साधक थे जो एक ओर जीवन भर जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सत्य की तलाश करते रहे, और सत्य और यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बहु-विधाई रचनाओं के माध्यम से पाठकों के सम्मुख परोसते रहे। उनके साहित्य में निम्न लिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है-

1. विभिन्न सामाजिक बुराईयां एवं उनका उपहास
2. 'अपनी कहानी' में अपने भाई-बहनों की शैशवावस्था में मृत्यु का वर्णन एवं उनकी माँ द्वारा उनको एक दलित को इस विश्वास के साथ बेच देना कि ऐसा करके उनको अकाल एवं असामयिक मृत्यु से बचाया जा सकता है। (अंधविश्वास)
3. 'चिंगारियां' के अंतर्गत भारत की समकालीन दुर्दशा का सहस्र के साथ वर्णन
4. 'आह्वान' के अंतर्गत स्वयं के उग्र स्वाभाव की झलक
5. सामाजिक बंधनों का वर्णन
6. समलैंगिकता विषय पर लघुकथाओं का लेखन
7. दलित समस्याएं
8. जजमानी प्रथा
9. गरीबी
10. बेरोजगारी
11. दलित शोषण
12. महिला उत्पीड़न
13. वैश्यावृत्ति

बेचन ने अपनी रचनाओं में समाज के उस वर्ग को अपने साहित्य का बिषय बनाया, जिसे 'दलित' या 'पतित' वर्ग कहते हैं और उसके दर्शाने में उन्होंने किसी प्रकार के शील या अभिजात का परिचय नहीं दिया। इन्होंने कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) के मारवाड़ी समाज को भी अपने साहित्य का विषय बनाया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. पांडेय बेचन शर्मा उग्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रस्तुत करना।
2. हिंदी साहित्य की विभिन्न लेखन परम्पराओं में यथार्थवादी लेखन परंपरा पर प्रकाश डालना।
3. यथार्थवादी लेखन परंपरा को पांडेय बेचन शर्मा द्वारा दिए गए योगदान की समीक्षा करना।

साहित्य पुनरावलोकन

1. पद्मावती तिवारी (1997) अपने शोध प्रबंध जिसका शीर्षक है 'हिंदी गद्य साहित्य के विकास में पांडेय बेचन शर्मा उग्र का योगदान' में उग्र के उपन्यासों और कहानियों को संबर्धित करते हुए उल्लेख करती हैं कि

‘यथार्थवादी उग्र ने समसामयिक स्तर पर सामायिक घटनाओं को नियोजित करके अपनी कृतियों के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाया है। उग्र शैली के समर्थक उग्र अपनी रचनाओं चाहे कहानियाँ हों या उपन्यास, नाटक हों या एकांकी में बेवाक होकर घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं।’¹

2. वनिता, आर. (2000) अपने शोध अध्ययन ‘द न्यू होमोफोबिया: उग्रश्च चॉकलेट’ के अंतर्गत लिखती हैं कि ‘पांडे बेचन शर्मा, जिन्हें उनके उपनाम ‘उग्र’ से अधिक जाना जाता है, एक राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और हिंदी लेखक और पत्रकार थे। उनके उपन्यास उपदेशात्मकता की ओर प्रवृत्त और सामाजिक संदेश से ओतप्रोत हैं। उनका लेखन राष्ट्रवाद, उत्पीड़ित महिलाओं और निचली जातियों के मुद्दों की वकालत करता है, और उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार, शराब, जुआ, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति और सांप्रदायिकता की आलोचना करता है। वह जीवन भर अविवाहित रहे, विवादों को भड़काने के लिए जाने जाते थे और उन्होंने बड़ी संख्या में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से अधिकांश थोड़े ही समय में बंद हो गई।’²

3. मीनाक्षी सिंह (2002) अपने शोध प्रबंध ‘पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नाट्य साहित्य’ के अंतर्गत लिखा है कि ‘उग्र अति यथार्थवादी और नग्न सत्य के आग्रही चैतन्य कलाकार हैं।’³ उग्र के बारे में यह कथन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि उन्होंने अपने नाटकों, कहानियों और उपन्यासों एवं व्यंग्यों में ऐसे अनेकों नग्न सत्यों को प्रस्तुत किया है जिनके बारे में खुलकर बात करने के बारे में प्रायः सोचा तक नहीं जाता।

4. ‘उग्र की चकलीट कहानियों के अनुवाद ने एलजीबीटी विषयों के जीवंत अनुभवों को सार्वजनिक क्षेत्र में समान प्रतिभागियों के रूप में परिचित कथाओं में पेश करके भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की हमारी सामूहिक समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।’⁴

5. आम्रपल्ली मोहन शर्मा (2022) उग्र के नाटक वीभत्स का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा यथार्थ दृश्य प्रकट करने की उनके कौशल की सराहना करते हैं और लिखते हैं कि ‘वीभत्स’ भयानक अशुभ प्रतीकवाद के साथ शुरू होता है। सुमेरा बीमार, मृत बकरी का शव खाना चाहता है, जबकि उसकी पत्नी और बेटा मांस खाने के विचार से भयभीत हैं। वह अपना रास्ता अपनाता है और वास्तव में मांस के कच्चे टुकड़े चबाता है, जबकि शव से खून और अंतर्द्विआं उसकी झोपड़ी के फर्श पर टपकती रहती हैं। यह कहानी के मुख्य कथात्मक विकास के लिए मंच तैयार करता है: 1918-19 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में इन्फ्लूएंजा महामारी या ‘स्पैनिश फ्लू’ ने नवंबर 1918 से दिसंबर 1920 तक बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया जब ब्रिटिश शासित भारत में 13 मिलियन से अधिक लोग मारे गए।’⁵

6. प्रज्ञा कुमारी (2023) ने ‘पांडे बेचन शर्मा उग्र के प्रतिबंधित नाटक श्लाल क्रांति के पंजे में’ (1924) की चर्चा की। ‘नाटक का विषय बोल्शेविक क्रांति के कारण जार का पतन है लेकिन एक तरह से ब्रिटिश शासन को लक्षित किया गया है और राज को समाप्त करने के लिए क्रांति का आह्वान किया गया है।’⁶

7. डॉ. रोसिता जोसेफ वलियामेट्टम (2015) ने उग्र की रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद को संदर्भित करते हुए ‘इमोर्टलाइजिंग दि इंडियन हर्टलैंड: रवि नंदन सिन्हाश्च इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक हिंदी शॉर्ट स्टोरीज’ में लिखा है कि डॉ. भारत में दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध साहित्यिक परंपराओं में से एक है। भारतीय साहित्य का इतिहास सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का इतिहास है। मूल भारतीय साहित्य का अंग्रेजी जैसी वैश्विक

भाषा में अनुवाद करना हमेशा उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान और ज्ञान के विशाल भंडार, मानवीय दृष्टि और ऊँचे आदर्शों को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम रहा है।’⁷

प्राक्कल्पना

1. साहित्य का उद्देश्य समाज की विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करना होता है।
2. साहित्य में अनेकों प्रकार की लेखन परंपराएँ प्रचलित रही हैं।
3. हिंदी साहित्य की विभिन्न लेखन परंपराओं में यथार्थवादी लेखन परंपरा का विशिष्ट स्थान है।
4. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार पांडेय बेचन शर्मा उग्र का संबंध यथार्थवादी लेखन परंपरा से है।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित विवेचनात्मक अध्ययन है। अध्ययन हेतु, बेचन की कविताएँ, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ तथा साथ ही उन पर पूर्व में किये गए अध्ययन जो इंटरनेट की विभिन्न साइटों पर प्रकाशित शोध पत्र, शोध-आलेख और शोध-प्रबंधों के रूप में उपलब्ध साहित्य को चुना गया और उसके आधार पर ही इसको पूर्ण किया गया। अध्ययन हेतु आगम विधि का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष – एक अच्छे लेखक की लेखनी से सटीक, संक्षिप्त (न्यूनतम शब्दों का उपयोग कर अधिकतम बात बताने वाला), विषय केंद्रित एवं यथासंभव विनम्र रचनाओं का सृजन होता है। पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ को उनकी पारिवारिक परिस्थितियों ने साहित्यकार बनाया और उनको यथार्थवादी लेखन परंपरा से जोड़ा जिस से जुड़कर उन्होंने यथार्थ-आधारित रचनाओं का लेखन किया। 14 वर्ष की आयु तक उन्होंने स्कूल जाकर अध्ययन करने के बजाय गलियों-सड़कों पर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए समय बिताया जिसके परिणामस्वरूप वे शीघ्र ही जीवन के यथार्थ से परिचित हो गए और संकल्पित भाव से विभिन्न प्रकार की रचनाओं माध्यम से पाठकों के समक्ष जीवन के यथार्थ को परोसने लगे। जीवन में शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर उन्होंने 1915 से पढ़ाई की शुरुआत की, परन्तु 1920 में जेल जाने के परिणामस्वरूप उनकी औपचारिक शिक्षा में स्थाई अवरोध उत्पन्न हो गया।

1921 से 1924 तक दैनिक बेचन ने ‘आज’ में अनेकों यथार्थ प्रेरित और यथार्थवादी कहानियों, कविताओं, व्यंग्यात्मक रचनाओं का लेखन किया, कलकत्ता में ‘मतवाला’ के सम्पादकीय सहयोगी के रूप में कार्य किया, 1926-27 में पुनः जेल-यात्रा की, 1930-38 में बम्बई जाकर फिल्म-लेखन किया, 1939-45 के दौरान मध्य प्रदेश से प्रकाशित ‘स्वराज्य’, ‘वीणा’, ‘विक्रम’ आदि पत्रों में लेखन-सम्पादन किया, 1947 में मिर्जापुर से ‘मतवाला’ का पुनर्प्रकाशन प्रारम्भ किया। वे 1953 से मृत्युपर्यन्तक 23 मार्च, 1967 तक दिल्ली में रहे जहाँ विभिन्न यथार्थवादी रचनाओं के माध्यम से अपनी छिपी हुई साहित्य प्रतिभा को तराशा और निरंतर साहित्यिक उपलब्धियों के उच्चतर शिखर की ओर अग्रसर रहे।

उनकी प्रमुख रचनाओं में ‘चाकलेट’, ‘चन्द्र हसीनों के खतूत’, ‘फागुन के दिन चार’, ‘सरकार तुम्हारी आँखों में’, ‘घंटा’, ‘दिल्ली का दलाल’, ‘शराबी’, ‘यह कंचन-सी काया’, ‘पीली इमारत’, ‘चित्र-विचित्र’, ‘कालकोठी’, ‘कंचनघट’, ‘सनकी अमीर’, ‘जब सारा आलम सोता है’, ‘कला का पुरस्कार’, ‘मुक्ता’, ‘गालिब और उग्र’ तथा ‘अपनी खबर’ आदि हैं जो उनके यथार्थवादी

चिंतन और यथार्थवादी लेखन परंपरा में विश्वास को प्रकट करती हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को बीस कहानी संकलनों, चौदह उपन्यासों, सात नाटकों, तीन प्रहसनों व एकांकियों और तीन काव्य संकलनों के अलावा भरपूर हास्य व्यंग्य, संस्मरण, आत्मकथा और पत्र साहित्य भी दिया है। उनका यथार्थवादी लेखन न केवल भारतीय साहित्यकारों और शोधार्थियों के लिए, बल्कि विभिन्न देशों से संबंध रखने वाले हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए अनुकरणीय है।

बेचन का बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था दलित परिवार के सदस्य के रूप में दलित बस्ती में हुआ। होश सँभालते ही उन्होंने अपने घर में महिलाओं को अपने पिता और भाइयों के द्वारा प्रायः पिटते हुए, वेश्याओं को घर पर आते हुए, घर में जुआ चलते हुए और गाली-गलौज करते हुए, शराब पीते हुए देखा था। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में स्वयं के अनुभवों को पर्याप्त स्थान दिया और अपने अनुभवों को यथार्थ अभिव्यक्ति दी। उनकी कहानियों और उपन्यासों के अधिकांश पात्र दलित और मारवाड़ी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके माध्यम से तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को स्वतंत्र होकर बेचन ने प्रकट किया है।

‘दलित या पतित वर्ग’ बेचन की उपन्यास का मुख्य विषय है। अपनी यथार्थ अभिव्यक्ति के कारण उनको ‘प्रेमचंद युग’ का सबसे बदनाम उपन्यासकार कहा जाता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना लाग-लपट के बड़े साहस के साथ, किंतु सपाट बयानबाजी से प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों को ‘घासलेटी साहित्य’ कहा है। इनकी ‘उग्रता’ के प्रभाव को आलोचकों ने ‘उल्कापात’, ‘धूमकेतु’, ‘तूफान’ या ‘बवंडर’ की उपमा दी थी।

बेचन को प्रकृतिवादी कहानीकार भी कहा जाता है। उग्र जी की मित्रमंडली में सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, जयशंकर प्रसाद, शिवपूजन सहाय, विनोदशंकर व्यास आदि प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उग्र शैली – व्यंजनाओं, लक्षणाओं और वक्रोक्तियों से समृद्ध भाषा के धनी ‘उग्र’ ने अरसा पहले कहानी को एक नई शैली दी थी, जिसे आदरपूर्वक ‘उग्र शैली’ कहा जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी, पद्मावती. ‘हिंदी गद्य साहित्य के विकास में पांडेय बेचन शर्मा उग्र का योगदान’, वी. बी. एस पूर्वांचल विश्वविद्यालय (1997)
2. वनिता, आर. (2000) अपने शोध अध्ययन ‘द न्यू होमोफोबिया: उग्रश्च चॉकलेट’, सेम सेक्स लव इन इंडिया, पालग्रावे मैमिलन, न्यू यॉर्क
3. सिंह, मीनाक्षी, ‘पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नाट्य साहित्य’, वी. बी. एस पूर्वांचल विश्वविद्यालय (2002)
4. राचेल बर्जर, द गैस्ट्रोपोएटिक्स ऑफ सेक्स: ग्लूटोनी, लस्ट एंड एक्सेस इन लेट नेशनलिस्ट इंडिया, साउथ एशिया: जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, 43:6, 1128-1142, (2020)
5. शर्मा, आम्रपल्ली मोहन, दि मोरल कंडीशन: फोर एपिडेमिक टेल्स फ्रॉम लेट कोलोनिअल इंडिया, वॉल्यूम 6 (2022)
6. कुमारी, प्रज्ञा, इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन प्रोसक्रिप्शन एंड सेंसरशिप इन लेट कोलोनिअल इंडिया, यू ओ एच हेराल्ड (2023)
7. विलियमट्टम, डॉ. रोसिटा जोसेफ, ‘इमोर्टलाइजिंग दि इंडियन हर्टलैंड: रवि नंदन सिन्हा’ज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक हिंदी शॉर्ट स्टोरीज’, म्यूज इंडिया- द लिटरेरी ई-जर्नल, इशू 63 (2015)

Profile, Availability, Forecast and Agronomic Impact of Micronutrient Fertilizers in Indian Agriculture

Dr. S.K. Udaipure*

*Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - A broad summation of micronutrient fertilizers inside the Indian farming setting, covering significant points like availability, forecast, profile, and agronomic impact. Because of their capacity to address soil supplement deficiencies, micronutrient fertilizers are fundamental for keeping up with horticultural creation. Because of their unavoidable deficiencies in an assortment of soil-crop conditions, micronutrient fertilizers have become more significant in Indian agriculture. The plant will quickly recuperate from its lack assuming every compost granule contains the proper amount of micronutrient and is applied at the fitting time. To give more and better-quality financial item, basic to seek after original innovations will empower proactive administration of micronutrient sustenance. Utilizations of micronutrients in view of need add to expanded crop yields, excellent farming items, and protection of human and animal wellbeing. Fundamental exploration shows that nano-micronutrient definitions might act as substitute wellsprings of micronutrients, further developing plant nourishment and augmenting use proficiency. different soil types and soil-crop the executives strategies affect how different harvests respond to micronutrient medicines. The effectiveness with which the essential (full scale) supplements are utilized is likewise significantly improved by micronutrients. After some time, there has been an observable expansion in the utilization of micronutrient fertilizers. Site-explicit micronutrient the executives is expected since the conveyance of single and multi-micronutrient deficiencies in various locales of India changes in both existence. This legitimizes creating and making different micronutrient fertilizers accessible in different areas of the country.

Keywords: Profile, Availability, Forecast, Agronomic, Micronutrient Fertilizers, Indian, Agriculture.

Introduction - To treat healthful deficiencies in the dirt and guarantee supported crop yield, the utilization of micronutrient fertilizers in Indian agriculture has become progressively significant. A wide assortment of basic micronutrients, like zinc, iron, copper, manganese, molybdenum, and boron, are remembered for the profile of these fertilizers and are vital for the most ideal development and improvement of harvests. The requirement for micronutrient fertilizers has expanded as India's rural scene changes, putting a greater amount of an accentuation on better harvest assortments and contemporary cultivating procedures. This is on the grounds that it is perceived that these fertilizers are fundamental to guaranteeing both food security and dietary adequacy.

Nonetheless, one significant hindrance confronting the Indian agriculture industry is the absence of micronutrient fertilizers. The far reaching execution of these innovations is obstructed by steady difficulties connecting with creation, dispersion, and availability, notwithstanding the developing interest. This has prompted the prerequisite for a careful handle of the condition of availability right now, market elements, and possible bottlenecks to foster procedures

that really close the hole among organic market.

The fate of micronutrient fertilizers in Indian agriculture is supposed to give the two prospects and difficulties. Future mechanical turns of events, imaginative plans, and more exploration subsidizing could settle existing limitations and work on the availability of micronutrient fertilizers overall. For policymakers, specialists, and industry partners to really cross the powerful landscape and completely use micronutrient fertilizers' capability to progress rural supportability, they should take on a forward-looking disposition.

It is difficult to misjudge the agronomic meaning of micronutrient fertilizers since they essentially further develop crop yield and execution. Through the remediation of specific supplement shortfalls in soils, these fertilizers improve plant supplement take-up and increment plant versatility to illnesses and natural stressors. Moreover, crops that have been treated with micronutrients have higher wholesome substance, which benefits human wellbeing. This agronomic perspective accentuates the need of a coordinated methodology for overseeing micronutrients in Indian agriculture, considering the connections between

crop yield, human nourishment, and soil wellbeing. To lay it out plainly, the examination of micronutrient fertilizers in Indian agriculture includes a definite cognizance of their qualities, availability issues, projections for the future, and the critical agronomic impact they have on the improvement of the country's horticultural industry.

Literature Review

Acquaah (2015) offers a careful examination of customary plant reproducing procedures in the book "Advances in Plant Rearing Techniques: Reproducing, Biotechnology and Sub-atomic Devices." The writer features the fundamental thoughts and strategies for regular plant rearing, underlining the worth of hereditary assortment, choice, and the production of better cultivars. Crafted by Acquaah is a significant asset for grasping the essentials of plant rearing and lays the basis for future advancements nearby.

Adhikari, Kundu, and Rao (2016) investigate imaginative ways to deal with improve zinc take-up by sows through seed covering with nanozinc oxide particles. In their review distributed in the "Diary of Plant Sustenance," the creators examine the capability of nanozinc oxide seed covering as a way to further develop zinc nourishment in crops. The usage of nanotechnology in agriculture holds guarantee for designated supplement conveyance, and this audit accentuates the requirement for supportable practices to address supplement lacks in crops, especially zinc.

Bailey, West, and Black (2015) do a careful examination of the study of disease transmission of micronutrient lacks over the world in the "Chronicles of Nourishment and Digestion." The creators feature the consequences for human wellbeing and improvement while revealing insight into the event and impacts of significant micronutrient lacks all over the planet. Deciding the extent of these insufficiencies is fundamental for figuring out how to diminish starvation and improve the nutritive worth of harvests.

Funk and Kennedy (2016) look at the present status of general assessment in the US about food science. The creators of "The New Food Battles: US Public Partitions over Food Science," a report, discuss the polarization around subjects including pesticide buildups, food added substances, and genetically modified organisms (GMOs). The review explains the complexities of public discernment and features the need of open lines of correspondence between mainstream researchers and the overall population to ease stresses and encourage certainty.

Garg et al. (2018) give an exhaustive synopsis of the impacts of biofortified crops on world sustenance. Their paper, which was distributed in "Wildernesses in Sustenance," looks at how biofortification — accomplished through agronomy, rearing, and transgenic approaches — has further developed large number of lives all over the world. The creators discuss the healthful benefits of biofortified harvests and how they can assist with micronutrient deficiencies, particularly in regions where

staple yields are a significant wellspring of food. The survey underscores biofortification's true capacity as a drawn out method for upgrading general wellbeing.

Jha and Warkentin (2020) focus on the biofortification of heartbeat crops in their piece that was imprinted in "Plants." The evaluation offers a complete examination of the condition of play today and the potential for development in the dietary benefit of heartbeat crops from now on. Vegetables, for example, lentils and chickpeas are viewed as heartbeat crops and are staples in many weight control plans all over the planet. The scholars discuss the challenges and potential outcomes of biofortifying beat harvests to for the most part battle craving and increase dietary quality expectations.

Research Methodology: The research methodology for addressing the outlined objectives in the abstract involves a multi-faceted approach, integrating field surveys, laboratory analyses, and policy evaluations. Initially, comprehensive soil sampling will be conducted across various agro-ecological zones in different states of India to assess the extent and nature of micronutrient deficiencies. The soil samples will be analyzed for zinc (Zn), iron (Fe), copper (Cu), manganese (Mn), and boron (B) content using established laboratory techniques.

To understand the prevalence of single and multi-micronutrient deficiencies, a robust survey strategy will be implemented, involving collaboration with agricultural extension services and local farming communities. Surveys will capture data on crop performance, historical fertilizer usage, and cropping patterns. The findings will be utilized to establish correlations between soil characteristics, crop types, and micronutrient deficiencies.

In parallel, the research will evaluate the effectiveness of various micronutrient fertilizers currently available in the Indian market. This assessment will involve field trials comparing the impact of different types of fertilizers, including straight micronutrients fertilizers, fortified/coated micronutrient fertilizers, customized micronutrients fertilizers, and micronutrient mixtures. Crop yield, quality, and economic returns will be monitored as key indicators. Additionally, the study will delve into the regulatory aspects governing micronutrient fertilizers in India, analyzing the existing policies outlined in the Fertiliser (Inorganic, Organic, and Mixed) (Control) Order (FCO), 1985. A critical review will be conducted to identify potential gaps and areas requiring policy revision, especially concerning the affordability of micronutrient fertilizers.

Furthermore, the research will explore emerging technologies, such as nano-micronutrient formulations, by conducting preliminary studies to assess their efficacy in addressing micronutrient deficiencies. The economic feasibility and practicality of integrating nano-micronutrient formulations into existing agricultural practices will be examined.

The study will culminate in the development of site-

specific micronutrient management recommendations, considering the spatial and temporal distribution of deficiencies. Recommendations will address the need for diverse micronutrient fertilizers tailored to different regions, ensuring the production and availability of these fertilizers to enhance crop productivity and nutritional quality.

Result And Discussion

Micronutrient Deficiencies in Crops and Soils

Single-Micronutrient Deficiencies : Micronutrient deficiencies have been archived on various yields developed from different pieces of India, notwithstanding the similarly high generally items in micronutrients kept in Indian soils. This is on the grounds that available levels of these supplements are inadequate. Different soil types, crop genotypes, the executives rehearse, and agroecological conditions influence the sort and seriousness of lacks. Because of the broad development of high-yielding rice and wheat types, lacks in zinc previously surfaced, trailed by deficiencies in iron in rice and magnesium in wheat, and these inadequacies turned into the primary dangers to keeping up with high harvest creation levels. These days, it is normal to find micronutrient shortfalls in harvests like cereals, oilseeds, heartbeats, and vegetables that are developed broadly.

How much a dirt supplement that is accessible to establish roots during the developing season is known as availability. The whole pool of soil micronutrients isn't promptly available on the grounds that plant roots straightforwardly retain micronutrients from the dirt arrangement. Micronutrient lack status in different soils has been assessed in view of basic limits stuck to in different states. 8.9%, 29.7%, and 15.8% of soil tests are intensely lacking, inadequate, and idly insufficient in zinc, separately, as per the as of late evolved basic cutoff points (Figure 1). In B, there are generally 5.0%, 20.3%, and 22.6% intense, lacking, and idle inadequacies, separately, in soil tests. There are expanding propensities in different locales of the country concerning Mn, Cu, and Fe lacks in different classes.

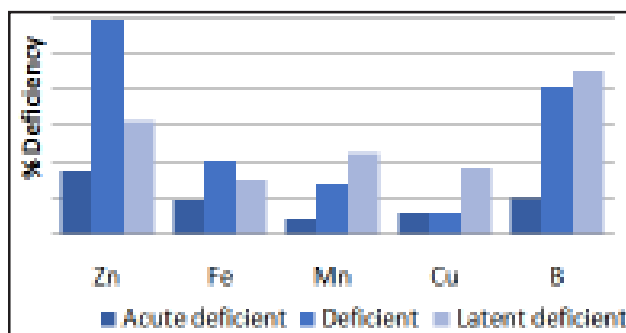


Figure 1: The extent of deficiency in micronutrients in Indian soils

As a rule, provinces of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Bihar, and Uttar Pradesh have more noteworthy occurrence of zinc inadequacy. The country's

western locales, particularly Rajasthan, Gujarat, and Maharashtra, are seriously experiencing an extreme lack of iron. Lack of iron is additionally turning out to be more common in Bihar, Telangana, Karnataka, and Uttar Pradesh. Under unambiguous soil-crop settings, the pervasiveness of Mn inadequacy is quickly rising. This is particularly valid for rice-wheat trimming systems that are utilized on sandy or loamy sand soils in Punjab and Haryana. Most of sandy, calcareous, eluviated, and natural rich soils have copper inadequacies. In calcareous and sandy topsoil soils, the expansion of natural matter features the deficiencies in copper and diminishes the availability of copper by letting the CaCO_3 -bound copper portion out of the dirt and rebinding it with natural division. The natural peat soils of Kerala and the slope and submontane soils of Uttarakhand and Himachal Pradesh's Himalayan tarai zone have lower Cu availability when there is an overflow of natural matter present. The exceptionally calcareous soils of Gujarat and Bihar, as well as the corrosive soils of West Bengal, Odisha, and Jharkhand, are bound to have a deficiency in boron. The country's eastern areas by and large have more noteworthy degrees of B lack, which is brought about by exorbitant draining from alluvial and loess stores as well as sandy topsoil soils. While Missouri's farming soils are for the most part adequate, certain acidic, sandy, and filtered soils display lacks. A restricted absence of molybdenum is found in specific areas of Maharashtra and in the acidic soils of West Bengal, Kerala, Odisha, and Himachal Pradesh.

Multi-Micronutrient Deficiencies: The maintainability of agriculture is in danger because of the development of multi-micronutrient shortages over the course of time, notwithstanding single-micronutrient lacks, in different pieces of the country (Table 1). The request for the typical level of soil tests with deficiencies in a few components was $\text{Zn+B} > \text{Zn+Fe} > \text{Zn+Mn} > \text{Zn+Cu} > \text{Fe+B} > \text{Zn+Fe+B} > \text{Zn+Fe+Cu+Mn} > \text{Zn+Fe+Cu+Mn+B}$. With a mean worth of 8.7%, the scope of Zn+B inadequacy across states was 0.6 to 20.3%. States including Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, and Bihar had higher paces of Zn+B deficiency (Guide 1). 5.8% of soils have a lack of Zn+Fe overall. The level of soils ailing in Zn+Fe in Gujarat, Karnataka, Maharashtra, and Rajasthan was similarly more prominent. The twin shortfalls of zinc and iron impacted over 20% of the dirt in nine regions in Gujarat, five areas in Madhya Pradesh, five locale in Maharashtra, and seven areas in Rajasthan. With a public normal of 3.4%, generally more soils in Goa, Jammu and Kashmir (beforehand), and Rajasthan were low in Zn+Mn. Zn+Fe+B lacks were tracked down in a bigger level of soils in Karnataka and Bihar. Shortages in multiple micronutrients, like Zn+Fe+Cu+Mn and Zn+Fe+Cu+Mn+B, were very uncommon, happening in just 0.30 percent and 0.30 percent of soils, separately. Zn+Fe+Cu+Mn lack was viewed as in under 5% of soils in 13 regions of Bihar, 7 areas of Punjab, 10 locale of Tamil

Nadu, and 16 areas of Uttar Pradesh; Zn+Fe+Cu+Mn+B lack was seen as in under 5% of soils in 13 regions of Bihar, 4 areas of Punjab, and 10 areas of Tamil Nadu. This legitimizes or commands the use of appropriate micronutrient fertilizers as per the micronutrient deficiencies that are as of now present in soils and the necessities of harvests to support farming efficiency and improve crop quality.

Table 1 (see in last page)

Micronutrient Fertilizers In India : As per India's Manure (Inorganic, Organix or Blended) (Control) Request (FCO), 1985, "compost" has lawful importance. As per the Focal Government's occasional warnings, compost is characterized as any fundamental substance, either in straight or blended structure, and got from either inorganic, natural, or blended sources, that is utilized or planned to be utilized to give helpful components or fundamental plant supplements for the dirt, or that makes fundamental supplements accessible to the plants straightforwardly, through organic cycles, or through both in the dirt or plant. Prefixes that depict nature or reason for use, like manufactured, mineral, inorganic, counterfeit, strengthened, claim to fame, natural, bio-, or compound, are oftentimes utilized. Plans 1g (Micronutrients) and 1h (Strengthened fertilizers) of the FCO cover fertilizers containing micronutrients with exact prerequisites. Fertilizers that are straight micronutrient-rich cover Zn, Fe, B, Mn, Mo, Cu, and Co. In provision 20B of the FCO, the Indian government presented another class of fertilizers known as "Redid Fertilizers" (CFs), fundamentally to resolve the issue of developing multi-supplement deficiencies. Besides, a few definitions of multi-micronutrient blends have been informed by a few State Legislatures. Micronutrient blends, or blends of at least two micronutrients, are told by different states in light of their separate harvests and soils, while single-micronutrient fertilizers are standard for all states in view of the FCO announcement.

Multi-Micronutrient Mixture (MMM) Fertilizers : There have been reports of multi-micronutrient deficiencies in a few pieces of India, with numbers showing huge between locale changeability. Agricultural harvests have particular micronutrient prerequisites than grains and heartbeats, and they require different arrangements of proposals to treat the deficiencies of various micronutrients simultaneously. To resolve this serious issue, foliar treatment of harvest/soil explicit micronutrient blends has been grown, particularly for vegetable and natural product crops. A few state legislatures have informed us of a significant number of multi-micronutrient combination plans that contain at least two micronutrients, both fluid and strong. Table 2 gives a rundown of multi-micronutrient blends that have been approved by the state. The centralization of the micronutrients in mixes shifts enormously: the reaches for Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, and B are 0.5 to 7.6%, 0.2 to 15.0%, 2.0 to 10.0%, and 0.05 to 2.5%, separately. Since advised

micronutrient blend grades have been popular in India's southern and western districts for a long time, Maharashtra and Tamil Nadu states have the largest number of them. By and by, there is a deficiency of dependable information about the ingestion of these micronutrient blends. Moreover, most of these long-seen micronutrient combination definitions have not been changed to mirror the states' moving degrees of soil ripeness. Given the latest soil micronutrient ripeness information created by the Indian Chamber of Horticultural Exploration's All India Facilitated Exploration Undertaking on Miniature and Optional Supplements and Contamination Components in Soils and Plants, the structure of the definitions for micronutrient blends actually must be surveyed. The universal multi-micronutrient insufficiencies, including inert inadequacies and peripheral requests of yields, particularly green harvests, ought to be thought about while growing new classes of micronutrient blends. Also, arrangements for the expansion of extraordinary yield and site-explicit grades to FCO for the different areas of the country ought to be given.

Table 2 (see in last page)

Agronomic Effectiveness of Micronutrients Fertilizers Responses of Crops to Application of Micronutrient Fertilizers :

To address their deficiencies in soil-crop systems and boost the potential for expanded crop yields, micronutrient fertilizers are applied. Contingent upon the kind of soil and yield, crop responses to micronutrient organization can vary essentially. The nation has reported crop reactions to zinc application in a large number of harvests, in view of in excess of 19,000 preliminaries completed in cultivator fields somewhere in the range of 1967 and 2019.

Micronutrients in Enhancing Use Efficiency of Macronutrients :

Micronutrients are essential for further developing the usage effectiveness of macronutrients, despite the fact that they are required in more modest sums (NPK). In rice-wheat systems across a few locales of India, there has been an eminent decrease in the fractional variable efficiency of NPK because of micronutrients being precluded from the preparation plan (Table 3). The inward usage productivity of NPK was upgraded by the expansion of micronutrients in a reasonable preparation plan.

Table 3 (see in last page)

Consumption and Requirement of Micronutrient Fertilizers in Relation to Food Grain Production :

Five states, to be specific Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra, consolidated represented around 70% of the country's absolute utilization of zinc sulfate, as per an investigation of state-by-state and public zinc utilization information. To resolve the issue of zinc nourishment, the total scope of items is open, for example, zinc EDTA, zinc covered fertilizers, zinc sustained fertilizers, zinc containing fluid fertilizers, and so on. Zinc sulfate is expected to stay the primary zinc-containing compost without even a trace of cost decrease for additional

proficient fertilizers, like zinc-EDTA, as zinc-EDTA is restrictively costly. In view of existing degrees of deficiency, supplement mining from the dirt, and micronutrient proposals for different harvests, it is extended that the ongoing prerequisite of various micronutrients is 286,000 t of Zn, 178,000 t of Fe, 120,000 t of Mn, 30,000 t of Cu, and 130,000 t of B (Table 4). Nonetheless, in light of region liable to be lacking and upgraded crop prerequisite because of extended escalation of agriculture, this necessity might increment to 348,000 t for Zn, 194,000 t for Fe, 128,000 t for Mn, 32,000 t for Cu, and 148,000 t for B by 2035; and to 403,000 t for Zn, 217,000 t for Fe, 140,000 t for Mn, 35,000 t for Cu, and 168,000 t for B by 2050.

Table 4: The needs of horticultural and agricultural crops for micronutrients

Nutrients	Micronutrient requirements ('000' tonnes) in		
	2020	2035	2050
Zn	286	348	403
Fe	178	194	217
Mn	120	128	140
Cu	30	32	35
B	130	148	168

Conclusion: A convoluted transaction between soil-crop elements, wholesome shortages, and manure market elements is uncovered by the profile, availability, forecast, and agronomic effect of micronutrient fertilizers in Indian agriculture. The event of deficiencies in zinc (Zn), iron (Fe), copper (Cu), manganese (Mn), and boron (B) in Indian soils features the basic capability of micronutrient fertilizers in relieving issues connected with horticultural efficiency. Since micronutrients have been ceaselessly separated from the restricted soil assets for quite a while without being added remotely through fitting compost sources, Indian soils are by and large lacking in fruitfulness, especially in micronutrients. Precisely applying micronutrient compost to accomplish higher maintainable agrarian efficiency, nourishing quality, and further developed soil and human wellbeing requires the recognizable proof of explicit micronutrient-lacking and additionally harmful regions under significant soil types for different trimming systems and the planning of itemized geo-referred to advanced maps. Recognizing the meaning of micronutrients in even yield sustenance, the public authority has been furnishing ranchers with different plans that offer halfway endowments on micronutrient fertilizers. The availability of different successful micronutrient fertilizers at reasonable times for the country's ranchers is a reason to worry, by the by. Micronutrient fertilizers need to have a more extensive scope of items and further developed openness in all conditions. Developing micronutrient-proficient harvest types with worked on supplement use from the non-labile pool of soils will stay a suitable methodology for people without admittance to micronutrient fertilizers.

References:-

1. Acquaah, G. Conventional plant breeding principles and techniques. In *Advances in Plant Breeding Strategies: Breeding, Biotechnology and Molecular Tools*; Al-Khayri, J., Jain, S., Johnson, D., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2015; Volume 1, pp. 115–158. ISBN 9783319225210.
2. Adhikari, T., Kundu, S. and Rao, A.S. 2016. Zinc delivery to plants through seed coating with nanozinc oxide particles. *Journal of Plant Nutrition* 39, 136- 146.
3. Bailey, R.L.; West, K.P.; Black, R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. *Ann. Nutr. Metab.* 2015, 66, 22–33.
4. Bouis, H.E.; Saltzman, A. Improving nutrition through biofortification: A review of evidence from HarvestPlus, 2003 through 2016. *Glob. Food Secur.* 2017, 12, 49–58.
5. Breseghello, F.; Coelho, A.S.G. Traditional and modern plant breeding methods with examples in rice (*Oryza sativa* L.). *J. Agric. Food Chem.* 2013, 61, 8277–8286.
6. FAI. 2020. Specialty Fertiliser and Micronutrient Statistics 2019-20, 9th Edition. The Fertiliser Association of India, New Delhi.
7. Funk, B.Y.C.; Kennedy, B. The New Food Fights: US Public Divides over Food Science; Pew Research Center: Washington, DC, USA, 2016.
8. Garg, M.; Sharma, N.; Sharma, S.; Kapoor, P.; Kumar, A.; Chunduri, V.; Arora, P. Biofortified Crops Generated by Breeding, Agronomy, and Transgenic Approaches Are Improving Lives of Millions of People around the World. *Front. Nutr.* 2018, 5, 12.
9. Jha, A.B.; Warkentin, T.D. Biofortification of pulse crops: Status & future perspectives. *Plants* 2020, 9, 73.
10. Jiang, G.-L. Molecular Markers and Marker-Assisted Breeding in Plants in *Plant Breeding from Laboratories to Fields*. In *Intech*; Intech Open: London, UK, 2013.
11. Kumar, Y., Tiwari, K.N., Nayak, R.K., Rai, A., Singh, S.P., Singh, A.N., Kumar, Y., Tomar, H., Singh, T. and Raliya, R. 2020. Nano fertilizers for increasing nutrient use efficiency, yield and economic returns in important winter season crops of Uttar Pradesh. *Indian Journal of Fertilisers* 16, 772-786.
12. Lucht, J.M. Public acceptance of plant biotechnology and GM crops. *Viruses* 2015, 7, 4254–4281.
13. Mabaya, E.; Fulton, J.; Simiyu-Wafukho, S.; Nang'ayo, F. Factors influencing adoption of genetically modified crops in Africa. *Dev. South. Afr.* 2015, 32, 577–591.
14. Mahender, A.; Anandan, A.; Pradhan, S.K.; Pandit, E. Rice grain nutritional traits and their enhancement using relevant genes and QTLs through advanced approaches. *Springerplus* 2016, 5, 1–18.
15. Saltzman, A.; Birol, E.; Wiesman, D.; Prasai, N.; Yohannes, Y.; Menon, P.; Thompson, J. 2014 Global Hunger Index: The Challenge of Hidden Hunger; Welthungerhilfe International Food Policy Research Institute (IFPRI) Concern Worldwide: Bonn, Germany;

- Washington, DC, USA; Dublin, Ireland, 2014.
16. Shukla, A.K. and Behera, S.K. 2019. All India Research Project on Micro- and Secondary Nutrients and Pollutant Elements in Soils and Plants: Research achievements and future thrusts. *Indian Journal of Fertilizers* 15, 522-543.
 17. Subramanian K.S., Yuvaraj M. and Shukla, A.K. 2018. Recent developments on application of nanotechnology in micronutrient fertilization. *Indian Journal of Fertilisers* 14(4), 108-118.
 18. Takkar, P.N. and Shukla, A.K. 2015. Management of soil fertility: micronutrients. In *State of Indian Agriculture – Soil* (H. Pathak, S.K. Sanyal and P.N. Takkar, Eds.), pp. 121-152. NAAS, New Delhi
 19. Vicentini, A.; Liberatore, L.; Mastrocola, D. Functional Foods: Trends and Development. *Ital. J. Food Sci.* 2016, 28, 338–352.
 20. Warschefsky, E.; Penmetsa, R.V.; Cook, D.R.; Von Wettberg, E.J.B. Back to the wilds: Tapping evolutionary adaptations for resilient crops through systematic hybridization with crop wild relatives. *Am. J. Bot.* 2014, 101, 1791–1800.

Table 1: Deficits in micronutrients (percentage of inadequate soil samples) throughout several Indian states

State	Zn+B	Zn+Fe	Zn+Mn	Zn+Cu	Fe+B	Zn+Fe+B	Zn+Fe+Cu+Mn	Zn+Fe+Cu+Mn+B
Andhra Pradesh	4.08	7.91	1.61	1.61	2.80	1.63	1.02	0.01
Arunachal Pradesh	4.52	1.01	1.51	1.31	1.01	1.01	1.01	1.01
Assam	8.99	1.01	1.01	1.91	1.15	1.01	1.01	1.01
Bihar	20.7	6.27	5.81	3.21	8.91	4.68	1.24	1.20
Chhattisgarh	9.88	4.05	1.91	1.91	1.88	1.64	1.03	1.01
Goa	7.33	3.22	11.31	3.11	1.60	1.30	1.01	1.01
Gujarat	8.30	12.71	1.31	1.31	5.36	2.95	1.03	1.02
Haryana	1.76	7.60	3.51	4.41	2.11	1.45	1.35	1.10
Himachal Pradesh	4.10	1.23	1.81	1.31	1.51	1.10	1.01	1.01
Jammu & Kashmir (undivided)	1.58	1.55	8.01	1.21	1.01	1.01	1.08	1.01
Jharkhand	9.41	1.01	1.21	1.11	1.01	1.01	1.01	1.01
Karnataka	17.5	10.25	2.21	2.11	7.85	4.32	1.03	1.02
Kerala	4.94	1.98	1.71	1.51	3.11	2.72	1.15	1.15
Madhya Pradesh	3.28	6.84	2.51	1.41	1.61	1.50	1.01	1.01
Maharashtra	6.20	10.83	2.81	1.11	6.24	2.50	1.02	1.01
Manipur	8.42	1.88	3.41	1.71	1.94	1.45	1.01	1.01
Meghalaya	2.32	1.08	1.31	1.11	1.63	1.08	1.01	1.01
Mizoram	2.12	1.01	1.01	1.21	1.23	1.01	1.01	1.01
Nagaland	3.20	1.41	1.31	1.11	1.61	1.31	1.01	1.01
Odisha	22.5	3.54	2.31	3.51	3.26	2.05	1.02	1.01
Punjab	3.84	5.65	8.01	3.71	2.83	1.70	1.50	1.16
Rajasthan	1.58	24.4	23.6	8.81	1.07	1.03	3.05	1.01
Tamil Nadu	15.2	8.72	6.31	10.11	3.01	2.40	1.68	1.11
Telangana	9.93	5.70	1.81	1.61	5.11	2.32	1.01	1.01
Tripura	1.57	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02	1.01	1.01
Uttar Pradesh	6.53	6.26	5.81	2.21	3.76	2.98	1.33	1.20
Uttarakhand	2.27	1.55	2.11	1.71	1.60	1.20	1.20	1.01
West Bengal	5.19	1.01	1.51	1.61	1.03	1.01	1.01	1.01
India	9.72	7.81	4.41	3.81	3.71	2.31	1.41	1.21

Table 2: Authorised micronutrient blends in several Indian states

State	No. of grades	Micronutrient-wise number of grades (range in concentration in %)					
		Fe	Mn	Zn	Cu	Mo	B
Andhra Pradesh	8	7 (0.7-6.1)	6 (1.1-31)	6 (5.1-6.1)	3 (0.6-1.1)	2 (0.2)	3 (2.1-5.1)
Telangana	7	7 (0.7-6.1)	6 (1.1-3.1)	6 (5.1-6.1)	3 (0.6-1.1)	2 (0.2)	3 (2.1-5.1)
Assam	3	1	1	3 (5.1-7.1)	3 (0.6-0.6)	3 (0.03-0.04)	3 (2.6-5.1)
Bihar	7	5 (0.6-4.1)	5 (0.3-0.6)	5 (2.1-10.1)	5 (0.3-1.1)	7 (0.02-0.06)	7 (0.6-2.1)
Chhattisgarh	7	5 (3.1-5.1)	6 (0.6-4.1)	6 (3.1-6.1)	4 (0.9-1.6)	4 (0.03-3.1)	7 (0.2-2.1)
Delhi	8	4 (0.7-0.7)	5 (0.6-2.1)	5 (3.1-10.1)	6 (0.2-1.1)	6 (0.02-0.06)	8 (0.3-0.7)
Goa	5	3 (1.1-2.1)	3 (1.1-3.1)	3 (3.1-5.1)	3 (0.6-1.1)	2 (0.2-0.3)	3 (0.9-1.1)
Gujarat	6	6 (2.1-6.1)	6 (0.6-1.1)	6 (4.1-8.1)	6 (0.3-0.6)	1	6 (0.6-0.6)
Himachal Pradesh	4	3 (2.1-2.1)	4 (0.6-2.1)	4 (2.1-5.1)	4 (0.6-0.6)	4 (0.2-0.3)	4 (1.6-1.6)
Karnataka	6	4 (0.6-2.1)	4 (0.3-2.1)	4 (3.1-10.1)	1	1	6 (0.4-0.6)
Madhya Pradesh	3	1	3 (0.6-1.1)	3 (3.1-5.1)	2 (0.6)	1	3 (0.6-0.2)
Maharashtra	12	8 (2.1-5.1)	7 (1.1-3.1)	7 (3.1-10.)	7 (0.06-1.1)	5 (0.2)	11 (0.6-1.3)
Odisha	8	4 (0.6)	5 (0.3-2.1)	5 (3.1-10.1)	5 (0.2-1.1)	6 (0.02-0.2)	8 (0.3-0.7)
Punjab	4	3 (3.6-7.6)	3 (3.1-15.1)	3 (4.1-6.6)	1	1	4 (0.6-1.2)
Rajasthan	5	5 (2.1-2.1)	5 (2.1-2.1)	5 (5.1-5.1)	5 (0.6-0.6)	5 (0.02-0.06)	5 (0.6-0.6)
Tamil Nadu	15	15 (1.1-7.7)	14 (0.4-9.2)	15 (1.8-7.5)	13 (0.2-2.6)	8 (0.2-0.5)	15 (0.2-3.3)
Uttar Pradesh	6	6 (1.6-5.1)	5 (0.6-2.1)	6 (3.1-10.1)	6 (0.6-1.1)	1	1
Uttarakhand	4	4 (1.6-3.1)	3 (0.6-1.6)	4 (3.1-6.1)	4 (0.6)	1	2 (0.6)
West Bengal	8	2 (6.7)	3 (4.4-5.1)	8 (3.7-8.1)	4 (0.9-2.5)	4 (0.2-0.6)	6 (0.6-1.1)

Table 3: The loss of system productivity (kg ha⁻¹) in the rice-wheat cropping system at various sites in India (average of three years) as a result of micronutrients being left out of a balanced fertilisation schedule

Location	System productivity with balanced fertilization as *REY (t ha ⁻¹)	Loss in system productivity (t ha ⁻¹) due to omission of from balanced fertilization schedule of			
		Zn	B	Mn	Cu
Modipuram	18.58	3.08 (12.8)	2.75(8.8)	2.46 (9.3)	-
Kanpur	16.38	2.63 (11.6)	-	-	-
Faizabad	13.98	3.30 (18.6)	2.50 (11.5)	2.08 (9.3)	-
Varanasi	13.83	2.11 (9.6)	1.50 (4.9)	1.50 (4.8)	1.68 (6.3)
Pantnagar	14.32	2.24 (9.3)	1.58 (4.7)	-	-
Sabour	15.31	—	-	-	-
Ranchi	12.67	1.50 (4.3)	1.54 (5.6)	-	-
Palampur	11.05	1.37 (4.6)	1.81 (8.8)	-	-
R.S Pura	14.50	1.82 (7.1)	-	1.26 (2.9)	1.35 (3.6)

Sustainable Innovation: Exploring Green Entrepreneurship in Contemporary Business

Dr. Preeti Anand Udaipure*

* Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - This examination involves institutional financial matters as a hypothetical structure to research what green entrepreneurship means for sustainable turn of events. One could contend that there has never been a superior opportunity to turn into a green business person. We see that people are bound to help social and green businesses when we consider what is happening notwithstanding the ecological issue. The development of the green market is decidedly affected by client information on buying eco-accommodating or green items and natural worries. There are a few possibilities in different enterprises because of the developing green market. The objective of sustainable turn of events and green entrepreneurship these days is to make eco-accommodating items. In the thriving green market, this is positively valued. There aren't numerous freely open exploration concentrates on that investigate the associations between green entrepreneurship, sustainable turn of events, and creating green business sectors. All the more exactly, not the examination has been all finished on what the green market means for sustainable turn of events and green entrepreneurship. The review's discoveries show that green entrepreneurship and sustainable advancement in information-based businesses have benefited extraordinarily from the ascent of the green market. Besides, research has been finished on what the construction of green entrepreneurship means for sustainable turn of events, and the discoveries show that green entrepreneurship altogether and well impacts sustainable turn of events.

Keywords: Sustainable Innovation, Green Entrepreneurship, Contemporary Business.

Introduction - Nowadays, one of the greatest concerns is the climate, as abuse and day to day disintegration cause disasters and catastrophes from one side of the planet to the other. The recurrence and force of different cataclysmic events, for example, dry seasons, floods, tremors, avalanches, water emergencies, air contamination, land contamination, commotion contamination, extreme weather patterns, and a dangerous atmospheric deviation have expanded as of late. Natural issues are influencing all aspects of our lovely globe, and pressing activity is expected to take things back to ordinary.

To resolve the relentless ecological issues, some move should be initiated. This will cover the endeavors made by individuals and the public authority to outfit the force of nature to take care of our ongoing ecological issues in a manner that is both sustainable and dependable. Sustainable turn of events, otherwise called sustainable arrangements, is a controlled improvement thought that endeavors to involve the assets available to us in a manner that doesn't unfavorably impact the capacity of people in the future to meet their own necessities. 'GREEN' alludes to activities that are sustainable and goodly affect the climate.

'Green drives', or moves made to work on the climate,

can be anything from just establishing trees to overseeing waste, rationing energy and other regular assets, utilizing inventive and effective creation methods, reusing and reusing for a huge scope, building energy-efficient designs, offering eco-accommodating labor and products, and so on. Businesses can make a huge commitment in this space due to their enormous creation and contamination limits. They have the assets and capacity to add to the improvement of our normal environmental elements.

In the event that business people have the legitimate vision and the determination to safeguard our current circumstance, they might make a critical commitment as individual organization units. The capability of a country's business visionaries decides its turn of events, and this likewise turns out as expected for sustainable green turn of events. They have the ability to begin a cascading type of influence of green drives and practices that will significantly affect our current circumstance.

'Green Business visionaries' are businesspeople who endeavor to decrease their pessimistic ecological impacts. They are the ones leading, working to both lift the advantages of normal green practices and lessening their adverse impact on the climate. This can be alluded to as "Green Practices" and can be achieved through a technique,

including item, administration, process, propensity, and so forth. The expression “green entrepreneurship” alludes to a great many exercises pointed toward working on the climate, including “new companies” and “existing businesses.” It envelops any activity that adds to working on the climate and forestalling or deferring ecological harm.

Literature Review

Barkemeyer, Holt and Preuss (2014), analyzed the degree to which unique standards set down under the idea of sustainable advancement given in the Brundtland Report 1987, is implanted inside the key business rules as of now. The rules incorporate UN Worldwide Conservative, the OECD Rules, the ICC Business Contract for Sustainable Turn of events, the CAUX Standards, the Worldwide Sullivan Standards and the CERES Standards. It was found that these rules gave unjustifiable accentuation to the ecological perspective instead of social angle specifically as inverse of what was referenced in the Brundtland Report. It was a mutually beneficial arrangement for businesses to underline on ecological issues instead of zeroing in on friendly perspectives and consequently such talks were taken on however the more calculated natural issues concerning framework interdependencies, basic limits and so on were completely overlooked. Ideas were made for moving towards additional reasonable parts of sustainable improvement as is referenced in the Brundtland Report to accomplish more comprehensive development.

Cloutier and Pfeiffer (2015), claims that local area qualities influence satisfaction, and therefore, it makes an alternate, sustainable structure for local area improvement that is focused on expanding opportunities for bliss. This structure comprises of frameworks arranging, manageability intercessions, bliss benefit stock, public support, and joy visioning. By and large, joy gives an establishment to local area development and a widespread pointer in light of living quality, the two of which will ultimately bring about a sustainable future.

Holden, Linnerud and Banister (2017), states that qualities of the nearby climate influence happiness and, thus, gives an alternate, enduring system for working on the neighborhood an accentuation on expanding merry encounters. This structure comprises of public help, happiness benefit stock, reasonability interventions, system putting together, and satisfaction visioning. Bliss, as a rule, lays out local area development and fills in as an overall mark of living quality, the two of which are essential for a sustainable future.

Carley and Christie (2017), they reached the accompanying resolutions from their examination: 1) Our planet's asset framework is restricted and connected to social frameworks, the two of which require the executives and for which political, social, and financial factors are urgent. 2) It is fundamental to have cooperation, important information and capacities, and progressing checking of environments that are delicate. 3) To determine issues and

obstructions in the method of sustainable turn of events, discussions, intervention, and agreement building are required. 4) On the grounds that various districts face particular issues, nearby exercises are more crucial than overall endeavors. Nonetheless, to accomplish generally manageability, both neighborhood and worldwide endeavors should be connected through unified as well as decentralized activities.

Emami's (2014) A paper that was distributed in the Social, Monetary, Logical and Social Month to month Diary under the title “Organizations and Bunches of Green Entrepreneurships” looks at the complicated connections and partnerships that are made by green business tries. In the field of green entrepreneurship, the review investigates the social and financial elements that influence the development of organizations and groups. Emami tries to give light on how agreeable endeavors among green business visionaries could advance manageability, imagination, and shared assets by dissecting the communications of assorted members in these organizations. The review propels information on the bigger social climate that green entrepreneurship capabilities in.

Methodology

Data Collection: Utilizing the poll instrument, observational information was assembled to test the created speculations. The poll is partitioned into four segments: segment questions, assessments of the green market as the free factor, assessments of green entrepreneurship as the reliant variable, and assessments of sustainable improvement as the reliant variable. The survey begins with an introductory letter.

The underlying part of the study comprised of five segment requests, relating to the respondent's situation (head supervisor, specialized chief, monetary director, team lead, and so on); the assembling business wherein the organization works; the quantity of representatives; the typical yearly income; and the administrator's expert foundation. Twenty inquiries covering the green item, green store network, green plan, and green creation parts of the green market were remembered for the subsequent segment. Five inquiries regarding green entrepreneurship were remembered for the third part of the poll, and five additional inquiries concerning sustainable advancement contained the fourth segment.

The study was aimed at every one of the 150 information-based businesses situated in Friendship College's Science and Innovation Park. Five chiefs and five scholastics from the college where the essential specialists were based at the hour of the review's distinction took part in a pilot trial of the study. They were approached to actually take a look at the survey for lucidity, culmination, and meaningfulness. These pre-test results were then used to make little changes.

The rundown of information-based businesses in Harmony College's Science and Innovation Park in Mumbai,

Maharashtra, filled in as the example outline. Everyone got the poll alongside a fourteen-day follow-up. 85 of the 110 that were returned might in any case be utilized. The example qualities are shown in Table 1.

Table 1: Sample attributes (%).

Title of Respondents	Percentage
General Manager	14.69
Technical Manager	13.69
Financial Manager	33.90
Sales Manager	12.46
Others	25.26
Manufacturing Industry	
Agriculture and natural resources	3.8
Information technology	20.2
Advanced laboratory equipment	3.8
Medical equipment	6.2
Food and drug industries	5.4
Mechanics and electronics	20.7
Earth sciences	9.7
Nanotechnology	3.7
Optics and photonics	3.7
New energiese	3.7
Others	19.1
No. of Employees	
Less than 50	79.2
50–150	16.2
151–300	3.5
More than 300	1.1
Average Annual Sale	
Less than \$5 Million	74.3
\$5–15 Million	11.3
\$16–25 Million	2.5
\$26–35 Million	2.5
Others	90.4
Years of Experience at the Position	
Less than 1 year	2.5
Between 2 and 5 years	40.4
Between 5 and 10 years	30.2
More than 10 years	26.9

Figure 1 (see in last page)

1.1. Measures: The overview's actions were picked as per the current group of looked into writing. Green item, green plan, green inventory network, and green creation were among the variables considered while making the survey for the green market arising develop. Legitimacy and unwavering quality of every one of the poll's models were surveyed and affirmed. Likert-type scales going from 1 (firmly dissent) to 5 (emphatically concur) were utilized to quantify everything.

1.2. Hypothesis of The Study:

H₁:Green entrepreneurship benefits from the growth of the green market.

H₂:Sustainable development is positively impacted by the rise of the green market.

2. Results

2.1. Measurement Model: Two criteria are used to verify the legitimacy of a build: (i) the actions of the develop should have the highest factor load on their develop; and (ii) the square average variance extraction (AVE) of the develop should be more prominent than its relationship with other builds, indicating that its relationship with its markers is more prominent than its relationship with other develops. The sectional heap of things on research develops is introduced in Table 2.

Table 2 (see in last page)

Figure 2 (see in last page)

Table 3: Each variable's correlation coefficient and AVE square.

Variable	1	2	3	4	5	6
Green product	0.77					
Green design	0.42**	0.74				
Green supply chain	0.54**	0.44**	0.80			
Green production	0.45**	0.42**	0.43**	0.72		
Green entrepreneurship	0.51**	0.52**	0.61**	0.42**	0.78	
Sustainable Development	0.48**	0.45**	0.46**	0.51**	0.43**	0.74

Cronbach's alpha, combined reliability (CR), and average variance extraction (AVE) are the three measurements used to evaluate reliability. An action's ability to precisely make sense of its build is communicated by Cronbach's alpha. By computing the relationship between's proportions of one build and another, CR lays out assuming the estimation models are reasonably fit. The reliability coefficient, Cronbach's alpha, and AVE all should be more noteworthy than 0.7 or more 0.5, separately, to affirm the develops' reliability. Table 4 shows the reliability of the builds criteria results.

Table 4: The validity of the constructions.

Variable	PC	AVE	α
Green product	1.88	1.59	1.83
Green design	1.86	1.54	1.78
Green supply chain	1.90	1.64	1.86
Green production	1.83	1.51	1.74
Green entrepreneurship	1.89	1.60	1.83
Sustainable development	1.86	1.55	1.71

Figure 3 (see in last page)

Discussion

Theoretical Implications: This study showed the helpful and imperative impacts of the developing green market on sustainable turn of events and green entrepreneurship. Furthermore, research was finished on what green entrepreneurship and sustainable advancement are meant for by green items, green plan, green inventory chains, and green creation. Except for the 6th sub-speculation, which inspected the impact of green plan on sustainable turn of events, these impacts were imperative and positive.

Confirming the key speculations clarified that green entrepreneurship and sustainable improvement benefit from

the development of the green market. It is important to have business people who focus on the conservation of regular assets to focus on the development of the green market and the public's craving to safeguard the climate. In reality, green innovations and merchandise are acquainted with the market by business people. Green entrepreneurship can thrive by changing over plans and models into genuine business merchandise. Numerous advanced societies have delicate systems set up. Besides, adjusting existing frameworks through better approaches for believing is important to accomplish sustainable turn of events. The political, monetary, social, and social frameworks are among these designs. The possibility of sustainable improvement as far as what business and the climate interface and mean for each other is raised by adjusting how individuals view nature. Subsequently, the review's discoveries and results line up with the hypothetical structure. The review's discoveries support the possibility that states ought to embrace a green market as standard practice. In addition, they decided that taking into account natural green displaying in company offers a chance to support a sustainable course of events. These findings support the ongoing investigation's findings.

The main sub-speculation is about how the green item affects green entrepreneurship. Various new harmless to the ecosystem merchandise and innovation are expected to fabricate a greener economy. By checking the underlying sub-speculation, it very well may be battled that recognizing the green open doors is an essential for having a green item. Moreover, financial entertainers are important in light of the fact that they convert models and examples into unmistakable merchandise, which advances green entrepreneurship. Consequently, the green item encourages the development of green entrepreneurship. It is clear from the approval of the second sub-speculation that green entrepreneurship is emphatically and altogether influenced by the green plan of the items. As recently expressed, the most common way of creating a green item begins with arranging and incorporates different perspectives, for example, material determination, creation structure, creation process, pressing, delivery, and item use. There are more noteworthy possibilities for green entrepreneurship because of this large number of techniques. The ongoing review's discoveries line up with those of the previous one.

The effect of green stock chains for green entrepreneurship is affirmed by the third examination sub-speculation. Green inventory chains are required. The excursions of supply chains start with lean, with an accentuation on reducing expenses, then, at that point, change to lithe, with an accentuation on answering clients, lastly to versatile, with an objective of being ready for any gamble that might emerge and assisting them with getting back to their underlying or even superior state. This isn't the finish of the outing; we ought to now continue to

additional sustainable and green states. Being green opens up a ton of opportunities for different production network members, like makers, providers, and retailers, which at last outcomes in an increase in the quantity of possibilities for green entrepreneurship.

The fourth sub-speculation's affirmation shows that green entrepreneurship is emphatically and essentially influenced by green. As per the works, for inputs with a low natural effect and high productivity, as well as decreased waste and contamination, to open up in the creation processes, green assembling requires the presence of green business visionaries.

The fifth sub-speculation confirmed that harmless to the ecosystem things have a critical and good effect on sustainable turn of events. Various new harmless to the ecosystem merchandise and innovation are expected to fabricate a greener economy. The focus is currently on innovation in the sector of clean products to lessen the negative environmental and social effects of creation, rather than trying to further develop items towards the end of the assembly line. Sustainable development aims to address these concerns as well in order to protect the climate for future generations.

With respect to impact of green plan on sustainable turn of events, the 6th sub speculation is dismissed. Studies have exhibited that item configuration represents 80% of ecological impacts. Businesses can ensure that their items have recyclable and reusable parts by carrying out green plan. The clarification might be that, as opposed to beginning from scratch with item plan, the measurable populace of the momentum research — information-based organizations situated in Friendship College of the Science and Innovation Park — is naturally more engaged with increased creation or adding explicit characteristics to ebb and flow items. This study negates the idea that green plan helpfully affects sustainable turn of events, regardless of the way that previous exploration, including crafted by, upholds this case. Consequently, the creators explicitly suggest more prominent examination around here inside the setting of information-based businesses.

The seventh sub-speculation validates the useful and significant effect of the green store network on sustainable turn of events. As per Lotfi and Saghiri, supply binds are endeavoring to be lean, nimble, and versatile nowadays, and this affects how well they work regarding cost, adaptability, recuperation, and conveyance. Moreover, Carvalho recommends that supply organizations will move towards a greener model from now on. There is something else to a green production network besides scaling back contamination or utilization. The most common way of carrying out natural controls all through the store network is known as "greening the inventory network." Green inventory network the board joins store network activities with ecological criteria all through the whole acquisition, creation, and client conveyance process. Green stockpile

chains are along these lines lined up with sustainable turn of events.

It is clear from the affirmation of the eighth sub-speculation that green assembling well affects sustainable turn of events. Clean creation is one more term for green creation. Water and energy can be saved by executing forefront, clean advancements. It will eliminate waste and toxins. Moreover, by sticking to the general quality administration standards, reusing the unrefined substances utilized in the creation cycle can assist with achieving sustainable advancement objectives.

As indicated by the 10th sub-speculation, green entrepreneurship altogether and well impacts sustainable turn of events. To completely fathom green entrepreneurship, one should consider the monetary movements towards greening that are important because of the consumption of regular assets and natural issues, as well as pondering how business people might assist with building a sustainable future. The enterprising way to deal with sustainable improvement has been driven by natural open doors, which have adjusted business action to ecological contemplations. Besides, by utilizing specialized devices to help sustainable turn of events, entrepreneurship can feature changes in the origination of creation, activity, and innovation for the creation of another high result.

Managerial and Practical Implication: Given the importance of the impact that the green market's rise has had on both, presidents of information-based enterprises can advance green entrepreneurship and sustainable improvement by establishing and improving a green culture within their association. Presidents ought to put forth a greater amount of an attempt to green the creation and supply of labour and products, as they have the information expected to lay out green endeavours. This study explained how components of the green market's ascent, for example, green items, green plan, green stock chains, and green creation, can really help with growing opportunities for green entrepreneurship and sustainable turn of events.

Conclusion: The study explains "green business people" and their capability as pioneers who deliver all the more harmless to the ecosystem creation techniques, produce green positions, and raise buyer interest for eco-accommodating products — all of which act as focal points for keeping a green economy. Researching green entrepreneurship in the present business climate offers a fundamental course to sustainable innovation. The report stresses how significant green entrepreneurship is to advancing natural maintainability in the corporate world. Green business people significantly decrease their effect on the climate, empower asset proficiency, and settle social issues by integrating eco-accommodating methods, merchandise, and business techniques. The outcomes feature the meaning of developing a sustainable innovation culture in organizations, since green entrepreneurship isn't just reliable with moral and ecological standards yet in

addition shows guarantee for long haul monetary achievement. Businesses might add to a stronger and sustainable future by distinguishing and helping green innovative endeavours. This addresses a worldview change in the mission for innovation that adjusts natural obligation and financial development.

References:-

1. Abdollahzadeh, G., & Sharifzadeh, M. S. (2014). Integration of sustainability in the process of entrepreneurship: Explaining the concept, needs and requirements of sustainable entrepreneurship and the green business. *J. Entrep. Agric*, 1, 39-62.
2. Barkemeyer, R., Holt, D., Preuss, L., & Tsang, S. (2014), "What happened to the 'development' in sustainable development? Business guidelines two decades after Brundtland". *Sustainable development*, 22(1), pp.15 -32.
3. Cloutier, S., & Pfeiffer, D. (2015), "Sustainability through happiness: A framework for sustainable development". *Sustainable Development*, 23(5), pp.317 -327.
4. Carley, M., & Christie, I. (2017). *Managing sustainable development*. Routledge.
5. Dutta I. and Haldar S., (2019), *Green Entrepreneurship in Theory and Practice: Insights from the Indian Market*, *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*
6. Emami, D. (2014). Networks and clusters of green entrepreneurs, *Social, Economic, Scientific and Cultural Monthly. J. Work Soc*, 176, 50-64.
7. Gast, J., Gundolf, K., & Cesinger, B. (2017). Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions. *Journal of Cleaner Production*, 147, 44-56.
8. Hall R. (2013) *The Enterprising Ecovillager – Achieving Community Development through Innovative Green Entrepreneurship*. ISBN 978-609-8080-42-1. <https://www.globsyn.edu.in/blog/green-entrepreneurship-a-path-towards-sustainable-development/>
9. Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D. (2017), "The imperatives of sustainable development". *Sustainable Development*, 25(3), pp.213 -226.
10. Ishak, N., Kamal, E., & Yusof, N. (2017). The Green Manufacturer's Compliance With Green Criteria Throughout the Life Cycle of Building Material. *SAGE Open*, July-September 2017, 1-12.
11. Joshi, Y., & Rahman, Z. (2015). Factors affecting green purchase behaviour and future research directions. *International Strategic Management Review*, 3 (2015), 128–143.
12. Kirkwood, J.; Walton, S. How green is green? Ecopreneurs balancing environmental concerns and business goals. *J. Environ. Manag.* 2014, 21, 37–51.
13. Kumar S., Mishra M.K., (2018), *Rural entrepreneurship and employment generation in India: Review of*

- Literature Using R, AJANTA, Vol-VII, Issues-III, 119-129.
14. Li, Y.; Ye, F.; Sheu, C.; Yang, Q. Linking green market orientation and performance: Antecedents and processes. *J. Clean. Prod.* 2018, 192, 924–931.
 15. Lotfi, M.; Saghiri, S. Disentangling resilience, agility and leanness: Conceptual development and empirical analysis. *J. Manuf. Technol. Manag.* 2018, 29, 168–197.
 16. Nikolaou, I. E., Tasopoulou, K., & Tsagarakis, K. (2018). A Typology of Green Entrepreneurs Based on Institutional and Resource-based Views. *The Journal of Entrepreneurship* 27 (1), 111-132.
 17. O'Neill, K. & Gibbs, D. (2016). Rethinking green entrepreneurship – Fluid narratives of the green economy. *Environment and Planning A* 48 (9), 1727-1749.
 18. Pooja & Kumar S., (2019), Green Purchase Behaviour Among Young Generation: Mediating Role of Purchase Intention, *Think India Journal*, Vol-22-Issue-10-November-2019, 5262-5283
 19. Sharma, N. K., & Kushwaha, G. S. (2015). Emerging green market as an opportunity for green entrepreneurs and sustainable development in India. *Journal of Entrepreneurship & Organization Management*, 4(2), 2-7.
 20. Shields, P. & Rangarajan, N. (2013), "A playbook for Research Methods: Integrating Conceptual Frameworks and Project Management". Stillwater, OK: New Forums Press.

Figure 1: Graph-Based Display of Example Properties (%)

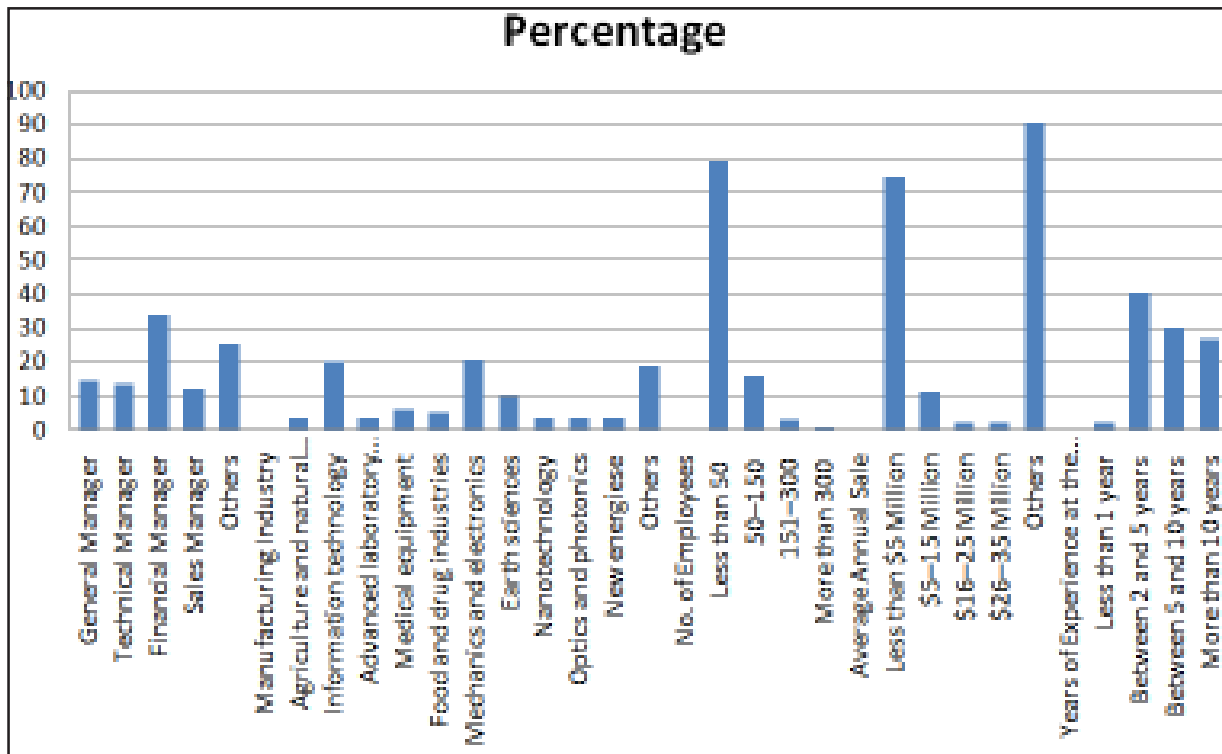


Table 2: Validity of sectional factor loading.

Question/ Variable	Green Product	Green Design	Green Supply Chain	Green Production	Green Entrepreneurship	Sustainable Development
GP1	1.74	1.13	1.29	1.12	1.30	1.27
GP2	1.66	1.54	1.33	1.4	1.35	1.23
GP3	1.69	1.18	1.4	1.2	1.30	1.28
GP4	1.89	1.50	1.6	1.36	1.52	1.48
GP5	1.85	1.52	1.46	1.45	1.47	1.55
GD1	1.44	1.79	1.28	1.32	1.5	1.40
GD2	1.39	1.58	1.18	1.27	1.16	1.29
GD3	1.33	1.76	1.43	1.23	1.40	1.20
GD4	1.35	1.87	1.39	1.39	1.36	1.38
GD5	1.15	1.68	1.34	1.30	1.30	1.32
GS1	1.32	1.39	1.9	1.4	1.52	1.34
GS2	1.40	1.36	1.85	1.20	1.50	1.30
GS3	1.46	1.46	1.79	1.40	1.47	1.44
GS4	1.36	1.29	1.80	1.44	1.6	1.40
GS5	1.6	1.27	1.75	1.42	1.44	1.49
GP1	1.40	1.48	1.27	1.74	1.40	1.32
GP2	1.16	1.23	1.2	1.63	1.13	1.19
GP3	1.25	1.26	1.4	1.67	1.25	1.35
GP4	1.27	1.43	1.34	1.85	1.26	1.40
GP5	1.3	1.03	1.5	1.59	1.14	1.6
GE1	1.35	1.42	1.48	1.27	1.82	1.36
GE2	1.48	1.45	1.49	1.20	1.9	1.22
GE3	1.35	1.20	1.56	1.35	1.84	1.19
GE4	1.33	1.27	1.5	1.24	1.62	1.29
GE5	1.49	1.5	1.6	1.4	1.79	1.40
SD1	1.34	1.30	1.28	1.34	1.25	1.74
SD2	1.5	1.43	1.32	1.19	1.29	1.74
SD3	1.30	1.25	1.20	1.20	1.15	1.63
SD4	1.34	1.34	1.45	1.55	1.20	1.82
SD5	1.46	1.33	1.49	1.54	1.46	1.78

Figure 2:Sectional factor loads represented graphically for validity.

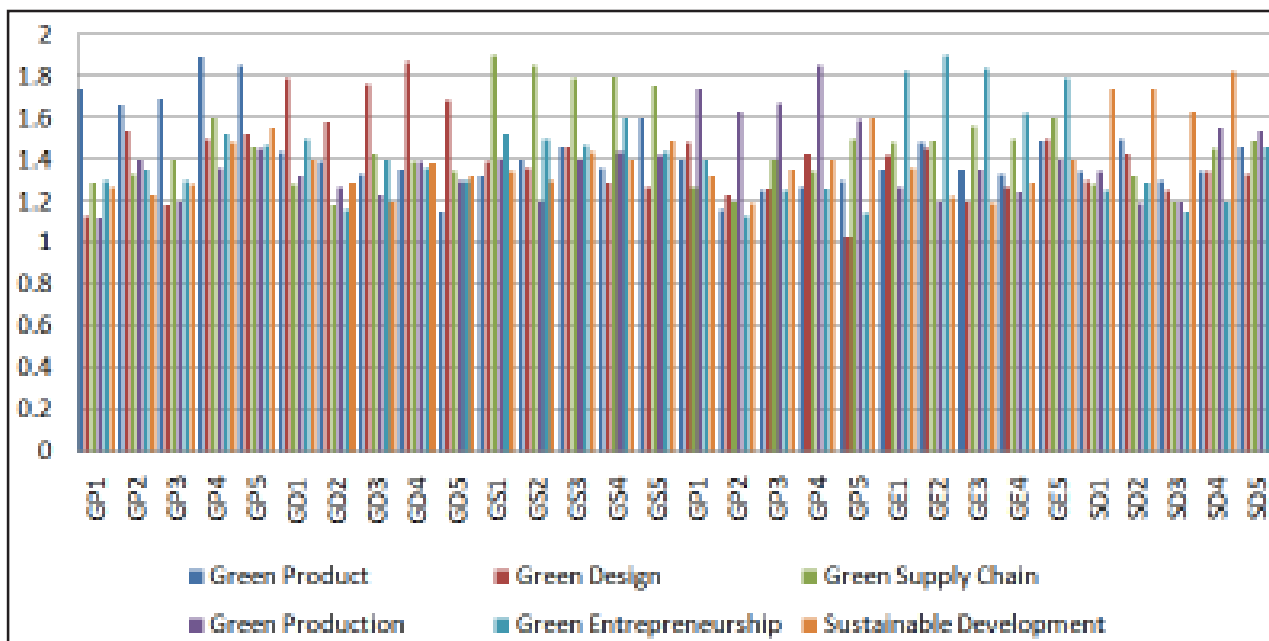
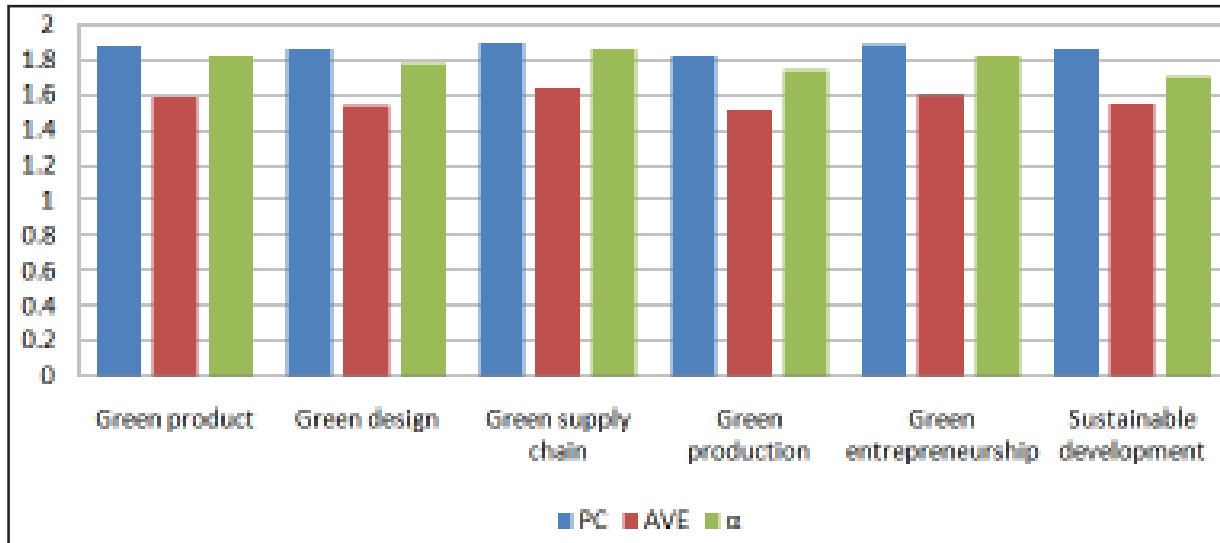


Figure 3: Visual Representation of the constructions' reliability.



Beyond Technical Proficiency: Nurturing Soft Skills for Career Success

Dr. Anjali Dhabhai* Ms. Uarvashi Rathore**

*Associate Professor, GITS (Raj.) INDIA

**Assistant Professor, GITS (Raj.) INDIA

Abstract - Students need to acquire soft skills since they are crucial to achieving success in both life and work. These abilities go beyond academic knowledge and technical expertise and include communication, teamwork, flexibility, problem-solving, and emotional intelligence. In addition to being crucial for academic achievement, soft skills help students get ready for a competitive and dynamic employment market. They serve as the cornerstone on which students can construct satisfying lives and prosperous careers. Having technical expertise in a particular field of work is referred to as hard skills. They are qualitative skills that can be evaluated based on credentials, experience, and academic success. Soft skills, on the other hand, are social abilities that are acquired through life and individual encounters. There is no requirement for formal education to develop soft skills. They are non-technical abilities such as personality traits and a career-focused outlook. With enough time and effort, they can be improved. Furthermore, the finest teacher is experience.

Introduction - The fundamental abilities you must develop in order to have an effective profession are called soft skills. Your approach to working and connecting with others is influenced by these characteristics of personality. Before talking about the value of soft skills for students, let's quickly review some interesting data analysis:

1. According to the Stanford Research Centre, Harvard University, and Carnegie Foundation, exceptional soft and people skills account for an amazing 85% of successful careers, with technical skills representing 15%.
2. According to data insights from the Skill Survey, 67% of HR managers will hire candidates even if their technical skills are poor if they have attractive soft skills.
3. According to McKinsey and Microsoft, social and emotional skills will be essential in 30–40% of sectors in the future.

What is a Soft Skill?

The conduct, ethical principles, and personality attributes of a person in the workplace are collectively referred to as soft skills. Every organization's recruiters and hiring managers look for candidates with excellent interpersonal and communication abilities. Soft skills are essentially separate personal qualities that an individual needs to fulfil their job responsibilities. Active listening, time management, networking, good teamwork, rational thought, and problem-solving are a few examples of soft skills. Each applicant for a job has an established set of skills relevant to that position. However, they stand out when someone leads

extra features and thinks outside the box. Soft skills, for instance, are greatly overlooked but crucial for an organization's success. They can be enhanced with training and time. A person feels confident and succeeds in their field of work since they possess a variety of soft skills.

What do you mean by soft skill training?

Employees that undergo soft skills training receive guidance on efficient techniques for problem-solving, teamwork, and communication. A number of soft skills also feature in training, such as the drive to take the initiative, emotional intelligence, and work ethics. Since soft skills are qualitative traits, it might be challenging to track your development over time. In order to help an organisation flourish via the growth and development of its personnel, it is crucial that the soft skills training programme used by the company is effective and efficient.

Why are soft skills so important for students?

Soft skills are essential for students as they play a pivotal role in personal and professional success. These skills, which encompass communication, teamwork, adaptability, problem-solving, and emotional intelligence, go beyond academic knowledge and technical expertise. Here's why they are important:

Enhanced Communication: Effective communication skills enable students to express their ideas clearly, understand others better, and build strong relationships. This skill is vital in both academic settings and future careers.

Collaboration and Teamwork: Soft skills like teamwork

and cooperation are crucial in today's collaborative work environments. Students who can work well with others can contribute effectively to group projects and excel in team-based tasks.

Adaptability: The ability to adapt to new situations and learn from experiences is invaluable. Soft skills like adaptability and resilience help students navigate the ever-changing landscape of education and the workplace.

Problem-Solving: Soft skills foster critical thinking and problem-solving abilities. Students who can analyze complex situations, think creatively, and find innovative solutions are better equipped to tackle real-world challenges.

Leadership: Soft skills such as leadership and decision-making are essential for those aspiring to lead teams or organizations. They enable students to inspire and motivate others, driving positive change.

Emotional Intelligence: Understanding and managing one's own emotions and empathizing with others is crucial. Emotional intelligence helps students navigate interpersonal relationships and handle conflicts constructively.

Professionalism: Soft skills like time management, organization, and a strong work ethic are vital in a professional setting. They contribute to a student's overall professionalism and can lead to career success.

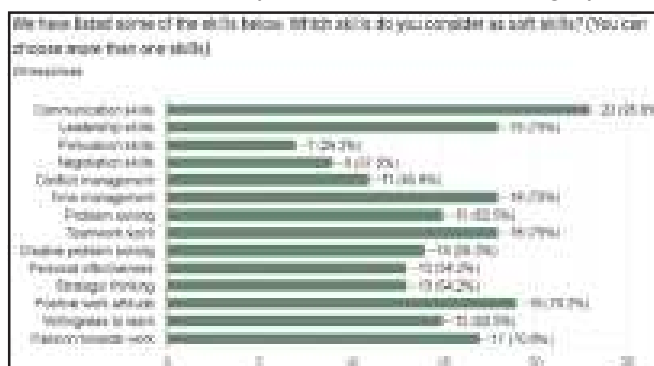
Networking: Building and maintaining professional relationships is easier with strong interpersonal skills. Networking can open up opportunities for internships, job placements, and career growth.

Personal Growth: Soft skills also contribute to personal growth and self-awareness. They help students build confidence, manage stress, and set and achieve their goals.

Importance of Soft Skills for Education: As we all know soft skills are crucial for career advancement and job satisfaction. They contribute to effective teamwork, leadership, and collaboration and They play a significant role in personal development.

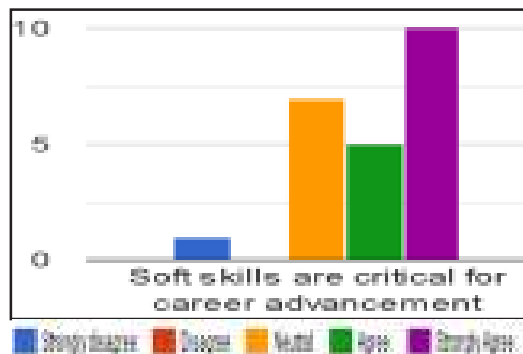
This is research on "Importance of soft skills for Education" where the perception of students is presented in the form of graph. Some questions were asked and the response is presented here.

The students were given a list of skills and they were asked to choose which skills are a part of soft skills. The answers have been represented here with this graph.



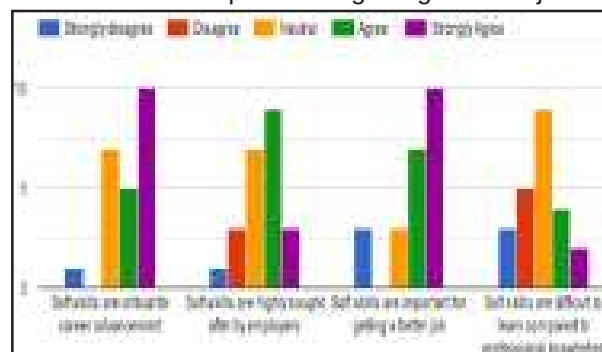
As we can clearly see that all the students agree that communication skills is more important and along with this Time management, Problem solving, Leadership and positive attitude is also important.

1. Soft skills are critical for career advancement?



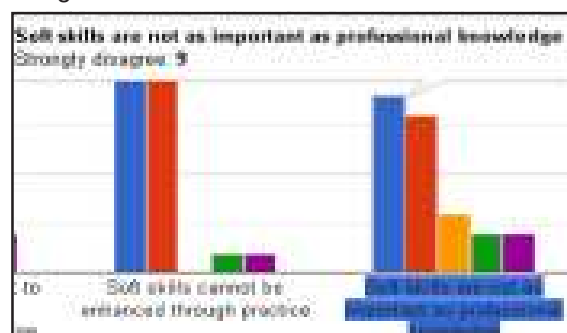
The response can be seen clearly that maximum students strongly agree and only 2 students out of 23 disagree.

2. Soft skills are important for getting a better job?



It can be seen here from the graph that maximum students agree that soft skills are important for getting a better job.

3. Soft skills are not as important as professional knowledge?



It can be seen that maximum students do not agree with the point that soft skills are not as important as professional knowledge.

Conclusion: Thus the research can be concluded with the statement that both hard skills and soft skills are required for getting job as a proficient. Only hard skills cannot get you a job.

"Both soft and hard skills are essential for organizations to achieve their goals and objectives. Given the choice

between the two, it is soft skills that are more important than hard skills. It is easy to teach hard skills but tough to train soft skills to employees,” Professor M.S. Rao, Ph.D., wrote in CEO World. “Hence, if organizations find employees with soft skills, they must hold them and engage them effectively to improve the bottom lines.”

References:-

1. <https://www.avanse.com/blog/7-important-soft-skills-for-students-to-be-future-ready#:~:text=highlight%20soft%20skills%3F-,Why%20are%20soft%20skills%20important%20for%20students%3F,These%20skills%20improve%20employability>
2. <https://www.knowledgehut.com/blog/others/soft-skills-and-its-importance>
3. Srinivasa Krishna. K, Kuberudu.B. Business Communication and Soft Skills, Excel Books Publication.2008.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
5. <https://onlinemba.wsu.edu/blog/the-importance-of-learning-hard-and-soft-skills>

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनीतिक विचार : एक अध्ययन

डॉ. निशा शर्मा *

* बाबा नर्सिंग दास पीजी कॉलेज, नेछवा, सीकर (राजस्थान) भारत

प्रस्तावना – भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में महानतम कार्य करने वाले डॉ. भीमराव अम्बेडकर की गणना सच्चे देशभक्तों में की जाती है। उनके कार्यों का प्रभाव समाज के केवल वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करके सामाजिक समरसता एवं बन्धुत्व भावना को ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का कार्य किया।

उनके कार्यों को संकुचित अर्थों में देखना वास्तव में उनके महान योगदान के समग्र प्रभाव को अनदेखा करना ही कहा जायेगा। उनका योगदान केवल महान विचारों की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों द्वारा समाज में परिवर्तन लाने में भी उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की।

डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख राजनीतिक विचार इस प्रकार हैं – डॉ. अम्बेडकर एक तत्त्व चिन्तक दार्शनिक तथा राजनीतिक चिन्तक होने के साथ-साथ व्यावहारिक राजनीति में भी असाधारण प्रभाव रखते थे। उन्होंने भारत की विशिष्ट राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में अपने विचार प्रकट किये हैं।

1. लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली – लोकतंत्र को प्रायः विचार विमर्श का शासन अथवा जनता का शासन माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप एवं पद्धति है जिसमें बिना रक्तपात के ही व्यापक अथवा क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली का समर्थन इस कारण किया था, कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता है, इसमें कोई व्यक्ति, सत्ता का प्रतीक नहीं होता है तथा इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास अपेक्षित होता है। वे यह स्वीकार करते थे कि संसदीय प्रणाली में सरकार के अंग कभी-कभी धीमी गति से काम करते हैं। कभी कार्यपालिका के मार्ग में विधायिका रोड़े अटकाती है तो कभी न्यायपालिका बाधा उपस्थित कर देती है। इस प्रणाली में जनता के राजनीतिक अधिकारों की दुहाई तो दी जाती है किन्तु असहनीय गरीबी और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किये जाते हैं। डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसकी सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है। जब समाज में असमानताएँ न हो तथा सुदृढ़ विपक्षी दल विद्यमान हो। वे यह भी मानते थे कि स्थायी सिविल सेवा एवं संवैधानिक नैतिकता भी संसदीय लोकतंत्र की

सफलता के लिए आवश्यक है। उनके अनुसार करिश्माई नेतृत्व, व्यक्ति पूजा, जाति प्रथा, सामाजिक विषमता आदि प्रवृत्तियों लोकतंत्र को कमजोर बनाती हैं। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्याकों की निरंकुशता नहीं होनी चाहिये।

2. राज्य सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर राज्य को एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते थे। वे राज्य को सर्वशक्तिमान एवं निरंकुश नहीं बल्कि समाज सेवा का एक साधन मानते थे। उनके अनुसार राज्य समाज से सर्वोच्च नहीं होता है, बल्कि वह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कर नवीन व्यवस्था की स्थापना का कार्य करता है। वह लोगों के अधिकारों की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विषमताओं का अंत, आन्तरिक व्यवस्था की स्थापना, बाह्य आक्रमण से रक्षा आदि कार्यों को सम्पन्न करता है। वे यह मानते थे कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि आज्ञा पालन की प्रवृत्ति है। वे राज्य के अस्तित्व का आधार लोगों में सत्ता पालन की भावना को मानते थे, किन्तु उन्होंने राज्य के अन्यायपूर्ण आदेशों के पालन का समर्थन नहीं किया है।

3. शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन – डॉ. अम्बेडकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन करते थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन माण्टेस्क्यू ने किया था। लॉक ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसके अनुसार सरकार के तीन अंगों कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्याय पालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होना चाहिये। इससे नागरिकों की स्वतंत्रताएँ सुरक्षित रहती हैं तथा शासन के अंगों में नियंत्रण एवं संतुलन भी बना रहता है। इसमें शासन की शक्ति अनियंत्रित नहीं हो पाती है तथा नागरिकों को उनके अधिकार भी सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं।

4. अधिकार सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर वंचितों के अधिकारों के महान समर्थन थे। वे व्यक्ति के कतिपय ऐसे अधिकारों को संविधान में स्थान दिये जाने का समर्थन करते थे, जो कि उनके अनुसार बहुत आवश्यक थे। वे मौलिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इनके संरक्षण के लिए वे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बहुत आवश्यक मानते थे। वे अधिकारों के पीछे कानूनी संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और नैतिक स्वीकृति को भी आवश्यक मानते थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया की भाँति होते हैं। अतः संसद और न्यायालय तभी उनकी समुचित सुरक्षा कर सकते हैं, जब समुदाय द्वारा भी

उन्हे स्वीकार किया जाय।

5. धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन – डॉ. अम्बेडकर प्रत्येक नागरिक के लिए अतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने व उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार के समर्थक थे। वे किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय का जबर्दस्ती सदस्य बनाए जाने का विरोध करते थे। वे प्रत्येक धार्मिक समुदाय को कानूनन लोकोपकारी धार्मिक सस्थाएँ चलाने का अधिकार दिये जाने का भी समर्थन करते थे। वे किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य करने के विरुद्ध थे, जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या बनाए रखने के लिए खर्च की जाय। डॉ. अम्बेडकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ धार्मिक सहिष्णुता के व्यवहार के भी समर्थक थे। वे एक ऐसे धर्म निरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे जिसमें सभी नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का संरक्षण हो सके।

6. सुदृढ़ केन्द्र संबंधी विचार – डॉ. अम्बेडकर भारत की एकता और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ केन्द्र की स्थापना को आवश्यक मानते थे। वे भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को भी उपयुक्त मानते थे। उनके अनुसार संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायिका तथा कार्यपालिका में सत्ता का केन्द्र तथा इकाइयों में वितरण करना है। इसी सिद्धांत का भारतीय संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कहना सही नहीं है, कि भारत में राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है।

7. भाषायी राज्यों पर विचार – डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि भाषायी प्रान्तों के निर्माण से लोकतंत्र अधिक अच्छी प्रकार से क्रियान्वित होता है। एक भाषायी प्रान्त में मिश्रित प्रान्त की तुलना में सामाजिक एकजुटता अधिक अच्छी प्रकार बनी रहती है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भाषायी प्रान्तों के निर्माण से तो कोई भी खतरा नहीं है किन्तु प्रत्येक प्रांत की एक ही भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बना दिया जाय तो इसमें खतरा है। यदि क्षेत्रीय भाषाओं को राज भाषा बना दिया जाय तो प्रत्येक प्रान्त में ऐसी संकुचित संस्कृति का विकास होगा जिसकी परिणति अन्ततोगतवा भारत की एकता को खण्डित करने में होगी।

भाषायी राज्य को समय की आवश्यकता मानते हुए उन्होंने इसके समर्थन में ये तर्क दिये थे कि इससे जातीय और सांस्कृतिक तनावों को दूर किया जा सकेगा। वे चाहते थे कि संविधान में ही इस बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिये कि प्रादेशिक भाषा सरकारी भाषा नहीं होगी। वे हिन्दी को राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा बना दिये जाने के पक्ष में थे। वे यह भी चाहते थे कि जब तक हिन्दी का समुचित विकास नहीं होता तब तक अंग्रेजी को चलने दिया जाना चाहिये।

8. पाकिस्तान निर्माण संबंधी विचार – डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि यदि किसी समुदाय में राष्ट्र के सभी तत्व मौजूद हैं तो वह एक पृथक राष्ट्र की मांग कर सकता है। पाकिस्तान की मांग को वे एक सांस्कृतिक समूह द्वारा अपने पृथक विकास की मांग के रूप में देखते थे। वे इसे परेशानी का कारण नहीं मानते थे।

9. समुदाय के सुधार हेतु विधि निर्माण का समर्थन – डॉ. अम्बेडकर समुदाय के सुधार हेतु विधि निर्माण के प्रबल समर्थक थे। वे यह मानते थे कि निर्वाचित संसद को इस प्रकार विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार है।

वे हिन्दू कोड बिल के प्रबल समर्थक थे। हिन्दू कोड बिल में यह प्रतिपादित किया गया था कि विवाह के लिए जाति निर्धारित मापदण्ड नहीं है। इसमें महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार एवं उत्तराधिकार के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। डॉ. अम्बेडकर इसे महिलाओं की प्रगति का स्रोत मानते थे। हिन्दू कोड बिल का संसद में तथा उसके बाहर प्रबल विरोध हुआ। इसके कुछ अंशों में संशोधन भी करना पड़ा। डॉ. अम्बेडकर ने इससे असहमत होते हुए सन् 1951 में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया था।

10. समाज व्यवस्था में सुधार का प्रबल समर्थन – डॉ. अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित चतुर्वर्णीय व्यवस्था का प्रबल विरोध किया था। वे अस्पृश्यता को अमानवीय और औचित्यरहित प्रथा मानते थे। वे इसे मनुष्यकृत दुर्गुण मानते थे। उन्होंने अस्पृश्यों की शोचनीय स्थिति को देखते हुए उसे सुधारने के लिए अथक आर्थिक और सामाजिक प्रयत्न जीवनभर किये।

11. जाति प्रथा के उन्मूलन सम्बन्धी विचार – डॉ. अम्बेडकर भारत में जाति की समस्या को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से एक विकराल समस्या मानते थे। उनका यह विश्वास था कि भारत में जाति प्रथा पहले से ही विद्यमान थी। मनु ने इसका पोषण किया और उसे एक दर्शन का रूप दे दिया। मनु ने जाति को संहिता का रूप प्रदान करते हुए जाति-धर्म का प्रचार किया।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि प्रारंभ में अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी चार वर्णों में विभाजित था। ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण कहलाते थे। आरंभ में व्यक्ति अपना वर्ण बदल सकता था तथा इसी कारण वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी। बाद में वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे संकुचित बनते चले गए तथा उन्होंने जातियों का रूप ले लिया। कुछ जातियों की संरचना नकल से हुई है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने अध्ययन में जाति समस्या के चार पक्ष उजागर किये हैं।

1. हिन्दू जनसंख्या में विविध तत्वों का सम्मिश्रण होते हुए भी दृढ़ सांस्कृतिक एकता है।
2. जातियाँ इस विराट सांस्कृतिक इकाई के अंग हैं।
3. प्रारंभ में केवल एक ही जाति थी।
4. वर्णों में एक-दूसरों का देखकर या बहिष्कार से विभिन्न जातियाँ बन गईं।

डॉ. अम्बेडकर सामाजिक प्रणाली में सुधार करने पर जोर देते थे। उनका मत था कि जिस प्रकार एक देश दूसरे देश पर शासन करने योग्य नहीं होता है उसी प्रकार एक वर्ग भी दूसरे वर्ग पर शासन करने योग्य नहीं होता है। वे हिन्दू परिवार के सुधार के अर्थ में समाज सुधार और हिन्दू समाज के पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण इन दोनों में अंतर करते हैं। वे पहले प्रकार के समाज सुधार का संबंध विधवा विवाह, बाल विवाह, आदि से मानते थे, जबकि दूसरे प्रकार के समाज सुधार का संबंध जाति प्रथा के उन्मूलन से मानते थे। उनके अनुसार जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी है। यह एक ऐसी श्रेणी बद्य व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के उपर दूसरे क्रम में होता है।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि अब विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं।

संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिन्दू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झुठी शान और स्वार्थ का प्रतीक है, जिसकी विशिष्ट सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उन्होंने जाति प्रथा को प्रचलित किया और बलपूर्वक अपने से निचले तबकों के लोगों पर लागू किया।

डॉ. अम्बेडकर यह मानते थे कि समाज में जाति प्रथा से असामाजिक तत्वों को और नफरत की भावना को बढ़ावा मिलता है। जाति प्रथा स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न करती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि धर्म परिवर्तित व्यक्ति को किस जाति में स्वीकार किया जायगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है। जाति का नियम ही यह है कि उसकी सदस्यता उसी जाति में उत्पन्न व्यक्ति को प्राप्त होती है। जातियाँ स्वषासित होती हैं। हिन्दू समाज अनेक जातियों का समूह है। हर एक जाति एक बन्द निगमित संस्था की तरह है। धर्म परिवर्तित व्यक्ति के लिए किसी भी जाति में कोई स्थान नहीं रहता है। इसी से इस धर्म का प्रचार नहीं हो सका क्योंकि अन्य समुदाय इसमें समुचित रूप से लीन नहीं हो सके। जब तक यह प्रथा रहेगी तब तक हिन्दू धर्म प्रचारात्मक धर्म नहीं बन सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि जाति प्रथा जनचेतना को नष्ट कर देती है। इसके कारण किसी भी विषय पर सार्वजनिक सहमति नहीं बन पाती है। उत्तरदायित्व का, गुणों का तथा नैतिकता का आधार जाति ही होती है। इससे राष्ट्रीय भावनाएँ भी संकुचित होती हैं।

12. आदर्श समाज की संकल्पना- डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज एक ऐसा समाज है, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होगा। इसमें वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा नहीं होगी। इनके उन्मूलन में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसा वर्ग जो दूरदर्शी हो तथा सुझाव देने तथा नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो तो वह यह कार्य कर सकता है। ऐसे राज्य का सम्पूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर

होगा। ईमानदार, स्वतंत्र निष्पक्ष और विश्वसनीय बुद्धिजीवी वर्ग संकट में निर्णय लेकर उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।

डॉ. अम्बेडकर पुरोहित वर्ग को कानून द्वारा नियंत्रित करते हुए उसके लिए आचार संहिता का निर्माण करना चाहते थे। वे पुरोहिताई को एक लोकतान्त्रिक संस्था बनाना चाहते थे तथा इसके अवसर सभी के लिए खोलना चाहते थे। इस प्रकार वे जाति प्रथा का उन्मूलन करना चाहते थे। इस कार्य को वे स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विश्वास था कि जातिविहीन हिन्दू समाज अधिक शक्तिशाली होगा।

निष्कर्ष - डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक चिन्तन भारत में सुधार एवं आमूलचूल परिवर्तन को समर्पित है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया किन्तु वे भारत में व्यापक सामाजिक सुधारों के आकांक्षी थे। वे राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार चाहते थे। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के आदर्शों का भारतीय संविधान में बहुत सुंदर रूप में समावेश करने में उनका प्रशंसनीय योगदान माना जाता है। उन्होंने भारत में वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी उन्होंने असाधारण प्रयास किये। भारत में उनके महान योगदान का सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाबा साहेब : डॉ. अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय।
2. वी.पी. वर्मा : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन।
3. के. दामोदरन : भारतीय चिन्तन परम्परा।
4. जवाहर लाल नेहरू : भारत की खोज।
5. धनन्जय कीर : डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन।
6. तारचन्द : भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास।
7. रामधारीसिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय।

Comparative Study of Libraries of Lead Colleges of Nimar Region From the Point of View of Resources, Modern Technology and Users

Pritee Gulwaniya* Dr. M. Suresh Babu**

*Research Scholar (Library Science) Mansarovar Global University, Sehore (M.P.) INDIA

** Professor (Library Science. Faculty of Library & Information Science) Mansarovar Global University, Sehore (M.P.) INDIA

Abstract - Nimar is an independent geographical sub-region located in Indore division in the south-west part of Madhya Pradesh. The shape of Nimar region is visible like a crown. The rectangular Nimar is situated between 21°5' north latitude to 22°38' north latitude and 74°2' east longitude to 77°13' east longitude¹.

There are four lead colleges in Nimar region. Their names are Shri Neelkantheshwar Government Post Graduate College, Khandwa, Pandit Jawaharlal Nehru Government Post Graduate College, Nepanagar, Shaheed Bhima Nayak Government Post Graduate College, Barwani and Government Post Graduate College, Khargone. Three of these colleges are located in district headquarters. The lead college of Burhanpur district is located in Tehsil Headquarters at Nepanagar. The evaluation of the libraries of lead colleges is being done on the basis of resources, modern technology and users.

Keywords- lead college, infrastructure, modern technology, users, E-library etc.

Research Methodology - Field study, Interviews, questionnaires, study of documents, registers, files, self-study reports have been used to obtain data and information for this research paper.

Introduction - One Lead college has been established in each district of Madhya Pradesh. It is the main college of the district. All the remaining colleges in the district, work under the control and direction of the lead college. Lead colleges are comparatively more prosperous than other colleges and the number of students studying here is also relatively high. Comparative study of libraries of lead colleges of Nimar region from the point of view of resources, modern technology and users is being presented through following points-

1. Infrastructure: Under infrastructure, library buildings, rooms, shelves etc. were inspected. All the four colleges in Nimar region have separate buildings for library. The condition of library buildings of Barwani, Khargone and Khandwa districts is better than the lead college of Burhanpur district in terms of area, construction etc. All the four lead colleges have separate rooms for librarians and counters have been set up for issuing books.

The lead colleges of Barwani, Khargone and Khandwa have a large number of wooden shelves to keep books. These are very old colleges and years ago the use of wooden shelves for the library was in vogue. These shelves made of saal and teak wood are strong, but the problem of termites is more in these shelves. The books were found to be damaged due to termites. At present, steel glass

shelves are being bought more. Not only are books being relatively safe on these shelves, rather, it is also getting more convenience in selecting books to issue.

During the physical survey, it was observed that the library buildings are getting smaller with time. At the time when these buildings were constructed, the number of students studying in the four lead colleges and the number of books was less. These buildings were sufficient for that time. But over time, the number of students taking admission in these colleges increased considerably. Books were also purchased. This is the reason why these buildings are no longer able to meet the requirements of the library. The survey found the conditions of keeping many books on top of shelves or on the floor. The number of students taking admission in the four lead colleges in the session 2023-24 was as follows-

N.	Name of Lead College	Number of students in the session 2022-23
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	5285
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	855
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	9153
4	Govt. Post Graduate College, Khargone	7821

Table-1: Number of students in the current session 2022-23²

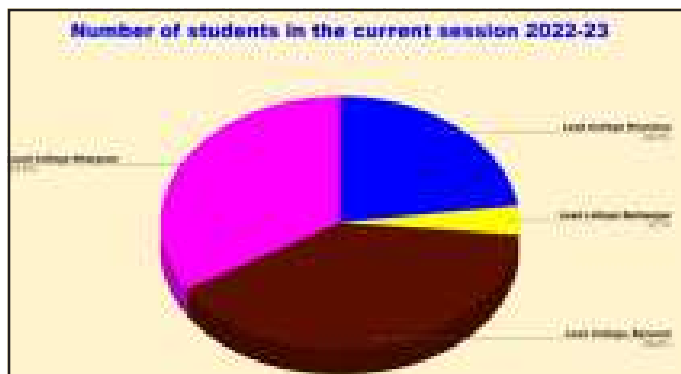


Chart-1: Number of students in the current session 2022-23

Maximum students are studying in the lead college of Barwani district and the lowest in the lead college of Burhanpur district.

2. Availability of books: In terms of number-wise availability of books, the position of lead colleges of Khandwa, Khargone and Barwani was found to be very good. More than sixty years have passed since the establishment of libraries in these colleges. Over the years, books were constantly bought. The number of books in the lead college of Burhanpur district is comparatively very less. The reason for this was found that the lead college of Burhanpur district, Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar was established in 1982 and the number of students studying here has also been comparatively very low.

On a quality view, it was found that more than 60 per cent of these book editions were very old. The pages of many books have become so weak that they are torn when they are turned over. Some books, despite being of old editions, retain their importance and usefulness, as their new editions have ceased to be printed. The availability of those books in the market has ended. These books have come under the category of rare books. But most of the old books have lost their relevance because the education system and syllabus have changed over the years. In the survey, students have confirmed that they are not getting adequate number of books from the library according to their syllabus.

The Madhya Pradesh Govt. has implemented the National Education Policy 2020 from the session 2021-22. The subjects and syllabus of NEP have undergone a lot of change. Major, minor, elective, open elective, vocational subjects have started. Some topics have been added brand new, such as the idea of India. The syllabus of most of the subjects has changed a lot. There has also been a change in the examination method. According to the new examination system, the books available are not proving successful in meeting the needs of the students. The total number of books available in the lead colleges of the region are as follows:

N.	Name of Lead College	Number of books available
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	63121
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	14868
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	93620
4	Govt. Post Graduate College, Khargone	47651

Table-2: Number of books available in the lead college libraries³

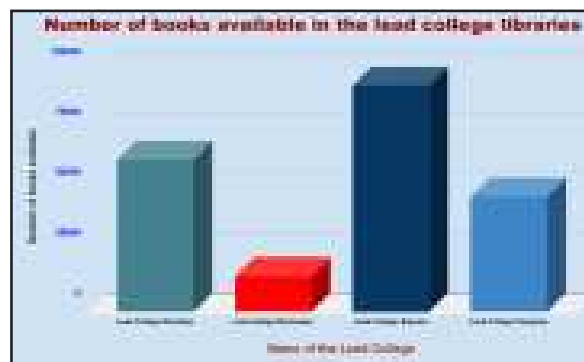


Chart-2: Number of books available in the lead college libraries

The maximum number of books are in the lead college of Barwani district and the lowest number of books are in the lead college of Burhanpur district.

3. Status of purchase of new books: The situation regarding the purchase of new books has not been very encouraging in the last decade. Only books distributed free of cost to SC and ST students are being purchased regularly.

These books are issued to the students in perpetuity, so their number does not add to the total number of books in the library.

Allotment for purchase of books is usually received from University Grants Commission, State Govt., RUSA i.e., Rastriya Uchchatar Shiksha Abhiyan and Local Public Participation Committee. None of the four colleges is getting allotment for purchase of books from these sources annually and regularly.

This is the reason that the pace of buying new books is very slow. Since new books are not being purchased in sufficient numbers in colleges, libraries are not able to cater to the needs of students as per the new syllabus.

Tender system is used for purchasing books. Notice of invitation to tender is published in newspapers. This notice is also pasted on the notice boards of the college. The last date for submission of tender is fixed. The tenders received are opened in the presence of the bidders. After this, a comparative chart is prepared and the highest discount bookseller is ordered to purchase the book.

Information about subject-wise books, their authors and publishers is given by the professor of the concerned subject. The budget allocation and purchase of new books in the last ten years has been as follows:

N.	Name of Lead College	Budget allotted	Books Purchased
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	1748203	8742
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	563071	3320
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	455609	1869
4	Govt. Post Graduate College, Khargone	385000	7475

Table-3: Number of books purchased in last ten sessions⁴



Chart-3: Number of books purchased in last ten sessions

In the last ten sessions, the maximum number of 8742 books were purchased in the Lead College of Khandwa district and the least number of books were purchased in the Lead College of Barwani district. The period of ten years is very long, in this respect the number of books purchased for the library of any lead college is not satisfactory.

4. Availability of Library Staff: It is essential to have adequate and trained staff for the efficient functioning of the library. The lead colleges of Nimar region have Librarian, Assistant Librarian, Computer Operator, Book Lifter, Assistant etc. In all the four lead colleges, regular librarians selected through Madhya Pradesh Public Service Commission are working. The total available staff strength in the library of lead colleges is as under:

N.	Name of Lead College	Total number of staff members
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	04
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	02
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	08
4	Govt. Post Graduate College, Khargone	04

Table-4: Available staff members in the lead college libraries⁵

In terms of the number of staff, the lead college of Barwani district is in a better position. Due to a smaller number of books and students in the lead college of Burhanpur district, the number of staff has been kept at only two. The number of staff in Khandwa and Khargone was found to be good.

5. Use of modern technology: Modern technology generally includes the use of computers and the Internet. Data storage and library operations are possible more effectively through the use of library related software such as SOUL. Three lead colleges of Nimar region are progressing progressively in the use of modern technology. One lead college has been found to be lagging behind in this regard. The survey found the status of availability of computers in libraries of lead colleges of the area as follows:

N.	Name of Lead College	Total Computers available
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	17
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	01
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	22
4	Govt. Post Graduate College, Khargone	04

Table-5: Number of Computers, available in the libraries⁶

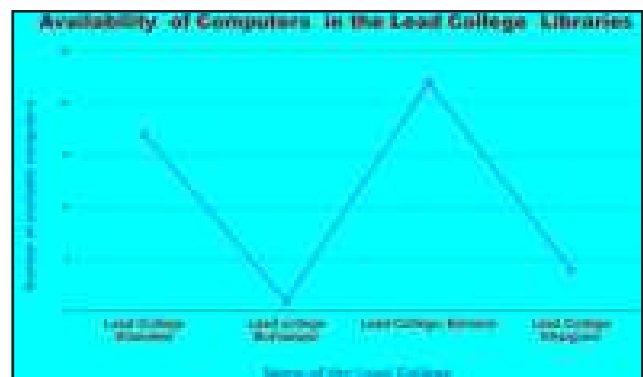


Chart-4: Number of Computers, available in the libraries

The lead college of Barwani district is in the most advanced stage in terms of modern resources. During the survey, it was found that two printers and inverters are also available here. The process of automation has been done in the colleges of Khandwa, Barwani and Khargone. Newer versions of SOUL software are being used. Computers are being used to issue books to students. Also, entry is made in the register so that signatures of students can be taken as proof.

The lead college of Burhanpur district is far behind in terms of the use of modern technology. There is only one computer in the library, which is used only for typing etc.

6. Status of E-Library: The facility of e-library is available in lead colleges of Barwani, Khandwa and Khargone

districts. The lead college of Burhanpur district has not been able to provide e-library facility so far. Software like N-List, E-Granthalaya are being used for E-library.

The number of staff members and students taking advantage of the availability of E-library is very less. Pupils and librarians during the survey on discussion, it was found that students are not yet familiar with the concept of e-library.

7. Research facilities: Research is an important dimension of the higher education system. The library plays a major role in providing secondary sources in the process of research. The three districts of Nimar region are Barwani, Khandwa and Khandwa Research Centers. From here, Ph.D. can be done in Hindi, History, Geography, Zoology, Botany, Commerce etc. subjects under Devi Ahilya University. Being a research Centre, the availability of reference books and research journals is as follows:

N.	Name of Lead College	Reference books	Reference Journals
1	Shri Neelkantheshwar Govt. Post Graduate College, Khandwa	1285	19
2	Pandit Jawaharlal Nehru Govt. College, Nepanagar	Nil	Nil
3	Shaheed Bheema Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani	4450	16
4	Govt. Post Graduate College, Khandwa	357	05

Table-6:Availability of Reference books and Research Journals⁷

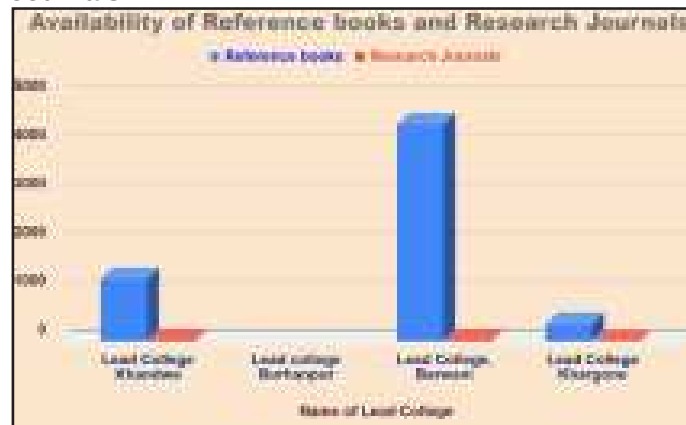


Chart-5:Availability of Reference books and Research Journals

Lead College Barwani is at the forefront in terms of reference books. There are maximum 4450 reference books here. There are 357 reference books in Lead College, Khandwa. Lead College Khandwa is the richest in terms of research journals. There are 19 research journals available here. Barwani is on second rank and Khandwa is on third rank. Neither reference books are available in the

lead college of Burhanpur district nor a single research journal has been subscribed there.

8. Inclination of students towards the use of library:

It was revealed in the survey that the inclination of students towards the use of library has not been found very good in any lead college of Nimar region. Students are not showing interest in going to the library and getting books from there. The library is mainly for the use of the students, but the condition of the use of the library by the students is very dismal. The total number of students admitted in these lead colleges and the number of students using the library in the last ten years has been as follows:

Table-7 (see in last page)

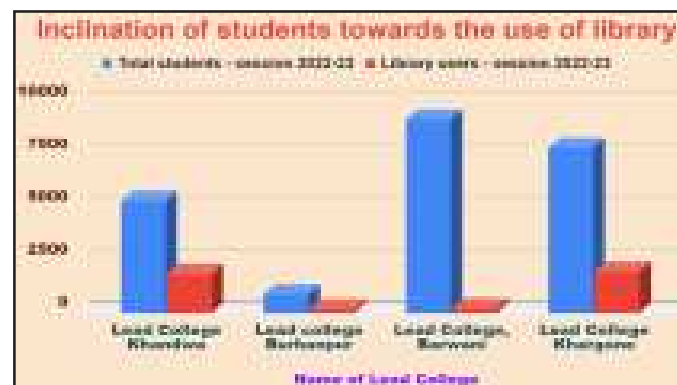


Chart-6:Inclination of students towards the use of library

Compared to other colleges, the situation of getting books from the library by the students in the lead college of Khandwa district seems to be better.

9. Documentation and Maintenance: The condition of documentation related to the library and the maintenance of the library has been found to be good in the lead colleges of the four districts of the region.

Necessary registers, catalogs and files are being maintained for recording the information related to the library and for the preservation of documents.

The Accession Register contains entries for all books that appear in the library. Catalogues have been prepared to classify books subject-wise. Registers have been maintained to issue books to students. Similarly, important instructions of the Govt., orders, rules, principal's orders etc. are being preserved in the file. Tenders and bills are also being filed for future reference.

To protect the books from termites, phenyl tablets are kept and termite killer powder is sprayed. Physical verification of books is done every year. Damaged books are banded so that they can be kept safe.

Conclusion: In this way, it is clear that there is a lot of difference in the libraries of lead colleges of Nimar region. The library of lead College of Burhanpur district has not developed adequately. The lead college libraries in other districts have a large number of books, but most of them are outdated. The purchase of new books is not happening

at the expected pace. After the implementation of the National Education Policy-2020, there has been a lot of difference in subjects and syllabus. There are very few books available in terms of NEP. The use of modern resources is also being greatly less. The E-library appears only on paper. It is not being exploited properly. Apart from Barwani, there is also a shortage of library staff in other lead colleges. The inclination of students towards book issuance is surprisingly low. Continuous efforts are needed to develop in all areas.

References:-

1. Madhya Pradesh: A Geographical Study, Author- Dr. Pramila Kumar, Publisher- Madhya Pradesh Hindi Granth Academy, Bhopal, Edition- 2002. Page-41.
2. Admission list files of above four lead colleges of session 2022-23.
3. Accession registers of above four lead colleges.
4. Purchase and bill files of above four lead colleges of last ten session.
5. Staff lists of above four lead colleges during the survey.
6. General stock registers and E-Library files of above four lead colleges.
7. Accession registers of above four lead colleges.
8. Books issue registers of above four lead colleges of last ten sessions.

No.	Session	Khandwa		Burhanpur		Barwani		Khargone	
		Total students	Library users	Total students	Library users	Total students	Library users	Total students	Library users
1	2013-14	2645	1132	380	48	5860	1561	5916	806
2	2014-15	2832	1050	356	56	6683	1386	6042	1425
3	2015-16	2705	901	395	86	6301	876	6272	1816
4	2016-17	3170	1270	472	116	6789	314	6544	2128
5	2017-18	3430	1501	580	128	7073	445	6612	2092
6	2018-19	3901	2019	677	146	7557	630	6883	2087
7	2019-20	4361	1998	284	183	7750	709	7038	1910
8	2020-21	5171	1879	928	162	10665	726	7123	1224
9	2021-22	5567	2038	1004	216	11374	684	7365	2035
10	2022-23	5285	1846	855	176	9153	210	7821	1936
		39067	15634	5931	1317	79205	7541	67616	17459

Table-7: Inclination of students towards the use of library⁸

An Analysis of Investment Behaviour of Rajasthan Government Employees with Special Reference to College Education Department

Dr. Narendra Marwada* Dr. Divya Solanki**

*Assistant Professor (Accountancy and Statistics) Government College, Kherwara (Raj.) INDIA

** Assistant Professor (Economic Administration and Financial Management) Government Girls College, Kherwara (Raj.) INDIA

Abstract - The present paper analyzed the behavioural pattern of investment of selected investor. It focuses on the fact that the investors are rational in nature, having limits to their self-control and are influenced by their own limitations and their bounded knowledge. The aim of research paper is to understand the various aspects and factors which influence the behaviour of an individual investor while making his investment decision for both short time and for long time perspectives. For the purpose of this study, we have taken 100 sample of salaried employees of college education department of Government of Rajasthan. The data used in the study are both primary and secondary. Using the convenience sample technique, the responses were collected and analyzed using tables, graphs and chi-square test is used for testing the hypothesis. Outcomes of the study shows that the decision of selected investor influence by percentage of savings, expenditure and tax saving perspective.

Keywords: Savings, Investment, Behaviour, Patterns.

Introduction - Future is a bundle of lots of uncertainties. Because of this reason, human being is not able to make protect himself from any unexpected risk, emergency situation and unexpected opportunities. For managing all three needs mentioned above, human beings make some plans for future. At present environment, the role of managing future become so vast and it becomes one of the popular business-like stockmarkets, mutual funds markets, insurance sectors, investments banking, post office saving options, government sectorschemes, real state, gold and silver markets and many more of the entire world. Because of availability of number of investments options and its awareness, a person can make easily his future plannings and investing their money with the different types of purpose and objectives such as making profit, security, wealth appreciation, income stability. In this paper, we study the behaviour pattern of investment of Rajasthan government employees. For understanding their behaviour towards investment, we examine all the factors which they consider while making investments plans as well as also examines all those parameters (like range of salary, expenditure percentage, requirement of investment, type of investment plans and other) on which their decisions are based.

Review Of Literature

SendilveluKannadas, Shah Manita (2021) conducted a comparative study between the investment pattern of self-employed and Entrepreneurs. For this study, they have

taken 100 samples of start-up entrepreneurs and self-employed. The observer founds that all assumptions relating to the aspects in investment patterns to Start-up entrepreneurs and Self-employed in terms of the financial decisions may not stand similar

Purnima, Lalitha (2021) analyzed the investment pattern of salaried employees of Visakhapatnam. This research is based on the sample of 100 salaried employees. The outcomes of the study reveals that the investors are very well aware about investment avenues that are available in Visakhapatnam.

K. Pandey Sandeep (2019) the aim of the study is to compare job involvement of private and public sector employees. In this study 200 sample of private and public sector employees examined by researcher. Results shows that significant difference between private and public sector employees on the variable of job involvement in the terms of job duration.

Adamu and Shakur (2017) found that it is essentially crucial to understand certain vital factors which contribute to the most necessary for proceeding towards self-employment particularly from the context of entrepreneurial traits and yielding factors which would motivate the potential entrepreneurs to achieve success in self-employment interest and initiatives.

Thulasipriya B. (2015) examined the investment preference of government employees on various investment avenues. For this research, she collected 500 sample of

salaried employees through convenient sampling method. Finally, researcher concluded that salaried group nevertheless of age and annual income, besides their occupation and marital status they used to prefer the investment option which will provide the long term benefit highly secured cum profitable avenues.

Avinash (2014) examined the investment behaviour of respondents by examining various investment avenues. The results of study revealed that most of the respondents have selected bank deposit option, below 30 years respondents invest more in real state, above 60 years preferred LIC policies and full-time salaried people are more aware about their investments.

Kirubakaran (2013) analyzed the behaviour of an investor by studying the relationship between risk of investment and protection of investment. The researcher found that 59 percent of respondents stick to the protection of investment rather than risk for good returns.

Patel and Patel (2012) studied the behavioural pattern of investments and various investment alternatives among salaried people working in private sector. The results of data analysis revealed that the majority of male respondents are intended to invest more.

Research Problem: There were so many research work had been done on investment pattern or behaviour so far, but none of them had been worked on to analyze the investment pattern of salaried employee of Rajasthan government (special reference to college education department).

Objective Of Study:

1. To identify the investment behaviour of College Education Department employees of Rajasthan Government.

Scope Of The Study: The study focuses on various investment aspects of presently working employees of College Education Department of Rajasthan Government. For fulfilling this aim we studied various parameters on which decisions on investors varies. It includes range of salary, awareness level, purpose of investment and investment option available. We also examine their investment decisions on the basis of different factors.

Research Methodology: The type of study or research used by us is Descriptive in nature. The study is based on "to understand the investment behavior of the investors at their individual level". Presently the selected investors are working at various government colleges situated at Rajasthan. A quantitative observation is the objective of collection of data which is primarily focused on number and value. Results of quantitative observations are withdrawn by using statistical techniques such as Averages, correlation and ANOVA test etc.

Data Collection: Primary data are collected in this research. To study the behavior of the individual investors a questionnaire has been distributed among various employees of different colleges of Government of

Rajasthan.

Sample size and technique: For examining and understanding the research problem in detail manner we took investment opinion of 100 employees of college education department of Rajasthan govt. as respondents. Convenience sampling technique is used for respondents.

Hypothesis: There is no significant impact of income on the investment behaviour of employees

Data Analysis and Interpretation: In this section, we are analyzing the collected data of presently working employees of college education department of Rajasthan Government. For fulfilling the purpose, we collected opinion of 100 employees who are working as a Professor, an Associate professor, an Assistant professor in the college education department. The grade pay scale of mentioned employees are also different which is also affected the investment decision of them. To understanding the investment behaviour of selected employees, we analyze the demographic profile, impact of income on investment behaviour and also some factors which influencing the behaviour of investor. We also consider some factors which affects the behaviour of employees.

A) Role of demographic profile on investment decisions

Table 1

Gender	Awareness	Unawareness	Total
Male	59	13	72
Female	23	5	28
Total	82	18	100

Source: Primary Data

Above mentioned tables "A" shows that a majority of data shows that 72 percent respondents have awareness about the investment options while 28 percent respondents have not knowledge about the investments.

B) Table showing analysis of impact of income and investments decisions

Table 2

	Range of Income (in Rs.)					Total
	0-40K	41K-60K	61K-80K	81K-1 Lac	Above 1Lac	
Fixed & Deposit	4	5	6	7	8	30
Recurring						
Govt. Plans	4	3	4	2	4	17
Gold & Silver	3	2	3	2	2	12
Mutual Funds	5	2	2	4	5	18
Stock Market	7	3	3	6	4	23
Total	23	15	18	21	23	100

Source: Primary Data

Anova Test- Single Factor Summary

Groups	Count	Sum	Average	Variance
0-40K	5	23	4.6	2.3
41K-60K	5	15	3	1.5
61K-80K	5	18	3.6	2.3
81K-1 Lac	5	21	4.2	5.2
Above 1Lac	5	23	4.6	4.8

Anova Test Result

Source of Variation	SS	d. f	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	9.6	4	2.4	7.45	0.0015	8.66081
Within Groups	64.4	20	3.22			
Total	74	24				

Table "B" shows the data of income of employees and their investments areas. Majority of Investor investing their savings is Fixed and recurring deposit scheme of Indian banks, share market and mutual funds. While few investors also invest their saving in other investment options include govt. plans and gold. For analyzing the tabulated data, we applied ANOVA Test for checking the level of significant impact of income on investment decisions. The result of ANOVA test shows that the calculated value .0015 is less than the "P" value 0.05. So, we conclude that there is a significant impact of salary (Income) on their investment decisions.

C) Factor influencing while selecting Investment Avenues

S.	Factor	Rank
1	Financial safety	I
2	Good Returns	II
3	Liquidity	III
4	Tax Saving	IV

Table "C" shows the ranking order of factors which affects the investment decisions of an investors. We took some factors which mentioned above and we analyzing this factors on the basis of collected opinion of the respondents (College education department employees) and we got these ranks. As we found that financial safety and good returns are the factors which got I and II rank. It means these two factors influence the investment behaviour of employees at good level.

Conclusion: The outcome of the study shows that investors are very well aware about investment avenues that are available in present area. The employees of college education department are investing their saving in a portfolio which is created by them as per their future necessities. Atlast, we concluded that the investment behaviour of

employees isaffected by the factors which includes: awareness, saving, future requirement and tax saving point of view.

References:-

1. Sendilvelu Kannadas, Shah Manita Deepak (2021). A Comparative study on investment pattern of self-employed and start-up enterprises with special reference to PAN India, Indian Journal of finance and Banking, Volume 5, Issue No:2 ISSN 2574-6081
2. Purnima D., Lalitha N. (2021). An analysis of investment pattern of salaried employees – A Case study of Visakhapatnam, Journal of contemporary issues in Business and Government, volume 27, Issue No: 1, ISSN: 2204-1990
3. K. Pandey Sandeep (2019). A Comparative study of job involvement between public and private sector employees, International Journal of Research in social sciences, volume 9, Issue No: 1, ISSN: 2249-2496
4. Adamu, M., Shakur M.B.(2017) The role of determinants of self – employments: A Mediation of Entrepreneurial Motivation in Bauchi state, Nigeria, International Finance Review, Page No: 42-511.
5. B. Thulasipriya (2015). A study on the Investment preference of Government employees on various investments Avenues, International Journal of Management Research and Social science, Volume: 2, Issue No: 1, ISSN 2394-6407
6. Avinash N. (2014). Saving pattern and Investment preferences of Individual with reference to Hyderabad City. Small, 19(6). Page No. 4-11
7. Kirubakaran J.P.S. (2013). Am Investigative study on the attitudes of Investors-A Special reference to Indian Stock exchange, International Research Journal of Economics and Business studies
8. Patel C.V.P. , Patel C.C. Y. (2012) A study of investment perspective of salaried employees (Private sector), Asia Pacific Journal of Marketing and management Review, Volume1(2), page No. 126-146

मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान फसल की क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता पर विशेष अध्ययन

डॉ. मोहम्मद शाकिर मन्सूरी * महेन्द्र कुम्भकार**

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – धान एक प्रमुख फसल है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद धान ही सबसे अधिक उत्पन्न होने वाला अनाज है। धान की खेती भारत के अधिकतर राज्यों में सफलतापूर्वक की जा रही है, धान की फसल का उत्पादन निम्न पांच राज्यों में सबसे ज्यादा किया जाता है वे इस प्रकार हैं – पहले स्थान पर बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तरप्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब, चौथे स्थान पर तमिलनाडु एवं पाँचवें स्थान पर आंध्रप्रदेश आता है। धान का वनस्पति नाम ओराइजा स्ट्राइवर है।

धान खरीब की मुख्य फसल है, इसे जून-जुलाई माह में बोया जाता है, धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है इसके पौधों को जीवनकाल में औसतन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। धान के उत्पादन हेतु मौसम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता के परिणाम स्वरूप इसका उत्पादन अधिक होता है। धान की खेती मध्यम काली मिट्टी व दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परन्तु पानी के निकास वाली काली मिट्टी व दोमट मिट्टी धान के लिए अधिक उपयुक्त होती है। बालाघाट जिले के कृषकों द्वारा धान की कृषि में आधुनिक तकनीकी का भरपूर प्रयोग कर धान का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान की फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति इस प्रकार है।

मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान फसल की क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता (वर्ष 2020-2021)

क्र.	जिला	क्षेत्राच्छादन (हेक्टर)	उत्पादन (मेट्रिक टन)	उत्पादन (मेट्रिक टन प्रतिशत)	उत्पादकता (कि०ग्रा/हेक्टर मे)
1	जबलपुर	1,80,140	6,96,689	5.66	3,867
2	कटनी	1,93,961	8,74,954	7.11	4,511
3	बालाघाट	3,10,239	10,25,286	8.33	3,305
4	छिन्दवाड़ा	15,291	36,617	0.30	2,395
5	सिवनी	1,85,166	5,74,015	4.66	3,100
6	मण्डला	1,87,791	5,44,594	4.42	2,900
7	नरसिंहपुर	71,490	2,26,273	1.84	3,165

8	सागर	12,483	32,581	0.26	2,610
9	दमोह	87,252	1,74,525	1.42	2,000
10	पन्ना	1,09,304	3,18,184	2.58	2,911
11	टीकमगढ़	1,192	1,430	0.01	1,200
12	निवाडी	102	122	0.00	1,196
13	छतरपुर	1,881	3,781	0.03	2,010
14	रीवा	2,99,099	12,11,780	9.84	4,051
15	सीधी	1,13,675	3,62,928	2.95	3,193
16	सिंगरौली	96,483	4,73,154	3.84	4,904
17	सतना	2,39,852	10,04,437	8.16	4,188
18	शहडोल	1,67,954	5,67,478	4.61	3,379
19	अनूपपुर	1,29,351	3,95,098	3.21	3,054
20	उमरिया	84,481	2,57,667	2.09	3,050
21	डिंडोरी	1,36,279	4,02,023	3.27	2,950
22	भोपाल	11,701	29,370	0.24	2,510
23	सीहोर	33,939	2,22,954	1.81	6,569
24	रायसेन	1,70,384	5,55,793	4.51	3,262
25	विदिशा	20,367	57,231	0.46	2,810
26	राजगढ़	8	19	0.00	2,375
27	इन्दौर	12	19	0.00	1,583
28	धार	95	110	0.00	1,158
29	झाबुआ	5,395	8,541	0.07	1,583
30	अलीराजपुर	4,354	7,734	0.06	1,776
31	खरगौन	71	114	0.00	1,605
32	बडवानी	413	245	0.00	592
33	खण्डवा	3,137	4,706	0.04	1,500
34	बुरहानपुर	874	2,260	0.02	2,585
35	उज्जैन	14	22	0.00	1,571
36	मंदसौर	43	23	0.00	534
37	नीमच	607	309	0.00	509
38	रतलाम	134	125	0.00	937
39	देवास	6	13	0.00	2,167
40	शाजापुर	1	2	0.00	2,000

41	आगरमालवा	5	4	0.00	800
42	मुरैना	8,028	29,494	0.24	3,674
43	शुजोपुर	67,435	3,45,599	2.81	5,125
44	भिनड	24,934	1,60,824	1.31	6,450
45	ग्वालियर	1,06,715	4,92,904	4.00	4,619
46	शिवपुरी	53,742	2,14,431	1.74	3,990
47	गुना	2,678	6,926	0.06	2,586
48	अशोकनगर	8,035	34,652	0.28	4,313
49	दतिया	74,624	1,97,007	1.60	2,640
50	बैतूल	26,985	78,796	0.64	2,920
51	होशंगाबाद	1,54,781	6,75,963	5.49	4,367
52	हरदा	1,266	2,547	0.02	2,012
	योग	25,19,452	1,23,12,353	100.00	4,887

तालिका क्रमांक 1 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के रीवा जिले में धान का उत्पादन लगभग 12,11,780 मेट्रिक टन हुआ है, जो मध्यप्रदेश के कुल उत्पादन का लगभग 9.84 प्रतिशत है, जो मध्यप्रदेश के कुल 52 जिलों में सर्वाधिक है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के निवाडी, राजगढ़, इंदौर, धार, खरगोन, बडवानी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजपुर, आगर मालवा जिलों में धान का उत्पादन 0.00 प्रतिशत के लगभग है, क्योंकि पर्याप्त साधनों का अभाव होने के कारण इन जिलों में धान का उत्पादन न के बराबर किया गया है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में धान की उत्पादकता 6,569 किलोग्राम/प्रति हेक्टर है, जो कि मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है। इसी तरह मध्यप्रदेश के नीमच जिले में धान की उत्पादकता 509 किलोग्राम/प्रति हेक्टर है, जो कि मध्यप्रदेश में सबसे कम है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तालिकाओं द्वारा अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात

हुआ है कि मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान की फसल करने से अन्य व्यावसायिक फसलों की तुलना में अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता है। मध्यप्रदेश की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति तिलहनी फसलों के उपयुक्त है। यहाँ एक सामान्य किसान भी तिलहनी की फसलों के उत्पादन से पर्याप्त लाभ अर्जित कर सकता है। क्योंकि मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों की उत्पादन लागत कम है और तिलहनी फसलों से प्राप्ति अधिक है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के मध्य तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान की लागत एवं लाभ (प्रति क्विंटल) में 0.912 उच्च स्तरीय धनात्मक सहसम्बन्ध एवं सम्भाव्य विभ्रम 0.0231 पाया गया तत्पश्चात् तिलहनी फसलों की लागत एवं लाभ के मध्य पाए गए सहसम्बन्ध की सार्थकता मापते हैं तो पाया गया है कि मध्यप्रदेश में तिलहनी फसलों के अन्तर्गत धान की फसल लागत से अधिक लाभ अर्जित (अन्य बातें समान रहने पर) कर के दे सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. जैन, पी.सी. – भारत में कृषि विकास – रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
2. तिवारी, आर.सी., सिंह बी.एन. – कृषि भूगोल – प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. शर्मा, कालीचरण – भारत की प्रमुख फसलें – साहित्य भवन, आगरा।
4. शाह, के. एन. – कृषि अर्थशास्त्र – कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
5. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
6. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन वार्षिक प्रकाशन।
7. किसान डायरी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
8. www.ujjain.nic.in
9. www.fci.gov.in
10. www.mprashri.org

अभिवाक् सौदा- अभियुक्त के शीघ्र परीक्षण की आशा

डॉ. धर्मराज गुमा*

* सहायक प्राध्यापक, पं. मोती लाल नेहरू विधि महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - सदियों पूर्व महाकवि तुलसीदास द्वारा आपराधिक समाज पर की गई टिप्पणी आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि उस समय थी कि-

'कवि काल बेहाल किये मनुजा, नहि मानत कोई अनुजा तनुजा।'

अपराधशास्त्र भी यह मानता है कि किसी भी अपराध के लिये दुराशय प्रथम तत्व है और उस दुराशय के अनुसरण में किया गया कृत्य अपराध। दुराशय निश्चित ही व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना है। यदि इस दुर्भावना को पनपने से पहले ही मार दिया जाय तो, अपराध तो अपने आप ही समाप्त हो जायेगा और इस दुर्भावना को न तो विधि मार सकती है और न ही न्यायालय। इसे तो स्वयं वह व्यक्ति ही मार सकता है। जिसके कि मन-मस्तिष्क में वह दुराशय जन्म लेता है। अतः अपराध पर नियंत्रण का सबसे प्रभावी शस्त्र, मानव मात्र को अपराध से दूर रहने की प्रेरण दिया जाना हो सकता है। यह तभी सम्भव है जब जन सामान्य को इस बात की जानकारी हो कि वह जो अपराध करने जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा ? यदि पेशेवर अपराधियों और शत्रुताजनित अपराधों को छोड़ दिया जाय तो कम से कम सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाले अपराधों को विधि साक्षरता के माध्यम से कम किया जा सकता है।

यद्यपि अपराध रोकने के लिये कानून, पुलिस की चुस्त व्यवस्था, न्यायालयीन न्याय व्यवस्था विद्यमान है, फिर भी अपराध हो रहे हैं, तो यह आवश्यक हो गया है कि इस विषय पर चिन्तन मन्थन किया जाय, कि अपराधी हमारी किस व्यवस्था की छेद का सहारा लेकर आपराधिक घटनाओं की पुनरावृत्ति करते हैं ? कहीं न कहीं हमारी कानून व्यवस्था में कमी अवश्य है जिसे पहचान कर दूर करने की आवश्यकता है।

अपराध पर नियन्त्रण केवल कानून व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है अपितु यह प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य बोध का प्रश्न है कि वह अपने आस-पास अपराध को पनपने ही न दें और स्वयं को इस नैतिक और मानवीय सिद्धान्तों की सीमा में रहे एवं अपराध की भावना से कोसों दूर रहे। यद्यपि यह एक कठिन कार्य है और कलियुग की मानवीय दुर्भावना में इस बात की कल्पना करना एक दिवास्वप्न है, किन्तु यदि हम इस स्थिति को कुछ प्रतिशत तक भी स्थापित करने में सफल होते हैं तो अपराधमुक्त समाज की स्थापना में यह बहुत बड़ी विजय होगी।

यह सच है कि 'विधि और न्याय' का झुकाव हमेशा से पीड़ित पक्ष में रहा है और होना भी चाहिये, किन्तु न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि किसी निर्दोश को दण्ड का भागी न होना पड़े। यही कारण है कि हमारी न्याय व्यवस्था में यह सूत्र प्रचलित है कि 'दोषी भले ही जेल से छूट जाय किन्तु

निर्दोष को सजा न हो।' उच्चतम न्यायालय का मत है कि अपराधी की पृष्ठभूमि और अपराध की परिस्थितियां भी अपराधी को दण्ड देने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती हैं।

वस्तुतः आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, जहां एक तरफ अपराध की नवीनतम प्रकृति एवं प्रवृत्ति सृजित हो रही है तो सामाजिक व पारिवारिक ताना-बाना बिखरता जा रहा है। इन परिस्थितियों में बहुत से अपराध व अपराधी ऐसे हैं जिन्हें समाज में रखकर ही सुधारा जा सकता है।

वस्तुतः मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहते हुए तथा सामाजिक दायित्वों और अनुभवों के साथ ही जीना है। मात्र यह कि वह एक अपराध कर चुका है, इसी कारण मात्र से समाज में बने रहने का अधिकार नहीं खो देता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये आपराधिक मामलों में विचार करना चाहिए।

विगत कुछ दशकों से निरन्तर बढ़ते अपराध और अपराध की नयी-नयी प्रवृत्तियों और आतंकवाद और षडयन्त्र के अपराधों की व्यापकता से देश के सभी राज्य प्रभावित हुये किन्तु विविध त्रुटियों अड़चनों, एवं दुरुह न्यायिक प्रक्रिया के चलते न केवल अभियोजन पक्ष बल्कि अभियुक्त भी प्रभावित हुये, और हो रहे हैं अतः वर्षों से यह आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य हो गया था कि देश की वर्तमान आपराधिक न्यायिक प्रणाली को न केवल आधुनिक बनाया जाय बल्कि वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप विधि और न्याय प्रणाली में परिवर्तन, संशोधन अथवा निरसन भी किया जाय।

शीघ्र न्याय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य तत्व है, और इसका उल्लंघन दण्डित अभियोजन को असंवैधानिक बना देता है। श्रीनिवास गोपालन बनाया अरुणाचल प्रदेश (1988) 4 एस.एस.सी.36 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राप्त यथोचित परीक्षण का अधिकार अभियुक्त को सभी स्तरों अर्थात् अन्वेषण, जांच, परीक्षण, अपील, पुनः परीक्षण और पुनः परीक्षण पर प्राप्त है। ये सभी अधिकार अभियुक्त को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के अधीन भी प्राप्त है। आपराधिक मामलों में विचारण में देरी को कम करने एवं विचारणीय मामलों में कभी लाने के लिये विधि आयोग ने अभिवाक् सौदा के रूप में समझौता करने के लिये नई शुरुआत की सिफारिश की। इस सिफारिश का समर्थन मलमथ कमेटी ने भी किया। इस प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के द्वारा 12 धाराओं को जोड़कर एक नया अध्याय बनाया गया। इस संशोधन को करने के लिये इन कारणों का उल्लेख किया गया है कि न्यायालय में आपराधिक मामलों के परीक्षण में काफी समय लगता है और कई मामलों में परीक्षण 03 से 05 वर्ष तक में प्रारम्भ भी नहीं

हो पाता है ऐसी स्थिति में सौदा अभिवाक ही रामवाण है अन्यथा अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिये। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व निदेशक प्रो. एन.आर.माधव मेनन की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपना छठा सुझाव दिया कि न्याय मिलने में देरी और यातना से बचने के लिये छोटे मामलों में सुलह समझौते को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। यद्यपि इस दिशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों का उपशमन और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा धारा 265 के बाद जोड़ा गया नया अध्याय 21क (धारा 265क से लेकर धारा 265ठ तक) सौदा अभिवाक् पद्धति अस्तित्व में है, यह संशोधन अधिनियम 5 जुलाई 2006 को लागू कर दिया गया था।

सौदा अभिवाक् कब किया जा सकता है - एक अभियुक्त द्वारा सौदा अभिवाक् का आवेदन तब किया जा सकता है, जब पुलिस द्वारा सात वर्ष या उससे कम कारावास से दण्डनीय अपराध का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया है या निजी परिवाद पर न्यायालय ने उसे, अपराध जो सात वर्ष या उससे कम वर्ष के लिये दण्डनीय है, के आरोप के लिये समन किया है।

प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र का अभियुक्त सौदा अभिवाक् के लिये आवेदन कर सकता है लेकिन उसके द्वारा अपराध महिलाओं या 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अपराध देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए और न ही अभियुक्त को पूर्व में उसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया होना चाहिए।

भारत सरकार ने जुलाई 2006 में अधिसूचना जारी कर 19संविधियों को सूचीबद्ध किया जो देश की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करती हैं इसलिये इन विधियों के अन्तर्गत किये गये अपराध के अपराधियों को सौदा अभिवाक् का अधिकार नहीं है।

सौदा अभिवाक् की प्रक्रिया - अभियुक्त उन न्यायालय में सौदा अभिवाक् के लिये आवेदन कर सकता है जिस न्यायालय में मामला विचाराधीन है। आवेदन में मामले का संक्षिप्त विवरण और मामला विचाराधीन है। आवेदन में मामले का संक्षिप्त विवरण और मामला कौन सा अपराध है ? शामिल करना होता है। इसके साथ ही इस बात का शपथ पत्र होता है, जिसमें लिखा होता है, कि वह दण्ड की प्रकृति एवं सीमा को समझने के पश्चात् ही स्वेच्छा से सौदा अभिवाक् के लिये आवेदन कर रहा है एवं पूर्व में कभी भी आरोपित अपराध के समान किसी भी अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के पश्चात् न्यायालय नियत तिथि पर लोक अभियोजक, अन्वेषण अधिकारी, मामले में पीड़ित एवं अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये सूचना जारी करता है।

न्यायालय यह समाधान करने के लिये कि अभियुक्त ने अपना आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है की कार्यवाही के लिये अभियुक्त का परीक्षण बन्द कमरे में दूसरे पक्षकार की अनुपस्थिति में करता है। न्यायालय सन्तुष्ट होने के पश्चात् उपरोक्त पक्षकारों को पारस्परिक संतोषप्रद निपटान के लिये समय देता है, तब उपरोक्त पक्षकार पारस्परिक संतोषप्रद निपटान के लिये साथ-साथ बैठक करते हैं। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि सारी प्रक्रिया बैठक सभी पक्षकारों की स्वेच्छा से पूर्ण की गई है, अभियुक्त अपने अधिवक्ता की भी बैठक में मदद ले सकता है।

जब पक्षकार मामले का निपटान कर लेते हैं, तब न्यायालय रिपोर्ट तैयार करता है, जिस पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं। न्यायालय

निपटान के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देता और अभियुक्त में सदाचार की परिवीक्षा, भर्त्सना के बाद छोड़ने या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ यदि अनुमति योग्य होते हैं तो देता है। जब न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त को परिवीक्षा के लाभ उपलब्ध नहीं है तब न्यायालय अभियुक्त को उस अपराध में वर्णित दण्ड का एक चौथाई दण्ड दे सकता है। न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है उसकी अपील नहीं की जा सकती है। इस अध्याय के अधीन यह बताना समीचीन होगा कि यदि अभियुक्त ने अन्वेषण और परीक्षण के दौरान यदि कोई दण्ड भुगतता है तो उसे मिलने वाले दण्ड में वह दण्ड समायोजित कर दिया जायेगा।

सौदा अभिवाक् अस्तित्व में है किन्तु इसको प्रभावी बनाने वाला तन्त्र तो वहीं है, जो अन्य अपराधों के लिये है। सम्भवतः यही कारण है कि इस सुविधा का लाभ व्यापक स्तर पर नहीं लिया जा सका है। यदि वास्तविक धरातल पर न्याय में विलम्ब और यातना से छुटकारा दिलाने का सरकार का आशय है तो सरकार को उन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जो इसके लिये उत्तरदायी है। यह न्यायिक अवधारणा स्थापित हो चुकी है कि न्याय में विलम्ब न्याय न करने के तुल्य है और यह भी कि वर्षों से अभियोजन का सामना करने के बाद प्रायः यह सुनने को मिलता है वह दोषमुक्त है। निश्चय ही वे परिस्थितियां उन त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं जिन्हें सुधारने की मांग वर्षों से की जा रही है, यद्यपि त्वरित न्यायालय, चल न्यायालय, जेलों में विशेष न्यायालय, लोक अदालतें आदि विलम्बित न्याय को पटरी पर लाने के लिये प्रयास कर रहे हैं, किन्तु ये सब मिलकर भी जन सामान्य को द्राढ़स नहीं बंधा सके हैं, जिनकी उन्होंने अपेक्षा की। वस्तुतः इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रतनलाल एवं धीरजलाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, लेक्सिस नेक्सिस।
2. मिश्रा प्रो. सूर्य नारायण, दण्ड प्रक्रिया संहिता-सेट्रल लॉ पब्लिकेशन 1028
3. वसु डी.डी. भारत का संविधान-एक परिचय 14वां संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस।
4. पाण्डेय जे.एन., भारत का संविधान- सेट्रल लॉ पब्लिकेशन 2015 आइएसबीएन 10.9382155
5. शुक्ला वी.एन.-संशोधित द्वारा महेन्द्र पी.सी.-कांस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, दसवां संस्करण, ईस्टर्न बुक कम्पनी लखनऊ।
6. वेयर एक्ट, दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973, 2008 सेट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद।
7. थमचेल दोहेर्टे-क्रिमिनोलॉजी, प्रकाशक-ऑल्ड बैली प्रेस ग्रेट ब्रिटेन- 2001
8. बवक्षी उपेन्द्र -दि क्राइसिस ऑफ दि इण्डियन लीगल सिस्टम- 1982

विधिक पत्र एवं पत्रिकाएँ :

1. टेक्समेन्स लॉ
2. फ्रन्ट लाइन
3. लॉ-जेड
4. दि प्रेक्टिकल लॉयर
5. लॉयर्स अपडेट
6. हॉल्सवरीय लॉ
7. दि पॉलिटिकल लॉ टाईम्स

मेवाड़ में वस्त्र निर्माण परम्परा

गोपाल लाल बुनकर*

* शोधार्थी (इतिहास) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - मेवाड़ का इतिहास भारत भूमि की गरिमा और गौरव की ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसा भू भाग जहाँ प्राणी मात्र के जीवन के रक्षण, संवर्द्धना की समस्त सम्भावनाएँ हों और जो संस्कृति के उदयकाल से लेकर विकास तक लोगों के लिए रूचिकर हों, कभी कला-शिल्प कभी धार्मिक मान्यताओं के प्रसार, कभी कीमती धातुओं के उत्खनन-प्रदावण, विपणन और व्यापार आदि के लिए देश और दुनिया के निवासियों की आँखों में बसा हुआ हो, निश्चय ही वह असामान्य होगा। जरूरत का पानी, उपज-निपज योग्य कृषि क्षेत्र, उपयोगी वन और वन्य जीव जहाँ मिल जाते हों और गुफाओं सहित वृक्षावासों की सुविधाएँ और संसाधन हो तो कबीलाई जीवन का मानव वहाँ क्यों नहीं आकर्षित होगा? ये विशेषताएँ मेवाड़ प्रदेश की हैं जहाँ पर्वतों के शृंग-गर्त हैं जो आवास ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से जीवनोपयोगी बने। बारहों मास न सही, मगर कुछ महीनों बहने वाली नदियों का जल व्यास, बुझाने से लेकर मत्स्याखेट करने और सिंचाई के लिए योग्य माना गया। पर्याप्त वन और वन्यजीव जीवन के लिए सहायक हुए।¹

मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का सर्वप्रथम वर्णन वृहत्संहिता² में आया है। मध्यकाल से इसे मेदपाट भी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम 996 ई. के हुंडुडी के संस्कृत शिलालेख³ में मेदपाट शब्द मिलता है। मेवाड़ और मेदपाट दोनों शब्द 10 वीं शताब्दी से बराबर मिलते हैं।

मेवाड़ उद्योग-धन्धों और कला-कौशल की दृष्टि से समृद्ध रहा। प्राचीनकाल से ही यहां उद्योगपति, श्रेष्ठीगण, सुनार, लुहार, बुनकर, सुथार, तेली, दर्जी, धोबी, चर्मकार आदि अपने-अपने धन्धों में पारंगत रहे थे।

वस्त्रों के निर्माण की कला ने देश के कई स्थानों को अपनी विशिष्ट पहचान दी है। सभ्यताओं के विकास के साथ ही इस कला का भी विकास हुआ। यद्यपि नहीं घाटी सभ्यताओं के अवशेषों से वस्त्र निर्माण कला का बोध होता है। मेवाड़ के बनास बेसिन के विभिन्न गाँवों में वस्त्र निर्माण कला आज भी जीवंत है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमन्द जिलों में आज भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर वस्त्रों का निर्माण, रंगाई और छपाई का कार्य होता है।

इस अंचल में वस्त्र निर्माण कला का प्राचीनतम प्रमाण आहड़ संस्कृति से मिलते हैं। कांस्य युगीन आहड़ संस्कृति भी वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में निश्चित रूप से हड़प्पा संस्कृति की भांति, पारंगत थे। इस संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्थल बालाथल के उत्खनन में आहड़ संस्कृति के अंतिम चरण से एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ⁴ जो हमें बतलाता है कि आहड़ संस्कृति को निवासी वस्त्र निर्माण के विषय में अज्ञानी नहीं थे।

पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा इस अंचल में वस्त्र निर्माण कला का

प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण पाणिनी⁵ देते हैं। जिनका काल ईसा पूर्व चौथी पांचवीं सदी माना जाता है। पाणिनी ने अपने ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' में चित्तौड़ के निकटस्थ नगरी को वस्त्र निर्माण का बड़ा केन्द्र बताया है। विनय पिटक के अनुसार शिवि देश (मेवाड़) सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। शिवि जनपद में बने एक ऊनी शाल का मुल्म शिविजातक के अनुसार एक लाख कार्षापण (ताम्रमुद्रा) था।⁶

मेवाड़ में बुनाई करने वाली बुनकर जातियाँ-बुनकर सूत्रकार, जुलाहा (मुस्लिम) तन्तुवाय, भांभी, बलाई, कोली, मेघवाल, सालवी, मेघवंशी आदि नामों से जानी जाती हैं। इन बुनकर जातियों में परस्पर कुछ भेद भी हैं। परन्तु इन सभी जातियों का आदिकाल से वस्त्र बुनाई का मुख्य व्यवसाय रहा है। स्वामी गोकुलदास जी ने इन सभी बुनकर जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पुत्र मेघऋषि से बताई है।⁷ हो सकता है कालान्तर में ये सभी आपसी मतभेद के कारण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने के कारण अलग-अलग हो गई हो।

भांभी से सम्बन्धित एक लोक गीत -

नालियाँ तो धारी कटकट बोले

नाल नजारा मारे हो

रेशम-कारेला भांभी जी॥

धारी बोली रूपियाँ तोलूँ हो

रेशम कारेला भांभी जी॥

नुंवासेर सूँ सूत मंगाऊ

झटपट नाला भरलूँ ओ

रेशमा कारेला भांभी जी॥

सड़क-सड़क तो ताणो ताणूँ,

जुग जुग तागा नाकूँ जी॥

रेशम कारेला भांभी जी॥

धारी बोली रूपियाँ तोलूँ हो,

रेशम कारेला भांभी जी॥

बलाई को गाँव में सम्मानित स्थान दिया जाता रहा है बुलाने का कार्य करने वाला बलाई 'गाँव-बलाई' कहलाता है। वह बेगार स्वरूप काम करता है - कहावत प्रसिद्ध है -

बलाई के माथाऊँ बेगार न उतरै

भावै कूड़ा के पीदैई जा बैठे।⁸

भावों के ग्रन्थों में मेघ ऋषि को सर्वप्रथम वस्त्र का आविष्कार करने वाला कहा है। इन मेघ ऋषि की संताने 'मेघवाल' कहलाई।

कपड़ों वणै रिखिराज हुन्नर हाथाँ हिलायो।
अटठाईस हजार रिखियाँ माँहि आरंभ भलाँ ही चलायो।
पहरे त्रिगुणी आप सर नर बहुत सरायो।
पहली पहरे भगवान सृष्टि में फेर चलायो।
इस दुनिया में दो बड़ा मेघ रिषि अर मेहा।
औ बरसै अन्न नीपजै वै ढकी उघाड़ी देहा।⁹

कपड़ा बुनते समय यन्त्र पर लम्बाई में ताने गये सूत के तार के लिए मेवाड़ी भाषा में 'ताणौ' शब्द का प्रयोग होता है। कपड़ा बुनने के लिए सड़क पर गड़ी खूंटियों में सूत को तैयार करने के लिए फैलाये गये तार भी ताणे कहलाते हैं। ताणे की पाण कर लेने पर समेटा हुआ रूप 'भीम' कहलाता है। वस्त्र की बुनाई में चौड़ाई में फन्ने के आधार पर डाले गये तार 'बाणोय कहलाते हैं। सूत जिस यन्त्र पर बुना जाता है, उसे बेझों या बेझकों कहा जाता है। बेझ के पास बना खड्डा, जिसमें बुनकर अपने पाँव लटकाकर रखता है 'हाल/ (साल) कहलाता है। बुनकर के बैठने के लिए बनाई गई बैठक 'बेसकी' कहलाती है। बेसकी में बैठकर ही बुनकर हाल/साल में पाँव लटकाये दोनों हाथों से बेझ के राख को चलाता है। साल में बैठकर कार्य करने के कारण ही बुनकर सालवी भी हा जाने लगा। वह घर जिसमें बेझा लगा होता है पड़साल (पटसाल) कहलाता है। देवचरित्र काव्य में नाथ कवि ने इस शब्द का प्रयोग किया है -

मेली सब जुथ दोसी इस नारा।
प्रिया पटसाल में कातण तारा।¹⁰

बुनाई के लिए कपास से धागा बनाने के लिए कपास को उपयोगी और मुलायम बनाने के लिए पिंजाई की जाती है। पिंजाई की हुई साफ कपास से कच्चा धागा बनाने से पूर्व रुई की छोटी-छोटी पौनी बनाई जाती है। पौनी कच्चे धागे की पहली अवस्था होती है।

पौनी निर्माण के बाद पौनी से कच्चा धागा बनाने के लिए कताई की प्रक्रिया की जाती है। कताई के लिए तकली और चरखे का प्रयोग किया जाता है। तकली और चरखे की सहायता से रुई के कच्चे धागों के छोटे-छोटे बंडल बना दिये जाते हैं जिसे मेवाड़ी भाषा में 'कुकड़ी' कहा जाता है। एक कुकड़ी में लगभग 50 फीट, कच्चा धागा होता है। कुकड़ी के कच्चे धागा को 'परीता' (ठोल की आकृति का उपकरण) पर लेपट लिया जाता है। जब तक परीता पुरा भर नहीं जाता जब तक एक-एक करके कुकड़ियों के धागे आपस में जोड़ते हुये परीता पर लेपट दिया जाता है। अब छोटी-छोटी कुकड़ियों से लम्बा, धागा बन जाता है जिसे 'फालकों' या 'अटलो' कहा जाता है। फालकों को पानी में भीगों कर रखा जाता है। सूखने के बाद फालकों को पुनः छोटी-छोटी नली एवं नला बनाया जाता है। नले में सूत भरने के लिए 'बाबीन भरणों' शब्द प्रचलित हैं। नली का प्रयोग बनाने में किया जाता है और नला का प्रयोग ताना बनाने में किया जाता है।¹¹

ताना करना - ताना करने के लिए खुली व लम्बी जगह की आवश्यकता होती है। दो उपकरण रेडू और हान्चे की सहायता से नलों में लगे धागों को लगभग जो 60-70 फिट तक चार-चार बांस की परछो को रोपा जाता है। उसमें लपटते हुए लम्बा किया जाता है।

कडप चढ़ाना - इकट्ठा किया हुआ ताने के धागों को पक्का करने के लिए इस पर कडप चढ़ाई जाती है। इसमें गेहूँ या मक्का के आटे को गर्म कर बनाया गया पतला गोल होता है। आटे के इस पतले गोल में ताने के सारे सूत को 10-12 घण्टे गलाया जाता है जिससे सूत पक्का हो जाता है। इसके बाद

पाण किया जाता है।

पाण करना - गिले सूत को सुखाने के लिए और धागों पर लगे आटे को हटाने के लिए तथा एक-एक सूत को अलग करने के लिए पाण किया जाता है। पाण (कडप चढ़ा हुआ गिला सूत) को पूरा लम्बा फैला देने के बाद उस पर कुंच (सुवाली) फेरी जाती है। जिस प्रकार घर से कचरा निकालने के लिए जाड़ू लगाया जाता है उसी प्रकार सूत पर लगे आटे को हटाने के लिए कुंच को फेरा जाता है। कुंच दरसन, सुवार्णा, खस या सरजीवनण की घास की जड़ों से बनी होती है।

बुनाई - बुनाई में दो प्रकार के धागों लम्बवत् धागा (ताता) और अनुप्रस्थ धागा (बाना) का प्रयोग होता है। बुनाई का स्थान 'हाल' कहा जाता है। हाल में करघा (बेझा) की सहायता से बुनाई की जाती है। बेझे से सम्बन्धित अंगों में तुर, तुरकामड़ी, हाथों बे, पसार और भौजणी मुख्य हैं।¹²

इस प्रकार मेवाड़ के प्रत्येक गाँव में बुनकर परिवारों द्वारा बुनाई का काम किया जाता है। बुनाई और बुनकरों का सर्वप्रथम साहित्यिक साध्य ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में बुनकर के लिए 'वासोवटा' या 'वाय' शब्दों का प्रयोग किया गया। पुरुष बुनकर को 'पय' तथा महिला बुनकर को 'वयित्री' कहा जाता था। करघे को 'वेम' तथा करघी को 'तरनर' कहा गया। ताना को 'ओतु' तथा बाना को 'तन्तु' कहा गया।¹³

रियासत कालिन गवर्नमेन्ट ऑफ मेवाड़ में 'दफ्तर टेक्सटाइल कमिशनर मेवाड़' नाम से वस्त्र विभाग था।¹⁴ जो पुरे मेवाड़ में वस्त्र व्यापार पर नियन्त्रण रखता था। इस विभाग द्वारा सूती कपड़े और सूत के व्यापारियों के लिए नियन्त्रण आदेश निकाले जाते थे। सभी कपड़ा व्यापारियों को अपने व्यापार के ब्यौरा देना होता था चाहे वह कपड़ा मेवाड़ में बुना हो या बाहर से लाया गया हो। जो व्यापारी उमरावान (पहले दर्जे के जागीरदारों) के ठिकानों में व्यापार करते थे। उन्हें अपना ब्यौरा ठिकाने के कामदार या मुन्सरिम के पास पेश करना होता था। उदयपुर शहर के व्यापारियों को कस्टम्स कमिशनरके पास पेश करना होता था तथा भोमट के ठिकानों के व्यापारी अपना ब्यौरा डिप्टी कलेक्टर खेरवाड़ा के पास पेश करते थे। व्यापारियों को सवा किस्म के कपड़े व सूत का हाल दर्ज करवाना होता था।

मेवाड़ स्टेट कोर्सेज, उदयपुर में भर्ती होने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों को काम सिखलाने के लिए झीन मैरी टेकनिकल स्कूल-मुकाम किरकी भेजा जाता था। स्कूल में दाखिल होने से पेशतर, काम सीखने वालों को अपने लिये एक काम चुन लिया जाता था बाद में वह काम बदल नहीं सकता था। इन कामों में बनियान, मौजे बुनना और सूत कातना तथा बुनाई का कार्य भी शामिल था।

निष्कर्ष - अरावली की गोद में स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध थी यहां कपास की खेती अच्छी होती रही है जिससे सभ्यता के विकास के साथ ही यहाँ भी वस्त्र निर्माण का प्रारम्भ हो गया था। रियासत कालीन मेवाड़ में लगभग प्रत्येक गाँव में बुनाई का कार्य होता था वर्तमान में भी कुछ गाँवों में यह कला अभी भी जीवन्त है। जहाँ प्राचीन परम्परागत तरिके से बुनाई की जाती है। मेवाड़ में बुनाई से सम्बन्धित कई कहावते और गीत भी प्रचलित हैं।

रियासत कालिन मेवाड़ में वस्त्र व्यापार में बीचौलिया का बहुत हस्तक्षेप था। बुनकर सीधे अपने माल को नहीं बेचता था बुनकर से व्यापारी बुना हुआ वस्त्र खरीदता था बाद में वह व्यापारी उसे अधिक दाम पर बेचता था। मेवाड़ सरकार को जब भी अधिक मात्रा में वस्त्रों की आवश्यकता होती थी तो

वह टेंडर भरवाती थी और यह व्यापारी टेंडर भर देते थे, बाद में टेंडर पुरा करने के लिए बुनकरों से वस्त्र खरीदकर टेंडर पुरा करते थे। इस प्रकार मेवाड़ के बुनकरों को इन व्यापारियों से नुकसान उठाना पड़ता था। महाराणा भूपालसिंह जी के काल में उदयपुर, भीलवाड़ा, कपासन में कपास की मिल व कपड़े की मिलें स्थापित होने से मेवाड़ में अधिकांश भागों में हथकरघे की बुनाई धीरे-धीरे कम होती गई, और बुनकर खेती और अन्य व्यवसायों में जाने लगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 'मेवाड़ का प्रारम्भिक इतिहास' आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, दिल्ली, 2016, पृ. सं. 19
2. वृहत्संहिता- 14, 2
3. सौराष्ट्र कडकणलाट श्रीमाल अर्बुदमेदपाट मरुवेरेन्द्र चन्दावलि प्रभृति अष्टादशशतानि।
4. Misra V.N, v.shinda, R.k.Mohanti, k. dalal, Amishra, L.Panday and J. kharakwal1995. Excavation at Balathal : Their contribution to the chalcolithic and iron age culture of mewar, Rajasthan. man and Environment vol. XX (1) Deccan College, pune.
5. अष्टाध्यायी -3/3/112, 5/2/70, 5/4/160
6. महावग्ग- 8/1/29
7. स्वामी गोकुलदासजी, 'मेघवंश इतिहास (ऋषि पुराण)' श्री सरस्वती प्रकाशन, अजमेर, पृ. सं. 38
8. ब्रजमोहन जावलिया, 'राजस्थानी लोकजीवन शब्दावली', साहित्य अकादेमी, पृ. सं. 317, 318
9. स्वामी गोकुलदास जी, 'मेघवंश इतिहास (ऋषि पुराण)' पृ. सं. 80
10. नाथकवि, 'देवचरित्र' खण्ड - 1 छन्द सं. 29 (हस्तलिखित)
11. साक्षात्कार -श्री भँवरलाल वाणिया निवासी उम्मेदपुरा, उम्र - 65 वर्ष, कार्य-बुनाई
12. साक्षात्कार- श्री वेणीराम वाणिया, निवासी-उम्मेदपुरा उम्र - 70 वर्ष कार्य-बुनाई
13. ऋग्वेद -6/8/2-3, 10/71/8, 10/26/6, 1/34/1
14. सज्जन कीर्ति सुधाकर- दिनांक - 21 जुलाई 1943 ई.
15. सज्जनकीर्ति सुधाकर-दिनांक - 28 दिसम्बर 1942 ई.

लोकतंत्र में विपक्ष की सशक्त भूमिका

रेणु ठाकुर*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा, नीमच (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जिस प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में शासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु मजबूत ढढ़ निश्चय वाली लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार उस लोकतांत्रिक सरकार को निरंकुश होने से रोकने हेतु उससे भी अधिक मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है क्योंकि यदि सरकार में बैठे हुए लोगों को सत्ता का लालच आ जाए तो वह एक पल में लोकतांत्रिक भावना को ताक पर रखकर निरंकुश होने में देर नहीं लगाएंगे हैं। ऐसे में सरकार की मनमानी को रोकने हेतु सशक्त भूमिका निभाते हुए सरकार की योजनाओं एवं कार्यप्रणाली पर निरंतर निगरानी रखना आवश्यक है।

शब्द कुंजी – लोकतंत्र, सशक्त विपक्ष, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार की तुलना सशक्त विपक्ष की भूमिका।

शोध पत्र का महत्व – वर्तमान में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार पिछले 10 वर्षों से सत्तारूढ़ है और उनके द्वारा भारत के विकास हेतु काफी सराहनीय कार्य भी किए गए हैं। परंतु कभी-कभी कुछ निर्णय ऐसे भी लिए जाते हैं, जिसमें जनता की पूर्ण सहमति नहीं होती है और ना ही जनता को उनके द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों से नीतियों के कार्यान्वयन एवं उससे पूर्व अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात अनुचित नीति आने पर संपूर्ण देश में आंदोलन होने लगते हैं जिसे कुछ समय के लिए देश की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है जिससे सभी को नुकसान होता है। इससे पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी कुछ 10 वर्षों तक शासन किया था। परंतु कहते हैं कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है लंबे समय तक बने रहने के कारण सरकार निरंकुश होने लगती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताक पर रखकर मनमानी करने लगती है और पिछली सरकार के साथ भी यही हुआ और मनमानी करने पर जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया इसी तरह जब भी कोई सरकार लंबे समय तक टिकी रहती है। तो उसके विपक्ष में उसे मनमानी करने से रोकने हेतु एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है जो सरकार की गलतियों को जनता के सामने लाए और स्वयं को भी जनता की सेवा के माध्यम से सशक्त बनाकर संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के उद्देश्य से सत्ता में आने का प्रयास करें। ऐसे में शोधार्थियों द्वारा समय-समय पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किए जाने वाले शोध कार्यों एवं शोध पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित होने से इन मुद्दों को जनता के सामने आसानी से लाया जा सकता है।

शोधकार्य का उद्देश्य – जब से भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई है तभी से लोकतांत्रिक सरकारों के कभी प्रजातंत्र और कभी तानाशाही बनने का दौरा सतत रूप से चालू रहा है और यदि कभी कोई सरकार 10-15 सालों तक सत्ता में टिक जाए तो उसके निरंकुश बनने की काफी हद तक संभावनाएं

हो जाती हैं। ऐसे में सरकार को तानाशाही रूप धारण करने से रोकने हेतु एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है जो सरकार को गलत निर्णय लेने से रोकने एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने से रोक सके और देश में लोकतंत्र का सम्मान एवं जनता के मौलिक अधिकारों का अभिमान और देश के संविधान का मन बना रहे।

विपक्ष की व्याख्या – किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदैव दो पक्ष होते हैं सर्वाधिक बहुमत प्राप्त दल जब सरकार बनाता है तो वहां सत्तापक्ष कहलाता है और उससे कम परंतु अन्य दलों से अधिक बहुमत प्राप्त दल विपक्ष में बैठता है और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्मित एवं क्रियान्वित की जाने वाली नीतियों की आलोचना कर सरकार पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। वैसे तो हर विपक्षी दल का उद्देश्य सत्ता में बैठी सरकार की अत्यधिक आलोचना कर सरकार गिरा कर स्वयं सत्ता प्राप्त करने का होता है। परंतु कोई ईमानदार, नैतिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलने वाला विपक्ष हो तो वह सरकार की केवल अनुचित एवं गलत नीतियों की ही आलोचना कर सरकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है और सरकार की सकारात्मक योजनाओं का समर्थन कर सरकार को देश के विकास में सहायता देता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – जब तक भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन उपनिवेश और गुलाम बना रहा तब तक वहां सिर्फ ब्रिटिश सरकार का राज था। जिस में विपक्ष की तरफ से बोलने वाली सारी भारतीय जनता थी जिनकी बातों का ब्रिटिश सरकार पर असर तो हुआ पर उसके लिए हमारे देश के लाखों लोगों, क्रांतिकारियों को बलिदान देना पड़ा जिसके पश्चात 15 अगस्त 1947 में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर उभरा जिसमें हमारे देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलालनेहरू बने और भारत में लोकतंत्र की मजबूत भावना के साथ एक सशक्त लोकतांत्रिक सरकार सत्ता में आई। जिसने प्रारंभ में तो जनकल्याण हेतु अनेकों योजनाएं बनाई, जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए, नवीन राज्यों का निर्माण हुआ और कुछ दूसरे देशों के अधीन उपनिवेशों और रियासतों को छुड़वाकर भारत में शामिल किया गया जिसमें कश्मीर रियासत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। जो कि उस समय की सरकार की और विशेष तौर पर नेहरू जी की अनदेखी के कारण आज भारत और पाकिस्तान के बीच गला काट वाला मुद्दा बन गया है।

नेहरू जी के गलत निर्णय – बात उसे समय की है जब पाकिस्तान सेना द्वारा 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर हथियाने हेतु उस पर हमला किया गया और कश्मीर सरकार के बार-बार आग्रह करने के बाद भी नेहरू जी ने कश्मीर

को पाकिस्तान से बचाने हेतु अत्यधिक ढीलपूर्ण रवैया अपनाया गया और देर होने के पश्चात 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर में भारतीय सेना भेजी गई। जिन्होंने कबाइलियों को खदेड़ दिया और 7 नवंबर को बारामूला कबाइलियों से खाली करा लिया गया था। परंतु नेहरू जी ने बीच में ही शेख अब्दुल्ला की सलाह पर युद्ध विराम कर दिया नहीं तो आज सारा कश्मीर भारत का हिस्सा होता परंतु नेहरू जी की लापरवाही के कारण पुंछमुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलागित आदि क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चले गए। जिन्हें आज वर्तमान समय में आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है इतना सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय सरकार के विपक्ष में कोई मजबूत दल खड़ा नहीं था। जो सरकार को इतने गलत फैसले लेने से रोक पाए या इन गलत फैसलों के बाद भी सरकार की आलोचना कर पाएं जिसके कारण तत्कालिक सरकार के द्वारा एक के बाद एक गलतियां होती गईं।

चीन से हारने के बाद जब 14 नवंबर 1963 को हार पर चर्चा करने हेतु नेहरू जी ने संसद में अपनी बात रखते हुए कहा कि चीन ने किस तरह भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। उनकी इस बात पर व्यंग करते हुए विपक्ष में ना होते हुए भी करनल के सांसद स्वामी रामेश्वरानंद जी ने कहा 'चलो अब तो आपको चीन का असली चेहरा नजर आया' और इसी तरह एक के बाद एक कुछ व्यक्तियों ने तो नेहरू जी की इस मुद्दे पर कटु आलोचना की पर फिर भी यह लोग केवल सरकार का हिस्सा ही थे इसलिए केवल व्यंगात्मक रूप से अपनी बात कह पाए पर फिर भी कोई विपक्ष में नेहरू जी की तरफ से नहीं बोल पाया।

विपक्ष के भय से इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया अनुचित आपातकाल का निर्णय – जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इस चुनाव को जयप्रकाश नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही कर देते हुए इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुनाव को अवैध कर दिया। जिसे इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दी पर सांसद पद पर बने रहते हुए मतदान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके कारण इंदिरा गांधी में जयप्रकाश नारायण के विचारों का जनता के बीच लोकप्रिय होने का भय उत्पन्न हो गया और इस बीच 25 जून 1975 की शाम को रामलीला मैदान में जय प्रकाश नारायण जी की रैली की थी जिसमें उन्होंने रामधारी दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता का एक अंश 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।' का बुलंद नारा दिया इसी रैली से भयभीत होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल का अनुचित निर्णय लिया आधी रात में ही इंदिरा गांधी ने सारे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और विरोध से बचने हेतु विपक्ष में बैठे सारे बड़े नेताओं अटल बिहारी वाजपेई चंद्रशेखर जय प्रकाश नारायण आदि बड़े नेताओं को देशद्रोह के आरोप में कारावास में डाल दिया। क्योंकि इंदिरा गांधी के मन में भय बैठ गया कि जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर समस्त विपक्ष के नेता और सारी जनता उनके विरोध में आ सकती हैं और सेना भी तख्ता पलट कर सकती हैं और उनका यह भय सच भी हुआ क्योंकि आपातकाल के कुछ दिनों बाद ही इंदिरा गांधी को जनता के विरोध के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

इस प्रकार उसे समय छोटे दल के रूप में ही सही पर विपक्ष की एक सशक्त भूमिका के कारण भारत में 1975 के बाद एक निरंकुश सरकार नहीं

बन पाई।

2005 से 2012 तक विपक्ष की सशक्त भूमिका – इसी बीच में भाजपा एवं अन्य छोटे-छोटे राजनीतिक दलों द्वारा शासन करने के पश्चात 2005 से लेकर 2012 तक फिर से एक बार कांग्रेस सरकार का लंबा शासन चला। परंतु इससे भी जनता को निराशा ही प्राप्त हुई क्योंकि सोनिया गांधी ने चुनाव जीतने की पश्चात भी श्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया वह बेशक एक विशेषज्ञ, विद्वान प्रखर प्रवक्ता थे। परंतु राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं थे इसलिए शासन संचालन से संबंधित सारे फैसले सोनिया गांधी एवं अन्य बड़े नेता मिलकर करते थे। मनमोहन सिंह जी सिर्फ घोषणाएं करते थे इस प्रकार एक सक्षम नेतृत्व के अभाव में इन वर्षों में भारत में अत्यधिक भ्रष्टाचार, महंगाई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की अपेक्षा पिछले 10 सालों में भारत को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है और आने वाले 20 सालों में संभव है कि भारत एक विकसित देश भी बन चुका होगा। क्योंकि भी भाजपा सरकार ने अनेक नवीन योजनाओं की शुरुआत की हैं परंतु भाजपा सरकार ने भी अनेकों ऐसे अनुचित निर्णय लिए हैं जो लगभग असफल ही रहे हैं और जिनका खामियाजा जनता आज भी भुगत रही हैं।

बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई की जनता खुद सरकार के विरोध में खड़ी हुई ऐसे में विपक्ष के रूप में मौजूद भाजपा सरकार को एक अच्छा अवसर मिला। कांग्रेस सरकार की आलोचना कर एवं उनकी कमियां जनता के सामने प्रस्तुत कर सत्ता प्राप्ति का और यहां हुआ भी जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए पर कहते हैं ना की दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है इसलिए 2014 के बाद आई भाजपा सरकार ने भी अनेकों अनुचित निर्णय लिए हैं।

भाजपा सरकार के अनुचित निर्णय और विपक्ष की कमजोरी भूमिका भाजपा सरकार के अनुचित निर्णय

1. **सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग** – जहां तक इनका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हो रहा है तो भी डर वास्तविक है कि यदि लोग मोदीधशाह के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं तो इन संस्थानों को उनके पीछे लगा दिया जायेगा। यह लोकतंत्र के एक अभिन्न अंग 'असहमति' को खत्म करने के लिए पर्याप्त है।

2. **कालिखो पुल के सुसाइड नोट, न्यायाधीश लोया की मौत, सोहराबुद्दीन की हत्या इत्यादि की जांचों में विफलता और बलात्कार के आरोपी विधायक का बचाव** जिसके रिश्तेदार पर लड़की के पिता की हत्या का आरोप है, उस पर एक वर्ष से भी अधिक समय के बाद भी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी।

3. **विमुद्रीकरण** – यह असफल रहा, लेकिन और भी बुरा यह है कि भाजपा यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि यह असफल रहा। टेररफंडिंग रोकने, काले धन को कम करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का सारा प्रोपेगंडा बेतुका है। इसने व्यवसायों को भी खत्म किया है।

4. **जीएसटी कार्यान्वयन** – यह कर व्यवस्था जल्दबाजी में लागू की गयी थी और इसने व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया है। जटिल संरचना, अलग-अलग वस्तुओं पर कई दरें, पेचीदा फाइलिंग 3 उम्मीद है कि यह समय के साथ स्थिर हो जायेगा, लेकिन इससे नुकसान हुआ है। अपनी असफलता को स्वीकारने के मामले में भाजपा बेहद अकड़ है।

5. **खराब विदेशनीति** – चीन के पास श्रीलंका में एक बंदरगाह है,

बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसकी भारी रूचि है (हम धिरे हुए हैं) मालदीव में विफलता (भारतीय श्रमिकों को अब भारत की विदेश नीति की असफलता के कारण वीजा नहीं मिल रहा है) जबकि मोदी जी विदेशों में जाते हैं और कहते रहते हैं कि 2014 से पहले दुनिया में भारतीयों का कोई सम्मान नहीं था और अब उनका सर्वोच्चतापूर्वक सम्मान किया जाता है।

वर्तमान विपक्ष की अक्षमता के कारण – वर्तमान सरकार द्वारा बेशक कुछ अनुचित निर्णय लिए गए हो पर पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने भारत देश का जितना विकास किया है रोजगार स्तर में वृद्धि की है। भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और अब तो भारत वैश्विक गुरु बनने की राह पर भी चल पड़ा है इतने सारे अच्छे कार्य पहले की किसी भी सरकार द्वारा उत्तम तरीके से नहीं किए गए हैं। इसलिए विपक्ष में बैठे छोटे-बड़े सभी दलों में वर्तमान सरकार का विरोध करने की क्षमता नहीं है। वो कहते हैं। ना की कुछ नहीं से कुछ अच्छा है इसी तरह एक कमजोर नेतृत्व क्षमता विवेकशील और प्रखर नेताओं और वक्ताओं की कमी और देशभक्ति का अभाव जिस दल में हो वह कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता है चाहें वर्तमान सरकार कैसी भी हो।

निष्कर्ष – अगर विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल को एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना है एवं आने वाले वर्षों में अपनी सरकार बनानी है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह निरंतर रूप से सरकार में बैठे नेताओं की योजनाओं पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करती रहे और समय-समय पर जनता को भी

सरकार के द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय से अवगत कराती रहें। विपक्ष में बैठे लोग भी सांसद होते हैं। जो अपने क्षेत्र में अपने अधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ईमानदारी से करते रहे तो निश्चित ही सरकार में भी विपक्ष का भय बना रहेगा और वह विपक्ष की अपेक्षा ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे और विपक्ष के द्वारा अच्छा कार्य करने पर उनके सत्ता में आने का रास्ता भी खुलना लगेगा।

जैसे नेहरू जी के समय तो कोई मजबूत विपक्ष नहीं था इसलिए लगभग 15 सालों तक उचित और अनुचित निर्णय लेते हुए उन्होंने सरकार में लंबा समय बिताया। परंतु जय प्रकाश नारायण अटल बिहारी वाजपेई और अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं के द्वारा इंदिरा गांधी के अनुचित निर्णय को जनता के समक्ष लाने पर इंदिरा गांधी के भ्रष्ट शासन को जनता को लंबे समय तक नहीं झेलना पड़ा। इसलिए अगर विपक्ष को अपने आप को पहले की तरह मजबूत बनाना है तो उन्हें अपने स्तर पर जनकल्याण हेतु अच्छे कार्य भी करने होंगे और सतत जागरूक रहते हुए वर्तमान सरकार के प्रत्येक अनुचित निर्णय की सार्थक आलोचना कर जनता को भी जागरूक बनाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सुभाष कश्यप, भारतीय राजनीति और संसद विपक्ष की भूमिका, ISBN-108171786316, First Edition Publisher, Rajkamal Prakashan
- 2- <https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news&editorials/slumbering-parliamentary-opposition>

आचार्य विद्यासागर द्वारा हाइकु के क्षेत्र में योगदान

डॉ. गणेशलाल जैन* प्रीति सोनी**

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिन्दी) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – विश्व-गुरु भारत ऋषि-मुनियों की चरण-धूल से सदा ही पवित्र और धन्य रहा है। कहा जाता है कि 'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा।'

भारत देश की पहचान यह है कि भारत देश के हर कोने में आचरण - प्रधान महापुरुष अथवा उन महान् आदर्श-पुरुषों के चरण-चिहनों पर चलने वाले सदाचारी नागरिक बास करते हैं। ऐसी ही संस्कारवान, शस्त्र-श्यामला भूमि मेरा भारत है। जहाँ वाल्मिकी, कालीदास, कबीर, नानक जैसे सन्त कवियों और महात्मा गाँधी, तिलक, विवेकानंद, दयानन्द जैसे आदर्शवादी महापुरुषों की जननी यह भारत भूमि रही है, वहाँ आध्यात्मिक बोध-प्रबोधक, मूर्धन्य आचार्य कुन्दकुन्द, दार्शनिक-तात्त्विक आचार्य समन्तभद्र आदि महामना, विजितमना साधकों को प्रसूत करने का श्रेय इस भारत महि को जाता है।

19-20 वीं शताब्दी के प्रथम दिगम्बराचार्य परमपूज्य चारित्र चक्रवर्ती, जैनाचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज की परम्परा में ज्ञान के अगाध सागर, संस्कृत-प्राकृत अपभ्रंश के प्रकाण्ड-विद्वान, संस्कृत महाकाव्यों के रचयिता, महासाधक गुरुणां गुरु आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज का नाम आगत है। जिनकी अल्पकालीन सन्निधि में मूलतः कन्नड़ भाषा-भाषी, श्रमण-संस्कृति उन्नायक सिद्धान्त-वेत्ता, युग-स्त्रष्ट, श्रुतशील सम्पन्न, महामनीषी, महाचिन्तक, युग-प्रवर्तक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी ज्ञान-ध्यान-तप, साधना को शैल-शिखर कीतरह उन्नायित किया कि वे स्वयं उनके ही प्रतिरज बन गये। 21वीं शताब्दी की विकृत संस्कृति व सभ्यता में कुपोषित मानव के भौतिक एवं विलासपूर्ण जीवन को अपने वैचारिक तथ्यों से स्थापित कर सन्मार्ग पर चलने के लिए सर्वतोन्मुखी-विकास की प्रक्रिया पर आधारित अपने चिन्तन को वे जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव के शिक्षा-सूत्र चाहे दोहे-छन्द के रूप में हो या मूकमाटी की छन्द-मुक्त कविता के रूप में वे पुस्तक या काष्ठ की शोभा-सामग्री नहीं है अपितु पाठकों के जीवन-शृंगार की वस्तु है। जिसके पठन-पाठन से वे अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाकर आत्मिक, नैतिक, चारित्रिक ऊँचाईयों को छू सके।

इसी क्रम में आचार्य प्रवर गुरुदेव के साहित्य जगत की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उनके सरस्वत-प्रतिमान में एक पृष्ठ और जुड़ जाता है, वह है - साहित्य-सृजन की एक विधा-हाइकु कविता/जिसका

उदय मूलतः जापानी-चेतना के सौन्दर्य से हुआ। सर्वप्रथम जापान के मात्सुओ लाशो (1644-1694) द्वारा प्रवाहित होकर यह धारा युग-धारा के रूप में प्रस्फुटित होकर जीवन-दर्शन से जुड़ गई। वर्तमान में यह हाइकु कविता पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में लिखी व पढ़ी जाती है।

तीन पंक्तियों में लिखी जाने वाली यह कविता 'गागर में सागर' का प्रारूप है। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर और तीसरी में 5 अक्षर, इसी प्रकार कुल 17 अक्षर होते हैं। पहली-दूसरी-तीसरी पंक्ति में तुक मिलना भी अनिवार्य नहीं होता। अनेक सम्प्रदायों व दर्शन की झाँकी इसके माध्यम से मिल जाती है। भारत में इस विधा को लाने का श्रेय कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है। जिसे भारत के साहित्य में स्थान दिलाने का कार्य अज्ञेय के द्वारा किया गया। इस परम्परा को विश्व स्तर तक प्रचलित एवं लोकप्रिय बनाने का कार्य आधुनिक भारत के कवियों के सहयोग से हुआ।

सन 1996 में गिरनार यात्रा के दौरान तोरगाजी क्षेत्र में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ श्रावक श्रेष्ठी श्री सुरेश चन्द्र जी (गोटेगाँव निवासी) पंहुचे थे जिनके सम्पर्क के कारण आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने हायकू सन 1996 में गिरनारजी यात्रा (तोरगाजी) के दौरान लिखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ही आचार्य महाराज को इस हाइकु जापानी कविता के विषय में जानकारी दी थी। तभी से गुरुदेव ने इसे भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और धर्म-दर्शन-आध्यात्म चेतना को मुखरित कर जन-जन तक अपने सन्देश को पंहुचा रहे हैं। सुरेशचन्द्र जी द्वारा सुनाए गए हाइकु से आचार्य श्री इतने प्रभावित हुए की तब से वर्तमान तक लगभग 700 से अधिक सारगर्भित हाइकु की रचना कर डाली जिसमें से कई प्रकाशित तथा कई अप्रकाशित हाइकु हैं। विविध विषयों पर लिखे आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं सारगर्भित हाइकु हैं। जो बिहरी के दोहे के समान देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। नवीन विधा के रूप में भारतीय साहित्य में अपना स्थान बनाने वाली यह छोटी कविता हाइकु का अपना विशेष महत्व है। जिसे आध्यात्मिक एवं दार्शनिक क्षेत्र का विषय बनाने का श्रेय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जाता है। जिन्होंने जन-जन के मन तक अपने सन्देश को इतनी सारलता से पंहुचाया है। ऐसे तो आचार्य श्री ने साहित्य की अन्य विधाओं पर तथा मूकमाटी जैसे महाकाव्य की रचना

हिन्दी साहित्य को विशेष योगदान दिया है। हाइकु की रचना कर आचार्य श्री ने हाइकु के क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान किया है। आध्यात्मिक हाइकु एवं कई सामाजिक एवं दार्शनिक विषयों को लेकर सारगर्भित, छोटे व प्रभावपूर्ण हाइकुओं की रचना की है तथा हिन्दी साहित्य में नवीन विधा के रूप में प्रचलित हाइकुओं का महत्व बढ़ाया है। समय के एक संक्षिप्त क्षण पर ध्यान, उत्तेजक रंगीन छवियों का उपयोग एक सांस में पढ़ने की क्षमता और अचानक आत्मज्ञान की अनुभूति का नाम है हाइकु। अनुभूति के चरम क्षण की व्यंजना को हाइकु कहते हैं।

भारतीय मनीषियों और विद्वानों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार हाइकु मूलतः भारतीय छन्द-पद्धति का सत्रह वर्णीय छन्द है। 'सप्तदशाक्षरमिदं वृत्तम्' यह सूत्र इंगित करता है कि पूर्व में भी भारत में ये सत्रह वर्ण वाले छन्द लिखे जाते थे। कहा जाता है कि गायत्री छन्द उच्चारण की भिन्नता के कारण गायत्री से गायत्री गायत्री से गायकु व गायकु से हायकू रूप में परिवर्तित होकर जापान से यहाँ पर पुनः आया है। बौद्ध धर्म प्रचारकों के द्वारा यह चीन और कोरिया होकर जापान पहुँचा था। जापान के जैन-सन्त कवियों ने प्रकृति और ईश्वर का वर्णन करने में इसी विधा का प्रयोग किया था।

जापानी पद्धति की छाया लिए हुए आत्मचिन्तक जनहित प्रवर्तक, देश-राष्ट्र व मातृभाषा के संवर्धक, अनेकान्त-प्रशंसक गुरुदेव ने ये

गम्भीर अर्थ पूर्ण रचनाएँ की हैं जो लोकहितार्थ अत्यन्त उपयोगी हैं। एक मराठी-कन्नड़ भाषा-भाषी का हिन्दी भाषा में ग्रन्थों व पुस्तकों का प्रणयन उनके राष्ट्र-प्रेम का प्रतीक है।

षट्खण्डागम जी ग्रन्थ में एक सूत्र आता है -

अणंतद्व गब्बूठिदादो सुत्तं जिसमें अनन्त अर्थ गर्भित होते हैं, वह सूत्र कहलाता है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि - जिस दृष्टिकोण से देखा जाता है, वैसा ही भाव प्रकट होता है। वैसे तो गुरुदेव सदा ही कहते हैं कि अर्थ लिखकर किसी भी कृति को सीमित मत करो क्योंकि उसे पढ़कर व्यक्ति इसी दायरे में सोचने लगता है परन्तु हम छन्दस्थ जीवों को उसके बिना अर्थ बोध नहीं होता। आचार्य श्री द्वारा रचित 700 से अधिक हाइकु काव्य की रचना की गई है जिसके कई हाइकुओं का अर्थ के साथ प्रकाशन भी हो चुका है तथा कुछ का नहीं। आचार्य श्री ने जापानी पद्धति के विपरीत केवल प्रकृति से संबंधित नहीं बल्कि विविध विषयों पर हाइकु की रचना की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विचारों की परछाई पेज नं. 3, 4 भाव-प्रस्तुति (आर्थिका अकम्पमति)
2. विचारों की परछाई पेज नं. 5

राजस्थान की समकालीन कला में कलाविद् परमानन्द चोयल का योगदान

डॉ. ज्वाला प्रसाद कलोशिया*

* सहायक आचार्य (चित्रकला) राजकीय महाविद्यालय, गढ़ी, बांसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान की आधुनिक कला का इतिहास भारतीय आधुनिक कला का सहगामी रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कला में जो आंदोलन हुए, नतीजन जो परिवर्तन व प्रभाव आये इन सभी के कारण तत्कालीन राजस्थान की कला, दर्शन साहित्य एवं विचारों में भी परिवर्तन होना संभव था। आधुनिकीकरण एवं पुनर्जागरण की प्रक्रिया ने राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य को नवीन मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला ने थोड़ी सी अवधि में एक लम्बी यात्रा तय की। नवीन सौन्दर्य बोध से युक्त वर्जनायुक्त, यथार्थवादी कलाभिव्यक्ति ने अमित संभावनाओं के द्वारा खोल दिये। जिसके परिणाम स्वरूप सन् 1857 ई. में 'मदरसा - ए - हुनरी' नामक कला संस्थान की स्थापना तत्कालीन महाराजा सवाई रामसिंह द्वितीय ने की, और यहीं से राजस्थान की कला में चित्र, शिल्प व हस्तशिल्प की प्रणालियाँ विकसित होने लगी। कला के इस आधुनिक दौर में शैलेन्द्र नाथ डे ने राजस्थान की कला को एक नवीन मार्ग दिखाया। असित कुमार हलदार एवं शैलेन्द्र नाथ डे के सम्मिलित प्रयासों से 'मदरसा-ए-हुनरी' को 'राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट' के रूप में नवजीवन मिला। जिसे राजस्थान में आधुनिक कला का प्रथम पदचिह्न कहा जा सकता है।¹



उपरोक्त कला गुरुओं के शिष्यत्व में अनेक कलाकार यहाँ से शिक्षित-प्रशिक्षित हो निकले। जिसमें पद्म श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, कुंदनलाल शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, कलाविद् परमानंद चोयल, कलाविद् द्वारकाप्रसाद शर्मा, आर.बी. सांखलकर एवं बी.सी. गुई के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने राजस्थान के समसामयिक कला आंदोलन में नये आयोगों का सूत्रपात किया। यहाँ हम कलाविद् परमानंद चोयल की जीवनी

के साथ-साथ उनके द्वारा किये गये प्रयासों एवं उनके कलाकर्म पर चर्चा करेंगे।

मरु प्रदेश राजस्थान के कला जगत में अपनी निजी शैली का निर्माण करने वालों में परमानन्द चोयल का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। जिनको राजस्थान की समकालीन कला में कलागुरु के रूप में जाना जाता है। इनके कलाकर्म के विषय, शिल्प और सृजनात्मकता के नूतन रूपों का निरन्तर प्रवाह आज भी इनकी कृतियों में देखा जा सकता है। यथार्थवादी परम्परागत चित्रण से लेकर अमूर्तन तक की कला अभी भी गतिशील है, जहाँ कला परम्परा, आधुनिकता और समकालीनता जैसे खण्डों में विकसित होती हुई परिपक्व हुई है।²

इनकी कला में हमारी दिलचस्पी इसलिए है कि हम उनमें एक सजग कलाकार की ढेरों चिंताएँ पाते हैं, जहाँ उनके पचास से अधिक वर्षों का कला सृजन इन्हीं उत्कण्ठाओं से उभरकर कला के विभिन्न माध्यमों में प्रदर्शित होता है। इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की खोज में शैली को तराशने में अपने कला अनुभवों, प्रभावों, वैयक्तिक अन्वेषण और संस्थापनाओं को समन्वित कर ऐसी राह चुनी जिस पर चल कर अपनी कला को शीर्ष पर पहुँचाया।³

परमानंद चोयल एक प्रतिभाशील चित्रकार होने के साथ-साथ कवि, नाटककार भी हैं जो मानवीय गुणों से ओत-प्रोत हैं, वे जीव मात्र के प्रति संवेदनशील हैं। 'वे बचपन से ही चित्रों व रूपाकारों के प्रति रूचि रखते रहे तथा अपनी स्लेट, कॉपी पर चिड़ियाएँ हाथी, घोड़े तथा मानव आकारों को परम्परागत शैली में बनाने का अभ्यास किया था।'⁴ 'भैरों के कलाकार' के सम्बोधन से प्रसिद्धि प्राप्त पी.एन. चोयल का जन्म राजस्थान के कोटा जिले में एक सम्पन्न परिवार में 5 जनवरी, 1924 को हुआ।⁵ बचपन माता के सानिध्य में अधिकाधिक बितता था। स्वयं परमानंद चोयल ने बताया था कि माँ घर के आंगन में माँडने बनाती थी तो वे उनके पास बैठकर ध्यान से देखते थे और यहीं से उनके मन में रंगों और रेखाओं के प्रति आकर्षण प्रारम्भ हुआ।⁶

पी. एन. चोयल की कला यात्रा भारत वर्ष की आजादी के साथ ही प्रारम्भ हुई। इनकी कला की प्रथम शिक्षा जयपुर के परम्परागत कलाकार 'श्री कानूराम शर्मा' के सहयोग और सानिध्य में हुई।⁷ इसी तरह कॉलेज की शुरुआती शिक्षा के दौरान कोटा में आयी शाही अतिथि हंगेरियन कलाकार मैडम बेलेटिनी की सिफारिश पर कोटा के महाराज भीमसेन द्वारा प्रदत्ता छात्रवृत्ति प्राप्त कर वे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर में विधिवत कला शिक्षा के लिए भेजे गये, जहाँ शैलेन्द्रनाथ डे तथा रामगोपाल विजयवर्गीय

के प्रिय शिष्य बनकर बंगाल की पुनजागरण शैली को आत्मसात किया और 1945 ई. के आसपास 'वॉश' पद्धति में चित्रण कार्य प्रारम्भ किया।⁸

1948 ई. में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वॉश व टेम्परा में अनेक चित्र बनाये जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, किन्तु इन्होंने किसी भी एक या दो पद्धति में सिद्धहस्त होना और सृजन करना पर्याप्त नहीं समझा। इसी द्धन्दात्मक मनः स्थिति में इन्होंने 1953 में जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुम्बई से आर्ट डिप्लोमा किया और अपेक्षित परिवर्तन कर टेम्परा में कार्य करना प्रारम्भ किया।⁹



यहाँ से इनकी कलायात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ, जिसमें मध्यप्रदेश के आदिवासियों की जीवनचर्या का गहन अध्ययन कर चित्रण कार्य किया। परमानन्द चोयल वानगाँव के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए हैं। इस प्रभाव के कारण 1958 से 1966 के मध्य वानगाँव, अधूरी तरवीर, चलते फिरते बुत आदि एकांकी लिखे व प्रदर्शित किये। वानगाँव के चित्र 'धान के खेत पर कौवे' की तर्ज पर 'झोंपड़ी के कौवे' नामक चित्र भी बनाया। अब आपने टेम्परा चित्रों के अंश को त्याग तैलीय चित्रण प्रारम्भ कर दिया था जिसके कारण रंगों में टेम्परा जैसी चमक नहीं रही। समय के साथ-साथ परमानन्द चोयल की कलाकृतियों में अवकाश बढ़ा, रंगों में धूमिलियत सी आने लगी थी। यह कहा जा सकता है कि उनके चित्रों में प्रभाववादी क्षणिकता तथा रंगों में अभिव्यंजनावादी तीक्ष्णता झलकने लगी।¹⁰



इस समय चोयल द्वारा भैंसों पर श्रंखलाएँ व रेखाकन बहुत प्रसिद्ध होने लगे और यहीं से कला जगत में आपको भैंसोंवाला कलाकार रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस नाम की उपाधि पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत जी ने दी थी भैंसों की इस चित्र श्रंखला में परमानन्द चोयल ने रेखाओं, लयात्मक रूपों, रंगों के वास्तविक बहाव व शारीरिक रचना के गत्यात्मक सौष्ठव और चित्र - प्रदेश आदि के कल्पनाशील निरूपण में अपनी सृजनात्मकता और कौशल का पूरा उपयोग किया। 11 1961 में इन्हें स्लेड कॉलेज, लंदन में पढ़ने का अवसर मिला, जो अब तक प्राप्त अवसरों और अनुभवों से महत्वपूर्ण एवं भिन्न था, यहाँ इन्होंने तैलीय चित्रण, छायाचित्रण एवं व्यक्ति चित्रण जैसी अन्य कला पद्धतियों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त किया जिससे उनकी कला और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई 1962 में स्लेड कॉलेज से लौटने के बाद डिजाईन एवं संरचना के प्रति सजग हो गये। वे कला में वस्तुनिरपेक्षता की ओर कदम बढ़ाने लगे।¹²

1963 में उनकी कृति - श्लंदन में वर्षा राजस्थान ललित कला अकादमी की वार्षिक प्रदर्शनी प्रदर्शित हुई। यद्यपि वे अभी तक पूर्णतया पुरानी शैली से मुक्त नहीं हुये थे, किन्तु धुंधले और धूमिल रंगों की जगह चटक और चमकदार आघातों का प्रादुर्भाव होने लगा जिससे अभिव्यक्ति स्वयं स्फूर्त और सृजनशील होने लगी।¹³

परमानन्द चोयल एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने परिवेश के प्रति सजग रहना और उसी में अपना विषय टटोलना, कलाकार के लिए अहम मानते हैं। उनके द्वारा रचित भैंसों की चित्र श्रंखला 'डिजोल्विंग पास्ट', परसेप्शन ऑफ उदयपुर, चितौड़, माण्डू सैण्ड ड्यून तथा विण्डो श्रंखला के चित्रों के संवेदनात्मक बिम्ब सदैव ईमानदारी से रूपायित होते दिखाई देते हैं।¹⁴

चोयल के भैंसों के चित्रों को हमेशा याद किया जायेगा। घोड़े व हाथी, सामंतवाद के प्रतीक रहे हैं, परन्तु भैंसों के चित्रों द्वारा जिस प्रकार की अभिव्यक्ति चोयल ने की हैय शायद ही संसार में किसी और कलाकार ने की हो। वे भैंस के विभिन्न मनोभावों को गतिपूर्ण विधि से चित्रित करते थे चलती हुई भैंसों के पैर या लेटी, सुस्ताती भैंसे, उनके स्वभाव व सहनशक्ति की अभिव्यक्ति की ओर इंगित करती हैं। साथ पी. एन. चोयल ने घोड़े को बहुत ही सहज एवं सशक्त रूप में चित्रित किया है। इनके अंकन और रंगों के माध्यम से अद्भूत अभिव्यक्ति की छाप मिलती है।¹⁵

परमानन्द चोयल का राजस्थानी कलाकार होने के नाते अपनी समृद्ध परम्परा की पृष्ठभूमि पश्चिमी आधुनिकता और समसामयिक विचारधारा के बीच खड़े रहकर अपनी कला भाषा, क्राफ्ट और विजन को विकसित करना आसान नहीं था। उन्होंने इस धरती के सौन्दर्य और सामाजिक जनजीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रारम्भ किया। इनके अधिकांश चित्रों में मटमैली धरती, धुंधभरा आकाश, थके-हारे चेहरे, टूटी-फूटी व जर्जर अवस्था की दीवारें, विकृत झोपड़ियाँ, तड़कते झरोखे, जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था वाले दरवाजे, समूचा दृश्य चित्रण रंगों के कोहरे से झांकने लगा।¹⁶

इन्होंने चित्रणकार्य में रंग, रेखा और आकारों के प्रयोग में अपने अनुभव की गहराई और बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग किया। शिशु व माँ के रूप में नारी आकृति भी चोयल के चित्रों का विशिष्ट संदर्भ रहा, विशेषकर गर्भवती नारी सा उभरा हुआ उदर, नव्न स्त्रियों का संसार कई चित्रों में प्रकट हुआ। मन से कवि, विचारों से दार्शनिक तथा समृद्ध तकनीक के धनी परमानन्द चोयल ने अपने जीवनकाल में अनेक चित्राकृतियाँ अंकित की हैं। 1968-69 के आसपास तेल रंगों की पारदर्शक जल रंगों के ढंग से उपयोग करना

प्रारम्भ किया। वे बहुत संवेदनशील व हृदयगम्य चित्रकार हैं। दूसरों के दुःख दर्द को अपना समझते हैं।¹⁷



सन् 1972 में पी.एन. चोयल को हुए हृदयघात ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उनकी कला में एक अजीब-सी निराशा झलकने लगी थी। भव्य महल खण्डित होने लगे, सुन्दर पक्षियों की जगह, गिद्ध जैसे पक्षियों ने स्थान ले लिया और कालानुसार देशीय समस्याओं ने चित्रण में अपनी जगह बना ली। उदाहरण 'परसेप्शन ऑफ उदयपुर' शृंखला के चित्र हैं। अब चित्रों में स्वपीड़ा के बयान पर सामाजिक समस्याओं का चित्रांकन शुरू हुआ। 'खिड़की' शृंखला भी ऐसा ही उदाहरण है जिसमें अबला नारी के दुःख व पीड़ा को अंकित करने की चेष्टा की गई। उदयपुर की गलियाँ, दो नारियाँ, मेरी गली के आसपास, भैंस, कश्मीर का एक दृश्य, चितौड़ के खण्डर, लंदन में बरसात, आशा के मेघ, डूबता अतीत इत्यादि कई कलाकृतियाँ आपकी प्रसिद्धि की परिचायक हैं।



वे हमेशा चित्र तीव्रगति से और आंतरिक प्रेरणा से बनाते आये हैं ऐसा लगता उनके मस्तिष्क में अनेक बिम्ब एकत्रित हो गये हैं और वे उनको चित्रांकित करने को उतावले हो रहे हों। इस प्रकार उनके कई चित्र पूर्ण हो जाते हैं तो कई अधूरे भी रह जाते हैं जिन्हें वे बाद में पूर्ण करते हैं। पी.एन. चोयल हमेशा आत्म निरीक्षण करते रहे हैं, आधुनिक विचार-धारा में अपने आस्थावाद का प्रयोग कर चित्रों का निर्माण करते रहे हैं। जिसकी तकनीक अद्वितीय सी महसूस होती है। चित्रों की चमकदार रंग पद्धति और संयोजन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण व कमनीय अभिव्यक्ति, दर्शक के लिए यादगार बन जाती है।

इनके चित्रों में बहते रंग, सशक्त संयोजन, विषय की गहराई, चित्रण

की विशिष्ट तकनीक एवं संवेदनशील सशक्त रेखांकन चित्रों के रूपाकारों को सुन्दर बना देती है। भारत, इंग्लैण्ड, यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर तथा जापान आदि देशों में अनेक चित्र राजस्थान के इस आधुनिक कलाकार की सौगात हैं। उम्र 80 के दशक तक निरन्तर चित्रण कार्य में रत रहे। यद्यपि उदयपुर ही इनका स्थायी निवास रहा है, पर उनका मानवीय एवं सार्वभौमिक दृष्टिकोण उन्हें एक अन्तर्राष्ट्रीय कलाकार बनाता है।



वे न तो संत हैं और न ही बड़े विद्वान, पर इन सबसे ऊपर एक सहज और हृदयगम्य चित्रकार, कवि हैं जो बिना किसी परेशानी के व्यक्ति के मानवीय जीवन के आन्तरिक तत्वों का निरीक्षण कर उनका चित्रण करते हैं। एक शोधकर्ता की तरह मानवीय विचारों, मन के द्बन्द और जीवन की गहराइयों को समझते हुए रंगों और कलम की सहायता से चित्रतल पर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं।

कला जगत में परमानन्द चोयल के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी कई श्रेष्ठ कलाकृतियों के सम्मान स्वरूप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कला अकादमियों द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इन्हे वर्ष 1982 में राज्य की कला अकादमी द्वारा 'कलाविद्' उपाधि से सम्मानित भी किया गया। हम कह सकते हैं कि इनकी कला एवं इनके विचार राजस्थान की समकालीन कला जगत में अतुलनीय एवं मार्गप्रिषित रहे हैं।

राजस्थान की आधुनिक चित्रकला या कहे समकालीन कला के इस पथ-प्रदर्शक का 31 अगस्त 2012 को, कला-जगत की इस मोह माया को त्यागकर, परम सत्य के नजदीक पहुँचना, हमारे लिए बड़ी ही शोकाकुल बात रही है। आज के ही दिन कला-जगत को एक महान कलाकार खोना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजपुरोहित, डॉ. इन्द्रसिंह - भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला मा.शि. बोर्ड, अजमेर 2006, पृ.सं. 42.
2. सरगडा, डॉ. लक्ष्मण - 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध की राजस्थान की आधुनिक चित्रकला - आकृति मूलक प्रवृत्ति और अमूर्तवादी दृष्टिकोण-एक विवेचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) मो.ला.सु.वि., उदयपुर - 2007 पृ.सं 142.
3. दमामी, ए. एल. - राजस्थान की आधुनिक कला एवं कलाविद्. हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली - 2004 पृ.सं. 54.
4. जोशी, डॉ. ओ.पी. - परमानन्द चोयल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इल्यूस्ट्रेड बुक पब्लिशर्स, जयपुर-2004 पृ.सं. 05.
5. गोस्वामी, डॉ. प्रेमचन्द- भारतीय चित्रकला का इतिहास, पंचशील प्रकाशन, जयपुर-1999 पृ.सं. 165.

6. सरगडा, डॉ. लक्ष्मण- 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध की राजस्थान की आधुनिक चित्रकला - आकृति मूलक प्रवृत्ति और अमूर्तवादी दृष्टिकोण-एक विवेचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) मो.ला.सु.वि., उदयपुर - 2007 पृ.सं 142.
7. प्रताप, डॉ. रीता - भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2010. पृ.स.424.
8. सरगडा, डॉ. लक्ष्मण- 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध की राजस्थान की आधुनिक चित्रकला - आकृति मूलक प्रवृत्ति और अमूर्तवादी दृष्टिकोण-एक विवेचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) मो.ला.सु.वि., उदयपुर - 2007 पृ.सं 143.
9. चतुर्वेदी, डॉ. ममता- समकालीन भारतीय कला, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर-2008, पृ.सं. 92.
10. वहीं पृ.सं. 92
11. सरगडा, डॉ. लक्ष्मण- 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध की राजस्थान की आधुनिक चित्रकला - आकृति मूलक प्रवृत्ति और अमूर्तवादी दृष्टिकोण - एक विवेचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) मो.ला.सु.वि. उदयपुर-2007 पृ.सं. 92.
12. वहीं पृ.सं. 144.
13. जोशी, डॉ. ओ.पी. - परमानन्द चोयल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इल्यूस्ट्रेड बुक पब्लिशर्स, जयपुर-2004 पृ.सं. 57.
14. सरगडा, डॉ. लक्ष्मण- 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध की राजस्थान की आधुनिक चित्रकला - आकृति मूलक प्रवृत्ति और अमूर्तवादी दृष्टिकोण एक विवेचनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ) मो.ला.सु.वि. उदयपुर- 2007 पृ.सं. 144
15. जोशी, डॉ. ओ. पी. - परमानन्द चोयल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इल्यूस्ट्रेड बुक पब्लिशर्स, जयपुर 2004 पृ.सं. 18.
16. दमामी, ए. एल. - राजस्थान की आधुनिक कला एवं कलाविद्. हिमांशु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली- 2004 पृ.सं. 58. परमानन्द चोयल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इल्यूस्ट्रेड बुक पब्लिशर्स, जयपुर-2004 पृ.सं.58.
17. जोशी, डॉ. ओ.पी. - परमानन्द चोयल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इल्यूस्ट्रेड बुक पब्लिशर्स, जयपुर-2004 पृ.सं. 15

राजेन्द्र यादव के आलोचकीय व्यक्तित्व का विश्लेषण

डॉ. मुकेश कुमार*

* सहायक आचार्य, विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कैराना, शामली (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सृजन का चरित्र, वक्तव्य, टिप्पणी, सम्पादकीय या आलोचना से अलग होता है। इसमें किसी प्रायोजित विचारधारा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत रात-विराग की कोई भूमिका अपेक्षित नहीं होती है। सृजन 'टारगेटेड' या सीमाबद्ध नहीं होता और न ही इसके विषय आयोजित। इसमें एक ऐसी उदारता, व्यापकता, खुलापन, संवेदनशीलता या मनुष्यता होती है जो व्यक्ति, समाज विचारधारा की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुयी सम्पूर्ण सृष्टि से संवाद स्थापित करने में समर्थ एवं प्रभावी होता है। साथ ही सृजन भाषा, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, देश-प्रदेश, क्षेत्र एवं लिंग के विचारधारा का पोषण नहीं करता है। यह बात अलग है कि उपर्युक्त विचारों का आधार बनाकर शोषण, अत्याचार एवं भेदभाव जहाँ होता है, वहाँ रचना स्वतः अभिव्यक्त होती है। यानि सृजन सत्ता, शक्ति, व्यापार एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे होता है। वास्तव में सृजन सृष्टि की उदारता, समानता, सद्भाव, प्रेम, अस्तित्व एवं मनुष्यता का 'राग' होता है जो अपने स्वभाव एवं चरित्र से सकारात्मक होता है।

वक्तव्य, टिप्पणी, सम्पादकीय, आलोचना इत्यादि विधाओं में व्यक्तिगत राग-विराग, महत्वाकांक्षा, ख़ास विचारधारा का आपेक्षण चाहे-अनचाहे परिलक्षित होता है। इनमें सृजन जैसी व्यापकता एवं सम्पूर्ण सृष्टि से संवाद करने की क्षमता नहीं होती है। यदा-कदा इनमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का हावी हो जाना आम बात हैं। वैसे इन्हें भी सृजन एवं अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है, लेकिन इनमें सृजनात्मक विवेक एवं संवेदनशील ईमानदारी कम दृष्टिगोचर होती है। कहने का आशय यह है कि सम्पादकीय को कविता, कहानी के बरबस रखना अन्याय होगा। इस तरह से सम्पादकीय या किसी वक्तव्य या टिप्पणी को सृजन का पर्याय नहीं माना जा सकता है।

इसी से संबंधित है व्यक्तित्व एवं कृतित्व या इसे कथनी एवं करनी भी कह सकते हैं। इसे हम सामाजिक आचरण, व्यवहार, दायित्व, उद्देश्य एवं प्रभाव से भी जोड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को अपने अतिरिक्त एक सामाजिक या पारिवारिक दायित्व होता है। ऐसा हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि हम उपदेश अहिंसा का देते हैं और निरंतर हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। या इसे यों कह सकते हैं आतंकवादी को हिंसा, चरित्रहीन को चरित्र, अनैतिक को नैतिकता, असामाजिक को सामाजिकता, दुराचारी के सदाचार, विकृत को संवेदनशीलता आदि पर कोई विचार, सृजन, वक्तव्य या टिप्पणी करने का अधिकार है। वैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कोई कुछ भी कहने, लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसमें प्रभाव, महत्व एवं गंभीरता नहीं रह जाती है। स्त्री या समाज के शोषित वर्ग के लिए वास्तव में गंभीर एवं

संवेदनशीलता एवं दायित्व का बोध होना चाहिए। पाँच सितारा जीवन यापन करके गरीबी एवं भूख को आधार बनाकर सृजन करना, एक तरह से गरीबी को संवेदनशीलता का मजाक उड़ाना ही माना जा सकता है या इसे हम 'भूख' को व्यावसायिकता से जोड़ कर फायदा उठाना ही कह सकते हैं। गोर्की या प्रेमचंद ने गरीबी को जिया था इसलिए उनकी रचनाएँ न सिर्फ प्रामाणिक तार्किक और सत्य के प्रयोग हैं बल्कि हर अर्थ में वे कालजयी बन गयी हैं। इस पर विस्तार से फिर अलग से कबीर ने जो देखा, महसूस किया, वही कहा, इसलिए कबीर आज भी हमारे बीच जीवित हैं उनके वक्तव्य अमर हैं।

उपर्युक्त विवेचन का सम्बन्ध राजेन्द्र यादव के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से है। राजेन्द्र यादव के कथा-लेखन से मेरा परिचय रहा है, कभी-कभी हंस की सम्पादकीय भी पढ़ने को मिल जाती थी, इसके साथ ही सुनी-सुनायी बातें भी यदा-कदा मेरे कान में पड़ती रही हैं। खैर सुनी-सुनायी बातों का कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है, इसलिए इन बातों को आधार नहीं बनाया जा सकता। शोध-कार्य के दौरान उनसे एक-दो बार मुखामुख भी हुआ, लेकिन कोई विशेष स्मृति मेरे जेहन में निर्मित नहीं हो पायी। जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक इंच मुस्कान आदि रचनाएँ जरूर मुझे सच्ची एवं संवेदनशील लगी, लेकिन उनका कोई ऐसा प्रभाव मेरे उपर नहीं पड़ा जो बहुत देर या दूर तक प्रभावित करती हो। सारा आकाश में मध्यवर्गीय भारतीय परिवार की संकीर्णता, कट्टरता, गरीबी एवं दमघोटू वातावरण का विश्लेषणात्मक सृजन हमें जरूर उद्बलित करता है, लेकिन उपन्यास के मध्यांतर के बाद का विश्लेषण बनावटी ज्यादा महसूस होता है, जो हमें झकझोरता नहीं है, सपाट एवं सामान्य ढंग से आगे बढ़ते हुए अंत की ओर जाता है। 'जहाँ लक्ष्मी कैद है' में आदर्श के नये यथार्थ से हम खूबसूरत होते हैं जिसकी कल्पना शायद ही कोई सामान्य मस्तिष्क कर पाता है। सामाजिक एवं पारिवारिक आदर्श के परदे के पीछे छुपे एक क्रूर एवं विकृत यथार्थ का उद्घाटन निश्चित रूप से हिन्दी कथा-साहित्य की एक उपलब्धि मानी जाएगी। रचनाओं के साथ कभी-कभी सम्पादकीय, वक्तव्यों, भाषणों और समय-समय पर प्रकाशित अजीबो-गरीब शीर्षक वाली राजेन्द्र यादव केन्द्रित पुस्तकों से भी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते वास्ता पड़ता रहा है। लेकिन राजेन्द्र यादव के देहावसान के बाद विशेषांको, जिसमें उनके मित्र, शत्रु, लेखक, पुत्री, भाई, पूर्व पत्नी, सेवक, लेखिकानुमा तथा कथित प्रेमिकाएँ, युवा लेखक-लेखिकाएँ, आलोचकों के संस्मरणात्मक वक्तव्य, विश्लेषण एवं टिप्पणी से उनके रचनाकर्म एवं आचरण-व्यवहार पर विस्तार से विचार किया गया है। किसी ने उन्हें स्टंटबाज, किसी ने यौनाचारी, किसी ने व्यावसायिक तो

किसी ने खलनायक, यारबास, जिन्दादिल इत्यादि विश्लेषणों से कुछ बातें स्पष्ट हुयीं-जैसे राजेन्द्र यादव पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वे अपने फायदे के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं चाहे पुत्री, मित्र या पत्नी हो। उन्होंने किसी का भी परवाह नहीं किया, किसी क्षण किसी को भी धोखा दे सकते हैं, छल सकते हैं। सबने माना है कि उन्होंने खबर में बने रहने के लिए नित्य नए-नए बखेड़ा (विवाद) खड़ा करते रहे हैं। वे हंस के माध्यम से एक नया गिरोह खड़ा करने का प्रयास करते रहे, चाहे स्त्री, दलित धर्म या किसी टारगेटेड विचारधारा को माध्यम बनाया है। उनका रचनानाकर्म दंड-फंड के कारण नित्य क्षरित हुआ। उन्होंने नए मुद्दों एवं नव-लेखकों-लेखिकाओं के लिए हंस के माध्यम से नया मंच तैयार किया। उन्होंने दोस्ती-दुश्मनी दोनों का सामांतर निर्वाह किया, कौन अपना-कौन पराया इसकी कभी परवाह नहीं किया। उन्होंने दलितों, स्त्रियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान किए।

इस संदर्भ में कुछ बातें पाठकों के मन को झकझोरती हैं। 'जहाँ लक्ष्मी कैद है' का युवक अगर सेठ की भूमिका में आकर लक्ष्मियों का इस्तेमाल अपनी महत्वाकांक्षा एवं हसस को पूरा करने के लिए करने लगता है, उसका आचरण एवं चरित्र सेठ जैसा हो जाए तो, कहानी की विश्वसनीयता, संवेदना, गंभीरता एवं प्रभाव कहाँ तक रह जाती है। 'सारा आकाश' में चित्रित पारिवारिक यथार्थ को किस रूप में पाठक ग्रहण करे, उसके प्रति संवेदनशील महसूस करे, जबकि स्वयं उसका रचयिता खुलेआम, परिवार, पत्नी, पुत्री या रिश्ते की संवेदनशीलता की खिल्ली उड़ाते हुए, उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करता हो। उनके प्रति संवेदनहीनता की हद तक क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामान्य व्यक्ति से समाज कुछ उत्तदायित्वों एवं जिम्मेदारियों के निर्वतन की उम्मीद करता है तो किसी रचनाकार, जिसकी भूमिका सामाजिक जीवन में आम आदमी से अधिक होती है, उसे समाज के एक बड़े हिस्से को उम्मीद होती है, वह एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, उसे समाज ज्यादा सम्मान एवं सुविधा देता है, उसकी पहुँच जीवन एवं समाज में दूर तक होती है एवं भूमिका भी बड़ी हो जाती है। जिस प्रताड़ित, शोषित, उपेक्षित एवं नाना संकीर्णताओं में जकड़ी स्त्री के उत्थान एवं मुक्ति की बात करने वाला लेखक, जब स्त्रियों का ही विभिन्न तरीकों से शोषण करने लगता है तो उसके सृजन, वक्तव्य एवं कथ्यों की विश्वसनीयता एवं संवेदनशीलता कठघरे में खड़ी हो जाती है। उस पर अनेक आरोप एवं सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। उसे गुनाहों को देवता मानकर माफ नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिगत आजादी की बात कह कर उसकी उच्छृंखला लम्पटता एवं अराजकता की पूजा करना, एक तरह से अलोकतांत्रिक एवं अन्यायी है। कोई शराब का सेवन करके, दूसरे को इससे दूर रहने का उपदेश देता है तो उसकी बात सम्प्रेषित नहीं हो सकती है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसके लेखन एवं वक्तव्यों को अस्वीकार्य करना, लोकतांत्रिक एवं आधुनिकता हैं। आगे राजेन्द्र यादव के लेखन, व्यक्तित्व, आचरण एवं वक्तव्यों का पाठकों, लेखकों, मित्रों एवं रिश्तदारों द्वारा अभिव्यक्त विचारों, टिप्पणियों एवं लेखन के माध्यम से विश्लेषित एवं विवेचित करने का प्रयास है।

हंस के माध्यम से राजेन्द्र यादव ने नव-लेखिकाओं को प्रोत्साहन एवं स्थान दिया। आजादी के पहले कथा लेखन में महिलाओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर थी। पुरुष लेखक ने अपनी अनुभवनात्मक प्रतिभा के आधार पर स्त्री संसार या यथार्थ को सृजित करने का प्रयास किया।

राजेन्द्र यादव ने कहा कि आप अपना यथार्थ एवं अनुभव स्वयं रचे। एक तो आधुनिक तकनीक, नया अवसर एवं सम्प्रेषण के विविध माध्यम ने बिना किसी अभियान या आन्दोलन के स्वतः ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की, जिसमें घर की देहरी अपने आप खुलती गयी, स्त्रियाँ घर से बाहर निकल कर अपनी बात खुद करने में समर्थ हुयीं। राजाराम मोहन राय सरीखे उत्थानकर्ता की कोई खास भूमिका नहीं महसूस की गयी। परिस्थितियाँ ही स्त्रियों या अन्य हाशिये की आवाज एवं अवसर बनकर उपस्थित हुयीं। इसके बावजूद पुरुषों के वर्चस्ववादी संसार में स्त्री अस्मिता एवं पहचान को स्थापित करना कठिन था। इसके लिए पुरुषों का सहयोग भी अपेक्षित था। सवाल यह है कि पुरुषों ने स्त्रियों का सहयोग एवं संबल किस शर्त एवं किस परिस्थिति में चाहे-अनचाहे बनना स्वीकार्य किया। पुरुष ने इसके बदले स्त्री से क्या चाहा। क्या स्त्रियाँ पुनः पुरुषों द्वारा ठगी गयी या सचमुच उनका कुछ भला हुआ। या स्त्रियाँ फिर पुरुषों द्वारा रचित खूबसूरत शडयंत्र का शिकार हो गयीं। यहाँ मैं राजेन्द्र यादव द्वारा प्रोत्साहित नव-लेखिकाओं के सृजन कार्य के आलोक में उपर्युक्त सवालों का विवेचन करने का संक्षेप में प्रयास करूँगा। मैत्रेयी पुष्पा, किरण सिंह, गीताश्री, सुधा अरोड़ा, लता शर्मा, रंजना श्रीवास्तव, प्रज्ञा पाण्डेय, कृष्णा अब्जिहोत्री, मनीषा, शशिप्रभा शास्त्री आदि अन्य लेखिकाओं ने क्या रचा, उनकी सृजन का मूल स्वर क्या था। वह अपनी आजादी एवं बेहतरी की तलाश किसमें ढूँढ़ रही थी। क्या उनका रचित यथार्थ सत्य के निकट था। क्या स्त्री केवल 'देह' एवं 'सेक्स' के आवरण में सिमट कर रह गयी। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उपर्युक्त लेखिकाओं के लेखन का मूल स्वर 'देह' एवं 'सेक्स' ही है। इसके लिए हमें 'स्त्री' एवं 'देह' को अलग-अलग करके समझना होगा। यह सही है कि स्त्री को 'देह' को अलग-अलग करके समझना होगा। यह सही है कि स्त्री को 'देह' से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन स्त्री केवल देह नहीं है। वह देह के साथ एक स्त्री भी है। अगर हम उसकी देह की बात करते हैं तो स्त्री कहीं पीछे छूट जाती है देख दिखने लगती है, उसकी नुमाईश होने लगती है, इस स्थिति में स्त्री की अस्मिता एवं संवेदना छटपटाने लगती है 'स्त्री' एक सोच है, एक संवेदना है, एक अस्मिता है, भावना है, वह केवल भोज्या एवं बाजार में प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। जब उसकी देह अनावृत होती है, चाहे वह अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता की खातिर तो 'स्त्री' या स्वीत्व कहीं न कहीं व्यथित होती है। वह पुनः अपने 'देह' के लिए आजादी की नाम पर ठगी जाती है। हो सकता है कि अपने दैनिक सृजन के आधार पर कुछ महिलाएँ समाज में एक मुकाम हासिल करने में सफल हो जाएँ, लेकिन सफलता अपनी 'स्त्री' को मारकर या उपेक्षित करके ही क्षणिक रूप से मिल सकती है। यादव जी उन लेखिकाओं को दूसरी श्रेणी में शामिल कर देते हैं जो 'स्त्री' को रचने का प्रयास करती हैं। उनका कहना है कि स्त्रियाँ देह की देहरी पर लगी कुंडी तत्काल खोल कर अनावृत हो जाए, सनसनीखेज होने के कारण, बाजार हाथों-हाथ लपक सके। कृष्णा अब्जिहोत्री लिखती हैं- "मुझे व शशिप्रभा शास्त्री आदि को वे सेकेन्ड क्लास लेखिका कहते जो आदर्शवाद एवं नैतिकता के घेरे में बंद रही" मनीषा पाण्डेय सवाल करती है कि- "आप स्त्रियों को देह-मुक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि लड़कियाँ ताकतवर बनें, संपादक बनें, प्रकाशक बनें।" निर्मला जैन लिखती हैं- "स्त्री की मुक्ति की उन्होंने जैसी देहधर्मी व्याख्या की, उससे 'नारीवादी' सोच का कितना हित-अहित हुआ, यह सवाल भी विचारणीय है। यह भी कि व्यक्ति की कथनी और करनी के बीच अगर तालमेल न हो, तो कथनी की विश्वसनीयता कितनी और कहाँ तक बनी रह सकती है"। ममता कालिया

ने राजेन्द्र यादव पोषित एवं प्रोत्साहित नव लेखिकाओं की कहानियों पर टिप्पणी करते हुए लिखती हैं कि- “मैंने कई लेखिकाओं को अपने निजी जीवन की फजीहत के रंगारंग किस्से दनादन लिखते, छपते देखा, मैं समझ गयी कि इस उद्योगशाला का ताला खुल गया है।.....”

स्त्री-मुक्ति और सशक्तिकरण के बहाने राजेन्द्र जी ने यौन-मुक्ति निजी अराजकता के ऐसे तर्क गढ़कर महिला लेखक को थमा दिए.....आगे वे राजेन्द्र यादव के एक कथन को उद्धृत करती हैं- आजकल तो बाथरूम से लेकर शयन कक्ष तक सब जगह स्त्री अपने आप को देखे जाने की सुविधा देती है.....”

“..पहले वह केवल अपने अध्ययन कक्ष ही आने की अनुमति देती थी,”। हंस के कार्यकारी सम्पादक एवं उनके मित्र संजीव का कहना है कि- “मेरा विरोध उस लेखन से अधिक यौनिकता की ओर झुक जाने के प्रति था।..... आपका सारा स्त्री विमर्श फोरटीन टु फोर्टी, चौदह से चालीस के बीच का है।.....” आगे संजीव महिलाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल के संदर्भ में लिखते हैं- “स्नोवा वार्नो के फेंके हुए ढेले के छींटे से कई नामी- गिरामी हस्तियाँ भी अछूती न रही।.....जिनका ब्रेन और जनजांग छोड़कर कोई भी अंग काम नहीं करता।” किरण सिंह का आत्मकथ्य इस प्रकार है- “आप सुन्दर हैं, राजेन्द्र जी से मिलने ता हमेशा आती रहती होगी..... इसी बहाने छूने को मिलता, वैसे तो मरखही गाय की तरह बिदकती रहती है।.....राजेन्द्र जी, लौट आइए। अबकी मैं संकोच छोड़कर पब्लिकली कहूँगी-बाजीगर! मैं आपको प्यार करती हूँ।”

काँटे की बात-3 में स्त्री की मुक्ति के संबंध में राजेन्द्र यादव के विचार इस प्रकार के हैं- “नारी को अगर स्वतंत्र होना है तो वेश्या बनने के सिवा कोई रास्ता नहीं है।.....”। न उसका अपना कोई व्यक्तित्व होता है, न नाम।” इस प्रकार राजेन्द्र जी तमाम प्रकार की नारी उत्थान या उपलब्धियों को एक तरह से नकार देते हैं। मुझे नहीं लगता कि सोनिया गाँधी, मेधा पाटेकर, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, निर्मला जैन आदि महिलाओं की उपलब्धियाँ देहिक हैं। स्त्री विमर्श से संबंधित उनके कुछ वक्तव्य निम्न हैं- “उन्होंने स्त्री विमर्श की गंभीरता नष्ट कर उसे ब्लू फिल्म में क्यों बदला?..... इस फोटो में बड़ी चुंबनीय लग रही हो।.....सुन्दर स्त्रियाँ मानसिक रूप से किशोरी होती हैं और स्वयं ही देह तक अटकी नहीं रहतीं, बथलक दूसरों को भी देह तक ही रोके रखती हैं।” आगे उनका मानना है कि “औरतों से ज्यादा स्वार्थी, कमीना और कोई नहीं होता।”। “नायिका जिस पुरुष से घृणा करती है इसी काले आबनूसी पुरुष को नग्न देख न जाने किस जादू में बँधी उसके खड़े लिंग पर हाथ रख देती हैं। कहती है..... आप में वाकई दम है।” कुछ दृष्टांत उनकी रचनाओं से हैं। “नारी बड़ी डॉमीनेटिंग होती है। बड़ी क्रूर। इसके संपर्क में आने पर आदमी की बरबादी को कोई रोक नहीं सकता”, “बेवकूफी आप लोगों (स्त्रियों) का जन्मसिद्ध अधिकार है वहाँ हम लाचार हैं।”, “औरत से ज्यादा कमीना, स्वार्थी, बेरहम और मक्कार कोई दूसरा नहीं है।” सुधा अरोड़ा एक साक्षात्कार में स्वीकार करती हैं कि “हंस में छपने को आतुर लेखक-लेखिकाएँ सम्पादक के विषय की प्राथमिकता के अनुसार लिख रहे थे.....उल्टा लेखिकाओं की बड़ी जमात ने देहिक विवरण बढ-चढ़कर लिखे, गोया बोल्ट लेखन का तमगा हासिल करने के लिए यही एक आसान सा रास्ता रह गया हो।” “वे बलात्कार का भी मजा लेती हैं। ऐसे विचारों पर भरोसा?.....राजेन्द्र जी हर रिश्ते में खोटे साबित हुए हैं। वे मझू जी के लिए गैर जिम्मेदार और अराजक पति, मीना के

लिए अवसरवादी प्रेमी और मैत्रीय के लिए झूठे मित्र हैं। हर स्तर पर उन्होंने रिश्तों की मर्यादा भंग की है और अपने संबंधों का चौराहे की चीज़ बनाकर रख दिया है।” सूर्यबाला उनके स्त्री-विमर्श की नियत पर सवाल करती हुयी टिप्पणी करती है- “उनका स्त्री-विमर्श, उससे हमारे जैसों की जानी दुश्मनी है ही.....क्योंकि इस विमर्श के बहाने उन्होंने स्त्री को बहुत उकसाया और भड़काया है। सही मायने में फुसलाया और गुमराह भी किया है।.....संबंधों में संबंध, विवाहेतर संबंध और देह की आजादी के नाम पर बाजार की गुलामी”

राजेन्द्र यादव मूलतः कथाकार के रूप में साहित्य के इतिहास में याद किये जाते हैं। कथा साहित्य के साथ ही उन्होंने कुछ कविताएँ भी लिखी हैं जिसका कभी जिक्र नहीं मिलता है। कहानी, उपन्यास एवं समकालीन विधाओं पर उनकी चार-पाँच आलोचनात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हुयी हैं। उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि का आधार वे लेख जो कभी सम्पादकीय या स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में समय-समय पर पाठकों के लिए उपलब्ध होती रही है। वैसे उनका मूल करोबार ‘हंस’ ही रहा। हंस को उनका पर्याय माना जाय तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि पिछले तीन दशक व्यापक से हंस के माध्यम से ही सब कुछ कहा या लिखा। सृजन का उनका दायरा व्यापक नहीं कहा जा सकता है। पहली बात यह है कि उन्होंने कविता को मुख्य धारा का सृजन नहीं माना, साथ ही प्राध्यापकों द्वारा रचित साहित्य को भी वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्राध्यापकों द्वारा रचित साहित्य को “ज्ञान का कब्रिस्तान” से ज्यादा नहीं माना। धार्मिक, धर्म या आध्यात्म या पारलौकिक संकेत देने वाली रचनाएँ उन्हें “मानसिक सुलभ शौचालय” का ही सुख प्रदान करने में सक्षम थीं। वैसे ही परम्परा संस्कृति, इतिहास या दर्शन का स्पर्श मात्र होने से ही रचनाएँ उनके लिए अस्पृश्य हो जाती थीं। उनकी साहित्यिक एवं आधुनिकता पर वहीं रचनाएँ खरी उतरी जो बोल्ट एवं ब्यूटीफुल हों यानि जिनमें सनसनी, उत्तेजना, अराजकता यानि बाज़ार में हाथोहाथ बिक सके।

वैसे हंस का कारोबार संभालने के बाद राजेन्द्र यादव रचनात्मक लेखन से दूर ही रहे। इस दौरान एक नयी पीढ़ी को प्रोत्साहन, पोषण एवं संबल प्रदान करने एवं समय-समय पर स्वयं या अपने किसी खास द्वारा अपने ऊपर केन्द्रित सनसनीखेज विचार एवं मुद्दों को उन्होंने उछालने या उछलवाने का कार्य करते रहे। विश्वनाथ त्रिपाठी उनके सृजन कर्म पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि- “उन्होंने एक-आध अच्छी या बुरी कहानियाँ लिखी भी। लेकिन उनका रचनाकार उनसे विदा हो चुका था। बीच-बीच में उसकी हूक राजेन्द्र यादव को उठती थी। और अपने रचनाकार को फिर से सक्रिय और जीवित देखने के लिए वे अनेक प्रकार की शोभन-अशोभन और कभी-कभी आत्मविज्ञापनी उद्योग भी करते थे।” ममता कालिया का मानना है कि “यदि राजेन्द्र जी अपने अन्दर का रचनात्मक, मौलिक रचनाकार जीवित रख सकते तो वे बेहतर इंसान और हमसफर बनते।..... हंस के कारण वे मौलिक रचनात्मक लेखन से कब्ज़ी काट कर, सामाजिक सवाल की उठापटक में अपनी प्रतिभा का अपव्यय करने लगे।.....सम्पादक के साथ वे शिक्षक भी बनते गए और अपनी रचनात्मकता को धूमिल करते गए। संजीव का विचार है कि “विमर्शों, विचारों के प्रति रुझानें बढ़ती गईं, चिन्तक-विचारक राजेन्द्र विकसित होता रहा और लेखक राजेन्द्र सूखता रहा।” अशोक वाजपेयी का मानना है कि “राजेन्द्र यादव और ज्ञानरंजन, दोनों इस काम में कुछ इस कदर रम गए कि स्वयं अपने सृजनात्मक लेखन से विरत हो गए।

अधोक मिश्र लिखते हैं कि “ संपादक की भूमिका में आने के बाद लेखक के रूप में वे बहुत पहले ही लिखना बंद कर चुके हैं। अब तो कभी-कभार उनकी आधी-अधूरी कहानियाँ और साक्षात्कारों की सम्पादित पुस्तकें ही पाठकों को मिलती हैं। भारत यायावर उनके एक फतवे की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं “सन् सैंतालीस से पहले का बीसवी सदी से पहले का जो साहित्य है वह सब हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि उस जमाने को जिसमें लिख गया, कोई नहीं समझता।” सुधा अरोड़ा एक साक्षात्कार में स्वीकार करती हैं कि “उनकी यौन कुंठाओं ने उनके रचनाकार और चिल्पकार पक्ष को कुंद कर दिया। पिछले पंद्रह सालों में उन्होंने अपने ही कथाकार का बिलोम रचा।”

राजेन्द्र यादव ने युवा रचनाकारों को एक नया विषय और हंस के रूप में एक नया प्लेटफार्म प्रदान किया, जहाँ अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार की कोई बंधि नहीं लगायी जाती। पिछले तीन दशक से ज्यादा (यानि हंस के पुनः प्रकाशन के साथ) युवा लेखक-लेखिकाएँ, स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, रूढ़ परम्पराएँ आदि ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर खुलकर कहानी एवं उपन्यास के माध्यम से अपनी बात कहते आ रहे हैं। इसे एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हंस के अतिरिक्त किसी अन्य साहित्यिक पत्रिका द्वारा ऐसा अभियान या आन्दोलन नहीं चलाया गया, दृष्टिगोचर होता है। इससे संबंधित कुछ सवाल पाठकों को बैचन करते हैं। पहला हंस द्वारा प्रायोजित, प्रोत्साहित एवं पोषित ऐसे कितने लेखक हैं जिनकी रचनाएँ, साहित्यिक उपलब्धि के रूप में इतिहास में दर्ज होने लायक है? दूसरा, ऐसे कितने लेखक-लेखिकाएँ हैं जो हंस के बाहर की दुनिया को प्रभावित करते हैं। तीसरा, जिन मुद्दों या विषयों को तरजीह दी गयी, क्या उन विषयों को अपेक्षित गंभीरता, संवेदनशीलता एवं रचनात्मकता की दृष्टि से एक उपलब्धि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है? चौथा, क्या ज्वलंत मुद्दों के अतिरिक्त अन्य जरूरी सामाजिक सरोकर रखने वाले विषयों पर भी नवलेखकों ने अपनी रचनाओं के केन्द्र में रखा। पाँचवा जिन विषयों को लेकर साहित्य रचा गया, क्या उन्हें रचनात्मक ईमानदारी, तटस्थता एवं व्यापक संवेदनशीलता से सृजित किया या किसी बने-बनाए फ्रेम में बेहद संकीर्ण एवं माँग के अनुरूप, प्रसिद्धि पाने या कुछ नया करने के उद्देश्य से ही लिखा गया? छठा, क्या तटस्थ या सत्य यथार्थ रचने वाले रचनाकारों को हंस द्वारा प्रोत्साहन एवं संबल प्राप्त हुआ? और भी सवाल हैं जिन पर विस्तार से कभी और विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त सवालों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि राजेन्द्र यादव, हंस एवं नवलेखन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राजेन्द्र यादव का विचार एवं स्वर प्रभावी रहा। जब सम्पादक विषय एवं फ्रेम निर्धारित कर देता है तो रचनात्मकता की जगह शेष नहीं बचती है। यही कारण है कि पिछले तीन दशकों से हंस द्वारा प्रचारित एवं प्रसारित विषय एवं रचनाकार, हंस द्वारा निर्मित सीमाओं का अतिक्रमण कर, कोई कालजयी रचना, विचार एवं रचनाकार की उपस्थिति साहित्य के इतिहास में दर्ज नहीं हो पायी। स्त्री ‘देह’ के आवरण के बाहर नहीं निकल सकी, वह स्त्री से देह में ढबदील होती रही। हनुमान आतंकवादी की श्रेणी में शामिल हो गए तो दलित आत्मकथ्य एवं आत्मसंस्मरण से अलग रचनात्मक हस्तक्षेप से लगभग वंचित ही रहा। लेखक एवं लेखिकाएँ अपनी रचनात्मकता से ज्यादा राजेन्द्र यादव से व्यक्तिगत राग-विराग एवं चकित एवं रोमंचित करने वाले वक्तव्यों या अभिव्यक्ति के लिए याद किये जाते रहे हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि “नव लेखिकाओं को नाना प्रकार से प्रोत्साहित करते थे और उनका सहयोग प्राप्त करते थे।”

निर्मला जैन इस पर टिप्पणी इस प्रकार करती है “कुछ लेखकों को उन्होंने कलम पकड़कर लिखना सिखाया। उनकी कमजोर रचनाओं का संशोधन किया, उन्हें प्रकाशित किया,.....जिनमें दम था, संभावना थी वे चल निकले, कुछ लड़खड़ा कर पिछड़ गए और कुछ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.....” ममता कालिया की उनसे यह शिकायत है कि “उन्होंने समर्थ रचनाकारों को परे सरकाकर असमर्थ रचनाकारों की एक फौज खड़ी कर ली। यह मानकर कि वे अपनी शक्ति इनके अन्दर स्थानांतरित कर देंगे।” व्यक्तित्व को सीधे तौर पर लेखन के मूल्यांकन का आधार तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन रचनाकार कार्य एवं व्यवहार, रचना को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करता है। आधुनिकता की सबसे प्रमुख माँग या अपेक्षा यह रहती है कि “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” जिसके लिए अंग्रेजी में अति प्रचलित शब्द पर्सनल का प्रयोग किया जाता है, को व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार से अलग करके देखने की बात कही जाती है। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि व्यक्ति के “पर्सनल” का प्रभाव जब किसी बड़े सामाजिक समूह पर पड़ता है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीतिशास्त्री “स्वतंत्रता” को “स्वच्छंदता” के पर्याय के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इस संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विश्लेषण या उसमें हस्तक्षेप अतार्किक एवं गैरजरूरी नहीं कहा जा सकता है। राजेन्द्र यादव के व्यक्तित्व का विश्लेषण मैं राजेन्द्र यादव के मित्रों, रिश्तेदारों, लेखकों, पारिवारिक सदस्य, आलोचकों एवं पाठकों द्वारा समय-समय पर की गयी टिप्पणियाँ एवं आलेखों के आधार पर करने का प्रयास करूँगा। पुत्री रचना यादव पिता एवं परिवार के दायित्व एवं संबंध की संवेदनशीलता पर विचार करते हुए सवाल पूछती है कि “ उनमें पिता के गुण नहीं हैं। दरअसल वे एक नॉन कैनेवेशनल हैं। एक आम पिता में जो सब होता है उनमें वैसा कुछ नहीं है.....मेरे पिता कभी इस गुण के आस-पास भी नहीं पहुँच पाए।” आगे स्वीकार करती हैं-“ वे सच नहीं बोलते।.....अपने पारिवारिक जीवन में वे गोलमोल रहे हैं। उन्होंने मम्मी को कभी सच्ची बात नहीं बताई।..... उनके मन में चलता कुछ है और बोलते कुछ और हैं।” निर्मला जैन का मानना है कि “किसी छोटे से प्रसंग में वे बेवजह सत्ता-सुख पाने के लिए कोई ऐसी हरकत कर दें कि आप तिलमिला कर रह जाएँ, कहा नहीं जा सकता। उन्हें दोस्ती के रिश्ते को दाँव पर लगाने में भी संकोच नहीं होगा।.....संगति उनकी खुराफाती प्रकृति से अधिक मेल खाती थी, सच्चाई से कम।.....” हंस सम्पादक के लोकतांत्रिक मुखौटे के पीछे छिपे घोर आत्मकेन्द्रित खुरापाती व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत करने के लिए काफी होगा।

.....उन्होंने ‘स्त्री विमर्श’, ‘दलित विमर्श’ और ‘सांप्रदायिकता’ जैसे गंभीर सवालों को एजेण्डा बनाकर जो ताबड़तोड़ लेखन किया, उसमें फिकरेबाजी और पैतरेबाजी कितनी थी..... इसका निर्णय इतिहास करेगा। यूँ भी कथनी और करनी के बीच का फासला अगर बहुत हो जाए, तो इस कथन की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है। इस दृष्टि से उनकी नियति निरंतर कठघरे में खड़ा रहने की रही है।..... वे इसके लिए सायास लेखकीय हथकंडों का प्रयोग करते हैं। मानीखेज के बजाय सनसनीखेज चुटकुलेबाजी का वितंडा खड़ा करके। वे समझते हैं कि ऐसा होना सबके ध्यान के केन्द्र में होना है। भले ही उस जगह को बनाए रखने के लिए अपने को लगातार दोहराना पड़े, तथ्यों के साथ बलात्कार करना पड़े। ज़रूरत पड़े तो टिकाऊ संबंधों को दाँव पर लगा देने में भी उन्हें गुरेज नहीं

होता।”

उनके चरित्र के बारे में सुधा अरोड़ा कहती हैं- “राजेन्द्र जी के कहे अनुसार जो नहीं चलता, उनके वाक्यवाण का एक तमगा लेकर ही लौटता हैं मसीहाई अंदाज में वे तमगे बाँटते चलते हैं।.....पर हाँ! जिन्दादिल होने के साथ-साथ वे बेहद असंवेदनशील भी हैं।” आगे कहती हैं- “किसी से खुन्नस निकालनी है, उसके रचनाकार एवं शिष्यकार पक्ष को कुंद कर दिया..... चर्चा में हमेशा बने रहने के लिए उन्होंने साहित्य में राखी सावंत का रोल निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इसलिये उन्हें स्टंटबाज भी कह सकते हैं।..... राजेन्द्र जी हर रिश्ते में छोटे साबित हुए हैं। वे मझू जी के लिए गैर जिम्मेदार और अराजक पति, मीता के लिए अवसरवादी प्रेमी और मैत्रीयी के लिए झूठे मित्र हैं। हर स्तर पर उन्होंने स्त्रियों की मर्यादा भंग की है।..... अपने निजी संबंधों में ही नहीं, संपादन और लेखन में भी- वे सतह पर ईमानदारी दिखाई देते अपने ही वक्तव्य को निभा नहीं पाते।’ राजेन्द्र यादव के समकालीन एवं कहानी त्रयी के प्रमुख लेखक कमलेश्वर का उनके व्यक्तित्व एवं लेखन पर विचार इस प्रकार है-” विवाद जान-बूझकर पैदा करते हैं.....उसमें ईष्यों तो खैर है ही, कुंठा भी है। जब मझू भण्डारी ने कहा, कि राजेन्द्र ने उनका उपन्यास लेकर फिर अपने आप से लिख डाला, जब पति-पत्नी में उनका यह व्यवहार था तो आप अन्दाजा लगाइए कि.....मैं पूछता हूँ कि राजेन्द्र ने अपने सम्पादकत्व में कौन ऐसे लेखक पैदा किये? कौना-सा वैचारिक आन्दोलन खड़ा किया?.....‘पीली छतरी वाली लड़की’ का लेखक तो यहाँ तक कहता है कि यह कहानी धौंस देकर, कमरों में बंद करके राजेन्द्र यादव ने उनसे लिखवाई।.....जिन्होंने उन्हें पैसे दिए हैं उन लोगों की कहाँनियाँ उन्होंने छपी हैं.....वो ऐसे लोगों से घिरे हैं जो उनसे गलत नजरिए से मात्र सम्पादकीय लिखवा सकते हैं। वे अपनी कुंठाओं और चाटुकारों से घिरे रहने में ही लेखकीय सफलता और जीवन की सफलता मानते हैं।’ विश्वनाथ त्रिपाठी स्वीकार करते हैं कि ‘उनका मन सबसे ज्यादा उल्लसित और फिर प्रफुल्लित होता था मित्रों को छोड़ने और सत्संग से ज्यादा कुसंग में।’

कुसंग यानि नकारात्मक गतिविधियों में भाग लेना या समर्थन करना। ऐसी स्थिति में किसी रचना एवं रचनाकार प्रभाव समाज, जीवन एवं वर्ग पर नकारात्मक ही होगा, जो मनुष्य की मनुष्यता, संवेदनशीलता एवं उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है।

राजेन्द्र यादव पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने तथ्यों का गंभीरता से पड़ताल किये बिना ही, सम्पादकीय में अतार्किक ढंग से उल्लेख कर देते हैं। जो अधूरी, बेमानी, असत्य एवं सम्पादक के अज्ञान या अधूरी समझ की ओर इंगित करता है। दामोदर दत्त दीक्षित ने ‘हंस’ में इस विषय पर विस्तार से लिखा है। उसी से कुछ उदाहरण नीचे दृष्टव्य हैं- “मुझे लगता है” या ‘शायद’ जैसे जुमले इस्तेमाल करते हुए वह बड़े से बड़े झूठ, बड़ी से बड़ी अप्रामाणिक बात बगैर पलक झपकाए बोल सकते हैं।.....स्वयं को अतिमानव मानते हुए गलतबयानी करना, करते चले जाना शायद वह अपना विशेषाधिकार मानते हैं।.....यादव जी अपने सम्पादकीय के माध्यम से ‘हंस’ के पाठकों को मिथ्या या भ्रामक सूचनाएँ देते हुए उन पर विचार और

धारणा के महल खड़े करने में पटु हैं।..... अगर ‘हंस’ के सभी सम्पादकीयों पर नजर डाली जाए तो झूठ और त्रुटियों पर एक पुस्तिका तैयार हा जाएगी।..... यादव जी की कथनी और करनी में ही नहीं, कथनी और करनी में भी अन्तर्विरोध है। कठमुल्लापन की आलोचना करते-करते स्वयं कठमुल्ला बन जाते हैं। यदि उनका राजेन्द्रपना है।.....“वह वैचारिक लेखन को बेहद हल्के, लापरवाह और खिलदंडे अंदाज में लेते हैं और विषय को पूरी तरह जाने-समझे बगैर कलम चलाने में परमपटु हैं।”

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.47
2. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.15
3. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.24
4. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.36
5. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.37,38
6. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.62,63
7. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.145
8. पाखी, सितम्बर 2011, पृ.68
9. हासिल और अन्य कहानियाँ, पृ.29
10. पाखी, सितम्बर 2011 पृ.70
11. उखड़े हुए लोग, पृ. 51
12. अनदेखे पुल, पृ. 33
13. हासिल, पृ.29
14. पाखी, सितम्बर 2011 पृ.144
15. पाखी, सितम्बर 2011. पृ. 146
16. पाखी, सितम्बर 2011 पृ.105
17. हंस, दिसम्बर 2013 पृ.27
18. हंस, दिसम्बर 2013, पृ. 36
19. हंस, दिसम्बर, 2013 पृ.38
20. वही पृ. 32
21. पाखी, सितम्बर 2011, पृ.116
22. पाखी, सितम्बर 2011, पृ.124
23. पाखी, सितम्बर 2011, पृ. 142
24. हंस दिसम्बर 2013, पृ.26
25. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.24
26. हंस, दिसम्बर 2013, पृ.36
27. पाखी, सितम्बर 2011, पृ. 192
28. वही, पृ.193
29. वही, पृ. 41,42
30. वही, पृ.141
31. वही, पृ.146-147
32. वही, पृ.200,201
33. वही, पृ.27
34. पाखी, सितम्बर 2011, पृ. 129-138

“Pichwai Art” - Soul of Nathdwara

Dr. Vandana Sharma*

*Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - There has always been a timeless tradition of art forms, which have been practised for different reasons among people, living far from urban life in interior terrains of forests, deserts, mountains and villages. Our country has always been a repository of indigenous knowledge, which has been transferred from one generation to another. Artists in each generation have created the best of works out of available material and technology. Many scholars named these art forms as minor arts, utility art, folk art, tribal art, people's art, ritual art, crafts, and so on.

Among the many popular traditions of painting, Mithila or Madhubani painting of Bihar, Warli painting of Maharashtra, Pithoro Painting of North Gujarat and western Madhya Pradesh, Pabuji ki Phad from Rajasthan, Pichwai of Nathdwara in Rajasthan, Gond and Sawara Paintings of Madhya Pradesh, Pata Chitra of Odisha and Bengal, etc., are few examples. Here, a few of them have been discussed.

Introduction - Pichwai paintings are a form of traditional Indian art and is believed to have originated over 400 years ago, is a rich history that dates back to the 17th century in the town of Nathdwara in Rajasthan in India. The temple is dedicated to Lord Krishna, who is depicted as a child in the form of Shrinathji.

Pichwais are religious cloth paintings art form that pays tribute to the seven-year-old Lord Krishna. 'Pichwai' is a pathway to grace and spirituality. These paintings are made on large cloths and show Lord Krishna as Shrinathji and depict his childhood. The word Pichwai means 'hanging at the back' and is derived from the Sanskrit words 'Pich' which means back and 'Wai' means hanging. They describe the life events of Lord Krishna and are hung in temples behind the idol. The main theme of these paintings is Shrinathji and his Leelas (past times). Apart from being a visual narrative, they also express the mood of the deity(god), the spirit of the season or festival. With changing times, this art, known for fine intricate handiwork, has found its place in the urban living spaces.

Traditional Pichwai paintings often feature Lord Krishna in various postures, surrounded by forests, cows, gopikas, blooming flowers, dancing peacocks, and gushing (उमडना) rivers. The art form beautifully captures the essence of nature's abundance and Krishna's enchanting (अद्भुत) presence.

Literature Review Of “Pichwai Art”

1. Theme: The themes of Pichwai paintings revolve around the various stages of Lord Krishna's life, including his childhood, youth, and adulthood.

The art form has gained popularity worldwide and is now being produced on various mediums such as paper, canvas, and the paintings are typically done on silk cloth and are used as backdrops for Hindu deities (देवताओं) which includes Lord Krishna as Shrinathji, the Ras Leela of Krishna and the Gopis, Radha – Krishna, cows and lotus blossoms. Other popular themes include depiction of festivals such as Diwali, Holi, Janmashtami, Gopashtami, Nand Mahotsav, Sharad Purnima, Annakoot or Govardhan Puja.

Traditional Indian painting styles often depict Hindu deities and mythological scenes, as well as everyday life and cultural traditions. Nature and spiritual symbols are also common themes.

2. Lotus: Lotus Pichwai painting is a type of Pichwai art that prominently features the lotus flower as a central motif. Lotus flowers hold significant symbolism in Hinduism, representing purity and divine beauty. In these paintings, the lotus is often depicted in various stages of bloom and is surrounded by intricate designs and vibrant colours, creating a visually stunning and spiritually meaningful artwork.

3. Cow: A Cow Pichwai painting is a form of Pichwai art that highlights the sacredness of cows in Hindu culture. These paintings typically showcase cows in serene and reverential settings, often with Lord Krishna, who is known for his association with cows. The artwork reflects the importance of cows in Indian spirituality and daily life.

4. Gold Tree: A Gold Tree of Life Pichwai painting is a type of Pichwai art that features a tree of life motif adorned with gold accents. This symbolises the cycle of life, growth,

and spirituality. These paintings are known for their intricate detailing and use of gold, representing prosperity and divine blessings.

5. Peacock: Peacock Pichwai Painting is a form of Pichwai art that prominently showcases peacocks, which hold special significance in Hindu mythology, symbolising beauty and grace. These paintings often depict peacocks in vibrant colours and intricate designs, creating visually captivating and spiritually meaningful artworks.

6. Radha and Krishna: A Pichwai painting of Radha Krishna is a traditional artwork that features the divine love story of Lord Krishna and Radha. These paintings depict the romantic and spiritual connection between them, often set against a backdrop of rural landscapes or intricate designs. They are known for their vibrant colours and intricate details, celebrating the eternal bond between Radha and Krishna in Hindu mythology.

Pichwai paintings are regarded as an important cultural heritage of India and have been recognized by the Indian government for their cultural significance.

7. Hues of Pichwai: The paintings of Pichwai are very vivid and creatively and expertly combine a variety of colours. These hues (colours) are created of stones and derived from natural sources. These hues come from natural sources such as coal, indigo, gold, silver, saffron, zinc, and others. either woven with hand blocks in vivid colours. Yellow, green, black, and red are the most prominent hues of Pichwai.

8. Use of Colours: The colors used in Pichwai paintings also carry deep spiritual significance. The color blue, which is often used to depict Lord Krishna, represents divinity, truth, and eternity. The color yellow, which is often used to depict his clothing, represents knowledge, learning, and enlightenment. The color red, which is often used to depict flowers, represents love, passion, and devotion.

9. Purpose of Making: The purpose of Pichwai art is to narrate tales of Krishna to the illiterate. Temples have sets with different images, which are changed according to

the calendar of festivals celebrating.

Pichwai have become the main export of Nathdwara and are in much demand among foreign visitors. The artists live mostly in Chitron ki gali (Street of paintings) and Chitrakaron ka mohallah (colony of painters) and are a close community with constant interaction. Often a Pichwai painting is a group effort, where several skilful painters work together under the supervision of a master artist.

To increase pichwai demand, artisans started to make slight shifts in their painting techniques. Pichwais were made both in the traditional style, but also started to incorporate western influences such as using oil paints and using realism rather than the traditional stylistic approach.

Conclusion: Pichwai paintings are more than just beautiful works of art. They are rich in symbolism and carry deep spiritual significance. The lotus, peacock, cow, flute, and colors used in these paintings all have a specific meaning and represent various aspects of Lord Krishna's life and teachings. By understanding the symbolism and significance of Pichwai paintings, we can gain a deeper appreciation for these works of art and the culture and spirituality they represent.

Pichwai paintings are a Rajasthani cultural treasure and a homage to Lord Krishna. Not only has this traditional art form helped to maintain Indian cultural traditions, but it has also given the Rajasthani people a way to express their devotion. Pichwai paintings' elaborate patterns and vivid colours have won recognition on a global scale and have been displayed in galleries and museums all over the world. For the Rajasthani people, Pichwai painting is a way of life as well as an art form, and it will continue to amaze and inspire people for many centuries to come.

References:-

1. Shrinath ji: Pichwais: The Manifestation of Publication, By- Anu Julka
2. Nathdwara Pichwais, By- Anu Julka
3. <https://en.m.wikipedia.org/>
4. <https://rooftopapp.com/the-art-of-pichwai-paintings/>

मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय

डॉ. सरला पण्ड्या *

* कार्यवाहक प्राचार्य (हिन्दी) हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाँसवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में मृदुला गर्ग के एक विशिष्ट पहचान हैं उन्होंने भारतीय समाज की स्त्री की स्थिति, व्यक्तित्व, विचार एवं संवेदनाओं को भली प्रकार से समझते हुए साहित्य रचना की हैं। मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 में कोलकाता (प. बंगाल) शहर के एक रईस खानदान में हुआ। पिताजी माननीय बी.पी. जैन का तबादला दिल्ली में हो गया जिससे उनकी शिक्षा दिल्ली में हुई। स्वास्थ्य खराब होने से वह तीन-चार साल तक स्कूल जा न सकी पर पढ़ाई में तेज होने से उनका साल बर्बाद नहीं हुआ और समय पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मृदुला गर्ग की चार बहनें और एक भाई हैं। साहित्य सृजन में वह अपनी बहन मंजुल भगत से काफी प्रभावित थी इसलिए उन्होंने अपना एक उपन्यास 'मैं और मैं' उन्हीं को समर्पित किया। साथ ही उनके कई सारे किस्से उन्होंने 'मेरे संग की औरते' नामक लेख में भी लिखे हैं।

मृदुला गर्ग के भाई-बहनों का अपने-अपने कार्यक्षेत्र में काफी प्रभाव एवं अस्तित्व हैं। उनका इकलौता भाई राजीव जैन हैं, जो राजभाषा हिन्दी का कवि हैं। चित्रा जैन, रेणु जैन ने गृहस्थी जीवन की बागडोर संभाल रखी हैं तो एक बहन अचला बंसल एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखिका हैं।

शिक्षा एवं वैचारिक पृष्ठभूमि – बचपन में सेहत कमजोर होने से वह तीन-चार साल तक विद्यालय न जा सकी पर मेंढावी होने से समय पर अपनी शिक्षा पूरी की। मृदुला गर्ग ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपनी मौलिक रचनाएं की। वे पढ़ने में भी रुचि रखती थी उन्हें कई लेखकों की रचनाएं तो जुबानी याद थी जिसका परिणाम यह था कि साहित्य उनके रंग-रंग में समा गया तथा मन में जो बड़े साहित्यकारों के प्रति जो डर था वो भी समाप्त हो गया। बचपन में उन्होंने एक कहानी 'थूँद लुकिंग, ग्लास' पढ़ी तो उन्हें महसूस हुआ कि दौड़ेंगे नहीं तो ठौर पर खड़े नहीं रह पाओगे। इसके बाद उनकी साहित्य के प्रति रुचि दिन-ब-दिन बढ़ती गई इसी तरह एम.ए. अर्थशास्त्र करते वक्त भी एन. राज जी की बात 'तेज नहीं दौड़ोगे तो पीछे धकेल दिए जाओगे' थी उनके हृदय पर असर छोड़ गई।

अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात सन् 1960 तक उन्होंने दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज और जानकी देवी कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में अध्यापन कार्य किया। उनके जीवन में अभिनय की भी एक अलग पहचान थी। उन्होंने अपनी विद्यालयी जीवन में कई नाटकों में अभिनय किया तथा कई पुरस्कार पाने में सफल रही हैं। उनके एकांतप्रिय स्वभाव एवं स्वास्थ्य

की कमजोरी के कारण उनके मित्रों का दायरा सीमित था।

वैवाहिक जीवन – मृदुला गर्ग के पति का नाम 'आनंद प्रकाश गर्ग' था उनका विवाह 1963 में हुआ। विवाह से पहले 1960 से 1963 तक अध्यापिका की हैसियत से काम करती रही। किंतु विवाह के पश्चात नौकरी छोड़ दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि पारिवारिक विघटन और बिखराव का कारण, यह नौकरी हो सकती है। उन्होंने इसलिए ममता परिवार और नौकरी में से ममता और परिवार को चुना उन्होंने शायद ऐसा इसलिए किया होगा कि उनकी माँ की वजह से उनका परिवार बिखरते-बिखरते बचा। वे अपने पति के साथ अलग-अलग जगहों पर रही। डालमिया नगर (बिहार), दुर्गापुर (बंगाल), बागलकोट (कर्नाटक) आदि औद्योगिक तथा छोटे कस्बों में 1963 से 1971 तक रही।

पारिवारिक दायित्व – मृदुला गर्ग को परिवार और सृजन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने परिवार की खुशी के लिए कई मर्तबा सृजन कार्य को रोका था परन्तु धुंधल के हट जाने पर दौबारा सृजन कार्यका आरम्भ किया। प्रस्तुत बात का जिक्र उन्होंने 'मैं और मेरा समय' लेख में जादू का कालीन का निर्माण करके किया। वे उन परिस्थितियों के बारे में भी बताती हैं जिसकी वजह से उन्हें इस जादू का कालीन को बनाना पड़ा।

सन् 1985 में उनके घर को आर्थिक दबावों ने घेर लिया था। 'आनन्दप्रकाश गर्ग' जी को दफ्तर घर पर ही खोलना पड़ा। कई लोग काम के सिलसिले में आते जाते रहा करते थे। इस बीच लेखन कार्य का करना बड़ा मुश्किल था। मेंहमानों और दफ्तर के कामकाजी लोगों की भीड़ में मन को एकाग्र करना काफी कठिन था। वे कुछ कहानियाँ तो लिख लेती थी परन्तु उपन्यास लिखना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें लगता था कि यदि वे लिखना शुरू करेंगी तो उसे किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकेगी मगर वे लिख सकती थी। क्योंकि उन्होंने अपना 'चितकोबरा' नामक उपन्यास सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच ही लिखा था।

मृदुला गर्ग की व्यक्तित्व की विशेषताएँ – मृदुला गर्ग का बाह्य चित्र निराला, अदभुत एवं अजुबा है। ऐसा लगता है उनका स्वभाव उनका नाम के अनुरूप है। मृदुला उनके नाम में ही नहीं बल्कि उनके स्वभाव में भी कूट-कूट कर भरी हैं। छिरहरा बदन, छोटा कद, बड़ी बड़ी आँखें अपनी कहानी बयान करती हैं। तराशी भी हैं कंधे तक कटे बाल, गोरा रंग, गोल चेहरा और होठों की मंद-मंद मुस्कुराहट मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व को चार चौद लगा देती हैं।

उनका कोमल और मृदु स्वभाव उनके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देता है। उनके भीतर एक दृढ़ विचार था। वे जो करने का सोचती, करके ही दम लेती। उनके व्यक्तित्व को सूर्य के समान दैदीप्यमान बनाती हुई शीलप्रभा वर्मा जी कहती हैं 'श्रीमती मृदुला गर्ग सुदर्शना है। उनका साहित्य तद्गुरु ही सुदर्शन है, श्रीमती गर्ग बोल्ड हैं, उनका लेखन भी बोल्ड है। सहानुभूति न वो चाहती है न ही बाँटती है। स्वाभिमान उनमें कूट कूटकर भरा है। वे सत्य के एक अंश को लेकर उसे ग्लोरीफाई नहीं करती प्रत्युत उसको उसकी संपूर्णता में लेती है। जीवन में दुःख छिपाना वे जानती नहीं और अपने लेखन को भी उन्होंने उसी के अनुरूप ढाला है। उनकी जैविक तृष्णाओं की सहज व स्पष्ट अभिव्यक्ति भी अपने प्रति बोला गया सच है। एक सुक्ष्मपारदर्शी वेदना धारा उनका लेखन और व्यक्तित्व में बहती हुई दिखाई देती है। वह कभी हँसी के नीचे छलकती है, कभी शुद्ध त्रासदी बनकर उभरती है।

मृदुला गर्ग बचपन से ही मेंधावी रही है। उनको बचपन से ही साहित्य पढ़ने लिखने का शौक था। इसी पठन पाठन के कारण उन्हें योग्यता छात्रवृत्ति अर्धशास्त्र की एम.ए. परीक्षा में मिली। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी पूर्ण होता है जब उसके बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व का ज्ञान हो इसी के जरिए किसी को व्यक्तित्व में ढाला जा सकता है। मृदुला गर्ग की आंतरिक सच्चाई यह है कि वे बहुत जिज्ञासु और अपने भीतर सिमटे रहने वाले लोगों में से थी। उनका करीबी दोस्त इसी कारण नहीं था। उनके जितने भी दोस्त बने हैं उनमें स्त्री से ज्यादा पुरुष थे। ये दोस्त उन्हें महाविद्यालय में पहुँची तब बने। यहां तक आते आते उनके स्वभाव में काफी बदलाव आया वे शर्मिली, संकोची, लचीली से स्वतंत्र, दृढ़ और विवादी हो गई। वे वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने लगी और इसी दौरान उनकी प्रतिभा निखरकर सबके सामने आई विस्तृत माइने में देखें तो उनका व्यक्तित्व सामाजिक चेतना विद्रोह की प्रवृत्ति, घुमकड़ी वृत्ति, संवेदनशीलता, बागवानी का शौक, कलात्मक, सौन्दर्य प्रेम, रसोई और पकाने के शौक में बंटा है। इनके बीच लेखन वृत्ति कमजोर नहीं पड़ी, इसमें भी कई आयाम मौजूद हैं। सृजन पंसदीदा साहित्यकार, रचनाएँ, पुस्तकें, पठन लेखन में एकांत प्रियता, उसके निर्दिष्ट समय, पाठ्य वस्तु की प्रतिक्रिया और अपने द्वारा रचित रचनाओं का वर्गीकरण आदि।

सामाजिक चेतना - मृदुला गर्ग ने एक विद्यालय का संचालन किया था। इसे प्रारम्भ करने का ख्याल उनका मन में काफी समय से चल रहा था यह एक ऐसा विद्यालय था जहाँ पर विभिन्न वर्गों के बच्चे शिक्षा लेने आते थे ये बच्चे विभिन्न प्रदेशों से आते थे। इसे संचालित करने का उद्देश्य हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा कन्नड़ में शिक्षा प्रदान करने तथा अन्य प्रदेशों में अपने शुभ कदम विद्यार्थियों द्वारा बढ़वाना था। 1971 में बागलकोट (कर्नाटक) में यह स्कूल चलाया गया था। 1974 तक वे इसे बरकरार रख पाई किन्तु बाद में वे दिल्ली आ गई परन्तु तब तक कर्नाटक सरकार ने उसे स्वीकृति दे दी थी। आज भी यह विद्यालय अपनी जगह पर कायम है। नाट्य मंचन, उसका आयोजन आदि में मृदुला गर्ग खुद बच्चों के साथ भाग लिया करती थी तथा कार्य शालाएँ चलाया करती थी। स्कूल की खासियत थी कि सभी वहाँ मिलजुलकर रहा करते थे। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। एक पोलियोग्रस्त लड़की जिसका कलकत्ता में ऑपरेशन हुआ उसे कई दिनों तक चलने फिरने से मना किया गया था। पर उसे तकलीफ का ज्यादा अहसास न हुआ क्योंकि हर एक दिन कोई एक बच्चा उसकी सुरक्षा करता था कि किसी भी वजह से वह गिर न पड़े क्योंकि डॉक्टर की यह खास हिदायत

थी। एक नाटक मिडसमर नाइट्स ड्रीम (शेक्सपीयर) में उस अपाहि्त लड़की ने भी भाग लिया और पुरी ईमानदारी, विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ उसने अपने किरदार को निभाया।

विद्रोह की प्रवृत्ति - मृदुला गर्ग इस बात का स्वयं खुलासा करती हैं कि वह अन्याय व शोषण को नहीं देख सकती। अन्याय के खिलाफ विद्रोह करने की प्रवृत्ति उनके हृदय में सदैव हिचकौले खाती रहती है। इसी आक्रोश का जीता जागता नमूना हम उनके साहित्य रचनाओं में भी देख सकते हैं। मृदुला गर्ग ने जिस प्रवृत्ति के तले अपने साहित्य का नया बीज बोया था उस बीज का अंकुर फूटकर एक विशालकाय फला-फूला वृक्ष बन चुका है। यह उनकी सही नींव और अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज की जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही नतीजा है। वे खुद लिखती हैं 'किसी भी मूल्य या स्थिति को मैं केवल स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वह है और सर्वमन्य है, होती आई है और सुरक्षा प्रदान करती है। अपने चारों ओर घटते अन्याय को देखकर मैं शांत, स्थिर नहीं रह पाती। अर्थ शास्त्र के मेरे अध्ययन ने इसे और तीव्र किया है। व्यवस्था के लिए शेष और यथास्थिति को लेकर शंका इन्हीं की नींव पर मेरा लेखन खड़ा है। लगता है हर पल अपने सम्मुख खड़ी हूँ। अभी एक शंका और है उसका समाधान लिखने के बजाए मैं आंदोलन क्यों नहीं चलाती, लेखक क्यों हूँ, नेता क्यों, क्रांतिकारी क्यों नहीं, इस शंका का समाधान कौन करेगा, शायद समय।'

मृदुला गर्ग का कलाप्रेम - कला सबको पसंद होती है परन्तु कला की गहरी छाप उनके घर में हम देख सकते हैं। उनके द्वारा सजाई वस्तुएँ देखने लायक है। लकड़ी की वस्तुएँ और हस्तकला की चीजें, उन्हें अधिक भाती है। अतः कलात्मकता उनके नस-नस में लेखन के बाद, समाई हुई है।

फूलों के प्रति उनका लगाव अत्यधिक था वे जो भी नए पौधे देखती तो उसकी तरफ आकृष्ट हो जाती। इस इच्छा ने उन्हें इतनी दिवानी बना दिया था कि नागफनी पर खिले फूलों को दिखाने के लिए रात को 12 बजे उनकी बाई उनको बुला लाई थी। दोनों उसे इतनी रात गए निहारते जा रहे थे मृदुला गर्गको नौकरानी के घर का 12 साल पुराना पौधा इतना भा गया कि उसके संबंध में उन्होंने ये शब्द लिखे 'कैक्टस पर खिले फूल, का सौन्दर्य, आम फूल से बिल्कूल भिन्न होता है। अवर्णनीय, अनुपमा।'

संवेदनशीलता - लेखिका की संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व की निशानी है। इसके बगैर तो वे अधूरी नजर आती हैं लेखन कार्य और कृतियों में तो यह साफ-साफ नजर आता है। मगर जीता जागता सबूत 1984 भोपाल गैस काण्ड में मिलता है। उस घटना ने उनके हृदय को इतना अधिक झकझोर दिया था कि उनके कंठ, रुद गये थे। तब डॉक्टरों सलाह पर उन्होंने ऊँ नमः शिवाय का पाठ किया था इससे वे एक बार फिर जी उठी इस जहरीले प्रभाव से उनकी संवेदनशीलता का पता चलता है। इसका लिखित रूप विनाश दूत कहानी तथा तीन अन्य लेख एक भी चिड़िया नहीं चहचहाएंगी, कालिदास का विद्रोही मेंघ, उदसीनता का जहर में मौजूद है। जो उनके चुकते नहीं सवाल कृति में संग्रहित है।

रसोई और पकवान - स्त्रियों का विभाग आम तौर पर रसोई को माना जाता है। मृदुला गर्ग ने इसे जिया है। लेकिन काम काजी महिलाओं के लिए यह समय लेने वाला कार्य होता है। लेखिका भी इससे बची नहीं अपने मायके में लेखिका ने कभी खाना नहीं बनाया था। उनके घर का माहौल इस तरह का था कि खाना पकाने के बारे में कभी, सोचा नहीं। यह सोच तब अपनी चरम सीमा पर पहुँची जब लेखिका ने एम.ए. के पहले स्तर पर 'पंचेर पांचाली' पढ़ी

इसमें गरीबी से घिरे लड़के ने कहा था 'मेरी माँ जैसे गुलगुले कोई नहीं बना सकता' (यह एक मारवाड़ी मिठाई है जो पकौड़े के आकार में होती है।) तब उन्हें यह अहसास हुआ कि उन्हें भी खाना पकाना चाहिए। इस वाक्य से खबर होने के बाद ही वे अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाती थीं।

साहित्य यात्रा – मृदुला गर्ग का जन्म साहित्यिक परिवार में हुआ था। पिता साहित्य प्रेमी थे तो माँ भी हिन्दी, उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी रचती थीं। पिता जी इतिहास में भी रूचि रखते थे जिसका ज्ञान वे बच्चों को देते थे। 1963 के विवाह के बाद मृदुला गर्ग अपने पति के साथ दिल्ली छोड़ के अन्य राज्यों में घुमती रहती थीं लेकिन 1974 के बाद वे दिल्ली में ही आकर बस गईं।

परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाने के साथ ही उन्होंने लेखन का कार्य पूर्ण किया। पति की देखभाल एवं बच्चों की परवरिश में अपना अधिक समय देती थीं।

मृदुला गर्ग ने 1972 से लेखन की शुरुआत की। 1972 में उनकी पहली कहानी 'रूखावट' सारिका पत्रिका में छपी। उस समय कमलेश्वर उसके संपादक थे, इसके लावा 'हरी विदी' 'लिली ऑफ दि वैली' 'दुसरा चमत्कार' कहानियाँ भी सारिका में प्रकाशित हुईं। 1972 में उनकी 'कितनी कैदें' को कहानी पत्रिका द्वारा प्रथम पुरस्कार, 1974 में दिल्ली लौटने के बाद पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप का प्रकाशन और मध्यप्रदेश साहित्य परिषद से उसे महाराजा वीर सिंह पुरस्कार मिला। लेखिका ने अपने आरम्भिक दिनों के बारे में बताया है- 1975 में 37 वर्ष की आयु में मैंने जो छापना शुरू किया तो धकापेल छपती चली गई और बरसों मेरे मन में जमी जड़ी अनुभूतियाँ पिघलकर ऐसे लावा बन गई थी कि पलभर भी चैन से बैठने न दिया। दस साल के भीतर पाँच कहानी, एक नाटक छप चुके थे, फिर भी पाठक थे कि आराम तसल्ली से पढ़ रहे थे। 1984 के बाद उनकी लेखन गति में एक प्रकार का अर्थ विराम आया। 1984 के बाद तेज गति से हो रहे लेखन में एक लम्बा विराम आया। अगले आठ सालों में दस कहानियाँ और एक नाटक जरूर पर शुरू से आखिरी तक तथ्य की जीवन्त अनुभूति भीतर तड़फड़ाने के बावजूद, उपन्यास शुरू नहीं कर पाई थी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लेखिका एक स्त्री है और स्त्री का घर के कामों में इतना समय व्यतीत होता है। इन जिम्मेदारियों से अलग हटकर लिखने के लिए समय निकालना काफी मुश्किल होता है।

1975-76 में एक नुक्कड़ नाटक करने वाली लड़की जो झुगगी झोंपड़ी में जाकर जागरूकता निर्माण कर रही थी उसका आत्महत्या करना तथा पिता का इमरजेंसी के समय बैचन रहना, दोनों बातों को मृदुला गर्ग ने निकट से देखा था। 'शहर के नाम' इस कहानी से इसी की अभिव्यक्ति हुई है। इस कहानी में लेखन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मृदुला गर्ग ने लिखा है 'बरसों वह मेरे मन को झकझोरती रही ऐसी ही एक दो और घटनाएँ जो इमरजेंसी में घटी मेरी स्मृति का सघन अंश बनकर रह गईं। मेरे पिता जो इमरजेंसी से बहुत बैचन थे उसके हटाये जाने का शुभ समाचार पाने के लिए जीवित नहीं रहे। पिताजी इतिहास में भी रूचि रखते थे। उनको इतिहास की जीतनी जानकारी थी वे अपने बच्चों को दे देते थे। मृदुला गर्ग को मिलाकर वे पाँच बहनें और एक भाई हैं। बड़ी मंजुला भगत और छोटी चित्रा मृदुल हिन्दी की जानी मानी लेखिका हैं।

मृदुला गर्ग ने कहानी लेखन के रूप में लेखन कार्य आरम्भ किया। उनकी कहानियाँ पत्र पत्रिकाओं में पहले छपती थीं। बागलकोट में उन्होंने

1970 को लिखना शुरू किया। 1971 में उनकी पहली कहानी 'रूखावट' सारिका में कमलेश्वर के संपादन में छपी। बाद की लिली ऑफ दि वैली 'दुसरा चमत्कार', 'हरी बिंदी' भी सारिका में ही छपी 1972 में दूसरी कहानी 'कितनी कैदें' को कहानी पत्रिका द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिल्ली में 1974 ई. में स्वन्तत्र लेखन शुरू किया।

वे आज के साहित्य के सम्बन्ध में लिखती हैं 'पत्रिकाएँ भी कितनी ढेरों सारिका, कहानी, कल्पना, संवाद नवनीत, धर्मयुग, कहानीकार, रविवार, नटरंग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान आदि। ऐसे संपादक अब कहां मिलेंगे, पत्रिकाएँ भी अब कहां रहीं? अब तो लेखक को युं खाँचों में बाँटा जने लगा है कि लगता है जल्दी ही रिवाज चल निकलेगा की कहानी के साथ अपनी जीवनी संपादक को भेजिए। सोचती हूँ अगर 1970 के बजाए मैंने 1990 में लिखना शुरू किया होता तो जाने किस खूँटी पर लटकी पाई जाती। 1970 में ही अभिनय के क्षेत्र में लेखिका ने श्रेय पाया। 1960-1963 तक अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका रही लेकिन उन्हें लेखन काय बनावटी लगता था, जिसकी झलक हमें उनके उपन्यास यउसके हिस्से की धूप का नायिका 'मनीषा' में साफ नज़र आती है। 1970 के बाद 1971 में दोनों रास्तों से खूब मोड़कर एक सीधे पर कठिन रास्ते साहित्य लेखन पर चल पड़ीं। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन को बनाया। इसलिए 1970 के आस पास लेखन कर्म में जुट गईं।

बचपन में ही मृदुला गर्ग ने अपने पिता से विरासत के रूप में साहित्य को अपनाया। उनके साहित्यकार बनने के पीछे मूल कारण उनके जीवन के अनुभव हैं। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी के जो भी साहित्य पढ़े चाहे वे अनुदित हो या मूलिक अनुभव प्राप्त किए। सामाजिक और वैयक्तिक स्तर के अनुभव ही हमारे सामने आए हैं।

'ड्राफ्ट नहीं बनाती हूँ पर दिमाग में सृजन प्रक्रिया चल रही होती है तो खाना पीना, डिस्टर्ब रहता है। किसी भी चीज़ को जी रहे हैं तो वास्तविक व दिमागी दुनिया में जीते हैं। कभी भी पूरी तरह इस दुनिया में नहीं जीते हैं। किसी भी विवाह पार्टी में जाकर सिर्फ इन्जॉय ही नहीं होता। उस प्रसंग को कैसे किसी उपन्यास या कहानी में प्रयोग किया जा सकता है यह ध्यान बना रहता है।'

मृदुला गर्ग अभिव्यक्ति की महता बताते हुए कहानी चाहती है कि जिस प्रकार दुःख और पीड़ा का अनुभव चाहे वह स्त्री की प्रसव वेदना है या किसी भी इन्सान की अपनी शारीरिक या मानसिक दुःख भरी दास्तान, उसी पीड़ा का अनुभव चाहे वह बड़ी हो या छोटी, वह आदमी नहीं कर सकता। जिसे पीड़ा की कहानी सुनाई जा रही हो। वही इंसान जिसने यह अनुभव किया है। इस पीड़ा की गहराई को अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार साहित्यिक कृति के जन्म संबंधी पीड़ा का अनुभव वही साहित्यकार कर सकता है, जिसने इसे अनुभव किया है। रचनात्मक पीड़ा वैयक्तिक होती है। वे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बताने के साथ सामाजिक व्यवस्था के अन्याय के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करती हुई लिखती है कि 'जीवन में जो कुछ घटता है, जो गहरे छूता है व्यथित करता है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सभी तो मन के उस गुप्त कोनों में छिपे होते हैं। जहाँ मेरे परिचित दोस्त, सगे संबंधी झाँककर नहीं देख सकते। सब-कुछ बिलकुल अकेले झेलती चली जाती हूँ। फोटो की तरह यह अनुभव दुःखते टीसते हैं। धीरे-धीरे पकते हैं और आखिर एक दिन फूट ही जाते हैं। कहानी, उपन्यास के रूप में जो कुछ सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, जो व्यवस्था मुझमें वितृष्णा जगाती है। अन्याय जो क्रोध का उफान

लाता है वही तो इन कहानियों और उपन्यासों का कथय है।

मृदुला गर्ग का कृतित्व – हिन्दी साहित्य में सातवें दशक की प्रमुख रचनाकार है। उन्होंने साहित्य की लगभग सभी रचनाओं पर लेखन कार्य किया है। उनका साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है क्योंकि उन्होंने समाज की विसंगतियों को उजागर कर उन्हें दूर करने के विभिन्न प्रयासों का वर्णन किया है। वे एक जागरूक रचनाकार हैं जिन्होंने समय की नब्ज को पहचान कर उसके अनुसार साहित्य रचना की है। उनका व्यक्तित्व लेखकीय प्रतिभा का ही परिचायक रहा है। उन्होंने नारी की परम्परागत छवि को बदलकर नयी चेतना, जागरूकता पर बल दिया है।

‘1975 में 37 वर्ष की आयु में जो छापना शुरू किया तो धक्कापेल छपती चली गई और बरसों में मन में जमी पड़ी अनुभूतियाँ पिघलकर ऐसे लावा बन गई। पल भर भी चेन से बैठने नहीं दिया। दस साल के भीतर में पाँच उपन्यास, पाँच कहानियाँ संग्रह और नाटक छप चुके थे।’

उपन्यास – हिन्दी उपन्यास साहित्य में मृदुला गर्ग ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है। ‘अनित्य’, ‘कठगुलाब’, ‘चितकोबरा’ तथा ‘उसके हिस्से की धूप’ जैसी रचनाएँ लिखकर लेखिका ने न केवल इस विधा को समृद्ध किया बल्कि उपन्यास जगत में अपना एक मुकाम भी हासिल किया। उपन्यास के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लेखिका कहती है – ‘उपन्यास एक शहर की तरह होता है, जिसके विस्तार में लेखक उसी तरह खेल सकता है जैसे ईश्वर सृष्टि से खेलता है। एक विराट विदूषक वह है और एक लेखक बनने का मजा उपन्यासकार ले सकता है। उच्छेदन में क्या कम सुख है?’ ‘उपन्यास वह होता है, जिसका प्रवेश द्वार भीतर घुसने के बाद बंद हो जाता है। बाहर निकलने के लिए दरवाजा ही नहीं, रास्ता भी तलाश करना पड़ता है, बल्कि जमीन खोदकर झाड़-झंकार साफ करके, खुद बनाना भी पड़ता है। सीधे रास्ते से जाकर सीधे रास्ते लौट आने का काम पर्यटकों का होता है, उपन्यासों का नहीं। मजे की बात यह है कि तलाश का सुख उपन्यास के लेखक को ही नहीं पाठकों को भी मिलता है। उपन्यास के शहर से बाहर निकलने के लिये अनेक वैकल्पिक दरवाजे नजर आते हैं। लेखक किसी एक को चुन लेता है तब भी विकल्प समाप्त नहीं होते।’

मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यासों को अनेक विद्वानों ने चर्चा करते हुए काफी सराया भी है। अब तक मृदुला गर्ग ने सात उपन्यासों की रचना की है। ‘उसके हिस्से की धूप’ (1975), ‘वंशज’ (1976), ‘चितकोबरा’ (1979), ‘अनित्य’ (1980), ‘मैं और मैं’ (1984), ‘कठगुलाब’ (1996) तथा काफी लम्बे समय के बाद ‘मिलजूल मन’ (2009)।

कथा साहित्य – मृदुला गर्ग ने युगीन परिस्थितियों के अनुसार स्त्री पात्रों को परम्परागत सोच से मुक्त कर नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहानियों में स्त्री पात्रों के अलावा गरीब, बेबस, लाचार एवं असहाय लोगों का भी वर्णन किया है जो कि समाज में निरन्तर संघर्षशील रहते हैं। लेखिका ने पुरानी नारी के आडम्बरो को मिटाकर नारी समाज को नई दिशा व पहचान प्रदान की है। उसे परम्परागत सोच व मूल्यों से मुक्त कर नए भाव बोध से खूबरू

करवाया है। स्त्री में स्वाभिमान भाव को जगाया है। एवं दाम्पत्य जीवन की सुक्ष्म भावनाओं एवं तनाव सभी सन्दर्भों को पकड़ा है। और अपनी रचनाओं में उसे व्यक्त किया है तथा नारी मुक्ति के विभिन्न प्रश्नों का समाधान भी प्रस्तुत किया है। आठवें दशक से लेकर अब तक उनके सात कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं – ‘कितनी कैदे’ (1975), ‘टुकड़ा-टुकड़ा आदमी’ (तृतीय संस्करण – 1995), ‘डेफोडिल जल रहे हैं’, ‘ग्लेशियर से (1980)’, ‘उर्फ सैम’ (1986), ‘शहर के नाम’ (1990), ‘समागम’ (1998)।

नाटक साहित्य – हिंदी नाटक साहित्य में महिला नाटककारों की संख्या लगभग न के बराबर है। मृदुला गर्ग नाटक की दुनिया से जुड़ी है। अपने स्कूली दिनों में अनेक नाटकों में हिस्सा लिया तथा पुरस्कार भी जीते। मंच और अभिनय के माध्य से ही किताबों से अलग अपनी एक दुनिया बनाई। विवाह के बाद बच्चों की परवरिश करते-करते दुबारा अभिनय और नाट्य निर्देशन शुरू किया। कई नाटकों में काम किया। 1970, जादू का कालीन – 1993, ‘तीन कैदे’ – 1996। ‘एक और अजनबी’ में स्त्री-पुरुष संबंधों का विश्लेषण किया गया है। जीवन में नाटक के बाहर होकर अपने मूल रूप में जीने की बात कही गयी है। ‘जादू का कालीन’ बाल मजदूरी पर लिखा बहुत भयावह यथार्थ से परिचित कराने वाला नाटक है। ‘कितनी कैदे’ यह नाटक ‘कितनी कैदे’ कहानी का नाट्य रूपांतरण है। इसमें नारी जिन कैदों से घिरी हुई है उन कैदों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। ‘दुलहिन एक पहाड़ की’ यह नाटक परिवार में बहु की परिवर्तित छवि को प्रस्तुत करता है। ‘दूसरा संस्करण’ स्त्री-पुरुष संबंधों को परखने का प्रयास है। मृदुला गर्ग मूलतः कथाकार हैं, नाटक की दुनिया से वह परिचित हैं, इसके अलावा वह एक प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने भारतीय समाज को बहुत नजदीक से देखा और परखा भी है। विभिन्न घटनाओं के प्रति वह अपनी राय भी रखती है। किसी एक विषय पर उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचार उनके भिन्न-भिन्न लेखों में मिलते हैं। समय-समय पर लेखिका ने विभिन्न पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं। उन्हीं लेखों का संग्रह ‘चुकते नहीं सवाल’ है। ‘समागम’ नामक कहानी संग्रह में उनके दो लेख संग्रहीत हैं। इसके अलावा ‘रंग-दंग’ एक निबंध संग्रह भी लिखा है। इस प्रकार मृदुला गर्ग के साहित्य में अपने जीवन के रंग-दंग की कई झाकियाँ मिलती हैं वही उनके द्वारा लिखा गया संपूर्ण साहित्य हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. शीलप्रभा वर्मा- महिला उपन्यासकारों की रचनाओं बदलते सामाजिक संदर्भ पृ. 41
2. सारिका पत्रिका- 16 से 31 अक्टूबर 1984, साक्षात्कार दिनेश द्विवेदी से मृदुला गर्ग की बातचीत पृ. 46
3. मृदुला गर्ग – रंग दंग पृ. 14-15
4. चर्चित महिला कथकारों की कहानियाँ सम्पादक दिनेश द्विवेदी, मृदुला गर्ग का आत्मकथ्य पृ. 35

पंचायती राज : विसंगतियाँ एवं निदान

डॉ. वर्चसा सैनी*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) जे० के० पी० पी० जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की आत्मा है। विकेन्द्रीकरण शासन को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। ऐसे शासन में आम व्यक्ति अपने स्तर पर शासन में सहभागिता कर सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर पंचायती शासन व्यवस्था आती है। महात्मा गांधी पंचायती राज व्यवस्था के बड़े हिदायती रहे हैं उनका विचार था।

‘पंचायती राज की स्थापना होने पर जनमत वह कार्य कर दिखाएगा जो हिंसा से नहीं हो सकता ये राजे, महाराजे, जमींदार और पूंजीपति उसी समय तक प्रभावशाली हैं जब तक कि जनसाधारण अपनी शक्ति से अपरिचित हैं जिस दिन लोग जमींदारी या पूंजीवाद की बुराइयों से असहयोग प्रारम्भ कर देंगे उसी दिन से उनकी समाप्ति की शुरुआत हो जायेगी।’

— महात्मा गांधी

प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संचालन केन्द्र में बैठे 20 व्यक्तियों से नहीं वरन् प्रत्येक गाँव में निवास कर रहे ग्रामीणजनों द्वारा होगा।

विसंगतियाँ: निदान – लोकतंत्र का वास्तविक सार यह है कि एक निरीह से निरीह व्यक्ति को भी सत्ता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। लेनिन, लिंकन, गाँधी तथा विश्व की अन्य मानवतावादी विभूतियाँ इस शासकीय सत्ता की स्रोत हैं और वही इससे लाभान्वित होती हैं, इसलिए उसकी प्रभुसत्ता तथा सर्वोच्चता आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों का अनिवार्य तत्व है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचना हम भारत के लोगों के आधार पर की है।

भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के इतिहास में ऐसी परम्पराएँ रही हैं जिस पर हमें सदा से गर्व रहा है। हमारे गाँवों में ऐसी संस्थाएँ पहले भी थी और अब भी हैं, जहाँ बुजुर्गों एवं समझदार व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग उनका आदर करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। वे सब मिलजुलकर महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाते हैं। इन पंचों का निर्णय सभी को मान्य होते हैं। वर्षों के औपनिवेशिक शासन और अनुचित भूमि वितरण के ढाँचे के बावजूद पुराना पंचायती राज जीवित रहा। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता को अपने लोगों के स्वरूप चिन्तन और समस्याओं को सही निराकरण करने की क्षमता में पूर्ण आस्था थी। निःसंदेह समय के साथ-साथ इन पंचायतों में स्वार्थी तत्व घुस आए जिनका एक मात्र उद्देश्य अपना वर्चस्व स्थापित करना था। ऐसी स्थिति में समाज में बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिए किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र संकुचित होना स्वाभाविक था। पंचायती राज की स्थापना भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य उस शासन

से होता है, जिसका प्रबंध उस स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा ही किया जाये। दूसरे शब्दों में स्थानीय या पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज संस्थाओं की योजना तीन स्तरों में प्रस्तुत की गई है :

1. ग्राम स्तर
2. ब्लाक स्तर
3. जिला स्तर

वास्तव में इस त्रिकोणात्मक व्यवस्था द्वारा देश के ग्रामीण जीवन को एक चेतना सौंपने का भी प्रयास किया गया है, ताकि राष्ट्रीय जनतंत्र का आधार व्यापक और मजबूत बन सके। पंचायती राज का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर अंत तक विकास योजनाओं से संबंध करना और प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता को सक्रिय रूप से भागीदार बनाना है।

पंचायती राज के पीछे जो विचारधारा निहित है वह यह है कि गाँवों के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें यही एक महान आदर्श है जिसे प्राप्त किया जाना है। यह आवश्यक है कि गाँवों में रहने वाले लोग कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पशुपालन आदि से संबंधित विकास क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। ग्रामीण लोग न केवल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग ही लें अपितु उन्हें यह अधिकार भी होना चाहिये कि वे अपनी आवश्यकता और अनिवार्यताओं के विषय में स्वयं निर्णय भी कर सकें। लोगों में सामान्य प्रेरणा व उत्साह उत्पन्न करने का उपाय है सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना।

भारत में पंचायती राज की आवश्यकता एवं महत्व – भारत में पंचायते बहुत पुराने समय से विद्यमान थी, मगर वर्तमान पंचायती संस्थाएँ इस मायने में नयी हैं कि उसको काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाम पुराना है मगर पंचायते नयी हैं। स्वतंत्र भारत में सन् 1959 से 1964 तक के इनके कार्यकाल को उत्थान का काल कहा जा सकता है। उसके बाद पंचायतों की ओर या उनके चुनावों की ओर लम्बे समय तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1977 में अशोक मेहता समिति रिपोर्ट में इन संस्थाओं को नया रूप देने की सिफारिश भी की गई, किन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सका। अतः 1983 के बाद पंचायती राज संस्थाओं का पुनरोद्भव प्रारम्भ होता है। संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता प्रदान की गई है, और धीरे-धीरे सभी राज्य अपने-अपने राज्यों में पंचायती राज की स्थापना करने के इच्छुक दिखायी दे रहे हैं। पंचायती राज हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है :

1. भारत में स्वास्थ्य प्रजातांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करने के लिए

पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। जिससे वे अपने ग्राम की समस्याओं से अवगत होते हैं, तथा उन्हें शीघ्र तक पहुँचाने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से शासन सत्ता जनता के हाथों में चली जाती है।

2. पंचायती राज व्यवस्था भारत का भावी नेतृत्व भी प्रदान करने में सहायक होती है। पंच व सरपंच ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं, इस प्रकार ग्रामों में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यों में जनता की रुचि बढ़ाने में पंचायतों का प्रभावी योगदान रहता है।
3. स्थानीय समस्याओं को हल करने में पंचायती संस्थाएँ राज्य और केन्द्रीय सरकार के भार को हल्का करती हैं। उनके द्वारा ही शासकीय शक्तियों एवं कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की इस प्रक्रिया में शासकीय सत्ता गिनी-चुनी संस्थाएँ न रहकर गाँव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथों में पहुँच जाती है।
4. पंच, सरपंच एवं अन्य पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच कड़ी है। इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किये हुए राष्ट्र निर्माण के क्रियाकलापों में चलन मुश्किल हो जाता है।
5. इन संस्थाओं के माध्यम से जनता शासन के करीब पहुँच जाती है। जनता और शासन में परस्पर एक दूसरे की कठिनाईयों को समझने की भावनाएँ पैदा होती हैं। इससे दोनों में परस्पर सहयोग बढ़ता है। जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक हैं।

पंचायती राज की स्थापना के पीछे जो दो मूल उद्देश्य हैं वह हैं शासन जनता के हाथों में होना तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना है। आज भी भारत के अधिकांश गाँवों में जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था व ग्रामीण विद्युतीकरण आदि। ग्रामीण रोजगार की समस्या भी भारतीय ग्रामीण विकास में बाधक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की नितान्त कमी है। कृषि क्षेत्र में भी कृषकों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। तथा कुटीर उद्योगों के समाप्त होने और वर्ष भर कृषि न होने से ग्रामीण रोजगार के तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, पलायन की इस गम्भीर समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था डगमगा गयी है।

पंचायती राज लोकतंत्र का ही एक रूप है। जनता और सत्ता का आपसी समन्वय भी है। इसमें गाँव से दिल्ली तक के प्रशासन के सभी स्तरों पर जनता का अधिकार है। कर्तव्यों का भी बराबर बँटवारा है। वास्तव में पंचायती राज अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हमारी प्राचीन पंचायतों का ही बढ़ा हुआ रूप है। पर आधुनिक युग के अनुरूप इसमें नये उद्देश्यों, नई शक्ति और नये तरीकों का समावेश कर दिया गया, 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक अधिकार सौंपे गए हैं। लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा अधिकार प्रदान किया गया है। क्या वे उनको प्राप्त करने में सफल हों पाई हैं या जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद इन संस्थाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है, क्या वह प्रयास फलीभूत हो पा रहा है।

जब हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में अनेकानेक कठिनाईयाँ आई आ

रही हैं, जिसको दूर करना आवश्यक है। देखने में यह भी आ रहा है कि पंचायतें जो ग्राम विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अपने आदर्श रूप को ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। इस प्रणाली में कई विसंगतियाँ उभर कर सामने आ रही हैं।

1. पंचायती राज की बागडोर संभाले हुए अधिकांश प्रतिनिधि अल्पशिक्षित या अशिक्षित हैं। साथी ही उन्हें पंचायती राज की रीति-नीति संबंधी पर्याप्त एवं समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वे अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अशिक्षा के साथ-साथ निर्धनता भी ग्रामीण लोगों को अपने सीमित दायरों से ऊपर नहीं उठने देती है, परिणामस्वरूप उनमें हमेशा आपसी वैमनस्य और विद्वेष भावना बनी रहती है।
2. पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार वितरण प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण है। वर्तमान प्रणाली में विकेन्द्रीकरण आवश्यकता से अधिक है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहु राष्ट्रीयता वाले राष्ट्र में व्यवस्था के एकीकरण का मुख्य सूत्र केन्द्रीयकृत नीति निर्माण एवं नीति निर्देशन के विपरीत अत्यधिक विकेन्द्रीकरण से विखंडन की स्थिति उत्पन्न ही करती है।
3. वित्तीय प्रणाली का त्रुटिपूर्ण होना भी एक समस्या है। पंचायतों को करारोपण के अधिकार दिए गए हैं। परन्तु कोई भी ग्राम पंचायत करारोपण करके अपने राजनैतिक अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकती है और यदि करारोपण नहीं करती है तो वह वित्तीय रूप से अपंग हो जाती है। उसे हमेशा शासकीय अनुदानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
4. पंचायती राज व्यवस्था की सफलता काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासकीय एवं अशासकीय निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य किस प्रकार के संबंध विकसित होते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि दोनों एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश भी नहीं करते। शासकीय कर्मचारियों जैसे विकासखंड अधिकारी इसमें ग्राम क्षेत्र के अशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता एवं योग्यता का अभाव पाया जाता है। साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों में दलबंदी, गुटबंदी एवं शासकीय अधिकारियों के ऊपर प्रभुत्व जमाने की भावनाएँ पायी जाती हैं।
5. इन संस्थाओं में निर्णय हमेशा राजनीतिक आधारों पर लिए जाते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को टालने अथवा उन्हें राजनीतिक रूप से जोड़ना आदि की प्रवृत्ति भी पंचायती राज संस्थाओं के क्रियान्वयन में संदेह उत्पन्न करती हैं।
6. प्रायः यह भी देखा गया है कि जो लोग ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पद का चुनाव लड़ते हैं, एवं सरपंच बनकर आते हैं वे केवल निर्वाचित होने के लिए चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोग ग्रामीण विकास की समस्याओं को भली प्रकार नहीं समझ सकते। अतः उनमें पंचायतों को सौंपे गये कार्यों के प्रति उदासीनता ही देखने को मिलती है।
7. आरक्षण के आधार पर जिन पंचायतों में महिलाएँ पदासीन हुई हैं, वे या तो निरक्षर हैं या किसी सम्पन्न परिवार की बहु, पत्नी या माँ हैं। इन अधिकांश महिला पंच सरपंचों को अपने दायित्वों का पालन करने का मौका ही नहीं मिलता बल्कि उनके पतियों द्वारा या अन्य पुरुष सदस्यों के माध्यम से दायित्वों को पूरा किया जाता है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है।

निदान – इन विसंगतियों के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की खामियाँ भी हमें इन संस्थाओं में देखने को मिलती हैं। इन विसंगतियों को दूर करना भी आवश्यक है जिससे हमारा यह प्रयोग एक प्रयोग तक सीमित न रहे बल्कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में एक प्रतीक बन सके।

1. सर्वप्रथम हमारे पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभावी तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। पंचायती राज व्यवस्था को उचित प्रभावी तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण पंचायती राज व्यवस्था को उचित प्रभावी तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण पंचायती राज व्यवस्था के सफल तथा सुचारु संचालन की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। क्योंकि सौंपे गए कार्यों का यथोचित निर्वहन किस प्रकार किया जाना है। इसकी जानकारी, कार्यप्रणाली आदि बातों का निर्वाचित प्रतिनिधियों को ठीक-ठीक ज्ञान होना जरूरी है। इनमें से कई प्रतिनिधि विशेषकर महिलाएँ तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के कई सदस्य पहली बार पंचायतों में चुने जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है।
2. हमारे अधिकांश निर्वाचित जन प्रतिनिधि या तो कम पढ़े लिखे हैं या तो अशिक्षित हैं, ऐसी स्थिति में उनके साक्षरता तथा शिक्षा का भी प्रयास जरूरी है तथा उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाये वह व्यावहारिक हो अर्थात् बोलचाल की भाषा में हो, जिससे वे समझ सकें।
3. वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यों का उचित बँटवारा किया जाए। जितना उनके वित्तीय अधिकार अनुमति देते हैं, उतना वित्त उन्हें दिया जाये। पंचायतों को जो कर, फीस, उपकर आदि लगाने हैं, उनकी सूची काफी लम्बी है, लेकिन सूची में सभी कर, फीस, उपकर अनिवार्य नहीं हैं, करों के अनिवार्य न होने के कारण ही पंचायतें इन्हें नहीं लगाती, 73 वें संविधान संशोधन के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अतः इन करों को लगाने में अनिवार्य किया जाये। जिससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति सक्षम हो।
4. पंचायतों द्वारा ग्रामीण बंजर भूमि विकास, वृक्षारोपण, सम्पर्क मार्ग

के निर्माण, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम ग्रामीण स्वच्छता आदि के कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं इसके लिए उन्हें समुचित अधिकार व साधन दिये जायें।

5. लोगों की आम समस्याओं को हल करने के लिए पंचायतों को अधिकार और साधन दिए जाए। लोगों की अधिक से अधिक स्थानीय समस्याएँ पंचायत के दायरे में लायी जाए ताकि लोग अपनी तकलीफों को दूर करा सके तथा समस्याओं को हल कर सकें।
6. पंचायती राज की कार्यप्रणाली में बहुत से दोषों का उद्घाटन हुआ है। डॉ. भाम्परी ने लिखा है कि पंचायत राज के फलस्वरूप गाँवों में दलबंदी तथा गुटबंदी पर आधारित राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। पंचायत चुनावों के कारण ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों में एक प्रकार का शीत युद्ध का वातावरण विकसित हो गया है।

यह सच है कि संविधान संशोधन के बाद से ग्राम पंचायतों को शक्ति सम्पन्न बनाया गया। ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में विकास की योजनाएँ बनाएँगी। आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तथा महिला पंच अब स्वतंत्र होकर बैठकों में भागीदारी देने लगी हैं। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित कई प्रदेशों में महिला पंचायतों ने विकास के नये आयाम दिए हैं। पंचायती व्यवस्था अपनी कमियों के बावजूद ग्रामीणों की दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भाम्परी चन्द्रप्रकाश, लोक प्रशासन जयप्रकाश नाथ एण्ड कंपनी 144 सुभाष बाजालेख ।
2. फड़िया व जैन, भारतीय शासन व राजनीति साहित्य भवन आगरा ।
3. शर्मा हरिश्चन्द्र, भारत में स्थानीय प्रशासन, कॉलेज बुक डिपो ।
4. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति ।
5. शर्मा एम.पी., लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया ।

प्रवासी महिला कथाकारों की कहानियों में नारी का स्वरूप

प्रीती राजपूत* डॉ. सुनीता**

* शोधार्थी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रवासी हिन्दी साहित्य नये युग के विमर्श के साथ उसकी वाणी भी है, यह साहित्य की एक नव-भावधारा और नव अवधारणा है, वह अपनी विशिष्टता और नवीनता में नया साहित्य बोध है, यही नहीं हिन्दी का प्रवासी साहित्य वास्तविक अर्थ में हिन्दी साहित्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है।

प्रवासी साहित्य में परिवार का स्वरूप स्थिर नहीं है, उसके बदलते हुए स्वरूप की वजह नारी स्वतंत्रता तथा विचारों में नवीनता भी है। वर्तमान में समाज की पूँजीवादी प्रकृति के कारण उपयोगिता के आधार पर मानवीय जीवन का मूल्यांकन होता है। प्रवासी लेखिकाओं ने पाश्चात्य संस्कृति में उपेक्षित भारतीय परिवारों एवं स्त्रियों से संबंधित समस्याओं का सार्थक अंकन किया है।

‘दिव्या माथुर’ की कहानी ‘निशान’ की नायिका परिवार के हाशिये पर है। वह एकांकी जीवन व्यतीत कर रही है तथा अपने पति बलवीर द्वारा प्रताड़ित होती है-

‘बलवीर से यह भी नहीं होता कि हफ्ते में केवल एक बार भारी सामान कार में रख लाने में ही रानी की मदद कर दे। ऊपर से रोज़ देर से आता है। रानी झूठी-प्यासी बैठी उसका इंतज़ार करती, बिल्कुल सत्या की तरह, जिसे मैंने मरते दम तक अपनी हड्डियाँ गलाते देखा था, पहले अपने पति के लिए और फिर बेटे के लिए।’¹ सत्या बलवीर की माँ थी उसे जीवन भर अपनी गृहस्थी की चिन्ता करते हुए देखकर कथा नायिका अत्यन्त दुखी होती है। इसी तरह ‘अनिल प्रभा कुमार’ की कहानी ‘उसका इंतज़ार’ में विधु नाम की स्त्री अनजाने शहर में अपने आप को उपेक्षित अनुभव करती है। इन्हीं की कहानी ‘ये औरतें, वे औरतें’ में तीबा अपने पति के दुर्व्यवहार से बहुत दुखी होती है। वह उसको मारता-पीटता है व बात-बात पर उसे खरी खोटी सुनाता है -खन्ना साहब ने पत्नी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया।² तुम्हारी इतनी हिम्मत? पत्नी उन पर वापस वार करने के लिए बढ़ी। ‘तू सोचती है कि तू कमाली है तो मुझपर भी धौंस जमा लेगी।’³ खन्ना साहब ने नफरत से भरकर पत्नी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह जमीन पर औंधे मुँह गिर पड़ी। दर्द से चीख निकल गई। उसने गुस्से, हिकारत और बेबसी से ऐसे देखा, जैसे उनके मुँह पर थूक रही हो ‘उषा प्रियंवदा’ की कहानी ‘कितना बड़ा झूठ’ की स्त्री पात्र किरन विवाहेतर संबंधों के कारण अपने पति द्वारा उपेक्षित एवं प्रताड़ित होती है। अतः उषा जी की कहानियाँ नारी जीवन के तनाव एवं संबंधों के बदलते स्वरूप को

प्रस्तुत करती है। ‘इला प्रसाद’ ने अपनी कहानी ‘एक अधूरी प्रेमकथा’ में तलाक़शुदा माता-पिता की पुत्री निमी के प्रति समाज दोगम दर्जे का व्यवहार करता है। एक तरफ ‘जमी बर्फ का कवच’ कहानी में अनीषा का आधुनिक स्त्री के रूप में चित्रण हुआ है। वह एक भारतीय लड़की है जो जर्मन व्यक्ति से विवाह करती है। विवाह उपरान्त यूरोप की जीवन शैली उसे आसानी से गले नहीं उतरती। नकली मुस्कान बस चेहरे पर चिपकी मिलती है वहाँ रिश्ते की गर्माहट ढूँढ़ती रह जाती है मशीनों के साथ। वह स्वयं भी संवेदनाशून्य बनती जा रही है। उसी तरह उषा जी ने कहीं-कहीं स्त्री को बन्धन मुक्त जीवनयापन करते हुए दिखाया है। ‘सम्बन्ध’ कहानी की मुख्य पात्र श्यामला बन्धनमुक्त जीवनयापन में विश्वास करती है व शादी तथा परिवार का सहज रूप से विरोध करती है। कहानी का एक संवाद आता है- ‘सर्जन ने कहा था- श्यामल, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं घर-बार, बाल-बच्चे सब तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ,। श्यामल ने हथेली से उसके मुँह को बन्द करते हुए कहा- क्या हम ऐसे नहीं रह सकते प्रेमी, मित्र, बन्धु। क्या वह सब छोड़ना जरूरी है।’³

अतः आधुनिक नारी केवल परिवार तक बंधकर ही रहना पसन्द नहीं करती। दूसरी तरफ सुनीता (स्त्री पात्र) आधुनिक होते हुए भी परम्परावादी है तथा गर्भपात न होने पर आत्महत्या कर लेती है केवल यह सोचते हुए यदि वह भारत बिना गर्भपात कराये गई तो लोग क्या सोचेंगे। एक तरफ पश्चिमी स्त्री मुक्ति आन्दोलन व दूसरी तरफ परम्परावादी नारी के दर्शन हुए हैं। ‘प्रतिध्वनियाँ’ ऐसी कहानी है जिसमें भी पश्चिमी स्त्री मुक्ति आन्दोलन का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। स्त्री अपने पति व बेटों को भारत छोड़कर विदेश में अपने कार्य को वरीयता देती है और स्वतंत्र होकर जीवनयापन करती है जैसा कि पश्चिम में स्त्री आंदोलन के बाद वहाँ की स्त्रियाँ परिवार तोड़ो तथा बन्धन मुक्त करो इच्छाओं की पूर्ति के साथ-साथ स्वतंत्र जीवन की मांग करती हैं। ‘मछलियाँ’ कहानी की स्त्री पात्र भी एक धैर्यवान स्त्री के स्वरूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वह परिवार के मना करने पर भी मनीश से शादी करने के उद्देश्य से विदेश चली जाती है लेकिन मनीश के शादी से मुकर जाने पर भी वह बहुत परेशान अवस्था होती है लेकिन स्वयं विदेश में रहकर ही जीवन व्यतीत करती है बजाय भारत आने के अतः वह परम्पराओं व भावनाओं में जकड़ी स्त्रियों की तरह अपने धैर्य को नहीं खोती। वह परिस्थितियों से लड़ती है, आँसू भी बहाती है लेकिन टूटती, बिखरती नहीं है। वहीं ‘नींद’ कहानी की नायिका को अपने पति से अलग होने का दर्द

व अकेलापन उसे बहुत खलता है। वह उससे बहुत डरती है। कहानी का एक संवाद है- **‘मैं बहुत कम चीजों से डरती हूँ- न रोग से, न गरीबी से, न ठंड से, डरती हूँ तो बस एक अंधेरी रात के अकेलेपन से और उसके प्राण के लिए ही इधर-उधर भटकती हूँ।’**⁴ ‘ट्रिप’ कहानी में भी सोनी केवल हालातों से समझौता करती हैं क्योंकि बच्चे तथा पति से दूर रहकर उसे केवल अकेलेपन की समस्या का शिकार होना पड़ा व पति के प्यार के अभाव में वह नशा करने की आदी हो जाती है। ‘सुरंग’ कहानी में एक ओर माँ का अपने कर्तव्यों से विरक्त होना दिखाया है तो दूसरी ओर बेटी अरुणा व बेबी के माध्यम से कर्तव्यनिष्ठ बेटी व बहन का चित्रण किया गया है। बेटी की मृत्यु के बाद माँ खुद को मारने की कई बार कोशिश करती है, बेटा मर कर भी जिंदा है तो बेटियाँ जिन्दा होकर भी मरी के समान हैं। बेटी की मृत्यु के बाद माँ जिन्दा लाश के तरह रहती है बिल्कुल कर्तव्यहीन। बेटियों को माँ होने पर भी अनार्यों जैसा जीना पड़ा। कहानी का एक संवाद - **‘बेटी के रोने की आवाज सुन माँ बोली-इस लड़की ने तो दुखी कर दिया है। क्या करें कोई।’**⁵ ‘स्वीकृति’ कहानी के अन्तर्गत जपा (स्त्रीपात्र) को भी अकेलेपन के दंश को झेलना पड़ता है। नये विवाह के बाद उसके मन में सुन्दर संसार गढ़ने की इच्छा होती है लेकिन उसका पति (सत्य) उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मिशिगन में पन्द्रह सौ डॉलर नौकरी पर लगावा देता है क्योंकि सत्य की चाह थी एक बड़ा घर हो, मंहगा फर्नीचर आदि जो केवल अकेले के कमाने से संभव नहीं था इसलिए वह उसे अकेले छोड़ आता है। उषा प्रियंवदा जी ने ‘कितना बड़ा झूठ’ कहानी संग्रह के अन्तर्गत कहानियों के माध्यम से एक तरफ तो स्त्री को आत्मनिर्भर व स्वतंत्र चित्रित किया है, भारतीय समाज में आधुनिक स्त्रियों के अस्तित्व की बात की है दूसरी ओर महिला जीवन की अनेक विडम्बनाओं, निराशाओं, विषमताओं, कटुता व एकांकीपन का सूक्ष्म अंकन किया है। अतः एक तरफ भारतीय पारम्परिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं में दबी असहाय स्त्री का चित्रण किया है वहीं पारम्परिक मूल्यों का विरोध कर आधुनिक मूल्यों को वरीयता देने वाली स्त्री को सामने लाके खड़ा किया है जो अपने सफर में संघर्ष करने से पीछे नहीं हट रही है। खुद की पहचान को स्थापित करने की लड़ाई स्त्री व्यक्तित्व को ऐसी ऊर्जा प्रदान कर रही है कि - **‘वह निव्य नई ऊँचाइयों को छूती, विकास यात्रा में पूरे मनोयोग से जुड़ी है। उसका यह बदला व्यक्तित्व जरूर अचम्भित कर रहा है, किन्तु यह, सदियों से निरंतर होने वाली स्वाभाविक परिणीत है।’**⁶ सुषम बेदी की कहानीयसलोनी’ भारतीय लड़कियों का भोगा हुआ सच है। यरिश्तों का खोखलापन जहाँ विवाह टूटने का सारा दोष समाज लड़की पर मढ़ देता है। एक शादी ही या दूसरी या फिर तीसरी अगर हर बार एक ऐसा साथी मिले जिसके साथ रहने की, जीवन गुजारने की वजह ही न रहे तो शादी से अलग हो जाना ही उपयुक्त है।

सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक पुरुष को माना जाता है। एक कवच जो अवांछित तत्वों से औरत की रक्षा करेगा। उसे अपने प्रेम और देखभाल से जीवन में खास अनुभव करवाएगा। वास्तविकता कुछ और ही होती है, पुरुष औरत का प्रयोग कर रहा है। लेना ही उसका ध्येय देने के नाम पर शून्य। सलोनी कहती है- **‘पुरुषों से मुझे कभी कुछ मिला नहीं मुझसे लिया ही गया है मेरा जिस्म मेरा प्यार फिर घर उसके साथ बनाना लाजमी क्यों हो? अगर पुरुष से सुरक्षा ही चाहिए तो लूना शायद वह सब देने में ज्यादा समर्थ है और वफादार भी।’** एक ओर ‘गुरुमाई’ कहानी में ‘राजी’ जो एक खूबसूरत और योग्य

लड़की है लेकिन विवाह के पश्चात जिसे नकारा समझा जाता है और उसकी अस्मिता को बार-बार चोट पहुँचाई जाती है। राजी इस शोषण और अन्याय से प्रतिशोध का एक शीतल, उपाय निकालती है और पुनः अपनी अस्मिता को पालती है- **‘मैं सोच रही थी क्या यही उसका उसके पति से प्रतिरोध है? क्या ले पाई है वह सारे अनाचार से बदला? लोगों से घिरी यह गुरुमाई और कहाँ घर की चारदीवारी में अकेली सड़ती थी, अब पति भी भक्त हो गया है। पति का व्यापार भी राजी के कंधों पर। क्या यही है राजी का बदला?’**⁷ ‘गुनहगार’ कहानी में विधवा रत्ना जो साठ वर्ष की हो गई है और निपट अकेलेपन का शिकार है। बच्चे अपनी दुनिया में हैं और उसे उसमें शामिल करना नहीं चाहते। उम्र के इस दौर में उसे सहारा चाहिए अतः वह शादी का विज्ञापन निकलवाती है। अमेरिका में यह नया नहीं है बुरा भी नहीं है पर भारतीय संस्कार उसे ऐसा करने नहीं देते। अंततः अपने प्रति प्रताप जो 36 वर्ष में चल बसे थे, उनकी स्मृतियों से, प्यार से बाहर नहीं आ पाती। खुद को गुनहगार मानने लगती है- **‘देखो मेरा हाल देखते क्यों नहीं? किस्मत ने मुझे इस हद तक ला दिया किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। अपने इस हाल के लिए किसको दोष दूँ मैं, बता न, किसको?’**⁸ इसी प्रकार ‘सुधा ओम दींगरा’ की कहानी ‘क्षितिज से परे’ में एक प्रताड़ित स्त्री का विद्रोह दर्शाया गया है। इनकी कहानी ‘बेघर सच’ में नारी के अस्तित्व की लड़ाई व पुरुषवादी समाज के वर्चस्व को रेखांकित करती हुई सदियों से चले आ रहे सनातन प्रश्न- **‘मेरा घर कौन सा है?’** को और अधिक व्यापकता के साथ मुखरित किया है। कहानी की नायिका अपने पैतृक घर के लिए जब परिवार के मुखिया से पूछती है क्या यह घर मेरा नहीं है? तो बेटी की संवेदनाओं की तमाम सम्भावनाओं को नकारते हुए उसे जवाब मिलता है- **‘नहीं’,** यह घर तेरे भाईयों का है। पति का घर तेरा होगा।’ अतः पति के घर आने के पश्चात एक बहू से ये कहा जाता है तू पराये घर से आई है तथा उसकी क्या जगह होती है परिवार में यह **‘संजीवनी’** कहानी में बताया है जबकि उसकी नायिका पढ़ी-लिखी नौकरी करने वाली है परन्तु सास के समक्ष तो बेटा ही हीरो है और संघर्षरत, मेहनती पुत्रवधु सीमा बात-बात पर प्रताड़ित होती है। वह अपने घर की सीढ़ियों को देखकर सोचती है- **‘ये सीढ़ियाँ उस समय बनाई होंगी जब केवल पुरुष ही बाहर जाया-आया करते होंगे, स्त्रियाँ घर से निकलती भी होंगी तो पालकी या अर्थी पर।’**

स्त्रियों पर अंकुश लगाता समाज आज भी ऐसी ही परंपराओं का अनुसरण करता है और करता रहेगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रवासी महिला कथाकारों ने अपनी कहानियों में एक ओर तो भारतीय समाज में आधुनिक स्त्रियों के अस्तित्व की बात की है अतः स्त्री को आत्मनिर्भर व स्वतंत्र चित्रित किया है तथा दूसरी ओर महिला जीवन की अनेक विडम्बनाओं, निराशाओं, विषमताओं, कटुता व एकांकीपन का सूक्ष्म अंकन किया है। अतः एक तरफ पारम्परिक व रूढ़िवादी मान्यताओं में दबी असहाय स्त्री का चित्रण किया है वहीं पारम्परिक मूल्यों का विरोध कर आधुनिक मूल्यों को वरीयता देने वाली स्त्री को सामने लाके खड़ा किया है जो अपने सफर में संघर्ष करने से पीछे नहीं हट रही।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. पंगा तथा अन्य कहानियाँ, दिव्या माथुर, प्रकाशक - मेघा बुक्स एक्स - 11, नवीन शाहदरा दिल्ली, प्रष्ठ-82.
2. बहता पानी, अनिल प्रभा कुमार, भावना प्रकाशन-दिल्ली, प्र0-133.

- | | |
|---|--|
| 3. कितना बड़ा झूठ (संबंध कहानी), उषा प्रियंवदा, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, प्र०-13. | 6. स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, कवर पेज से, डॉ. मुद्रित चंद्रा। |
| 4. वही, नींद कहानी, उषा प्रियंवदा, प्र०-55. | 7. सड़क की लय, (गुरुमाई कहानी) सुषम बेदी, प्रकाशक - ज्ञान विज्ञान एजुकेशन, प्र०-120. |
| 5. वही, सुरंग कहानी, प्र०-63. | 8. वही, सुषम बेदी, गुनहगार कहानी। |

The Role of Social Media in Shaping Modern Cultural Norms in India

Mallu Ram Meena*

*Associate Professor (Sociology) SCRS Govt. College, Sawai Madhopur (Raj.) INDIA

Abstract - Social media has significantly influenced modern cultural norms in India by acting as a platform for diverse voices and fostering rapid dissemination of ideas. It has democratized information, enabling widespread access to various cultural perspectives and traditions. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram allow for real-time dialogue and exchange, bridging urban-rural divides and connecting different societal segments. Social media has also been instrumental in shaping public opinion on social issues, from gender equality to environmental activism, driving societal change and policy reforms. Moreover, it has popularized global trends in fashion, music, and lifestyle, blending them with local customs to create a unique cultural fusion. However, the impact is double-edged, as the spread of misinformation and cyberbullying are notable concerns. Overall, social media's role in India is pivotal in both preserving cultural heritage and pushing the boundaries of contemporary cultural evolution.

Keywords: #MeTooIndia, Cyberbullying, Fake News, social interaction, Social media platforms.

Introduction - India, home to over 1.4 billion people, is a land of diverse cultures, languages, and traditions. Over the past two decades, the advent of the internet and the rapid proliferation of smartphones have revolutionized the way Indians communicate, access information, and perceive the world around them. As the world's second-largest internet market, with over 560 million internet users, India's digital landscape is both vast and varied. Social media's reach and influence extend to all corners of the country, affecting urban metropolises and rural villages alike. At the heart of this digital transformation is social media, a powerful tool that has seamlessly integrated into the daily lives of millions. Platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, and more recently, TikTok and its Indian counterparts like Moj and Josh, have become essential mediums for social interaction, information dissemination, and cultural expression. Social media platforms have not only transformed communication but have also become significant agents of cultural change. Cultural norms, defined as the shared expectations and rules that guide the behavior of people within social groups, are evolving rapidly under the influence of social media. In the context of India, a nation with a rich cultural heritage and a multitude of social customs, the impact of social media on modern cultural norms is profound and multifaceted.

Historical Context: The evolution of social media in India is a fascinating journey marked by rapid technological adoption and cultural integration. The story begins in the

early 2000s, with the advent of platforms like Orkut, which became a pioneer in the Indian social networking scene. It was soon followed by Facebook, which launched in India in 2006 and quickly gained popularity due to its user-friendly interface and diverse functionalities. Twitter, which entered the Indian market in 2006, carved out a niche for itself as a platform for real-time news, celebrity interactions, and political discourse. WhatsApp, introduced in 2010, revolutionized messaging by offering a free and convenient alternative to SMS. Its group chat feature allowed for the creation of community networks, which became crucial for both personal and professional communication. Instagram, which launched in India in 2012, rapidly became the platform of choice for visual storytelling. Its emphasis on photos and videos resonated with the younger demographic, leading to the rise of influencers who leveraged the platform to build personal brands and engage with followers. TikTok's entry into the Indian market in 2016 marked another significant milestone. The platform's short-form, user-generated videos captivated millions, offering a stage for creative expression across diverse socio-economic backgrounds. Despite its ban in 2020 due to geopolitical tensions, TikTok's impact was profound, paving the way for Indian alternatives like Moj, Josh, and Chingari, which quickly filled the void.

The evolution of social media has fundamentally altered communication patterns in India. Traditional forms of communication, such as face-to-face interactions and print media, have been supplemented, and in some cases replaced, by digital interactions. Social media platforms

have facilitated instant communication, breaking down geographical barriers and enabling real-time engagement with a global audience. The 2014 and 2019 general elections in India saw extensive use of social media by political parties to reach and engage with voters, highlighting its crucial role in modern political communication.

Mechanisms of Influence: Social media's pervasive influence on cultural norms in India operates through various mechanisms, profoundly altering how individuals and communities perceive, interact with, and respond to societal changes.

A. Dissemination of Information: One of the primary mechanisms through which social media shapes cultural norms is the dissemination of information. In India, this has several significant implications. Platforms like Twitter, Facebook, and WhatsApp facilitate instant sharing of news, events, and personal updates. This immediacy allows for real-time engagement with current events, fostering a more informed and connected society. For instance, during the COVID-19 pandemic, social media played a crucial role in disseminating health information, guidelines, and updates, which helped in spreading awareness and influencing public behavior. Memes, challenges, and viral videos often dictate fashion trends, language usage, and social behaviors.

B. Creation of Online Communities: Platforms like Facebook and WhatsApp host numerous groups based on regional affiliations, languages, and specific interests. These groups enable users to connect with like-minded individuals, share experiences, and support each other. Hashtags on platforms like Twitter and Instagram help users aggregate content around specific themes or events, creating virtual communities that engage in discussions and activities centered around these themes. In India, hashtags like #MeTooIndia have mobilized large online communities, shaping public discourse and cultural attitudes towards issues such as gender equality and agricultural policies. Online communities provide crucial support networks for marginalized and underrepresented groups. LGBTQ+ communities, for example, find solidarity and advocacy on social media, which helps in normalizing and mainstreaming issues related to gender and sexual diversity.

C. Influencer Culture: Through the rapid dissemination of information, the creation of online communities, and the rise of influencer culture, social media platforms shape how individuals and communities perceive and interact with their cultural environment. By sharing their lifestyles, opinions, and endorsements, influencers shape their audience's cultural and consumer behaviors. Followers trust influencers more than traditional celebrities or advertisements, leading to a more profound impact on their attitudes and behaviors. This trust extends to social and political issues, where influencers can mobilize public opinion and action, as seen during social movements like #MeTooIndia. Social media's influence on cultural norms in India is multi-faceted and

profound.

Case Studies: To illustrate the profound impact of social media on shaping modern cultural norms in India, we will examine three case studies: social movements and lifestyle and health trends.

A. Social Movements in India

MeTooIndia Movement: The MeToo movement, which began in the United States, found a strong resonance in India, leading to the #MeTooIndia campaign. Social media platforms, particularly Twitter, played a pivotal role in this movement. Women across India used the hashtag #MeTooIndia to share their experiences of sexual harassment and assault, challenging the culture of silence around these issues. The #MeTooIndia movement created a virtual support network, where survivors could share their stories and find solidarity. This collective experience helped to de-stigmatize discussions around sexual harassment and promoted a culture of empathy and support.

B. Lifestyle and Health Trends in India

Mental Health Awareness: Social media has played a crucial role in raising awareness about mental health issues in India, breaking down stigmas and encouraging open discussions. Campaigns like #MentalHealthMatters and #YouAreNotAlone have garnered significant attention on platforms like Twitter and Instagram. Influencers, celebrities, and mental health professionals use these platforms to share personal stories, provide information, and offer support. Social media has also facilitated access to mental health resources, such as online counseling services and support groups. This has been particularly important in a country where mental health issues have traditionally been stigmatized and under-addressed.

These case studies demonstrate the diverse and profound ways in which social media influences cultural norms in India.

Positive Impacts of Social Media on Cultural Norms in India: Social media has played a transformative role in shaping cultural norms in India, yielding several positive impacts.

A. Promoting Diversity and Inclusion: Social media has provided a platform for LGBTQ+ individuals and communities to share their experiences, advocate for their rights, and build supportive networks. Influencers like Gauri Sawant and Harish Iyer have used platforms like Twitter and Instagram to raise awareness about LGBTQ+ issues, thereby fostering greater acceptance and understanding. Social media has emerged as a vital tool for raising awareness and advocating for social issues, leading to increased civic engagement and social change. Social media campaigns like #MeTooIndia and #SaveAarey have mobilized public opinion and prompted action on critical social issues. These campaigns highlight injustices and mobilize support, influencing both public attitudes and policy decisions.

B. Fostering Global and National Connectivity: Social

media facilitates cross-cultural exchanges, allowing Indians to connect with global communities and learn about different cultures, ideas, and practices. Platforms like Facebook, Instagram, and LinkedIn enable Indians to join global networks, participate in international dialogues, and collaborate on various initiatives. For example, the popularity of global fitness trends like Zumba and Pilates, and culinary trends like veganism, have found their way into Indian urban culture through social media. Social media also plays a crucial role in fostering national unity by creating a sense of shared identity and purpose among Indians from diverse backgrounds. Hashtags like #IndependenceDay and #DiwaliCelebration bring together people from different parts of the country to share their celebrations and sentiments.

C. Enhancing Social Awareness: Influencers and experts on platforms like Instagram and YouTube share fitness routines, nutritional advice, and wellness tips, making health information accessible to a broad audience. Initiatives like #FitIndiaMovement promote physical fitness and healthy living. Social media campaigns and influencers have played a crucial role in destigmatizing mental health issues in India. Social media platforms have been used to campaign for gender equality, with movements like #HeForShe and #TimesUp gaining traction. These movements encourage both men and women to support gender equality and challenge patriarchal norms.

The positive impacts of social media on cultural norms in India are manifold. By promoting diversity and inclusion, fostering global and national connectivity, and enhancing social awareness, social media platforms have facilitated significant cultural shifts towards greater openness, inclusivity, and progressive attitudes.

Negative Impacts of Social Media on Cultural Norms in India: While social media has brought about numerous positive changes in Indian society, it also has negative impacts on cultural norms.

A. Spread of Misinformation

1. Fake News: Social media platforms have become breeding grounds for the spread of fake news and misinformation, posing a significant threat to the integrity of public discourse and societal stability. False information spreads rapidly on platforms like WhatsApp and Facebook, often going viral before it can be fact-checked. Misinformation about sensitive topics such as religion, politics, and public health can incite communal tensions, sow discord, and undermine trust in institutions.

B. Cyberbullying and Social Pressure

1. Online Harassment: Social media platforms provide anonymity and a wide audience, making them fertile grounds for cyberbullying and online harassment, particularly targeting vulnerable individuals. Individuals, especially women, LGBTQ+ individuals, and minorities, are often subjected to targeted harassment and abuse on social media. Trolling, hate speech, and threats can have profound

psychological effects, leading to anxiety, depression, and even suicide. Cyberbullying and online harassment contribute to a toxic online environment, where individuals feel unsafe and anxious.

2. Social Pressure and Comparison: Social media platforms promote a culture of comparison and perfectionism, leading to unrealistic expectations and social pressure among users. Users often present curated versions of their lives on social media, showcasing only the highlights and achievements while concealing struggles and vulnerabilities. This "highlight reel" phenomenon creates unrealistic expectations and fosters feelings of inadequacy among users.

C. Mental Health Issues

1. Addiction and Dependency: Social media platforms are designed to be addictive, leading to excessive usage and dependency among users, which can have detrimental effects on mental health. Features like infinite scroll and autoplay encourage users to spend extended periods on social media, leading to compulsive behavior and loss of productivity. Excessive screen time can disrupt sleep patterns, increase stress levels, and exacerbate feelings of isolation and loneliness.

2. Comparison and Envy: Social media exacerbates feelings of comparison and envy, leading to negative psychological outcomes such as depression and low self-esteem. Constant exposure to curated images and lifestyles on social media fosters a culture of comparison, where individuals measure their worth against others based on likes, followers, and material possessions. This relentless comparison can lead to feelings of inadequacy and dissatisfaction with one's own life.

The negative impacts of social media on cultural norms in India are significant and multifaceted.

Analysis of Current Trends

A. Rise of Short-Form Content: The rise of short-form content, particularly on platforms like TikTok (before its ban) and Instagram Reels, has revolutionized social media consumption habits in India. Short-form content has a significant impact on shaping cultural norms by influencing trends in fashion, music, comedy, and lifestyle. Viral challenges, dance routines, and comedic sketches often originate on platforms like TikTok and quickly gain traction, shaping the cultural zeitgeist and influencing societal behaviors.

B. Role of Algorithms: Algorithms play a crucial role in shaping users' experiences on social media platforms, influencing the content they see and interact with. Social media algorithms use data analytics to personalize users' feeds, showing content tailored to their interests, preferences, and past interactions.

C. Privacy Concerns: Social media platforms collect vast amounts of user data, including personal information, browsing history, and location data, to fuel their algorithms and targeted advertising. This data collection raises

concerns about user privacy, data security, and potential misuse of personal information. Governments and regulatory bodies are increasingly scrutinizing social media platforms' data practices and implementing regulations to protect user privacy. Initiatives such as the Personal Data Protection Bill aim to establish comprehensive data protection frameworks and hold platforms accountable for data breaches and privacy violations.

Future Directions: As social media continues to evolve and exert a significant influence on cultural norms in India, several key trends and developments are likely to shape its trajectory in the future.

A. Digital Literacy Initiative: Media literacy should be integrated into school curricula to teach students how to critically evaluate information, identify misinformation, and engage in constructive online discourse. Tech companies have a responsibility to invest in digital literacy initiatives and provide users with tools and resources to enhance their digital skills. Collaborative efforts between government, civil society, and tech companies can amplify the impact of digital literacy initiatives and promote a safer and more inclusive online environment.

B. Regulatory Measures: Strengthening data privacy regulations, such as the Personal Data Protection Bill, will be essential to protect users' personal information and safeguard their privacy rights. These regulations should establish clear guidelines for data collection, storage, and sharing, as well as mechanisms for user consent and data access. Governments should work with social media platforms to develop transparent and accountable content moderation policies that address issues such as hate speech, misinformation, and harmful content. There is a growing need to regulate the algorithms used by social media platforms to ensure transparency, accountability, and ethical use. The Ministry of Electronics and Information Technology has once again issued an advisory to social media firms to comply with the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

C. Technological Innovations: AI-driven solutions can help identify and mitigate the spread of harmful content, reduce online harassment, and enhance user safety. Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies will revolutionize how users engage with social media by creating immersive and interactive experiences. From virtual events and conferences to augmented reality filters and games, these technologies will enable users to connect with each other in new and innovative ways, transcending geographical barriers and fostering deeper social connections. Blockchain technology holds promise for enhancing transparency, security, and trust in social media platforms.

D. Empowerment of User Communities: Empowering users to play a role in moderating content, resolving disputes, and setting community guidelines can promote a

sense of ownership and accountability among users and foster a healthier online ecosystem. By incorporating user feedback into decision-making processes, platforms can create more inclusive, user-friendly, and responsive environments. Platforms should involve user communities in the development and enforcement of community standards and governance mechanisms. Social media platforms should support grassroots initiatives and community-led efforts to address social issues, promote civic engagement, and foster positive social change.

Conclusion : Social media has profoundly influenced modern cultural norms in India. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram have become crucial in shaping opinions, spreading information, and connecting people across diverse regions. They have empowered marginalized voices, promoted social movements, and facilitated cultural exchange. However, the rapid dissemination of information has also led to challenges such as misinformation, cyberbullying, and polarization. Despite these issues, social media remains a powerful tool in redefining cultural values, influencing fashion, entertainment, and political discourse, thereby playing a pivotal role in the ongoing evolution of Indian society's cultural landscape. By promoting a culture of responsibility, transparency, and inclusivity, India can leverage social media as a force for social progress and collective well-being.

References:-

1. Anand, R., & Narayan, P. (2021). Data Privacy in India: An Analysis of the Personal Data Protection Bill, 2019. *Journal of Information, Law & Technology*, 2021(1), 1-23.
2. Chaudhary, N. (2020). Social Media and Its Impact on Indian Society. *International Journal of Engineering and Management Research*, 10(4), 1-4.
3. Gupta, P. (2021). Impact of Social Media on Indian Society: A Review. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*, 8(2), 8-13.
4. Mishra, S., & Singh, S. (2020). Role of Social Media in Indian Society: A Review. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(3), 1461-1464.
5. Narayan, S. (2021). Digital Literacy and Its Impact on Social Media Users: A Case Study of Indian Youth. *Journal of Media Studies and Communication*, 7(2), 45-57.
6. Singh, R., & Kaur, K. (2020). Social Media: A Boon or Bane for Indian Society. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 5(6), 53-57.
7. Swain, A., & Mohanty, S. (2020). Social Media and Its Impact on Indian Culture. *International Journal of Humanities, Literature & Arts*, 3(6), 40-47.
8. Taneja, S. (2021). Social Media and Its Impact on Indian Culture and Society. *International Journal of Computer*

- Sciences and Engineering, 9(1), 46-50.
9. Yadav, S., &Yadav, N. (2020). Role of Social Media in Changing the Cultural Norms of India.International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology, 6(1), 1590-1597.
10. Zaidi, Z. A., & Ahmad, N. (2021). Cyberbullying and Mental Health: A Review of the Literature. Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 9(2), 45-55.
11. <https://www.meity.gov.in/>
12. <https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1700749>

Concept of Love in the Writings of Kamala Das

Dr. O.P. Tiwari*

*Professor and Head (English) Dr. B.R.A. Govt. PG College, Sriganaganagar (Raj.) INDIA

Introduction - Kamala Das is essentially a poet of love. Her concept of love has a very wide connotation which at times appears to transcend the bounds of mundane plane and reaches out to sublimity. But she starts right from the physical plane where there lies a very subtle difference between love and lust. In the poetry of Kamala Das the feminine sensibility finds expression in full bloom. She has carefully portrayed the heart of a woman, her ambitions and aspirations, needs and longings, and over and above her strong reactions against the failures in realizing them. Kamala Das finds the confessional mode as most appropriate to depict her love experiences and its pitfalls to highlight what Nair (1993) calls "the pains and pressures of the modern Indian woman" (98). The woman today finds herself at the crossroads whose main concern is to select the right path to follow between tradition and modernity, restraint and freedom. Kamala Das herself seems to have been caught in the above dilemma and clamours to seek its resolution in her poems. She embarks upon her love-seeking mission from a very early age. In her autobiographical work *My Story* she has recounted her childhood memories of love and infatuation with her classmates, hostel inmates, and teachers inclusive of both the sexes (21, 40, 71, 72, 74 etc.).

However, her real search of love began after her marriage at the age of 15. But the experience of love she had in her marital life proved bitter and she began to entertain a sense of hatred against her husband whom she found savage and lustful. Consequently, she turned rebellious not only against him but also the malechauvinism in general prevalent in the orthodox Indian society. According to Nair (1993), "The strength of Kamala Das's poetry lies in its haunting ability to awaken our dormant human sympathies and our repressed passion for genuine man-woman relationship." (98) Having failed to realize the kind of love she aspired for, Kamala Das eventually adopted a bold and unconventional method to seek it outside the wedlock. Critics like Sunanda P. Chavan (1984) find nothing wrong with it and, expressing sympathies for what Kamala Das decided to do to obtain the love of her fascination, observes: "The tragic failure to get love in terms of sexual-

spiritual fulfilment from the husband leads to her search for it in extra-marital relationships with other men" (61). Bailing her out from the stigma that such odious act entails, Devindra Kohli (1975) writes: "When Kamala Das speaks for love outside marriage, she is not really propagating adultery and infidelity, but merely searching for a relationship which gives both love and security" (27).

There are a few critics who go still farther to prove her even pure and a paragon of virtue. Iqbal Kaur (1995) thus says: "I personally feel that she is a woman obsessed not with love and sex but with the concept of purity which she had inherited from the Nalapat women. I feel that she is actually an integral part of the Nalapat women's Cult of Chastity..." (ix). As if not sure of the acceptability of her above findings, Iqbal Kaur hastens to add "...though it is not quite easy to persuade others to agree to such a viewpoint as this which, in fact, Kamala Das herself found amusing" (ix-x). Mrs. Kaur also negates the autobiographical character of the writings of Kamala Das and declares "...she has actually been voicing not only her own despairs and frustrations but those of every woman who is a victim of the male governed world..." (x).

In this way Devindra Kohli and Iqbal Kaur attempt to save the poet from the charge of cheating her husband by abusing the wedlock. Similarly, Sunanda P. Chavan treats her as a beleaguered person and defends her putting all the blame on her husband. But even a cursory glance upon the poetry and autobiography of Kamala Das would reveal that the personal accounts of the unhappy married life of Mrs. Das and the various extra-marital affairs described so vividly in her autobiography cannot be dismissed as something not belonging to the poet but the women in general. It can, however, not be ruled out that the details of incidents narrated by Kamala Das in her autobiography also reflect her imagination and fantasies, but to treat everything as having been spoken on behalf of the women in general cannot be literally true. Nair (1993) also strongly supports the contentions of Kohli and Iqbal Kaur, saying:

Such mis-statements reflecting on the person of the poet are the result of blindly identifying the poet with the persona in her poems without realizing that the embittered

wife-husband relationship and wife's extra-marital affairs depicted in the poems are not necessarily authentic chapters from the poet's private life (102).

He further adds that "Dream and fantasy cannot be separated from the texture of Kamala Das's poetry" (102). This incidentally leads to the conclusion that the writings of Kamala Das can neither be purely an autobiography nor a fiction, but a blend of the two. Therefore, while making an evaluation of a particular piece from the writings of Kamala Das one has to be very careful and judicious.

The poetry of Kamala Das deals with various themes which Bruce King (1987) has classified as "marriage and love life, pre-occupation with childhood memories, the soul-body contrast, need for assertion and domination" (148-150). But a careful scrutiny of the above themes suggests that they are all inter-connected and, therefore, cannot be studied in isolation. In this regard Nair (1993) rightly remarks: "In fact these are over-lapping phases of a single theme syndrome, the theme of love-lust-frustration" (98).

In this way the dominant feature of the poetry of Kamala Das is love. She holds love in a very high esteem and associates it with paradise and 'soul'. Eulogizing love in one of her write-ups 'Obscenity and Literature' (*Weekly Round Table*, April 1972) she says, "Love is beautiful, whatever four-lettered name the puritans call it by. It is the foretaste of paradise. It is the only pastime that involves the soul." If one goes by the above statement and believes it literally, it becomes clear that Kamala Das, in the vein of a Sufi saint, equates love with God symbolizing soul and heaven. It is comprehensively revealed from her writings that the love which Mrs. Das wants to realize is obtainable through fulfilment in man-woman relationships. Elaborating her concept of love, Kamala Das in an interview also says: Love means caring for another, having plenty of time for another. I want a kind of love that is pervasive- all pervasive like ether- love which creates its own climate, a balming climate (Kaur, 163).

Therefore, her love seems to be located on a physical plane rather than spiritual though she has given the fulfilled physical desire the status of spirituality in her poems.

The love poems of Kamala Das can be placed in two categories, positive and negative. The positive poems are those wherein she expresses a sense of contentment in love, whereas in the negative poems she expresses her indignation against the unfulfilled love. It is, in fact, the latter which forms the bulk of her poetry. Since Kamala Das is basically a poet of frustration and despair caused by unfulfilled love, there can hardly be a poem wherein she is found expressing a sense of happiness in love. Even in poems which are treated as positive ones, a sort of hidden sarcasm and satire is easily perceptible. As for example, her poem entitled 'Love', which gives a comparative view of her pre and post marital life, reads:

Until I found you,
 I wrote verse, drew pictures,

And, went out with friends
 For walks....
 Now that I love you,
 Curled like an old mongrel
 My life lies, content,
 In you....

(*Summer in Calcutta*, 30)

Commenting on this poem, Dwivedi (2000) remarks that it is "clearly without any pricks, without any tensions." There is no craving for the lips meant for others, no instinct of challenge, no streak of complaint, as one finds in love poetry." (30) In the same way Anisur Rahman (1981) deliberating upon the poem observes: "...the first stanza separated by a pause represents most precisely her bohemian aimlessness and the second her sense of satisfaction on seeking a goal." (5) In the above two comments the poem has been interpreted in a positive manner and has been held to portray the satisfaction of the protagonist in the marital love. But a careful perusal of the lines makes it clear that the poet aims at signifying that in her pre-marriage days she was free to pursue her hobbies, which is no longer possible after marriage as her freedom now happens to be circumscribed. In this way the poem cannot be regarded free from 'pricks' and 'tensions' which Dwivedi has suggested to be, nor can the creative works like writing verses and drawing pictures or going out on excursions with friends be treated as 'bohemian aimlessness' as has been done by Anisur Rahman.

Similarly, in another poem 'Convicts' both the positive and negative sides of love have been expressed. In the middle of the poem the weariness of the protagonist caused by the heat of lust has been reflected:

That was the only kind of love,
 This hacking at each other's parts
 Like convicts hacking, breaking clods
 At noon. We were earth under hot
 Sun. There was a burning in our
 Veins and the cool mountain nights did
 Nothing to lessen heat.

(*The Descendants*, 26)

Although in the above lines the poet does not express her annoyance overtly at the physical love and indicates towards the mutual participation in the sensual acts, yet the metaphor "convicts hacking, breaking clods at noon" of necessity gives a negative hue to the poem. However, in the last lines of the poem a sense of satisfaction and poise seems to be emanating:

.....When he
 And I were one, we were neither
 Male nor female. There were no more
 Words left, all words lay imprisoned
 In the ageing arms of night. In
 Darkness we grew as in silence
 We sang, each note rising out of
 Sea, out of wind, out of earth and

Out of each sad night like an ache...
 (*The Descendants*, 26)

In these lines her sense of fulfilment has been expressed and, in spite of all the negative metaphors and phraseology, the poem reflects the positive side of love.

Kamala Das's poetic career virtually begins after her marriage and has its genesis in her mismatched relationship. Kohli (1975) thus candidly remarks: "The failure of love and the birth of poetry seem to be significantly related to each other in Kamala Das." (36) Therefore, it is not easy to find out such pieces in the long galaxy of the poems composed by her as can claim to deal with the positive aspects of love. The two examples cited above themselves cannot be regarded as ones coming exclusively under the above category, because of the sarcastic touch available in them which tends to obscure if not nullify the positive elements showing up in them.

However, there is one more poem named 'The Gulmohur' wherein the woman is shown sympathizing with her spouse beholding him caught in some unhappy situation concerning with probably his official work. Here in this poem against the usual practice the woman herself seems to be taking certain initiatives to pamper and to keep the husband in good humour. In the opening lines she extols his company as affording warmth and life to her:

my hands before i met him were cold as though
 they had reached
 out and touched a corpse i was so uneasy with them but
 in his room
 against his body my body summered my hands grew
 warm

(*Only the Soul Knows How to Sing*, 42)

In the concluding lines of the poem the same sort of affectionate and sympathetic gesture has been shown by the woman ostensibly as a moral booster therapy:

when i left him he was in the dark and so at the door i
 paused to ask
 shall i switch on the lights for you and he said his voice
 broken no
 don't bother after all darling there is your gulmohur and
 walking
 home i thought of his darkening room and prayed that he
 might win

(*Only the Soul Knows How to Sing*, 42)

The woman expressing all her goodwill towards the man does not forget to slyly express her own dissatisfaction as "he did not speak he did not stroke my cheeks or touch my hair." This ipso facto makes it clear that all the love and sympathies of the woman were not selfless but the same were meant for eliciting a befitting reciprocation. The poem is, in fact, a good specimen of the confessional poetry of Kamala Das. One reference available in the autobiography, wherein the poet herself has claimed that "during my nervous breakdown there developed between myself and my husband an intimacy that was purely physical," itself is

not free from grudge, and therefore, cannot be treated as an example of positive love. Herein the poet informs that during her above illness her husband nursed her attending to her needs personally. On one occasion she says:

After bathing me in warm water and dressing me in men's clothes, my husband bade me sit on his lap, fondling me and calling me his little darling boy. I accepted with gratitude his tenderness which was but lust, loud and savage, for it seemed like a good substitute for love. I was by nature shy....But during my illness, I shed my shyness and for the first time in my life learned to surrender totally in bed with my pride intact and blazing" (111-112).

Thus even in his sympathetic gesture the poet, out of sheer prejudice, tries to find out a selfish motive in her husband. It is obvious that in Kamala Das's poetry the positive aspect of marital love has been seldom expressed. On the contrary, there are countless poems of Kamala Das wherein the negative aspect of love has been depicted with candour and perfection recounting graphically the poet's pain and anguish at the unfulfilled love.

The poet's discontentment in love begins as early as her marriage which is rooted in her mismatched arranged marriage with Madhava Das, an employee with the Reserve Bank of India. If one goes by the narratives in her autobiography, it becomes clear that her repulsion for the husband was from the very first sight. Obviously, she did not find him up to her expectations personality-wise. This initial distraction kept growing and she began to find fault not only with his behaviour but also with his character and conduct. She even dubbed him as a selfish man interested only in lust, who had no sympathy or tender feelings for his wife. He, she says, was always preoccupied with his office work and had no time to spend with his wife or guts to read her psyche. This naturally resulted in domestic turmoil and the marriage seemed to have got crashed even before the take off. This unhappy situation of married life has been alluded to in various poems of Mrs. Das.

Here it is needless to enter into the details of this matrimonial discord and to fix responsibility for the above sorry state of affairs. It will, however, suffice to say that both wife and husband were temperamentally poles apart. While the wife was highly sensitive which is a natural corollary with a creative artist, the husband was a matter-of-fact man interested in attending to the basic needs of the family while discharging his duties in the office with equal indulgence. But the lady was not to be satisfied only with the basic amenities which included also the discharge of usual marital obligations being provided by the husband. She, in fact, needed a full-time lover who did not have any other works to do but to gratify the whims and aspirations of his wife. The concept of such a full-time lover is really a myth as in practical life it is an impossible craving. Consequently, in spite of all his efforts the husband failed to pacify his wife who eventually turned rebellious not only against the husband but the whole orthodox social

framework. She felt so much offended and dissatisfied that indicting her husband for indulging in extra-marital relations on a very flimsy ground decided to defile the marital bond herself by indulging in promiscuity. To justify her sexual aberration, in one of her poems 'Mortal Love' she dauntlessly declares:

Fidelity in love
 is only for the immortals,
 the wanton Gods who sport in their
 secret heavens and feel
 no fatigue. For you
 and me, life is too short
 for absolute bliss and much too long
 alas, for constancy.

(*Only the Soul Knows How to Sing*, 132)

Interestingly, this wisdom does not dawn upon the poet while taking her husband to task for a presumed sexual aberration on his part and going to the extent of rebelling against him. This shows that the poet wanted to justify her own extra-marital indulgence rather than caring for the consistency of her words and ideas already expressed on the subject. It is also curious that in a bid to justify her own moral degeneration she passes a sweeping remark against women in general casting serious aspersions against their character alleging that fidelity is true only in the case of immortals and not the mortals like them. In yet another poem 'Vrindavan' she gives expression to the similar thought:

Vrindavan lives on in every woman's mind
 and the flute luring her
 from home and her husband
 who later asks her of the long scratch
 on the brown aureola of her breast
 and she shyly replies
 hiding flushed cheeks, it was so dark
 outside, I tripped over the brambles in the woods....

(*Only the Soul Knows How to Sing*, 101)

Generalization of this kind that women are prone to transgress the canons of morality, so deeply engrained in them by the age-old Hindu religious scriptures, is so offending that even the ultra-moderns of today might find it difficult to stomach. Truly speaking, in such matters Kamala Das seems to be far ahead of her age and her feminine sensibility becomes too wayward to appeal to the common conscience. The poem also brings home comprehensively the point that women are not only vulnerable to love overtures but they also have the tendency of taking recourse to telling lies to hide their secret loves and the acts of immorality. As a matter of fact, in the matter of love Kamala Das suffers from a fear psychosis and finds herself so insecure that she cannot take the risk of allowing time to wait. Therefore, a sense of urgency and immediacy is always perceptible in her efforts to find an alternative in love. In her poem 'The Stone Age' she depicts a situation when she availing of the company of her husband immediately after his departure rushes to her lover:

When you leave, I drive my blue battered car
 Along the bluer sea. I run up the forty
 Noisy steps to knock at another's door.

(*The Old Playhouse and Other Poems*, 51)

Justifying her sense of urgency in her poem 'Mortal Love' she remarks that "life is too short for absolute bliss" meaning thereby that one should not concede leisure in the matter of love. Similar sentiments find expression in a few other poems of Kamala Das. In her poem 'The Stone Age' she invites questions as to:

.....Ask me why life is short and love is
 Shorter still, ask me what is bliss and what its
 price....

(*The Old Playhouse and Other Poems*, 51)

In yet another poem 'Beauty was a Short Season' the poet says:

Happiness,
 Yes,
 That was a moment or two
 And beauty
 A short season...
 For what hazy cause we outlive
 Like gnarled fruit trees
 The fecund season
 (Deshpande 1974: 32)

In these two poems, the poet expresses her concern about the inadequacy of time in view of the fact that beauty as well as life are but only transitory and love, which mainly subsists on the two, is shorter still. Therefore, to enjoy happiness in life it is imperative to avail every bit of time and opportunity to attain love. Here it is not gainsaid that by love the poet means the physical love and not the spiritual or metaphysical. Commenting upon this Devindra Kohli (1975) observes:

Thus the impression of haste and apparently uncontrollable energy given by Kamala Das's poems is in an important sense part of her poetic technique and conscious scrutiny, and not merely the result of her irrepressible and volatile personality as is generally believed to be the case (57).

How restive and impatient the poet is in her endeavour to find love capable of providing happiness and security in life, is conspicuously brought home in both her autobiography and poetry. Thus being unable to obtain the love of her aspirations from her marriage, Kamala Das without losing time resolves, "I knew then that if love was what I had looked for in marriage I would have to look for it outside its legal orbit" (*My Story*, 95). However, to realize the love of her dreams even outside the wedlock proved not that easy and for this the poet in the vein of a scientist had to adopt the trial and error method. She desperately made experiments and tried one after the other to locate the real kind of love. In this process she frequently changed her lovers and used and threw them like sanitary pads. She even turned promiscuous declaring, "Like alms looking

for a begging bowl was my love which only sought for it a receptacle....I was perhaps seeking a familiar face that blossomed like a blue lotus in the waters of my dreams" (118). This shows that she was not interested in merely getting a substitute in love but wanted one of her dreams. The intensity of search for a true lover was so great in Kamala Das that she could not remain a passive onlooker for the said 'begging bowl' but herself took initiative in finding one. She even asked her maid-servants to hire a young and handsome brick-layer working in the vicinity paying him a gold coin as a gift and a token of invitation (95). At this stage she found herself so "ripe for a sexual banquet" that she willingly succumbed to the flattery of one of her cousins (96). By her lax behaviour she rendered her so vulnerable that even a stranger, in connivance with her maid-servant, gained entry into her bedroom and even tried to commit rape. Relating the story in her autobiography she says:

The man threw himself down on my body with two strange groans. He smelt of stale liquor and under his weight my limbs became rigid and I wished to raise myself to vomit. Soon enough, after an incomplete rape, he rolled off my body and lay inert at the foot of the bed, hugging my cold feet. He kissed my toes. Won't you forgive me, child, he asked me. I was silent. Will you talk about this to people, he asked me. His mouth on my skin was hot. I shall forgive you, I whispered, but go away, go away....Then he fell asleep (107).

It looks very strange that the woman who discarded her husband for his savage and lustful behaviour allowed the intruder, who also committed the so-called 'incomplete rape' on her, to lie on the same bed hugging her feet and kissing her toes. Such rare gesture of sympathy towards a rapist is indeed phenomenal, the justification of which to an ordinary man is altogether elusive. Then she "fell in love with an extremely handsome young man" at the Khar Gymkhana where she played tennis (113). Besides the above, she was involved in many other love-affairs sometimes even in more than one simultaneously. But interestingly except one Carlo, her pen-friend-turned-lover, the names of the others have been suppressed and they have been addressed only by their certain marks of identification like 'the grey-eyed man', 'the man with a tattoo between the eyes', 'the aged man', 'the intelligent man', 'the old and stout man' etc. Of the above lovers the one whom she remembered most profoundly happened to be an elderly man she met at the airport. About her involvement with him she says in her autobiography:

Then at the airport I collided with the elderly man who had once fascinated me just by turning back to glance darkly at me. I had heard of his fabulous lusts. He drew me to him as a serpent draws its dazed victim. I was his slave. That night I tossed about in my bed thinking of his dark limbs and of his eyes glazed with desire. Very soon we met and I fell into his arms.....You are my Krishna, I whispered kissing his eyes shut. He laughed. I felt that I was a virgin in his

arms (180).

Obviously, this man was one who afforded her total fulfilment and happiness. Simplifying her mystical overtones by way of Radha-Krishna syndrome she even went to the extent of equating him with Lord Krishna. At this stage her quest for true lover would have ended but the same was not to happen and the relationship, barring a few meetings, persisted only in letter correspondence and that too only for a limited duration.

In another instance she is said to have admitted in one of her letters that she wrote poems to secure the love of a man breaking down his resistance (Kohli 1975: 29). Elsewhere also she is quoted to have said that "I began to write poetry with the ignoble aim of wooing a man. There is, therefore, a lot of love in my poems" (Murphy, 1970: 268). However, to her disappointment, the poet miserably failed in her quest for a true lover. Expressing her trauma in her poem 'Substitute' she says:

After that love became a swivel-door,
 When one went out, another came in
 Then I lost count, for always in my arms
 Was a substitute for a substitute.

(*Only the Soul Knows How to Sing*, 54)

In view of the above, one only feels pity for the self-suffered predicament of the poet, so much so that even after employing cheap tactics she could not succeed in her mission. However, the fact which emerges from the above discussion is that after ditching her husband on a very flimsy ground, she stooped very low for obtaining a substitute saying 'no' to none.

The conduct of Kamala Das appears to be very accommodating who seems to be equally, if not more, generous in squandering away the bounty of love to him who happens to come her way. Interestingly, while the woman protagonist of the above poem seems to entertain those who approach her for love, Mrs. Das goes far ahead of her by virtually launching a man-hunt to trap a lover herself. However, in her poem 'Composition' she vehemently denies it:

Reader
 you may say,
 now here is a girl with vast
 sexual hungers,
 a bitch after my own heart.
 But,
 I am not yours for the asking.
 Grovel at my feet,
 remove your monkey-suits and dance
 sing Erato Erato Erato,
 Yet I shall be indifferent.
 Not because of morality
 but because
 I do not feel the need.

(*The Old Playhouse and Other Poems*, 6)

In the above poem the poet expresses her resentment

and tries to rebuff those who are critical of her act of sexual promiscuity. As a matter of fact herein she tries to disown all about her sexual aberration, which she herself happens to have already shared with the readers earlier. The sharp and somewhat uncalled for reaction of the poet obviously in her defence can better be understood in the light of what she has spoken about her in her autobiography where she after having described all her extra-marital love affairs graphically eventually tries to belie the same:

I had shed carnal desire as a snake might shed its skin. I could no longer pretend either. I was no longer bed-worthy, no longer a charmer of lecherous men (*My Story*, 191).

Interestingly, she does not deny her various past love-affairs but only tries to defend her present position signifying that how can one who is devoid of sexual urge indulge in it now. She even says that since her love poems have been read by several people it is obviously on the basis of the same that a wrong impression about her being cheap has been created. In this way in the poem quoted above as well as in her autobiography the poet in utter helplessness tries to defend herself against the severe criticism evoked by her writings, though the arguments advanced in her defence are in a little variance in the two. In fact the poet had become the object of scorn and ridicule because of her outspokenness. Expressing her deep consternation on this she writes in her autobiography:

My articles on free love had titillated many. So I continued to get phone calls from men who wanted to proposition me. It was obvious to me that I had painted of myself a wrong image. I was never a nymphomaniac. Sex did not interest me except as a gift I could grant to my husband to make him happy. A few of our acquaintances tried to touch me and made indiscreet suggestions. I was horrified. When I showed my disgust at their behaviour they became my bitterest critics and started to spread scandals about me. If I were really promiscuous and obliging I would not have gained the hate and the notoriety that my indifference to sex has earned for me (192).

Elsewhere also vide her personal letter dated 30th October, 1985 she confides her agony to the addressee Mrs. Iqbal Kaur that her father was so upset at what she had spoken about herself in her poems and autobiography that he threatened to commit suicide.

In view of the above, it can easily be said that the poet in spite of all her rebelliousness against the orthodox society and the age-old tradition did not have the courage to withstand its ire directed against her utter waywardness. This *per se* jeopardizes the poet's claim as a feminist and the champion of women's cause. The persona of the woman which emerges from her writings is quite confusing which leads the reader nowhere making it difficult for him to form a definite opinion about her. On vital questions she takes a vacillating stand and makes it difficult to speak with precision as to whether the numerous sensational things told should

be treated as authentic or otherwise. In other words, in a psychological term the poet appears to be a case of split personality who presents herself as a queer blend of opposite traits. She at times seems to be bold but the next moment becomes meek and humble. She also cultivates a love-hate relationship with her husband.

Suffice will it, however, to say that the concept of love of Kamala Das is quite a complex subject as the kind of love she yearns for is, in fact, not possible to discover. She wants a full-time lover who remains indoors devoting all his time to her service doing things and behaving in the manner she likes. But the question is as to how such a person can run the household, who doesn't go out to earn his livelihood, for which the poet is not inclined to concede liberty. In view of this it cannot be possible for the man to provide security which she equally aspires for along with love. Besides, she wants her lover also to be dashing, flamboyant, and endowed with a beautiful personality represented by good hair, teeth, gait etc (cf. *My Story*, 81-83). Obviously, all these qualities cannot be found in a single individual. But still the poet engages herself in a wild goose chase trying as if to catch the mirage by running after extra-marital relations. It is not that she is oblivious of the fact that all the qualities of an ideal lover cannot be had in one person. Therefore, in her article 'Why Not More Than One Husband?' she hails polyandry as an ideal form as it is by way of it that persons of different qualities can be had as husbands who can commonly represent as an ideal lover of the poet's imagination. She writes:

I plead for the return of a social order that allowed a woman to have more than one husband if she so desired. Things change or end. But the blood is an eternal river, and in my veins flows the robust blood of my ancestresses who married two or more men and were happy (35).

No wonder it is, therefore, to behold her fascinated from her early childhood by the character of Draupadi and her five husbands representing different traits and qualities. In her autobiography she states:

The tales were picked up from the Mahabharata. The one I liked best was Kalyana Sougandhikam, which narrated the exploits of Bhima who went in search of the legendary flower that grew in a demon's garden, only because his wife Draupadi desired to adorn her hair with its petals. In daydreams I too became a Draupadi who commanded her adoring mate to brave the demons to get flowers for her wavy tresses.... (31).

Thus the poet, who has been profoundly hailed as a champion of the feminist cause and as a progressive person having rebellious instinct, eventually tries to seek refuge in the system of polyandry, which has been rejected even by the orthodox society as an old and uncivilized custom. Obviously, the poet has nothing to do with any lofty feminist cause she is generally associated with. She seems to be interested only in getting her personal whims and aspirations fulfilled, whether that is done by rejecting or accepting the

old system does hardly matter to her. Her ideas and expectations of love actually remind us of the mythological nymphs like Menaka, Urvashi and Rambha who were free to enjoy love with anyone ranging from Gods to demons and even mortals of some consequence. The poet seems to play the role of a nymph but unfortunately the same is not possible in the case of ordinary human beings and if one ventures to tread in this forbidden path one cannot escape the wrath of the society. This is what exactly happened in the case of Kamala Das. Interestingly, she always tries to behave like a nymph but would resist vehemently against being called a nymphomaniac. She is however aware of the ill fate of the free love and compares the fate of one indulging in it with that of a Devadasi who in her early childhood is brought to a temple and wedded to god with the sole responsibility of singing and dancing before the idols. Such girls are sexually abused by the priests and their men. This indiscriminate carnal indulgence makes them emotionless and devoid of heart and memory rendering them unable to make a distinction between man and man. In her poem 'Lines Addressed to a Devadasi' Kamala Das thus says:

Ultimately there comes a time
 When all faces look alike
 All voices sound similar
 And trees and lakes and mountains
 Appear to bear a common signature.
 It is then that you walk past your friends
 And not recognize
 And hear their questions but pick
 No meaning out of words
 It is then that your desires cease
 And a homesickness begins
 And you sit on the temple steps
 A silent devadasi, lovelorn
 And aware of her destiny....
 (*Tonight this Savage Rite*, 20)

The fact that emerges from the above discussion makes it possible to regard Kamala Das as a most individualistic person. She believed in promiscuity of love and sex. Therefore, she fails to cultivate a lasting relationship either with her husband or any of her lovers. She clearly believes in the maxim that self-interest is the best interest. This has a far-reaching effect on her marital relationship, which leads the poet to remain ever-frustrated and insecure. It looks quite amazing that while expecting a lot from her husband she does not want to concede even a bit to him, so much so that allowing him a physical access she considers an act of obligation done to him. Therefore, one is but only amused to see that a woman, who is willing to squander away her love on anyone and everyone who comes her way, should be so harsh and unobliging to her own husband. Since Mr. Das was extraordinarily tolerant, he adopted the principle of forgive-and-forget towards his wife's follies, foibles and fantasies.

But, in spite of this, interestingly there are a host of persons including interviewers asking the poet as to why did she not divorce her husband, whereas such questions more appropriately should have been posed before the poor husband. Obviously this was not done because the man belonged to the so-called belligerent sex. As a result, he had to languish facing both the bullying of his wife and the ridicule of the society. It is not that the poet does not know of her own position as a wife. In her article 'I Have Lived Beautifully' she thus concedes:

I could not allow myself to be domesticated, I could not demand as other wives did a permanent home, a little flat bought on the instalment plan, for I never had any faith in a future, or in its healings. I was never entrusted with housekeeping. My only duties were the bed-connected ones. The ladies of the neighbourhood eyed me with a suspicion; was I immoral? I often walked with young men along the sea flaunting my unconventionality. I had thick long hair curling at the edges which I wore loose like a cape. Sometimes I removed my sari and waded into the sea while my friends watched me, laughing (41).

The excerpt quoted above is self-revealing. The mind-boggling disclosures of a married woman of her personal traits like this and her abhorrence to the norms of a civilized society including her brazen disregard to the sanctity of the institution of marriage must serve as an eye-opener to those who in the name of feminism and women's liberation seek to defend the acts and conducts of such an abnormal being making a common cause with her. While doing so it should have been clearly appreciated that such open disregard to social obligations and the norms of civility cannot form the part of as popular a movement as feminism or the women's lib. In this way the personality of the woman as depicted in the writings of Kamala Das is not that of an ordinary woman but of a rare woman who wishes always to keep herself engaged in free love, the parallel of which cannot be found except in the celestial beings like fairies and nymphs. It is, therefore, the husband who seems to be beleaguered and capable of arousing the sympathies of an impartial observer and not *vice versa*.

As related in both her prose and poetry, Kamala Das has a strong distaste for her husband as she does not find him a man of her dreams. Plainly speaking, it was a case of hate at first sight. Recalling in *My Story* her impressions of the first meeting with her would-be husband, she says that "he was thin, walking with a stoop and had bad teeth...." (81). It therefore appears that the horrible picture painted by her of the wedding night and a few subsequent private meetings with her husband is all wishful and flimsy. The depiction of her experience of the wedding night seems to be a dramatized version of a normal incident:

Then without warning he fell on me, surprising me by the extreme brutality of the attack. I tried unsuccessfully to climb out of his embrace. Then bathed in perspiration and with my heart palpitating wildly, I begged him to think of

God. This is our wedding night, we should first pray to Krishna, I said (*My Story*, 89).

Similarly, in her poem 'An Introduction' also she has narrated her experience of her first physical encounter with her husband in a dramatic way highlighting that when she was expecting tenderness from her husband she got physical blows from him:

.....When
 I asked for love, not knowing what else to ask
 For, he drew a youth of sixteen into the
 Bedroom and closed the door. He did not beat me
 But my sad woman-body felt so beaten.
 The weight of my breasts and womb crushed me.
 (*The Old Playhouse and Other Poems*, 26-27).

The exaggeration like this of a common experience of marital life shows that the poet who by nature is not inclined to stick to a single mate tries to justify her promiscuous behaviour shifting the entire blame upon her husband for his savage treatment. But, in fact, in spite of all her pleas to vindicate her free-for-all love instinct, she has failed to convince the reader of her sexual aberration, the parallel of which cannot be found in ordinary mortals. As pointed out earlier, in the matter of love and sex she can well be compared with mythological celestial beings known as fairies and nymphs constituting the dance troupe of the courts of Indra and Kubera. In this context the name of one such nymph Urvashi is worth-quoting who curtly tells her husband Puroorava "I am like the wind difficult to catch" (*Shatpatha Brahmana*. IX.5.1.7). Kamala Das seems to be no less free than Urvashi whom Madhava Das, in spite of all his efforts, miserably failed to ever catch and she remained free to go her own way in the matter of love and sex.

References:-

1. Chavan, Sunanda P. (1984) *The Fair Voice*. New Delhi:

2. Sterling Publishers.
3. Das, Kamala. (1965) *Summer in Calcutta*. New Delhi: Everest Press.
4. _____. (1967) *The Descendants*. Calcutta: Writers Workshops.
5. _____. (1973) *The Old Playhouse and Other Poems*. Bombay: Orient Longman Ltd., 1986.
6. _____. & Pritish Nandy (1979) *Tonight This Savage Rite*. New Delhi: Arnold-Heinemann.
7. Das, Kamala. (1988) *My Story*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1996.
8. _____. (1996) *Only the Soul Knows How to Sing*. Kottayam: DC Books.
9. _____. (1972) "Why Not More Than One Husband?" in *Eve's Weekly*, 6 May 1972: 35.
10. _____. (1975) "I Have Lived Beautifully" in *Debonair*, Vol. III, No.5, 15 May 1975 : 41.
11. Deshpande, Gauri (ed.) (1974) *An Anthology of Indo-English Poetry*. New Delhi: Hind Pocket Books Pvt. Ltd.
12. Dwivedi, A.N. (2000) *Kamala Das and Her Poetry*. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors.
13. Kaur, Iqbal (ed.). (1995) *Perspectives on Kamala Das's Poetry*. New Delhi: Intellectual Publishing House.
14. King, Bruce. (2001) *Modern Indian Poetry in English*. New Delhi: Oxford University Press.
15. Kohli, Devindra. (1975) *Kamala Das*. New Delhi: Arnold Heinemann.
16. Murphy, Rosalie (ed.) (1970) *Contemporary Poets of the English Language*. Chicago: C. Day Lewis.
17. Nair, K.R.R. (1993) *The Poetry of Kamala Das*. New Delhi: Reliance Publishing House.
18. Rahman, Anisur. (1981) *Expressive Form in the Poetry of Kamala Das*. New Delhi: Abhinav Publications.

Environmental Pollution and Health Risks

Dr. Sunil Kumar Soni*

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. Kusum PG College, Seoni Malwa, Dist. Narmadapuram (M.P.) INDIA

Introduction - Pollution is undesirable change in the quality of our environment (land, water and air) that may adversely affects human life and the life of the desired species of plants and animals. The natural environment is in danger of becoming polluted because of the rapid industrial growth. The present concern for presentation and conservation of environment arises from the hazardous impact on human health. Environmental pollution causes global warming a threat to the whole civilization. Reckless and regular exploitation of natural resources is causing serious impact on the purity of environment. The spread of many diseases and threat of extinction of many species of plants, birds and animals are visible impact of environmental pollution. Air, water and land are the three basic amenities of life. Increase in population coupled with industrialization and urbanization has led to the contamination of these amenities with undesirable and harmful substances leading to health risks. These so called harmful substances termed as 'pollutants' are the by-products of man's action. Pollutants are basically of two categories namely degradable and non-degradable. The degradable ones include domestic wastes and sewerages which decompose easily. The non-degradable ones like inorganic compounds, metallic oxides, plastic, radioactive elements etc. either take a long time to decompose or do not degrade by natural or biological process.

Environmental pollution can be classified as air pollution, water pollution, land pollution, radiation pollution, and noise pollution. All these lead to a number of health risks.

The World Health Organization defines air pollution as the presence of materials in the air that are harmful to man and his environment. The sources of air pollution are: the industrial pollutants released into the air from the chimneys of industrial units and power houses. We continually breathe air throughout our life at the rate of 6-8 times per minute. Oxygen we breathe through the air combines with haemoglobin and is supplied to cells for intracellular respiration. Pollutants we breathe along with air may adversely affect the life processes. Oxides of sulphur (SO₂) cause suffocation and adverse effects on

upper respiratory tract; oxides of nitrogen (NO_x) cause irritation of eyes and nose; carbon monoxide causes headache, dizziness, nausea and competes with oxygen in respiratory metabolism. Oxidants e.g. ozone disturb lung function, induce coughing. It also causes irritation of eyes, nose and throat. Hydrogen fluoride causes respiratory diseases and general irritation. Chlorine causes irritation of eyes and nose and respiratory system and diseases. Lead causes impotency and mental retardation. Many more chemical hazards are liver diseases like acute liver toxicity, liver cancer, hypertension, anaemia, allergic, acne, skin cancer and for all such diseases causes are cleaning fluids, dry cleaning, plastic, degreasing refrigeration, lead smelting, solvent and soap manufacturing varnish, petroleum refinery etc. Industries like battery, chemical industries, pesticides, mining, construction, sandblasting, coal, plating and metal refining are responsible for such diseases as acute chronic renal failure, irritation, inflammation and cancer as they release chemical agents like mercury, cadmium, chloroform, solvents, ammonia, inorganic dust, chromium etc.

The radiations emitted or leaked by the nuclear power plants and other nuclear installations result in contaminating the environment. The radiations cause diseases like skin cancer, leukaemia, congenital defects, skin redness, premature skin ageing, cataract and other eye problems. X-rays, gamma rays, ultraviolet, infrared, laser is the main responsible sources of radiation which causes such diseases. Humans are exposed to broad range of electromagnetic frequencies by electric power, video, radio, microwave, cellular telephones, radar, heat lamps, satellite stations etc. Mobiles/cell phones have become part of everyday life. Major health effects are heart palpitations, disturbances of the digestive system, burning and tingling sensations in the skin of the head and extremities, risk of ear tumours, neurological disorders, behaviour changes, headache, sleep disturbances, sickness, amnesia and loss of mental attention, fatigue and dizziness.

Water another basic necessity is highly polluted and causes endless health hazards. The water pollutants include domestic sewerage, industrial waste like caustic soda,

mercurous oxide, lignite, sulphur cyanides, ammonia etc. and chemical inputs like fertilizers, pesticides and insecticides used for increasing agricultural productivity. Polluted water is the main cause of spread of epidemic diseases like cholera, jaundice, dysentery, typhoid, gastroenteritis etc. In urban areas, the slums are on the rise, they do not have a safe and separate drinking water sources. Human beings and domestic animals inhabit the place and use the same source for all their needs i.e. of drinking, bathing and washing. A large number of deaths occur due to these epidemic diseases every year during the rainy season. Industrial units which dump mercury, lead, copper, zinc and other metals and their oxides in the water resources cause nervous disorders and even brain damage. The aquatic organisms which consume these pollutants, when consumed by man lead to variety of health risks. Dyeing industrial units release dyes into the water sources. Human beings and animals suffer in their biological process. The insecticides and pesticides that are spread on the crops find their way into the human system and create disturbances with its functioning. Industrial units dump large quantity of ash. It causes diseases like cough, asthma etc. Noise is an unwanted sound. Health effects of noise pollution are annoyance, headache, fatigue, sleeplessness and mental restlessness. It upsets chemical balance and cholesterol levels. It also dilates blood vessels affecting brain and heart. Noise pollution causes auditory fatigue, gradual loss of hearing and loss of sensitivity to certain frequencies.

It is quite obvious that the government and the citizens both should be serious about these health risks. It is the duty of every citizen and our government to save our environment. Programmes like Ganga Action Plan should be encouraged to make our water and land sources less polluted. The government should be very strict to stop mining in forest areas. In our country, the Supreme Court has played a very crucial role to save the environment. The

Supreme Court has forced the government to adopt strict vehicular emission norms in the principal metropolitan cities. In 1982, International Conference on Environmental Education was held in New Delhi and emphasized the need for a massive programme of environmental education, research and monitoring. The conference specifically emphasized that environmental education must start from primary classes. World Charter on Environment, adopted by UN General Assembly on 28th October 1982, declared that nature shall be respected and its essentials shall not be impaired. Conservation of nature should be a part of all economic planning. Though the government is quite serious to protect the environment, yet it is the duty of every industrialist and every citizen to understand well the necessity of preserving the nature and purity of environment not only for ourselves but also for coming generations. There is a vital need of creating awareness among the masses. The administrative and voluntary organizations can do this by showing films and clips of pollution and its dangerous results on human beings. The electronic media can also play an important role in this regard. Laws are made and laws are being framed, but more important is the proper implementation of these laws to achieve the desired results.

References:-

1. World Health Organization website: <http://www.who.int/>
2. Environmental Issues website: <http://environment.about.com/>
3. Bhola R. Gurjar, Luisa T. Molina, C.S.P. Ojha (2010). Air Pollution: Health and Environmental Impacts. CRC Press. ISBN 978-1-4398-0963-1.
4. Lorna Fewtrell, Jamie Bartram (2001). Water Quality: Guidelines, Standards and Health. IWA Publishing. ISBN 1-900222-28-0.
5. P.C. Mishra (1989). Soil Pollution and Soil Organisms. A PH Publishing Corporation. ISBN 978-81- 313-0344-3.

Fiscal Policy in India: Concepts and Objectives

Dr. Rajshree Chouhan*

*Assistant Professor, B.N. University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - This paper aims at explaining the main concepts and objective so fiscal policy in India. For achieving this objective, a brief literature review has been undertaken which provides analysis of the theoretical and empirical research on the connection between economic activity and fiscal policy, with a focus on output fluctuations and long-term economic growth. Empirical evidence regarding these relationships is generally weak and ambiguous.

Keywords: Fiscal policy; Economic growth; Government Expenditure; Taxation.

Introduction - India is one of the fastest growing economy among the emerging economies of the world. Therefore, formulating an efficient economic policy plays an important role in maintaining its growth. Any policy that is concerned with the maintenance of economic health of a country may be called as economic policy. Fiscal policy is one of the constituent policies of an economic policy framework of any country. Fiscal policy is the policy that is concerned with the budget of an economy. The fiscal policy should determine the amount and structure of public spending that flows from the government to the economy and vice versa. It is one of the powerful tools in the hands of the government that helps it to achieve its goal of development. The short-term aim of fiscal policy is to maintain the stability during the course of fluctuations and in the long run fiscal policy may be used to introduce the structural changes in an economy. The main component of the fiscal policy includes the taxation policy, public expenditure, public debt management and other types of the development expenditure.

Since the early 1990s, India's fiscal system has undergone substantial reform, especially in the taxation sector. This has helped to dramatically transform the Indian economy, along with other fundamental economic reforms, resulting in much higher economic growth and, for the first time since Independence, a decline in the total number of people living below the poverty line (OECD, 2007).

Important fiscal concepts: It's crucial to define a few fundamental ideas right away. The simplest is probably the distinction between capital flows, which include receipts and expenditures, and revenue. Although these concepts have a number of intricate legal and formal definitions, it is thought appropriate to provide some stylized and simplified conceptual explanations.

The revenue budget refers to the that part of the

government budget which includes the revenue receipts and revenue expenditure of the government. In this total revenue receipts i.e., tax and non – tax receipts and total revenue expenditure like old age pension, salaries, defence, subsidies, interest etc. are included. Whereas, capital budget refers to that part of the government budget which includes the capital receipts and capital expenditure of the government. In this total capital receipts like amount received from disinvestment, borrowed funds etc., and total capital expenditure like expenditure on development of infrastructure, industries, education, health, agriculture, transportation, etc., are included.

Revenue receipts refer to those receipts of the government which neither reduces assets and nor increases liabilities of the government. These receipts are of recurring nature and the purpose of these receipts is to meet regular expenses of the government. The revenue receipts of the government include tax receipts and non – tax receipts for instance all taxes, fines, fees, penalties, interest, dividend etc. Whereas Capital receipts refer to those receipts of the government which either decreases assets or increases liabilities of the government. These receipts are of non – recurring nature and the purpose of these receipts is to increase liabilities or reduces assets of the government. The capital receipts of the government are non – tax receipts for instance loans and advances from public, loans from abroad, disinvestment amount etc.

Revenue expenditure refers to those expenditure of the government which neither increases assets nor decreases liabilities of the government. These expenditures are of recurring nature and the purpose of these expenditures is to meet regular expenses of the government. The revenue expenditures of the government include expenditures on day to day running of the government or these are consumption expenditures for

instance old age pension, Salaries, Defence, subsidies, interest etc. Whereas Capital expenditure refers to those expenditures of the government which either increases assets or decreases liabilities of the government. These expenditures are of non – recurring nature and the purpose of these expenditures is to increase investment and production capacity of the country. The capital expenditures of the government are development expenditures and includes the following expenditure on development of infrastructure, industries, education, health, agriculture, transportation, etc.

The revenue deficit arises in the government budget when government's total revenue expenditure is greater than government's total revenue receipts. It means the government's current income is not sufficient to meet its current expenditure.

Revenue Deficit $\rightarrow$ Revenue receipts < Revenue expenditure

Or

Revenue Deficit = Revenue expenditure – Revenue receipts

Revenue deficit means that the government's revenue expenditure is greater than government's revenue receipts. It means the government's current income is not sufficient to meet its current consumption expenditure. In this case the government must borrow loans and advances to meet the excess expenditure requirements. The consumption expenditure of the government includes expenditure like old age pension, salaries, defence, subsidies, interest, etc., then the borrowed funds will be used to meet these expenditures that are unproductive in nature. Hence, this creates the problem of repayment of loans as well as repayment of interest on loans. This affects the entire economy adversely. The Revenue deficit leads to rise in prices and hampers the process of economic growth.

The fiscal deficit arises in the government budget when government's total expenditure (revenue + capital) is greater than government's total receipts excluding borrowings (revenue + capital receipts excluding borrowings). It means the government is not having sufficient resources to meet its expenditure requirements. The fiscal deficit of the government represents the borrowings of the government hence it is always equal to the borrowings.

Fiscal deficit = Borrowings

Or

Fiscal deficit $\rightarrow$ Total expenditure (revenue + capital) > Total receipts excluding borrowings.

Or

Fiscal deficit = Total expenditure – Total receipts excluding borrowings

Here,

Total expenditure = Revenue expenditure + Capital expenditure

Total receipts excluding borrowings = Revenue receipts + Capital receipts net of borrowings.

Fiscal deficit means that the government's total expenditure (revenue + capital) is greater than governments' total receipts excluding borrowings. In this case the government has to borrow loans and advances to meet the excess expenditure requirement. If the increases in the government's total expenditure is because of increase in the consumption expenditure of the government like old age pension, salaries, defence, subsidies, interest, etc., that the borrowed funds will be used to meet these expenditures that are unproductive in nature. Hence, this creates the problem of repayment of loans as well as repayment of interest on loans.

Whereas if the increase in the government expenditure is because of the increase in investment expenditure of the government like expenditure on development of infrastructure, industries, education, health, agriculture, transportation, etc, then this leads to the increase in the production capacity of the country as a result of this there will be increase in employment, income, output etc. Hence, the borrowed loan as well as interest on loan can be paid easily.

The primary deficit may be defined as the difference between fiscal deficit and interest payment. It can be calculated by subtracting interest payment from fiscal deficit.

Primary deficit = Fiscal deficit – Interest payment.

Fiscal deficit is nothing but total borrowings of the government during the current year. Total borrowings also included borrowing on account of interest payments. Therefore, out of total borrowings requirement i.e., fiscal deficit if we deduct borrowings on account of interest payments, we get the primary deficit, which indicates borrowing requirements of the government other than to make interest payments. Thus,

Fiscal deficit = Primary deficit + Interest payments

If primary deficit in a government budget is zero, it means fiscal deficit is equal to interest payment. It implies that the government must borrow only on account of interest payments.

Literature Review

Numerous academic works are taken into consideration when evaluating fiscal policy, and its efficacy is determined by how it affects long-term sustainable economic growth. It makes sense to begin with Keynesian theory in the literature on the efficacy of fiscal policy. The sticky price and excess capacity in the Keynesian model are assumed to be contrary to classical economics, meaning that output is determined by aggregate demand, and government spending multiplies both output and aggregate demand (Coddington, 1976).

Some of the Keynesian model's extensions, however, permit the crowding-out effects of fiscal policy, which is the idea that increasing government spending drives away private demand and subsequently has a negative impact on output through fluctuations in interest rates and exchange rates in the case of an open economy (Mundell, 1963; Fleming, 1962).

In recent decades, the empirical literature on fiscal policy has examined the role of institutional framework in various contexts, including politics, democracy, economic freedom, and corruption. For example, Nelson and Singh (1998) contend that while a democratic political system encourages voluntary activity, it also fosters the competitive market forces necessary for economic expansion. They also stress how development is hampered by the ineffectual democratic regimes in developing nations.

India started down the path of planned development in 1950 when the Planning Commission was established. In that year, the nation also ratified a federal constitution with strong unitary features, which gave the federal government the upper hand when it came to planning for economic growth (Singh and Srinivasan, 2004).

Endogenous growth theory, according to Lopez et al. (2010) and the IMF (2015), identifies four primary mechanisms through which tax and spending reforms by the government may boost long-term growth are physical capital, human Capital, total factor productivity, and labour supply.

The objectives of the fiscal policy:

- i. The primary goal of fiscal policy is to ensure rapid economic growth and progress. **Economic resource mobilizations** help to achieve the goal of economic growth and development.
- ii. Both the federal and state governments have made an effort **to allocate funds** in an economical manner. These funds are designated for development activities, which include building infrastructure, railroads, and other projects, as opposed to non-development activities, which include paying for defence projects, interest payments, subsidies, and other things.
- iii. The goal of fiscal policy is **to reduce financial gain disparities** amongst completely different segments of society in order to achieve equity or social justice. Wealthier people pay higher direct taxes, such as income tax, than do those from lower income brackets. When it comes to semi-luxury and luxury goods, which are primarily purchased by the upper and middle classes, there are additional indirect taxes.
- iv. Controlling inflation and maintaining value is one of economic policy's primary goals. Thus, the government's constant goal is **to control inflation** through lowering fiscal deficits, enacting tax breaks, making efficient use of the economy's resources, etc.
- v. The government is making every effort possible **to increase employment** levels in the nation by implementing sensible business enterprise policies. Both direct and indirect employment has been produced by infrastructure investment. Reduced taxes and duties on small-scale industrial (SSI) units promote more investment, which in turn creates more jobs.

The Indian economy heavily relies on economic policy. The government can achieve balanced national

development by fixing industries within the public sector in these geographical areas, reducing disparities, maximizing the use of resources, distributing value correctly, and offering commercial enterprise incentives to the private sector. The entire cost of government disbursements is covered by revenue, and overall, the budget's result has no effect on the level of economic activity. An expansionary approach to economic policy entails the government spending extraordinary amounts of tax money. When government spending declines relative to revenue, a contractionary economic policy is implemented.

Conclusion and policy recommendations: According to this paper, effective use of policy tools such as public expenditure, taxation, borrowing, and deficit financing allows fiscal policy that supports economic development, worth stability, social justice, etc. to be achieved. While acknowledging the shortcomings in India's current economic policy, there is also a pressing need to rationalize and focus on growth in the policy. The implementation of economic policy necessitates the timely adoption of appropriate measures and their efficient management. Achieving rapid economic development for the nation is one of the main objectives of the economic policies that the Indian government has developed. In order for the nation to experience this kind of economic growth, its economic policy has to accelerate the nation's productive investment in both the public and private to raise the average and marginal savings rates in order to raise enough money to invest in the public and private sectors of the economy. Optimal resource use, which will replicate the beneficial effects on the Indian economy.

References:-

1. Anderson, J. E. (2005). Fiscal Reform and its Firm-Level Effects in Eastern Europe and Central Asia, Working Papers Series wp800, William Davidson Institute at the University of Michigan.
2. Fleming, J.M. (1962), "Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates", Staff Papers, Vol. 9 No. 3, pp. 369-380.
3. Hansen, Bent (2003). The Economic Theory of Fiscal Policy, Volume 3. Routledge.
4. International Monetary Fund (IMF 2015). Fiscal Policy and Long-term Growth, IMF Policy Paper.
5. Kumar, Rajiv and Alamuru Soumya. 2010. "Fiscal Policy Issues for India after the Global Financial Crisis (2008-2010)." Asian Development Bank Institute, Working Paper No. 249.
6. Lopez R., Thomas V. and Wang Y. (2010). The Quality of Growth: Fiscal Policies for Better Results, IEG World Bank.
7. Mundell, R.A. (1963), "Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates", Canadian Journal of Economics and Political Science/ Revue Canadienne de economies Et Science Politique,

- Vol. 29 No. 4, pp. 475-485.
8. OECD (2007a), Economic Survey: India 2007, OECD, Paris.
 9. Rao, N. Govinda and R. Kavita Rao. 2006. "Trends and Issues in Tax Policy and Reform in India." India Policy Forum.
 10. Singh, Nirvikar and T. N. Srinivasan. 2004. "Fiscal Policy in India: Lessons and Priorities." Paper for the NIPFP-IMF conference on Fiscal Policy in India, New Delhi.
 11. Supriyo De, "Fiscal Policy in India: Trends and Trajectory" 2012.

कृष्णासोबती की लेखनी से : स्त्री विमर्श के मायने

डॉ. अनुषा बंधु*

* सहायक आचार्य (विद्यासम्बल योजना) राजकीय महाविद्यालय, रेलमगरा (राजसमन्द) (राज.) भारत

शोध सारांश – किसी भी समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्त्री-पुरुष के बीच में सामंजस्य की भावना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी एक के शोषण से समाज में द्वन्द्व की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज में प्रचलित मान्यताएँ, परम्पराएँ, जीवनशैली एवं सामाजिक संगठन का पूर्ण ढांचा साहित्य द्वारा प्रतिबिम्बित होता है। हिंदी साहित्य में प्रारम्भ से ही सामाजिक विकास के रंग-ढंग, साहित्य में प्रकट होने लगे थे। साहित्यकारों ने समाज और परिवार में घटित घटनाओं को प्रारम्भ में अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन समय के साथ साथ महिलाओं की जीवन शैली, परम्पराओं, मान्यताओं व दैनिक जीवन में तनाव, घुटन, द्वन्द्व, स्वतंत्रता की चाह, पुरुषवादी विचारधारा एवं पारम्परिक मूल्यों के प्रति विद्रोह, स्त्री अस्मिता की तलाश एवं उसकी, सार्थकता, आत्मसजकता, बौद्धिकता, शारीरिक संघर्ष, जघन्य क्रूरताओं के प्रति विरोध आदि स्वर साहित्यिक रचनाओं में निकलकर सामने आने लगे। जिन्हें विभिन्न साहित्यिक आंदोलनों एवं विमर्शों के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ हम स्त्री विमर्श को दृष्टि में रखकर विषय को समझना चाहें तो स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केन्द्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। हिन्दी साहित्य में स्त्री विमर्श अन्य अस्मितामूलक विमर्शों की भाँति ही मुख्य विषय रहा है जो कि लिंग विमर्श पर आधारित है।

कथा साहित्य के जगत में कई साहित्यकारों ने स्त्री विमर्श पर अपनी लेखनी चलाई परंतु कृष्णा सोबती का नाम साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक लेखिकाओं में बेबाक एवं यथार्थ लेखन के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य में नारी की अस्मिता को प्रमुखता से उठाने में उनकी महती भूमिका रही है। यस्त्री विमर्श का मुद्दा वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रमुख विषय हैं स्त्री विमर्श की सशक्त हस्ताक्षर कृष्णा जी की रचनाओं में आत्मीयता का भाव प्रवीणता के साथ साथ कभी न मरने वाले सत्य की तलाश, जिज्ञासु मन में गहरी समझ की तीव्र आकांक्षा व्यक्त करते हैं।

शब्द कुंजी –उत्पीड़न, दुराग्रह, बेबाकपन, समानता, रुढ़िवादी।

प्रस्तावना – कृष्णा सोबती के साहित्य में पाठक को हर बार नवीन विचारधारा के साथ नए अर्थ, संदर्भ और चरित्रों के भीतर नए द्वन्द्व की अनुभूति होती है। उनकी रचनाओं में प्रत्येक शब्द, हरबार नयी सोच, छटपटाहट की तहें, नयी सुबह का अहसास, हर एक नए अर्थ की एक अलग दिशा प्रदान करते हैं। पाठक अपने दृष्टिकोण से इन तहों को सुलझाने में उलझकर उनको सही करने का प्रयास करता है।

कृष्णा जी ने नारी जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का अपने कथा साहित्य में अनेक पात्रों के माध्यम से चित्रण किया है। स्त्री के दमन, उत्पीड़न एवं संघर्ष और मुक्ति की आकांक्षा को लेखिका ने अपने साहित्य में यथार्थ रूप से अभिव्यक्त किया है। सदियों से दासत्व की मानसिकता, पारम्परिक दुराग्रह और कर्तव्यों के बोझ तले दबी नारी उपेक्षित, तिरस्कृत और शोषित रही। स्त्री के बोझ तले दबी नारी उपेक्षित, तिरस्कृत और शोषित रही। स्त्री के लिए शिक्षा, वैचारिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। इसी सोच के साथ उन्होंने लेखन को अनवरत रखा।

स्त्री जीवन की यथार्थता को प्रखरता से प्रस्तुत करने में कृष्णा जी का कोई सानी नहीं है। कविता से अपने लेखन यात्रा को आरम्भ करते हुए कथा साहित्य में भी उन्होंने महारत हासिल की है। उन्होंने जिस भी विषय पर लिखा उसमें पूर्ण बेबाकपन दिखाई दिया है। राजेन्द्र यादव उनके विषय में लिखते हैं कि 'कृष्णा जी ने लिखा बहुत कम है –लम्बी कहानी या लघु

उपन्यास जैसी चार पाँच चीजें, चार पाँच कहानियाँ उपलब्धि है। लेकिन मोती चुनना, पच्चीकारी या जरदोजी की महीन-नफीस कारीगरी शब्द को कोई भी ऐसा नाम दिया जा सके तो हिन्दी में वह सिर्फ कृष्णा जी ने किया है। एक शब्द वाक्य, कौमा, फुलस्टाप जैसे हफ्तों के परिश्रम से आया है। वे भयानक परफेक्शनिस्ट हैं। अपनी कलम से कभी भी उस चरित्र को बाहर आने नहीं देंगी, जिसकी सारी नोंक पलकें उन्होंने दुरस्त न कर ली हो।'¹

पुरुष प्रधान समाज में नारी को स्वतंत्रता से सोचने, बोलने व कुछ करने का संवैधानिक अधिकार नहीं। समाज उसे लताइता है, परंतु नारी अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व बनाए रखने, समाज में पुरुष के समान दर्जा पाने के लिए प्रयासरत है। कृष्णाजी के कथा साहित्य की नारी समाज में संघर्ष करती दिखाई पड़ती है। समस्याओं से घिरी होने के बाद भी वह उसे हल करने का प्रयास करती है, जिसमें उसे सफलता भी मिलती है। उनके नारी पात्र जुझारू, आत्मसम्मान, परिस्थितियों से जूझने वाले एवं सहज रूप से आगे बढ़ने वाले हैं।

कृष्णा जी के कहानी साहित्य में नारी एवं परम्परा के कई रूप उद्घाटित हुए हैं। यबादलों के घेरये कहानी संग्रह की विभिन्न कहानियों में विधवा समस्या का चित्रण हुआ है। 'बदली बरस गई' कहानी में कल्याणी की माँ विधवा होने के बाद आश्रम का जीवन जीने के लिए मजबूर है। कल्याणी की चाची एवं दादी उसे वहाँ रहने के लिए मजबूर करती है। पिता की मृत्यु के बाद

माँ असंख्यवार रोती थी, चाची और दादी के कलह से निकलकर रात को माँ का रोना नया नहीं था। माँ जो आश्रम में आकर बैठ गई है वह क्या दादी-अम्मा की उन बातों को भूला देने के लिए। 'कुछ नहीं कोई नहीं' कहानी में शिवा अपने प्रेमी आनंद की मृत्यु हो जाने के पश्चात अकेली पड़ जाती है। विधवा होने के कारण वह अभिसप्त जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ शिवा स्वयं कहती है 'कहा रहूंगी, कहा जाऊंगी, कुछ पता नहीं।' मैं किसी की कुछ नहीं, कोई नहीं।²

'अभी उसी दिनही तो' कहानी में सकुन्ती विधवा होने के कारण अपने बेटे-बहुओं, पोते-पोतियों से दूर अलग-थलग अकेली पड़ी है। उसे आज अपना घर भी पराया लगने लगा है। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनीशाह के मरने के बाद अकेली हो जाती है उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। उसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे? बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर मगर क्या हो सकता है। सिक्का बदल गया। अतः यहाँ पर शाहनी के अकेलेपन का चित्रण है। एक और वह विधवा जीवन जी रही है, वहीं दूसरी ओर राज बदल जाने से उसे बेघर भी होना पड़ा।³

स्त्री जीवन से जुड़ी एक विकट समस्या है वैश्यावृत्ति की जिसे लेखिका ने कथा साहित्य में बखूबी चित्रित किया है। 'आजादी शम्मोजान की कहानी में कृष्णा सोबती ने शम्मो बीबी का चित्रण किया है, जिसके लिए आजादी का कोई महत्व नहीं। लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। उसके लिए कोठे के बाहर की जिन्दगी का कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए शम्मोजान कोठे पर आ खड़ी हुई। उसी समय भूरे ने अपने गलीज से स्वर में कहा 'बाई, चलो आज अच्छी चीज लाया हूँ। लोग आजादी से गले मिल रहे थे और अन्दर शम्मोजान अपनी पुरानी आजादी बाँट रही थी इससे ज्ञात होता है कि वैश्या के लिए आजादी का कोई महत्व नहीं, उसका काम तो मात्र लोगों की देह की प्यास बुझाना है, इसी में उसकी आजादी है।'⁴

नारी अनादि काल से ही शारीरिक शोषण का शिकार होती आयी है। आज के भौतिकवादी युग में नारी की अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसका शारीरिक शोषण होता आया है। कृष्णाजी के रचनाशील व्यक्तित्व में अवज्ञा का स्वर प्रमुख है, जिंदगी में गहरी पैठ, समाज की परम्परागत जकड़बंदियों के अस्वीकार करते हुए, जीवन के भिन्न पक्ष से साक्षात्कार करने की बेचैनी, उनकी कृतियों का केन्द्र है, 'मित्रों मरजानी', 'डार से बिछुड़ी', 'सूरजमुखी अँधेरे के, ऐ लड़की' 'दिलोदानिश' आदि सभी रचनाओं में कुछ यादगार स्त्री छबियाँ उभरती हैं जिनमें परम्परागत मान्यताओं के प्रति अस्वीकार का बोध सामाजिक संरचनाओं के निषेध मात्र की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक स्थितियों को पलटकर देखने और उनके भीतर के सत्य को उद्घाटित करने की कोशिश है, यह स्त्री आकांक्षा का वह सच है जो संस्कृति और नैतिकता के ढोंग में सदा अदृश्य रखा गया। उनका ये सजृनात्मक स्वभाव उन्हें साहित्यकारों की उस अलग पंक्ति में स्थापित करता है, जिन्होंने जीवन में आसान समझौतों की राह कभी नहीं अपनाई।

कृष्णाजी ने स्त्री की समस्याओं पर लेखन किया और रुढ़ियों का विरोध किया। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री की स्थिति का अवलोकन किया और स्त्री के अन्तर्द्वन्द्व को परत-दर-परत खोलने का प्रयास किया है। इनके उपन्यासों में स्त्री-सम्मान के प्रश्न, स्त्री की अन्तर्द्वन्द्वतात्मक स्थिति को उन्होंने लेखन का विषय बनाया है। इनकी

कहानियों में मानव मन की अनुभूतियों संघर्षों तथा द्वन्द्व के रेशों का उजागर किया है, उनके कथा साहित्य में कहीं भी स्त्री पुरुष के मध्य द्वन्द्व नहीं दिखता, वे स्त्री को पुरुष के विरुद्ध खड़ा नहीं करती बल्कि इस पितृसत्तात्मक समाज की, रुढ़िवादी रीतियाँ और परम्पराओं के विरुद्ध चुनौती देती दिखती हैं।

'कृष्णा सोबती ऐसी महिला पात्रों का निर्माण करती हैं जो चिरस्थायी आशा और परिवर्तन का स्रोत हैं और जिनमें एक संक्रामक भावना है, वह अपने पाठकों को लगातार याद दिलाती है कि महिलाओं को स्टीटियोटाइप करने और उन्हें एक ही श्रेणी में रखने के खिलाफ हर प्रतिरोध, चाहे वह सूक्ष्म हो, या वृहद, मजबूत बदलाव लाता है। बादलों के घेरेय कहानी में - रवि की बीमारी के साथ ही संबंधों का स्वरूप बिगड़ने लगता है। मृत्युशय्या पर पड़े रवि की यादों में मीरा नहीं मन्नों उभर कर आती हैं। 'जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वह अब पास-सी नहीं लगती, अपनी-सी नहीं लगती। उसे मैंने छू-छूकर छुआ था, चूम-चूमकर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उछलन आती है तो मीरा नहीं मन्नों की आँखें ही सगी दिखती है।'⁵ कहानी में पति-पत्नी के लम्बा समय साथ में बिताने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए अनजान बने रहते हैं। स्वयं के बीमारी से पीड़ित होने पर उसे मन्नों की पीड़ा समझ में आती है जिसे वह पहले महसूस नहीं कर सका था।

कृष्णाजी के नारी पात्र न तो परम्परागत नारी की तरह आदर्शप्रिय और समर्पित हैं, ना ही नैतिक रूप से उच्छृंखल। इनकी नारी हाड़-माँस की जीती जागती नारी है, जिसमें सभी मानवीय गुण व दोष मौजूद हैं। न तो वह श्लील अश्लील की चिंता करती है ना ही नैतिक व अनैतिक प्रतिमानों की। 'डार से बिछुड़ी की पाशो से लेकर 'समयसरगम' की आरण्या व उपन्यास 'जैनी मेहरबान सिंह', की जैनी हो कृष्णा जी के पात्र मानवीय संभावनाओं की तलाश को रेखांकित करते हैं यदि दो चार पात्रों को छोड़ दें तो ज्यादातर नारी पात्र घरेलू रीझियाँ हैं किंतु अपनी अस्मिता की पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने संस्थागत रुढ़ियों का मुकाबला किया है।'⁶ स्त्री की संवेदना अभिव्यक्ति, भाषापुरुष से भिन्न होती है। इसलिए स्त्री को स्त्री की तरह लिखना और सोचना होगा। मित्रों मरजानी इस दृष्टि से उनकी सर्वोत्तम रचना है, जिसमें मित्रों को कृष्णा सोबती के व्यक्तित्व और चेतना का प्रखर ओज मिला है। एक स्त्री के द्वारा स्त्री की भाषा और चेतना से सृजित अद्वितीय रचना है:- मित्रों मरजानी। कृष्णा सोबती का लेखन भारतीय स्त्री विमर्श की आत्मचेतना को प्रखर कर एक स्वतंत्र सौंदर्यशास्त्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।'⁷ उनके स्त्री विमर्श में पुरुष केन्द्रीयता की जगह स्त्री-केन्द्रीयता मुख्य स्वर के रूप में विद्यमान है, जिसके मुख्य लक्षण नारी की व्यक्ति, मनुष्य रूप में स्वीकृति, नारी को देवी या दासी की भूमिकाओं से बाहर निकाल कर केवल व्यक्ति के रूप में स्वीकृति और नारी और उसकी देह की आदरपूर्ण स्वीकृति हैं।

मित्रों मरजानी की मित्रों भी अपनी देह और मन की आदरपूर्ण स्वीकृति चाहती हैं। मनुष्यता की उस आदिम प्यास को लेकर उसके भीतर कोई संकोच नहीं है वह उससे भागती भी नहीं है और न ही उसे छिपाती है। वह उस प्यास को अदबसे स्वीकार करती हैं। उस प्यास को पूरी ताकत से स्वीकार करने वाली मित्रों हिन्दी साहित्य की पहली नायिका हैं और जिस दिन मित्रों न इसे स्वीकार किया, उसी दिन हिन्दी साहित्य में एक नयी स्त्री का जन्म हुआ। अपनी इसी चाहत के साथ मित्रों ने अपना स्वराज अर्जित किया और अपने स्वअर्जित स्वराज में विचरती हुए मित्रों एक नयी स्त्री है। एक स्त्री की दृष्टि से

कृष्णा जी ने स्त्री की समस्याओं को देखा और जाँचा है तथा परम्परागत जीवन मूल्यों में बदलाव की माँग सामने रखी है। उनकी जीवदता उनके लेखन से तो स्पष्ट होती ही है परन्तु उनका व्यक्तिगत जीवन भी सहज सरल नहीं रहा, उन्हें हर काम में विघ्न, बाधा, विरोध और उलझाव का सामना करना पड़ा। वे शायद ऐसी लेखक रही हैं जिन्होंने जितने सम्मान पुरस्कार पाये, उतने या उससे अधिक संख्या में अस्वीकार भी किये हैं। अपनी पुस्तक 'शब्दों के आलोक में' कृष्णा सोबती लिखती हैं कि 'लेखक से बड़ा लेखन है और लेखन से भी बड़े वे मूल्य हैं, जिन्हें जिंदा रखने के लिए इंसान बराबर संघर्ष करता आया है बड़ी से बड़ी कीमत चुकाता आया है, लेखन मात्र लिखना ही नहीं, लिखना जीना है, भिड़ना है सामना करना है, उगना है उगते चले जाना है।' उनके लेखन से ही उनके लेखकीय आभासमंडल के दर्शन होने लगे थे। वे एक लेखक की गरिमा को कितना मानती थी कि उचित भाषा में पत्र न मिलने पर उन्होंने बिड़ला फाउन्डेशन का बहुमूल्य 'व्यास सम्मान' अस्वीकृत कर दिया था। सन् 2010 में, उन्होंने कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार के समय पद्मभूषण लेने से मना कर दिया था। इसी तरह साहित्यकारों के पक्ष में बोलने में असमर्थ रहने वाली साहित्य अकादमी का पुरस्कार तथा फैलोशिप भी उन्होंने लौटा दी थी। कृष्णा जी लेखक की स्वायत्ता और स्वतंत्रता पर सरकारी बंदिशें या छत्रछाया किसी भी रूप में नहीं चाहती थी।

कृष्णा सोबती का कथा साहित्य स्त्री लेखन को नए क्षितिज पर लाते हुए तमाम दकियानूसी मान्यताओं को खारिज करता है। ब्रिटिश हुकुमत,

बंटवारे की त्रासदी एवं आपातकाल से लेकर आज तक की तमाम आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक उथल-पुथल की साक्षी रही कृष्णा जी के यहाँ हिन्दी लेखन की विचारधारा की तथाकथित फैंटसी अथवा बनावटीपन की जगह न के बराबर है। उनकी नायिकाएँ अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीती हैं। पारम्परिक शिल्प और मूल्यों को चुनौती देते हुए स्त्री को स्त्री की दृष्टि से देखने-समझने की नई लेखन परम्परा को विस्तार देना कृष्णाजी के साहित्य सृजकता की कसौटी है। सेक्स, यौनिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नारीवादी दृष्टिकोण पर जिस बेबाकी से उन्होंने लिखा शायद ही हिन्दी कथा साहित्य के दूसरे रचनाकार ने लिखा हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. राजेन्द्र यादव, औरों के बहाने, पृ.सं. 37
2. कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, पृ.सं. 68/103
3. कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, पृ.सं. 138
4. कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, पृ.सं. 144
5. कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, पृ.सं. 198
6. कृष्णा सोबती, डार से बिछुड़ी, पृ.सं. 44
7. कृष्णा साबेती, मित्रों मरजानी पृ.सं. 971
8. समालोचन: दूसरा जीवन: कृष्णा सोबती की जीवनी (गिरधर राठी), कश्मीर उप्पल

Enhancement of Child Development in Pre-School Education (PSE) and it's Real Beneficial Outputs

Dr. Rita Bisht*

*Dean (Education) University Of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Integrated Child Development Services (ICDS) projects are actually the tasks, where Anganwadi Workers took keen interest in pre-school activities, whether they had been operated by the NGOs or Government, there was positive effect of pre-school tasks on the cognitive development of children. Pre-school education may broadly be defined as all the education that a child moves through or maybe goes through from the time he's created to the time he starts formal school. The ICDS programme is actually aimed at getting the needed shift and modification on the area of child development of the nation. Nevertheless, the current study reveals that facilities are now being availed by a really tiny proportion of people.

Keywords: Child development, education, Integrated Child Development Services, Pre-school education, etc.

Introduction - Integrated Child Development Services (ICDS) is really a comprehensive programme which provides - (one) Non formal Pre School Education, (two) Nutrition and Health Education, (three) Immunization, (four) Health Check up, (five) Special Nutritional Programme, and (six) Referral services up to 6 years of age. Integrated Child Development Services (ICDS) projects where Anganwadi Workers took keen interest in pre-school activities, whether they had been operated by the NGOs or Government, there was positive effect of preschool tasks on the cognitive development of children. The demand for an environment conducive to early learning during pre-school era has been recognized increasingly. Pre-school education (Early childhood or maybe PSE) education provides stimulating experiences to children which facilitate optimal cognitive development. In the current study, Pre School Education component has been evaluated on the foundation of coverage of children by Pre School Education, time allocated to pre-school tasks, time spent children at Anganwadis, performance of children in Pre School Education activities, enrolment, and retention and dropout trends. The Early Childhood Care and Education (ECCE) part of the Integrated Child Development Service (ICDS) might well be considered the backbone of the Integrated Child Development Service (ICDS) programme because all its services essentially covered by the Anganwadi Worker. This's also the most joyful play way day exercise, visibly sustained for 3 hours one day. It creates and also keeps children that are young at the Anganwadi centre - an exercise which motivates communities and parents. ECCE, as envisaged in the Integrated child Development Service

(ICDS), focuses on the complete development of the child, in the age range up to 6 years, from the underprivileged groups. It includes promotion of early stimulation of the under threes through intervention with mothers/caregivers. The programme of its for the 3 to 6 year old child in the Anganwadi is actually directed towards providing and ensuring a natural, stimulating and joyful environment, with focus on necessary inputs for optimum growth and development. Child-centre play way activities which build on local culture and methods, making use of local support materials created by Anganwadi employees, through enrichment training, are actually encouraged. The early childhood pre-school education programme, conducted through the medium of play, aims at offering a learning environment for the promotion of social, psychological, cognitive, aesthetic and physical development of the child. Through Integrated Child Development Service (ICDS), 10.2 million children (three to 6 years of age), from disadvantaged groups, are actually participating in centre based pre-school play way activities.

The Early Childhood Care and Education (ECCE) part of the Integrated Child Development Service (ICDS) is actually a tremendous input for giving a good foundation for development. What's more, it contributes to the universalization of primary education, by offering the child all needed preparations for primary schooling as well as offering substitute care to the younger siblings, therefore freeing the older ones - especially females - to attend school.

Meaning And Scope Of Pre School Education: Pre-school as a prefix in term s like preschool education,

preschool teacher and preschool child refers to virtually any era before compulsory age of entry to a primary school. Preschool education may broadly be defined as all the education that a child moves through or maybe goes through from the time he's created to the time he starts formal school. The educational experiences the child thus receives many and emanates from 3 broad sources: the house, the community and also the preschool institutions. Preferably all 3 are actually partners in preschool education. The genesis of attention in children that are young has been primarily due to 3 factors:

- i. It's gradually being appreciated that as far as learning and, growth are actually concerned the period from birth to six years is actually of extraordinary value, that in fact no period later on in life offers the child them same opportunities once more and in case advantage isn't taken of the options of development and learning at this particular point, it'll be way too late in the life of the child to make amends later.
- ii. As a consequence of industrialization and urbanization the traditional institution of extended joint households are actually getting replaced by small - the job and nuclear models of parents are also changing which necessitated the demand for supportive institutional arrangements to shoulder the child rearing and development activities.

Objectives of Pre-School Education : Objectives and aims of Pre School Education and suggested activities in India according to Education Commission

- i. To produce in the child a great physique, adequate muscular control and fundamental motor skills.
- ii. The child great health practices as well as to build up fundamental skills needed for individual adjustment, such as dressing, toilet habits eating, cleaning, cleaning, etc.
- iii. develop social attitudes and manners, in order to encourage healthy' group participation and making the child vulnerable to the rights and privileges of becoming a part of a cultural group as well as to persuade him to cooperate share and take care of the property belonging to him as well as others.
- iv. Develop emotional maturity by guiding the child to exhibit understand, accept and manage his emotions and thoughts.
- v. In order to encourage aesthetic appreciation in the child The child the start of intellectual curiosity concerning his immediate environment (awareness of environment), in order to assist him realize the world in which he lives as well as to nurture new interests through opportunities to explore, investigate and play around.
- vi. The child independence and ingenuity by offering him with adequate possibilities for self-expression.

Methods Of Effective Learning Of The Children : Any person who may have at any time spent a bit of time with

three - five years old children knows exactly how powerful the impulses of theirs to touch taste and smell everything they come across This behavior illustrates an essential truth of early childhood learning Young children learn best when they're actively involved when they are able to deal with supplies and try things out for themselves. Thus early learning has to be based on real sensory experiences i.e., chances to manage experiment, manipulate etc. Play is yet another indispensable avenue for learning any person that has seen children at play understands the intensity and seriousness children bring into play. Play clear the concepts of theirs and offer chances to children to explore imagine, converting experiences into reality or even into something significant Play is actually the organic and most effective ways through which a young child is able to find out. Thus, play way approach works incredibly for preschool children. Along with sensory experiences and pay way method, children also need warm, caring and sensitive teachers in order to help clarify the experiences of theirs as well as to connect new learning to their current range of expertise.

- i. The sort of dialogue or maybe interaction which appear to assist the child the most, is actually one in which the adult listens to the child's questions and help and comments to clarify a young child's ideas.
- ii. The children's potential to attend and participate is actually approximately 15 20 minutes, and keeping the time allowance for initiating and winding up the activities, each exercise must be ideally planned for a duration o f thirty minutes.
- iii. The daily program of exercise must have a good blend of activities to promote development in all of places, specifically, physical motor language, cognitive, emotional and social.
- iv. The activities shouldn't be so placed in a sequence that they're likely to take part in vigorous activities one after some other, these ought to be inter spread with much more muted and sedentary activities like a vigorous outdoor game followed by a story telling session.
- v. Each day children must be offered with opportunities for both outdoor and indoor activities.
- vi. Children should get chances to be in groups through group activities as games, story, rhymes etc as well as opportunities to work independently through activities like Drawing, Painting etc.

Different Models Of Pre-School Education : In the country of ours, pre primary institutions or maybe pre-school that are intended for children of the age group 2V2 to six years are actually widely known by a selection of name like Kindergartens, Montessori Schools, Nursery Schools, Bal Mandirs, Bal Grihas, Anganwadis and Balwadis in cities, rural areas and towns. Generally pre schools pre primary schools located in outlying areas are called as Anganwadis and Balwadis. Pre-school is actually a place where in a

safe, congenial and secure environment rich with varied toys and equipment, children of the age group of 2V2 to six years in the companionship of their peer groups make an effort to achieve their maximum growth and development. Pre-school isn't a place to teach and learn lessons, but one where children grow and improve the capabilities of theirs and figure out how to change with other children and with others in society. It's basically a mechanism for early socialization. What little enrichment may be awarded to the children may be accomplished solely through pre schools. India has a pretty rich tradition in pre-school education. Groups of employees have been working in the area in the various areas of the nation nearly from beginning of the present century. Every once in awhile we've been subjected to the views and practices of educationist This paper will provide a bird's eye view of these styles of pre schools that are now in operation in the country.

Conclusion: The ICDS programme is actually aimed at getting the needed shift and modification on the area of child development of the nation. Nevertheless, the current study reveals that facilities are now being availed by a really tiny fraction of women. Further variety of inhibiting things are actually accountable for the very poor enrolment rates in the Anganwadis like, inaccessibility of centres, requirement of children at home for economic reasons ignorance about the demand for pre-school education, etc. Anganwadi Centres must placed be near or perhaps within the pockets of the town which is actually to be served, so that those ought to be quickly accessible to a vast majority of the population.

References:-

1. Avula, R., Frongillo, E.A., Arabi, M., Sharma and S. and Schultink, W. (2011). Enhancements to nutrition program in Indian Integrated Child Development Services increased growth and energy intake of children. *Journal of Nutrition*. 680-684.
2. Boban K. Jose (2006). Supplementary Feeding in ICDS: Present System of Food Purchase, Distribution and Satisfaction of Beneficiaries. College of Social Sciences, Thiruvananthapuram, Kerala.
3. Child in Need Institute. (2005). A Pilot Project Howrah. Distribution of Fortified Candy in ICDS. Daulatpur, West Bengal.
4. Dash, N. C. (2006). Assessment/ Evaluation of ICDS Programme in the State of Orissa Centre for Rural Development, Institute of Media Studies, Bhubaneswar, Orissa. Research on ICDS An Overview Volume 3.
5. Dhingra, R. and Sharma, I. (2009). Assessment of Preschool Education Component of ICDS Scheme in Jammu District, *Global Journal of Human Social Science*, Volume 11, issue 6, Version 1.0.
6. Dongare, A.R., Deshmukh, P.R. and Garg, B.S. (2008). Eliminating Childhood Malnutrition: Discussions with Mothers and Anganwadi Workers, *Journal of Health Studies* 1:2,3.
7. ARORA, S., BHARTI, S. and SHARMA, S. 2007. Comparative Study of Cognitive Development of ICDS and Non-ICDS children (3-6 years) in Jammu and Kashmir. *Kamla-Raj, Journal of Human Ecology*, 22 (3):201-204.
8. BALSEKAR, A., GEORGE, A. T., PUETT, C. and DHINGRA, P. 2005. "Child Welfare and Community Participation: A Case Study of the ICDS programme in Thiruvananthapuram District, Kerala". Research on ICDS: An Overview (1996-2008). NIPCCD, New Delhi, 3:75-77.
9. Gadkar, V. D. (2006). Situational Analysis of Anganwadi Workers Training Centre in Jharkand, NIPCCD Regional Centre, Lucknow, Uttar Pradesh.
10. Gopal, A.K., Kaul, V. Adhikari, S., Gragnolati, M. Schweitzer. J. F. and Berman. (2006). Three Decades of ICDS: an appraisal: National Institute of Public Cooperation and Child Development. New Delhi. 319.
11. Kumar, A. and Pal, S. (2010). A study of sanitation of toilets in Anganwadi centres located in rural areas of Utterakhand state in India. *Global Journal of Human and Social Sciences*. Volume 10, No. (6), 67

Dalit Empowerment: Investigating Efforts to Uplift Dalits and Address Discrimination

Dr. Sandhya Jaipal*

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

Abstract - Dalits, historically marginalized communities in India, have faced severe discrimination and exclusion. Dalits are previously referred to as “untouchables” constitute a significant portion of India's population. Historically subjected to severe social, economic, and political marginalization, Dalits have faced systemic discrimination that has impeded their progress and integration into mainstream society. This paper delves into the various efforts undertaken to uplift Dalits and address the pervasive discrimination they face. This research paper examines the multifaceted efforts to uplift Dalits and combat discrimination against them. By exploring legislative measures, educational initiatives, economic programs, social movements, and the role of NGOs and international organizations, this paper aims to provide a comprehensive overview of Dalit empowerment. The study highlights both successes and ongoing challenges, emphasizing the need for sustained and holistic efforts to achieve true social equality.

Keywords: Dalit Empowerment, Discrimination, Legislative Measures, Educational Initiatives, Economic Programs, Social Movements, NGOs, International Organizations.

Legislative Measures: Legislative measures have been a cornerstone in the fight against Dalit discrimination in India. The Indian Constitution, adopted in 1950, enshrines provisions aimed at protecting Dalits and promoting their welfare. Article 17 abolishes “untouchability” and prohibits its practice in any form, while Article 46 mandates the state to promote the educational and economic interests of Scheduled Castes (SCs) and protect them from social injustice and exploitation.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, is another significant legislative measure designed to curb violence and discrimination against Dalits. It criminalizes various forms of atrocities and ensures special courts for the speedy trial of such offenses. However, the implementation of these laws remains inconsistent, often hindered by societal prejudices and administrative apathy.

Reservation policies, which provide quotas for Dalits in educational institutions, government jobs, and legislatures, have also been instrumental. These affirmative action measures aim to level the playing field by offering Dalits opportunities historically denied to them. Despite the criticism and challenges, reservations have enabled many Dalits to break barriers and achieve socio-economic mobility.

While legislative measures have laid a strong foundation for Dalit empowerment, their efficacy largely depends on robust implementation and periodic reforms to

address emerging challenges. Continuous efforts are required to ensure these laws are not just symbolic but bring tangible changes in the lives of Dalits.

Educational Initiatives: Education is a powerful tool for social transformation and plays a crucial role in Dalit empowerment. Recognizing this, various educational initiatives have been launched to improve access to quality education for Dalits. Scholarships, free textbooks, and hostel facilities are among the measures aimed at reducing the financial burden on Dalit families.

The establishment of institutions like the Jawahar Navodaya Vidyalayas and the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas has provided Dalit children with better educational opportunities. These schools aim to offer quality education to meritorious students from marginalized communities, helping bridge the gap between Dalits and their more privileged counterparts.

Higher education has seen significant strides with the introduction of reservation policies in universities and professional colleges. Despite the progress, Dalit students often face discrimination and exclusion within academic institutions. Mentorship programs and support networks have been established to address these issues, providing Dalit students with the necessary guidance and emotional support.

Moreover, various NGOs and international organizations have contributed to Dalit education by setting up schools, offering vocational training, and running

awareness campaigns. Initiatives like the Dalit Shiksha Andolan have been pivotal in mobilizing resources and advocating for the educational rights of Dalits.

While educational initiatives have made notable impacts, challenges such as drop-out rates, quality of education, and discrimination within educational settings persist. A sustained and collaborative effort from the government, civil society, and international bodies is essential to create an inclusive and empowering educational environment for Dalits.

Economic Programs: Economic empowerment is vital for the upliftment of Dalits. Various economic programs have been introduced to enhance the financial stability and livelihood opportunities for Dalit communities. The introduction of land reforms and the allocation of land to landless Dalits have been significant steps in this direction. However, the implementation has often been marred by bureaucratic hurdles and resistance from upper-caste landowners.

Microfinance and self-help groups (SHGs) have emerged as effective tools for economic empowerment. These initiatives provide Dalit women and men with access to credit and financial services, enabling them to start small businesses and improve their economic status. The success stories of Dalit entrepreneurs highlight the potential of these programs in fostering self-reliance and economic independence.

Government schemes such as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) have also played a crucial role. By guaranteeing 100 days of wage employment to rural households, MGNREGA has provided a safety net for many Dalit families. Additionally, skill development programs aimed at enhancing employability have been introduced, focusing on sectors where Dalits have traditionally been underrepresented. Despite these efforts, economic disparity and exclusion remain significant challenges. Many Dalits continue to work in low-paying, menial jobs with little job security. Discrimination in the labor market further exacerbates their plight. Therefore, it is essential to implement policies that promote equal economic opportunities and address structural inequalities.

Social Movements: Social movements have been instrumental in challenging caste-based discrimination and advocating for Dalit rights. The Dalit Panthers, formed in the 1970s, drew inspiration from the Black Panthers in the United States and sought to combat caste oppression through direct action and political mobilization. Their efforts brought significant attention to the plight of Dalits and galvanized support for their cause.

The Bahujan Samaj Party (BSP), founded by Kanshi Ram in 1984, emerged as a powerful political force advocating for the rights of Dalits and other marginalized communities. Under the leadership of Mayawati, the BSP has been successful in mobilizing Dalit voters and securing

political representation for them. The party's success highlights the importance of political empowerment in the broader struggle for Dalit rights.

Grassroots movements, such as the Dalit Women's Collective, have focused on intersectional issues faced by Dalit women, who often experience discrimination based on both caste and gender. These movements emphasize the need for an inclusive approach that addresses the unique challenges faced by different segments of the Dalit community.

The role of Ambedkarite movements, inspired by Dr. B.R. Ambedkar, cannot be overstated. These movements advocate for social justice, equality, and the annihilation of caste, drawing on Ambedkar's teachings and writings. They have been pivotal in shaping the discourse around Dalit rights and inspiring a new generation of activists.

Social movements have succeeded in raising awareness and pushing for reforms, but the journey towards true equality remains long and arduous. Sustained activism and solidarity among marginalized groups are crucial to challenging the entrenched caste system and achieving lasting social change.

Role of NGOs and International Organizations: Non-Governmental Organizations (NGOs) and international organizations have played a significant role in advocating for Dalit rights and providing support for their empowerment. NGOs like the National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) have been at the forefront of documenting and addressing human rights violations against Dalits. They work to raise awareness, provide legal aid, and lobby for policy changes.

International organizations, such as the United Nations, have also been involved in promoting Dalit rights. The UN has repeatedly called on the Indian government to address caste-based discrimination and ensure the protection of Dalit rights. The endorsement of the Durban Declaration and Programme of Action in 2001, which explicitly recognizes caste-based discrimination as a human rights issue, was a significant milestone.

Collaborations between local NGOs and international bodies have resulted in impactful projects aimed at improving the socio-economic conditions of Dalits. These projects often focus on education, healthcare, and economic empowerment, addressing the root causes of Dalit marginalization. Additionally, international funding and expertise have bolstered the capacity of local NGOs to implement and scale up their initiatives.

Despite the positive contributions, challenges remain. The dependency on external funding can sometimes limit the sustainability of NGO initiatives. Moreover, there is often resistance from local power structures that view these efforts as a threat to the status quo. Therefore, it is essential for NGOs and international organizations to work in close partnership with local communities and ensure their programs are culturally sensitive and locally driven.

Health and Well-being Initiatives: The health and well-being of Dalits have historically been neglected, with limited access to healthcare services and high levels of health disparities. To address these issues, various health initiatives have been launched by the government and non-governmental organizations (NGOs). These initiatives aim to improve healthcare access, enhance health awareness, and provide necessary medical services to Dalit communities.

Government programs such as the National Rural Health Mission (NRHM) have been instrumental in extending healthcare services to rural areas where a significant proportion of Dalits reside. Mobile health clinics and community health workers play a critical role in reaching remote Dalit populations, providing essential medical care and health education. Additionally, the provision of health insurance schemes like the Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) has increased healthcare access for economically disadvantaged Dalits. NGOs have also contributed significantly to improving Dalit health outcomes. Organizations like the Rural Development Institute (RDI) and the Society for Community Health Awareness, Research, and Action (SOCHARA) work on the ground to address health issues faced by Dalits. These organizations focus on preventive healthcare, maternal and child health, and combating malnutrition. Health camps and awareness programs organized by these NGOs have been effective in promoting health-seeking behavior among Dalits.

Despite these efforts, Dalits continue to face barriers in accessing quality healthcare. Discrimination within healthcare facilities, lack of awareness, and socio-economic constraints hinder the effectiveness of health initiatives. To overcome these challenges, it is essential to ensure that healthcare programs are inclusive, culturally sensitive, and address the unique needs of Dalit communities. Strengthening the healthcare infrastructure in Dalit-dominated areas and training healthcare providers to be sensitive to caste-related issues are crucial steps towards achieving health equity.

Legal Advocacy and Human Rights: Legal advocacy and human rights initiatives have been crucial in advancing Dalit empowerment and addressing caste-based discrimination. Various organizations and legal bodies have been actively involved in providing legal support, advocating for policy changes, and ensuring justice for Dalit victims of discrimination and violence.

Legal aid organizations such as the Human Rights Law Network (HRLN) and the Dalit Human Rights Defenders Network (DHRDN) offer legal assistance to Dalits who face discrimination and violence. These organizations work to ensure that Dalit victims receive justice and that perpetrators of caste-based atrocities are held accountable. By providing free legal aid, these organizations empower Dalits to seek justice and assert their rights.

Public interest litigation (PIL) has been a powerful tool in addressing systemic discrimination against Dalits. Legal activists and human rights lawyers have filed PILs in higher courts to challenge discriminatory practices and advocate for the enforcement of constitutional rights for Dalits. Landmark cases, such as the protection of Dalit manual scavengers and the implementation of reservation policies, have been instrumental in bringing about legal and social reforms.

International human rights organizations, including Amnesty International and Human Rights Watch, have also highlighted the plight of Dalits on global platforms. Their reports and campaigns have brought international attention to caste-based discrimination and pressured the Indian government to take action. The United Nations' recognition of caste-based discrimination as a human rights issue has further reinforced the global commitment to addressing Dalit rights.

While legal advocacy has led to significant progress, challenges remain in the form of judicial delays, corruption, and lack of awareness among Dalits about their legal rights. Strengthening legal aid services, increasing awareness, and ensuring the accountability of law enforcement agencies are essential for the effective protection of Dalit rights. Continued collaboration between national and international human rights organizations is crucial to sustaining the momentum towards achieving justice and equality for Dalits.

Conclusion: The journey towards Dalit empowerment is complex and multifaceted, requiring sustained efforts across various sectors. Legislative measures have provided a legal framework for protection and affirmative action, but their effective implementation is crucial. Educational initiatives have opened new avenues for Dalits, yet challenges like discrimination and access persist. Economic programs have enabled financial independence, but structural inequalities need to be addressed to achieve true economic parity. Social movements have been pivotal in raising awareness and advocating for Dalit rights, while NGOs and international organizations have provided essential support and resources. Despite the progress made, the fight against caste-based discrimination and for Dalit empowerment is far from over. Continuous and collaborative efforts from the government, civil society, and international community are essential to ensure that Dalits can fully exercise their rights and achieve their full potential in an inclusive and equitable society.

References:-

1. Ambedkar, B. R. (1946). Who Were the Shudras?
2. Omvedt, G. (1994). Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India. SAGE Publications.
3. Teltumbde, A. (2010). The Persistence of Caste: The Khairlanji Murders and India's Hidden Apartheid. Zed Books.

4. Narula, S. (1999). Broken People: Caste Violence Against India's Untouchables. Human Rights Watch.
5. Thorat, Sukhadeo, and Aryama (2005). "Reservation Policy and the Constitution: A Comparative Study of the American and Indian Experiences." New Delhi: Oxford University Press.
6. Desai, Sonalde, and Amit Thorat (2015). "Social Science and Public Policy: Education and Economic Development in India." New Delhi: Sage Publications.
7. Chakravarti, Uma (1999). "Dalits and the Democratic Revolution: Dr Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India." New Delhi: Sage Publications.
8. Jodhka, Surinder S (2012). "Caste and Development: Contemporary Perspectives on a Structure of Discrimination and Advantage." New Delhi: Oxford University Press.

Reflection of Caste and Class Discrimination in Indira Goswami's Novel *The Moth-Eaten Howdah of the Tusker*

Deepank Ahari*

*Assistant Professor (English) Govt. Girls College, Kherwara, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - This paper attempts to explore the immobilization and deficiency of area specific caste system in India by examining Indira Goswami's novel *The Moth-Eaten Howdah of the Tusker*. In order to cure a disease it is essential to find out the cause of its generation. Here, an effort has been made to understand the root cause of caste system in India so that this evil can be eradicated from the society. Goswami is known for autobiographical elements in her novels. She observed that not only men but women also encourage many social evils. And these evils become hurdle in the progress of society. In this novel the protagonist Indranath is against stigmas like caste system. He has a liberal attitude. He spends time with low class people and do not consider them as untouchable. But the irony is that the women characters of his home warn him to stay away from them as it can spoil their reputation. A series of such incidences prove that there are women who aren't interested in getting rid of the shackles tied to their legs. But all of them are not same. There are many who don't believe in such hypocrisy. Goswami has proved that both the high class as well as low class people suffer due to this discrimination. It is quite difficult to be open-minded from within even if there is no external restriction. This paper is an attempt to find out the root cause from where it generates, and consequently suggests the ways using which these problems can be eradicated from the society.

Key Words - Patriarchy, socio-cultural power structure, caste and class system, marginality, discrimination, restriction, suppression, hypocrisy, sufferings.

Introduction - Mamoni Raisom Goswami (1942-2011), also known as Indira Goswami was an editor, author, poet, scholar, professor and social activist. She won many awards including SahityaAcademi in the year 1983, Jnanpith Award in 2001 and Principal Prince Claus Laureate in 2008 for her literary works. Her works are highly recognised and many of them like the novel which has been chosen for this paper have been performed on stage as well.

The novel *The Moth-Eaten Howdah of the Tusker* was published in English in the year 2004. It was translated by the author herself. It deals with multiple themes like widowhood, marginalization, alienation, revolts of farmers against landlords, feudal system and fight for women's rights to name a few. Another theme running through this novel was caste and class system which has been picked up and reflected upon in this paper. The novel provides various instances highlighting the fact how caste and class system is deeply rooted in the form of social evil in Indian society. The caste and class system is an age old custom. It has been observed by the historians that caste system has been existing in Indian society since thousands of years and has remained one of the major social issues till today. Many

theorists and social activists worked on this theory since the dawn of literature to eradicate this problem. Still it is strongly rooted in the present scenario. The novel also highlights this issue using various characters and situations. Through this paper an attempt has been made to understand how Indira Goswami illustrates the brutal rites, still prevailing in our times, replace healthy sentiments with hostility and heartbreaking sadness. This paper focuses on how Goswami's characters ironically overturn the rituals of patriarchy and caste system to create confusion, incredulity and fright in the male dominant society. It focuses on how the caste and class system gives birth to many other social evils which then becomes a hurdle in the progress of society itself.

Caste system in our country is one of the most complicated issues. To speak about caste system, a famous research scholar Anita Goswami too writes about the complexity of caste system in India in this way, 'Caste in the Indian context is always very complicated and distinct as it functions diversely among different groups in different regions. Like its theory of origin, caste, is definitely plural in nature in India for it depends broadly on local aspects.' (618)

Many theories have been given on the origin of caste system in India. Various people have expressed their views on this in multiple ways. While discussing about these theories, A.P. Barnabas and Subhash C. Mehta in *Caste in Changing India* aptly comment, "...there are also so many theories on the origin of the caste system in India – some seeking its roots primarily in the racial and ethnic differences, some in the socio spiritual evolution of the tribal characteristics of India in ancient times, some only in the occupational differences, some merely in the spiritual beliefs of the pre-Aryans and Arayans in India and so forth. It is likely that several factors working jointly led in course of time to the emergence of the Indian caste system, its social, economic and ideological factors being specially influenced by several factors." (10)

Undoubtedly the discrimination between people prevailed due to caste system. But the condition of women was unpleasant for all the castes. Indira Goswami was herself a Brahmin and a widow. Therefore she had written her heart out while describing the plight of widows. The plot of the novel was constructed in 1948. At that time the Brahmin girls were forced to get married before attaining puberty. Attaining puberty before marriage was considered a sin. In such an instance, the girl and her family became so inauspicious that they were even outcasted. Goswami wrote in her novel "Steeped in hoary customs and superstitions, Brahmin girls get married before the age of puberty; many are widowed at a tender age and subjected to inhuman rigours." (385)

Brahmins were allowed to commit any crime. They being high caste were prohibited from being imprisoned. It was believed that to keep any Brahmin behind the bars is a sin and anyone doing so will not be forgiven by God. In the novel Goswami even mentioned an incidence of Dibakar Gossain. When he was being imprisoned, it attracted the rage of whole Gossain community, and they stood against law. They threatened and warned the police not to do so otherwise it would lead them to their own downfall. Goswami asserted, "They warned the Inspector that if he threw this Brahmin into prison, he will surely fall into a deep pit of sin so heinous that he would never be redeemed." (389) Of course, it was an irrational and illiterate behaviour. Instead of punishing the culprit, the police inspector was being accused of committing a sin.

Goswami also alluded to communism in this novel. When two women of Indranath's (the protagonist of the novel) family discussed about it, it enraged him. He even shouted at them. Despite being allowed by the head of the family they denied embracing any kind of liberty, as they always wanted to maintain the fake reputation of their caste. On the contrary, they even advised Indranath to keep himself away from the low caste people to maintain the dignity of their caste.

Both of these women were widows. One of them was Durga (Indranath's aunt). After her husband's death she was thrown out of her in-laws house as to keep a widow was considered inauspicious. Though she needed economic help yet she never dared to demand her share in property. Goswami puts her mentality in this way, 'As far as her memory went, she had never heard of a lady from a Gossain's household stepping across the household of a court.' (396). The gravity and penetration of this issue was so much that this theme persists in many of her other works as well. In one such work, she writes about a lady who is forced into prostitution due to dearth of money. She can get physical with high-caste people but when the question of low caste person comes she screams in this way: 'That pariah! How dare he send this proposal to me! Doesn't he know that I am the jajamani Brahmin caste and he, the vermin, is a low-caste Mahajan?' (77)

The major concern of the high caste people has always been to maintain their purity by keeping themselves away from the touch of low caste people. In this process the role of class structure amongst them have been generally ignored. Excessive significance is usually provided to caste as the chief driving force in defining individuality within various groups of people. In some cases, as Goswami illustrates, class and caste unite to shape more multifaceted characteristics at numerous ranks. A classic example of maintaining their purity can be seen in one of her works where a low caste woman tries to console an upper caste woman but the latter keeps herself away from the touch of the former as it would make her impure. To quote Goswami, "It was forbidden for Bishnupriya, the daughter of a high caste priest, to touch her." (83)

One more hypocritical norm has been highlighted. The condition was if a boy wants to marry a girl then both should belong to same caste but different Gotras. That means they were forbidden to marry if they belonged to same Gotra. Therefore, the girl offered to Indranath was perfect for her as per societal rule but still on the basis of class difference she wasn't acceptable for his family. The lady who had come with her daughter's proposal said, "Your gotras are different. You are Chandilya gotra, she is from Bhardwaj gotra. I have studied everything! That's why I have come to you. Your words will be enough." (430-431)

While reading the novel, we come across an incidence where Indranath saved a girl named Eliman from drowning. When she tried to thank him, the other women around her shouted at her as Brahmin women were not allowed to talk to men. An old woman even screamed in this way, "Can a Brahmin's daughter talk so shamelessly!" (402) It proves that caste system restricted a person's life even on such petty things. She was even told the fatal consequences of her act. Her whole family could be outcasted if she talked to a strange man.

In the novel we are also exposed the fact that women were the victims of class discrimination. They were considered as weaker sex. Widows were not allowed to speak to men as they were always taken for granted and regarded as the segregated class of society. Despite suffering from one of the major social issues, they were prone to support caste system and they were in favour of maintaining this age old custom in India.

An example of this discrimination is showcased aptly by the author through Eliman. When Eliman attained puberty before marriage, her mother had to keep this fact hidden from the family and before people come to know about it she wanted to tie her knot with Indranath. She also revealed that there are many girls in the southern part who have attained puberty and kept this fact hidden. It proves that women are subjugated because of their gender. They are considered as second sex and they even have to suffer because of their biological differences.

Another example of class discrimination as illustrated in the novel is Indranath's love affair with Eliman who belonged to the same caste but he still couldn't marry her as the girl belonged to lower class family. All the members of Indranath's family were married to high class rich women. Eliman was criticized for being poor and Indranath was advised not to marry her. Though she too was a Brahmin but she wasn't very rich. So if he married her, it could spoil his family's reputation. . Goswami wrote, "His ancestors never married ordinary Brahmin girls; his mother, grandmother,... all came from established sattras..."(416) Goswami was a widow. So she was also categorized as marginalized by the society. But she wanted to stand for those who are the victims of caste and class discrimination. She felt a dire necessity to expose the fact that even women, who too are the victims of class system, supported caste system. Most of her works have been derived from her personal experience and that is why, while reading her works a sense of empathy towards her characters can be felt by the readers.

The whole society becomes biased due to this caste and class system. The upper caste people keep their position in centre while the lower castes remain in periphery. Obviously, those who are in periphery are being harassed and exploited by the upper class people. The high caste people become richer while the low caste people become poorer. If people are given proper education and they are

taught to treat everyone equally then this caste system can be eradicated from the society. If there is no centre, there will be no margin. If people stop categorizing themselves on the basis of their caste and religion then equality amongst people can be established.

Conclusion- In a nutshell, it can be said that throughout the novel, Goswami gave ample examples to paint a realistic picture of caste and class system prevailing in the Indian society. Therefore, this paper too concludes that the discrimination on the basis of caste does nothing good for human welfare. It divides people on the basis of race and gender which becomes a hurdle in the progress of society. For the progress of the nation, people must stop such kind of discrimination and join each other's hand and only then the goal of getting a better, balanced and peaceful society can be achieved. Since the beginning of civilization till today, there are many changes which can be seen in Indian society which is a mark of progression.

Initially, Goswami also presented a regressive society. But by the end of the novel, she highlighted some changes in the society. The caste and class discrimination had reduced. The high caste youth had started having love affairs with low caste youth. The society at large is progressing, but the pace is slow. There are pockets in India where caste and class discrimination exists. This paper is an appeal to all the readers to join their hands and come forward to eradicate this social evil from our society.

References :-

1. Barnabas, A.P., and Subhash C. Mehta. Caste in Changing India, New Delhi: The Indian Institution of Public administration. 1967. Print
2. Goswami, Indira. Indira Goswami & Her Fictional world- The Search for the Sea New B. R. Publishing Corporation. 2001 Print.
3. "The Offspring." Indira Goswami (Mamoni Raisom Goswami) & Her Fictional World- The Search for the Sea. Delhi: B. R. Publishing Corporation. 2002. 69-85. Print.
4. The Man from Chinnamasta. Trans. Prashant Goswami, New Delhi: Katha Books. 2006 Print.
5. Goswami, Anita. "Cast as a Social Stigma in Indira Goswami's "Samskaar": A Woman's Predicaments." Research Journal of English Language and Literature (RJELAL) A Peer Reviewed (Refereed) International Journal Vol.3.3 (2015): 617-621. Print.

विश्व में यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला, एक मांग जो निर्माण और सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है, जिससे आर्थिक गतिविधि और उपभोग में वृद्धि होती है, सामान्य बाजार प्रवृत्तियों के विकास से स्वतंत्र होती है। इसके परिणामस्वरूप, पर्यटन के इस बढ़ते उपभोग, जो किसी विशिष्ट पर्यटन स्थल की ओर जनसंख्या की विशाल मौसमी हलचल और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि के कारण है, कुछ पर्यटन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और उन देशों की आर्थिक संरचना के जटिल विकास के लिए लाभकारी होता है, जो अपने पर्यटन उद्योग को विकसित कर रहे हैं। अन्य शब्दों में, पर्यटन सेवाओं की मांग में वृद्धि के साथ, एक विशिष्ट सेवा की पेशकश धीरे-धीरे विकसित हुई है, जिसकी मात्रा और संरचनाओं ने एक आर्थिक और संगठनात्मक कार्यक्रम को व्यवस्थित और निरंतर सुधारित करने की मांग की है, जो पर्यटकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को मार्गदर्शित कर सके। विभिन्न चरणों के अनुसार, एक पर्यटक स्थायी निवास से गंतव्य की ओर यात्रा करता है और वापस आता है, उदाहरण के लिए, विभिन्न उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गतिविधियों का एक जटिल समूह है। पर्यटन सेवाओं की बढ़ती मात्रा और जटिलता ने एक वास्तविक पर्यटन उद्योग के विकास को उत्पन्न किया है, जो विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट शाखा के रूप में पर्यटन के घटनाक्रम का इलाज करने के लिए उचित ठहराता है। अपनी प्रकृति के अनुसार, पर्यटन घटना विशेष रूप से जटिल है, जिसमें गहरे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव हैं। अन्य सेवा क्षेत्रों के विपरीत, पर्यटन उद्योग एक परिणाम है, जिसका विकास प्रत्येक चरण में केवल विश्व अर्थव्यवस्था की अन्य शाखाओं के विकास के स्तर के साथ करीबी संबंध में सुनिश्चित किया जा सकता है।

साहित्य समीक्षा – मेरे शोध पत्र का शीर्षक: 'विश्व में यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास', निम्नलिखित प्रकाशित लेखों के आधार पर लिखा गया है:

1. 'पर्यटन उद्योग और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का विकास' लेखक: कुसुबक्ति अंडाजानी, युनी प्रातिवी, श्री यति, और श्री इंद्रावती, प्रकाशित: जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंसेज।
2. 'पर्यटन उद्योग में हरे विकास की समीक्षा' लेखक: टांग चेंगसाई, झेंग किआनकिआन, किन नाना, सुन यान, वांग शुशू और फेंग लिंग, प्रकाशित: जर्नल ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी।
3. 'आर्थिक वृद्धि में परिवहन पर्यटन के विकास की भूमिका' लेखक: फ्लोरा अलासगरोवा, प्रकाशित: ऐनल्स ऑफ स्प्रिग हारेट यूनिवर्सिटी।

आर्थिक शृंखला।

4. 'पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षण और विकास का महत्व' लेखक: संदीप मलिक, प्रकाशित: इंटरनेशनल रेफरड जर्नल ऑफ रिव्यूज एंड रिसर्च अंक 4/2018

यात्रा और पर्यटन उद्योग का विकास – यात्रा और पर्यटन उद्योग विश्व के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 2017 में आर्थिक वृद्धि (4.6%) ने वैश्विक अर्थव्यवस्था (3%) की वृद्धि को सातवें वर्ष के लिए पछाड़ दिया, साथ ही सभी अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को भी। इसका मतलब है कि यात्रा और पर्यटन उद्योग का जीडीपी विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था से 50% अधिक था। उसी वर्ष, इसने विश्व भर में 313 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया, जो कि 10 में से 1 नौकरी के बराबर है, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10.4% उत्पन्न किया। (ICAO, 2018) 2017 में, 1.322 बिलियन अंतराष्ट्रीय पर्यटक आगमन हुए – पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि, और सात वर्षों में सबसे मजबूत वृद्धि दर।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2017 में वैश्विक जीडीपी का 10.4% और 313 मिलियन नौकरियों का योगदान किया, या वैश्विक रूप से 10 में से 1 नौकरी। 2017 में 4.6% जीडीपी वृद्धि के साथ – 2011 के बाद से सबसे उच्च दर – यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने सभी अन्य प्रमुख वैश्विक आर्थिक क्षेत्रों को पछाड़ दिया, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र ने 4.2% के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, और वित्तीय सेवाओं ने 2.5% उद्योग क्षेत्र वृद्धि के साथ पीछे रह गया। (ICAO, 2018) सही नियामक और नीति माहौल के साथ, जिसमें सरकारों का समर्थन शामिल है, यात्रा और पर्यटन उद्योग 2028 तक दसियों मिलियन नई नौकरियों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन उद्योग ने 2017 में सभी अन्य प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में तेजी से वृद्धि की, जिसमें वित्तीय सेवाएं भी शामिल हैं। (ICAO, 2018) अमेरिका ने यात्रा और पर्यटन उद्योग से जीडीपी में सबसे बड़ा सीधा और कुल योगदान प्राप्त किया, क्रमशः 509.4 बिलियन डॉलर और 1501.9 बिलियन डॉलर। चीन 2028 तक दोनों श्रेणियों में आगे निकलने की भविष्यवाणी की गई है। (ICAO, 2018) विमानन के अनुसार, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया – 2017 में विमानन उद्योग ने 4.1 बिलियन यात्रियों को नियमित सेवाओं पर ले जाया, जो 2016 की तुलना में 7.1% की वृद्धि को इंगित करता है। इस आंकड़े के 2036 तक लगभग दोगुना होने की उम्मीद है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 7.8 बिलियन लोग हवाई यात्रा करेंगे, 55% अंतराष्ट्रीय पर्यटक अपने गंतव्य पर हवाई जहाज से

यात्रा करते हैं। (ICAO, 2018) कूज यात्रा में वृद्धि हो रही है, 2018 में 27.2 मिलियन यात्रियों के सेटिंग की उम्मीद है। 2017 में, 25.8 मिलियन यात्रियों ने कूज किया, जो 2016 की तुलना में 4.5% की वृद्धि को दर्शाता है। (ICAO, 2018) पिछले 10 वर्षों में कूज उद्योग की कुल वृद्धि (64%) ने सामान्य वैश्विक पर्यटन क्षेत्र (45%) को पछाड़ दिया है। ख़ूब, 2018, 2017 में, होटलों और रिसॉर्ट्स उद्योग ने 878 बिलियन डॉलर की आय उत्पन्न की और 4.3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन उद्योग ने 2017 में वैश्विक जीडीपी में 2.6 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दिया – जो कि यूके की अर्थव्यवस्था के आकार के बराबर है – या वैश्विक जीडीपी का 3.2% (ICAO, 2018) 2017 में, यात्रा और पर्यटन उद्योग का कुल (सीधे, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों सहित) वैश्विक जीडीपी में योगदान 8.3 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि 10.4% के बराबर है। (ICAO, 2018) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्त राजस्व, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों द्वारा आवास, भोजन और पेय, मनोरंजन, खरीदारी और अन्य सेवाओं और वस्तुओं पर किया गया खर्च शामिल है, 2017 में 1.22 ट्रिलियन डॉलर था। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन उद्योग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जिसमें वैश्विक आगंतुक निर्यात, यानी आगंतुकों द्वारा देश में लाया गया योगदान, 2017 में रिकॉर्ड 1.5 ट्रिलियन डॉलर उत्पन्न किया। जबकि यात्रा और पर्यटन उद्योग में मजबूत, सतत और विविध विकास सकारात्मक है, उच्च विकास दरों के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को यह विचार करना आवश्यक है कि पर्यटन को जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ कैसे बढ़ाया जाए। सफल सतत पर्यटन रणनीतियों को प्रचार से व्यापक गंतव्य योजना और प्रबंधन की ओर बढ़ना चाहिए, और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि गुणवत्ता की भागीदारी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, और पर्यटन लाभों का सभी तक फैलाव सुनिश्चित हो सके। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को नए स्थलों पर आने वाले लोगों के लिए आवास प्रदान करने के लिए होटलों और रिसॉर्ट्स उद्योग की आवश्यकता है, और इससे उत्पन्न राजस्व पूरे क्षेत्र में योगदान करता है। 2017 में, इस उद्योग ने वैश्विक स्तर पर 878 बिलियन डॉलर की आय उत्पन्न की और 739,000 व्यवसायों में 4.3 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया। पिछले पांच वर्षों (2017 तक) में, उन्होंने अनुमान लगाया कि इस उद्योग ने 3.2% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की है, जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार और उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि और यात्रा के कारण है। (ICAO, 2018) अनुमानित है कि होटल उद्योग में 17.2 मिलियन कमरे हैं, और ब्रांडेड होटल 53% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं। प्रमुख ब्रांडेड होटल कंपनियाँ, जैसे कि IHG, Marriott, Hilton, Wyndham and Accor Hotels कुल खुली ब्रांडेड कमरों का लगभग एक चौथाई हिस्सा हैं। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के साथ मेल खाते हुए, होटलों और रिसॉर्ट्स उद्योग ने भविष्य में वृद्धि की उम्मीद की है, जो वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार से उच्च जीडीपी और अधिक उपलब्ध आय के परिणामस्वरूप है, साथ ही मध्य वर्ग की वृद्धि और एक वृद्ध होती जनसंख्या जैसे जनसांख्यिकीय बदलाव भी हैं जो यात्रा की इच्छा और साधन रखते हैं। (ICAO, 2018) यात्रा और पर्यटन उद्योग और इसके संबंधित उद्योग स्पष्ट रूप से एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करते हैं, आर्थिक वृद्धि, रोजगार और संपत्ति निर्माण, व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करके। एक देश में पर्यटन क्षेत्र का उदय

व्यवसाय या भाषा कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो नए उद्यमिता और अन्य पेशेवर अवसरों के कारण मानव पूंजी विकास और सामाजिक गतिशीलता को ऊपर की ओर बढ़ाता है। (ICAO, 2018) 2017 में यात्रा और पर्यटन उद्योग में निवेश 882 बिलियन डॉलर था, जो कुल निवेश का 4.5% है। 2018 में यह 4.8% बढ़ने की उम्मीद है, और अगले दस वर्षों में 4.3% बढ़ने की संभावना है, 2028 तक 1,408.3 बिलियन डॉलर (कुल का 5.1%) पहुंचने की उम्मीद है। (World Travel and Tourism Council, 2018) जैसे-जैसे दुनिया अधिक जुड़ी हुई और यात्रा और पर्यटन उद्योग पर ध्यान केंद्रित करती है, नवोन्मेषी व्यापार मॉडल पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही, इस चुनौती पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

यात्रा और पर्यटन उद्योग में नई तकनीकी प्रवृत्तियाँ – प्रौद्योगिकी का आगमन यात्रा और पर्यटन उद्योग में कंपनियों के ग्राहकों के साथ बातचीत करने के तरीके में परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है। परिणामस्वरूप, यात्रा कंपनियाँ परिचालन कुशलताओं में सुधार और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों को अपना रही हैं। (Globe data, 2018) 2018 में यात्रा और पर्यटन उद्योग में देखने योग्य प्रवृत्तियाँ (Globe data, 2018) हैं:

वृद्धित और आभासी वास्तविकता (AR और VR) – पिछले कुछ वर्षों में AR या VR की लोकप्रियता यात्रा और पर्यटन कंपनियों में बढ़ी है, और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। इन तकनीकों का उपयोग सामग्री विपणन या ग्राहकों के अनुभवों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, एयरलाइंस ने यात्रियों को कैबिन्स को पूर्व में देखने के लिए VR तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया है, ताकि टिकट या अतिरिक्त सेवाओं की बिक्री बढ़ सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) – AI यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में कई विकसित तकनीकों और नवाचारों के पीछे है। यह उद्योग की मदद करने के तरीके को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मशीन लर्निंग, चौटबॉट्स या ट्रेवलबॉट्स, और रोबोट्स। AI के धन्यवाद, उन ऑपरेशनों को स्वचालित किया जा सकता है जो आमतौर पर मानव हस्तक्षेप और नए कौशल सीखने के लिए बहुत समय लेते हैं, जिससे प्रक्रियाओं को तेज किया जा सकता है, गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार हो सकता है, और लागत कम हो सकती है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) – IoT यात्रा और पर्यटन उद्योग के भविष्य को आकार देने की बहुत संभावनाएँ रखता है, और कंपनियाँ इसे समझने लगी हैं। एक उद्योग खिलाड़ी, लुपथांसा, ने खोए हुए बैग्स से जुड़े तनाव और चिंता स्तर को कम करने के लिए IoT का उपयोग किया है। यात्री लुपथांसा ऐप में अपने मोबाइल बोर्डिंग पास पर एक लिंक के माध्यम से अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं।

वॉयस टेक्नोलॉजी – वॉयस टेक्नोलॉजी एक अन्य डिजिटल नवाचार है जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को बाधित कर रही है, क्योंकि अधिक से अधिक ग्राहक टाइप की गई खोज से वॉयस इंटरैक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अधिक से अधिक होटल वॉयस-एक्टिवेटेड उपकरणों के साथ प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं।

वाइ-फाइ कनेक्टिविटी – यात्रा करते समय, लोग हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे गंतव्य विचार प्राप्त करने के लिए, घूमने या खाने के स्थानों के

विकल्प प्राप्त करने के लिए, रुचि के बिंदुओं के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए, या अपने अनुभव को सोशल मीडिया या अन्य कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दोस्तों के साथ साझा करने के लिए। परिणामस्वरूप, नेटवर्क सेवाओं में निवेश कंपनियों को ग्राहकों को अधिक निर्बाध और अत्यधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने में मदद करता है, परिचालन कुशलता को बढ़ाता है, वास्तविक समय में निर्णय लेने को सक्षम बनाता है, भौतिक (CCTV के माध्यम से) और साइबर सुरक्षा को मजबूत करता है, साथ ही डेटा गोपनीयता को भी सुनिश्चित करता है।

वियरेबल डिवाइसेज- सुस्त शुरुआत के बावजूद, यात्रा और पर्यटन कंपनियाँ धीरे-धीरे इस तकनीक का उपयोग ग्राहकों को एक अधिक व्यक्तिगत और एकीकृत अनुभव प्रदान करने के लिए कर रही हैं। उदाहरण के लिए, वॉल्ट डिजनी कंपनी ने एक वियरेबल, कस्टमाइजेबल, RFID-सुसज्जित मैजिकबैंड को तैनात किया, जो थीम पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिससे प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके और मेहमानों के स्थान और गतिविधियों को ट्रैक किया जा सके। एक और उदाहरण ब्लॉकचेन है, विशेष रूप से क्रिप्टोकॉर्सेसी। यह नवजात तकनीक, जो विकेंद्रीकृत और सुरक्षित रूप से जानकारी संग्रहीत और साझा करने की अनुमति देती है, विश्वास बढ़ाने और घर्षण और भ्रष्टाचार को कम करने की क्षमता रखती है। (World Economic forum, 2018)

यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए आगंतुकों का महत्व - आगंतुकों का महत्व यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक मूल्य कारक है, क्योंकि संख्या में वृद्धि हुई है। 2017 में, बैंकॉक का दौरा 20 मिलियन लोगों ने किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ICAO(2018). 'यात्रा और पर्यटनरू दुनिया में अच्छाई के लिए एक बल,' 7 नवंबर, 2018 को एक्सेस किया गया, <https://www.icao.int/Meetings/iwaf2018/Documents/Travel%20and%20Tourism.pdf>
2. Jeleu, V. (2016). 'रोमेनियाई पर्यटन विपणन अनुसंधान' Spiru Haret विश्वविद्यालय की एनल्स आर्थिक शृंखला, <http://anale.spiruharet.ro/index.php/economics/article/>

[view/1634/pdf](https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.009)

3. Li, J. J., & Xu, L. (2018). 'पर्यटन अनुसंधान में बड़े डेटा: एक साहित्य समीक्षा' 'पर्यटन प्रबंधन जर्नल', <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.03.009>
4. Marques, J.(2017). 'व्यापार पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटन विकास रणनीतियाँ: पुर्तगाल के केंद्रीय क्षेत्र का केस स्टडी (SCOPUS)'. 'पर्यटन: अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और पेशेवर जर्नल', <https://hrcak.srce.hr/191475>
5. Mehran, J., & Olya, H. (2018). 'आउटबाउंड पर्यटन व्यय अनुसंधान में प्रगति: एक समीक्षा' 'वर्तमान पर्यटन मुद्दे', <https://doi.org/10.108/13683500.2018.1517734>
6. Seabra, C., & Kastenholz, E. (2018). 'घर में शांति: अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रभाव; 'अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन शहरों का जर्नल', <https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJTC-10-2017-0050>
7. Song, H., & Li, G. (2018). 'पर्यटन और आर्थिक वैश्वीकरण: एक उभरता हुआ अनुसंधान एजेंडा' 'यात्रा अनुसंधान जर्नल', <https://doi.org/10.1177/0047287517734943>
8. World Economic Forum(2018). 'ये तीन प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियाँ आपकी यात्रा के तरीके को बदल देंगी,' 10 नवंबर, 2018 को एक्सेस किया गया, <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/three-technology-trends-changing-travel-tourism/>
9. World Travel and Tourism Council (2018). 'आर्थिक प्रभाव 2018 विश्व,' 9 नवंबर, 2018 को एक्सेस किया गया, <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf>
10. Zach, F., & Hill, T. L. (2017). 'पर्यटन स्थलों में नवाचार पर नेटवर्क, ज्ञान और संबंधों के प्रभाव' 'पर्यटन प्रबंधन जर्नल', <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.001>

जलवायु परिवर्तन का वर्तमान राजस्थान की पारिस्थितिकी एवं आर्थिक संसाधनों पर प्रभाव

कैलाश शर्मा *

* शोधार्थी (भूगोल) (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की गंभीर वैश्विक चुनौती है जिसने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति यहाँ विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करती है। राजस्थान की पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधन जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, खनिज संसाधनों और पर्यटन पर आधारित है और ये सभी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान की पारिस्थितिकीय संरचना में विगत कुछ दशकों में जो परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, वे अत्यंत चिंताजनक हैं।

जैव विविधता का क्षरण, जल संसाधनों की अत्यंत कमी और निरंतर बढ़ते तापमान ने यहां की जीवनशैली और संसाधनों को अभूतपूर्व चुनौतियों में डाल दिया है। राजस्थान की मिट्टी जो कभी अन्न के भंडारों से संपन्न हुआ करती थी आज जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी उर्वरता खोती जा रही है। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट, पशुधन में ह्रास और खनिज संसाधनों की उपलब्धता में कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पर्यटन क्षेत्र जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान की पारिस्थितिकी एवं आर्थिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही इसमें उन संभावित रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा जिनके माध्यम से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है और राज्य को इस संकट से उबारा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक सहभागिता, सरकार की भूमिका और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को भी इस शोध में विस्तार से समझाया जाएगा।

विगत कुछ दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल की गैसीय संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का मुख्य कारण ऊर्जा की अत्यधिक खपत और उद्योगों से उत्सर्जित हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलना है। मानव जनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप, कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है। इन गैसों को हरित गृह गैसों कहा जाता है जो पृथ्वी से निर्गत होने वाली अवरक्त किरणों को रोककर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में सहायक होती हैं।

इन हरित गृह गैसों के कारण वायुमंडल का तापमान 19वीं सदी की

तुलना में आज 0.4 से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। आईपीसीसी (IPCC) की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पाँच दशकों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और औसतन यह वृद्धि 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति दशक रही है। यदि 2000 के बाद के तापमान पर ध्यान दिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि पिछले 15 वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म वर्षों में से रहे हैं। 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापन की स्थिति उत्पन्न होगी जो कई क्षेत्रीय और वैश्विक दुष्प्रभावों को जन्म देगी। जलवायु से संबंधित कई घटकों जैसे- वाष्पीकरण, समुद्री जल स्तर, मृदा की नमी, और ग्लेशियरों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हो चुका है जिससे बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इन घटनाओं के चलते व्यापक स्तर पर पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान की पारिस्थितिकी में अद्वितीय विविधता पाई जाती है जिसमें थार मरुस्थल, अरावली पर्वत श्रृंखला, वन्य क्षेत्र और जल स्रोत जैसे तंत्र शामिल हैं। इन तंत्रों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जैविक और भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण किया है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इन पारिस्थितिक तंत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरणस्वरूप थार मरुस्थल का विस्तार तेजी से हो रहा है जिसे 'डेजर्टिफिकेशन' कहा जाता है। इस प्रक्रिया के कारण राज्य के उपजाऊ क्षेत्र भी अब रेगिस्तान में बदलते जा रहे हैं। 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान के 60% से अधिक क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के लक्षण देखे गए हैं जो न केवल कृषि योग्य भूमि को बंजर बना रहा है बल्कि जैव विविधता को भी खतरे में डाल रहा है।

अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की भूगोलिक पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है यह भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अछूती नहीं रही। इन पहाड़ियों में वनों की घटती संख्या और बढ़ते तापमान ने वन्य जीवों के आवास को खतरे में डाल दिया है। कई वन्य जीव और पौधों की प्रजातियाँ अब विलुप्ति की कगार पर हैं। वन अनुसंधान संस्थान (FRI) द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि राजस्थान में पिछले तीन दशकों में लगभग 25% वनाच्छादित क्षेत्र कम हो चुका है जिसके कारण वन्यजीवों की प्रजातियों में गिरावट दर्ज की गई है। जल संसाधनों की विकट स्थिति के कारण राज्य में जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है जिससे नदियों,

तालाबों और झीलों का अस्तित्व संकट में है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राजस्थान की पारिस्थितिकी में एक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है जिससे न केवल जैविक जीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि मानव समुदाय के लिए भी यह एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि, खनिज संसाधन और पर्यटन उद्योग है जो राज्य के विकास और रोजगार के प्रमुख स्रोतों में से हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने इन सभी क्षेत्रों में गहरी चोट पहुंचाई है। कृषि राज्य की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय है जो जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में वर्षा की अनिश्चितता और बढ़ते तापमान के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो दशकों में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा में लगभग 15% की कमी आई है जिससे फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ा है। उदाहरण के लिए राज्य की प्रमुख फसल बाजरा जो कम पानी में भी उगाई जा सकती है उसके उत्पादन में भी 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति ने किसानों की आय में कमी और कृषि पर निर्भर परिवारों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

खनिज संसाधन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। राज्य में खनिज दोहन के लिए जल की आवश्यकता होती है लेकिन जलस्तर में गिरावट और जल स्रोतों की कमी के कारण खनिज उद्योग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रमुख खनिज क्षेत्रों में से 40% से अधिक जल स्रोत या तो सूख गए हैं या उनके जल स्तर में 30% की गिरावट आई है। इसके अलावा पर्यावरणीय नियमों में बदलाव और खनिज दोहन पर लगाए गए प्रतिबंधों ने इस उद्योग को और भी मुश्किल में डाल दिया है।

पर्यटन जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह भी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रहा है। राज्य की ऐतिहासिक धरोहरें जैसे- जैसलमेर का किला, उदयपुर की झीलें जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान झेल रही हैं। उदाहरण के लिए जैसलमेर के किले की दीवारों में दरारें पड़ने की घटनाएं बढ़ गई हैं जो बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश का परिणाम हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है विशेषकर गर्मियों के महीनों में जब तापमान असहनीय हो जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 2022 के बीच राज्य में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 25% की गिरावट आई है। इस गिरावट का सीधा प्रभाव राज्य की आय पर पड़ा है जिससे पर्यटन से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर ठोस नीतियों और योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। राजस्थान में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान जल संसाधन विभाग के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2011 में 840 घन मीटर थी जो 2021 में घटकर 700 घन मीटर रह गई है। इस गिरावट को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान' जैसी योजनाओं की शुरुआत की है जिसके माध्यम से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के

पुनर्जीवन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा जल वितरण की आधुनिक तकनीकों, जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके जल की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे कृषि उत्पादन को भी लाभ होगा।

हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान जो सौर ऊर्जा के लिए देश में अग्रणी राज्य है ने 2020 तक 9,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा था जिसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (RRECL) के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2023 तक 15,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हो चुका है। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हरित ऊर्जा के उपयोग से न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है बल्कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी लाई जा सकती है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता बढ़ाना भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक है। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उनके संभावित समाधान के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है। राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (RSPCB) द्वारा आयोजित किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य की 70% से अधिक आबादी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूक नहीं है। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य में सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा और स्थानीय स्तर पर जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा 'जलवायु अनुकूलन योजनाओं' के माध्यम से दीर्घकालिक नीति निर्माण और सतत विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे राज्य को इस संकट से बाहर निकाला जा सके। 'राजस्थान स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान' एक व्यापक योजना है जो राज्य में जलवायु अनुकूलन और शमन के उपायों पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके माध्यम से भविष्य के लिए एक स्थिर और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने राजस्थान की पारिस्थितिकी और आर्थिक संसाधनों पर गहरी चोट पहुंचाई है जिससे राज्य के प्राकृतिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस विकट परिस्थिति में राज्य की पारिस्थितिकी को संरक्षित करना और आर्थिक संसाधनों को स्थायित्व प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए तत्परता से कदम उठाते हुए जलवायु अनुकूलन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, जल संसाधनों का सतत संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और जनता को इस विषय में जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इस संकट का सामना करने के लिए एक सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
2. जलवायु परिवर्तन और राजस्थान की पारिस्थितिकी, भारतीय पर्यावरणविद् रिपोर्ट, 2020.

- | | |
|---|---|
| 3. राजस्थान की आर्थिक संरचना पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, 2022. | और कृषि पर प्रभाव, Academia.edu |
| 4. राजस्थान के जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, पर्यावरण विज्ञान अनुसंधान पत्रिका, 2021. | 6. कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 2019. |
| 5. विपिन कुमार पाण्डेय : जलवायु परिवर्तन का बाइमेर के जन-जीवन | 7. Impacts of Climate Change on Rajasthan's Mineral Resources, Mineral Economics Journal, 2021. |

भारत चीन सम्बन्धों का बदलता परिदृश्य

गुरप्रीत सिंह*

* राजनीति विज्ञान, गाँव चक 77 जी बी ए, अनूपगढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत चीन सम्बन्धों में कभी भी स्थायित्व का भाव नहीं रहा। दोनों देशों के मध्य आसन्न विवाद इसका प्रमुख कारण रहा है। दोनों देश सीमा विवाद का शांतिपूर्ण एवं स्वीकार्य हल तो चाहते हैं लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटने वाली घटनाएं इस ओर बढ़ने नहीं देती। जनसंख्या की दृष्टि से दोनों देश विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों देशों के सम्बन्ध विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों देश सोहाद्र एवं शांति की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं किंतु दूसरी ओर भारत के सीमावर्ती देशों में चीनी दखल इसमें विघ्न उत्पन्न करता है। भारत चीन के मध्य संबंधों की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती वर्तमान परिदृश्य में जब समूचा विश्व महामारी की चपेट में है ऐसे समय में चीन की ओर से विवादों को न्यूता दिए जाने में कोई कोर कसर नहीं रखी जा रही है। गलवान घाटी एवं लद्दाख की घटना इसकी गवाह है। भारत ने भी अपनी कूटनीति में परिवर्तन किया है एवं चीन को उसी की भाषा में जवाब भी दिया है। फिर भी आने वाले समय में कौन सी घटनाएं घटित होंगी यह नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तावना – भारत और चीन की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है, एक ओर जहां भारत पूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है वहीं चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, एवं उसने दिखावे के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली अपना रखी है। दूसरी ओर भारत जहां पड़ोसी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है वहीं चीन की नीति विस्तारवाद की है, यही कारण है कि भारत और चीन की दोस्ती कभी भी स्थाई प्रवृत्ति की नहीं रही। भारत और चीन के मध्य विवाद हमेशा बने रहे, विशेषकर सीमा विवाद। दोनों देशों की आर्थिक निर्भरताओं के कारण ये विवाद उभरते रहे एवं फिर कुछ समय के लिए दब भी गए। वर्तमान हालात में तो दोनों देशों के रिश्ते पुनः सामान्य हो सकेंगे इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों के मध्य विश्वास कायम होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। वर्तमान समय में समूचा भारतीय जनमानस चीनी विरोध की प्रवृत्ति का समर्थन कर रहा है। दोनों राष्ट्रों के कारोबारी रिश्ते भी बिगड़े हैं। एक ओर जहां चीन भारतीय सीमा पर घुसपैठ की फिराक में है वहीं भारत उसका पुरजोर विरोध करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने हेतु प्रयासरत है। हल ही में भारत ने विभिन्न एशियाई राष्ट्रों के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयास तेज किए हैं, भारत की इस पहल को चीन के साथ संतुलन स्थापित करने की नीति के तौर पर देखा जा सकता है। भारत अपनी क्षमता में वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत है जिससे चीन पर उसकी निर्भरता कम की जा सके।

ऐसे समय जबकि समूचा विश्व महामारी से निपटने हेतु आपसी सहयोग एवं समन्वय चाहता है वहीं विश्व के दो बड़े राष्ट्र आपसी विवाद से प्रभावित हैं, हालिया घटनाएं इसका प्रमाण है, जब दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गई हैं। भारत एवं चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को पार करते हुए चीनी सेना अस्थाई कैंप लगाकर भारत की सीमा की ओर बढ़ने लगी परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों के विरोध में आपसी संघर्ष की स्थिति निर्मित की

अंततः दोनों सेनाओं को पीछे हटने हेतु समझौता करना पड़ा। वर्तमान परिदृश्य ने इस घटना से यह संदेश जरूर दिया कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु तत्पर है। मोदी शासनकाल में सेना में नवीन मनोबल दिखाई दिया, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चीन को 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति से पीछे हटने की स्थिति में दिखाई नहीं देता, इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने अपनी ताकत सीमा पर बढ़ा दी है, जिससे किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु वह तत्पर रहे। वर्तमान परिदृश्य में जहां भारत विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, वहीं चीन भारत की बढ़ती साख से परेशान होकर उसे विश्व मानचित्र पर प्रभावी भूमिका से रोकने की पूर्ण कोशिश कर रहा है, किंतु कूटनीतिक स्तर पर उसे सफलता नहीं मिल रही है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल व अन्य देशों के भारत का समर्थन करने के कारण उसने विश्व का ध्यान भटकाने हेतु सीमाई क्षेत्र में भारत को उलझा है। उसने अपनी पुरानी रणनीति पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन बदलते परिवेश में भारत चीन के इस कदम का पुरजोर विरोध भी कर रहा है एवं काफी हद तक चीन को पीछे धकेलने में सफल हुआ है।

भारत चीन संबंधों का ऐतिहासिक स्वरूप – भारत चीन के वर्तमान संबंधों को जानने हेतु हमें इतिहास में झांकना होगा। 1950 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई इसी समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे हथिया लीया, इस स्थिति में भारत एवं चीन सीमाई राष्ट्र बन गए, दोनों के मध्य संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में व्यापारिक एवं यात्रियों के आवागमन तक सीमित रही। 1954 में पंचशील समझौते के माध्यम से भारत ने दोनों के संबंधों को विस्तार देने की इच्छा व्यक्त की एवं सौहार्द व शांति स्थापना की दिशा में मिलकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की, किंतु 19062 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने हिंदी चीनी भाई-भाई के

नारे को तार-तार कर दिया। करीब 15 वर्षों बाद 1976 में दोनों देशों के मध्य संबंधों में सकारात्मकता दिखाई दी। राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंध बढ़े इसे राजीव गांधी ने 1988 में चीन की यात्रा कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। दोनों देश सीमा विवाद के हल की ओर अग्रसर हुए।

1942 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पहले भारतीय राष्ट्रपति के रूप में चीन का दौरा कर इन संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 2003 में प्रधानमंत्री वाजपेई ने चीन का दौरा कर दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की यात्रा कर नथुला दर्रा खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में 1 शिखर सम्मेलन के माध्यम से आपसी सहमति बढ़ाने के प्रयास किए, 2018 में भारत में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित कर इन संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए।

भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति-चीन द्वारा डोकलाम विवाद, गलवान घाटी एवं लद्दाख जैसी घटनाओं को अंजाम देकर भारत के आपसी सहयोग के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम किया गया। वर्तमान परिदृश्य में भारत ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए सीमा पर अपनी मजबूत स्थिति कायम करने की दिशा में कार्य किया एवं व्यापारिक संबंधों में भी बदलाव देखा गया। भारत एवं चीन के मध्य वर्तमान समय में विभिन्न घटनाएं परिलक्षित हो रही हैं।

भारत चीन के मध्य प्रमुख विवाद :- भारत एवं चीन के मध्य निम्नांकित विवादास्पद मुद्दे हैं

1) सीमा विवाद - सीमा विवाद की महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को कभी महत्व ही नहीं दिया गया, मेक मोहन रेखा को चीन नहीं मानता और यहीं से भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ होती है, वह भारत के हिस्से को अपनी सीमा में दिखाता रहा है। कई बार अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपनी सीमा में दिखाया है।

2) भारतीय भूभाग पर आधिपत्य- चीन विस्तारवादी नीति का द्योतक रहा है उसने भारत के क्षेत्र अवसाई चीन पर आधिपत्य जमा रखा है, यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थापित है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जाई भूमि का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया है।

3) अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध-चीन प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का विरोध करते हुए वीटो पावर का प्रयोग करता रहा है चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भी भारत के प्रवेश को रोकने का कार्य किया है।

4) आतंकवाद पर दोहरी नीति - आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने दोहरी नीति अपनाई है, वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के विरोध का समर्थन करता है लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकवादी राष्ट्र होने के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान का बचाव एवं समर्थन किया है।

5) हिंद प्रशांत महासागर में विरोध-चीन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत की सदस्यता को भी स्वीकार नहीं किया, वह भारत की उपस्थिति को पसंद नहीं करता। उसे भय है कि यदि यहां भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो यह उसके लिए कूटनीतिक हार होगी।

6) पाक की मदद-चीन लंबे समय से पाकिस्तान को हर स्तर पर मदद मुहैया कराता आया है, पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति एवं उसकी

परमाणु क्षमता में वृद्धि में चीन ने मदद की है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में चीन ने रेल नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया है।

7) भारत की घेराबंदी- चीन ने नेपाल, भूटान, तिब्बत के सीमाई क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाकर भारत की घेराबंदी की है। वर्तमान में नेपाल भी चीन के समर्थन की भाषा बोल रहा है, उसने भारत के कई छोटे पड़ोसी देशों को भारत के विरुद्ध करने का भरसक प्रयत्न कर भारत की घेराबंदी मजबूत की है।

8) आर्थिक विवाद- भारत के विरोध में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विवाद भी महत्वपूर्ण है चीन द्वारा शिनजी प्रांत को पाकिस्तान बंदरगाह से जोड़ने के लिए सड़क एवम रेल नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके माध्यम से चीन पाकिस्तान के एक बड़े भाग पर अधिकार स्थापित कर सकता है जो भारत के लिए की भी किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं होगा।

भारत चीन विवादों के समाधान की संभावनाएं- विगत कुछ वर्षों से मोदी सरकार द्वारा चीन से संबंध सुधारने के प्रयास किए हैं इनमें निम्नांकित प्रमुख हैं।

1) एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान- दोनों देशों के मध्य शिखर सम्मेलनों का आयोजन कर इस बात के प्रयत्न किए गए कि पंचशील के सिद्धांतों के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता के लिए सम्मान के सिद्धांत का अनुसरण करेंगे, भारत ने इस दिशा में सार्थक पहल की है, इसका चीन को भी समर्थन करना होगा।

2) भारत की प्रभावी विदेश नीति-प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को नई दिशा प्रदान की है, विगत वर्षों में मोदी ने विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा एवं विश्व सम्मेलनों के माध्यम से चीन से संबंध प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसे और प्रभावी बनाना होगा।

3) भारत की बढ़ती साख का प्रभाव- चीन ने विगत वर्षों में भारत के विश्वव्यापी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया है, वह भारत के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। भारत ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से मधुर संबंध स्थापित कर चीन पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कार्य किया है, इसे और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

4) सैन्य मजबूती- भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य मजबूती के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, सेना का मनोबल बढ़ाया है एवं सीमा पर सेना को कार्यवाही के लिए अपेक्षाकृत अधिक छूट दे रखी है। इसे कायम रखना चाहिए एवं सेना को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर अधिक ताकतवर बनाने के प्रयास अनवरत किए जाने चाहिए।

5) कूट नीतिक चातुर्य की आवश्यकता- चीन एक अवसरवादी राष्ट्र है, वह इसी अवसरवादी नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने के प्रयत्न करता रहता है। भारत को उसकी नीति से सचेत एवं सतर्क रहकर अपने प्रभावी कूटनीतिक चातुर्य का इस्तेमाल करना होगा।

6) सीमाई राष्ट्रों से मित्रता- भारत को ऐसे राष्ट्रों से मित्रता करनी होगी जिन से चीन के मतभेद हैं। उदाहरणार्थ भूटान, वियतनाम, जापान बांग्लादेश आदि।

निष्कर्ष - भारत ने चीन के साथ विवादों के कारण विभिन्न आसियान राष्ट्रों से संबंध मजबूत करने के प्रयास किए हैं ये संबंध भारत की संप्रभुता की दृष्टि से समसामयिक प्रतीत होते हैं। भारत अकेले चीन का सामना करने की स्थिति में दिखाई नहीं देता इसलिए इन राष्ट्रों से भारत के संबंध उसे

मजबूती प्रदान करेंगे, भारत को इन से मदद मिल सकती है। जापान ऑस्ट्रेलिया एवं कई अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने संबंध बढ़ाने की कोशिशें की हैं, ये संबंध चीन को घेरने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत इन देशों के माध्यम से चीन पर दबाव बढ़ा सकता है। भारत चीन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु राष्ट्रों का साथ भी चाहता है, क्योंकि वर्तमान समय में चीन पर भारत का दबाव बनाए रखना आवश्यक है, चीन आसानी से सीमा से पीछे हटने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। उसने पुनः अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र में दिखाने का दुस्साहस किया है, भारत भी अब निर्णायक स्थिति कायम करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री एवं सेना भी इस प्रकार के संकेत दे चुकी है।

भारत एवं चीन के रिश्ते का वर्तमान परिदृश्य अच्छे संकेत नहीं देता है कोविड-19 की महामारी के समय में भारत, चीन के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ था, कभी-कभी यह प्रतीत होता है कि चीन ने यह सोचा होगा कि यह समय भारत की सीमाओं में घुसने का सबसे उपयुक्त अवसर है लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक चातुर्य एवं प्रभावी सेना की उपस्थिति से चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत ने चीन से आर्थिक संबंध भी बहुत हद तक कम कर लिए हैं, भारतीय जनमानस में चीनी उत्पादों का प्रयोग न करने की जनभावना का तेजी से विस्तार हुआ है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है, भारत सरकार भारत के युवाओं, वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि हमें आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र एवम स्वयं के उत्पाद विकसित करने चाहिए। नए आविष्कार कर बहुत हद तक इस चुनौती का भारत सामना कर सकता है। भारत युवाओं का देश है एवं प्रतिभाओं की यहां कमी नहीं है, आवश्यकता है इन प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने की भारत सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है भारत सरकार ने चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाकर तथा चीनी आयात कम करके इस दिशा में स्पष्ट संकेत देने का प्रयत्न किया है कि हमें इस और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होगा।

भारत सरकार अमेरिका, फ्रांस एवम् ईजराइल जैसे देशों से तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ जा सके। चीन जैसे विस्तारवादी राष्ट्र से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई बार संकेत दे चुके हैं कि हम हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, हमारी सेनाएं मजबूती से भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रही है। इस कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सैन्य उत्पादों का विभिन्न राष्ट्रों से आयात किया जा रहा है जिससे हम इस चुनौती से निपट सकें। यह कार्य भारत के लिए आसान नहीं है लेकिन हमें आशा है कि हम भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव से इस चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शौरी, अरुण, भारत चीन संबंध, प्रभात प्रकाशन, जनवरी 2009 माधव, राम, असहज पड़ोसी, किडले एडिशन
2. सिंह, जे जे, मैकमोहन लाइनर ए कंट्री आफ डिस्कार्ड, किडले एडिशन गुरुस्वामी एवं सिंह, इंडिया चाइना रिलेशन्स दी बॉर्डर इश्यू एंड बियांड, विवा बुक्स, न्यू दिल्ली, 2009
3. राघव, वही आर, इंडिया चाइना रिलेशन मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ज्ञान पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली राव निरुपमा, द इंडिया एंड चाइना वार
4. 50 ईयर्सलेटर, द ट्रिब्यून
5. कल्प नारायण एस, इंडिया एंड चाइना सिस्टम आफ्टर 1962 इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस
6. त्रिपाठी आरडी इंडिया चाइना रिलेशन, फ्यूचर पब्लिकेशन, ब्रिज बुक्स राव निरुपमा, द इंडिया चाइना ईशु, द हिंदू, मई 14 2015
7. भारत चीन संबंधरु चुनौतियां एवं उभरते मुद्दे, दृष्टि द विजन, 14 अक्टूबर 2019 प्रियदर्शन एस, भारत चीन संबंध
8. भारत चीन संबंध, द इंडियन वायर भारत चीन के कूटनीतिक संबंध के 70 साल पूरे, अमर उजाला, नई दिल्ली, 27 मई 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : विशेषताएं एवं कमियां

डॉ. डी.के.वर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एस.बी.एन. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उत्तार गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध करने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधारित थी। इसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा।

आज समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की वह शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उससे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नहीं बन पा रहा है। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी।

नई शिक्षा नीति को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी 1986 के बाद इस शिक्षा नीति को आने में 34 वर्ष लग गए। यह 19 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2019 तक व्यापक स्तर पर सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए चर्चा की गई तथा सुझाव लिए गए।

29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को पेश किया तथा इसे नए युग की शुरुआत कहां वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री तथा प्रवक्ता प्रकाश जावेडकर ने इस नवीन शिक्षा नीति को ऐतिहासिक फैसला बताया। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जुलाई 1968 में घोषित की गई यह कोठारी प्रतिवेदन पर आधारित थी दूसरी शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई जिसमें 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता वाली कमेटी तथा 1993 में गठित प्रोफेसर यशपाल समिति की समीक्षाओं के आधार पर संशोधन भी किया गया।

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना

है यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधानः

1. नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
 - **फाउंडेशन स्टेज** – फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल के बच्चे शामिल किए गए हैं, इस स्टेज में 3 साल की अपनी स्कूली शिक्षा तथा 2 साल प्री स्कूली शिक्षा जिसमें कक्षा 1 तथा दो शामिल है।
 - **प्रीप्रेटरी स्टेज** – प्रीप्रेटरी स्टेज के तहत 8 से लेकर 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है, प्रीप्रेटरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से कक्षा पांच के बच्चे शामिल होंगे।
 - **मिडिल स्टेज** – मिडिल स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे शामिल होंगे, मिडिल स्टेज के तहत कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी।
 - **सेकेंडरी स्टेज** – सेकेंडरी स्टेज के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, सेकेंडरी स्टेज के तहत जैसे बच्चे पहले साइंस, कॉमर्स तथा आर्ट्स लेते थे इस सुविधा को खत्म कर दी गई है, सेकेंडरी स्टेज के तहत बच्चे अपने पसंद की सब्जेक्ट ले सकेंगे और आगे की पढ़ाई कर सकेंगे।
2. NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधारः

1. इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्यचर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
2. कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।

3. 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training & NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
4. छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
5. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
6. छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार:

1. शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers & NPST) का विकास किया जाएगा।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।
4. वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति की विशेषताएं:

1. नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा।
2. इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो जाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा।
3. छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटरशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
4. शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्र किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
5. कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी।
6. नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है।
7. यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होती

है, इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है।

8. परीक्षाएं केवल 3, 5 और 8वीं कक्षा में आयोजित की जाएंगी, अन्य कक्षाओं का परिणाम नियमित मूल्यांकन के तौर पर लिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा और एक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक बच्चे को दो मौका मिलें।
9. नीति में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने के अधिक लचीलेपन के साथ स्नातक कार्यक्रमों के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक और एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।
10. राज्य और केंद्र सरकार दोनों शिक्षा के लिए जनता द्वारा अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश की दिशा में एक साथ काम करेंगे, और जल्द से जल्द जीडीपी को 6% तक बढ़ाएंगे।
11. नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का भोझ बढ़ाने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज्यादा केंद्रित है।
12. NEP यानी नई शिक्षा नीति सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखने की अनुमति देता है।
13. NTA राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।
14. छात्रों को पाठ्यक्रम के विषयों के साथ-साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी, इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
15. सरकार NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) की स्थापना करके विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर अनुसंधान और नवाचारों के नए तरीके स्थापित करेगी।

नई शिक्षा नीति की कमियां:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) 2020 में, भाषा एक नकारात्मक कारक है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रत्येक विषय के लिए मातृभाषा की शुरुआत एक समस्या है। कभी-कभी एक सक्षम शिक्षक ढूंढना एक समस्या बन जाता है और अब NEP 2020 की शुरुआत के साथ एक और चुनौती आती है, जो अध्ययन सामग्री को मातृभाषा में लाता है।
2. 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के अनुसार, जो छात्र स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, उन्हें चार साल की पढ़ाई करनी होगी, जबकि कोई भी आसानी से दो साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकता है। यह छात्र को पाठ्यक्रम को आधा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के छात्रों की तुलना में बहुत कम उम्र में अंग्रेजी से परिचित कराया जाएगा। सरकारी स्कूल के छात्रों को संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
4. यह नई शिक्षा नीति की प्रमुख कमियों में से एक है क्योंकि इससे अंग्रेजी में संवाद करने में असहज छात्रों की संख्या में वृद्धि होगी जो की अंग्रेजी में संवाद करने में असहज महसूस करेंगे।
5. भाषा का कार्यान्वयन यानि क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति कम

दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ और बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव:

1. शिक्षा को न केवल शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना चाहिए-दृढ़ता, नेतृत्व और टीम वर्क के साथ बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान भी करवाना जरूरी है।
2. ऐसे साहसिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्कृष्ट, प्रेरक मार्गदर्शकों का एक पूल तैयार करने के साथ-साथ शिक्षकों, शिक्षकों और आधिकारिक कर्मचारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। सीखना एक कठिन अभ्यास के बजाय एक मनोरंजक और आकर्षक कार्य होना चाहिए।
3. इस नीति को एक ऐसा शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना होगा जो हमारे देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ प्रत्येक छात्र की सीखने की गति को भी ध्यान में रखे।

निष्कर्ष:

1. मौजूदा शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी जिसे 1986 में लागू किया गया था। परिणामस्वरूप परिवर्तन नई शिक्षा नीति का ही नतीजा है। नीति में कई सकारात्मक विशेषताएँ हैं, लेकिन इसे केवल सख्ती से ही हासिल किया जा सकता है। लेआउट के लिए केवल विचार

काम नहीं करेगा बल्कि कार्यों को कुशलता से करना होगा।

2. यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।
3. इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें।
4. इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहेय साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.google.com
2. www.education.gov.in
3. www.drishtiias.com

भारत बोध के विभिन्न स्रोत

डॉ. मधुसूदन चौबे*

* सह-प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक नागरिक में अपने राष्ट्र की समझ होना अपेक्षित है। इससे उनमें नागरिक बोध तथा देश प्रेम और देश के प्रति गौरव भावना का विकास होता है। भारतवर्ष का अतीत वैभवशाली, वर्तमान सबल और भविष्य उच्चतम संभावनाओं से युक्त है। भारत को सप्तसैधव, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, रेवाखंड, ब्रह्मदेश, भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से उल्लिखित किया गया। कोई भी राष्ट्र अनेक तत्वों से निर्मित होता है। सभी तत्वों को समझकर देश के प्रति सर्वांग समझ विकसित की जा सकती है।

भारतवर्ष को समझने के लिए अर्थात् भारत बोध के लिए हम भारत के इतिहास, निवासी, संस्कृति, भूगोल, धर्म, साहित्य, संविधान आदि स्रोतों की सहायता ले सकते हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत बोध के इन विभिन्न साधनों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – राष्ट्र, भारत बोध, नागरिक बोध, भारतवर्ष, पाषाणकाल, सभ्यताएं, स्वर्ण युग, संस्कृति, प्रजाति, संविधान।

प्रस्तावना – उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्ष तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः॥

विष्णु पुराण के उक्त श्लोक का आशय है- 'समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, उसका नाम भारत है और वहां के निवासी भारतीय हैं।'

भारत के अनेक आयाम हैं। इन्हें समझने के लिए विविध स्रोतों का उपयोग करना समीचीन है।

अ. इतिहास से भारत की समझ – यह तथ्य गौरवान्वित करता है कि विश्व की प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहर भारत के हिस्से में आई है। लाखों वर्षों का भारतीय इतिहास मानव की प्रारंभिक अवस्था से लेकर आज तक की आधुनिकतम अवस्था तक के अनेक पड़ावों का साक्षी है।

कई लाख वर्षों की परिधि में विस्तारित पाषाणकाल में हमारे भारतीय पूर्वजों ने प्रकृति को समझा, उसके साथ सामंजस्य स्थापित किया, उससे सीखा और जीवनशैली में निरंतर परिवर्तन किये। खाद्य संग्रहाण से खाद्य उत्पादक बना। यायावरीय जीवन को स्थायित्व प्रदान किया। आग तथा पहिये की खोज से क्रांतिकारी बदलावों की नींव रखी। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की संज्ञाओं के माध्यम से हम इस प्रगति को भलीभांति समझ सकते हैं। अनेक स्थलों पर हुए उत्खनन से प्राप्त पाषाण-उपकरणों और भीमबेटका की गुफाओं में तथा अन्यत्र उत्कीर्ण चित्रों के अध्ययन से तद्युगीन मनुष्यों की जिजीविषा और संघर्ष का ज्ञान प्राप्त होता है।

त्रेता एवं द्वापर युग में हुए महाकाव्य काल में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम तथा श्रीकृष्ण जैसे नायक मिले। जिनकी उपलब्धियों के आधार पर रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ सृजित हुए।

सिंधु-सरस्वती की सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि विश्व में सर्वप्रथम सभ्यता का आविर्भाव भारत-भूमि पर हुआ। लगभग पन्द्रह सौ स्थलों पर

इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त होना इसके व्यापक क्षेत्र का द्योतक है। हड़प्पा, मुहें-जो-डैरो (मोहन जोदड़ो), चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़, राखीगढ़ी जैसे इस सभ्यता के केन्द्रों ने विश्व के पुरातत्ववेत्ताओं और वास्तुविदों को विस्मित कर दिया है। यहां का नगरीय नियोजन, समाज में स्त्रियों की श्रेष्ठ स्थिति, शांतिप्रियता, उन्नत कृषि एवं अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृति का स्वरूप अद्वितीय है। हमारी इस सभ्यता ने दुनिया को कपास जैसे उत्पाद दिये।

समय के साथ भारत में जनपद, महाजनपद, राज्य और साम्राज्य की अवधारणाएँ अस्तित्व में आईं। सोलह महाजनपदों ने प्रसिद्धी प्राप्त की। हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार जैसे अनेक राजपूत वंशों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग और समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों ने अश्वमेध जैसे यज्ञ करके दिग्-दिगंत तक अपनी शक्ति का विस्तार किया।

इतिहास से ज्ञात होता है कि भारत की प्रतिरोध और आत्मरक्षा की शक्ति भी अतुलनीय है। भारत ने विदेशी आतताइयों के अनेक आक्रमण झेले। इन आक्रांताओं में अलेक्जेंडर (सिकंदर), सेल्यूकस, डिमेट्रियस, मीनेंडर, नहपान जैसे यूनानी, शक, हूण, कुषाण, मुस्लम, यूरोपीय आदि सम्मिलित थे। अलेक्जेंडर विश्व विजेता बनने का महत्वाकांक्षी था, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसका आक्रमण कितना प्रबल रहा होगा। इन युद्धों में विजय-पराजय का सिलसिला चलता रहा। भारत अक्षुण्ण बना रहा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत-रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता में लिखा है कि-

**दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है,
घर-घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहां है,
दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा,**

**किंतु तम की छाती चीरकर, चमका हिंदुस्तान हमारा,
शत-शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा,
दुनिया के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा।**

भारत के इतिहास में सैधव्य सभ्यता के अभियांत्रिकीय कौशल युक्त व्यवित, वैदिक ऋषि, धर्म प्रवर्तक, चिंतक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी, साहित्यकार, सम्राट, प्रशासक, उद्यमी, कृषि विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक हुए, जिनकी मेधा ने देश को उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचाकर विश्वगुरु की प्रस्थिति दिलाई।

ब. निवासियों के आधार पर भारत की समझ – वर्तमान में चीन के उपरांत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 1 अरब, 21 करोड़ थी, जो अनुमान के अनुसार अब तक बढ़कर 1 अरब, 41 करोड़ हो गई है।

भारतीय जनसंख्या में अनेक प्रजातियों का मिश्रण होने से भारत को **'प्रजातियों का अजायबघर'** कहा जाता है। इनमें से अधिकांश प्रजातियाँ समय-समय पर भारत में आई और उत्तर से दक्षिण की ओर बसती चली गई।

भारतीय जनसंख्या में सर्वप्रथम प्रजातियों का निर्धारण 1901 की जनगणना के समय सर हरबर्ट रिजले ने किया। उन्होंने निम्नांकित सात प्रजातियों को चिह्नित किया—

1. द्रविड़ियन,
2. इण्डो आर्यन,
3. मंगोलायड,
4. आर्य द्रविड़ियन,
5. मंगोल द्रविड़ियन,
6. सिथो द्रविड़ियन,
7. तुर्क-ईरानी।

रिजले की थ्योरी वर्तमान में मान्य नहीं है। ग्यूफ्रिडा, हैडन, इक्सटेड, हटन आदि मानवविज्ञानियों ने भी इस दिशा में कार्य किये। 1931 की जनगणना के आधार पर डॉ. बी. एस. गुहा ने भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण किया, जो सर्वाधिक मान्य हुआ है।

उल्लेखनीय है कि मानवशास्त्रियों ने संसार की जनसंख्या को कॉकेशियन (श्वेत), मंगोलॉयड, नीग्रो, आस्ट्रोलॉयड, कालाहारी के बुशमैन एवं हॉटेनटॉट्स नामक पांच प्रजातियों में विभक्त किया है, जिनमें से अंतिम दो लगभग समाप्त हो गई है। कॉकेशियन को नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय समुदायों के रूप में विभक्त किया जाता है।

कॉकेशियन लहरदार बालों वाले, मंगोलॉयड सीधे बालों वाले एवं नीग्रो ऊन जैसे बालों वाले कहलाते हैं। संसार में श्वेत और मंगोलॉयड प्रजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है।

बी. एस. गुहा (बिरजा संकर गुहा) ने रक्त समूह और शारीरिक लक्षणों के आधार पर भारतीय जनसंख्या का छह प्रजातियों में वर्गीकरण किया है। ये प्रजातियाँ निम्नांकित हैं—

1. नीग्रिटो – ये भारत के आदिम निवासी होने से देश की सबसे पुरानी प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। काला रंग, छोटा कद, चौड़ा सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, घुंघराले ऐंठे बाल आदि इनकी विशेषताएँ हैं।

वर्तमान में भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये मुख्यतः अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाये जाते हैं। इसके अलावा कुछ संख्या

में ये दक्षिण भारत में द्रावणकोर-कोचीन, पूर्वी बिहार की राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी पूर्वी सीमान्त राज्यों में भी मिलते हैं।

2. प्रोटो आस्ट्रोलोयड – भारत में इनका अभ्युदय नीग्रिटो प्रजाति के बाद हुआ। चाकलेटी रंग, छोटा कद, लम्बा सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, काले घुंघराले बाल इनके प्रमुख शारीरिक लक्षण हैं।

भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों की चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, यरूवा, मुण्डा, कोल, संधाल भील आदि अधिकांश जनजातियाँ इसी वर्ग की हैं।

3. मंगोलायड – इस प्रजाति ने हिमालय के पूर्वी भागों से होते हुये तिब्बत से भारत में प्रवेश किया। त्वचा का रंग पीलापन लिये, सामान्य कद, चौड़ा सिर, गोल चेहरा, छोटी-चपटी नाक, सामान्य होंठ, भारी और अधखुली आंखें आदि शारीरिक विशिष्टताएँ इस प्रजाति की पहचान हैं।

यह प्रजाति **पूर्व मंगोलायड, तिब्बती-मंगोलायड, चौड़े सिरवाली प्रजाति** नामक तीन उपवर्गों में मिलती है।

यह भारत में हिमालय पर्वत की तलहटी एवं उत्तर-पूर्वी सीमा प्रान्तों जैसे उत्तरांचल, असम एवं सिक्किम में मुख्य रूप से बसी हुई है।

4. भूमध्यसागरीय – यह प्रजाति मुख्यतः भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बसी हुई है। काला रंग, छोटा कद, तुलनात्मक रूप से काफी लम्बा सिर, चौड़ी नाक, मोटे होंठ, आदि इनकी विशेषताएँ हैं।

यह प्रजाति तीन उपवर्गों में मिलती है— प्राचीन भूमध्यसागरीय, भूमध्यसागरीय (सिन्धु घाटी की सभ्यता के जनक) एवं पूर्वी अथवा सैमिटिक।

भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, काश्मीर आदि राज्यों में इस प्रजाति के लोग बसे हुये हैं।

5. चौड़े सिर वाली प्रजाति – यह प्रजाति पश्चिमी और मध्य यूरोप से आई है। इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएँ हैं अल्पाइन एवं दिनारिक। अल्पाइन का रंग पीलापन लिये भूरा, मध्यम कद, चौड़े कंधे तथा छोटी व ऊँची नाक होती है। ये लक्षण मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात की जनजातियों में मिलते हैं।

दिनारिक प्रजाति का ढलवां माथा, उठी हुई ठोड़ी, सिर का पिछला भाग चपटा, जैतूनी काले रंग की त्वचा, औसत कद और पतले होंठ होते हैं। इसके लक्षण उड़ीसा, बंगाल की जनजातियों में मिलते हैं।

भारत में यह प्रजाति गुजरात, प. बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश आदि क्षेत्रों में बसी हुई है।

6. नार्डिक अथवा इण्डो-आर्यन प्रजाति – इनका सिर लम्बा, ऊँची पतली नाक, पतले होंठ, सफेद गेहूँआ त्वचा का रंग और कुछ लम्बा कद होता है।

वर्तमान में मुख्यतः उत्तर भारत में बसी हुई है। पंजाब, काश्मीर, राजस्थान, मध्यभारत, गंगा यमुना घाटी में इस प्रजाति के निवासी रहते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज की भारतीय जनसंख्या के प्रजातीय लक्षण विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण का परिणाम है। भारत में निवासरत् प्रजातियों में अत्यधिक विविधता है तथा किसी भी प्रजाति को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ सभी प्रजातियों के प्रतिनिधि मिलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं। इसीलिये भारत को प्रजातियों का गलन पात्र (Melting Pot of Races) कहा जाता है।

वर्तमान सभ्यता में प्रजातीय विचारधारा अपना महत्व खो चुकी है, अतः प्रजातीय संकल्पना को निरर्थक माना जाता है।

स. संस्कृति, धर्म, साहित्य के आधार पर भारत की समझ – भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में अग्रगण्य है। इसके अभ्युदय, पोषण एवं विकास में अनेक जातियों एवं प्रजातियों का योगदान रहा है। भारत की संस्कृति की विशेषताओं के माध्यम से भारतवर्ष को समझा जा सकता है।

बिंदुवार भारत की विशेषताएं इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैं-

1. प्राचीनता – भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। पूर्व पाषाणकालीन अवशेषों के अनुसार भारत आदिमानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रहा है। सैन्धव्यकालीन अवशेषों से सिद्ध हो चुका है कि आज से लगभग पाँच हजार वर्षों पहले पश्चिमोत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में उच्च कोटि की संस्कृति विकसित हो गई थी। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भारतीय संस्कृति को रोम एवं यूनानी संस्कृति से प्राचीन तथा मिस्र, असीरिया एवं बेबीलोनिया जैसी संस्कृतियों के समकालीन और उनसे श्रेष्ठ माना गया है।

2. निरंतरता – हजारों वर्षों के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में जीवित है। इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुये हैं, किन्तु इसके आधारभूत तत्वों, जीवन मूल्यों और चिन्तन पद्धति में निरन्तरता बनी हुई है। इकबाल ने लिखा है-

**'यूनान, मिस्र, रोमा, सब मिट गये जहाँ से,
बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा।'**

3. आध्यात्मिकता – तपोवन एवं आश्रमों में विकसित भारतीय संस्कृति के चिन्तन में आध्यात्मिकता की प्रमुखता है। यहाँ मानव शरीर को नश्वर एवं आत्मा को अमर माना गया है। हमारी संस्कृति जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मानती है तथा इसके लिये भक्ति एवं तपस्या का निर्देश देती है।

4. समन्वयवादिता – भारतीय संस्कृति में बाह्य तत्वों को आत्मसात् करने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता विद्यमान है। समय-समय पर भारतीय संस्कृति ने शक, कुषाण, हूण, मुस्लिम एवं अन्य संस्कृतियों की मूलभूत अच्छाइयों को अपने में समाहित कर लिया तथा अपने मौलिक रूप में अबाध गति से प्रवाहित होती रही। महाकवि राधमारी सिंह दिनकर के शब्दों में-

'हिन्दू संस्कृति ने अनेक संस्कृतियों को पीकर अपनी ताकत बढ़ायी है।'

5. धार्मिकता – भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता है। धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं है, अपितु इसमें कर्तव्य, सदाचार, विधि-विधान एवं शाश्वत नैतिक नियम भी सम्मिलित हैं। महर्षि कणाद के अनुसार-

'जिस कार्य से इस लोक में अभ्युदय प्राप्त हो एवं परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, उसी का नाम धर्म है।'

6. सर्वधर्म समभाव – भारतीय संस्कृति उदार एवं धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु है। भारत अनेक धर्मों की जन्म स्थली है तथा विश्व के अनेक धर्मों का पल्लवन हुआ है। वैदिक, सनातन या हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाइ जैसे सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है तथा सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही माना जाता है। सम्राट अशोक के शब्दों में-

'लोगों को दूसरों के धर्म के बारे में सुनना चाहिये और उनका आदर करना चाहिये।'

7. सर्वांगीण विकास पर बल – भारतीय संस्कृति में मानव के मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल दिया गया है। यह चार पुरुषार्थों

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सन्देश देती है।

8. सर्वकल्याण की भावना – भारतीय संस्कृति में पूरे विश्व को एक परिवार मानकर उसके कल्याण की कामना की गई है। शास्त्र में उल्लेख है-

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भागभवेत्॥

इसका आशय है- 'सभी सुखी और निरोगी हो, सभी भद्रता का दर्शन करें और कोई भी दुःख का भागी न हो।'

9. वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था – भारतीय संस्कृति का आधार वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था रही है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार वर्ण थे, जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। यह व्यवस्था श्रम विभाजन के वैज्ञानिक आधार पर निर्मित थी। कालांतर में इसी से जाति प्रथा का विकास हुआ।

ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास चार आश्रमों की परिकल्पना की गई थी। इनके आधार पर जीवन व्यतीत किया जाता था।

10. अहिंसा प्रिय – भारतीय संस्कृति में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। यह मन, वचन और कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाने की शिक्षा देती है। बुद्ध, महावीर एवं गांधी विश्व में अहिंसा के साक्षात् प्रतिमान माने जाते हैं।

11. गौरवपूर्ण वाङ्मय – विश्व का श्रेष्ठतम साहित्य भारत में सृजित हुआ है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य में हमारे देश के विविध आयाम प्रतिबिम्बित हुए हैं। सभी विषयों पर उत्कृष्ट साहित्य रचा गया। वेद, उपवेद, वेदांग, महाकाव्य, उपनिषद्, पुराण, जैन तथा बौद्ध साहित्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, वृहत्संहिता, आर्यभटीय, हर्षचरित्र सहित अकूत साहित्यिक सम्पदा हमारी धरोहर है। इस साहित्य को पढ़कर हम भारत को समझ सकते हैं। भारत की वृहद् साहित्य सम्पदा का विवेचन इसी पुस्तक की प्रथम इकाई के पांचवें अध्याय में किया गया है।

अनेकता में एकता

12. अनेकता में एकता – अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की अनोखी विशेषता है। भारत एक विशाल उप महाद्वीप है। यहां विभिन्न प्रकार की जलवायु, धर्म, रीति-रिवाज, खान-पान, वेशभूषा, भाषाएँ आदि प्रचलित हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी भारत में भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मौलिक एकता का अस्तित्व है। विभिन्नताओं में भी मौलिक एकता विद्यमान है। निम्नांकित विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है-

1. भौगोलिक विविधता में एकता – भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएँ व्याप्त हैं। यहाँ ऊँची पर्वत श्रेणियाँ, समतल मैदान, घने वन, सूखे मरुस्थल, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उष्ण-शीतोष्ण एवं शीत जलवायु पाई जाती है।

इन विविधताओं के बावजूद विशिष्ट प्राकृतिक सीमाओं में सुरक्षित भारत स्वयं में एक सम्पूर्ण भौगोलिक इकाई है। विष्णु पुराण में कहा गया है-

'जो समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में फैला है, उसे भारत कहते हैं।'

2. भाषाई विविधता में एकता – भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, काश्मीरी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, राजस्थानी आदि अनेक भाषाओं

एवं बोलियों का प्रचलन रहा है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है।

किन्तु सभी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव होने के कारण उनमें एकरूपता पाई जाती है। त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी एवं एक प्रान्तीय भाषा सिखाई जाती है। इससे विभिन्न भाषा-भाषियों के बीच एकता के भाव पैदा हुये हैं। दिनकर ने लिखा है-

'सभी भाषाओं के साहित्य का जीवन दर्शन एक सा है, कल्पना की उड़ान एक सी है, अलंकार एक से हैं, आत्मा की पुकार एक सी है।'

3. प्रजातीय विविधता में एकता - भारतीय आबादी को विभिन्न जाति समूहों में विभाजित किया गया है। यहाँ विश्व की तीन प्रमुख प्रजातियाँ श्वेत, पीली तथा काली एवं उनकी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। इसीलिये चर्चिल ने भारत को **'प्रजातियों का अजायबघर'** कहा है।

यह सत्य है कि भारत में अनेक प्रजातियों के लोग रहते हैं, किन्तु उनमें अमेरिका या अफ्रीका की भाँति संघर्ष नहीं, अपितु पारस्परिक सद्भाव तथा सहयोग का भाव है। विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण वर्तमान में विशुद्ध रूप से कोई प्रजाति शेष नहीं है।

4. राजनीतिक अनेकता में एकता - इतिहास के विभिन्न दौरों में भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व रहा है। लेकिन, भारतीय प्राचीन काल से ही राजनीतिक एकता के आदर्श से परिचित थे। अनेक चक्रवर्ती सम्राटों ने इस आदर्श को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। स्वतंत्रोपरांत भारत ने एक राजनीतिक ईकाई के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित किया।

5. सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में एकता - भारत के विभिन्न क्षेत्रों यथा जम्मू-काश्मीर, पंजाब, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु आदि में रहने वाले लोगों के परिवार, विवाह, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

इसके बावजूद एकता के तत्व मौजूद है। संयुक्त परिवार प्रणाली, गोत्र एवं वंश व्यवस्था सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। सामाजिक-धार्मिक उत्सवों व त्यौहारों का प्रचलन सामान्य रूप से पूरे देश में है।

6. ऐतिहासिक विविधता में एकता - प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न धर्मों एवं प्रजातियों के लोग आये, जिनके पृथक-पृथक इतिहास थे, किन्तु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गये, तो उन्होंने समन्वित संस्कृति एवं सामान्य इतिहास का निर्माण किया।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति सार्वभौम आदर्शों से ओतप्रोत है तथा सत्यं-शिवं-सुन्दरम् इसका ध्येय है। भारतीय संस्कृति का अहिंसा, शान्ति और विश्व बंधुत्व का सन्देश आज भी विश्व मानवता के लिये आशा की किरण है। भारत में अनेक विभिन्नताएँ होने पर भी यह अपने में एकता संजोये हुये है। विन्सेट स्मिथ ने लिखा है- 'भारत में गंभीर मौलिक एकता है, जो रक्त, रंग, भाषा, पोषाक, व्यवहार, सम्प्रदाय आदि की अनेक विभिन्नताओं को पार कर जाती है।'

द. भूगोल के आधार पर भारत की समझ - किसी भी देश का भूगोल प्रायः प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। देशों की सीमाएँ मानव द्वारा निर्मित हो सकती हैं। भूगोल के आधार पर हम न केवल भारतवर्ष के बाह्य स्वरूप को अपितु इसकी आंतरिक संरचना को भी समझ सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया के उपरांत सातवां बड़ा देश है। इसकी प्रमुख भौगोलिक

विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-

1. स्थिति - भारत एशिया के दक्षिणी भाग में 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश तथा 68°7' से 97°25' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 4214 किलोमीटर में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थल सीमा 15200 किलोमीटर एवं समुद्री तट की लम्बाई द्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर एवं द्वीप रहित जल सीमा 6100 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी छोर जम्मू-काश्मीर राज्य और दक्षिणी छोर तमिलनाडु है। पश्चिमी सिरा गुजरात और पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश है। हमारे देश की यह स्थिति इसको अत्यंत विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है।

2. सीमाएँ - भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरी है। इसके दूसरी ओर चीन, नेपाल तथा भूटान स्थित हैं। पूर्व में पहाड़ों की श्रृंखला इसे म्यामांर से पृथक करती हैं। पूर्व में ही इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ है। पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान लगे हुये हैं। दक्षिण में इसके एक ओर अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी तथा बीच में हिन्द महासागर है। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी इसको श्रीलंका से पृथक करते हैं। भारत के अण्डमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में है।

3. प्राकृतिक विभाग - भारत को चार प्राकृतिक भागों में बाँटा गया है-

i. **उत्तर का पर्वतीय प्रदेश** - इस प्रदेश में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ स्थित हैं, जो 2400 किलोमीटर लम्बी है और असम से काश्मीर तक फैली हुई हैं। इनमें K-2, कंचनजंघा, नंगापर्वत, नन्दादेवी, कामेत जैसे पर्वत शिखर हैं, इनकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। यहीं से गंगा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं। पांच लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह प्रदेश वन तथा पशुधन की दृष्टि से समृद्ध है।

ii. **गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान** - 2400 किलोमीटर लम्बा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा यह मैदान भारत के मध्य में स्थित है। उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियों ने किया है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ और जलवायु उत्तम होने से कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय बन गई है। यह सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत भाग रहता है। उत्तरी विशाल मैदान को चार भागों में बाँटा जा सकता है-

1. पश्चिमी मैदान, 2. उत्तरी मध्य मैदान, 3. पूर्वी मैदान एवं 4. ब्रह्मपुत्र का मैदान।

पश्चिमी मैदान में राजस्थान का मरुस्थल तथा अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिमी बांगर क्षेत्र सम्मिलित है। उत्तरी मध्य मैदान पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में फैला है। पूर्वी मैदान गंगा की मध्य और नीचली घाटियों में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में विस्तृत है।

iii. **दक्षिण का पठार** - यह पठार विंध्याचल पर्वत से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारतीय विशाल पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख पर्वतीय खण्ड हैं- अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकल एवं अजन्ता। इसके एक ओर पूर्वी घाट तथा दूसरी ओर पश्चिमी घाट है। इसके पूर्व में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी और पश्चिम में नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ बहती हैं। इस क्षेत्र में

वर्षा कम होती है। यहाँ के व्यवसाय हैं- कृषि, खनन तथा उद्योग।

iv. तटीय प्रदेश - इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आते हैं। पूर्वी घाट की लम्बाई 800 किलोमीटर एवं पश्चिमी घाट की लम्बाई 1600 किलोमीटर है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। यहाँ वर्षा खूब होती है। खेती तथा मत्स्य पालन इस क्षेत्र के मुख्य व्यवसाय हैं।

4. द्वीप समूह - मुख्य भूमि के अलावा भारत में दो द्वीप समूह हैं- 1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह एवं 2. लक्षद्वीप। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अण्डमान, कार निकोबार, लघु निकोबार और वृहत् निकोबार द्वीप सम्मिलित हैं। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं।

5. नदियाँ - भारत में अनेक नदियाँ हैं। इन्हें चार वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

i. **हिमालयीन नदियाँ** - ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोमती, गंडक, कोसी आदि। ये बारहमासी नदियाँ हैं।

ii. **प्रायद्वीपीय नदियाँ** - चम्बल, बेतवा, सोन, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी आदि। इनमें वर्षा का पानी रहता है।

iv. **तटीय नदियाँ** - ये मुख्यतः पूर्वी तट की ओर हैं। ये छोटी नदियाँ हैं। पेन्नार यहाँ की मुख्य नदी है।

v. **अन्तःस्थलीय नदियाँ** - रेत में ही लुप्त हो जाने वाली ये नदियाँ मुख्यतः राजस्थान में हैं- लूनी, घग्घर, कोतली, सावी, काकनी आदि।

6. जलवायु - भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में आता है, जो सदैव गर्म रहता है। पूर्वी भाग में अधिक ताप तथा वर्षा पाई जाती है। उत्तरी भाग हिमालय के ठण्डे प्रदेश से प्रभावित रहता है तथा पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण गर्म तथा शुष्क रहता है।

7. वनस्पति - वन सम्पदा की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश नहीं है। 'भारतीय वन सर्वेक्षण' के अनुसार 2005 में भारत में 6, 77, 088 (छह लाख सत्तर हजार अठ्ठासी) वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन हैं। यह देश के कुल भू-भाग का 20.60 प्रतिशत है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में के अनुसार देश के कम से कम 33 प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिये।

भारत में छह प्रकार के वन पाये जाते हैं- पर्वतीय, उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार, मानसूनी या पतझड़ वाले, मरुस्थलीय, डेल्टाई एवं घास के मैदान।

इन वर्गों में वृक्षों की 45000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन वर्गों में बाँस, सागौन, साल, आम, महुआ, सेमल, शहतूत, बबूल आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

8. मिट्टियाँ - भारत में मुख्यतः चार प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं।

i. **जलोढ़ मिट्टी** - यह नदियों द्वारा बहाकर लाये गये पदार्थों के जमाव से बनती है तथा सर्वाधिक उपजाऊ है। यह उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में पाई जाती है।

ii. **काली मिट्टी** - लावा के जमाव से बनने वाली यह मिट्टी सम्पूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तथा पश्चिमी मध्यप्रदेश में पाई जाती है। कपास, ज्वार, गेहूँ, अलसी, मूँगफली, चना आदि के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

iii. **लाल मिट्टी** - यह मिट्टी लाल पत्थर, प्राचीन खेदार चट्टानों और परिवर्तित चट्टानों के टूट-फूट के जमाव से बनी है। यह तमिलनाडु, छोटा नागपुर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, दक्षिणी-पूर्वी महाराष्ट्र

तथा आंध्रप्रदेश के पूर्व में पाई जाती है। यह कृषि के लिये अधिक उपयुक्त नहीं है।

iv. **लेटेराइट मिट्टी** - इस मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूट-फूट से हुआ है। यह असम, मध्यप्रदेश, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों पर पाई जाती है। यह चाय उत्पादन के लिये सर्वश्रेष्ठ है।

9. खनिज संसाधन - खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न राष्ट्र है। यहाँ अनेक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। इनमें लौहा, कोयला, ताँबा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैंगनीज, हीरा आदि प्रमुख हैं।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत में विविधताएँ व्याप्त हैं। यहाँ ऊँची पर्वत श्रेणियाँ, समतल मैदान, घने वन, सूखे मरुस्थल, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उष्ण-शीतोष्ण एवं शीत जलवायु पाई जाती है। इन भौगोलिक विशेषताओं से भारत को लाभ तथा हानि दोनों हुये हैं।

इ. संविधान के आधार पर भारत की समझ - संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है। संविधान के उपबंधों से भी हम भारत के विधिक स्वरूप को समझ सकते हैं। केबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार गठित संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। इसमें उन विधानों का संकलन है, जिनके आधार पर राष्ट्र की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसका निर्माण संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह एवं 18 दिन में किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। इसका लेखन डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति ने किया था। यह 26 नवम्बर, 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा इसे 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

संविधान के प्रथम अनुच्छेद में हमारे देश के दो नाम दिये गये हैं- भारत एवं इंडिया।

संविधान भारत को प्रभुत्व सम्पूर्ण सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसके अनुसार भारत आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्माण अपनी इच्छानुसार करता है। भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तथा भारत का राष्ट्रप्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित है।

42 वें संशोधन (1976) द्वारा भारत को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है। इसके तहत भारत के विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करके आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को खत्म करने का संकल्प किया गया है।

संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। सर्वधर्मसमभाव का श्रेष्ठ उदाहरण हमारे देश में देखा जा सकता है।

संविधान भारत के लिये संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसके तहत राष्ट्रपति नाममात्र के एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल वास्तविक शासक है। मंत्रिपरिषद् संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी है। किन्तु, इंग्लैण्ड के विपरीत भारत में संसद नहीं संविधान सर्वोच्च है।

भारतीय संविधान में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों प्रणालियों के लक्षण पाये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्यों में पृथक-पृथक सरकारें तथा उनके मध्य शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, आदि संघीय शासन के तथा केन्द्र का अधिक शक्तिशाली होना, केन्द्र एवं राज्यों के लिये एक ही संविधान, इकहरी नागरिकता आदि एकात्मक शासन के तत्व हैं। संविधान

का ढांचा संघात्मक तथा आत्मा एकात्मक है।

संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के हित में आरक्षण आदि के उपबन्ध किये गये हैं।

प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली 'हम भारत के लोग.....अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं' से स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार सर्वोच्च प्रभुता जनता में निहित।

उपसंहार – इस तरह स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष विश्व के प्राचीनतम इतिहास एवं सभ्यता-संस्कृति वाला देश है। यहां ज्ञान एवं विज्ञान की समस्त शाखाओं ने उच्चतम विस्तार पाया। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी जैसे शिक्षा के केन्द्रों ने इसकी ख्याति को दूर-दूर तक पहुंचाया। प्राचीनकाल से आज तक अनेक धर्मों का सह-अस्तित्व रहा है और सभी धर्मावलंबी परस्पर भाई-चारे के साथ रहते हैं। यहां के तीज-त्योहारों, उत्सवों, पर्वों की मनमोहक छटा है। हमारा साहित्य विश्व की प्रायः सभी भाषाओं में अनूदित होकर सर्वत्र ज्ञान का आलोक प्रसारित कर रहा है। यहां की कलाओं के नमूनों के रूप में असंख्य चित्र, मूर्तियां, मंदिर, किले, भवन देखने वालों को अपने वैभव से विस्मित कर देते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यास, वेदब विष्णु पुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2014.
2. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी इक्यावन कविताएँ, किताब घर, नई दिल्ली, 1995.
3. गुहा, बिरजासंकर, रेसियल एलिमेंट्स इन द पापुलेशन, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1944.
4. इकबाल, मुहम्मद, बंग-ए-दारा, रफी कमशीन प्रेस, हैदराबाद, 1924.
5. दिनकर, रामधारीसिंह, संस्कृति के चार अध्याय, साहित्य अकादमी, नईदिल्ली, 1956.
6. शास्त्री, आचार्य उदयवीर, वैशेषिक दर्शनम्, आर्शसाहित्य, नईदिल्ली, 2021.
7. भंडारकर, डी. आर., अशोक, सिद्धार्थ बुक प्रकाशन, नईदिल्ली, 2021.
8. बृहदारण्य कोपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2018.
9. व्यास, वेदब विष्णु पुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर, 2014.
10. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 1956.
11. स्मिथ, विन्सेट, द अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2020.
12. सिंह, आलोक, भारत का भूगोल, एस. चंद प्रकाशन, नई दिल्ली, 2024.
13. पांडेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, 2009.

Navigating the New Horizons: Exploring Emerging Trends in Commerce Education

Dr. Krishna Bhuriya*

*Assistant Professor, BLP Govt.PG College, Mhow (M.P.) INDIA

Abstract - Commerce education plays a pivotal role in shaping the future of business professionals by providing them with essential knowledge and skills. Commerce education is witnessing a transformational shift due to advancements in technology, changes in consumer behavior, and evolving business landscapes. This research paper delves into the emerging trends reshaping commerce education and explores their implications for educators, students, and industry stakeholders. Drawing upon recent literature, case studies, and expert insights, this paper identifies key trends such as digitalization, sustainability integration, experiential learning, and global perspectives. Through an in-depth analysis, it examines the challenges and opportunities associated with these trends and offers recommendations for navigating this evolving educational landscape effectively. As the commerce landscape evolves, educators are faced with the challenge of adapting their approaches to align with emerging trends. It delves into the current dynamics of commerce education, exploring key trends such as technological integration, interdisciplinary learning, experiential education, and the emphasis on sustainability and ethical business practices. By analyzing these trends, this paper aims to provide insights into navigating the new horizons of commerce education.

Introduction - Commerce education serves as the cornerstone for individuals aspiring to pursue careers in various fields such as finance, management, and marketing. Commerce education plays a pivotal role in preparing individuals for the dynamic world of business. With rapid technological advancements, globalization, and shifting consumer preferences, the traditional paradigms of commerce education are being challenged. This paper aims to explore the emerging trends in commerce education and their impact on curriculum design, pedagogical approaches, and skill development. With the rapid advancements in technology and the globalization of markets, the traditional paradigms of commerce education are undergoing significant transformations and also explore the emerging trends reshaping commerce education and their implications for educators, students, and stakeholders.

Digitalization Of Commerce Education: The advent of digital technologies has revolutionized the way commerce is conducted globally. From e-commerce platforms to digital payment systems, students need to be equipped with digital literacy and skills to thrive in the modern marketplace. This section examines the integration of digital tools and platforms in commerce education, challenges associated with digitalization, and strategies for leveraging technology to enhance learning outcomes.

Technology Integration: In the digital age, technology has become an indispensable component of commerce. From

e-commerce platforms to data analytics tools, technology permeates every aspect of business operations. Consequently, commerce education programs are incorporating technology into their curricula to equip students with the requisite digital skills. This section examines how educators are integrating technologies such as artificial intelligence, block chain, and big data analytics into coursework, preparing students to thrive in technology-driven business environments.

Integration Of Sustainability: sustainability has emerged as a critical consideration in contemporary business practices. As businesses increasingly prioritize environmental and social responsibility, commerce education must incorporate sustainability principles into its curriculum. This section explores how sustainability concepts can be integrated across various commerce disciplines and the role of education in fostering responsible business practices.

Interdisciplinary Learning: The complexities of modern commerce extend beyond traditional disciplinary boundaries, necessitating an interdisciplinary approach to education. Integrating insights from diverse fields such as psychology, sociology, and environmental studies enriches students' understanding of commercial dynamics. This section explores how educators are fostering interdisciplinary learning experiences to cultivate critical thinking, creativity, and adaptability among students, thereby

preparing them for the multifaceted challenges of the business world.

Experiential Education: Experiential learning has emerged as a pedagogical cornerstone in commerce education, offering students opportunities to apply theoretical knowledge in practical settings. Whether through internships, case studies, or simulations, experiential education enables students to develop crucial skills and gain real-world insights. This section examines the various forms of experiential learning employed in commerce education and their efficacy in bridging the gap between academia and industry.

Experiential Learning: Experiential learning offers students practical exposure to real-world business scenarios, enabling them to apply theoretical concepts in practical contexts. This section discusses the importance of experiential learning in commerce education, different approaches such as internships, case studies, and simulations, and the benefits of hands-on learning experiences for student skill development.

Sustainability And Ethical Business Practices: In response to escalating environmental concerns and ethical lapses in corporate governance, there is a growing emphasis on sustainability and ethical business practices in commerce education. Educators are integrating topics such as corporate social responsibility, ethical decision-making, and sustainable business models into their curricula to instill a sense of responsibility and integrity in future business leaders. This section explores the role of commerce education in promoting sustainability and ethical consciousness, driving positive social and environmental impact.

Global Perspectives In Commerce Education: Globalization has interconnected economies and markets, necessitating a global outlook among commerce professionals. This section explores the importance of incorporating global perspectives into commerce education, challenges in providing cross-cultural education, and strategies for fostering global competency among students.

Challenges And Opportunities: While the emerging trends present numerous opportunities for enhancing commerce education, they also pose challenges such as resource constraints, resistance to change, and ensuring inclusivity. This section examines the potential barriers to adopting these trends and strategies For Overcoming Them To Unlock The Full Potential Of Commerce Education.

Conclusion: Commerce education stands at the cusp of transformation, driven by technological innovation, interdisciplinary collaboration, and ethical imperatives. By embracing emerging trends such as technology integration, interdisciplinary learning, experiential education, and sustainability initiatives, educators can empower students to navigate the complexities of the contemporary business landscape effectively. As we navigate these new horizons in commerce education, collaboration, innovation, and

adaptability will be key to preparing students for success in the dynamic world of commerce. The landscape of commerce education is evolving rapidly, driven by technological advancements, changing business dynamics, and societal shifts. By embracing emerging trends such as digitalization, sustainability integration, experiential learning, and global perspectives, educators can better prepare students for success in the dynamic world of commerce. However, addressing the associated challenges requires proactive measures and collaborative efforts from educators, institutions, and industry stakeholders. By navigating these new horizons effectively, commerce education can continue to evolve and remain relevant in the ever-changing business landscape.

References:-

1. Anderson, J., & Smith, R. (2020). Integrating Digital Tools in Commerce Education: Challenges and Strategies. *Journal of Business Education*, 35(2), 78-92.
2. Brown, K., & Jones, S. (2019). Sustainability Integration in Commerce Curriculum: A Case Study of Best Practices. *Journal of Sustainable Business*, 25(3), 45-58.
3. Chen, L., & Lee, H. (2021). Enhancing Experiential Learning in Commerce Education through Case Studies and Simulations. *International Journal of Experiential Learning*, 40(1), 112-125.
4. Gupta, A., & Kumar, S. (2018). Fostering Global Perspectives in Commerce Education: Challenges and Opportunities. *Journal of International Business Studies*, 15(4), 210-225.
5. Johnson, M., & White, T. (2022). Addressing Challenges in Emerging Trends Adoption: Strategies for Commerce Educators. *Journal of Educational Administration*, 28(3), 167-180.
6. Smith, E., & Brown, A. (2017). The Role of Experiential Learning in Skill Development: Insights from Commerce Education. *Journal of Vocational Education*, 20(2), 88-101.
7. Taylor, R., & Martinez, C. (2016). Digital Transformation in Commerce Education: Implications for Curriculum Design. *Journal of Educational Technology*, 10(1), 35-48.
8. United Nations. (2015). Sustainable Development Goals: Transforming Our World. Retrieved from <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>
9. World Economic Forum. (2019). The Future of Jobs Report. Retrieved from <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2019>
10. Zhang, Q., & Wang, L. (2023). Experiential Learning in Commerce Education: A Systematic Review of Research. *Journal of Education Research*, 32(4), 255-270.
11. Smith, J. A., & Johnson, B. (2020). The Role of Tech-

- nology in Modern Commerce. Journal of Business Studies, 15(2), 45-60.
12. Brown, C., & Garcia, E. (2019). Interdisciplinary Approaches to Commerce Education. International Journal of Education Research, 25(3), 112-127.
 13. Lee, K., & Wang, L. (2021). Enhancing Commerce Education Through Experiential Learning. Journal of Experiential Education, 30(4), 275-290.
 14. Jones, S., & Patel, R. (2018). Sustainability Education in Commerce Programs. Sustainable Development Journal, 12(1), 89-104.
 15. Miller, T., & Davis, C. (2017). Ethical Leadership in Commerce Education. Journal of Business Ethics, 40(2), 201-215.

A Study of Career Expectations Among Prospective Teacher in Government and Private Colleges

Dr. Mohd Noor Alam Ansari* Dr. Mohammed Iqbal Yusuf Ansari**

*Assistant Professor (B.Ed.) SDPG College, Math-Lar, Deoria (U.P.) INDIA

**Assistant Professor (B.Ed.) Feroze Gandhi College, Raebareli (U.P.) INDIA

Abstract - Present Study Explore the level of career expectations of prospective teachers in government and private colleges. The main objective of study of career expectations of prospective teachers of government and private colleges. The study was conduct to 200 prospective teachers of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur university studying in different government and private colleges of Deoria district Uttar Pradesh. Survey research method has been used in the present study. In the present research study was used random sampling method for sample selection and total 200 sample use in the study. For statistical analysis used t-test, mean and standard deviation. The finding of the study is level of career expectations of the prospective teachers are satisfactory but government college prospective teachers career expectations are high than private college prospective teachers. Another finding of the study there is significant difference in career expectations with regard to gender. The level of career expectations among the prospective teachers of the female group was found to be higher than that of the male groups.

Keywords: career expectations, government college, private college, gender.

Introduction - Anxiety is an integral part of every person's life. It is related to various events in a person's life (Vinitha 1993). It is directly related to career, income, health, adjustment, abilities etc (Mehrotra 1986). Because each person adopts different methods to get rid of anxiety also achieves a goal for success life. It plays a significant role in the life (Caplan 2005). That means every human being has a will power to become something different in his own area like society, teaching, Medical, Engineering etc. Here is this will power recognized as career expectations for a Learner. These expectations carry & transform his behaviour into a competent personality and these expectations work as a goal for his life, we can say some other word's goal of life. Career expectations drive the behaviour of a learner. From the beginning emphasis on career expectation has evolved to encompass all subject areas and has moved from the vocational education and training (VET) fields to higher education.

This career expectation to explore the context and issues surrounding the role, nature and purposes of learning outcomes, including an evaluation of their positive and negative aspects and a consideration of alternative approaches to express, measure and evaluate learning. The significant effect of family, gender, and emotions in the career expectations of the individual is reflected in Behaviour. What is the level of career expectation in prospective teachers? Gender is influencing their career expectations? Keeping all these points in mind, the

researcher was curious to study the career expectations of the prospective teachers of government and private schools.

Objectives of the study:

1. A comparative study of the career expectations of the prospective teachers in government and private colleges.
2. To find out the career expectations and gender differences.

Hypothesis:

H₀₁ : There is no difference between career expectations of the prospective teachers of government and private colleges.

H_{2.0} : There is no significance of Male and Female prospective teachers of career expectations in government and private colleges.

Research Methodology: Survey research method was used in the present study. Population for this research study in government and private colleges, located in Deoria district of Uttar Pradesh in the year 2022-2023 were included in the form of population.

Sample Selection: For this study random method was used for sample selection. In the present research study 03 government and 03 private colleges of Deoria district were selected by the researcher in the form of population. Both year prospective teachers were selected as participants of the study. The 200 sample for the investigation from 100 government and 100 private colleges. Various comprises

70female and 130 males. The sample was obtained through simple random sampling. The random sampling procedure has been adopted for the investigation.

Tools Use in Study: Present study based on Career Expectations Scale (CES) prepared by Dr M. Iqbal Yusuf.

Data Analysis and result discussion: Mean, standard deviation, and t-test was used for correlations and mean differences using SPSS. The results obtained thereby have been presented and interpreted. The analysis and interpretation have been presented on the basis of the following objective.

Finding and results: 1

Table No.1: Career expectations of prospective teachers

	Institution	N	Mean	S.D	t-value
Career Expectations	Government	100	120.47	11.31	6.11*
	Private	100	111.98	8.06	

*Significant at the 0.05 level of significance

Table No.1 that the obtained t-value is 6.11. which is significant at the significance level of 0.05. Hence the related null hypothesis is rejected. On the basis of the obtained results, it is concluded that career expectations are difference among the prospective teachers of government and private colleges.

Therefore, it is clear from the above result that the level of career expectations between the prospective teachers of government and private colleges is unequal. The level of career expectations among the prospective teachers of the government college group was found to be higher than that of the private college groups.

Finding: 2

Table No.2: Career expectations Compare between male and female prospective teacher

	GENDER	N	Mean	S. D	t-Value
Career Expectations	Male	130	114.49	9.847	3.12*
	Female	70	119.44	11.475	

*Significant at the 0.05 level of significance

Table No.2 that the obtained t-value is 3.12 which is significant at the significance level of 0.05. Hence the related null hypothesis is rejected. On the basis of the obtained results, it is concluded that career expectations are difference between gender of the prospective teachers.

Therefore, it is clear from the above result that the level of career expectations of prospective teachers between male and female is unequal. The level of career expectations among the prospective teachers of the female group was found to be higher than that of the male groups.

Table No.2.1: Compare between male and female prospective teacher of government and private college

	GENDER	N	Mean	S. D	t-Value
Career Expectations	Private Male	60	114.43	7.30	3.96*
	Private Female	40	108.30	7.81	
	Private Male	60	114.43	7.30	1.58
	Government Male	70	117.16	11.70	
	Private Male	60	114.43	7.30	10.03*

	Government Female	30	128.20	4.76	
	Private Female	40	108.30	7.81	4.50*
	Government Male	70	117.16	11.70	
	Private Female	40	108.30	7.81	12.74*
	Government Female	30	128.20	4.76	

*Significant at the 0.05 level of significance

Table No. 2.1 that the obtained t-value is 3.96, 10.03, 4.50 and 12.74 which significant at the significance level of 0.05. Hence the related null hypothesis is rejected. But private male and government prospective teachers obtained t-value is 1.58 which not significant at the level of 0.05 level. On the basis of the obtained results, it is concluded that career expectations are difference among the male and female prospective teachers of government and private colleges.

Therefore, it is clear from the above result that the level of career expectations female is higher than private male counterpart prospective teachers. Both colleges male prospective teacher is almost equal but government male prospective teachers are express high level of career expectations. Also, government female expresses high level to private male and government male again show the level of career expectations is high to female. Government colleges among female prospective teachers' group was found to be higher than that of the private college groups.

Educational Implications: The present research focused on investigating the career expectations of prospective teachers and exploring the group differences, gender variation (i.e. male and female). The findings of the study revealed important facts through which various educational implications can be drawn might be implemented in near future in the prolific as well as rigorous process of education for preparing competent and skilful human beings who are the need of this hour-

1. On behalf of findings suggested that, there is too much need to motivate the prospective teachers both male and female to get their goal of lives and to produce good results & learning outcomes. It is suggested that teachers should orient and refresh/update about latest teaching learning and motivational techniques.
3. There should great need to run activities and programs about awareness of professional careers, employment, innovative methods of teaching learning, and utilization of ICT for prospective teachers especially.
4. There should conduct career guidance and counselling sessions for prospective teachers.

Limitations of Study: In the present research study, population of students studying in government and private colleges located in Deoria district has been taken.

1. In the present research study, have been taken only government and private recognized colleges affiliated to Deen Dayal Gorakhpur University of Uttar Pradesh.
2. Only Hindi medium Prospective teachers have been included.

References:-

1. Best, J.W., & Kahn, J.V. (2008). Research in education (10thed.). New Delhi: Pearson Prentice Hall.
2. Bipin, A. (2007). Measurements and Evaluation in psychology and education, Agra: vinodpustak mandir.
3. Buch, M.B. " A survey of educational research its survey. NCERT. N.D.
4. Kerlinger, F.N. (2007). Foundation of behavioral research (India) Delhi: Surjeet publications.
5. Kandiko, C.B. & Mawer, M.(2013). Students expectations and perceptions of higher education: Executive summary, London: Kings learning institute.
6. K. B. Chothani. (2014). A Study of Academic Stress and Adjustment among Gujarati and English Medium School Students. *The International Journal of Indian Psychology*. Volume 2, Issue 1.
7. Kaplan, D.S.Liu, R.. it al.(2005). School related stress in early adolescent and academic performance three years later: The conditional influence of self expectations. *School psychology of Education*, vol. 8, 3-17.
8. Vinitha, K. (1993). A study of the relationship between academic anxiety and adjustment among high school students. *Indian journal of behavior*, vol. 17(1), Jan. 16-21.
9. Mehrotra, S. (1986). A study of the relationship between intelligence, Socio-Economic. Status, Anxiety, Personality Adjustment and Academic Achievement of high school students. Ph.D. Edu., Kanpur University.

कबीर : मूलत भक्त, समाज सुधारक और कवि हृदय

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला -बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - कबीर हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठतम, अलौकिक, शक्तिकुंज है। वे वीणापाणी के उन वरद पुत्रों में से जिनके प्रकाश पुंज से न केवल हिन्दी साहित्य दैदीप्यमान है वरन संपूर्ण जग मंडल प्रदीप्त है। मध्ययुग के श्रेष्ठ भक्त सर्वोत्कृष्ट समाजसुधारक एवं अद्वितीय कवि हैं। कांशी के आस-पास उनका कर्मक्षेत्र रहा जो धीरे-धीरे समूचे भारत वर्ष में फैल गया। कबीर के बाद कबीर पंथ उनके शिष्य धर्मदास द्वारा स्थापित किया गया जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी विद्यमान है और कबीर के नीति और आदर्शों को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। 'कबीर धर्मगुरु थे। इसलिए उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद्य होना चाहिए।'

प्रस्तावना - कबीर मूलत, भक्त थे एवं भक्ति साधना में तीन ज्ञानमार्ग से परमसत्ता के प्रति अनुरक्त थे। कबीर की भक्ति शास्त्र अनुमोदित नहीं है, वह व्यावहारिक जीवन की साधुता और सहजता से समन्वित है, उनका यह भाव भगति का है। प्रथमतः, वे भक्त थे जो परमात्मा को प्रीतम मानकर कह उठते हैं -

'प्रियतम को पति या लिखूँ को कहि होय विदेस
तन में, मन में नैन में, ताकी कहा संदेश॥'

ईश्वर को इधर-इधर ढूँढ़ने के बजाए स्वयं के शरीर में उनका निवास मानते हुए कहते हैं-

'कस्तूरी कुण्डलि बसै, मृग ढूँढ़े बन माहि।
ऐसे घट-घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि॥'

कबीर दास परमात्मा को अलौकिक मानते हुए रहस्यमय स्तुति करते हुए कहते हैं-

'जल में कुंभ कुंभ में जल है भीतर बाहर पानी
फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तथ कहै गयानी॥'

राम की महिमा का वर्णन करते हुए वे हर व्यक्ति को जगाकर ईश्वर का भक्त बनाना चाहते हैं-

'ज्यों तेल माहि तेल ज्यों चकमक में आगि।
तेरा साँई तुझ में, जाग सके तो जागि॥'

वे बार-बार राम नाम स्मरण पर बल देते हुए कह उठते हैं -

'कबीर निर्याय राम जपु, जब लागै दीवाबाति।
तेल घटा बाती बुझे, तब सोवे दिन राति॥'

कबीर कहते हैं चकवा बिछड़कर चकवी से तो मिल सकता है। किन्तु राम से बिछड़ने पर मिलन संभव नहीं है -

'चकवी बिछुरे रैन की, आइ मिलि परभाति।
जे जन बिछुरे राम ते, दिन मिलै न राति॥'

कबीर समाज सुधारक - कबीर दास भक्त होने के साथ-साथ महान समाज सुधारक थे उन्होंने समाज के व्याप्त रूढ़ियों अंधविश्वासों और जाति व्यवस्था का बहुजोर खंडन किया उन्होंने समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए

पुरजोर प्रयास किया। जाति प्रथा के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए कहते हैं -

'एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गूदरा
एक जोति से सबे उपजे, को बामन को सूदरा॥'

समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन करते हुए कहा कि:-

'मूंड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई लेय मुड़ाया
बार-बार के मूंडते, भेड बैकुंठ न जाया॥'

ब्राह्मंडंबर, पूजा पाठ का विरोध करते हुए समाज के हिन्दू और मुस्लिम धर्मावलंबियों को कहते हैं कि -

'पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहारा
इसे तो चाकी भली पीस खाय संसारा॥'

वहीं मस्जिद में अजान पर कह उठते हैं :-

'कांकर पाथर जोरि के मसजिद लई बनाया।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाया॥'

उन्होंने तीर्थ यात्रा, छापा, तिलक, मुंडन, व्रत, उपवास जैसे रीति रिवाजों को निरर्थक बताया। अमीर-गरीब, जात-पात, भेदभाव से भरे जिंदगी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने समाज में व्याप्त लोगों के अहंकार, निंदा, छल कपट और मानव कुसंगति को दूर करने की कोशिश की। वे प्रेम के माध्यम को पोथी ज्ञान से श्रेष्ठ मानते हुए कहते हैं -

'पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोया।
ढाई अखर प्रेम का, पढ़ै सो पंडित होया॥'

हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मन है कि 'कबीर कवि, समाज सुधारक एवं धर्म प्रवर्तक है आदि रूपों के बजाय भक्त और आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाना चाहिए।'

आचार्य शुक्ल कबीर को समाज सुधारक मानते हैं कवि नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के भक्ति साधना के संबंध में कहते हैं - 'इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रम्हावाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और बैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके पंथ खड़ा किया।'²

कबीर दास भक्ति मार्ग में ज्ञानमार्ग की ओर संत, परम्परा के मार्गदर्शन

थे, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि 'कबीर में ज्ञानमार्ग की जहां तक बातें हैं सब हिन्दू शास्त्रों की हैं जिसका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया।'³

कबीरदास नश्वर संसार में केवल राम को अविनाशी कहते हैं। इसी अनीश्वर की शरण में सभी को जाना है। इसलिए भक्त को मृत्यु की चिंता नहीं होती। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे उनके विषय में बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं 'कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाणियों को लिपिबद्ध नहीं किया था, उनके शिष्यों ने कुछ लिपियों को वाणी बद्ध किया और कुछ लोक कंठ में जीवित रहीं।'⁴

निष्कर्ष - कहा जा सकता है कि कबीरदास एक भक्त होने के साथ समाज सुधारक एवं कवि रूप में विश्वविख्यात हैं वे सभी धर्मों के आचार-विचार को परखने के बाद ही अपनी बात कही इसी कारण वे भक्त के साथ-साथ समाज सुधारक एवं कवि के रूप में भी जाने जाते हैं उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, आडम्बरों का खंडन कविता के माध्यम से करते हुए समाज सुधारक

के साथ-साथ कवि भी हो गए। समाज में एक धारा प्रेम की धारा का प्रवाह किया। धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों को जमकर कोसा। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों तक प्रासंगिक रहेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची : -

1. द्विवेदी हजारी प्रसाद 'कबीर' 1942।
2. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1929
3. शुक्ल आचार्य रामचन्द्र 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नागरी प्रचारिणी सभा काशी 1929
4. दास बाबू श्याम सुंदर 'कबीर ग्रंथावली' 1928
5. गुप्त माता प्रसाद 'कबीर ग्रंथावली'
6. सिंह जयदेव 'कबीरवाणी'।
7. तिवारी डॉ. पारसनाथ, 'कबीरवाणी संग्रह'।

Consumer Satisfaction Towards Public Distribution System

Mrs. Deepmala Gandhi* Dr. Rakesh Mathur**

*Research Scholar, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Viriyakhedi Road, Ratlam (M.P.) INDIA
** (Guide) Principal, Swami Vivekanand Govt. Commerce College, Viriyakhedi Road, Ratlam (M.P.) INDIA

Abstract - Poverty is a problem which is faced by the people. The government has taken more steps and programme to overcome the problem. Public distribution system was established to provide food at a subsidized rate. So the researcher has attempted to study the satisfaction and the perception of the consumer towards public distribution system in Ratlam (MP). The study also reveals some suggestion to the government for the betterment of their working of the public Distribution System.

Keywords: Public Distribution System, Consumer Satisfaction.

Introduction - India has second largest population in the world. It has variety of natural resources and human resources. Human resources play important role in economic development. India has honest and skilled labour but still country is facing number of economic problems like hunger, poverty, etc. For that very purpose Government of India has made frantic efforts like providing subsidized grain and necessity items for sale and this particular system is known as Public Distribution System.

Government of India is implementing the Public Distribution System program in welfare mode with universal beneficiary approach and hence it has under criticism for being non-specific and wasteful. It has also been found to be an inadequate program to fully address the food security problem of the poor and vulnerable.

Meaning Of Public Distribution System: Public Distribution System (PDS) is a poverty alleviation program and contributes towards the social welfare of the people. Essential commodities like rice, wheat, sugar, kerosene and the like are supplied to the people under the Public Distribution System at reasonable prices. PDS is a boon to the people living below the poverty line. Public Distribution System is the primary social welfare and antipoverty program of the Government of India.

Revamped Public Distribution System (RPDS) has been initiated by the Government of India from the year 1992 in order to serve and provide essential commodities to the people living in remote, backward and hilly areas. Government introduced Targeted Public Distribution System (TPDS) in the year 1997. Central Government and State Governments have been actively involved in steering the operations for the success of the Public Distribution System is considered as principal instrument in the hands of State

Governments for providing safety net to the poor against the spiraling rise in prices of essential commodities.

Poverty being a dynamic and relative concept, accurate estimation is not possible in the absence of an acceptable criteria and methodology. The process of identifying BPL families is also fraught with errors and bias resulting in high levels of exclusion of deserving families. Further due to unforeseen natural calamities like droughts, floods and disaster, etc., a large number of vulnerable BPL families may be forced into poverty trap again. Our rigid government system will not be able to respond quickly to such situation. Therefore targeting a specific segment of population as BPL or APL and excluding large number of vulnerable families under public distribution system is felt administratively unacceptable and socially risky to the Government. Thus, out of its own experience Government of Madhya Pradesh feels that universal public distribution system assures better food security to people.

Goals Of Public Distribution System: The goal of PDS does not restrict itself with the distribution of rationed articles. Making available adequate quantities of essential articles at all times, in places accessible to all, at prices affordable to all and protection of the weaker section of the population from the vicious spiral of rising prices is the broad spectrum of PDS. More specifically, the goals of PDS are:

1. Make goods available to consumers, especially the disadvantaged /vulnerable sections of society at fair prices.
2. Rectify the existing imbalances between the supply and demand for consumer goods; Check and prevent hoarding and black marketing in essential commodities.
3. Ensure social justice in distribution of basic necessities

- of life.
4. Even out fluctuations in prices and availability of mass consumption goods.
 5. Support poverty-alleviation programmes, particularly, rural employment programmes, (SGRY/SGSY/IRDP/ Mid day meals, ICDS, DWCRA, SHGs and Food for Work and educational feeding programmes).

Meaning Of consumer Satisfaction: Essentially, consumer satisfaction is the extent to which consumers are happy with the products or services provided by a business. It is an important concept in business, because happy customers are those most likely to place repeat orders and explore the full range of services offered.

Definition: According to the Department of Marketing at Washington University, there is no single definition of consumer satisfaction. However, all the definitions in the literature and from consumers describe consumer satisfaction as a reasoned or emotional response to a product, service or consumer experience at a particular time.

Measurement: Consumer satisfaction can be measured using survey techniques and questionnaires. Questions typically include an element of emotional satisfaction coupled with an element of behavioral satisfaction, or loyalty to a particular product or service.

Literature Review:

P.S.George (1974) has attempted to analyze public distribution of food grains and their income distribution effects in Kerala. He has tried to estimate the possible impact of rationing on incomes of the consumers using the relationship. The results for Kerala suggest that the system is economically viable. Further, ration rice, according to this study, accounted for a major share of rice consumption of consumers belonging to low income groups. Gupta basing on certain assumption has projected food grains requirements for PDS up to 1980, for all India, such projections are assumed to help policy makers in their procurement efforts.

Subba Rao, (1980) has attempted to estimate food requirement for the State of Andhra Pradesh under certain assumptions. While working out these estimates he has assumed a supply level of 12 ozs. (340 grams) per consumption unit. He concluded that ultimately the benefit of public distribution is zero or negligible.

Ravindra Kumar Verma,(1983) The Public Distribution System (PDS) was introduced in virtually all the states of India, but Kerala's PDS was the one which evolved as the most efficient and effective measure of food security. The salient features of the model were its universal coverage, high levels of utilization, physical access made possible through a vast network of retail outlets, rural bias and progressive utilization of the system. The present paper reveals the near breakdown of the system in Kerala after the introduction of the Targeted Public Distribution System (TPDS) and points out its wide ramifications.

Madhura Swaminathan,(1985) Evidence on calorie intake and nutritional outcomes establishes that chronic hunger and foodin security persist today on a mass scale in India. The liberalization-induced policy of narrow targeting of the Public Distribution System (PDS), a programme of food security that provides a minimum quantity of cereals at subsidized prices, has resulted in worsening food insecurity. Recent evidence from the 61st round of the National Sample Survey in 2004-2005 establishes that targeting has led to high rates of exclusion of needy households from the system and clear deterioration of coverage in States like Kerala where the universal PDS was most effective.

Fathima P. Jacob., (1992) Public Distribution System in India is a consumer side intervention in the food market. There are two basic aspects of evaluating the effects of policy intervention in Public Distribution System. One is to analyze the overall per capita availability of cereals and other is per capita consumption and it's the government policy to ensure whether the objectives of the Public Distribution System has been achieved.

K.S Chandrasekar, (1999) analyzed the working of the public distribution system in Thirunelveli district such as allotment, liftment and off take of essential commodities in the district. He highlighted the problems of public distribution system in Thirunelveli district such as poor quality of essential commodities supplied, non-display of information on the notice boards regarding the availability of commodities and business hours not convenient to cardholders.

Suryanarayana, (2000) in his study contest the view that poverty in India has declined in the suitability of the database and its implications for the observed trends in poverty estimates in the context of structural changes in the rural economy. He contends that the statistical estimates do not show a real reduction in poverty but only a reduction in over estimation of poverty for the initial year followed by its under estimation for the later years.

Objectives Of The Study:

1. To know the consumer satisfaction towards public distribution system
2. To know the products that are frequently purchased by the consumers
3. To offer some suggestion to the government for betterment of public distribution system.

Research Design: Descriptive research design is a scientific method which involves observing and describing the behavior of a subject without influencing it in any way.

Data Collection : In order to achieve the objective of the study, researchers used both secondary and primary data. The specific literature had been collected to analyze the present situation of Public distribution system. Target respondent were 150 people of Ratlam City . For the study, data was collected with the help of Likert 5 point scale consisting of statements based on objective of the study.

Data Analysis:

• The research data was first subjected to the basic analysis such as frequency distribution. This provided insight of the data and guided further data analysis. The entire variable were categorized and measured on 5 point rating Likert scale. For testing the instrument reliability, a reliability index was used. The overall 30 items were grouped in 19 variables and compiled reliability calculated and obtained was 0.826 on the basis of 249 valid cases out of 150 cases. This figure suggests strong evidence of reliable in the constructs of measuring instruments for the concern variable for the study. Therefore, the questionnaire has high reliability.

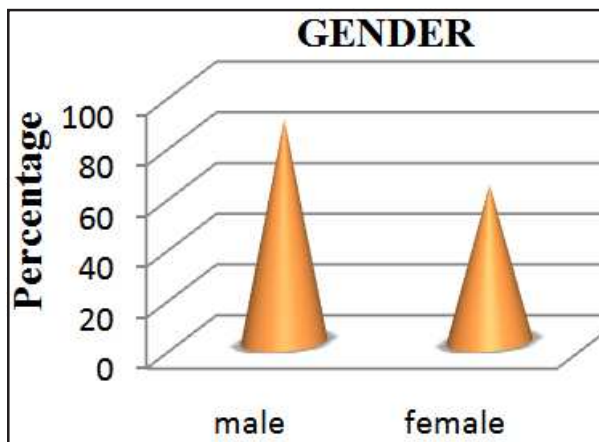
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of items
0.826	30

Gender Of The Respondent

S.	Gender	No. Of Respondent	Percentage
1	Male	88	59
2	Female	62	41
	Total	150	100

Interpretation: From the above table we inferred that 58% of the respondents are male and 41% of the respondents are female.

Gender Of The Respondent

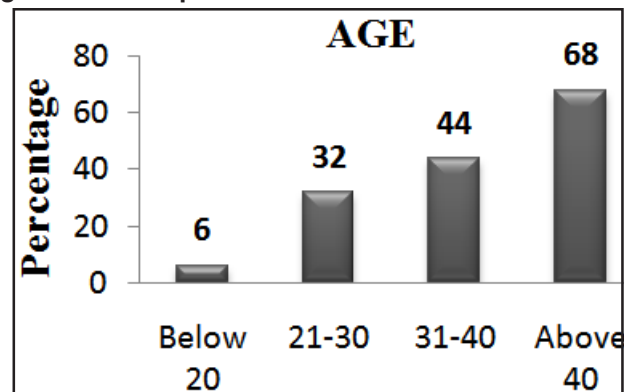


Age Of The Respondent

S.	Age	No Of Respondent	Percentage
1	Below	6	4
2	21-30	32	21
3	31-40	44	29
4	Above	68	45
	TOTAL	150	100

Interpretation: From the above table it is inferred that 45% of the respondent are above 40, 29% of the respondent are between 31-40, 21% of the respondent are between 21-30 and 4% of the respondent are below 20.

Age Of The Respondent

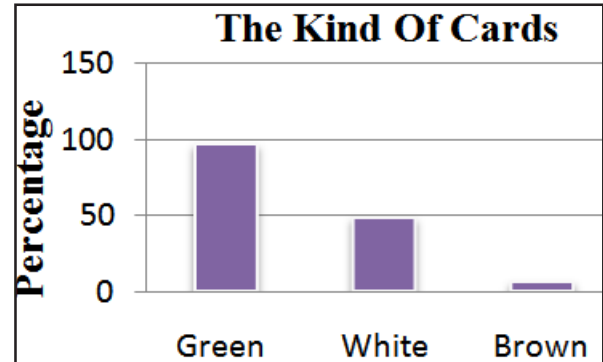


The Kind Of Card Holders

S.	Color	No. Of Respondent	Percentage
1	Green	96	64
2	White	48	32
3	Brown	6	4
	Total	150	100

Interpretation: From the above table it is inferred that 64% of the respondents are green card holder, 32% of the respondents are white card holder while the remaining 4% of the respondents are brown.

The Kind Of Card Holders



Level Of Agreement Towards Pds

S.	Particulars	Total Score
1	Low Quantity Products	4.30
2	Improper Quality	3.43
3	Proper balance amount	3.29
4	Unavailability Of Products	3.67
5	Distributing Of Old Stock	3.91
6	Low Response From Store In charge	3.57
7	Long Waiting Hours In Queue	3.95
8	Invalidity Of Measuring Device	3.33
9	Enough storage capacity in store	2.56
	Mean score	3.80

Interpretation: From the above table it is inferred that the mean score is 3.80. The factors such as low quality products, distributing of old stock & long waiting hours in queue scores above 3.80 such as 4.30, 3.91, & 3.95.

respectively. Hence these factors are strongly agree by the respondents.

The factors such as Improper Quality, Proper balance amount, Unavailability Of Products, low response from store incharge, invalidity of measures & enough storage capacity .scores below 3.80 such as 3.43, 3.29, 3.67, 3.57, 3.33 & 2.56 respectively. Therefore these factors are agree by the respondents.

Monthly Income And Service

Monthly Income	Service					Total
	Highly Satisfied	Satisfied	Neutral	Dissatisfied	Highly Dissatisfied	
Below 5000	2	6	10	4	2	24
5000-10000	2	4	22	8	0	36
10000-15000	0	10	12	10	2	34
15000-20000	6	6	8	2	2	24
Above 20000	2	8	18	2	2	32
Total	12	34	70	26	8	150

H_0 – There is no significant relationship between monthly income and service.

H_1 – There is a significant relationship between monthly income and service.

Chi Square:

Calculated χ^2 value = 28.56

Degree of freedom = 16

Table value = 26.296

Significant level = 5 %

Inference: It is inferred from the above table that the calculated value of chi square value is greater than the table value.

Hence the null hypothesis is rejected. So there is a significant relationship between monthly income and service.

Conclusion: Government has taken all efforts to make the system more effective and ensure the availability, affordability and accessibility of public distribution system articles to the poor. But the responses of sample respondents of this study showed different picture and unearthed that public distribution system is suffering from problems like leakages, poor quality and under weightment, non-availability of controlled as well as non-controlled articles. As the main objective of public distribution system is to provide safety net to the poor against spiraling rise in price, the selling of non-controlled articles through FPS is not away from the scope of public distribution system.

Limitation Of Study: Lack of resources and time, as it

was not possible to conduct survey at large level. During data collection many employees are unwilling to fill the questionnaire due to lack of time. Respondents were having the feeling of wastage of time for them.

Suggestion: The following suggestions are made for the consumer satisfaction towards public distribution system based on the findings of this study.

1. The public distribution system department should take step to increase the performance of the public distribution system.
2. The public distribution system department should allot separate date for separate wards.
3. The public distribution system department should list out the price of all the product in public distribution system stores.
4. The public distribution system department should periodically check the availability of the product in public distribution system stores.
5. The quantity of the products distributed can be increased.
6. The Quality of the rice can be increased.
7. The public distribution should provide good quality products to the consumers.
8. The public distribution system should reduce the waiting hours of the consumers.

References:-

Books:

1. Kothari C.R., "Research Methodology"
2. Memoria, C.B., Marketing management, new delhi, kitab mahal publications
3. Philip kotler, Marketing management, the millennium edition.

Journals:

1. George P.S. (1996), Public Distribution System, Food Subsidy and Production Incentives, Economic and Political Weekly, Vol.31 (39), p-140.
2. Suryanarayanan M.H. (1995), PDS Reform and Scope for Commodity based Targeting, Economic and Political Weekly, Vol.30 (13), p-687.
3. Gupta (1995), Liberalization and Globalization of Indian Economy, Atlantic Publishers and Distributors, Vol.1 (11), New Delhi.
4. Rao V. (1999), Role of PDS in Food Security, Social Welfare, Vol.46(6), September, p-7.

Websites:

1. www.tncsc.tn.gov.in
2. [wikipedia.org/Food_and_Public_Distribution_\(India\)](http://wikipedia.org/Food_and_Public_Distribution_(India))

Application of Artificial Intelligence in Fodder Production and Conservation

Aabid Hassan Khan* Kaiser Parveen**

*Assistant Professor (Commerce) Govt. College, Jamgaon R, Bharar, Durg (C.G.) INDIA

**Asst. Professor (Animal Genetics & Breeding) College of Veterinary Science & A.H, Anjora, Durg (C.G.) INDIA

Introduction - Artificial intelligence (AI) is a field of study that involves building machines and computers that can learn, reason, and act in ways that usually require human intelligence. AI systems use algorithms to learn from data, and these algorithms are sets of rules that guide the AI's analysis and decision-making. AI systems also test and measure their own performance after each round of data processing, and use this information to develop additional expertise. AI enables technical systems to perceive their environment, deal with what they perceive, solve problems and act to achieve a specific goal.

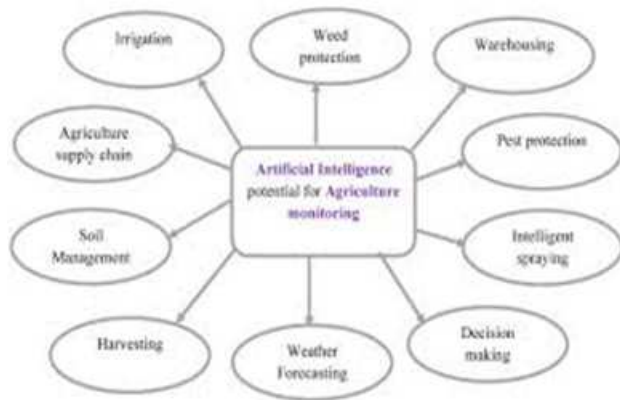
Artificial intelligence has wide application in livestock management also. The advent of artificial intelligence (AI) has revolutionized livestock farm management. In animal and poultry farm management, AI technology is employed to collect and analyze data for enhanced decision-making and optimization of farming operations. Through the use of sensors, IoT devices, and data analytics, AI systems can monitor and assess animal behavior, health parameters, and production performance. Utilizing machine learning algorithms, AI can process vast amounts of genetic data, enabling breeders to identify desirable traits and predict breeding outcomes accurately. This facilitates the selection of superior animals for reproduction, genetic diversity preservation, and the development of healthier and more productive livestock. AI and agritech solutions can optimise fodder production. The application of AI technology covers animal feed formulation and production management, animal feeding environment monitoring and regulation, animal health management. Sensors and IoT technology are used for real-time monitoring and regulation of the feeding environment, improving the animal growth environment.

Lack of feed may significantly impact the general expense of farming and the health of the animals. According to the studies, feed costs can account for 50-70% of the total variable costs in livestock production. Limited feed availability can result in inadequate nutrition for cattle, impairing their immune systems, increasing their susceptibility to infections, and diminishing their growth rates

and milk output.

1. AI-driven soil analysis systems use machine learning techniques to evaluate vast amounts of data from soil sample analysis. With these instruments, comprehensive knowledge of the organic matter content, pH balance, soil nutrient levels, and other important markers of soil health can be obtained.
2. Analyzing environmental data and livestock needs to optimize forage selection and cultivation. This system streamlines decision-making, ensuring that suitable forage types are grown efficiently through predictive analytics and automated processes. Automated forage planning simplifies and maximises yields, promoting farm's sustainability and livestock well-being.
3. Forage production can optimise water consumption and provide reliable, adequate watering to increase output using AI-driven irrigation systems. These systems maximise production while conserving water resources by modifying watering schedules depending on crop requirements, soil moisture levels, and weather forecasts, utilising real-time data and predictive analytics.
4. AI-driven precision seeding tools enhance seed planting accuracy and fodder development. These devices use AI algorithms to modify seeding plans based on soil conditions and weather projections.
5. AI based suggestions to choose forage species compatible with your soil and climate to improve feed diversity and quality and that grows well in region.
6. Drones and AI-enabled sensors monitor forage fields in real time, gathering vital information on growth rates, insect infestations, and general field health.

AI and agritech optimize resource allocation and minimize waste, lowering fodder production costs. Precision irrigation, artificial intelligence (AI) soil analysis and automated machinery are intelligent technologies that increase productivity, reduce input costs, and improve output consistency. This simplified method encourages sustainable agricultural methods while optimizing returns.



Despite the challenges of multi perspective, multi-scale, multi scenario, and small sample size faced by smart animal husbandry, the application of AI technology in animal husbandry has significantly improved production efficiency and management level, demonstrating more significant advantages compared to traditional technologies. In conclusion, AI technology offers immense potential for improving animal and poultry farm management, nutrition as well as animal breeding. With the ability to analyze, and utilize data in real time, AI enables better decision-making,

enhanced efficiency, and improved animal welfare.

References:-

1. Fang Rejun, Hu Shengjun, Fang Chengkun (2019) A brief discussion on several issues in the design of feed formulas for precise nutrition of livestock and poultry. *Feed Industry* (09): 1-5. DOI: 10.13302/j.cnki.fi.2019.09.001.
2. Henna Hamadani , Ambreen Hamadani , Shabia Shabir, Artificial intelligence in animal farms for management and breeding. *Science Direct*: 167-182. DOI: 10.1016/B978-0-443-24001-0.00011-7.
3. Liu Li'an, Zhang Haijun, Ma Limei, The current status and prospects of the application of smart breeding technology in the prevention and monitoring of animal husbandry diseases. *Agricultural Engineering Technology* (11): 74-75. DOI: 10.16815/j.cnki.11-5436/s.2024.11.031.
4. L. Shi, Application of Artificial Intelligence in Animal Nutrition and Feed Science. *Proceedings of the 4th International Conference on Public Administration, Health and Humanity Development (PAHHD 2024)* Advances in Social Science, Education and Humanities Research pg 187-194. DOI: 10.2991/978-2-38476-295-8_23

स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिक्षा दर्शन का वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति में महत्व : एक अध्ययन

निशा सियाग* डॉ. वन्दना दुआ**

* शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

** सह आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत प्रपत्र में स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिक्षा दर्शन का वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति में महत्व के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। उन्नीसवीं सदी का अंतिम चरण भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण का काल माना जाता है। किंतु इससे पूर्व भी स्वामी दयानन्द ने अपने धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन द्वारा इस राष्ट्रीय चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा दर्शन के दुष्प्रभावों से आहत भारतीय शिक्षा पद्धति के सम्मुख उन्होंने चिरकाल से विस्मृत वैदिक धर्म की शिक्षा एवं संस्कृति का न केवल उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है बल्कि आत्मसम्मान की भावना जागृत की और आधुनिक शिक्षा के अनुसार उन्नति करते हुए अतीत से भी प्रेरणा लेने पर बल दिया। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को वो विद्यार्थियों के शारीरिक मानसिक, नैतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए आवश्यक समझते थे।

परिचय – शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन की प्रारम्भिक अवस्था से ही रहता है। शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त निरन्तर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ही व्यक्ति सतत् सीखता रहता है। यह सीखना ही उसकी शिक्षा है।

एक शिक्षा, समाज की आधारशिला है। समाज में जैसी शिक्षा होगी, वैसा ही समाज होगा और जैसा समाज होगा वैसी शिक्षा होगी।

शिक्षा – शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है। 'शिक्ष्' शब्द का अर्थ सीखना और सिखाना होता है। अतः 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

दर्शन – 'दर्शन' शब्द पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'दृशिप्रिक्षणे' धातु से ल्युट् प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है। अतः दर्शन का शाब्दिक अर्थ है-दृष्टि या देखना, जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए।

शिक्षा दर्शन – साधारण अर्थ में शिक्षा पद्धति दर्शन की ही एक शाखा होती है जिसमें दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है।

हमारी दृष्टि में शिक्षा दर्शन को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है :- 'शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के सम्प्रत्ययों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक सम्प्रदायों के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है।'

जीवन परिचय – 12 फरवरी 1824 को टंकारा में मोरबी के पास गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जन्मे स्वामी जी के बचपन का नाम मूलशंकर था।

बचपन से जीवन पर्यन्त उन्होंने कर्मकाण्ड, वैदिक ग्रन्थों, सम्पूर्ण संस्कृत व्याकरण और अन्य साहित्य का अध्ययन किया।

बचपन से स्वामी जी पर वेदों ने अमिट छाप छोड़ी। जिसके कारण स्वामी जी के विचारों में समाज का शुद्धिकरण व चारित्रिक उत्थान प्रमुख रहा। उनका सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में व्यतीत हुआ। विदेशी शिक्षण पद्धति को हटाने के लिए सदा संघर्षरत रहे जिसके कारण उनको अंग्रेजों की प्रबल शत्रुता का सामना करना पड़ा। इसी शत्रुता के अन्तर्गत 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में स्वामी जी पंचतत्त्व में विलीन हो गये।

शिक्षा के क्षेत्र में योगदान – स्वामी जी की शिक्षा सम्बन्धी धारणाओं में दूरदर्शिता, देशभक्ति, नैतिकता प्रमुख थीं। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने ही सर्वप्रथम 'स्वराज' और 'स्वदेशी' की धारणा को प्रकट किया। स्वामी जी का मानना था कि जब हमारे देश में ज्ञान का भण्डार है तो बाहरी स्रोत की हमें क्या आवश्यकता है। वे समाज सुधारक, राष्ट्रवादी, और राजनैतिक आदर्शवादी थे।

स्वामी जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शिक्षा का वो स्वरूप प्रस्तुत किया जिससे बचपन से लेकर जीवनपर्यन्त मनुष्य का सर्वांगीण विकास, नैतिक उत्थान, व्यावसायिक सम्बलता, खुशहाल जीवन की प्राप्ति हो सके। उन्होंने बड़ी बारीकी से जीवन के हर पक्ष को ध्यान में रखकर शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की।

स्वामी जी के अनुसार भोजन, आचार-विचार, वेश-भूषा, चरित्र निर्माण तथा लोकाचार में निपुणता की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वह वेद-पठन-पाठन, मातृभाषा व संस्कृत भाषा में शिक्षा का समर्थन करते थे।

स्वामी जी ने प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का समर्थन किया जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर सके। वे बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। उनका मानना था कि शास्त्रों के साथ-साथ छात्रों को जीवनयापन के लिए सहयोगी शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। स्वामी जी ने शिक्षा को सभी का अधिकार बताते हुए बालक-बालिकाओं दोनों के लिए समान रूप से अनिवार्य बताया। उनका मानना था कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी, तब तक घर-परिवार, समाज में पूर्णतया ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा।

- वे मनुष्य मात्र को शिक्षित करना चाहते थे।
- उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया।

- उन्होंने नारी-शिक्षा के अधिकार को समर्थन दिया।
- सबको वेद-अध्ययन का अधिकार
- गुरुकुल-शिक्षा
- हिन्दी भाषा का समर्थन
- प्रथम अनाथ आश्रम की स्थापना जहाँ खाना, कपड़े, और 'शिक्षा' निशुल्क दी जाती थी।
- 1875 में मुम्बई में आर्य समाज की स्थापना की।
- 1886 में लाहौर में स्वामी जी के समर्थक लाला हंसराज द्वारा दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की।
- शिक्षा द्वारा सभ्यता, धार्मिकता, ज्ञान संयमता आदि शक्तियों की वृद्धि करना।
- यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी दर्शनों से परिपूर्ण शिक्षण का प्रचार।

वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति- शिक्षा का वास्तविक अर्थ है ज्ञान अर्जित कर अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करना स्वहित और परहित में प्रयत्नशील रहना। परन्तु क्या आज का विद्यार्थी ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। हमारा उत्तर 'नहीं' ही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में देशवासी साक्षरता से अधिक कुछ अर्जित नहीं कर पाए। हम आज भी लार्ड मैकाले द्वारा लागू लुंज पुंज शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते आ रहे हैं। जो शिक्षा प्रणाली लार्ड मैकाले ने लागू की थी वो केवल हमारे देश का विनाश करने और स्वयं के साम्राज्य को चलाने हेतु नौकर तैयार करने के लिए की थी।

आज भी उसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है जिसका एक मात्र उद्देश्य सफलता प्राप्त करना और प्राप्ति के श्रेष्ठता का दंभ भरना मात्र रह गया है। ऐसी शिक्षा प्रणाली से युवक केवल कागज ही इकट्ठा कर पाते हैं। विद्यार्थी साक्षर तो हो जाते हैं परन्तु शिक्षित नहीं। विदेशी प्रभावों से युक्त होने के कारण विद्यार्थियों का नैतिक पतन होता जा रहा है। आत्म बोध देश बोध,

राष्ट्र बोध एवं मानवीयता का बोध तक दे पाने में यह शिक्षा सफल नहीं करी जा सकती है। वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली से सुशिक्षा का अस्तित्व संकट में हैं।

निष्कर्ष - स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी शिक्षा योजना में प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय आदर्शों का उत्तम समावेश किया है। शिक्षा को सभी प्रकार की विभिन्नताओं से अलग रखकर सबको समान रूप से शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया है।

स्वामी जी ने कहा है :- 'स्वस्थ मस्तिष्क के सब व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षा का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब उसे राष्ट्रीय चरित्र एवं स्वरूप में ढाल दिया जाय। वस्तुतः शिक्षा के स्वरूप को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह उन प्राकृतिक बन्धनों को, जो भारतीयों को एक सूत्र में बांधते हैं और अधिक दृढ़ बनाएँ एवं उनमें समान राष्ट्रीयता का विकास करें।'

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. लाल, रमन बिहारी : शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ -250002
2. ओड, डॉ. लक्ष्मीकान्त के. : शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड, मेरठ - 250002
3. लेखराम : स्वामी जी का जीवन चरित्र हरिश्चन्द्र विद्यालंकार द्वारा सम्पादित आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब- 1972
4. डॉ. सुरेन्द्र कुमार: महर्षि दयानन्द वर्णित शिक्षा पद्धति, वैदिक अनुसंधान सदन रोहिणी, दिल्ली
5. शर्मा, डॉ. रामनाथ : भारतीय शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा- 1971
6. सेठ, कीर्ति देवी: भारतीय शिक्षा-दार्शनिक, वैदिक प्रकाशन, 34, लूकरगंज, इलाहाबाद

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनकी शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन

डॉ. गुंजन शर्मा* पारुल शर्मा**

* सहायक आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनकी शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए हैं। यह अध्ययन राजस्थान राज्य के बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 600 शिक्षकों पर किया गया है। शिक्षकों की सूचना तकनीकी अभिवृत्ति जानने हेतु सूचना तकनीकी अभिवृत्ति मापनी (नसरिन एवं फातिमा लस्लहि), शिक्षण दक्षता जानने हेतु शिक्षण दक्षता मापनी (बी.के. पासी एवं एम.एसललिथा) तथा व्यवसायिक विकास जानने हेतु व्यवसायिक विकास मापनी (योदिदा बुतिआ) का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति, शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास में परस्पर सहसम्बन्ध पाया गया।

शब्द कुंजी – सूचना तकनीकी अभिवृत्ति, शिक्षण दक्षता, व्यवसायिक विकास, राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, शिक्षक।

प्रस्तावना – आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आज हम शिक्षण व प्रशिक्षण की पारंपरिक विधियां एवं माध्यमों में सुधार कर सकते हैं तथा उन्हें और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। शिक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का प्रभावी एवं अधिकतम उपयोग शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच की नीरसता को खत्म कर सकता है। संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग ने आज अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित तथा स्व केंद्रित बना दिया है। आज प्रौद्योगिकी की सहायता से विद्यार्थी अपनी गति से कहीं भी तथा कभी भी सीख सकते हैं तथा दक्षता हासिल कर सकते हैं।

शिक्षा हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार समाज के अस्तित्व के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा आवश्यक रूप से सामाजिक कार्य है, समाज इस कार्य को विद्यालय को सौंपता है, और उस पर बालकों को इस प्रकार शिक्षित करने का दायित्व डालता है जिससे कि वे समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें, बालकों को शिक्षित करने का दायित्व शिक्षकों का होता है। शिक्षक एक अच्छे समाज का निर्माण करता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होती है। शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य हेतु कई प्रयास करने होते, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त कर कक्षा-गत शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सूचना तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं।

शिक्षा तकनीकी के विकास के कारण ज्ञान का विकास हुआ है। ज्ञान में वृद्धि शोध कार्यों के कारण होती है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोध कार्यों को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। शोध कार्यों में प्रदत्तों का संकलन करना एवं विश्लेषण करना प्रमुख कार्य होता है। शोध कार्यों को

कम्प्यूटर के प्रयोग ने अधिक सुगम बना दिया है। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में आज विभिन्न यंत्रों एवं मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है जिससे शिक्षा का यंत्रीकरण हो गया है। इसे हार्डवेयर तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। वो उन तक सूचनाओं को बिना किसी परेशानी के इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराता है शिक्षक तकनीकी का उचित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कुंजी की भूमिका निभाते हैं और प्रौद्योगिकी छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत, साझाकरण और अधिगम को बढ़ाती है।

राना (2012) के अनुसार सूचना तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तथा शिक्षक प्रशिक्षकों का सूचना व संचार तकनीकी अभिवृत्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया है। शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निम्न कार्यक्रम में भाग लेना पड़ता है- सेमीनार, कार्यशाला, रिक्रेशर कोर्स, लेखन कार्य, अनुसंधान कार्य आदि, जिससे उनका व्यावसायिक विकास होता है, एवं शिक्षण दक्षता का स्तर भी बढ़ता है। यदि शिक्षक समय के अनुसार न चल कर अपनी गति को धीमी कर लेंगे तो पिछड़ जाएंगे जिससे शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा, और एक नयी ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगा और उनका व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण दक्षता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तुत शोध का महत्व – प्रत्येक देश में शैक्षिक परिवर्तन होते रहते हैं। जिसमें कई शिक्षा नीतियां बनती हैं। तथा शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं। देश में तकनीकी परिवर्तन भी होते हैं। समाज में भी बदलाव आता रहता है। इन परिवर्तनों के कारण बहुत सी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक नयी समस्या का जन्म होता है और आज के समय में शिक्षकों के लिए सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक

विकास, शिक्षण दक्षता एक बड़ी समस्या है जिसका अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। अनुसंधान के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनुसंधान के इस महासागर में इस समस्या का अध्ययन आवश्यक हो गया है। अनुसंधान रुढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है। आज के शिक्षक नवाचार को अपनाते हैं। गोयल (2010) अध्ययन के अनुसार शिक्षा शिक्षकों को तैयार करता है तथा शिक्षार्थियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। एवं शिक्षक शिक्षा में नवाचार के उपयोग के प्रति सकारात्मक प्रभाव पाया गया। जो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए हितकर है। इस प्रकार सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक विकास, शिक्षण दक्षता का अध्ययन आवश्यक है।

वर्तमान परिस्थितियों में तकनीकी, संचार माध्यमों की प्रगति व शैक्षिक दक्षताओं में त्वरित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शिक्षक में व्यावसायिक विकास, शिक्षण दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षकों में अत्याधिक कार्यभार, वेतन विसंगतियाँ, अतिरिक्त कार्य, शाला व संगठन का वातावरण उनके कार्य को प्रभावित करता है। जो शिक्षक में कार्य के प्रति उत्साह व रुचि में कमी लाता है। अतः उपरोक्त अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में शोधकर्ता के मन में निम्नलिखित जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या शिक्षकों के सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनके व्यावसायिक विकास पर प्रभाव पड़ता है? क्या शिक्षकों के सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनके शिक्षण दक्षता पर प्रभाव पड़ता है? क्या शिक्षकों के व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण दक्षता में आपस में संबंध है? क्या शिक्षकों के सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का लिंग एवं परिवेश पर प्रभाव पड़ता है? इन समस्त प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए शोधकर्ता ने शिक्षकों के सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनके व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण दक्षता पर प्रभाव को अपने शोध विषय के रूप में चुना।

समस्या कथन - 'उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सूचना तकनीकी अभिवृत्ति का उनकी शिक्षण दक्षता एवं व्यावसायिक विकास के सम्बन्ध में अध्ययन'

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

सूचना तकनीकी अभिवृत्ति - सूचना तकनीकी एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें सूचना के संचार के लिये हर तरह की तकनीकी समाहित है। यह वो तकनीकी है जो कि सूचना के संचालन (रचना, भंडारण और उपयोग) की योग्यता रखता है।

सूचना तकनीकी अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षकों के शिक्षण व्यवहार में सूचना तकनीकी का प्रयोग कर ज्ञान में वृद्धि करना एवं इनका मुख्य कार्य नीति निर्धारण, प्रभावी निर्णय व संगठन का व्यवसाय निर्धारित करना है। तकनीकी के द्वारा कक्षा व्यवहार में परिवर्तन एवं सुधार करना तथा जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध करता है।

शिक्षण दक्षता - शिक्षण दक्षता से तात्पर्य अधिगम में वृद्धि करना तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन एवं उनकी दक्षता विकसित करना होता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण किसी भी वस्तु के सैद्धांतिक पक्षों तथा ज्ञान के प्रतिपादन से सम्बन्धित होता है एवं इनका सम्बन्ध व्यवहार परिवर्तन तथा कौशल विकास से होता है।

शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी शिक्षण कला पर अवश्य पड़ता है और उसकी दक्षता का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस प्रकार से

शिक्षक के लिए उसका व्यक्तित्व और दक्षता ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जहाज में पाल होता है। बिना दक्षता और व्यक्तित्व के शिक्षक अपने शिक्षण में छात्रों को शिक्षण देने में प्रभावशाली नहीं रह पाता है जैसे समुद्र में कोई जहाज बिना पाल के होता है और तूफान आने पर डूब जाता है शिक्षक की दक्षता उसके शिक्षण का सम्बन्ध बहुत कुछ इसी प्रकार का है, और इस सम्बन्ध को हम उसकी दक्षता और उसी योग्यता के नाम से जानते हैं।

व्यवसायिक विकास - व्यावसायिक विकास से तात्पर्य शिक्षकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से है। एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान, आदि गुणों से युक्त विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, उसकी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था, जो न केवल पाठ्यक्रम से पूरी की जा सकती है बल्कि उसके लिए एक योग्य शिक्षक की भी आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे शिक्षकों का व्यावसायिक विकास होना संभव है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक विकास के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं व्यावसायिक विकास के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :-

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता में सार्थक सहसम्बन्ध है।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यावसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध है।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं व्यावसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध है।

न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 600 शिक्षकों को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है,

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. सूचना तकनीकी अभिवृत्ति मापनी (नसरिन एवं फातिमा लरलहि)
2. शिक्षण दक्षता मापनी (बी.के. पासी एवं एम.एसललिथा)
3. व्यावसायिक विकास मापनी (योदिदा बुतिआ)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता में सार्थक सहसम्बन्ध है।

सारणी संख्या - 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सह सम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
सूचना तकनीकी अभिवृत्ति	600	122.41	10.552	0.029	स्वीकृत
शिक्षण दक्षता	600	220.81	9.142		

व्याख्या :- परिकल्पना संख्या 1 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक त

का मान 0.029 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता में सार्थक सहसम्बन्ध हैं, स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता में सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध है।

सारणी संख्या - 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सह सम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
सूचना तकनीकी अभिवृत्ति	600	122.41	10.552	0.072	स्वीकृत
व्यवसायिक विकास	600	110.73	13.940		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक विकास सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक त का मान 0.072 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध हैं स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में सूचना तकनीकी अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध है।

सारणी संख्या - 3

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	सह सम्बन्ध	सार्थकता का स्तर
शिक्षण दक्षता	600	220.81	9.142	1.567	स्वीकृत
व्यवसायिक विकास	600	110.73	13.940		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण दक्षता अभिवृत्ति एवं व्यवसायिक विकास सम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक त का मान 0.020 प्राप्त हुआ जो कि सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्ता द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध हैं स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में शिक्षण दक्षता एवं व्यवसायिक विकास में सार्थक सहसम्बन्ध पाया गया।

शैक्षिक सुझाव -

1. शिक्षकों को अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी एवं सजगता होनी चाहिए।
2. शिक्षकों में आत्म विश्लेषण की भावना होनी चाहिए।

3. विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में सहयोग हेतु अधिक समय प्रदान करना चाहिए।
4. विद्यालय में सूचना तकनीकी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. वद्यालय में स्नेहपूर्ण वातावरण होना चाहिए ताकि शिक्षकों में आपसी सामंजस्य बन रहे ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. न्यादर्श के लिए बड़े न्यादर्श का चयन किया जा सकता है इसके लिए विद्यालयों तथा शिक्षकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ही शामिल किया है। आगामी शोध के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लेकर शोध कार्य किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आर्य बी.एल. (2000): 'शिक्षा में तकनीकी बदलाव' : शिविरा पत्रिका, मा. शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, वर्ष-40, अंक-10, अप्रैलकपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
2. गुप्ता, विनिता. एवं तिवारी, भावना (2012) शिक्षा में संचार माध्यमों की उपादेयता, नई शिक्षा. वर्ष 61, अंक 10, जयपुर: बनिपार्क. पृ.सं. 5-9।
3. डॉ. शर्मा, वी. एस. 'शिक्षा मनोविज्ञान' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
4. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) 'शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी' शिक्षा प्रकाशन जयपुर पृष्ठ संख्या (407-430)
5. ठोंबरे, सुनिता (2015). शिक्षकों की कक्षा शिक्षण दक्षता का अध्ययन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, शिक्षा, व्यवसाय, प्रबन्ध एवं भारतीय जीवन मूल्य-एक चिंतन, उदगम विज्ञाति, वॉ. 2, पृ. 81-87
6. पाल, राजेन्द्र (20110), 'शिक्षक-प्रशिक्षकों का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति दृष्टिकोण एवं इसकी सुगमता', भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. पब्लिकेशन्स, अक्टूबर 2011।
7. पासी, बी.के. एवं ललिता, एम.एस., जनरल टीचिंग कम्पीटेंसी स्केल, नेशनल सॉइकोलॉजी कार्पोरेशन, आगरा : भार्गव भवन, 4/230, कचेहरी घाट
8. मिश्र, सर्वेश कुमार (20180. रीवा जिले के प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर दक्षता आधारित शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात् छात्रों के अधिगम स्तर का अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस एजुकेशन रिसर्च, वॉ. 3, इश्यू-2, पृ. 15-18
9. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।

हिन्दी उपन्यासों में नवीन अंचल एवं सामाजिक चेतना

डॉ. पूजा धमीजा* प्रवीण जाखड़**

* सह आचार्य (हिन्दी) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोधार्थी (हिन्दी) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रेमचन्द्र युग में हिन्दी उपन्यास के नये आयाम में प्रायः दो प्रवृत्तियों का विशेष योगदान रहा। एक प्रवृत्ति थी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की और दूसरी सामाजिक उपन्यास यथार्थवाद की। स्वतन्त्रता के पश्चात् ये दोनों धाराएं अनेक सुक्ष्म बातों से संश्लिष्ट होकर बहुत तीव्र और विशिष्ट रूप में विकसित होने लगीं। दोनों धाराएं के मूल में पश्चिम के दो मनीषियों की प्रेरणा थी जिन्होंने यद्यपि साहित्य के क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष स्थापनाएं नहीं कीं, न साहित्य की सर्जना ही की तथापि जिनके व्यष्टि एवं समष्टिगत जीवन पद्धति के विवेचन विश्लेषण ने विश्वभर के चिन्तन को प्रभावित किया। ये दोनों मनीषी हैं फ्रायड और मार्क्स। प्रथम धारा सामाजिक उपन्यासों की थी, जिसके अन्तर्गत समाजवादी तथा यथार्थवादी उपन्यासों की गणना की जाती है और दूसरी धारा थी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की, जिनका सम्बन्ध वस्तुतः मानव मन में छिपे रहस्यों का उद्घाटन करना था। अज्ञेय और इलाचन्द्र जोशी के नेतृत्व में यह दूसरी धारा अपने प्रखर वेग के साथ प्रवाहमान थी। स्वतन्त्रता के बाद उसी समय सागर में उठने वाली तरंगों के घात-प्रतिघात के जो कड़वे-मीठे अनुभव हा रहे हमारा यह मनोवैज्ञानिक कथाकार उनसे बेखबर बना रहना चाहता था अथवा बेखबर था। घात-प्रतिघातजन्य इन कड़वे-मीठे अनुभवों-सामयिक सन्दर्भों को संश्लिष्ट अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किया आंचलिक उपन्यासों में।

सामाजिक चेतना बनाम आंचलिकता – सामाजिक चेतना की दृष्टि से हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों का शिल्प भले ही प्रेमचन्द्र के निकट पड़ता हो, किन्तु अपने स्वरूप और दृष्टि में यह बहुत भिन्न है यह स्वतन्त्रता के पश्चात् हिन्दी उपन्यास की विशेष उपलब्धि है। नयी कविता और नये कहानी में जिस प्रामाणिक अनुभव की अभिव्यक्ति हुई, वही प्रकारान्तर से आंचलिक उपन्यासों में भी स्थापित हुआ। इस विशेष भूभाग-जन्य प्रामाणिक अनुभव ने कथा-विन्यास, चरित्र-रचना और शिल्प-नियोजन को एक क्रान्तिकारी नवीनता प्रदान की। आंचलिक उपन्यासों को जनतान्त्रिक भावना की सच्ची अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् गांवों या पिछड़े इलाकों तथा जन सामान्य को जो आत्मसत्ता का महत्व अनुभव हुआ है उसी का परिणाम है कि लेखकों ने किसी पात्र या मूल्य या जीवन परिपाटी को विशेष महत्व न देकर सुख-दुःख का सच्चा जीवन भोगने वाले यथार्थ लोगों की ओर देखा और उनके माध्यम से एक भूभाग की समूची जिन्दगी को उसकी समस्त घनता संश्लिष्टता के साथ उद्घाटित किया।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी उपन्यास में आंचलिकता का अभ्युदय हुआ यह उस राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप हुआ जो विश्वमंच पर अपनी

विशिष्टता को प्रतिष्ठापित करने को उत्सुक थी, यो तो हिन्दी उपन्यास में आंचलिक का पुट पहले भा रहा है। उसके कुछ तत्व बीज रूप में विद्यमान रह हैं। किन्तु उसका पूर्ण विकास हिन्दी उपन्यास की अभिनव, सिद्धि है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास में जो अत्यन्त स्वस्थ एवं नवीन रूप प्रस्फुटित होकर आये, उनमें आंचलिक उपन्यास उल्लेखनीय है। इस समय तक आंचलिक के ग्रहण के लिए देश की परिस्थितियों का काफी हद तक तैयार हो चुकी थी और राष्ट्रीयता के उदार दृष्टिकोण का रख उन भूखण्डों, अंचलों या प्रदेशों की ओर मुड़ गया था जिनमें आदिवासी समाज, जन-जातियों या पिछड़े हुए वर्ग थे और जो भौगोलिक अंचल अपनी समृद्धि में राष्ट्र की भाति थे। इन भण्डारों की ओर अब नई दृष्टि से देखा जाने लगा था। जो लोकतान्त्रीय दृष्टि देश और शासन में स्थापित हुई थी उसका ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक ही था। यह जनवादी विचारधारा का ही एक रूप था जो यह स्वीकार करती थी कि सबसे अधिक उत्पीड़ित, उपेक्षित और शोषित को कलाकार की सहानुभूति नहीं चाहिए। भारतीय जन-जीवन का सच्ची चित्रण करने के लिए उसे निश्चित रूप से सभ्यता से दूर अनदेखे अंचलों और आत्मज्ञान जातियों के बीच पहुंचना होगा जहां भारतीय संस्कृति मूलतः एक होते हुए भी अपने विशिष्टरूप से द्रष्टव्य है। परिणामस्वरूप युग-युग से उपेक्षित, शोषित और जर्जरित जन-जीवन को उसकी भौगोलिक संस्कृति के साथ जानने का सशक्त प्रयत्न हिन्दी उपन्यास में हुआ। डॉ. रागेय राधव ने यकब तक पुकारा की भूमिका में आंचलिक उपन्यास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के सम्बन्ध में लिखा है, 'प्रेमचन्द्र के समय में राष्ट्रीयता आन्दोलन के विदेशी के विरुद्ध था अतः उस समय राष्ट्रीयता का ही महत्व उनके उपन्यासों में मिलता है। प्रेमचन्द्र से आगे है और केवल शोषण का अधिक पहलू ही देखना काफी नहीं है – असली भारत गांव में है जो अब भी मध्यकालीन विश्वासों से ग्रस्त है। वे विश्वास मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था से नियन्त्रित हैं। मैंने उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।'

आंचलिक उपन्यासों में प्रेमचन्द्र का पादुर्भाव आकस्मिक नहीं है। एक सुस्पष्ट ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में उनका उदय हुआ। इस नवीन विधा के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके बाद उसमें बीजांकुरण हुआ और जीवन-संग्रह के रूप में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की हवा वहां तक आयी, वह उसे और पल्लवित पुष्पित करती गयी।

आंचलिक उपन्यास में प्रेमचन्द्र की परम्परा बहुत पुष्ट किन्तु भिन्न रूप में विकसित हुई। अपने सीमित परिवेश में वह व्यापक दृष्टि की अभिव्यक्ति है। आंचलिक उपन्यासों का प्राणलोक संस्कृति है जिस नवीन जीवन-बोधों

का आग्रह उपन्यास करते हैं। उन्हें करना नहीं है, अपनी विशिष्टता ओर अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ। वह आग्रह इसलिए है कि उनमें अंचल की संस्कृति जीवन-मान्यता, विश्वास, रहन सहन वेशभूषा जनभाषा का चित्रण हुआ वे अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से आगे बढ़ गये। आंचलिक उपन्यास ने ह्यासोन्मुखी जीवन मूल्यों के स्थान पर नये सिद्धान्त, आदर्श ओर आस्था की प्रकट किया। स्थानीयता के स्पर्श से जन जीवन तो मुखरित हुआ ही, प्रकृति की सुषमा भी निखर उठी है। लोक-जीवन और लोक-भाषा की समृद्धि का आख्यान करते हैं ये आंचलिक उपन्यास।

निष्कर्ष - आंचलिक उपन्यासकार का यह मुख्य प्रयत्न होता है। कि उस अंचल की कथा प्रस्तुत करे जिस उपन्यास की पृष्ठभूमि बनाया है। अतः वह उपन्यास के यसेटिंग पक्ष को उसके भौगोलिक, ऐतिहासिक, एवं सामाजिक सन्दर्भ के साथ सामूहिक रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जिससे व्यष्टि का

नहीं बल्कि किसी विशिष्ट जीवन और परिस्थितियों को अधिक प्रामाणिक और विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं जिनके अध्ययन से वर्णित प्रदेशों के जन जीवन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है ये उपन्यास सामाजिक जीवन के दस्तावेज माने जा सकते हैं और यह विशिष्टीकरण की प्रक्रिया से ही सम्भव हुआ है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 डॉ. आदर्श सक्सेना : हिन्दी के आंचलिक उपन्यास और उनकी शिल्पविधि
- 2 डॉ. नगीना जैन : आंचलिकता और हिन्दी उपन्यास
- 3 डॉ. इन्द्रप्रकाश पाण्डेय : हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों में जीवन सत्य
- 4 डॉ. रामपत यादव : हिन्दी का आंचलिक वातायान

निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता का अध्ययन

प्रीति शर्मा * डॉ. गुंजन शर्मा **

* पी.एच.डी. शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

** सहायक आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – समाज की अपेक्षाएँ भी शिक्षक से बहुत अधिक होती हैं जो भारत जैसे देश में प्राचीनकाल से गुरु-शिष्य परम्परा के आधार पर परखी जा सकती हैं। श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। मनुष्य के जीवन में औपचारिक व अनौपचारिक रूप से शिक्षा निरन्तर चलती रहती है। शिक्षक अपने दायित्व के प्रति सतर्क हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिबिम्बित होती है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा और समाज के बीच पुल का कार्य करता है। विद्यार्थियों में देश का भौगोलिक परिवेश, देश की सांस्कृतिक अवधारणा तथा व्यावसायिक एवं औद्योगिक सोच जो विज्ञान एवं तकनीकी के रूप में साथ-साथ चलती है। इसके साथ शिक्षक अपने विषय में प्रतिद्विष्ट जीवन की मनोवैज्ञानिक समझ अनुशासन के प्रति सतर्कता जो उसे वर्तमान संदर्भ के शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होती है, जो शिक्षक को श्रेष्ठ श्रेणी प्रदान करती है। शिक्षक के सम्मुख एक महत्वपूर्ण कार्य प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक तथा सृजनात्मक जैसे विभिन्न पक्षों में छिपी विशाल अन्तः शक्ति को जाग्रत करना है।

विद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ महाविद्यालयी शिक्षा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्यालयी शिक्षा का यह स्तर ऐसा मंच है जो एक ओर तो उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए और दूसरी ओर रोजगार एवं जीवनयापन के प्रवेश के लिए रास्ता खोलती है, क्योंकि इस शिक्षा से राष्ट्र के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। हमारे देश की समृद्धि, सफलता और प्रकाशमय भविष्य माध्यमिक शिक्षा पर अवलम्बित होती है।

निर्णय क्षमता – निर्णय क्षमता एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है, जिसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं जिनमें से किसी एक को चुनना होता है। एक ऐसा पहलू है जिसके आधार पर व्यक्ति सही विकल्प चयन की क्षमता रखता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय क्षमता आवश्यक है। जीवन में संबंधित स्थितियों एवं समस्याओं का सामना करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

निर्णयन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी कार्य के सम्बन्ध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है।

इसी तरह व्यवसायिक जगत में काम करने वाले प्रबन्धकों को भी अनेक निर्णय करने पड़ते हैं कुछ निर्णय दैनिक दिनचर्या के अंग होते हैं तो कुछ संस्था के सम्पूर्ण जीवन एवं अस्तित्व को प्रभावित करने वाले होते हैं।

निर्णय क्षमता एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्रिया को करने

अथवा न करने के लिए सम्भावित समाधानों एवं विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निष्चितिकरण कर उसका चयन किया जाता है। तथा अनिश्चितता की स्थिति को निश्चितता में बदला जाता है।

भावी शिक्षक में निर्णय लेने की क्षमता का गुण विकसित होना भी आवश्यक है। शिक्षक केवल शिक्षण प्रक्रिया का ही अंग नहीं है बल्कि उसे विद्यालय समाज एवं व्यक्तिगत जीवन में प्रबन्धकीय कार्य करने होते हैं। निर्णय क्षमता एक प्रबन्धकीय कार्यों का समानार्थी कार्य है। चूंकि एक शिक्षक को भी अपनी वृत्ति की क्रियाओं को प्रबन्धित करना पड़ता है। अतः उसमें भी निर्णय क्षमताओं का संज्ञान उच्च स्तर पर अपेक्षित है।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोध कार्य के दत्त संकलन कार्य हेतु शोधकर्त्री द्वारा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के 400 शिक्षकों (200 निजी विद्यालयों व 200 निजी महाविद्यालयों) का चयन किया गया।

विधि – इस शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया।

उपकरण – इस हेतु शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित उपकरण के रूप में निर्णय क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी – शोध कार्य हेतु शोधकर्त्री द्वारा सांख्यिकी के रूप में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-टेस्ट का प्रयोग किया गया।

शोध के उद्देश्य –

1. निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता का अध्ययन करना।

विश्लेषण –

सारणी संख्या-1 (कला वर्ग)

समूह(शिक्षक)	संख्या	मध्य मान	प्रमाप विचलन	स्वतंत्रता की कोटि	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
निजी विद्यालय	100	29.62	3.01	198	4.01	सार्थक
निजी महाविद्यालय	100	31.30	2.91			अन्तर है

0.01 व 0.05 सार्थकता स्तर

परिणाम एवं व्याख्या –

सारणी संख्या 1 के अनुसार निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 29.62 और 31.30 है। इन दोनों समूहों का मानक विचलन क्रमशः 3.01 और 2.91 है तथा दोनों के मध्यमानों के अन्तर का टी-मूल्य 4.01 है। यह टी-मान उपरोक्त सार्थकता स्तर के सारणी मान से अधिक है। ये मूल्य 198

स्वतंत्रता की कोटि हेतु 0.05 स्तर के विश्वास मूल्य 1.97 तथा 0.01 के विश्वास मूल्य 2.60 से अधिक है। अतः दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर है। निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता में अंतर प्राप्त हुआ है।

सारणी संख्या-2 (विज्ञान वर्ग)

समूह(शिक्षक)	संख्या	मध्य मान	प्रमाप विचलन	स्वतंत्रता की कोटि	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
निजी विद्यालय	100	30.17	3.41	198	1.32	सार्थक अन्तर नहीं है।
निजी महाविद्यालय	100	30.75	2.75			

0.01 व 0.05 सार्थकता स्तर

परिणाम एवं व्याख्या-

सारणी संख्या 2 के अनुसार निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 30.17 और 30.75 है। इन दोनों समूहों का मानक विचलन क्रमशः 3.41 और 2.75 है तथा दोनों के मध्यमानों के अन्तर का टी-मूल्य 1.32 है। यह टी-मान उपरोक्त सार्थकता स्तर के सारणी मान से कम है। ये मूल्य 198 स्वतंत्रता की कोटि हेतु 0.05 स्तर के विश्वास मूल्य 1.97 तथा 0.01 के विश्वास मूल्य 2.60 से कम है। अतः दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर नहीं है। निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता में कोई अंतर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः निर्धारित परिकल्पना 'निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है' को कला वर्ग पर पूर्णतः अस्वीकृत किया जाता है तथा विज्ञान वर्ग पर पूर्णतः स्वीकृत किया जाता है। विद्यालयों की अपेक्षा महाविद्यालयों के कला वर्ग के शिक्षकों की निर्णय क्षमता के प्राप्तांक अधिक पाये गये। जबकि विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की निर्णय क्षमता के प्राप्तांक लगभग समान पाया गया।

सारांश- अध्ययन के परिणाम से निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमता पर प्रकाश डालने में मदद मिलेगी। यह शोध निजी विद्यालयों व निजी महाविद्यालयों के कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के शिक्षकों के निर्णय क्षमताका अध्ययन करने में भी मदद करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अरोड़ा डॉ. रीता, मारवाह डॉ. सुदेश (2004-05), शिक्षण एवं अधिगम के मनो सामाजिक आधार, जयपुर: शिक्षा प्रकाशन।
2. अरोरा एवं ऐलनबाय (1999), समूह निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तिगत प्राथमिकता के प्रभाव का मापन। जर्नल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, 36(4), 476-467.
3. काबरा, एल. (1991), अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति बालिकाओं का उनकी पिछड़ेपन एवं व्यक्तित्व एवं वातावरण समायोजन के साथ लक्ष्य निर्धारण। पीएच. डी. थीसिस, एजुकेशन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, उदयपुर, राजस्थान।
4. कुशवाहा, ए.के. एवं हसन, बी. (2005), व्यक्तित्व आयात एवं लिंग के संदर्भ में कैरियर निर्णय। जर्नल ऑफ द इंडियन एकेडमी ऑफ एप्लाइड साइकॉलॉजी, 31(2), 77-82.

5. ग्लास्टर, रोजी, पोलाई ऐमा, बटार्म, क्रिस्टिन, विलियम्स, जॉय (2013), वयस्क व्यवसायिक निर्णय क्षमता: गुणात्मक शोध। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड सिकिल्स, 1 विक्टोरिया स्ट्रीट, लंदन, 132.
6. गेरिशन एण्ड क्रो (1973), एज्यूकेशन साइक्लोजी, न्यू देहली।
7. गेरिशन (1967), शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग. न्यू देहली: कल्याणी पब्लिशर्स।
8. गौड़, अनिता (2005), बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे. नई दिल्ली: राज पाकेटबुक्स. पृष्ठ संख्या-14.
9. चोपड़ा, पी. (2011), उच्च एवं निम्न सृजनात्मक शिक्षक प्रशिक्षकों की निर्णय क्षमता शैली का अध्ययन। साइकोलॉजिवा, 41(1), 78-80.
10. चौधरी, ए. एवं नागमणी, के. (2015), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों की संवेगात्मक बुद्धि का निर्णय क्षमता के संबंध में अध्ययन। एडुट्रेक, 15(3), 25-30.
11. ढोडियाल, एस. पाठक (1990), शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी. पृष्ठ संख्या-51
12. पाठक, पी.डी. (2007), शिक्षा मनोविज्ञान. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर. पृ.सं. 245, 552, 450.
13. बघेल, डी. एस. (2000), सामाजिक अनुसंधान, आगरा: साहित्य भवन पब्लिशर्स।
14. मित्तल, एम. एन. (2005), शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार. मेरठ: इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस. पृ. सं.-293-296.
15. मेहता, वी. आर. (2006), उभरते भारतीय समाज में अध्यापक एवं शिक्षा, कोटा बीई. प्रथम कोटा खुला विश्वविद्यालय. पृष्ठ संख्या-71.
16. मेहता, वी. आर. (2006), अध्ययन पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति: मूल्यपरक शिक्षा कोटा: कोटा खुला विश्वविद्यालय. पृष्ठ संख्या-70.
17. राय, पी.एन. (1981), अनुसंधान परिचय. चतुर्थ संस्करण. आगरा: विनोद पुस्तकमंदिर पृष्ठ संख्या-63.
18. राय, पारसनाथ (2005). अनुसंधान परिचय, आगरा: लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिशर्स।
19. सक्सेना, एन. आर. स्वरूप, चतुर्वेदी, शिखा (2007), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, पृष्ठ 1-22.
20. सिद्ध, के.सी. (1985), मैथडॉलॉजी ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेशन, एटलिंग पब्लिशर्स।
21. शर्मा, डॉ. आर.ए. (2013), शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
22. सारस्वत, डॉ. मालती (1997), शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा: आदत और शिक्षा, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर. पृ. सं. 255.
23. सुखिया, एस.पी. (1973), शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. द्वितीय संस्करण, आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर. पृष्ठ संख्या-487.
24. हकीम, एम.ए. और अस्थाना, विपिन (1994), मनोविज्ञान की शोध विधियाँ. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर. पृष्ठ संख्या-169.
25. त्रिवेदी, आर.एन. एवं शुक्ला, डी.पी. (2008), रिसर्च मैथडॉलॉजी, जयपुर: कॉलेज बुक डिपो. पृ.सं. 321.

Journals & Magazines:-

1. भारतीय शिक्षा शोध, पत्रिका रिव्यू, अंक-22.
2. नई शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक संवाद की पत्रिका, वर्ष - 62 अंक - 5.
3. जर्नल ऑफ वैल्यू एजुकेशन, अंक-5, जनवरी व जुलाई, 2005.

Survey:-

1. Buch, M.B. (Ed.). First survey in Education.
2. Buch, M.B. (Ed.). Second survey in Education.
3. Buch, M.B. (Ed.). Third survey in Education.

4. Buch, M.B. (Ed.). Fourth survey in Education.
5. Buch, M.B. (Ed.). Fifth survey in Education

Webliography:-

1. www.ase.org.uk
2. www.shodhganga.inflibnet.ac.in
3. www.usq.edu.au/users/albino/papers/site99/1345.html
4. www.skills_nict.com.in
5. www.google.com
6. www.education.nic.in

अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विवाह, दहेज एवं एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. किरण गिल* पृथ्वी पाल सहारण**

* सह आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में 'अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विवाह, दहेज एवं एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन' के सम्बन्ध का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए हैं। यह अध्ययन राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न अकादमिक महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल 600 विद्यार्थियों पर किया गया है। प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित 'मैरेज एटीट्यूड स्केल', डॉ. आर.आर. शर्मा द्वारा निर्मित दहेज, डॉ. टी. एस. सोदी व डॉ. जी. डी. शर्मा एकल परिवार का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विवाह, दहेज एवं एकल परिवार की अवधारणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् समान है।

शब्द कुंजी – अकादमिक महाविद्यालय, विद्यार्थी, एकल परिवार, दहेज, विवाह की अवधारणा।

प्रस्तावना – वर्तमान में भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या अबाध गति से बढ़ती आबादी है जिसका एक प्रमुख कारण कम उम्र में विवाह है। आज स्नातक स्तर के उपरान्त विवाह के अवधारणा उत्पन्न हो रही है। शासन पर दबाव भी यही है, लेकिन समाज में कम जागरूकता, परम्परा की तुलना में इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इंटरमीडिएट स्तर के विद्यार्थी 18 वर्ष तक के होते हैं। विवाह जितनी ही अधिक उम्र यानि 25 वर्ष तक हो तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या जनित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। समस्या एवं परम्परा यह है कि माता-पिता पुत्रियों का विवाह शीघ्र करना चाहते हैं और पुत्रों की देर से। छात्र-छात्राएँ यदि देर से विवाह करने का निर्णय ले लें तो अभिभावक भी बदल सकते हैं। महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी, किशोरावस्था के अहम् बात में होकर अतिसंवेदनशील एवं भावुक होते हैं जिससे परिपक्व आत्मनिर्णय, दृढ़ संकल्प एवं परिवर्तन वाले होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई। क्योंकि यदि महाविद्यालय स्तर की अभिवृत्ति प्रबल मानी गई तो इसे बदलने की आवश्यकता विवाह द्वारा पड़ेगी। इस दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

आज पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को महिला होने के नाते कई प्रकार की समस्याओं का आये दिन मुकाबला करना पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख समस्या है- दहेज प्रथा। आज दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त हो गयी है। प्राचीन समय में दहेज माता-पिता स्नेहवश देते थे किन्तु आज यह दहेज वर मूल्य बन गया है।

'यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'

अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्राचीन समाजों में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। सीता हों, कुन्ती हों अथवा कोई अन्य सुकन्या, सभी को स्वयंवर का अधिकार रहा है। निश्चित ही प्राचीन काल में नारियों का व्यक्तित्व सुरक्षित था, वे अपना जीवन साथी स्वयं

चुनती थीं। स्मृतिकाल में भी दहेज प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। वास्तव में दहेज प्रथा का प्रचलन मध्यकाल में हुआ है। जो वस्तुएं प्रेम व इच्छानुसार दी जाती थीं वह प्रथा एक बुराई में उभरकर समाज के सामने आगे आई। 13वीं-14 वीं शताब्दी तक यह प्रथा एक बुराई में उभरकर समाज के सामने आई और धीरे-धीरे यह एक बुराई के रूप में फैल गई। 19वीं सदी तक समाज में दहेज प्रथा ने इतना विकृत स्वरूप धारण किया कि जिससे कई कन्याओं को अपने जीवन से मुक्त होना पड़ा है।

दहेज के इस दानव ने समाज में जाने कितनी फूल सी नारियों को असमय ही क्रूरतापूर्वक निगल लिया है। कितनी लड़कियाँ आज निर्दयतापूर्वक दहेज के लोभी सास-ससुर द्वारा जलाई जा रही हैं, ऐसी स्थिति में भी पति कहलाने वाले कायर युवकों की लज्जा फूँफकार कर नहीं उठती, उनकी मनुष्यता विचरित नहीं हो पाती। जब तक सारा समाज ही दहेज दानव के विरुद्ध उठ खड़ा नहीं होता, तब तक दहेज का दानव अपने दुष्ट खेल ही खेलता रहेगा। दहेज के मूल में क्या माता-पिता या अभिभावक हैं अथवा लड़के एवं लड़की की इच्छा है? यह जानने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह शोध बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि लड़के-लड़कियाँ दहेज नहीं चाहें तो दहेज की समस्या का समाधान हो सकता है।

परिवार का बड़ा आकार सदैव दुःख का ही कारण बनता है। इसलिए संतान की संख्या नहीं अपितु उन्हें गुणवान एवं सुयोग्य बनाने की आवश्यकता है। कम संतान होने से माता का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वह एक श्रेष्ठ माँ के उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर पाती है। परिवार छोटा रहने पर माता-पिता को संतानों के भरण-पोषण, शिक्षा, मनोरंजन तथा चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं दिलाना सरल हो जाता है। बच्चों की समुचित देखभाल होती है, इन्हें माता-पिता का पूर्ण संरक्षण एवं स्नेह प्राप्त होता है, जिससे बच्चों का संवेगात्मक विकास भी संतुलित रूप से होता है। यही बच्चे भविष्य में श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश के विकास में सहायक सिद्ध

होते हैं। परिवार भी आर्थिक एवं अन्य समस्याओं से मुक्त रहता है और सदस्यों के रहन-सहन का स्तर उँचा उठता है।

प्रस्तुत शोध का महत्व – अपने वर्तमान को अतीत एवं भविष्य से जोड़े रखने के लिए वंश वृद्धि आवश्यक है।

औचित्यबद्ध किसी भी जीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण वंश वृद्धिकरण होता है। हमारे धार्मिक ग्रन्थों में विवाह की उम्र अलग-अलग मानी गई है। वैदिक युग में 15 या 16 वर्ष की कन्या और 20 वर्ष के लड़के का विवाह होता था। महाभारत में लड़के की तथा लड़की की विवाह योग्य उम्र में अत्यधिक अन्तर बताया गया है। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में यौवन प्राप्त लड़की को ही विवाह की स्वीकृति दी है। इस प्रकार उपरोक्त धर्मग्रन्थों में विवाह की उम्र लड़का की तो ठीक है किन्तु कन्या की उम्र अत्यधिक कम है जो कि आज के युग में बाल-विवाह कहलाता है तथा शासन द्वारा इस उम्र में किया गया विवाह अपराध माना गया है।

भारत में वर्तमान समय में विवाह की उम्र लड़कों के लिए कम से कम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की हुई है। महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी भी अमुमन इसी उम्र के होते हैं। महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी उत्तर किशोरावस्था से गुजरते हैं। इसी दौरान कामेन्द्रियाँ सक्रिय होना प्रारम्भ हो जाती हैं, लिहाजा विवाह की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक हो जाता है। समस्या एवं परम्परा यह है कि माता-पिता पुत्रियों का विवाह शीघ्र करना चाहते हैं और पुत्रों की देर से। छात्र-छात्राएँ यदि देर से विवाह करने का निर्णय ले लें तो अभिभावक भी बदल सकते हैं। महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी, किशोरावस्था के अहम् बात में होकर अतिसंवेदनशील एवं भावुक होते हैं जिससे परिपक्व आत्मनिर्णय, दृढ़ संकल्प एवं परिवर्तन वाले होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई। क्योंकि यदि महाविद्यालय स्तर की अभिवृत्ति प्रबल मानी गई तो इसे बदलने की आवश्यकता विवाह द्वारा पड़ती। इस दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण था। आज पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को महिला होने के नाते कई प्रकार की समस्याओं का आये दिन मुकाबला करना पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख समस्या है- दहेज प्रथा। आज दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त हो गयी है। प्राचीन समय में दहेज माता-पिता स्नेहवश देते थे किन्तु आज यह दहेज वर मूल्य बन गया है। दहेज के मूल में क्या माता-पिता या अभिभावक हैं अथवा लड़के एवं लड़की की इच्छा है? यह जानने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में यह शोध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यदि लड़के-लड़कियाँ दहेज नहीं चाहें तो दहेज की समस्या का समाधान हो सकता है।

विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यह समस्या विकासशील एवं अपेक्षाकृत पिछड़े गरीब देशों में और अधिक गम्भीर है। भारत जैसे देश की जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यन्त तीव्र है जहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है। परिवार का बड़ा आकार सदैव दुःख का ही कारण बनता है। इसलिए संतान की संख्या नहीं अपितु उन्हें गुणवान एवं सुयोग्य बनाने की आवश्यकता है। कम संतान होने से माता का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वह एक श्रेष्ठ माँ के उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छी तरह कर पाती है। परिवार छोटा रहने पर माता-पिता को संतानों के भरण-पोषण, शिक्षा, मनोरंजन तथा चिकित्सा की उत्तम सुविधाएं दिलाना सरल हो जाता है। केवल आज सन्तानोत्पत्ति एवं प्रजनन उनकी मूल भूमिका नहीं रह गयी है। अतः अपेक्षित लघु परिवार के सामाजिक

प्रतिमान एवं स्वीकृति के प्रति उनमें नये मूल्य जागृत हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण पक्ष को ध्यान में रखकर शोध करने की आवश्यकता थी।

समस्या कथन – 'अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विवाह, दहेज एवं एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन' शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

अकादमिक महाविद्यालय – महाविद्यालय मूल शब्द का अर्थ है एक बड़ा कक्ष जहाँ सहयोगी व्यक्ति किसी सर्वनिष्ठ उद्देश्य या कार्य के लिए एकत्र हो अथवा व्यक्तियों की ऐसी संस्था जहाँ लोग किसी सर्वनिष्ठ प्रयोजन के लिए मिलते हो। बाद में यह शब्द माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के लिए प्रयोग होने लगा। अब यह उच्च माध्यमिक स्तर में ऊपर की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग होता है। यह उत्तर किशोरावस्था के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर के बाद तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर की संस्था है। अकादमिक महाविद्यालय ;जनरल कॉलेजद्ध में कला, वाणिज्य या विज्ञान जैसे शिक्षा के विषय पढ़ाये जाते हैं।

विवाह – विवाह, दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक या कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है, विवाह ही परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजीकरण एवं पालन-पोषण होता है, समाज की निरन्तरता, विवाह एवं परिवार से ही सम्भव है, विवाह आर्थिक हितों की रक्षा एवं भरण-पोषण के लिए आवश्यक है।

सांस्कृतिक दृष्टि से विवाह किसी समाज की परम्पराओं के संरक्षण और व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। विवाह द्वारा बनने वाले परिवार में बच्चा अपने समाज के आचार-व्यवहार, रीति-नीति, धार्मिक एवं नैतिक विश्वासों एवं आदर्शों से परिचित होता है, उन्हें सीखता है और अपनों को उन आदर्शों के अनुरूप साँचे में ढालता है। विवाह एक धार्मिक सम्बन्ध भी है। हिन्दू समाज में वैदिक युग में ऐसा समझा जाता था। विवाह का धार्मिक रूप हिन्दू समाज में ही नहीं किन्तु अन्य अनेक समाजों में और धर्मों में पाया जाता है।

दहेज – दहेज शब्द का अर्थ सामान्यतः उस राशि, वस्तुओं या सम्पत्ति से लगाया जाता है, जिसे कन्या पक्ष विवाह के अवसर पर वर पक्ष को प्रदान करता है। प्रारम्भ से ही विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया और कन्यादान करना एक धार्मिक कृत्य, जिसे मोक्ष प्राप्ति के प्रतीक रूप में माना जाने लगा। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में विवाह के अनेक प्रकरण मिलते हैं, जिनमें कन्यादान करने एवं विवाह में दान के रूप में धन, वस्त्राभूषणादि देने के उदाहरण प्रकट होते हैं।

दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 के अनुसार- 'दहेज का अर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान निधि से है जो विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक ने दूसरे पक्ष को, अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के अवसर पर या विवाह से पहले या विवाह के बाद विवाह की शर्त के रूप में दी हो या देना मंजूर किया हो।'

अतः कानूनी रूप से दहेज का अर्थ किसी भी ऐसी सम्पत्ति अथवा मूल्यवान वस्तुओं से है जिसे विवाह की एक शर्त के रूप में विवाह से पहले, विवाह के समय, या बाद में एक पक्ष को दूसरे पक्ष द्वारा दिया जाता है।

एकल परिवार – एकल परिवार का शाब्दिक अर्थ है- 'छोटा परिवार' अर्थात् जिस परिवार में केवल एक या दो संतान होती है। एकल परिवार को प्राथमिक मूल या नाभिक परिवार भी कहते हैं। यह परिवार का सबसे छोटा और मूलभूत

रूप है। ऐसे परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवार में अन्य रिश्तेदार नहीं पाये जाते हैं। ऐसे परिवार में साधारणतः आठ प्रकार के सम्बन्ध होते हैं- पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-भाई, बहिन-बहिन तथा भाई-बहिन। इनमें बच्चे भी अविवाहित रहने तक ही रहते हैं। विवाह के बाद अपना स्वयं का नाभिक परिवार बना लेते हैं। 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' जैसा आदर्श-बेरोजगारी, उग्रवाद, वर्ग संघर्ष तथा अनेकों बुराईयों से छुटकारा पाने के लिए भारत जैसे राष्ट्र में आवश्यक माध्यम बन गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

1. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में दहेज की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :-

1. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में दहेज की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में राजस्थान के श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 600 विद्यार्थियों का चयन किया गया है,

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. प्रो. प्रमोद कुमार द्वारा निर्मित 'मैरेज एटीट्यूड स्केल'
2. डॉ. आर.आर. शर्मा द्वारा निर्मित
3. डॉ. टी. एस. सोदी व डॉ. जी. डी. शर्मा

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

1. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में विवाह की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 1

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	29.52	8.367	0.447	स्वीकृत
निजी राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	29.22	8.388		

व्याख्या :- उपर्युक्त तालिका सं. 1 में राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के मध्यमानों, मानक-विचलनों एवं क्रान्तिक अनुपात मान को दर्शाया गया है। राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा के मध्यमान क्रमशः 29.52 एवं 29.22 तथा मानक विचलन क्रमशः 8.367 एवं 8.388 गणना द्वारा प्राप्त किये गये हैं। इन दोनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 0.447 प्राप्त हुआ है। 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान 2.59 दिया गया है जो कि गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के मान से कम है। अतः निर्धारित परिकल्पना राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा में कोई सार्थक नहीं अन्तर है, स्वीकृत की जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के विवाह की अवधारणा में कोई सार्थक नहीं अन्तर है।

2. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में दहेज की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 2

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	49.73	11.123	0.847	स्वीकृत
निजी राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	51.00	10.956		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार उपर्युक्त तालिका सं. 2 में राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के दहेज की अवधारणा के मध्यमानों, मानक-विचलनों एवं क्रान्तिक अनुपात मान को दर्शाया गया है। राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के दहेज की अवधारणा के मध्यमान क्रमशः 49.73 एवं 51.00 तथा मानक विचलन क्रमशः 11.123 एवं 10.956 गणना द्वारा प्राप्त किये गये हैं। इन दोनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 1.409 प्राप्त हुआ है। 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान 2.59 दिया गया है जो कि गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के मान से कम है। अतः निर्धारित परिकल्पना राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के दहेज की अवधारणा में कोई सार्थक नहीं अन्तर है, स्वीकृत की जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के दहेज की अवधारणा में कोई सार्थक नहीं अन्तर है।

3. राजकीय तथा निजी अकादमिक महाविद्यालय के विद्यार्थियों में एकल परिवार की अवधारणा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी संख्या - 3

संस्थान	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	153.72	15.890	2.020	स्वीकृत
निजी राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थी	300	157.45	16.093		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार उपर्युक्त तालिका सं. 3 में राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के एकल परिवार की अवधारण के मध्यमानों, मानक-विचलनों एवं क्रान्तिक अनुपात मान को दर्शाया गया है। राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के एकल परिवार की अवधारण के मध्यमान क्रमशः 153.75 एवं 157.45 तथा मानक विचलन क्रमशः 15.890 एवं 16.093 गणना द्वारा प्राप्त किये गये हैं। इन दोनों के आधार पर गणना द्वारा क्रान्तिक अनुपात मान 2.020 प्राप्त हुआ है। 0.01 सार्थकता स्तर का सारणी मान 2.59 दिया गया है जो कि गणना द्वारा प्राप्त क्रान्तिक अनुपात के मान से कम है। अतः निर्धारित परिकल्पना राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के एकल परिवार की अवधारण में कोई सार्थक नहीं अन्तर है, स्वीकृत की जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजकीय एवं निजी राजकीय अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के एकल परिवार की अवधारण में कोई सार्थक नहीं अन्तर है।

उपयोगिता – महाविद्यालय स्तर तक के पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्यक्रम में कम उम्र में विवाह से हानि, दहेज एक अभिशाप के रूप में व लघु परिवार की अवधारणा को समाहित करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में इन प्रत्ययों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हो सके। पाठ्यपुस्तकें समाज की

दासानुदास न होकर समाज की निर्मात्री होती हैं तथा उनकी राष्ट्र और समाज में सुधारवादी और निर्माणात्मक भूमिका होती है। अतः उन्हें उचित जीवन मूल्यों द्वारा समाज का दिशा-निर्देश करते रहना चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव –

1. न्यादर्श के लिए बड़े न्यादर्श का चयन किया जा सकता है इसके लिए महाविद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।
2. भावी शोध में स्नातक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं में विवाह, दहेज व एकल परिवार की अवधारण से सम्बन्ध का अध्ययन किया जा सकता है

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. तिवारी, आर. पी. एवं शुक्ला, डी. पी. (1999), भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, नई दिल्ली : ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन।
2. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
3. दहेज कानून में बदलाव के लिए रायशुमारी जारी, दैनिक जागरण, वाराणसी, जून 23, 2008
4. कृष्णलाल 'इमोशनल मैच्यूरिटी सेल्फ कोनफिडेंस एण्ड एकेडमिक एचिवमेन्ट ऑफ एडोलसेन्स इन रिलेशन टू देयर जेन्डर एण्ड अरबन रूरल बैकराउण्ड' AIJR Dec. 2015
5. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) 'शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ संख्या (407-430)
6. डॉ. शर्मा, वी. एस. 'शिक्षा मनोविज्ञान' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
7. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।

सोशल मीडिया का उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक व पर्यावरणीय मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

ऋचा गुप्ता* डॉ. गोविंद सोनी**

* पी.एच.डी. शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

** सहायक आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्लेटो के अनुसार :- ‘राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है, जो उसमें रहते हैं व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।’

शिक्षा वह साधन है जो मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तान्तरित करती है। मूल्य वह है जो हर युग में मानव की श्रेष्ठता, आर्थिक व भौतिक संरचनाओं के परिदृश्य में परखने में सहयोगी रही है। किसी भी समाज का निर्माण भावनाओं के बीज से प्रस्फुटित मूल्यों की जड़ों पर खड़े मानवताओं के बरगद की छांव में शीतल, उर्वरक, निष्कट एवं वातानुकूलित भूमि पर होता रहा है, जिसमें मानवता का वैचारिक भरण-पोषण करने वाले मूल्यों की कृषि को उत्साहित एवं सहयोग करने वाली ऋतु को शिक्षा का सम्बोधन दिया है।

शिक्षा जो मानव समाज में मृग कस्तूरी की भांति आन्तरिक भागों में व्याप्त रही है, परन्तु उसकी खोज के लिए जिज्ञासा से सावन में ज्ञान की पिपासा को संतृप्त करती हुई अनेक वैचारिक सरिताएं लम्बी यात्राएं करती आई हैं। यह मानव समाज इन्हीं सरिताओं के किनारों पर मूल्य रूपी तटों पर समाज को फलते फूलते देखा गया है। मूल्य जीवन का आधार है। हमारे जीवन में मूल्यों की योग्यता हर स्तर पर आंकी जाती है।

मूल्य समस्त वांछित व्यवहार का मानदण्ड है। वहीं वर्तमान में समाज में आये बदलाव के कारण इन मूल्यों में भी कुछ बदलाव आये हैं अब हम सामाजिक न होकर वैश्विक हो गये हैं। हमारे वैश्विक होने में सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। वर्तमान में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता लगभग 7 अरब हैं जिसमें लगभग 49.70% युवा वर्ग हैं। आज हम ग्लोबल तो हो गये हैं परन्तु कहीं न कहीं आपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अमेरिका के पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रमुख लेखक ब्रायन प्रीमैक ने कहा है कि हम स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली हम एक साथ लाने की वजह हमारे बीच दूरियां पैदा कर रहा है। एक शोध के अनुसार 12 से 32 साल की आयु के 1500 अमेरिकी व्यस्क द्वारा 11 सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया बेवसाइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्वीटर, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट वाइन और लिंकडिन इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में उनसे प्राप्त प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण किया और पाया कि सोशल मीडिया पर रोजाना 2 घंटे से ज्यादा वक्त बिताने वालों और आधे घण्टे से भी कम वक्त बिताने वाले लोगों के बीच सामाजिक तौर पर अकेला महसूस करने के विचारों में अन्तर पाया गया। जिन लोगों ने प्रति हफ्ते 58

या उससे ज्यादा बार सोशल मीडिया पर वक्त बिताया, उन्होंने प्रति हफ्ते 9 घण्टे से कम वक्त बिताने वाले की अपेक्षा खुद को ज्यादा अकेला महसूस किया।

अकेलापन के साथ साथ सोशल मीडिया बच्चों की नींद, मेमोरी, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। जिसमें चलते समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने के साथ साथ उनमें अनेक प्रकार की समस्याओं का भी जन्म हुआ।

शोध का महत्व – सोशल मीडिया ने मनोरंजन के नवीन पक्षों से यदि एक ओर किशोरों व विद्यार्थियों को ज्ञान व सूचना के विश्व से जोड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें परिवार व अनौपचारिक विश्व से दूर भी किया है। परंपरागत खेलों का स्थान इलेक्ट्रॉनिक खेलों ने ले लिया है। परंपरागत खेल बच्चों में टीम भावना और सामूहिक निर्णय की शक्ति उत्पन्न करने के साथ-साथ शारीरिक विकास का काम करते थे, साथ ही स्वस्थ मनोरंजन भी करते थे। सोशल मीडिया पर अधिकाधिक समय व्यतीत करने से बच्चों में प्रत्यक्ष अकेलापन विकसित हो रहा है, परिणामतः जिन बच्चों में अकेलापन तेजी से विकसित होता है, उनमें अपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न होने की स्थिति देखी जा रही है। जैसे छात्रों द्वारा अपने ही सहपाठी की हत्या करना, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में विफल होने पर हत्या या आत्महत्या, गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने से या प्रेम प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर उसकी हत्या, उस पर तेजाब फेंकना, पोर्नोग्राफी इत्यादि। जिन कैमरे ने अपने अध्ययन मीडिया हिंसा का बच्चों और किशोरों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव में यह बताया गया कि टीवी के प्रभाव से बच्चे 15 वर्ष तक की आयु में आते-आते ना केवल सिगरेट पीना सीख जाते हैं, वरन उनमें कई तरह के उत्तेजक व्यवहार का जन्म भी होने लगता है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया के प्रभाव से वर्तमान में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार में दिन-प्रतिदिन कहीं न कहीं मूल्यों में कमी आ रही है। विद्यार्थियों में ना केवल रहन-सहन खान-पान बोलचाल आदि प्रभावित हो रहे हैं, वरन आपसी रिश्तों में भी दूरियां आ रही हैं, जो एक सामूहिक चिंता का विषय है। क्या वास्तव में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों पर (विद्यार्थी) सोशल मीडिया का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इतना प्रभाव पड़ रहा है? इसी समस्या को जानने व समाधान करने के लिए शोधार्थी ने शोध विषय **सोशल मीडिया का उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक व पर्यावरणीय मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन** रखा है और इस विषय पर शोध का औचित्य निर्धारित

किया है।

समस्या कथन :-सोशल मीडिया का उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक व पर्यावरणीय मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य:-

1. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
4. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
6. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
7. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
8. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।
9. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) के पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

1. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) के सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) के सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
4. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
5. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र

व छात्राओं) नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

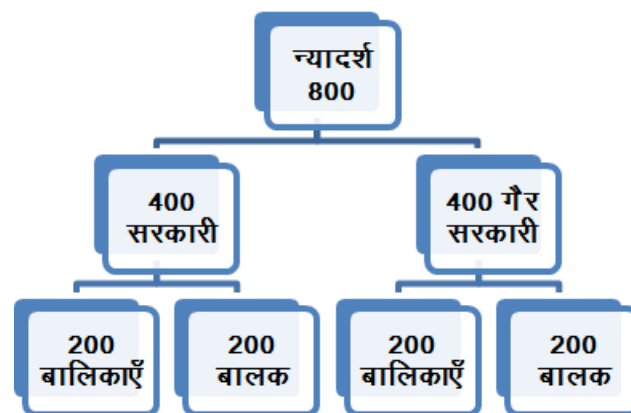
6. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) नैतिक मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
7. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
8. उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।
9. उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के (छात्र व छात्राओं) पर्यावरणीय मूल्यों पर सोशल मीडिया के प्रभाव में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

अनुसंधान विधि :- सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन व जनसंख्या के आधार पर सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

उपकरण :-

1. प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।
2. प्रश्नावली का निर्माण तीन आयाम सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य व पर्यावरणीय मूल्य के आधार पर प्रश्न बनाये गये हैं।
3. सामाजिक मूल्य के अन्तर्गत भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक दायित्व व कर्तव्य के आधार पर प्रश्न बनाये गये हैं।
4. नैतिक मूल्य में ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, करुणा, दया व नम्रता आदि मूल्य आधारित प्रश्नों का निर्माण किया गया है।
5. पर्यावरणीय मूल्य के अन्तर्गत पेड़ पौधों के प्रति सरोकार, पर्यावरणीय शुद्धि के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण एवं रक्षण आदि मूल्यों पर आधारित प्रश्न बनाये गये हैं।

न्यादर्श :- न्यादर्श के रूप में बीकानेर जिले में संचालित सरकारी व गैर सरकारी (राजस्थान बोर्ड) विद्यालयों में अध्ययनरत् 800 विद्यार्थियों का चयन सौद्देश्य यादृच्छिक पद्धति द्वारा किया गया है।



परिणाम

1. **परिकल्पना -** में उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 50.7 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.8 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 4.80 एवं छात्राओं में 5.09 प्राप्त हुआ। गणना से प्राप्त मान 0.84

सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनायी गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) का सोशल मीडिया के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

2. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 51.4 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.9 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 6.04 एवं छात्राओं में 5.18 प्राप्त हुआ। सामाजिक मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 0.31 सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनायी गई उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है परिकल्पना स्वीकृत मानी जाती है।

3. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 51.1 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.8 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 5.52 एवं छात्राओं में 5.13 प्राप्त हुआ। गणना से प्राप्त मान 0.74 सारणी से प्राप्त मान 1.98 से कम है। अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों (छात्र व छात्राओं) का सोशल मीडिया के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत की जाती है।

4. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 54.2 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.8 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 4.86 एवं छात्राओं में 5.68 प्राप्त हुआ, नैतिक मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 1.70 सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

5. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 50.7 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.2 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 5.56 एवं छात्राओं में 5.84 प्राप्त हुआ। नैतिक मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 0.37 सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

6. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 52.4 एवं छात्राओं का मध्यमान 51.56 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 5.51 एवं छात्राओं में 5.77 प्राप्त हुआ। नैतिक मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 0.86 सारणी से प्राप्त मान 1.98 से कम है अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

7. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 52.7 एवं छात्राओं का मध्यमान 50.2 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 4.63 एवं छात्राओं में 5.57 प्राप्त हुआ। पर्यावरणीय मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 1.85 सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनाई गयी परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में पर्यावरणीय मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

8. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् गैर-सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 50.7 एवं छात्राओं का मध्यमान 50.3 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 5.99 एवं छात्राओं में 6.46 प्राप्त हुआ। पर्यावरणीय मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 0.26 सारणी से प्राप्त मान 2.00 से कम है अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में पर्यावरणीय मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

9. **परिकल्पना** – उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में सोशल मीडिया के संदर्भ में छात्रों का मध्यमान 51.73 एवं छात्राओं का मध्यमान 50.28 प्राप्त हुआ जिसका प्रमाप विचलन छात्रों में 5.45 एवं छात्राओं में 6.03 प्राप्त हुआ। पर्यावरणीय मूल्य के अध्ययन से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। गणना से प्राप्त मान 1.38 सारणी से प्राप्त मान 1.98 से कम है अतः बनाई गई परिकल्पना उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के (छात्र व छात्राएँ) का सोशल मीडिया के संदर्भ में पर्यावरणीय मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष :-

- वर्तमान में 87.89 प्रतिशत व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम व फेसबुक पर है और जो किषोर एक दिन में 4 घंटे से अधिक सोशल साइट्स पर देता है वह आभासी दुनिया के करीब है और वह उस आभासी दुनिया को प्रभावित करने के लिए अपनी वर्तमान से दूर हो रहा है।
- परन्तु जो बच्चे सप्ताह के 8 घंटे इन साइट्स पर निकालते हैं उन्हें साकारात्मकता, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरणीय स्थिरता आ रही है। वहीं ऐसे बच्चे विभिन्न सामाजिक समूह के सदस्य बनकर सक्रिय सहभागिता भी निभा रहे हैं।
- शोध के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों पर सोशल मीडिया का प्रभाव अधिक पाया गया जो यह संकेत देता है कि सोशल मीडिया पर अधिकाधिक समय ऑनलाइन रहने से सामाजिक व्यवहार सीमित हो गया है।
- छात्राओं में सामाजिक मूल्यों का विघटन सोशल मीडिया के अच्छे व बुरे दोनों प्रभाव दिखा रहा है, अच्छा यह है कि छात्राएँ स्वयं को पहले से अधिक स्वतंत्र एवं पहचान रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में देख रही हैं वहीं दूसरी ओर यह भौतिक संसार में छात्राओं का लिप्त होना, भविष्य के समाज में महिलाओं की भूमिका में गंभीर कमी की ओर संकेत करते हैं।
- सोशल मीडिया का प्रभाव संकायवार विभिन्न नहीं है इस कारण यह हो

- सकता है कि किशोर युवाओं का बौद्धिक स्तर लगभग समान होता है।
6. पर्यावरणीय मूल्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया विद्यार्थियों को पर्यावरणीय के प्रति जागरूक करता है।
7. 57.93 प्रतिशत विद्यार्थी फेसबुक को पसंद करते हैं तो वहीं 67.38 प्रतिशत विद्यार्थी इन्स्टाग्राम को व 80.12 प्रतिशत विद्यार्थी व्हाट्सअप पसन्द करते हैं। 69.21 प्रतिशत विद्यार्थी अपने विडियो शेयर करना पसन्द करते हैं।
8. सोशल मीडिया जहाँ पूरी विश्व को प्रभावित कर रहा है वहीं आज का युवा भी इसके इस्तेमाल में पीछे नहीं है और इस अभासी दुनिया से 67.07 प्रतिशत प्रभावित है।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. https://en.wikipedia.org/wiki/social_media
 2. www.lifevalueskills.com/
 3. www.shodhganga.com/
 4. https://www.facebook.com/socialmediaimpection_students
 5. www.google.com/
 6. www.shodhmitra.com/
 7. www.slideshare.com/
 8. www.scribd.com/
 9. www.dissertationtopics.com/
 10. www.socscidiss.bham.ac.uk/about-dissertations.html
 11. www.dictionary.com/browse/dissertation
 12. <https://www.bestmastersdegrees.com/...>
 13. <https://www.cs.purdue.edu/.../>
 14. <https://www.youtube.com/watch>
 15. <https://www.ivoryresearch.com>
 16. <https://myassignmenthelp.com/dissertation/topics>

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन

डॉ. वन्दना दुआ* सम्पत सिंह**

* सह आचार्य (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोधार्थी (शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया। यह अध्ययन राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् कुल 600 विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि पर किया गया है। विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के प्रदत्त संग्रहण हेतु डॉ. करुणा शंकर मिश्र, गृह वातावरण के प्रदत्त संग्रहण हेतु डॉ. करुणा शंकर मिश्र, शैक्षिक उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों के कक्षा 10 के अंक एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता जाने हेतु स्वनिर्मित मापनी का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि का उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया है।

शब्द कुंजी – उच्च माध्यमिक विद्यालय, विद्यार्थी, विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता।

प्रस्तावना – बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के क्रम में पारिवारिक (गृह) वातावरण का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का परिमार्जन व परिकरण परिवार में ही होता है। बालक परिवार में जन्म लेता है, परिवार में ही उसका पालन पोषण होता है। परिवार के सदस्यों के साथ अन्तः क्रियायें करता है। अतः इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही उसे अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से ही परिवार में रहते हुए विभिन्न अभिवृत्तियों, अभियोग्यताओं, जीवन शैली, व्यवहार व आचरण में मापदण्डों तथा अन्य व्यक्तित्व गुणों जैसे तर्क, क्षमता निर्णय क्षमता, सृजनात्मकता, स्वतन्त्र विचारशीलता आदि के विकास का अवसर मिलता है। पारिवारिक वातावरण में माता-पिता तथा बच्चे के साथ सम्बन्ध उनके द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन जोश, प्रशंसा, व स्वीकारोक्ति आदि ऐसे परिवर्त्य हैं जो बालक की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बालकों की निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों को परिवार में कठोर तथा बार-2 मिलने वाला दण्ड, कठोर, प्रवृत्ति, अलगाव, पैतृक प्रोत्साहन की कमी के कारण परिलक्षित होती है। अभी तक विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि व पारिवारिक वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए अनेक अध्ययन किए जा चुके हैं। उसी प्रकार बालकों की शिक्षा के महत्व के क्रम में व्यवसाय या कैरियर वरीयता पर है। इन वरीयताओं के आधार पर ही छात्र अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का चयन करते हैं। इन विभिन्न पाठ्यक्रमों के चयन का आधार वरीयता क्रम या बौद्धिक योग्यता ही नहीं होता है अपितु बहुत से कारक इसे प्रभावित करते हैं और इन चरों में एक मुख्य कारक बालक की शैक्षिक उपलब्धि भी है। अतः पूर्व की कक्षाओं में शैक्षिक उपलब्धि उनकी कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता को भी एक सीमा तक प्रभावित करती है। अतः शैक्षिक उपलब्धि कैरियर निर्णय क्षमता/

व्यवसायिक परिपक्वता के लिए निर्धारक तत्व है। आर्थिक-सामाजिक स्थिति, पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, मित्रों व सहपाठियों से प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा की भावना, शैक्षिक उपलब्धि आदि प्रमुख हैं। किशोरों तथा युवाओं के कैरियर संबंधी निर्णय के पीछे अभिभावकों का दबाव व स्वयं की शैक्षिक उपलब्धि तथा अध्यापकों द्वारा मार्गदर्शन इसके प्रमुख कारण होते हैं।

कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता चार तत्वों में निहित है – स्वयं के विषय में जागरूकता, कैरियर के विषय में जानकारी, कैरियर की योजना तथा स्थापना अध्यापक जो कि विद्यालयी वातावरण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है, उसका पूर्ण व्यक्तित्व तथा गुण, बालक की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, साथ ही बालक के आत्मसम्मान, विषय सम्बन्धी ज्ञान, स्वयं के प्रति ज्ञान, बदलते युग की माँगों का ज्ञान, शैक्षिक उपलब्धि आदि को घटाने व बढ़ाने के रूप में भी कार्य करता है। परिवार के अतिरिक्त विद्यालयी वातावरण उपरोक्त चारों तत्वों को विकसित करने में बराबर के साझेदार है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैरियर का अभिप्राय सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है अपितु यह एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जिसका संबंध व्यक्ति की रुचि, क्षमता कार्य से मिलने वाली सतुष्टि तथा जीवन के सिद्धान्तों व आदर्शों से जुड़ा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू है कि जब व्यक्ति अपनी रुचि व्यवहार व योग्यता के अनुरूप कैरियर हेतु निर्णय लेता है तो वह न सिर्फ सफलता प्राप्त करता है अपितु अधिक रचनात्मक ढंग से भी कार्य कर पाता है। अतः कैरियर के संबंध में किया गया सोच विचारपूर्ण निर्णय विद्यार्थियों के लिए काफी मददगार सिद्ध होता है तथा कैरियर की आगामी योजनाओं को निर्धारित करने की उनकी क्षमता

को बढ़ा देता है।

प्रस्तुत शोध का महत्व – आजकल, लगभग प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सहमत है कि हमारा अर्जित किया गया व्यवहार व्यक्ति व उसके सामाजिक समूहों के मध्य अन्तः क्रिया का परिणाम है (परमेश्वरन तथा बीना, 2002)। अन्य व्यक्ति जैसे माता-पिता, भाई-बहिन, सम्बन्धी, प्रधानाध्यापक अध्यापक व मित्र, बालक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्तः क्रिया करते हैं और उसकी क्षमताओं, कौशलों तथा व्यवहार को आकार प्रदान करते हैं।

आज के शैक्षिक युग में जहाँ सार्वभौमिकरण और तीव्र वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास हो रहा है, पूरे विश्व में किशोर तथा युवा अपने कैरियर के चयन व योजना के संदर्भ में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों, ज्ञानात्मक, संरचना, रुचि, मूल्य पद्धति तथा व्यक्तित्व गुणों के अनुसार सही कैरियर का चयन करके व्यक्ति अपनी सम्भव शक्तियों के साथ उच्च सीमा तक संतोष प्राप्त कर कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन कर सकता है इसी कारण से प्रत्येक बालक को अपने कैरियर के प्रति निर्णय लेने में गम्भीर होने चाहिए क्योंकि इस निर्णय के आधार पर ही वह आजीवन व्यवसायिक तथा अपनी सामाजिक पहचान को आधार प्रदान कर सकता है। सामान्यतः कैरियर के लिए निर्णय बालकों के माता-पिता व सम्बन्धियों की इच्छा पर किए जाते हैं जिसका उद्देश्य केवल व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक धन अर्जित करना है। संतोषजनक ढंग से कैरियर को प्राप्त करना आज के युवाओं का लक्ष्य बन गया है। आज प्रतियोगिता एवं तेजी से होते हुए तकनीकी विकास के युग में विद्यार्थी दृष्टिकोण के साथ विषयवस्तु के अधिगम हेतु उच्च मनोबल रखते हैं जिससे कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। विद्यालयी वातावरण में रहते हुए एक बृहद स्तर पर सामाजिक अन्तःक्रिया के माध्यम से कैरियर सम्बन्धी ज्ञान को अर्जित करने अपने व्यक्तित्व क्षमताओं, कौशलों, प्रभावशीलता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक अंक अर्जित कर शैक्षिक उपलब्धि के द्वारा स्वयं को सहपाठियों व अध्यापकों के समक्ष स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक शैक्षिक तथा व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह अत्यधिक निराशाजनक है कि कैरियर नियोजन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद अधिकांश बालक अपने कैरियर का चयन उस व्यवसाय की भविष्य अवस्थिति के बिना निरुद्देश्य पूर्ण ढंग से, संयोग से तथा अपरिक्लिप्त ढंग से कर रहे हैं। वास्तविक सामाजिक तथा पारिवारिक परिप्रेक्ष्य बालकों की मनोवैज्ञानिक योग्यताओं तथा क्षमताओं, उनकी स्वभावगत तथा व्यक्तित्व दशाओं को जानते हुए भी, हमारे देश में युवाओं तथा विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने कैरियर का नियोजन उपयुक्त तथा बुद्धिमतापूर्ण ढंग से क्यों नहीं कर पा रही है? अतः आवश्यक हो जाता है कि यह ज्ञात किया जाए कि विद्यार्थियों के इन प्रयासों के बाद भी उनकी कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता अथवा व्यावसायिक परिपक्वता क्या वास्तव में गृह वातावरण, विद्यालयी वातावरण तथा शैक्षिक उपलब्धि से प्रभावित होती है? जिसके निष्कर्ष को ज्ञात कर संभावित (चर) में अपेक्षित सुधार करके भारत के भविष्य को सँवारा जा सकेगा तथा प्रत्येक बालक की क्षमताओं का उपयुक्त उपयोग किया जा सकेगा।

समस्या कथन – ‘उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि एवं उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन’
अध्ययन के उद्देश्य :-

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में सहसम्बन्ध का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना :-

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

न्यादर्श :- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में बीकानेर जिले के राजकीय एवं गैर राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 व 12 में अध्ययनरत् कुल 600 विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. विद्यालय वातावरण मापनी डॉ. करुणा शंकर मिश्र
2. गृह वातावरण मापनी डॉ. करुणा शंकर मिश्र
3. कैरियर निर्णय क्षमता मापनी (स्वनिर्मित)

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन -

1. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी संख्या - 1

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
विद्यालय वातावरण	600	21.65	10.050	-0.008	स्वीकृत
कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता	600	44.47	5.306		

व्याख्या :- उपर्युक्त तालिका सं. 1 के उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सहसम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक का मान सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।

2. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी संख्या - 2

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
गृह वातावरण	600	321.39	25.421	0.018	स्वीकृत
कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता	600	44.47	5.306		

परिकल्पना संख्या 2 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सहसम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक का मान सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के गृह वातावरण एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया। 3. उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता में कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है।

सारणी संख्या - 3

चर	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी मान	सार्थकता का स्तर
शैक्षिक उपलब्धि	600	70.01	13.336	0.046	स्वीकृत
कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता	600	44.47	5.306		

परिकल्पना संख्या 3 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के सहसम्बन्धी दत्तों का विश्लेषण किया गया जिसमें गणना के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक का मान सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है अतः शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पना उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नहीं है स्वीकृत की जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया।

निष्कर्ष – उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, गृह वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि का उनके कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता के मध्य कोई सहसम्बन्ध नहीं पाया गया है

उपयोगिता – विद्यार्थियों को अपनी योग्यता अनुसार उपयुक्त लक्ष्य का चयन करना चाहिए। समय समय पर विभिन्न व्यावसायों हेतु आवश्यक योग्यताओं, चयन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण के विषय में सूचनाएँ एकत्रित करते रहना चाहिए जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त हो सकेगा। अभिभावकों के दबाव में आकर गलत शैक्षिक क्षेत्र तथा व्यवसाय का चयन नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें अपने भविष्य के व्यवसाय चयन को महत्व देना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा प्राप्ति का मुख्य ध्येय जीविकोपार्जन है यह ध्यान में रखते

हुए भविष्य के प्रति चिंतन करें तथा अपनी क्षमतानुरूप शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों का चयन करें।

भावी शोध हेतु सुझाव – न्यादर्श के लिए बड़े न्यादर्श का चयन किया जा सकता है इसके लिए विद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। शोधार्थी द्वारा केवल विद्यार्थियों के विद्यालय वातावरण एवं गृह वातावरण व शैक्षिक उपलब्धि का कैरियर के प्रति निर्णय क्षमता से सहसम्बन्ध ज्ञात किया गया है जबकि आगामी शोध के लिए विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर की विभिन्नता के आधार पर भी यह अध्ययन सम्भव है। विभिन्न कक्षा स्तरों पर व्यावसायिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कपिल, एच. के. (2006), सांख्यिकी के मूल तत्व, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
2. डॉ. शर्मा, वी. एस. 'शिक्षा मनोविज्ञान' साहित्य प्रकाशन आगरा (2004)
3. गाँधी, के. ए., विद्यालयी वातावरण का कार्मिकों के व्यक्तित्व के कारक और विद्यार्थियों के निमन्त्रण की विचार धारा के संबंध में अध्ययन उद्धृत एम.बी.बुच, सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन पेज 469।
4. डॉ. अरोड़ा रीता, सुदेश मारवाह (2005) 'शिक्षा मनो विज्ञान एवं सांख्यिकी' शिक्षा प्रकाशन जयपुर पृष्ठ संख्या (407-430)
5. डॉ. मंगल अंशु, डॉ. बरौलियां ए. , श्रीमती अग्रवाल नीतू , श्री दुबे कृष्ण 'शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ समंक विश्लेषण एवं शैक्षिक सांख्यिकी' राधा प्रकाशन मंदिर संस्करण 2002
6. ताज, एच. और प्रभु, के. एच. ;2013। माध्यमिक विद्यालय के नैतिक निर्णय के उनके परिवार के रिलेशनशिप के संबंध में जर्नलरू इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नलिसन वर्ष 2013 वॉल्यूम आईआईआई अंक आईआईआई पेज 2174 प्रकाशक इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल
7. जाँगिड, अरुणा, (2011) 'लघु शोध-प्रबन्ध' एम.फिल. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्य विश्वविद्यालय, गाँधी विद्या मन्दिर सरदार शहर
8. राघवन वी.वीरा (2008) , विद्यालयों के संगठनात्मक वातावरण, नेतृत्व अनुकूलता एवं अध्यापक तथा अध्यापक प्रभावकता का तुलनात्मक अध्ययन, एम.एड. प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन।
9. सुखिया, एस.पी. (1990) शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।

खिलाड़ियों का कौशल प्रदर्शन में खो-खो खेल एक विषयक अध्ययन

डॉ. अनुराग बिरसू* विक्रम सिंह**

* सहायक आचार्य (शारीरिक शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोधार्थी (शारीरिक शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी खेल के दौरान एक खिलाड़ी, अपनी शारीरिक सुदृढ़ता के साथ निहित कौशलों के समीचीन कुशलतापूर्वक खेल को प्रदर्शित करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए खेल उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। स्वस्थ शारीरिक विकास, मनोरंजन, विविधा गुण-विकास आदि के लिए एक उत्कृष्ट साधन के रूप में खेलों का परिचय आज जगत के सभी विकसित मानव समूहों में विद्यमान है। खेल उतने ही प्राचीन हैं, जितना इस पृथ्वी पर मानव जीवन। मानव जीवन के विकास के साथ ही खेलों का भी विकास होता चला गया। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जो सरल, छोटे अथवा बड़े, बिना साधन के तथा अल्प सहज साधनों के द्वारा कहीं भी कभी भी खेले जा सकते हैं। ये खेल सभी आयु वर्ग के लोगों के आकर्षण का प्रमुख विषय रहे हैं। खेल-खेल में हमारे सामाजिक-जीवन के विविधा अंगों को परिष्कृत व परिपुष्ट करने वाले खेलों में एक प्रमुख खेल है- खो-खो। खो-खो मैदानी खेलों के सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है जिसका उद्भव प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का यह सबसे लोकप्रिय खेल रहा है। ऐसी मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र प्रांत में पूना नगर से हुयी, लेकिन इस विषय में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान श्री कृष्ण और पाण्डव इस खेल को बड़े चाव से खेला करते थे। संस्कृत भाषा में खो-खो शब्द का अर्थ है जाओ। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन समय में 'बैठना' और 'दौड़ना' दो खेल खेले जाते थे। कुछ साहित्यकारों का कहना है कि यह खेल यपकड़नेय और यदौड़नेय का एक परिष्कृत रूप है (चक्रवर्ती, 2007)। खो-खो पूर्णतया एक भारतीय खेल है, जो प्राचीन समय से ही लगातार खेला जा रहा है।

यह खेल काफी रोमांचकारी और उत्तेजनायुक्त प्रकृति वाला खेल है, जो न केवल खिलाड़ी अपितु देखने वाले को भी प्रफुल्लित कर देता है। यह तीव्रता से खेले जाने वाला खेल है, जो अत्यंत साधारण होने के साथ ही साथ खिलाड़ी में उसकी शारीरिक दक्षता, चपलता, ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाता है। यह मात्र तीव्र गति से दौड़ने का खेल नहीं अपितु 'चेज' कर पकड़ने और विरोधी खिलाड़ी को आउट करने से संबंध रखता है। वह भी एक सी गति के साथ पीछा कर सामने वाले को पकड़ना व बचना इतना आसान भी नहीं होता। अतः शारीरिक दक्षता विशेषकर अधिकतम सहनशक्ति का किसी भी खिलाड़ी में होना अत्यंत आवश्यक होता है खो-खो मूलतः मनोशारीरिक विकास के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जो आकर्षक और रोमांचकारी

अनुभूति अनुभव कराने वाला खेल है।

शरीर को सामने की दिशा में रखकर पीछे की ओर दौड़ना (बैक रनिंग), विभिन्न हरकतों (मूवमेंट) का प्रयोग करते हुए नौ खिलाड़ियों के बीच बढ़ते हुए खेलना, एक खो-खो खिलाड़ी में ही देखा जा सकता है। विभिन्न खेल तकनीक का सार्थकता से अनुप्रयोग ही इस खेल की आत्मा है।

प्रस्तावित शोध के सोपान – हमारे प्राचीन इतिहास के श्रोतों से पता चलता है कि मानव के सभी शारीरिक व आंतरिक क्षमता का उद्भेदन उनकी जीवन की सक्रियता से प्रत्यक्षतः जुड़ा है, आज के आधुनिक युग में जीवन को सक्रिय और ऊर्जावान बनाये रखने में एक व्यवस्थित और समर्थ माध्यम सहजता से प्रयुक्त किया जाता है, जिसे हम आज शारीरिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। यह शिक्षा का ऐसा माध्यम है जिससे अभिप्रेरित होकर युवा वर्ग अपनी सहज प्रकृति के अनुरूप सहभागी होकर विभिन्न शारीरिक अनुक्रिया को उनकी विशिष्टता और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ग्रहण करता है। शारीरिक शिक्षा का प्राचीन समय से ही समाज में विशिष्ट स्थान इसकी सामाजिक, भौतिकीय और नैतिकता के विकास के वृहद लक्ष्य के स्वरूप से रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा के प्रति व्यापक अभियान चलाया गया। आज विभिन्न खेलों में अलग-अलग पक्षों और उनकी सहभागिताओं ने हर एक खेल को अपनी एक विशिष्ट पहचान प्रदान कर दिया है। आज एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक गुणों का विकसित होना भी आवश्यक होता है, जिसे हम खेलों के द्वारा आसानी से अभिसरित कर सकते हैं।

प्रस्तावित शोध का महत्व – खो-खो खेल में खिलाड़ियों की विभिन्न प्रकार की तकनीकों, व्यूह, कौशल रचनाओं और योजनाओं के द्वारा ही इस खेल की प्रभावकारिता को पहचाना जा सकता है। उपकरणों की आवश्यकता कम होने की वजह से, खर्चा भी कम होता है। लगभग सभी, विद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल-संस्थानों में इस खेल को खेला जाता है। यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। इस खेल के उच्च स्तर के प्राप्त करने के लिये खिलाड़ी को विभिन्न तकनीकों के साथ, फुर्तीलापन, लचीलापन, बल, निरंतर दौड़ने की क्षमता, सजग-मस्तिष्क, तीव्र गति, प्रतिक्रिया इत्यादि गुणों को भी आवश्यक रूप से विकसित करना होता है।

खिलाड़ियों को अनुधावक व धावक के रूप में बहुत ही सजग, सतर्क व चौकन्ना रहना होता है। इस क्रिया में अनुधावक से खो प्राप्त करने के पश्चात, खो प्राप्त अन्य अनुधावक को तीव्रता से निर्णय करके अपनी कार्ययोजना

की ओर अग्रसर होना पड़ता है। हवा में गोता (डाईव), लगाकर अनुधावक द्वारा धावक को आउट करने की चेष्टा, आक्रामक कौशलों में से एक है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य:-

1. राज्य स्तर के खो-खो खिलाड़ी जिला स्तर के खो-खो खिलाड़ियों की तुलना में काफी अधिक खुलेपन वाले होते हैं।
2. राज्य स्तर के खो-खो खिलाड़ी जिला स्तर के खो-खो खिलाड़ियों की तुलना में काफी उच्च कर्तव्यनिष्ठा वाले होते हैं।
3. राज्य स्तर के खो-खो खिलाड़ी जिला स्तर के खो-खो खिलाड़ियों की तुलना में काफी अधिक अपव्यय पाये गये हैं।
4. राज्य स्तर के खो-खो खिलाड़ी जिला स्तर के खो-खो खिलाड़ियों की तुलना में काफी अधिक सहमत पाये गये हैं।
5. राज्य स्तरीय खो-खो खिलाड़ी जिला स्तर के खो-खो खिलाड़ियों की तुलना में काफी उच्च विक्षिप्तता वाले होते हैं।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष - अध्ययन के परिणामों से पता चला कि विक्षिप्तता के संबंध में व्यक्तित्व विशेषताओं के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर का अस्तित्व पाया गया था। अतः अध्ययन की परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया। यह अनुमान लगाया गया था कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खो-खो खिलाड़ियों के मनोविकृति के संबंध में व्यक्तित्व विशेषताओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि मनोविज्ञान के संबंध में व्यक्तित्व विशेषताओं के सांख्यिकीय रूप से

महत्वपूर्ण अंतर का अस्तित्व पाया गया था। इस प्रकार परिणाम अध्ययन की परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खो-खो खिलाड़ियों के बीच बहिर्मुखता के संबंध में व्यक्तित्व अंतर का कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. जिम्नार्स्टिक प्रदर्शन के सहसंबंध। रिसर्च क्वार्टरली, 47-586-589।
2. Beise, L. Amja Peasley] V. (1937): द रिलेशन ऑफ रिक्वेशन टाइम, स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ बिग मसल्स गुप्स टू सर्टेन स्पोर्ट रिकल्स। अनुसंधान तिमाही, 8-133-142।
3. बेलिस, सी.जे. (1933)- प्रतिक्रिया समय और कालानुक्रमिक युग। प्रायोगिक और जैविक चिकित्सा के लिए सोसायटी की कार्यवाही, 30-801-803।
4. बर्जर, आर.ए., लिटलफील्ड, डी.एच. (1969)- व्यक्तित्व पर फुटबॉल, एथलीट और गैर-एथलीटों के बीच तुलना। रिसर्च क्वार्टली, 40-663-665।
5. बरहराम, आर.एम. और क्रोल, डब्ल्यू. (1967)- गैर-तैराकों और तैराकों के बीच व्यक्तित्व अंतर। अनुसंधान तिमाही, 38-163-171।
6. भनोट, जे.एल. (1986)- रिक्वेशन टाइम एंड डिफरेंट फील्ड पोजीशन इन फुटबॉल प्लेयर्स। कार्यवाही दूसरा अंतराष्ट्रीय खेल विज्ञान सम्मेलन (सितंबर), सिंगापुर।

मारवाड़ का सांस्कृतिक स्वरूप : एक सक्षिप्त परिचय

डॉ. सीमा वर्मा * सुशीला**

* शोध निर्देशिका (इतिहास) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत
** पी.एच.डी. शोद्यार्थी (इतिहास) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजनैतिक अध्ययन को आधार मानकर इतिहास लिखने की हमारे यहां सुदीर्घ परम्परा रही है किन्तु राजनैतिक अवस्था से परे सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशाओं का वृत्तान्त प्राचीन इतिहास में प्रसंगानुसार संक्षेप में ही मिलता है इसलिए यह वर्णन उन दशाओं की पूरी तस्वीर पेश नहीं करता। इसके साथ ही साधारण जनता या जन-समाज में प्रचलित आचार-विचार, मान्यताओं, रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान, आमोद-प्रमोद इत्यादि उनकी सभी अवस्थाओं के वर्णन की अपेक्षा राज्याध्यक्षा व राजाध्यक्षों व राजवर्गीय लोगों के राजनैतिक क्रिया-कलापों से सम्बन्धित जानकारी उनमें अधिक मिलती है। केवल राजनैतिक घटनाक्रम में बंधा इतिहास हमें दूसरी सुचनाएँ प्रदान करने में असमर्थ रहता है क्योंकि केवल युद्ध या राजनयिकों के जीवनवृत्त के इर्द-गिर्द चक्कर काटने वाला इतिवृत्त नहीं कहा जा सकता। उसे हम इतिहास की राजनैतिक घटनाओं का एक लेखा-जोखा ही कह सकते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन के प्रति के इतिहासकारों की रुचि इतनी अधिक नहीं रही जितनी कि राजनैतिक अध्ययन के प्रति। टाड ने अपने इतिहास में कुछ बिन्दुओं पर संक्षेप में अवश्य प्रकाश डाला है। इसी प्रकार मुन्शी देवीप्रसाद ने यहां की जातियों के रहन-सहन, आचार-विचार, खान-पान इत्यादि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के पहलुओं को छुआ परन्तु बाद के इतिहासकारों ने इसको छोड़ दिया।

राजनैतिक घटनाक्रम के घेरों की परिधि का लाँघकर सम्पूर्ण समाज की झांकी प्रस्तुत करने वाला ब्यौरा ही इतिहास के समग्र स्वरूप को प्रकट कर सकता है। इसीलिए आधुनिक इतिहासकार समाज की सभी अवस्थाओं को समुचित स्थान देने की सिर्फ बात ही नहीं – करते रहे इस दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य कर इतिहास की नवीन विचार-धाराओं से विभिन्न अछूते क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला है। आधुनिक युग में इतिहासकारों पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव रहा, अतः इतिहास में सामज के सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब को दर्शाने का आजकल प्रयास किया जाता है। इस सदी के पिछले कुछ दशकों से राजनैतिक घटनाओं की अपेक्षा इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में अपने शोध निबन्ध और शोधप्रबन्ध लिखकर अद्यावधि इतिहास के इस अल्प सूचनाओं से युक्त पक्ष का उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नूतन प्रयास को सभी ने सराहा ही नहीं इसे युग की माँग और समय की आवश्यकता समझकर स्वीकारा भी है।

जहाँ तक सांस्कृतिक अध्ययन का प्रश्न है इस दिशा में आधुनिक इतिहासकार सचेष्ट अवश्य है किन्तु इस क्षेत्र में अभी काम बहुत कम था

नहीं के बराबर ही हुआ है। सांस्कृतिक अध्ययन का एक तो क्षेत्र बहु आयामी और विस्तृत है दूसरा उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अंकित करना और भी दूभर कार्य है। सांस्कृतिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं तो उसमें तत्कालीन समाज के समस्त जीवन-दर्शन का विहागम दृश्य समाविष्ट करना पड़ता है। इसके अभाव में सांस्कृतिक अध्ययन को पूर्णता प्रदान करना असंभव है।

संस्कृति एक सामान्य परिचय – संस्कृति शब्द की विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई व्याख्याओं का अवलोकन करने से सांस्कृतिक अध्ययन की व्यापकता और महत्ता स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। 'संस्कृति' शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। 'संस्कृति' में दो शब्द हैं सम् + कृति। इस शब्द का मूल 'कृ' धातु में है जिसका अर्थ है – क्रिया। सम् उपसर्ग 'पूर्वक' 'कृ' धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय लगकर (स्त्रीलिंग के भाव में) संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है। इस दृष्टिकोण से संस्कृति का शाब्दिक अर्थ सम् प्रकार अथवा भली प्रकार किया जाने वाला व्यवहार अथवा क्रिया है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने का सूचक है। संस्कृति शब्द का अन्य अर्थ संस्कार से भी जोड़ा जाता है। अंग्रेजी भाषा में संस्कृति के लिए 'कल्चर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह लैटिन भाषा के 'कलचुरा' तथा 'कोलियर' से निकला है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रमशः 'उत्पादन' तथा परिष्कार है। उत्पादन तथा परिष्कार से जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार संस्कृति को 'परिष्कृत मानसिक उत्पादन' माना जा सकता है।²

संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न विचारणाएँ हैं किसी एक धारण या विचार से उसके समग्र स्वरूप का भान (दिग्दर्शन) नहीं हो सकता, न ही ऐसी कोई सर्वसम्मत विचारधारा है जिससे संस्कृति के सम्पूर्ण अर्थ का निरूपण होता हो। भारतीय और पाश्चात्य सभी विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने के लिए जो परिभाषाएँ सुझाई हैं, उसमें इस व्यापक शब्द के अर्थ को ही नहीं अर्थ-गाम्भीर्य और उसके व्यापक परिवेश को भी उल्लिखित करने का प्रयास किया है। संस्कृति के समग्र स्वरूप को समझने के लिए उसकी एकाधिक व्याख्याओं और परिभाषाओं का सहारा लेना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है। डॉ. सम्पूर्णानन्द के अनुसार संस्कृति समाष्टिगत समान अनुभवों से उत्पन्न भूत पदार्थ है।

एक ही जलवायु में पले, एक ही राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सुख दुःख को भोगे हुए लोगों के चित्तों का झुकाव प्रायः एक ही सा होगा। एक ही अनुभूतियों के आचार-विचार भी एक ही होंगे। अतः संस्कृति वह दृष्टिकोण है जिससे कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं पर दृष्टि

निक्षेप करता है, जो आज की अनुभूति है वह कल संस्कार के रूप में अवशिष्ट रह जावेगी लकड़ी, पत्थर की तरह संस्कृति एक निश्चल पदार्थ नहीं है। यह एक बहती हुई धारा है, जिसमें सदा कुछ न कुछ तत्व किसी और रूप में भी परिवर्तित होता रहता है आधुनिक युग के चिन्तकों ने भी संस्कृति के स्वरूप निर्माण पर इसी ढंग के विचार प्रकट किए हैं।

निरन्तर प्रगतिशील मानव-जीवन प्रकृति और मानव समाज के जिन-जिन असंख्य प्रभावों वा संस्कारों से सुसंस्कृत प्रभावित होता रहता है। उन सबके सामूहिक पदार्थ को ही संस्कृति कहा जाता है। मानव का प्रत्येक विचार प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है पर जिन कार्यों से किसी देश विशेष के समक्ष समाज पर कोई अमिट छाप पड़े वही स्थायी प्रभाव संस्कृति है। संस्कृति वह आधारशिला है जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रासाद निर्मित होता है।

प० जवाहरलाल नेहरू के अनुसार - 'संस्कृति क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। एक बड़े लेखक का कहना है कि ससार में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे स्वयं को परिचित कराना संस्कृति है। एक अन्य परिभाषा में कहा गया है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचि की परिष्कृति अथवा शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है।

संस्कृति के संबंध में रामधारीसिंह दिनकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है।- 'असल में संस्कृति जीवन का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। अपने जीवन में जो हम संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंश बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ-साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। इसीलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है।'³

डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए लिखा है कि - 'मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है। उसको संस्कृति कहते हैं।'⁴

डॉ. जी.सी. पाण्डेय की मान्यता है कि - 'मूलतः संस्कृति जीवन की ओर एक दृष्टिकोण है अनुभव के मूल्यांकन और व्याख्या का एक विशिष्ट और मूलभूत प्रकार है। विचार, भावना तथा आचरण के विभिन्न प्रस्तारों में संस्कृति की सिद्धि है।'⁵

अनेक भाषाओं में संस्कृति के लिए जो विभिन्न शब्द मिलते हैं उन सभी से संस्कृति का संबंध क्रिया व्यवहार, उत्पादन संस्कार तथा परिष्कार से जुड़ा मिलता है संस्कृति में व्यक्ति तथा समाज की वे क्रियायें, उत्पादन, व्यवहार, संस्कार तथा परिष्कार सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज के लक्षणों को पहचानना पसखा जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृति मानव के आदिकाल से लेकर आज तक की वह संचित निधि है जो उत्पादन तथा परिष्कार द्वारा निरन्तर प्रगति करती हुई एक पीढ़ी को से दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त होती चली आई है, तथा भविष्य में भी उसकी यही गति रहेगी।'⁶

अर्थात् संस्कृति का अर्थ है- मन, अभिरुचि एवं व्यवहार का शोधन तथा सुन्दर अभ्यास। इस प्रकार से प्रशिक्षित एवं अभ्यस्त होने की अवस्था

एवं बौद्धिक पक्ष संसार में जो अब तक जाना एवं कहा गया है उससे परिचित होना।

संस्कृति संबन्धी उपर्युक्त विचारणाओं के विश्लेषण स्वरूप यह कहा जा सकता है कि संस्कृति जीवन का एक विशिष्ट प्रवाह है जो एक जन समूह को विश्व के अन्य जन-समूहों से अलग करता है। संस्कृति मनुष्य के स्वभाव, धारणाओं, विश्वासों सौन्दर्यबोध और आचरण से संबंध रखती है। संस्कृति की प्रतीति मनुष्य के समुदाय विशेष के धर्म, रीति-रिवाज, सामाजिक व्यवहार कलाओं आदि में होती है। इन सभी चीजों का मिला-जुला प्रभाव ही संस्कृति को जन्म देता है। संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन तो होता रहता है परन्तु उसका बीज कभी नष्ट नहीं होता। संस्कृति में एक निरन्तरता सदैव बनी रहती है और सबल संस्कृति वही होती है जो दूसरे प्रभावों को भी आत्मसात कर लेती है। भारतीय संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता के जीवन-मूल्यों के निर्वह में सदा एक चेतना का काम देती है और मनुष्य को हर परिस्थिति से जुझने की शक्ति प्रदान एक करती है तथा तथा उसमें आशावादिता का संचार भीकरती है संस्कृति जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है इसलिए वह जीवन के क्रिया-कलापों को संयमित भी करती है और बदले में स्वयं भी संयमित रहती है।

डॉ. ईश्वरी प्रसाद और शैलेन्द्र शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि - 'संस्कृति मानव की दशा तथा दिशा तथा दिशा का बोध कराती है। संस्कृति मानव जीवन का आधारभूत लक्षण है। इसमें मानव जीवन के समस्त गुण निहित हैं। संस्कृति के गुणों के वशीभूत होकर ही मनुष्य उन क्रियाओं को करता है जो उसे ज्ञान-विज्ञान, समाज, धर्म साहित्य, कला, दर्शन और चिन्तन की ओर अग्रसर की ओर अग्रसर करती हैं। मानव की समस्त क्रियाओं, व्यवहारों, उत्पादन परिष्कार एवं उन्नति का मिला-जुला रूप ही संस्कृति द्वारा सत्य, शिव, सुन्दरम् के लिए मन-मस्तिष्क में आकर्षण उत्पन्न होता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है संस्कृति मानव के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का पूर्ण विकसित रूप सा है।'⁷

इतना व्यापक अर्थ रखने वाली संस्कृति समुदाय विशेष के जीवन के विविध रूपों, अंगों-प्रत्यंगों, क्रिया-कलापों और चिन्तन मनन के आदर्शों में अभिव्यक्ति पाती है संस्कृति का जन्म मूलतः मानव समूह विशेष के आन्तरिक वैभव का अध्ययन है जो उसकी कलाओं, धर्म उत्सावों, मान्यताओं और रहन-सहन में प्रकट होता है। इनके माध्यम से उस अभ्यान्तर वैभव और उसकी चेतना को समझा जा सकता है और इस चेतना के कलस्वरूप समय-समय पर जो संघर्ष, बाह्य प्रभाव और नवीन सामाजिक उद्भावनाएं होती रही हैं उनकी प्रतिक्रियाओं का भी दिग्दर्शन इनसे होता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कर्नल डॉड ने इतिहास के साथ-साथ यहां की धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक, उत्सव, हिन्दू माइथोलोजी (पौराणिक विश्वासों) राजपूत चारण, भ्रात आदि विभिन्न जातियों के रीति रिवाजों राजपूत समाज में नारी की स्थिति वीरांगनाओं के अद्भूत उत्सवों के घटना प्रसंगों आदि के माध्यम से यहां की सांस्कृतिक वे विशेषताओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया। अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान आर्य महत्वपूर्ण नगरो एवं गांवों की स्थिति और संरचना, व्यापारिक दशा तथा प्रमुख

- | | |
|---|---|
| मदिरों पर टॉड ने कही कही उल्लेख किया है। | 5. डॉ. एस.एल नागौरी : भारतीय संस्कृति पृष्ठ 2 |
| 2. डॉ. ईश्वरीय प्रसाद एवं शैलेन्द्र शर्मा : प्राचीन संस्कृति, बला, राजनीति, धर्म तथा दर्शन। | 6. डॉ. रामगोपाल शर्मा : भारतीय संस्कृति व संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ 3 |
| 3. रामधारी सिंह दिनकर : संस्कृति के चार अध्याय, प्रस्तावना, पृ. 11 | 7. डॉ. ईश्वरीय प्रसाद एवं शैलेन्द्र शर्मा : प्राचीन भारतीय संस्कृति , कला राजनीति, धर्म तथा दर्शन , पृष्ठ 1 |
| 4. वही पीछसरीन : भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति की रूपरेखा, पृष्ठ 2 | |

Palliative Care in Homoeopathy

Dr R.V.Gayathri Devi* Dr. Anupriya Vyas**

*Research Scholar, Faculty of Homoeopathy, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

** Professor, Faculty of Homoeopathy, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients (adults and children) and their families who are facing problems associated with life-threatening illness. It prevents and relieves suffering through the early identification, correct assessment and treatment of pain and other problems, whether physical, psychosocial or spiritual. (World Health Organization: WHO, 2020) this definition given by WHO clearly embraces the Homoeopathic approach to palliation.

Palliation commonly known to all as temporary relief, say for instance a regular pretence parents do with their kids when a pet dog starts to fall ill and is at its last stages, the child starts to become deeply saddened and asks his/her parents about the sick dog continuously, what does a parent do, they mask the fact by saying a lie that they have sent it to a farm to enjoy the open meadows, which makes the kid happy imagining their pet running in the open fields, this makes the kid comfortable and the situation can be calmed down, that's to manage/control, i.e. palliate.

Etymology: The Word palliate is derived from a Latin word palliare, which means "to cloak." "to cover," that is an extra layer of comfort and protection, shielding, easing, oneself from the harms associated with illness.

When can we palliate: Palliation is easing the severity of a pain or a disease without removing the cause. That is temporary relief of symptoms without curing the patient where the patient is extremely sick with vast changes seen pathologically which are irreversible neither structurally nor metabolically. the only aid and option for such deep seated irreparable, irreversible disease is palliation.

Example (i) a child during dentition Kali Bromium crystals can be rubbed on gums considering the rubric from Gentry repertory as irritation of gums, (ii) for general uncontrolled vomiting, ipecac or kreosote can be given.

Palliation according to Dr Hahnemann

In Sec. 67 F.N 1, 6th edition of organon of medicine, Dr.S. Hahnemann mentions about the use of antagonistically acting medicine as Palliatives *Only in the most urgent cases, where danger to life and imminent death allow no time for the action of a homoeopathic remedy - not hours,*

sometimes not even quarter-hours, and scarcely minutes - in sudden accidents occurring to previously healthy individuals - for example, in asphyxia and suspended animation from lightning, from suffocation, freezing, drowning, etc. - is it admissible and judicious, at all events as a preliminary measure to stimulate the irritability and sensibility (the physical life) with a palliative, as for instance, with gentle electrical shocks, with clysters of strong coffee, with a stimulating odour, gradual application of heat, etc. When this stimulation is effected, the play of the vital organs again goes on in its former healthy manner, for there is here no disease to be removed, but merely an obstruction and suppression of the healthy vital force. To this category belong various antidotes to sudden poisoning: alkalies from mineral acids, hepar sulphuris for metallic poisons, coffee and camphora (and ipecacuanha) for poisoning by opium, etc.*

For Hahnemann the highest and only mission was to cure!

But as our homoeopathic science progressed we all know that the correctly chosen homoeopathic remedy, in its dynamised form can do miracles even in emergencies and help in such palliations without disturbing the already disturbed vital force thereby helping us by achieving the true cure as termed by our father Dr. Hahnemann, and the axiom of Hippocrates "*primum non nocere*" (*first, do no harm*)

Views on palliation by homoeopathic pioneers

Dr James Tyler Kent

Dr Kent doesn't agree with the use of oppositely acting palliatives, as it does more harm than the benefit to the patient for a shorter period of time

The physician who applies the single remedy in potentized form under the Law of Cure any length of time will easily be convinced that there is no other way of palliation that holds out any permanent hope for the patient.^[1]

Dr Herbert A Roberts

The law of similars is the fundamental law also in the palliation of incurable states.

In incurable conditions the administration of the similar

remedy almost always ameliorates the situation, at least for three or four days, and usually for a longer period. Then we may have a return of the symptoms, when the indicated remedy will be called into use again

Dr Roberts states the cases where homoeopathic palliation can be used, as a substitute for narcotics are in incurable cancers, insomnia, Painful conditions, Mechanical injuries, pre-operative-post-operative conditions.

These are the things that may be done to relieve suffering. The same law applies in curable and incurable cases^[2]

Precautions of Homoeopathic Palliation: In homoeopathic palliation we shall consider the following when administering the medicine.

1) Nature of medicine: whether deep acting or superficial acting in cases of such incurable nature it's better to administer the superficially acting remedies rather than the deep acting ones, as they tend to deteriorate the already diminished vital force rather than stimulating it to overcome the diseased pathologically progressed state.

2) Potency: as stated by S. Close "In terminal conditions, therefore, when the patient does not react to well selected remedies, nor to intercurrent reaction remedies given in potentiated form and small doses, resort to the crude drug and increase the dose to the point of reaction." We should avoid high potencies when the disease progressed to the pathological manifestations.^[3]

3) Repetition of the dose.

4) Palliation is the last resort. We as physicians should only resort to homoeopathic palliation to prevent suppression and masking of true picture of disease.

Conclusion:

For all this the Homoeopathic physician should have adequate knowledge to judge the patient suffering, his vital force capability, what remedy to give, a deep acting remedy, (constitutional medicine) or superficial acting remedy with absolute potency (high or low) and dosage that would aptly work to ease the patient, which is very well mentioned in

§3rd (third aphorism) If the physician clearly perceives what is to be cured in diseases, that is to say, in every individual case of disease (knowledge of disease, indication), if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say, in each individual medicine (knowledge of medicinal powers), and if he knows how to adapt, according to clearly defined principles, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue – to adapt it, as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him (choice of the remedy, the medicine indicated), as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required (proper dose), and the proper period for repeating the dose: – if, finally, he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them, so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of the healing art.

At times we fail to cure a patient in spite of following the principles of organon, where vitality of our natural defence mechanism is weakened and the remedies given act superficially. For such cases palliation therapy comes into action, where the patient not only needs medical support but social and emotional support which only homoeopathy can give as we treat patient spiritually, should not be misunderstood with hospice care.

References:-

1. Kent, J. T. (2003, Chapter 37). *Lectures on Homoeopathic Philosophy*. B. Jain Publishers.
2. Roberts, H. A. (Roberts, 1997, Chapter 19). *The Principles and Art of Cure by homoeopathy: A Modern Textbook*. B. Jain Publishers.
3. Close, S. M. (Close, 2004, Chapter XIII). *The genius of homeopathy: Lectures and Essays on Homeopathic Philosophy with Word Index*. B Jain Pub Pvt Limited.

A Study of Academic Cheating among Senior Secondary School Students in Relation to Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety

Dr. Govind Soni* Mr. Sandeep Thomas**

*Assistant Professor, Faculty of Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

** Ph. D. Scholar, Faculty of Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The main objective of the present study is to investigate the A study of Academic Cheating among Senior Secondary School Students in relation to Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety. The study was conducted on a sample of 600 Senior Secondary School Students. For this Academic Cheating Scale (ACS-KK) by Kalia & Deep (2011) Family Environment scale by Harpreet Bhatia and N. K. Chadha (2010), Learning Style Inventory (LSI-MK) by Misra (2012), Educational Anxiety Scale (EAS-DSDR) by Dahiya & Dahiya (2018) were used. The results indicate that there is no significance difference in Academic Cheating among Senior Secondary School Students in relation to Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety.

Keywords : Senior Secondary School Students Academic Cheating, Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety.

Introduction - Good education equips us with employment which is why it makes us independent and empowers us to overcome other problems such as poverty etc. Modern technology also plays a key role in spreading education in a culture. Of man academic achievement is an important factor in judging his or her intellectual abilities. School success thus plays a vital role in education and the learning process.

Cheating is a burning issue in educational field mounting hindrances in the path of efficacy of educational system. It has been reported that one-third of elementary students are engaged in cheating and the rate dramatically increases when they entry into the higher classes and in high school reaches its peak.

Some students feel pressure to get better grades and some students struggle academically and feel that cheating is their only path to any kind of success. With tremendous pressure and competition for grades, some (students) will cheat or plagiarize to maintain a high GPA, which can please parents, result in selection to school leadership roles, and impress corporate recruiters. Some other reasons identified for the rise of Academic Cheating include pressure from teachers, parents, school, Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety etc. The nature of the family has significant influence on the study habits of students with respect to preparation for examination and school environment.

Various surveys and courses in recent years have focused on the relationship between school achievement

and academic cheating. Various variables associated with cheating have been evaluated in these studies. In doing so, such people are actually deceiving themselves and their culture. Education cheating is rife with different generations and cultures in many educational contexts. These students give a lot of excuses or say the same reasons. Some students state their reason for getting better grades on tests; some just want to show off and some get social acceptance and eventually but at least some just aim to please their parents.

Past researches highlighted the problem of Academic Cheating, so the researcher, found it interesting to explore the factors which are responsible for increase in the tendency of cheating. Many researches have been conducted regarding these dependent and independent variables but no research has been conducted that involves all these variables simultaneously. So the researcher decided to study the Academic Cheating among Senior Secondary School Students in relation to their Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety. The proposed study will provide a guideline to educational administrators and planners and all others to control Academic Cheating among senior secondary school students.

Need of the study : The actual problem arises when it is found that cheating prevailing in educational institution is not an end in itself. Cheating behavior needs to be explored more so that a deep analysis could be done to understand the complex human mind more. Further investigation

focused on the relations of various psychological and social motivational factors which strengthen the missing or weak links between individual's decisions to indulge in academic cheating. Individuals who are care-free and do not consider the future consequences will not bother about their study, will not be prepared well for home assignments or for examinations. They would find unfair alternatives to perform various academic activities and get success through dishonesty.

Past researches highlighted the problem of Academic Cheating, so the researcher, found it interesting to explore the factors which are responsible for increase in the tendency of cheating. Nevertheless, studies of the relations between learning style, home environment, educational anxiety with academic cheating are largely absent from the academic cheating literature. Therefore it is necessary to investigate and pursue the study of academic cheating in relation to learning style, family environment and educational anxiety of secondary school students.

Thus it is a compelling need of the hour to study cheating behavior among students dwelling from Indian culture. Though human mind is basically similar everywhere still there are cultural differences which have ample impact on the individual's decision to cheat. The present study is needed by all those who want to curb cheating from our education system. Instead of controlling cheating at the time of occurrence, the root causes of its occurrence are needed to be checked. The study will provide guidelines to educational administrators and planners whom to focus specially. In schools, teachers will devise new methods and teaching techniques to tackle cheating behavior among school students. School administration will be able to implement constructive measure to combat cheating among school going students. In general, society will also get an insight into the complexities associated with cheating. Society will be alarmed about this social evil and thus will be able to find effective tools to minimize cheating among school students. There is a strong need to explore more this type of cheating behavior so that a deep analysis could be done in this context.

Statement of Problem:- A study of Academic Cheating among Senior Secondary School Students in relation to Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety

Objective of the study:

1. To study the relationship between Academic Cheating and Family Environment of Sr. secondary school students
2. To study the relationship between Academic Cheating and Learning Style Inventory of Sr. secondary school students
3. To study the relationship between Academic Cheating and Educational Anxiety Scale of Sr. secondary school students

Hypothesis of the study :

1. There is no significant relationship between Academic Cheating and Family Environment of Sr. secondary school students
2. There is no significant relationship between Academic Cheating and Learning Style Inventory of Sr. secondary school students
3. There is no significant relationship between Academic Cheating and Educational Anxiety Scale of Sr. secondary school students

Method : Researcher choose survey method for this research work.

Sample of the study : For this purpose, the investigator contacted the school heads of various sr secondary schools of Bikaner district only out of 600 students constitute the sample as shown below

Tools used :

1. Academic Cheating Scale (ACS-KK) by Kalia & Deep (2011)
2. Family Environment scale by Harpreet Bhatia and N. K. Chadha (2010).
3. Learning Style Inventory (LSI-MK) by Misra (2012)
4. Educational Anxiety Scale (EAS-DSDR) by Dahiya & Dahiya (2018)

Statistical techniques : Mean, standard deviation & correlation (r) and t-test were used to analyse the data.

Data analysis :

1. There is no significant relationship between Academic Cheating and Family Environment of Sr. secondary school students.

Table – 1

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	r-value
Academic Cheating	600	122.85	16.024	1198	0.133
Family Environment	600	243.36	18.798		

Hypothesis decided that There will be no significant relationship between Academic Cheating and Family Environment of Sr. secondary school students. It has been tested by statistical method and found that r value is 0.133 which is not significant at 0.01 level.

It is concluded that there will no significant relationship between Academic Cheating and Family Environment of Sr. secondary school students. It cleared that these variables not effect on each other.

2. There is no significant relationship between Academic Cheating and Learning Style Inventory of Sr. secondary school students

Table – 2

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	r-value
Academic Cheating	600	122.85	16.024	1198	0.61
Learning Style	600	148.39	20.120		

Hypothesis decided that There will be no significant relationship between Academic Cheating and Learning Style of Sr. secondary school students. It has been tested by statistical method and found that r value is 0.61 which is significant at 0.01 level.

It is concluded that there will significant relationship between Academic Cheating and Learning Style of Sr. secondary school students. It cleared that these variables effect on each other.

Table – 3

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	r-value
Academic Cheating	600	210.81	27.36	1198	0.033
Educational Anxiety	600	128.54	14.121		

Hypothesis decided that there will be no significant relationship between Academic Cheating and Learning Style of Sr. secondary school students. It has been tested by statistical method and found that r value is 0.201 which is not significant at 0.01 level.

It is concluded that there will no significant relationship between Academic Cheating and Learning Style of Sr. secondary school students. It cleared that these variables not effect on each other.

Educational Implications: The findings of the present research study have plenty of educational implications for parents, teachers and other professionals working in the field of Education. The primary objective of the present study has been Academic Cheating among Senior Secondary School Students in relation to Family Environment, Learning Style and Educational Anxiety. The following educational implications come out of this

study:

(i) Learning style was found to be significantly negatively related with academic cheating in a highly negative manner. So learning style is a determinant of academic cheating. The present study will be very helpful to the policy makers, educational planners, administrators, teacher-educators and parents in particular and society in general in bringing about improvement in various skills of the secondary school students by strengthening their learning styles.

(ii) To improve orderliness of learning style, one could also be benefited by explaining importance of learning style in student life.

(iii) Teachers can also guide the parents in providing learning conditions suitable for the students learning styles.

References :-

- 1 Koul, Lokesh (1992): "Research in Education", New Delhi: Prince Hall of India.
- 2 Mahato, B. and Jangir, S. (2012). A Study on Academic Anxiety among Adolescents of Minicoy Island. International Journal of Science and Research, 1(3), 12-14
- 3 Misra, K.S. (2012). Manual for learning style inventory. Agra: National Psychological Corporation.
- 4 Pahwa et al. (2008). A study of exam related anxiety amongst medical students. Industrial Psychiatry Journal. 17(1), 46-48.
- 5 Shetty, G. (2014). A Study of the metacognition levels of students teachers on the basis of their learning style. Journal of research and methods in education, 4(1), 43-51.
- 6 Sidhu, Kulbir Singh. (1984): "Methodology of Research in Education", New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.

Computing Determinant of Fourth Order Matrix by Alternate Method

Neha* Dr. Vinod Kumar Sharma**

*Research Scholar, Dept. of Mathematics, Faculty of Science, Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
**Dean, Faculty of Science, Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Determinants of 4x4 matrices hold a pivotal place in linear algebra and have extensive applications across various scientific and engineering disciplines. This paper delves into the properties, computational techniques, and real-world applications of 4x4 determinants. Through a blend of theory and practicality, we aim to showcase the importance of these mathematical constructs and their versatility in solving complex problems. From their inception to their role in contemporary research, this investigation illuminates the profound significance of 4x4 determinants.

In this paper, we embark on a comprehensive exploration of 4x4 determinants. Our journey begins with a foundational review, encompassing the definition, properties, and historical development of determinants. We then proceed to investigate various computational techniques, including cofactor expansion, to efficiently compute 4x4 determinants.

Keywords- Matrices, Determinants, linear algebra, Laplace co-factor Expansion.

Introduction - Determinants are essential mathematical entities used in linear algebra to analyze properties and behaviors of matrices. In particular, the determinants of 4x4 matrices hold significant importance in various applications, including robotics, computer graphics, and quantum mechanics. This research aims to propose a novel method for efficiently computing determinants of 4x4 matrices, filling the gap in current literature for such determinants, and providing numerical examples to demonstrate the proposed method's effectiveness.

Determinants are fundamental mathematical entities that encapsulate essential information about square matrices. They play a vital role in linear algebra, providing insights into matrix invertibility, linear independence, and transformations. While determinants of 2x2 and 3x3 matrices are widely taught and applied, 4x4 determinants introduce additional complexity and opportunities for understanding more intricate systems.

we explore the practical relevance of determinants in solving systems of linear equations, calculating eigenvalues and eigenvectors, and addressing real-world challenges in disciplines such as physics, engineering, economics, and computer science. We will also delve into the numerical stability of determinant computation methods, particularly when dealing with larger matrices.

In this paper, we aim to bridge the gap between theoretical understanding and practical utility. By emphasizing the significance of 4x4 determinants, we intend to empower mathematicians, scientists, and engineers to harness their potential in solving complex problems and

making informed decisions in their respective fields.

Importance: Determinants basically help to explain the character of solutions of linear equations, capturing how linear transformation changes area of volume, and changing variables in integrals. The determinant are often described as a function whose input may be a square matrix and whose output is simply some real. Determinants provide extremely efficient tools for thinking about problems of linear algebra, so really the determinant is beneficial anywhere that linear equations arise. Some applications in which matrices are used like Encryption, Games especially 3D, Economics and Business, Construction, Organize complicated group dances, Animation, Geology in the study of electrical circuits, quantum mechanics and optics.

Consider a 4 x 4 matrix whose determinant is required, given as shown below

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Then

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{12} \left[a_{21} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{34} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{33} \\ a_{41} & a_{43} \end{vmatrix} \right] \\ + a_{13} \left[a_{21} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{34} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{34} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix} \right] \\ + a_{14} \left[a_{21} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} - a_{22} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{33} \\ a_{41} & a_{43} \end{vmatrix} + a_{23} \begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix} \right]$$

The conventional method of finding the determinant is Laplace co-factor expansion method is carried out as follows

Expanding along the first row, we have

$$\det (A) = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$- a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$+ a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$- a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

Again, expand each of the 3x3 matrix along the first row, we have

$$\det (A) = a_{11} \left[a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{34} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{24} \begin{vmatrix} a_{32} & a_{33} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \right]$$

Now, we have

$$\det (A) = [(a_{11}a_{22}a_{33}a_{44}) - (a_{12}a_{23}a_{34}a_{41}) + (a_{13}a_{24}a_{31}a_{42}) - (a_{14}a_{21}a_{32}a_{43})] \\ - [(a_{11}a_{23}a_{31}a_{44}) - (a_{12}a_{21}a_{34}a_{43}) + (a_{11}a_{24}a_{33}a_{42}) - (a_{14}a_{23}a_{32}a_{41})] \\ + [(a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}) - (a_{13}a_{24}a_{32}a_{41}) + (a_{14}a_{22}a_{31}a_{43}) - (a_{12}a_{21}a_{33}a_{44})] \\ - [(a_{14}a_{23}a_{31}a_{42}) - (a_{13}a_{21}a_{32}a_{44}) + (a_{11}a_{22}a_{34}a_{43}) - (a_{12}a_{24}a_{33}a_{41})] \\ + [(a_{11}a_{24}a_{32}a_{43}) - (a_{14}a_{22}a_{33}a_{41}) + (a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}) - (a_{13}a_{21}a_{34}a_{42})] \\ - [(a_{12}a_{24}a_{31}a_{43}) - (a_{14}a_{21}a_{33}a_{42}) + (a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}) - (a_{13}a_{22}a_{34}a_{41})]$$

So, it shows that 4! different terms will be needed to compute the determinant of the forth order matrix.

In order to generate these 4! different terms (24 terms).

Alternate Method

If we disassemble the forth order determinant using the Sarrus' rule, same as we do disassemble the third order determinants, we obtain:

$$H_1 = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} \\ + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44}$$

In this form, we will have eight different combinations, each consisting of four elements. The first and third diagonals elements products will get the "+" signal, while the second and fourth diagonals elements will get the "-" signal. The signs will then change in the alternative way. This will produce four terms with the "+" sign and four other terms with the "-" sign

To complete the 4x4 determinant formula, we require 24 unique combinations. This means we need 16 more for the equation's computation.

What would happen if in the H_1 we transpose first and second row?

$$H_2 = -a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44}$$

In this variation, there are 8 more combinations.

Now If in H_2 we transpose the second row with the third one, we will gain get 8 more combinations:

$$H_3 = a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} \\ + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$$

By combining these three variables, we would end up with a total of 24 or $4!$ terms, which is similar to the 4×4 determinant.

If we combine these combinations, then we would get a 4×4 determinant solution.

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} + a_{13}a_{24}a_{31}a_{42} - a_{14}a_{21}a_{32}a_{43} \\ + a_{14}a_{23}a_{32}a_{41} - a_{11}a_{24}a_{33}a_{42} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} - a_{13}a_{22}a_{31}a_{44} \\ - a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} + a_{13}a_{22}a_{34}a_{41} - a_{14}a_{23}a_{31}a_{42} + a_{11}a_{24}a_{32}a_{43} \\ - a_{13}a_{24}a_{32}a_{41} + a_{14}a_{21}a_{33}a_{42} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43} + a_{12}a_{23}a_{31}a_{44} \\ + a_{13}a_{21}a_{32}a_{44} - a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} + a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} - a_{12}a_{24}a_{31}a_{43} \\ + a_{12}a_{24}a_{33}a_{41} - a_{13}a_{21}a_{34}a_{42} + a_{14}a_{22}a_{31}a_{43} - a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$$

Numerical Examples

In this numerical example, we look into the efficiency, correctness, and workability of a new method. We first apply the various known methods, such as the expansion of cofactors, the pivotal condensation, and the new method according to Sarrus's rule.

Numerical Example :- 1

Using Laplace Expansion of Cofactor Method. One has

$$\det(A) = 1 [-2(-24 + 18) - 5(18 - 30) - 6(-9 + 20)] \\ - 2 [2(-24 + 18) - 5(-6 - 36) - 6(3 + 24)] \\ - 3 [2(18 - 30) + 2(-6 - 36) - 6(-5 - 18)] \\ - 4 [2(-9 + 20) + 2(3 + 24) + 5(-5 - 18)]$$

$$\det(A) = 6 + (-72) + (-90) + 156$$

$$\det(A) = 0$$

Using the New Method, consider

Hence

h

Applying Sarrus's rule to the first part H_1 ,

$$H_1 = (48 - 360 - 90 + 72) - (-36 + 72 + 120 - 360)$$

$$H_1 = -126$$

Applying Sarrus's rule to the second part H_2 ,

$$H_2 = (150 - 324 - 24 + 96) - (-100 + 108 + 36 - 288)$$

$$H_2 = 142$$

Applying Sarrus's rule to the third part H_3 ,

$$H_3 = (54 - 192 - 60 + 180) - (-36 + 160 + 90 - 216)$$

$$H_3 = -16$$

Therefore,

$$\det(A) = H_1 + H_2 + H_3$$

$$\det(A) = -126 + 142 + (-16)$$

$$\det(A) = 0$$

If we compare these results with the results of other methods used before (definition of determinants, expansion by the elements of whatever row or column), we will see that the results are the same.

The results acquired by using the "New Method to Compute the Determinant of a 4×4 Matrix" are entirely equal with the results acquired by the other known methods until now. In base of this, we can conclude that this new method to compute the determinants of forth order is true and can be used only for the forth order determinant.

The results achieved with this method are based on the Sarrus's rule used for computing the third order determinants. Using some combinations it is achieved that this method is applicable for the forth order determinants.

This new method, comparing with other known methods, is one of the most usable ones, based on easiness of computing the forth order determinant. Furthermore, this new method enables the further research in computing methods of higher than forth order determinants.

Conclusion: The paper concludes by summarizing the con-

tributions of the proposed method in efficiently computing determinants of 4×4 matrices. The superiority of the proposed approach over traditional methods is emphasized, highlighting its potential to revolutionize determinant calculations in various mathematical applications.

The paper discusses potential avenues for future research, such as extending the proposed method to higher-order matrices or exploring its applications in other mathematical and engineering fields. The proposed method's potential to enhance computational efficiency and numerical stability in various real-world problems is also highlighted.

In essence, the study of 4×4 determinants serves as a testament to the enduring significance of mathematics in the sciences and engineering. As we move forward, the lessons learned from this study can continue to guide researchers, educators, and practitioners in leveraging the power of 4×4 determinants to unravel complex phenomena and drive innovation in their respective domains.

References:-

1. Ahmedand A.A.M., Bondar K. L. (2014): "Modern method to compute the determinants of matrices of order 3" *Journal of Informatics and Mathematical Sciences*, vol. 6, no. 2, pp. 55–60.
2. Alfke D., Potts D., Stoll M., And Volkmer T. (2018): "NFFT meets Krylov methods: Fast matrix-vector products for the graph Laplacian of fully connected networks", *Front. Appl.* p. 61.
3. Barnard S. and Child J. M. (1959): "Higher Algebra", London Macmillan LTD New York, ST Martin's Press, 131.
4. Boyer, Carl B.(1991): *A History of Mathematics*, John Wiley & Sons.Braae R. (1969): "Matrix Algebra a Programmed Introduction", John Wiley & Sons, New York, NY, USA.
5. C.R. Rao, \Matrix Algebra and its Applications to Statistical and Econometrics", World Scienti_c, Singapore, 1998.
6. Cajori, F.A. \History of Mathematics", <https://archive.org/stream/historyofmathema001062mbp/page/n5/mode/2up>
7. Campbell, H (1971): "Linear Algebra with Applications" pages 111-112. Appleton Century Crofts .
8. Euler, Leonhard (2005): *Elements of Algebra*.
9. Evar, D. (1970): *Linear Algebra and Matrix Theory*" (2nd ed.), New York: Wiley, LCCN 76-91646
10. Gantmacher, Felix R(2005): *Applications of the Theory of Matrices*, Dover Publications.
11. Henrion D. and Sebek M. (1999): "Improved polynomial matrix determinant computation," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, vol. 46, no. 10, pp. 1307–1308.
12. Joseph, George Gheverghese (2000): *The Crest of the Peacock: Non-European Roots of Mathematics*, Penguin Books.
13. Mackenzie, Dana(2012): *The Universe in Zero Words: The Story of Mathematics as Told through Equations*, Princeton University Press.
14. Muir, Sir Thomas(1906):"The Theory of Determinants in the historical Order of Development" London, England : Macmillan and Co.Ltd.
15. Pease M. C. (1965): "Methods of Matrix Algebra", Academic Press, New York, NY, USA.
16. Salihi A. and Gjonbalaj Q. (2009): "New method to compute the determinant of a 4×4 matrix," in *Proceedings of the 3rd International Mathematics Conference on Algebra and Functional Analysis*, At Elbasan, Albania.
17. Sogabe T. (2008): "A fast numerical algorithm for the determinant of apentadiagonal matrix," *Applied Mathematics and Computation*, vol. 196, no. 2, pp. 835–841.
18. Weld, Laenas Giord(1893):"A short course in the theory of determi-nants", Ithaca, New York: Cornell University Library, New York,London: Macmillan and Co, 8.

A Study of Teacher Freezing of CBSE and MSB Higher Secondary School Teachers in Relation to Their Sense of Humour, Personality and Teacher Competency

Dr. Kiran Gill* Amruta Gorakshnath Peherkar**

*Assistant Professor (Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

** Ph.D. Scholar (Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - Education plays a vital role in a person's life. It is a process that progresses from childhood to adulthood. It encompasses the effect of everything that influences human personality. It is a process of acquiring new knowledge and skills through formal and informal exposure to information, ideas and information. It is the third source of knowledge and quality of human results not only in one's own place but also in one's own. Education is a process and a product. As a product, it is the sum total of all that is learned through learning i.e. acquiring knowledge, skills, attitudes and values, cultural transfer, personal development and freedom or self-determination. As a process it involves the act of making these products for someone or yourself. The process requires a person who is a teacher, who plays an important role in the education system.

Teacher is a maker of man. Because of the explosion of knowledge and radical changes occurred in the content areas of all disciplines, the role of present day teacher has become very challenging, complex and multi-faceted. In the global society that we are fast becoming, a sense of being part of larger human family, recognizing diversity within our essential unity and living in a spirit of multicultural harmony. The role of a teacher is expected to be quite different from what it is in traditional classroom. A teacher is now required to be far more agile in his approach and has to play multiple roles and preserve the basic values of life.

Education is a process of enlightenment and equipping people to achieve a better and higher standard of living. The teacher occupies an important and unique role. It is the heart and soul of any educational institution. Teachers can do wonders, which can turn raw material into a finished product. Teachers should recognize their role as role models, in their behavior, action and adherence to personal values.

Importance of Significance of the Study: The teacher

plays an important role in the learner's learning program. It brings happiness to a person in both mental and physical aspects. Man is not only his property, but a blessing to society. This is especially true of a teacher who lives not only for himself but also for the new generation in his hands. He has a broad commitment to the community, the nation and the community at large. In fact, teachers also face the problem of freezing in the same way that other members of the community do. In fact, the teacher, like everyone else, has to be reasonably satisfied with himself and his environment. Personal and environmental factors should play a significant role in the lives of teachers. Keeping the facts in mind the current research is designed to understand more orderly, the nature of the relationship between personality, teaching ability and the coldness of the teacher. A good teacher is a vigilant and active member of any community. He is well aware of his modest and honest work toward his country. If he keeps himself well informed and enriched with enough knowledge, he can serve his country well. Thus he can be regarded as a true forerunner of national progress.

In fact, there are many aspects of a teacher's personality that are reflected in numerous studies that affect their work. Most importantly the result is for students who interact with them on a daily basis.

In the case of a teacher's personality, it can be important to control the learning process and learning process. Many researchers believe that the human condition is crucial to the success of language learning. A teacher has a variety of activities that, if done well, lead to better school performance. The organizational climate is defined as the school personality, which can be measured by group ideas. This weather can be created and maintained. The problem, then, is to identify and explain the conditions that are essential to its creation and maintenance.

Statement Of The Problem: "A study of Teacher Freezing of CBSE and MSB Higher Secondary School

Teachers in relation to their Sense of Humour, Personality and Teacher Competency”

Operational definition of key term used:

CBSE and MSB Higher Secondary School: CBSE School: Under this, those schools run in Maharashtra come which are operated by the Central Government. The terms and conditions of these schools are determined by the central government.

MSB School: Under this, those schools run in Maharashtra come which are operated by the State Government of Maharashtra. The terms and conditions of these schools are determined by the government of Maharashtra.

School Teachers: For the present study, teachers are those who have been appointed by the government of at different CBSE and MSB Sr. Secondary schools run by the Directorate of Education, Maharashtra state. In the present study Secondary School teachers are those teachers who are teaching to 9th and 10th grade students.

Teacher Freezing: Teacher freezing does not refer to teacher's inability, but Teacher freezing means unused, under used and stagnated intellectual, teachers' mental, social, physical and moral skills. Refers to total indifference, indifference of teachers not only to teaching but also to their community participation, responsibility for moral development and active participation in various fields activities inside and outside the classroom.

Sense of Humour: Sense of Humour is defined as a sort of catch of all term to refer to habitual individual differences in all sorts of behaviour, experiences, affects, attitudes and abilities relating to amusement, laughter, jocularity, and soon, (Martin, 1998). A sense of humour can help prevent a teacher from blowing his or her stack as the flows of quips, complaints and bickering never seem to cease. Operationally speaking, for the present study sense of humour refers to the scores obtained by a teacher on Teacher Sense of Humour Scale.

Personality: Personality of each and every person is unique and different from every other person. But, these are not the only points that make up the person. Each person has a special and distinguishing pattern of behaviour. This uniqueness of his behavior architects his personality i.e., approach, chauvinism, emotions, responses, values etc. Personality is a personal thought of unique fallings and behaviors that persist over time and in different situations. Personality in this study is defined as a set of behavioral, cognitive, and emotional aspects that can be perceived by the teacher. Here the motivation and psychological interactions within the class room and school campus taken into consideration. The teacher's personality effects the attitude and aptitude of the children.

Teacher Competency: A teaching competency is something more than content knowledge, teaching skills and its implementation; it acquaint the ability to complete complex needs by mobilizing the most appropriate psychosocial resources which includes teaching skills and

teaching attitudes in a particular context. “Competency is essential to an educator's pursuit of excellence. The following are the hallmarks of a teacher's clear teaching style: The teacher selects the learning environment in which she will be taught, the teacher sets goals for achievement, and the teacher informs the learners of the conditions before the lesson, and the teacher demonstrates how learners effectively apply knowledge or skills. through modeling, the teacher assesses student achievement, the teacher provides remedial opportunities to acquire knowledge and skills, if necessary and the teacher provides closure at the end of the lesson. In this current study Teaching Ability means Learning Planning, Teaching-Delivery, Closing Teaching, Testing Teaching Skills and Managing Teaching Skills for High School Teacher Teachers.

Objectives Of The Study:

- (1) To compare the teacher freezing of Sr. Secondary School Teachers with respect to the following categorical variables:
 - (a) Type of School (CBSE and MSB)
- (2) To compare the Sense of Humour of Sr. Secondary School Teachers with respect to the following categorical variables:
 - (a) Type of School (CBSE and MSB)

Hypotheses Of The Study:

1. There is no significant difference in Teacher Freezing of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers.
2. There is no significant difference in Personality of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers.
3. There is no significant difference in Teacher Freezing of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers

Tools Of The Study: The instruments employed as means for the exploration of new fields are called tools. The selection of suitable tools & its application is an important step after the research problem has been selected, defined & delimited. The investigator is at liberty to use one or more tools in combination for carrying out a study. In the present study the following tools will be used for the collection of data:

- (1) **Teacher Freezing Scale by Taj Haseen.**
- (2) **Eysenck Personality Inventory by Eysenck & Eysenck**
- (3) **Sense of Humour Scale by Malik & Kapoor**

H1: Null hypothesis decided that there is no significant difference in Teacher Freezing of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers. It has been tested by statistical method and found that t-value is 2.359 which shows no significant difference at .01 significance level. Thus hypothesis has been accepted here. This means Teacher Freezing of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers are equal.

2 There is no significant difference in Personality of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers.

H2: Null hypothesis decided that there is no significant difference in Personality of CBSE and MSB Sr. secondary

school teachers. It has been tested by statistical method and found that t-value is 1.818 which shows no significant difference at .01 significance level. Thus hypothesis has been accepted here. This means Personality of CBSE and MSB Sr. secondary school teachers are equal.

Educational Implications: Though the study had its limitations of time and space, yet it gives us some very interesting and useful findings. The results obtained have certain implications of practical values. In the field of education also, these findings have special implications for parents, students, teachers, education planners and other school personnel to enable them to utilize the experience and knowledge of the researcher. The findings of the present study have the following educational implicates: The contribution of teachers towards producing good quality of students cannot be ignored. The performance of an individual teacher needs to be most responsive to change taking place in the society.

References:-

1. **Aggarwal, J.C. (1998).** Teacher Education-Theory and practice, Doaba House, New Delhi.
2. **Arreenich Thosapol (1981).** "A study of factors influencing the teacher freezing as perceived by North Dakota Public classroom teachers." Dissertation Abstract International. Vol. 42 , No. 10, 4212
3. **Bhandari, M. (2009),** "Value pattern of teachers of district institutes of education and training in relation to their attitude towards teaching and teacher freezingness". Ph.D thesis Department of Education & Community Service, Punjabi University, Patiala.
4. **Gupta, S.P. (1991):** "Statistical Methods", New Delhi: Sultan Chand & Sons.
5. **Haseen, T. (1998).** Teacher Freezing was accessed with the help of freezing scale as developed. Indian journal of Psychometric an Education, 42 (2): 147-151
6. **Haseen Taj, (1996).** Teacher Freezness Scale. Agra: National Psychological Corporation
7. **ahin, A. (2017).** The Use of Humor by Primary School Administrators and Its Organizational Effect on Schools. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 12(2),
8. **Sharma, B., & Patidar, J. (2018).** Effects of Different School Environment on Personality Development of Rural Girls Students in Ratlam District, India. Int J CurrMicrobiolAppl Sci, 7(2), 411-416.

Role of Tourism in Economic Development of Jodhpur

Shefali Loona* Dr. Harleen Kaur**

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Rajasthan State is one of the most attractive tourist destinations in India and has a prominent place on the world tourist map. It has varied tourist attraction for both domestic & international tourists. Jodhpur, the largest division in Rajasthan, is a premier tourist destination that attracts tourist for its historical forts, palaces, art, and culture. In world scenario also, tourism has emerged as a biggest industry and possess great employment potential. The boost in the tourist arrivals have resulted in the swift growth of tourism sector in Jodhpur. The growth of tourism sector has resulted in employment generation, foreign exchange earnings, development of infrastructure facilities, capital investment, socio-economic growth, increasing in the contribution to GDP and so on. This paper is an effort to understand the perspective of tourism in economic development of Jodhpur and identify the factors influencing the growth of tourism.

Keywords: Rajasthan, Jodhpur, Tourism, Economic development, Opportunities.

Introduction - Jodhpur, the largest division in Rajasthan (Rajputana), commonly referred to as Marwar. The Jodhpur area, popularly referred to as Marwar, is a part of Rajasthan state in western North India. It predominantly is situated in the Thar Desert. Sanskrit word for desert is 'maru'. "Wad" signifies a specific location in Rajasthani languages. Thus "marwar" means "the desert region". Six districts are found in the division, and these are Barmer, Balotra, Jaisalmer, Sirohi, Jalore, Jodhpur, and Pali. Pakistan's eastern border outlines its western and northwestern borders. Haryana and Punjab form its northern and northern-eastern boundaries. By the Gujrat state in the south and the Aravalli range in the east. These districts endure almost of the state's people and contain 34.42 percent of its total areas. From the geographic centre of the desert, four districts have been core of the division. These are: Jaisalmer, Bikaner, Barmer, and western Jodhpur.

Jodhpur; an enchanting blend of modern and traditional: Jodhpur, the second largest city in Rajasthan, is popular as the blue city. The name is clearly apt as most of the architecture - forts, palaces, temples, havelis and even houses are built in the tints of blue. The circular forts that stand above this magnificent city are sights not worth missing. The giant, imposing Mehrangarh Fort is a rocky ridge dominating the landscape, with eight gates leading out of the fort. The new city is located outside it. Jodhpur is also popular for a rare horse breed known as Marwari or Malani which is found only here. Jodhpur traces its origin to 1459 AD. The history of this prosperous city revolves around the Rathore clan. Rao Jodha, chief of the Rathore

clan, is considered to be of Jodhpur origin, India. The city is known to be built on the site of Mandore, the ancient capital of the Marwar state. Hence people of Jodhpur and surrounding areas are known as Marwaris. It is also believed that remains of Mandore can still be seen in Mandore Gardens.

Types of tourism in Jodhpur:

Religious tourism: Jodhpur is renowned for its temples; pilgrimage tourism is growing the fastest among the various types of tourism.

Adventure tourism: Adventure tourism in Jodhpur is limitless due to the country's diversity in climate, places, and topography.

Cultural tourism: Jodhpur has a mix of vintage and new culture, which on the one hand gives its essence on the glorious royal structures that have stood the test of time and, on the other, the effects of technology and urbanization. From local crafts to traditional food, everything here is a backdrop and there is something to see at any time of the day or at night.

Archaeological tourism: It is a form of tourism which aims to promote public interest in archaeology and the conservation of historical sites.

Heritage tourism: It is a dimension of tourism related that involves visiting an historic or culture site & participating in activities which allows the tourist to experience that culture as it was in past & how it is today. Jodhpur has long been recognized for its ancient cultural richness, which draws millions of tourists each year

Ayurveda or Meditation tourism: Meditation and Ayurveda

are natural ways of healing the mind, body and spirit. Today, Ayurveda and meditation are the top priorities of people all around the world, not only because of their present capacity, but also because they have no negative effects when used properly.

Eco tourism: Ecotourism affirms that it does not disrupt the ecological balance while supporting the long-term preservation of a naturally forested area or region.

Objectives:

1. To examine the factors influencing the growth of tourism.
2. To examine the contribution of tourism in Jodhpur economy.
3. To identify the challenges and opportunities of tourism development in Jodhpur.

Research Methodology: Both primary and secondary data will be used in the proposed study. After analyzing both the information and the information received in the study subject's periphery, an effort will be made to prepare the best research results, summary, and suggestions possible.

Various tourism-related departments, offices, direct interviews with domestic and foreign tourists, and questionnaire-based data and information will be collected and analyzed for the survey of primary data.

Reports for the second data used in the study area will be included, as will data have obtained from various offices and tourism departments

Review of Literature

Sudhir (1992) in his study on 'Tourism Problems and Prospects in Kerala', highlights the importance of tourism in Kerala and various problems in the tourism sector.

According to **Batra and Chawla's (1994)** book, "Tourism Management - in a Global Perspective", Eco-tourism is regarded as a viable tool, a means of gaining a measure of economic benefit through a tourism route.

According to **Vijay Kumar (1995)**, "The meaning of Eco Tourism, the joy of the gift of nature as well as understanding the culture and history of the atmosphere". His research has suggested various approaches to protect the local culture from degradation.

In the book "**International Tourism**" by **Bhatia (1995)** commented that in recent years, the tourism sector, its environmental protection, and the protection of people's quality of life have become a growing concern. In this context, it is critical to consider the relationship between tourism and the environment.

According to **Anil Reddy (2000)** letter, eco-tourism is a completely new approach to tourism. They only visit natural areas to learn about the environment's cultural and natural history. He goes over various eco-tourism issues and information.

According to **Santosh Thampi (2001)**, development in ecologically rich areas has gained prominence as a reconciliation and conservation strategy. He explains that tourism consists of many interconnected components that

should be present in today's tourism industry.

Kandari and Ashish Chandra (2003) in their book "Tourism, Biodiversity Sustainable Development" explained the need for cooperation and partnership among local governments and the tourism industry is central to defining 'Eco-Turism' and the reality of it being the fastest growing sector of the tourism industry.

Rao (2005), following an examination of the relationship between tourism and foreign exchange, it was determined that tourism is a source of revenue and the most important source of foreign exchange in many countries.

Vijay Raju (2007), in his study, he expressed his belief that large-scale habitat degradation and species extinction are currently occurring at a rapid pace and will have a significant impact on the future development of planets.

Sightseeing And Places To Visit And Explore In Jodhpur Mehrangarh Fort : Mehrangarh Fort rises diagonally and strongly from a hill 125 meters above the Jodhpur skyline. This historic fort is one of the most famous forts in India and is full of history and legends. The Mehrangarh fort still bears the marks of the cannon attacks of the Jaipur army on the second gate. The strong and sturdy fort is known for its fine lattice windows, carved panels, intricately decorated windows, and walls of Moti Mahal, Phool Mahal and Sheesh Mahal.

Khejarla Fort: Located 85 kilometers from the capital, the 400-year-old Khejarla Fort is located in the countryside. A magnificent red sandstone monument, now a hotel, is an example of Rajput architecture. Visitors are mesmerized by the fort's picturesque surroundings, grid friezes and intricate Jharokas.

Umaid Bhawan Palace : Umaid Bhawan Palace was built by Maharaja Umaid Singh in 1929 to combat the famine that was raging in the state at that time. It was also known as Chittar Palace when it was built due to the use of stones quarried from Chittar Hill. The palace was designed by the famous British architect HV Lanchester and was completed in 16 years.

Moti Mahal: Moti Mahal is the Pearl Hall where the royal families used to hold their audiences. The hall have glass windows and five corners that allowed the queens to listen to what was happening at Jodhpur's royal residence, Sringar Chowk, The Royal Throne of Jodhpur.

Sheesh Mahal : The Glass Palace of Jodhpur, known as the Sheesh Mahal, is located in the Mehrangarh Fort area. This amazing architecture is decorated with mirrored walls that reach the ceiling and floor. Above it is a mirror work of brightly painted religious figures cast in plaster.

Phool Mahal : As the name suggests, Phool Mahal or Flower Hall is the most extravagant of all the palaces. This beautiful room is said to be the joy dome of the maharajas. The gold used to build the palace came from Ahmedabad, Gujarat.

Chamunda Mataji Temple : Chamunda Mataji was Rao

Jodha's favorite goddess so her idol was bought for Mehrangarh Fort. So, the fort became a place of worship and converted into a temple. Since then, locals have followed the culture of worshipping Chamunda Mata.

Ranisar Padamsar : Ranisar and Padmasar are adjacent lakes that were built in 1459 which are located near Fateh Pole in Mehrangarh. The Ranisar Lake was built on the order of Rao Jodha's wife, Queen Jasmade Hadi, while the Padmasar Lake was commissioned by the daughter of Rao Ganga, Queen Padmini.

Jodhpur Government Museum : The Umaid Garden Government Museum has a rich collection of relics such as weaponry, textiles, and local arts and crafts, and miniature paintings, portraits of rulers, manuscripts and images of Jain Tirthankaras. Nature lovers can also visit the nearby zoo.

Jaswant Thada : Built in the late 19th century as a tribute to leader Jaswant Singh, this milk-white monument is a huge tourist attraction. Jaswant Singh who ruled Jodhpur devoted a lot in his state. He tried to reduce the level of crime, curb dacoits, built railways and did a lot of work to raise the economy of Marwar. Jaswant Thada is managed and maintained by the Mehrangarh Museum Trust (MMT) and is open to the public. Its grounds are a quiet venue for morning concerts during music festivals such as the Rajasthan International Folk Festival and the World Sacred Spirit Festival.

Ghanta Ghar : Ghanta Ghar, also known as the clock tower of Rajasthan, is located in one of the busiest areas of Jodhpur, Sadar Bazaar. It was built by Shri Sardar Singh Ji of Jodhpur. Sadar Market is very popular with tourists who throng the streets to buy Rajasthani textiles, clay figurines, camels and elephants, marble ornaments and classic silver jewellery.

Mahamandiri Temple : Mahamandir, meaning great temple, is a hallowed place of peace. The temple on Mandore Road is an architectural marvel. It is supported by 84 pillars and decorated with detailed patterns and figures depicting various yoga poses.

Mandaleshwar Mahadev : Mandaleshwar Mahadevi was built by Mandal Nath in 1923. It is believed to be one of the oldest shrines in the city. The walls of the temple have beautiful paintings of Lord Shiva and Goddess Parvati.

Sardar Samand Lake And Palace : Sardar Samand Lake Palace is a magnificent hunting lodge built by Maharaja Umaid Singh in 1933 on the banks of Sardar Samand Lake. It remains a favorite of the royal family and contains an extensive collection of African trophies and original watercolor paintings. The lake attracts a number of migratory and local birds such as the Yellow-footed Green Pigeon, the Himalayan Griffon and the Dalmatian pelican, making it a bird watcher's paradise.

Masuria Hills: Masuria Garden is one of the three most beautiful and famous gardens in Rajasthan. Located on the Masuria Hill in the center of Jodhpur, it is popular with

devotees for its centuries-old temple dedicated to the local deity Baba Ramdev.

Lake Kailana : A small artificial lake on the Jaisalmer Road is an ideal picnic spot. It is like a canvas with romantic colors. The beauty of the lake stays with you long after you've been there.

Machiya Safari Park : The Park is on the way to Jaisalmer and is about 1 km from Kailana Lake. It provides a bird-watching point for visitors and is also home to animals such as deer, mackerel foxes, monitor lizards, green oxen, hares, feral cats, mongooses, and monkeys.

Somnath Temple : Somnath temple is known for its historical background and carvings. Built in 1920 by his king Kumarpal Solanki of Gujarat, it has several small temples of other gods and goddesses.

Balsamand Lake : Balsamand Lake is located about 5 km from Jodhpur along the Jodhpur to Mandore road. Built in 1159 AD, it was planned as a reservoir for Mandor. Balsamand Lake Palace was built later as a summer palace on the shores of the lake. It is surrounded by lush gardens with mango, papaya, pomegranate, guava and plum trees. Animals and birds such as jackals and peacocks also live here. This lake has become a popular picnic spot.

Guda Village : Guda village is a Bishnoi village, is a habitat of a vivid range of exotic wildlife and nature. It is a home for a number of migratory birds in the area. One can often spot the Demoiselle crane dancing and jumping at the lake. Antelopes and black bucks can also be spotted by the pond. This place is a must visit for nature lovers.

Chokhelao Bagh And Interpretation Centre: Chokhelao Bagh, located at the foot of Mehrangarh Fort. More than 200 years old, this garden has the scents, sounds and textures of an 18th century Marwar garden, and has been renovated by the Mehrangarh Museum Trust as a botanical museum, planted with stunning indigenous and historic plants, and has Plants from the area are on display.

Importance Of Tourism : Tourism is one of the most skill-driven economic activities. The effect of tourism industry on a host country is huge. It impacts the socio-economic, politics and culture of a host country. For a developing country, tourism industry is particularly useful in earning valuable foreign exchange, which is crucial for economic growth. Tourism sector can improve the economic development process of a developing country and thus help a country to grow. This is the power of tourism industry. The US Chamber of Commerce says there are three ways to bring money and business to a new location. These are - Agricultural Development, Industrial development and Tourism development. The last one tourism development is probably the quickest and the least difficult method out of three.

Both the global economy and the economies of many nations depend heavily on tourism. There are other facets to tourism, and travelers have a range of reasons for going, including:

- i. Leisure, recreation, holidays
- ii. Visiting friends and relatives
- iii. Business and professional
- iv. Health treatment
- v. Religion pilgrimages
- vi. Overnighters

Importance of Tourism are:

A. For Jodhpur Division: Perhaps the most cited reason in reference to the importance of tourism is its economic value. Tourism can help economies to bring in money in a number of different ways. Few points are explained below:

1. Contribution to government revenues: The money raised and added to government coffers underscores the importance of tourism. Tourism can help the government raise revenue, which can then be re-invested in other areas. There are two basic ways to obtain this money: fees on revenue from tourism employment and businesses, as well as departure fees, generate direct contributions. Indirect contributions come from tourist goods and services that are directly related to the tourism industry. Income is also obtained through induced contributions. This accounts for the money spent by those in the tourism industry. This could involve, among other things, expenses for lodging, food, clothing, and recreational activities. All of this will lead to an increase in economic activity in the tourism-development region.

2. Increase the employment opportunity: For many years, tourism has been a big job producer. Because the industry is so diversified, jobs including as tour operators, hotel employees, and trip guides are available. In every region, one of the most obvious benefits of tourism is job creation. Tourism also creates a significant number of new jobs, as locals start their own businesses and hire locally. Secondary benefits are less obvious, but local production increases, for example, profit from greater demand for what they grow or sell. There are two types of occupations in the tourism industry: direct and indirect. Direct employment includes jobs directly tied to tourism, such as hotel employees and taxi drivers.

3. Foreign exchange earnings: Foreign exchange earnings reflect the value of tourism as well. Tourism spending generates revenue for the host economy. Tourism is a significant source of foreign exchange earnings. Increased foreign exchange enhances visitors' willingness to travel abroad, increases their spending, and lengthens their stay, and vice versa. This loop has a significant economic impact.

4. Infrastructure: Tourism fosters infrastructure development that benefits the host. Health-care facilities, hotels, restaurants, transportation, connections, and roads, among other factors, can boost tourist stays and stimulate tourism. The growth and improvement of local infrastructure is one of the most significant benefits of tourism.

5. Goodwill: Jodhpur division has a lot of visiting areas including historical places, heritages, natural places etc.

due to which goodwill of this region is enhanced, and both national and international tourist come to visit these areas.

B. For Society

1. Enhanced quality of life: A vacation can significantly improve a person's quality of life. They get an escape from their normal lives, which improves their overall quality of life. While various people have very diverse opinions about what constitutes a good holiday, a vacation does have the ability to improve quality of life.

2. Ability to broaden way of thinking: Travel is known to help broaden a person's way of thinking. Travel introduces you to new experiences, new cultures, and new ways of life. You enter in another moral and mental state. You learn new things; you learn new ways of living life. Many people claim that they find themselves while travelling.

3. Educational Value: Tourism's significance can be traced to the educational value that it delivers. Travelers and tourists can learn a variety of things while on a tourist excursion, from sampling authentic local cuisine to learning about unusual animals that they may see.

4. Ability to escape: Tourism allows people to escape reality. Escapism can be beneficial to one's mental health. It can help you relax, which in turn can help you be more effective at work and in your daily life.

5. Rest and Relaxation: Taking time for yourself helps you to be a happier and healthier person. A short break from work can do a lot for your personal life as well as professional life.

6. Enhanced well-being: Having the opportunity for rest and relaxation in turn helps you to enhance well-being. When you rest and relax, your body gets healthy. For example: when you are always working, this might affect your health but with the help of tourism your mind and body relaxes and enhances your well being

Other benefits:

Foreign Exchange Earner: Whether you are a developed country or a developing country, you need foreign exchange. A country sells goods to earn the foreign exchange it needs. Tourism helps Jodhpur to earn this valuable foreign exchange without selling any goods or services. (This is why we call it invisible export).

Employment generation: Tourism is a labour-intensive industry that is providing jobs for both skilled and unskilled labour in Jodhpur division.

Infrastructural Development: The development of tourism means the development and improvement of infrastructure in that region. The benefits of investments made for tourism will be passed on to the other economic sectors. Government has incurred expenditure on the development of better roads, better water supply, better banking, etc. for the benefit of the tourist, which has resulted in benefit of other industries as well as the local population of Jodhpur division

Industrial Development: The development of the tourism industry in Jodhpur division has lead to the development of

many other related industries. These industries are those businesses that solely or mostly rely on tourists for their operations, such as hotels, travel agencies, tour operators, etc.

Preservation of culture: The cultural and heritage of the place that a tourist visit is one of the main reasons why a tourist visits that place. Therefore, the development of tourism is synonymous with the development of culture and heritage.

Conclusion: Tourism in Jodhpur division offer many unique products such as forts and palaces, heritage hotels, colorful fairs and festivals, local art and handicrafts. The total number of tourist arrivals in the division has increased. It showed an increasing trend except few years during the study period. No doubt tourism industry in Jodhpur division suffers some social and environmental problems. Though it is true that the local as well as the state government is giving concentration both on the development of the tourism and activities related to tourism industry in Jodhpur division.

References:-

1. Sudhir (1992) in his study on 'Tourism Problems and Prospects in Kerala', highlights the importance of tourism in Kerala.
2. According to Batra and Chawla's (1994) book, "Tourism Management - in a Global Perspective", Eco-tourism is regarded as a viable tool, a means of gaining a measure of economic benefit through a tourism route.
3. According to Vijay Kumar (1995), "The meaning of Eco Tourism, the joy of the gift of nature as well as understanding the culture and history of the atmosphere". His research has suggested various approaches to protect the local culture from degradation.
4. According to Anil Reddy (2000) letter, eco-tourism is a completely new approach to tourism. They only visit natural areas to learn about the environment's cultural and natural history.
5. According to Santosh Thampi (2001), development in ecologically rich areas has gained prominence as a reconciliation and conservation strategy. He explains that tourism consists of many interconnected components that should be present in today's tourism industry
6. Kandari and Ashish Chandra (2003) in their book "Tourism, Biodiversity Sustainable Development" explained the need for cooperation and partnership among local governments and the tourism industry is central to defining 'Eco-Tourism' and the reality of it being the fastest growing sector of the tourism industry.
7. Rao (2005), following an examination of the relationship between tourism and foreign exchange, it was determined that tourism is a source of revenue and the most important (IJEER), Volume 5, Issue 4, PP 9- 22.

Cotton Cultivation in Rajasthan: A Geographical Assessment

Dr. Shyo Chand Bakolia*

***Guest Faculty (Vidya Sambal Yojna) (Geography) Govt. College, Vallabh Nagar, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Food, clothing and shelter are considered to be the basic needs of human life. In which clothes are supplied from cotton after food. That's why cotton crop has an important role in human life. The edible oil is also obtained by the cotton cultivation through its seeds. Along with fulfilling the need of human clothes, it also provides employment to lakhs of people. It is also a medium of employment for the people engaged in cotton producing areas to textile manufacturing and marketing. India is an important cotton producing region of the world. India ranks first in the world sown area and cotton production. India is an important cotton producing region of the world. India ranks first in the world sown area and cotton production. Cotton is produced in different parts of the country. Rajasthan is also an important cotton producing state of the country, in which cotton is cultivated in different parts. The major objective is paper to represent the temporal and spatial analysis of cotton cultivation the Rajasthan. This paper is based on secondary sources of data collection from govt. sources. In the present paper, the area sown under cotton crop, production and productivity in the state has been analyzed on the basis of data of last 20 years through the statistics.

Keywords: Agriculture, Cotton, Cultivation, Productivity, Spatio-temporal.

Introduction - Cotton is one of the most important commercial crops cultivated in India and accounts for around one fourth of the total global cotton production and keep first position in terms of area under cotton cultivation with 130.07 lakh hectares area under cotton cultivation i.e. around 41percent of world area of 315 lakh hectares during the 2020-21. India is having 1st place in the world with estimated production of 6.02 million metric tons during cotton season 2020-21 i.e., 25 percent of world cotton production of 24.32 million metric tons. In India, majority of the cotton production comes from ten major cotton growing states, which are grouped into three diverse agro-ecological zones, viz i) Northern Zone - Punjab, Haryana and Rajasthan, ii) Central Zone - Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh and iii) Southern Zone - Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamilnadu. It plays a major role in sustaining the livelihood of an estimated 6 million cotton farmers and 40-50 million people engaged in related activity such as cotton processing & trade. Due to its economic importance in India, it is also termed as “White-Gold”.

Study Area: Rajasthan, the largest state in India, spans 33 districts and covers a vast geographical area of 3,42,239 square kilometers. It lies between the latitudes of 23°03'N and 30°12'N and longitudes of 69°30'E and 78°17'E and located in the north western part of the country. The administrative divisions of Rajasthan are depicted in Figure-

1.About 60 percent of the state's territory is part of the Thar Desert.The Aravalli Mountain range extends from the north to the southwest part of the state, which is about 550 km long in the state.The state's terrain has evolved over time due to prolonged denudation and erosion, leading to a well-defined topography.



Fig. 1

Rajasthan has three climatic seasons (i) Hot Weather (March–June) with extreme heat, especially in desert areas; (ii) Monsoon (June–September) bringing rainfall from the southwest monsoon, offering relief; and (iii) Cold Weather

(October–February) with cooler temperatures and occasional fog, making it the most pleasant season of the year. The Aravalli Hill Ranges serve as the primary watershed of Rajasthan. The Luni River is the only river that flows west of the Aravallis, while the remaining western region—comprising nearly 60% of the state's total area has an internal drainage system. In western Rajasthan, the drainage pattern directs water flow towards the west and southwest, whereas, in the region east of the Aravallis, the main drainage flows northeastward. As per the 2011 Census, Rajasthan's population was 68.6 million, with a 21.3% decadal growth rate. The literacy rate was 66.1% (79.2% males, 52.1% females), and the gender ratio stood at 928 females per 1,000 males. About 75.1% of the population lived in rural areas, while SC and ST communities made up 17.8% and 13.5%, respectively.

Objectives and Methodology: In this study an effort was made to analyze the productivity variation in Cotton over time and space in the state. The specific objectives designed for this investigation are as to find out the temporal changes in Cotton productivity in state of Rajasthan and to present the spatial distribution of Cotton in Rajasthan. The presented research paper is completely based on the data obtained from secondary sources. The secondary data required to fulfill the set research objectives has been collected from the website of the Ministry of Agriculture, Government of India. Along with this, the data related to cotton crop at the District level Cotton statistics (area, production and yields) in Rajasthan has been compiled from the Directorate of Economic and Statistics, Rajasthan for the period 2001-02 to 2020-21 (twenty years). The period of analysis was divided into four period viz., 2001-02 to 2005-06, 2006-07 to 2010-11, 2011-12 to 2015-16 and 2016-17 to 2020-21. The information has been analyzed through various statistical methods which are as follows.

Instability Analysis: In order to study the variation in productivity of crop, the co-efficient of variation (CV) was computed. For the find out the temporal variation in Cotton productivity in Rajasthan the instability test has been applied. It is calculated by twenty years (1996-97 to 2015-16) value of Cotton Yield Rajasthan.

Coefficient of Variation (cv) = $\frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$

Compound Annual Growth Rate (CAGR): In order to, analyze the growth in productivity compound Annual growth rate of were worked out by fitting exponential function as given below:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{(1 / \# \text{ of years})} - 1$$

Cotton Cultivation: Cotton is cultivated in different parts of the country. During the year 2020-21, cotton was sown in a total area of 14083.34 thousand hectares in the country, which produced 3316.56 thousand bales. The average productivity of cotton in the country was recorded at 451 kg per hectare. The state Maharashtra, Telangana, Gujarat,

Karnataka and Rajasthan are among the major cotton producing states in the country. The state Maharashtra ranks first in terms of area sown and productivity under cotton crop. With 6.08 per cent (807.84 thousand hectares) of the total sown area under cotton crop in the country, Rajasthan ranks fifth after Maharashtra, Telangana, Gujarat and Karnataka. Similarly, during the year 2020-21, out of the total production of the country, 3207.59 thousand bales were produced in Rajasthan, which is 9.10 percent of the total production of the country. In terms of cotton production, Rajasthan ranks fourth after Maharashtra, Gujarat and Telangana. The state Rajasthan is the leading state in the productivity of cotton crop. The productivity of cotton here is higher than the national average of 675 kg per hectare, which is third position after Kerala and Punjab.

Irregular changes in the area sown under cotton crop in Rajasthan have been prevalent. In the state cotton is cultivated through irrigation. An overview of the data on area sown under cotton crop in Rajasthan shows that the last two decades have seen considerable instability.

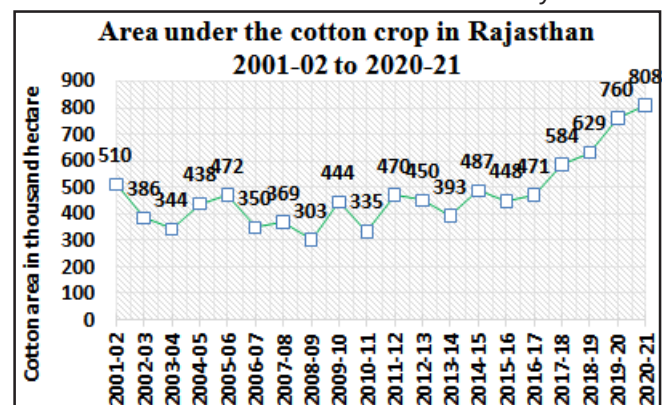


Fig. 2

It is clear from the observation of the diagram that there has been no stability in the area of cotton crop in Rajasthan. Looking at the figures of the last 20 years, during the year 2001-02, cotton was cultivated in 510 thousand hectares in the state, which decreased to 303 thousand hectares by the year 2008-09. There were ups and downs every year during this period as well. After 2008-09, the trend was the same again till 2015-16, in which even the initial data could not be reached. During the year 2015-16, cotton was cultivated in 448 thousand hectare area, which has registered a progressive increase till 2020-21. In 2016-17, cotton was cultivated in 471 thousand hectares. In the year 2017-18, for the first time after 16 years, cotton was cultivated in 584 thousand hectares, crossing the initial figure. Similarly, cotton was cultivated in 629 thousand hectares in the year 2018-19, 760 thousand hectares in 2019-20 and a maximum of 808 thousand hectares during 2020-21. In the last two decades, the area under cotton crop has registered a progressive increase since 2015-16.

Productivity of cotton: Productivity refers to the production per hectare. Agricultural productivity is a measure of

agricultural efficiency. The assessment of agricultural productivity or crop productivity or agricultural potential is basically related to the production per hectare, which is the result of the relationships and interrelationships of all physical and human factors. Here the productivity of cotton crop refers to the production per hectare. The data on productivity of cotton crop in Rajasthan is shown in the diagram.

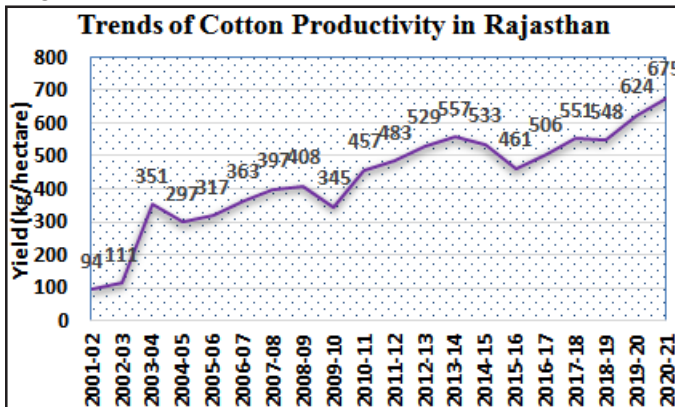


Fig. 3

In Rajasthan, just as there has been a timely change in the area sown of cotton crop, similarly there is a lack of stability in productivity. It is clear from the perusal of the data shown in the diagram that the productivity of cotton in the state in the year 2001-02 was only 94 kg per hectare, which was very low. In 2003-04, it increased to 111 kg per hectare, but the next year in 2003-04, it jumped significantly to 351 kg per hectare. By 2008-09, it had increased to 408 kg per hectare with normal fluctuations. Negative growth was registered in 2009-10 and 2015-16. Apart from these two years, it has registered a gradual increase. In the current 2020-21, it has increased to 675 kg per hectare, which is the highest ever and higher than the national average. The five years analysis of productivity of cotton in the state is done in the table.

Table: 1 Cotton Productivity in Rajasthan over last two decade(2001-02 to 2020-21)

Statistics	2001-02 to 2005-06	2006-07 to 2010-11	2011-12 to 2015-16	2016-17 to 2020-21	Over all Period
Mean	234	394	512	581	430
Minimum	94	345	461	506	94
Maximum	351	457	557	675	675
Standard Deviation (SD)	121.82	43.14	39.40	67.63	151.71
Co-efficient of Variation (%)	52.06	10.95	7.69	11.65	35.26
Compound Annual Growth Rate % (CAGR)	35.71	5.90	-1.17	7.47	10.93

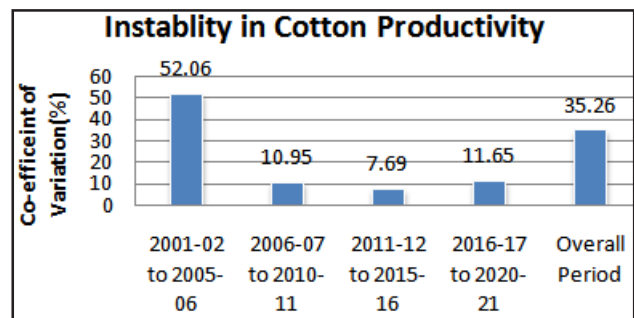


Fig. 3

It is clear from the observation of the table that during the first five year period (2001-02 to 2005-06), the average productivity was recorded at 234 kg per hectare, the minimum productivity was 94 kg per hectare and the maximum productivity was recorded at 351 kg per hectare. The standard deviation of productivity during this five-year period was recorded at 121.82 while the variance coefficient was found to be 52.06 per cent. During the second five year period (2006-07 to 2010-11), the average productivity was recorded at 394 kg per hectare, the minimum productivity was recorded at 345 kg per hectare and the maximum productivity was 457 kg per hectare. The standard deviation of productivity during this five-year period was recorded at 43.14 while the variance coefficient was found to be 10.95 per cent. Similarly, during the third five year period (2011-12 to 2015-16), the average productivity was recorded at 516 kg per hectare, the minimum productivity was recorded at 461 kg per hectare and the maximum productivity was recorded at 557 kg per hectare. The standard deviation of productivity during this five-year period was recorded at 39.40 while the variance coefficient was found to be 7.69 per cent. During the fourth five-year period (2016-17 to 2020-21), the average productivity was recorded at 581 kg per hectare, the minimum productivity was recorded at 506 kg per hectare and the maximum productivity was recorded at 675 kg per hectare.

The standard deviation of productivity during this five-year period was recorded at 67.63 while the variance coefficient was found to be 11.65 per cent. Similarly, the average productivity was recorded at 430 kg per hectare, the minimum productivity at 94 kg per hectare and the maximum productivity at 675 kg per hectare. The standard deviation of productivity during this 20-year period was recorded at 151.71 while the variance coefficient was found to be 35.26 per cent. It is clear from the analysis that low productivity was recorded during the first period and maximum productivity in the last period. The diagram shows the volatility in the productivity of cotton through the variance coefficient. It is clear from the observation of the diagram that during the first period 2001-02 to 2005-06, the value of the variance coefficient was found to be 52.06, which is comparatively higher, i.e., the highest volatility in productivity was found during this period. During 2011-12 to 2015-16,

the value of variance coefficient was found to be 7.69, which is comparatively lower than all other periods, which shows that productivity has been found to be the most stable during this period.

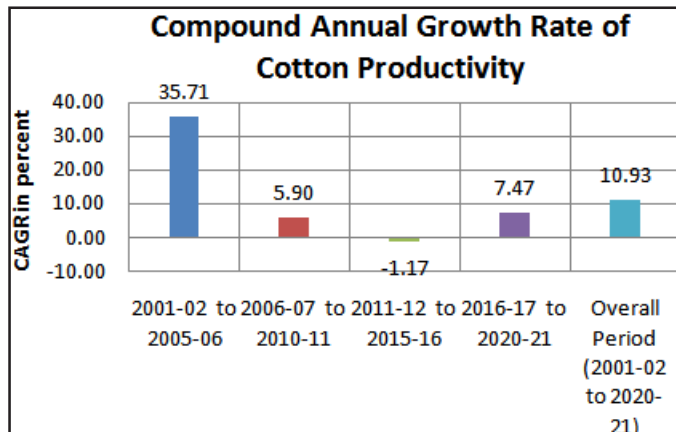


Fig. 4

It could be observed that growth in productivity not constant. If we look at the figures of CAGR of cotton productivity in the state, it was the highest in the first period (2001-02 to 2005-06), which was recorded at 35.71 percent. In the second period (2006-07 to 2010-11), it reduced to 5.90 percent. For the third consecutive period (2011-12 to 2015-16) also, it decreased to negative, which was -1.17 percent. The CAGR of productivity increased to 7.47 percent during the next five-year period (2016-17 to 2020-21). If we look at the overall period of 20 years (2001-02 to 2020-21) in a consolidated manner, it was 10.93 percent. In this way, in the Compound Annual Growth Rate (CAGR) of productivity of cotton crop, along with inequality, fluctuations can also be seen in different periods.

Spatial distribution of cotton cultivation in Rajasthan

Cotton is cultivated in different parts of the state. Cotton is cultivated in the state with the help of irrigation. The northern part of Rajasthan which has the highest development of canal irrigation system. Sriganganagar and Hanumangarh districts are included in the northern part of Rajasthan, in which irrigation facility is available through Gang Canal, Indira Gandhi Canal and Bhakhra Canal System. More than half of the total cotton area of Rajasthan is in this region. The distribution of major cotton producing districts under spatial distribution of cotton crop in Rajasthan is shown in the table.

Table 2 : Major cotton producing districts of Rajasthan 2020-21

S.	District	Area in hectare	percentage of state's total		Product -ivity kg/ hectare
			Area	production	
1	Hanumangarh	230,948	28.59	27.75	655
2	Sriganganagar	218,605	27.06	35.49	885
3	Alwar	63,197	7.82	6.02	519
4	Jodhpur	63,124	7.81	7.45	643
5	Nagaur	57,519	7.12	4.26	404

6	Bhilwara	44,759	5.54	5.08	619
7	Bikaner	31,019	3.84	2.97	522
8	Pali	18,782	2.32	2.49	722
9	Jhunjhunu	17,321	2.14	0.99	312
10	Ajmer	16,838	2.08	2.50	808
11	Banswara	10,546	1.31	1.75	904

Sources: Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan.

It is clear from the observation of the table that the major cotton producing districts of Rajasthan are Hanumangarh, Sriganganagar, Alwar, Jodhpur, Nagaur, Bhilwara, Bikaner, Pali, Jhunjhunu, Ajmer and Banswara. In the state, Hanumangarh district holds the first place in terms of area sown for cotton crop and second in terms of production, while Sriganganagar district ranks second in terms of area and first in terms of production. During the year 2020-21, cotton crop was sown in a total area of 230,948 hectares in Hanumangarh district, which is 28.59 percent of the total sown area of the state, in which 27.75 percent of the state's cotton production was produced with a productivity of 655 kg per hectare. Similarly, cotton crop was sown in 218,605 hectare area in Sriganganagar district, which is 27.06 percent of the total cotton area of the state, with the highest production of cotton in the state with a yield of 885 kg per hectare. In terms of productivity, the highest productivity in the state was recorded in Banswara district, which is 904 kg per hectare, while Sriganganagar district is second in terms of productivity.

If the area under cotton crop in Rajasthan is increased along with increasing productivity, then the state can be among the leading states in the production of cotton crop. The production of cotton crop can be increased by increasing productivity in the districts of Rajasthan where the area of cotton is high and by spreading the area in the districts where productivity is high.

Conclusion: In conclusion, it can be said that in the last two decades, there has been a lot of progress in the cultivation of cotton in Rajasthan. After the year 2015-16, there has been a gradual increase in the area under cotton in the state. Similarly, the productivity of cotton has also increased in the state. Through increasing the productivity of cotton in the state, the production of this crop can be increased, although the productivity here is still higher than the national average. Sriganganagar and Hanumangarh, the two districts located in the northern part of the state, account for 55 per cent of the sown area and 63 per cent production of the state's cotton. Due to the availability of canal irrigation facilities in these districts, cotton cultivation has been concentrated here.

References:-

1. Chand, Shyo. (2016) Spatio temporal analysis of cotton cultivation in Sriganganagar and Hanumangarh Districts, Unpublished thesis, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan.

2. Reddy, A.R. (2013) Cotton Productivity Variations in India: An Assessment .Cotton research Journal, Vol . 5 (2)
3. Panwar, S. and Dimri, A.K. (2018). Trend Analysis of Production and Productivity of Major Crops and its Sustainability: A Case Study of Haryana, Indian Journal Agricultural Research, 52(5), 571-575.
4. World: ICAC Journal 'Cotton This Month' – February 1, 2022, India: COCPC
5. Agricultural Statistics (2020-21) Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan, Jaipur.
6. Directorate of Cotton Development, Ministry of Agriculture. 2009. Report of Directorate of Cotton Development on Revolution in Indian Cotton. Retrieved from website http://www.ncipm.org.in/NCIPMPDFs/Revolution_in_Indian_Cotton.pdf
7. Narala, A. and Reddy, A.R. 2011. November. Analysis of Growth and Instability of Cotton Production in India. Paper presented at the World Cotton Research Conference on Technologies for Prosperity. Retrieved from website https://www.icac.org/wpcontent/uploads/2012/03/wcrc5_proceedings_part8.pdf. https://aps.dac.gov.in/APY/Public_Report1.aspx, <https://cicr.org.in/resources/resource-datasets/>

A Study on the Effect of Working Capital Management on the Profitability of Rice Mills of Fazilka District of Punjab

Nitin Babbar* Dr. Manjila Singla**

*Research Scholar (Commerce & Management) Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor (Commerce & Management) Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The purpose of this study is to see the impact of working capital management on the profitability of rice mills of Punjab. The study followed explanatory research using five years' data, from 2017-2022, from a sample of 5 rice mills of Fazilka district in Punjab. The study uses convenience method of sampling. All the information is collected from the sample unit in the form of quantitative and qualitative information which is useful for the research and also information is collected from experts related to this field. The quantitative information is collected from different rating agency e.g., CARE rating limited, Brickwork rating, ICRA Ltd. Etc. The result of the study suggests that working capital management have significant impact on the profitability of rice mills.

Introduction - To start a business, capital is needed. There are two types of capital: - 1. Fixed capital; 2. Working capital. Fixed Capital is the capital which is required at the starting of a business for e.g., land and building, plant and machinery, furniture and fixtures etc. The management of fixed capital require huge investment. The major focus of every businessman is to make optimum investment in fixed assets. Capital Budgeting and cost of capital of assets are considered for investment in fixed assets.

Working Capital is the capital which is required for financing day-to-day expenses of the business. The main components of Working Capital are stock, debtors, cash and bank etc. the capital has major impact on liquidity and profitability of the business. But still this capital is often taken as granted and major decisions are focused on investment in fixed assets. But as different studies conducted on the topic, it was found out that Working Capital Management is one of the crucial decisions and it significantly impact the profitability of business.

Working Capital refers to current assets over and above current liabilities (CA-CL). It has two major concepts: - Gross Working Capital and Net Working Capital. Gross working capital concept shows the total of current asset and net working capital shows the current asset minus current liabilities. Net working capital is considered as working capital. The requirement of working capital depends upon the operating cycle of the business. Operating Cycle of a business shows the days required to receive an inventory, sell the inventory and collect cash from the sale of inventory. Gross operating cycle include the Raw Material conversion period. Work-in-progress conversion period, finished goods conversion period, debtor's conversion

period And Net operating cycle is gross operating cycle minus creditors conversion period. Net operating cycle shows the number of days taken to convert raw material into cash and number of days required will further decide the amount of working capital required for a business. If a business has large operating cycle, then more working capital required. On the other hand, if small period of operating cycle, then less working capital required.

The working capital plays a significant role in the profitability of the business. If a business manages its working capital properly, then it improves the profitability of the business. On the other hand, if it is not properly managed then it effects the profitability. In Rice Mills Also Working Capital plays a significant role.

Rice mills simply means converting paddy into rice. Rice is the prime source of energy for most of the people so it requires high production of rice in the world. Rice contains most of the essential nutrients required in the body like folic acid, vitamin B, potassium, magnesium, fibre, iron, and zinc. As part of our diet, it is considered a carbohydrate. 100g of rice contain 80g of carbohydrates, 7.13g of protein, 11.61g of water and 0.66g of fat.

To form a policy related to Working Capital managements, the study of working capital determinants is needed to decide more of current assets needed and less of current liability or vice versa. The various determinants of Working Capital Management are operating cycle, credit policy, production policy, nature of business, size of business etc. There are also external factors which effect the management of working capital which includes availability of raw material, government rules and regulation, tax rates, technological changes, price level changes etc.

Literature Review

There are many studies available which have examined the impact of working capital management on firm profitability. Some of these are covered in this review of literature. Some studies show negative relationship of working capital cycle on profitability while other show positive effect. A good working capital management practice requires the planning and controlling of current assets and current liabilities used by a firm. Shin and Sonen 1998; Deloof 2003; Rehman, 2006; Azhar and Noriza 2010; Chatterjee 2012 found negative relationship between profitability and number of days of accounts receivable, inventory etc which can be improved by reducing the number of days of accounts receivable and inventory etc while the negative relationship between accounts payables and profitability suggests delay the payment for less profitable firms. Rehman (2006) also found negative relation between profitability and working capital variables suggesting that firm should reduce their cash conversion cycle to optimum level in order to improve their profitability. While Rehman and Nasr (2007) found negative relation between working capital and profitability but positive relation between profitability and size of firm. Vishanani and Shah (2007) found no significant relationship between firm profitability and working capital management. Though several firms show positive relation between liquidity and profitability. The most studies show negative impact of working capital components on profitability while taking size as control factor it can also show positive relation. For sound working capital management firm has to take two fundamental decisions

1. The type of current assets and their optimum amount required in the firm to carry business.
2. sources of finance i.e., appropriate mixing of short term and long-term finance to support investment in business.

If the working capital requirement is not properly determined it leads to inefficiency in the organisation. If the working capital is less than required, the firm will lose a lot of profitable investment opportunities and may suffer from short term liquidity which will further degrade the firm image and credibility. On the other hand, if firm working capital is more than required it leads to ideal funds which can be invested elsewhere to take benefit i.e., in short term investments. So, optimum level of working capital is required in the organisation which is neither inadequate nor excessive.

Methodology:- The various research methods and strategies that will be implemented in conducting the research are: -

Research Design:- In the research design, we use the quantitative approach to analyse the collected data. We use both form of data which is primary data and secondary data. Primary data is collected in the form of questionnaire schedule method and secondary data collected from

national/international journal, newspapers, web-sites and expert in the particular field. All the relevant data collected from this particular area point of view and it has great impact on this particular area.

Research Sample Selection:- The data used in this research are collected from the rice mills operated in the Fazilka district of Punjab. More than 100 of rice mills operating in this particular area. So, the census method is not possible and does not solve the particular problem because some of the firms do not want to share the working of the mill and its business information. So, we use non-probabilistic sampling specifically purposive sampling rather than taking the whole thing to come into conclusion.

Purposive Sampling:- Purposive sampling shows the group of different non-probability sampling techniques. The aim of purposive sampling techniques is to achieve a homogeneous sample. A sample whose unit (i.e., people, organisation, event and pieces of data) share the same features/characteristics or traits (i.e., a group of people that are similar in terms of age, gender, background and occupation etc.). A homogeneous sample is select when the research question that is being address is specific to the characteristics of the particular group of interest, which is subsequently examined in detail.

The first criterion that was used to select sample units to be included in the study is the researcher conducted restriction criterion to arrive at defining the study population. The study considers manufacturing sector rice mills of Fazilka district of Punjab. The sample consider mills of this particular region only that are engaged in manufacturing of rice. This restriction has made in an attempt to avoid bias that may result from, manufacturing organisation i.e., since firms operating in different manufacturing group of economy have different decision criteria in selecting source of funds needed for executing investment opportunities and different working capital requirements. In order to alleviate this problem, the researcher limits the study population only to those mills engaged in rice mills / industry.

Secondly, the data for the study period is collected in the form of questionnaire (primary data) and in the form of different sites, web-pages, journal, newspaper (secondary data). As a result, continuity and homogeneity in the available data is a prerequisite for studying the trend of working capital formation in the rice mill. Hence those mills whose data was not available for the entire study period or whose financial years were not in uniform exclude from sample selection. Editing, classification, and tabulation of financial data collected from the above-mentioned sources have been done as per requirement of study. In certain cases, necessary adjustment was made to make uniform financial years for all the sample mills, particularly where the reported period was not a financial year. The researcher tried to make the sample representative of the population operating in Fazilka district of Punjab rice mills.

Rationale behind the selection of location:- firstly, the

choice of Fazilka was made because, Fazilka being the border area of Punjab & belt of manufacturing rice or paddy as raw material. Secondly, the rationale behind the choice of location was influenced by the researcher nearness to the selected sample as compared to conducting the research outside the Fazilka region.

Research instruments or data collection tools/

instruments: - To gather the basic and financial working capital information from the selected firms. This was necessary to obtain an accurate measure of the impact of the practices in the terms of liquidity and profitability as fill in questionnaire is not enough to measure this. So, we use some secondary data also to arrive at the accurate result.

Discussion: To collect data from the sample is important part in every research but the analysis of data provides the accurate and reliable result. In every research analysis, interpretation and presentation of data is more important. This study investigates the impact of working capital management which is measured by cash conversion cycle, inventory conversion period, account receivable period and account payable period.

- **Inventory Conversion Period:** - Inventory is the main component in rice mills. The availability of the rice (Paddy) is available only in a particular period and this material (Paddy) is needed for whole year. There are higher inventory balance and higher inventory period because All mills require sufficient amount of inventory level to avoid either the stock-out or the excess balance and They require raw material and work in progress for their production and finished goods for sale to customers which affect them to have higher inventory level and longer inventory period. On the other hand, the excess amount of stock provide loss to the mills and it withdraw the opportunities to invest these money in short term investment and block the money in bulky stocks. There is a higher need to use proper inventory control system to control the cost of material which is related to the storage cost and transportation cost. The particular area of Fazilka give benefit to save transportation cost to the mills operating in this particular region because area produce sufficient amount of paddy which help in to save the cost of transportation. In addition, rice mills require the efficient inventory management, procurement and production. Without this system, mills unable to manage their inventory effectively which result in higher inventory level and long inventory period.

- **Account receivable period:** - Account receivable period largely effects the mills profitability because if payment is not done timely then it effects the mills adversely as it increases the operating cycle period. The higher the operating cycle period the higher the need of cash requirement which will ultimately affect the profitability of the mills. The literature review of working capital indicates both positive and negative impact of account receivable on mills profitability but implication of the result is that increase and decrease of account receivable significant effect the

mills profitability. It means shorter the mills account receivable period, higher will be the profitability and vice versa.

- **Account payable period:** - The literature review on Account payable period shows both positive and negative relationship with the profitability. If mills receive any discount on early payment, then they pay its account payable on time because it improves the profitability of mills. on the other hand, if discount or any other benefit is not received then the pay period increases which is effective from profitability point of view because higher period of account payable give benefit to invest these funds in short term investment opportunities and increase the overall profit of mills.

- **Cash conversion cycle:** - Cash conversion cycle effects the profitability of the mills. if a mill has shorter cash conversion cycle, then it helps in to improve the profitability otherwise it effects the profitability of the mills. considering the components of cash conversion cycle (i.e., inventory period, account receivable period and account payable period) the negative result with cash conversion cycle points out that an increase in profitability is associated with a lower cash conversion cycle. If a mill has long cash conversion cycle, then it shows inefficient working capital management and lower the profitability because mill is not able to manage its resources effectively.

For instance, mills want to increase its profitability give more credit to the customers, it helps in to increase its profit and also helps in to increase the cash conversion cycle period but it adversely effects the mill profitability. On the other hand, more credit sale increases the risk of more bad debt and overall profit of mill decrease with more bad debts. So, policy of account receivable is more important for a mill to fix its cash conversion cycle shorter and increase its profitability. With regards to inventory period, timely fulfil the demand of customer is more important in every business. so, every mill wants sufficient units of stock in hand. The availability of paddy in rice mill is available only in particular time period and store raw material as per demand is important. For this purpose, a firm use demand function techniques and trend analysis chart to show the effective demand and manage the raw material according to this particular requirement. If there is any excess or shortfall in stock it adversely effects the cash conversion cycle period for this purpose, we need to manage sufficient units of stock in hand at the time of requirement. With regard to payable period, a firm select those suppliers which give more benefit to the mill i.e., more discount, more credit period etc. if a firm improve cash conversion period, then it will improve with the help of long credit period. A long-time credit period reduces its operating cycle period and show effectively use working capital management and it improve cash conversion cycle period. So, we can tell that if you want to improve your cash conversion cycle then you want to improve your inventory period, receivable period and

payable period also because its largely effect cash conversion cycle.

On the contrary, low profit mills have more effective working capital management with shorter conversion cycle period but it's not used their resource effectively and ignore the use of leverage and effective management policy. This might explain as their situations force them to be carefully with their liquidity. Then, inventory and account receivable are well managed. As far long account payable period, it might be because they delay their payment to suppliers.

Findings: There were found to be significant differences in profitability of rice mills in Fazilka district of Punjab. However, the difference is due to operating capacity of firms also. The other qualitative factor like management of mills also effects the profitability.

1. Kirpa Foods: Kirpa foods is a partnership firm engaged in milling and processing of basmati rice. It has an installed capacity of around 6 tonnes per hour.

- **Improvement in Conversion Cycle:** - The improvement is a result of sharp decline in days inventory to about 153 days on average from 281 days in FY 2017. The cash conversion cycle has improved to about 136 days on average as against 199 days in FY 2017.

- **Good Working Capital Management:** - Working capital position of KF is considered as good because there is no instance of over drawl of cash credit despite increase in sales from previous years.

- **Locational Advantage:** - Fazilka, Punjab is one of leading producers of rice in India. So, it is easy to procure paddy as it is available locally.

- **Liquidity:** - Working Capital utilisation varies month wise as per demand. The Demand is at peak in April-May and Dec-Jan is around 70 to 90 % and it ranges from 40 to 60% for the rest of the month. Liquid investment were nil and cash & bank balance were 0.10 crore on average.

- i. The average receivable cycle is at 12 days.
- ii. Average conversion cycle is at 155 days.
- iii. The Current ratio was moderate at about 1.55 times.
- iv. The company has weak debt protection metrics being ISCR 1.25 times and DSCR at 0.86 times.

The operating revenue and overall profit increases with improvement in working capital position.

2. Babber Agro Industry: The firm is engaged in the milling and processing of basmati rice. The production Facility is located at Fazilka, Punjab. The firm is currently operating at 2.5 tonnes capacity.

- **Liquidity Profile:** - The firm has no liquid investment and cash and bank balances stand at Rs 0.01Cr.

- i. The average receivable period increases due to longer contract period
- ii. There is imbalance in the payables and receivables period
- iii. The firm debt metrics stand as DSCR of 1.26times and ISCR at 1.26times
- iv. Current ratio stands at 1.92 times

Liquidity Profile of the company is moderate

- **Working Capital Management:** - The cash Conversion utilization stands for 98.61%. The firm is availing long term facility of cash credit and term loan. The working capital position is down falling.

- Cash conversion cycle also increased and reached at 236 days

The operating revenue and overall profitability decrease with change in working capital position.

3. Jai Bharat Rice Mills: JBM was established as a partnership firm in 1978. The firm is engaged in processing of paddy at its manufacturing facility located in Fazilka, Punjab.

- **Working Capital Intensive in Nature:** - The operations of the firm are working capital intensive in nature. It involves high average inventory holding. Being a seasonal product, the firm has to maintain adequate amount of raw material all time for smooth running of production process to convert paddy into rice to meet the immediate demand of customers.

- **Credit Period:** - The firm offers around one month of credit period to its customers due to high competition. Only few suppliers give on credit of around one month and Paddy is mainly procured on cash basis.

- **Stretched Liquidity Position:** - Due to elongated operating cycle position the cash received from customers after 164 days. Due to sound working capital position firm has increased its total operating income and overall profitability.

- i. Operating cycle position on an average 164 days.
- ii. Current ratio is around 1.35 times.
- iii. Quick ratio is around 0.26 times.
- iv. Cash and bank balances is 0.11 crore on average.

- **Location of the firm:** - The location of the firm is favourable as there is availability of easy raw material.

4. Sri Swami Chitrath Rice mills: It is established as a partnership firm in 2010. The firm processes and sells basmati rice. Its facility at Fazilka, Punjab has milling and sorting capacity of 4 tonne per hour each. The business has high tech processing plant and quality testing labs.

- **Working capital management:** - The key strength of Sri Swami Chitrath rice mill lies in the management of working capital efficiently which strengthen its credit profile.

- **Liquidity Profile:** -

- i. The firm has liquid investment of Rs. 0.33 crore and cash balances Rs. 0.04 crore.
- ii. The CC utilisation stands as 76-80%.
- iii. Cash conversion cycle is 109 days.
- iv. The firm is availing long term facility of cash credit.
- v. The firm is having higher receivable days due to a longer contract period.
- vi. The firm has DSCR of 1.27 times and ISCR of 1.26 times.
- vii. The current ratio of the company is stands at 1.43 times.

Liquidity profile of the firm is moderate with the nature of the business and there is an imbalance in the payable and receivables of the firm.

The operating profit increases with the proper management of the working capital in comparison to the previous years. The revenue stands at Rs.110.43 crore previously it was Rs. 83.02 crore.

5. Dhuria Rice mills: Dhuria rice mills was established in the year 1978 as a partnership firm. DRM is engaged in processing and trading of non-basmati rice in the domestic market and to exporters in India. The plant has milling capacity of 2 tonnes per hour of paddy. Head office and manufacturing plant of the company is located as Fazilka, Punjab.

● **Working Capital Management:** - The management of working capital is not proper and reflected by company's weak credit profile and working capital requirement is done out of substantial debt funding which increases high interest cost burden.

The company is highly leveraged on account of enhancement in the working capital borrowing of the firm.

This results into decline in profitability margins at the operating and net levels.

Conclusion: It is evident from the above study that working capital management has effects on the profitability of firms. Also, it shows positive relation between the size of the firm and working capital requirement. Larger the firm more the working capital requirement in the firm. This may be due to the fact the firms with larger volume of sales are motivated by liberal credit policy, and holding more inventory which would result in large sales volume. Also, from the above data we conclude that there is a positive and significant relationship between operating cycle (OC) and Working capital requirement (WCR), which implies that finance

managers can increase the level of investment in working capital if the firm's operating cycle is longer.

Limitations: The study has many limitations like any other studies. Since the study is conducted on rice mills of Fazilka district, so it covers niche area and inferences are made only from such firms. The study also lacks lots of official data. The primary data is collected from the process of interview and the information is given on confidential basis. The official data is also demanded from the income tax department but they refuse to send income statements and balance sheet of firms. So, the data is mostly collected from secondary source i.e. through newspapers, journals, and also from data published by few credit rating agencies.

References:-

1. Deloof, M. (2003). Does working capital management affect profitability of Belgian firms? *Journal of Business Finance and Accounting*, 30(3) & (4), 573-587
2. MengistuBogaleAyele, TesfaNegaTesema (2021). Determinants of Working Capital Requirement: Evidence from Manufacturing Companies in Ethiopia. *International Journal of financial management* 11(1) 2001, 25-40
3. Afza, T., & Nazir, M.S. (2007). It is better to be aggressive or conservative in managing working capital? *Journal of Quality and Technology Management*, 3(2).
4. Brigham, E. F., & Houston, J.F. (2006). *Fundamentals of Financial Management* (10th ed.). United states of America: Cram 101 incorporate
5. Mihir Dash (2019). Impact of Working Capital Management on Profitability Among Sugar Manufacturing Companies in India. *International Journal of Financial Management* 9(4) 2019, 16-30

भारतीय कृषि का बदलता स्वरूप: सिरसा जिले के विशेष सन्दर्भ में

प्रगट करवाँ * डॉ. श्यामसुन्दर वर्मा **

* पी.एच.डी. शोधार्थी (भूगोल) टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर (राज.) भारत

** शोध निर्देशक (भूगोल) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

परिचयात्मक शोध की भूमिका – भारतीय कृषि, जो पहले पूर्णतया पशुओं और मानव श्रम पर आधारित थी, आज अपना स्वरूप धीरे-धीरे ही सही, लेकिन प्रभावी रूप में बदल रही है। प्रस्तुत शोध कार्य में कृषि के बदलते स्वरूप जिसमें फसल उत्पादन, प्रकार, सिंचाई के बदलते तरीके और इस स्वरूप का प्रभाव, का अध्ययन हरियाणा के सिरसा जिले के परिप्रक्ष्य में किया गया है।

पुरातन समय में कृषि साधारण तौर तरीके से किया जाना स्वाभाविक था परन्तु जैसे-जैसे देश की आबादी तेज गति से बढ़ती गई, खाद्यान्न की जरूरतें भी बहुत बढ़ गई। अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर भारत को अपनी जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं को और पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले बदलाव की आवश्यकता खाद्य फसलों के विषय में हुई। भारत के कृषि सुधार के ये प्रयास हरित क्रांति के रूप में हमारे सामने फलीभूत हुए। हरित क्रांति में फसलोत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि ने देश के अनाज भण्डारों को तो भरा ही, इसके साथ-साथ किसानों की आर्थिक दशाओं पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डाला। विश्व ग्राम की अवधारणा और तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने देश को सीधे रोज इजाज हो रही नवीन कृषि तकनीकों, यंत्रों, उन्नत बीजों, नवीन फसलों और उनकी प्रजातियों से जोड़ दिया और कृषि का एक बिल्कुल नया स्वरूप हमारे सामने आया।

सरकार द्वारा समय-समय पर चलाई गई कृषि विकास योजनाओं के लागू होने से उन्नत और आधुनिक कृषि से सभी परिचित हो गए। इस नवीनीकरण के सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले देखने को मिले परन्तु उनके तुरन्त बाद नकारात्मक प्रभावों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। खेतों की सिंचाई के अवैज्ञानिक तौर तरीके, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग में बेहताशा वृद्धि तथा खेतों के विस्तारीकरण के लिए वनों की कटाई इत्यादि ऐसे काम हुए जो मृदा निम्नीकरण, जैविक विनाश, पूर्णतया उर्वरकों पर निर्भरता, एक मृदा आधारित कृषि के रूप में हमारे सामने आए। अतः आवश्यक है कि कृषि विकास में मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक वृद्धि भी अपेक्षित है।

सिरसा हरियाणा का एक जिला है जो इस सर्वाधिक पश्चिमी भाग में पड़ता है। इसकी सीमाएं पंजाब और राजस्थान से लगती हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 29°14' से लेकर 30° उत्तरी तक है वहीं इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह 74°29' से 75°18' एक फैला हुआ है। यह हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। यह चार तहसीलों सिरसा, ऐलनाबाद,

रानियां और डबवाली में विभाजित है। सिरसा का कुल क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। यहां का जन घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो हरियाणा के दूसरे हिस्सों को देखा जाए तो अत्यंत कम है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार सिरसा की कुल आबादी 1296297 है। इसका लिंगानुपात 897 है जो एक चिंता का विषय है। सिरसा जिला की जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थली प्रकार की है जो इसकी राजस्थान राज्य के नजदीक होने के कारण है जिसका अधिकांश भाग मरुस्थली है। क्षेत्र का अधिकांश भाग मैदानी है और सिंचाई की उचित व्यवस्था है नहरी पानी के साथ साथ ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई भी उन्नत अवस्था में है जो इसे कृषि में हरियाणा ही नहीं पूरे भारत अग्रणी जिलों में शामिल करती है। समय-समय पर कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का जिले के किसानों द्वारा खूब लाभ उठाया जाता है। साक्षरता की दर 60 प्रतिशत से ऊपर होने के कारण यहां के किसान जागरूक समझे जाते हैं। सिरसा जिला हरित क्रांति का लाभ उठाने वाले सबसे अग्रणी जिलों में से एक था लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी इसे झेलने पड़े। गिरता हुआ भूजल स्तर उन्हीं दुष्प्रभावों में से एक है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता समाप्ति और रसायनिक उर्वरकों पर आश्रिता भी उन में शामिल है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में कुछ बदलाव आवश्यक किए जाएं। यह बदलाव सिंचाई के तरीकों जैविक खाद के उपयोग फसल को अपनाकर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को सतत पोषणीय स्वरूप देकर किए जा सकते हैं। प्रस्तावित शोध कार्य में भी कृषि के इसी स्वरूप की पहचानने की कोशिश की गई है कि इस दिशा में कितनी दूरी तय कर ली गई है और कितनी बाकी है।

परिचयात्मक शोध के सोपान – सिरसा हरियाणा राज्य का पश्चिमी छोर पर बसा हुआ जिला है। जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि का अति महत्वपूर्ण स्थान है और अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों और उनसे जुड़े हुए कार्यों में लगी हुई है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कृषि प्रारूप में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, पहले जहां आधारभूत तरीकों से अपनी आवश्यकता अनुसार ही फसले बोई जाती थी जिनमें खाद्यान्नों का स्थान प्रमुख था वहीं आज उनका स्थान मुद्दादायनी फसलों ने ले लिया है। नई कृषि तकनीकों के माध्यम से फसलोत्पादन में भी वृद्धि महसूस की गई है।

परिचयात्मक शोध का महत्व – यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई है। कृषि के कृषि का जो स्वरूप एक समय उन्नत समझा जाता था आज उसमें भी बदलाव की जरूरत

महसूस होने लगी है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में हुए बदलाव को पहचान पाएंगे तो हम भविष्य के लिए कृषि योजनाओं की नहीं बल्कि इससे जुड़ी हुई दूसरी नीतियों और योजनाओं को बनाने में बहुत मदद मिलेगी। यदि हम यह जान सके कि भारतीय कृषि का रूप कितना बदल गया है और इसमें बदलाव की कितनी संभावना और बाकी है तो यह हमारे लिए कृषि क्षेत्र में होने वाले लाभों, आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्थितियों को भी निर्धारित करने में मदद कर सकता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक कृषि सुधार में विकास का मंच तैयार कर सकते हैं। मिट्टी की समाप्त होती उर्वरता गिरते हुए जलस्तर और पर्यावरण दुष्प्रभाव पर भी आघात किया जा सकता है एक स्तरीय शोध कार्य दूसरे शोधार्थियों का भी इस क्षेत्र में कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य:

1. क्षेत्र की कृषि और इसका ऐतिहासिक प्रारूप का अध्ययन किया गया है।
2. क्षेत्र की वर्तमान कृषि और भावी कृषि विकास की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है।
3. क्षेत्र के महान कृषि स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले रासायनों के मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया गया है।
4. क्षेत्र में संचालित की गई कृषि विकास योजनाओं का अध्ययन किया गया है।
5. क्षेत्र में प्रयुक्त सिंचाई की सुविधाओं और तकनीकों में बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की गई है।
6. क्षेत्र के कृषि प्रारूप में बदलाव की प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया गया है।
7. कृषि के विकासात्मक स्वरूप की ओर यात्रा में अवरोध कारणों की

खोज करना और उनके निवारण हेतु सुदृढ़ प्रयासों का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष – भारतीय कृषि स्वरूप और ऐतिहासिक स्वरूप आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कृषि हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की रीढ़ रही है, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार देती रही है। यहां कृषि पैटर्न और भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक रूपों के प्रमुख पहलू हैं। भारत के पास प्राचीन काल से चली आ रही एक समृद्ध कृषि विरासत है। जैविक खेती, फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ सदियों से प्रचलित हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में छत पर खेती और सिंधु घाटी सभ्यता के शुष्क क्षेत्रों में नहर सिंचाई प्रणाली जैसी तकनीकें भारत में कृषि प्रतिभा के ऐतिहासिक रूपों को प्रदर्शित करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सिंह एल. आर. (1976) न्यू पर्सपेक्टिवज इन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी।
2. सिंह बी.एन. (1984) एग्रीकल्चरल लैण्ड यूज न तहसील देवरिया ऑफ उत्तर प्रदेश।
3. सिंह श्रीनाथ (1976) मॉडनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल: ए केस स्टडी ऑफ उत्तरप्रदेश।
4. सिंह सुरेन्द्र (1994) एन एग्रीकल्चरल डवलपमेंट इन इण्डिया: ए रीजनल, एनेलिसिसविशाल पब्लिकेशन्स, कुरुक्षेत्र।
5. सिंह वी. आर. (1970) लैण्ड कैनेबिलिटी: ए मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन।
6. सिंह जे. (1974) एन एग्रीकल्चरल एटलस ऑफ हरियाणा।
7. सिंह जे. (1976) एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा।

फुटबॉल खेल का खिलाड़ी के कौशल और शारीरिक विकास में योगदान

डॉ. अनुराग बिस्सू* पुनम राम जाट**

* सहायक आचार्य (शारीरिक शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

** पी.एच.डी. शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावित शोध की भूमिका – फुटबॉल की फिटनेस मांग पिछले दस से पंद्रह वर्षों में नाटकीय रूप से बदल गई है क्योंकि खेल की प्रकृति बदल गई है। खेल की तीव्रता, जिसमें हर कीमत पर दौड़ने और खेलने पर जोर दिया गया है, ने खिलाड़ियों की शारीरिक कंडीशनिंग पर अधिक ध्यान देना आवश्यक बना दिया है।

फुटबॉल खिलाड़ी आज प्रति गेम 15 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं, पांच से तीस मीटर की दूरी पर कई छोटे उच्च तीव्रता वाले स्प्रिंट प्रयास कर सकते हैं। दौड़ने के अलावा, खिलाड़ी को किकिंग, मार्किंग, टैक्लिंग और जंपिंग जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ भी करनी चाहिए। ये क्रियाएँ और खेल की चल रही प्रकृति खिलाड़ियों को कई महत्वपूर्ण फिटनेस विशेषताओं को विकसित करने की मांग करती है। फुटबॉल में भाग लेने के लिए एक खिलाड़ी को फिटनेस के निम्नलिखित घटकों में से प्रत्येक में पर्याप्त स्तर तक पहुंचना चाहिए: गति, चपलता, फुर्ती, धीरज, शक्ति, लचीलापन और ताकत।

हालांकि, फिटनेस प्रत्येक खिलाड़ी के लिए विशिष्ट है और व्यक्ति को यह आकलन करना चाहिए कि क्या वे खेल की सामान्य मांगों और खेल की स्थिति की विशिष्ट मांगों को पूरा करते हैं। विभिन्न खेल स्थितियों की विशिष्ट मांगों के लिए आवश्यक है कि सफल प्रदर्शन के लिए इनमें से एक या अधिक फिटनेस घटकों को विकसित करने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, एक मिडफील्डर को एक सेट पीजीशन प्लेयर की तुलना में एक गेम में अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता होती है और इसके परिणामस्वरूप उसकी तैयारी में सहनशक्ति के लिए अधिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होती है। पश्चिमी देशों में फुटबॉल खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस आवश्यकताओं पर काफी मात्रा में शोध किए जाते हैं। व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया है कि सबसे अच्छी और सबसे खराब टीमों के बीच धीरज (अधिकतम 0.2 तेज, 13% अंतर) और लेग एक्स्टेंसर ताकत (1 – RM स्क्वाट, 22% अंतर) में महत्वपूर्ण अंतर है। नॉर्वेजियन अभिजात वर्ग विभाजन पाया गया, विस्लोफ एट अल। (1998)।

हालांकि, अर्नासन एट अल द्वारा पाया गया एकमात्र अंतर। (2004) अपने अध्ययन में डिवीजन के बीच टीम के औसत की तुलना करते हुए, यह था कि एलीट डिवीजन की टीमों पहले डिवीजन की तुलना में लंबी थीं। अर्नासन एट अल के अनुसार, यदि टीम के औसत के बजाय खिलाड़ियों के व्यक्तिगत

परीक्षण परिणामों की तुलना की जाती है, तो प्रथम श्रेणी की तुलना में कुलीन खिलाड़ियों के बीच शिखर 2 अपटेक भी 2.4% अधिक पाया गया।

शोधकर्ताओं ने बताया है कि विभिन्न खेल स्थितियों के बीच तुलना से पता चलता है कि गोलकीपरों में आउटफील्ड खिलाड़ियों की अलग-अलग विशेषताएँ थीं, इन खिलाड़ी समूहों के बीच आवश्यकताओं में अंतर का प्रतिबिम्ब। शोधकर्ताओं ने आगे कहा है कि डेविस एट अल के अनुसार। (1992), गोल कीपर्स के पास ओ2 का निचला शिखर होता है, जो दर्शाता है कि दौड़ने की क्षमता उनके लिए कम महत्वपूर्ण है और वे आउटफील्ड खिलाड़ियों की तुलना में लम्बे और भारी थे, और एक अधिक पैर विस्तार शक्ति प्रदर्शित करते थे। क्योंकि गोलकीपर के महत्वपूर्ण कार्य प्रतिक्रिया करना और तेज़ी से आगे बढ़ना, शॉट को बचाने या विक्षेपित करने के लिए कूदना या गोता लगाना और एक बड़ी परिधि को कवर करना है, शोधकर्ताओं ने भी कूदने की क्षमता के लिए अंतर खोजने की उम्मीद की। शोधकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने आउटफील्ड खिलाड़ियों, डिफेंडर, मिडफील्डर और स्ट्राइकर के तीन समूहों के बीच बहुत कम अंतर देखा था। डिफेंडर मिडफील्ड खिलाड़ियों की तुलना में काफी लम्बे थे, जिसे एक संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि आकार इस स्थिति में एक फायदा है – अपनी रक्षात्मक भूमिका में उच्च गेंदों तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए और शायद युगल से निपटने में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भी। उन्हें मिडफील्ड खिलाड़ियों और स्ट्राइकर या डिफेंडरों के बीच चरम 0.2 तेज में कोई अंतर नहीं मिला, जैसा कि पहले के अन्य शोधकर्ताओं द्वारा सुझाया गया है। अर्नासन एट अल, (2004) द्वारा विभिन्न खिलाड़ी स्थितियों में खिलाड़ियों के बीच शारीरिक फिटनेस में देखा गया छोटा अंतर शायद आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आधुनिक फुटबॉल में प्रत्येक आउटफील्ड खिलाड़ी टीम के समग्र खेल में एक बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए स्थितिगत अंतर पहले देखे गए की तुलना में कम हैं।

अंत में, गोलकीपरों के पास अन्य खिलाड़ी पदों से एक अलग किराया फिटनेस प्रोफाइल दिखाई दी, जबकि आउटफील्ड खिलाड़ियों के तीन समूह परीक्षणों में उनके प्रदर्शन में समान थे। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि शारीरिक फिटनेस परीक्षणों से टीम के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने की उनकी सीमित क्षमता बताती है कि अन्य कारक अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे खिलाड़ी तकनीक, टीम रणनीति, मनोवैज्ञानिक कारक या चोटें।

प्रस्तावित शोध के सोपान – फुटबॉल की शारीरिक मांग कई व्यक्तिगत खेलों की तुलना में अधिक जटिल है क्योंकि खिलाड़ियों को मैराथन धावक

और स्प्रिंटर्स दोनों की कुछ शारीरिक विशेषताओं की आवश्यकता होती है। फुटबॉल में, गति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; खेल की त्वरित गति एक टीम में प्रत्येक सदस्य द्वारा विशिष्ट आंदोलनों के तेजी से निष्पादन की मांग करती है। खिलाड़ियों की मांग प्रदर्शन के स्तर, स्थिति की भूमिका और एक टीम द्वारा शामिल खेल की शैली के आधार पर भिन्न होती है। एक मैच के दौरान सभी स्तरों पर खिलाड़ियों पर रखी गई विभिन्न मांगों में शामिल हैं, शॉर्ट स्प्रिंट, धीमी जॉगिंग, पैदल चलना, पीछे की ओर दौड़ना, बगल में और तिरछे दौड़ना, तेज और धीमा करना, कूदना, टैकल करना, लात मारना, दिशा बदलना, कब्जे के लिए लड़ना, ठीक होने की क्षमता तेजी से। नतीजतन, विभिन्न घटक जो एक खिलाड़ी की समग्र फिटनेस के साथ-साथ शरीर के भीतर उनकी ऊर्जा प्रणालियों को बनाते हैं (ऐसी प्रणालियां जो ऑक्सीजन के साथ या बिना ऊर्जा का उत्पादन करती हैं) को विभिन्न डिग्री के तनाव में डाल दिया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है ताकि उनका समुचित विकास हो सके।

प्रस्तावित शोध का महत्व:

1. सामान्य शब्दों में, फुटबॉल खिलाड़ियों की फिटनेस को अक्सर चार S's, अर्थात्, स्ट्रेथ से बने होने के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो कई फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रदर्शन और निष्पादन को बढ़ाता है। प्रत्येक कौशल जो एक खिलाड़ी को प्रतिरोध के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, वह ताकत के सुधार से लाभान्वित होगा।
2. गति, जो न केवल त्वरित स्प्रिंट के बारे में सभी गति का काम है, बल्कि अक्सर कुछ सेकंड से अधिक समय तक चलने वाले केंद्रित गहन मंत्र शामिल होते हैं, जैसे फुलबैक एक ओवरलैपिंग रन बनाते हैं, फिर रक्षात्मक स्थिति में आने के लिए वापस दौड़ते हैं।
3. सहनशक्ति, वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि फुटबॉल खिलाड़ियों में एरोबिक (ऑक्सीजन के साथ) धीरज बढ़ाने से खेल के दौरान तय की गई दूरी, काम की तीव्रता और गेंद के साथ शामिल स्प्रिंट और एपिसोड की संख्या को बढ़ाकर उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है।
4. कोमलता (या लचीलापन)। फुटबॉल खिलाड़ियों के लचीलेपन की आवश्यकताएं खिलाड़ी की स्थिति और भूमिका के आधार पर उसी तरह भिन्न होती हैं जैसे यह खेल के बीच भिन्न होती है। संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए सशक्त संकुचन को बनाए रखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। फिसलन वाली पिच पर खिलाड़ी के संतुलन को बनाए रखने और गेंद पर नियंत्रण में योगदान देने के लिए आइसोमेट्रिक ताकत संभवतः महत्वपूर्ण है। कौशल और क्षमता केवल एक खिलाड़ी को इतनी दूर तक ले जा सकती है, जब तक कि ताकत, गति, सहनशक्ति और लचीलापन जैसी अमूर्त चीजों की गंभीर रूप से आवश्यकता न हो। अगर कोई खिलाड़ी तेज, मजबूत और बेहतर फिट डिफेंडर के खिलाफ इसे नहीं उतार सकता है तो एक अच्छा शॉट होने से कोई फायदा नहीं होता है। ये प्रमुख विशेषताएं सीमांत खिलाड़ियों

को अच्छे खिलाड़ियों में और अच्छे खिलाड़ियों को महान खिलाड़ियों में बदल देती हैं।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य:

1. चयनित फुटबॉल कौशल में प्रदर्शन सांख्यिकीय रूप से कॉलेज स्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण रूप से सहसंबद्ध पाया जाता है।
2. कॉलेज स्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों की खेलने की क्षमता सांख्यिकीय रूप से कॉलेज स्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस क्षमताओं के साथ महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित होती है।
3. कॉलेज स्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों की खेलने की क्षमता सांख्यिकीय रूप से कॉलेज स्तर के फुटबॉल खिलाड़ियों के चयनित फुटबॉल कौशल के साथ सम्बन्धित होती है।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष – खिलाड़ियों की मांग प्रदर्शन के स्तर, स्थिति की भूमिका और एक टीम द्वारा शामिल खेल की शैली के आधार पर भिन्न होती है। एक मैच के दौरान सभी स्तरों पर खिलाड़ियों पर रखी गई विभिन्न मांगों में शामिल हैं, शॉर्ट स्प्रिंट, धीमी जॉगिंग, पैदल चलना, पीछे की ओर दौड़ना, बगल में और तिरछे दौड़ना, तेज और धीमा करना, कूदना, टैकल करना, लात मारना, दिशा बदलना, कब्जे के लिए लड़ना, ठीक होने की क्षमता तेजी से। नतीजतन, विभिन्न घटक जो एक खिलाड़ी की समग्र फिटनेस के साथ-साथ शरीर के भीतर उनकी ऊर्जा प्रणालियों को बनाते हैं (ऐसी प्रणालियां जो ऑक्सीजन के साथ या बिना ऊर्जा का उत्पादन करती हैं) को विभिन्न डिग्री के तनाव में डाल दिया जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है ताकि उनका समुचित विकास हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बाला सुमन: बास्केटबॉल के चयनित विशिष्ट गति सहनशक्ति परीक्षण का संशोधन और मूल्यांकन, अप्रकाशित डॉक्टरेट थीसिस, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर। (2000)
2. बाल्सोम, पी. फुटबॉल में स्प्रिंट प्रदर्शन: साइंस एंड सॉकर, III, लंदन: ई एंड एफएन स्पॉना :16 -19 (1994)। बैंग्सबो, जे. और एल माइकलसिका। कुलीन फुटबॉल खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता का आकलन। में: विज्ञान और सॉकर IV। डब्ल्यू. स्पिंक्स, टी. रेली, और ए. मर्फी (सं.). लंदन: रूटलेज, 53-62. (2002)
3. बैंग्सबो, जे. एल. और एफ. लिंडक्रिस्ट: पेशेवर खिलाड़ियों में सॉकर के दौरान धीरज प्रदर्शन के साथ विभिन्न व्यायाम परीक्षणों की तुलना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन 13:125-132, (1992)
4. बैंग्सबो, जे. एल. नोरेगार्ड, और एफ. थोरसो: प्रतियोगिता सॉकर की गतिविधि प्रोफाइल, कैनेडियन जर्नल स्पोर्ट साइंस, 16:110-116, (1991)
5. बैंग्सबो, जे. फुटबॉल में शारीरिक कंडीशनिंग प्रशिक्षण: एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोपेनहेगन, डेनमार्क: कोपेनहेगन विश्वविद्यालय (1994)

राजस्थान के खिलाड़ियों का एथलीट खेलों में योगदान

डॉ. अनुराग बिरसू* रिनु गोदारा**

* सहायक आचार्य (शारीरिक शिक्षा) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

** पी.एच.डी. शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर (राज.) भारत

प्रस्तावित शोध की भूमिका - पिछले कुछ दशकों के दौरान एथलेटिक प्रदर्शन के मानक में उल्लेखनीय सुधार एक अद्वितीय जैविक घटना का प्रतिनिधित्व करता है। एक दशक पहले भी यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि पहले से स्थापित कुछ एथलेटिक रिकॉर्डों को इस तरह से सुधारा जा सकता है।

समय की छोटी अवधि। प्रशिक्षण विधियों, तकनीकों और उपकरणों, उपकरणों के ट्रैक और विभिन्न अन्य सहयोगियों में अभूतपूर्व प्रगति के अलावा, जो विश्वस्तर के एथलीट को आकार देने में योगदान करते हैं, आनुवंशिक रूप से संपन्न मानव क्षमता अंतिम परिणाम में एक महान भूमिका निभाती है, बाकी सब समान है। हालांकि, आनुवंशिकी के क्षेत्र में आनुवंशिक कारक की प्रकृति, एक स्पष्ट तस्वीर जल्द ही सामने आ सकती है। विशिष्ट खेल के आधार पर विशिष्ट खेल में संभावित एथलीटों की खोज और चयन, कई विकसित देशों में दिनचर्या का विषय है। विडंबना यह है कि भारत में इस पहलू पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन, एथलीटों का चयन मुख्य रूप से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर 'उपलब्धतापूल' से किया जाता है। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि इस तरह की प्रतिभाएं पहले से ही अपने चरम प्रदर्शन पर पहुंच चुकी हैं और गहन संवारने के कार्यक्रम के दौरान और शानदार सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। इसलिए, भारतीय एथलीटों के चयन के तरीके में सुधार के लिए हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। उन्हें बहुत कम उम्र में पहचानने की जरूरत है।

आज, पूरी दुनिया में, भौतिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों को वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को संभालने में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है यानी अपने खिलाड़ियों को वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर उचित और प्रगतिशील दिशा निर्देश देना जिससे वांछित परिणाम मिल सकें। विज्ञान, दोनों शारीरिक और शारीरिक, को अंतर्निहित प्रतिभाशाली और संभावित एथलीटों के सर्वोत्तम साधनों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, वहां तैयार करना और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में उनकी मदद करना।

शारीरिक शिक्षकों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के लिए शारीरिक विशेषताओं और व्यायाम के शरीर विज्ञान की समझ तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, जब हर एक की समझ बढ़ती है, परीक्षण और प्रतियोगिता के लिए उच्चस्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने में त्रुटि पद्धति और अनुमान लगाने का आवेदन पर्याप्त से कम हो जाता है।

पिछले कई दशकों में भविष्यवाद या भविष्यवादी नामक अध्ययन के एक क्षेत्र का उदय देखा गया है, जो वैज्ञानिक रूप से भविष्य की जांच करने का एक प्रयास है। खेलों में, लोगों ने प्रतियोगिता के दौरान व्यक्तियों की सफलता की भविष्यवाणी करने की कोशिश की है। भविष्यवाणी आमतौर पर मानवशास्त्रीय, शारीरिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों पर आधारित होती है।

इसके अलावा, कुछ समय अगर किसी व्यक्ति ने किसी घटना में भाग लिया और प्रतियोगिता जीत ली है, तो वह बिना किसी मार्गदर्शन या निर्देश के उस घटना में विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। यह अधिकांश खेल आयोजनों पर लागू हो सकता है, हालांकि, बाद के चरण में, यदि वह उस खेल के लिए कुछ बुनियादी पूर्वपिकाओं की कमी के कारण सफल नहीं होता है, तो उसके लिए किसी भी खेल में स्विच करना लगभग असंभव हो सकता है। एक अन्य घटना जो देर से अवस्था में उसकी अंतर्निहित शारीरिक क्षमताओं के अनुकूल होती है। इन परिस्थितियों में प्रशिक्षण व्यय, समय प्रबंधन और मानव शक्ति के प्रयासों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा में सफलता नहीं मिल सकती है। फिर भी, इस संबंध में खिलाड़ी का चयन आमतौर पर एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि किसी दी गई स्थिति में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं।

एक एथलीट का प्रदर्शन काफी हद तक कई गुटों पर निर्भर करता है। कौशल और शारीरिक स्थिति भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है लेकिन शारीरिक, खेल के अनुभव जैसी विशेषताओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। भारत में एथलेटिक्स अभी शैशवावस्था में है। इसे विश्व स्तर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। कार्यक्रमों की उचित योजना और कार्यान्वयन होना चाहिए और कार्यान्वित कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उपरोक्त दिशा में आगे बढ़ने के लिए एथलीटों पर निरंतर शोध होना चाहिए। एथलेटिक शारीरिक फिटनेस घटकों का एक प्रयास है। एथलीटों को अन्य सभी खेलों के लिए शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। एक ओर शारीरिक फिटनेस और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक पूर्वापेक्षाएँ, खिलाड़ियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण संतुलन हैं।

प्रस्तावित शोध के सोपान - आम तौर पर, उचित मार्गदर्शन के बिना किसी खेल या आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्ति के पास इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि उसकी पसंद का खेल उसकी रुचि क्षमताओं के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसलिए, अधिकांश मामलों में चैंपियन बनने

में विफलता अपरिहार्य है। इस प्रकार ऐसी उपयुक्त विशेषताओं से संपन्न लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है जो किसी खेल या घटना में प्रदर्शन का आधार बनते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हो सकता है जो अधिकांश देशों में खेल के स्तर को उपर उठाने में मदद कर सकता है।

खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों में जबरदस्त प्रगति के बावजूद, शारीरिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों को अभी भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

ट्रैक और फील्ड कोच का सामना करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम, जब वह सीजन की शुरुआत में अपने युवा संभावित को इकट्ठा करता है, तो उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाना होता है, जिसमें जन्मजात और अर्जित दोनों तरह के गुण होते हैं जो उसे एक विशेष में एक अच्छा एथलीट बनाते हैं। वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण के साथ नियत समय में घटना।

प्रस्तावित शोध का महत्व :

1. अध्ययन के परिणाम चयन मानदंड, एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार करने में सहायक होते हैं।
2. यह अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर पर बेहतर परिणामों के लिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना और आयोजन में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होता है।
3. अध्ययन के निष्कर्ष शारीरिक शिक्षा और सामान्य रूप से खेल और विशेष रूप से एथलेटिक्स में अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया ज्ञान जोड़ दिया गया है।
4. यह अध्ययन प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए उनकी विश्वविद्यालय एथलेटिक्स टीमों को तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए मूल्यवान होता है।
5. अध्ययन के निष्कर्षों से प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और एथलीटों को यह जानने में मदद मिल सकती है कि वे अन्य विश्वविद्यालयों के अपने समकक्षों की तुलना में जिस जगह खड़े हैं यह मालुम हो जाता है।

प्रस्तावित शोध के उद्देश्य:

1. ऐसे खिलाड़ी हैं जो कार्यान्वयन के साथ तकनीक का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, वे वास्तविक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक होते हैं।
2. तकनीक विकसित करने के लिए प्रयोज्यता के सिद्धांत को ध्यान में रखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3. तकनीकी ज्ञान इस तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए कि एथलीट

स्वचालित रूप से और स्वाभाविक रूप से वास्तविक प्रतिस्पर्धी स्थिति में इसका उपयोग करेगा।

4. आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक बैरनपियरे डीकौ बर्टिन ने उद्धृत किया है, यह एक सत्यवाद है कि यह जीत नहीं है बल्कि भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित शोध का निष्कर्ष – हम यहां तर्क देते हैं कि इन आंकड़ों के बारे में हमारी समझ में सुधार होता है कि कैसे, बायोमेकेनिकल रूप से, चयापचय शक्ति एथलेटिक प्रदर्शन से संबंधित है। पहले के अध्ययनों के अनुरूप, हमारे विश्लेषण से पता चला है कि दौड़ने की घटनाओं की तुलना में धीरज की घटनाओं के लिए उम्र के साथ दौड़ने की गति में गिरावट आती है, जो पूर्व के अध्ययनों की पुष्टि करता है। हालांकि, चल रहे विश्व रिकॉर्ड हासिल करने के लिए आवश्यक चयापचय शक्ति का आकलन करते समय, स्प्रिंट और धीरज की घटनाओं ने विभिन्न घटनाओं में उम्र के साथ अपेक्षाकृत समान गिरावट दिखाई। इस अध्ययन ने पूर्व में परस्पर विरोधी वैज्ञानिक परिणामों को समेट लिया है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में हमारी समझ में सुधार किया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि शासी तंत्र क्या हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रणालियों का कारण बनते हैं, जो दौड़ने और धीरज प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो उल्लेखनीय रूप से एक समान तरीके से उम्र बढ़ने से प्रभावित होते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एसवी एलन, डब्ल्यूजी हॉपकिंस। 'एलीट एथलीटों के शिखर प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन की आयु- एक व्यवस्थित समीक्षा'। स्पोर्ट्स मेड। 2015 अक्टूबर; 45 (10): पीपी1431-1441
2. एल पीटर 1, सीए रस्ट 1, बी नेचटल 1, टी रोजमैन 1, आर लेपर्स 2 24-घंटे अल्ट्रा-मैराथन प्रदर्शन में सेक्स अंतर - 1977 से 2012 तक एक पूर्वव्यापी डेटा विश्लेषण। क्लीनिक (साओ पाउलो)। 2014 जनवरी; 69 (1): 38-46
3. एस उल्समर, सीए रस्ट, टी रोजमैन, आर लेपर्स, बी नेचटल। लंबी दूरी के ओपन-वाटर इवेंट्स में वेटसूट के साथ और बिना स्विमिंग प्रदर्शन। बीएमसी खेल विज्ञान, चिकित्सा पुनर्वास। 2014 मई 21; 6:20
4. डॉ. एन.आर. रामकुमार 'चेन्नई क्षेत्र में स्कूली छात्रों के ट्रैक और फील्ड प्रदर्शन का विश्लेषण' एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ रिसर्च वॉल्यूम: आई इश्यू अ, जुलाई 2014, पी 49
5. बी हैनली 'विश्व स्तरीय रेस वॉकर्स के पेसिंग प्रोफाइल का विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एंड परफॉर्मंस'। 2013 जुलाई; 8 (4): 435-441

प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास

डॉ. नीलम सोनी*

* असि0 प्रो0 (इतिहास) राम सहाय राजकीय महाविद्यालय, बैरी, शिवराजपुर कानपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - एषां न विद्या न तपो न दानम्

ज्ञानम् न शीलमन गुणो न धर्मस्तु लोके भुवि तार भूता ।

उक्त श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को मनुष्य बनाने वाले तत्वों में विद्या प्रथम तत्व है। सत्य ही कहा गया है कि विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पालता (निपुणता आती है)। पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है धन से धर्म तथा अन्ततोगत्वा सुख की प्राप्ति होती है। मानव द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वह अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर इस संसार में और परलोक में जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता था ऐसा माना जाता था कि शिक्षा का अन्तिम ध्येय सांसारिक प्रलोभनों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य की खोज करना था। जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आश्रम में रहकर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के साथ चरित्र का निर्माण करता था तथा समाज के लिये उपयोगी बनता था गृह एवं समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता था गायत्री मंत्र से शिक्षा का आरंभ माना जाता था। ब्रम्हाचर्य में तपसियों जैसा सादा कठोर जीवन व्यतीत करके वह ऐसे चरित्र का निर्माण करता था कि संसार का प्रलोभन उसे नष्ट न कर दे। विद्यार्थी नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करता था। जिसके द्वारा यह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति सफलता पूर्वक कर सके।

धर्म सूत्रों में उल्लेख मिलता है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। शिक्षा मन्दिर, आश्रमों और गुरुकुलों में ही दी जाती थी। जैसे-जैसे समय बदला शिक्षा का स्वरूप भी बदलने लगा। वैदिक काल में परिषद शाखा और चरण जैसे संघों की स्थापना हो गयी लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएँ सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारम्भ की गईं। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में ही दी जाती थी। दर्शनिक आचार्य, निर्जन वनों में चिन्तन पसन्द करते थे गुरुकुलों में दर्शन के साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाये जाते थे। प्राचीन काल के शिक्षा केन्द्रों में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज मिथिला, धारा, तन्जौर आदि प्रसिद्ध हैं।

प्रस्तावना - प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में शिक्षा अथवा विद्या का स्वरूप अत्यन्त ज्ञान परक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था शिक्षा को ही प्रकाश और शक्ति का स्रोत समझा जाता था। भारत की सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। भारतीय जनमानस ने हमेशा ही ज्ञान को सर्वोपरि माना है। सुभाषित रत्नसंदोह में कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है। महाभारत में भी विद्या के बारे में वर्णन किया गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है इसे मोक्ष का साधन माना गया है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के ही माध्यम से सम्भव माना जाता रहा है ऋग्वेद कालीन समाज में भी भौतिक की अपेक्षा बौद्धिक ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केन्द्रों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। औपचारिक शिक्षा मन्दिर, आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी ये ही उच्च शिक्षा के केन्द्र भी थे जब कि परिवार, पुरोहित, पण्डित, सन्यासी आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी ऋग्वैदिक अथवा पूर्ववैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन ही था। ऋचाओं के अतिरिक्त, इतिहास, पुराण

तथा गाथाएँ एवं खगोल विद्या, ज्यामिति, छंद शास्त्र आदि भी अध्ययन के विषय थे वैदिक साहित्य का अध्ययन नौ या दस वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता था यही समय उपनयन का भी होता था उत्तर वैदिक युग में ब्रम्हण ग्रन्थ लिखे गये ये शिक्षा के विषय बन गये उपनिषद तथा सूत्रों के युग में वैदिक ग्रन्थों में मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। धर्मसूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। समय के साथ-साथ शिक्षा में भी विकास होता गया। जैसे-जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे ही शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित होने लगीं। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास अध्ययन तथा चिन्तन पसन्द करते थे वाल्मीकि, सन्दीपनि, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित थे और इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ-साथ व्याकरण ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाये जाते थे। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था हमारे मनीषियों का मानना था कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। ज्ञान के द्वारा ही विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म-संयम विवेक शक्ति, न्याय, शक्तिगुणों आदि का उदय होता है। शिक्षा से ही विद्यार्थी में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान होता है। इस प्रकार आचार्य

विद्यार्थी को उसके सभी सामाजिक ग्रन्थों का बोध करा देता था अध्यनोपरान्त वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद वह अपने आचार्य द्वारा बताये मार्ग का अनुसरण करता था। वैदिक साहित्य के अध्ययन को सरल बनाने के निमित्त छः वेदांगों की रचना हुई- शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त छन्द तथा ज्योतिष। सूत्र युग के अन्त तक आते-आते वैदिक साहित्य का अध्ययन कम हो गया उसके स्थान पर अन्य विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में कर लिया गया। विभिन्न व्यवसायों तथा शिल्पों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया इस युग के स्नातक वेदों तथा 18 शिल्पों में निपुण होते थे। 18 शिल्प निम्नलिखित थे- गायन, वादन, चित्रकला, गणित, नृत्य, गणना, यंत्र, मूर्तिकला, कृषि पशुपालन, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, प्रशासनिक प्रशिक्षण, धर्म, विद्या तथा सैनिक शिक्षा जादूगरी आदि। वात्स्यायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है जिसका अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिये अनिवार्य बताया गया है। प्राचीन काल में सभ्यता के विकास के साथ-2 लेखन उपकरण में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वैदिक युग में मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी उसके बाद लेखन उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा जिसमें भोजपत्र कमलपत्र आदि प्रमुख थे जिस पर मयूरपंख से लिखा जाता था इसके बाद छात्र को काली पट्टियाँ और खड़िया दी जाती थी। बालक की सुनियोजित शिक्षा का प्रारम्भ ब्रम्हचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के साथ होता था। जिसमें ब्रम्हाचारी को एक नये जीवन में दीक्षित करता था जिसे द्वितीय जन्म कहा गया और ब्रम्हाचारी को द्विज प्राचीन काल के शिक्षा केन्द्रों में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला धारा तन्जौर आदि प्रसिद्ध है। ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग मठ शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र बन गये। सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुयी। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा- दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया प्राचीन भारत में जिस शिक्षा का निर्माण किया गया वह विश्व की शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा सर्वोत्कृष्ट थी। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था यहा भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह उच्च शिक्षा का केन्द्र था। इत्सिंग हमें बताता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्र होते थे बौद्ध धर्म के साथ-साथ यहाँ न्याय विधि, वार्ता, साहित्य आदि विषयों की उच्च शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। आठवीं शताब्दी के अरब आक्रमण से विश्वविद्यालय की प्रगति कुछ काल के लिये अवरुद्ध हो गयी पुनः जब शान्ति की स्थापना हुई तो विश्वविद्यालय को संरक्षण एवं सहायता प्रदान की गई।

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा का प्रसार होने लगा। फारसी जानने वाले सरकारी कार्य को समझने लगे हिन्दू, अरबी और फारसी पढ़ने लगे। बादशाहों और अन्य शासकों की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इस्लामी आधार पर शिक्षा दी जाने लगी मकतबों, मदरसों और पुस्तकालयों की स्थापना होने लगी मकतब प्रारम्भिक शिक्षा के केन्द्र होते थे। मदरसे उच्च शिक्षा के मकतबों की शिक्षा धार्मिक होती थी। मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों में प्रविष्ट होते थे। यहाँ प्रधानता धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ इतिहास, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, कानून आदि की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। अध्यापन फारसी भाषा के माध्यम से होता था अरबी मुसलमानों के लिये अनिवार्य पाठ्य विषय होता था। छात्रावास का प्रबन्ध किसी मदरसे में होता था शिक्षा निःशुल्क थी। हस्तलिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थी

राजकुमारों के लिये महलों के भीतर शिक्षा का प्रबन्ध था। राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्ध का संचालन, साहित्य, इतिहास, व्याकरण, कानून आदि का ज्ञान गृह शिक्षक से प्राप्त होता था। राजकुमारियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थी, सादगी, सदाचार, विद्याप्रेम और धर्माचरण पर जोर दिया जाता था जीविका उपार्जन के लिये भी शिक्षा दी जाती थी दिल्ली, आगरा, बीदरपुर, जौनपुर मालवा मुस्लिम शिक्षा के केन्द्र थे।

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गयी उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारम्भ में मद्रास ही उनका कार्य क्षेत्र रहा धीरे-धीरे कार्य क्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाये जाये थे समय बीतने के साथ ही साथ व्यापारी ईस्ट इण्डिया कम्पनी राज्य करने लगी विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कम्पनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से 1781 में कलकत्ते में कलकत्ता मदरसा कम्पनी द्वारा और 1972 में बनारस में संस्कृत कालेज जोनथन डंकन द्वारा स्थापित किये गये धर्मप्रचार के विषय में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। 1813 के आज़ा पत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। इस पर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा वाद-विवाद चलता रहा अंत में लार्ड मैकाले के तर्क वितर्क और राजा राम मोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 1835 में लार्ड विलियम बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय इतिहास विज्ञान इत्यादि की पढ़ाई हो इसी में 1813 के आज़ा पत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो प्राच्य शिक्षा चलती रहे परन्तु अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों के अध्यापन और अध्ययन पर जोर दिया जाए। पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते जनता इधर झुकने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी सरकारी प्रोत्साहन के साथ-साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ कानून जानने वालों की आवश्यकता पड़ने लगी और उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई। मेडिकल, इंजीनियरिंग और ला कालेजों की स्थापना होने लगी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिये ज्योतिबा ने 1848 में स्कूल खोला। इस काम के लिये अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। 1853 में शिक्षा की प्रगति की जांच के लिये एक समिति बनी। 1854 में वुड के शिक्षा संदेश पत्र में समिति के निर्णय कंपनी के पास भेज दिये गए। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। प्राथमिक शिक्षा की दशा की जांच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिये 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्गुसन कालेज, 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानन्द एंग्लोवैदिक कालेज और 1898 में काशी में श्रीमती एनीबेसेन्ट द्वारा सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना हुई। 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिये विद्यालय खोले एवं छात्रावास बनाये,

1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बन पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। 1916 तक भारत में पांच विश्वविद्यालय थे अब सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किये गये 1937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 1938 में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते-2 सार्जेन्ट योजना का निर्माण हुआ छह से 14 वर्ष की अवस्था के बालको तथा बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा हो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन होता रहा। 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को सही दिशा देने को गंभीर कोशिश की गई। 1966 में कोठारी आयोग ने शिक्षा की बेहतर और दायरा बढ़ाने की सिफारिश की थी इस दिशा में आगे बढ़ते हुये 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया जिसके पश्चात 1 अप्रैल 2010 में जाकर शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को संवैधानिक अधिकार दिया गया ताकि वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हासिल कर सकें।

नई शिक्षा नीति 2019 - सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन को इंगित करती है लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियां भी हैं इन चुनौतियों से निपटने का कार्य पूर्व में होते रहे हैं लेकिन उपलब्धियां सराहनीय नहीं रही हैं। इस सन्दर्भ में कुछ सुझावों को अमल में लाये जाने की आवश्यकता है।

1. नई शिक्षा नीति के अभियान को सफल बनाने के लिये सरकार नागरिक सामाजिक संस्थाएं, विशेषज्ञों, माता-पिता सामुदायिक सदस्यों को अपने स्तर पर कार्य करना चाहिये।
2. शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाना चाहिये ताकि नवाचारों का एक ऐसा पारिस्थिकी तन्त्र बन सके जिससे रोजगार के व्यापक अवसर पैदा हो।

3. इसके अतिरिक्त कापरेट प्रतिष्ठानों को चाहिये कि विशेष महत्व के क्षेत्र की पहचान कर उससे जुड़े डाक्टरेट और पोस्ट डाक्टरेट अनुसंधानों को वित्त मुहैया करवाएं।
4. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों प्रतिष्ठित, उद्योग संगठनों, मीडिया घरानों और पेशेवर निकायों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को रेटिंग दें।
5. भारतीय विश्वविद्यालय आज भी विश्व के 100 शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं हो सका इस सिलसिले में विश्वविद्यालयों और शिक्षाविदों को आत्मअवलोकन कर संबन्धित मानकों में सुधार लाना।

शिक्षा के बदलते स्वरूप का अवलोकन करने के पश्चात हमें महत्वपूर्ण सुझावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम शिक्षा की मूल भावना को फिर से जन्म दें ताकि भारतीय शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान फिर से कायम करे ताकि हम शिक्षा के प्राचीन गौरव को फिर से हासिल कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जयशंकर मिश्र- प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना प्रकाशन वर्ष 1999
2. ओम प्रकाश- प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास चतुर्थ संस्करण 1997, पृष्ठ 220
3. के०सी० श्रीवास्तव- प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति संस्करण 2002 पृष्ठ 764
4. प्रतियोगिता दर्पण- दिसम्बर 2019 पृ.- 89
5. <https://hi.wikipedia.org>wike>
6. www.Jagranjunction.com
7. सामयिक निबन्ध-मंथन इलाहाबाद भाग- 1 संस्करण 2009
8. Jantantraonline.in
9. Hindi Pratilipi.com
10. www.drishtias.com
11. www.dheyisas.com

Ocean Plastic Pollution : A Global Problem

Dr. Shikha Yadav*

*Assistant Professor (Chemistry) R.S. Govt. Degree College, Shivrajpur, Kanpur (U.P.) INDIA

Abstract: Plastic pollution in the oceans stands among the most significant environmental challenges of our era. Each year, more than 8 million metric tons of plastic enter marine environments, adversely impacting oceanic biodiversity, human well-being, and economies around the globe. The long-lasting nature of plastic, combined with inefficient waste handling, causes it to persist in marine habitats. From entanglement and ingestion by marine life to the spread of microplastics through the food chain, the effects are extensive. This paper investigates the origins, magnitude, ecological and economic effects, and potential remedies for ocean plastic pollution. By fostering international collaboration, reforming policies, and encouraging innovation, we can lessen its impact and progress toward cleaner, healthier seas.

Keywords: Ocean Plastic, Marine Pollution, Microplastics, Sustainable Development, Global Waste Management, Environmental Protection.

Introduction - Introduction - The plastics exposed to the ocean decompose rapidly than those on land. The debris based products formed due to plastics are categorised into primary and secondary wastes. Among today's most urgent environmental concerns is plastic pollution in the oceans with countless tons of plastic entering marine habitats every year, the crisis continues to grow, affecting ecosystems, economies, and public health. Due to their resilient nature and resistance to natural breakdown, plastics remain in ocean waters for centuries. From microscopic particles consumed by sea life to massive garbage patches drifting in the ocean, plastic waste is a global problem that demands swift and unified action.

Sources and Scale of the Problem: Oceanic plastic pollution stems largely from land-based activities like poor waste disposal, industrial discharge, and littering, as well as sea-based sources including discarded fishing gear, shipping refuse, and offshore platforms. It is estimated that around 8 million metric tons of plastic are introduced into the oceans every year. Most of this waste comprises single-use items like plastic bags, bottles, and packaging.

One of the most prominent examples is the Great Pacific Garbage Patch, a large accumulation of plastic debris situated between California and Hawaii. However, smaller particles known as microplastics pose an equally grave risk. Often formed from the fragmentation of larger

waste or synthetic textiles, these particles are consumed by marine organisms and have penetrated the food web, posing dangers to marine species and humans alike.

Environmental and Economic Impacts: The environmental repercussions of plastic pollution in marine ecosystems are profound. Marine animals often ingest plastic, mistaking it for prey, which may lead to starvation and death. Others become entangled in debris, resulting in injury or drowning. Coral reefs—vital marine habitats—are also jeopardized by plastic pollution and entanglement.

From an economic standpoint, industries such as tourism, fishing, and maritime transport are adversely affected. Communities near coastlines incur higher costs for cleanup efforts and often suffer losses in tourism revenue due to polluted beaches and diminished marine populations. The financial burden of oceanic plastic pollution is projected to reach billions of dollars annually.

Solutions and Global Initiatives: Combating ocean plastic pollution calls for comprehensive strategies involving prevention, control, and global teamwork. Essential measures include:

- 1. Reducing plastic use and production:** Promoting substitutes for single-use plastics and supporting a circular economy model.
- 2. Enhancing waste management:** Strengthening recycling infrastructure, waste sorting practices, and

landfill standards to reduce plastic leakage.

3. Policy and regulatory measures: Implementing restrictions on certain plastic products and enforcing producer accountability.

4. International cooperation: Initiatives such as the UN Clean Seas campaign and the Global Partnership on Marine Litter aim to unite countries in action and knowledge sharing.

5. Scientific and technological innovation: Exploring biodegradable materials, enzymes capable of breaking down plastic, and ocean-cleaning technologies to address existing waste.

Conclusion: Plastic waste in the ocean presents a serious risk to aquatic ecosystems, global commerce, and human health. Although global awareness and responses are growing, significant work remains to repair the existing harm. Prioritizing sustainable practices, effective waste management, and international solidarity is essential to protect our oceans. This issue extends

beyond the environment—it is a global responsibility requiring immediate and collective engagement.

References:-

1. Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.
2. Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. *Science Advances*, 3(7), e1700782.
3. UNEP (2018). *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability*. United Nations Environment Programme.
4. Thompson, R. C., et al. (2009). Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 364(1526), 2153-2166.
5. Lebreton, L., et al. (2018). Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Scientific Reports*, 8(1), 1-15.

समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका

डॉ. सपना*

* वन विद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पायं।

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया दिखाया।'

कबीरदास जी का ये दोहा भारतीय समाज में गुरु की महत्ता के दर्शन कराता है और गुरु को ईश्वर से पहले स्थान देता है क्योंकि गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर के अस्तित्व का भान कराया है इसलिए उनका चरण बंधन में ईश्वर से भी पहले करूंगा! हमारे समाज में गुरु को प्रारंभ से ही बहुत उच्च सम्मानजनक स्थान प्राप्त है ! वही है जो बालकों को देश का जिम्मेदार नागरिक और आत्मसजग मनुष्य बनाता है। इसी कारण उसकी जिम्मेदारी और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है !

'गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़े खोटा।

अन्तर हाथ सहरा दे, बाहर बाहें चोटा।'

कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार-मारकर शिष्यों की बुराई को निकालते हैं। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का टुकड़ा ही होता है जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं। उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। सत्गुरु ही शिष्य की बुराई को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाते हैं।

साहित्य में गुरु को नैतिक और आध्यात्मिक विकास कराने वाला बताया गया है! उसे ज्ञान और शक्ति के स्रोत के रूप में दिखाया गया है! जो शिक्षा के माध्यम से समाज को प्रज्ञावान बनाता है! निर्गुण संत साहित्य के अध्ययेता डॉ. पीताम्बरदत्ता बड़थवाल ने अपने शोध ग्रंथ 'हिन्दी काव्य की निर्गुण धारा' के चौथे अध्याय 'निर्गुण पंथ' में 'पथ-प्रदर्शक गुरु' के नाम से एक बिन्दु पर अलग से विचार किया है। वे लिखते हैं कि 'साधुओं की संगति' को 'सत्संग' का नाम दिया जाता है और वह वस्तुतः गुरु अथवा मार्ग-प्रदर्शक की खोज में ही किया जाता है, क्योंकि साधक के लिए इस बात की कौन-सी गारन्टी है कि वह ठीक राह पर चल रहा है जब तक उसे कोई व्यक्ति निश्चित मार्ग से विपथ होते समय बतला न दे।'

शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें! उसे मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित, शारीरिक रूप से स्वस्थ- सशक्त एवं सामाजिक रूप से व्यवहार कुशल बना कर अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करे। साथ ही उसमें अच्छे मूल्यों और आदर्शों को विकसित करे, ताकि आगे चलकर वह बालक देश व समाज का जिम्मेदार नागरिक बन सके! अच्छा शिक्षक कभी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता, वह बच्चे के उज्ज्वल भविष्य को आकार देता है और उसे शिक्षित कर वह समाज को सुपुर्द कर देता है! उसके बाद भी अप्रत्यक्ष रूप से वह

जीवन के उतार-चढ़ाव को पार कराने में अंत तक उसका साथ निभाता है!

आधुनिक मशीनीकृत टेक्नोलॉजी आधारित समाज में शिक्षक की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है उसका रोल माता-पिता के लगभग समतुल्य ही हो गया है! माता-पिता बच्चों को जन्म देते हैं , उनका पालन पोषण करते हैं। अतः इनका स्थान कोई नहीं ले सकते। उनका कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं उतार सकते। लेकिन एक शिक्षक ही है जिसे भारतीय संस्कृति में माता-पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही हमें समाज में रहने योग्य बनाता है। इसलिए शिक्षक को समाज का 'शिल्पकार' भी कहते हैं।

शिक्षक का संबंध केवल शिक्षा का अक्षर ज्ञान देने से ही नहीं होता बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर सही राह दिखाता है और आगे बढ़ने के लिए उसका हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बच्चों के मन में उमड़ने वाले हर सवाल का जवाब देता है और सही सुझाव देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करता है।

आज जहाँ हर जगह सोशल मीडिया के आने से जानकारीयों का जंगल पसरा है जहाँ सही-गलत का पता लगाना ही लगभग असंभव है! जानकारीयों की बाढ़ में हमारा युवा बहा जा रहा है, उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति बहुत ही असंतुलित होती चली जा रही है ! ऐसे में शिक्षक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, कि वह अपने शिष्यों को विवेकशील बनाए! उन्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाए !

हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है! डॉक्टर सर्वपल्ली शिक्षक की भूमिका को उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि 'शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस दे! वास्तविक शिक्षक वह है जो छात्रों को आने वाले कल की चुनौती के लिए तैयार करें! शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र सृजनशील मनुष्य होना चाहिए, जो ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक प्रतिकूलता से जूझ सके !'

यह बात आज के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जहाँ विद्यार्थियों पर सफल होने का चौरफा दबाव है! इस प्रतिस्पर्धा पूर्ण समाज में सब को अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनाना है! इस निरंतर दबाव को झेलते हुए मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं और जब हमारे बच्चे असफलताओं को झेल नहीं पाते हैं तो आत्महत्या जैसे गंभीर कदम तक उठा लेते हैं! कोटा में छात्रों द्वारा निरंतर बढ़ती जा रही आत्महत्याएं इसका ताजा उदाहरण है! ऐसे में आज बहुत जरूरी है कि हम डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली द्वारा शिक्षक के लिए बतायी गई भूमिका को एक बार

फिर से शिक्षा जगत में पूरे मनोयोग से उतारने का प्रण करें! जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित करने के साथ-साथ मनुष्य जीवन की बहुमूल्यता भी समझाये! जहाँ छात्रों को सफलता का उत्सव मनाना के साथ-साथ असफलता को कैसे संभालना है ये भी सिखाया जाए! प्रतिस्पर्धात्मक समाज में विद्यार्थी बढ़ते हुए मानसिक दबाव से कैसे डील करें यह भी बताया जाए! शिक्षक उन्हें समझाए, कि जीवन में सफलता का मात्र एक ही विकल्प नहीं होता! आधुनिक समाज ने अंतहीन विकल्पों की एक नई दुनिया भी सृजित की है! जहाँ विकल्पों की भरमार है! जरूरत है तो बस हमें आँखें खोलकर देखने की और कुछ विशेष जॉब के लिए सृजित की गई रंगीन आभासी दुनियाँ के मोहपाश से बाहर निकलने की !

तुलसीदास जी राम चरित मानस में राम जी के चरित्र का वर्णन करते हुए, उनकी नैतिकता, उनके आदर्श, मर्यादा, परोपकार, उचित न्याय, कर्तव्य और लोक कल्याण इत्यादि को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और यह बताते हैं कि ऐसे कार्य पूर्ण करने के लिए गुरु की कृपा अति आवश्यक है! तुलसी कहते हैं-

‘गुरु बिनु भव निधि तरङ्ग न कोई ।
 जौं बिरंचि संकर सम होई ।’

यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं भले ही कोई शंकर और ब्रह्मा के सामान ही कोई क्यों न हो फिर भी गुरु के बिना जीवन रूपी भव सागर पार नहीं किया जा सकता। गुरु जीवन रूपी भव सागर को पार करने में सहायक होते हैं। गुरु पथ प्रदर्शित कर मनुष्य के जीवन और भविष्य को आकार देता है! वे

अपने शिष्यों को कठिन परिस्थितियों से उबरना सिखाते हैं ! गुरु अपने शिष्य के मन के संशय को मिटाता है और उसके जीवन में व्याप्त द्वन्द्वों का समाधान करना सिखाता है ।

चाणक्य के शब्दों में कहें तो ‘शिक्षक कभी साधारण नहीं होता! प्रलय और निर्माण उसी की गोद में पलते हैं!’ शिक्षक ही है जो समाज का शिल्पकार और मार्गदर्शक होता है! वही ऐसा पौधा तैयार करता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखकर विवेकशील निर्णय लेना जनता है और किसी देश व समाज की विध्वंस की नकारात्मकता से बचाए रखते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाए रखता है !

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्यामसुंदरदास, कबीर ग्रंथावली, गुरुदेव के अंग ।
2. श्यामसुंदरदास, कबीर ग्रंथावली, श्यामसुंदरदास, गुरुदेव के अंग ।
3. डॉ. पीताम्बरदत्त बड़वाल, हिन्दी काव्य की निर्गुण धारा, पृ. 182
4. प्रेसीडेंट राधाकृष्णन, स्पीचेज एंड राइटिंग्स, पब्लि. डि.वी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1960
5. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली, हमारी संस्कृति, हिन्दी पॉकेट बुक्स, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1999
6. तुलसीदास, रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ संख्या- 807
7. डॉ. वशिष्ठ आशीष, संपूर्ण चाणक्य नीति, के.के. पब्लिकेशन, भारत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।
8. महेशदत्त शर्मा, ‘क्लास रूम में चाणक्य’ प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली ।

Women's Empowerment, Food Intake, Health and Impact on Children's Well Being

Dr. Dharmendra Kumar* Ms. Sanju Yadav**

*Assistant Prof. (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA
** Research Scholar (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Introduction - Advancement in women's status and well being would have a positive spillover impact on children's well being. A comprehensive review on the linkages between women's empowerment and children's well being brought out clearly that there are four mechanisms for transmitting the effects of women's empowerment to children's well being. They include maternal education, economic empowerment, intra-household decision making power, and community level empowerment. Education for mother is positively associated with better education, health, and nutrition outcomes for the child. Women's economic empowerment, that is, greater access for women to financial resources, not only improves their status within the household, but also leads to more investment in their children. As a result of greater access to economic resources, women's empowerment may translate into better outcomes for children because empowered mothers are likely to advocate the interests of their children in intra-household bargaining and to be taken seriously by their male partners. Finally, greater individual and households level empowerment of women at the community level and a more active role for them in demanding or even providing better child related services. Women's agency (health, education and empowerment) and intra-household issues are important determinants of under nutrition. Two of the three differences to women: (1) Low birth weight is the single largest predictor of undernutrition; (2) Women tend to have lower status and less decision-making power. This limits women's ability to access the resources needed for their own and their children's health and nutrition, which in turn is associated with low birth weight, as well as poor child feeding behaviors in the first twelve months of life.

Children's malnutrition is determined by the caring capacity of mothers. Caring capacity and caring practices are overwhelmingly influenced by the status of women in the household and society. One important dimension of accessibility to food disparity in consumption. It is widely believed that in India, food distribution in the households is not based on 'need'. The breadwinner gets sufficient food the children get the next share, and women take the

remains. In times of scarcity, the dietary intake of women and children are likely to be the most adversely affected. Among children, boys are given preference over girls (not everywhere) in distribution of food, NFHS data shows slightly higher malnutrition among girls as compared to boys. Generally there is not much difference. Amartya Sen and Sengupta studied the question of undernourishment in a few villages of West Bengal. Based on the weight-for-age indicator they found a bias in favor of boys over girls. Amartya Sen cautions about the interpretation of the causal process. The lower level of nourishment of girls may not relate directly to their food intake vis-à-vis boys, but from neglect of healthcare of girls compared to that boys.

Adequate nutrition during pregnancy and the first six months of life are critical because of their impact on birth weight. Thus, the problems often start before, during, and after pregnancy as malnourished mothers are more likely to produce low birth weight babies. Poor nutritional status at birth is perpetuated by inadequate breastfeeding and supplementary feeding habits. Subsequently, children are not given sufficient quality food in the first two years-particularly by mothers with low education.

The regional experience in India highlights difference in health provisioning, improvements in child care, and health status of women as factors that explain malnutrition difference across states.

The high performing states,

1. Rise in women's nutrition status,
2. Increase in the promotion of children under the age of three breastfed within one hour of birth,
3. Rise in the practices of children with diarrhea who received ORS.
4. Best practices in Tamil Nadu, Kerala and North Eastern States.

A multidisciplinary approach is required in order to improve nutrition and health outcomes. For example, a package consisting of extended child and material immunization, antenatal care coverage, nutritional supplementation (including promotion of exclusive breast feeding), and home-based neo-natal services (including

treatment of pneumonia) is likely to being about significant reduction in both infant mortality and child malnutrition. There is also need for synergy across sector. Synergy between the processes directed at improving drinking water facilities, sanitation, and public hygiene, access to elementary education, nutrition, and poverty alleviation and the processes that improve access to public health and medical services are important for positive nutrition and health outcome. Indirect determinants of better nutrition and health are growth in agriculture and rural non- farm sector. These are particularly important for raising incomes and diet diversification.

A part of providing better availability of food, agriculture growth and equity can increase access to food and nutrition. Some studies have shown that there is disconnect between agricultural growth and malnutrition. Here again the dissociation is due to low growth in States where malnutrition is high. For example, high agricultural growth in the eastern and central regions can reduce overall malnutrition to some extent. Involvement of women in raising home gardens, incorporating nutrition elements in crop production, etc. can reduce malnutrition.

Comprehensive social production programmers are required to address the problems of access to food and malnutrition . The social protection measures r basically non-contributory targeted transfer programmers to the poor

and vulnerable groups. If we leave everything to market and growth. We cannot take care of risk and inequality. Certain redistributive policies can be good for growth. The presence of social protection measures 10 maintain and acceptable minimum floor for social cohesion and can private irreversible losses of women capital in hard times. The state has a role in teams of helping the poor in time of insecurity and in teams of en minimum leavings of provision to those unable to gain from the growth process. Government intervention are required to blend elements of both redistribution and insecure in this regard.

References:-

1. Mukherjee (2021), the deliberate policy of Churehill is located as an important cause for the great Bengal famine of the early 1940s.
2. Sharma and Kapoor, 2022, besides cotton, genetic engineering experiments are being conducted on maize, mustard, sugarcane, sorghum, pigeon-pea, chickpea, chickpea, rise, tomato, brinjal, potato, banana, papaya, cauliflower, oilseeds, soya bean and medicinal plants.
3. Southgate et al., 2020, these technologies may lead to patented seeds that keep the control of production in the grip of multinational companies.
4. Naukri Hub, 'Land Reforms in India and Their- Implications.

महर्षि-रमण की आत्म-विचार सम्बन्धी-अवधारणा

डॉ. संगीता शर्मा *

* प्रवक्ता (दर्शन शास्त्र) फतेह चन्द महिला महाविद्यालय, हिसार (हरियाणा) भारत

प्रस्तावना - जब से सृष्टि की संरचना हुई, तब से अब तक मानव अपने स्वरूप के खोज के प्रति उत्सुक बना ही हुआ है। वेदों से लेकर अब तक अनेकानेक आचार्य हुये उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि रमण भी प्रारंभिक तत्त्ववेत्ता के रूप में जाने जाते रहे हैं। महर्षि रमण के अनुसार आत्मान्वेषण क्या है? उसकी प्रक्रिया क्या है? इसके बारे में इस लेख में विस्तार से व्याख्या की गई है।

प्राचीन भारतीय दर्शन में ही नहीं वरन् पाश्चात्य दर्शन के सर्वप्रथम महान दार्शनिक सुकरात ने भी 'अपने को जानो' (Know thy self) को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना, जिसके समाधान के बिना परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। आध्यात्मिक चिंतन की इसी परम्परा में समकालीन अध्यात्मवेत्ता रमण महर्षि ने अपने उपदेशों में भी सर्वाधिक बल आत्मानुसंधान को ही दिया। इसलिये प्रस्तुत लेख का विषय महर्षि रमण का आत्मानुसंधान चयन किया गया है। यद्यपि महर्षि रमण ने किसी ग्रंथ विशेष की रचना नहीं की किन्तु उनका सम्पूर्ण जीवन उनके आत्मानुसंधान का जीवन्त दृष्टांत माना जा सकता है।

उनके आत्मान्वेषण की यह विशेषता कही जा सकती है कि मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु भय पर विजय प्राप्त करके उन्होंने इस सर्वोच्च शाश्वत सत्य को प्राप्त कर लिया था कि मनुष्य सत् चित्त आनन्द स्वरूप आत्मा के साथ एकरूप है, किन्तु मन इसमें अवरोध उत्पन्न करता है और एक भिन्न व्यक्तित्व का भ्रम पैदा करता है अतः मन का संघर्ष समाप्त होने पर ही शुद्ध आत्म चैतन्य हृदय में जागृत हो सकता है।¹

आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप है जिसका न जन्म होता है और न ही नाश। दूसरी ओर शरीर पूर्णतः जड़ है, जो 'मैं' नहीं कह सकता। इन दोनों के बीच में एक ग्रन्थि पैदा होती है जिसे चेतन जड़ की ग्रंथि कहा जा सकता है। यही अहंभाव या जीव-भाव कहलाती है। वास्तव में जीव-जगत और ईश्वर के द्वेद का कारण भी यही अहंभाव ही है। यदि जीव और जगत को आत्मा से भिन्न माना जाये तो ही ये अवास्तविक हैं अन्यथा सब कुछ आत्मा में ही है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार महर्षि रमण के दर्शन में यत्र-तत्र सर्वत्र ब्रह्मात्मा ही परिलक्षित होता है।² रमण महर्षि स्पष्ट करते हैं कि 'मैं हूँ' यह शुद्ध चेतना है, अस्तित्व है जो सभी में वास्तविक है यह बाहरी ज्ञान न होकर स्वयं का चित्तज्ञान है। जब 'मैं हूँ' की यह चेतना स्वयं की सत् चित्त प्रकृति को त्याग कर 'मैं यह हूँ' या 'वह हूँ', 'मैं शरीर हूँ' या मन तथा इन्द्रिय हूँ आदि उपाधियाँ ग्रहण कर लेती हैं तो इस मिश्रित चेतना को ही अहम् वृत्ति या जीवभाव कहा जाता है।³

शुद्ध अहम् हमेशा रहता है किन्तु अहम् वृत्ति या अशुद्ध 'मैं' कभी रहता है और कभी नहीं रहता। इसके लिये महर्षि जागृत-स्वप्न और सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं कि अशुद्ध में 'मैं शरीर हूँ' का भाव है, 'मैं शरीर हूँ' की भावना के कारण ही समस्त जगत दिखाई देता है और द्वितीय तथा तृतीय पुरुष अर्थात् 'तुम' या 'वह' भी दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु गहरी निद्रा की अवस्था में जब शरीरभाव (अहंभाव) लुप्त हो जाता है तब जगत् और अन्य पुरुष भी नहीं रहते। निद्रा से स्वपनावस्था में जाने पर, अहंभाव के उत्पन्न होने पर ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वप्नादि दिखाई देता है। निद्रा से जाग्रत में आने पर सबसे पहला विचार 'मैं शरीर हूँ' का ही होता है। उसके पश्चात् ही अन्य पुरुष एवं जगत का ज्ञान होता है। सुषुप्ति की अवस्था में यह अशुद्ध 'मैं' पूर्णतः लुप्त हो जाता है, किन्तु फिर भी सुषुप्ति में चैतन्य विद्यमान रहता है। इसीलिये गहरी निद्रा से जागकर प्रत्येक यही कहता है कि 'मैं आनन्दपूर्वक सोया' या मुझे कोई बोध नहीं था। इस प्रकार यह अहंभाव या अशुद्ध 'मैं' हमेशा मौजूद नहीं रहता। अतः यह आत्मा या 'शुद्ध मैं' से सर्वथा भिन्न है।⁴ महर्षि के अनुसार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिये प्रतिदिन का अनुभव है। अतः इन तीनों अवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके जागरूकता के सत्य के नजदीक आया जा सकता है। इस प्रकार यदि हम जाग्रत अवस्था की जागरूकता और गहन निद्रा की प्रसन्नता को जानने में सक्षम होते हैं, तो वही जाग्रत सुषुप्ति हमारा वास्तविक स्वरूप है।⁵

मन विचारों का समूह मात्र है। हजारों विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उन हजारों में से हमें उनके मूल और प्रथम विचार की खोज करनी आवश्यक है। प्रथम पुरुष 'मैं शरीर हूँ' का विचार सबसे पहले उत्पन्न होता है। यह 'मैं' विचार ही सभी विचारों का मूल है, इसके बाद ही द्वितीय पुरुष 'तुम' और तृतीय पुरुष 'वह' उत्पन्न होता है। यह प्रथम पुरुष 'मैं' का विचार ही मन है, जगत दूसरे और तीसरे पुरुष के अलावा और कुछ नहीं है। सुषुप्ति में प्रथम पुरुष 'मैं शरीर हूँ' का विचार रहता है तब संसार का अस्तित्व भी नहीं रहता इस प्रकार यदि 'मैं' नहीं तो कोई भी वस्तु अस्तित्व नहीं रखती।⁶

इस प्रकार महर्षि का यहाँ अभिप्राय यह है कि आत्मानुसंधान में प्रत्येक विचार के, सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, केवल 'मैं' के विचार की, जो सभी विचारों की जड़ है, का अनुसंधान करना ही आवश्यक है क्योंकि यदि सभी विचारों- द्वितीय तथा तृतीय पुरुष को भी निरीक्षित किया जाएगा तो विचार और अधिक बढ़ते ही जायेंगे और कभी भी नष्ट नहीं होंगे। अतः यहाँ महर्षि यह स्पष्ट करते हैं कि आत्म अन्वेषण के लिए 'मैं कौन हूँ' की प्रक्रिया के द्वारा प्रथम पुरुष 'मैं' की खोज की जाती है तो द्वितीय और

तृतीय पात्र स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। लगातार अभ्यास के द्वारा जब मन प्रथम पुरुष पर रहना सीख लेता है तब वह मन, मन होता ही नहीं, जैसे ही मन अन्तर्मुख होता है वह शुद्ध मन या आत्म ही हो जाता है।⁷

आत्म-अन्वेषण की प्रक्रिया महर्षि के अनुसार यही है कि जब भी कोई विचार उत्पन्न हो तो पहले यह प्रश्न करें कि यह विचार किसे उठे? तब उत्तर होगा मुझे। यह विचार किसके लिये है? मेरे लिये तब 'मैं कौन हूँ' इस प्रकार प्रश्न किया जाये तब इस प्रकार के अन्वेषण के दौरान हमारा सारा ध्यान 'मैं' पर केन्द्रित हो जायेगा। किसी भी विचार के उठने पर यही प्रक्रिया अपनाई जाये तो मन अपने स्रोत पर रहना सीख लेगा। अहं का स्वयं का कोई आकार नहीं होता जब तक इसे दूसरे तीसरे पात्र का अवलम्बन मिलता जाता है यह और भी मजबूत होता जाता है। किन्तु यदि प्रथम पुरुष के रूप में स्वयं को ही जानने का प्रयास करता है तब यह अपनी शक्ति खोने लगता है और अदृश्य हो जाता है। 'मैं कौन हूँ' की खोज द्वारा 'अहं' अस्तित्वहीन होकर लुप्त हो जाता है। मात्र शुद्ध 'मैं' या शुद्ध आत्म शेष रहता है।⁸

महर्षि के अनुसार जब कोई 'मैं कौन हूँ' यह निरंतर प्रश्न करते हुये स्वयं में झाँक रहा होता है तो वह अपनी आंतरिक वास्तविकता नित्य 'मैं' के सीधे सम्पर्क में होता है। सभी विचार चिंतन के दौरान उत्पन्न होते हैं पर उनको ध्यान देने वाला न होने के कारण ये स्वयं लुप्त होते जाते हैं।⁹ 'मैं कौन हूँ' इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि यह अहं के विचार का नाश करता है, जो कि अन्य सभी विचारों का जनक है और उस शांति में प्रवेश करता है जहाँ कोई विचार नहीं होता।¹⁰ आत्म अन्वेषण का उद्देश्य सम्पूर्ण मन को इसके स्रोत पर केन्द्रित करना है इसलिये यह एक अहं के द्वारा दूसरे अहं की खोज नहीं है बल्कि अहं या मन के मूल की खोज है। यह खोज मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण न होकर मन के पीछे स्थित उस आत्मा को जानना है जिसके लिये मन पर्दे का कार्य करता है।¹¹ 'मैं हूँ' यह लक्ष्य भी है और अंतिम सत्य भी। अतः प्रयास सहित इस पर टिकना ही विचार है। और जब यह स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक हो तो यही साक्षात्कार है।¹²

महर्षि आत्मान्वेषण के लिये अनिवार्य योग्यता मात्र तीव्र जिज्ञासा, उत्कण्ठा को ही मानते हैं, जिसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक के द्वारा संसार के प्रति प्रारम्भिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और साधक - अंतर्मुख होकर आत्मान्वेषण प्रारम्भ करता है। प्रारम्भ में अनिवार्य शर्त के रूप में वैराग्य का उदय व्यक्ति के अपने निजी अनुभव और चिन्तन के माध्यम से मात्र बुद्धि के स्तर पर ही होता है इस समय साधक के मन में विद्यमान सांसारिक इच्छाएँ, आकांक्षाएँ तथा अनेक प्रकार की नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती हैं यही कारण है कि मात्र प्रारम्भिक वैराग्य और श्रुत-ज्ञान मात्र से परम सत्य की अनुभूति नहीं होती, इसके लिये एक साधारण साधक को गहन प्रयत्न करना होता है। प्रयत्न का उद्देश्य पूर्व संचित वासनाओं के भंडार में वृद्धि पर अंकुश लगाना होता है अर्थात् संचित कर्म संस्कारों का उन्मूलन है और संचयीमान या क्रियमाण कर्म संस्कारों का अवरोध जो मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक माना गया है।¹³

रमण महर्षि जब अपने उपदेशों में 'मैं कौन हूँ' प्रश्न पर बल देते हैं तो यह कहा जा सकता है कि सूत्र रूप में उनका यही आशय होता है कि व्यक्ति सर्वप्रथम संसार में अपनी सत्ता की यथार्थता पर विचार करे, गहराई से इस सत्य का अनुभव करे कि क्या संसार के विषय उपलब्धियाँ उसे वास्तव में वह अनुभव प्रदान कर पायेंगे ? जो प्रत्येक व्यक्ति आने अनजाने में सुख

सन्तोष के रूप में ढूँढ़ रहा है। जब व्यक्ति इस प्रश्न पर विचार करेगा कि 'मैं कौन हूँ' तो निश्चय ही वह अंतर्मुख होकर संसार में अपने होने (Being) की स्थिति पर विचार करेगा, जो अन्ततः उसे बुद्धि के स्तर पर, इस अनुभव पर ले जायेगा कि संसार में, जिसे वह अब तक सारपूर्ण और मूल्यवान समझता आया है, यह वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस प्रकार उसकी मनोभूमि साधना के योग्य बनेगी। उसका जगत के प्रति मूल्यात्मक दृष्टिकोण बदलेगा। तत्पश्चात् ही यह आत्मा-परमात्मा विषयक श्रुत ज्ञान -मूलक आस्था के अनुरूप साधना करने की स्थिति में आ पाएगा। अतः आत्मान्वेषण के प्रारम्भिक स्तर पर केवल वैराग्य और आत्मप्राप्ति की तीव्र उत्कंठा ही आवश्यक है। उन्नत स्तर पर अहं भावनाओं का पूर्ण विनाश होकर व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्णता में विलीन हो जाता है। महर्षि आत्म विचार के प्रारम्भिक स्तर पर योग, प्राणायाम आदि को आवश्यक मानते हैं किन्तु मात्र चित् शुद्धि के लिये ही।

वास्तव में यहां मेरे विचार में रमण महर्षि का आत्मानुसंधान का मार्ग 'मैं कौन हूँ' के रूप में उपर से सीधा सरल अवश्य दिखाई पड़ता है कि किन्तु दार्शनिक दृष्टि से इसका विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें कई बातें तर्कतः पूर्व मान्य है अर्थात् एक तो यह उपदेश हर किसी के लिये नहीं है और न ही, हर कोई इस उपदेश के वास्तविक तात्पर्य के अनुसार अपेक्षित अनुसंधान में प्रवृत्त ही हो सकता है। इसका कारण यह है कि इसमें प्रवेश से पूर्व व्यक्ति में कुछ अनुभवों की सुदृढ़ स्थापना आवश्यक दिखाई देती है। व्यक्ति को इस बात की स्मृति रहे कि वह 'मनोदैहिक व्यक्तित्व' से भिन्न और भी कुछ है तथा मृत्यु के पश्चात् भी उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। ये भाव जीवन के प्रति व्यक्ति की मूल्यात्मक दृष्टि को स्वतः ही बदल देंगे और उसके लिये सर्वोच्च मूल्य स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना हो जायेगा ऐसा मनुष्य ही 'मैं कौन हूँ?' जैसे प्रश्न को गंभीरता से ले सकेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त भावों की शर्त पूरी होने पर जो आत्म-अन्वेषण की वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका प्रयोग उद्देगात्मक विचारों के समय करना विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। जैसे क्रोधावेश, हर्ष, विषाद, आक्रोश का भाव उत्पन्न होने पर, यह क्रोध की अनुभूति किसे हो रही है? आक्रोश का अनुभव किसे हो रहा है ? आदि विचार की तलवार उस बंधन को काटने के समान है इसमें शक्ति एवं स्फूर्ति अर्थात् सजगता दोनों की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार आत्मानुसंधान मन के विभिन्न भावों के प्रति सजग हृदय की स्थिति में रहना और सूक्ष्मतापूर्वक उनके मूल स्रोत का अवलोकन करना है, उनके कारणों पर विचार करना नहीं है, क्योंकि कि इन भावों की वैचारिक व्याख्या मनोविज्ञान में की जाती है।

रमण महर्षि के आत्मान्वेषण सम्बन्धी विचारों के विस्तृत विवेचन के बाद निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि रमण महर्षि का आत्मान्वेषण का मार्ग शुद्ध ज्ञान मार्ग है। उनके इस मार्ग की विशिष्टता यह मानी जा सकती है कि यह सम्प्रदाय निरपेक्ष है। दूसरे इसमें मात्र आत्मचिंतन-परक प्रयत्न द्वारा शनैः शनैः व्यक्ति चरम ज्ञान की ओर बढ़ता है, जिसका अवसान अन्ततः ब्रह्मात्मैक्य अनुभूति में होता है तथापि उसके पश्चात् भी व्यक्ति कर्मशील बना रहता है। इसमें सद्गुणों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, अपितु आत्मानुसंधान की प्रक्रिया के फल स्वरूप सद्गुणों का व्यक्ति में स्वतः अविर्भाव होने लगता है।

चूंकि रमण महर्षि के ज्ञान मार्ग में कर्म का निषेध नहीं है, ज्ञान का

प्राधान्य है, कर्म काण्ड का सर्वथा अभाव है। वर्तमानकाल कर्म प्रधान है, विज्ञान के प्रचार प्रसारके फलस्वरूप आज का सुशिक्षित व्यक्ति न कर्मकाण्ड में रुचिशील है, न विविध प्रकार के योगाभ्यासों में। अतः वर्तमानकालीन सुशिक्षित व्यक्ति के सन्दर्भ में रमण महर्षि का आत्म विचार का मार्ग सर्वथा उपादेय दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमण महर्षि और आत्म ज्ञान का मार्ग, आर्थर आसर्वोन,
2. श्री भगवान रमण विरचित तमिल ग्रंथ के संस्कृत अनुवाद सद्दर्शनम् का हिन्दी भाषान्तर अनुवादक स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती,
3. Call Divine पृ. 156
4. देखें रमण महर्षि से बातचीत, संग्रहकर्ता श्री मुनगल एस बैंकटरमैया, पृ. 191
5. Consuious Immortality, Recorded by Paul Brinton, पृ. 103,104
6. श्री भगवान रमण विरचित तमिल ग्रंथ के संस्कृत अनुवाद सद्दर्शनम् का हिन्दी भाषान्तर, अनुवादक स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती, पद 16
7. वही, पद- 16
8. The Teaching of Bhagwan in his own words, Edited by Paul Branton पृ. 140,141
9. बा. ची., संग्रहकर्ता श्री मुनगल एस बैंकटरमैया, पृ. 172।
10. वहीं।
11. वही, पृ. 330, 31
12. वही।
13. आर्थर आसर्वोन, रमण महर्षि एवं आत्म ज्ञान का मार्ग पृ. 153

Importance of Sports and Yoga in Social Development

Dr. Shikha Yadav*

*Asst. Professor (Chemistry) R.S. Government Degree College, Shivrajpur, Kanpur (U.P.) INDIA

Abstract: This paper explores the critical role of sports and yoga in the process of social development. As global societies become more interconnected, the need for holistic and inclusive approaches to well-being and social harmony becomes vital. Sports and yoga, often considered physical activities, also serve as powerful tools for building community, enhancing mental health, promoting equality, and nurturing discipline and cooperation. This paper examines their influence on youth development, community engagement, and social cohesion, especially in developing nations.

Introduction - Sports provides opportunities for children and youth to engage in valuable and positive relationship with adults, which is especially important when such benefits are not available at home. Sport provides an opportunity for children to safely navigate and negotiate between right and wrong as they learn to interact with peers and adults. A growing body of research literature binds that in addition to improved physical health, sports plays a positive role in youth development, including improved academic achievement, various techniques in yoga have been documented to help in stress management. They help in relieving the physical as well as the psychological negative effects of the problem by ensuring a healthy and productive response to the stress stimuli.

The importance of sport in education: In the ancient Greek world, sport plays a crucial role in the learning institutions throughout the world. The reasoning for this in ancient times, as now, is a belief that sport helps to make better people that it promotes excellence in individuals, excellence which can be and applied to practically any human activity. There are four kinds of human excellence that are explicitly related to sport and implicitly related to victory: self knowledge, discipline, courage, and justice. Conducting excessive attention on the analytical concept of winning poses a threat to the process of developing the virtues that provide athletics its educational attribute.

Stress management through yoga: There are several ways of coping with stress. Some time management techniques may also assist a person to manage stress. There are several yoga techniques which have been found to be helpful in stress management. The practice includes paying attention to each and every part and therefore ensures a holistic therapy. The start of the practice is with becoming aware of what the stressful stimuli is so that one knows what one is fighting. As a result people often practice

medications like taking sedatives, narcotics and tranquilizers which calm the mind but in future it creates serious other maladies. But still there is a therapy which is purely natural and is considered to be that best weapon against stress and that is yoga.

Role of Sports in Social Development:

- 1. Building Character and Discipline:** Sports instill values such as discipline, patience, teamwork, and leadership. These are essential traits for creating responsible citizens.
- 2. Social Inclusion:** Sports provide a platform where all people of various backgrounds can converge. It helps reduce discrimination based on gender, caste, religion, or socioeconomic status.
- 3. Health and Productivity:** Physically fit individuals tend to be more productive and socially active, contributing to economic development as well. Involving youth in sports can keep them away from crime, substance abuse, and anti-social behavior. It focuses their energy in the right way and encourages purpose.

Sports Management Through education: Sports is not merely to discuss performance, technique of records journalistically but to look at some of the implicit assumptions help by the general population about physical education and sports. Despite the importance of sports, it has been used more as an instrument of escape than an instrument of learning. A sport has been taken to be an escape to the hardships of day-to-day life.

Research has shown that physical movement can affect the brain's physiology by increasing cerebral capillary growth, blood flow, oxygenation, production of neurotrophins, growth of nerve cells. These changes may be associated with improved attention; improved information processing, storage, and retrieval enhanced coping; enhanced positive affect; and reduced sensations of

cravings and pain. In recent years, research has begun to explore the particular benefits of sport for girls and young women, who are increasingly playing more sport at all levels. Studies are beginning to tease apart the issues that contribute to girls electing to play, factors that keep them playing, and reasons for their dropping out.

Research into sports psychology has revealed that, taking part in sport and physical activity helps girls become more confident and acquire self-esteem. The experience of positive team sport can play the mediatory role with the risks of low social acceptance and body dissatisfaction. Determining the relationship between selfconcept and sport participation is complicated by the measurement models used across studies, but greater participation in sport has been found to be relational to greater emotional and behavioral wellbeing.

Role of Yoga in Social Development:

1. **Mental Health and Emotional Stability:** Yoga practices help reduce stress, anxiety, and depression. A mentally balanced person is more likely to contribute positively to society.
2. **Self-awareness and Inner Peace:** Yoga promotes inner peace, empathy, and self-control—key qualities that support peaceful coexistence and reduce social conflict.
3. **Community Well-being:** Group sessions and yoga camps establish social networks and make it easier to heal together with people.
4. **Enhancing Focus in Youth:** Yoga improves concentration and memory, which helps students perform better academically and socially.

Combined Impact: Sports and Yoga Together: Sports and yoga are complementary to each other, when they are integrated, then they can provide a venerable balance

concerning both physical and mental health. Educational institutions and community centers that incorporate both have shown improvements in overall student behavior, reduced dropout rates, and enhanced emotional intelligence.

Conclusion: Sports and yoga are not just tools for fitness—they are catalysts for social development. They foster community spirit, reduce inequalities, and create a healthier, more unified society. Their importance in shaping the future generation cannot be underestimated, and their integration into social policy is essential for sustainable development.

References:-

1. Gruneau, Richard class, sports and social development the university of Massachusetts press ISBN 0-87023-387-4.
2. Moorthy, A.M and Jain, John, Effect of selected exercises and yogasana with diet regulations in managing blood cholesterol levels of obese female college students vyayamvidnyanavol 46 No.3, August 2013, pp. 34-35.
3. Roy S.S. and Roy, Ravindranath, Modern Living Kit: Health and Fitness, Authors Press, Delhi, 2001,p. 123.
4. American Journal of Health Promotion. Winter 1989, vol 3.
5. Yadav, S.K., Kumar, A., Kumar, V. and Kumar, A.(2015). Importance of yoga in daily life, DOI:10.13140/RG.2.1.4538.3842.
6. United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
7. Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India.
8. Research articles from journals like Social Science & Medicine and Journal of Health Psychology.

समकालीन हिन्दी कविता और दलित विमर्श

डॉ. निर्मला राव*

* सहायक आचार्य (विद्या संबल), राजकीय महाविद्यालय, बड़गांव, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – आज जिस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में हम सांस ले रहे हैं उसमें न केवल मनुष्य के मूल्यों और विचारों में परिवर्तन आया है, अपितु कविता के सम्पूर्ण परिदृश्य ने भी एक नया रूप ले लिया है। हिन्दी कविता सतत् प्रवाहमान ऐसी ही सरिता है जिसे युगीन परिवेश की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं ने अपने-अपने तरीके से गति और आकृति प्रदान की। वैसे तो प्रत्येक युग की कविता अपने समय की पहचान है, जीवन्त दस्तावेज है। किन्तु समकालीन हिन्दी कविता अपने पूर्ववर्ती सभी कालों, युगों तथा आन्दोलनों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि अन्य युगों की कविताएं जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों को लेकर लिखी गयी है, जबकि समकालीन कविता जीवन की कुरूपता और सुरुपता को उसके वर्तमान रूप में स्वीकार करते हुए रची गयी है।

समकालीन कविता में बदलते हुए परिदृश्य को पूरी यथार्थता के साथ चित्रित किया है तथा जीवन और जगत से जुड़ी प्रत्येक स्थिति का अत्यन्त भावपूर्ण चित्रण करते हुए युगीन परिवेश को कविता के माध्यम से आम जन के सामने रखा है।

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय समकालीन कविता के परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं- 'समकालीन कविता में जो हो रहा है, उसका सीधा खुलासा है। इसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है क्योंकि इसमें जीते, संघर्ष करते, लड़ते, लड़ते, लड़ते, लड़ते तथा ठोकर खाकर सोचते आदमी, वास्तविक आदमी का परिदृश्य है। आज की कविता में काल अपने गत्यात्मक रूप में है। ठहरे हुए क्षणों के रूप में नहीं, यह काल क्षण नहीं, प्रवाह की घातक और विस्फोटक कविता है।' वस्तुतः समकालीन कविता युगीन यथार्थ व वास्तविकता को अभिव्यक्ति प्रदान करती है।

समकालीन कविता नई कविता आन्दोलन, साठोत्तरी हिन्दी कविता के समानान्तर आए विभिन्न काव्यान्दोलनों के अवसान के पश्चात् हिन्दी कविता के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान सूर्य के रूप में उदित हुई है। समकालीन हिन्दी कविता का उद्देश्य आज के दौर की विसंगतियों को उभारना है। साथ ही युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति के रूप में देश में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मूल्यहीन राजनीति, बेरोजगारी, गरीबी, समाज में युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा तनाव, साथ ही आज के दौर की भयावह आतंकवादी घटनाएं आदि समस्याओं का खुलकर ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए आम जन, समाज यहां तक कि सम्पूर्ण देश के सामने समसामयिक परिवेश को पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत किया है।

अतएव समकालीन कविता अपने समय की पहचान है। यह तथाकथित

आदर्शों एवं कल्पना लोक के चक्कर नहीं काटती अपितु आज के बदलते हुए परिवेश, मूल्यों एवं संघर्ष करते हुए आदमी की सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करती है। डॉ. शुक्देव सिंह समकालीन कविता की पहचान बताते हुए कहते हैं कि 'समकालीन कविता की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह आक्रामक है। आज के लेखन ने कविता को क्रान्ति के लिए बेहतर हथियार के रूप में चुना है।' डॉ. रमेशचन्द्र शर्मा ने भी सप्तमदशकोत्तरी कविता को ही समकालीन कविता नाम दिया है।

समकालीन कविता का कैनवास काफी विस्तृत है। समकालीन कवि का सरोकार हर उस आदमी से है जो समाज के हाशिए से विलग है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न विमर्श आन्दोलनों के रूप में उमरने लगे। सदियों से समाज में स्त्री, दलित, आदिवासी आदि के प्रति होने वाले उत्पीड़न को हम सुनते व देखते आ रहे हैं। समाज के इस वर्ग को सदियों से सामाजिक, धार्मिक, मानसिक एवं आर्थिक आधार पर शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है। किन्तु डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से समाज का यह दलित वर्ग अपने अधिकारों के लिए पढ़ लिख कर जागृत हुआ और इस वर्ग में एक चेतना आई। इसी चेतना के फलस्वरूप उनमें अपने समाज की दीन दशा को देखकर, समाज को एक नयी दिशा व दृष्टि प्रदान करने की संकल्पना विकसित हुई और परिणामस्वरूप दलित साहित्य का जन्म हुआ।

समकालीन कविता में 60 के दशक में मराठी साहित्य और दलित मराठी कविता के साथ ही व डॉ. भीमराव अम्बेडकर व ज्योतिबा फूले से प्रेरणा प्राप्त कर दलित कविता अवतरित हुई और यह दलित कविता आज समकालीन कविता में प्रतिष्ठित हो चुकी है।

आज हम समकालीन कविता में देखते हैं कि दलित-विमर्श कविताओं के माध्यम से एक नये रूप, नये तेवर लिए दिखाई देता है। इन कविताओं के माध्यम से आक्रोश का ज्वालामुखी फूट रहा है। दलितों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार आज के दलित कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। इन दलित कवियों ने अपनी कविताओं में परम्परागत रूप से चली आ रही वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था, हिन्दुओं के धार्मिक कर्मकाण्ड, दलितों और सर्वों के बीच की असमानता को समाज के सम्मुख उजागर किया है और दलितों के प्रति होने वाले दुर्घवहार को देखकर दलित कवि का आक्रोश भी फूटता है।

समकालीन कविता में दलित-विमर्श उत्तेजनापूर्ण तेवर के साथ चित्रित हुआ है। ओमप्रकाश वाल्मीकि सदियों से यातना भोगते दलित वर्ग को

देखकर तिलमिला उठते हैं। वे अपने काव्य संकलन 'बरस! बहुत हो चुका मैं अपनी इसी तिलमिलाहट को व्यक्त किए हुए लिखते हैं-

'जब भी देखता हूँ मैं
झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर
किसी हाथ में मेरी रंगों में
दहकने लगते हैं
यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ
आँखों में उतर आता है
इतिहास का स्याहपन
अपनी आत्मघाती कुटिलताओं के साथ।'³

और कवि अपना आक्रोश प्रकट करता हुआ कहता है-

'बरस !
बहुत हो चुका
चुप रहना
निरर्थक पड़े पत्थर
अब काम आएंगे सन्तसजनों के।'⁴

मलखान सिंह हिन्दी दलित कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कविताएं वास्तविक अनुभूति का जीवन्त पस्तावेज हैं। उनके काव्य संग्रह सुनो ब्राह्मण की निम्नलिखित पंक्तियां इसी वास्तविकता को व्यक्त करती हैं। वे लिखते हैं-

'बलवती होती है जो देह की गंध से।
सुनो ब्राह्मण
हमारे पसीने से
बू आती है तुम्हें
फिर ऐसा करो
एक दिन अपनी जनानी को
हमारी जनानी के साथ
मैला कमाने भेजो
तुम मेरे साथ आओ
चमड़ा पकाएंगे
मिल बैठकर
मेरे बेटे के साथ
तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को
बलवती होती है जो देह की गंध से।'⁵

मलखान सिंह समाज के सवर्ण वर्ग को व्यंग्य रूप में उसी यथार्थ को भोगने की बात कहते हैं जिसे समाज का दलित वर्ग वर्षों से भोग रहा है।

समकालीन दलित कवियों में जयप्रकाश कर्दम एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने स्वयं दलित जीवन को जीया है। वे दलित जीवन की नारकीयता से मुक्ति पाने के लिए वर्ण-व्यवस्था का विरोध करते हुए अपने कविता संग्रह 'गूंगा नहीं था मैं' के माध्यम से न्याय की मांग करते हैं। दलितों के लिए सामाजिक न्याय की मांग करते हुए श्दमन की दहलीज पर कविता में लिखते हैं-

'तमाम विरोधों और दबावों के बावजूद
जाति के जंगल का यह जीव
अपनी मुक्ति के लिए अड़ा है
अपनी अस्मिता और अस्तित्व के लिए लड़ा है

और आज
तमाम हौसलों के साथ
हाथों में खंजर लिए वह
दमन की दहलीज पर खड़ा है
ललकार रहा है चीखकर।'⁶

इस प्रकार कवि दलितों को इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए उनमें नयी चेतना का संचार करता है। पीढ़ियों से दलित अपमान, शोषण, अत्याचार, जुल्म आदि को सह कर भी समाज की इस हिंसा आधारित वर्ण व्यवस्था से बदला लेने के लिए कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता। क्योंकि दलित की अन्तरात्मा उसे ऐसा करने से रोकती है। इसीलिए दलित अपनी मुक्ति के लिए कलम का सहारा लेते हुए आवाज उठाता है। जयप्रकाश कर्दम कलम को तीर बनाकर दलित विरोधी व्यवस्था पर चलाते हुए लिखते हैं-

'यही रहा मेरे
दमन और शोषण का हाल, तो
आज नहीं तो कल
हरकत में जरूर आर्येंगे
मेरे हाथ।'⁷

इसी संदर्भ में समकालीन दलित लेखिकाओं में रमणिका गुप्ता भी अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। उनके काव्य संग्रह 'अब मूरख नहीं बनेंगे हम' की समस्त कविताएं दलित कविताएं हैं। इसी संग्रह की एक कविता 'गंधे का स्वर' में वे सवर्ण की व्यवस्था का शिकार हुए जन की पीड़ा को उकेरती हैं। वे लिखती हैं-

'मैंने भाग्य का फल नहीं
तुम्हारी साजिश का फल
भोगा है
तुम्हारी व्यवस्था का जुआ पहन
जोता है हल
जिसे मेरे हाथों के हाथी ने ही
दिया है बल
मेरे पांव के घोड़े ने
दी है रपतार
दी है गति
गंधे के सिर ने
दी मेहनत
बिना सोचे बिना समझे
लादा तुम्हारा बोझा
अपने कन्धे
अपनी ही गुलामी को माना-
अपना भाग्य।'⁸

यहां रमणिका गुप्ता ने इस बात को स्पष्ट किया है कि दलित स्वयं अपने को समाज के सवर्णों का गुलाम मानता है और गुलामी को अपना भाग्य समझता है। कवयित्री ने इन पंक्तियों के माध्यम से दलित वर्ग को जगाते हुए कहा है कि उठो तुम्हें अपने भाग्य को स्वयं बदलना है। वह इस वर्ग को सूरज बनने के लिए कहती है। अपनी कविता सूरज बनो सूरज में वे दलित वर्ग को जगाते हुए लिखती हैं-

‘सूरज
अंधेरी के खिलाफ
सुबह से सांझ तक
लड़ता है अकेले ही
पूर्व से पश्चिम तक का सफर
तय करता है अकेले ही
जूझता है रात भर-
सुबह के इन्तजार में
रोशनी का संकल्प लेकर !
अंधेरे भाग जाते हैं।

बस सूरज बनी! सूरज!⁹

इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने इस वर्ग को सूरज बन कर अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए संदेश दिया है। वे कहती हैं कि समाज में अपनी पहचान तुम्हें स्वयं बनानी पड़ेगी। तुम्हें भी सूरज की भांति अंधेरे से लड़कर उजाले में प्रवेश पाना है।

समकालीन दलित कविता में डी एन सिंह की कविताएं भी आक्रोश व विद्रोह लिए हुए हैं। वे दलित समाज में चेतना भरते हैं और सामाजिक न्याय की मांग करते हैं। अपने काव्य संग्रह ‘सतह से उठते हुए’ में वे सामाजिक विसंगतियों पर चोट करते हुए लिखते हैं कि-

‘सतह से उठते हुए
मैंने जाना कि
इस धरती पर किए जा रहे
श्रम में
जितना हिस्सा मेरा है
इस धरती के
हवा, पानी और
इससे उत्पन्न होने वाले
अन्न और धन में भी
X X X
मेरी झोली में होती है

भूख, बेबसी और लाचारी
इसलिए अब
मेरे हाथ की कुदाल
धरती पर नींव खोदने से पहले
कब्र खोदेगी
उस व्यवस्था की
जिसके संविधान में लिखा है
तेरा अधिकार सिर्फ कर्म में है
श्रम में है
फल पर तेरा अधिकार नहीं।¹⁰

इस कविता में कवि समाज की व्यवस्था को बदलने की बात कहता है। ऐसी व्यवस्था जिसे सवर्ण वर्ग ने बनायी है।

इस प्रकार समकालीन हिन्दी कविता में दलित विमर्श के संदर्भ में ये कविताएं अपने तीखे तेज, आक्रोशपूर्ण और विद्रोह पूर्ण तेवर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। समकालीन हिन्दी कविता में कवि शोषित व पीड़ित दलितों के मानवीय संघर्ष को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए उनके प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं साथ ही वह इस वर्ग को स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागृत करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, ‘समकालीन कविता की भूमिका’, पृ. सं. 3
2. सुखदेव सिंह, ‘धूमिल की कविताएँ’, भूमिका से
3. ओम प्रकाश वाल्मीकि, ‘बस्स! बहुत हो चुका’, पृ. सं. 79
4. वही, पृ. सं. 80
5. मलखान सिंह, ‘सुनो ब्राह्मण’, पृ. सं. 37
6. जयप्रकाश कर्दम, ‘गूंगा नहीं था मैं’, पृ. सं. 35
7. वही, पृ. सं. 14
8. रमणिका गुप्ता, ‘अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम’, पृ. सं. 36
9. वही, पृ. सं. 41
10. एन.सिंह, ‘सतह से उठते हुए’, पृ. सं. 11

The Dual Impact of Social Media on Youth and its Creative Approach: Navigating Benefits and Challenges in the Digital Age

Geetanjali Verma*

*Assistant Professor (Drawing & Painting) S.M. M. Govt. Girls College, Bhilwara (Raj.) INDIA

Abstract: The relationship between social media use and youth mental health has emerged as one of the most pressing concerns of the 21st century. With approximately 95% of teenagers reporting social media use and one-third engaging with these platforms “almost constantly,” understanding both the benefits and risks has become essential for parents, educators, and policymakers alike. This article examines the complex, bidirectional relationship between social media and adolescent wellbeing, exploring both its potential to enhance creativity, connection, and learning, as well as its documented associations with mental health challenges including depression, anxiety, and cyberbullying.

Keywords : Social Media, Youth, Teenagers, Creativity, Depression, Anxiety, Cyberbullying.

Introduction - Social media has fundamentally transformed how young people communicate, learn, and develop their identities. The digital landscape has become an inextricable part of adolescent life, with platforms such as YouTube, TikTok, Instagram, and Snapchat dominating teenage online activity. While society has historically expressed concern about technology’s impact on youth—from radio to television—the hyper connected nature of social media has introduced unprecedented anxieties about its effects on the developing adolescent brain and mental health outcomes. The debate surrounding social media’s impact on youth has intensified significantly in recent years. In May 2023, United States Surgeon General Dr. Vivek Murthy released an advisory titled “Social Media and Youth Mental Health,” citing growing evidence that these platforms may be causing harm to young people’s psychological wellbeing¹. The American Psychological Association followed with its own health advisory.

However, the picture is far more nuanced than simple condemnation suggests. Recent research demonstrates that social media’s impact varies significantly depending on usage patterns, individual vulnerabilities, and the quality of offline relationships. This article explores both sides of this complex equation, examining peer-reviewed research to provide a comprehensive understanding of social media’s dual impact on today’s youth.

The Documented Benefits of Social Media for Youth

Social Connection and Support Networks: One of social media’s most significant positive effects is its capacity to foster meaningful social connections. Research indicates that 80% of teens report that social media makes them

feel more connected to what is happening in their friends’ lives, while 71% feel it helps them learn about their friends’ emotions and experiences. These platforms serve as virtual gathering spaces where adolescents can maintain friendships, share experiences, and express themselves freely.

For marginalized youth, social media can serve as a literal lifeline. Studies have demonstrated that Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer (LGBTQ+) youth, who may feel isolated or misunderstood in their offline communities, find acceptance and belonging through online platforms.² These digital spaces provide safe environments where young people can explore their identities without fear of discrimination or judgment. Research published in 2022 found that social media use can support the mental wellbeing of LGBTQ+ youth by enabling peer connection, identity development, and access to social support networks. Similarly, seven out of ten adolescent girls of dark complexion, reported that social media helps them feel more. The National Academies of Sciences documented that social connections built online can translate into instrumental support—practical assistance that helps young people meet tangible needs. Social media enables teenagers to build social capital that can be leveraged for internships, job opportunities, and career networking. Programs have successfully used social media to connect high school seniors from underrepresented ethnic groups with academic and career mentors, demonstrating the platforms’ potential for promoting social mobility.

Creative Expression and Identity Development: Social media provides unprecedented opportunities for creative

self-expression. Platforms like Instagram, TikTok, and YouTube allow teenagers to showcase their artistic talents, whether through photography, videography, music, writing, or digital art. This creative outlet is particularly important during adolescence, a developmental period characterized by identity exploration and formation.

Research confirms that creative expression online helps teens explore their talents, receive positive feedback, and recognize their voices as valuable. Many young people have successfully built small businesses, launched creative projects, and developed professional portfolios through social media like YouTube channels, Instagram etc. The ability to curate their online presence empowers teens to express their individuality, fostering autonomy and contributing to healthy self-identity development.

Educational Opportunities and Digital Literacy: Contrary to concerns about distraction, social media can serve as a powerful educational tool. A 2023 study from Bangladesh found that students using social media platforms for collaborative learning demonstrated improvements in creativity, motivation, and academic engagement. The research concluded that students who connected with instructors and peers through social networking sites showed enhanced capacity for collaborative activities and information sharing.

Educational institutions and organizations have embraced these platforms to democratize learning. Universities stream lectures through YouTube Live and Facebook Groups, making education more accessible to diverse learners. Museums, scientific organizations like NASA, and educational institutions regularly share content that inspires curiosity and learning. Importantly, these platforms can be particularly beneficial for students with hearing impairments or non-native speakers through captioning features and the ability to review content at their own pace.

Social Awareness and Civic Engagement : Social media has empowered youth to engage with causes they care about and participate in civic discourse. Young people use these platforms to raise awareness about global issues, organize campaigns, participate in activism, and engage in the political process. This digital civic engagement helps teenagers develop social awareness, leadership skills, and a sense of purpose beyond their immediate communities. Research indicates that 60% of young people report that social media helps them learn about different cultures and people's lives, building empathy and global awareness. This exposure to diverse perspectives and international issues can foster a more informed and engaged generation of citizens.

The Documented Risks and Concerns -

Mental Health Impacts: Depression and Anxiety: While social media offers benefits, substantial research demonstrates concerning associations with mental health challenges. A systematic review published in August 2023

identified a statistically significant relationship between social media use and depression symptoms among adolescents. Multiple studies have documented correlations between heavy social media use and increased rates of both anxiety and depression, with mechanisms including social comparison, peer feedback-seeking, and exposure to cyberbullying contributing to emotional dysregulation and diminished self-esteem.⁶

The statistics are sobering. . More concerning, the share of teens who credit social media as a support system has declined from 67% in 2022 to just 60 % in 2023, suggesting a growing recognition of these platforms' limitations.

Neuroimaging research provides biological evidence for these concerns. A 2023 study published in JAMA Paediatrics found that habitual checking behaviours on social media were associated with changes in longitudinal functional brain development. Research suggests that excessive digital engagement during critical neurodevelopmental periods may lead to deficits in social engagement and communication skills, potentially interfering with brain regions responsible for social interaction, language acquisition, and executive function.¹⁵

Sleep Disruption and Physical Health: Poor sleep quality represents another significant concern associated with social media use. Late-night engagement with social media platforms disrupts circadian rhythms and reduces overall sleep duration, which subsequently exacerbates mental health symptoms and contributes to chronic emotional fatigue. The blue light emitted by screens and the cognitively stimulating nature of social media content both interfere with the body's natural preparation for sleep.

Cyberbullying and Online Harassment: Cyberbullying has emerged as a pervasive threat in digital spaces. Research indicates that approximately 60% of adolescent girls report being contacted by strangers on social media in inappropriate ways, with young girls and transgender youth at highest risk for harassment and abuse online. Unlike traditional bullying, cyberbullying can occur 24/7, follows victims into their homes, and often involves permanent digital records that can be widely distributed.³ The psychological impact of cyberbullying can be severe. Adolescents who experience online harassment show increased risk for depression, anxiety, and suicidal ideation.⁶ Those who lack strong support from caregivers or positive peer relationships are more likely to internalize these harmful experiences and may struggle to seek help due to fear of retaliation or judgment.

Social Comparison and Body Image Concerns: Social media platforms facilitate constant social comparison, particularly around physical appearance and lifestyle. Exposure to curated, filtered images creates unrealistic beauty standards and contributes to body dissatisfaction. Multiple studies have documented associations between social media use and heightened body image concerns,

eating disorder symptoms, and appearance-related anxiety, with teen girls reporting these effects at higher rates than boys.

Research has identified that 34% of teen girls say social media makes them feel worse about their own lives, compared with 20% of boys. The phenomenon of "Fear of Missing Out" (FOMO) further exacerbates these concerns, as adolescents compare their behind-the-scenes reality with others' highlight reels, leading to feelings of inadequacy and social exclusion.

Addiction and Compulsive Use : Social media platforms are deliberately designed to maximize user engagement through dopaminergic reward pathways. Features like infinite scrolling, push notifications, and variable reward schedules (likes, comments, shares) create patterns of compulsive checking that can resemble addictive behaviours. The American Academy of Paediatrics has warned that media use and screen time are associated with increased risks including attention deficits, increased aggression, low self-esteem, and depression.

Studies examining the neurobiological aspects of social media use reveal that these platforms activate reward centres in the adolescent brain, which is particularly susceptible to reinforcement learning during this developmental period. This biological vulnerability, combined with algorithmic optimization for engagement, can lead to problematic usage patterns that interfere with academic performance, face-to-face relationships, and overall wellbeing.⁸

Exposure to Harmful Content : The open nature of social media exposes young users to potentially harmful content, including substance-related material, self-harm imagery, suicide-related content, and misinformation. Algorithms designed to maximize engagement may inadvertently create echo chambers or "rabbit holes" that expose vulnerable youth to increasingly extreme content.⁸ The 2023 U.S. Surgeon General's Advisory specifically highlighted concerns about exposure to content that promotes or normalizes self-harm and suicidal behaviour.¹

Individual Differences and Contextual Factors : Research increasingly demonstrates that social media's impact varies significantly based on individual differences and contextual factors. Not all adolescents experience social media in the same way, and vulnerability to negative effects depends on multiple variables including:

Pre-existing mental health conditions: Youth with existing anxiety, depression, or other mental health challenges may be more vulnerable to social media's negative effects.⁷

Quality of offline relationships: Strong family connections and positive peer relationships can buffer against online risks

Type of engagement: Active use (posting, messaging, creating content) generally shows more positive associations than passive consumption (scrolling, comparing).

Time spent: Moderate use shows different effects than excessive engagement.⁴

Platform choice: Different platforms have varying cultures and features that may differentially impact users.

Developmental stage: Early adolescents may be more vulnerable than older teens.

Gender and identity: Teen girls and LGBTQ+ youth report different patterns of benefits and risks.

A 2023 scoping review emphasized this complexity, noting that while some studies report negative effects, others identify positive outcomes, with the relationship between social media and mental health described as "highly complicated and multifaceted."⁵ The American Psychological Association acknowledged that adolescents mature at different rates, making universal age recommendations or guidelines difficult to establish.

Current Interventions and Recommendations :

Clinical and Public Health Approaches : Healthcare providers and mental health professionals are increasingly incorporating social media assessment into standard practice. The U.S. Preventive Services Task Force recommends routine annual screening of adolescents aged 12-18 for depression and suicide risk, recognizing that problematic social media use often accompanies these conditions.

A 2023 systematic review examining digital detox interventions found that gradual reduction in social media usage led to significant reductions in depressive symptoms, though effects on overall wellbeing, life satisfaction, and stress were not statistically significant. This suggests that moderation rather than complete abstinence may be the most realistic and effective approach.

Parental Guidance and Family Approaches:

Research demonstrates that parental involvement plays a crucial role in moderating social media's impact.¹⁰ Effective strategies include:

Open communication: Regular, non-judgmental conversations about online experiences.

Limit-setting and routines: Establishing boundaries around device-free times and spaces.

Modelling healthy behaviour: Parents demonstrating balanced technology use.

Active monitoring: Age-appropriate oversight of online activity.

Education about privacy and safety: Teaching critical evaluation of online content.

Studies have found that parental use of routines and limit-setting is associated with healthier screen time patterns.¹⁰ However, research from 2023 reveals a disconnect between parental and teen perspectives: while 55% of parents report being extremely or very concerned about teen mental health today, only 35% of teens share this level of concern.⁹

Platform Responsibility and Design Changes : The lawsuits filed by New York City against major social media

companies reflect growing pressure for platforms to prioritize user wellbeing over engagement and revenue. Recommendations include-

Implementing stricter age verification and parental controls.
 Redesigning algorithms to reduce harmful content exposure.

Providing robust reporting mechanisms for harassment and bullying.

Offering built-in tools for tracking and limiting usage time.

Increasing transparency about data collection and algorithmic curation.

Collaborating with researchers and mental health professionals.

The U.S. Surgeon General has called on companies to improve safety, health, and wellbeing of users, emphasizing that technology companies bear responsibility for understanding and mitigating potential harms of their products.¹³

Educational Approaches :

Schools and educational institutions have begun implementing digital literacy and wellness curricula that address -

Critical thinking about online content and media literacy.

Healthy relationship building both online and offline.

Recognizing signs of problematic use or cyberbullying.

Developing coping strategies for social comparison and FOMO.

Understanding privacy, digital footprints, and online safety.¹⁴

The American Psychological Association's 2023 recommendations advocate for education about appropriate social media use based on scientific evidence, emphasizing the importance of teaching youth to engage with these platforms in ways that support rather than undermine their wellbeing.

Conclusion : The relationship between social media and youth wellbeing cannot be reduced to simple narratives of either unqualified benefit or universal harm. As this review of research through January 2023 demonstrates, social media serves as both a powerful tool for connection, creativity, and learning, and a potential source of significant psychological distress.

For many young people, particularly those from marginalized communities or with chronic illnesses, social media provides essential support networks, identity exploration opportunities, and access to resources unavailable in their offline environments. The platforms enable creative expression, civic engagement, and educational advancement in unprecedented ways. However, these same technologies facilitate harmful comparison, cyberbullying, sleep disruption, and compulsive use patterns that correlate with increased depression, anxiety, and other mental health challenges.

Moving forward, the focus must shift from whether social media is inherently good or bad to how we can maximize its benefits while minimizing its harms. This

requires coordinated efforts from multiple stakeholders: technology companies must prioritize user wellbeing in platform design; policymakers should establish appropriate regulations and safeguards; healthcare providers need to incorporate digital media assessment into routine care; parents must engage in open communication and modelling of healthy technology use; and educators should teach critical digital literacy skills.

Perhaps most importantly, we must listen to young people themselves, who consistently demonstrate more nuanced understanding of social media's dual nature than adult discourse often acknowledges. Research shows that while teens increasingly recognize problematic aspects of their social media use, they also continue to value the connections, creativity, and opportunities these platforms provide. The goal should not be to eliminate social media from adolescent life—an unrealistic and potentially counterproductive aim—but rather to empower young people with the tools, knowledge, and support necessary to navigate the digital landscape in ways that enhance rather than diminish their wellbeing.

As social media continues to evolve and new platforms emerge, ongoing research, open dialogue, and adaptive interventions will remain essential. The mental health and development of current and future generations depend on our collective ability to harness digital technology's potential while protecting young people from its documented risks.

References :-

1. Murthy, V. (2023). Social Media and Youth Mental Health: The U.S. Surgeon General's Advisory. U.S. Department of Health and Human Services.
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563224000621#bib7>
3. Abi-Jaoude, E., Naylor, K. T., & Pignatiello, A. (2020). Smartphones, social media use and youth mental health. *Canadian Medical Association Journal*, 192(6), E136-E141
4. Sudheer Kumar Muppalla ¹, Sravya Vuppapapati ², Apeksha Reddy Pulliahgaru ³, Himabindu Sreenivasulu ⁴ Cureus (2023 Jun) Effects of Excessive Screen Time on Child Development: An Updated Review and Strategies for Management
5. American Psychological Association. (2023). Social media brings benefits and risks to teens. *APA Monitor*.
6. Cunningham, S., et al. (2021). Social media and depressive symptoms in childhood and adolescence: A systematic review. *Adolescent Research Review*, 6, 329-350.
7. Ching, C. C., et al. (2018). Youth appropriation of social media for learning and self-expression. *Computers in Human Behavior*, 50, 385-391.
8. Biernesser, C., et al. (2020). Social media use and deliberate self-harm among youth: A systematic review. *Journal of Affective Disorders*, 274, 59-68.

9. Damodar, J., et al. (2022). Social media use and mental health among adolescents: A comprehensive review. *Journal of Adolescent Health*, 71(3), 245-257.
10. Hilty, D. M., et al. (2023). Digital mental health for youth: Considerations for clinicians, families, and systems. *Current Psychiatry Reports*, 25(9), 403-415.
11. Garg, P., & Pahuja, D. S. (2020). Social media: Concept, role, categories, trends, social media and AI, impact on youth, careers, recommendations. In *Managing Social Media Practices in the Digital Economy* (pp. 172-192).
12. Khalaf, A. M., et al. (2023). The impact of social media on the mental health of adolescents and young adults: A systematic review. *Cureus*, 15(8), e42990.
13. U.S. Department of Health and Human Services. (2022). Protecting youth mental health: The U.S. Surgeon General's advisory.
14. Nesi, J., & Prinstein, M. J. (2015). Using social media for social comparison and feedback-seeking: Gender and popularity moderate associations with depressive symptoms. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 43(8), 1427-1438.
15. Prasad, S., et al. (2023). Social media use and adolescent mental health: A systematic review of longitudinal studies. *Clinical Psychology Review*, 101, 102267.

मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन का अध्ययन

डॉ. ज्योति सिंह*

* अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध आलेख में मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन की प्रकृति, उसकी आवश्यकता, प्रभावशीलता तथा उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का गहन विश्लेषण किया गया है। वर्तमान युग में महँगाई, सीमित आय, बढ़ती पारिवारिक आवश्यकताओं तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण मध्यम वर्गीय परिवारों के समक्ष आर्थिक संतुलन बनाए रखना एक गंभीर चुनौती बन गया है। ऐसे में मासिक बजट प्रबंधन परिवार की आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति एवं भविष्य की सुरक्षा का एक प्रभावी साधन सिद्ध होता है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि मध्यम वर्गीय परिवार किस प्रकार अपनी मासिक आय का नियोजन करते हैं, बजट निर्माण में किन कठिनाइयों का सामना करते हैं तथा बजट प्रबंधन का पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि जिन परिवारों में सुनियोजित बजट प्रबंधन अपनाया जाता है, वहाँ आर्थिक तनाव अपेक्षाकृत कम पाया जाता है तथा बचत एवं संसाधन-उपयोग की क्षमता अधिक होती है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना रहा कि सीमित आय की परिस्थितियों में मध्यम वर्गीय परिवार किस प्रकार अपने आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करते हैं तथा बजट प्रबंधन का पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन एवं भविष्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। शोध में यह स्पष्ट हुआ कि बजट प्रबंधन केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों से भी जुड़ा हुआ है। अध्ययन यह भी सिद्ध करता है कि गृहिणी की भूमिका बजट प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा गृह प्रबंधन शिक्षा से बजट प्रबंधन की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

प्रस्तावना – परिवार समाज की सबसे छोटी किंतु सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। किसी भी समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना परिवार के माध्यम से ही विकसित होती है। परिवार की आर्थिक व्यवस्था उसके सदस्यों के जीवन-स्तर, मानसिक संतुलन तथा सामाजिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारतीय समाज में मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या सर्वाधिक है और यही वर्ग सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव झेलता है। मध्यम वर्गीय परिवारों की आय सामान्यतः सीमित एवं निश्चित होती है, जबकि उनकी आवश्यकताएँ निरंतर बढ़ती रहती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती लागत ने इस वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव उत्पन्न कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में यदि आय एवं व्यय के बीच संतुलन स्थापित न किया जाए, तो पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता, तनाव तथा असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मासिक बजट प्रबंधन गृह प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके अंतर्गत परिवार अपनी मासिक आय को पूर्व-नियोजित ढंग से विभिन्न आवश्यकताओं में विभाजित करता है। बजट प्रबंधन न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, बल्कि भविष्य के लिए बचत एवं आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने में भी सहायक सिद्ध होता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट प्रबंधन केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन-शैली का एक आवश्यक अंग बन चुका है। मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन के अध्ययन की आवश्यकता वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण और भी बढ़ गई है। यह वर्ग एक ओर सीमित आय से बैधा हुआ है, तो दूसरी ओर सामाजिक अपेक्षाओं एवं उपभोक्तावादी

संस्कृति के प्रभाव में निरंतर खर्च करने को विवश है। परिणामस्वरूप, बिना सुनियोजित बजट के परिवार आर्थिक असंतुलन एवं मानसिक तनाव का सामना करता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बजट प्रबंधन परिवार को आर्थिक अनुशासन सिखाता है। यह परिवार को यह समझने में सहायता करता है कि कौन-से व्यय आवश्यक हैं और किन व्ययों पर नियंत्रण किया जा सकता है। बजट प्रबंधन के माध्यम से परिवार अपनी आय का अधिकतम उपयोग कर सकता है तथा भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है।

गृह प्रबंधन एवं पारिवारिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गृहिणी की भूमिका को उजागर करता है। भारतीय परिवारों में गृहिणी प्रायः आय-व्यय के संतुलन की मुख्य जिम्मेदार होती है। अतः बजट प्रबंधन का अध्ययन महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन की स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके साथ-साथ यह जानना भी उद्देश्य है कि परिवार अपनी आय को किस प्रकार विभिन्न आवश्यकताओं में विभाजित करते हैं, बजट निर्माण में किन समस्याओं का सामना करते हैं तथा बजट प्रबंधन का पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन एवं आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है।

पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि बजट प्रबंधन पारिवारिक आर्थिक स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार है। गुप्ता ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि जिन परिवारों में नियमित बजट बनाया जाता है, वहाँ अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण पाया जाता है। शर्मा के अनुसार गृहिणी की

शिक्षा एवं वित्तीय जागरूकता बजट प्रबंधन को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंह ने मध्यम वर्गीय परिवारों पर किए गए अपने अध्ययन में यह बताया कि आय एवं व्यय के बीच असंतुलन पारिवारिक तनाव का प्रमुख कारण है। उनके अनुसार बजट प्रबंधन से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी मधुरता आती है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि परिवारों में वित्तीय नियोजन जीवन-स्तर को सुधारने में सहायक होता है। पूर्व शोधों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि बजट प्रबंधन पर अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के संदर्भ में, जहाँ आर्थिक दबाव अपेक्षाकृत अधिक होता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करने हेतु उपयुक्त शोध प्रविधि का चयन किया गया है। यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, क्योंकि इसमें मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ उससे जुड़े सामाजिक एवं आर्थिक कारकों का विश्लेषण भी किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का संकलन कर उनके आधार पर बजट प्रबंधन की वास्तविक स्थिति को समझना तथा उसकी व्याख्या करना रहा है।

इस शोध में सर्वेक्षण पद्धति को अपनाया गया, क्योंकि यह पद्धति सामाजिक एवं पारिवारिक अध्ययनों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। सर्वेक्षण के माध्यम से परिवारों की आय, व्यय, बचत एवं बजट निर्माण से संबंधित जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई। शोध की इकाई मध्यम वर्गीय परिवार रहे, जिनकी मासिक आय सीमित एवं अपेक्षाकृत स्थिर थी। अध्ययन में परिवार के उस सदस्य से जानकारी प्राप्त की गई जो बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसमें अधिकांशतः गृहिणी सम्मिलित रही। शोध अध्ययन का क्षेत्र सतना जिले के शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्र रहा, जहाँ मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ एक ओर आधुनिक जीवन-शैली का प्रभाव दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर सीमित आय के कारण आर्थिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार शिक्षा, सेवा एवं छोटे व्यवसायों से जुड़े हुए पाए गए, जिससे बजट प्रबंधन की विविध परिस्थितियों को समझने में सहायता मिली। शोध अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक संरचना यह दर्शाती है कि मध्यम वर्गीय परिवार आधुनिक आवश्यकताओं और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि बजट प्रबंधन की भूमिका इन परिवारों में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

न्यादर्श चयन – अध्ययन के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन पद्धति का प्रयोग किया गया। इस पद्धति के अंतर्गत केवल उन्हीं परिवारों को शामिल किया गया जो मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते थे तथा जिनकी मासिक आय निश्चित थी। नमूना चयन में यह विशेष ध्यान रखा गया कि परिवारों की आय, शिक्षा स्तर एवं पारिवारिक संरचना में विविधता बनी रहे, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक व्यापक एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण हों। न्यादर्श चयन की इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हुआ कि अध्ययन में सम्मिलित परिवार बजट प्रबंधन की वास्तविक समस्याओं एवं अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं। इससे शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि हुई।

आंकड़ों के संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से परिवारों की आय, व्यय, बचत, बजट बनाने की आदत एवं उससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से परिवारों के अनुभवों, दृष्टिकोणों एवं भावनात्मक पक्षों को समझने का प्रयास किया गया। तथ्य संग्रह के दौरान यह देखा गया कि कई परिवार बजट बनाने की आवश्यकता को समझते तो हैं, किंतु व्यवहार में उसे नियमित रूप से लागू नहीं कर पाते। कुछ परिवार बजट को केवल एक औपचारिक प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ इसे पारिवारिक जीवन का आवश्यक अंग मानते हैं। यह विविधता अध्ययन को अधिक गहराई प्रदान करती है।

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया गया। प्राप्त जानकारी को विषयवस्तु के अनुसार वर्गीकृत कर उनकी व्याख्या की गई। विश्लेषण के दौरान यह प्रयास किया गया कि केवल तथ्यों का वर्णन न होकर उनके पीछे छिपे सामाजिक-आर्थिक कारणों को भी समझा जाए। विश्लेषण में यह विशेष रूप से देखा गया कि बजट प्रबंधन का पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन एवं आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ-साथ गृहिणी की भूमिका, शिक्षा स्तर एवं आय की प्रकृति जैसे कारकों का भी विश्लेषण किया गया।

बजट प्रबंधन की अवधारणा – बजट प्रबंधन का तात्पर्य परिवार की आय का सुनियोजित ढंग से विभिन्न आवश्यकताओं में वितरण करना है। यह प्रक्रिया परिवार को यह समझने में सहायता करती है कि उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट प्रबंधन केवल आर्थिक गणना नहीं, बल्कि जीवन-यापन की एक रणनीति है। सैद्धांतिक रूप से बजट प्रबंधन संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें आय को सीमित संसाधन मानकर उसके अधिकतम उपयोग पर बल दिया जाता है। बजट प्रबंधन परिवार को प्राथमिकताओं का निर्धारण करना सिखाता है तथा अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करता है।

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुलन का भी महत्वपूर्ण आधार है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश परिवार सीमित एवं निश्चित आय पर निर्भर पाए गए, जबकि उनकी आवश्यकताएँ निरंतर बढ़ रही हैं। इस स्थिति में बजट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आती है, जो परिवार को आर्थिक अस्थिरता से बचाने में सहायक सिद्ध होती है। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि जिन परिवारों में बजट पूर्व नियोजित रूप से बनाया जाता है, वहाँ आय और व्यय के बीच संतुलन अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ऐसे परिवार अनावश्यक खर्चों को पहचानने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत, जिन परिवारों में बजट बनाने की परंपरा नहीं है, वहाँ आय समाप्त होने से पूर्व ही आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पारिवारिक तनाव और असंतोष बढ़ता है।

आय संरचना का विश्लेषण – अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि मध्यम वर्गीय परिवारों की आय मुख्यतः वेतन, पेंशन, छोटे व्यवसाय अथवा अस्थायी रोजगार पर आधारित होती है। आय का यह स्वरूप अपेक्षाकृत स्थिर तो होता है, परंतु उसमें वृद्धि की संभावना सीमित रहती है। इसी कारण परिवारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यय को नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है। आय के विश्लेषण से यह भी सामने आया कि जिन

परिवारों में आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हैं, वहाँ बजट प्रबंधन अधिक लचीला एवं प्रभावी पाया गया। अतिरिक्त आय स्रोत परिवार को आकस्मिक व्ययों से निपटने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक दबाव कम होता है।

व्यय संरचना का विश्लेषण – व्यय संरचना के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि मध्यम वर्गीय परिवारों का सबसे बड़ा व्यय भोजन पर होता है। यह व्यय परिवार की मूलभूत आवश्यकता को दर्शाता है। इसके पश्चात आवास, शिक्षा एवं दैनिक आवश्यकताओं पर व्यय किया जाता है। आवास पर बढ़ता व्यय शहरीकरण एवं जीवन-शैली में परिवर्तन का परिणाम है, जिसने मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है। शिक्षा पर होने वाला व्यय यह संकेत करता है कि मध्यम वर्गीय परिवार भविष्य को सुरक्षित बनाने हेतु बच्चों की शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते हैं। हालांकि सीमित आय के कारण कई परिवार शिक्षा से जुड़े अतिरिक्त संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाते, जिससे बच्चों के शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक व्यय का विश्लेषण – स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय अपेक्षाकृत कम पाया गया, जो चिंता का विषय है। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कई मध्यम वर्गीय परिवार स्वास्थ्य को प्राथमिकता सूची में पीछे रखते हैं और केवल गंभीर स्थिति में ही चिकित्सकीय सहायता लेते हैं। यह प्रवृत्ति दीर्घकाल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिससे भविष्य में आर्थिक बोझ और अधिक बढ़ सकता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यय, जैसे त्योहार, पारिवारिक समारोह एवं सामाजिक दायित्व, भी बजट पर प्रभाव डालते हैं। इन व्ययों को टालना सामाजिक दृष्टि से कठिन होता है, जिससे कई बार बजट असंतुलित हो जाता है।

बचत प्रवृत्ति का विश्लेषण – अध्ययन में यह पाया गया कि मध्यम वर्गीय परिवारों में बचत की प्रवृत्ति सीमित है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा एवं आवास खर्चों के कारण बचत के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। जिन परिवारों में बजट नियमित रूप से बनाया जाता है, वहाँ बचत की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। यह दर्शाता है कि बजट प्रबंधन बचत को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाता है। बचत की कमी का सीधा प्रभाव परिवार की भविष्य सुरक्षा पर पड़ता है। आकस्मिक परिस्थितियों, जैसे बीमारी या रोजगार की अस्थिरता, में बचत की अनुपस्थिति परिवार को आर्थिक संकट में डाल सकती है।

गृहिणी की भूमिका का विश्लेषण – अध्ययन के विश्लेषण से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट रूप से सामने आया कि गृहिणी की भूमिका बजट प्रबंधन में केंद्रीय है। जिन परिवारों में गृहिणी शिक्षित एवं वित्तीय रूप से जागरूक होती है, वहाँ बजट अधिक व्यवस्थित पाया गया। गृहिणी न केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा रखती है, बल्कि परिवार की प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का वितरण भी करती है। गृहिणी द्वारा लिया गया प्रत्येक छोटा निर्णय, जैसे दैनिक खरीदारी या बचत योजना, परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि गृह प्रबंधन शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है और पारिवारिक निर्णय-क्षमता को मजबूत करती है।

बजट प्रबंधन और पारिवारिक तनाव – विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि बजट प्रबंधन और पारिवारिक तनाव के बीच गहरा संबंध है। जिन परिवारों में बजट का पालन किया जाता है, वहाँ आर्थिक विवाद, चिंता एवं तनाव कम पाए गए। इसके विपरीत, अनियोजित खर्च करने वाले परिवारों में आर्थिक

असंतोष और पारिवारिक कलह अधिक देखी गई। बजट प्रबंधन पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता लाता है, जिससे सभी सदस्य अपनी आर्थिक सीमाओं को समझ पाते हैं। इससे आपसी सहयोग एवं समझ बढ़ती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि मध्यम वर्गीय परिवारों में बजट प्रबंधन की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका नियमित एवं वैज्ञानिक उपयोग सीमित परिवारों में ही पाया गया। अधिकांश परिवार बजट की अवधारणा से परिचित तो हैं, परंतु व्यवहार में उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते। इसका प्रमुख कारण बढ़ती महंगाई, सीमित आय एवं सामाजिक दायित्वों का दबाव है। अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि जिन परिवारों में मासिक बजट बनाया जाता है, वहाँ आय और व्यय के बीच संतुलन बेहतर पाया गया। ऐसे परिवारों में बचत की प्रवृत्ति अधिक तथा आर्थिक तनाव कम पाया गया। इसके विपरीत, बिना बजट के व्यय करने वाले परिवारों में आर्थिक अस्थिरता, चिंता एवं पारिवारिक विवाद अधिक देखे गए।

शोध परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भोजन एवं आवास मध्यम वर्गीय परिवारों के प्रमुख व्यय मद हैं, जबकि स्वास्थ्य एवं बचत पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। यह प्रवृत्ति दीर्घकाल में परिवार की आर्थिक एवं शारीरिक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

अतः अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट प्रबंधन केवल एक वैकल्पिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का अनिवार्य साधन है। सीमित आय की परिस्थितियों में बजट प्रबंधन परिवार को यह समझने में सहायता करता है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जाए। शोध अध्ययन यह भी सिद्ध करता है कि गृहिणी की शिक्षा एवं वित्तीय जागरूकता बजट प्रबंधन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ गृहिणी सक्रिय रूप से बजट निर्माण एवं व्यय नियंत्रण में भाग लेती है, वहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ पाई गई।

इसके अतिरिक्त, बजट प्रबंधन पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता, सहयोग एवं मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। यह न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को संतुलित करता है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी परिवार को तैयार करता है।

सुझाव – शोध अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को मासिक बजट निर्माण को अपनी दैनिक जीवन-प्रणाली का अनिवार्य अंग बनाना चाहिए। गृह प्रबंधन एवं वित्तीय साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के लिए, ताकि वे बजट प्रबंधन में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन एवं वित्तीय शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी आर्थिक रूप से अधिक जागरूक बन सके। इसके साथ ही, सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट प्रबंधन एवं बचत योजनाओं से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में मासिक बजट प्रबंधन आर्थिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है। यदि इसे वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध ढंग से अपनाया जाए, तो यह परिवार को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि सामाजिक एवं मानसिक

संतुलन को भी मजबूत करता है। गृह प्रबंधन शिक्षा इस दिशा में एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. Aggarwal, J. C. (2010). Educational research: An introduction. New Delhi: Arya Book Depot.
2. Bajpai, S. (2015). Family resource management. New Delhi: Discovery Publishing House.
3. Beutler, I., & Dickson, L. (2008). Consumer economic well-being. Journal of Family and Economic Issues, 29(1), 1–17.
4. Gross, I. H., Crandall, E. W., & Knoll, M. M. (2013). Management for modern families. New York: Appleton-Century-Crofts.
5. Gupta, S. (2017). Grih prabandh evam parivarik arthvyavastha. New Delhi: Kalyani Publishers.
6. Nickell, P., Rice, A. S., & Tucker, S. P. (2012). Management in family living. New York: Wiley.
7. Pahl, J. (2005). Individualisation in couple finances. The Sociological Review, 53(2), 409–428.
8. Rao, S. (2016). Women and family resource management. New Delhi: Atlantic Publishers.
9. Saxena, R. (2018). Grih vigyan shiksha aur mahila sashaktikaran. Jaipur: Rawat Publications.
10. Sharma, R. (2014). Research methodology. New Delhi: Pearson Education.
11. Singh, A. (2019). Financial literacy among middle class families. Indian Journal of Social Research, 60(3), 451–468.
12. Sinha, M. (2016). Parivarik arthik prabandhan. Patna: Bharati Bhawan.
13. UNESCO. (2014). Financial education for families. Paris: UNESCO.
14. Varghese, T. (2017). Household budgeting and stress. Journal of Family Studies, 23(2), 145–160.
15. Verma, P. (2020). Grih prabandh aur jeevan star. New Delhi: Anmol Publications.

रावतभाटा तहसील का भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन : एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश कुमार आचार्य*

* एसोसिएट प्रोफेसर, कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पीपलखूंट, प्रतापगढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि के इस संसाधन का महत्व सर्वविदित है। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की कृषि के बारे में अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष उपलब्ध भूमि का कृषि कार्यों में कितनी मात्रा में व किस प्रकार उपयोग हो रहा है। भारत कृषि प्रधान देश होने से भूमि का सर्वाधिक उपयोग फसलों के अन्तर्गत रहता है। कृषि पद्धति के अनुसार सिंचित व बरानी कृषि की जाती है। कृषि भूमि उपयोग का अध्ययन इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के अनुपात में पड़त भूमि, जोत भूमि, सिंचित भूमि तथा दूज क्षेत्र की मात्रा कितनी है।

इस अध्ययन में जो भूमि विभिन्न प्रकार के कृषि भूमि उपयोग के अन्तर्गत काम में ली जा रही है, उसका वितरण व गुणात्मक पक्ष का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के दबाव से तथा कृषि कार्य में नवीन तकनीकी अर्थात् सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, रसायनिक खाद, उत्तम श्रेणी के बीजों के उपयोग के साथ ट्रैक्टर के उपयोग से कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन कितनी मात्रा में हो रहे हैं। उनकी दिशा व गति व मात्रा कितनी हैं। उसका मूल्यांकन इसके अन्तर्गत किया जा सकता है।

भूमि उपयोग का स्वरूप प्रदेश के आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को निर्धारित एवं प्रभावित करता है। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि का अधिकतम उपयोग होने लगा है। भूमि उपयोग के अध्ययन से प्रत्येक प्रकार की भूमि का आदर्श उपयोग की योजना प्रस्तुत की जा सकती है। कृषि भूमि के अधिकतम उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी होने लगती है। कृषि नियोजन में भूमि उपयोग प्रतिरूप अपना महत्व रखता है। प्राचीन समय से ही कृषक ने अपने अनुभवों के आधार पर भूमि के गुणात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन तथा अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने की कृषि पद्धति को विकसित किया है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र का वर्तमान फसल स्वरूप वहां के भूमि के उत्पादकता की ओर इंगित करता है – क्योंकि कृषक उसी फसल को अपने खेत में प्रथम स्थान देता है जो भूमि एवं भौगोलिक वातावरण के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

भूमि उपयोग अध्ययन से उन क्षेत्रों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है जो कृषि के लिए उपयुक्त एवं अनुपयुक्त है। इसके द्वारा अनुपयुक्त भूमि व कृषि क्षेत्रों के भावी विकास के लिए कोई योजना निर्धारित की जा सकती है। विकसित क्षेत्रों के लिए वर्तमान स्तर को कायम रखा जा सकता है। भूमि उपयोग के माध्यम से मिट्टी कटाव एवं उसकी उर्वरा शक्ति की कमी का अनुमान लगाया जा सकता है। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के साथ ही

कृषि योग्य बंजर भूमि को चरागाह तथा कृषि भूमि के विस्तार की योजनाएं बनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। पड़त भूमि की मात्रा को कम करने के प्रयास किये जाने की योजनाएं भी प्रस्तुत की जा सकती है।

भूमि उपयोग की धारणा सबसे पहले उन्नीसवीं शताब्दी में मार्शल के द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने यह संकल्पना प्रस्तुत की कि यदि भूमि संसाधनों का उपयोग इसी दर से किया जाता रहा है तो वह दिन दूर नहीं जबकि मनुष्य को प्रकृति के उपहार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि मनुष्य की सीमा से बाहर होगी। इसलिए सन् 1919, 1925 तथा 1927 में कार्ल ओ. सावर ने यह सुझाव दिया कि भूमि जो कि प्रकृति का मुफ्त उपहार है। उसका सही व संतुलित रूप में सुरक्षित रूप से भूमि संसाधन का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ी के लिए रखे जाने की आवश्यकता है। भूमि नियोजन करने से पूर्व भूमि वर्गीकरण करना अतिआवश्यक है। भारत में भूमि का जो विस्तृत उपयोग हुआ है। उसमें प्रथम कृषि, द्वितीय वन तथा तृतीय पशुचारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये तीन प्रकार के वर्गीकरण सामान्य दृष्टि से सभी क्षेत्रों में लक्षित होते हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां या तो प्राकृतिक तत्वों जैसे भू-रचना, मिट्टी, धरातल के स्वरूप को देखकर या जलवायु सम्बन्धी तत्वों जैसे तापक्रम की अधिकता एवं न्यूनता, वर्षा की अधिकता एवं न्यूनता, पवनों की तीव्रता या न्यूनता के द्वारा भूमि उपयोग प्रभावित होता है। राजस्थान का अधिकांश भाग जो पश्चिम की तरफ स्थित है वहां रेगिस्तानी बलुवा मिट्टी तथा न्यून वर्षा एवं अत्यधिक तापक्रम के कारण भूमि का अधिकांश भाग बंजर भूमि के रूप में है। इसके अतिरिक्त जहां वर्षा एवं धरातल उपयुक्त है। वहां कृषि, पशुचारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भूमि उपयोग – कृषि भूमि उपयोगी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों का प्रतिफल है। इन्हीं कारकों द्वारा कृषि संचालित होती है तथा इन्हीं कारकों के समन्वित परिणाम से कृषि को विशिष्टता प्राप्त होती है साथ ही इन्हीं की समरूपता एवं अनेकरूपता के फलस्वरूप कृषि प्रदेशों का जन्म होता है। इन कारकों को भौतिक एवं मानवीय कारक भी कह सकते हैं। धरातलीय स्वरूप जलवायु, मिट्टियां, वनस्पति जलाशय व जल प्रवाह पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ता है। उच्चावच, तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग इन प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर करता है। नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र जलवायु व धरातलीय स्वरूप के कारण ही बसाव के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। इसके विपरीत अधिवास विषम जलवायु

वाले क्षेत्र कृषि क्रियाओं की दृष्टि से न्यून स्तर के साथ-साथ मानव विहीन क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त मानवीय कारक भूमि उपयोग को प्रभावित ही नहीं करते हैं बल्कि भूमि उपयोग को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक आदि मानवीय पर्यावरण को नियोजित करते हैं तथा भूमि उपयोग को विधिवत रूप देती है। इसी प्रकार मानव के संस्थागत तत्व प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। जिनमें सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक समूह, सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक मूल्य, कानूनी तौर तरीके आदि प्रमुख हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनके प्रभावों का रूप कृषि में भली प्रकार देखा जा सकता है। क्षेत्र में भूमि स्वामित्व, खेतों का आकार विस्तार व अन्य भूमि व्यवस्थाएं ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो भूमि उपयोग को पूर्णतया प्रभावित करती हैं। मशीनीकरण, यंत्रीकरण एवं जैव तकनीक वर्तमान समय में कृषि भूमि उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से भी भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है।

इस प्रकार भौतिक दशाएं व मानवीय पर्यावरण की गतियां कृषि को पूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर मानव इसका उपयोग कर विभिन्न नये आयाम देता है जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भिन्नताएं विकसित हो जाती हैं। विभिन्न समाजों में भिन्न रूप से जीविकोपार्जन के साधन विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार एक क्षेत्र में शुष्क, अर्द्ध या सिंचित कृषि का विकास हुआ है तो दूसरे क्षेत्र में गहन कृषि, विस्तृत कृषि एवं विभिन्न कृषि प्रणालियों का विकास हुआ है। भूमि उपयोग को अन्य प्रभावित करने वाले तथ्यों में मानवीय तथ्य जैसे जनसंख्या का वितरण जनसंख्या का घनत्व एवं बदलते सामाजिक मूल्य आदि प्रमुख हैं। इन सभी का प्रभाव समय के परिवर्तन के साथ-साथ ही देखा जा सकता है। ये तथ्य प्रायः संतुलन को समय-समय पर बिगाड़ते रहते हैं जिसे फिर से संतुलित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ओर बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या के प्रतिरूप व सामाजिक जटिलताओं ने इस प्रकार के परिवर्तनों में अधिक योगदान दिया है वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कृषि भूमि का आयाम जो व्यवस्थागत रहे हैं बहुत कम बदले हैं। इस प्रकार परिवर्तन की प्रवृत्ति भूमि के विभिन्न उपयोग में धीरे-धीरे देखी जा सकती है। क्योंकि कई परिवर्तनों का प्रभाव लम्बे समय में सामने आता है।

वर्तमान युग में मानव एवं भूमि के अनुपात में अन्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है। जिसका कारण जनसंख्या की देश में तीव्र गति से वृद्धि है। आर्थिक विकास की विश्व होड़ ने मानव की अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। जिसने राष्ट्र, प्रदेश एवं क्षेत्र तक को प्रभावित किया है। यही कारण है कि वर्तमान में भूमि भूगोल की ही नहीं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अधिकांश विषय एवं संकायों के अध्ययन का प्रमुख आधार है। भूगोल अध्ययन में भूमि उपयोग अध्ययन 1930 के दशक में प्रो. डी. स्टेम्प ने प्रारम्भ किया था तथा इस विषय का आज विश्व, राष्ट्र तथा क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन इस विषय का आधार बन चुका है। भूगोल सभी संकायों को अन्तर्सम्बन्धित एवं निदानात्मक विश्लेषण है।

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत रावतभाटा तहसील की भूमि उपयोग प्रकार का अध्ययन करने से पूर्व रावतभाटा तहसील की भूमि को जानना आवश्यक है। जिसे निम्न भागों में विभक्त किया गया (तालिका संख्यां 1) है-

रावतभाटा तहसील का भूमि उपयोग प्रतिरूप 2013-2014

क्र.	भूमि उपयोग	कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का प्रतिशत
	कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र (00 हैक्टर)	1442
1.	वन (जंगल)	36.80

2.	असुरक्षित भूमि	27.10
2.1	पहाड़ी क्षेत्र	4.50
2.2	बंजर और असुरक्षित भूमि	19.10
2.3	गैर कृषि उपयोगी भूमि	3.50
3.	संभावित खेती योग्य भूमि	21.40
3.1	चरागाह और चराई भूमि	2.40
3.2	कृषि योग्य बंजर	17.10
3.3	परती भूमि	1.90
4.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	14.70
5.	सिंचित क्षेत्र	48.00
6.	फसल की गहनता	143.50

भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसमें न्यूनतम प्रयोगों से भूमि से खाद्यान्न व अन्य कृषिगत उत्पादनों की अधिकतम उत्पादकता लेना है। जनसंख्या संरचना के आधार पर भूमि के आदर्श उपयोग की योजना प्रस्तुत की जा सकती है।

भूगोलवेत्त कार्ल आ.सावर (1991) वहीटलसी (1925), वैकर्स (1928), किन्स (1933), स्टाम्प महोदय (1930) ने विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं। उसके बाद फोक्स ने (1956) 'Land use is the actual and specific use to which the land surface is put in terms of internet land use characteristics' भूमि उपयोग भूमि में स्वाभाविक प्लाट (1959) के विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां प्रस्तुत की।

भारत में भी इसका अध्ययन सर्वप्रथम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत था। यद्यपि प्राचीन समय से ही कृषक ने अपने अनुभव के आधार पर भूमि के गुणात्मक पक्षों से फसलों के चयन तथा अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करने की कृषि पद्धति को विकसित किया। वर्तमान भूमि उपयोग से उन क्षेत्रों का सहज अनुमान लगाया जा सकता है जो कृषि के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। खेती भूमि पर बढ़ते दबाव के साथ ही कृषि योग्य बंजर भूमि को चरागाह तथा खेती भूमि के विस्तार की योजनाएं बनाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अतः भूमि उपयोग का अध्ययन कृषि भूगोल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

भूमि उपयोग का अध्ययन मूलतः वनस्पति से आच्छादित या इसकी कमी से सम्बन्धित है। भूमि उपयोग योजना द्वारा भूमि इकाई के अनुकूलित उपयोगों को निर्धारित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र के सहज विकास का अनुमान भी भूमि उपयोग से लगाया जा सकता है जो कृषि के लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का स्तर भी ज्ञात किया जाता है। इसी उद्देश्य से योजना को समयानुसार व बदलती परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील बनाने का प्रयास किया गया है एवं कृषि योग्य बंजर भूमि को चरागाह में तथा पड़त भूमि को कृषि भूमि योग्य बनाना भूमि उपयोग में सकारात्मक पहल है।

भूमि उपयोग के प्रकार - भूमि उपयोग विश्लेषण कृषि सांख्यिकी द्वारा तकनीकी कमेटी ने 1948 में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के सहयोग से विकसित भूमि उपयोग सारणियों में विभक्त है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से क्षेत्र विशेष में विद्यमान, कृषिहर, भूमि चरागाह, वन आदि के आधार पर वास्तविक उपयोग प्रदर्शित करता है। यद्यपि कृषि कार्यों के उद्देश्य से विकसित की गई विद्या है जो आंकड़ों को क्षेत्र विशेष के भूमि उपयोग में समेकित करती है। औद्योगिक क्रियाओं तथा उपयोग के परस्पर अध्ययन हेतु वर्तमान में यह अनुकूल विद्या है।

अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि उपयोग प्रारूप का अध्ययन निम्नलिखित भूमि उपयोग श्रेणियों के अन्तर्गत है -

भूमि उपयोग में परिवर्तन (तुलनात्मक अध्ययन) - रावतभाटा तहसील में कृषि भूमि उपयोग कृषि एवं फसल प्रारूप एवं फसल उत्पादन के अध्ययन की दृष्टि से महत्व रखता है। कृषि पद्धति तथा फसलों की उत्पादकता वृद्धि की योजनाएं प्रस्तुत करते समय वर्तमान भूमि उपयोग की मात्रा तथा उसमें हो रहे परिवर्तनों को अध्ययन में सम्मिलित करना आवश्यक है। तालिका 2 से देखा जा सकता है।

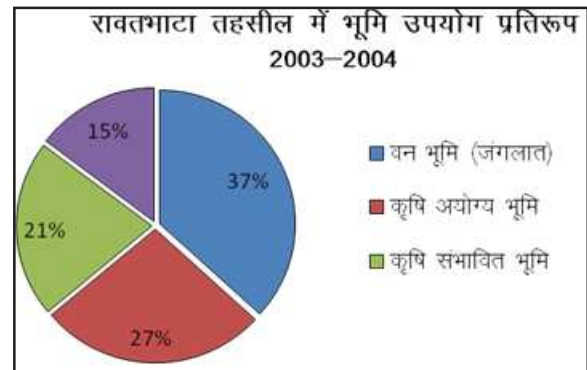
तहसील के भौगोलिक क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि जिले के क्षेत्रफल में बड़ा परिवर्तन हुआ। वनभूमि क्षेत्र 2013-14 में घटकर 36.8 प्रतिशत रह गया जो 2003-04 में लगभग 40 प्रतिशत था। जिसका कारण वनभूमि पर अतिक्रमण एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वनभूमि का इस्तेमाल किया जाना प्रमुख है। कृषि अयोग्य भूमि का उपयोग 2013-14 में बढ़कर 27.1 प्रतिशत हो गया जो 2003-04 में 23.1 प्रतिशत था अर्थात् बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि अयोग्य भूमि पर भी दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर देख जाये तो कृषि संभावित भूमि जो 2003-04 में 25.1 प्रतिशत था वह घटकर 2013-14 में 21.4 प्रतिशत रह गया। इसका सीधा-सा कारण है कृषि संकट जिसमें कृषि की बढ़ती लागत है।

रावतभाटा तहसील में भूमि उपयोग प्रतिरूप 2003-2004 व 2013-2014

क्र.	भूमि उपयोग प्रतिरूप	रावतभाटा के कुल प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत		जिले का औसत 2013-14
		2003-04	2013-14	
1	कुल भौगोलिक क्षेत्र (00है.)	1442	1442	10301
2	वन भूमि (जंगलात)	39.8	36.8	17.6
3	कृषि अयोग्य भूमि	23.1	27.1	14.6
अ	पहाड़ी	5.0	4.5	4.1
ब	बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि	16.1	19.1	5.9
स	अकृषि कार्य वाली भूमि	2.0	3.5	4.6
4	कृषि संभावित भूमि	25.1	21.4	29.1
अ	चरागाह एवं गोचर भूमि	3.0	1.4	7.4
ब	पड़ती भूमि	2.1	1.0	4.6
स	कृषि योग्य बंजर	20.0	19.0	21.7
11	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	12.0	14.7	38.7
	कुल	100.0	100.0	
12	वास्तविक बोया गया सिंचित क्षेत्र (प्रतिशत एन.एस.ए)	40.0	48.0	40.5
13	फसलों की गहनता (GCA as % of NAS)	135	143.5	149.7

रावतभाटा तहसील में भूमि उपयोग प्रतिरूप 2003-2004

क्र.	भूमि उपयोग	उपयोग प्रतिशत
1	वन भूमि (जंगलात)	39.8
2	कृषि अयोग्य भूमि	23.1
3	कृषि संभावित भूमि	25.1
4	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	12.0

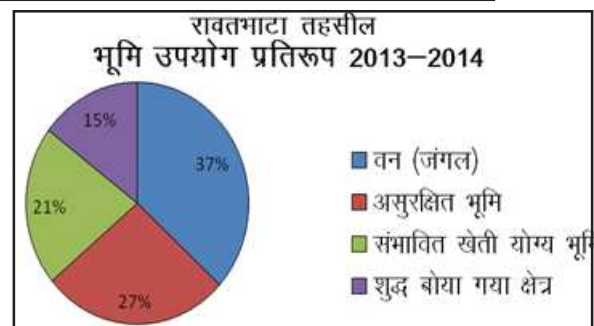


रावतभाटा में चितौड़ जिले के मूल भौगोलिक क्षेत्र का 13.9 प्रतिशत क्षेत्र है, जिले के औसत जंगलात 17.6 प्रतिशत की तुलना में यहां जंगलात का प्रति 39.8 प्रतिशत है, जो यहां के तापमान एवं रावतभाटा झील की वजह क्षेत्र।

अकृषियोग्य भूमि जिले के औसत 14.6 की तुलना में 27.1 प्रतिशत अधिक है जबकि संभावित कृषि योग्य भूमि जिले के 29.1 प्रतिशत की तुलना में 21.4 प्रतिशत कम है, एवं शुद्ध बोया क्षेत्र 38.7 की तुलना में 14.7 प्रतिशत भी काफी कम है। इस प्रकार भूमि उपयोग विवरण तालिका संख्या 1 एवं मानचित्र संख्या 2 में दर्शाया गया है।

रावतभाटा तहसील में भूमि उपयोग प्रतिरूप 2013-2014

क्र.	भूमि उपयोग	उपयोग प्रतिशत
1	वन भूमि (जंगलात)	36.8
2	कृषि अयोग्य भूमि	27.1
3	कृषि संभावित भूमि	21.4
4	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	14.7



भूमि उपयोग प्रारूप 2003-04 एवं 2013-14 - रावतभाटा तहसील में वर्ष 2003-04 एवं 2013-14 के भूमि उपयोग की तुलना करने पर पता चलता है कि जंगलात भूमि 39.8 प्रतिशत से घटकर 36.8 प्रतिशत रह गयी (तालिका संख्या 4.2) है। यह कमी तापमान में अधिकता एवं वर्षा में कमी के कारण आयी है। इसी प्रकार कृषि अयोग्य भूमि वर्ष 2003-04 में 23.1 प्रतिशत थी जो 2013-14 में बढ़कर 27.1 प्रतिशत हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण वर्षा की कमी रहा है। वर्ष 2003-04 में संभावित कृषि योग्य भूमि 25.1 प्रतिशत थी जो 2013-14 में घटकर 21.4 प्रतिशत हो गई। वास्तविक बोया गया क्षेत्र वर्ष 2003-04 में 12 प्रतिशत था जो 2013-14 में बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गया इसका प्रमुख कारण सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार है। इसी तरह वास्तविक बोये गये क्षेत्र में सिंचित भूमि का प्रतिशत भी 2003-04 में 40 प्रतिशत से 2013-04 में 48

प्रतिशत हो गया। पिछले दस वर्षों में कृषि गहनता का प्रतिशत 9.5 प्रतिशत बढ़ा है, जो कृषि में सुधार की ओर इंगित करता है।

तहसील के कुल भौगोलिक क्षेत्र में भूमि उपयोग के कुल क्षेत्रफल में जंगलात वर्ष 2003-04 में 39.8 प्रतिशत थे जबकि वर्ष 2013-14 में 36.8 प्रतिशत थे अर्थात् 2013-14 तक 3.00 प्रतिशत जंगलात के क्षेत्र में कमी हुई। तालिका संख्या 3 एवं ग्राफ संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है।

इसका मुख्य कारण तापमान की अधिकता एवं वर्षा में कमी हैं। कृषि अयोग्य भूमि वर्ष 2004 में 23.1 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2014 में 27.1 प्रतिशत रह गयी, अर्थात् 2014 तक 3 प्रतिशत की कृषि अयोग्य भूमि के क्षेत्र में कमी आयी है जिसका मुख्य कारण सिंचाई का समय-समय पर न होना। वर्षा का न होना। पड़त भूमि का क्षेत्र 2004 में 2.1 प्रतिशत था जो वर्ष 2014 में 1.0 प्रतिशत ही रह गया अर्थात् 2014 तक 1.1 प्रतिशत की कमी आई है (तालिका संख्या 4 एवं ग्राफ संख्या 2)। इस कमी का मुख्य कारण सर्वप्रथम वर्षा की कमी व नमी अत्यधिक रही है।

कृषि एवं उसके सम्बन्धित घटकों के अध्ययन में भूमि का उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि पिछले वर्षों में उपयोग में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। इसकी सुस्पष्ट जानकारी हेतु एवं फसलों के उत्पादन सम्बन्धित जानकारी हेतु अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

भूमि अवनयन - प्रकृति की शक्तियां जब किसी प्रदेश की भूमि के ऊपरी आवरण को नष्ट कर देती है तो उसे भूमि कटाव या भूमि अवनयन कहते हैं। वायु और जल दो शक्तियां ही भारत में भूमि का अवनयन करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। देश के मैदानी भागों में जहां आर्द्र मौसम में वर्षा का जल अपरदन करता है। वहां शुष्क मौसम में वायु अपना प्रभाव दिखाती है। देश में भूमि अवनयन की समस्या धीरे-धीरे भीषण रूप ले रही है। जिसके कारण कृषि पोषक तत्वों और उत्पादनों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।

भूमि संरक्षण- तहसील में खाद्य समस्या को कम करने के लिए सघन खेती का कार्यक्रम है। जो आजकल जिले में काफी प्रगति में है। इसके अन्दर पहले से ही जोत के अन्दर भूमि में कई फसलें खेतों से एक वर्ष में काटते हैं। जोत के अन्दर भूमि की सीमा, विभिन्न विकारों से प्रभावित भूमि को सुधार कर, यदि इसके सुधारने का आर्थिक व्यय कम आता है तो बढ़ाई जा सकती है।

Planning Commission, 1942 ने भूमि संरक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी है - 'Soil Conservation means all methods of soil managements and others measures required to preserve soil and fertility from total or partial loss caused by erosion by both water and wind by waters logging by removal of elements of fertility, leaching by water or extracting grouping or grazing'

बेनेट के अनुसार - 'भूमि संरक्षण' भूमि को उसी प्रयोग में लाना जिस प्रकार के लिए वह योग्य है।

भूमि संरक्षण का महत्व - प्रकृति की दी हुई वस्तुओं में भूमि का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि भूमि नहीं है बल्कि धन का एक स्रोत है। भूमि का इतना महत्व होते हुए भी यदि हम ध्यान लगाकर सोचें तो ज्ञात होगा कि हम इस प्रकृति द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तु को बड़ी सम्पत्ति करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सरकार द्वारा जिले में भूमि संरक्षण हेतु किये गए कार्य -

1. कृषित भूमि को पड़त भूमि के रूप में कम से कम छोड़ना।
2. सर्वेक्षण करके भूमि की समस्याओं को दूर करना।

3. ग्राम स्तर पर पटवार मण्डलों में नीतियां बनाने में सहायता करना।
4. भूमि की उपजाऊ शक्ति सदैव एकसी रखने के लिए उसमें खाद व उर्वरक का समुचित मात्रा में उपयोग करना।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध अध्ययन में रावतभाटा तहसील के भूमि उपयोग प्रतिरूप में वर्ष 2003-04 एवं 2013-14 के मध्य हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों कारकों के प्रभाव से भूमि उपयोग स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि तकनीकों का विकास तथा वर्षा की अनिश्चितता ने भूमि उपयोग संरचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

अध्ययन के अनुसार वन भूमि का प्रतिशत 39.8 से घटकर 36.8 प्रतिशत रह गया, जो पर्यावरणीय असंतुलन एवं वन क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है। दूसरी ओर कृषि अयोग्य भूमि में वृद्धि हुई है, जिससे भूमि क्षरण तथा संसाधनों के अव्यवस्थित उपयोग की समस्या सामने आती है। संभावित कृषि योग्य भूमि में कमी यह संकेत देती है कि कृषि क्षेत्र अनेक चुनौतियों जैसे वर्षा की कमी, लागत वृद्धि एवं भूमि की उर्वरता में गिरावट से प्रभावित हो रहा है।

इसके विपरीत वास्तविक बोया गया क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि सकारात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से फसल गहनता में वृद्धि हुई है, जिससे कृषि उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है। यह परिवर्तन क्षेत्रीय कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि भूमि संरक्षण एवं संतुलित भूमि उपयोग की आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यदि भूमि संसाधनों का वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में भूमि क्षरण, उत्पादन क्षमता में कमी तथा पर्यावरणीय समस्याएँ और अधिक गंभीर हो सकती हैं। अतः आवश्यक है कि भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई प्रबंधन, मृदा संरक्षण तथा कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु प्रभावी नीतियाँ अपनाई जाएँ।

अंततः कहा जा सकता है कि रावतभाटा तहसील का भूमि उपयोग प्रतिरूप निरंतर परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन भविष्य की भूमि उपयोग योजना एवं कृषि विकास नीतियों के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chatterjee, S.P. (1945), "Land Utilization in the district of 24 Parganas, Bengal", B.C. Law, Vol. Part 2, Calcutta.
2. Deshpandey, G.D. "The Role of Geographer in Land use Planning, Bombay, Geographical Magazine, 1959, Sept., p. 3, 5 to 89.
3. Gupta, N.L. and L.C. Khatri, 1987 "Trends and changes of land utilization and agricultural production in Rajasthan, 1951-1982 (in) Sharma H.S. and M.L. Sharma (eds.) "Environment design and development scientific Publishers, Jodhpur, pp. 223-237.
4. Khaliranjan, K. (1980) "The contribution of location specific research to Agricultural Productivity", Indian

- Journal of Agricultural Economics 35 (4), pp. 8-16.
5. Laxmi, Shukla (1978) "Agricultural land use in Chittorgarh district" Ph.D. thesis, Rajasthan University, Jaipur.
 6. Singh Jasbir and Dillon, S.S. (1984) "Agricultural geography", Tata Mac Graw Hill Publishing Company Ltd., New Delhi, p. 412.
 7. Singh S.P. and Gangwar, A.C. (1986) "Trends and variability in area, production and productivity of coarse grains and pulses in Haryana", Agricultural situation in India Vol. (2) pp. 81.
 8. Swamy, Ompuri (2002) "Changes in Agriculture Landscape and Agriculture Pattern". (A Geographical analysis of Jalore district) Ph.D. thesis unpublished.
 9. Weaver, John, C. (1954) "Crop combination regions in the middle west", Geographical Review, Vol. 44 (a), pp. 175-200.

The New Global Approach to a Transportation Problem

Aakash Kamra* Dr. Vinod Kumar Sharma**

*Scholar, Faculty of Science, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Supervisor, Faculty of Science, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Proposed philosophy named as “The New Global Approach to a Transportation Problem” is produced for obtaining an optimal answer for an expansive grouping of transportation issues especially. A numerical depiction is produced and the optimality of the outcome got by this strategy is additionally checked. The best property of this system is that it is helpful for each kind of transportation issue. For the straightforwardness perspective of this system is that anybody can apply without a ton of an expand.

Introduction - A transportation issue is a standout amongst the most critical utilizations of Linear Programming Problem. The Description of a transportation issue is as per the following. A specific measure of homogeneous ware is accessible at number of sources and settled sum is required to take care of the demand at each number of goals. We are expecting that the aggregate request is equivalent to add up to supply, generally first change over the given transportation issue as adjusted transportation issue by including the dummy line or dummy column whichever is required.

In this chapter, in the wake of developing the transportation grid, we have focused on odd cost just to influence the entire lattice to will be just of even cost., so that over all framework will have no less than one zero and all the rest of the cost turn out to be even. At that point applying the allotment according to the algorithm is described here with.

In this chapter, I have attempted to locate the optimal solution of a transportation issue directly. and furthermore attempt to analyze the optimality of a transportation issue with MODI strategy.

History : In 1941 Hitchcock built up the fundamental transportation issue along the productive strategy for arrangement and after that in 1949 Koopmans examined the issue in detail. Again in 1951 Dantzig detailed the Transportation issue as Linear Programming Problem and furthermore gave the arrangement strategy. In this cutting edge time the Transportation issue has turned into a standard application for mechanical associations having a few assembling units, stockrooms and dispersion focuses. For securing an optimal answer for transportation issues, it was required to deal with the issue in to two stages. In first stage the Initial Basic Feasible Solution (IBFS) was getting by utilizing any of the accessible techniques, for example, North West Corner, Matrix Minima, Minimum Cost

Method, Row Minima, Column Minima and Vogel's Approximation strategy. At that point at last MODI Method was utilized to get an optimal answer.

Charnes and Cooper additionally built up a technique for finding an optimal arrangement from IBFS named as “Stepping Stone Method”.

In most recent couple of years P.Pandian and Sudhaker proposed two unique techniques in 2010 and 2012 separately, to find an optimal arrangement straightforwardly. Here the new approach for finding an ideal arrangement straightforwardly with minimum count and simple calculations. The means of proposed technique are done as takes after.

Algorithm :

Stage 1: Construct the Transportation framework from given transportation issue.

Stage 2: Select the least odd cost from all cost in framework

Stage 3: Deduct chosen minimum odd cost just from odd cost in grid. Presently there will be at least One zero and staying all cost turn out to be even. Designate the least of (Supply and Request) at the place of zero, and erase the line or segment where supply or request Drained.

Stage 4: Deduct every row values of the transportation table from the particular row least value. Designate the least of (Supply and request) at place of zero.

Stage 5 : when activity step-4, erase the row or column for advance computation wherever offer from a given supply is exhausted or the interest for a given goal is consumed.

Stage 6: Check whether or not the Resultant framework has no less than one zero in every line. If not rehash Step-4, typically attend step-7.

Stage 7: Repeat step-4 to step-6 unless and until the point that every one of the requests are fulfilled and every one of the provisions are depleted.

Numerical Examples :

1) Consider the following cost minimizing transportation

problem.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
S ₁	13	18	30	8	8
S ₂	55	20	25	40	10
S ₃	30	6	50	10	11
Demand	4	7	6	12	29(Total)

By applying proposed methodology allocations are obtained as follows.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
S ₁	13	4	30	4	8
S ₂	55	20	6	40	10
S ₃	30	3	50	8	11
Demand	4	7	6	12	29(Total)

Total cost = $13 \times 4 + 8 \times 4 + 20 \times 4 + 25 \times 6 + 6 \times 3 + 10 \times 8 = 412$

The Total cost from these allocations is 412.

2) Consider the following cost minimizing transportation problem.

Table: 2

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
S ₁	19	30	50	10	7
S ₂	70	30	40	60	9
S ₃	40	8	70	20	18
Demand	5	8	7	14	34(Total)

By applying proposed method, allocations are obtained as follows.

	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
S ₁	19	5	50	2	7
S ₂	70	30	7	60	9
S ₃	40	8	6	12	18
Demand	5	8	7	14	34(Total)

Total Cost = $19 \times 5 + 10 \times 2 + 30 \times 2 + 40 \times 7 + 8 \times 6 + 20 \times 12 = 743$

The total cost associated with these allocations is 743.

3) Consider the following cost minimizing transportation problem.

Table: 3

	D ₁	D ₂	D ₃	Supply
S ₁	6	4	1	50
S ₂	3	8	7	40
S ₃	4	4	2	60
Demand	20	95	35	150

By applying proposed method, allocations are obtained as follows.

	D ₂	D ₃	D ₄	Supply
S ₁	6	15	35	50
S ₂	20	20	7	40
S ₃	4	4	2	60
Demand	20	95	35	150

Total Cost = $4 \times 15 + 1 \times 35 + 3 \times 20 + 8 \times 20 + 20 \times 4 = 555$

The total cost associated with these allocations is 555.

Examination of aggregate cost of Transportation issue from different strategies :

Table: 4

Table no:	Problem size	By New Method	By NWCM Method	By LCM Method	By VAM method	By MODI method
1.	3×4	412	484	516	476	412
2.	3×4	743	1015	814	779	743
3.	3×3	555	730	555	555	555

Conclusion : I've tried to discover the most beneficial answer of a transportation problem immediately. And moreover I have referred to the optimality of a transportation trouble with MODI method. In this chapter, the simple calculation for tackling transportation problem has been developed. The calculation is simple and everyone can apply. The most fulfilling answer received in this approach might be equal to the MODI method and VAM. Also the evaluation of the noted approach with MODI and VAM is shown in table.

References:-

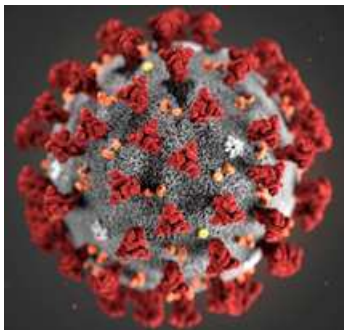
1. Amaliah B., Fatichah C., Suryani E., (2019), "Total opportunity cost matrix – Minimal total: A new approach to determine initial basic feasible solution of a transportation problem", Egyptian Informatics Journal
2. Amirul, I., Haque M., Uddin, M. S., (2012), Extremum Difference Formula on Total Opportunity Cost: A Transportation Cost Minimization Technique, Prime University Journal of Multidisciplinary Quest, Vol.6, No.2,
3. Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., 1990. Linear Programming and Network Flows, John Wiley, Second Edition, New York.
4. Beer, S. (1995) Decision and Control: The Meaning of Operational Research and Management Cybernetics. John Wiley & Sons.
5. Brezina, I., Cickov, J., Peka, J. & Rei M. (2002). Multi-Stage Transportation Problem With Capacity Limit. International Journal of Lean Thinking. Volume 1, 42-57.

Impact of COVID-19 on Educational and Social Values

Dr. Bhavna Sharma*

***Asstt. Prof. (Commerce) Wilsonia Degree College, Moradabad (U.P.) INDIA**

Introduction and Background: The novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) emerged at the end of December 2019 in Wuhan city of China. The initial outbreak of COVID-19 in Wuhan spread rapidly, affecting other parts of China. The authorities in Wuhan took unprecedented steps and locked down the city on January 23, 2020, to lower the risk of further disease transmission. Later on, the same measures were taken in other places in China. Within a few weeks, cases of COVID-19 were detected in several other countries and soon, it became a global threat. The World Health Organization (WHO) declared the coronavirus epidemic a pandemic. As of March 29, the virus had spread to more than 177 countries and infected more than 722,435 patients, resulting in more than 33,997 deaths. Regions severely affected by major outbreaks include China, Europe, Iran, South Korea, and the United States. On March 13, the WHO stated that Europe had become the new epicenter of the pandemic. China took aggressive action and succeeded in reducing new cases. Unfortunately, this reduction was not the case in other parts of the world, including Iran, Italy, the US, and other European countries.



Important And Interesting Facts Of COVID - 19 :

1. First time the Coronavirus was identified in 1960.
2. Safe hand challenge was started by WHO (World Health Organization).
3. The image of coronavirus is Crown shape (Microscopic observation).
4. The name of coronavirus has been derived from Latin language.
5. Indian Monetary Fund declared that just because of

COVID – 19 world entered into the phase of economic recession.

6. Scientists gave the name of COVID – 19 virus as SARS – COV- 2 (Severe Acute Respiratory Syndrome).
7. Maximum deaths due to Corona were in America.
8. National Book Trust proposed to stay home 'India with books'.
9. First country to declare lockdown in the world was China.
10. First state to declare lockdown in India was Rajasthan.
11. Hand sanitizers and masks were declared as necessities in India.
12. Coronavirus related jokes were completely banned in Pune.
13. AROGYA SETU APP. AND CORONA KAVACH APP. were launched to trace the location of people affected from corona.
14. Under The AYUSHMAAN BHARAT PM JAN AROGYA ABHIYAAN, the patients affected from coronavirus were to be treated at free of cost.
15. Indian Army began the operation 'Namaste'.

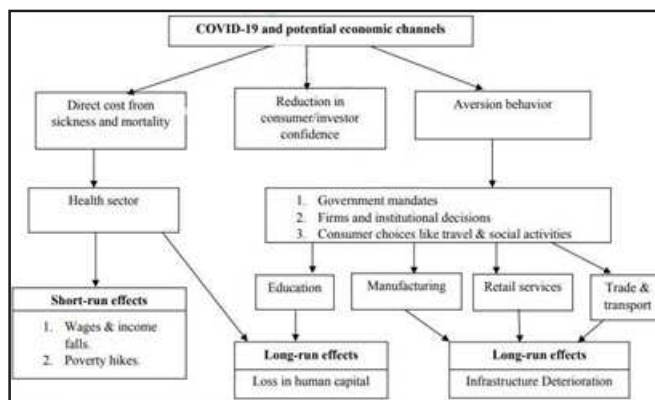
Impact Of COVID - 19 On Economy: The impact of coronavirus pandemic on India has been largely disruptive in terms of economic activity as well as a loss of human lives. Almost all the sectors have been adversely affected as domestic demand and exports sharply plummeted with some notable exceptions where high growth was observed. An attempt is made to analyze the impact and possible solutions for some key sectors.

1. The pharmaceutical industry has been on the rise since the start of the Covid-19 pandemic, especially in India, the largest producer of generic drugs globally. With a market size of \$55 billion during the beginning of 2020, it has been surging in India, exporting Hydroxychloroquine to the world, esp. to the US, UK, Canada, and the Middle-East.

There has been a recent rise in the prices of raw materials imported from China due to the pandemic. Generic drugs are the most impacted due to heavy reliance on imports, disrupted supply-chain, and labour unavailability in the industry, caused by social distancing. Simultaneously, the pharmaceutical industry is struggling because of the

government-imposed bans on the export of critical drugs, equipment, and PPE kits to ensure sufficient quantities for the country. The increasing demand for these drugs, coupled with hindered accessibility is making things harder. Easing the financial stress on the pharmaceutical companies, tax-relaxations, and addressing the labour force shortage could be the differentiating factors in such a desperate time.

2. There has been a significant amount of changes in the telecom sector of India even before the COVID 19 due to brief price wars between the service providers. Most essential services and sectors have continued to run during the pandemic thanks to the implementation of the 'work from home' due to restrictions. With over 1 billion connections as of 2019, the telecom sector contributes about 6.5 per cent of GDP and employs almost 4 million people. Increased broadband usage had a direct impact and resulted in pressure on the network. Demand has been increased by about 10%. However, the Telco's are bracing for a sharp drop in adding new subscribers. As a policy recommendation, the government can aid the sector by relaxing the regulatory compliances and provide moratorium for spectrum dues, which can be used for network expansions by the companies



Challenges Being Faced By Educational Institutes Due To The COVID-19 Outbreak

1. Shifting from Face-to-Face to Online Classes:

Worldwide, many teachers and students have been excited by the move to the online delivery mode. Faculty have already begun preparing lesson plans to deliver online teaching to their students. Online teaching is not a new mode of delivery for any university. Many faculty members get training to use online learning platforms either as the only delivery mode or as an add-on to face-to-face teaching. Nevertheless, there is always a chance that some faculty who are not techno-savvy will not be able to cope up with this mode. The transition to online mode has raised questions for the faculty about their capability to deal with the existing technology. Furthermore, computers and IT equipment at home are now in heavy demand from parents, children, and other relatives who have to work from home. Thus, working at home is going to be a difficult task for the

faculty. Also, many universities do not have enough infrastructure or resources to facilitate online teaching with immediate effect. What about those students who do not have access to laptops and internet facilities at home? Is it possible to teach practicals and labs, music and art courses online? What will happen to those students whose courses cannot be taught online? The quality of online education is a critical issue that needs proper attention.

2. Assessment and Evaluation: Several universities have already suspended the semester-end final examinations, whereas continuous assessment will go on along with the online classes. The transition from face-to-face teaching to online delivery has a serious impact on assessments and evaluation. Although technology has been used earlier to support teaching and learning, the assessment aspect is often under-developed. Applying assessments online on those courses designed for face-to-face learning is a challenging task. Students, as well as faculty, are uncertain about the procedure for administering outstanding assignments, projects, and other continuous assessments. Faculty members have to change the assessment types to fit online mode. It is difficult to monitor how they are taking it online and to ensure that students are not cheating during online tests. Again lab tests, practicals, and performance tests are not possible to conduct online. In addition, students who do not have an Internet facility will suffer a clear disadvantage while participating in the evaluation process, which would adversely affect their grade point averages (GPAs).

3. International Students: There are many international students studying in universities for whom travel to their home is not possible in this critical situation. While universities are closing campuses, it is important to consider that many students do not have any other accommodation facilities outside those campuses. It has become a great challenge for administrators to ensure food, accommodation, and safety service for those non-national students. Students also need proper advice to protect themselves from any person-to-person contact and live in self-isolation until the situation becomes normal. Extension of stay due to the delay of examinations may cause a monetary problem. Those who manage to go home are concerned that their studies will be interrupted. At home, many students may not have the correct setup such as books, computers, and high-speed Internet connection. Again, the disruption due to COVID-19 may affect the admissions of international students for the coming academic session.

4. Travel Restrictions: The COVID-19 outbreak has created worldwide chaos for airlines. Nations across the globe are closing international borders to mitigate the outbreak. University administrations are advising their staff members to postpone, until there is a return to normalcy, participation in any event that would require them to travel overseas. It is obvious that many staff members have

already paid conference registration fees and air tickets from study and travel or any other university funds. It gives rise to a state of confusion among the staff while dealing with such situations. Universities across the world are asking international students not to travel overseas and continue their studies from hostels. Students traveling overseas are putting themselves at risk of getting infected.

5. Mental Health: The COVID-19 outbreak has disrupted the lives of many people across the world. The worldwide rapid increase of infected cases has created a sense of uncertainty and anxiety about what is going to happen. It has also caused a tremendous level of stress among the university fraternity, inclusive of students. This stress may lead to unfavorable effects on the learning and psychological health of students. International students staying far from home are not only worried about their health, safety, and education but they also have a huge number of concerns for the wellbeing of their families. Questions arise: Are universities taking proactive measures to support the mental health and well-being of students? Do universities have professionally trained counselors who can understand such students? Students who managed to go home are worried about being unable to return to their respective institutions for further studies.

The COVID-19 pandemic may have a serious impact on the careers of this years' university graduates. They are experiencing major interruptions in teaching and assessment in the final part of their studies. They may likely graduate late due to the postponement of the final examination. Further, the graduates are going to face the severe challenges of the global recession caused by the COVID-19 crisis.

6. Support Services from the Universities: Universities should establish a task force to plan and deal with the crisis that is driven by COVID-19. The task force should include members from different areas within the university such as academics, human resources, facility management, health units, student affairs, enrolment services, and other relevant members. The task force should frequently meet with various subcommittees formed for the outbreak and make informed decisions as the situation evolves.

Due to the rapid increase of COVID-19 cases worldwide, universities should cancel or postpone all events, sports, workshops, conferences, and other activities for an indefinite period of time. They should avoid or reschedule meetings involving large numbers of staff or students unless it is urgent. Instead of physical meetings, they should try to conduct Zoom meetings.

It is the right time for faculty, students, and administrators to learn from this critical situation and to overcome these challenges. Online learning could be a greater opportunity as a result of this crisis. Students are young and energetic, and they are capable of learning through the online platform. Faculty can motivate the younger minds and draw them into active participation.

University authorities should encourage students and faculty to stay connected through the online or any social media platform and move forward together during this extremely difficult time. Students should be provided with course instruction and other services in an online format to support academic continuity. The training program should be organized as quickly as possible for the faculty members to tackle the online learning platform. This force experimentation will guide universities around the world to upgrade their technical infrastructure and make online a core aspect of teaching and learning.

Students are concerned amid widespread fears that the outbreak will adversely affect their exam performance. Clear directions should be given to them regarding the procedures for administering mid-term exams, assignments, and projects. Faculty members, with the respective heads, should frame a flexible assessment guideline to keep in mind that students are not at a disadvantage. If any student is not able to attend a course online due to illness or any disturbance, universities should remain as flexible as possible to ensure that he or she will not get any negative impacts in terms of grading. Some courses, such as labs, fine arts, clerkship, dance, art, and music, cannot be taught online. In such cases, the faculty can simply grade students on the work they have already done or suspend classes until things become normal.

As we witness the outbreak unfolding globally, the safety and well-being of students and staff members should be the highest priority. Universities should place an emphasis on mental health support by updating the health guidelines and providing online guidance and lectures to offer strategies for managing stress when coping with the pandemic. Any student experiencing feelings of heightened anxiety about COVID-19 should be provided with proper psychological support well in time. Further, universities should pay more attention and systematic support to vulnerable international students. Hostels and residences should remain open for students who are unable to return to their homes. Universities should consider matters relating to financial support and the general living expenses of needy students. To overcome the challenges of the global recession, graduates should be encouraged to stay in school and pursue another degree. Universities, governments, banks, and student loan companies should support graduates in various ways, including direct case support and temporary suspension of students' loan payment.

Impact Of COVID On Social Values

1. Impact on Religious Values: The COVID-19 pandemic has impacted religion in various ways, including the cancellation of the worship services of various faiths and the closure of Sunday schools, as well as the cancellation of pilgrimages, ceremonies and festivals. Many churches, synagogues, mosques, and temples have offered worship through livestream amidst the pandemic.

2. Relief wings of religious organisations have dispatched disinfection supplies, powered air-purifying respirators, face shields, gloves, coronavirus nucleic acid detection reagents, ventilators, patient monitors, syringe pumps, infusion pumps, and food to affected areas. Other churches have offered free COVID-19 testing to the public. Adherents of many religions have gathered together to pray for an end to the COVID-19 pandemic, for those affected by it, as well as for wisdom for physicians and scientists to combat the disease.

3. Impact on Women: The COVID-19 pandemic is not just a health issue. It is a profound shock to our societies and economies, and women are at the heart of care and response efforts underway. As front-line responders, health professionals, community volunteers, transport and logistics managers, scientists and more, women are making critical contributions to address the outbreak every day.

4. Buying Habits: Another aspect is that of Panic Buying, which has been largely observed in all parts of the country during this lockdown. Everyone tries to procure as much as they can, with least botheration or concern about their neighbours. Unwarranted purchasing and stocking of grocery and other essential items by people, without considering the resultant shortage problem which may affect other people in the society shows the unreceptive nature of people. This creates disharmony and jealousy, which ultimately leads to weakening of bonding between the neighbours. Though it may be a temporary phase, its implications are long-lasting.

5. Impact on Environment: Researchers from several institutions presented their early results in a virtual press conference on Dec. 7 at the American Geophysical Union's 2020 fall meeting. They found that the environment is quickly changing, and the timing of those changes seems to indicate that the pandemic may be a reason. Deforestation rates are changing in some places, air pollution is diminishing, water quality is improving, and snow is becoming more reflective in some areas since the pandemic began earlier this year. "But we will need more research to clearly attribute environmental change to COVID," said Timothy Newman, National Land Imaging Program Coordinator for the United States Geological Survey (USGS).

Scientists and engineers like Newman use remote sensing data to observe how the world is changing during the COVID-19 pandemic, comparing current remote sensing data to pre-pandemic trends. Newman's program monitors weekly changes with satellite images from the joint NASA/USGS Landsat satellites and the ESA's Sentinel-2 satellites.

Newman's program observed that large swaths of the Brazilian Amazon rainforest were cleared from June to September of this year, since the start of the COVID-19 pandemic. Rapid deforestation also is occurring in the tropics near Indonesia and the Congo. Yet, in other parts of

the Amazon rainforest such as Colombia and Peru, deforestation appears to have slowed somewhat since the onset of the pandemic.

6. Impact on culture: In the face of all the challenges facing the creative and artistic industries in particular, and the culture sector in general, the sector is by far one of the major bright spots of hope for the future. It remains both a stakeholder and critical tool in the fight against COVID-19. UNESCO's initial support for artists and other creative talents to assist in raising awareness and communicate national strategies aimed at fighting the pandemic in many countries across the continent, was informed by the realization of the long-term role and potentially viable contribution of the culture sector to post-pandemic recovery in Africa. Deeply rooted within the social fabric of their communities, the significance of messages conveyed by artists and culture workers, tapping into their power of imagination cannot be overemphasized. Moving forward therefore, UNESCO, as part of its contribution to the global effort to support African countries recover from the pandemic, will work with its partners to upscale investments in the creative industries, specifically targeting young artists and leveraging digital technologies to reinforce their creative imagination and skills, and consequently amplifying their long-term financial viability. Beyond that, the Organization will continue to engage at the upstream level, in support of government efforts to create conducive environments for the culture sector to rebound, and consequently contribute to long-term economic recovery of countries in the continent.

Conclusion: In the light of the above parameters, we can say that this pandemic came with both the shades – Positive and Negative. The positive impact was on pharmaceutical industries and telecom industries and the rest of the industries faced the recession phase. So in order to overcome this phase, our honourable Prime Minister Mr. Narendra Modi asked us to convert this Adversity into Opportunity which resulted into mutual harmony amongst people with the help of various government policies. This pandemic gave us the new vision – the new approach – the new parameter to solve our economic and social values.

References:-

1. COVID-19 and its impact on education, social life and mental health of students: A survey <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019074092032288X>
2. The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121071/jrc121071.pdf>
3. Everyone Included: Social Impact of COVID-19 <https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html>

Literary Depictions of Mental Health: A Critical Examination With Reference to Female Novelists

Dr. Reena Mittal*

*Professor and Head (English) DAK Degree College, Moradabad (U.P.) INDIA

Abstract: Mental health is a significant topic in contemporary literary studies, since literature offers a space in which psychological distress, trauma, depression, anxiety, alienation, and recovery can be represented. This paper explores how chosen literary texts portray mental health in connection with gender, identity, social expectations, stigma, and institutional power. Employing a qualitative and interpretive methodology, it concentrates on Charlotte Brontë's *Jane Eyre*, Virginia Woolf's *Mrs Dalloway*, and Sylvia Plath's *The Bell Jar*, backed by feminist, trauma, disability, and literary theory. The analysis reveals a historical shift from external depictions of "madness" toward psychological interiority and subjective experience. Whereas earlier texts may link mental illness with irrationality, danger, confinement, or social deviance, modern narratives increasingly bring vulnerability, context, agency, and empathy to the fore. Literature can thus simultaneously reinforce stereotypes and challenge stigma by portraying psychological suffering as a complex human experience.

Keywords: Mental health, Mental illness, Literature, Depression, Trauma, Stigma, Gender, Identity, Literary criticism.

Introduction - Mental health shapes emotional well-being, relationships, identity, and involvement in society. Nevertheless, mental illness has historically been tied to fear, shame, misunderstanding, and exclusion. Literature has played a part both in shaping these perceptions and in questioning them.

By means of characterization, symbolism, imagery, interior monologue, and narrative perspective, literary texts can make psychological experiences that would otherwise remain invisible accessible to readers.

Depictions of mental health have shifted across literary periods. Older traditions frequently employed madness as a symbol for disorder, moral failing, supernatural intervention, or a threatening irrationality. Modernist writers of the twentieth century increasingly delved into consciousness, memory, trauma, alienation, and fractured identity. Contemporary writing keeps lived experience at the forefront and tends to portray people with mental-health difficulties as complex individuals rather than merely as diagnoses.

This study explores how psychological suffering is depicted in selected texts and how those depictions intersect with gender, trauma, identity, social isolation, power, and stigma. It also asks whether literature questions or upholds cultural assumptions about what counts as normal and abnormal.

Objectives of the Study:

1. To examine representations of mental health in

selected literary texts.

2. To identify stereotypes and recurring images associated with mental illness.
3. To analyse links among mental health, gender, identity, trauma, and social expectations.
4. To examine how literature reinforces or challenges stigma.
5. To explore the importance of narrative voice and psychological interiority.
6. To consider literature's potential to promote empathy and understanding.

Literature Review

The study of mental illness in literature has gone beyond merely identifying characters as psychologically disturbed and increasingly takes into account the cultural and ideological processes by which "madness" is defined. Michel Foucault's *Madness and Civilization* brings into focus the connection between madness, institutional control, and social power. Elaine Showalter's *The Female Malady* examines women, madness, medical discourse, and cultural expectations, whereas Gilbert and Gubar's *The Madwoman in the Attic* offers an influential feminist reading of the "mad" woman in nineteenth-century literature.

Trauma studies expand this field even further. Cathy Caruth links trauma to memory and to the difficulty of representing it directly, while Judith Herman stresses the psychological and social effects of traumatic experience and the importance of recognition and recovery. Disability

studies likewise challenges purely medical interpretations by looking at how social attitudes and institutions contribute to exclusion. Taken together, these approaches suggest that mental health in literature must be studied through psychological, historical, gendered, cultural, and institutional lenses.

Research Methodology: This study adopts a qualitative, interpretive approach along with close textual analysis. The main texts examined are *Jane Eyre* by Charlotte Brontë (1847), *Mrs Dalloway* by Virginia Woolf (1925), and *The Bell Jar* by Sylvia Plath (1963). The analysis centers on characterization, narrative perspective, symbolism, imagery, social isolation, gender, trauma, memory, institutional responses, recovery, and agency. This study does not apply contemporary clinical criteria to diagnose fictional characters; rather, it explores how psychological experience is shaped by the historical and cultural context of each text.

Mental Health and Literary Representation: Literature is capable of portraying psychological experiences that are hard to convey in everyday language. Interior monologue, stream of consciousness, symbolism, metaphor, fragmented narration, and shifting perspectives can convey emotions, memories, fears, and conflicts.

Depression, for instance, might be depicted through darkness, silence, imprisonment, heaviness, or numbness, whereas anxiety may emerge through repetitive thoughts and fragmented narration.

These depictions offer an alternative language for psychological suffering and portray it as an experience that is both embodied and subjective.

Madness, Confinement, and Gender in *Jane Eyre*: In *Jane Eyre*, Bertha Mason is locked away in the attic of Thornfield Hall and is mostly revealed through the accounts of other characters. Her portrayal prompts questions about gender, marriage, colonialism, and patriarchal authority. The attic stands for both physical imprisonment and social exclusion. From a feminist standpoint, Bertha can be interpreted as a figure who resists the restrictive Victorian ideals of femininity and, in Gilbert and Gubar's influential reading, as a symbolic double of Jane.

Yet Bertha's absence of an independent voice reveals a limitation in nineteenth-century depictions of mental illness: the individual enduring psychological distress can turn into an object of observation rather than a speaking subject. The text thus demonstrates both the cultural construction of "madness" and the connection between psychological difference and social power.

Trauma, War, and Psychological Suffering in *Mrs Dalloway* Mrs Dalloway presents a more psychologically intimate portrayal through Septimus Warren Smith, a former soldier who suffers after the First World War. Woolf's modernist narrative moves into Septimus's consciousness, revealing memories, perceptions, fears, and hallucinations through shifting perspectives. His suffering cannot be separated from wartime trauma and social alienation.

The novel additionally raises questions about how institutions respond to psychological suffering. Septimus's physicians stress traditional notions of normality and recovery instead of truly acknowledging his subjective experience. Woolf's stream-of-consciousness method lets readers feel psychological suffering rather than simply watch it, producing a kind of literary empathy. As a result, his death can be interpreted both as a personal tragedy and as an indictment of the social and medical systems that fail to grasp trauma.

Depression, Identity, and Gender in *The Bell Jar*: Sylvia Plath's *The Bell Jar* offers an intimate portrayal of Esther Greenwood's depression and psychological crisis. The title's metaphor implies psychological suffocation and detachment from ordinary life. Esther's anguish is tied to questions of marriage, motherhood, sexuality, education, and professional ambition, exposing the weight of restrictive gender expectations.

Esther stays a complex person endowed with intelligence, creativity, ambition, and critical awareness; her psychological suffering does not entirely define who she is. The novel further explores psychiatric treatment, authority, patient autonomy, and recovery. Its first-person narration provides readers with direct access to Esther's experience and represents a significant shift from depicting the "mad character" from the outside to letting the psychologically distressed individual become a speaking subject.

Literary Techniques:

1. Stream of consciousness: recreates the flow of thoughts, memories, associations, and perceptions, as seen most notably in *Mrs Dalloway*.
2. Symbolism: the attic in *Jane Eyre* implies confinement; the bell jar stands for psychological suffocation; fragmented memories can hint at trauma.
3. Imagery: darkness, emptiness, imprisonment, silence, drowning, and fragmentation give inner suffering a tangible form.
4. Fragmented narrative: broken chronology, incomplete memories, and abrupt shifts can stand for trauma or psychological disorientation.
5. Interior monologue: grants readers access to characters' thoughts and enhances the agency of those enduring mental distress.

Mental Health, Stigma, and Social Attitudes: Literary representations can either reinforce or confront stigma. Conventional depictions frequently link mental illness with danger, irrationality, weakness, unpredictability, moral failure, or social incompetence. Stereotypes like these shrink complex human beings down to one trait. Contemporary literature increasingly portrays people with mental-health struggles as individuals who also have relationships, ambitions, talents, fears, and agency. This shift from "madness as otherness" toward psychological distress as lived experience can foster more compassionate understandings of mental health.

Gender and Mental Health: Gender plays a major role in shaping how mental health is depicted in literature. Throughout history, women have been linked to stereotypes of hysteria, emotional instability, irrationality, and oversensitivity. Feminist criticism questions whether restrictive social structures intensify psychological suffering. Bertha's confinement in *Jane Eyre*, Esther's crisis in *The Bell Jar*, and Woolf's portrayal of women's psychological experience all show that mental health cannot be divorced from cultural expectations and power relations. A critical approach thus asks who defines mental illness, whose behaviour is deemed unacceptable, and whether suffering might be a response to social oppression.

Trauma and Memory: Trauma can impact memory, identity, relationships, and perceptions of time. Literature captures these effects through fragmented narratives, repetition, intrusive memories, and difficulty putting experience into words. In *Mrs Dalloway*, Septimus's wartime memories remain psychologically present even after the war has ended. Representations like these challenge the notion that recovery simply means forgetting. Rather, recovery may involve recognition, narration, social support, and the reconstruction of identity.

Institutional Power and Mental Health: Doctors, psychiatric institutions, families, schools, and workplaces all shape how mental illness is defined and treated. Foucault's work is helpful for examining the relationship between knowledge and power, since institutions take part in defining normal behaviour. Literary narratives can question institutional authority while still acknowledging the value of treatment. A central concern is agency: whether individuals experiencing psychological distress have a meaningful voice in decisions that affect their lives.

From the "Mad Character" to the Speaking Subject: A key shift in literary representation involves moving away from merely observing mentally ill characters toward letting them tell their own stories. First-person narration, memoir, diary forms, stream of consciousness, fragmented narratives, and multiple perspectives grant individuals more authority over their own narratives. Representation thus becomes a matter of power as well: who narrates the story, who is trusted, who defines the condition, and who governs the narrative.

Literature as a Space for Empathy: Literature can generate emotional understanding that clinical descriptions on their own might not offer. By stepping into a character's thoughts and experiences, readers may become more aware of depression, anxiety, trauma, grief, or loneliness. Literature does not substitute for medical or psychological knowledge, yet it provides a narrative and imaginative mode of understanding. Its ability to cultivate empathy is valuable within literary studies and medical humanities, though critical reading remains essential since texts can also reinforce stereotypes or be misread.

Discussion and Major Findings: The analysis shows that

representations of mental health are shaped by historical and cultural contexts. The chosen texts reveal a shift from external representation toward psychological interiority and subjective testimony. In *Jane Eyre*, mental difference is tied to confinement, gender, marriage, and authority. In *Mrs Dalloway*, trauma is conveyed through consciousness, memory, alienation, and institutional failure. In *The Bell Jar*, first-person narration presents depression as a subjective experience tied to gender expectations and social pressures.

1. Mental illness is culturally constructed as well as medically understood.
2. Earlier literature frequently externalizes mental illness and grants psychologically distressed characters limited narrative agency.
3. Modernist literature emphasizes consciousness, trauma, memory, and alienation.
4. Gender strongly shapes representations of psychological suffering.
5. Trauma disrupts conventional notions of normality by linking the past with present identity and behaviour.
6. Modern approaches more and more question stigma by depicting those with mental-health struggles as complex, multifaceted individuals.
7. Narrative voice matters greatly, as it grants agency to individuals instead of turning them into mere objects of observation.
8. Literature has the power to foster empathy, yet readers should also weigh stereotypes, historical settings, and artistic traditions.

Conclusion: Literary depictions of mental health expose both psychological experience and the cultural attitudes surrounding mental illness. The chosen texts show notable shifts in representation: *Jane Eyre* ties female psychological difference to confinement and patriarchal power; *Mrs Dalloway* conveys trauma through modernist methods and subjective consciousness; and *The Bell Jar* gives an intimate portrayal of depression, identity, gender expectations, and institutional treatment.

Throughout these works, psychological suffering appears not as an isolated personal issue but as something formed by social relationships, historical conditions, gender roles, trauma, and institutional power. The shift from externally observed "madness" to speaking subjects underscores the value of voice, context, and agency. Literature can question oversimplified divides between "normal" and "abnormal," prompting readers to see the human complexity underlying psychological distress. Perhaps its greatest contribution lies in restoring history, identity, relationships, aspirations, and agency to conversations about mental health.

References:-

1. American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Association

- Publishing.
2. Brontë, C. (1847). *Jane Eyre*. Smith, Elder & Co.
3. Caruth, C. (1996). *Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history*. Johns Hopkins University Press.
4. Foucault, M. (1965). *Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason* (R. Howard, Trans.). Random House.
5. Gilbert, S. M., & Gubar, S. (1979). *The madwoman in the attic: The woman writer and the nineteenth-century literary imagination*. Yale University Press.
7. Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror*. Basic Books.
8. Laing, R. D. (1960). *The divided self: An existential study in sanity and madness*. Tavistock Publications.
9. LaCapra, D. (2001). *Writing history, writing trauma*. Johns Hopkins University Press.
10. Plath, S. (1963). *The bell jar*. Heinemann.
11. Showalter, E. (1985). *The female malady: Women, madness, and English culture, 1830–1980*. Pantheon Books.
12. Sontag, S. (1990). *Illness as metaphor and AIDS and its metaphors*. Anchor Books.
13. Woolf, V. (1925). *Mrs Dalloway*. Hogarth Press.
15. World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. World Health Organization.
